

प्रकाशक

साधना-सदन

प्रयाग

द्वितीय मुद्रणः मार्च, १९५१

॥

मुद्रक

सेवा प्रेस एन्, हिवेट रोड

प्रयाग

भूमिका

श्री धीरेन मजूमदार १९२० से, जब उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए हिंदू यूनिवर्सिटी छोड़ी, मेरे साथ काम कर रहे हैं। वह, श्री गांधी आश्रम (युक्तप्रान्त) के मूल-सदस्यों में से एक हैं। उन्होंने आश्रम के खादी और गांवों के काम को संघटित किया। कुछ वर्षों के बाद उन्होंने अपना सारा ध्यान गांवों के काम पर लगा दिया। सालों तक उनके काम का कोई प्रकट परिणाम नहीं निकला। फिर भी वह असाधारण श्रद्धा और धुन के साथ अपने काम में लगे रहे।

आखिरकार इन गुणों का नतीजा निकला और उन्होंने ग्राम-सेवा के लिए फैजाबाद जिले में रणीवां केन्द्र की स्थापना की। यहां उन्होंने ने केवल गांवों की सेवा और संघटन के लिए कार्यकर्ताओं की शिक्षा की व्यवस्था की बल्कि स्वयं ग्रामवासियों को दस्तकारी सिखाई और स्वतंत्र रूप से अपना काम करने तथा स्वतंत्र आजीविका प्राप्त करने में उनकी सहायता की। युक्तप्रान्त की कांग्रेस सरकार तक को अपने ग्राम-कार्यकर्ताओं के शिक्षण के लिए रणीवां आश्रम का उपयोग करना पड़ा। १९४२ में यह संस्था नष्ट कर दी गई और उसके साज-सामान, औजार और मशीनों को जब्त कर लिया गया और इमारत पर ताला लगा दिया गया। श्री धीरेन मजूमदार भी १९४५ तक नजरबंद रहे। छूटने पर उन्होंने इस संस्था का फिर निर्माण किया।

१५५

अब उनका विचार बनारस के निकट दूसरा और रणीवां से बड़ा, पर उसी प्रणाली का, आश्रम स्थापित करने का है। आजकल वह उसी में लगे हुए हैं। इसलिए उन्होंने जो कुछ लिखा है अधिकांश अपने निजी अनुभवों के आधार पर लिखा है। उन्होंने किताबें नहीं

पढ़ी हैं; जीवन की पुस्तक से सीखा है। इसलिए मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक में उन्होंने जो कुछ लिखा है वह न केवल उन लोगों के लिए उपयोगी होगा जो गांवों की पुनर्रचना के कार्य में लगना चाहते हैं बल्कि उन सरकारों के लिए भी काम का होगा जो भारत के समाज-शरीर के चेतन कोश या घटक-स्वरूप गांवों को नवजीवन देने के द्वारे में सचमुच गंभीर हैं।

अगर लोकतंत्र को वास्तविक और फलदायक बनाना है; अगर उसे हमारी जनता को अपने मामलों की विवेकपूर्वक व्यवस्था करने की शिक्षा देनी है तब तो हमें आर्थिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में बहुत दूर तक विकेन्द्रीकरण को अपनाना होगा। केवल बालिग मताधिकार दे देने से सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं होता है; न तो वह सार्वदेशिक प्रारंभिक शिक्षण से ही स्थापित होता है। हमारे अन्नदाताओं (जनता—किसानों) का शिक्षण यों न होगा। उनको तो जीवन के द्वारा और जीवन के लिए ही शिक्षित करना पड़ेगा। इसका सर्वोत्तम उपाय उनको ऐसा क्षेत्र प्रदान करना है जिसमें वे सहकारिता के आधार पर प्रयत्न कर सकें और अपने प्रयत्न के परिणाम को अपनी पैदा की सम्पत्ति के साकार रूप में देख सकें तथा खुद ही आपस में उसका बँटवारा कर सकें। उनको अपने ही प्रयत्नों से गाँव में शान्ति रखने की कला भी सीखनी होगी। अपने चारों ओर स्वास्थ्यकर, स्वच्छ वातावरण और पड़ोस बनाने का मौका उन्हें देना होगा। संक्षेप में, उन्हें अपने सारे मामलों का छोटे और व्यवस्था-योग्य पैमाने पर खुद ही इन्तजाम करना होगा। यही लोकतंत्र के लिए वास्तविक शिक्षण होगा। इतना हो जाने के बाद, आत्मानुभाव और आत्मावलम्बन के इस ढाँचे पर ऐसी शक्तिमान केन्द्रीय सरकार का निर्माण करना सरल होगा जिसका लोकतंत्र सत्ता अथवा केन्द्रीकरण से धुँधला न होगा। आज की जटिल दुनिया में लोकतंत्र के रक्षण का यही मार्ग है।

सरकारों को केवल शक्तिमान और महत्वकांक्षी राष्ट्रों से अपनी रक्षा करने के लिए ही शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि स्वयं अपने राष्ट्र के अन्दर के शक्तिशाली व्यक्तियों और वर्गों वा समूहों की स्वार्थ-भावना के नियम और नियंत्रण के लिए भी उसकी जरूरत होती है। आज की दुनिया में न केवल कानून और सत्ता से बल्कि शक्ति के सहारे भी मुक्ति—स्वतंत्रता—की रचना करनी पड़ेगी। ऐसा करना तभी संभव होगा जब स्थानीय इकाइयाँ प्रभावपूर्ण ढंग पर सक्रिय होंगी। आज के विषम विश्व में, जो विज्ञान और यंत्र-कौशल की प्रगति से और भी जटिल बन गया है, लोकतंत्र के रक्षण का एक ही रास्ता है—गाँव की इकाई को पुनर्जीवन देना और शक्ति प्रदान करना। मुझे कोई सन्देह नहीं है कि इस कार्य में श्रीधीरेन मजूमदार के विचार, ग्रामों की पुनर्रचना-सम्बन्धी वास्तविक अनुभवों पर आधारित होने के कारण, उन सब लोगों के लिए बहुत अधिक सहायक होंगे जिन्हें इस दिशा में प्रकाश की आवश्यकता है या जो प्रकाश पाने के इच्छुक हैं।

जंतर मंतर रोड,
नई दिल्ली
२ अगस्त १९४७

—जे० बी० कृपलानी

५ ५
१५५

लेखक और उनकी कृति

कहने को बंगाली, जन्म से बिहारी, दीर्घ निवास से युक्तप्रान्तीय और श्रद्धा से सर्वभारतीय, ऐसे इस पुस्तक के लेखक धीरेन भाई हैं। १९२० के असहयोग आन्दोलन में गांधी जी के आवाहन पर जो लोग सेवा-क्षेत्र में आये और समय की कसीटी पर खरे उतरे, ऐसे गांधी जी के अनुयायियों में वह किसी पद की दृष्टि से नहीं-पर अपनी लगन और सेवा से एक ऊँचा स्थान रखते हैं।* हमारे देश में कार्यकर्ताओं की संख्या नगण्य नहीं है; पर सच्चे, आत्मनिष्ठ कार्यकर्ता इने-गिने हैं; गणना की जाय तो नेताओं की संख्या उनसे अधिक होगी। जैसे गाँवों की लक्ष्मी की गति नगर की ओर रही है; वैसे ही सेवकों, कार्यकर्ताओं की गति भी गाँव से नगर की ओर दिखाई देती है। अधिकांश जो नगरों में रहने का प्रवन्ध कर सकते हैं, गाँवों से उधर भागते हैं। ग्रामों के जो युवक हमारी युनिवर्सिटियों से डिग्रियाँ प्राप्त करते हैं वे भी सदा के लिए नगरों में खो जाते हैं। पर धीरेनभाई एक दूसरी कोटि के हैं। जन्मे नगर में, बसे गाँव में। और आज तो सूरत शकू और भेष से गँवार ही लगते हैं। गाँवों के प्रति उनका आत्मार्पण कुछ ऐसा है कि नगरों में उनका दिल धवराता है। वह गाँवों के प्रति एक सम्पूर्णतः आत्मार्पित सेवक हैं।

पर इतना ही सब कुछ नहीं है। उनमें बंगाली की भावुकता, बिहारी की सहृदयता और युक्तप्रान्त की यथार्थता एक साथ पनपी है। बंगाली नीचे दब गया है; युक्तप्रान्त ऊपर छा गया है। इसीलिए पहली नजर में वह रूखे लगते हैं। पर कुरेद दोजिये तो मधुचक्र की तरह मधु उनसे टपकने लगता है। उनके गद्यात्मक जीवन के भीतर जन सेवा की तन्मयता से प्राप्त गहरी संस्कारिता का आत्म-द्रवण है।

*अब तो पद की दृष्टि से भी वह अखिल भारतीय चर्खा संघ के अध्यक्ष हैं। १९५१

अपनी संस्कारजात भावुकता को उन्होंने खोया नहीं पर उसमें वह नहीं गये; अपनी गहरी निष्ठा, लगन, किसी काम के पीछे सब कुछ भूल कर पढ़ने की वृत्ति और सतत जाग्रत जिज्ञासा से उन्होंने उसे संस्कृत और नियंत्रित किया है। इसीलिए उनमें एक कवि की आर्द्रता और एक विवेचक की सर्वग्राही दृष्टि है।

उनकी इस कृति में उनकी ये विशेषताएँ मूर्त्त हैं। पुस्तक का प्रथम भाग उनकी सेवा की तैयारी और उसकी विविध अवस्थाओं के संस्मरणों तथा अनुभवों से भरा हुआ है। इसमें हम उनके हृदय की गहरी संवेदनाएँ और उनके वाद के सेवक-जीवन की विकास-रेखाएँ पाते हैं। इसमें उनकी ग्राम-सेवा की दृष्टि का प्रकाश है। दूसरे भाग में अपनी कल्पना के अनुसार भावी ग्राम-व्यवस्था का पूरा नक्शा ही उन्होंने रख दिया है। इसमें ग्रामीण जीवन के प्रत्येक विभाग की आवश्यकताएँ तथा उनकी पूर्ति के साधनों का उन्होंने अत्यन्त विशद, व्यौरेवार विवरण दिया है; प्रत्येक विषय की प्रामाणिक तालिकाएँ दी हैं; आज का और भविष्य का एक-एक परिवार, एक-एक गाँव और सम्पूर्ण प्रान्त का वजट दिया है और किन-किन परिवर्तनों के द्वारा एक सुखी, समृद्ध और संस्कार-सम्पन्न ग्रामीण समाज का निर्माण किया जा सकता है, इसका त्रिवेचन किया है। खेती, भूमि, जल, वस्त्र, शिचा और उद्योग की कोई मद उनसे छूटी नहीं है। उन्होंने न केवल यह बताया है कि क्या चाहिए बल्कि यह भी बताया है कि कैसे वर्तमान साधनों में सुधार करके, भारतीय ढंग पर, प्रत्येक गाँव को स्वावलम्बी स्थिति पर पहुँचाया जा सकता है। सब से बड़ी बात यह है कि उन्होंने इन सब सुधारों और परिवर्तनों में होने वाले विशाल व्यय की पूर्ति के साधन भी सुझाये हैं। इस प्रकार उन्होंने १५ वर्ष में गाँवों के पुनर्जीवन का एक अत्यन्त व्यावहारिक वजट-सा ही पेश कर दिया है।

आज जब देश राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करके आशा से उत्फुल्ल

हैं और जब हम पर राष्ट्र एवं समाज के निर्माण की जिम्मेदारी आ गई है और जब देश के सामने उद्योगीकरण की अनेक योजनाएँ आ रही हैं और बड़े-बड़े कल कारखानों की चिमनी का धुआँ शिष्टित युवकों के मस्तिष्क में भर रहा है; जब गलत धारणाएँ तेजी से फैल रही हैं तब धीरे-धीरे यह पुस्तक चौरस्ते पर खड़े दिग्मूढ़ यात्रियों के लिए दिशा-निर्देशक पट्ट का काम देगी:—हाँ, यदि हम कुछ सीखने और ग्रहण करने की दृष्टि से उसे पढ़ें ।

इसीलिए जब मैंने पुस्तक देखी तो उसे प्रकाशित करने के मोह से मन भर गया और उसकी उपयोगिता देखकर ही साधना सदन ने अपनी साधन-हीनता की ओर दुर्लक्ष्य करके, इतनी बड़ी पुस्तक ऐसे समय छापने का उपक्रम किया जब कागज खाद्य-सामग्री से भी अधिक दुर्लभ है और कागज के लिए मिले सरकारी परमिट १९४२ के बर्सा के अंग्रेजी नोटों की भाँति तिरस्कृत हवा में मारे मारे फिर रहे हैं ।

स्वतंत्र भारत की केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तों की सरकारों के मंत्रियों, अधिकारियों तथा ग्राम सेवा-कार्य से सम्बन्ध रखनेवाली संस्थाओं और कार्यकर्ताओं को पुस्तक का अध्ययन-मनन करना चाहिए ।

—श्री रामनाथ 'सुमन'

पुनश्च—

इस पुस्तक का दूसरा संस्करण छापते हुए हमें प्रसन्नता होती है । बहुत दिनों से यह अप्राप्य था । इस बार अनेक स्थानों पर संशोधन एवं परिवर्द्धन भी किया गया है और पुस्तक मोटे ऐंठिक कागज पर पहले की अपेक्षा कहीं सुन्दर रूप से छापी गई है ।

आत्म-निवेदन

दस साल पहले, श्रीमती आशादेवी ने, जब रणीवाँ-आश्रम के आसपास के गाँवों का काम देखा था तब उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि मैं अपने अनुभव लिख डालूँ। तब, समय के अभाव से, कुछ नहीं लिख सका लेकिन सन् ४१ में व्यक्तिगत सत्याग्रह में नजरबंद होकर, आगरा सेंट्रल-जेल चला गया तो आशावहन ने फिर आग्रह किया। तब मेरे पास समय की कमी का वहाना न था अतः मैं उनके आग्रह की पूर्ति में लग गया।

जब लिखने बैठा तो महसूस हुआ कि यह भी एक कला है और लिख वे ही सकते हैं जिनकी आदत लिखने-पढ़ने की है। छुटपन से, विद्यालय छोड़ कर जब से राष्ट्रसेवा के काम में आ गया तब से प्रायः गाँव में ही रहने को मिला। असहयोग-आन्दोलन के साथ-साथ लिखने पढ़ने से भी असहयोग कर देना पड़ा था। अतः मेरी समझ में यह नहीं आया कि मैं किस तरह लिखूँ। बहुत सोच-विचार के बाद मैंने अपने अनुभवों की कहानी पत्रों-द्वारा ही आशा वहन को लिखनी शुरू की। ऐसा करने में खास सहूलियत यह थी कि लेख के सिलसिले, तर्ज और तरीके की रक्षा करने की आवश्यकता न थी। इस तरह दस माह आगरा जेल में रहने के समय मैंने अपने ग्रामसेवा के अनुभव काफी लिख डाले। सन् ४२ में बाहर आकर, इन पत्रों को इकट्ठा तो कर लिया था लेकिन समयभाव से उसे फिर से देखने का मौका नहीं मिला। और कुछ ही दिनों बाद, सन् ४२ के आन्दोलन के कारण फिर नजरबंद होकर एलाहाबाद सेंट्रल-जेल चल दिया। उस वक्त हमारे दादा (आचार्य कृपलानी), अहमदनगर किले में नजरबंद थे। वहाँ से उन्होंने मुझे यह आदेश लिख भेजा कि मैं ग्राम-समस्या और उसके समाधान पर कुछ लिखूँ। उनके आदेश का पालन करना ही था।

लेकिन इस बार कठिनाई यह थी कि मुझे पत्र लिखने की इजाजत न था। फिर सोचा भेजने का इजाजत नहीं है लेकिन लिख तो सकता ही हूँ। और पिछले पत्रों के सिलसिले से आशा वहन के नाम, पत्र लिखकर, अपने पास ही जमा करता गया। सन् ४४ के नवम्बर में, जब मैं छूटकर आया तो मित्रों का आग्रह रहा कि उन पत्रावलियों को छपवा दूँ। पर काम की अधिकता के कारण वे छप न सकीं। इधर मेरे मित्र, भाई रामनाथ सुमन इन्हें देखकर छपाने के लिए अपने साथ ले गये और उन्हीं के परिश्रम से वे आज इस पुस्तक-रूप में प्रकाशित हो रही हैं।

पुस्तक लिखना शुरू किये ६ साल हो गये। उसके बाद भारत के इतिहास में, युगपरिवर्तन हुआ, अंग्रेजी-जेल के अंदर से लिखी पुस्तक छप रही है—उस वक्त जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले जा रहे हैं। आज देश की परिस्थिति बदली हुई है और साथ-साथ समस्याएँ भी। पिछले ६ साल तक लड़ाई जारी रहने के कारण, किसानों के अनाज के दाम में अधिकाधिक वृद्धि हुई, इस कारण आज यह समझा जाता है कि किसानों की हालत पहले से सुधरी हुई है राष्ट्रीय सरकार होने के कारण, जमींदारी अत्याचार भी उनपर कम हो गये हैं। ऐसी हालत में, पाँच-छः साल के पहले की लिखी हुई बातों को आज छपाने की क्या आवश्यकता है इससे किसे लाभ हो सकता है, यह शंका स्वभावतः पाठक के मन में उठ सकती है। लेकिन, जो लोग मुल्क का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं वे जब गाँव की मौलिक समस्याओं पर विचार करने लगेंगे तो उन्हें मालूम हो जायगा कि इन तमाम परिवर्तनों के बावजूद, हमारे देहातों की हालत वैसी ही है जैसी आज से दस वर्ष पहिले थी। फर्क इतना ही हुआ है कि आज के देहात के लोग किसी राष्ट्रीय जन को देखकर, उसके पास आकर पूछते हैं—“भइया ! अब का होत बा ?” पहले उनको इस बात का कुछ भी होश नहीं रहता था कि दुनिया में क्या हो रहा है। आज वे दुनिया की हर चीज को जानने के लिए

व्याकुल हैं। ग्रामीण बातों में विशेष परिवर्तन नहीं है। गल्ले की मँहगाई के कारण उन्हीं किसानों की हालत में सुधार हुआ है जिनके सामने पहले भी कोई समस्या नहीं थी याने जो खाने और कपड़े के अलावा बढ़ती अनाज बाजार में बेचते थे। फायदा केवल उन्हीं को है। जिन किसानों के पास केवल इतनी ही जमीन है जिसकी पैदावार से उनको सिर्फ आधे पेट खाना और दो-एक कौपीन-बख के सिवाय और कुछ नहीं बच सकता है उनको मँहगाई और मस्ताई से क्या मतलब और भारत के ९५% किसानों की हालत यही है। अगर ५ सैकड़ा किसानों के पास दो पैसे ज्यादा आ गये तो उसमें से अधिकांश किसान उस पैसे को अनावश्यक चीजों की खरीद में फूँक देते हैं। अतः अनाज की मँहगाई के कारण, ग्राम्य-समस्या में कुछ परिवर्तन हुआ है, ऐसी बात नहीं दिखाई देती।

राष्ट्रीय सरकार होने पर किसानों के लिए कानून में जरूर कुछ परिवर्तन हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से, आज अंग्रेज देश से चले गये हैं और छोड़ गये हैं अंग्रेजी। आज हम राज्य-व्यवस्था उसी तरह केन्द्रीय ढंग से चला रहे हैं जिस ढंग से अंग्रेज चला रहे थे। इस तरह केन्द्रतंत्र का स्वाभाविक नतीजा नौकरशाही आज भी उसी तरह चल रही है। परिणामस्वरूप किसान के लिए जो अच्छे कानून बनते हैं उनका फायदा, नौकरशाही की दीवार लॉधकर, किसानों तक नहीं पहुँच पाता और किसान आज भी उसी तरह पददलित है जिस तरह आज से दस साल पहले था।

जैसा कि मैंने पहले बतनाया है, सन् ४२ के जन-आन्दोलन के कारण और राष्ट्रीय सरकार होने के नतीजे से, आज ग्रामीण जनता पहले जैसी बेहोश नहीं है और दुनिया में क्या हो रहा है, इसे जानने के लिए बेचैन है। अतः यही सब से अनुकूल मौका है जब उनके बीच व्यापक काम करके, उनकी जिम्मेदारी और अधिकारों का ज्ञान उन्हें करा दिया जाय और उस जिम्मेदारी और उन अधिकारों को अपने हाथ

लेने की योग्यता उनमें पैदा की जाय ।

इसलिए देरी होने पर भी, ग्राम-सेवा के मेरे अनुभव मुल्क के सामने आवें इसके लिए आज की परिस्थिति सबसे अनुकूल है ।

इस पुस्तक में मैंने अपने अनुभवों की कहानी लिखी है । उनके आधार पर हमारे देश के स्वतंत्र ग्राम-सेवक, राष्ट्रीय संस्थाएँ और प्रांतीय सरकारें अपनी विशेषताओं और मर्यादाओं के अंतर्गत, किस प्रकार ग्राम-उत्थान का काम कर सकती हैं, उसकी अनुमानित योजना भी दी गई है । ये योजनाएँ गांधी जी की वतलाये विकेन्द्रित आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था के आधार पर ही बनी हैं और इन्हीं आधारों पर, समाज का आर्थिक तथा राजनैतिक संघटन करने पर ही देश में, सही लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है, इसमें संदेह नहीं । केन्द्रीय आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को कायम रखते हुए, प्रजा को चाहे जितना मताधिकार दिया जाय, मुल्क में, सच्ची लोकशाही के बदले केन्द्रसचालकों की तानाशाही ही प्रतिष्ठित होगी क्योंकि वेहोश जनता की राय लोकमत न होकर भीड़मत ही हुआ करती है । अगर आज की प्रांतीय सरकारें चाहती हैं कि प्रजा, अपनी जिम्मेदारी अपने आप उठा कर जनता का राज्य स्थापित करे और उसकी रक्षा भी कर सके तो उन्हें इस पुस्तक में बताई योजना के अनुरूप ही योजना बनानी पड़ेगी ।

जब से देश में राष्ट्रीय सरकार कायम होने की बातचीत चली तब से गांधी जी मंत्रि-मंडलों और देश के नौजवानों को समग्र ग्राम-सेवा, विकेन्द्रित उत्पादन तथा विकेन्द्रित व्यवस्था की बात पुकार-पुकार कर कह रहे हैं । मालूम नहीं, आज के राष्ट्रीय जन सत्ताप्राप्ति के नशे में, गांधी जी की इन पुकारों को सुन सकेंगे या नहीं । लेकिन, जिस मुल्क को गांधी जी के बताये मार्ग पर चलकर, इतने सस्ते में स्वतंत्रता मिली है वह अगर अपने को संघटित करने में गांधी जी का रास्ता छोड़ देगा तो अपने को भयंकर तानाशाही गुट के शिकंजे में डाल

देगा। मुझे आशा है, लोकतंत्र के पुजारी राष्ट्रीयजन इस पुस्तक के पन्नों से लाभ उठा सकेंगे।

पुस्तक का नाम “समग्र ग्राम-सेवा की ओर” रखा गया है। क्योंकि ग्राम-समस्या जैसी अथाह समस्या के अंत तक पहुँचना मेरे-जैसे सामान्य सेवक की अब तक की शक्ति के बाहर है। अतः अभी तक मैं अपने को ग्राम-सेवा के योग्य बनाने की चेष्टा में हूँ। और इस पुस्तक के पन्नों में इसी प्रयत्न-परम्परा की कहानी है। इसलिए इसे “ग्राम-सेवा” न कह कर “ग्राम-सेवा की ओर” ही कहना ठीक समझा।

पुस्तक में जो कुछ लिखा गया है वह मेरा निजी अनुभव है। यह अनुभव कुछ जिलों में सीमित है। हो सकता है, शास्त्रीय, दृष्टि से मेरी बातों में कुछ फर्क हो। यह भी हो सकता है कि मैंने जिन जिलों में काम किया है उन जिलों के अलावा दूसरे देहातों की स्थिति में कुछ फर्क हो। लेकिन इन पन्नों में मैंने किसी के लिए सम्पूर्ण योजना बनाने की कोशिश नहीं की है। मैंने सिर्फ योजना बनाने के लिए एक रास्ता बतलाया है। जो कोई भी मेरे बतलाये तरीके से प्रयोग करना चाहेंगे उन्हें अपने क्षेत्र की परिस्थिति के अनुसार स्वतंत्र योजना बनानी होगी।

मुझे अपने अनुभव बतलाने में कुछ लोगों की आलोचना भी करनी पड़ी। संभव है, कहीं-कहीं यह आलोचना सख्त हो। आशा है, विज्ञ लोग मुझे क्षमा करेंगे।

दादा (राष्ट्रपति कृपलानी जी) का मुझ पर सहज वात्सल्य है। इसलिए उन्होंने चल-चित्र की तरह तेजी से बदलते हुए देश की वर्तमान स्थिति में अत्यन्त कार्यव्यस्त होते हुए भी पुस्तक के लिए विचारपूर्ण भूमिका लिख दी है। उनके प्रति हृदय की कृतज्ञता प्रकट करना भी अकृतज्ञता होगी।

रणावर्ष
स्वाधीनता दिवस १९४७

}

—धीरेन्द्र मजूमदार

विषयानुक्रम

प्रथम भाग

[संस्मरण, संस्कार और अनुभूतियाँ]

२५—३२४

१. सेवक की अर्चन २७-३०
[ग्राम-सेवा की कठिनाई; ग्राम में काम करने की पहली शर्त;
ग्रामवासी की मनोधारा]
२. पहला अनुभव ३०-३५
[आश्रम में; प्रथम दर्शन; एक झटका; किंकर्तव्यविमूढ़]
३. जिन्दगी की तैयारी ३५-४०
[श्रेणीगत अहंकार; हृदय-मंथन; अछूतों से सम्पर्क]
४. सेवा की ओर ४०-४४
[ग्रामसेवा की मनोवृत्ति का महत्व; श्री अनिल और
राजाराम भाई; अकबरपुर में; 'डाक्टर साहब']
५. ग्रामवासियों से सम्पर्क ४४-४९
[उच्चता का अभिमान दूर रखने की आवश्यकता; केन्द्र
बिन्दु को स्पर्श करो; ग्रामवासियों का स्वाभिमान; ग्रामीण
नारी की सहज चेतना; ग्रामीण सभ्यता का प्रकाश उनमें
सुरक्षित है; टाँडा में]
६. भेदभाव और मातृहृदय ४९-५४
[मुगलमान माता का आतिथ्य; भारतीय हृदय की एकता;
भगड़ों के मूल कारण]
७. देहातियों के बीच ५४-६१
[देहात का क्लृप्त; अकल्पनीय गरीबी; रामपुर की बहिनों
का हठ; 'मेहरारू शौकीन होइ गई हैं'; उस बूढ़े के तीर
से शब्द]
८. कौन ऊँचा, कौन नीचा ? ६१-६७
[पतनशील उच्च वर्ग; दोनों श्रेणियों का अन्तर;

भलमनइयों-द्वारा उपेक्षा; उन दीनों के हृदय का अमृत; दरिद्रता की चक्की उनकी मानवता को पीसने में असमर्थ है]

९. कौन सभ्य, कौन असभ्य ? ६७-७१
[इन शहरियों से वे अधिक संस्कृत हैं; वनमानुषों के विषय में; भारत की श्रेष्ठ संस्कृति]
१०. वनमानुष और चमार ७२-७७
[वनमानुषों के विषय में और बातें; चमारों की जड़ स्थिति]
११. चमारों की हालत ७७-८६
[परमुखापेक्षी जीवन; गुलामों की भाँति बँटवारा; गन्दगी का कारण; मूल समस्या; बच्चों से परिचय; स्त्रियों से परिचय; स्त्रियों का फूहड़ हास्य; भलमनई ही पाप के बीज होते हैं]
१२. गाँव के बच्चे ८६-९२
१३. गाँवों में पंचायत ९३-१००
[एक आँखों देखी पंचायत; कचहरियों का भद्दा अनुकरण; सरकारी पंचायत; 'ये भी क्या पंचायतें हैं ?']
१४. समस्या की जड़ १००-१०६
[सत्र बुराइयों की जड़ उनकी गरीबी है; यह बेहोशी; आर्थिक सुधार की आवश्यकता; स्वयं हैजे के चंगुल में]
१५. दूसरी समस्याएँ १०६-११७
[रुई की खेती बिना चर्खा पंगु है; खेती के लिए विनौले का प्रचार; चरित्रहीन के घर में; नारी का वही सनातन मातृत्व]
१६. देश-भ्रमण की कहानी ११७-१३१
[यात्रा की आकस्मिक घोषणा; प्रयाग में; दक्षिण की ओर; गुजरात का अनुभव; भालों का आतिथ्य; भाबुवा के अनुभव;

व्यवहार में सहसा परिवर्तन; कौन सम्य है ?]

१७. निश्चित प्रयोग की चेष्टा १३१-१४४
 [ग्राम-कार्य की योजना; समग्र दृष्टि की आवश्यकता; रासना की विशेषताएँ; धुनाई-कताई और रात्रिपाठशाना; सूत न खरीदने की नीति की निष्फलता; स्त्रियों का शिक्षण और सुधार]
१८. रासना की शेष कथा १४४-१४७
 [रासना केन्द्र का अन्त]
१९. सेवा का निश्चित कदम १४७-१५०
 [स्वास्थ्य का दिवाला; गाँव में विश्राम का निश्चय; रंगीवाँ का चुनाव]
२०. ग्राम-प्रवेश का तरीका १५०-१-६
 [व्याख्यानवाजों के सम्बन्ध में गाँववालों के विचार; हमारे रहन-सहन की देख-रेख; हमारा तर्क; चर्खा चला; गाँव में वहीं कते सूत की पहली साड़ी]
२१. समग्र ग्रामसेवा की ओर १५६-१६२
 [रंगीवाँ की बस्ती; बहुत पिछड़ा गाँव; दकियानूसी दिमाग पर प्रेम और श्रद्धा से भरा हृदय; ग्रामसेवा का आधार-विन्दु निराशा हमारे गलत दृष्टिकोण का परिणाम; हम कितने दुर्बल हैं !]
२२. सफाई की योजना १६२-१६६
२३. घनिष्ट सम्पर्क का लाभ १६७-१७२
 [आलोचनाओं का अन्त; चिकित्सा के सम्बन्ध में विचार; क्षेत्र-विस्तार]
२४. घन-स्वावलम्बन की ओर १७२-१७८
 [बुनाई का आरंभ; शुभ परिणाम; एक विधवा ब्राह्मणी का साहस]

२५. शरीर-श्रम की प्रतिष्ठा १७८-१८४
 [चर्खे की बढ़ती हुई माँग; बढ़ई विभाग की स्थापना; बढ़इयों का लोप कैसे हुआ ?]
२६. गन्दगी की समस्या १८४-१८८
 [सब बुराइयों का एक ही स्रोत; कपड़ों की सफाई; गाँवों में साबुन बनाने की आवश्यकता]
२७. शिक्षा का प्रयोग १८६-१९१
 [रामायण पाठ-द्वारा शिक्षा]
२८. रोगी-परिचर्या की दिशा में १९१-२००
 [सामाजिक भावना का जागरण; रोगों की चिकित्सा; स्वच्छता की रुचि; चाचीपुर का पुनर्जीवन; हैजे का प्रकोप और भवानी का भय; गाँवों में नवीन चिकित्सा-क्रम की आवश्यकता]
२९. मजदूरी का सवाल २०१-२०६
 [चर्खे का आर्थिक पक्ष; जीवन-चेतन का सिद्धान्त; स्त्रियों में कार्य की आवश्यकता]
३०. सेवा-क्षेत्र का विस्तार २०६-१०
 [बापू से भिन्न अनुभव]
३१. रयीर्वी आश्रम की स्थापना २१०-२१६
 [जेल का जीवन; आश्रम के लिए जमीन का चुनाव; वह टीलों का आकर्षण ! श्रद्धा की आवश्यकता]
३२. सरकारी दमन का रूप २१६-२२२
 [सुधारकों का गलत तरीका; आश्रम का बढ़ता प्रभाव; सरकार-द्वारा दमन; दमन की आँधी में अचल रहनेवाले; विधवा का तेज]
३३. खादी सेवकों की शिक्षा २२३-२२८
 [दुर्लभ सेवक का निधन; कर्ण भाई का छुटकारा; खादी-शिक्षण का केन्द्र, हमारी बमी; उत्पत्ति-केन्द्रों को नये ढंग

पर चलाने की आवश्यकता]

३४. किसानों का झगड़ा २२६-२३३

[कौंसिलों का चुनाव; ज़मींदार-किसान संघर्ष की वृद्धि; ग्राम-वासियों का विविध समस्याएँ]

३५. ताल्लुकेंदारों का अत्याचार २३३-२४२

[ज़मींदारा प्रथा; और यह ताल्लुकेंदारी !; किसानों की साहसहीनता के कुछ उदाहरण; किसानों से खेत कैसे छीने जाते हैं ?; व्यवस्थित लूट की प्रणाली; 'बोड़चढ़ा ठाकुर अच्छा मेड़चढ़ा नहीं']

३६. किसानों और मजदूरों की बेवसी २४२-२४९

[कानूनी चुटियाँ; वेदखली के गोरखधन्वे; ज़मींदारों को मुआयज़ा देना अनुचित है; कानून की असमर्थता; यह सस्ती मजूरी !]

३७. ज़मींदारी प्रथा की समस्या २४९-२५८

[किसानों-द्वारा असत्य आरोप; ज़मींदारों की परस्पर प्रतिद्वन्द्विता के कारण उठने वाले झगड़े; हमारी जाँच का तरीका; परिस्थिति के अनुसार कार्य; आज ज़मींदार व्यर्थ हैं]

३८. आपसी झगड़ों की समस्या २५९-२६९

[जमीन-जायदाद के बँटवारे के झगड़े; दूसरों के घरों में आग लगाने वाले परोपकारी; सामूहिक वस्तुओं के सम्बन्ध में झगड़े; धन हड़पने की नीयत; मजूरों का लेकर होने वाले झगड़े; झगड़े ऊँची जातियों में अधिक होते हैं; खुराफात की जड़ बेकारी]

३९. पंचायत का संघटन २६९-२७३

[गाँव में ही नेता पैदा करने होंगे]

४०. स्वाभाविक नेतृत्व के विकास की चेष्टा २७३-२७८

[स्वाभाविक नेतृत्व का अकाल; एक योजना]

४१. वेकारी और चर्खा २७८-२८३
[गाँवों की वेकारी, चर्खों के समाधान पर विचार; चर्खों की उपयोगिता]
४२. रात्रि पाठशालाओं का संघटन २८३-२८८
[साथ-साथ उद्योग और शिक्षा की आवश्यकता; गाँवों के साधनों से शिक्षा; पाठशालाओं का प्रभाव]
४३. प्रौढ़ शिक्षा का प्रयोग... .. २८८-२९४
[प्रौढ़ शिक्षा का आरंभ; स्काउटिंग का आरंभ; स्वावलम्बी समाज-रचना का लक्ष्य]
४४. सरकारी सहायता का असर २९४-२९८
[सम्पूर्ण ग्रामोद्योग विद्यालय की स्थापना; कठिनाइयाँ और त्रुटियाँ]
४५. योजना की सही दिशा में २९८-३०२
[एक पग और]
४६. स्त्रो-जाति और समाज ३०३-३०७
[ऊँचे और नीचे वर्ग की स्त्रियाँ; विलास और पतन की ओर; गृहलक्ष्मी से चंडिका]
४७. स्त्रो-सुधार की ओर ३०८-३१३
[स्त्रियों की असीम संभावनाएँ; स्त्रियों के बिना सामाजिक जीवन संभव नहीं]
४८. ग्राम-सेविका-शिक्षा योजना ३१३-३१७
[आपत्तियाँ; ग्रामीण समाज की तीन श्रेणियाँ; प्रथम श्रेणी में दुर्नीति; शुभारंभ]
४९. खतरे की शंका ३१८-३२१
[आपत्तियाँ; ग्रामीण समाज की तीन श्रेणियाँ; प्रथम श्रेणी में दुर्नीति; शुभारंभ]
५०. ग्राम सेविका-शिक्षा-शिविर ३२१-३२६
[प्रथम दृश्य; बच्चों के बिना स्त्री शिक्षण व्यर्थ है; शुभ काम को ईश्वर बढ़ाता है; अनुकूल वातावरण के लिए प्रचार]

५१. सेविकाओं की व्यावहारिक शिक्षा ... ३२६-३२८
[अब सरकार भी चेती]
५२. स्त्री-शिक्षा का आधार—चर्चा ... ३२९-३३१
[आशातीत सफलता]
५३. खादी-सेवकों की स्त्रियाँ ... ३३१-३३५
[यह विषम स्थिति ! योग्य व्यवस्थापिका का अभाव]
५४. सरकारी ग्राम सुधार ... ३३५-३४१
[उपदेशों की भरमार; वही पुराने तरीके; पहले पंच या पंचायत घर ?; शहरी दृष्टिकोण वाले अधिकारी]
५५. कोआपरेटिव सोसाइटी ... ३४१-३५१
[आजीवन कारावास-सा नीरस जीवन; जीवन की कठोर वास्तविकताएँ; विधायक तरीका; गले का फंदा कैसे कसा गया ?; नागनाथ हटे तो साँपनाथ आये; सही तरीका]
५६. खेती का महकमा ... ३५१-३५९
[जमीन के असंख्य टुकड़े; खाद का अभाव सिंचाई की कठिनाई; सुधरे बीज और सुधरे औजार हवाई बातें; किसान अपने लाभ को खूब समझता है]
५७. खेती की समस्याएँ ... ३५९-३७२
[राधा के नाचने के लिए नौ मन तेल का इन्तजार; बँटवारा के पीछे भी एक तत्व है; दो ही उपाय; खाद की समस्या; पानी की समस्या; पानी के इफरात से हानि; पानी की निकासी रुकने से हानि; एक और खतरा; क्या नहर सस्ती है ? कुत्तों की चोरिंग; एक योजना]
५८. सुधार महकमा का काम ... ३७२-३७६
[प्रौढ़ शिक्षा और स्काउटिंग]
५९. ग्रामसेवा की वृत्ति और सेवक की जिन्दगी ... ३७६-३८४
[दयावृत्ति से सेवा; उपदेशक वृत्तिवाली सेवा; वास्तविक सेवावृत्ति; सेवक का जीवन ही उसकी कला की तुलिका है;

आप एक कंगाल मालिक के सेवक हैं; कुसंस्कारों के मलबे के नीचे मानवता दबी पड़ी है; यहीं की आग से यहाँ के दीप जलाओ !]

द्वितीय भाग

[विवेचन; निष्कर्ष और योजनाएँ]

३८४—७५२

१. चीन का ग्रामोद्योग आन्दोलन और गांधी विचारधारा ३८७-४०५
[‘अपने मन कछु और है कर्त्ता के कछु और’; चीन की उद्योग-सभितियाँ और हमारी दशा; कार्यकर्ताओं का अभाव हमारी दुर्दशा का कारण है; गोली से शहीद होने वाले हैं पर जिंदा शहीद नहीं; चीनी ग्रामोद्योगों के पीछे किसी निश्चित विचार-धारा का अभाव; बापू की विचार-धारा; मानव-प्रगति के मूल में अहिंसा है; शासनसत्ता का केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण; उत्पादन के साधनों पर पूंजीवाद का प्रभुत्व]
२. रणोवाँ के ग्राम-सुधार का अनुभव ... ४०५-४३७
[हर तरह के ग्रामोद्योगों की स्थापना; एक आपत्ति और उसका निराकरण; बयालीस के दमन में; हमारी कठिनाइयाँ; आदर्शोन्मुख कारीगर पैदा करने होंगे; बुनाई; लोहारी और बढईगिरी; तेलबानी; बेंत; बाँस और मूँज; दरी-कालीन; चमड़े का काम; कंबल का उद्योग; साबुन का काम; शिक्षा का प्रयोग; कार्यक्षेत्र का चुनाव]
३. कताई-द्वारा सर्वाङ्ग ग्राम-सेवा की ओर ... ४३७-४५२
[नूतन प्रयोग के लिए क्षेत्र का चुनाव; कल्पनाएँ और कठिनाइयाँ; योजना; पूर्वी युक्तप्रांत में कपास की कमी की समस्या; देव कपास की संभावनाएँ; परिश्रमालय की योजना]

२. ग्राम-सेवा की विधि ... ४५०-४७१
३. [सेवक का जीवन; सेवा की वृत्ति; कार्यक्रमों का सिलसिला; संस्था का रूप; ग्राम-उद्योग का चुनाव; हमारी कपड़े की आवश्यकता के लिए बुनकर, मध्यस्थता स्वावलंबन की विनाशक है]
४. सुधार के दूसरे कार्यक्रम ... ४७१-५०३
[शिक्षा और संस्कृति; सफाई और स्वास्थ्य; कृषि और वागवानी; बीज गोदाम का संघटन; सिंचाई; खाद; वागवानी; गोपालन]
५. गोपालन ... ५०३-५२७
[प्राचीन काल में गों सेवा; अच्छे नस्ल की गायों का अभाव; चारे की कमी; दूध के लिए गोपालन प्रथा का हास, गो-दुग्ध के प्रचार की जरूरत; नस्ल सुधारने की समस्या; गोपालन की एक योजना; वैज्ञानिक ज्ञान; मृत पशुओं के चमड़े का उपयोग; मृत जानवर के उपयोग द्वारा अनेक वस्तुओं का निर्माण; यह भयंकर हानि]
६. यातायात और जल की व्यवस्था ... ५२७-५४४
[गाँव के रास्तों की दुर्दशा; मार्गों का पुनरुद्धार; ईंट-भट्टे का उद्योग; ईंटों के मकान बनाने को प्रोत्साहन दो; भट्टों की स्थापना से अन्य लाभ; कुओं की दुर्दशा; ग्राम-संघटन की रूपरेखा]
७. ग्राम-सुधार के देहातों की हालत ... ५४४-५६४
[ग्राम-सुधार बनाम सरकार; संघटन के दो भाग; मौलिक आधार; जाँच और जानकारी; क्षेत्रफल तथा आबादी; आमदनी; रहन-सहन; देहात के लिए अन्न और दूध का औसत; घर-द्वार; गड्ढों के गन्दे पानी में; कर्ज; खेती-बारी; खाद; सिंचाई; पशु, जंगल; शिक्षा; बेकारी; खेती के लिए आवश्यक आदमी और पशु; (प्रत्येक मास की तालिका);

साल भर के काम के दिन; वेकारी के दिन]

६. सुधार की समस्याएँ ... ५६४-६०८

[मानव की मौलिक आवश्यकताएँ; कुछ प्रश्न; साधनों का सवाल, भूमि का भार कैसे कम हो ?]

१०. समस्याओं का समाधान—१ ... १०८-६३६

[आवश्यक भोजन-सामग्री; सम्पूर्ण प्रान्त की भोजन सामग्री की आवश्यकता (तालिका); उसके तीन आवश्यक साधन—खेती, वाग तथा जंगल और पशु; प्रान्त में कुल अनाज और भूमि की आवश्यकता (तालिका); आवश्यक भोजन पाने का उपाय; प्रति जानवर आवश्यक भोजन (तालिका); पशुओं की कुल वार्षिक आवश्यकता (तालिका); अनाज की कुल आवश्यकता; प्रति ग्राम के लिए आवश्यक अनाज जमीन का हिसाब और कृषि-सुधार; उपज ब्यौड़ी करो; पश्चिमी देशों से हमारी परिस्थिति की भिन्नता; उपज अधिक होने के और भी कारण हैं; हमारे किसानों की विशेषताएँ; विदेशों और भारत के किसानों के पास जमीन की तुलनात्मक तालिकाएँ; वैज्ञानिक खेती बनाम यांत्रिक खेती; विदेशी हल और यहाँ की भूमि]

११. समस्याओं का समाधान—२ ... ६३६-६००

[प्राचीन काल में भूमि की व्यवस्था; जमीन के टुकड़े; क्रान्तिकारी उपायों की आवश्यकता; सम्मिलित खेती; उत्पादक ही जमीन का मालिक होगा; खाद की व्यवस्था; गोबर की खाद, मवेशियों के पेशाब; बकरे तथा भेंड़ की टट्टी पेशाब; वनस्पति की सड़न; शोरा जातीय नमक; जानवरों की हड्डी-मांस; सनई और दूसरी हरी खाद; तेलहन की खली; मनुष्यों की टट्टी; रासायनिक खाद; सिंचाई की व्यवस्था]

१२. जमीन का वंटवारा ... ६००-७०१

[फसल का वंटवारा; फसल की जमीन पर वंटवारा तथा

उत्पत्ति (तालिका); साल भर के काम की मासिक तालिकाएँ; कुल काम के दिन; सक्षम लोगों के काम के दिन (माहवार तालिका); गृह-उद्योग के काम के दिन; पशुओं का प्रश्न; बाग-जंगल; वस्त्र का प्रश्न; गाँव और घर का रूप; अन्य आवश्यकताएँ; भोजन के अलावा एक गाँव की कुल आवश्यकताएँ (तालिका); गाँव के प्रस्तावित खर्च का अनुमान (तालिका); किसान की आमदनी खर्च; आवादी का बँटवारा]

१३. ग्राम उद्योग तथा अन्य पेशे ... ७०१-७१६

[१. तेलघानी; २. चीनी बनाने का काम; ३. गोश्त, अंडा, मछली आदि का काम; उद्योगों में लगे आदमियों की प्रतिशत तालिका; मशीन बनाम हाथ का उद्योग; औद्योगिक देशों के श्रमिकों को संख्या; कपड़े की मिल का हिसाब; खादी का हिसाब; केन्द्रित बनाम विकेन्द्रित उद्योग; उद्योगों का सिलसिला; जंगल की व्यवस्था]

१४. जन-सेवा का कार्य-क्रम ... ७१६-७३६

[१. सफाई व स्वास्थ्य; २. शिक्षा और संस्कृति; ३. यातायात; ४. आर्थिक लेन-देन; ५. संघटन तथा अनुशासन]

१५. योजना के लिए पूँजी ... ७३६-७५२

[खेती की सिंचाई (नहर, कुआँ, तालाव); उद्योग; आवश्यक पूँजी और मौजूदा पूँजी प्रतिग्राम (पाँच तालिकाएँ); शेष पूँजी के जरिये]

समग्र ग्राम - सेवा की ओर



श्री धीरेन्द्रनाथ मजूमदार

भाग १

संस्मरण, संस्कार और अनुभूतियाँ

[१]

सेवक की अड़चन

सेंट्रल जेल, आगरा

१—६—४१

प्रिय आशा दीदी,

पिछले दो साल से तुम पीछे पड़ी रहीं कि मैं देहात में काम करने की वात अपने अनुभव लिख डालूँ। मैं यही कहता रहा कि लिखना-पढ़ना मुझसे नहीं होता है। क्योंकि मैं हूँ एक कारीगर, न कि लेखक और यह बात मैंने कभी नहीं छिपाई। इत्तफाक से सरकारी प्रहार मेरे ऊपर भी हो गया और मैं जेल में आ बसा। बापू जी ने लिखा था कि “तुम्हारी कैद मेरी समझ में ही नहीं आई।” तो फिर मेरी समझ में कैसे आती? एक बात तो निर्विवाद है कि मुझे आराम चाहिये था और वह बाहर मिल नहीं सकता था। इसलिए शायद ईश्वर ने यही उपाय किया कि मुझे काम के क्षेत्र से हटा लिया। खैर, अब तो जेल आये दो महीने हो गये। दफा २६ भी लग गई। मैं सोचता हूँ कि अब अपनी बातें तुमको लिखता रहूँ जिससे तुम्हारे बहुत दिनों के अनुरोध का भी पालन हो जाय। यह तो तुम्हें मालूम ही है कि लिखने-पढ़ने से मेरा कितना सम्बन्ध रहता है। यह पत्र भी मैं अपने एक मित्र से लिखा रहा हूँ। इसलिए सम्भव है कि मैं तुम लोगों के सन्तोष के लिए पूरा मसाला न भेज सकूँ। लेकिन यदि कोई बात छूट जाय या तुमको मेरी किसी बात पर शंका हो तो मुझसे पत्र-द्वारा पूछ लेना। जहाँ तक सम्भव होगा मैं सारी बातें साफ-साफ लिखने की कोशिश करूँगा।

१५५

गिरफ्तारी से पहले आखिरी वार जब वर्धा में गया था तो रात को खाना खाते समय हम लोग गाँव में काम करने वालों की वास्तव बात-चीत कर रहे थे। तुमको याद होगा, मैंने कहा था कि हमारे शहरों के रहने वाले पढ़े-लिखे लोग, जिनमें कुछ बुद्धि और संस्कार है, गाँव में टिकते नहीं हैं। इसका कारण उनका शहरी संस्कार और शिक्षा है और साथ-साथ है उनकी (सुपीरियारिटी ग्राम-सेवा की कम्प्लेक्स) बड़प्पन की उलझन की भावना। कठिनाई शिक्षित समाज के लोग देश-सेवा के लिए बहुत-कुछ त्याग करते हैं। वे रुपया-पैसा छोड़ते हैं, जेल जाते हैं, तकलीफें भी उठाते हैं। और उनके इस त्याग से हमारे देश की राष्ट्रीय भावना में उन्नति भी हुई है। उनका इस प्रकार का मारा त्याग और कष्ट सहने की इच्छा राष्ट्रीय भावना पैदा कर सकती है, लेकिन इससे ग्राम-सेवा एवं संघटन नहीं हो सकता। उस समय तुमने पूछा था—“तो फिर उनमें क्या कमी है कि वे इतना त्याग करने पर भी गाँव में नहीं बैठ सकते हैं?” मैंने उस समय यही उत्तर दिया था कि वे सब कुछ त्याग कर सकते हैं लेकिन अपने बड़प्पन की भावना नहीं छोड़ सकते। वे समझते हैं कि अपनी शिक्षा के द्वारा उन्होंने जो गुण प्राप्त किये हैं, गाँव में रहने से उनकी हत्या हो जाती है। और उनके अभ्यास और विकास का गाँवों में कोई भी साधन नहीं है। “मैंने इतना पढ़ा है! दुनिया में घूम कर इतना अनुभव प्राप्त किया है; भला इन मूर्खों के बीच कैसे रहूँ? इससे तो मेरी हस्ती ही मिट जायगी!” गाँव वालों का उद्धार तो दरकिनारा, यही वजह है कि हमारे देहात में योग्य कार्य-कर्ता नहीं दिखाई पड़ते। तारीफ तो यह है कि किसी भी राष्ट्र-वादी मित्र से बात करो तो यही सुनने को मिलता है कि बिना ग्राम-सेवा तथा ग्राम-सुधार के हमारे देश में कुछ हो सकना सम्भव नहीं।

कभी कोई मित्र मुझसे गाँव में काम करने की वास्तव पूछता है

तो मैं सबसे पहले उससे यही प्रश्न करता हूँ कि आप किसी गाँव में ग्रामीण बन बैठने को तैयार हैं या नहीं? क्योंकि कुछ दिन देहात में काम करने से मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि जब तक हमारे शिक्षित लोग अपनी बड़प्पन की भावना का अहंकार छोड़ कर गाँव वालों के साथ जहाँ तक सम्भव हो सके मिल न जायँ और ग्राम में काम करने अपनी आदत, सभ्यता और बहुत सी गन्दगी आदि की पहली शर्त के खिलाफ अपने संस्कार के साथ समझौता न कर लें, तब तक वे ग्रामीण जनता के प्रति श्रद्धा की भावना नहीं रख सकते और उनको हमेशा छोटा ही समझते रहेंगे। आखिर हम सेवा उन्हीं की कर सकते हैं जिन पर हम श्रद्धा भी रख सकें। नतीजा यह होता है कि जो गाँव में पहुँचते हैं, वे गाँव वालों के सामने ग्रामोद्धारक के रूप में ही प्रगट होते हैं, ग्राम-सेवक के रूप में नहीं। गाँव की जनता को हम चाहे जितना मूर्ख समझें, किन्तु अनादिकाल से एक खास किस्म की जिन्दगी होने के कारण वे अपने तरीके, रीति-नीति आदि सभी चीजों को श्रेष्ठ ग्रामवासी की समझते हैं और उस विषय पर किसी दूसरी सभ्यता वाले शिक्षक या उद्धारक को वे सहन नहीं कर सकते। ग्रामीण सभ्यता का अभिमान उनके अन्दर कूट-कूट कर भरा हुआ है। यहाँ तक कि वे तुम्हारी सहानुभूति के थोड़े से शब्द भी बरदाश्त नहीं कर सकते। वे गरीब हैं, दरिद्रता उनके जीवन को असती जा रही है। लेकिन जिस प्रकार थोड़े दिनों के, विशेष कारणों से विगड़े हुए रईस कौटुम्बिकों के सहानुभूति के शब्दों को व्यंग समझ कर नाराज हो जाते हैं, उसी तरह वे भी हमारी सहानुभूति को पसन्द नहीं करते। इसलिए अगर हम गाँव के अन्दर कुछ करना चाहें तो हमें उनके सेवा-कार्य के योग्य बनना होगा और उसी प्रकार की मनोवृत्ति भी बनानी पड़ेगी। तभी वह हमको ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं।

शहर का शिक्षित समाज पश्चिमी सभ्यता के चक्कर में पड़ कर और अपनी आर्थिक सुविधाओं के अभिमान के कारण गाँव की विशेषताएँ समझ ही नहीं सकता; अपने जीवन में उनका अभ्यास करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ग्राम-सेवक को काफी समय तक अनुकूल परिस्थिति में रह कर अपने आपको ऐसी सेवा के योग्य बनाना पड़ता है। कुछ लोगों को परिस्थिति भी घसीट कर अनुकूल बना देती है। मैं जो आज थोड़ी सेवा देहात में कर पा रहा हूँ इसके लिए मुझको भी बड़ी तैयारी करनी पड़ी थी। और यह सब कुछ तो अपनी चेष्टा और कुछ परिस्थिति के दबाव के कारण ही सम्भव हो सका। मैं गाँव को पसन्द करने लगा। यह सब एक लम्बी कहानी है जिसे मैं फिर कभी लिखूँगा। यहाँ मैं बहुत स्वस्थ हूँ। आराम खूब मिल रहा है। कभी-कभी अधिकारियों से झगड़ने में भी मजा आता है। तुम सब लोग तो आज कल खूब व्यस्त हो। अब तो सरकारी सहारा भी नहीं रह गया। अब तालीमी संघ के पास केवल अपनी शक्ति ही शेष है। यह भी अच्छा ही हुआ। सिन्धवाद के कन्धे पर से 'अमुद्र के वृद्ध पुरुष' के उतर जाने पर ही वह निश्चिन्त हो सका था। तुम लोग भी अब सरकारी महकमों को अपने कन्धे पर से उतार कर हल्के हो गये, यह अच्छा हुआ।

नमस्कार।

[२]

पहला अनुभव

सँटल जेल, आगरा

७—६—४१

पिछले पत्र में मैंने यह बताने का वादा किया था कि मैं किस तरह ग्राम-सेवा की ओर बढ़ा और अपनी मनोवृत्ति आज जैसी किस तरह

वन सकी। आज उसी का थोड़ा इतिहास लिखने की कोशिश करूँगा।

सन् १९२१ में असहयोग आन्दोलन का तूफान जब मुझको विश्वविद्यालय से घसीट कर जन-सेवा के कार्य-क्षेत्र में लाया तो मैं भी एक शहरी मनोवृत्ति वाला शिक्षित नौजवान था। पहले ही दिन आश्रम में और भाइयों के साथ जब नित्य-क्रिया के लिए खुले मैदान में जाना पड़ा तो मैं परीशान हो गया। खाना-पीना, रहन-सहन सब बातों से घबड़ाता ही रहा, परीशानी यहाँ तक बढ़ गई कि मैं अपना खाना अलग ले लेता था और दूसरों की आँख बचा कर फेंक देता था और पास के होटल में जाकर खाना खा आता था। दूसरे भाइयों का सहज-जीवन देखकर आश्चर्य होता था। और अपने प्रति

धिक्रार की भावना पैदा होती थी, किन्तु आन्दोलन

आश्रम में की गर्मी ने बहुत सी तकलीफों को महसूस नहीं होने

दिया और मैं भी सर्वदा के लिए गांधी आश्रम में

सम्मिलित हो गया। काशी में आश्रम था, शहर का वातावरण था, गाँव से कोई सम्बन्ध नहीं रहा। गाँव है क्या वस्तु, कुछ पता ही नहीं था। लेकिन गाँधी जी तथा दूसरे नेताओं के लेख पढ़ने लगा, लेखक भी सुनता ही था, मन में यह बात बैठ गई कि वास्तव में हिन्दुस्थान देहात में ही रहता है। देहात की आवादी ही मुल्क की आवादी है और देहात की बरवादी मुल्क की ही बरवादी है। ग्रामसेवा और ग्राम-जीवन की तरह-तरह की कवित्व-पूर्ण-धारणाएँ मस्तिष्क में बैठती गईं। साल भर बाद जब आन्दोलन की धूम-धाम कम हो गई, और बहुत से भाई अपने-अपने घरेलू जीवन में जा फँसे तो आश्रम के बचे हुए भाइयों ने आचार्य कृपलानी जी की प्रेरणा से यही निश्चित किया कि अब देहात में चल कर चर्खे-आदि द्वारा ग्राम-संगठन का काम किया जाय। भाई रामाश्चर्य को, बनारस से २० मील दूर धौरहरा गाँव भेजा गया। वह भाई वहाँ

जा कर बस गये । आश्रम के बड़े भाई लोग भी उस गाव में आते जाते थे । मैं उन दिनों अपने भाई लोगों का देहात में आना-जाना देखा करता था और उनकी आपस की बातचीत भी ध्यान से सुना करता था । मन में देहात देखने की इच्छा प्रबल होती गई । इसी बीच आश्रम के एक भाई देवनन्दन दीक्षित जेल से छूट कर आये और घर के किसी अनुष्ठान के बहाने आश्रम-वासी भाइयों को अपने घर चौबेपुर गांव में आमंत्रित किया । चौबेपुर बनारस से १६ मील की दूरी पर है । हम सब ने वही तय किया कि पैदल जायेंगे और पैदल आयेंगे । चौबेपुर जाते समय रास्ते में कई गांव पड़े । देहात में पहले-पहल जाना हुआ । हरे-भरे खेतों के बीच सुन्दर-सुन्दर झोपड़ियां देखने को मिलीं । सीधे-सादे किसानों को अनन्त आकाश के नीचे खुली हवा में काम करते हुए देखा । छोटे-छोटे बच्चों को प्रथम दर्शन देहात के बगीचे में खेलते-कूदते और हँसते हुए गौं चराते देखा । रास्ते भर देहाती जीवन की झलक देखते हुए चौबेपुर पहुंचे । चौबेपुर का एक दिन का रहना बहुत दिलचस्प रहा । देहाती भाइयों का सीधा-सादा और हँसमुख व्यवहार एक दृश्य ही था । अतिथि-सत्कार भी एक खास तरह की दिली चीज थी । चौबेपुर से उसी दिन लौट आया । जिस देहात और देहातियों के विषय में पढ़ता और सुनता आया था, उन्हें अपनी आँखों देखा और प्राकृतिक सौन्दर्य के बीच का उनका जीवन बहुत अच्छा मालूम हुआ । कभी-कभी यह भी भावना पैदा हुई कि ऐसे ही सुन्दर स्थान में जाकर रहना चाहिए । परन्तु तत्काल ऐसा अवसर न प्राप्त हो सका । कुछ समय पश्चात् इस प्रकार का अवसर प्राप्त हो ही गया ।

राजाराम भाई एक सप्ताह के लिए धौरहरा गाँव को जा रहे थे । मैं भी उनके साथ हो लिया और रेलगाड़ी से राजवाड़ी स्टेशन उतर कर ३ मील पैदल चलने के बाद धौरहरा पहुँचा । धौरहरा

में ५-६ दिन कोई काम नहीं था। वहाँ के मिट्टी के छोटे-छोटे और दूसरे घरों से घिरे हुए मकान, छोटे-छोटे आँगन, दरवाजों के निकट ही गलियों में नावदान के दृश्य, रसोईघरों से निकलते हुए धुयें के जमघट एवं आँगन और घरों की सदियों से जमी हुई नमी के कारण पृथ्वी से निकलते हुए भाप आदि ने मेरी देहात के सम्बन्ध में इतने दिनों की कविता-पूर्ण धारणा और उस दिन की मधुर स्मृति, सबको एक साथ मिट्टी में मिला दिया। रामआश्चर्य के तो देहाती लोग मित्र बन गये थे। उन्होंने गाँव के खास-खास लोगों से परिचित कराने के लिए मुझको उनके घरों में ले जाना शुरू किया। हमारे

जाने पर लोग हमसे खुशी से मिलते थे। लेकिन

एक झटका बात-चीत में उनके सीधे-सादे लहमार जवाब सुन

कर तथा उनकी अपनी बात पर हर वक्त जिद करने

की प्रवृत्ति देख कर मुझे परीशानी हुई। हम लोगों की खातिर करने के लिए वे अपने घरों से तोशक और कथरी लाते थे। इन चीजों से इतनी अधिक बढ़बू निकलती थी कि उन पर बैठने को जी नहीं चाहता था। लेकिन न बैठने से उनके अपमान की आशंका थी। कहीं-कहीं लोग बैल और घोड़ा बाँधने के गन्दे और बढ़बूदार स्थान के पास ही चारपाई बिछा कर बहुत खातिर के साथ हम लोगों को बैठाते थे। इस प्रकार गाँव में रहना बड़ी परीशानी की बात थी। इतनी अधिक झुण्ड के झुण्ड मक्खियों के बीच बैठ कर खाना खाना भी मेरे लिए एक अपूर्व अनुभव था। पाँच-छः रोज में ही मैं परीशान हो गया और वहाँ से बनारस चल दिया। देहात में जाकर रहने का स्वप्न समाप्त हो गया। मैंने अपने मन में विचार किया कि जब ये लोग इतने सुस्त, इतने मूर्ख और इतने गन्दे हैं तो इनकी यह हालत होना तो स्वाभाविक ही है। मुझे उनके प्रति एक घृणा सी हो गई। सोचने लगा कि इन पर क्या रहम किया जाय। ये तो इसके पात्र ही हैं। मुझको तो इनके नमी से भरे हुए मकान ही विचित्र प्रतीत होते थे

तिस पर उनमें इतना अंधेरा था कि ५ मिनट में दम घुट जाय। ये लोग मकान बनाते हैं तो ठीक ढंग से क्यों नहीं बनाते ? इस प्रकार के विचार भी रह-रह कर दिमाग में घूमने लगे। कुछ दिन के बाद राम आश्चर्य भाई बनारस आये। मैंने उनसे कहा कि भाई इतने दिनों से उस गाँव में हो किन्तु उन्हें थोड़ी सफाई भी न सिखा सके। राम-आश्चर्य भाई ने हँसकर जवाब दिया कि वे इसी प्रकार रहते हैं; उनके रहने के तरीके में सुधार नहीं हो सकता और न तो वे सुधारने को तैयार ही हैं। फिर सुधार किस बात का किया जाय ? शहर के सुधरे हुए और साफ रहने वाले लोगों से वे अधिक स्वस्थ और मजबूत हैं। परिश्रम अधिक कर सकते हैं। फिर उनका क्या सुधार करोगे ? रामआश्चर्य भाई से इस प्रकार की बहुत सी बातें हुईं। हम लोग बात कर ही रहे थे कि एक दूसरे भाई वहाँ आ पहुँचे और हमारी बातें सुनकर हमारा मजाक उड़ाने लगे। “शहर के बाबू लोग देहात की बातों को क्या समझेंगे ?” इत्यादि-इत्यादि। मैंने इन लोगों से बातें तो कीं लेकिन दिमाग में परीशानी बनी रही। रह-रह कर यही ख्याल आता था कि क्या मैं इस योग्य हूँ कि हिन्दुस्थान के जन-सेवा-कार्य में सफल हो सकूँ ? यह मैं तुम्हें पहले ही लिख चुका हूँ कि कितावें पढ़ने और नेताओं के व्याख्यान सुनने से यह बात हृदय में भली-भाँति बैठ चुकी थी कि हिन्दुस्थान की जनसेवा का अर्थ ग्राम-सेवा है। और गाँव की हालत यह है कि वहाँ जाकर एक दिन भी टिकना मुश्किल है। वहाँ की गन्दगी से बचना तो कुछ आसान है, गाँव के बाहर कहीं कुटिया बनाई जा सकती है किन्तु वहाँ जाकर बातचीत किससे करूँ ? और कहाँ जाकर बैठूँ ? रामआश्चर्य जिन खास-खास प्रतिष्ठित लोगों के घर मुझे परिचय के लिए ले गये थे, उनसे अधिक सभ्य तो शहर के दरवान और चपरासी भी मालूम पड़ते हैं। जब इन बड़े समझे जाने वाले लोगों की दशा यह थी तो फिर दूसरे छोटे लोगों का कहना ही क्या ? फिर उनके प्रति ऐसी अश्रद्धा रखते हुए

उनकी सेवा ही क्या करूँगा ? इस प्रकार के ख्याल भी रह-रह कर दिमाग में आते रहे । दो-तीन माह तक मैं इसी प्रकार की चिन्ताओं में बहुत परीशान रहा । कई बार यह भी मन में आया कि बहुत से अन्य भाइयों की तरह पुनः कालेज में वापिस चला जाऊँ किन्तु एक बार जो निश्चय कर चुका था, उससे पीछे हटना भी कठिन ही प्रतीत होता था । इस द्विधा और परीशानी के बीच मैं कर्तव्या-

किंकर्तव्यविमूढ़ कर्तव्य का कुछ निश्चय न कर सका और लाचारी की अवस्था में जिस तरह पहले दिन व्यतीत करता था, उसी तरह व्यतीत करने लगा । मेरी तवीयत भली-भाँति किसी काम में नहीं लगती थी, जिससे लोग मुझे खवती समझने लगे । वाद को परिस्थिति और मेरी मनोवृत्ति में कुछ तब्दीली हुई और मेरा दिमाग अधिक स्थिर होने लगा । यह तब्दीली किस प्रकार हुई इसे दूसरे दिन लिखूँगा । आज इतना ही कह कर पत्र समाप्त करता हूँ ।

आज कल यहाँ का जीवन खूब अच्छा है । पढ़ने की भी धीरे-धीरे आदत पड़ रही है । नजरबन्दी के जेल-जीवन का क्या ठिकाना । एक तरह से अच्छा भी है, लामियाद होने से दिन तो नहीं गिनने पड़ते । तुम सब को मेरा नमस्कार ।

[३]

जिन्दगी की तैयारी

सेंट्रल जेल, आगरा

१३—६—४१

उस दिन से मैं कोई पत्र नहीं लिख सका । इधर जेल में कुछ लड़ाई-झगड़ा था । उस झगड़े के सिलसिले में लिखने-पढ़ने की फ़रसत ही नहीं मिली ।

उस दिन मैंने तुम्हें लिखा था कि गाँव की बुराइयों को देख कर गाँव वालों के प्रति मुझे कैसी घृणा हो गई। इतने दिन से गाँव के प्रति इतनी मधुर धारणा रखने पर भी इतनी जल्दी सारा स्वप्न समाप्त हो गया, यह क्या बात है? क्या गाँव की हालत देख कर ही ऐसा ख्याल पैदा हुआ या कुछ भीतरी संस्कार, जो कविता-मय भावना से दबे हुए थे, एकाएक उभर पड़े? यह सोचने की बात थी। तुमको तो मालूम ही है कि बंगाली मध्यम श्रेणी के लोगों में छोटे लोग और भद्र लोग के नाम से दो श्रेणी का विकट संस्कार कूट-कूट कर भरा हुआ है। उनके लिए छोटे लोग मनुष्य श्रेणी में नहीं गिने जाते। वे हेय और नीच समझे जाते हैं। मैं भी तो बंगाली बाबू श्रेणी का एक युवक था।

इसलिए जो लोग सफेद कपड़ा नहीं पहनते उनको श्रेणीगत मेरा छोटे लोग अर्थात् नीच और हेय समझना अहंकार स्वाभाविक ही था। उस वक्त यह बात कहाँ मालूम थी कि गाँव के सीवे-सादे लोग दीन हो सकते हैं लेकिन हीन नहीं। मेरी परिस्थिति के एक नौजवान के लिए यह समझना नामुमकिन था कि सदियों के अवसर और साधन के अभाव ने ही उनकी हालत ऐसी बना दी है। उस समय मुझमें श्रेणीभेद का संस्कार इतना प्रबल था कि मेरे लिए यह भी समझना असम्भव-सा था कि इस गन्दगी और अक्खड़ प्रकृति की तह में भी हजारों वर्ष की सुसंस्कृति चिनगारी की तरह राख के नीचे दबी हुई पड़ी है। यह सब बातें मुझे सालों बाद मालूम हुईं। जिनकी वाचत मैं फिर कभी समय पाकर लिखूंगा। उस समय तो गाँव की बात सोच कर मुझे परीशानी ही होती थी और उनके प्रति अश्रद्धा की भावना ही उत्पन्न होती थी। मैं समझता हूँ कि भारत के सैकड़ों नौजवानों की यही मनःस्थिति है। ग्राम-सेवा की उत्कट इच्छा रखते हुए भी वहाँ की ज़िन्दगी के प्रति विवृण्णा की भावना उत्पन्न हो जाती है।

बनारस लौट कर मैं अपने काम में लग गया। मेरे ज़िम्मे बढ़ई-

विभाग के संचालन का काम था। इञ्जिनियरिङ्ग कालेज में पढ़ने की वजह से यह काम मेरे अनुकूल भी था। स्वभावतः ही मैं अपने काम में मशगूल हो गया। लेकिन रह-रह कर धौरहरा का ख्याल मेरे दिमाग में आता ही रहता था। “तो क्या मैं राष्ट्रीय सेवा के योग्य नहीं हूँ।” मैं देखता था कि मेरे कुछ दूसरे भाई काफ़ी आसानी से देहात का काम कर लेते थे लेकिन उनका घर देहात में ही था और उनके लिए देहाती वायु-मण्डल स्वाभाविक था। मैं इस चिन्ता में काफ़ी वक्त बिताता था और अपने मन में काफ़ी दुखी रहता था। कभी-कभी यह भी ख्याल आता था कि मैंने असहयोग आन्दोलन में

नाहक भाग लिया। उस समय के वायुमण्डल में

हृदय-मंथन नवयुवकों के बीच एक निराशा-सी छाई हुई थी।

मेरे सैकड़ों साथी प्रति दिन एक-एक करके कालेज वापिस जा रहे थे, जिनकी खबर हमें मिलती रहती थी; यह चिन्ता भी मुझे काफ़ी परेशान करती थी, लेकिन जब-जब सोचता था तब-तब दिल से यही आवाज़ उठती थी कि अब आगे बढ़े हो तो वापिस क्यों जाओगे? अगर कुछ करना है तो आगे ही बढ़ना ठीक है, पीछे हटना तो नामर्दा का काम होगा। इस प्रकार आखिरी निश्चय यही हुआ कि आगे बढ़ना ही उचित है। यह तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ कि मेरे दिल में यह बात पहले ही से बैठ चुकी थी कि हिन्दुस्तान गाँव में बसता है और इस मुल्क की सेवा तभी हो सकती है जब कि हम गाँव की सेवा करें। लेकिन क्या अपने भीतर उच्च वर्ग की मनोवृत्ति रखते हुए गाँव की सेवा सम्भव है? इस प्रकार की भावना के साथ तो गाँव में दो दिन टिकना भी मुश्किल हो जायगा। फिर जिनके प्रति श्रद्धा नहीं है, उनकी सेवा क्या कर सकेंगे? मैं पहले भी लिख चुका हूँ कि सेवा उसी की की जा सकती है जिसके प्रति हम श्रद्धा रख सकें। मैं सोचने लगा कि यह श्रद्धा आये कैसे? इसके लिए तो सर्वप्रथम अपने भद्र-पन की भावना को छोड़ना पड़ेगा। यों तो

मैंने जब से कालेज छोड़ा था तभी से अपनी रहन-सहन बहुत सादी कर लिया था। आश्रम का वायुमण्डल ही वैसा था। किन्तु उस समय से मैंने अपने कपड़ों को देहाती की तरह बनाने की कोशिश करना प्रारम्भ किया। आश्रम में यह रिवाज था कि रोज़-रोज़ साबुन से कपड़े धोकर साफ़ रखे जायँ। मैं कपड़े तो रोज़ धोता था, किन्तु उन्हें अधिक सफेद नहीं करता था। अपने आपको कुछ ऐसे रंग में रंगना चाहता था कि देहातियों के साथ उठना-बैठना सहज हो सके। आश्रम के दूसरे भाई इस पर काफी टिप्पणी करते थे, मेरा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन मैं इन बातों को हँस कर उड़ा देता था। उनसे कहा करता था कि भाई यह भी एक स्टैंडर्ड है। आखिर कहीं धब्बा तो है नहीं ? शुरू से आखिर तक एक ही रंग मिलेगा। इत्यादि, इत्यादि।

वनारस में यही सोचा करता था कि किस तरह अपने को गाँव के कार्य के योग्य बना सकूँ। इसी बीच श्री दिनेशचन्द्र चक्रवर्ती नाम के एक नौजवान ने वनारस में अछूतोद्धार का काम प्रारम्भ किया था।

मैं कभी-कभी उन्हें चन्दा इकट्ठा करने के काम में

अछूतों से सहायता दे दिया करता था और कभी-कभी उन्हीं सम्पर्क के साथ अछूतों के मुहल्ले में भी जाया करता था।

धीरे-धीरे उनके दरवाज़े पर उठना-बैठना भी शुरू

कर दिया। इस प्रकार क्रमशः मेरा उनके साथ उठना-बैठना सहज होता गया। दिनेश बाबू के साथ अछूतों के मुहल्ले में आने-जाने से सब से बड़ा लाभ यह हुआ कि मेरे हृदय में उनके प्रति घृणा की जो भावना भरी हुई थी वह धीरे-धीरे दूर होती गई और मैं गन्दगी को सहन करने का अभ्यासी होता गया। लोगों के इस प्रकार के जीवन को बदलने के अभिप्राय से जब मैं उनसे बार-बार मिलने लगा तो मुझमें भी कुछ परिवर्तन होने लगा। इस बात की आशंका भी होने लगी कि कहीं मेरी अवनति न हो जाय। मेरे मस्तिष्क में इस धारणा ने घर बना लिया था कि देहात की जनता

को उठाने में ही देश का कल्याण है। मैं सर्वथा इस प्रकार का अवसर प्राप्त करने के लिए व्यग्र रहा करता था, किन्तु हृदय के पूर्व संस्कार इतने प्रबल थे कि धौरहरा जाते ही वाबू मनोवृत्ति उमड़ आई। तुम पूछोगी कि जो संस्कार प्रारम्भ में खेत गोड़ने, वर्तन माँजने और ठेला खींचने पर भी नहीं मिट सके थे वे बाद में किस तरह मिट सके। सचमुच यह सोचने और समझने की बात है। शुरू में जब हम मजदूरी का काम करते थे, तो आश्रम-जीवन के रवैया के साथ यंत्रवत् चलते रहे। उस समय किसी खास ढंग की ओर अपने को ले जाने की नीयत नहीं थी। वह जीवन सम्मिलित जीवन का एक अंग था। साथ मिल कर नियमित रूप से परिश्रम करने और तकलीफ़ उठाने के कारण आश्रम-वासियों में आपसी-प्रेम और भ्रातृ-भाव गम्भीर होता जाता था, किन्तु उन कामों के द्वारा मध्यम श्रेणी की भद्रता की भावना दूर करने में कोई सहायता नहीं मिलती थी। क्योंकि उस समय हमारी दिमागी प्रवृत्ति में इस प्रकार की कोई भावना नहीं थी। किन्तु बाद में जब मैं इस दिशा में प्रयत्न करने लगा तो एक विशेष प्रकार की नीयत और धारणा के साथ करने लगा जिससे यह पिछला प्रयास भीतरी संस्कार को कम करने में अधिक सहायक हुआ। फिर भी इस बात में कोई सन्देह नहीं कि यदि आश्रम में आरम्भ से ही शारीरिक परिश्रम का आदर्श और अभ्यास न रहता तो बाद का प्रयास भी सम्भव नहीं होता। अतः आश्रम के हर एक काम को अपने हाथ से करने के अभ्यास ने हम लोगों को ग्राम-सेवा के योग्य बनाने में विशेष सहायता दी।

इस तरह साल भर बनारस में ही बीत गया और मैं किसी तरह गाँव में जाकर काम करने का मौका ढूँढ़ता ही रहा। कई बार धौरहरा जाने का विचार हुआ किन्तु अवसर नहीं मिला। मैं आश्रम में अपने लिए किसी काम की मांग नहीं करता था। जो ही काम मुझे दिया जाता था, उसे ही अपनी शक्ति भर करने की कोशिश

करता रहा। इसलिए मैंने किसी से गाँव भेजे जाने के सम्बन्ध में बात-चीत नहीं की। और ऐसे अवसर की प्रतीक्षा करने लगा जब आश्रम के लोग स्वयं ही मुझे गाँव में भेज दें। आज पत्र बहुत बड़ा होगया और अपने ही विषय की कहानी लिखते-लिखते समाप्त हो गया। इसका कुछ ख्याल न करना। मैंने इसलिए लिखा कि तुम्हें यह स्पष्टता: ज्ञात हो जाय कि किस प्रकार मेरी मनोवृत्ति ग्राम-सेवा की ओर मुड़ी। उसके बाद ही मुझे गाँव में जाने का मौका मिला था; इसकी कहानी अगले पत्र में लिखूँगा।

[४]

सेवा की ओर

सेंट्रल जेल, आगरा

१४—६—४१

तुम्हारा पत्र मिला। हाँ, मुझको तो अपना ही अनुभव लिखना था। एक शहरी युवक के लिए अपने आप को पहले पहल ग्राम-सेवा वृत्ति का बनाने का अनुभव ही तो प्रधान अनुभव था। ग्राम-सेवा की मेरी इस कहानी से यह भी मालूम हो जायगा कि मनोवृत्ति का महत्व गाँव में रह कर काम करने की वृत्ति उत्पन्न करना भी सेवक के लिए एक विशेष प्रोग्राम है। वह इस प्रोग्राम को पूरा करने के बाद ही कुछ काम शुरू कर सकता है। अस्तु, पिछले पत्र में मैंने लिखा था कि मैं गाँव में जाकर काम करने का अवसर ढूँढ़ रहा था। इसी बीच मुझे उसकी सुविधा मिल गई। इधर कुछ दिनों से मैंने होमियोपैथिक-चिकित्सा-पद्धति का अध्ययन करना और उसी के अनुसार दवा देना शुरू कर दिया था कि अगर मैं गाँव में जाऊँगा तो वह विद्या मदद करेगी। इसकी

सूक्त मुझे बनारस के रामकृष्ण मिशन से मिली थी। श्री रामकृष्ण की जीवनी और रामकृष्ण मिशन की सेवा-वृत्ति ने मुझे पहले से ही उस ओर प्रेरित किया था। मैं प्रायः रोज सेवाश्रम में जाता था और वहाँ के सेवकों से वार्तालाप किया करता था। श्री कालिका महाराज मुझको काफी स्नेह की दृष्टि से देखा करते थे। उनसे मैं प्रायः कहा करता था कि मैं देहात में ही काम करना चाहता हूँ और देहात में किस तरह घुसा जा सकता है, इस पर विचार-विनिमय किया करता था। उन्होंने बताया था कि देहातियों को जीतने के लिए उनको दवा देने का काम पहिले हाथ में लेना चाहिये। वह ईसाइयों के काम की मिसाल भी दिया करते थे। आश्रम में आये तीन वर्ष हो चुके थे। सन् १९२३ के सितम्बर का महीना था। अब तक धौरहरा के अलावा फैजाबाद जिले के अकबरपुर में चर्खा और खादी का केन्द्र खुल चुका था। श्री अनिल भाई वहाँ के इंचार्ज थे। अनिल भाई और राजा राम भाई बनारस आये हुए थे। बड़ई विभाग भी बन्द हो चुका था। मैं खादी की फेरी करता था और मौज से घूमा करता था। आश्रम के बड़े लोग आश्रम-सम्बन्धी कार्य के विषय में आपस में वार्तालाप किया करते थे। मुझे इन बातों से बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी किन्तु अनिल भाई से पहले ही से घनिष्टता थी। मैं एक प्रकार से उन्हें गुरु मानता था। तुमको यह मालूम ही है कि कुछ दिन पहले मैं अपने ही विचारों में अधिक परीशान रहता था। सर्वदा इस चिन्ता में रहा करता था कि क्या करूँ ? उन दिनों अनिल भाई की संगति श्री अनिल और राजाराम भाई से मैंने हर बात में निश्चिन्त रहना सीख लिया था और उन्हीं के द्वारा यह पाठ भी पढ़ लिया था कि अपने विषय में आश्रम के किसी व्यक्ति से कुछ न कहूँ। इसलिए अनिल भाई से अलग ही बात-चीत हुआ करती थी। उन्होंने मेरे कमरे में होमियोपैथिक दवाओं के बक्स को देखकर पूछा कि यह क्या शुरू किया है ? मैंने उन्हें बताया कि आज कल

यही सीख रहा हूँ। अगर कभी गाँव में जाने का अवसर मिला तो यह काम देगा। इस पर उन्होंने फिर पूछा कि तुम देहात जाना चाहते हो क्या? देहाती जीवन पसन्द आयेगा? वहाँ की तकलीफ सह सकोगे? इत्यादि-इत्यादि। मैंने उन्हें उत्तर दिया कि मैं नहीं कह सकता कि सह सकूँगा या नहीं, लेकिन यह मैं जरूर चाहता हूँ कि मुझे देहात का काम दिया जाय। यहाँ मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि आश्रम के भाई लोग शुरू से ही यह समझते थे कि मैं देहात का काम नहीं कर सकता इसलिए सन् १९२१ ई० में जब लोगों को देहात में काम करने के लिए भेजा गया था, तब मैं बनारस में ही रक्खा गया था। बाद में भी जब जब देहात में काम करने का समय आया, तब तब लोगों को मेरे विषय में सन्देह ही रहा। अनिल भाई भी उस समय शायद ऐसा ही सन्देह रखते थे, इसलिए उन्होंने निश्चित रूप से कोई उत्तर नहीं दिया और दूसरे ही दिन वे और राजाराम भाई अकबरपुर चले गये। मेरे मन में आया कि मैं उनसे कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलें। किन्तु अपने विषय में किसी से कुछ न कहने के निश्चय के कारण कुछ न कह सका।

मुमकिन है, अनिल भाई ने राजाराम भाई से कुछ सलाह ली ही। थोड़े ही दिन बाद अकबरपुर से मुझको वहाँ बुलाने के लिए राजाराम भाई का पत्र आया। मैं तो जाना ही चाहता था, जल्दी से सामान वगैरह बाँध कर खाना हो गया। अकबरपुर स्टेशन पर अनिल भाई वगैरह आये हुए थे। मैं सबके साथ आश्रम पहुँच गया। अकबरपुर तहसील का केन्द्र-स्थान है।

अकबरपुर में अच्छा सा कक्षा है। गाँव से उसका कोई सम्बन्ध नहीं था। मैंने बनारस से चलते समय अकबरपुर के विषय में धौरहरा जैसे किसी गाँव की ही कल्याण की थी। आश्रम का मदान भी अच्छा था; सड़क भी काफी अच्छी थी, इसलिए यहाँ आने पर देहात का अनुभव नहीं हो सका। किन्तु मन में इतना ही

सोच कर सन्तोष किया कि बनारस के मुकाविले में तो देहात ही है। और कभी न कभी देहात में आने जाने का मौका तो मिलेगा ही। यहाँ के बाजारों में जो लोग आते जाते थे, वे भी तो देहाती ही थे, इसलिए मैं वहाँ आने से प्रसन्न ही हुआ। प्रारम्भ में दो-तीन दिन तक मुझे कोई काम न रहा, तत्पश्चात् मैंने अनिल भाई से काम के सम्बन्ध में बात-चीत की। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम लोगों को होमियोपैथिक दवा दिया करो। मैं बनारस से बहुत सी किताबें और काफी दवा लाया था। इस मनोनुकूल काम से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और मैंने अपना सारा समय होमियोपैथिक अध्ययन एवं बीमारों को दवा देने के काम में लगा दिया।

आश्रम के लोगों ने चारों ओर प्रसिद्ध कर दिया कि 'डाक्टरसाहब' आश्रम में एक डाक्टर साहब आये हैं और लोगों को दवा देते हैं। इस प्रकार मैं डाक्टर साहब के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी-कभी देहात के लोग भी आकर दवा ले जाते थे लेकिन अधिकतर कस्बे के लोग ही दवा लिया करते थे। शुरू-शुरू में मैं होमियोपैथी के पढ़ने में और दवा देने के काम में इतना तल्लीन हो गया कि मुझे और किसी बात की चिन्ता ही न रही। किन्तु फिर एक या डेढ़ माह के बाद मुझे ख्याल आया कि इस तरह तो मुझे गाँव का कोई अनुभव नहीं हो रहा है, अतः गाँव में जाकर कुछ करने के लिए मैं चिन्तित रहने लगा। मैं श्री राजाराम भाई के पीछे पड़ा कि वे मुझे अपने साथ ले चलें और गाँव दिखा दें। वे तैयार हो गये और एक दिन मैं चर्खा-प्रचार करने के लिए गाँव को खाना हुआ। यद्यपि राजाराम भाई को रोज-रोज गाँव जाने की कोई रुचि नहीं थी, किन्तु फिर भी मेरे कहने से वे लगभग नित्य ही देहात चले जाते थे। और ग्राम तौर से उड़ी गाँव को जाया करते थे, जहाँ कोई न कोई उनके परिचित होते थे। इस प्रकार मुझे देहात के लोगों से बात-चीत और गप-शप करने का काफी अवसर मिल जाता था।

धीरे-धीरे मैं भी देहात के लोगों के साथ काफी हिल-मिल गया। शुरू-शुरू में तो मुझे काफी परीशानी रही। यहाँ तक कि रास्ता चलते-चलते मैं कई जगह रुक जाता था। गाँव में लोगों के दरवाजों के सामने अनाज सूखता हुआ देख कर मैं उसे आँगन समझ लौट आता था। सोचता था कि प्राइवेट घरों के भीतर से किस तरह चलूँ? इस प्रकार की बहुत सी बातों को लेकर राजाराम भाई दूसरे लोगों के सामने मेरी हँसी उड़ाते थे। किन्तु इस तरह मेरे दिल की बहुत दिनों की इच्छा धीरे-धीरे पूरी होने लगी। और मैंने गाँव का काम करना शुरू कर दिया। रोज-रोज आश्रम से गाँव को जाने और फिर लौट आने के कारण देहात की गन्दगी वगैरह ने मुझे परीशान नहीं किया और मैं विलकुल सहज भाव से काम करने लगा। और मेरे दिमाग से देहात के प्रति अश्रद्धा की भावना धीरे-धीरे हटती चली गई। भद्रता की भावना तो अब करीब-करीब समाप्त हो रही थी। उसको तो मैंने बनारस से ही हटाने का प्रयत्न करना प्रारम्भ कर दिया था। जो कुछ बाकी थी वह भी देहात में देहात के लोगों से रोज-रोज के मिलने जुलने से समाप्त हो गई। इस बात से मुझे बहुत संतोष हुआ कि अब मैं ग्राम-सेवा के लिए योग्य बनता जा रहा हूँ। आज इतना ही लिख कर पत्र समाप्त करता हूँ। तुम्हारा काम किस प्रकार चल रहा है? जुलाई में ट्रेनिंग सेंटर खोलने वाली थी उसका क्या हुआ? सबको मेरा नमस्कार करना।

[५]

ग्राम-वासियों से सम्पर्क

सेंट्रल जेल आगरा

१७—६—४१

पिछले पत्र में मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरह मैंने देहात में काम करने का श्रीगणेश किया। देहात के लोगों के साथ उठने-

वैठने से उनके प्रति मेरी मानसिक अश्रद्धा दूर होती गई, यह भी मैं लिख चुका हूँ। रहन-सहन और पोशाक आदि के विषय में तो मैंने बनारस से ही काफ़ी लापरवाही शुरू कर दी थी। लेकिन दिमाग में अपने को ग्राम जनता से ऊँचा ही समझता था और इसी भावना के कारण अभी तक देहाती लोगों के साथ मिलना-जुलना उतना स्वाभाविक नहीं हो पाया था। इस प्रकार कहने के लिए तो मैं करीब-करीब रोज़ ही देहातियों के बीच जाया करता था। लेकिन जैसा कि मैं पहले लिख चुका हूँ उन्हीं देहातियों के घर जाता था जिनसे राजाराम भाई से जान-पहचान थी और जो देहातियों की दृष्टि में उच्च श्रेणी से लोग गिने जाते थे। इनसे मिलने में बराबरी का व्यवहार रखने की स्वाभाविकता की रक्षा करना मेरे लिए कठिन होता था। जेल आने के बाद शुरू-शुरू में मैंने तुमको लिखा था कि गाँव के भीतर रचनात्मक-कार्य करने के लिए पढ़े-लिखे लोग नहीं तैयार होते हैं। और यदि तैयार भी होते हैं तो गाँव वालों के समक्ष इस प्रकार का ढङ्ग और रवैया रखते हैं कि गाँव वाले इनको तथा उनकी बातों को सहज रूप से ग्रहण नहीं करते। प्रतिफल यह होता है कि वे ग्राम-सेवा की इच्छा रखते हुए गाँव वालों से अपसन्न होकर या निराश होकर लौट आते हैं। मेरी तरह का एक नौजवान, जिसने निश्चय कर लिया था कि अपने जीवन में देश और गाँव का ही काम करेंगे और दो-तीन वर्ष से अपने को इसी के अनुरूप बनाने की कोशिश भी कर रहा था और जिसके लिए आश्रम का वातावरण और उसकी शिक्षा भी इस कोशिश के अनुकूल ही थी, अब गाँव के उच्च श्रेणी के लोगों के साथ मिलने में भी कठिनता महसूस करता था, तो शहर के शिक्षित समाज के लिए, एकाएक गाँव में जाकर गाँव के लोगों को अपना कितना कठिन है, यह भली भाँति समझ सकती हो। यही कारण है कि मैं गाँव के काम करने वालों के लिए अपनी श्रेणी-विशेषता का दूर करना सबसे अधिक

आवश्यक समझता हूँ। क्योंकि ऐसे लोग देहात में जाकर उन बातों को हटवाने की कोशिश करने लगते हैं, जो उन्हें उच्चता का अभि- अपनी श्रेणी और अपने समाज के अनुकूल न होने मान दूर रखने से बुरी लगती है या जिनके कारण उन्हें स्वयं की आवश्यकता कष्ट अनुभव होता है। बरसात में उन्हें गाँव के भीतर कीचड़ में घूमना कष्टप्रद होता है; अतएव वे देहात की गलियों में ईंट विछवा देना ग्राम-सुधार कार्य का एक आवश्यक अंग समझते हैं। आर्थिक सुविधाओं में जन्म लेने और शिक्षा पाने के कारण उन्हें क्या पता कि देहात के जन समूह के पास इतनी ईंटें जुटाने का धन और साधन है या नहीं? अगर वे कहीं बाहर से ईंट माँगकर लायेंगे तो उनके पास सोचने की इतनी शक्ति नहीं है कि उन ईंटों को साफ और दुरुस्त रखने के लिए उन्हें क्या करना चाहिये। देहात के बरों में बैठने से उनका दम घुटता है, इसीलिए वे उनमें खिड़की की व्यवस्था कराने की कोशिश करते हैं। वे देहात में जाते ही वहाँ के प्रचलित शादी, विवाह तथा अन्य अनुष्ठानों के रिवाज के विरुद्ध प्रचार एवं विवाद करने लगते हैं जिसे गाँव वाले सहन नहीं कर पाते। गाँव के केन्द्रविन्दु को भीतर जाकर हमें गाँवों के उस विन्दु पर उँगली स्पर्श करो रखनी है जिस विन्दु पर गाँव वालों को सबसे अधिक कष्ट है। हमें सबसे पहले इसी का समाधान खोज निकालना है। मैंने कई वर्ष देहात में रह कर अनुभव किया है कि देहाती जनता के भीतर स्वाभिमान की भावना इतनी अधिक भरी हुई है कि वे बाहरी लोगों से हर प्रकार की बातें तो करेंगे, किन्तु जिन बातों का उन्हें कष्ट होगा, उन्हें हर प्रकार से गुप्त रखने का प्रयत्न करेंगे। वे यह सहन नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति उनके कर््यों को जान कर उन्हें किसी प्रकार से छोटा समझ ले। मुझे यह भी देखने में आया है कि गाँवों में नीच कही जाने वाली जातियों के

लोग अगर गाँव में किसी भद्र पुरुष को देखते हैं तो उनसे अपनी गरीबी के साधारण दुखों का बयान करते हैं, ग्रामवासियों का इधर-उधर के छोटे-मोटे कष्टों को सुनाकर कुछ स्वाभिमान आर्थिक सुविधा भी प्राप्त कर लेते हैं कि जिन बातों का उन्हें खात कष्ट है और जिनकी समस्या उनके सामने रात-दिन रहती है उनका जिक्र तक नहीं करते। गाँव की दशा पूर्ण रूप से न जानने वालों के लिए ग्रामसेवा का काम कठिन हो जाता है इसलिए ग्राम-सेवक को सबसे पहले ग्रामवासियों को तुच्छ समझने की भावना का मूलोच्छेदन कर उनके साथ ऐसे सहज और स्वाभाविक ढंग से मिलना होगा कि वे उन्हें अपने ही कुटुम्ब का एक व्यक्ति समझने लगें। यदि हम ऐसा नहीं करते तो उनकी समस्याओं को समझ ही नहीं सकते। सेवा और सुधार तो बहुत दूर की बात है।

अतएव मुझ जैसे भद्र की भावना से पूर्ण और ग्रामीण-समाज की सम्पूर्ण समस्याओं से अनभिज्ञ व्यक्ति के लिए उनके साथ काफी घनिष्टता का व्यवहार हो जाने पर भी उनसे एक हो जाने की भावना लाना सम्भव न हो सका। मैं देहात में जाता था, उन्हें घर द्वार साफ रखने की बात बताता था; और खास तौर से चर्खा चलाने के सम्बन्धमें उनसे बहस किया करता था। किन्तु वे अधिकतर यही उत्तर देते थे कि हमारे घर की औरतों को चर्खा चलाने के लिए अवकाश ही नहीं मिल सकता।

ब्राह्मण और क्षत्रिय घरों की परदा पद्धति के कारण हम सीधे स्त्रियों से किसी प्रकार की बात नहीं कर सकते थे; किन्तु कुर्मी आदि किसानों में स्त्रियों से भी बातचीत कर लेता था। ग्रामीण नारी की इस प्रकार पुरुष और स्त्री दोनों वर्गों में काम सहज चेतना करते-करते मैंने अनुभव किया कि ग्रामीण अर्थ-शास्त्र से सम्बन्धित बातों को गाँव की स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और शीघ्र समझ जाती हैं; पुरुषों से बात-

चीत कर के मैंने यह देखा कि ये बातें वे जल्दी नहीं समझ पाते, उस वक्त मेरे दिमाग में आया कि अगर हम देहात की स्त्रियों में काम करें तो गाँधी जी के प्रोग्राम को बहुत शीघ्र पूरा कर सकते हैं। उन दिनों मैं इस बात का अनुमान न कर सका कि स्त्रियाँ हमारी बातें पुरुषों की अपेक्षा जल्दी समझ लेती हैं। इसका कारण क्या है, उस समय इतना सोचने की योग्यता भी नहीं थी। परन्तु कालान्तर में देहाती क्षेत्र में लम्बी अवधि तक काम करते-करते मुझे इसका कुछ आभास मिलने लगा। मैं धीरे-धीरे यह समझने लगा कि पुरुष जाति के लोग कभी न कभी किसी न किसी काम से शहर में आया जाया करते हैं। और इस प्रकार शहरी और पश्चिमी सभ्यता के लोगों से उनका संसर्ग हुआ करता है जिसके परिणाम-स्वरूप वे शहरी तथा पश्चिमी सभ्यता की निकृष्ट बातों को अधूरे और विकृत रूप में ग्रहण करते रहते हैं। नतीजा यह होता है कि उनके हृदय में भारतीयता के स्थान पर एक निम्न प्रकार की शहरी सभ्यता टूटा-फूटा स्वरूप धारण कर लेती है। इधर हमारा प्रचार गाँधी जी के सिद्धान्त के अनुसार ही हुआ करता है जो ग्रामीण सभ्यता के बिल्कुल अनुकूल होता है। इसी से गाँव की स्त्रियाँ उसे ठीक-ठीक समझ लेती हैं क्योंकि वे ग्रामीण सभ्यता नगर-निवासियों के अधिक संसर्ग में नहीं आती। का प्रकाश उनमें सदियों की गरीबी की मार पड़ने पर भी उनके सुरक्षित है अन्दर जो कुछ सभ्यता बाकी रह गई है वह प्राचीन भारत की ग्रामीण सभ्यता का अवशेष मात्र ही है और गाँधी जी उसी चीज का विकास करना चाहते हैं इसलिए गाँव की स्त्रियों की आत्मा का स्वर गाँधी जी के सिद्धान्त के साथ ठीक-ठीक मेल खा जाता है। यही कारण है कि वे हमारी बातों को जल्दी ग्रहण कर लेती हैं।

इसी प्रकार सोचते-विचारते और काम करते हुए महीनों पर महीने बीतते गये और मैं देहात के विषय में अधिक अध्ययन करने लगा,

और साथ ही अपने को देहाती जीवन के योग्य बनाने का प्रयत्न भी करता रहा। कुछ दिनों के बाद अकबरपुर से १२ मील दूर टाण्डा ग्राम में आश्रम का सूत केन्द्र खोला गया। शुरू-शुरू में आश्रम के अन्य भाई लोग काम करने लगे लेकिन और कई केन्द्रों के खुल जाने से काम करने वालों की कमी पड़ने लगी। उस समय मेरे ऊपर कोई खास जिम्मेदारी का काम नहीं था। प्रचारार्थ देहातों में घूमा करता था और आश्रम में बैठ कर लोगों को दवा दिया करता था। इस प्रकार एक तरह से मुझे खाली देख कर लोगों ने

टाँडा में मुझे टाण्डा भेज दिया और मैं वहाँ किराये का एक छोटा-सा मकान लेकर रहने लगा। टाण्डा में प्रति

सप्ताह एक दिन सूत की अदल-बदल हुआ करती थी और बाकी समय देहात में प्रचार का काम होता था। टाण्डा में रहते समय मैं ग्रामीण जनता से अधिक धनिष्ठता प्राप्त करने और उनको अधिक निकट से अध्ययन करने की कोशिश करता रहा। इसकी कहानी फिर कभी लिखूंगा। आज पत्र लम्बा हो गया; यहीं समाप्त करता हूँ।

[६]

भेदभाव और मातृहृदय

सैंट्रल जेल, आगरा

२१—६—४१

सन् १९२३ के नवम्बर का महीना था; जाड़े का मौसम। इसी समय मैं टाण्डा पहुँचा। वहाँ जाकर शुरू-शुरू में मुझे अपने रहने और अपने खाने-पीने का प्रबन्ध करने में कठिनाई प्रतीत हुई। यही सोचने लगा कि क्या प्रबन्ध करूँ? अकबरपुर से भी कभी कभी टाण्डा का बाजार किया करता था और शुरू-शुरू में चर्खा चलाने के कारण पहिले जब सूत बहुत मोटा होता था तो यहाँ उसकी दरी भी बनवाता था। उस दिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक दरी बुनने वाला

लड़का मेरे साथ रह कर दिन भर मेरे कमरे की सफाई वगैरा कराता रहा। संध्या तक सफाई पूरी हो जाने पर मैंने स्नान किया और अपने खाने-पीने की व्यवस्था सोचने लगा। लड़के से पूछा कि यहाँ कौन-कौन सी वस्तुएँ कहाँ-कहाँ मिलती हैं। कोई होटल है कि नहीं? उसने बताया कि पूरी-मिठाई के अतिरिक्त खाने-पीने की कोई और चीज नहीं मिल सकती। मैंने उससे फिर पूछा कि क्या तुम अपने घर से रोटी बनवा कर दे सकते हो किन्तु ध्यान रखना कि मैं किसी का जूठा नहीं खाता इसलिए खाना अलग से सफाई से बनवाकर दोगे तभी मैं

खा सकूँगा। वह मेरी बातें सुन कर आश्चर्य में मुसलमान माता डूब-सा गया और कहने लगा कि आप हिन्दू होकर का आतिथ्य मेरे घर की रोटी कैसे खायेंगे? मैंने उसे समझाना

प्रारम्भ किया और कहा कि हिन्दू और मुसलमान कोई अलग-अलग प्राणी नहीं हैं; दोनों ही मनुष्य हैं। यदि दोनों का खाना-पीना एक में हो जाय तो मनुष्यता में कोई अन्तर नहीं आयेगा। आज दोनों के खान-पान एक दूसरे से इसलिए अलग-अलग हैं कि दोनों ने अपने-अपने रस्म-रिवाज अलग-अलग कर रखे हैं और एक दूसरे से घृणा करते हैं। हाँ, दोनों में थोड़ा अन्तर अवश्य है। वह यह कि तुम लोग जूठ से परहेज नहीं करते; लोटा गिलास साफ़ करके नहीं रखते किन्तु हम लोग इसका पर्याप्त ध्यान रखते हैं। यही दोनों में मौलिक विभेद है और इसलिए हमारा तुम्हारा खाना-पीना एक में नहीं होता अन्यथा तुम्हारे छूने मात्र से कौन-सी हानि हो सकती है। मेरी ये बातें सुन कर वह बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात् वह तो अपने घर चला गया और मैं टहलने निकल गया। मैं घूम कर लौटा ही था कि वह मुझे बुलाने का आमंत्रण ले कर आ पहुँचा। वहाँ पहुँच कर देखा कि उसका घर क्या था? टूटा-फूटा, छोटा-सा घास-फूस का झोंपड़ा जो मिट्टी की तीन-चार नीची दीवारों पर रक्खा हुआ था। देखने से प्रतीत होता था कि दो चार दिन में धराशायी हो जायगा।

उसी मुहल्ले में और दरीवालों का भी घर था लेकिन उनके घर कुछ अच्छे थे। उसके परिवार में एक छोटी बहिन थी और दूसरी माँ थी। मैंने उससे कहा कि मैं खाना पकाने का स्थान देखना चाहता हूँ। वह मुझे भीतर ले गया। घर में चारों ओर गन्दगी फैली हुई थी, कपड़े और बिस्तरे सभी गन्दे थे लेकिन खाना पकाने का स्थान लिपा-पुता और स्वच्छ था। बरतन भी साफ दिखाई दिये। मुझे देखते ही उसकी माँ, जां रोट्टी बना रही थी, हँस कर कहने लगी—“का भइया तू सब समझत हौ कि हमरे सब विल्कुल बाहियात गन्दगी के खाना खाइत है। भइया हमरे सब भी मनई होई, हमहूँ नीक वेकार समझित है।” इत्यादि। उस स्थान पर एक मचिया पड़ी थी। मैं उसी पर बैठ कर उसकी माँ से बातें करने लगा। वह लड़का भी वहीं चौखट पर बैठ गया। मैंने यह देख लिया था कि खाना बनाने का स्थान लगभग अभी अभी थोड़े ही पहले लीपा गया था। और लोटा तथा थाली आदि भी तत्काल साफ किये हुए से प्रतीत होते थे। आँगन की सहन में भी तत्काल ही झाड़ू लगाया गया था। मुझे यह समझने में कोई असुविधा नहीं हुई कि यह सब स्वच्छता मेरे और उस लड़के के वार्तालाप तथा मेरे यहाँ आने के कारण ही सम्भव हो सकी है। साथ ही नजीर की माँ का सफाई देना भी इसके लिए एक बहुत बड़े प्रमाण की बात थी। मैंने बैठे ही बैठे कहा क्यों माई मुझसे भूठ बोलने से क्या लाभ ? मैंने अच्छी प्रकार समझ लिया कि यह सब तुमने अपने बेटे के कहने पर ही किया है। पहले तो वह इन्कार करती रही किन्तु बाद में उसने स्वीकार किया कि मेरे ही कारण उसने और उसकी लड़की ने लगभग एक घंटे तक परिश्रम करके सफाई की है। उसने यह भी कहा कि मुझे तो अब तक विश्वास ही नहीं हुआ था कि आप सचमुच मेरे यहां खाना खायेंगे। तत्पश्चात् उसने रोटियाँ बनाईं और मुझको प्रेम से खिलाना शुरू किया। इस खिलाने में मुझे एक अपूर्व मातृ भाव का आभास मिल रहा था। भारतीय स्त्रियों के हृदय में

मातृ भाव ने इस प्रकार धर कर लिया है कि उन्हें दूसरों के बच्चे भी अपने ही बच्चे जैसे प्रतीत होते हैं। संसार के अन्य किसी देश में शायद ही इस प्रकार की भावना मिल सकेगी।

कुछ लोग कहते हैं हिन्दुओं और मुसलमानों में मेल नहीं हो सकता। प्रत्येक की संस्कृति, भावना और प्रणाली भिन्न-भिन्न है और वे एक दूसरे से संस्कारतः घृणा करते हैं। वे उस समय एक वृद्धा मुसलमान स्त्री के द्वारा एक हिन्दू नौजवान को अपने बच्चे के समान प्रेम करते देख सकते थे। यही नहीं, यदि वे भारत के सैकड़ों गाँवों में लाखों करोड़ों हिन्दू और मुसलमान भारतीय रमणियों को जाकर देखें तो उन्हें उन दोनों ही की भावना में एक स्वर, एक ताल और एक ही लय देखने को मिलेगी। मैंने तुम्हारे पत्र में एक बार पहले भी लिखा था

कि भारतीय संस्कृति का अवशेष तो हमारी देहात भारतीय हृदय की की त्रियों में ही मिलेगा। हिन्दू हो या मुसलमान,

एकता

ब्राह्मण हो अथवा हरिजन सबकी भाषा, संस्कार, रंग-रूप, भावना आदि सब एक ही प्रकार के हैं। मैं

खाना भी खा रहा था और उस माना से तरह-तरह की बातें भी हो रही थीं। उसने स्वच्छता के विषय में कहा "भइया तुहरे अस

मनई हमरे घर में खाय ग्रह तो हम आज तक नाहीं देखेन। हमें तो भइया तुहरे सब जस कहिहौ तस करवै। हमरे ताई पाहुन ही तो सब

कुछ हैं। उनके ताई त हम सब कुछ करे के तैवार हईं। हमरे घर रोज खाय त रोज हम साफ करीं।" मेरे पास बरतन आदि न था इससे

दो एक रोज उसी के घर खाना खाने के लिए कह दिया और आश्रम को लौट आया। वह लड़का मेरे साथ-साथ आश्रम तक आया। मैंने

उससे कहा कि जब तक हमारा इंतजाम नहीं होता है तब तक तुम्हारे यहां खाना खायेंगे और तुमको कुछ पैसा दे दिया करेंगे। लेकिन दूसरे

ही दिन आश्रम के एक मित्र और सहायक श्री जानकीप्रसाद जी, जो कि टाण्डा के खास काँग्रेस कार्यकर्ता थे, मुझको अपने घर पकड़ ले

गये। मैंने उस लड़के से कह दिया कि तुम्हारे यहाँ अब मैं खाना खाने नहीं जाऊँगा। उसके दूसरे दिन बरतन आदि का प्रबंध करने के लिए मैं अकबरपुर चला गया।

अकबरपुर पहुँच कर मैंने अपना टाण्डा का दो-तीन दिन का अनुभव भी बयान किया। दरीवाले के घर खाने की बात सुन कर आश्रम के भाई लोग बहुत नाराज हुए और कहने लगे कि हम ऐसी हरकतों में आश्रम की मर्यादा नष्ट कर रहे हैं। मुझसे उनसे बहुत वाद-विवाद हुआ किन्तु मैं उनसे सहमत न हो सका। उन लोगों के विवाद में दो बातों की झलक दिखाई देती थी, एक तो वही भद्रता की मनो-वृत्ति जिसका जिक्र मैं पहले तुमसे कर चुका हूँ और दूसरी मुसलमानों के घर खाने के विरुद्ध उनका साधारण संस्कार। मैं इन दोनों ही मनो-वृत्तियों के विरुद्ध था; छुआछूत का संस्कार तो मुझमें था ही नहीं क्योंकि आज से दो-तीन पुस्त पहले ही यह मेरे पूर्व पुरुषों के परिवार से ही समाप्त हो चुका था तथा श्रेणी विभेद की मनोवृत्ति भी दो वर्ष के लगातार प्रयत्न से करीब-करीब समाप्त हो चुकी थी। मैं अपने हृदय में सोचने लगा कि (अगर आश्रम-जैसी पवित्र संस्था में छोटे-बड़े की मनोवृत्ति कायम रही तो देश-सेवा तथा ग्रामसेवा कृत्रिम हो जायगी) इसलिए मुझे कुछ कष्ट भी होने लगा किन्तु बड़ों की बातों में पड़ने का मेरा अभ्यास नहीं था इसलिए मैंने अधिक विवाद नहीं किया। किन्तु यह बात दिल में चुभती ही रही और भद्र श्रेणी के मध्यमवर्गीय लोगों के विरुद्ध मुझमें भावनाओं का बनना शुरू हो गया। एक समय था जब मैं स्वयं छोटे लोगों को अश्रद्धा की दृष्टि से देखता था किन्तु आज उन्हीं छोटों के प्रति, जिनको चमक-दमक की सभ्यता प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला और जो सफेदपोश बने रहने के साधन से हीन हैं, अश्रद्धापूर्ण बातें सुन कर दिल को तकलीफ होने लगी। यह परिवर्तन मुझमें तभी सम्भव हुआ जब मैंने गरीब और निम्न श्रेणी के लोगों को जानने की कोशिश की। वस्तुतः आज श्रेणी-श्रेणी में,

भगड़ों के मूल जाति-जाति में, धर्म-धर्म में जो भगड़ा चल रहा है कारण उसका एक प्रधान कारण यही है कि आज एक दूसरे को जानने या समझने की कोशिश नहीं करता। अगर इतना ही हो सके तो संसार के बहुत से भगड़े समाप्त हो जायँ।

अकबरपुर से वर्तन आदि सामान लेकर और आगामी काम के सम्बन्ध में कुछ हिदायतें पाकर दो ही तीन रोज के बाद मैं टाण्डा लौट आया और वहीं पर स्थायी रूप से बस गया। गाँव में रहने और उसमें काम करने का अवसर मुझे इसी समय से मिलने लगा। आज यहीं तक लिख कर पत्र समाप्त करता हूँ। टाण्डा के देहातों में घूमने से मुझे क्या मालूम हुआ, दूसरे पत्र में लिखूँगा।

[७]

देहातियों के बीच

२३—६—४१

टाण्डा में एक दिन सूत का बाजार करना पड़ता था, शेष छः दिवसों में देहात जाने का अवसर मिल जाता था। प्रारम्भ में मैं सवेरे ही देहात चला जाता था और शाम होते-होते वापस आ जाता था, मेरा काम केवल चर्खें का प्रचार करना और रुई धुनना सिखाना था किन्तु मैं उनसे देहात के लोगों के विषय में जानने के लिए तरह-तरह का वार्तालाप किया करता था। जैसा कि मैंने तुम्हें अपने पहले पत्र में लिखा है, जब अकबरपुर के देहातों में जाता था तो केवल उच्चवर्गीय लोगों को ही मिल पाता था परन्तु टाण्डा में विशेष कर किसान कुम्हों जातियों के साथ ही मिलता जुलता था क्योंकि मैंने

यह समझ लिया था कि उच्च श्रेणी के लोग मेरी बातों को समझने की कोशिश ही नहीं करते। किसानों के घर में एह प्रकार से स्त्रियाँ ही मालकिन समझी जाती हैं। वही घर का और अनाज का सारा प्रबन्ध करती हैं। उनसे मिलने-जुलने में मुझे मालूम होता था कि किसान स्त्रियाँ पुरुषों से अधिक योग्य हैं। गाँधी जी के आर्थिक और सामाजिक प्रोग्राम को वे अधिक समझ सकती हैं जिसका उल्लेख मैंने पहले भी किया है। इन्हीं सब कारणों से मैं अधिकतर स्त्रियों में ही अपना प्रचार किया करता था। भारत के उद्धार के लिए सबसे पहले स्त्रियों का उद्धार होना अत्यावश्यक है। क्योंकि घर, गृहस्थी, समाज और भावी सन्तान का प्रबन्ध उन्हीं के अधीन है। वे जिस ओर कदम बढ़ावेंगी, उसी ओर मुल्क को जाना पड़ेगा। इस प्रकार की धारणा उसी समय से मेरे अन्दर बैठ गई थी। और वह आज भी वैसी की वैसी ही कायम है। वस्तुतः ग्राम-सुधार के कार्यों में जितना ही आगे बढ़ता जाता हूँ, उतना ही इस बात का महत्व, मेरी समझ से, बढ़ता जाता है।

पिछले दिनों मैंने स्त्रियों के लिए एक कैम्प खोला था और आज-कल भी स्त्रियों के काम पर जोर देता रहता हूँ। यह सब मेरे लिए नई कल्पनाएँ नहीं हैं। जब से मैं देहाती किसानों के सम्पर्क में आया तभी से मेरे हृदय में इस बात ने स्थान बना लिया था। इस काम को मैं पहले भी कर सकता था किन्तु अब तक मुझे इसका अवसर ही न मिल सका था कि मैं इस दिशा में प्रयत्न करूँ। प्रतिदिन देहात में जाने और आने में अधिक समय खर्च हो जाता था, इसलिए कुछ समय पश्चात् मैं गाँवों में ही टिकने लगा और इस प्रकार अब ग्रामीण किसानों के घर ग्रामीण तरीके से रहने लग गया। धौरहरा में मुझे ग्रामीणों के गन्दे आँगन में या मवेशीखाने के पास के गन्दे चौपाल में मैली चारपाई के ऊपर गन्दी तोशक और गन्दी कथरी पर बैठने में घृणा होती थी, उनको देख कर ही नाक भौँ सिकोड़ता था।

आज दो साल के पश्चात् उसी वायुमंडल में उन्हीं वस्तुओं को सहज और स्वाभाविक तौर से इस्तेमाल करने लगा। कभी-कभी ग्रामीण लोग कह उठते थे—“डाक्टर साहब तो विल्कुल देहाती मनई होय गये”। इससे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि वे अब मेरे साथ निस्संकोच उठने-बैठने लगे और, अपनी बातें बताने में किसी प्रकार की झिझक न रखते हुए मुझे भी अपने परिवार का एक सदस्य समझने लगे।

उन दिनों जाड़े का महीना था; देहाती लोग संध्या के समय एक स्थान पर आग जला कर उसके चारों ओर बैठते थे और—बात-बात में गप लड़ाते थे। इस प्रकार की आग को अवध देहात का कूब के ग्रामीण “तता” कहते हैं। मैं रात की उस बैठक को ‘तता-समाज’ की बैठक कहा करता था। लोग इस शब्द को बहुत पसन्द करते थे। और थोड़े ही दिनों में यह शब्द खूब प्रचलित हो गया।

देहात का ‘तता-समाज’ देहात की पार्लियामेण्ट, अखबार, मंत्रणा-सभा इत्यादि दुनिया भर की सभा-समितियों का एक समन्वित रूप है। संसार में ऐसा कोई विषय नहीं कि जिसपर इस सभा में विचार-विनिमय न होता हो; गम्भीर आध्यात्मिक विषय से लेकर दूर्वों के छोटे-मोटे पारस्परिक झगड़ों तथा उसके सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय आदि सभी प्रकार के विचार हुआ करते थे। मैं भी अपने सिर पर एक गमछा बाँध कर उस सभा में शामिल हो जाया करता था और उनकी सभी बातों में दिलचस्पी लिया करता था और साथ देता था। ‘तता-समाज’ के द्वारा देहात को जानने का और अपनी बातों को ग्रामीण जनता के समक्ष रखने का जितना मौका मिला उतना आज तक किसी भी प्रकार से न मिल सका।

अवध के किसानों की अवस्था इस छोटे से पत्र में क्या वर्णन करूँ ? इस विषय में बहुत लिख चुका और कह चुका हूँ। तो पुनः उसी को नये सिरे से क्या दुहराऊँ ? ‘हरी’, वेगारी, भूसा, और वेदखली

की मार तो इन पर रोज लगी ही रहती है। इसके अतिरिक्त भूत-भवानी और महामारी आदि का बोझ निरन्तर सिर पर लदा रहता है। इस कारण इनकी जिन्दगी में किसी प्रकार का रस नहीं। हम पढ़े-लिखे शहर के रहने वाले प्रायः कहा करते हैं कि गाँव के लोग इतने गन्दे और मूर्ख हैं कि उनमें काम करने से ही क्या लाभ ?

लेकिन मैंने देहात में उनके साथ रह कर देखा कि जीवित रहने की समस्या इतनी कठिन है कि और बातों पर ध्यान देने की शक्ति ही नहीं रह जाती। जीवन में जब रस ही नहीं तो

अकल्पनीय गरीबी स्वच्छता, सभ्यता और सुदृश्यता आदि की गुंजाइश ही कहाँ ? फिर भी जो सभ्यता, धार्मिकता और अतिथि-सत्कार आदि बातें ग्रामीण जनता में पाई जाती हैं उन्हें अलौकिक समझना चाहिए।

उनकी गरीबी का वर्णन करना मेरे लिए एक प्रकार से असम्भव ही है। मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े लेखक भी उस गरीबी का यथा-तथ्य वर्णन करने में असमर्थ ही रहेंगे। क्योंकि उन्होंने कभी उस दयनीय परिस्थिति का भार नहीं उठाया और न तो स्वेच्छा से ही कभी उस प्रकार का जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न किया।

बेचारे किसानों के कितने ही परिवार महीनों तक आम की गुठली की रोटी खाकर गुजर करते हैं। मैंने देखा है कि इतने पर भी उन्हें ऐसे दिन व्यतीत करने पड़ते हैं जब कि कुछ भी खाने को नहीं मिलता। कितने ही लोगों को खलिहान का गोबर धोकर अनाज निकालते मैंने स्वयं देखा है। देहात के कितने ही आदमियों के शरीर पर वस्त्र नहीं होता। जाड़े के दिनों में सैकड़ों परिवार चारों ओर दीवारों से घिरे हुए कमरों में आम ताप कर रात काट देते हैं। हम उनकी गरीबी का अन्दाजा क्या लगा सकते हैं ? जब अनुमान ही नहीं हो सकता तो वयान किस तरह हो सकता है। तुम कहोगी कि उनकी असुविधाओं और कष्टों का अनुमान तो उनको देख कर

ही किया जा सकता है। लेकिन बात ऐसी नहीं है। सम्भव है कि हम और तुम उनके लिए जिन बातों का कष्ट समझते हैं उनसे उनको कतई कष्ट न पहुँचता हो। इस विषय में मैं पहले भी लिख चुका हूँ कि बहुत सम्भव है कि जिन वस्तुओं के अभाव से हमें कष्ट होता है उन्हीं वस्तुओं का अभाव गांव वालों में, देख हम उन्हें दुखी समझते हैं किन्तु उस समय हम यह भूल जाते हैं कि बहुत सी वस्तुओं के आदी बन जाने से उनका अभाव हमें कष्टकर होता है किन्तु गांव वालों को उनसे कोई भी तकलीफ नहीं होती क्योंकि वे उन वस्तुओं के आदी नहीं होते। हम देहात की गरीब जनता के कष्टों को ठीक-ठीक महसूस नहीं कर सकते हैं। यह बात मुझे गांव के एक बूढ़े चमार ने ही सुझाई थी। उसकी भी एक छोटी सी कहानी है। उस कहानी का भी यहां जिक्र कर देना अच्छा होगा।

एक दिन टाण्डा के बाजार में मैं रुई से सूत बदल रहा था। सूत बदलने का मैंने यह नियम बना दिया था कि एक गांव की रहने वाली बहिनों का सूत लेना समाप्त करके ही दूसरे गांवों की बहिनों का सूत लिया करूँगा। टाण्डा से पांच मील दूर के रामपुर गांव की सब की सब बहिनें अपना सूत बदलने के बाद भी एक तरफ जाकर बैठी रहीं,

सदा की तरह सूत बदल कर घर नहीं गईं। उस रामपुर की बहिनों समय संख्या का पूरा प्रसार हो चुका था। मैंने उनसे का हठ बैठे रहने का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया

कि “बाबा सबके गांव में जाते हैं, हमारे गांव में कबो नहीं गये, आज हमारे सब यही सोचे हैं कि बाबा को लिवाय चलें।” इस स्थान की कत्तिनें आश्रम के सभी लोगों को बाबा कहा करती थीं जिसका अर्थ था—गांधी बाबा का चेला। उनकी बातें सुन कर मैंने उत्तर दिया कि मैं किसी समय तुम लोगों के गांव में आ जाऊँगा। इस समय बहुत देर हो गई है। अभी रुई और सूत वगैरह बोरियों में बन्द करने हैं, खाना बनाना है इसलिए काफी विलम्ब हो

जायगा। तुम लोग कब तक प्रतीक्षा करोगी? मेरी बातों को सुनकर वे सब की सब एक साथ हँस पड़ीं और कहने लगीं—“का हमारे सब इतना नीबर हईं कि दुइ कौर खाये के नाहीं दे सकतीं? हम तो बिना लिवाये नाहीं चलव।” अतएव मुझे उसी समय उनके साथ रामपुर गाँव के लिए खाना हो जाना पड़ा। मैं रास्ते में उनके साथ बात-चीत करता जा रहा था और वे सब बड़ी घनिष्टता के साथ घर और गृहस्थी की बातें कर रही थीं। जब हम रामपुर पहुँचे तो काफी अँबेरा हो चुका था। वहाँ पहुँचने पर मुझे प्रतीत हुआ कि गाँव वालों ने मुझे बुलाने के लिए पहले ही से निश्चय कर लिया था, क्योंकि उनके रंग-ढंग से यह स्पष्ट प्रकट हो रहा था कि वे लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे एक सम्पन्न किसान के बरामदे में बैठा कर मेरे साथ की बहिनें अपने-अपने घर चली गईं। थोड़ी ही देर में सम्पूर्ण गाँव में मेरे आने की चर्चा फैल गई और लोग एक एक करके मेरे पास इकट्ठा होने लगे। रात में बहुत देर तक बातचीत होती रही और बाद को मैं खाना खा कर सो रहा। मुझे रामपुर गाँव में तीन-चार दिन तक रुक जाना पड़ा। नित्य दोपहर को गाँव की बहिनें इकट्ठी होती थीं। मैं उन्हें गांधी बाबा, चर्खा तथा भारतवर्ष की प्राचीन सम्पन्नता के विषय में बहुत सी बातें बताता और समझाता था। एक बात से मुझे आश्चर्य होता था कि गाँव की बहिनें बिना, कुछ पढ़े-लिखे भी इस बात से परिचित थीं कि प्राचीन काल में लोग काफी समृद्धिशाली थे और अब गरीब ‘मेहरारू शौकीन हो गये हैं। वे यह भी जानती थीं कि इसका प्रधान होइ गई है’ कारण उनकी काहिली और आपस की फूट थी। वे कहा करती थीं “मेहरारू येह साइत शौकीन होइ गयी हैं तो गृहस्थी में बरककत कहाँ से होई। तब कै मेहरारू जवन जवन टहल करत रहीं तबवै न दूध घी खात रहीं।”

मैं रामपुर में तीन दिन तक रहा और इस बीच गाँव के हर घर,

आँगन और भीतरी भागों में भी घूम-घूम कर देखा करता था और शाम को अलाव ('तता') के पास बैठ कर किसानों से बात-चीत किया करता था। मैं उनसे प्रश्न करने को कहता था और उनके प्रश्न करने पर उत्तर देता था। एक दिन लोगों ने गाँधी जी के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की और मैंने उन्हें बताना शुरू किया और कहा कि गाँधी जी देहात के गरीब लोगों के कष्टों को भलीभाँति समझते हैं। इसीलिए वे केवल उतने ही कपड़े पहनते हैं जितने देहात के लोगों को मिल सकते हैं। गरीबों की तरह ६ पैसा रोज खाने में व्यय करते हैं। उन दिनों गाँधी जी की केवल ६ पैसे में भोजन करने की बात काफी प्रसिद्ध हो रही थी—इतने में एक बूढ़ा चमार बोल पड़ा "तो हमारे तकलीफ के बराबर उनके कइसन तकलीफ पड़ि गइल। वे जौन चार हाथ के अँगोछा पहिनत हैं और ६ पैसा रोज खात हैं, उनके फिकिर त नाहीं करे के पड़त है, उस बूढ़े के तीर हमरे सबके त जिन्दगी भर फिकिर लाग रहत है, से शब्द येहीं फिकिर में हम सब मरे जात हईं। अगर हमरे सब के फिकिर न रहे तो हमके सोहारी नाहीं चाही, मकुनी धकुनी से हमरे सब ढेर खुश रहित।"

उस समय तो मैंने उन्हें यह कह कर समझा दिया कि गाँधी जी गरीबों के लिए हमेशा चिन्तित रहते हैं। वह तपस्वी और सिद्ध पुरुष हैं। इसलिए उन्हें गरीबों की चिन्ता बनी रहती है। किन्तु उस बुद्धे की बात रह-रह कर मेरे दिमाग में उथल-पुथल मचाने लगी। रात में बड़ी देर तक नींद नहीं आई और अन्ततः इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि हम प्रदर्शन और शोक के रूप में कुछ दिनों तक भले ही ग्रामीण जीवन बिता लें किन्तु उनके वास्तविक कष्टों का सच्चा अनुभव हमें नहीं हो सकता। उस दिन मुझे यह भी अनुभव हुआ कि हम चाहे कितनी भी सहानुभूति और समवेदना से बात करें किन्तु देहात के लोग हमें एक दूसरे ही प्रकार का जीव समझते हैं। इस विषय में मैं

पहले भी लिख चुका हूँ। गांधीजी को देहात के लोग भगवान की तरह पूजते हैं, और उनके सम्बन्ध में इतनी ऊँची धारणा रखते हैं कि उस धारणा और पूजा-भावना के सामने हम जैसे व्यक्तियों का कोई भी अस्तित्व नहीं। जो लोग देहात के वातावरण को जानने का दावा करते हैं और इसका उद्धार करना चाहते हैं, वे अगर इन बातों को ध्यान में रखें तो कितना अच्छा हो ?

इसी तरह मैं चर्खा प्रचार-कार्य के साथ-साथ देहात में घूम-घूम कर ग्रामीण परिस्थितियों का अध्ययन करने लगा और मुझे इस काम में काफी दिलचस्पी भी महसूस होने लगी। आज इतना ही लिख कर यह पत्र समाप्त करता हूँ। शेष फिर कभी।

[८]

कौन ऊँचा, कौन नीचा ?

१८—७—४१

पिछले पत्र में मैंने रामपुर गांव में रहने का अपना अनुभव बताया था। उन दिनों उसी तरह कितने ही गाँवों में घूमा करता था। किसान और कुर्मी कौम के ही लोग मेरी बातों को अधिक सुनते थे और हमारे काम से सहानुभूति रखते थे। देहात के मध्यम श्रेणी के ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों के लोग कुछ तो मेरा मजाक उड़ाते थे; कुछ डर के कारण मुझसे घनिष्टता स्थापित नहीं करना चाहते थे। अवध के देहात के इस श्रेणी के लोग तो इस सम्बन्ध में एक विचित्र प्रकार की मनोवृत्ति रखते थे। एक समय था जब यही लोग समाज का नेतृत्व करते थे; सभ्यता, कला और शिक्षा का इनमें पूर्ण प्रचार था। इसलिए यही लोग भारतीय शिष्टाचार के अधिकारी

पतनशील

उच्च वर्ग

भी थे किन्तु आज न तो ये देहाती रह गये हैं और न शहरी। गरीब हो जाने के कारण शिक्षा के अवसर हाथ से निकल चुके हैं। उदारता भी समाप्त हो चुकी है, किन्तु फिर भी अपने बड़प्पन का अभिमान कूट-कूट कर भरा है। यही कारण है कि ये लोग शहर के लोगों की नकल करने की कोशिश में लगे रहते हैं क्योंकि गाँव वाले लोग शहर वालों को ऊँचा समझते हैं। इस नकल करने में अपनी अयोग्यता के कारण उनकी अच्छी चीजों की तो नकल नहीं कर पाते हैं किन्तु उनके अभिमान, उनकी हृदयहीनता, छोटों के प्रति घृणा तथा शृंगार आदि बातों को तोड़-मरोड़ कर भद्दे तरीके से नकल कर लेते हैं जिससे वे 'गाँव में' रहते हुए भी 'गाँव के' नहीं रह जाते। इसलिए जब मैं देहात के सम्बन्ध में कोई बात करता था तो वे उसको मजाक के ही रूप में ग्रहण करते थे। मैंने बहुत प्रयत्न किया कि इन लोगों में चर्खे का प्रचार हो जाय और ये गाँधी जी की बातें समझ लें किन्तु ये लोग मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तय्यार न हो सके। इनके यहां हर एक घर में अक्षर एकाध व्यक्ति वेकार रहते हैं किन्तु वे कोई भी काम करने को तैयार नहीं हो सकते। अपना छोटे से भी छोटा काम मजदूरों से ही कराते हैं। मैं पहले ही लिख चुका हूँ कि जब ग्रामीण लोग एक साथ मिल कर कहीं बैठते हैं तो संसार के समस्त

दोनों श्रेणियों विषयों की आलोचना किया करते हैं—जिसमें

का अन्तर धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी विषयों

का सन्निवेश रहता है। किन्तु यह मध्यम श्रेणी

के अपने को श्रेष्ठ समझने वाले लोग जब कहीं इकट्ठा होते हैं तो या तो उनमें पट्टीदारी के झगड़ों की बात होती है अथवा दुनिया भर की दुर्नीति और अश्लीलता की चर्चाएँ छिड़ती हैं। उनकी बात सुनने से यह आभास मिलता है कि ये लोग अपनी गाँधी के लोगों के अतिरिक्त संसार के सभी लोगों को चरित्र-हीन समझते हैं। मेरा यह भी अनुभव है कि ये लोग बहुत सुस्त और काहिल हुआ करते हैं।

एक देहात की मध्यम श्रेणी की ऐसी ही एक कहानी है जिसको लिख देना मैं अच्छा समझता हूँ। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन देहात में घूमते हुए टाण्डा से १६ मील दूर हँसवर के पास एक गाँव में पहुँचा। अधिक समय बीत जाने के कारण उस गाँव का नाम मुझे भूल गया है। उस दिन काफी शाम हो चुकी थी इसलिए मैंने सोचा कि इसी गाँव में रातभर के लिए टिक जाऊँ। उस दिन से पहले मैं टाण्डा से इतनी दूर के गाँव में कभी नहीं आया था। उसी गाँव के एक आदमी से पूछा कि इस गाँव में कौन लोग रहते हैं। जवाब मिला—“पचीस घर भलमनई और बाकी सब चमार-सियार।”

भलमनई का अर्थ था ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि उच्च-भलमनइयों द्वारा श्रेणी के लोग। इसी एक वाक्य से तुम समझ उपेक्षा सकते हो कि देहात के ये बड़े लोग छोटी जातियों को किस नजर से देखते हैं। खैर ! मैंने कोशिश की, इन भलमनइयों में से किसी के घर टिक जाऊँ किन्तु मुझे टिकाने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। मार्च का महीना था इसलिए मैं निश्चिन्त हो कर गाँव के बाहर ही एक पक्के कुएँ की जगत पर लेट गया। कहीं निकट में बाजार न होने के कारण उस रात खाना भी न खा सका ! सन्ध्या रात्रि में परिणत हो चुकी थी, चाँदनी निकल आई थी, मुझे वह स्थान बहुत सुन्दर प्रतीत हुआ। मैं करीब करीब सो गया था, इतने ही में थोड़ी दूर पर ग्राम के बाग से एक स्त्री ने पुकारा—“कुएँ पर के है हो ?” मैं उस गाँव से कुछ खीझ सा गया था, कुछ कर्कश स्वर में उत्तर दिया—“मनई होई, मनई।” इतने में वह स्त्री नजदीक आ गई और “कहाँ घर है ?” इत्यादि पूछने लगी। मैंने उसको सारा किस्सा कह सुनाया। सब हाल सुन कर वह बहुत दुखी हुई और उस गाँव के ठाकुरों को कोसने लगी और कहने लगी,—“हमरे घर चला, सीधा लकड़ी के इन्तजाम के देत हई, बनावा खा।” मैं सोलह सत्रह मील चल कर देहात में प्रचार करते हुए वहाँ पहुँचा था। भूख

बहुत जोर से लगी थी। मैं उस वहिन के साथ उसके घर चला गया। वहाँ जाकर देखा कि उसका घर वास्तव में कोई घर नहीं था। केवल एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी माप ६ X १२ फुट थी। तीन हाथ ऊँची और एक फुट चौड़ी मिट्टी की दीवार किसी तरह सरपत और खर से ढक दी गई थी, किन्तु उसके भीतर चाँद का प्रकाश छत से छन कर सम्पूर्ण घर में फैला हुआ था। छोटा सा दरवाजा पट्टे के डंठल और पलाश के पत्तों के टट्टर से ढका हुआ था। उसके आस-पास में कोई घर नहीं था। दरवाजे के सामने की जमीन काफी दूर तक लिपी हुई थी। उस पर एक बूढ़ा बैठ कर तन्त्राकृपी रहा था। थोड़ी दूर पर एक छोटी सी लड़की एक छोटे से बच्चे के शिर पर घास और मिट्टी डाल रही थी और हँस रही थी। शायद वही उनके खेल की सामग्री थी।

मेरे पहुंचते ही उस वहिन ने धान के प्याल का एक "वीड़ा" ला कर दिया और पूछने लगी "लोटा सोटा कुछ वाय" ? मेरे पास एक झोला था किन्तु उसमें लोटा नहीं था। "लोटा नहीं है" यह सुन कर वह बहुत परीशान हुई और कुम्हार के घर से कुछ बरतन और हँडिया लाने के लिए खाना हो गई। मैं उसके इस व्यवहार से समझ गया कि वह किसी नीच जाति की है और इसीलिए इतना परीशान हो रही है। मैंने उसे पुकार कर कह दिया कि मुझे तुम्हारे बर्तन में खाना खाने में कोई भी हिचक नहीं है। यह सुन कर

उन दीनों के हृदय उसे अपार प्रसन्नता हुई और वह दौड़-दौड़ कर का अमृत मेरे खाने-पीने का प्रबन्ध करने लगी। मैंने उससे यह भी कह दिया था कि मुझे तुम्हारे हाथ का पका हुआ भोजन करने में भी कोई एतराज नहीं है। उसकी तत्परता, प्रेम और सद्भावनाओं को देखकर मुझे प्रतीत होने लगा कि मैं सचमुच अपनी वहन के घर आ गया हूँ।

अब तक उस बुढ़े ने कुछ नहीं कहा था और निश्चिन्त हो कर

इस तरह तम्बाकू पी रहा था; मानो उसके दरवाजे पर कोई नई बात हुई ही नहीं। इस प्रकार की निश्चिन्तता मैंने देहात की मजदूर श्रेणी के लोगों में प्रायः देखी। उसके सामने से चाहे—कोई आये या जाये उसके प्रति वे कोई विशेष ध्यान नहीं देते। शायद सहस्रों वर्षों से समाज में दलित अवस्था में रहने के कारण उन्हें दुनियाँ के बारे में कोई दिलचस्पी ही नहीं रह गई। जब उस बहिन ने आग जलाई तब उसने तम्बाकू पीते हुए पुकार कर पूछा—“का रे का बात है ?” इस पर वह स्त्री हँस पड़ी और कहने लगी—“बूढ़ हूँ गया, कुछ सुकृत नाहीं।” जब उस बुढ़े पर यह प्रकट हो गया कि वह मेरे निमित्त खाना बनाने जा रही है तो वह सिर हिला कर कहने लगा कि मैं ऐसी बात नहीं होने दूँगा। “भला ठाकुर लोगन कै खबवा तुही सब बना दिहो तो कुल उच्छिन्न न होइ जाई ?” मुझे भूखा जान कर और मुझसे बात करने के बाद उस स्त्री में जो प्रेम और उदारता की भावना जाग्रत हो उठी थी, उसने उसे यह सोचने का अवसर ही नहीं दिया कि मेरे एतराज न करने पर भी उसे एतराज करना चाहिए।

मैंने उस बुढ़े को सम्मानने की बहुत कोशिश की किन्तु वह किसी तरह तैयार नहीं होता था। अन्त में मैंने कहा कि यदि नहीं खिलाओगे तो भी कोई चिन्ता नहीं है, मैं रात भर यहीं सोया रहूँगा और सबेरे चला जाऊँगा। वह बहिन अब तक खड़ी होकर हमारी और उस बुढ़े की बातें सुन रही थी, मेरी अन्तिम बात सुन कर बोल उठी कि “रहे दो बाबा, हमारे मोहारे पर केहू भूखा नाहीं परा रहे; हम तो बनाय के जरूर खियाउव ” इस पर उस बुढ़े ने अत्यन्त अप्रसन्न होकर अपना मुँह दूसरी ओर फेर लिया और फिर तम्बाकू पीने लगा। जंगल की वह देवी खाना बनाने लगी और मैं घास का ‘बीड़ा’ उठा कर उसी तरफ जाकर बैठ गया और उससे उसकी अवस्था के सम्बन्ध में प्रश्न करने लगा।

उसकी जाति पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे लोग वनमानुष

कहते हैं।

वनमानुष भी कोई जाति है, यह मुझे अब तक मालूम नहीं था। वे लोग गृहस्थों को ढाँक का पत्तल बना कर दिया करते हैं और उसके बदले में जो कुछ अनाज मिल जाता है उसी पर जीवन-निर्वाह कर लेते हैं। उसके पास न घर था, न ज़मीन थी, एक छोटी सी भोपड़ी थी जिसपर थोड़ा सा सरपत और खर रक्खा हुआ था। जिससे बारिश की रोक नहीं हो सकती थी। किन्तु वर्षाकाल में क्या होगा इसके लिए अभी से चिन्ता करना उनके लिए आवश्यक नहीं था। वे ईसा मसीह के इस उपदेश का कि “कल की चिन्ता न करो” पूरा-पूरा अमल करने वाले प्रतीत होते थे। उस स्त्री की अवस्था देखने में लगभग २०—२२ वर्ष की मालूम होती थी। वह काफी स्वस्थ थी। बुढ़ा उसका बाप था और एक लड़का और एक लड़की उसकी सन्तान थे। उसका पति एक वर्ष पूर्व मर चुका था। इस जाति में दूसरा पति कर लेने का विधान होते हुए भी वह दूसरे के घर नहीं जाना चाहती थी। मेरे पूछने पर उसने उत्तर दिया “भगवान ने तकदीर बिगाड़ दी तो भला हमारे जोड़ने से किस तरह जुड़ सकती है ?” फिर मैंने इस विषय पर उससे कोई भी बात नहीं की। अगर तुम वहिन को देखो तो आश्चर्य में डूब जाओगी। अकथनीय अपार दरिद्रता से पिसते हुए और समाज के अत्याचार दरिद्रता की चक्की से दलित रहते हुए भी उसमें इतनी उदारता, उनकी मानवता सर्वथा हँसमुख रहने की इतनी क्षमता, इतनी बुद्धि की पीसने में और इतना शिष्टाचार कहाँ से आया ? खाना खाने असमर्थ है के पश्चात् मैं एक कमली विछा कर लेट गया और सोचने लगा कि गाँव के “भलमनई” अधिक ऊँचे हैं या “वनमानुष” ? साथ ही भारतीय स्त्री के हृदय की थाह लगाने की कोशिश करने लगा तो मालूम हुआ कि वह अगम और अथाह है।

इनका स्नेह और इनका प्रेम किसी जात-पाँत का विचार नहीं रखता । संसार की कोई भी वस्तु नारी-धर्म के रास्ते का रोड़ा नहीं हो सकती और यह है गन्दे, फटे चीथड़े से लिपटी हुई हमारे भारत की ग्राम-वासिनी ।

स्त्रियों के सम्बन्ध में मेरी धारणा दिन-प्रति-दिन दृढ़ होती गई । दूसरे दिन सवेरे उठ कर उस बहिन के प्रति महान कृतज्ञता प्रकट करके और उसके बच्चों को प्यार करके मैं टाण्डा वापस चला आया । चलते समय मैं उन्हें कुछ पैसा देना चाहता था, किन्तु उसने ऐसा जोरदार विरोध किया कि फिर कुछ कहने का मेरा साहस नहीं हुआ । आते समय केवल इतना ही कह सका कि “बहिनी, आज का दिन हम नहीं भूलव ।” उसने सिर नीचा करके जवाब दिया “अइसन भाग हमार कव होइ सकत हैं ।” पन्द्रह साल बाद १९३८ में जब मैं हँसवर गया था तो मैंने उस बहिन का पता लगाने का पूर्ण प्रयत्न किया किन्तु शोक है कि उस बहिन का कुछ भी पता न लग सका । उस दिन की घटना मुझे जीवन-पर्यन्त नहीं भूलेगी ।

[६]

कौन सभ्य ? कौन असभ्य ?

२२—७—४१

एक माह के करीब हो गया । मैं इधर कुछ लिख नहीं सका । जेल में कई प्रकार के आन्दोलन चल रहे थे । वे जेल अधिकारियों की ज्यादती के विरोध में भूख हड़ताल आदि के थे । ऐसे वायुमण्डल में १६—१७ वर्ष पहले की बातों को निश्चिन्त होकर लिखने में कठिनाई होती थी । आगरे की अधिक गर्मी भी कुछ सुस्ती का कारण हो रही थी । जेल की बैरकों में चैन लेने के लिए तो किसी भी प्रकार का आड़ है ही नहीं । भला ऐसी परिस्थिति में निश्चिन्त होकर कोई काम कैसे किया जा सकता है ? अब

कुछ फुरसत मालूम होती है; इसलिए फिर पुरानी बातों को लिखने का विचार कर रहा हूँ। जिनसे तुम लोगों का मनोरंजन हो सके और मेरा भी जेल का समय कट जाय। हाँ, उस रोज मैंने वनमानुष के घर में रात बिताने की कहानी बताई थी। बात तो छोटी है, केवल एक रात बिताने का प्रश्न था लेकिन वह घटना मेरे लिए बड़े महत्व की थी। मैं बचपन से ही घर में तथा समाज में सभ्यता और शिष्टाचार की बातें सुनता आया था कि कौन लोग सभ्य और कौन असभ्य हैं। कौन श्रेष्ठ हैं और कौन नीच हैं, इसकी चर्चा उस समाज के लोगों में दिन रात हुआ करती है जो अपने को शिक्षित और सभ्य समझते हैं। किन्तु हम जब गहराई से विचार करते हैं तो ज्ञात होता है कि हमारी सारी सभ्यता, सारा शिष्टाचार उन लोगों के साथ है, जो पैसा खर्च करके अपने को चमकीला और रंगीला बनाये रहते हैं तथा विविध प्रकार के सामानों से अपने घरों को एक प्रकार का शोरूम बनाये रखते हैं। किन्तु अगर सीधा-सादा देहाती उनके अन्दर पहुँच जाय तो उसकी चटक-मटक-हीन सूरत देख कर और (अनुकूल परिस्थिति तथा अवसर न मिलने से) उसमें कुर्सी, मेज और बैठकखाने के आचरों की अज्ञानता को देख कर वे एक प्रकार की वेहूदगी और बदतमीजी से हँस पड़ते हैं। और उसके प्रति घृणा-पूर्वक इस तरह से नाक भौं सिकोड़ लेते हैं कि उस समय उन्हें देख कर महाशय डारविन की कही हुई प्राचीन मनुष्य जाति के किसी पूर्व पुरुष का रूप स्मरण हो आता है। और इसी को हम पढ़े-लिखे लोग मार्जित शिष्टाचार कहा करते हैं। अगर संस्कृति को ही कसौटी मान लिया इन शहरियों से वे जाय तो हमारे देहात के नीच से नीच वनमानुष अधिक संस्कृत हैं भी शहर के लाखों-करोड़ों सुशिक्षित जनों से अधिक सुसंस्कृत हैं, ऐसी धारणा मुझ में दिन-प्रतिदिन बढ़ होती गई, और साथ ही शहर की छुरी-काँटा, चम्मच वाली, ऊपर से पालिश की हुई सभ्यता के प्रति घृणा पैदा होती गई। मुझको

ऐसा प्रतीत होता था कि वेवकूफ, गन्दे असभ्य और दीन ग्राम-वासी शहर के तथा-कथित उच्च श्रेणी के लोगों से कहीं अधिक ऊँचे हैं। यह धारणा मुझे आज-कल के गिरे हुए देहात को देख कर हुई। जिस दिन गाँव सभ्यता के उच्च शिखर पर थे उस दिन न मालूम वे लोग किस प्रकार के थे।

वन-मानुष की कहानी कहते-कहते मैं दूसरी ओर वहक गया लेकिन मन का उद्गार कह देना ही था। इसलिए पत्र लम्बा हो जाने पर कुछ ध्यान न देना।

सवेरे के समय उनके घर से निकल कर टाँडा की ओर चला तो मन में तरह-तरह के विचार आने लगे। मैं सोचने लगा कि ये वनमानुष कौन जाति हैं, ये कहाँ से आये, कैसे वस गये ? गाँव से बाहर जंगल में एक ही घर का होना भी आश्चर्य की बात थी। आखिर इनके पूर्व पुरुष भी कोई होंगे ही ? उस बुढ़े के घर भाई विरादरी सब कहाँ गये ? उस के घर का देखने से भी तो यही मालूम होता था कि थोड़े दिन प्रवास में रहने के लिए उसने अस्थायी झोंपड़ी बना ली है। लेकिन उनकी बात-चीत से तो यह मालूम होता है कि वे कई साल से यहीं पर बसे हुए हैं। यदि स्थायी रूप से ही रहना था तो अपना घर उचित रूप में क्यों नहीं बना लिया।

इसी प्रकार के सैकड़ों प्रश्न दिमाग में उठने लगे। किन्तु मैं इन प्रश्नों को पूछता किससे ? रास्ते में था ही कौन ? रात के समय जब उस वनमानुष की लड़की से बात-चीत कर रहा था, उस समय उसके शिष्टाचार से तबीयत इतनी भर गई थी और उसकी हालत पूछने में इतना तल्लीन हो गया था कि ये सब बातें दिमाग में आ ही नहीं सकीं। काफी दूर चले आने पर रामपुर गाँव के पास एक चमार मिला जिसने मुझे पहचान कर “जयराम जी” कह कर नमस्कार किया। मैंने तो उसे पहचाना ही नहीं, किन्तु उसकी बातों से ज्ञात हुआ कि वह रामपुर का रहने वाला है। रामपुर गाँव में मैं कई बार जा चुका

था। घर-घर घूम चुका था इसलिए वह मुझसे काफी घनिष्टतापूर्वक बातें करने लगा। उसी से मैंने वन-मानुषों के विषय में पूछा। उससे मालूम हुआ कि वन-मानुष चमारों से नीचे की जाति है। वनमानुषों के उनका छुआ हुआ पानी चमार लोग भी नहीं पीते। विषय में अर्थात् वे अछूतों के भी अछूत हैं। ये लोग जंगलों में ही बसते हैं। उस चमार से वनमानुषों के विषय में इससे अधिक जानकारी न प्राप्त हो सकी। फिर उससे बात-चीत करते-करते रामपुर गाँव पहुँचा और दोपहर हो जाने के कारण उसी गाँव के एक कुर्मी जाति के किसान के यहाँ टिक गया। खाना खाने के पश्चात् जब बाहर के बरामदे में आकर बैठा तो गाँव के और कई व्यक्ति भी बात-चीत करने के लिए आ बैठे। उन लोगों से वन-मानुष के विषय में बात-चीत करने लगा। रात को उसके घर में टिकने की बात सुनकर लोग बहुत घबड़ाये तथा उस किसान को, जिसने मुझे खाना खिलाया था नाराज हो कर भला-बुरा कहने तथा गाली देने लगे।

मैंने उनको 'आदमी आदमी सब एक हैं' इसका सिद्धान्त समझाने की कोशिश की किन्तु छुआछूत का संस्कार इतना प्रबल था कि मेरा सारा समझाना व्यर्थ हो गया, और वे लोग उन वनमानुष को बुरा भला कहते ही रहे। आखिर मैंने यह बात-चीत बन्द कर दी और वनमानुष की बात पूछने लगा। शत हुआ कि वनमानुष जाति के लोग कहीं गाँव में न रह कर जंगल में ही रहा करते हैं। जिसका जहाँ जीवन-निर्वाह हो जाय वह वहीं बस जाता है। यदि कमी उन्हें उस स्थान पर तकलीफ मालूम होती है तो दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। कहीं कहीं दस-बारह घर इकट्ठे भी रहते हैं, किन्तु ऐसी बस्ती किसी बाज़ार या कस्बे के निकट ही होती है; नहीं तो गाँव के सहारे इनका जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। ये लोग विवाह शादी इत्यादि खुशी और गमी के अवसरों पर पत्तल बना कर देते हैं और उसके बदले केवल

एक सीधा पाते हैं और पत्तल में जो कुछ जूटन बच जाता है उसे इकट्ठा कर ले जाते हैं। इनके पास कोई खेती-बारी नहीं होती है। इसी उच्छिष्ट भोजन से इनका गुजर-बसर होता है अर्थात् ये लोग सामाजिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से गाँव की मजदूर श्रेणी के लोगों से भी गिरे होते हैं।

शाम को जब लौट कर टांडा आया तो वहाँ के लोगों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि ये लोग प्राचीन अनार्य जाति के एक अंग हैं जो यहाँ पड़े रह गये हैं। यह भारतवर्ष भी विचित्र देश है। यहाँ कोई भी आता है तो सुख से बस जाता है और पुराने लोगों के साथ सम्बन्ध स्थापित कर लेता है। अति प्राचीन जाति से लेकर अति आधुनिक सम्य जाति के लोग पड़ोसी के रूप में रहते हैं और कभी एक दूसरे को खतम करने का विचार नहीं करते हैं। क्या यूरोप या अमेरिका में आस्ट्रेलिया या कनाडा में हजारों साल की सम्यता के बाद ऐसी प्राचीन जाति समाज के अंग विशेष के रूप में कहीं टिक सकती है ? वहाँ के सम्य लोग इनका अस्तित्व कभी सहन

नहीं कर सकते। यूरोप, अमेरिका और आस्ट्रेलिया के

भारत की श्रेष्ठ इतिहास के पन्ने ऐसे काले आदमियों को लुप्त कर

संस्कृति देने की चेष्टा से भरे पड़े हैं। पता नहीं, पश्चिमी

आदर्श से प्रेरित होकर देशवासी इस देश के गले

के नीचे श्रेणी-युद्ध का पाठ कैसे उतार सकेंगे। अबध जैसे प्राचीन

सम्यता के केन्द्र पर भी वनमानुष आज “वनमानुष” के ही रूप में

टिके हुए हैं। संसार में यह भी एक बड़े आश्चर्य की बात है। अबध

की नीच जातियों के सम्बन्ध में मैं किसी दिन फिर लिखूँगा। आज

इतना ही लिख कर समाप्त कर रहा हूँ।

[१०]

वनमानुष और चमार

२४—७—४१.

मार्च का महीना मेरे लिए विशेष रूप से काम करने का महीना था। तुम्हें यह मालूम ही है कि मुझे सर्दी बहुत लग जाती है इसलिए मैं सर्दी के दिनों में बाहरी काम बहुत कम कर पाता हूँ। फिर जाड़े में आढ़ने बिछाने का सामान लिये-लिये कहाँ-कहाँ फिर सकता था इसलिए मैं अब बाजार के दो दिनों को छोड़ कर शेष दिन देहात में ही घूमा करता था। रात को टांडा नहीं लौटता था। गाँव-गाँव घूम कर चर्खे का प्रचार और देहात के विषय में जानकारी प्राप्त करता था। मेरे दिमाग में इन दिनों वन-मानुष ही घूमता था, जंगली मुत्कों के कल-भील आदि जातियों के विषय में तो मैं सुन चुका था किन्तु इतने प्राचीन समय देश में भी इस किस्म की जाति का होना विचित्र सा प्रतीत हुआ। फिर तो मैं देहात में वनमानुषों को ढूँढ़-ढूँढ़ कर देखने लगा कि वे किस तरह रहते हैं और उनकी आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक स्थिति कैसी है। मैं जहाँ भी गया वहाँ उनके उसी प्रकार के गिरे-पड़े घरों को देखा। वे सब के सब काले रंग के होते हैं। यह किसी ने भी नहीं बताया कि वे कहीं एक गट्टा भी जमीन जोतते हैं। ये लोग जंगल में ही रहते हैं, बस्ती में कभी आवाद नहीं होते और स्थायी

घर कभी नहीं बनाते। गाँवों से अरहर का डंठल

वनमानुषों के और ईख की पत्ती माँग कर बरसात से रक्षा के लिए

विषय में और ऊपर से आड़ कर लेते हैं। इन्हें कपड़े की आवश्यक-

वातें कता भी बहुत कम होती है। ये लोग बहुत हट्टे-

कट्टे और स्वस्थ होते हैं; इसलिए मौसमी परिवर्तन

का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इनसे पूछने पर मालूम हुआ

कि इनके धर्म में एक स्थान पर स्थायी घर बना कर रहने, अथवा बस्ती में निवास करने का निषेध है।

गाँवों में जब पत्तल पहुँचाने की आवश्यकता होती है तो पुरुष ही उसे गाँव में ले जाते हैं। स्त्रियाँ गाँव-वालों के घर कभी नहीं जातीं। वे या तो पत्तल बनाती हैं अथवा जंगल से सूखी लकड़ियाँ चुन कर लाती हैं जिसे, अपनी आवश्यकता के लिए बचा कर, बाजारों में बेच आती हैं। इन्हें बहुत सी जड़ी-बूटियों की जानकारी होती है, जिन से अनेक प्रकार की बीमारियाँ अच्छी हो सकती हैं। गाँव के लोग इनसे अनाज के बदले में बहुत औषधियाँ ले जाते हैं।

मैं बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उन औषधियों के विषय में कोई जानकारी नहीं प्राप्त कर सका। वे अपनी औषधियाँ किसी दूसरे को नहीं बताते। उन औषधियों से वे कभी-कभी बड़े-बड़े भयानक रोग तक अच्छा कर देते हैं। एक बार एक मनुष्य को फीलपाँव हो रहा था, जिसकी दवा के लिए एक वनमानुष ने एक श्वेत रंग की जड़ ला कर दी। उसके लेप से वह रोग अच्छा हो गया। इसी प्रकार एक मनुष्य का 'कारवंकल' रोग भी एक वनमानुष ने अच्छा कर दिया था। वह एक प्रकार की लता पीत कर उसकी पुलटिस बाँधता था। ये दोनों घटनाएँ मेरे सामने की हैं। इन लोगों को भूत-प्रेत का कोई भी भय नहीं है। ये अपने बच्चों का विवाह बहुत छोटी अवस्था में ही कर देते हैं। विवाह में किसी प्रकार की धूम-धाम नहीं होती। इन लोगों में भी एक पुरोहित होता है। ये ही पुरोहित लोग दो-चार कुटुम्बियों की उपस्थिति में विवाह करा देते हैं। लड़की पक्ष के लोग लड़की को ही लड़के के घर ले जा कर विवाह कराते हैं।

मैं पहले ही लिख चुका हूँ कि इनकी स्त्रियाँ गाँव की उच्च जाति के घरों में काम करने नहीं जातीं इसलिए इनका नैतिक चरित्र ऊँचा होता है। देहात में यह प्रायः देखा जाता है कि निम्न श्रेणियों की स्त्रियों का नैतिक चरित्र प्रायः ऊँचा होता है। कुछ व्यभिचार

होता है वह केवल उच्च श्रेणी के लोगों द्वारा ही होता है। जब वनमानुषों का उच्च श्रेणी के लोगों से सम्पर्क ही नहीं होता तो फिर उनमें इस प्रकार की बातें हो ही कैसे सकती हैं? देहात में जितने जंगल होते हैं वे किसी न किसी के इलाके में ही होते हैं। कोई किसी दूसरे इलाके से पत्ता व लकड़ी नहीं ले सकता। लड़की वाले ऐसे जंगल का भाग दहेज में दे देते हैं। इनमें भी एक जातीय पंचायत होती है जो इनके हर प्रकार के झगड़ों का निवटारा करती है। ये अपना झगड़ा तय करने के लिए दूसरे के पास नहीं जाते। इन्हें दूसरी जातियों पर विश्वास ही नहीं होता है। इनकी संख्या बहुत कम है। कहीं-कहीं पाँच-छः गाँवों के बीच दो-एक घर दिखाई देते हैं। लेकिन जब कभी इनकी जातीय पंचायत होती है तो बहुत दूर दूर के लोग पहुंच जाते हैं। मेरा जहाँ तक अनुभव है ये लोग बहुत सुस्त और काहिल होते हैं। मैंने इन लोगों को बेकार देख कर इनमें चर्खा-प्रचार की कोशिश की किन्तु इसके लिए वे तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि वे काफी सुख से हैं। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। अधिक पैसा कमाने से क्या लाभ? मैंने इन्हें विचित्र सन्तोषी जाति पाया। वनमानुष बापू के अग्रिग्रही का नमूना मालूम होता है। हाँ, यह अग्रिग्रह बेहोशी में ही है। मुझे आज तक किसी भी जाति ने चर्खा न कातने के लिए ऐसा सीधा और स्पष्ट उत्तर नहीं दिया था। सभी लोग चर्खा न कातने के लिए कुछ बहाना बनाते हैं किन्तु इस जाति में चर्खा चलाने के सम्बन्ध में सफलता न पाने पर भी इनका सीधा सच्चा व्यवहार मुझे बहुत पसन्द आया।

कुर्मियों में चर्खे का खूब प्रचार हो चुका था और उनके साथ काफी धनिष्टता भी हो गई थी। कुछ परिवारों के साथ तो मुझसे घर की तरह सम्बन्ध हो गया था। उन लोगों में काम करने के सिलसिले में मैं गाँव की मजदूर-श्रेणी के चमारों के बीच भी कुछ-कुछ करने लगा था। इस जाति के लोग साधारणतः ब्राह्मणों और क्षत्रियों के यहाँ

मजदूरी करते हैं। कुर्मी जाति के बड़े किसान भी इनसे मजदूरी का काम लेते हैं। अवध के देहात में सबसे बड़ी संख्या की कौम यही है जो अछूत श्रेणी में गिनी जाती है। मैंने विचार किया कि इस जाति में भी चर्खे का प्रचार करूँ क्योंकि समाज में इन लोगों के समान दबी हुई जाति दूसरी नहीं है। अवध ताल्लुकेदारी का प्रान्त है। इन ताल्लुकेदारों का सम्पूर्ण भार इन्हीं गरीबों को चमारों की उठाना पड़ता है। इनका आधे से अधिक समय जड़ स्थिति वेगारी के कामों में लग जाता है। ताल्लुकेदारों के यहाँ कोई भी काम होता है तो इन्हीं ही पकड़ कर वेगार ली जाती है। सरकारी अफसरों का दौरा भी इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आफत के तुल्य है क्योंकि उनका, उनके सिपाहियों का, तथा उनके खैरख्वाहों का सारा काम इन्हें वेगारी में ही करना पड़ता है। वेगारी करते-करते इन लोगों के स्वभाव में एक विचित्र प्रकार की काहिली, सुस्ती और लापरवाही आ गई है। इनको जीवन में किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं रह गई है। मैंने चमारों को ताल्लुकेदारों की जमीन पट्टे पर लेकर स्वतंत्र रूप से खेता करते हुए नहीं देखा। फैजाबाद जिले में इतने दिनों तक काम करता रहा किन्तु इस अवधि में मुझे फैजाबाद से ११ मील दूर कुतुबपुर नाम का केवल एक ही गाँव इस प्रकार का मिला, जहाँ के चमार ताल्लुकेदारों के सीधे काश्तकार हैं और दूसरे की मजदूरी नहीं करते। इतने दिनों तक दबे रहने के कारण इन्हें अपने जीवन के साथ किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं रह गई है, ऐसी परिस्थिति में वे काश्तकारी कैसे कर सकते हैं ? फिर भला चर्खा चलाने की बात ही क्या है ! इसके अतिरिक्त इन लोगों में प्रविष्ट होकर काम करना भी एक विकट समस्या है। गरीबी, हुकूमत और अत्याचार की मार खाते-खाते ये इतने बेहोश हो गये हैं कि इन पर किसी बात का प्रभाव नहीं होता। कोई चमार अपने दरवाजे पर बैठा हुआ तम्बाकू पी रहा हो और तुम उसके दरवाजे पर जाकर खड़े हो

जाओ। किन्तु जब तक तुम उसे पुकार कर कुछ कहो नहीं या उसके किसी सामान पर हाथ न लगाओ तब तक वह उसी ढङ्ग से इस प्रकार तम्बाकू पीता रहेगा मानो उसके दरवाजे पर कोई आया ही नहीं है। पूछने पर भी वह उसी प्रकार तम्बाकू पीते हुए दो-एक शब्दों में उत्तर देकर चुप हो जायगा। ऐसी पिछड़ी हुई जाति के बीच जाकर उनसे बात-चीत करना, परिचय प्राप्त करना तथा उनमें किसी प्रकार के प्रोग्राम की चर्चा चलाना कितना कठिन काम है। मैंने अनुभव किया कि इन लोगों में चर्चा चलवाने की अपेक्षा पत्थर कूट कर उसमें से रस निकालना कहीं अधिक आसान है। उन लोगों में कोई काम कैसे किया जा सकता है? वे तो किसी से बात ही नहीं करना चाहते हैं। देहात में एक कहावत है 'ब्राह्मण और चमार किसी की नहीं सुनते; ये अपने ही ढङ्ग में मस्त रहते हैं।' यह कहावत बहुत अंशों में ठीक जान पड़ती है। ब्राह्मण सर्वदा से गुरु और पुरोहित का काम करते करते इतने घमण्डी हो गये हैं कि दूसरों की बुद्धि को अपनी बुद्धि के सामने तुच्छ समझते हैं। और चमारों को हर एक श्रेणी के लोगों ने शताब्दियों से इतना अधिक दबाया है कि वे हर एक आदमी को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं; उनको एक खटका हमेशा लगा रहता है कि ये महाशय भी किसी मतलब से ही बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं जितने ही निकट से इनके सम्बन्ध में विचार करता था उतना ही अधिक परीशान होता था। इनमें वेकारी तो है ही, किन्तु यदि किसी जमींदार, ब्राह्मण या क्षत्रिय से पूछा जाय तो वे इन्हें कभी वेकार स्वीकार न करेंगे। इसीलिए मैं सोचता था कि यदि इनमें चर्खों का प्रचार हो जाय तो कुछ अंशों में इनकी वेकारी भी दूर हो जाय और एक स्वतंत्र उद्योग का सहारा मिल जाने से इनमें उच्च श्रेणियों के दमन और अत्याचार का विरोध करने की प्रवृत्ति भी उत्पन्न हो जाय। किन्तु एक तो यह समस्त जाति ही वेहोशी का शिकार हो गई है, दूसरे उच्च श्रेणी के लोग सर्वदा इस बात के प्रयत्न में रहते हैं

कि ये किसी स्वतंत्र व्यवसाय में न लग सकें ।

मुझे इन बातों का अनुभव किस तरह हुआ, इसकी कहानी अगले पत्र में बताऊँगा । मैं धीरे-धीरे चर्खा चलवाने के लिए इनसे परिचय प्राप्त करने की कोशिश करने लगा । किसी प्रकार की विशेष सफलता न मिलने पर भी हिम्मत नहीं हारता था और किसी न किसी बहाने इनके बीच जा कर बैठ जाता था और इनसे बातें करने लगता था । आज यह पत्र यहीं समाप्त करता हूँ क्योंकि इसके विशेष लम्बा हो जाने का भय है । आजकल मैं जेल में काफी स्वरथ हूँ और सानन्द हूँ ।

[११]

चमारों की हालत

२६—७—४१

मैं यह तो लिख ही चुका हूँ कि चमारों के मध्य काम करना बड़ा कठिन है । तुमने एक बार मुझे महाराष्ट्र के गरीब किसानों की अवस्था बताई थी । क्या उनकी हालत इनसे भी बदतर है ? वहाँ जंगलों की अधिकता के कारण कम से कम उन लोगों को स्वच्छ स्थान तो मिल ही जाता है । खैर, जो भी हो, इन चमारों की परिस्थिति को देखते हुए मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि इनमें चर्खा चलाना नितान्त आवश्यक है । मैं यूरोप और अमेरिका की प्राचीन दास प्रथा के विषय में पढ़ता था और उससे बहुत घबराता था । किन्तु यहाँ तो विचित्र दशा है । यद्यपि अवध के मजदूर कानूनन किसी भी प्रकार अपने मालिक के दास नहीं होते किन्तु उनकी विवशता ने उन्हें उन दासों से भी गई-बीती अवस्था में डाल दिया है । उन दासों के पास यदि कोई स्वतंत्र साधन नहीं था तो उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं था । उनके अस्तित्व का उत्तरदायित्व उनके मालिकों पर होता

था। किन्तु इन चमारों का स्वतंत्र अस्तित्व तो होता है तथा अपने परिवार, वर्तमान और भविष्य की जिम्मेदारी भी होती है; किन्तु इनके पास इस जिम्मेदारी को निभाने का कोई साधन नहीं होता। मालिक अपनी आवश्यकता पर उन्हें काम देता है। अगर जरूरत न हुई तो नहीं देता। ऐसे समय वे क्या खायें, इसकी जिम्मेदारी मालिक पर नहीं है। जरूरत पर काम करते समय भी इन चमारों को इसका कोई भी निश्चय नहीं होता कि काम पूरा हो जाने के बाद उन्हें पूरी मजदूरी मिलेगी। अवध की वेगार-प्रथा का इतना वर्णन हो चुका है कि मैं फिर उन बातों को दुहरा कर व्यर्थ में पत्र का कलेवर नहीं बढ़ाना चाहता। इसके विषय में तुम लोगों को सम्पूर्ण बातें मालूम हैं। रामपुर गाँव की ओर का एक चमार स्वयंसेवक का काम करता था और वह कभी-कभी आकर मेरे पास बैठता था। वह मुझसे गाँधी जी तथा काँग्रेस के विषय में प्रायः पूछा करता था। मैं भी चमारों से अधिक धनिष्ठता प्राप्त करने के लोभ में कभी-कभी इसके घर टिका करता था। उसके और उसकी टोली वालों के साथ संध्या समय बातचीत करते हुए मुझे यह मालूम हुआ कि जब जमींदारों का आपसी बँटवारा होता है तो उनकी सम्पत्ति व जानवरों के साथ ही साथ चमारों का भी बँटवारा हो जाता है। इस बँटवारे में कौन किधर रहेगा, इस विषय में चमारों को सम्मति देने का कोई भी अधिकार नहीं है।

गुलामों की भाँति जिसकी राय से सब सम्पत्ति बँटती है उसी की राय से सब चमार भी बँट जाते हैं। प्राचीनकाल में गुलाम भी तो इसी प्रकार बाँटे जाते थे। ये लोग यह सारा अत्याचार चुपचाप इसलिए सहन कर लेते हैं कि जमींदारों के अतिरिक्त जीवित रहने का इनके पास कोई भी दूसरा स्वतंत्र साधन नहीं है। इसीलिए मेरी यह धारणा थी कि चर्खा चलाने की सब से अधिक उपयोगिता इसी कौम के लिए है।

इन बातों को सोचते हुए जब उन दिनों देहात में इधर-उधर घूमा करता था और दो-दो तीन-तीन दिन तक देहात में टिक जाता था, तो जहाँ तक सम्भव होता था मैं चमारों के यहाँ ही टिकने की कोशिश करता था। क्योंकि मैं समझता था कि काफी घनिष्टता हो जाने पर ही इन्हें चर्खे की तरफ लाने में सफल हो सकूँगा। उस समय मार्च का महीना था। ये लोग मटर आदि की कटाई में फँसे हुए थे जिससे तत्काल चर्खे की बात करना ठीक नहीं समझता था और केवल सम्बन्ध ही बढ़ाता जाता था।

चमारों की बस्ती आमतौर से गांव के दक्खिन मुख्य बस्ती से थोड़ी दूर हटकर हुआ करती है। इनको इतनी कम जमीन में इतनी अधिक संख्या में बसने को बाध्य किया जाता है कि इन्हें बहुत छोटी-छोटी भोपड़ियाँ बनाकर एक दम सट-सट कर रहना पड़ता है। ये लोग अपने लिए ठोक ढंग से आँगन नहीं छोड़ सकते। फल यह होता है कि इनका सारा काम एक छोटी जगह में होता है, जहाँ गन्दगी और पानी आदि के निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। उनका टोला बहुत गन्दा और बदबूदार होता है। इस गन्दगी के लिए लोग मजबूर

हैं क्योंकि इन्हें साफ रहने के लिए समाज ने कोई गन्दगी का कारण साधन ही नहीं छोड़ा है। इधर जब से गाँधीजी ने हरिजनान्दोलन चलाया तब से शहर के पढ़े-लिखे देशभक्त दाबू लोगों में कभी-कभी देहात के हरिजन टोलों की सफाई करने का फैसला चल पड़ा है। वे भाड़ू लेकर गाँव जाते हैं और उनकी गलियों को साफ करते हुए गम्भीरता के साथ उन्हें साफ रहने का उपदेश दिया करते हैं; और कभी-कभी सफाई करती हुई अवस्था का फोटो खिंचवा कर ले जाते हैं; कभी-कभी पत्रों में भी अपना वक्तव्य दे दिया करते हैं। मैं जब समाचारपत्रों में इस प्रकार के कार्यक्रम के विषय में पढ़ता हूँ या कभी मित्रों को ऐसे कार्यक्रम में जुटे रहते हुए देखता हूँ तो हँसी आती है। भला हरिजनों की गलियों को साफ करने

से क्या सफाई हो सकती है ? पानी को निकास का मार्ग न मिलने के कारण उनके घरों में तथा आँगन में न जाने कब की सील सड़ती रहती है। गलियाँ तो उनसे कुछ साफ ही रहती हैं। कम से कम बरसात का पानी तो उनसे बह ही जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य मौसिमों में धूप भी मिल जाती है। वर्षों तक एक ही तकिया और एक ही कथरी इस्तेमाल करते-करते उनमें कितना पसीना, बच्चों का पेशाब, तेल और मैल जमा हुआ है, इसकी खबर इन सुधारक भाइयों को नहीं रहती। अगर हम वास्तव में हरिजनों के मध्य काम करना चाहते हैं तो हमको किसी न किसी तरह उनकी आर्थिक दासता को ढीला करना है तथा उनकी बेहोश प्रकृति में चैतन्य

मूल समस्या का प्रसार करना है। नहीं तो चाहे कितना भी सफाई करने का एवं कुएँ बनवाने का तथा उनके बच्चों को वजीफा दे कर उन्हें शिक्षित बनाने का कार्य किया जाय किन्तु वे जीवन-यापन के मानवीय साधनों के अभाव में ज्यों के त्यों रह जायेंगे। उनके दरवाजे और गलियाँ साफ की जायँ तो वे अपने चिर-अभ्यस्त बच्चों से टट्टी करा देंगे। यदि कुवाँ बनवा दिया जाय तो वे उसके बनने के साल भर के भीतर ही उसकी दीवार और जगत की सारी ईंटें उखाड़ कर घरों में चूल्हे आदि बना लेंगे और जिन बच्चों को वजीफा देकर पढ़ाया जायगा वे अपने माता-पिता एवं कुटुम्बियों को घृणा की दृष्टि से देखने लगेंगे तथा अपनी एवं अपने परिवारवालों की जिन्दगी भार-स्वरूप बना देंगे। चमारों के घरों में रहने का मुझे जितना अवसर मिला है उससे मैंने अनुभव किया है कि वे भी गन्दगी को घृणा की दृष्टि से देखते हैं तथा अपनी साधन-हीन दशा में जहाँ तक सम्भव होता है वे अपने को तथा अहने घर-द्वार को साफ रखने का प्रयत्न करते हैं। उनके वर्तनों को तो प्रायः मैंने ब्राह्मण और क्षत्रियों के वर्तनों से भी अधिक साफ देखा है। वे काहिल तो अवश्य होते हैं और यदि काहिल न होते तो शायद इससे

भी अधिक सफाई से रहते। किन्तु काहिली भी तो जीवन से निराशा के कारण ही उत्पन्न होती है।

अतएव मैं उनके घरों में जाता था, उनके बच्चों से खेला करता था, स्त्री-पुरुषों से बातें करता था, उन्हें उनकी दशा से परिचित कराने एवं उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए उद्योग करने के निमित्त प्रयत्न किया करता था। किन्तु अपार प्रयत्न करने के पश्चात् भी उनके जड़ दिमाग पर जरा भी प्रभाव न डाल सका। प्रत्युत मैंने यह अनुभव किया कि वे हमसे कुछ बचड़ाते से थे। वे मुझे खाना प्रायः पत्तल में खिलाया करते थे। पहले तो मैं यह समझता था कि वर्तन के अभाव से ही वैसा करते हैं किन्तु धीरे-धीरे यह मालूम हो गया कि वे जान-बूझ कर मुझे अपना वर्तन नहीं देते क्योंकि वर्तन देने से उनको अपनी जाति चली जाने का भय था। ऐसा रिवाज है कि जब उच्च जाति का आदमी किसी चमार के घर खाना खा लेता है तो उस खिलाने वाले के बराबर भ्रष्ट संसार में कौन हो सकता है। मैं समझने लगा—‘इन से तो वनमानुष ही अच्छे हैं।’

चमारों में काम करने के सिलसिले में मुझे यह एक खास बात देखने में आई कि कुर्मियों की औरतें तो हमारे काम से खास दिलचस्पी रखती थीं जैसा कि पहले मैं तुम्हें लिख चुका हूँ। वे मुझे अपने गांवों में बुला ले जाती थीं। मेरे वहाँ पहुँच जाने पर सब इकट्ठी हो जाती थीं। गाँधी बाबा कहाँ हैं, वह क्या करते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह रहते हैं इत्यादि बातों को पूछती थीं। कांग्रेस के विषय में, बाबा रामचन्द्र के विषय में, हाकिम-अमला-वकील वगैरह के विषय में सवाल किया करती थीं। किन्तु चमारों की औरतों में किसी प्रकार की चेतनता देखने में नहीं आती थी। पुरुष लोग तो कुछ विषयों पर बातचीत कर लेते थे। मैं जब उनके घर टिकता था तो खाना भी पुरुष ही लाकर खिलाते थे। उनकी औरतों से तो मैं बात-चीत अवश्य कर लेता था किन्तु उस बातचीत में कोई जीवन न होता था। बहुत

सी जगहों में तो उनका रवैया ऐसा होता था कि मानों उन्हें पता ही नहीं था कि मैं उनके घर पर टिका हुआ हूँ। मुझे इसके लिए काफी परीशानी रहती थी कि जब तक मैं स्त्रियों से भलीभाँति परिचय नहीं

कर लूँगा तब तक उनसे चर्खा कैसे चलवाऊँगा।

बच्चों से परिचय अन्ततः सोचते-सोचते एक तरीका निकाल ही लिया।

इनके बच्चों से घनिष्टता बढ़ाना शुरू कर दिया।

पहले तो जब बच्चों को इकट्ठा देख कर उन्हें बुलाने की कोशिश करता तो वे सब के सब ऐसी तेजी से भागते मानों कोई शेर उन्हें खाने दौड़ा हो। भागने में जो बच्चे सबसे पीछे छूट जाते थे वे चिल्ला कर रो उठते थे। किन्तु धीरे-धीरे बच्चों से मेरा परिचय बढ़ने लगा। मैं उन्हें कागज की नाव आदि बना कर दे दिया करता था। कभी-कभी मिट्टी के फल और हाथी-घोड़े आदि बना दिया करता था। इन चीजों में बच्चे धीरे-धीरे बड़ी दिलचस्पी लेने लगे।

बच्चों के सम्बन्ध से धीरे-धीरे औरतों से भी परिचय होने लगा। अब औरतें पहले की तरह जड़ता का भाव नहीं रखती थीं। मैं तुम

लोगों से स्त्रियों के सम्बन्ध में सर्वदा कहा करता हूँ।

स्त्रियों से परिचय तुम्हारा कहना है कि मैं स्त्रियों के खिलाफ हूँ। भाई,

तुम्हारी जाति ही ऐसी है। उन्हें छोटी-छोटी स्वार्थ-

भरी बातें सूझती हैं। जब मैंने उनके बच्चों को अपने पक्ष में कर

लिया तो वे स्त्रियाँ मुझसे खूब बातें करने लगीं। ऐसा वे इसलिए नहीं

करती थीं कि मुझसे दिलचस्पी हो गई थी, बल्कि वे मेरे मुँह से अपने

बच्चों की प्रशंसा सुनने के लिए ही बात-चीत करती थीं। मैं ये बातें

ठीक कह रहा हूँ न ? अब तो वे अपने घरों में पहुँचने पर मेरे बैठने के

लिए चारपाई आदि निकाल देने लगीं। उस समय फसल कट कर

समाप्त हो गई थी। मैंने उनसे चर्खों की बात करने का यही उपयुक्त

अवसर समझा। किन्तु थोड़े ही दिनों के प्रयत्न के पश्चात् वह अनुभव

होने लगा कि जब तक इनके घरों में पाव भर भी अनाज मौजूद

है तब तक ये किसी प्रकार का उद्योग करने के लिए नहीं तैयार हो सकते। इन दिनों इन लोगों के पास काफी अवकाश रहता था फिर भी इस समय चैत की फसल कटने से इनके घरों में इतना अनाज आ जाता था कि वे किसी भी प्रकार की गम्भीर बात करने के लिए तैयार नहीं होते थे। देहातों में यह कहावत प्रचलित है कि “चैत में चमार चैताय जात हैं।” इस समय ये किसी की नहीं सुनते हैं। यह जाति एक विचित्र प्रकार की जड़ जाति है। मैंने इतिहास का विशेष अध्ययन नहीं किया है। ज्ञात नहीं, इस जाति के पूर्व-पुरुष कौन थे। चाहे वे जो भी रहे हों किन्तु इतना तो निश्चित-सा है कि उनमें चैतन्य आत्मा का अभाव था। नहीं तो क्या कारण है कि पाँच-सात हज़ार वर्ष तक लगातार दबाये जाने पर भी इनमें किसी प्रकार की क्रांति या विद्रोह का आविर्भाव नहीं हुआ। आज भी इनको सुधारने के लिए गाँधी बाहर ही से उत्पन्न होता है। इनके भीतर से कोई बुकर टी वाशिंगटन नहीं पैदा होता है। डाक्टर अम्बेडकर भी तो ब्रिटिश सरकार का ही बनाया हुआ पुतला है। इनके भीतर से उद्भूत कोई अवतार तो नहीं ही है।

चमारों की स्त्रियों के मध्य काम करने में एक और ही विचित्र समस्या खड़ी हो गई। मैं पहले ही लिख चुका हूँ कि इनसे किसी गम्भीर विषय पर बात-चीत करना सम्भव नहीं होता था क्योंकि वे किसी प्रकार के विषय में दिलचस्पी नहीं लेती थीं अतएव मुझे उनसे उनके बच्चों और खेती-गृहस्थी के ही सम्बन्ध में बात-चीत करनी पड़ती थी। इन बातों के सिलसिले में ये स्त्रियाँ प्रायः बहुत

निम्न-क्रोडि का अश्लील और भद्दा मज़ाक कर दिया

स्त्रियों का फूहड़ करती थीं। और कभी-कभी तो उनके बात-चीत

हास्य करने का ढङ्ग भी अत्यन्त भद्दा हुआ करता था।

उनमें से कोई एक स्त्री किसी प्रकार की अश्लील बात कह देती थी और शेष सभी की सभी एक अत्यन्त भद्दे तरीके

से हँस पड़ती थीं। एक तो मुझे इनमें चर्खे का प्रचार होना असम्भव प्रतीत होता था, दूसरे उनके इस प्रकार के व्यवहार से निराश होकर मैंने इनके बीच जाना ही छोड़ दिया।

चमारों में भी कुछ लोग ऐसे थे जो पहले काँग्रेस के स्वयंसेवक रह चुके थे। ये लोग प्रायः मेरे पास आया जाया करते थे। उनसे भी अक्सर मैं इस प्रकार की बातों की चर्चा किया करता था। वे उत्तर देते थे—“बाबा उनकी बात तोहरे समझ में नहीं आवत होइहै। वे फूहर मनई होयँ। अंट शंट कहि दिहे होइहँ। मुला उनके मन माँ कौनो किस्म कै गन्दगी नहीं बा ॥” लेकिन मुझे इनकी बातों से तसल्ली नहीं होती थी। मैं देहात के कुर्मियों के घर भी जाता था, उनकी स्त्रियाँ माता व वहिन के समान प्रेम का व्यवहार करती थीं। कभी-कभी एकाध बुढ़िया थोड़ा बहुत मजाक की बात जरूर कह देती थी, लेकिन अन्य स्त्रियाँ उसे तुरन्त सँभाल लेती थीं। इसलिए चमारों की स्त्रियों का इस प्रकार व्यवहार मुझे स्वाभाविक नहीं लगा।

यह बात मेरे दिमाग में रह रह कर आया करती थी। आखिर, एक दिन एक बूढ़े चमार से बातचीत करने में मुझे इस बात की जड़ का पता लग गया। मैं उन सभी चमारों से, जो मेरे पास आते जाते थे इस विषय में पूछा करता था। एक दिन टांडा का बाजार समाप्त करके मैं बोरों में सूत भर रहा था। इतने में वही रामपुर गांव वाला चमार आ कर बैठ गया। वह हाथ में एक हरे कुम्हड़े का टुकड़ा लिये था। उसके साथ एक बुढ़ा भी था जिसे मैं जानता नहीं था। वह भी कुछ सौदा लिये हुए था। मालूम होता था कि वे लोग बाजार करके लौट रहे थे। मैं उस चमार से कहने लगा कि तुम्हारी विरादरी कभी नहीं उठेगी। तुम्हारी जाति के अन्दर सुस्ती, गन्दगी, काहिली और चरित्र-हीनता फैल गई है। ठीक ही है कि तुमको दण्ड देने के लिए, तुमसे वेगार कराने के लिए परमात्मा ने इन तल्लुकेदारों को पैदा किया है। उस चमार ने कहा “बाबा, हमरे सब चमार होई और उल्लू

मनई होई; कहाँ से ढंग आवे । बाबा, तूहूँ जौन कुछ आवा जावा करत रहा तौन यहि साइत तो देखाइन नाहीं परत हो । ढेर दिन होइगाः दरशन नाहीं भा । आज बाजार आय रहेन, सोचेन कि दरसन कइ लेई । तौन अउतै ही फटकार परै लागि । कावः भलमनई ही पाप करी, कुछ समझ माँ नाहीं आवत । देश दुनियाँ के बीज बोते हैं सबै हमरे सब का फटकारै लागा थै । जौन गाँधीः बाबाकै सहारा रहा वहुँ फटकारहा सुनाय पड़त है ।”

मैं बहुत देर तक उनके साथ बात-चीत करता रहा और उनकी स्त्रियों के अश्लील व्यवहारों के विषय में भी आलोचना करने लगा । इसपर वह कहने लगा—“आप उन बातों का ख्याल न करें । उनकी आदत ही ऐसी है ।” मैंने उनसे पूछा—आखिर ऐसी आदत क्यों है ? मैं कुर्मियों के घर जाता हूँ तो उनकी स्त्रियों की तो ऐसी आदत नहीं है । कुर्मियों की बात सुनते ही उसके साथ का बुड्ढा नाराज हो गया और कहने लगा—“हमकाँ का कहत हौआ ? का कुर्मी कौनो बाबू के मजूर हैं, वे तो आजाद हैं, जौन चाहें तौन करें । हमरे घर के मेहरारू के आदत तो बाबू लोगन ही विगारिन हैं, नाहीं तो हमरे सब मजूर मनई दिन मैं मेहनत कइके घर जाइ के मुरदा अस परि जाइत हइ; हमरे सब के ऐसन शौक करै का हियाव फहां । तोहरे ठाकुरै सब हमरे सब की मेहरारुन का खराव करत हैं, उनके आदत विगाड़त हैं, उनके साथ हँसी मजाक करत हैं और हमरे सब के धरम नाश करत हैं । हमरे सब टुकुर टुकुर ताकित है और कुछ कहि नायँ पाईत हैं । भला ठकुरन से लड़िके केऊ रहि सका थै ।” जोश में आकर वह बुड्ढा बहुत सी बातें कर गया । फिर तो मुझे प्रत्येक बात का तथ्य मालूम हो गया और उनसे पूछ-पूछ कर सभी बातें जानने की कोशिश करने लगा । उनसे बात-चीत करने पर प्रकट हुआ कि देहात के मध्यम श्रेणी के जमींदार घरों के पुरुष मजदूरों की स्त्रियों के साथ अश्लील मजाक किया करते हैं । इस प्रकार वे धीरे-धीरे उन्हें फुसला कर

उनके साथ व्यभिचार करते हैं। इन बातों का इतना आधिक्य है कि मजदूरों की लड़कियां बचपन ही से मजाक करना सीख जाती हैं। इनके समाज के लोग इन बातों को देखते हुए भी विवशतया अनदेखी कर जाते हैं। क्योंकि अपने ठाकुरों के साथ झगडा करके वे किसी भी प्रकार जीवित नहीं रह सकते। आज-कल के जागरण के युग में इन लोगों में भी कुछ-कुछ हिम्मत आ गई है। लेकिन उस समय की स्थिति आज की सी नहीं थी।

देहात के ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि मध्यम श्रेणी के लोगों के प्रति मेरे दिल में पहले से ही कोई श्रद्धा नहीं थी। किन्तु अब इन उपर्युक्त बातों को सुनने के पश्चात् इन भल मनइयों के प्रति इतनी घृणा हो गई कि मैं अपने देहात-भ्रमण के समय इन लोगों से कोई सम्पर्क नहीं रखता था। दस-बारह साल के बाद भा जब ग्राम-सेवा का प्रोग्राम लेकर रणियां में जा बैठा था तब तक भी इन लोगों के प्रति मेरी भावना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। इस विषय में फिर कभी लिखूंगा; आज का पत्र यहीं समाप्त करता हूँ। तुम मेरे प्रति किसी विरोध की भावना को स्थान न देना कि मैं बहुत हठी हूँ और अपने मनमें इतना तीव्र विद्रोह इतने दिनों तक भरे रहता हूँ। किन्तु इतना तो जानती ही हो कि मैं जल्दी अपनी राय नहीं बदला करता।

[१३]

गाँव के बच्चे

३०—७—४१

मैंने पिछले पत्र में लिखा था कि चमारों की स्त्रियों से परिचय करने के लिए मैंने पहिले बच्चों से परिचय करना शुरू किया। कभी गाँव के पास बच्चों को किसी पेड़ के नीचे इकट्ठा खेलते हुए देखता

था तो किसी न किसी वहाने उनसे बात-चीत करने की कोशिश करने लगता था। कभी किसी जंगल में गाय-भैंस चराते देखकर भी उनसे बात-चीत करने लगता था, इन लड़कों में कुर्मी और चमार जाति के लड़के अधिक होते थे। बच्चों के खेल के साधन और ढंग के विषय में कुछ बताऊँ तो शायद अच्छा लगे। एक दिन कुछ बच्चों को एक गड़ही के पास इकट्ठा हुए देखा। उस गड़ही में बहुत सी काई जमी हुई थी। बच्चे काई को निकाल निकाल कर एक जगह इकट्ठा कर रहे थे, और उसमें से एक एक दाना निकाल कर एक बच्चे के शिर और सम्पूर्ण शरीर में नाना प्रकार से साटते थे। शुरू शुरू में मैं उनके पास न जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और दूर ही से उन लोगों का खेल देखने लगा। थोड़ी देर के बाद सब लड़कों ने उस लड़के को आगे रख कर ताली पीटते और हल्ला करते हुए उसे एक पेड़ के नीचे ले जाकर बैठाया। फिर सामने एक गड्ढा खोद कर उसमें पानी भरा और पानी भरने के बाद सब लड़के उसे प्रणाम करने लगे और उसी गड्ढे से पानी निकाल-निकाल कर उसे नहलाने लगे। ऐसा करके ये सब ताली बजा बजा कर खूब हँसने लगे। जिस लड़के को चित्रित करके बैठाया गया था वह इतना गम्भीर हो कर बैठा था मानों उसके सामने कुछ बातें हो ही नहीं रही हैं। सारा दृश्य देखने में एक छोटा-मोटा सा नाटक प्रतीत हो रहा था। जब ये बच्चे इस प्रकार खेल रहे थे तो मैं विचार रहा था कि बच्चे नाटक की यह कला मानों अपनी माँ के पेट से ही लेकर आये हैं। आखिर इन्हें किसी ने सिखाया तो है ही नहीं तो फिर यह सूझ आई कहाँ से ? निस्सन्देह, उनकी यह कला भी भारत के प्राचीन कलापूर्ण समाज के संस्कारों का भग्नावशेष है। मैं धीरे-धीरे उन बच्चों के पास पहुँचा। वे मुझे देख कर हँसने लगे। वे मुझे पहले ही से पहचानते थे, क्योंकि मैं इस गाँव में कई बार आ चुका था। मैंने उनसे पूछा कि यह कौन सा खेल हो रहा है ? उन्होंने जवाब दिया, “खेल नहीं होय, देवी जी कै

पूजा होत या । हमरे सब देवी बनाये हैं ।”

एक दिन एक दूसरे गाँव के पास एक जंगल में कुछ लड़के गाय-भैंस चरा रहे थे । वहाँ पर पहुँच कर मैंने देखा कि वे आस-पास के पेड़ों की छोटी-छोटी डालियाँ तोड़-तोड़ कर और उन्हें गाड़-गाड़ कर बहुत दूर तक एक बागीचा बना रहे थे और छोटी-छोटी कंकड़ियाँ चुनकर बागीचे के बीच-बीच में सड़क का निशान भी बना रहे थे । उनकी यह क्रिया भी बच्चों के स्वाभाविक विकास की परिचायक थी । बच्चों के खेल इतने प्रकार के होते थे कि उनका वर्णन करना बहुत कठिन है । मुझे पूर्णतः याद भी नहीं है किन्तु यदि उनको ध्यान-पूर्वक देखा जाय तो उससे उनकी विशेष प्रकार से नई वस्तुओं के निर्माण करने की प्रवृत्ति का पता लगता था । वह नित्य खेलों की कोई न कोई नयी शैली ढूँढ़ ही लेते हैं । कभी-कभी तो वे अजीब प्रकार के स्वाँग की रचना करते हैं । मैंने शहर के बच्चों को भी खेलते हुए देखा है । वे वेही खेल खेलते रहते हैं जो उन्हें बताया जाते हैं । हाँ, कभी-कभी वे भी नये खेलों का आविष्कार कर लेते हैं । किन्तु यह आविष्कार की शक्ति जितनी देहात के बच्चों में दिखाई पड़ी उतनी शहर के बच्चों में नहीं ।

इस प्रकार के खेलों के सिलसिले में बच्चों के अन्दर घुसने का मौका लग गया । ऐसी बातों से मुझे हमेशा दिलचस्पी रही । अब तो और भी मौका मिल गया । मैं उनके खेल में घुस जाता था और उन्हें तरह तरह की चीजें बनाना सिखाता था । मिट्टी के फल और वर्तन आदि बनाने की क्रिया बताता था । मुझे यह देख कर आश्चर्य होता था कि मैं एक वस्तु बनाता था तो वे अपनी ओर से दो-एक वस्तुएँ और बना डालते थे । कहीं-कहीं मैं जंगल से लकड़ी और खर इकट्ठा करवाता था और उनसे घर बनवाता था । घर के सामने बागीचा भी लगवाता था; कहीं छोटे-छोटे कुएँ भी खुदवा दिया करता था । बच्चों की आविष्कार-शक्ति का एक उदाहरण सुन कर तुम्हें

आश्चर्य होगा। एक बार जब मैंने बच्चों से मकान, बगीचा और खेत वगैरह बनवा कर कुएँ के लिए जमीन पर एक छोटा सा गड्ढा खुदवाया, तो उसी समय एक लड़की उठ कर तेजी से एक ओर की भागी और थोड़ी ही देर के बाद एक धतूरे का फल लाई और कहने लगी—

“बाबा बहमाँ से कूँड़ बनी कूँड़।” (उधर के देहात में कुएँ से ढेकुल द्वारा बानी निकालने के लिए जो वर्तन प्रयोग में आता है उसे कूँड़ कहते हैं।) कूँड़ की आकृति भी धतूरे के ही समान होती है। मुझे उसकी बात से बहुत हँसी आई और मैं दूसरे बच्चों से पूछने लगा कि इससे कूँड़ किस प्रकार बनाई जायगी? सभी बच्चे सोचने लगे तथा विविध प्रकार के उपाय काम में लाने लगे। वह लड़की बैठ-बैठी सारी क्रिया देखती और मुस्कराती थी किन्तु जब उससे नहीं रहा गया तो बोल उठी—“भीतरा कै गुदवा निकाल नहीं देता, कूँड़ अस तो होइ ना जाई।” कितने आश्चर्य की बात है कि मैंने सब कुछ प्लान उन्हें बताया किन्तु कुएँ के लिए कूँड़ चाहिए और वह कूँड़ भी उसी जंगल से मिल सकती है, यह कल्पना मुझे भी न सूझी। मैं प्रायः सर्वदा ही अपने भोले में अखबार वगैरह दूसरे कागज रखा करता था और उनसे बच्चों को नाव आदि खिलौने बना कर दे दिया करता था। किसी-किसी को नाव आदि बनाना बता भी दिया करता था। इस प्रकार उनके खेलों में शामिल होने से तथा उन्हें खेल के तरह-तरह के साधन बताने के कारण मैं उनमें बहुत हिल-मिल गया था। बचपन से ही मुझे बच्चों के साथ खेलना बहुत पसन्द आता था। बच्चे मुझसे बहुत जल्दी हिल-मिल जाते हैं। जब बच्चे मिल जाते हैं तो मुझे दूसरी बातों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। अब भी जब सेवाग्राम जाता हूँ तो मीतु ही मेरा आधा समय ले लेती है और जब उसे कहानी सुनाते समय किसी दूसरे से बात करता हूँ तो वह कैती नाराज होती है। मानो मैं उसी का साथी बच्चा हूँ!

कुछ दिनों में ऐसा हो गया कि जब किसी गाँव में जाता था तो

सब बच्चे इकट्ठे हो जाते थे। खेलने के सिलसिले में जो वस्तुएँ बना कर उन्हें देता था उन पर वे तरह-तरह के प्रश्न करते थे; “कागज की नाव पानी पर तैरती क्यों है? कुछ देर में डूब क्यों जाती है? मकान छप्पर आदि जब छाये जाते हैं तो वे ढालू क्यों बनते हैं? हाथी के सूँड़ क्यों होती है?” इसी प्रकार के पचासों सवालों से मुझे तंग किया करते थे। वे मेरे आने की प्रतीक्षा में हफ्तों बिता देते थे और इसी अवधि में पचासों प्रकार की चीजें इकट्ठी करके रखते थे। घोंघे का शंख, टूटी हुई चूड़ियाँ और टूटे हुए बड़े आदि जो भी सामान उन्हें मिल जाता था इकट्ठा करके इस आशा में रखते थे कि इस बार जब वावा आयेंगे तो नया खेल बतायेंगे। उस समय तक बापू जी ने बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा की बात नहीं बताई थी अन्यथा इसके प्रयोग के लिए बहुत सुन्दर अवसर था और यदि उन बातों को उस दृष्टिकोण से देख सकता तो मैं तुम्हारे वास्ते अच्छा मसाला दे सकता था। बच्चों में भ्रमण करने तथा उनसे घुलने मिलने में मुझे एक विशेष बात का अनुभव हुआ कि देहात के किसान और मजदूरों के बच्चे काफी तेज होते हैं और उनमें नवीन आविष्कार की काफी शक्ति होती है। किन्तु ज्यों-ज्यों उनकी उम्र बढ़ती जाती है त्यों-त्यों वे बुद्धू होते जाते हैं। इसका कारण क्या है, समझना चाहिये। बचपन में वे संसार को देखते हैं तो उसके जानने के लिए अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं और उनकी प्रकृतिप्रदत्त विवाचक शक्ति उनसे तरह-तरह की वस्तुओं का निर्माण कराती है। किन्तु दुःख का विषय है कि देहात में उनके प्रश्नों का जवाब देने वाला कोई नहीं; उनकी निर्माण-शक्ति के विकास का कोई साधन नहीं। इस प्रकार बौद्धिक विकास में लगातार रुकावट पड़ने के कारण उनके मस्तिष्क संकुचित हो जाते हैं। इसलिए अवस्था-बुद्धि के साथ-साथ उसी अनुपात में बुद्धि का विकास न होने के कारण वे अधिक बोदे लगते हैं। उनकी बुद्धि-हीनता का एक दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि ज्यों-ज्यों

उनकी अवस्था बढ़ती है, त्यों-त्यों वे अपने को असहाय परिस्थिति में जकड़े हुए पाते हैं। तथा साधन-हीन अवस्था में जब उनके दायित्व बढ़ने लगते हैं तो उसका परिणाम यह होता है कि वे चौबीसों घंटे एक प्रकार से किंकर्तव्य-विमूढ़ बने रहते हैं।-

ऐसी दशा में उनका बुद्धि-हीन बन जाना कोई अस्वाभाविक नहीं। आश्चर्य तो इस बात का है कि वे पागल क्यों नहीं हो जाते।

देहात में कहीं कहीं पर ही बच्चों के पढ़ने के स्कूल दिखाई देते हैं। किन्तु उनमें पढ़ाई की जिस पद्धति से काम लिया जाता है उसमें बच्चों के स्वाभाविक प्रश्नों का उत्तर न देकर तथा उनकी प्राकृतिक निर्माण-शक्ति का विकास न करके, उनके मस्तिष्क में ऐसी बातें ठूँसी जाती हैं, जिनमें न तो उन्हें अपने निकटस्थ वातावरण की मूलक मिलती है और न उनसे उनका प्राकृतिक विकास ही होता है। आज जब मैं वापूजी की बताई हुई बुनियादी राष्ट्रीय-शिक्षा के विषय में सोचता हूँ तो उन दिनों की बात याद आती है और यह धारणा होती है कि शिक्षा का सबसे अच्छा और प्राकृतिक रूप यही है। बच्चों के सम्बन्ध में मुझे यह भी अनुभव हुआ कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की बुद्धि प्रखर होती है। जब मैंने लड़कियों का स्कूल प्रारम्भ किया तो मुझे इसका प्रमाण भी मिल गया।

हमारे गाँवों के बच्चे इतने होनहार हैं, किन्तु शोक की बात है कि हमारे पास उन्हें विकसित करने का साधन नहीं है। अशिक्षा और कुशिक्षा के कारण आगे चल कर वे एक विचित्र प्रकार के जीव बन जाते हैं। सबसे अधिक कुशिक्षा तो उन्हें अपने ग्रामीण घरों में ही मिला करती है क्योंकि समाज के रवैये के ही अनुसार उन्हें शिक्षा भी तो मिल सकती है। बच्चों के माता-पिता ही उन्हें विशेष रूप से गालियाँ देने की शिक्षा देते हैं। मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा है कि माँ-बाप अपने बच्चे को बुला कर स्वयं यह कहते हैं कि “वापू बोलदे तो तोरी बहिनी के.....” और जब बच्चे इस प्रकार की

गालियाँ बकने लगते हैं तो उपस्थित लोग आनन्द से विह्वल होकर हँस पड़ते हैं। बच्चा भी समझता है कि उसने बड़ी-वीरता का काम किया है। इसलिए वह भी प्रसन्न होता है। इसी तरह अनेकानेक गालियों को सीखते हुए ग्रामीण बच्चे बड़े होते हैं। इन बच्चों में यदि किसी को सौभाग्य से स्कूल में जाने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ तो वहाँ आज कल की प्रचलित निकम्मी शिक्षा-पद्धति के साथ ग्रामीण अध्यापक उन्हें तरह-तरह की अनीति और दुर्नीति की शिक्षा देते रहते हैं। क्योंकि आखिर वे भी तो उन्हीं व्यक्तियों में से होते हैं जो अपने बच्चों को गाली देते हुए देख कर प्रसन्न होते हैं।

इसी प्रकार की प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किये हुए व्यक्ति ही एक दिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् हमारे राष्ट्रीय जीवन के कर्णधार होते हैं। फिर हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन में मजबूती आये तो कहाँ से ?* बच्चों की बातें कहते-कहते वहक कर मैं दूसरी बात कहने लग गया। कहने का उद्देश्य यह कि मैंने ग्रामीण बच्चों को जहाँ तक समझा है, वे इतने उच्चकोटि की सामग्री हैं कि यदि उन्हें कुछ ही दिनों तक श्रेष्ठ वातावरण में शिक्षा मिले तो आगे चल कर वे गाँवों को सुचारु रूप से संगठित कर सकते हैं।

जब मैं पूना में बुनियादी तालीम के प्रथम वार्षिक अधिवेशन में तुम्हारा भाषण सुन रहा था तो सुम्ने रह रह कर यही बात याद आ रही थी। तुम लोग सेवा-ग्राम में बच्चों को जिस प्रकार की शिक्षा देती हो, मालूम नहीं कि हिन्दुस्तान के बच्चों को उस प्रकार की शिक्षा कब प्राप्त हो सकेगी ? सम्भव है, वह मेरा स्वप्न ही हो किन्तु कभी कभी तो स्वप्न भी सच्चे हो जाते हैं। तुम लोगों के प्रयत्न का भी कुछ न कुछ परिणाम तो होगा ही। सब को नमस्कार कहना। आज वस।

*आज जब भारत आजाद है तब भी यहाँ वही पुरानी बातें चल रही हैं। देश में अप्रत्याचार नहीं फैलेगा तो क्या होगा। आखिर अप्रत्याचार रोकने वाले भी तो उसी शिक्षा के परिणाम हैं। १६-६-५०

[१३]

गाँवों में पंचायत

३१—७—४१

कल एक पत्र लिखा था। बच्चों के साथ हिल-मिल कर जो कुछ देखने को मिला, लिखा। यदि कोई उनके विभिन्न खेलों के विषय में लिखे तो एक बड़ी सी पुस्तक तैयारी हो जायगी।

आज बारिश के मारे अपनी सीट—जगह पर ही बैठा हूँ। बैठे-बैठे क्या करूँ? पत्र ही लिखने बैठ गया। देखो, कैसा अच्छा जीवन मिल गया है!

हाँ, तो जिस काम से मुझे प्रारम्भ से ही रुचि थी, अब टाँडा में आकर वह पूर्णतः मिल गया था। जब से टाँडा बाजार की जिम्मेदारी मिली, तबसे ग्रामीण लोगों के साथ चौबीस घंटा रहने का मौका मिल गया था। उनके सुख-दुःख की बातें सुनते और उन्हें अपने देश और देश के राष्ट्रीय आन्दोलन के विषय में नई-नई बातें बताने में समय बहुत आनन्द से कटता था। देहात में घूम-घूम कर चर्खा-प्रचार करने के साथ-साथ अपनी तत्कालीन शिक्षा और अनुभव के अनुसार गाँवों के विषय में अध्ययन करने का उद्योग भी करता था। इस बार के इस गाँव-भ्रमण से मुझे अन्य प्रकार के भी लाभ प्राप्त हुए। सन् १९२४ का जमाना था, राष्ट्रीय आन्दोलन की दबी हुई अवस्था के कारण ऐसे कितने ही अवसर आये जिनमें मुझे प्रतिकूल अवस्था से होकर गुजरना और कष्ट उठाना पड़ा। वन-मानुष के घर जाने और वहाँ रहने की घटना तो मैं लिख ही चुका हूँ। इस प्रकार मुझे कष्ट सहने का अभ्यास भी हुआ और साथ गाँव के लोगों को यथार्थ रूप से समझने का अवसर मिला। अगर किसी विशेष हैसियत से गाँव में जाता तो गाँव के लोग कृत्रिम और अस्वाभाविक रूप में मेरे सामने आते और मैं उनके वास्तविक स्वरूप को देखने से वंचित रह जाता।

किन्तु उस समय जिसके हृदय में प्रेम था, उसने प्रेम से बात की और जिनके हृदय में उपेक्षा के भाव थे उन्होंने उपेक्षा की। इस प्रकार उनके सच्चे मनोभावों को अनुभव करने का अवसर मिला। मैं गाँव में जाता था, हर प्रकार के लोगों के बीच बैठकर बातें करता था, उनके घरों पर रात को टिकता था, उनके रसोईघरों में जाकर भोजन करता था। उनकी स्त्रियों और बच्चों से मिलकर बात-चीत भी करता था; जिससे मुझे उनके दैनिक जीवन का ठीक-ठीक दृश्य देखने का अवसर मिल जाता था।

वह समय व्यतीत हुए आज १६ वर्ष हो चुके हैं। लगभग सभी बातें विस्मृति के गर्भ में विलीन हो चुकी हैं। जो कुछ थोड़ी बहुत याद थीं उन्हें मैंने तुम्हारे समक्ष रखने का प्रयत्न किया है। किन्तु अब तक मैंने लोगों के ही विषय में लिखा है। गाँव के साधारण सामाजिक जीवन पर शायद कुछ भी नहीं लिखा। इस समय भी इसका पूरा व्यौरा देना सम्भव नहीं हो सकता किन्तु एक अवसर का थोड़ा-बहुत विवरण, जो मुझे कुछ कुछ स्मरण रहा है, तुमको लिख देना अच्छा समझता हूँ।

देहात में घूमते हुए मैं एक दिन दोपहर के समय गाँव की ओर जा रहा था। रास्ते में एक गाँव में कुछ लोगों को इकट्ठा होते देखा। मुझे जिज्ञासा हुई और उस स्थान पर पहुँच गया। वहाँ पहुँचने पर ज्ञात हुआ कि गाँव की पंचायत में किसी मामले का फैसला होने वाला है। पंचायत की कार्रवाई देखने के लिए मैं वहीं खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद एक आदमी ने मुझे बैठने के लिए एक चारपाई ला कर डाल दी और मैं उस पर बैठ गया। पंचायत में कुछ पंच थे जिनके मध्य सरपंच महोदय साफा लगाये हुए बैठे थे। प्रतिपत्नी सामने की ओर थे। गाँव के कुछ लोग दर्शक के रूप में भी मौजूद थे। एक किसान का खेत कट गया था; यही पंचायत का विचारणीय विषय था। खेत काटने वाले एक ठाकुर

साहब थे; जैसा मैंने सुना कि यह मुकदमा लगभग एक मास से चल रहा था। पंचायत देखने में एक छोटी-मोटी अदालत एक आँखों देखी के ही रूप में दिखाई देती थी। दोनों पक्षों के गवाहों पंचायत का वयान नियमानुसार लिखा जा रहा था। सरपञ्च महाशय बीच-बीच में सिर हिला दिया करते थे। कभी-कभी एक-आध सवाल भी कर दिया करते थे। उन्होंने अपनी मुखाकृति इतनी गम्भीर बना ली थी कि मानों हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हों। गवाहों से कौन-कौन से प्रश्न पूछे जा रहे थे और वे उनका क्या-क्या उत्तर दे रहे थे, यह मुझे स्मरण नहीं है। किन्तु यदि मैं उस समय उन प्रश्नों को लिख लिये होता तो वे विशेष मनोरंजन की सामग्री होते। उन प्रश्नों और गवाहों के उत्तरों से इतना तो स्पष्ट ही व्यक्त हो रहा था कि उनका अधिकांश वयान बनाया हुआ था। पंच लोग भी इस तथ्य को समझ रहे थे। मुझे अनुभव हुआ कि वे लोग यह भी समझ रहे थे कि मुकदमे की वास्तविकता क्या है। क्योंकि वे इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे थे जो एक अपरिचित मनुष्य पूछ ही नहीं सकता था। गवाहों के मध्य में कभी-कभी गवाहों और गाँव के एकाध व्यक्तियों में वादविवाद और झगड़ा भी हो जाता था, जिसे पंच लोग कोशिश करके रोकते जाते थे। इस प्रकार किसी तरह शाम तक मुकदमा समाप्त हुआ। पंच लोगों ने फैसला लिखा और सुना दिया। जिस किसान का खेत कट गया था वह अपना मामला साबित नहीं कर सका इसलिए मुकदमा खारिज कर दिया। साथ ही उसे चेतावनी दी गई कि भविष्य में ऐसा भूटा मुकदमा न दायर करे।

जिस स्थान पर पंचायत हो रही थी, वह सरपंच महाशय का था।

उस गाँव के लोगो से परिचय नहीं था इसलिए कचहरियों का मैंने पंचायत समाप्त होते ही वहाँ से चला जाना भद्दा अनुकरण चाहा। पंचायत की प्रणाली देख कर उसके प्रति कोई विशेष दिलचस्पी न उत्पन्न हो सकी क्योंकि

उसका सम्पूर्ण ढङ्ग आज-कल की कचहरियों के भद्दे अनुकरण का एक प्रतिरूप मात्र था। ग्रामीण पंचायतों का जो रूप पुस्तकों में पढ़ते हैं, उसका इससे किसी प्रकार का सादृश्य नहीं था। मुझे उठते देखकर सरपंच ने कहा कि “भला कुछ पानी तो पी लो, फिर जाओ।” देर होने के ब्रहाने मैंने चला जाना चाहा किन्तु मेरी न चली। विवश हो मुझे बैठ जाना पड़ा। सरपंच मुझे बैठा कर कहीं चला गया। उसके चले जाने पर मैं दूसरे पंचों से पंचायत के विषय में बात-चीत करने लगा। उनके द्वारा ज्ञात हुआ कि वह एक सरकारी पंचायत है जिसका निर्माण तहसीलदार के द्वारा होता है। गाँव के छोटे-छोटे ऋगडे, जैसे खेत काटना, मेड़ बांधना या खूँटा गाड़ना आदि इसमें विचाराथे उपस्थित होते हैं और निपटारा पाते हैं। थोड़ी देर में सरपंच आया और कुछ चबेना और रस मँगवाया। मैंने जलपान किया और उस गाँव से चल दिया।

उस पंचायत को देखने के पश्चात् मैं सोचने लगा कि जब गाँवों में एक पंचायत मौजूद ही है तो हमलोग क्यों दूसरी पंचायत स्थापित करने का प्रयत्न करें। इस के पहले जब मैं गाँवों में जाया करता था तो किसानों से पंचायत कायम करने के लिए कहा करता था। किन्तु अब तक कहीं भी किसी ने मुझे यह नहीं बताया था कि गाँवों में पंचायत पहले से ही मौजूद है। सरकारी पंचायत ऐक्ट के सम्बन्ध में मुझे कोई अभिज्ञता नहीं थी किन्तु यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि देहात में इन पंचायतों के वर्तमान रहते हुए भी देहात के किसान कभी इस बात की चर्चा मुझसे नहीं करते थे। मैं जब उनसे पंचायत कायम करने को कहता था तो वे लोग सर्वदा स्वीकृति दिया करते थे। दो-तीन गाँवों में मेरे कहने के अनुसार लोगों ने पंचायत बना भी ली थी। मैं उन पंचायतों के द्वारा गाँव में चर्खा चलवाने की कोशिश करता था। कालान्तर में ज्ञात हुआ कि जिन गाँवों में मेरी योजनानुसार पंचायतें बनी थीं, वे भी किसी न किसी

प्रकार की सरकारी पंचायत के अन्तर्गत थे ।

उस दिन मैं टांडा लौट आया और श्री जानकी प्रसाद जी से, जो वहाँ के एक कांग्रेस कार्यकर्ता थे, सरकारी पंचायतों के सम्बन्ध में पूछा । उन्होंने बताया कि पंचायत ऐक्ट तो पहले ही बन चुका था; किन्तु पहले सरकार ने गाँवों में इसे विशेष रूप से चलाया नहीं था । किन्तु जब १९२१ के आन्दोलन-काल में कांग्रेस की ओर से गाँव गाँव में पंचायतों का निर्माण होने लगा तो सरकार ने उक्त पंचायत ऐक्ट के अनुसार शीघ्रता के साथ गाँव गाँव में पंचायतें स्थापित कर दीं और उन्हें कुछ कानूनी अधिकार दिया । आन्दोलन के दबने के साथ-साथ कांग्रेस की पंचायतें समाप्त हो गईं और यही सरकारी पंचायतें शेष रह गईं । फिर तो मैं जहाँ कहीं भी जाता था इन पंचायतों के सम्बन्ध में पूछ-ताछ करता था । गाँव के किसानों और चमारों से बात-चीतकर यह जानना चाहता था कि इन पंचायतों के सम्बन्ध में इन लोगों के विचार क्या हैं ? निकट के गाँवों में जहाँ कहीं भी पंचायत की बात सुनता वहाँ अवश्य पहुँचने का प्रयत्न करता था । वहाँ जाकर उनकी कार्रवाई देखा करता था । थोड़े ही दिनों में मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि हम पंचायत के जिस रूप की कल्पना करते हैं, वह रूप इन पंचायतों को कभी मिल नहीं सकता । हर गाँव में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पुलिस थानेदार वगैरह से मिले रहते हैं और उन्हीं की सहायता से गाँव में अपनी धाक जमाये रखते हैं । भोले-भाले किसानों को बहका कर लूटना इनका काम होता है । इनके पास निजी जमींदारी होती है अथवा ये अन्य जमींदारों से मिले रहते हैं । इस प्रकार ये गाँव सर्वशक्तिमान समझे जाते हैं । गाँव के लोग इनसे सर्वदा डरते रहते हैं । यदि कोई इनके विरुद्ध जाने का प्रयत्न करे तो किसी न किसी ब्रहाने से उनकी दुर्गति करके ही विश्राम लेते हैं । हमारी सरकार को भी जब कभी किसी गाँव में कोई भद्दा काम करवाना होता है तो उस अवसर पर ये ही लोग उसके काम आते हैं ! पंचायत

ऐक्ट के अनुसार जब गाँवों में पंचायत स्थापित करने की बात चली तो तहसीलदारों ने इसी श्रेणी के लोगों को पंच सरकारी पंचायत मुकदमा किया। फल यह हुआ कि इन पंचायतों से गाँववालों को लाभ होने के स्थान पर नुकसान ही हुआ। जिन लोगों को पंच और सरपंच का पद दिया गया वे पहले से ही गाँव के गरीब निवासियों को सताने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे; वे अब कानूनी अधिकार पाकर और भी भयंकर बन गये। किसी से किसी के विरोध में मुकदमा खड़ा करा कर गरीब जनता को लूटना और सताना विल्कुल आसान हो गया। हमारी सरकार ने संसार को दिखाने के लिए तो पंचायत ऐक्ट पास किया, किन्तु जब इसका व्यावहारिक रूप गाँवों में आया तो इसके द्वारा देहात में फैले हुए लूट के दलालों को पुरस्कार के रूप में कानूनी अधिकार प्रदान किया गया जिससे इन एजेण्टों के द्वारा हिन्दुस्तान की जनता को सफलतापूर्वक दबा कर रखा जा सके। १९२१ ई० के किसान आन्दोलन के बाद सरकार को दमन-नीति में सहायता पहुँचाने के लिए ऐसे एजेण्टों की आवश्यकता भी थी, जिसमें वह पूर्णतः सफल रही।

पंचायत के तरीकों को देख कर मुझे अनुभव हुआ कि इनके द्वारा जनता में मुकदमेवाजी की आदत बढ़ गई है। छोटे-छोटे मामलों को लेकर लोग कचहरी नहीं जाते थे और आपस में लड़ मगड़ कर निश्चिन्त हो जाते थे किन्तु पंचायत के हो जाने से लोग उन्हीं छोटे-छोटे मगड़ों पर मुकदमा दायर करने लगे। फिर, जब एक बार मुकदमे का प्रारम्भ हो गया तो हारे हुए पक्ष को एक प्रकार की जिद सवार हो जाती है और वह क्रमशः ऊँची कचहरियों की ओर बढ़ने लगता है। इस प्रकार पंचायतों का नतीजा यह हुआ कि लोग अधिक संख्या में कचहरी जाने लगे और इससे सरकारी पक्ष में एक साथ दो प्रकार का लाभ होने लगा। प्रथम तो यह कि उसकी इच्छा के अनुसार घर-घर में फूट पैदा हो गई, दूसरे कचहरी की आमदनी में वृद्धि हुई।

कालान्तर में मैंने गाँव के किसानों से पूछा कि जब तुम्हारे यहाँ पंचायत पहले से मौजूद है तब इसकी चर्चा मुझसे क्यों नहीं करते थे ? मैं इतने अधिक समय से पंचायत-निर्माण का काम कर रहा हूँ अगर तुम लोग पहले सूचित कर देते तो इतना परिश्रम न करके उन्हीं पंचायतों से काम लेने का प्रयत्न करता । इस पर उन्होंने जो उत्तर दिये उन्हें मैं यथातथ्य नीचे लिखने का उद्योग कर रहा हूँ । उन्होंने कहा

“भूला-यह भी कोई पंचायत है । जैसे जमींदार थानेदार चौकीदार और सिपाही वैसे ही सरपंच और पंच ! ये लोग हमें क्या लाभ पहुंचा सकते हैं ? उलटे हम लोगों पर घोर अत्याचार करते हैं । आप तो गाँधी बाबा वाली पंचायत चलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि पंचायत गाँव गाँव चर्खा चलवाये । लेकिन यदि कहीं इस

‘ये भी क्या सरकारी पंचायत के पंच लोगों की चल जाय तो पंचायतें हैं ?’ जितने चर्खे चल रहे हैं उन्हें भी समाप्त करवा दें । उनकी हरी, बेगारी और वेदखली आदि से हम योही मरे जा रहे हैं । अगर हम लोगों में से कोई कलकत्ता या रंगून से कुछ रुपये कमा कर लाता है और चाहता है कि नजराना देकर कुछ खेत-बारी बढ़ा ले तो उसे भी हमारे इन पंच परमेश्वरों की गद्द-दृष्टि से मुक्ति नहीं मिलती । किसी न किसी तरह उन्हें सब कुछ मालूम हो जाता है और कोई न कोई जाल बिछाकर वे अधिकांश कमाई हड़प जाते हैं ।”

हाय ! भारत का वह पंचायती और स्वावलम्बी समाज कहाँ गया, जब गाँव का सारा प्रबन्ध ये पंचायतें ही करती थीं ? उनके स्थान पर प्रतिष्ठित आज की यह पंचायत वृष्टिश साम्राज्यवाद की ओर से शोषण का एक साधन-मात्र है जिसके कर्ता-धर्ता हमारे ही गाँव के बन्धु-बान्धव लोग हैं । हमें यह भी मालूम हुआ है कि इन पंचों के दलाल भी होते हैं जो गरीब मजदूर और किसानों की ही श्रेणी में रह कर अपने साथियों के हित् बन कर उन्हें फाँस-फूस कर इन साम्राज्य-

चादी एजेण्टों के चंगुल में ले जाते हैं। जो लोग बड़े-बड़े आन्दोलनों की बात सोचते हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि राष्ट्रीय चरित्र की बुनियाद सड़ गई है और जब तक हम इसे ठीक न कर लें तब तक हम ऐसी सड़ी सामग्री के सहारे कौन सा आन्दोलन और कौन सी क्रान्ति कर सकते हैं। ऐसी भयावह स्थिति में गाँव के अन्दर बैठकर केवल रचनात्मक कार्य किया जा सकता है और इस प्रकार राष्ट्रीय जीवन की बुनियाद को सुदृढ़ बनाया जा सकता है तथा देहाती जनता के चरित्र का संवर्धन किया जा सकता है। हमारे देश के बड़े-बड़े राजनैतिक नेता गाँधीजी की इस सीधी सी बात को कब समझेंगे ? *

तुम तो बहुत से प्रान्तों के देहात में जाती हो, इसलिए देख ही लिया होगा कि देहात में काम करने वाले कितने कम हैं ?

पानी बन्द हो गया। अब त्रैरेक से बाहर निकलना है, अतः पत्र यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार।

[१४]

समस्या की जड़

५—८—४१

पहले ही लिख चुका हूँ कि जिन दिनों मैं देहात में घूम रहा था, मार्च का महीना था। धीरे-धीरे अप्रैल भी आ गया। उस प्रान्त में लू भी खूब चलती है। अतः दोपहर के समय घूमना कठिन हो गया। मुझे दोपहर के समय लोगों के घरों में ठहरना पड़ता था। लू के बचाव के लिए किसान मुझे अपने घरों के भीतर ठहराते थे। इस प्रकार उनके घरों में टिकने से भलीभांति विदित हो गया कि किसानों के मकान उनके रहने के लिए नितान्त अपर्याप्त हैं। जिस घर में दो तीन भाइयों का परिवार एक साथ रहता है, उस घर के लोगों को यह कठिन हो जाता है कि वे अत्यल्प समय के लिए भी निजी (प्राइवेट) जीवन की रक्षा कर सकें।

*आजाद भारत में भी जो सरकारी पंचायतें बन रही हैं वे भी कुछ इसी तरह की मालूम पड़ती हैं।

इतने पर भी जिन लोगों में पर्दे का रिवाज है, उनके लिए तो जीवन ही भार-तुल्य हो जाता है। मैंने देखा कि उन लोगों के कपड़े और विछौने आदि इतने गन्दे होते हैं कि उनमें दूर से ही बदबू आती है। उन लोगों से यदि कभी सफाई की बात करता था तो वे अपने पास अधिक कपड़े न होने के कारण विवशता प्रकट करते थे। सदियों से साधन-विहीन रहने के कारण ये लोग गन्दगी के अभ्यस्त हो गये हैं। बेकारी के कारण इनकी प्रकृति में सुस्ती और काहिली ने अपना घर बना लिया है। इसीलिए इनकी स्वच्छता-पूर्वक रहने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो गई है। उनके बारे में शहर के कितने ही सज्जन, जिनमें बहुत से राष्ट्रीय कार्यकर्ता भी सम्मिलित हैं, मुझसे नाक-भौं-सिकोड़ कर कहा करते हैं कि देहातियों से किसी प्रकार की आशा करना बेकार है और इनके मध्य में जाकर बैठना तो सरासर बेवकूफी है। मैं जब उसका कारण गरीबी और विवशता बताता हूँ तो कुछ नाराज होकर कहते हैं—“हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि वे सभी के सभी साधन-विहीन हैं, उनमें से बहुतों के पास साधन हो सकता है। वे इतने गरीब नहीं हैं कि कपड़े न धुला सकें और रजाई न बदल सकें।” ऐसा कहने वाले सज्जन यह भूल जाते हैं कि देहात में ऐसे लोग बहुत थोड़े होते हैं जिनके पास साधन मौजूद होता है। अधिकांश लोग नितान्त साधन-हीन और दरिद्र ही हैं। बचपन से उनका जीवन दरिद्रता के वायुमण्डल में व्यतीत होता है, इसलिए उसी वायुमण्डल के अनुसार उनका स्वभाव भी बन जाता है। इसमें उनका कोई विशेष अपराध नहीं है। अतः सब बुराइयों की जड़ उनकी गरीबी है यदि देहात के लोगों को सफाई का पाठ पढ़ाना है तो सबसे पहले उनके लिए आर्थिक सहूलियतों का प्रबन्ध करना होगा। जब तक उनमें अपने जीवन से दिलचस्पी न लाई जाय, तब तक वे हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे सकते। सबसे पहले उनको यह

गाँव के लोगों को दवा पीने से इनकार करते हुए तथा इस प्रकार निश्चिन्त भाव से बैठे हुए देख कर प्रारम्भ में मुझे कुछ कुछ बुरा-सा प्रतीत हुआ किन्तु फिर विचार करने लगा कि ये लोग इतने गरीब और इतने साधनहीन हैं कि 'भवानी साई का प्रकोप' और 'तकदीर' इत्यादि कह कर सन्तोष कर लेते हैं। इनके लिए यह भी एक प्रकार से अच्छा ही है। क्योंकि यदि इन्हें विश्वास होता कि दवा से ही रोगी अच्छा हो सकता है, तो वे इधर-उधर भटकते, दवा की कोशिश करते किन्तु कहीं प्रबन्ध न होने के कारण निराश हो जाते और कुछ कर न सकने के कारण स्वयं को धिक्कारते। ऐसी अवस्था में उन्हें प्रायः उन्माद सा हो जाता।

मैं पहले ही लिख चुका हूँ कि अवध के ग्रामीणों की गरीबी गरीबों की अवस्था से गुजर कर बेहोशी की स्थिति में पहुँच गई है। इसलिए लोग अपने को विवश जानते हुए भी उससे मुक्ति पाने के लिए किसी प्रकार की क्रान्ति या विद्रोह नहीं करते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब कभी अकस्मात् महामारी का प्रकोप होता है, तो इनके लिए 'भवानी का प्रकोप' रूपी मनोवृत्ति ही एक मात्र सान्त्वना है। आर्थिक सुधार की जो लोग इस प्रकार की मनोवृत्ति को कुसंस्कार कह आवश्यकता कर इन पर व्यंग करते हैं, उनको चाहिए कि इनके कुसंस्कारों के प्रति इन्हें उपदेश देने की अपेक्षा इनकी आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयत्न करें। वे देखेंगे कि आर्थिक सुधार के साथ-साथ उनकी कूप-मंडूक मनोवृत्ति क्रमशः दूर होती जायगी। मेरा अनुभव है कि देहात में जिनकी आर्थिक स्थिति जितनी ही खराब है, उतने ही अधिक वे कुसंस्कारों के शिकार हैं।

तीन-चार दिन इधर-उधर घूमने के पश्चात् मुझे महसूस होने लगा कि इस अथाह महासागर में मैं एक वूँद कैम्फर लेकर कर ही क्या सकता हूँ? दवा भी लगभग समाप्त हो चुकी थी। गाँव के लोग भी मुझसे बार बार टाँडा वापस चले जाने का आग्रह कर

रहे थे । अतः एक कुर्मी के घर में खाना खाकर कुछ देर आराम करने के पश्चात् टाँडा वापस चला आया । धूप के कारण टाँडा पहुंचते पहुंचते विलकुल थक गया और मकान पर पहुंच कर सो गया । शाम को तीन चार मित्र मुझसे मिलने आये । मैं उनसे बात करने लगा और साथ ही शर्वत बनाकर उन लोगों को पिलाया और स्वयं भी पिया । अंधेरा हो जाने पर वे लोग अपने-अपने घर चले गये । मैं लालटेन जलाकर आँगन में आ बैठा । काफी थक गया था, खाना बनाने की बात सोच रहा था किन्तु कुछ आलस्य

स्वयं हैजे के आ रहा था । आलस्य तोड़ कर उठना ही चाहता चंगुल में था कि अकस्मात् पाखाने की हाजत महसूस हुई ।

मैं टट्टी गया किन्तु वहाँ से लौटने के पांच ही मिनट बाद फिर टट्टी लगी, इस तरह दो-तीन बार टट्टी जाने के बाद मेरे सिर में चक्कर आने लगे और हाथ-पैर कमजोर होने लगे । अब मुझमें इतनी भी शक्ति नहीं रह गई कि उठ कर कहीं बाहर जा सकूँ । पास-पड़ोस में कोई था भी नहीं जिसको सहायता के लिए बुलाऊँ । फिर मैं चारपाई पर के विछौने हटा कर उसे नाली के पास ले जाकर उसी पर लेट गया । कैम्फर की बोतल की ओर देखा तो वह भी खाली थी ।

अन्ततः परमात्मा के ही भरोसे लेट गया और उसी चारपाई पर से ही टट्टी करता रहा । टट्टी के साथ-साथ कै भी शुरू हो गई थी । मैं कुछ घबड़ा गया किन्तु करता ही क्या ? सोचा, चलो भवानी के भरोसे पड़े रहो ।

संयोग से रात की गाड़ी से ६—१० बजे के लगभग देवनन्दन भाई आ गये । मुझे ऐसी स्थिति में देखकर बहुत घबराये और कुछ हँसासे से हो गये । कहने लगे कि भाई धीरेन, अब क्या होगा ? मैंने उन्हें सान्त्वना देते हुए जवाब दिया, इस समय यह सोचने का अवसर नहीं है, तुम जल्दी से जाकर जानकी प्रसाद के यहाँ से कैम्फर की बोतल ले आओ । जानकी प्रसाद जी का घर आश्रम से ५ मिनट

का रास्ता था, देवनन्दन सिंह चले गये और शीघ्र ही दवा लेकर लौट आये। कैम्पार तो नहीं मिला किन्तु कोई दूसरी दवा लाकर पिलाई। जानकी प्रसाद जी मेरी वैसी अवस्था सुन कर मेरे पास न आकर साँवे डाक्टर के पास चले गये। इसी बीच मेरा हाथ-पाँव एँठने लगा और क्रमशः मैं बेहोश हो गया। डाक्टर आये, मेरी दवा-दारू हुई किन्तु मुझे कुछ भी पता नहीं चला। जब मैं होश में आया तो मेरा कै-दस्त बन्द हो चुका था और मैं वरामदे में एक दूसरी चारपाई पर लिटाया जा चुका था। इस आकस्मिक बीमारी ने मुझे विल्कुल कमजोर बना दिया। पंद्रह-तीस दिन के बाद कहीं अकबरपुर जाने के लायक हुआ। अकबरपुर के लोग मुझे टाँडा से बुला ले गये। पन्द्रह-तीस दिन वहाँ रहने के पश्चात् जब मुझ में कुछ शक्ति आई तो मैं रेल-द्वारा घर चला गया। लगभग दो माह घर रहना पड़ा जिसमें गाँव और वहाँ के लोगों से कोई सम्बन्ध नहीं रह सका।

पत्र समाप्त ही कर रहा था कि तुम्हारा पत्र आ पहुँचा। पत्र बहुत देर से मिला है। जेल में पत्रों के आदान-प्रदान की व्यवस्था बहुत दोषपूर्ण है। हमारे एक साथी का तार ७ दिन में मिला था। तुमने शिक्षा-सम्बन्धी जो किताब भेजने को लिखा है उसे शीघ्र भेज देना। यहाँ मौका है, पढ़ डालूँगा। बाद को समय मिलना कठिन होगा। मैं अच्छी तरह हूँ। सात पौण्ड वजन बढ़ा है। प्रभाकर भाई, कृष्णादास भाई और सबका नमस्कार पहुँचाना। नमस्कार।

[१५]

दूसरी समस्याएँ

८—८—४१

बीमारी के पश्चात् मैं अपने भाई के पास शिमला चला गया।

उस वर्ष सुलेखा और सुचेता* एस्ट्रॉस का इम्तहान देकर भाई साहब के ही पास शिमला गई हुई थीं। अतः वे भी मुझ को साथी मिल गईं। हम तीनों भाई-बहिन जंगलों में खूब घूमा करते थे। मैं उन्हें देश और गांव के विषय में कुछ बातें बताया करता था। इस प्रकार लगभग डेढ़ माह आनन्द-पूर्वक समय बिताने से मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया और मैं अकबरपुर लौट आया। टांडा का चार्ज दूसरे भाइयों ने ले लिया था और अब मेरे लिए कोई खास जिम्मेदारी का काम नहीं रह गया था। फिर भी मुझे एक ऐसा काम दे दिया गया जिससे मुझे देहात में जाने का पूरा अवसर मिलने लगा।

मैं जिस समय देहात में चर्खे का प्रचार करता था, उस समय उसके आर्थिक पहलुओं पर भी काफी विचार करता था। फैजाबाद जिले में रुई नहीं पैदा होती। मैं सवाई और ड्योढ़े के हिसाब पर सूत बदलता था, हिसाब लगाने पर मुझे ज्ञात हुआ कि इस तरह कात कर देहात के लोग अपना कपड़ा नहीं बना सकेंगे। क्योंकि कपड़ा बगैरह निकाल कर उनको इतनी कम बचत होती थी कि मेरे लाख हिसाब लगाने पर भी उस बचत से उनके सम्पूर्ण परिवार को कपड़ा मिलना किसी तरह सम्भव नहीं होता था। इस विषय पर मैं राजाराम भाई से भी आलोचना प्रत्यालोचना किया करता था।

राजाराम भाई भी जब चर्खे पर आर्थिक दृष्टि से विचार करते तो वह भी उसी परिणाम पर पहुँचाते थे। किन्तु विवाद करते समय वह इस बात पर विशेष जोर देते थे कि हमारी देहात में इससे अवश्य लाभ होता है। उनका घर सहारनपुर जिले में है और उधर के किसान अपने खेत की ही रुई से सूत कात कर बेचते हैं जिस से उन्हें लाभ होता है। वे प्राचीन काल से चर्खा कातते चले आ रहे हैं। यदि वे अपनी रुई व्यापारियों के हाथ बेचते हैं तो बड़ी मंडियों की अपेक्षा

*यही सुचेता देवी अब देश के प्रसिद्ध जननायक और वर्तमान (१९४७) राष्ट्रपति आचार्य कृपलानी की पत्नी हैं। संपादक।

उन्हें सस्ते दामों में बेचनी पड़ती है। इसलिए रुई की खेती बिना सूत कात कर बेचने में उन्हें बड़े लाभ रहता है।

चर्खा पंगु है किन्तु अकबरपुर की अवस्था इसके प्रतिकूल थी। यहां बड़ी मंडियों से मँहगी रुई खरीद कर किसानों को दी जाती थी। जिससे वह उन्हें और भी मँहगी पड़ती थी। इस प्रकार सहारनपुर के किसानों के समान अकबरपुर के किसानों की वचत होनी असम्भव थी। इसके अतिरिक्त किसान जो वस्तुएँ घर पर पैदा कर लेते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं समझते। घर की रुई कात कर कपड़ा बनवा लेने में उन्हें सम्पूर्ण मुनाफा ही मालूम होता है। घर की रुई से जितना भी सूत काता जाय सबका कपड़ा बनवा कर प्रयोग किया जा सकता है, किन्तु जो किसान रुई खरीद कर कातते हैं, उन्हें तो अपनी कताई से रुई का दाम भी चुकाना पड़ता है।

अतः फैजाबाद के किसानों को वचत की रुई से सूत कात कर कपड़ा पूरा करना असम्भव ही था। इस प्रकार के वाद-विवाद और चिन्तन करने से मुझे अनुभव हुआ कि फैजाबादी किसान जब तक रुई की खेती स्वयं नहीं करेंगे, तब तक चर्खे की समस्या हल होना कठिन ही है। इसलिए टाँडा में रहते समय गाँव वालों से रुई बाने के लिए कहता था। उन्हें यह समझाने में विशेष कठिनाई नहीं पड़ती थी कि घर की रुई होने पर उनकी कपड़े की समस्या हल हो जायगी। अर्थात् इसका प्रचार प्रारम्भ ही किया था कि मैं बीमार पड़ गया और टाँडा में पड़ा रहा। इस समय देवनन्दन भाई मेरी देख-भाल करने तथा मेरा कार्य सँभालने के लिए रुके रहे। मैंने उन्हें कपास बाने की आवश्यकता समझाई और कहा कि आप यह प्रचार जारी रखें। वे टाँडा के इलाके में पहले ही से काफी मशहूर हो चुके थे। सन् १९२१ के आन्दोलन से ही सम्पूर्ण तहसील के लोग उन्हें 'बाबा देवनन्दन' कह कर सम्बोधित करते थे। उनका व्याख्यान सुनने के लिए सभी किसान इकट्ठे हो जाया करते थे। उन्हीं दिनों वे आन्दोलन में काम

करते हुए जेल भी हो आये थे। वहाँ के लोग उनके विषय में मुझसे पूछा करते थे। इसलिए उनके प्रचार का बहुत प्रभाव पड़ा और बहुत से लोग रूई बोनो के लिए तैयार हो गये।

मैं घर जाते समय देवनन्दन भाई से कह गया कि वे इसका अनुमान कर लें कि कितने लोग कपास बोनो को तैयार हैं और उसी के अनुसार कपास के बीज खरीद लें। मेरे कहे मुताबिक उन्होंने मेरे अवकाश-काल में ही, जब मैं शिमला में रह रहा था, सारा हिसाब लगा लिया था और लगभग ११ बोरे कपास के बीज खरीद लिये थे। किन्तु उनके इस हिसाब में गलती थी। ११ बोरे बीज बहुत अधिक थे। इस सम्पूर्ण बीज की खपत उस क्षेत्र में नहीं हो सकती थी। जिस समय मैं शिमला से लौटा, बहुत थोड़े बीज किसानों में बाँटे जा सके थे। आश्रम के लोग मुझसे कहने लगे कि यह तूफान आपही का उठाया हुआ है, इसलिए सम्पूर्ण बीज के बुझाने का उत्तरदायित्व आप ही पर है। बीज वास्तव में बहुत अधिक थे और बगैर तूफानी कोशिश के उनकी खपत का कोई चारा नहीं था। इस बीज के बाँटने के सिलसिले में मुझे काफी दूर तक जाना पड़ा। मैंने स्थान-स्थान पर बीज का स्टॉक रखवा दिया और एक बार निकलने पर दस-तीस दिन तक वापस नहीं आता था। विनौला बोझाने के सिलसिले में एक खास बात दिखाई पड़ी। वह यह कि हमारे यहां के किसान खेती के कार्य में किसी प्रकार की कोई नई बात करने के लिए नहीं तैयार होते हैं। देहात में मेरे अधिक परिचय के कारण लोगों ने एक कट्टा या दो कट्टा के लिए बीज तो अवश्य खरीद लिया किन्तु उनमें से अधिकतर लोगों ने उसे नहीं ही बोया! जिन लोगों ने बोया भी उन्होंने उसे दूसरे अनाजों के साथ मिला कर बोया। इन बातों का अनुभव तुम लोगों को सेवाग्राम की तरफ भी होता होगा।

विनौला बाँटने के सम्बन्ध में मैं टाँडा के पूरब काफी दूर तक चला गया और इस प्रकार मुझे बिड़हर परगना में घूमने का काफी

मौका मिला। इस से पहले मैं विड़हर में कभी नहीं खेती के लिए आया था। उस क्षेत्र में अधिकतर क्षत्रियों के ही विनौले का प्रचार गांव देखने को मिलते थे। ये लोग साधारणतया अच्छी स्थिति में मालूम होते थे और हमारे काम से विल्कुल घृणा करते थे। परगने के पूर्वी भागों में घूमने से मुझे एक नया अनुभव हुआ। मैं पहले लिख चुका हूँ कि हँसवर और टांडा के देहात में भी ब्राह्मण और क्षत्रिय मेरे काम से इतनी नफरत करते थे कि मुझसे बात करना भी अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन इधर के लोगों में कुछ शहरी सभ्यता अवश्य दिखाई देती थी। शहरी सभ्यता का अर्थ यह कि दिल में तो ये लोग काफी घृणा रखते थे और ऊपर से खूब चिकनी-चुपड़ी बातें करते थे। मुझसे इनकार नहीं करते थे; दरवाजे पर जाने से बात भी करते थे और बीज भी खरीद लेते थे, किन्तु मुझे रात को टिकाने में सभी घवराते थे। यद्यपि लोगों की ऊपरी बात-चीत काफी अच्छी होती थी किन्तु चार-पाँच दिनों में मुझे मालूम हो गया कि ये लोग चर्खा और हमारे आन्दोलन से काफी नफरत करते हैं। कितने ही व्यक्ति तो मुझसे साफ-साफ कहते थे कि कांग्रेस और गांधी बाबा तो छोटे लोगों को सिर पर चढ़ा रहे हैं और सारी समाज-शृंखला को चौपट कर रहे हैं। यहां के लोगों में छोटे लोगों के प्रति उतनी ही घृणा का भाव देखने में आया, जितना शहर के पढ़े-लिखे मध्यम श्रेणी के लोगों में, यहां के ठाकुर छोटी जाति के लोगों के साथ सीधे बात भी नहीं करते थे। इस प्रकार की भावना मुझे अन्य स्थानों में भी देखने को मिली थी किन्तु इतनी अधिक मात्रा में नहीं। इस प्रकार की मनोवृत्तियों को देख कर मुझे यह अनुभव हुआ कि चाहे गांव की मध्यम श्रेणी के लोग हों चाहे शहर के, जिनमें भी पाश्चात्य ढंग की ऊपरी चिकनाहटपूर्ण सभ्यता की भावना जितनी अधिक मात्रा में आई है उनके हृदय से मनुष्यता की भावना उतनी ही अधिक मात्रा

में कम हो गई है। उनके विचार से जो लोग उनकी अपनी श्रेणी के हैं, उनके साथ तो वे अत्यधिक और अप्राकृतिक रूप से मृदु व्यवहार करेंगे, किन्तु जिन्हें वे छोटा समझते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कि मानों उन्हें मनुष्य ही नहीं समझते। यहाँ के ठाकुर मेरे साथ जिस प्रकार अच्छा व्यवहार करते थे उसी अनुपात से छोटों के प्रति नफरत और अत्याचार का व्यवहार करते थे ! शायद तुम सोचती होगी कि १७ साल बाद अब अवस्था कुछ सुधरी होगी किन्तु अब भी वैसा नहीं हुआ है। इधर १९३८-३९ में जब मैं बिड़हर गया तो देखा कि छोटी जातियों के प्रति लोग ठीक उसी तरह से घृणा और अत्याचार का व्यवहार करते हैं। वहाँ के जो लोग कांग्रेस में शामिल हैं वे भी इससे बरी नहीं हैं। उस समय मैं यह सब देखता था और सोचता था कि भारत के वे पुराने दिन कब लौट आयेंगे जब हिन्दुस्तान में गरीब से गरीब लड़के राजाओं के लड़कों के साथ गुरु-गृह में अपने हाथ से गौवों की सेवा करते थे और घास छीला करते थे, जब गाँव के हर छोटे-बड़े एक दूसरे से आदर और सम्मान का व्यवहार करते थे। पश्चिमी भेद-भाव की भावना ने ही तो आज श्रेणी-संघर्ष का रूप ले लिया है।

मैं बीज बुझाने के सम्बन्ध में बात करते-करते कहाँ चला गया। तुम सोचोगे इन सब बातों का सम्बन्ध बीज बुझाने से क्या है ? किन्तु उस बुझाई के प्रयत्न में मेरे हृदय में जो जो भावनाएँ उठती थीं अगर उन्हें नहीं लिखता तो सम्भवतः वह भी ठीक न होता। इस प्रकार के सतत प्रयत्न से करीब-करीब सभी विनौले समाप्त कर डाले थे। इस काल में मुझे जो दो-एक बातें देखने को मिली थीं, उन्हें भी कह देना बुरा न होगा। इससे देहात के उस समय के समाज के सम्बन्ध में थोड़ी सी जानकारी मिल जायगी। मैं ग्राम तौर से जहाँ-गीरगंज तक के ही देहात में विनौले का प्रचार कर रहा था, क्योंकि वहीं तक आश्रम के सूत का केन्द्र था, उसके पूर्व की ओर कोई केन्द्र

न होने के कारण उधर जाना बेकार समझा। एक दिन विनौला लेकर मोटर से जहांगीरगंज जा रहा था, उसी मोटर में एक जमींदार के लड़के, जो युनिवर्सिटी में शिक्षा पा रहे थे, मिले। मोटर में ही मेरा उनसे परिचय हो गया। उन्होंने मुझे अपने गाँव कम्हरिया विनौला ले चलने को कहा। कम्हरिया जहांगीरगंज से ८ मील की दूरी पर है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे अपने आस-पास में काफी विनौला बँचवा देने का प्रयत्न करेंगे। पूरब जाने में मुझे जो पहला गाँव मिला वह काफी अच्छा मालूम होता था। उस गाँव में एक अच्छा-सा मकान दिखाई दिया। मैंने समझा कि यह मुखिया का मकान होगा, (जब से मैं विड़हर में घूमने लगा था, ज्यादातर मुखिया के ही घर जाता था और वहाँ से दूसरे स्थान को चला जाता था।) यह सोच कर उसके वरामदे में जो तख्त बिछा हुआ था उस पर जाकर बैठ गया। लगभग आध घण्टा बैठने के पश्चात् भीतर से एक स्त्री निकली। उसकी वेश-भूषा और कपड़ा आदि के देखने से मालूम हुआ कि मैं किसी भले घर में आया हूँ। मैंने उससे पूछा कि यह मुखिया का घर है क्या? एक अनजान आदमी को इस तरह से बैठे हुए देख कर उसे कुछ आश्चर्य सा हुआ किन्तु मेरे प्रश्न करने पर वह दरवाजे के पास नीचे बैठ गई और पूछने लगी कि आप मुखिया का घर क्यों तलाश कर रहे हैं? मैंने अपना उद्देश्य उससे कह सुनाया। इस पर उसने उत्तर दिया कि आप को परीशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सम्पूर्ण प्रबन्ध कर दूँगी। इतना कहने के बाद वह कहीं बाहर चली गई और थोड़ी देर में लौट आई। एक आदमी मेरे लिए हाथ-पैर धोने का पानी लाया। मैं थका हुआ तो था ही, हाथ-पैर धोकर निश्चिन्त होकर बैठा और उस स्त्री के दिये हुए चबैने और रस का सदुपयोग करने लगा। मेरे रस पी चुकने के बाद वह स्त्री वहाँ बैठ गई और गाँधी बाबा तथा अन्य दुनिया भर की तमाम बातें करने लगी। लगभग घंटा-डेढ़ घंटा पश्चात् गाँव के बहुत से लोग वहाँ इकट्ठा हो गये और उस स्त्री ने

उनसे मेरे आने का उद्देश्य बताया और कहा कि सबको चाहिए कि थोड़ा-थोड़ा विनौला लेकर अपने खेत में बोयें। मैंने भी उन्हें, चर्खा चलाने के फायदे, गाँधी जी के उपदेश तथा रुई बोन के काम आदि बातें समझाईं। सब लोग थोड़ा-थोड़ा विनौला लेकर चले गये किन्तु दो-एक आदमी वहाँ रह गये। शाम भी हो रही थी, मैं सोच रहा था कि अब क्या करूँ ? उस घर में टिकना तो मुश्किल था क्योंकि वहाँ एक स्त्री और सिर्फ एक छोटी-सी लड़की ही रहती थी। उस समय किसी अन्य गाँव को चलना भी असम्भव ही सा लग रहा था। मैं इस प्रकार द्विविधा की परिस्थिति में पड़ा हुआ था कि इतने में ही एक मुसलमान, जो काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे और शहरी ढङ्ग के मालूम होते थे, वहाँ आ पहुँचे। उन्हें देखते ही वह स्त्री कह उठी “आओ, जिलेदार साहब आओ” और अत्यन्त घनिष्टता के साथ

मुस्कराते हुए बोली कि “लेओ आज हमारे घर में चरित्रहीना के पाहुन आएगा, आज तुहरे सब कै नाहीं चली।”

घर में

उस स्त्री की बात-चीत करने के ढंग से मुझे एकदम सन्देह हो गया कि कहीं मैं किसी बुरे स्वभाव वाली

स्त्री के घर में तो नहीं आ गया ? मैं बड़ी धवराहट में पड़ गया और फौरन ही वहाँ से चल देने की सोची किन्तु थोड़ी ही देर में अपने को सम्हाल लिया और सोचा कि मुझे गाँव के विषय में अध्ययन तो करना ही है फिर यह नया अनुभव क्यों छोड़ दें ? अतः निश्चिन्त होकर बैठ रहा। उस स्त्री ने जिलेदार से मेरा परिचय कराया और मुझसे तथा जिलेदार से बातें होने लगीं। वह स्त्री अन्दर चली गई। जिलेदार भी उसी तख्त पर बैठा हुआ था जिस पर मैं। वह विनौले निकाल-निकाल कर देखने लगा और मुझसे उनके बोन के नियम पूछने लगा। थोड़ी देर में एक आदमी दो-तीन चारपाइयाँ लाकर रख गया और पाँच-सात आदमी आकर इन चारपाइयों पर बैठ गये और जिलेदार बात-चीत करने लगे। कभी-कभी वे लोग मुझसे भी

एकाध बात कर लिया करते थे। इस प्रकार हम सभी लोग उस संध्या-काल में बात-चीत में समय काटने लगे। थोड़ी देर बाद वह स्त्री भी आकर इस वार्तालाप में शामिल हो गई। अब सब की बात-चीत के ढङ्ग से मुझको उस स्त्री के चरित्रहीन होने में रंच-मात्र भी सन्देह नहीं रह गया। थोड़ी देर बाद सब लोग उठ पड़े और चलने के लिए तैयार हो गये। जिलेदार भी उठ पड़ा और सवेरे आने का वादा करके चला गया। जिलेदार के चले जाने पर मैं यह सोचने लगा कि रात कहाँ बिताऊँ ? अँधेरा काफी हो चुका था, दूसरी जगह जाना मुश्किल था इसलिए मैंने उसी तख्त पर पड़े रह कर रात काटने का निश्चय कर लिया। उस स्त्री ने मुझसे पूछा कि आप क्या खाना बनावेंगे ? आप जैसा कहें मैं वैसा प्रबन्ध कर दूँ। उस समय उस स्त्री की बात-चीत से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह यह समझ गई है कि मैंने उसकी बातें जान ली हैं। क्योंकि अब वह मुझसे बातें करने में कुछ झिझकती थी और ध्वरा सी जाती थी। मैंने उसे उत्तर दिया कि आखिर तुम्हें भी तो कुछ बनाना-खाना है, उसी में से थोड़ा हमें भी दे देना। मैं अलग बनाने की झंझट क्यों करूँ ? मेरी इस बात से उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और थोड़ी देर के लिए उसकी जवान बन्द हो गई। फिर वह बहुत हिचक के साथ बोली—“भइया हमार छुआ खाये माँ कोई हरज तो न होइना ? अगर कौनो हरज होय त इंतजाम होय सकत है।” मैंने उससे कहा—“भाई, मनई मनई कै बनावा खाई तो वहमां हरज का होई ?” फिर वह अन्दर चली गई और मैं उसी तख्त पर लेट गया। दो घंटे के बाद उस स्त्री ने मुझे बहुत प्रेम से खाना खिलाया। अब तक उसकी झिझक भी मिट गई थी और वह खाना परोसते समय गांधी बाबा की बात बहुत श्रद्धा के साथ पूछ रही थी। उसके खाना खिलाने नारी का वही के ढंग में मुझे वही भावना दिखाई दी जो हर जगह सनातन मानृत्व दिखाई देती है। यह है भारतवर्ष का नारी-हृदय,

जो मातृत्व की भावना से भरपूर रहता है। भारत की स्त्री के हृदय में प्रेम और श्रद्धा की जो भावना होती है, फिर चाहे वह किसी धर्म, किसी जाति और किसी श्रेणी की हो, वह शायद संसार के किसी अन्य देश की स्त्री में नहीं होगी। एक स्त्री जो खुले आम अपनी चरित्रहीनता का परिचय देती है, उसके हृदय में भी इतना प्रेम और श्रद्धा मौजूद है कि उसका अनुभव कर अवाक् हो जाना पड़ता है। किन्तु हमने स्त्री जाति को पिछड़े रहने के लिए कितना विवश कर रक्खा है। अगर समाज में इनको अपना उचित स्थान प्राप्त हो जाय तो हमें जीवन की लड़ाई में इतनी परीशानी न उठानी पड़े।

प्रातःकाल में उठ कर शीघ्रता से चला जाना चाहता था किन्तु उस स्त्री ने मुझको रोका और कहा कि 'बिना जलपान किये मैं नहीं जाने दूँगी।' इसलिए मुझे वहीं बैठ जाना पड़ा। थोड़ी देर में जिलेदार भी वहाँ आ पहुँचा। उसने मेरा वचा हुआ सम्पूर्ण बिनौला खरीद लिया और कहा—“लाओ, मैं भी अपने वहाँ बुवा दूँगा।”

पानी पीकर मैं उस गाँव से चल दिया और जहाँगीरगंज की ओर वापस आने लगा। उस स्थान से जहाँगीरगंज प्रायः १० मील दूर था इसलिए मुझे रास्ते में काफी समय लगा। मार्ग चलते-चलते मैं उस स्त्री के विषय में सोचने लगा। ऐसी स्त्रियाँ मैंने पहले कभी नहीं देखी थीं। उसका घर और उसके रहने की शैली बाजारू स्त्रियों की तरह नहीं प्रतीत होती थी किन्तु फिर भी जिस ढंग से श्रीमान् लोग उसके वहाँ एकत्र होते और उसके साथ जिस प्रकार का व्यवहार करते उससे स्पष्ट दीख पड़ता था कि उस स्त्री की चरित्रहीनता विल्कुल खुली चीज है। इस घटना के पश्चात् मैं जहाँ कहीं भी गया, इस घटना के सम्बन्ध में पूछ-ताछ करता रहा। लोगों ने बताया कि इधर के गाँवों में इस प्रकार की स्त्रियाँ अधिक हैं जो प्रायः विधवाएँ होती हैं। अधिकांश उच्च घराने की होती हैं; इनके पास जीवन-यापन के लिए कुछ भूमि होती है; ये अपने घरों में स्वतंत्र रूप से रहती हैं;

इनका स्वतंत्र रहना ही इनके विगड़ने का कारण होता है; गाँव के लोग इनके अकेलेपन का लाभ उठा कर इनसे दोस्ती का सिलसिला कायम करते हैं और इनका जीवन बरबाद करते हैं। मुझे यह भी विदित हुआ कि गाँव के अच्छे कहे जाने वाले व्यक्ति ही इनसे विशेष सम्बन्ध रखते हैं।

इस कथा से इतना तो स्पष्ट ही हो गया कि उस समय का समाज इस किस्म की सामाजिक दुर्नीति से परिपूर्ण था। आजकल इस दिशा में कुछ सुधार अवश्य हुआ है क्योंकि उस समय ऐसी स्त्रियों के घर पर आना-जाना और उठना-बैठना समाज के लोग बुरी निगाह से नहीं देखते थे, किन्तु आज कल इस प्रकार के लोगों के प्रति काफी विरोध प्रकट किया जाता है। यद्यपि आज भी समाज में इन बुराइयों से सर्वथा मुक्त हुए लोगों की संख्या बहुत कम है। मैंने इस प्रकार के लोगों को भी देखा है जो स्वयं इन बुराइयों में अनुरक्त रहते हैं किन्तु इसी कोटि के दूसरे व्यक्ति को काफी भला-बुरा कहते हैं। फिर भी इतना तो स्पष्ट ही है कि समाज को यह अनुभव होने लगा है कि यह कार्य विल्कुल नीति-विरुद्ध है। आज-कल के ग्राम-सुधारक के सामने इस बुराई को दूर करने का भी एक अत्यन्त आवश्यक कार्य है।

उस दिन मैं जहाँगीरगंज से अकबरपुर लौट आया। इधर विनौला भी लगभग समाप्त हो चुका था, जो बच भी गया था उसे चोने का अक्सर नहीं रह गया था। इसलिए मैं अकबरपुर में ही रहने लगा। आज का पत्र बहुत लम्बा हो गया। इसके पश्चात् मेरा गाँवों में आना जाना भी बन्द हो गया, अब उनके सम्बन्ध में मुझे कुछ लिखना भी नहीं रह गया। अतएव अब अपनी देहाती राम कहानी समाप्त करता हूँ।

तुम लोगों की क्या खबर है? मीतुमा क्या कर रही है? मैं जब चहाँ जाता था तो वह मुझे कहानी सुनाने के लिए तंग किया करती

थी। उसे यह सच्ची कहानी सुना देना और उससे कहना कि वह मुझे लिखे कि यह कहानी उसे कैसी लगी? लिखना तो वह अवश्य सीख चुकी होगी। नहीं लिख सके तो मन मन में बता दे। मैं आकाश से पूछ कर जान लूँगा। ठीक होगा न? उसे प्यार कहना। सबको नमस्कार!

[१६]

देश-भ्रमण की कहानी

१६—८—४१

अकबरपुर लौट आने के पश्चात् मेरे जिम्मे कोई खास काम नहीं रह गया। एक प्रकार से बेकार ही रहता था और यदि कोई रोगी आ जाता तो उसे दवा दे दिया करता था। असहयोग आन्दोलन पूर्ण रूप से दब चुका था। देश के भीतर निराशा-सी छाई हुई थी, स्वभावतः उन सभी कार्यकर्ताओं के समक्ष कुछ परीशानी-सी थी जो अपने व्यक्तिगत जीवन में वापस नहीं चले गये थे। आश्रम में भी इस प्रकार की चर्चा हुआ करती थी। अकबरपुर में जितने व्यक्तियों के लिए काम था, हम लोगों की संख्या उससे बहुत अधिक थी। इसलिए हर कार्यकर्ता के लिए कुछ न कुछ बेकारी रहती ही थी। मुझे भी उस समय कोई जिम्मेदारी का काम नहीं था, हाँ, जिन-जिन व्यक्तियों के पास धिनौले का स्टॉक था, उनका हिसाब लेने के लिए कभी-कभी बाहर चला जाया करता था। जब लौट कर आश्रम में आता था तो आश्रमी भाइयों को देश-विदेश भ्रमण करने की योजना बनाते हुए देखता था। इन योजनाओं पर आपस में विवाद भी चला करता था। मैं भी थोड़ा-बहुत इस आलोचना-प्रत्यालोचना में अवश्य सम्मिलित होता था, किन्तु कोई विशेष दिलचस्पी नहीं रखता था।

एक दिन दोपहर के समय बाहर से लौट कर आया तो देखा कि आश्रम के भाई लोग भ्रमण की बात-चीत कर रहे हैं। वहस इस बात पर थी कि भ्रमण का रूप किस प्रकार का हो ? सब लोग पैदल ही चलने की बात कर रहे थे किन्तु विवाद मुख्यतया इस विषय पर था कि वेश-भूषा कैसी हो, कहाँ ठहरा जाय, कितनी दूर चला जाय ? मेरे आते ही लोग पूछने लगे कि धीरेन्द्र तुम्हारी क्या राय है ? हमें किस तरह जाना चाहिए। मैंने उनकी सारी बातें सुनकर उत्तर दिया कि जाना-बाना तो किसी को है नहीं, व्यर्थ मैं वहस करने से क्या लाभ ? पर लोगों ने विवाद करना नहीं बन्द किया। सहसा मैंने कहा कि मैं कल निकलूँगा और उसी समय बताऊँगा कि निकलने का ढंग क्या होना चाहिए। जिसे मेरे साथ चलना हो वह अभी से निश्चय करले। रात के समय भी इसकी चर्चा जोरों के साथ चलती रही। मैं यह सोच कर कि अब तो मैंने चलने का निश्चय कर ही लिया है फिर चर्चा से क्या लाभ, उस चर्चा में सम्मिलित नहीं हुआ। किन्तु हृदय में यह द्वन्द्व मचा हुआ था कि यदि मैं आश्रम छोड़कर चला जाता हूँ तो आश्रम के प्रति कर्तव्य का हनन होता है। फिर जी कहता था कि यदि मैं पैदल घूम कर, काफी मुल्क देख सका तो देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों का, विभिन्न प्रकार की श्रेणियों का अध्ययन हो जायगा। देश की जनता के विषय में अध्ययन करने की रुचि मुझे पहले से ही थी। इस समय काम भी बहुत अधिक नहीं था इसलिए मेरी प्रवृत्ति चलने की ही ओर अधिक झुकी हुई थी। मैं इस प्रकार द्विविधा में पड़ा हुआ था कि एकाएक हमारे पुराने साथी राजाराम भाई घर से आ गये। वे छः-सात महीने पहले अपने भाई की बीमारी के कारण घर चले गये थे। जाने के समय से अब तक हम लोगों को उनके सम्बन्ध का कोई समाचार नहीं मिला था। उस समय देश के राजनीतिक आन्दोलन में बहुत से नौजवान, जिन्होंने १९२१ के आन्दोलन में भाग लिया था, हताश होकर अपने-अपने घर वापस जा

रहे थे। हम लोगों ने राजाराम भाई के सम्बन्ध में भी यही सोच लिया था कि अब वे आश्रम में नहीं आवेंगे। किन्तु उनके इस आकस्मिक पुनरागमन से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यह ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि उसने राजाराम भाई को यहाँ ला पहुँचाया। अब मेरे जाने से आश्रम की लेश-मात्र भी हानि नहीं होगी। मैं निश्चिन्त होकर आश्रम से विदाई ले सकता हूँ। मुझे अब किसी प्रकार की द्विविधा नहीं रह गई। रात को निश्चिन्तता से सोया। सवेरा होने पर २ गज़ लम्बे १ गज़ चौड़े दो गमछे, दो लँगोटे, एक झोला और एक लाठी लेकर जिस स्थान पर बैठ कर अन्य आश्रमी भाई बात-चीत कर रहे थे, वहाँ जा पहुँचा और कहा—“देखो, मेरे विचार से इस प्रकार की पोशाक पहन कर

चलना चाहिए और जिधर ये दोनों आँखें ले चलें यात्रा की आक- उधर ही चलना चाहिए। अब ब्रताओं कौन-कौन स्मिक घोषणा मेरे साथ चलने के लिए तैयार है” गत रात तक लोगों ने हमारी बातों की गम्भीरता की ओर ध्यान

नहीं दिया था। समझ रहे थे कि नित्य की भाँति यह भी एक कपोल-कल्पना है, परन्तु अब मुझे इस प्रकार तैयार देखकर कुछ आश्चर्य में आ गये और कहने लगे कि तुम जाओ, हम लोग नहीं जाते किन्तु मेरे एक साथी श्री श्रीनिवास सिंघल मेरी ही तरह पोशाक तैयार कर मेरे साथ चलने को उद्यत हो गये। फिर हम दोनों व्यक्ति दोस्तपुर जाने वाली सड़क से होंकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिये।

मेरे इस उपर्युक्त लेख को पढ़कर संभव है तुम सोचो कि ग्राम-सेवा के अनुभव से इन बातों का क्या सम्बन्ध है? तुम्हारा यह सोचना ठीक भी है, ग्राम-सेवा से इन बातों का कोई सीधा सम्बन्ध है भी नहीं। किन्तु इस प्रकार के पर्यटनों ने मेरे मस्तिष्क को पर्याप्त प्रभावान्वित किया है, और वे प्रभाव ग्राम-सेवा के काम में काफी सहायक हुए हैं। इसके अतिरिक्त भ्रमण-सम्बन्धी यह मेरा संक्षिप्त लेख तुम लोगों के लिए एक दिलचस्प कहानी का काम देगा। यों तो यदि मैं इस

वृत्तान्त को विस्तार-पूर्वक लिखना चाहूँ तो एक बड़ी दास्तान हो जायगी अतएव एकाध प्रमुख घटनाओं का अनुभव बता कर ही इसे समाप्त कर दूँगा ।

अकबरपुर से प्रस्थान कर दोस्तपुर के मार्ग से होते हुए हम लोगों ने सुलतानपुर का जिला पार कर लिया और इलाहाबाद की सीमा में दाखिल हो गये । अकबरपुर से इलाहाबाद लगभग १०० मील दूर है और यह दूरी हम लोगों ने ५ दिन में समाप्त की । इलाहाबाद स्टेशन पर ही, अकबरपुर के रेलवे के एक पुराने कर्मचारी श्रीनान्दी बाबू से मुलाकात हो गई । वे हम लोगों को देखते ही पास आ गये और आश्चर्य के साथ कह उठे—“आप लोग यहाँ कहाँ ? आप लोगों की खोज में तो अकबरपुर के लोग बड़े जोर से व्यस्त हैं ।” उनसे सब समाचार पूछने पर प्रकट हुआ कि आश्रम के लोग प्रथम दो दिन तक हमारे इस तरह प्रस्थान करने को मज़ाक की बात समझते थे और सोचते थे कि यहीं कहीं गाँव में टिके होंगे और दो चार दिन में वापस आ जायेंगे । किन्तु तीसरे दिन भी हम लोगों के न आने पर हमारी खोज के लिए इधर-उधर कार्यकर्ता दौड़ाये गये । हम लोगों ने नन्दी बाबू से कह दिया कि आप जाकर उन लोगों को सूचित कर दीजिएगा कि वे लोग अब हमारी आशा न करें । हम लोगों ने यहाँ से जबलपुर जाने का निश्चय किया है, वहाँ से विन्ध्याचल का दृश्य देखते हुए द्वारका जाने का विचार रखते हैं, फिर द्वारका से रामेश्वर और रामेश्वर से कलकत्ता जाने का प्रोग्राम है, तदुपरान्त यदि जीवित बचे तो लौट कर आश्रम का दर्शन करेंगे । इस सम्पूर्ण यात्रा में दो वर्ष से कम न लगेंगे और दो वर्ष में संसार किबर से किबर चला जायगा, कौन जाने ? इस प्रकार नन्दी बाबू को अपना सन्देश देकर हम लोगों ने उनसे विदाई ली ।

अब हम लोगों ने इलाहाबाद से दक्षिण की ओर पैर बढ़ाया

और अपने पूर्व-निश्चित मार्ग से आगे बढ़ने लगे। अधिकतर देहात के ही मार्ग से होकर यात्रा करते थे। लोगों से खाना माँग कर खाते थे और जहाँ समय आता पड़ कर सो जाते थे। प्रायः दोपहर और संध्या दोनों समय किसी न किसी गाँव में टिकते दक्षिण की ओर थे और स्थानीय लोगों से बात-चीत कर के वहाँ की अवस्था जानने का प्रयत्न करते थे—‘लोग किस प्रकार जीवन व्यतीत करते हैं; उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है; सामाजिक आचार-विचार किस प्रकार के हैं, इन सभी बातों की जानकारी प्राप्त करने का ध्यान रखते थे। उनके दलगत विचार और श्रेणी जन्य मनोवृत्ति का अध्ययन हम दोपहर और संध्या काल के भोजन-माँगन और रात के लिए विश्रामस्थल प्राप्त करने की वार्ता के ही सम्यन्ध में कर लेते थे। क्योंकि इन बातों को पूछ कर नहीं जाना जा सकता।

इस प्रकार हम लोग यू० पी०, सी० पी० और गुजरात के विभिन्न गाँवों और शहरों का चक्कर लगाते हुए लगभग ६०० मील की यात्रा करके अहमदाबाद पहुँचे। इस यात्रा में हम अमीर कहे जाने वाले सम्भ्रान्त श्रेणी के लोगों के घरों में गये, पढ़े-लिखे मध्यमवर्गीय वायुओं के घर देखे, देहात के उच्च और भद्र कहे जाने वालों का अध्ययन किया और गाँवों के गरीब किसान और मजदूरों के घरों में भी पहुँचे। यदा-कदा कोल भील आदि जंगली जातियों में भी रहना पड़ा। इस प्रकार इस यात्रा से हमें अनुभव हुआ कि मनुष्य जैसे-जैसे उच्च श्रेणी के होते जाते हैं और ज्यों-ज्यों समाज उन्हें शिक्षित और सम्यक कह कर पुकारने लगता है, त्यों-त्यों उनमें गरीब और साधारण रहन-सहन के लोगों के प्रति घृणा की मात्रा अधिक होती जाती है। प्रायः ऐसा भी होता था कि पेटभर भोजन प्राप्त करने के लिए हमें २०-२५ घरों की फेरी लगानी पड़ती थी और विभिन्न श्रेणियों के घरों से थोड़ा-थोड़ा भोजन माँग कर इकट्ठा करने में,

उनके देने के ढंग को देख कर सहज ही उनकी मनोवृत्ति की थाह लग जाती थी। इस भीख माँगने के काम ने हमें यह भी अनुभव कराया कि यदि स्त्रियाँ न होतीं तो हम लोगों को जो यत्किञ्चित् प्रेम और आदर मिला वह भी नहीं मिलता। अतिथि—अभ्यागत के प्रति सम्मान और आदर का व्यवहार करने की जो

गुजरात का अनुभव भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता थी, उसका अवशेष स्त्री जाति में ही देखने को मिलता है। इसका

अपवाद हमें अगर कहीं देखने को मिला तो गुजरात में। वहाँ की स्त्रियाँ बाहरी लोगों के लिए कुछ करना पसन्द नहीं करती हैं, यह अनुभव मुझे उस प्रदेश के भ्रमण से ही हुआ। यह बात मुझे ऐसी खली कि सावरमती पहुँच कर जब हमको वापूजी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जब उन्होंने पूछा कि 'मार्ग में लोगों का व्यवहार कैसा रहा' तो मैंने तुरन्त उत्तर दिया—“और सब तो ठीक है, केवल आप का गुजरात बहुत खराब मुल्क है।”

हाँ, मैं कह रहा था कि उच्च श्रेणी के शिक्षित तथा सभ्य कहे जाने वाले लोग साधारण मनुष्यों को घृणा की, और संकुचित दृष्टि से देखते हैं। मैंने तुम्हें किसी पिछले पत्र में लिखा था कि ये लोग जब अपनी श्रेणी के लोगों से मिलते हैं तो इनका व्यवहार अप्राकृतिक रूप से मीठा और शिष्ट हो जाता है। इस यात्रा की दो-एक घटनाओं के सुनने से इन बातों का तुम्हें और स्पष्ट अनुभव हो जायगा और कहानी के रूप में कुछ मनोरंजन भी होगा। वर्धा में 'मीतुमा' को इनमें से कुछ कहानियाँ तो मैं सुना चुका हूँ, उससे पूछना याद है या नहीं ?

एक दिन हम लोग ग्वालियर राज्य की सीमा सरदारपुर से सीधे पश्चिम की ओर चले। सरदारपुर तक तो हम लोग सुन्दर जन-समुदाय-सम्पन्न भूभाग से हो कर आये। किन्तु सरदारपुर से केवल जंगल ही जंगल था। हमें लगभग १०० मील जंगल पार करना था। जंगलों के

मध्य कहीं-कहीं मनुष्यों की छोटी-छोटी वस्तियाँ भी देखने को मिल जाती थीं। ये वस्तियाँ भील लोगों की थीं। भीलों के यहाँ आश्रय ग्रहण करने में हम लोगों को बहुत आनन्द आता भीलों का आतिथ्य था। वे अपनी अवस्था के अनुसार मक्के की रोटी, खीरा, साग आदि सब्जी खाने को देते थे। वेचारे भील दुनियाँ के शायद गरीब से गरीब प्राणी हैं किन्तु जब हम उनके यहाँ अतिथि के रूप में पहुँच जाते थे तो सम्पूर्ण परिवार हमारे निकट बैठ कर पहले हमको खाना खिला लेता था और जब हमारे विश्राम का प्रबन्ध हो जाता था, तब वे लोग स्वयं भोजन करने जाते थे। भोजन के पश्चात् भी आकर बात-चीत करते थे, उनकी उन बातों में आदर, प्रेम और सदाचार की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी, किन्तु इतने पर भी संसार उन्हें असम्भ्य ही कहता है। ये लोग कितने गरीब हैं, इसके अनुमान के लिए तुम्हें एक दिन की घटना का वर्णन सुनाता हूँ। अगस्त का महीना था, हम लोगों को मार्ग में घनघोर वर्षा का सामना करना पड़ा था, मार्ग में कोई गाँव नहीं मिला इसलिए हम लोग तेजी के साथ आगे ही बढ़ते, चले गये। दो-तीन मील और चलने के पश्चात् एक वस्ती दृष्टिगोचर हुई। हम लोग उसी ओर बढ़े और एक भील के घर पर पहुँचे। उस भील के घर में कोई स्थान ऐसा नहीं था, जहाँ पर पानी न चूता हो किन्तु मैदान की अपेक्षा कुछ बचाव तो था ही इसलिए हम लोग घर के भीतर एक स्थान पर खड़े हो गये। घर का मालिक हम लोगों को उस अवस्था में देख कर कहने लगा कि आप लोगों को यहाँ बहुत कष्ट होगा, यदि आप पटेल के घर चले जायँ तो कुछ सुख मिलेगा। उस सम्पूर्ण वस्ती में पटेल का ही घर सबसे अच्छा था। उसने एक छोटी लड़की को साथ भेज कर हमें पटेल के घर पहुँचा दिया। पटेल का घर, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, उस गाँव का ही नहीं, प्रत्युत उस सम्पूर्ण इलाके का अच्छा घर समझा जाता था किन्तु जब उसे हम लोगों ने देखा तो

हैरान रह गये । एक छोटा सा घर था, उससे मिला हुआ एक लम्बा ओसारा था । ओसारा (ब्रामदा) दो भागों में विभक्त था, जिसके मध्य जंगली लकड़ियों का एक परदा लगा था । रात के समय एक ओर पुरुष और एक ओर स्त्रियाँ रहा करती थीं । उसके सामने एक छोटी सी मड़ई भोजन बनाने के लिए थी । पटेल के पारेवार में वह स्वयं, एक बड़ा लड़का, एक लड़की और उसकी पुत्र-वधू थी । जिस भाग में पटेल और उसका बड़ा लड़का दोनों सोते थे, उसी भाग में उसने हम लोगों को भी आश्रय दिया । हम लोगों के निकट ही उसी भाग में एक घोड़ा, दो बैल, एक बकरी और उसके बच्चे, तथा पाँच-सात मुर्गियाँ भी थीं । एक कोने में टूटी चारपाई, हल और घोड़े के जीन आदि सामान रखे हुए थे । छप्पर से एक बाँस लटका हुआ था, जिस पर एक जीर्ण-शीर्ण कंघा, दो कमली और मैले गन्दे कपड़े रखे हुए थे ।

याँ तो ये लोग कपड़े पहिनते ही बहुत कम हैं, पुरुष कौपीन के आकार का एक चौड़े कपड़े का टुकड़ा बाँधते हैं और स्त्रियाँ कमर पर एक छोटा सा टुकड़ा लपेट लेतीं और वक्षस्थल पर भी एक टुकड़ा बाँध लेती हैं । बच्चे नंगे ही रहते हैं । उसकी बड़ी लड़की, जो अनुमानतः बारह तेरह वर्ष की रही होगी, केवल एक छोटी सी गमछी लपेटे हुए थी । हम लोग जब उस लड़की के साथ चले थे तो रास्ते में ही वह (पटेल) मिल गया था । उसने हम लोगों को अपनी बैठक में लाकर बिठाया, उस बैठक का दृश्य एक कदाइखाना, गोशाला और बुड़शाले आदि के समन्वित रूप सा ही प्रतीत हुआ । पहुँचते ही वह सारा परिवार वहाँ आ गया और दस-पन्द्रह मिनट हम लोगों के स्वागतार्थ वहाँ उपस्थित रह कर अपने अपने काम पर चल गया । हम लोगों ने अपने गीले कपड़े उतार कर रख दिये और वहाँ पड़ी हुई दो खटोला-सदृश छोटी-छोटी चारपाइयों पर लेट कर गाँव के मुखिया की सम्पत्ति का गौर से निरीक्षण करने लगे । रात के समय

उन्हीं दो चारपाइयों में से एक पर पटेल और उसका लड़का और दूसरी पर हम दोनों व्यक्ति सो रहे। चारपाई लगभग ढाई फुट चौड़ी और चार फुट लम्बी थी, कोई भी साधन न रहने के कारण हम लोगों को उसी पर संजोप करना पड़ा किन्तु यात्रा की थकान से नींद में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ी। प्रातःकाल हम लोगों ने देखा कि हमारे शरीर मुर्गों के पाखाने और पेशाब से भर गये हैं। इधर-उधर देखने पर ज्ञात हुआ कि जिस समय हम लोग चारपाई पर सो रहे थे उस समय मुर्गों की गोष्ठी ठोक हमारे ऊपर टँगे हुए बांस पर आराम कर रही थी। भोजन में मक्के की रोटी और मक्के की दाल मिली थी। यह अवस्था उस इलाके के पटेल की है। अब तुम सरलतापूर्वक समझ सकती हो कि और लोगों की क्या दशा होगी ? किन्तु इतना गरीब होते हुए भी उनकी अतिथि-सत्कार की भावना में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं थी।

यात्रा की सम्पूर्ण घटनाओं का विवरण देना सम्भव नहीं है, परन्तु एक घटना का वर्णन और कर देने से तुम्हें यह पत्र विशेष अरुचिकर और लम्बा नहीं प्रतीत होगा।

भील प्रदेशीय जंगलों के भ्रमण करने में वहाँ के भील काफी सहायता देते थे। उन जंगलों से ढके हुए पर्वतीय मार्गों से हो कर निकलना हम लोगों के लिए असम्भवप्राय ही था। यद्यपि हम लोग सीधे पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे, फिर भी उन जंगली और पर्वतीय प्रदेशों में रास्ता भूल जाने की आशंका सदैव बनी रहती थी। वहाँ के भील साथ चल कर हमें एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक पहुँचा दिया करते थे। इसी प्रकार उस जंगली भूभाग में हम लांग तीन दिन तक आगे बढ़ते रहे। चौथे दिन दोपहर के समय एक भील हमें एक गाँव से दूसरे गाँव को पहुँचाने साथ चला किन्तु मार्ग में ही उसे एक दूसरा व्यक्ति मिल गया जो किसी अत्यावश्यक कार्य के लिए उसे उसी गाँव को वापस ले गया जहाँ से हम लोग चले थे। अतः विवशतः

हम लोग बिना किसी पथ-प्रदर्शक के आगे बढ़े। अन्ततः जैसी हम लोगों को पहले से ही आशंका थी, शाम हो गई किन्तु कोई वस्ती नहीं मिल सकी। हमें विश्वास हो गया कि हम लोग रास्ता भूल गये हैं। उस जंगल में पगदखियाँ तो हर तरफ थीं किन्तु हम लोग निश्चय नहीं कर सके कि किधर जायें। अन्त में श्री निवास जी एक पेड़ पर चढ़ गये। उस पर से उन्हें कोई शहर की तरह अच्छी वस्ती नजर आई। ऊपर ही से उन्होंने उसी दिशा की ओर निर्देश किया और मैंने उसके ही अनुसार अपने मन में दिशा का निश्चय कर लिया। कुछ देर चलने के उपरान्त एक पहाड़ी नदी पार करके हम लोग झाबुआ राज्य के सदर में पहुँचे। दिन भर की यात्रा और मार्ग भूलने की परीशानी ने हमें काफी थका दिया था इसलिए एक मन्दिर के बरामदे में जाकर लेट रहे। थोड़ी देर के पश्चात् खाना मांगने के उद्देश्य से वहाँ से बाहर निकले किन्तु वस्ती में जाने पर ज्ञात हुआ कि वहाँ अधिकतर जैनी रहते हैं। मार्ग में हम लोगों को भली-भाँति अनुभव हो गया था कि जैनियों के यहाँ किसी के खाने-पीने की कुछ सुनवाई नहीं होती है, इस जगह भी २०-२५ झाबुआ के अनुभव घरों का चक्कर लगाने पर अनाज का एक दाना भी नहीं मिला। अन्त में निराश होकर फिर उसी स्थान पर आ कर बैठ गये। किन्तु ५-७ मिनट के ही पश्चात् तीन आदमी वहाँ आये और हम लोगों को वहाँ से हट जाने का आदेश दिया। हम लोग भूख और थकान से चूर-चूर हो रहे थे अतः वहाँ से जाने को जी नहीं चाहता था इसलिए बैठे ही बैठे उनसे वाद-विवाद करने लगे; तब तक तीन-चार आदमी और आ गये और अन्त में हम लोग वहाँ से हटने को बाध्य हुए, जिस समय हम लोग वाद-विवाद में लगे थे एक महाराष्ट्रीय स्त्री सड़क पर खड़ी-खड़ी सारा दृश्य देख रही थी। हम लोग जब उतर कर नीचे आये तो कहने लगी कि महाराज की ड्योढ़ी पर आज खाना वितरित होने

वाला है, वहां से खाना लेकर वहीं शिव मन्दिर में आराम करना । हम लोगों ने उसे धन्यवाद दिया और महाराज की कोठी पर जा पहुँचे । वहां बहुत से कंगाल और फकीर दो लाइनों में बैठे हुए थे, हम लोग भी उसी लाइन के अन्त में जाकर बैठ गये । कुछ देर पश्चात् एक सख्त मुसण्ड राजपूत चपरासी बहुत से आदमियों के सर पर खाना लदवाये आया । खाना क्या था ? बड़े-बड़े दो लड्डू हर एक को देता जाता था और राजा की जय बुलवाता जाता था । एक लड्डू का वजन पाव भर से कम तो नहीं ही रहा होगा । उसने हम लोगों को भी लड्डू प्रदान किये और राजा की जय बोलने को कहा । हम लोगों ने जय बोलने से इनकार किया । इस पर वह मारने को दौड़ा । हम लोग भाग चले और एक तालाब के पास पहुँच कर लड्डू खाने का उपक्रम करने लगे ।

लड्डू इतने सख्त थे कि लाख प्रयत्न करने पर भी दाँतों से नहीं टूट सके इसलिए उन्हें पत्थर पर रख कर पत्थर से ही चूर किया गया और खाना प्रारम्भ हुआ किन्तु धवराहट और थकावट के कारण गला इतना सूख रहा था कि पानी पी पी कर भी लड्डू को गले के नीचे उतारना कठिन हो गया । अन्ततोगत्वा गमछे में बांधकर शिव मन्दिर में पहुँचे । थोड़ी देर बैठने के पश्चात् श्रीनिवास ने कहा कि भाई भूख बड़े जोर से लगी है, चलो एक बार और प्रयत्न करें । सम्भव है, कहीं रोटी प्राप्त हो जाय । मैंने कहा जैनियों की वस्ती है, जब खाने का समय था तब तो कुछ मिला ही नहीं, अब इतनी रात को किसके घर में खाने को रखवा होगा ? चुपचाप पड़े रहो, सवेरे देखा जायगा । किन्तु वह नहीं राजी हुआ, अतः हम दोनों फिर रोटी की खोज में निकल पड़े । कई बार इधर-उधर घूमते देख कर एक सज्जन ने अपने बाँगले के बरामदे से हमें बुलाया और पूछा—तुम लोग किधर जाओगे । कहां घूम रहे हो ? मैंने उन्हें उत्तर दिया—घूम कहीं नहीं रहे हैं, हम भूख-प्यास से व्याकुल हैं, खाना चाहिए । यह सुन कर वह हम लोगों

को बगल के गोपाल मन्दिर में ले गया और हमें ठाकुर जी का भोग दिलवाया। भोग, एक गीला पदार्थ था अतएव हमने उसे सरलता-पूर्वक खा लिया। खाने के पश्चात् हम लोग फिर उसके बँगले पर गये। वह अब तक बरामदे में ही बैठा हुआ था। अब उसने फिर हमसे बात-चीत करना प्रारम्भ किया और पूछा कि तुम लोग कहाँ जाओगे? इसी समय उसका लड़का भी वहाँ आ गया, वह कहीं आफिस में नौकर था, उससे हम लोगों ने दाहोद का रास्ता पूछा। नकशे से हमने देख भी लिया था कि दाहोद भाबुआ से २०-२५ मील की दूरी पर है। रास्ता पूछने पर लड़के ने कहा कि यदि कुछ लिखना-पढ़ना जानते हो तो लिख लो। मैंने उत्तर दिया कि थोड़ा थोड़ा जानता तो अवश्य हूँ, किन्तु श्री निवास को न जाने क्या सूझा, उसने कहा

हाँ, बी० ए० तक पढ़े हैं। उस बुद्धे ने जब यह व्यवहार में सुना कि हम लोग बी० ए० तक पढ़े हैं तो वह सहसा परिवर्तन एकाएक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अब तक वह हमको नीची निगाह से देखता था किन्तु सहसा उन सब की आकृति बदल गई, भापा बदल गई और ढंग में परिवर्तन हो गया। अब तक हमें कोई बैठाने वाला नहीं था किन्तु अब बैठने के लिए कुर्सी मिल गई और वे दोनों ही व्यक्ति बड़े शिष्टाचार के साथ बात-चीत करने लगे और इस बात की कोशिश होने लगी कि हम लोग रेलगाड़ी से ही जायें। देखा न, ज्योंही उन्हें ज्ञात हो गया कि हम भी उन्हीं की श्रेणी के आदमी हैं, तो किस प्रकार दुनिया बदल गई? हमने उन्हें उनके इस सौजन्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि हम लोग पैदल यात्रा करने का निश्चय करके निकले हैं, गाड़ी पर नहीं चढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि आप लोग यहीं ठहर जाइये प्रातःकाल रास्ता बता दिया जायगा किन्तु हम लोगों ने शिव-मन्दिर में रहने का निश्चय प्रकट किया और अनेकानेक धन्यवाद देकर वहाँ से चल दिये। शिव मन्दिर में उस दिन कोई उत्सव था, आरती हो

रही थी, कुछ लोगों की भीड़ थी। हम लोग मन्दिर के एक कोने में कम्बल बिछा कर बैठ गये और मैं स्वामी रामतीर्थ का उपदेश पढ़ कर सुनाने लगा। हाँ, मैं तुमको यह लिखना भूल गया था कि चलते समय स्वामी रामतीर्थ का 'इन उड्ड्स-ऑव गाड रियलाइजेशन,' एक छोटी सी रामायण और न्यू टेस्टामेंट लेकर निकले थे। मार्ग में जहाँ आराम करने का अवसर मिलता था, पढ़ते थे। मुझको रामतीर्थ का उपदेश पढ़ते देख कर कुछ नौजवान वहीं आकर बैठ गये और हमारा पढ़ना सुनने लगे और हमसे बातचीत करने की इच्छा प्रकट करने लगे। जब मैंने एक अध्याय समाप्त कर लिया तो पूछने लगे— "अच्छा, आप लोग अँग्रेजी भी जानते हैं?" तब तक एक महाशय पीछे से बोल उठे— "अरे यह वी० ए०, यल० यल० वी० हैं!" हमें बड़े जोर की हँसी आई, किन्तु गम्भीर होकर बैठे रहे और उन लोगों से बात-चीत करते रहे। थोड़ी देर के बाद जब सब लोग मन्दिर से चले गये तो वह वी० ए०, यल० यल० वी० कहने वाले महाशय रुक गये और हमें एक आदमी दे गये और कह गये कि यह आदमी आप लोगों को आठ मील जंगल पार करा कर दोहद जाने वाली सड़क पर पहुँचा देगा। यह महाशय वही थे, जिनके घर हम लोग रात को गये थे।

इस प्रकार की कितनी ही घटनाएँ अब तक स्मरण हैं; किन्तु उनसे हमारे ग्राम-सेवा के विषय पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। इसलिए उन्हें लिखकर व्यर्थ पत्र का कलेवर बढ़ाना ठीक नहीं होगा; दो-एक घटनाएँ इसलिए लिख दीं कि तुमको यह ज्ञात हो जाय कि विभिन्न लोगों के साथ लोगों के व्यवहार-भेद के विषय में अपनी राय स्थिर करने में किस-किस प्रकार की घटनाओं ने मेरे मस्तिष्क पर प्रभाव डाला है, और साथ ही ऊँची श्रेणी के लोगों के प्रति मेरी स्वाभाविक अश्रद्धा का कारण क्या है, यह भी तुम पर स्पष्ट हो जाय।

कुछ दिवस बाद हम लोग साबरमती पहुँच गये और कीकी बहन के यहां ठहर गये। वहां पहुँच कर दादा का पत्र मिला कि जब तक

हम न आवें तब तक आगे न बढ़ें। अहमदाबाद में दादा जी के कुछ मित्र महानुभाव सपरिवार रहते थे और दादा के नाते हमारा भी उनसे परिचय हो गया था किन्तु हम लोगों के ग्रामीण रंग-ढंग देख कर उन लोगों की नाक-भौं सर्वदा सिकुड़ी रहती थी और उनके व्यवहार में काफी घृणा और अनादर की भावना परिलक्षित होती थी।

मैं तुम्हें प्रथम ही लिख चुका हूँ कि लोगों में जैसे-जैसे तथाकथित शिक्षा और सभ्यता का विकास होता जाता है वैसे ही वैसे अपनी श्रेणी से नीचे वर्ग के लोगों के प्रति अनादर और असम्मान की भावना बढ़ती जाती है। सावरमती में रह कर इसकी सत्यता का जितना अनुभव मुझे हुआ, उतना इससे पहले कभी नहीं हुआ था। हृदय में सोचा करता था कि अगर इसी का नाम तमीज और तहजीब (विवेक और सभ्यता) है, तो परमात्मा भारतवर्ष से जितने ही शीघ्र

इस तहजीब और तमीज का नाश करे उतना ही कौन सभ्य है ? इस देश का कल्याण हो। मुझे यह भी महसूस होने लगा कि जिन लोगों को ये गँवार, बेवकूफ और जंगली समझते हैं, वे इन लोगों से कहीं अधिक सभ्य और शिष्ट हैं। यद्यपि अपनी श्रेणी के लोगों के साथ बात करते समय ये लोग जिस चिकनी और पालिशदार भाषा का प्रयोग करते हैं, वह भाषा उन ग्रामीणों को नहीं आती किन्तु उनके व्यवहार में जिस प्राकृतिक आदर और सद्भावना की क्लक रहती है, वह इन तथाकथित सभ्य जनों में नहीं पाई जाती। यह भावना उस समय से मुझमें इतनी दृढ़ हो गई है कि यथासम्भव मैं आज तक अपने को ऐसे समाज से सर्वदा दूर रखने की कोशिश करता हूँ। और यह भी एक बड़ा कारण है कि मैं देहात में ही रहना पसन्द करता हूँ।

दादा के सावरमती आने पर उनके कहने के अनुसार हम लोगों ने आगे बढ़ने का प्रोग्राम छोड़ दिया और आश्रम की ओर लौट पड़े एवं कुछ ही दिनों में आश्रम पहुँच गये। उस समय आश्रम में मेरे

लिए कोई खास काम नहीं था इसलिए लोगों ने मुझे आश्रम के शुभा-कांक्षी श्री सतीशचन्द्र मुखोपाध्याय की सेवा में लगा दिया जो उस समय महात्मा जी के अनशन के सम्बन्ध से दिल्ली में मौजूद थे। मैं उनके साथ कलकत्ता चला गया।

पत्र बहुत लम्बा हो गया। अब यहीं खतम करना ठीक होगा। अब आगरा की गर्मी समाप्त हो चुकी। जेल में आज-कल काफी आनन्द है। मैं स्वस्थ हूँ। आबोहवा तो ठीक है, लेकिन इधर कुछ दिनों से यहाँ सब लोग कुछ उदास से हो रहे हैं। गुरुदेव की मृत्यु के संवाद ने एकाएक सबको स्तम्भित कर दिया था; आज कल केवल उसी की चर्चा होती है। कल श्राद्ध दिवस है, यहाँ भी उनके प्रति श्रद्धार्पण के लिए सभा का आयोजन किया गया है। राष्ट्रकवि श्रीमैथलीशरण जी यहाँ ही नज़रबन्द हैं, उनको बहुत शोक हुआ है। वह कह रहे थे कि बाल्मीकि के पश्चात् इस कोटि के कवि बीच में नहीं पैदा हुए थे। नमस्कार।

[१७]

निश्चित प्रयोग की चेष्टा

ता० २६—८—४१

श्री सतीशचन्द्र मुखोपाध्याय दो माह बाद कलकत्ते से बनारस चले आये; मैं भी साथ-साथ बनारस आया और उनकी सेवा में लगा रहा। इसी बीच आश्रम के मंत्री श्री किञ्चिभार्ई बहुत अधिक बीमार पड़े और उनके लिए दो-तीन साल का आराम लेना जरूरी हो गया। ऐसी अवस्था में आश्रम का चार्ज कौन लेगा, यह एक भारी समस्या हो गई थी। एक दिन दादा ने मुझसे इस कार्य का भार ग्रहण करने को कहा किन्तु इस समय मैं इस उत्तरदायित्व को उठाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि एक तो मैं अपने को इस काम के योग्य नहीं समझता था और दूसरा कारण यह था कि यदि मैं प्रधान कार्यालय की ज़िम्मेदारी लेता तो देहात से मेरा सर्वथा सम्बन्ध विच्छेद हो

जाता। इतने दिनों तक देहात में रहते-रहते मुझे देहात से बहुत प्रेम हो गया था और मेरी प्रकृति भी कुछ इस प्रकार की हो गई थी कि शहरी जलवायु और शहरी लोगों से एक प्रकार की अरुचि-सी उत्पन्न हो गई थी। किन्तु दादा ने वाध्य किया कि 'जो कर सको वही करो, जो न समझ में आये विचित्र भाई से पूछ लिया करना।' इस प्रकार दादा के आदेशानुसार मैंने प्रधान कार्यालय का भार ग्रहण किया और तब से गाँव से मेरा सम्बन्ध छूट-सा गया। नये कार्य का उत्तरदायित्व अपने ऊपर आ पड़ने से मेरा सम्पूर्ण ध्यान उसी के सीखने में केन्द्रीभूत हो गया और गाँव की बातें प्रायः भूल सी गईं। इसके पश्चात् जब सन् १९२८ में समाचारपत्रों में वारडोली सत्याग्रह का विवरण देखने को मिलने लगा और जब मैंने वहाँ के संगठन का विवरण पढ़ा तो मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि इस तरह के संगठन के लिए अवध भी बहुत सुन्दर क्षेत्र है। प्रधान कार्यालय का कार्य करते हुए भी देहात के कार्य की योजना फिर मेरे मस्तिष्क में स्फुरित होने लगी। उसी वर्ष कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था; कुछ कारण-वश उस साल हम लोग वहाँ की प्रदर्शनी में खादी की दुकान नहीं ले जा सके, किन्तु आश्रम से खादी भेजी जा चुकी थी। इसलिए प्रदर्शनी के बाहर इस खादी को विक्रय करने का भार मेरे ही ऊपर आ पड़ा। मैंने जिस कोठी में महात्मा गाँधी ठहरे हुए थे उसी के एक कमरे में दुकान खोल कर खादी बेचना प्रारम्भ किया। गाँधी जी की कोठी में जो लोग ठहरे हुए थे उनमें से कितने ही लोगों ने वारडोली के संगठन में काम किया था। मैं उन लोगों से वहाँ का विस्तृत विवरण पूछता रहा और इस प्रकार पुनः मुझमें ग्राम-संगठन की उत्कंठा जाग्रत हो उठी। कलकत्ता से वापस आते ही आश्रमी भाइयों के समक्ष यह प्रस्ताव रक्खा कि मुझे पुनः उत्पत्ति केन्द्रों में काम करने का अवसर दिया जाय किन्तु उन लोगों ने इसे नहीं स्वीकार किया, फिर भी मेरे मस्तिष्क में गाँव की बातें चक्कर काटने

लगीं। इसी समय मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया, और विश्राम करने की भावना से मैंने लम्बी अवधि की छुट्टी ले-ली जिससे प्रधान कार्यालय की जिम्मेदारी श्री अविनाश भाई के ऊपर आ पड़ी। मैंने सोचा कि अच्छा। अब छुट्टी के पश्चात् मैं प्रधान कार्यालय के भार से मुक्त हो सकूँगा। छुट्टी लेकर स्वास्थ्य-सुधार की कामना से मैं कश्मीर चला गया और लगभग तीन माह तक वहाँ रुक गया। श्री कृष्णदास गाँधी भी वहाँ स्वास्थ्य-सुधार के लिए आये हुए थे, और संयोग से हम लोग एक ही कमरे में रहते थे और गाँव के कार्य की बात आस-पास में विचार-विनिमय किया करते थे। श्री कृष्णदास भाई गुजरात के देहात में काम कर चुके थे; गाँवों के सम्बन्ध में मैं उन्हें अपनी कल्पना बताया करता था और उनकी समालोचना भी सुना करता था। इस प्रकार मैंने कश्मीर के प्रवास-काल में ही देहात के सम्बन्ध में कुछ योजनाएँ बना डालीं।

ग्राम-कार्य की उस समय तक गाँधी जी ने ग्रामोद्योग के विषय योजना पर कभी चर्चा भी नहीं की थी। ग्रामोद्योग की बात मेरे भी मस्तिष्क में नहीं आई थी, किन्तु कृष्णदास भाई से वस्त्र-स्वावलम्बन-योजना की बात सुनकर ही मेरे मस्तिष्क में उसी योजना को केन्द्र बना कर ग्राम-सेवा का कार्य करने की कल्पना प्रस्फुरित हुई। उस समय मैंने जिस योजना की कल्पना की थी, वह इस प्रकार थी :—

१—कई गाँवों के मध्य में आश्रम बना 'कर देहात के नौजवानों को कटाई और धुनाई की शिक्षा दी जाय। और उनके द्वारा देहात

*पता नहीं कृष्णदास भाई से यह प्रथम चर्चा भगवान की किस लीला का परिचायक था। उस समय कौन जानता था कि २० साल बाद १९४८ में मुझे चर्खा संघ के अध्यक्ष और कृष्णदास भाई को उसके मंत्री की हैसियत से मिलकर देशव्यापी वस्त्र स्वावलम्बन कार्य के माध्यम के समग्र ग्राम सेवा का कार्यक्रम चलाना होगा। १६-६-५०

का कार्य किया जाय ।

२—प्रधान कार्य-क्रम वस्त्र-स्वावलम्बन का ही होगा किन्तु साथ ही गाँव की सफाई, प्रौढ़ शिक्षा, ग्राम सेवक दल का संगठन, पंचायती की स्थापना तथा स्त्री-शिक्षा आदि देहात के सर्वांगीण सुधार का कार्यक्रम रहे ।

३—देहात के लोगों को हर प्रकार की शिक्षा और मार्ग-प्रदर्शन मिलता रहे ।

कश्मीर में ही मैंने इस कल्पना को एक योजना के रूप में लिख डाला और अपने पास रख लिया । छुट्टी के पश्चात् अगस्त में मैं मेरठ लौट आया और सहयोगी भाइयों से इस देहात के कार्य के सम्बन्ध में चर्चा-लाप किया किन्तु उस समय हम आश्रम की ओर से इस प्रकार के विशेष प्रोग्राम बना कर कार्य करने के लिए तैयार नहीं थे । और न आश्रम के पास इतने साधन ही थे कि वह इसके लिए कुछ पूँजी लगा सके । इसलिए इसकी चर्चा विशेष गम्भीर रूप से न हो सकी । मैं भी पुनः प्रधान कार्यालय का चार्ज लेकर कार्य करने लगा । इसके कुछ ही दिन बाद श्री शंकरलाल वैकर मेरठ आये और मैंने अपनी योजना उनके समक्ष रखी । शंकर भाई भी इन दिनों स्थान-स्थान पर वस्त्र-स्वावलम्बन के केन्द्र खोलने का प्रयत्न कर रहे थे, उनका मेरा प्रोग्राम पसन्द आ गया और उन्होंने कहा कि अगर आप केवल वस्त्र-स्वावलम्बन का कार्य करते हैं, तो मैं चर्खासिंध की ओर से इसका व्यय सहन करने के लिए उद्यत हूँ । मैंने उनसे कहा कि गाँव के कार्य के सम्बन्ध में मेरा जो-कुछ भी अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि गाँधी जी ग्राम-संगठन के सम्बन्ध में जितने प्रकार के कार्यक्रम आवश्यक समझते हैं, उन सभी को समग्र-रूप से गाँवों के मध्य एक साथ ही संचालित करने से ही सफलता प्राप्त हो सकती है । क्योंकि एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम पर प्रभाव डालता है । और यदि हम ग्राम-जीवन प्रत्येक अंग पर सुधार की योजना नहीं

बनाते तो केवल एक ही प्रोग्राम लेकर सफल नहीं हो सकते। किसी भी नवीन कार्यक्रम की चलाने के लिए सब से पहली आवश्यकता यह होती है कि जिनके भीतर यह नवीन कार्यक्रम लेकर चलना है, समग्र दृष्टि की उनमें नवीनता को ग्रहण करने की मनोवृत्ति उत्पन्न आवश्यकता हो गई हो। और यह मनोवृत्ति तभी उत्पन्न होती है जब उनके जीवन की गात में नये दृष्टिकोण का

विकास हो जाता है। अगर हम कोई एक ही एकाङ्गी प्रोग्राम लेकर कोई आर्थिक सुविधा प्राप्त कर कुछ दिन उसे चला भी दें तो उसमें जड़ता ही रहेगी, जीवन नहीं आ सकेगा। जीवन उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक होगा कि हम सर्वप्रथम देहात में एक ग्राम सेवा शिक्षा-केन्द्र खोलकर उसमें सर्वतोमुखी विकास की योजना चलावें। इतना अवश्य है कि वस्त्र-स्वावलम्बन का कार्य मुख्य रहेगा और इसी को केन्द्र मान कर दूसरे कार्यक्रम भी परिधि-क्षेत्र के भीतर चलते रहेंगे।

मुझमें और श्री शंकरलाल भाई में इसी योजना पर देर तक वाद-विवाद हुआ। अन्ततः उन्हें इस योजना के सिद्धान्त स्वीकार करने पड़े और कुछ बातों के अतिरिक्त उन्होंने सभी बातें विवरण-सहित स्वीकार कर लीं। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं, उस में स्वयं देखना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि वह क्षेत्र वस्त्र-स्वावलम्बन के लिए अनुकूल है अथवा नहीं। मैंने योजना तो बना ली थी किन्तु गाँव का चुनाव नहीं किया था और न मेरठ के, देहात के सम्बन्ध में कोई जानकारी ही रखता था। अतएव मैंने श्री शंकरलाल भाई से कह दिया कि आज शाम तक गाँव का निर्वाचन कर लूँगा। कल प्रातःकाल देखने चला जायगा। स्थानीय सहयोगी भाइयों की सम्मति से सरधना तहसील के रासना ग्राम में कार्य प्रारम्भ करने का निश्चय हुआ और दूसरे दिन प्रातःकाल हम लोग श्री शंकर भाई को साथ लेकर रासना के लिए चल पड़े। वहाँ पहुँचने पर श्री शंकरलाल भाई ने गाँव में घूम कर

वहाँ के निवासियों से बात-चीत की और हमें कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति दे दी। इसलिए हम लोगों में से एक श्री श्याम जी भाई, कार्य प्रारम्भ करने के लिए वहाँ भेजे गये। प्रारम्भ में कई दिनों तक मैं भी उनके साथ वहाँ टिका रहा और गाँव के व्यक्तियों से परिचय प्राप्त करता रहा। अवध के गाँवों के विषय में मेरी जो धारणा थी, वह यहाँ न रह सकी। यहाँ के लोग न उतने अधिक गरीब थे न उतने अधिक अशिक्षित ही। प्रायः सभी मकान बड़ी अच्छी कोटि के थे; अधिकांश का अग्रभाग त्रिकुल पक्का था। यहाँ अधिकतर तगा जाति के लोग निवास करते थे। तगा जाति शायद क्षत्रियों की ही वंशज है। पूर्वी जिलों में इनकी विरादरी को भूमिहार^३ कहते हैं। इनके अतिरिक्त उस क्षेत्र में कुछ निम्नश्रेणी की जातियाँ भी रहती थीं। कोई खास बड़ी जमींदारी और ताल्लुकदार की प्रथा न थी। इसलिए लोगों की आर्थिक अवस्था अच्छी थी। ये लोग अवध के किसानों की तरह दबी हुई प्रवृत्ति के नहीं थे। शिक्षा का भी इनमें अच्छा प्रचार था। इसके अतिरिक्त यहाँ आर्य-समाज का भी अच्छा संगठन था। इसलिए अवध के किसानों की अपेक्षा उनमें दकियानूसीपन बहुत कम था। त्यागी (तगा) लोग उच्च श्रेणी की जाति में से थे किन्तु उनकी स्त्रियों में पर्दे का रिवाज उतना अधिक नहीं था, जितना पूर्वी जिलों में पाया जाता है।

रसना गाँव में एक बहुत सुन्दर पक्का मन्दिर है और गाँव की ओर से एक पक्की चौपाल बनी हुई है जिसमें कोई भी व्यक्ति आकर ठहर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि गाँव की कोई पंचायत होती है तो उसकी बैठक इसी चौपाल में होती है। चौपाल के देख-भाल की जिम्मेदारी भी समस्त गाँव के लोग वहन करते हैं। हम लोगों ने भी इसी चौपाल में आश्रय लिया। पहिले दिन से ही मुझे यहाँ का

३भूमिहार और तगा दोनों अब बहुत दिनों से अपने को ब्राह्मण मानते हैं।— सम्पादक।

वातावरण अत्यन्त सुन्दर प्रतीत हुआ। लोगों की शिक्षा व शिष्टाचार और नई चीजों के समझने की प्रवृत्ति देखकर मुझे रासना की विशेषताएँ कुछ ऐसा लगा कि जितना काम मैं यहाँ सालभर में कर सकूँगा; उतना अकबरपुर की ओर पाँच साल में भी न हो सकेगा। दो बातों ने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया :—

१—चौपाल का होना—जिसका मुख्य अभिप्राय यह था कि पंचायती और सम्मिलित समाज का संस्कार इस इलाके में अब तक वर्तमान है।

२—घर-घर में चर्खें की उपस्थिति।

जिस चर्खे और पंचायत के लिए मैं टाँडा के देहात में मारा-मारा फिरता था, वे दोनों वस्तुएँ यहाँ पहले से ही मौजूद थीं।

मैं चार-पाँच दिन तक रासना में ही रह गया। रासना तथा उसके आस-पास के गांवों में खूब घूमा। सन्ध्या समय रासना के लोग स्वयं चौपाल में आ जाते थे, हम लोग उनसे अपनी योजना पर आलोचना प्रत्यालोचना किया करते थे। पाँच-छः दिन के पश्चात् मुझे यह अनुभव हुआ कि ये लोग हमारी योजना को भलीभाँति समझ गये हैं और उसे चलाने के लिए काफी उत्साह प्रकट करते हैं। अतएव मैं चार-पाँच दिन और रहकर उनमें काफी प्रचार करके श्री श्याम जी भाई को वहाँ के कार्य-क्रम का संचालक बनाकर मेरठ चला आया। श्याम जी भाई ने उनमें धुनाई और कताई सिखाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया। मैं प्रति सप्ताह एक बार रासना चला जाया करता था और

उस गांव के लोगों को हर प्रकार के सुधार की प्रेरणा धुनाई-कताई और देता रहता था। कुछ काल पश्चात् किसानों और रात्रि पाठशाला उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए एक रात्रि पाठशाला खोल दी गई। मैंने देखा कि किसानों के बच्चे दिन में खाली नहीं रह सकते। जिस दिन से वह कुछ सजान होते हैं;

उसी दिन से उन्हें जानवरों को चराना, उनके लिए घास छीलना, गृहस्थी के काम में सहायता पहुंचाना, गोबर बटोरना तथा जंगल की लकड़ी चुनकर लाना इत्यादि काम करने पड़ते हैं और वे दिन भर इन्हीं कामों में फँसे रहते हैं। अतएव हम देहात में निःशुल्क शिक्षा का कितना भी उत्तम प्रबंध क्यों न करें किन्तु जब तक देहात की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में आमूल परिवर्तन नहीं होता तब तक वहाँ के बच्चे पाठशालाओं में उपस्थित होने में असमर्थ हैं। इसीलिए मैंने रात्रि पाठशाला की योजना बनाई। इससे हमें एक और लाभ हुआ। उसी गाँव के निकट के प्रारम्भिक स्कूल के मास्टर श्री रामदास भाई उस रात्रि पाठशाला में अवैतनिक रूप से पढ़ाने को तैयार हो गये। इस प्रकार वस्त्र-स्वावलम्बन के साथ-साथ शिक्षा और गाँव की सफाई का कार्य होने लगा।

अखिल भारतीय चर्खा-संघ के मंत्री श्री शंकरलाल भाई जब मेरठ आये थे तो उन्होंने मुझे यह बताया था कि जिस क्षेत्र में वस्त्र-स्वावलम्बन का कार्य होगा, उस क्षेत्र में चर्खा संघ या आश्रम की ओर से सूत की खरीद नहीं होनी चाहिए। मैंने वस्त्र-स्वावलम्बन के परिषद श्री जेठालाल भाई से भी सम्मति ली तो उनकी बातों से श्री शंकरलाल भाई की ही बात प्रमाणित हुई। अतएव मैंने उस क्षेत्र की सूत-खरीद बंद करा दी। सूत-खरीद बंद हो जाने के पश्चात् रासना का कार्य शिथिल होने लगा और कुछ ही सूत न खरीदने की दिनों में उन दो-चार परिवार के लोगों को छोड़ नीति की निष्फलता कर, जिनके साथ हम लोग विशेष धनियता रखते थे, शेष सभी लोगों की सहानुभूति उस कार्य से समाप्त-सी हो गई। मैं रासना जाकर इसका कारण अध्ययन करने की कोशिश करता रहा। इस सम्बन्ध में उस गाँव तथा आस-पास के गाँवों के बहुत से लोगों से वार्तालाप किया। इससे मुझे जो कुछ अनुभव हुआ उससे इस क्षेत्र की जनता के प्रति मेरी धारणा बदल

गई। मैंने वहाँ के लोगों को अब तक जैसा समझ रक्खा था वैसा वे नहीं निकले। उनमें दिखाऊपन और स्वार्थपरता ही अधिक थी। आदर्श की बात उनकी समझ में नहीं आई। इसलिए अब मैंने सोचा कि जब तक हम इनके सूत का कुछ भाग खरीद नहीं लेते, तब तक इन में वस्त्र-स्वावलम्बन का कार्यक्रम चलाना कठिन है। सदियों की शहरी और बाजारू सभ्यता हमारे ग्राम-समाज को ऐसी शैली में ढाल चुकी है कि आज कोई भी काम वगैरे बाजारू मनोवृत्ति के करना कठिन हो गया है। हमारे किसान खेत में अनाज बोते हैं तो उनका ध्येय यही होता है कि इसे बाजार में बेचेंगे। इसलिए प्रायः वे उसी प्रकार की खेती करते हैं जिसकी वे बाजार के लिए आवश्यकता समझते हैं। इसका कारण यह है कि आज वे इस अवस्था को पहुँच गये हैं कि जितना अनाज वे स्वयं खाने के काम में लाते हैं, उसका कई गुना उन्हें दूसरों को देना पड़ता है और दूसरे लोग अपना पावना पैसे के रूप में ही लेते हैं। इसलिए किसान उस चीज की खेती के लिए तैयार नहीं होते जो बाजार में विक्रय न सके। हाँ, बाजार के लिए तैयार किये हुए माल का कुछ भाग अगर वे अपने इस्तेमाल के लिए बचा सके तो प्रसन्नता से बचा लेते हैं। अतएव इस इलाके में धूमने पर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यदि हमें वस्त्र-स्वावलम्बन के कार्य में सफल होना है तो आवश्यक है कि उनके सूत के लिए विक्री का बाजार खोल दें तथा प्रचार और शिक्षा-द्वारा उनको इस बात के लिए तैयार करें कि अपना कता हुआ सूत अधिक से अधिक अपने ही प्रयोग में लायें। इसके साथ ही एक बात और भी समझ में आई कि वस्त्र-स्वावलम्बन के लिए अन्य प्रकार की आय में से कपड़े के लिए खर्च करना ठीक नहीं। क्योंकि इस कार्य के लाभ को वे तभी समझ सकते हैं जब उन्हें इसके लिए कुछ खर्च न करना पड़े। इस स्थिति में हम उनको समझा सकेंगे कि वे कपड़े के लिए घर का कितना अनाज बाहर भेज देते हैं। यह तभी हो सकता है जब उनकी खादी के तैयार

होने का अन्य व्यय उनके बढ़ती सूत की बिक्री से प्राप्त हो जाय। इन सब बातों पर दृष्टि डालने के पश्चात् मुझे स्वावलम्बन-क्षेत्र में सूत न खरीद करने की पद्धति भ्रमपूर्ण प्रतीत हुई। इसलिए मैंने पुनः वहाँ का सूत खरीद लेने की क्रिया का प्रचलन कर दिया*। दूसरी बाधा बुनाई की थी। उस देहात में कुछ ऐसे बुनकर थे जो २७ इंच अरज का कपड़ा बुना करते थे। वहाँ के लोग उनसे पहले भी दोहर आदि के लिए मोटे कपड़े स्वयं बनवा लिया करते थे। कुछ दिन प्रचार करने के पश्चात् और बुनाई कताई की शिक्षा देने के बाद लोग बारीक सूत भी कातने लगे और धोती आदि बनवाने का आग्रह करने लगे।

श्याम जी भाई सावरमती आश्रम में कई वर्ष तक बुनाई का काम सीख चुके थे। उस गाँव के निकट का ही एक बुनकर आश्रम की खादी बुना करता था। उसी को श्री श्याम भाई की संरक्षकता में लम्बी अरज का कपड़ा बुनने को देकर गाँव वालों की माँग पूरी करने की व्यवस्था की गई। श्री श्याम जी भाई के द्वारा उस बुनकर की कठिनाइयाँ भी सुलभ जाती थीं। इस प्रकार धीरे-धीरे वहाँ के लोग स्वावलम्बी होने लगे।

कुछ दिन पश्चात् श्री श्याम जी भाई अपनी स्त्री गुलबदन बहिन

*आज २० साल बाद परिस्थिति बदल गई। किसानों का अनाज महंगा होने से उन्हें चर्खे जैसी छोटी आमदनी-वाली-चीजों से दिल-चस्पी नहीं रह गई। स्वराज हो जाने से खादी पहनने वालों के सामने कोई हेतु नहीं दिखाई दे रही है। आज चर्खा और वस्त्र स्वावलम्बन का काम गांधीजी की धारणानुसार राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्रांति के आधार पर ही चल सकता है। अतः आज आखिल भारत चर्खा संघ देश भर में बाहोश कातने वालों के (गांधीजी के शब्दों में समझ-बूझ कर कातने वालों के) कताई मंडलों का संगठन कर वस्त्र स्वावलम्बन को मध्य बिन्दु मानकर समग्र-ग्राम सेवा द्वारा जन-संगठन की चेष्टा कर रहा है। १६—६—५०

और अपनी छोटी बच्ची को भी वहाँ पर ले आये और उस गाँव के निवासी एक मित्र के घर के एक भाग में रहने लगे।

टाँडा के देहात के वर्णन-क्रम में मैं तुमको लिख चुका हूँ कि गाँव का पुनर्गठन तब तक असम्भव है जब तक वहाँ की स्त्रियाँ शिक्षित न कर दी जायँ और उनका सुधार न हो जाय। गुलबदन बहन के वहाँ पर पहुँच जाने से मुझे इस दिशा में भी कुछ करने का अवसर मिल गया। एक दिन मैंने रासना गाँव के अपने प्रिय लोगों को बुलाया और उन्हें यह समझाया कि प्राचीन काल में हमारे देश की स्त्रियाँ कैसी रहीं और आज कैसी हो गई हैं। मैंने बताया कि संसार और समाज का मूल संगठन इन्हीं लोगों के हाथ में है। जब तक ये नहीं चाहतीं तब तक हम और आप चाहे कितनी भी कोशिश करें समाज को एक

पग या इंच भी आगे नहीं बढ़ा सकते। किसी स्त्रियों का शिक्षण गृहस्थी में पुरुष चाहे कितनी भी आय करे, और और सुधार चाहे कितना भी उत्तम प्रबन्ध करे किन्तु अगर स्त्री अयोग्य और संयमहीना हुई तो सारा घर नाश हो

जाता है; दूसरी ओर अगर कोई कितना भी गरीब क्यों न हो किन्तु यदि स्त्री सुप्रबन्धकारिणी हुई तो घर की रक्षा हो जाती है। इन्हीं घरों और गाँवों की समष्टि का ही नाम समाज या संसार है। उन लोगों ने मेरी बातें समझ लीं और इस दिशा में उत्साह दिखाने लगे। हम लोगों ने आपस में सलाह करके, जिस घर में श्याम भाई रहते थे, उसी घर के एक दालान में स्त्रियों को चर्खा, पढ़ना और अन्य प्रकार की शिक्षा देने के लिए एक महिला विद्यालय खोल दिया। किन्तु उसमें केवल लड़कियों ने ही आना प्रारम्भ किया। घर की औरतें और बहुएँ नहीं आती थीं। हमने यह सोचकर कि स्त्री-शिक्षा की दिशा में कुछ न कुछ तो हो ही रहा है, इतने पर ही संतोष किया और उन्हीं को लेकर विद्यालय चलाने लगा। किन्तु मैं जब जब रासना जाता था और वहाँ के लोग मुझ से मिलते थे तब तब उनसे कहता था

कि आप लोग लड़कियों को सिखा कर तो दूसरों के घर भेज देंगे, किन्तु आप लोगों के इतने परिश्रम का लाभ कुछ आप लोगों को भी तो मिलना चाहिए और जब तक आप अपनी बहुओं की शिक्षा का प्रबन्ध नहीं करेंगे, तब तक आप के गाँव में किसी प्रकार का सुधार होना सम्भव नहीं। वे लोग मेरी बातों का समर्थन तो करते थे, किन्तु उनके घरों से कोई भी स्त्री अन्त समय तक विद्यालय में नहीं आई। अगर कभी कोई आती भी थी तो केवल विद्यालय देखने की भावना से और गुलबदन बहिन के साथ गप्प लड़ाने के अभिप्राय से। मैंने गुलबदन बहिन से कहा कि आप उन्हें अपने घर की सफाई दिखाइए और उनके घरों में जाकर देश के सम्बन्ध में, स्वच्छता और उनके कर्तव्यों के सम्बन्ध में बात-चीत किया करें। इस प्रकार इस ढंग से कुछ-कुछ स्त्री शिक्षा का काम भी होने लगा।

धीरे-धीरे महीने पर महीने वृत्तने लगे और उत्तरोत्तर आश्रम के प्रति गाँव वालों की सहानुभूति में वृद्धि होने लगी और योजना के एकाध एकदेशीय कार्य-क्रम उन्नति करते रहे। किन्तु जो योजना हम लोगों ने कश्मीर में बनाई थी, उसको सक्रिय रूप देने का अभी तक कोई मौका नहीं मिला और देहात के मध्य में केन्द्रीय आश्रम बना कर ग्रामीण समाज के सर्वाङ्गीण पुनर्संज्ञा की कल्पना अब तक कल्पना ही बनी रही। मैं इस योजना को कार्य रूप में परिणित करने का अवसर ढूँढा करता था किन्तु इसके लिए यह आवश्यक था कि मैं पर्याप्त समय तक रासना रह सकूँ। अतः मैंने विचार किया कि यदि श्री अविनाश भाई प्रधान कार्यालय का कार्य चला लें तो मुझे काफी समय तक गाँवों में रहने की सुविधा मिल जायगी। इसी ध्येय से मैं अविनाश भाई को रासना ले गया और उनसे अपनी योजना के सम्बन्ध में बात-चीत की। उन्होंने मुझे निश्चित आश्वासन दिया कि आप अपनी इच्छानुसार निश्चित समय तक रासना गाँव में रह सकते हैं। फिर क्या था ? मैं रासना में ठहर गया और इस क्षेत्र के

विशेष व्यक्तियों से अपने कार्य-क्रम के विषय में चर्चा की। उन लोगों ने मुझे काफी उत्साहित किया और रासना के दो-तीन मित्रों ने गाँव से कुछ दूर मुझे लगभग दस बीघे जमीन दान कर दी। इस स्थान पर लगभग १०० बीघे परती जमीन थी जो उसी गाँव के लोगों की थी। गाँव वालों ने आर्शवासन दिया कि आप आवश्यकता पड़ने पर और अधिक जमीन ले सकते हैं। जिन मास्टर साहब ने रात्रि-पाठशाला में रात को पढ़ाने का भार उठाया था, उन्होंने तो आश्रम के ही हाते में घर बना कर सपरिवार रहने का वादा किया। इस के लिए श्रीशंकर-लाल भाई ने १८००) की स्वीकृति चर्खा संघ से आश्रम को प्रदान की और हम लोगों ने वहाँ आश्रम बनवाने का निश्चय कर लिया।

इसी समय चर्खा संघ का कार्य आश्रम की सुपुर्दगी में आ गया और श्री विचित्र भाई, जो इन दिनों चर्खा संघ के मंत्री का कार्य रहे थे, मेरठ आ गये और आश्रम के प्रधान कार्यालय का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। इस प्रकार मुझे आशा हो गई कि मैं अब अवकाश पाकर ग्राम सेवा का कार्य-भार लेकर पुनः रासना में बैठ सकूँगा। किन्तु ऐसा हो नहीं सका।

इसी समय सन् १९३० के सत्याग्रह की लड़ई छिड़ गई। चारों ओर से खादी की माँग वेहद बढ़ गई। इधर चर्खा संघ की जिम्मेदारी आश्रम के सिर पर आ पड़ने से आश्रम पर बहुत बोझ पड़ गया और आश्रम के खादी उत्पत्ति के कार्य से मुझे छुट्टी न मिल सकी। मुझे मेरठ क्षेत्र के बाहर के केन्द्रों की देख-भाल करने का काम मिला था। तीन-चार माह की अवधि में जब कार्य कुछ संगठित हो चला और मुझे पुनः छुट्टी मिलने की आशा हुई तो अचानक श्री शंकरलाल भाई मेरठ आये। और बंगाल के अमय आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं के जेल जाने के कारण आश्रम से मेरी सेवा अमय आश्रम के लिए मांगी। फलतः उसी समय बङ्गाल चला जाना पड़ा और जो रूप मैंने रासना का सोच रक्खा था, वह नहीं हो सका। इधर कुछ दिनों

बाद श्री श्याम जी भाई भी गिरफ्तार कर लिये गये । इसलिए वहाँ के काम को और भी धक्का लगा और आन्दोलन के दिनों में लगभग नहीं के बराबर रह गया । कालान्तर में कुछ नौसिखुये कार्य-कर्त्ता आश्रम की ओर से वहाँ भेजे गये, किन्तु अनुभवी कार्य-कर्त्ता के अभाव में वहाँ के कार्य में उन्नति नहीं हो सकी । सन् १९३१ में मुझे अभय आश्रम से छुट्टी मिल गई और मैं पुनः आश्रम की सेवा में लौट आया । एक बार फिर रासना को पुनर्गठित करने की कोशिश की किन्तु आश्रम मुझे सर्वदा के लिए वहाँ बैठने का समय न दे सका प्रत्युत दो-एक कार्य-कर्त्ता बढ़ाकर वहाँ के कार्य-विकास का प्रयत्न किया गया । दादा और विचित्र भाई भी इस काम में दिलचस्पी लेने लगे और वहाँ भेजे गये कार्य-कर्त्ताओं को बराबर चेतावनी देते रहे । मैं बाहर के केन्द्रों का दौरा करता रहा इसलिए मेरा सम्पर्क रासना से टूट गया । फिर मैं उस देहात में नहीं जा सका । इसी समय सन् १९३२ की लड़ाई छिड़ गई । विचित्र भाई आदि बहुत से कार्यकर्त्ता जेल चले गये और रासना का काम ज्यों का त्यों पड़ा रह गया । जो लड़के उस केन्द्र में काम करते थे; वे सब भी गिरफ्तार कर लिये गये ।

यह पत्र योंही कुछ बड़ा हो गया है । इस समय रात भी अधिक जा चुकी है इसलिए इसे और बढ़ाने को जी नहीं चाहता । अतः आज यहीं समाप्त करके सो जाता हूँ । दूसरे दिन रासना की शेष कहानी लिखूँगा । इति ।

[१८]

रासना की शेष कथा

२६—८—४१

उस दिन मैं रासना की कहानी लिखते-लिखते सो गया था अतएव आज फिर उसकी कुछ शेष बातें लिखूँगा । सन् १९३२ ई० के आन्दोलन-काल में गांधी जी के निर्देशानुसार आश्रम आन्दोलन से अलग रखा गया था, फिर भी यह सरकार के दमन-चक्र से बच न

सका था । आश्रम के कितने ही केन्द्र सरकार-द्वारा जब्त कर लिये गये थे । इन्हीं में रासना भी सम्मिलित था । इसके बन्द हो जाने से आश्रम की ओर से उस देहात का कार्य बन्द सा हो गया था । किन्तु अब फिर आन्दोलन कुछ-कुछ दब चुका था, विचित्र भाई जेल से छूट कर आ गये थे और हम लोग पुनः देहात के कार्य के पुनर्सङ्गठन के विषय में चर्चा करने लग गये थे । लड़के भी जेल से छूटकर आ गये थे । इसी अवधि में हजारीवाग जेल से दादा का लिखा हुआ विचित्र भाई के नाम एक पत्र आया जिसमें उन्होंने देहात के काम पर जोर देने को लिखा था और कार्य का एक निश्चय ढंग भी लिख मेजा था । उनकी कल्पना थी कि गाँवों के मध्य एक हाई स्कूल खोलकर और उसी को केन्द्र बनाकर हर प्रकार की सुधार-योजना का कार्यक्रम चलाना होगा । दादा का यह पत्र पढ़ कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई क्योंकि उन्होंने खास विचित्र भाई पर ही इस प्रोग्राम का भार दिया था । इसलिए विचित्र भाई ने प्रधान कार्यालय का उत्तरदायित्व नहीं लिया । मुझे इस बात से भी प्रसन्नता हुई कि जब आश्रम के सब से बड़े उत्तरदायी भाई गाँव में जाकर बैठेंगे तो आश्रम के कार्यक्रम में ग्राम-संगठन का ही कार्य प्रधान हो उठेगा और हम लोगों को भी धीरे-धीरे देहात में जाने का अवसर मिलेगा । तुम्हें मैं पहले ही लिख चुका हूँ कि प्रारम्भ से ही मेरी यह धरणा हो गई कि मैं देहात में रहकर काम करूँ । लगभग दो वर्ष तक टांडा और अकबरपुर में रहने के कारण वह धारणा और भी दृढ़ हो गई थी । इधर तीन-चार वर्ष तक दफ्तर के कार्य में व्यस्त रहने के कारण इस अवधि में यह भावना कुछ दब-सी गई थी । किन्तु जब से रासना का कार्य प्रारंभ हुआ तब से देहात में कार्य करने की इच्छा फिर बलवती होती गई । अब तक मुझे स्थायी रूप से गाँवों में रहने का अवसर नहीं मिला था । आश्रम के विविध प्रकार के कार्यों में फँसा रहना पड़ता था अतएव जब दादा ने विचित्र भाई को उपर्युक्त पत्र लिखा तो मेरा प्रसन्न

होना स्वाभाविक हीं था। सरकार ने जब रासना केन्द्र वापिस दिया तब मैंने विचित्र भाई पर वहाँ बैठने के लिए जोर रासना केन्द्र दिया। विचित्र भाई भी तैयार हो गये और रासना का अन्त चले भी गये, किन्तु कुछ समय बाद कई कारणों से बाध्य हो कर उन्हें मेरठ वापस चला आना पड़ा। फिर वे मेरठ से ही आश्रम के कुछ लड़कों को भेज कर वहाँ का काम चलाने लगे; किन्तु इस ढंग से वहाँ का कार्य आगे न बढ़ सका और परिस्थिति इस अवस्था तक पहुँच गई कि कुछ समय पश्चात् उस केन्द्र को बन्द कर देने का प्रस्ताव रखा गया। शुरू-शुरू में मैंने इसका विरोध किया किन्तु मुझ पर आश्रम की ओर से खादी भण्डारों की जिम्मेदारी आ पड़ी और निकट भविष्य में गांव की ओर जाने की कोई आशा नहीं दिखाई दी अतएव जब रासना के विषय में दूसरी बार उनके तोड़ने का प्रस्ताव आया तो मैंने पक्ष में ही राय दी। फल यह हुआ कि रासना का काम बन्द कर दिया गया। अब मैंने देहात की बातों को अपने दिमाग से दूर कर सारा ध्यान विकी भण्डारों की व्यवस्था में ही केन्द्रित कर दिया। इस प्रकार पुनः मुझे गांव की बातें भूल जानी पड़ीं।

इस समय मेरा स्वास्थ्य सुधर रहा है, किन्तु दैनिक कार्यों में कुछ शिथिलता आ गई है। कुछ लोग देवली को खाना हो रहे हैं और कुछ इधर-उधर तब्दील हो रहे हैं। अभी तीन-चार दिन हुए बाहर से एक भाई आये हुए थे; उन्होंने बताया कि १०० नजरबन्द अन्य जगहों को भेजे जाँयगे। इसलिए जेल में दिन-रात “कौन जायगा, कौन नहीं” की ही चर्चा रहा करती है। तीन-चार महीने तक सब के एक साथ रहने के कारण आपस में प्रेम का गहरा सम्बन्ध उत्पन्न हो गया। अब लोगों का तितर-बितर हो जाना बुरा लग रहा है। लेकिन जेल की यह सब माया तो लगी ही रहती है। इसलिए अपने कार्य-क्रम में पुनः जुटने की कोशिश कर रहा हूँ। चर्खा का

ज्ञास नियमित रूप से चल रहा है। सबको नमस्कार। इति

[१६]

सेवा का निश्चित कदम

३१—८—४१

सन् १९३० और १९३२ के आन्दोलन ने आश्रम के बहुत से भाइयों को जेल में भर दिया। इसलिए हम बाहर के लोगों पर अधिक जिम्मेदारी पड़ गई थी। आन्दोलन के पश्चात् सन् १९३३-३४ में राजनीतिक वायुमण्डल शिथिल पड़ने के कारण कार्य की प्रगति में शिथिलता आ गई थी। ठीक इसी समय मुझे विक्री भण्डार और प्रचार-कार्य की जिम्मेदारी मिली। अतः परिस्थिति का सामना करने में २ वर्ष तक काफी परिश्रम करना पड़ा। मेरा स्वास्थ्य आन्दोलन-

काल में ही विगड़ चुका था; उक्त परिश्रम वह सहन

स्वास्थ्य का न कर सका और मैं नितान्त अशक्त हो गया।

दिवाला आश्रम के लोगों ने मुझे साल भर तक विश्राम करने की सलाह दी और आदेश दिया कि आप ही कार्य-

क्षेत्र से कहीं अलग चले जावें। उन दिनों मैं अकबरपुर में था। दादा ने मुझे कराची जाकर कीकी बर्हिन के साथ रहने की सलाह दी। पहले तो मुझे कराची जाना ठीक प्रतीत हुआ किन्तु बाद में मेरी राय बदल गई। कराची का समाज मेरे लिए अनुकूल नहीं था; उस प्रकार के समाज से मैं सर्वथा विमुख हो चुका था। घर का समाज भी मुझे पसन्द नहीं था अतः वहाँ जाकर भी अधिक दिन तक रहना मैंने उचित नहीं समझा। इस विश्राम-काल को कहां जाकर व्यतीत करूँ यही सोचा करता था। एक बार विचार हुआ कि अभय आश्रम में क्यों न चला चलूँ? किन्तु वह भी जब्त हो चुका था। इसी चिन्ता में एक महीना समाप्त हो गया। इसी समय बनारस में खादी और स्वदेशी प्रदर्शनी का संगठन हो रहा था। बनारस के आश्रमीय भाइयों ने आग्रह किया कि मैं वहाँ अवश्य जाऊँ। फलतः मुझे बनारस जाना

पड़ा। बनारस में परिश्रम अधिक करना पड़ा जिससे स्वास्थ्य और भी चिन्त्य हो गया।

अपनी निर्वलता देख कर और विश्राम के लिए अब तक किसी समुचित स्थान का निश्चय न कर सकने के कारण मुझे कुछ निराशा-सी प्रतीत होने लगी। रात को नींद तो आती ही न थी इसलिए दिमाग चक्कर खा-खाकर इसी समस्या का समाधान किया करता था। सोचते-सोचते एक दिन एकाएक यह विचार उठा कि क्यों न किसी देहात में चल कर आसन जमाऊँ। वहाँ का वातावरण मेरे विशेष अनुकूल होगा और विश्राम के दिनों में भी गांव वालों की गाँव में विश्राम कुछ न कुछ सेवा तो कर ही सकूँगा। इस प्रकार का निश्चय यह विश्राम का समय विल्कुल व्यर्थ नहीं जायगा।

दादा भी बनारस आये हुए थे; मैंने अपना यह विचार उनके सामने रखवा और उन्होंने इसका निर्णय हमारी स्वेच्छा पर छोड़ दिया। मैंने उसी दिन अकबरपुर वालों को गाँव तलाश करने को लिख दिया और यह भी लिख दिया कि गांव तलाश करते चक्क निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा :—

१—गांव छोटा हो, साफ हो, तथा अच्छे जलवायु वाला हो।

२—उस क्षेत्र में कांग्रेस आदि का काम न हो। जिससे मुझे किसी अन्य प्रकार के कार्य-क्रम में न फँसना पड़े।

३—गांव का मुखिया सभ्य और सहानुभूतिपूर्ण हो।

४—जहाँ तक सम्भव हो गांव नदी के किनारे आवाद हो। इसी प्रकार की कुछ और भी शर्तें थीं जो इस समय स्मरण नहीं आ रही हैं।

तदनुसार अकबरपुर के भाइयों ने रणौवाँ गांव का चुनाव किया। एक सप्ताह पश्चात् जब मैं अकबरपुर गया तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि जिस गांव का चुनाव किया गया है, उसमें नदी के अतिरिक्त सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं। मैं तो गांव में जाने के रणौवाँ का चुनाव लिए उत्सुक था ही इसलिए तुरन्त अकबरपुर से

रणीवां के लिए खाना हो गया। मेरे साथ रणीवां गांव का निर्वाचन करने वाला लाल सिंह नाम का कार्यकर्ता भी था। यह पहले ही निश्चय हो चुका था कि मेरे साथ लाल सिंह और कर्ण जायंगे और मेरे वहां पूर्ण रूप से स्थिर हो जाने के पश्चात् कर्ण वहां से लौट आयेगा।

गुसाईं गंज पहुंच कर मैं एक मन्दिर में रुक गया और लालसिंह रणीवां मकान का प्रबन्ध करने चला गया। रणीवां के एक ब्राह्मण ने अपने दो कमरे, जिनसे वह भूसा रखने और घोड़ा बांधने का काम लेते थे, हमें प्रदान किये और लालसिंह उन कमरों को कुछ साफ-सुथरा करके वापस लौट आया। तत्पश्चात् हम लोग जाकर रणीवां में बैठ गये और तीनों व्यक्ति मिल कर अपने रहने के स्थान की दुरुस्ती में लग गये।

रणीवां गुसाईं गंज से ५ मील दक्षिण की ओर है। आने-जाने की सड़क भी ठीक नहीं है। लोग उस क्षेत्र को वज्र देहात कहा करते हैं। सन् १९२३-२४ में मुझे इसी फैजाबाद जिले की टांडा तहसील के देहात में भ्रमण करने का अवसर मिला था। अगस्त सन् १९२४ में मैंने पैदल वहाँ भ्रमण प्रारम्भ किया था। दस वर्ष के पश्चात् ३१ दिसम्बर सन् १९३४ को उसी जिले के इस गांव में आकर स्थायी रूप से बस गया। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उससे पांच वर्ष पूर्व मैंने रासना के क्षेत्र में बैठने का प्रयत्न किया था, किन्तु उस समय अवसर न प्राप्त हो सका था। किन्तु आज अपनी आकस्मिक बीमारी के कारण बरसों की दबी हुई इच्छा पूरी हो गई। मनुष्य-जीवन में कभी-कभी शाप भी बरदान का रूप प्राप्त कर लेता है। दूसरे दिन हम लोग दिन भर गांव के चारों ओर घूमते रहे। चना, मटर और गेहूँ के खेतों की मेड़ों पर घूमने से मुझे एक-एक करके पुरानी बातें याद आने लगीं। अवध प्रान्त की वह टूटी-फूटी भोपड़ियां, वही हवा और पानी, वही बोली तथा उसी प्रकार की रहन-सहन देख कर हृदय प्रसन्नता से ओत-प्रोत हो गया। दो ही-चार दिन के पश्चात् मैं चंगा होने लगा।

आज तबीयत कुछ ठीक नहीं प्रतीत हो रही है। इसलिए पत्र

यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आशा है तुम लोग कुशल-पूर्वक होंगे। मैं कुशल से हूँ। तालीमी संघ का केन्द्र उड़ीसा में खोलने के सम्बन्ध में लिखा था, उसका क्या हुआ ? रणीवां का प्रोग्राम तो रुक ही गया। देखो, कब होता है ? नमस्कार। तुम्हारा इति।

[२०]

ग्राम-प्रवेश का तरीका

३—६—४१

रणीवां में अपने स्थान को ठीक रूप से रहने योग्य बना लेने में दो-तीन दिन लग गये। रहने के स्थान की दुरुस्ती से निश्चिन्त होने पर श्री कर्ण भाई और लालसिंह भाई ने पूछा कि अब क्या प्रोग्राम होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आप तो अभी कम-जोर ही हैं इसलिए आप बैठे-बैठे बताते रहें और हम लोग ग्राम-संगठन का कार्य प्रारम्भ कर दें। पिछले दिनों गांव में काम करने से मुझे यह अनुभव हो गया था कि गांव में जाकर तुरन्त ही गांव वालों से कुछ करने के लिए नहीं कहना चाहिए। क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही लिख चुका हूँ कि गांव के लोगों को हम लोग जितना वैशकूप समझते हैं

उससे अधिक वे हमें समझते हैं। जिस समय शहर के पढ़े-लिखे कार्यकर्ता गांव की किसी सार्वजनिक सभा में भाषण कर उनके अज्ञान एवं उनसे पैदा होने वाली खराबियों का वर्णन कर और उन्हें दूर करने के उपाय बता कर चले जाते हैं उस समय अपने घरों को लौटती हुई जनता के साथ होकर उनकी आपसी बात-चीत सुनने में बड़ा आनन्द आता है। उनकी बातें निम्न प्रकार की होती हैं।

एक देहाती—भैया, खूब लिक्चर दिहिन।

दूसरा—ठीक कहत हैं हमरे सब बड़े फूहर मनई होईं।

तीसरा—जभी त हिन्दुस्तान दुख उठावत है।

इसी बीच में एक कह उठता है, दुख तो पावत है, मुला यह जौन चरमा पहिनिके आये रहिन, वे कौन सा कात्रिल मनई हवें । दुइ अक्षर अँगरेजी पढ़ि लिहिन, दुनिया भर का उपदेश करे फिरत हैं । हमरे सब का ज्ञान बतावत हैं ।

दूसरा—“हां, भइया, जौन चाप दादा के रिवाज रस्म रहे, तौन वेकार । इनके सब के जौन परदेसी विचार तौन भलो । आये हैं स्वदेशी के प्रचार करे खातिर मुला दिलवा में सम्मे विलाइतिया भरे बैठे हैं ।”

तीसरा—“हमका पढ़े कहत हैं, सफाई राखे कहत हैं । तुहरे अस भोली भर रुपया रहत तो हमहूँ सब पढ़ के और धोवी से कपड़ा धुलवा के तुहूँ ले बड़ के बड़बड़ाइत । यहाँ खाये बिना मरित हैं, ए आय के नकशा काढ़त हैं !”

उनमें से एक और कहता है कि “वे कहत रहे कि व्याह-शादी में ढेर खरचा जिनि करो । आजा बाजा जौन जात है तौन कुछ वेकार है, ई कुल टीम-टाम नाहीं करे के चाही । भला उनसे पूछौ तो कि तुहरे शादी में तुहरे भाई-चाप हँडिया अस मुँह करके बइठे रहे और तुहरे यहां लड़का-लड़की के व्याह-शादी मां दूल्हा-दुलहिन का लड़िया में बैठा के हाक देत हैं क्या ?”

हम लोग जब देहात में जाकर देहात के लोगों को सुधरने का उपदेश देते हैं तो वे लोग हमारी बातों की इसी प्रकार दिल्लीगी उड़ाते हैं क्योंकि वे अपने सदियों से जमे हुए रस्मो-रिवाज के सामने दूसरी बातें ऊँची नहीं मान सकते । इससे उनके प्रच्छन्न आत्मा-भिमान पर चोट पहुंचती है और उनकी आत्मा विद्रोही बन जाती है । मैंने टाँडा के देहात में काम करते समय यह भी देखा था कि जिनको वे अपना स्वजन समझते हैं उन्हीं की बात सुनने के लिए तैयार होते हैं । और जब दूसरे उनकी गलती बताने आते हैं तो वे उनको बरदाश्त नहीं करते । यह उनका स्वाभिमान ही है कि जितना वे अपने भाई की डाँट बरदाश्त करेंगे उतना पड़ोसी की नहीं करेंगे । और

जितना पड़ोसी का सहन करेंगे उतना किसी दूसरे बाहरी आदमी का नहीं। इसलिए मैंने अपने साथियों से कहा कि इस समय हमारे सामने कोई प्रोग्राम नहीं है। गाँव में रहना और यहाँ बस जाना ही हमारा प्रोग्राम है। इस प्रकार हम लोग दिन भर गाँव में रहने का ही प्रोग्राम चलाने लगे। सवेरे उठना, चक्की चलाना, पानी भरना, भोजन बनाना, कपड़ा धोना, अपने स्थान तथा आस-पास की जगह को साफ रखना एवं चर्खा चलाना इत्यादि कामों में तन्मय हो गये। गाँव के लोग हमारे पास आते थे, बैठते थे, बातें करते थे। हम लोग भी उनके घरों में जाते थे और बैठते थे। धीरे धीरे लोगों ने हमारे विषय में बहुत कुछ जान लिया और आस-पास के दो-एक गाँवों से भी लोग हमें देखने आने लगे। किन्तु ऐसे लोग बहुत कम आते थे।

देहात के लोगों में यह खास बात है कि किसी एक गाँव की घटनाओं से दूसरे गाँववालों को कोई विशेष दिलचस्पी नहीं होती। गाँव में भ्रमण के समय कभी-कभी ऐसा अवसर आ उपस्थित होता था कि हमारे साथी लालसिंह गाँव के दकियानूसी ख्याल के लोगों से बहस करने लगे जाते थे। मैं उनको रोकता था। कहता कि इस प्रकार के विवाद से लोग तुमसे विमुख हो जायेंगे और तुम कुछ काम नहीं कर सकोगे। वह मेरी बातों से ध्वरा से उठते थे और कभी-कभी निराश हो कर कहने लगते थे कि यदि गाँव के लोग ऐसे ही अन्धकार में पड़े रहे तो हमारे यहाँ आने से ही क्या लाभ हुआ? क्या खाना बनाना, बर्तन मांजना और चक्की चलाना ही काम है? मैं उन्हें समझाता था, धवड़ाने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ स्वतः हो जायगा। पहिले गाँव के कुटुम्ब में तुम भी एक कुटुम्ब बनने का प्रयत्न करो। फिर धीरे-धीरे लोग जब हमारे सम्पर्क में आयेंगे तो अपने-आप ख्यालात बदलने लगेंगे।

हम लोग जित क्षेत्र में जाकर बैठे थे वह अयोध्या हमारे रहन-सहन के समीप ही था; इसलिए वहाँ प्राचीन रूढ़ियों का प्रचलन था। लोग बहुत गौर से देखा करते थे कि हम लोग

क्या खाते हैं और किस तरह रहते हैं। मैं बंगाली था; इसलिए लोगों में और भी उत्सुकता थी। हम लोगों के कुर्ता पहन कर भोजन करने के ढंग पर पर्याप्त टीका-टिप्पणी होती थी। हम लोग मिल कर एक साथ भोजन बनाते थे, यह भी उनके लिए एक विषम समस्या की बात रही। खाना खाने के पश्चात् चप्पल पहन कर हाथ धोने जाते थे, इस पर भी लोगों को काफी एतराज होता था। इस विषय पर हमसे गांव के लोग अत्यधिक वाद-विवाद किया करते थे। हम भी उनका उत्तर देने के लिए विचित्र-विचित्र सिद्धान्तों को जन्म देते थे। ऐसा करने में हमारा उद्देश्य यह रहता था कि उनके रस्मो-रिवाज पर आक्षेप किये बिना ही अपने विरुद्ध की जाने वाली टिप्पणी से अपनी रक्षा करते हुए अपने व्यवहारों के प्रति उत्पन्न हुई उनकी घृणा की प्रवृत्ति को क्रमशः कम करते चलें। क्योंकि यदि वे अपने परम्परागत आचारों में कोई परिवर्तन नहीं भी करते किन्तु हमारे व्यवहार और आचार-विचार को समझते हुए हमें अपने समाज में ग्रहण कर लेते हैं तो भी हम उनके दकियानूसी विचारों को दूर करने में एक कदम आगे ही बढ़ते हैं। हमारे आविष्कृत सिद्धान्तों को जब तुम सुनोगी तो तुम को बड़ी हँसी आयेगी। कपड़ा पहिन कर खाने के विषय में हम उनसे कहा करते थे कि हमारे देश के प्राचीन ऋषि-महर्षि कोई वेवकूफ तो थे नहीं, उन्होंने जो रिवाज आप के लिए बनाया है वह ठीक है। आप लोगों को कपड़ा पहन कर नहीं खाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने में सफाई नहीं रह सकती। क्योंकि आप लोग रोज नहाते समय धोती तो धोही लेते हैं किन्तु अन्य कपड़े नहीं धोते इसीलिए कुरता आदि पहन कर खाना मना कर दिया गया

है। किन्तु हम लोगों के लिए यह बात लागू नहीं होती क्योंकि हम लोग नित्य स्नान करते समय अपने सभी इस्तेमाली कपड़े साबुन से साफ कर लिया करते हैं। इस ढंग से बात करने में दो लाभ होते थे। एक

तो उनकी प्राचीन प्रणाली का सम्मान बना रहता था और दूसरे यह कि समाज के प्रचलित आचार-व्यवहार केवल आचार के ही लिए नहीं हैं बल्कि उनके पीछे विचार भी मौजूद हैं और हर एक आचार के साथ विचार का होना अनिवार्य है, इन बातों की धारणा भी उनके मस्तिष्क में धीरे-धीरे उत्पन्न हो जाती थी। और साथ ही उन्हें सफाई की महत्ता समझाना आसान हो जाता था।

एक साथ मिल कर खाने के विषय में उनसे कहता था कि हम लोग आप से तो नहीं कहने आते हैं कि आप भी हमारे साथ खाइये। आप अपना धर्म निवाहिए, हम अपना निभायें। हम लोग तो गाँधी ब्राह्म की फौज के सिपाही हैं। भला कहीं फौज में भी पचास चूल्हे जलते हैं ? इस प्रकार गाँव वालों ने धीरे-धीरे अपनी स्थानीय सामाजिक प्रथा के सर्वथा विरुद्ध हमारी रहन-सहन को स्वीकार कर लिया। और हम उत्तरोत्तर उनमें से एक बनने के निकटतर होते गये और गाँव के अन्य सभी परिवारों में हमारा भी स्थान होने लगा। स्त्रियाँ भी हमें कुटुम्बी ही जैसा देखने लगीं।

अब हम लोगों ने धीरे-धीरे गाँव में चर्खा चलवाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया। तीन-चार चर्खे वहाँ पहले से ही चल रहे थे, हम लोगों की कोशिश से चर्खे बढ़ने लगे। चर्खा तो लोग कात लेते थे किन्तु रुई धुनने के लिए नहीं तैयार हुए। रणीवाँ गाँव ब्राह्मणों का था अतएव वे लोग ताँत छूने से धर्म चले जाने का चर्खा चला ख्याल करते थे। हम लोग उन्हें बहुत समझाते भी थे, किन्तु वे किसी तरह स्वीकार नहीं करते थे। अन्त में हमने उनके घरों में आटा चलाने वाली चर्मनिर्मित चलनी देखी। अनाज साफ करने का सूप भी ताँत से बँधा हुआ था। अब हमने उनको यह बताया कि आप लोग खाने-पीने की सम्पूर्ण सामग्री तो चमड़े और ताँत से मिला देते हैं किन्तु केवल ताँत को हाथ से छूने तक में एतराज करते हैं। मेरी इस दलील का जवाब गाँव की

किसी स्त्री या पुरुष के पास नहीं था और इस प्रकार धीरे-धीरे उनमें धुनाई का भी प्रचार हो चला ।

पं० लालताप्रसाद मिश्र उस रणीवाँ गाँव के मुखिया थे और उन्हीं के आग्रह से हम लोग रणीवाँ आये थे । जब लालता प्रसाद जी हम लोगों के साथ बैठ कर नियमित रूप से चर्खा चलाने लगे तब हमारा काम बहुत सरल हो गया । उनकी देखा-देखी गाँव के अन्य लोग भी चर्खा कातने लगे । प्रारम्भ में गाँव वालों की यह धारणा थी कि चर्खे के सूत से धोती और साड़ी नहीं बन सकती है । उनका यह सोचना स्वाभाविक भी था । क्योंकि उस गाँव में जो दो-तीन चर्खे चलते थे, उनमें चार-पाँच नम्वर का ही सूत कतता था और साधारण-तया लोग उसे बेच दिया करते थे । हम लोगों ने यहाँ पर बख्त स्वावलम्बन के ही उद्देश्य को दृष्टिकोण में रख कर कार्य प्रारम्भ किया था । जब पहले-पहल गाँव के सूत से जनानी साड़ी बन कर रणीवाँ आई

तो वहाँ के इतिहास में यह एक नवीन बात थी । गाँव में वही कते जब लोगों ने सुना कि अमुक के घर में अमुक के सूत की पहली साड़ी सूत की एक धोती बुन कर आई है तो लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठा होने लगे थे । पर्दे के कारण जो स्त्रियाँ वहाँ नहीं आ सकती थीं, वे उसे अपने घर मँगा कर देखती थीं । इस तरह अपने सूत का कपड़ा पहिनते देख कर लोगों की अभिरुचि बढ़ने लगी और हमारे लिए भी चर्खा प्रचार का एक साधन हो गया । इस प्रचार से चर्खा सिखाने के क्रम में वहाँ की स्त्रियों और बच्चों से हमारी घनिष्ठता बढ़ने लगी ।

मैं तुम्हें पहले ही लिख चुका हूँ कि देहात के काम करने के लिए योजनाओं की कमी नहीं है । कमी कार्यकर्ताओं की है । अगार गाँव में जाकर बिना किसी प्रोग्राम और काम के भी बैठा जाय तो कुछ ही दिनों में हमें इतने काम आकर घेर लेंगे कि हमें यह निर्णय करना कठिन हो जायगा कि किस काम को पहले करें और किसे

वाद में करें। रणीवां में भी देखते ही देखते चर्खा सिखाने की इतनी माँग आने लगी कि हम लोगों को एक मिनट के लिए भी छुट्टी नहीं मिलती थी।

बस, आज यहीं समाप्त करता हूँ। रणीवां ग्राम का कुछ परिचय अगले पत्र में लिखने का विचार है। इति।

[२१]

समग्र-सेवा की ओर

| ४—६—४१

कल मैंने रणीवां का कुछ परिचय देने का वादा किया था। यों तो तुम स्वयं ही उस गांव में घूम आई हो, फिर भी विस्तार के साथ कुछ बातें बताना बुरा न होगा।

रणीवां गांव फैजाबाद जिले के ठीक मध्य में पड़ता है। गुसाईं-गंज स्टेशन से ५ मील दक्षिण बसी हुई ब्राह्मणों की यह छोटी सी बस्ती देखने में गांव नहीं प्रतीत होती। इसको पुरवा या टोला ही कहा जा सकता है। किन्तु तुम देख चुकी हो कि इधर गांव यों ही बसे हुए हैं। जिस व्यक्ति का जिस स्थान पर अधिक खेत होता है, वह वहीं जाकर बस जाता है और उसके नाम से उस पुरवा का नामकरण हो जाता है। परिवार बढ़ जाने पर जब दो-चार घर बढ़ जाते हैं तो वही पुरवा गांव कहलाने लगता है। रणीवां भी इसी तरह का एक गांव है। इसमें ६-१० घर ब्राह्मणों के तथा तीस-बत्तीस

रणीवां की
बस्ती

घर मजदूर अहीर, बनिया और बढ़ई, कुम्हार वगैरह के कुल मिलाकर पचास घर होंगे इतर जातियों के लोग ब्राह्मणों के आसामी हैं और उन्हीं की सेवा-टहल किया करते हैं। ब्राह्मण लोग भीटी के ताल्लुकेदारों की अधीनता में पोखतेदार हैं। ये लोग जमीन के मालिक होते हैं किन्तु लगान ताल्लुकेदारों को देते हैं। इस गांव के लोगों के पास

जमीन बहुत थोड़ी है जिससे वे किसी तरह अपना निर्वाह कर लेते हैं। कुछ दिन पहले यहाँ के कई व्यक्ति कलकत्ता और रंगून में नौकरी करते थे और बाहर की कमाई के पैसे से खेती की कमी को पूरा करते थे किन्तु आज कल तो केवल एक व्यक्ति के अतिरिक्त और कोई बाहर नहीं है। अरब की गरीबी को देखते हुए उस गाँव को मध्यम श्रेणी का गाँव कहा जा सकता है किन्तु साधारणतया उसे गरीब गाँव में ही परिगणित करना चाहिए।

यह गाँव ऐसे स्थान पर बसा है कि इससे उत्तर और दक्खिन दोनों ओर नदी पड़ती है इसलिए यह बरसात के दिनों में शेष संसार से अलग हो जाता है। और सड़कों की सुविधा न रहने से बाहर से बहुत कम सम्बन्ध रह जाता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और सरकारी विभाग के लोग इधर बहुत कम आ पाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को पिछड़ा हुआ इलाका कहा जाता है। आसपास के कई गाँव ढूँढ़ डालने पर कहीं जाकर दो-एक पढ़े हुए लड़के मिलते थे। संसार से अलग

रहने के कारण इस क्षेत्र में प्राचीन रूढ़िवाद का बहुत पिछड़ा वातावरण अधिक देखने में आता था। गाँव में केवल खान-पान के भेद-भाव के अतिरिक्त और कोई आन्दोलन देखने में नहीं आता था। कौन

किसका निमंत्रण काटता है, इसी एक बात की चर्चा गाँव वालों की दिलचस्पी का प्रधान विषय था। कांग्रेस की बातों से इन्हें स्वप्न में भी कोई सम्बन्ध नहीं था। हम लोगों के विषय में भी इन लोगों में तरह-तरह की कहानियों का विकास होता था। लोग आपस में कहा करते थे कि एक बंगाली बाबू आये हैं, कहीं बम आदि बनाने का विचार तो नहीं है। कभी लोग कहते थे कि ये लोग जादू जानते हैं। एक बार बच्चों को तमाशा दिखाने के लिए मैं आतशी शीशे से कागज जला रहा था, इस पर गाँव भर की औरतें यह कहती हुई इकट्ठा होने लगीं कि बंगाली बाबू जादू से आग लगा देते हैं। इस तरह की

विभिन्न कहानियां गांव में फैली हुई थीं। ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र के लिए यह सब स्वाभाविक ही था !

यद्यपि इस इलाके को कोई नई बात समझाना बड़ा कठिन कार्य था फिर भी मुझे यही जगह पसन्द आई। मैंने अपने साथियों से पहले ही कह दिया था कि ऐसे गाँव की खोज की जाय जहाँ किसी प्रकार का सार्वजनिक कार्य न होता हो जिस से मुझे शान्ति प्राप्त हों सके। प्रारम्भ में मैंने केवल अपने स्वास्थ्य को ही दृष्टिविन्दु में रख कर ऐसा कहा था। किन्तु दो-तीन माह इस क्षेत्र में रहने के बाद मुझे

ज्ञात हुआ कि इस क्षेत्र के लोगों में अन्य जगहों की अपेक्षा भारतीय संस्कृति अधिक दिखाई देती है। अशिक्षित, मूर्ख और दकियानूसी ख्याल के होते हुए भी ये लोग श्रद्धा और प्रेम में अतुलनीय थे! इसलिए उत्तरोत्तर मुझमें उत्सुकता उत्पन्न होने लगी कि मैं इसी क्षेत्र में काम करूँ। मैंने उस क्षेत्र में स्वावलम्बन-कार्य के प्रसार के लिए एक योजना बना कर शंकर लाल भाई के पास भेज दी। श्री शंकरलाल भाई ने मेरी योजना स्वीकृत करते हुए मुझे पत्र लिखा। तदनुसार मैंने मेरठ को पत्र लिखा और वहाँ से स्वीकृति आ गई। रणीवाँ आने के समय वह निश्चय हुआ था कि कर्ण भाई मुझको रणीवाँ में बैठाकर अकबरपुर वापस चले जायँगे। इसलिए वे कभी अकबरपुर रहते थे और कभी रणीवाँ। किन्तु जब जब रणीवाँ में आश्रम की ओर से ग्रामसेवा-कार्य का केन्द्र खोलने का निश्चय हुआ तो ये भी स्थायी रूप से मेरे साथ रहने लगे।

इस प्रकार अब रणीवाँ, आश्रम की ओर से ग्राम-सुधार का स्थायी केन्द्र बन गया तो मैं उसके लिए स्थायी कार्य-क्रम सोचने लगा। मैंने तुम्हें लिखा था कि सदियों की गरीबी ने ग्रामीण लोगों को सर्वथा वेहोशी की अवस्था में पहुँचा दिया है, इसलिए जब तक हम उनके जीवन में चेतना का संचार नहीं करते तब तक उनमें कोई भी

कार्य-क्रम सफल नहीं हो सकता । जीवन-संचार के लिए यह अनिवार्य है कि हम उनके जीवन के प्रत्येक अंग ग्रामसेवा का साथ सेवा करें । सन् १९२६ ई० में भी आधार-विन्दु मैंने ग्राम-सेवा की जो योजना बनाई थी, उसकी कल्पना का आधार यही था कि हमें देहात के प्रत्येक पहलू को लेकर चलना होगा । गाँवों में कार्य करने से हमें इसका पर्याप्त अनुभव हो गया था कि हम किसी एक योजना को लेकर नहीं सफल हो सकते । यदि केवल गांव की स्वच्छता का ही प्रोग्राम लिया जाय तो हम जीवन भर गलियाँ ही साफ करते रह जायेंगे और उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकेंगे । इसी प्रकार अगर हम कोई दूसरा ही प्रोग्राम लेकर चलें तो चाहे यन्त्र-वत् चलने में सफल भी हो जायँ किन्तु उससे नव-जीवन-संचार का कार्य नहीं हो सकेगा । यदि हम केवल चर्खा ही चलवाते रहे तो ग्रामीण जनता को कुछ थोड़े से पैसे तो अवश्य दिला सकेंगे किन्तु वापूजी चर्खे के द्वारा ग्रामीण-समाज में जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, वह नहीं हो सकेगा । गांव के लोग सूत कात कर हमारे पास लायेंगे और हम उन्हें पैसा दिया करेंगे । इस प्रकार उनकी अवस्था ठीक वही हो जायगी जो हमने सी० पी० के बिलासपुर और गोंदिया में देखी थी कि वहाँ के हजारों व्यक्ति बीड़ी बनाकर रोजी कमाते हैं, किन्तु उनमें कोई चेतना नहीं उत्पन्न होती ।

सन् १९२६ ई० में वापू जी इस प्रान्त का दौरा करने के क्रम में मेरठ आये हुए थे । हम आश्रमी लोग उनसे एक दिन का समय अलग लेकर अपनी अपनी शंकाएँ उनके समक्ष उपस्थित कर रहे थे । इस सम्बन्ध में वापू जी ने कहा था कि “यदि तुम लोगों ने कत्तिनों से सूत लेकर खादी बेच दी तो तुमने कुछ नहीं किया । तुम्हें प्रत्येक कत्तिन को स्वराज्यवादिनी बना देना है ।” वापू जी की ध्वनि हमारे कानों में अब तक गूँजती रही और इस बात का क्षोभ

बना रहा कि हम लोग अब तक उनकी इच्छानुसार काम नहीं कर सके। यद्यपि मैंने योजना तो वल्ल-स्वावलम्बन की ही बनाई थी किन्तु विचार था कि ग्राम-संगठन के सर्वाङ्गीण कार्यक्रम को कार्य रूप में ग्रहण करूँगा। इसका अर्थ तुम यह न समझ लेना कि हम लोग एक ही दिन में सभी कार्य करने लग गये थे, या एक काम करते-करते दूसरे में क्रुद्ध पड़ते थे। हमने अधिकतर देखा है कि लोग देहात में जाकर ग्रामीणों की अनेकविध परेशानियां देख कर घबड़ा से उठते हैं और उस घबराहट में कभी कुछ और कभी कुछ करने लग जाते हैं। इस प्रकार भी ग्रामीणों की सेवा नहीं हो सकती। इससे तो हमारी

शक्ति और हमारे साधन धीरे-धीरे समाप्त हो जाते

निराशा हमारे हैं और ग्रामीण जनों को कोई स्थायी लाभ नहीं गलत दृष्टिकोण पहुंच पाता और अन्त में काम बन्द कर देना पड़ता

का परिणाम है। अन्ततोगत्वा उन्हें कहना पड़ता है कि जब तक

हम शासन का पूरा-पूरा अधिकार अपने हाथ में

नहीं कर लेते, तब तक ग्राम-संगठन आदि की बात करना पागलपन

मात्र है। उनका ऐसा कहना स्वाभाविक ही है क्योंकि जब हम अपनी

भीतरी शक्ति का विश्वास खो बैठते हैं तो हमारे लिए बाह्य-शक्ति पर

भरोसा करना अनिवार्य सा हो जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है

कि यद्यपि हम प्रारम्भ में प्रधानतः एक ही मुख्य प्रोग्राम लेकर गांव में

जाते हैं तथापि जब तक हम गांव की सर्वाङ्गीण समस्याओं का अध्ययन

कर उनके सुधार कार्यक्रम को उस मुख्य कार्यक्रम से समन्वित नहीं

कर देते तब तक वह मुख्य प्रोग्राम भी निर्जीव सा ही रहता है। इसी-

लिए यद्यपि हमने वल्ल-स्वावलम्बन के ही प्रोग्राम को लेकर रणीवां में

कार्य करना प्रारम्भ किया था तथापि उस क्षेत्र की प्रत्येक समस्या

को समझने की कोशिश करता रहा। हम इस अनुसन्धान में लगे रहे

कि इन समस्याओं के क्या क्या समाधान हो सकते हैं तथा उन्हें

किस प्रकार मुख्य प्रोग्राम से समन्वित किया जा सकता है। किन्तु किसी

भी प्रोग्राम को एकाएक हाथ में लेने की जल्दवाजी नहीं की। प्रारंभ में जब रणीवां आया और साथियों ने प्रोग्राम के लिए उत्सुकता प्रकट की तो मैं उनसे कहा था कि गांव में गांव वालों की तरह रहना ही प्रोग्राम है। क्योंकि हमें यह विश्वास हो गया था कि अगर हम गांव में ग्रामीण बन कर रहने लग जायँगे और अपने दृष्टिकोण को वहां की समस्याओं के प्रति सजग रखेंगे तो कार्यक्रम सजग रूप से हमारे सामने आते जायँगे। और जो काम स्वभावतः जिस क्रम से हमारे सम्मुख आयागा उसी क्रम से काम करना उस क्षेत्र के लिए सर्वोचित ढंग होगा। इसलिए प्रारम्भ में हम उन्हें चर्खा चलाने तथा अपने सूत के बने हुए कपड़े पहिनने की शिक्षा देते रहे। उनके साथ उठते-बैठते तथा उनसे विभिन्न प्रकार के वार्तालाप करते समय देश की परिस्थिति तथा उसके प्रति गांव वालों के कर्त्तव्य के सम्बन्ध में भी बात-चीत किया करते थे।

इस प्रकार रणीवां में रहते रहते दो-तीन महीने कट गये। रणीवां के सम्बन्ध में इतना काफी है। अब कुछ जेल का वृत्तान्त सुनो। इस साल यहां वर्षा कुछ नहीं हुई। इसलिए बाहर चाहे जो कुछ हो यहां तो मौज ही मौज है। आजकल लोगों के दिमाग में छूटने की धुन खूब समाई हुई है। कहीं कोई वक्तव्य देता है तो

हम कितने लोम भट समझते हैं कि अब छूटे, छूटे। इतना दुर्बल हैं उतावलापना देखकर मैं परीशान हो जाता हूँ। हममें कितनी कमजोरी है, इसका पता तो जेल में ही

लगता है। हम स्वयं वष्ट उठाना नहीं चाहते। चाहते हैं, देहात की जनता कष्ट उठावे और हम नेता बने रहें।* खैर, यह सब तो

* एक विद्रोही दल के लोगों के लिए यह कमजोरी कितनी घातक है उसका दर्शन आज हमें मिल रहा है। वही जेलवासीके हाथ में जब सत्ता आई तो किस तरह स्वार्थ और भोग-विलास में फँसकर जनहित को तिलाजलि दे रहे हैं यह बात आज सारे संसार में जाहिर हो चुकी है। १६—६—५०

चलता ही रहता है। देखो, हमारे देश की क्या गति होती है। सब को मेरा नमस्कार कह देना। इति।

[२२]

सफाई की योजना

६—६—४१

मैं पिछले पत्रों में तुम्हें लिख चुका हूँ कि प्रारंभ में हमारा ध्येय केवल यही था कि हम ठीक ढंग से रखीवां में बस जायँ तथा धीरे-धीरे ग्राम-सेवा के काम में भी आगे बढ़ते रहें। हम लोगों का केवल ग्राम-वास ही गांव वालों को बहुत सी बातें सिखाता था। हमारा चक्की चलाना, खाना बनाना, मकान की मरम्मत करना, वर्तन मांजना और अपने रहने से स्थान के निकट सफाई करने आदि कामों को लोग बहुत ध्यान से देखा करते थे। लोग यह सोच नहीं सकते थे कि भले घर के व्यक्तियों का और वह भी पुरुषों का यह सब काम करना सम्भव है। जब हम लोग सफाई आदि का काम करते थे तो कभी-कभी गांव के कुछ लड़के भी शौकिया हमारे साथ हो लेते थे। इस प्रकार उनके मस्तिष्क से इन कामों के प्रति घृणा की भावना धीरे-धीरे अप्रत्यक्ष रूप से हटती जा रही थी। गांव के मुखिया श्री लालता बातों ही बातों में एक दिन मुझ से कहने लगे कि “धीरे-धीरे भाई, आप लोगों के आने से हम लोगों की कपड़े की समस्या तो धीरे-धीरे हल हो रही है। और इससे चाहे जितना लाभ हुआ हों, किन्तु एक बात का विशेष लाभ यह दिखाई दे रहा है कि अब हमारे यहां के लड़के अपने हाथ से कोई काम करने में वेइज्जती नहीं महसूस करते। सबेरे उठकर दातुन करने के पश्चात् जब तक मैं अपना दरवाजा और आंगन स्वयं अपने हाथ से साफ नहीं कर लेता हूँ तब तक मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है।” टांडा के देहात में रहकर मध्यम श्रेणी के लोगों की काहिली और बेकारी को लेकर उनके विरुद्ध मेरी जो धारणा हो गई थी, उसके विषय में मैंने तुम्हें लिखा है। अब तो हमें उन्हीं के सम्पर्क में आकर बसना पड़ा है। रखीवां के आस-पास अधिकतर

ब्राह्मणों और क्षत्रियों की वस्ती है और उनकी अवस्था भी ठीक उसी किस्म के 'भलमनई' की तरह है, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। वही नहीं, इस दस वर्ष की अवधि में इन लोगों की अवस्था और भी बिगड़ गई है। फिर भी उनमें निम्न श्रेणी के लोगों के प्रति उसी प्रकार की घृणा, अपनी हैसियत के विषय में उसी प्रकार का अभिमान और परिश्रम करने से अपनी प्रतिष्ठा के बिगड़ जाने का उसी प्रकार का ख्याल मौजूद है। इधर सन् १९२६ के पश्चात् आने वाले विश्व-व्यापी अर्थ-संकट के शिकार होकर आज वे और अधिक गरीब हो गये हैं। गरीब हो जाने के कारण इनके बड़प्पन प्रकट करने की चेष्टा और अधिक हास्यास्पद प्रतीत होती थी। अपने उसी बड़प्पन को स्थायी बनाने के प्रयत्न में अपनी प्रजा के प्रति ये लोग अत्यधिक अत्याचारी बन गये। अतएव परिश्रम करने के मर्यादा-त्याग की बात उनके लिए सबसे अधिक लाभ की बात थी। इस प्रकार हम लोग केवल गांव में बस कर ही अप्रत्यक्ष और स्वाभाविक रूप से गांव के एक मुख्य कार्यक्रम पर आ गये। परिश्रम की मर्यादा समझ लेने के पश्चात् स्वच्छता का कार्यक्रम आप से आप सामने आ जाता है। हमारे घर और दरवाजे की सफाई देख कर और लोग भी अपने दरवाजे की सफाई करने में लग गये।

अब तक हम लोगों ने परिश्रम या गांव की स्वच्छता का प्रोग्राम नियम-पूर्वक कभी गांवों वालों के समक्ष नहीं रखा था। क्योंकि इन प्रोग्रामों को नियमतः गांव वालों के सामने रखने पर हमें विश्वास ही नहीं था। वस्त्र-स्वावलम्बन के मूल कार्य के साथ-साथ प्रत्येक प्रोग्राम समय पाकर अनायास ही हमारे समक्ष आते जायेंगे, हमारा काम केवल उन्हें क्रम देकर उनमें सामञ्जस्य स्थापित करना ही होगा। मुझे इस प्रकार का विश्वास पहले से ही हो गया था इसीलिए हम लोग झाड़ू, फावाड़ा और टोकरी लेकर गांव की सफाई करने कभी नहीं निकले। एकाध दिन हमारे साथी श्री लालसिंह भाई ने इसकी चर्चा

भी की और कहा कि महात्मा जी तो गाँव की सफाई का ही प्रोग्राम सबसे महत्व का बतलाते हैं। किन्तु मैं उन्हें सर्वदा ही मना करता रहा। इसका यह अर्थ तुम मत समझना कि मैं गाँव की गन्दगी को महसूस नहीं करता हूँ या गाँव की गन्दगी मेरी निगाह में आती ही नहीं है। अगर मुझे गाँव में रहने पर किसी बात से धक्का देती है तो वह गन्दगी से ही। शुरू शुरू में जब बनारस के धौरहरा गाँव में गया था तो वहाँ की गन्दगी देख कर मैं व्याकुल हो गया था किन्तु रणीवा में मैं देख रहा था कि अभी गाँव की सफाई का प्रोग्राम हाथ में लेने का समय नहीं आया है। जब तक हम गाँव वालों के साथ रह कर गन्दगी के प्रति उनके दिमाग में धृणा नहीं उत्पन्न करेंगे, तब तक केवल गाँव की गली साफ करने का कोई परिणाम नहीं होगा। चेतना-विहीन ग्राम-वासी उसके प्रति कोई ध्यान नहीं देंगे।

अब हम गाँव में ग्राम-वासी के रूप में अपने नसने का किस्सा प्रायः समाप्त कर चुके। उपर्युक्त परिस्थिति के उत्पन्न होने तक हमारे वहाँ तीन माह समाप्त हो चुके थे। गाँव के हर आदमी से हम परिचित हो चुके थे; हर परिवार में हमारा स्थान बन चुका था। गाँव वाले हमें जानने लगे थे और हम लोग गाँव वालों को जानने लग गये थे। हमने उनके एक निकटस्थ पड़ोसी का पद प्राप्त कर लिया था। जिस प्रकार गाँव के लोग अपने सुख-दुःख की बातें अपने पड़ोसियों से किया करते हैं और अपने मामलों में उनसे परामर्श लिया करते हैं, उसी प्रकार का व्यवहार अब उनके और हमारे मध्य में होने लगा था। इसी अवधि में होली का त्यौहार आ गया और गाँव-गाँव में लोग होली के रंग से रंगे जाने लगे। होली और फाग से देश का कोना-कोना गुञ्जायमान होने लगा। होली के त्यौहार में घरों के भीतर-बाहर अच्छी तरह सफाई करना एक धार्मिक अनुष्ठान है। अमीर और गरीब सभी लोग अपने-अपने घर-द्वार साफ करते हैं किन्तु अपने चास स्थान का निकटस्थ क्षेत्र एवं गली, झाड़ी कभी साफ नहीं

करते । हम लोगों ने निश्चय किया कि गाँव की सफाई का प्रोग्राम प्रारम्भ करने का यही उपयुक्त अवसर है । अतः हम लोग उन्हें साथ लेकर सफाई के कार्य में जुट गये । हम लोग उन जगहों की सफाई करने लगे जिन्हें वे कभी साथ नहीं करते थे और गांव के कूड़े के ढेर (धूर), गली, कूचे और रास्ते की टट्टी जो कुछ भी गन्दगी दिखाई देती थी, सबकी सफाई प्रारम्भ कर दी । लज्जा और संकोच-बश कुछ गांव के लोग भी हमारे साथ हो लिये । एक बूढ़ी स्त्री, जिन्हें गाँव के सब लोग 'अइया' कह कर सम्बोधित करते थे, हम लोगों को गन्दगी साफ करते देख कर रोने लगीं और गाँव के लोगों पर नाराज होने लगीं कि क्यों लोग गाँव में गन्दगी फैलाते हैं । होली के कारण सफाई के प्रति लोगों के हृदय में उत्साह तो था ही इसलिए हमारे उस दिन के काम और उपर्युक्त घटना का लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ा । इस समय के पश्चात् लोग गन्दगी के प्रति पहले से ही सावधान रहने लगे । वद्यपि सदियों का परम्परागत संस्कार एक दिन में नहीं मिट सकता किन्तु अब इस सम्बन्ध में कभी-कभी कुछ कह देने मात्र से ही लोग स्वच्छता के प्रति पहले से अधिक ध्यान देने लगे । इस प्रकार हम लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से देहात में परिश्रम और सफाई का प्रोग्राम लेकर प्रवेश पा लिया । तदनन्तर उन लोगों के साथ उठते-बैठते प्रायः हर समय परिश्रम की मर्यादा और सफाई के विषय पर उन्हें कुछ समझाते ही रहते थे । अब हमारे लिए वहाँ तीन प्रोग्राम हो गये । १. चर्खा, २. श्रम प्रतिष्ठा, और ३. स्वच्छता ।

गांव के त्योहार और अनुष्ठान आदि के उपलक्ष्य में अगर हम सफाई के प्रोग्राम को हाथ में लेते हैं, तो उस परिस्थिति में गांव के सम्पूर्ण निवासी हमारा साथ देने को तैयार हो जाते हैं । और उसका प्रभाव भी अच्छा पड़ता है । आज हम लोगों को रणीवां में कार्य करते हुए छः वर्ष बीत चुके हैं और इस अवधि में मैंने जिला ग्राम-सुधार की ओर से भी सफाई के कार्य किये हैं पर इनमें भी हमने उन्हीं

उपयुक्त अवसरों का प्रयोग किया है। इस प्रकार दिन-ब-दिन मेरा विश्वास दृढ़ होता गया कि स्वच्छता का कार्य इसी ढङ्ग से करना उचित है। प्राचीन काल से त्योहार, शादी, विवाह आदि शुभ कार्यों में सफाई के अनुष्ठान को बहुत महत्व दिया गया है, और ऐसे अनुष्ठान साल में इतने अधिक बार आते हैं कि अगर उन्हीं अवसरों पर गाँव के लोग सुचारु ढंग से गाँव की सफाई कर लिया करें तो हमारे गाँव पर्याप्त स्वच्छ रहा करेंगे। लोग घर-गृहस्थी और खेती-बारी के काम में इतना अधिक व्यस्त रहते हैं कि वे प्रति दिन नियम-पूर्वक सफाई का कार्य-क्रम पूरा करने में सफल नहीं हो सकते। अतएव यह कार्य करने के लिए कोई न कोई दूसरी शैली खोजनी ही पड़ेगी। यदि वे अपना घर और द्वार ही नित्य नियमपूर्वक साफ कर लिया करें तो हम उसी को पर्याप्त समझेंगे। सम्भव है कि सुदूर भविष्य में हमारे ग्रामीण समाज की आर्थिक, बौद्धिक और नैतिक परिस्थिति इतनी विकसित हो जाय कि देहात के लोगों की स्वच्छता का मापदण्ड और ऊँचाई पर पहुँच जाय। किन्तु आज यदि हमारे ग्रामीण कार्यकर्ता ऊपर बताई हुई विधि से ग्रामीणों में गाँव की स्वच्छता के संस्कार उत्पन्न करने में सहायक बन सकें तो हमारी दृष्टि से इनका उतना ही करना पर्याप्त होगा।

तुम लोग सेवा-ग्राम में रहती हो। तुम्हारी दृष्टि में मेरी यह राय सम्भवतः विचित्र-सी मालूम होगी। किन्तु मैं अपने अनुभव से जिस नतीजे पर पहुँचा हूँ वही तो कहूँगा। कभी मिलने पर इस विषय पर विस्तृत बातें करूँगा। आज विदा। नमस्कार। इति।

[२३]

घनिष्ठ सम्पर्क का लाभ

७—६—४६

पिछले पत्र में मैंने तुमको लिखा था कि प्रारम्भिक तीन महीने में हम लोगों ने रणीवां में व्यक्तिगत ग्राम-वासी के रूप को पारकर देहात के लोगों से पड़ोसी का सम्बन्ध स्थापित कर लिया। बीमारी में, कष्ट में लोगों की खबर लेने लगे। उनकी सेवा-सुश्रूषा करने लगे और उनकी दवा-दारू में उनको सम्मति देने लगे। उनकी शादी और गमी के अवसरों पर एक पड़ोसी की तरह भाग लेने लगे। उनके यहां जब विवाह या श्राद्ध के अवसर आते थे और जब विरादरी के लोगों को भोज दिया जाता था तो वे लोग हम लोगों को भी आमंत्रित करते थे और हम लोग बिना किसी एतराज के स्वीकार कर लेते थे। और समय पर उनके यहाँ चले जाते थे। पहले पहल हम लोगों के जाने से निमंत्रित व्यक्तियों में कुछ खलवली उत्पन्न हुई। हमारा सभी जाति के लोगों के साथ बैठकर खाना, भोजन के समय कुर्ता आदि न उतारना, भोजनोपरान्त जूता और चप्पल आदि पहन कर हाथ-मुँह धोने के लिए जाना आदि सभी बातों पर समालोचना होने लगी किन्तु हम लोगों ने अपना ही ढंग कायम रक्खा। निमंत्रण देने वालों से हम लोग स्पष्ट कह दिया करते थे कि हमारे खाने-पीने की शैली वही रहेगी जो आश्रम में रहती है। तुम सोच लो, अगर हम लोगों के जाने से तुम पर कोई आपत्ति आ पड़े तो हम लोगों को न बुलाओ। यह सब होते हुए भी गांव के लोग हमें अवश्य बुलाते थे।

क्योंकि अब उन लोगों ने हमें अपने एक पड़ोसी के आलोचनाओं का रूप में ग्रहण कर लिया था। धीरे-धीरे समा-
 अन्त लोचनाएँ समाप्त होने लगीं और इस प्रकार के
 निमंत्रणों में हमारे बैठने का आसन भी धीरे-धीरे
 प्रधान पंक्ति के निकट पहुँचता गया और उसे भी लोग वरदाशत करने

लगे। इस प्रकार भोजन के सम्बन्ध में लोगों की कट्टरता धीरे-धीरे कम होती गई और हम लोगों की देखा देखी जो लोग अपने प्रयोग में आने वाले कपड़े नित्य धो लिया करते थे वे भी कभी-कभी कपड़े पहिन कर भोजन करने लगे। अवस्था यहाँ तक पहुँच गई कि उस गाँव का एक लड़का निमंत्रणादि में हमी लोगों के साथ बैठ कर खाने लगा और गाँव के लोगों ने भी उसे सहन कर लिया। अब हम लोग झुआछूत के सम्बन्ध में लोगों से खुजकर वाद-विवाद करने लगे। शनैः शनैः वही जनता जो पहले कुर्ता पहन कर खाने पर हम लोगों से घृणा करती थी, अब वाद-विवाद करते हुए यह कहने लगी कि “भाई, हम लोग भी जानते हैं कि यह सब ढकोसला है किन्तु प्रथम तो हमारा इस प्रकार का संस्कार बन गया है जिसके विरुद्ध आचरण करने को जी नहीं चाहता और दूसरी बात यह है कि कौन आगे चल कर पहले अपनी नाक कटाये।” इस प्रकार प्रतिवेपी के रूप में एक और बड़ा कार्यक्रम हमें मिल गया और हम दिन प्रति दिन इस दिशा में आगे ही बढ़ते गये।

मैं अभी-अभी लिख चुका हूँ कि हम लोग गाँव वालों के पड़ोसी होने के सम्बन्ध से उनके शोक-ताप और बीमारी आदि के समय उनके यहाँ जाया करते थे और जहाँ तक सम्भव होता था, उनकी सेवा करते थे और उन्हें सान्त्वना देते थे। इसी समय मेरे सामने एक जटिल प्रश्न आ खड़ा हुआ। अकबरपुर आने से पहले ही सन् १९२३ ई० में, जब कि मैं बनारस में रहा करता था और गाँवों में कार्य प्रारम्भ करने के विषय में विचार किया करता था तो श्री राम-कृष्ण मिशन के श्री कालिका महाराज की प्रेरणा से होमियोपैथी का अध्ययन करना प्रारम्भ किया था। इसका उद्देश्य केवल यही था कि यह ग्राम-सेवा के लिए उपयोगी होगा। अकबरपुर रहते समय इसका पर्याप्त अभ्यास भी हो गया था। यद्यपि इधर कई वर्ष से अभ्यास छूट जाने के कारण यह विद्या मुझे प्रायः भूल चुकी थी किन्तु

जब गाँव के वच्चों को बीमार होते देखता था तो चिकित्सा के होमियोपैथिक दवा और पुस्तकें मँगाने की इच्छा सम्बन्ध में विचार प्रवल होने लगती थी। किन्तु बापू जी के विचार गाँवों में दवा देने के प्रतिकूल हैं, इसे मैं उनके कई लेखों में देख चुका था। उनकी योजनानुसार गाँव के रोग, गाँव की सफाई करके ही दूर किये जाने चाहिए। दवा का उनके प्रोग्राम में कोई विधान नहीं है। इसलिए मैंने होमियोपैथी पुस्तकें मँगाने की कल्पना छोड़ दी और हम लोग स्वयं अपने प्रयोग के लिए जो टिंचर आयोडिन, अमृतधारा, और त्रिफला आदि दवाइयाँ मँगा कर रखते थे उन्हीं में आवश्यकता आ पड़ने पर कुछ उन्हें भी दे दिया करते थे। कभी-कभी तुलसी की पत्ती, बेल का पत्ता, शहद और दूब की जड़ आदि देहाती दवाएँ भी उन्हें बता दिया करते थे। किन्तु हमने अनुभव किया कि जब गाँव वालों को साधारण रोग की अपेक्षा कठिन रोग हो जाता था तो हम लोग असहाय से हो जाते थे और उनकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। गाँव में कुछ लोग, जिनमें विशेषतः स्त्रियाँ थीं, बहुत दिनों के रोगों से ग्रस्त थे। उन्हें देखकर मैं सोचता था कि यदि हम होमियोपैथिक दवाएँ मँगा लें तो ऐसे अवसरों पर ग्रामीण जनता की सेवा कर सकेंगे। ज्यों-ज्यों मैं रणीवाँ और उसके आस-पास के लोगों को बीमार पड़ते देखता था, त्यों-त्यों मेरी इस विषय की चिन्ता बढ़ती जाती थी। मैंने देखा कि यदि हम गाँव की सफाई करके रोग-निवारण पर भरोसा करते हैं तो इस प्रकार रोगों के दूरीकरण में एक-दो पुश्त का समय लग जायगा। हम गाँव में कितनी भी सफाई क्यों न कर लें किन्तु सदियों का बना हुआ संस्कार एक दिन में नहीं दूर हो सकता। यदि दो-चार व्यक्तियों में कुछ सुधार हो भी गया तो भी सम्पूर्ण गाँव का परिवर्तन तत्काल नहीं हो सकता और यदि गाँव के किसी भी भाग में गन्दगी रह गई तो उसका प्रभाव, गाँव के सम्पूर्ण व्यक्तियों पर पड़ेगा। गाँव के किसी भी

कोने की गन्दगी पर की मक्खी उनके भोजन पर भी बैठ सकती है जो लोग स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हैं। अतएव जब तक हम सम्पूर्ण गाँव के रहन-सहन में परिवर्तन नहीं करते तब तक हमारी रोग-निवारण की आशा दुराशा मात्र है और गाँवों का इस प्रकार का आमूल परिवर्तन कितने दिनों में हो सकता है, इसका हिसाब तुम स्वयं लगा सकती हो। हमारे आश्रम के कार्य-विभाग में साधारणतः अच्छे घरों के ही नौजवान आते हैं; अनेक प्रकार के विधि-निषेध का पालन करते हुए शिक्षा पाते हैं; अच्छे से अच्छे वायुमंडल में ऊँची कक्षा के व्यक्तियों से सम्पर्क और सगति का अवसर मिलता है; किन्तु इनमें हम कितने प्रति शत लोगों की गन्दगी और अव्यवस्था की प्रकृति का परिवर्तन कर पाते हैं और जो कर पाते हैं वह भी कितने वर्षों में ? इन बातों पर दृष्टि-निक्षेप करते हुए तुम समझ सकती हो कि गाँव वालों की प्रवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए कितने वर्षों की अपेक्षा होगी ? यदि यह भी कल्पना कर ली जाय कि कोई अपनी अलौकिक शक्ति द्वारा गाँवों को सम्पूर्ण रूप से स्वच्छ कर देगा और उनके संस्कार का भी परिवर्तन कर देगा, तोभी इतने दिनों से गन्दगी में रहने के कारण और ठीक प्रकार से भोजन न मिलने के कारण उनके शरीर की नस-नस में, उनके रक्त के अणु-अणु में रोग के जो बीज प्रवेश कर गये हैं, उन रोगों के शिकार तो अवश्य ही बनेंगे। इसलिए औपधि का ज्ञान रखते हुए भी, उसका प्रयोग न करने से हमारे पड़ोसी धर्म का यथातथ्य पालन हो सकेगा ? इस प्रकार की द्विविधा में पड़कर मैं तत्काल कोई निश्चय न कर सका। किन्तु अन्ततः मैंने लोगों के कष्ट देख कर होमियोपैथिक दवाइयाँ और कितानें मँगा लीं और अब यदि कोई बीमार होता था, तो उसकी दवा करना भी प्रारम्भ कर दिया।

कुछ काल पश्चात् जब लोगों ने जान लिया कि मैं रोगों की दवा भी करता हूँ तो धीरे-धीरे आस-पास के सात-आठ गाँवों के लोग बीमार पड़ने पर मुझसे सहायता लेने लगे। इस प्रकार दवा-वितरण

के आधार पर पांच-छः गांवों के लोगों से हमारा और परिचय हो गया और हम उन में भी चर्खे का प्रचार करने लगे। धीरे-धीरे सभी गांवों में कुछ चर्खे चलने लगे और हमारा कार्य-क्षेत्र भी बढ़ने लगा। हमने

देखा कि रोगियों का इलाज करने से चर्खे के प्रचार-

क्षेत्र-विस्तार कार्य में भी सहायता मिलने लगी। लोग साधारणतः

हमें बच्चों की बीमारी में बुलाया करते थे और इस

प्रकार हम गांव की स्त्रियों से भी कुछ-कुछ परिचित होने लगे और वे

हमारी बातों की प्रतिष्ठा करने लगीं। मैं तुम्हें पहले लिख चुका हूँ कि

जब अकबरपुर टांडा के क्षेत्र में चर्खे का प्रचार करता था तो मैं पर्दे

के कारण ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति की स्त्रियों से नहीं मिल सकता था

इसलिए उनमें चर्खे का प्रचार नहीं हो सका। दो-तीन वर्ष तक

देहात में काम करके मैंने देख लिया था कि हमारे सिद्धान्त को जितने

शीघ्र गांव की स्त्रियां समझ लेती हैं उतने शीघ्र पुरुष नहीं समझ पाते।

यदि कभी कोई पुरुष हमारी बातों को समझ भी लेता था तो वह

अपने घर की स्त्रियों को समझा नहीं पाता था। वे समझती थीं कि

यह उनके सिर पर एक और नये काम का बोझ रखने का ढंग

है। वास्तव में शताब्दियों से भारतवर्ष की समाज-व्यवस्था ऐसी विगड़

गई है कि पुरुष वर्ग ने स्त्रियों को केवल भोग की सामग्री और

सेविका बना कर रक्खा है। समाज में उनके लिए कोई प्रतिष्ठा का

स्थान नहीं रह गया है। मुझे कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है

कि जब से भारतवर्ष ने स्त्री-जाति का असम्मान करना प्रारम्भ किया

तभी से इसका पतन हो गया है। आज गांव की स्त्रियां कार्य-कलाप

के विषय में पुरुषों को सर्वदा सन्देह की दृष्टि से देखा करती हैं! इसी-

लिए वे उनके कहने पर भी चर्खा चलाने की ओर ध्यान नहीं देतीं।

उस समय कुर्मियों की स्त्रियों से हमारा कोई पर्दा नहीं था इसलिए

हम उन्हें चर्खे के लाभ भलीभाँति समझा सके थे। किन्तु रणियां में

प्रतिवेशी के सम्बन्ध से और दवा करने के सम्बन्ध से हम मध्यम

श्रेणी की स्त्रियों के भी सीधे सम्पर्क में आने लगे थे और इस प्रकार उनमें भी चर्खा चलने लगा था। इस प्रकार दवा मँगा कर रख लेने से हमें विशेष लाभ हुआ और हम लोगों ने अब तक भी दवा का प्रोग्राम नहीं छोड़ा है। सम्भवतः इस बात में तुम मुझसे सहमत ही होओगी। तुम्हारा क्या विचार है? लिखना।

मेरी तबीयत कुछ सुस्त मालूम होती है। कई दिन से दांत उखाड़ रहा हूँ। अब तुम्हारी तरह मेरे भी सब दांत बने हुए हो जायँगे। वहाँ के विषय में लिखना। तुम लोग किस प्रकार हो? नमस्कार।

[२४] ✕

वस्त्र-स्वावलम्बन की ओर

८—६—४१

अब तक हम अपने ही विषय में लिखते रहे। आज हम तुम्हें यह बताने की कोशिश करेंगे कि वस्त्र-स्वावलम्बन के प्रोग्राम से हमें क्या-क्या लाभ हुए। इससे तो तुमको खास दिलचस्पी है न?

रणीवाँ के आस-पास कहीं कोई बुनाई का काम करने वाले कारीगर नहीं हैं। इसलिए स्वावलम्बन के लिए जो सूत कातता था, उसे हम अकबरपुर से बुनवा लेते थे। किन्तु धीरे-धीरे जब कई गाँवों में चर्खे चल गये तो हमारे सामने बुनाई की कठिन समस्या आ खड़ी हुई। एक तो अकबरपुर से बुनवाकर मँगाने में पर्याप्त समय लग जाता था, दूसरे बुनाई का काम बहुत दूर होने के कारण लोगों को बुनाई के प्रति कोई विशेष दिलचस्पी नहीं थी और जो कपड़ा बन कर आता था, वह अपने यहाँ के बने हुए कपड़े के रूप में नहीं मालूम होता था। इससे स्वावलम्बन की भावना में कमी पड़ जाती थी। एक दिन पण्डित लालताप्रसाद और गाँव के कई अन्य लोग हमसे

कहने लगे कि यदि गांव में ही बुनाई का प्रवन्ध हो जाय तो अपना सूत बुना जाता हुआ देख कर हमको जो आनन्द होगा वह आनन्द अकबरपुर से बुनवा कर मँगाने में नहीं होगा और स्त्रियां जब अपना सूत अपने सामने बुने जाते हुए देखेंगी तो उनका हौसला बढ़ता ही जायगा। तीसरा लाभ यह होगा कि यदि हमारे गांव के कुछ लड़के बुनाई सीख लेंगे तो उनकी बेकारी की समस्या भी हल हो जायगी। और हम लोग स्वयं पैसा के स्थान पर अनाज देकर सूत बुनवा सकेंगे। हमने आपस में परामर्श किया और गांव वालों की दलील माकूल मालूम हुई। हम लोगों ने विचार किया कि यदि गांव के लोग कताई और बुनाई दोनों अपने-आप स्वयं करलें तो वे स्वावलम्बी हो जायेंगे; उन्हें हम पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा।

यह सोच कर हम लोगों ने बुनाई का कार्य प्रारम्भ कर दिया। इसके लिए भी तुमने देख ही लिया कि इस प्रोग्राम का प्रस्ताव भी पहले गांव की ही ओर से आया। और हम लोगों को सहज ही एक प्रोग्राम मिल गया।

बुनाई का कार्यक्रम चालू कर देने से कई दृष्टिकोण से और भी लाभ हुआ। यह क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ था कि यहां के लोगों को किसी प्रकार की नई बात देखने को नहीं मिलती थी। पुरुष तो इधर-उधर जाकर कुछ बातें देख भी लेते थे किन्तु स्त्रियां और बच्चे अंधकार में ही रह जाते थे। बुनाई का कार्य प्रारम्भ हो जाने से उन्हें वह एक नई बात तो देखने को मिल ही गई। इस कार्य की विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं में लोगों की अभिरुचि होना बुनाई का आरंभ स्वाभाविक था। ताना तन कर माड़ी-द्वारा उस सूत को मांजने से सूत मजबूत हो जाता है, 'वै' और 'राछ' में सूत भरना, शटल की खट-खट आवाज इत्यादि बातों को बच्चे और स्त्रियां तमाशा के रूप में देखती थीं और इस प्रकार उनके दृष्टिकोण एवं उनकी बुद्धि का परोक्ष रूप से विकास होता था। अब

बुनाई के रूप में गांव के भीतर कुछ उद्योग का वातावरण भी आ गया। इस क्षेत्र के गांवों के लोगों में यह कल्पना भी नहीं उत्पन्न हुई थी कि वे ग्रामोद्योग के द्वारा अपनी आवश्यकता के सामान स्वयं तैयार कर सकते हैं। अब बुनाई खुल जाने से इस दिशा में भी लोगों का मानसिक विकास होने लगा।

शुरू में इस काम के लिए अकबरपुर से बुनकर भी बुला लिया था। बुनकर और बुनाई के अन्य सामान आ जाने पर हमारे सामने स्थान की समस्या आ उपस्थित हुई। हम लोग जिस घर में रहते थे वह इतना संकीर्ण था कि उसमें हमीं लोगों के रहने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था, फिर उसमें करवे के लिए स्थान कहां से आता। हमने यह प्रश्न गांव वालों के सामने रखवा कि यदि आप लोग हमें कहीं करवे के लिए थोड़ा स्थान दें तो यह काम प्रारम्भ हो जाय। गांव के लोगों ने आपस में सलाह करके हमारे निवास-स्थान के निकट एक घर की कोठरी में कर्वा गड़ने का स्थान दे दिया। वह घर गाँव के पंडित का था। इसलिए उसमें बुनाई का कार्य प्रारम्भ करने से हमें एक प्रकार का और भी लाभ था। आमतौर से लोग बुनाई के काम को एक बहुत छोटा काम समझते हैं। यह काम केवल जुलाहों और हरिजनों का था, भले घर के लोग इसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ऐसी अवस्था में गांव के पंडित जी के घर में कर्वा गड़ जाना और उसमें एक जुलाहे का बस जाना, इस क्षेत्र के लिए एक विशेष महत्व की बात थी। इसलिए जब हमारे साथी श्रीकर्ण भाई ने आकर कहा कि हमारे बुनाई विभाग के लिए तिवारी बाबा के घर में एक कोठरी मिल गई, तो हमने कहा अच्छा ही हुआ—“एक पंथ दो काज सध गये।” कर्ण भाई ने भी हँसते हुए कहा कि अब इसके विरोध में कोई भी कुछ कह नहीं सकेगा। हम लोग प्रारम्भ से ही रूढ़िवाद और दक्षियानुसूची विचारों को शिथिल करने का सहज साधन ढूँढा करते थे। इस घटना से हमको इस दिशा में पर्याप्त सहायता मिली। गाँव के

अग्रगण्य तिवारी वावा के घर में एक मुसलमान शुभ परिणाम वस गया। गाँव की स्त्रियाँ और बच्चे बुनाई की क्रिया देखने के लिए आने जाने लगे। ऐसी स्थिति में यह परम स्वाभाविक हो गया कि लोगों की मुसलमानों और बुनाई के प्रति प्रकृतिगत घृणा की मात्रा क्रमशः कम होती जाय।

बुनाई का कार्य प्रारम्भ हो जाने से लोगों में अपने सूत का कपड़ा बुनवाने का उत्साह तो बढ़ता ही गया किन्तु हमारा उद्देश्य वही नहीं था कि बाहर से जुलाहा बुलवाकर बुनाई का काम कराया जाय। हमारा उद्देश्य तो यह था कि इस क्षेत्र के वेकार नौजवान इसे सीख लें और स्वयं करने लग जायँ। किन्तु प्रारम्भ में हमें इस दिशा में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह एक ब्राह्मण का गाँव था। अपने घर में एक जुलाहे को स्थान देकर बुनाई का काम कराने लगे, इतना ही उस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी क्रान्ति की बात थी; ऐसी स्थिति में वे स्वयं बुनाई का कार्य करें यह उनकी मानसिक स्थिति के किसी भी तरह अनुकूल नहीं था। जिससे गाँव में कई नौजवानों वेकार रहते हुए भी हम उन्हें इस काम के लिए तैयार नहीं कर सके। पं० लालता प्रसाद जी ने कहा कि मैंने तो यह अनुमान किया था कि आप हमारे दो-एक चमारों को सिखा देंगे और सीख कर वे गाँव वालों का सूत बुन दिया करेंगे। हमने उनकी यह बात स्वीकार कर ली और वे सीखने के लिए आने लगे। उनके द्वारा मालूम हुआ कि वे लोग सर्वदा नहीं खाली रह सकते, क्योंकि वे खेती के कामों में मजदूरी करते हैं और जब उच्चवर्गीय लोगों को खेती के काम के लिए जरूरत पड़ेगी तो वे उन्हें बुला लेंगे। प्रायः होता भी ऐसा ही था। इसलिए उनका बुनाई सीखना सम्भव नहीं था। यह सब सोच कर हम लोगों ने उन्हें सिखाने की चेष्टा छोड़ दी और उन लोगों ने सीखना बन्द कर दिया।

जिस ब्राह्मण के घर हम लोग रहा करते थे, उनकी आर्थिक स्थिति

बहुत शोचनीय थी। कुछ ही काल पहले ये लोग अच्छे गृहस्थ थे किन्तु कर्ज के कारण इनकी जायदाद धीरे-धीरे दूसरों के हाथ में चली गई थी। उन्हें दोनों समय भोजन भी नहीं मिल पाता था, मालगुजारी चुकाना तो दूर की बात है। उस परिवार का सम्पूर्ण भार एक विधवा के सिर पर था जिसके लड़के विल्कुल बेकार बैठे हुए थे। वेचारे करते ही क्या? जमीन भी तो काफी नहीं थी कि उसी की देख-भाल करते। दूसरा कोई उद्योग तो था नहीं। अपने हाथ से हल चलाना या इसी प्रकार के अन्य काम करने में वे इज्जती का डर था। इतना साधन भी नहीं था कि स्कूल में जाकर शिक्षा ही प्राप्त करते। घर गृहस्थी की देख-रेख तो इनकी माता ही कर लेती थी। इसलिए ये लोग दिन भर बैठे बैठे मक्खियां मारा करते थे। और भूख से छटपटाते रहते थे। हमारे इतने दिन तक इस परिवार में रहने और हम लोगो के अपने हाथ से सम्पूर्ण काम करने की वजह से इनके हृदय की संकीर्णता बहुत-कुछ कम हो गई थी। हमने इनको समझाया कि बुनाई का काम सीख लो, आखिर हम लोग भी तो इसे करते हैं। इससे हमारी कौन सी इज्जत चली जाती है। तुम लोगों की इज्जत ही क्या है? गरीब होने के कारण प्रथम तो कोई पूछता हां नहीं, दूसरे बेकार बैठ कर दूसरों की कृपा का अन्न खाने से परिश्रम करके खाना अधिक प्रतिष्ठा की बात है। जिस दिन तुम परिश्रम करके खाने लगोगे और अपनी विगड़ी हुई अवस्था बना लोगे, उस दिन लोग तुम्हें अधिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखने लगेंगे। रात-दिन के सहवास और बार-बार समझाने से उस घर के रामकरण नाम के एक लड़के ने बुनाई का काम प्रारम्भ कर दिया। उसके बुनाई सीखने से चारों ओर उसके विरुद्ध खूब आलोचनाएँ और प्रत्या-
 एक विधवा लोचनाएँ तथा हो-हल्ला होने लगा। गाँव की ब्राह्मणी का साहस चौबीसों घण्टे की आलोचना से उसका बड़ा भाई कुछ घबड़ा सा गया। किन्तु रामकरण अपने निश्चय

पर डटा रहा। उसकी माँ ने भी उसका साथ दिया। एक दिन बड़े भाई ने जब अपनी माँ से कहा कि सब लोग कहते हैं “तुम लोग जुलाहा हो गये” तो उसकी माँ ने हम लोगों की ओर संकेत करते हुए स्पष्ट उत्तर दिया कि ‘ये लोग इतने भले घर के लड़के अगर जुलाहे हैं, तो भले ही हमारे घर के लड़के जुलाहे हो जायँ, कोई चिन्ता नहीं। जब हम लोग खाने बिना भूखों मरते हैं, तो खिलाफ कहने वाले क्या हमारे घर में अनाज भेज देते हैं?’ मैंने देहात में काम करते हुए यह अनुभव किया है कि देहात की स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक रुढ़िवादी होती हैं। किन्तु अनुकूल वातावरण में सुचारु-रूपेण समझा देने पर किसी आदर्श की बात को जितनी शीघ्रता से ग्रहण कर लेती हैं, उतने शीघ्र पुरुष नहीं ग्रहण कर पाते। परिवर्तन भी पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में शीघ्र हो जाता है। इतने पिछड़े हुए दकियानूसी ब्राह्मण-गाँव की एक गरीब विधवा ब्राह्मणी का इतना कहना बहुत साहस का काम था। मैंने देखा है कि कांग्रेस के अनेक प्रमुख कार्यकर्त्ता, जो संसार के नाना प्रकार के ज्ञान-विज्ञान से भली-भाँति परिचित हैं और उठते-बैठते ‘इन्कलाब जिन्दाबाद’ का नारा लगाते हैं, भी अपने घर और गाँव के प्रचलित रुढ़िवाद के विरुद्ध आचरण करने का साहस नहीं करते हैं। अतएव उस दिन से मैं रामकरण की माता के प्रति अधिक श्रद्धा रखने लगा। उनके द्वारा मुझे इस बात की एक झलक सी मिल गई कि ग्रामीण स्त्रियाँ कहाँ तक आगे बढ़ सकती हैं।

अब रामकरण धीरे-धीरे बुनाई सीखते हुए दो रुपया प्रति मास उपार्जित करने लगा। इसको देख कर दो और ब्राह्मण के लड़कों ने बुनाई सीखना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार हम लोग गाँव के रुढ़िवाद का सुधार करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गये। कुछ दिन के पश्चात् बाघरा पार के एक किसान के घर का मिडिल पास लड़का, जो बुनाई भी जानता था और जिसका नाम रामफेर था,

हमारे पास आया और आश्रम-परिवार में सम्मिलित हो गया। इस प्रकार रामफेर के आश्रम में आ जाने से हम लोगों ने अकबरपुर के जुलाहे को वापस कर दिया और अब रामफेर भाई ही बुनाई का कार्य करने लगे और वही दूसरों को भी सिखाने लगे। इस प्रकार अब हमारे यहां दो विभाग स्थापित हो गये। एक कताई, दूसरा बुनाई।

बुनाई-विभाग के संघटन के क्रम से हम गांव की सामाजिक क्रान्ति की दिशा में कहां तक आगे बढ़ सकते हैं, यह तुम अनुमान कर सकती हो। फिर भी हमारे विद्वान नेता लोग रचनात्मक कार्य और उसके करने वालों को उतना ही नाक सिकोड़ कर देखते हैं, जितना एक पढ़े-लिखे बाबू एक देहाती को देखते हैं। बापूजी कहते ही रहते हैं; किन्तु कौन सुनता है?

आज यहीं समाप्त करता हूँ। फिर दूसरे पत्र में आगे की बातें लिखूँगा। नमस्कार।

[२५]

शरीर-श्रम की प्रतिष्ठा

१०—६—४६

देखते ही देखते देहात में चर्खे का काफी प्रचार होने लगा और दिन बदिन चर्खे की माँग अधिक आने लगी। हम लोगों ने चर्खे बनवाने के लिए आस-पास के गाँवों में बढ़इयों की तलाश की। किन्तु उस सम्पूर्ण देहात में कोई भी बढ़ई इस योग्यता का नहीं मिला। सम्पूर्ण क्षेत्र में केवल दो-तीन घर बढ़ाई आवाद थे जो किसानों का काम करने के साथ-साथ थोड़ा-बहुत वसूला भी चला लेते थे और गांव के लोग उन्हीं से अपने हल-पाटा आदि चर्खे की बढ़ती साधारण चीजें बनवा लिया करते थे। इनमें इतनी हुई माँग योग्यता नहीं थी कि चर्खे बनाने का काम कर

सकें। एतदर्थ हम लोगों ने चर्खा संघ विहार से कुछ चर्खें मँगवा लिये और इस चिन्तन में लगे रहे कि चर्खें की बढ़ती हुई स्थानीय माँग को किस तरह पूरा किया जाय और स्थानीय व्यक्तियों को चर्खा बनाने की शिक्षा किस प्रकार दी जाय। हमारा विचार हुआ कि उन्हीं दो-चार बढ़इयों को इसकी शिक्षा दें किन्तु उनकी संख्या इतनी कम थी कि उनके लिए किसानों के हल-फाल और मकान आदि बनाने का ही काम बहुत अधिक था। ऐसी परिस्थिति में उनका किसी अतिरिक्त कार्य में समय देना नितान्त असम्भव था। अतएव उस समय हम लोग इस दिशा में कुछ भी कर सकने में असमर्थ रहे।

इसी समय हम लोग जिस व्यक्ति के मकान में रहते थे उसे भूसा रखने के लिए अपने मकान की आवश्यकता हुई; हमें अपने रहने की कोठरी खाली करने का प्रबन्ध करना पड़ा। हम लोगों ने एक दूसरा घर तलाश किया; उसमें भी पहले बेल बांधे जाते थे। न तो उसमें कोई खिड़की थी और न दरवाजा ही। हमने अपना सम्पूर्ण कार्य बन्द करके उस मकान के पुनर्निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया। उस घर में आगे की ओर एक छोटा सा बरामदा था। जब घर बन कर ठीक हो गया तो हम लोगों ने उस बरामदे को बढ़ा कर और लम्बा कर लिया। अब उसमें खिड़की खोलना और दरवाजा लगाना शेष रह गया। मैं तुम्हें पहले लिख चुका हूँ कि हम लोग गांव में आकर अपने सम्पूर्ण कार्य अपने ही हाथों से कर लेते थे। इसलिए हमने सोचा कि हमें इसे भी अपने ही हाथ से तैयार कर लेना चाहिए। साथियों से कहा “तुम लोग सामान इकट्ठा करो और औजार माँग लाओ, मैं सब स्वयं बना लूँगा।” लकड़ी माँगने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा। जिसका घर था उसी के पास लकड़ी मौजूद थी। औजार गांव के बढ़इयों से प्राप्त हो गया। मुझे बढ़ई का काम पहले से ही आता था, साथियों को भी आरा से लकड़ी चीरना सिखा

दिया। इस तरह हम सब लोग मिल कर दरवाजा और जंगला बनाने लगे। गांव के लोगों के लिए यह भी एक नई बात थी और वे लोग हमारा काम देखने आया करते थे।

एक दिन मैं चौखट बना रहा था कि भाई लालसिंह बरहँची नाम के एक नौजवान को लेकर मेरे पास आये। लालसिंह गुसाईं-गंज के बाजार गये थे और वहीं पर उनसे बरहँची से परिचय और बातचीत हुई थी। बरहँची बड़ई जाति का एक मिडिल पास नौजवान था। उसके हृदय में पहले से ही राष्ट्रीय भावना जाग्रत हो चुकी थी। अपने गाँव के आस-पास के क्षेत्रों में उसने कुछ राष्ट्रीय सेवा भी की थी। उसने आश्रम में रहने की इच्छा भी प्रकट की थी। फलतः वह दूसरे दिन से आश्रम में रहने लगा। इस प्रकार अब हम लोगों की संख्या तीन से पाँच हो गई। बरहँची बड़ईगिरी के काम में भी होशियार था; इसलिए हम लोगों ने दरवाजा वगैरह बड़ी शीघ्रता से बना लिया। बुनाई का कार्य तो रामफेर भाई ने आकर सँभाल ही लिया था, अब बरहँची के आ जाने से हम लोगों ने चर्खा बनाने का काम भी प्रारम्भ कर दिया। हम लोग गाँव से पेड़ खरीद कर उसकी लकड़ी चीर-चीर कर बरहँची भाई को दिया करते थे और वह चर्खे बनाता रहता था। अब इस कार्य के लिए भी स्थान की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। हम लोगों ने बहुत तलाश किया किन्तु गाँव में किसी के

पास इतना फालतू स्थान नहीं था कि वह हम लोगों बड़ई विभाग की को इस काम के लिए दे दे। आखिरकार एक दूसरे गाँव मकनपुर के एक ब्राह्मण ने अपने यहाँ दो कोठरी और आँगन हमें इस काम के लिए दे दिया। मकनपुर रणीवां से दो-तीन फर्लाङ्ग की दूरी पर था। इसलिए हम लोगों का वहाँ पर रह कर काम करना कोई अधिक कठिन नहीं था। हम लोगों ने अपना बड़ई विभाग वहीं पर स्थापित कर दिया। बरहँची भी सामान की हिफाजत के लिए उसी मकान की एक कोठरी

में रहने लगा। बरहँची के वहाँ रहने में एक लाभ और था। वह नित्य संध्या समय गाँव के लोगों को रामायण और अखवार पढ़ कर सुनाया करता था। इस सम्बन्ध में वह उन्हें अन्य प्रकार की बातें भी सुनाया करता था। हम लोग भी नित्य प्रातःकाल लकड़ी चीरने के अभिप्राय से वहाँ पहुँच जाया करते थे। इस प्रकार धीरे-धीरे उस गाँव के लोगों से परिचय बढ़ने लगा। हम लोगों को आरा चलाते देख कर उस गाँव के नवजवानों पर अधिक प्रभाव पड़ा और वे हमारे परिश्रम की प्रतिष्ठा करने लगे। यहाँ के निवासी रणवीर के लोगों से भी अधिक शरीर थे इसलिए वे हमारी बातों को उनसे अधिक शीघ्र समझ जाया करते थे। वे शीघ्र ही चर्खा चलाने के लिए तैयार हो गये।

अब हम लोग नियम-पूर्वक दो गाँवों में रहने लगे और हमारा कार्य-क्षेत्र दो गाँवों में फैल गया। वस्त्र-स्वावलम्बन के कार्य में हम लोग क्रमशः आगे बढ़ने लगे। अब चर्खे बनाना, सूत कातना और कपड़े बुनना सभी कार्य गाँव में ही सम्पादित होने लगे। चर्खा कातना और कपड़ा बुनना तो हमने गाँव वालों को भी सिखाना प्रारम्भ कर दिया था। किन्तु स्थानीय बढ़इयों को चर्खा-निर्माण की कला सिखाने की समस्या शेष ही रह गई और स्वावलम्बन की दृष्टि से हम लोगों को इस दिशा में कुछ भी सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। मैं पहले लिख चुका हूँ कि यहाँ के बढ़ई प्रधानतः किसानी का काम करते हैं और उनका बढ़ईगीरी का ज्ञान नहीं के बराबर है। इसमें भी रहस्य है। मैंने फैजाबाद के दूर-दूर गाँवों में भ्रमण किया किन्तु इस जिले में मुझे किसी प्रकार की कारीगरी देखने को नहीं मिली और न तो कहीं लकड़ी के कारीगर ही हूँढ़ने से मिलते हैं। इसका कारण क्या है? क्या यहाँ के निवासी किसी भी युग में लकड़ी की अच्छी चीजें प्रयोग में नहीं लाते थे? पर यह बात तो नहीं। आज भी जिले के देहात में सुन्दर कारीगरी के सुरुचि-पूर्ण चौखट-वाजू देखने में आते हैं। कहीं कहीं

पुराने गृहस्थों के घर में अच्छे काम के पलंग, मचिया और पिढई अब भी मिल जाती है। मैंने पूछ कर जान लिया है कि ये सुन्दर वस्तुएँ प्राचीन बढ़इयों के ही हाथ की बनी हुई हैं। फिर उनकी कारीगरी कहाँ चली गई ? अन्वेषण करने पर मुझे बढ़इयों का लोप दो कारण ज्ञात हुए। प्रथम तो यह कि भीषण कैसे हुआ ? गरीबी के कारण अब लोगों में यह शक्ति ही नहीं रह गई कि वे इस प्रकार की चीजों की कदर कर सकें;

दूसरे अवध की वेगार प्रथा सालों तक ऐसा भयंकर रूप धारण किये रही कि किसी प्रकार के कारीगर इस क्षेत्र में पनप नहीं सके। अच्छी कारीगरी जानना भी वेगारी में पकड़े जाने का एक सर्टिफिकेट था ! वेगार से बचने के लिए भी लोग अपने गुण प्रकट नहीं करते थे। इस प्रकार धीरे-धीरे अच्छा काम होना ही एक प्रकार से बन्द हो गया और काम बन्द हो जाने से परिवार की भावी सन्तानों को उस प्रकार के कार्य सीखने का अवसर ही नहीं मिला। इस प्रकार कई पीढ़ियों के पश्चात् बढ़ई जाति के लोग भी धीरे-धीरे अपनी कारीगरी छोड़ कर किसान बन गये। बंगाल के इतिहास में भी इसी प्रकार ढाका के जुलाहों ने विवश होकर अपने अँगूठे काट डाले थे। अन्तर केवल यह था कि वहाँ पर यह स्थिति विदेशियों की उत्पन्न की हुई थी किन्तु यहाँ तो अपने ही देश-वासी ताल्लुकेदारों के डर ने इन्हें ऐसा करने को बाध्य किया था।

हम लोगों पर चर्खा सिखाना, गाँव में उसका प्रचार करना, रुई की लेन-देन और चूल्हा-चक्की आदि खानगी कार्यों का भार इतना काफ़ी हो गया था कि चर्खा बनाने के काम में और अधिक मदद नहीं कर सकते थे इसलिए यह आवश्यक हो गया कि बरहँची को लकड़ी चीरने और चर्खा बनाने में मदद करने के लिए कुछ और लोगों की भी सहायता प्राप्त हो जाय। अन्य बढ़इयों के न मिलने पर विचार किया कि ब्राह्मणों के वेकार नौजवानों को इस कार्य में लगाया जाय।

पर ब्राह्मण के लड़के बड़ई का काम करने के लिए किस प्रकार तैयार हो सकते थे ? आखिरकार मैंने इस कार्य के लिए भी उसी परिवार की शरण ली जिसका एक लड़का बुनाई का काम करना प्रारंभ कर चुका था। रामकरण के बड़े भाई श्यामधर को आरा चलाकर लकड़ी चीरना सिखाना प्रारम्भ कर दिया। जब रामकरण ने बुनाई सीखना प्रारम्भ किया था उस समय जितना विरोध उत्पन्न हुआ था, उतना इस बार नहीं हुआ। फिर भी देहात के लिए इस प्रकार का कार्य एक क्रांतिकारी कार्य था। गाँव के लोगों ने इन कामों के लिए जो सम्मान और प्रोत्साहन प्रकट किया, उसने हमारे कार्य-क्रम को आगे ही बढ़ाया। अब वे प्राचीन रुढ़ि-वादी विचार-धारा छोड़कर हर प्रकार के परिश्रम की मर्यादा समझने लगे। जब वे इस बात को देखने लगे कि उनकी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इतने उद्योग निकल सकते हैं तो गाँव की गरीबी और बेकारी के लिए निराशा का कोई स्थान नहीं रहता। मैं प्रायः कहा करता था कि आज हम ग्रामीण बाहरी लूट की मार खाते-खाते गरीबी की हालत को पार करके बेहोशी की अवस्था में पहुँच गये हैं। और इसी बेहोशी के कारण अपनी दशा का भी ठीक-ठीक अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, फिर इस गरीबी को दूर करने का उपाय सोचना तो दूर की बात है इसलिए जब किसी प्रकार की आर्थिक योजना उनके सामने आ जाती है और वे उनके द्वारा अपने सुधार की थोड़ी सी भी सम्भावना देख लेते हैं तो उनके जीवन में चेतना का समावेश हो जाता है और उनमें एक प्रकार का उत्साह और जोश उत्पन्न हो जाता है तथा यही उत्साह और जोश उनके जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला देता है। फिर वे हर प्रकार से अपने को सुधारने के लिए तैयार हो जाते हैं। रणियों में भी यही हुआ। जब गाँव के कुछ बेकार नौजवान कार्य में लग गये और कुछ घरों में कपड़े के व्यय की बचत होने लगी तो लोगों में इतना उत्साह पैदा हुआ कि लोग गाँव की सफाई और शिक्षा आदि कार्यों

में भी काफी दिलचस्पी लेने लगे। गाँव की स्वच्छता और शिक्षा के सम्बन्ध में हमने और कौन-कौन से प्रयोग किये, यह मैं तुम्हें अगले पत्र में लिखूँगा। यह पत्र तो मैं वहीं पर समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि अब समय नहीं रहा कि आज और लिख सकूँ। इसके अतिरिक्त हमारे कुछ साथी इस जेल से प्रतापगढ़ जा रहे हैं; उनको विदा करना भी है। आज मेरा जन्म-दिवस है। इकतालीस वर्ष पूरे हो गये। इसलिए वहाँ पर मेरे जितने स्वजन हैं और जो लोग सालभर मेरे लिए शुभ कामना करते रहे, उन सब को मेरा हार्दिक धन्यवाद पहुँचा देना। भगवान हर वर्ष मुझे जन-सेवा की शक्ति और बुद्धि दे। आज के दिन यही एक मात्र प्रार्थना है। सबको मेरा प्रणाम और नमस्कार कहना। मुनिया को प्यार।

[२६]

गन्दगी की समस्या

१४—६—४१

पिछले पत्र में मैंने गाँव की सफाई के विषय में अपने विचार तथा प्रयोग लिखने का वादा किया था। वास्तव में सफाई का प्रश्न एक ग्राम-सेवक के लिए सबसे जटिल और विकट प्रश्न है। गाँव वाले प्रायः ऐसी परिस्थिति में रहते ही हैं कि वे सफाई रखने में असमर्थता अनुभव करते हैं। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनमें वे अपनी इच्छानुसार सफाई रख सकते हैं; इसके लिए उन्हें किसी प्रकार की विवशता नहीं है किन्तु मेरा विचार है कि वे उन बातों में भी सब बुराइयों का सफाई रखने से विवश ही हैं। मैंने तुम्हें अपने एक एक ही स्रोत पत्र में लिखा था कि ग्राम-सुधार किसी एक प्रोग्राम को लेकर नहीं चल सकता क्योंकि देहात में जितनी बुराइयाँ मौजूद हैं, एक दूसरे से कार्य कारण का सम्बन्ध

रखती है। देहात के लोग काहिली के कारण गन्दे रहते हैं और इस काहिली का कारण उनकी बेकारी है। इसलिए सफाई की समस्याओं को हल करने के मार्ग में पग-पग पर अड़चनें या मौजूद होती हैं। इसके अतिरिक्त गन्दगी उनके जीवन में इस सीमा तक व्याप्त हो गई है कि केवल यह सोचने से ही दिमाग पागल हो जाता है कि हमें स्वच्छता के लिए किस विन्दु से कार्य प्रारम्भ करना है। गाँव के लोग गलियों में ही पेशाब करते हैं, उन्हीं में कूड़ा-कचड़ा फेंकते हैं। उनके घर और आँगन का पानी घर के पास ही सड़ा करता है। घरों में इतना अँधेरा होता है कि उनकी नमी उन्हीं के भीतर सड़ा करती है। चार-पाई, कपड़े, कथरी, दोहर, चादर, तोषक, रजाई और तकिया और सभी प्रयोग में आने वाली चीजें पसीना, धूल और तेल से सनी रहती हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक की जवान पर चौबीस घंटे अश्लीलता-पूर्ण गन्दी बातें बनी रहती हैं। इस प्रकार इन तमाम गन्दगियों पर विचार करने से हमारे सामने यह प्रश्न या उपस्थित होता है कि हम सबसे पहले किस गन्दगी को दूर करें।

टाँडा में रहते समय मैं अधिकतर किसानों और मजदूरों के ही घरों में जाया करता था। उस समय की कहानी लिखते समय मैंने तुमको बताया था कि गाँव की गलियों और मकानों के आगे-पीछे की गन्दगी से उनके घर के भीतर की गन्दगी मुझे अधिक भयंकर प्रतीत होती थी। अब रणीवाँ आकर मुझे ब्राह्मण और क्षत्रिय लोगों के घरों को भी भलीभाँति देखने का अवसर मिला। इनके घरों की गन्दगी देखकर मुझे अनुभव हुआ कि उन मजदूरों के घरों की गन्दगी इनकी तुलना में कुछ नहीं थी। उसके पश्चात् मैं ज्यों-ज्यों देहात में काम करता गया त्यों-त्यों मेरी उक्त धारणा और भी दृढ़ होती गई कि गाँव की सफाई के कार्यक्रम में कपड़ों की सफाई पर सबसे पहले और सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। उच्च श्रेणी के घरों में मुझे कपड़ों की गन्दगी के प्रति और भी भयंकर उदासीनता

देखने को मिली। किसानों और मजदूरों के घरों में भी कपड़े प्रयोग में लाये जाते हैं यद्यपि उनकी संख्या कम होती कपड़ों को सफाई है। विछाने के लिए पतली चादर और कथरी के अतिरिक्त और होता ही क्या है? किन्तु उनके कपड़ों में जल्दी से फट जाने के कारण अधिक गन्दगी नहीं आ पाती। किसान और मजदूर कुरते भी कम पहनते हैं। जो पहनते हैं वे भी ऐसे मामूली कपड़े के बने होते हैं कि आसानी से धुल सकें। इसके अतिरिक्त ये कुर्ते केवल धराऊ रूप में ही काम में लाये जाते हैं, इसलिए उन्हें सर्वदा धोकर ही रखा जाता है। किन्तु उच्च श्रेणी के लोग दरी, तोशक और रजाई प्रयोग में लाते हैं जो अधिक टिकाऊ और अधिक भारी होती है। इसलिए इनमें असीम गन्दगी इकट्ठी हो जाती है। कुर्ते, कोट और बंडी भी ये लोग प्रयोग में लाते हैं जिससे ये चीजें भी पसीना आदि से सन जाती हैं। मैंने अनुभव किया कि जब तक ये अपने ओढ़ने, विछाने और पहनने के कपड़े इतने गन्दे रखते हैं तब तक इन्हें गली-कूचों और बाहरी गन्दगी का अनुभव कराना नितान्त असम्भव है। क्योंकि सफाई तो वे ही लोग रख सकते हैं जिन्हें गन्दगी से घृणा हो इसलिए मैं जहाँ भी जाता था, लोगों के कपड़ों पर विशेष ध्यान रखता था और कपड़ों की ही गन्दगी के विषय में उन्हें चेतावनी भी देता था। लोग मेरी इन बातों को महसूस तो करते थे किन्तु कुछ तो अपने स्वभाव और कुछ साधन के अभाव के कारण इस पर अधिकतर अमल नहीं कर पाते थे। किन्तु फिर भी कुछ तो हमारे लगातार प्रचार और कुछ हमारे अपने हाथ से साबुन द्वारा कपड़ा धोने के व्यवहार को देखकर गाँव के कुछ लोगों को भी साफ रहने का शौक पैदा होने लगा।

इस दिशा में कुछ दिन काम करने के पश्चात् हम यह महसूस करने लगे कि यदि हम किसी तरह साबुन बनाने का कार्य देहात में जारी कर सकें तो एक पंथ दो काज होगा। लोगों में सफाई की रुचि

बढ़ेगी और हम लोग ग्रामोद्योग की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ सकेंगे। मैंने यह अनुभव किया था कि यदि कोई वस्तु गाँव में ही बनने लग जाय तो गाँव वाले सरलता से उसका गाँवों में साबुन व्यवहार कर लेते हैं, किन्तु बाजार की वस्तु मजबूरी बनाने की आव- की अवस्था में ही खरीद कर लाते हैं। इसलिए शकता हम लोगों ने साबुन बनाने का निश्चय किया और फैजावाद से थोड़ा सा कास्टिक सोडा और तेल लाकर कुछ साबुन बना कर तैयार कर दिया। यह साबुन बनाने का कार्य भी गाँव वालों के लिए विल्कुल नया ही था। नितान्त सरलता-पूर्वक साबुन तैयार होते देख कर लोग आश्चर्य-चकित रह जाते थे। उनकी इस कुतूहल-वृत्ति का लाभ उठा कर हम लोग उन्हें यह समझाने की कोशिश करते थे कि साबुन ही क्यों, यदि वे चाहें तो अपनी जरूरत की सम्पूर्ण वस्तुएँ गाँव में ही तैयार कर अपना पैसा बचा सकते हैं। इस प्रकार उनकी धारणा, उनके दृष्टिकोण और उनके आत्म-विश्वास की भावना में उन्नति होती रही। हम लोगों को साबुन बनाते हुए देख कर पण्डित लालताप्रसाद ने भी साबुन बनाना प्रारम्भ कर दिया। इस तरह उत्तरोत्तर लोगों में साबुन के प्रयोग करने और स्वच्छ रहने की ओर दिलचस्पी बढ़ती रही। मैंने यह अनुभव किया कि गाँव की स्वच्छता की समस्याओं को हल करने की दिशा में यह प्रयोग अनुकूल ही सिद्ध हुआ। क्योंकि कुछ ही दिनों के पश्चात् गाँव के लोगों को गन्दे कपड़े का व्यवहार करना बुरा प्रतीत होने लगा जिसके परिणाम-स्वरूप लोग बाहरी स्वच्छता में दिलचस्पी लेने लगे।

कुछ दिनों तक साबुन बनाने का कार्य निर्बाध गति से होता रहा किन्तु कालान्तर में इसमें एक कठिनाई महसूस होने लगी। फैजावाद और गुसाईगंज कोई ऐसे औद्योगिक केन्द्र नहीं थे कि वहाँ से कास्टिक सोडा सर्वदा सरलता-पूर्वक प्राप्त होता रहे।

पं० लालताप्रसाद जी भी प्रायः यही कहा करते थे कि साबुन बनाने का कोई ऐसा ढंग निकालिए जिसमें हमें बाजार से कोई सामान मँगाने की आवश्यकता न पड़े। अतएव हम लोगों ने गांव में प्राप्त होने वाली रेह से ही साबुन बनाने का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया। इस विषय में हम लोगों को रंच मात्र भी अनुभव नहीं था इसलिए हम अपने प्रयोग में सफल न हो सके। आखिरकार रेह का साबुन बनाना पाने पर हम लोगों ने साबुन बनाना ही बंद कर दिया। और सोचा गया कि यदि बाजार से ही सामान खरीद कर साबुन बनाना हैं तो बाजार के बने हुए साबुन ही क्यों न खरीद लिये जायं। इस तरह हम लोग मेरठ का बना हुआ साबुन ही प्रयोग करने लगे और गांव वाले भी उसी को खरीद कर अपना काम चलाने लगे। यद्यपि हमने साबुन बनाना बन्द कर दिया किन्तु मेरे मस्तिष्क से यह बात कभी दूर न हो सकी कि इस उद्योग का प्रचलन गांवों के लिए विशेष महत्व रखता है। कालान्तर में जब इस प्रान्त में कांग्रेस मंत्रि-मण्डल स्थापित हुआ तो इस दिशा में एक बार पुनः प्रयत्न किया किन्तु फिर भी एक अनुभव-प्राप्त व्यक्ति के अभाव से सफलता न प्राप्त हो सकी। कुछ दिनों के पश्चात् इस प्रकार का एक अनुभवी कार्यकर्ता भी मिल गया पर आर्थिक विषमता ने फिर भी इस कार्य में सफल न होने दिया। यों इस काम को छोड़ ही देना पड़ा किन्तु मेरी यह धारणा क्रमशः दृढ़ होती गई कि एक ग्राम-सेवक के लिए गांव के साधनों से साबुन बनाने का काम हाथ में लेना बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और इसके द्वारा गांव की स्वच्छता के कार्यक्रम में पर्याप्त सहायता मिलेगी। स्वच्छता के अन्य कई कार्यक्रमों के विषय में मैं पहले ही लिख चुका हूँ। कालान्तर में अन्य कार्यक्रमों के साथ सफाई का कार्यक्रम किस किस प्रकार सम्बन्धित होता गया, इसकी चर्चा उचित स्थान पर करने की कोशिश करूँगा। अब आज यहीं विदा लेता हूँ। सब भाई-बहिनों को नमस्कार। बच्चों को प्यार।

[२७]

शिक्षा का प्रयोग

१७—६—४१

अब तक हम लोगों को रणीवां आये कई महीने हो चुके थे । लोगों से काफ़ी घनिष्ठता हो गई थी । चर्खें का काम दिन प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा था । हम लोगों के सम्पर्क से गाँव के लोग अपने बहुत से पुराने संस्कारों और आचार-व्यवहार के सम्बन्ध में विचार से काम लेने लगे थे । इस तरह यद्यपि धीरे-धीरे लोगों का मानसिक विकास होता जा रहा था किन्तु अब तक शिक्षा का कोई विधिवत् कार्यक्रम निश्चित नहीं हो सका था । मैं स्वयं इसका निश्चय नहीं कर पाया था कि गाँव वालों के लिए शिक्षा की किस प्रकार की योजना उपयुक्त होगी । गाँव के किसान और मजदूर दिन भर इस तरह काम में फँसे रहते हैं कि दिन के समय वे किसी स्कूल में अपना समय नहीं दे सकते, और यदि रात की व्यवस्था की जाय तो भी सदियों से पठन-पाठन की ओर दिलचस्पी न होने के कारण स्कूल में आने के लिए उन्हें कोई विशेष उत्सुकता नहीं होगी । इसके अतिरिक्त मुझे स्वयं भी इस बात का सन्देह था कि केवल अक्षर-ज्ञान करा देने से इन्हें कोई लाभ हो सकेगा । स्कूलों में लगातार ६ वर्ष पढ़ कर लोग मिडिल पास होते हैं और तब कहीं उन्हें अन्य विविध पुस्तकों के पढ़ने की योग्यता होती है । ऐसी स्थिति में यदि हमने दिन या रात को उनका थोड़ा सा समय लेकर उन्हें अक्षर-ज्ञान करा भी दिया तो इससे उनके मानसिक विकास में कहाँ तक सहायता मिल सकती है ? इसी प्रकार के विचारों की उधेड़बुन में पड़कर तथा अन्य कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण हम लोग ग्राम-शिक्षा की कोई स्पष्ट योजना नहीं बना सके । पर धीरे-धीरे हमें यह महसूस होने लगा कि इस दिशा में कुछ न कुछ करना अत्यावश्यक है । प्रारम्भ

में हम लोगों ने यह निश्चय किया कि रामायण का पाठ शुरू किया जाय और उसी के द्वारा इन्हें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक शिक्षा दी जाय। इस कार्य के लिए मकनपुर के नौजवानों ने बहुत उत्साह प्रकट किया अतएव हम लोगों ने नित्य संध्या समय मकनपुर

में रामायण का पाठ प्रारम्भ कर दिया। कर्ण भाई

रामायण पाठ-द्वारा और बरहेंची मिस्त्री साथ-साथ रामायण का गाना

शिक्षा गाते थे और कर्ण भाई उसकी व्याख्या करते थे

तथा उसी व्याख्या के ही सिलसिले में प्रत्येक विषय

पर कुछ न कुछ बताया करते थे। कुछ दिनों के पश्चात् यह प्रतीत

होने लगा कि इस प्रकार की शिक्षा गाँव के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध

हो रही है। धीरे-धीरे लोगों की रुचि इधर बढ़ने लगी और पाठ के

समय गाँव के सभी लोग उपस्थित होने लगे। इस प्रकार रामायण क्लास

में आते-आते लोगों को इस प्रकार के अन्य कामों के लिए भी उप-

स्थित होने की टेव पड़ने लगी। इसके पहले लोग इसी संध्याकाल में

अपने-अपने घरों में बैठे-बैठे तम्बाकू खाया करते थे और गाँव के

दूसरे लोगों पर टीका-टिप्पणी किया करते थे। एक दूसरे से कोई

सम्बन्ध नहीं रखते थे। किन्तु रामायण का पाठ प्रारम्भ होने पर लोगों

की इस प्रकार की एक दूसरे के विरोध में कही जाने वाली बातें कम

हो गईं तथा रोज एक साथ उठते-बैठते उनमें आपस में प्रेम और

सद्भावना का विकास होने लगा। वास्तव में हमारे गाँवों के लोग इतने

काहिल और इतने स्वार्थ-रत हो गये हैं कि एक-दूसरे से किसी प्रकार

का सम्बन्ध रखना भी गुनाह समझते हैं। जब ग्राम-सेवक गाँव वालों

में एक दूसरे से सम्पर्क पैदा कर सकेंगे तभी वे किसी प्रकार के ग्राम-

संगठन का कार्य प्रारम्भ कर सकेंगे। अब भी मेरी यह धारणा बनी

हुई है कि ग्रामीण-शिक्षा के कार्य-क्रम में गाँव वालों में एक दूसरे के

प्रति घनिष्टता उत्पन्न करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस कार्य के

लिए किसी ऐसे ही साधन को अपनाने की आवश्यकता होगी जिसमें

गाँव वाले स्वभावतः दिलचस्पी रखते हैं और उनके लिए प्रति दिन एक ही समय किसी निश्चित स्थान पर इकट्ठा हो सकते हैं। प्रतिदिन एक साथ एक स्थान पर बैठने से लोग स्वभावतः एक दूसरे के प्रति प्रेम करने लगेंगे।

[२८]

रोगी-परिचर्या की दिशा में

रामायण-पठन के कार्य से एक लाभ और हुआ। लोग दूसरे कार्यों के लिए भी बुलाये जाने पर उसी आश्रम के कारखाने के लिए मिले हुए आंगन में एकत्र होने लगे और वह स्थान एक प्रकार से गाँव के लोगों का क्लब बन गया। फिर हमारे निर्णयानुसार वरहँची मिस्त्री उन्हें दिन के समय भी अखवार पढ़ कर सुनाने लगा। कालांतर में धीरे-धीरे हम लोगों ने रामायण का पाठ प्रति दिन करने के स्थान पर साप्ताहिक करना शुरू कर दिया और शेष दिन उसी स्थान पर

नियमपूर्वक रात्रि-पाठशाला का कार्य होने लगा। सामाजिक भावना मिस्त्री उन्हें पढ़ाने का काम करता था। कभी-कभी

का जागरण हम लोग स्वयं भी चले जाया करते थे। हां, एक बात और भी उल्लेखनीय है कि यह रात्रि-पाठशाला मैंने स्थानीय लोगों के अनुरोध करने पर ही प्रारम्भ की थी। इस प्रकार रामायण के द्वारा ग्रामीण शिक्षा के कार्यक्रम के प्रारम्भ करने का प्रयोग बहुत अंशों में सफल ही रहा और उसी का परिणाम है कि आज मैं इस प्रकार कार्य-प्रारम्भ करने का कायल हूँ। जब तक हम गाँव वालों में अभिरुचि और उत्सुकता नहीं उत्पन्न करेंगे तब तक केवल पाठशाला स्थापित कर देने से वे इधर नहीं आकर्षित हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त केवल अक्षर-ज्ञान से ग्राम-शिक्षा का अभिप्राय पूरा नहीं होता। प्रारम्भ में उनके हृदय में संसार की बातें जानने की आकांक्षा

उत्पन्न करनी होगी; फिर तो वे स्वयं ही पढ़ना-सीखने के लिए उत्सुक हो उठेंगे। उस परिस्थिति में वे पाठशाला में काफी उत्साह से भाग लेने लगेंगे। जिस समय मैं गिरफ्तार होकर जेल चला आया उस समय रणीवां के आस-पास के लगभग पचीस गाँवों में प्रौढ़-रात्रि पाठशाला का कार्य चल रहा था जिसका विशेष वर्णन मैं अगले पत्रों में करूँगा। फिलहाल इतना ही कह देना पर्याप्त समझता हूँ कि चूँकि हम लोगों ने अन्य-अन्य कार्यों के द्वारा गाँव वालों की उत्सुकता जगा कर पाठशाला का कार्यक्रम अपने हाथ में लिया था इसलिए गांव वाले इसमें इतनी दिलचस्पी लेने लगे थे कि हमें इसकी उपयोगिता समझाने के लिए अलग प्रयत्न नहीं करना पड़ा। पाठशाला का स्थान बैठने का सामान और रोशनी आदि सभी वस्तुओं का प्रबन्ध गाँव वाले स्वयं करते थे। पढ़ाने वाले भी गाँवों से ही उपलब्ध हुए थे।

इस प्रकार गाँववालों के मध्य रह कर उनसे वातचीत कर रामायण पाठ का प्रबन्ध कर और रात्रि पाठशाला के द्वारा दिन को अखवार सुनाने का नियम बना कर हम लोग गांव की सर्वाङ्गीण शिक्षा के कार्यक्रम में अग्रसर होने लगे।

तुम तो शिक्षा-शास्त्री ही हो। मेरी इस धारणा में यदि किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता हो तो सूचित करना। इससे हमारी भी शिक्षा हो जायगी। अपनी सूचना के साथ पत्रोत्तर अवश्य देना। नमस्कार।

१८—६—४१

अब तक हम लोग रणीवां में भली-भाँति जम गये थे और दो-तीन फर्लाङ्ग के भीतर के गाँवों में हर प्रकार का कार्यक्रम चलाने लगे थे। यद्यपि कहने के लिए तो हमारा कार्यक्रम चार गाँवों में फैला हुआ था किन्तु वे चारों गाँव मिल कर एक ही गाँव की बराबरी कर सकते हैं। क्योंकि उन सब की जन संख्या पाँच छः सौ से अधिक नहीं है। इस जले की आवादी साधारणतया छोटे-छोटे गाँवों में ही फैली हुई है।

पाँच-छ सौ की आवादी वाले गाँव काफी बड़े गाँव शुमार किये जाते हैं। इस स्थिति से कुछ दृष्टियों से लाभ भी है और कुछ से हानि भी। तितर-वितर बिखरी हुई अवस्था में रहने के कारण उनका संगठन करना कठिन होता है किन्तु स्वच्छता की दृष्टि से उनका दूर-दूर रहना बहुत लाभदायक भी होता है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और विजनौर जिले के बड़े-बड़े गाँवों में जिस प्रकार की गन्दगी देखने को मिलती है, वैसी यहाँ नहीं है।

ये चारों गाँव इतने निकट-निकट थे कि हम लोग लगभग नित्य इन में घूम लेते थे और प्रतिदिन सफाई, चर्खा, रोगियों का इलाज तथा राजनैतिक आलोचना आदि कार्य कुछ न कुछ अंशों में कर ही लेते थे। इनमें रोगियों की सेवा और इलाज के कार्यक्रम ने काफी लोकप्रियता और महत्व का स्थान प्राप्त कर लिया। इस कार्यक्रम में बड़ी सरलता से उन्नति होने लगी। धीरे-धीरे हम लोग कठिन और पुरातन रोगों का भी इलाज करने लगे। स्त्री-रोग और बाल रोगों में

आशातीत लाभ प्रकट होने लगा। इस के कारण रोगों की चिकित्सा उन चार के अतिरिक्त अन्य गाँवों के लोग भी हमें

जानने तथा हमारे कार्यों से दिलचस्पी और सहानुभूति प्रकट करने लगे। हम लोगों ने यह निश्चय कर लिया था कि इस क्षेत्र को छोड़कर किसी अन्य देहात में नहीं जाया जायगा। इसलिए लोग रोगियों को लेकर स्वयं हमारे पास आ जाया करते थे। यों भी लोग हमसे मिलने आया करते थे। जिन्हें आवश्यकता होती थी हम दवा देते थे और उनसे अपने कार्यक्रमों के सम्बन्ध में वार्तालाप किया करते थे। वे हमारे धुनने और कातने की क्रिया देखते थे। हमारी रहन-सहन पर विचार करते थे और गाँववालों से षूछ-ताछ तथा आलोचना-प्रत्यालोचना करते थे। इस प्रकार डेढ़-दो मील तक की दूरी के लोग हमारे कार्यक्रमों से परिचित हो गये और बीमारी एवं दुःख के अवसर पर हमारे पास आने लगे। दवा देने के लिए अब

तक हमने कोई निश्चित क्रम नहीं किया था। हमारे पास दवा रहती थी और कभी किसी के बीमार पड़ने पर उसे किसी भी समय दे दिया करते थे। किन्तु जब दूर-दूर के लोग आने लगे तो कभी-कभी उन्हें बड़ी परिशानी होने लगी।

क्योंकि जब हम देहात में रहते थे, घर पर नहीं मिलते थे तो उन्हें रोगी के साथ वापिस चला जाना पड़ता था। इसलिए हमने निश्चय किया कि किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय तक दवा देने का प्रोग्राम रक्खा जाय। किन्तु इसके लिए भी फिर हमारे सम्मुख स्थान की समस्या आ खड़ी हुई। जिस घर में हम लोग रहते थे वह इतना छोटा था कि उसमें हमारे रहने के लिए भी पर्याप्त स्थान नहीं था फिर उसमें दस-बारह व्यक्तियों को एक साथ बैठने के लिए जगह कहाँ मिलती? हमने इस समस्या को फिर गाँव वालों के सामने उपस्थित किया और उन लोगों ने निष्कट के ईश्वरपट्टी नाम के गाँव में इस काम के लिये कोठरी की व्यवस्था कर दी। उसमें भी हम लोगों ने

अपने ही हाथ से खिड़की और दरवाजा लगाकर

स्वच्छता की

रुचि

उसे काम के योग्य बनाया। इस गाँव में एक विशेषता यह दिखाई दी कि जब हम लोग उस कोठरी को ठीक-ठाक कर रहे थे तो गाँव के लगभग सभी नौजवानों ने हमारे काम में सहायता प्रदान की। चार-पाँच दिन तक मैंने अपनी कोठरी एवं उसके आसपास का स्थान स्वयं साफ किया किन्तु इस के पश्चात् जब मैं वहाँ पहुँचता था तो कोठरी और आसपास के स्थानों की सफाई पहले ही हो चुकी रहती थी। फिर धीरे-धीरे ध्यान दिलाने पर लोग अपने-अपने घर तथा उसके आसपास के स्थान साफ रखने लगे।

रणीवां से लगभग एक मील दूर ठाकुर लोगों का चाचीपुर नाम का एक बड़ा-सा गाँव है। पहले जमाने में यह गाँव बहुत समृद्धि-शाली था। किन्तु दुराचार और दुर्नीति के प्रावलय के कारण अब

नितान्त दरिद्र बन गया था । अब इसे लोग डाके डालने वाला और दूसरों को लूटने वाला ही कह कर मशहूर करते थे । गाँव के कितने ही नौजवान डाके के अभियोग में लम्बी-लम्बी सजाएँ भुगत चुके थे और शायद अब भी काट रहे हों । सुदूर देहात के लोग भी इसके प्रति घृणा और त्रास की भावना रखते थे । कितने ही लोग तो चाचीपुर का नाम ही न लेते थे । यदि कभी उस गाँव का नाम लेना अनिवार्य हो जाता तो बड़का गाँव या पथरा का गाँव कहते थे । क्योंकि जन-साधारण में यह किम्बन्दती प्रचलित थी कि यदि सवेरे चाचीपुर का नाम ले लिया जाय तो उस दिन दिन-भर खाना नहीं मिलेगा । इसी गाँव के ठाकुर माधव सिंह की पुत्रवधू लम्बी अबधि से सन्निपात से ग्रस्त थी तथा उसके जीने की कोई आशा नहीं रह गई थी । माधव सिंह गाँव

भर के लोगों के प्रेमभाजन थे । इसलिए सभी व्यक्ति चाचीपुर का इस बीमारी से चिन्तित थे । इसी समय किसी ने पुनर्जीवन उन्हें सूचना दी कि रण्गीवाँ में आश्रम खुला है और वहाँ पर दवा मिलती है । उस गाँव के कई व्यक्ति

आश्रम पर आये । और चाचीपुर चलकर रोगी की औषधि करने का अनुरोध करने लगे । मैं उस समय आश्रम पर मौजूद नहीं था । यद्यपि हम लोगों ने किसी दूसरे गाँव में जाकर दवा न देने का नियम बना रक्खा था किन्तु रोग की भयंकरता और गाँव वालों की आतुरता देखकर कर्ण भाई और निकुंज भाई (जो उस समय कुछ दिन के लिए आश्रम में आये थे) किताब और दवा लेकर उस गाँव में गये और रोग का अध्ययन कर दवा देने लगे । कुछ दिनों बाद वह रोगिणी रोग-विमुक्त हो गई । इस घटना से चाचीपुर के लोग आश्रम के प्रति विशेष आकर्षित हुए और हमारे प्रत्येक कार्य में दिलचस्पी लेने लगे । हमने भी इस गाँव को अपने कार्य-क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया । धीरे-धीरे यह गाँव इतना अधिक सुधर गया और आश्रम का इतना प्रेमी बन गया कि आज तक हमने रण्गीवाँ के

आस-पास जो-जो कार्यक्रम प्रारम्भ करने चाहे, उनमें चाचीपुर ही-सब का नेता बना। चाचीपुर अपनी कुरीतियों के लिए जिले भर में बदनाम हो चुका था; आज लोग इसकी सुधरी हुई अवस्था देख कर आश्चर्य करते हैं। जेल से जब मैंने तुम्हें चिट्ठी लिखना प्रारम्भ किया था, उस समय तुमको लिखा था कि ग्रामसेवकों को गाँव में जा कर गाँव वालों की परिस्थिति और उनकी आवश्यकताओं का अध्ययन करना होगा। उसी बात को लेकर सेवा-कार्य प्रारम्भ करना होगा जिससे गाँव के लोग सब से अधिक पीड़ित होंगे। अगर उचित अवसर पर कार्यारम्भ हो सका तो आधे से अधिक कार्य तो तत्काल ही पूरा हो जाता है। चाचीपुर का दृष्टान्त इस बात का पक्का सबूत है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अवसर देहात में काम करते समय हमें और भी मिले हैं। इसलिए इस सिद्धान्त पर दिन प्रतिदिन मुझे अधिक विश्वास होता गया। चाचीपुर और इसी प्रकार की अन्य घटनाओं से मैंने अनुभव किया है कि डाकू, लुटेरा और बदमाश कहे जाने वाले लोगों के दिल पर अगर किसी प्रकार से प्रभाव पड़ जाय तो वे सुधर कर आदर्शों के प्रति जितने वफादार हो सकते हैं उतने समाज के भले और अच्छे कहे जाने वाले लोग नहीं हो सकते। ग्राम-सेवकों को इस प्रकार के लोगों से घबड़ाना नहीं चाहिए प्रत्युत धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते हुए इतनी बात की खोज करनी चाहिए कि उनकी हृदय-तंत्री के किस तार पर उँगली रखें जिससे उनके जीवन में परिवर्तन की सन्कार संकृत हो उठे।

मैं चिकित्सा के कार्यक्रम के विषय में लिख रहा था। प्रसंग-वश अपने विषय से हट कर दूसरी बातें लिख गया किन्तु एक प्रकार से यह लिखना भी आवश्यक ही था। क्योंकि यदि ऐसा न करता तो ग्रामसेवा का एक विशेष अनुभव लिखे बिना ही रह जाता।

गर्मी का मौसम चल रहा था। इसी समय हमें ज्ञात हुआ कि क्रिकेट के कुछ गाँवों में हैजा फैला हुआ है। कर्ण भाई ने मुझे बताया

कि स्थिति बहुत भयंकर है; चारों ओर से मृत्यु के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। हम लोगों ने निश्चय किया कि इस समय सब कुछ छोड़ कर हैजे की दवा और रोगियों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। अतएव हम लोगों ने सर्व-प्रथम यह पता लगाया कि किन-किन गाँवों में हैजे का प्रकोप फैल रहा है। अभी तक केवल दो ही एक गाँव में बीमारी फैली थी। इससे हम लोगों ने सोचा कि यदि हम इन गाँवों पर अधि-

कार प्राप्त कर लें तो बीमारी के अधिक फैलने की

हैजे का प्रकोप आशंका नहीं रहेगी। इसलिए दवा आदि लेकर और भवानी हैजा-ग्रस्त क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हो गये।

का भय

रणीवाँ के लोगों को जब यह बात मालूम हुई कि हम लोग हैजे का इलाज करने जा रहे हैं तो वे हमें

रोकने के लिए हमारे पास आकर कहने लगे कि यदि हैजा के रोगी को दवा दी गई तो भवानी माई नाराज हो जायँगी, गाँव भर में किसी को नहीं छोड़ेंगी, सम्पूर्ण देश को खा जायँगी आदि। किन्तु हम लोग उनकी बातों की उपेक्षा कर अपने निश्चित प्रोग्राम के अनुसार चल पड़े। जब हम गाँव में गये तो देखा कि चमारों के सुहल्ले में प्रायः प्रत्येक घर में रोगी पड़े हुए हैं और परिवार के लोग करुण और असहाय अवस्था में उनके पास बैठे हुए उनका मौत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किसी-किसी घर के तो समस्त प्राणी रोगाक्रान्त हो गये थे। उनके दरवाजे पर कोई यमदूतों का स्वागत करने वाला भी नहीं बचा था। चारों ओर मृत्युलोक की भयंकर शान्ति छाई हुई थी। कोई मरता था तो उसके लिए लोग रोते भी नहीं थे। क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि रोने से भवानी माई नाराज होकर सब को समाप्त कर देंगी। हम लोग जब किसी बीमार के विषय में पूछते थे तो वे बहुत धीरे से फुसफुसा कर उत्तर देते थे और हमसे बात करते समय इस प्रकार डरते थे कि कहीं भवानी माई उनकी बातें सुन न लें।

सन् १६२३-२४ में जब मैं टाँडा में रहता था तो एक दार मुझ

पर हैजे का आक्रमण हुआ था; जिसकी कहानी मैं तुम्हें लिख चुका हूँ। उस समय मुझे अनुभव हुआ था कि यदि हम उन्हें दवा दे जायेंगे तो वे उसका सेवन नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग दिन भर घूम-घूम कर स्वयं दवा देते थे। इस तरह इलाज और सेवा करने से चार-पाँच दिन में ही परिस्थिति कब्जे में आ गई और हैजा अधिक फैलने नहीं पाया। जब यह काम समाप्त हो गया और कई दिन बीत गये तो रणीवाँ के लोगों ने यह देख लिया कि भवानी माई नाराज हो कर न तो हमी लोगों को खा गईं और न तो गाँव के ही किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया। इससे उन लोगों के भवानी माई के विश्वास में कुछ शिथिलता अवश्य आई। हम लोगों ने उनकी इस अवस्था का लाभ उठा कर उन्हें यह बताना प्रारम्भ कर दिया कि यह संक्रामक बीमारी है। प्लेग और चेचक आदि बीमारियाँ भी इसी प्रकार की हैं। इनके फैलने का कारण भवानी माई का प्रकोप नहीं है। गाँव वालों के रहन-सहन की ठीक प्रणाली से अनभिज्ञ और स्वच्छता के प्राप्ति लापरवाह रहने के कारण ही इनका आगमन होता है। इसी सिलसिले से हम लोग उनमें गाँव की स्वच्छता, रोग के कारण और उनके निवारण के तरीके आदि का प्रचार करने लगे।

धीरे-धीरे हमारा कार्यक्षेत्र कई गाँवों में फैल गया और दुस्साध्य रोगियों को देखने के लिए हमें बाहर भी जाना पड़ने लगा। थोड़े ही दिनों तक इस प्रकार का कार्य करने पर मुझे अनुभव होने लगा कि यदि हम इसी प्रकार होमियोपैथिक दवायें देते रहे तो गाँव वाले सर्वदा हमारा ही भरोसा करेंगे। कभी स्वावलम्बी नहीं हो सकेंगे। यों तो प्राचीन और असाध्य रोगों का इलाज करना हमारा धर्म ही है किन्तु सामान्य ज्वर, खाँसी, सिर दर्द, फोड़ा-फुंसी आदि का इलाज ऐसा सरल होना चाहिए कि गाँव वाले उसे स्वयं कर लें। इसलिए यह आवश्यकता है कि गाँव वालों को गाँवों में मिलने वाली वनस्पतियों और बूटियों से रोग-निवारण का तरीका बताया जाय। इस विषय में

में और मेरे साथी कुछ भी जानकारी नहीं रखते थे। अतः, हम इस प्रकार का कोई कार्यक्रम अमल में नहीं ला सके। किन्तु कुछ पुस्तकें मँगवा कर इस प्रकार का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया और उसी के आधार पर कुछ प्रयोग करने की भी कोशिश की।

कुछ दिनों के पश्चात् मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि इस प्रयोग में कित्तावाँ से कोई विशेष सहायता नहीं मिल रही है। हमने इस विषय की कई पुस्तकें देखीं किन्तु वे सभी हमारी आवश्यकता की पूर्ति करने में असमर्थ सिद्ध हुईं। सभी पुस्तकों में प्रायः आयुर्वेद के सरल-सरल

नुस्खे ही लिखे रहते हैं किन्तु हमें तो दूब, तुलसी

गाँवों में नवीन की पत्ती और बेल की पत्ती आदि गाँव में मिलने

चिकित्सा-क्रम वाली वनस्पतियों के इलाज की खोज करनी थी

की आवश्यकता और इस दिशा में मदद देने वाली मुझे कोई पुस्तक

नहीं मिली। पर मैंने देखा कि गाँव के कुछ लोग

और विशेष कर कुछ पुरानी स्त्रियाँ इस प्रकार के टोटकों की जानकारी

रखती हैं। हाँ, वह बात सत्य है कि एक ही व्यक्ति अनेक रोगों की

ऐसी दवाएँ नहीं जानता; किन्तु यदि कोई ग्राम-सेवक इस प्रकार की

दवाओं की खोज करना प्रारम्भ करे और स्थान-स्थान से प्राप्त नुस्खों

को सावधानी से नाट करके रोगियों पर उनका प्रयोग करके शोध करे

तो कुछ ही दिनों में उसके पास इतनी सामग्री इकट्ठी हो जायगी कि

वह अनेक रोगों की चिकित्सा देहाती साधनों से कर सकेगा।

इसलिए मैंने गाँव वालों को ही अपना गुरु बनाने का निश्चय किया

और जहाँ से भी सम्भव होता था इस प्रकार की औपधियों को जानने

की कोशिश करता था। कितने ही अन्य कार्यों में फँसे रहने के कारण

मैं इस काम में अधिक आगे नहीं बढ़ सका और अधिकतर होमियो-

पैथिक दवाइयों का ही सहारा लेता था किन्तु इस दिशा में थोड़े ही

प्रयत्न ने मुझे यह विश्वास करा दिया कि आज भी देहात में टोटकों

का ज्ञान इतना अधिक फैला हुआ है कि उचित ढंग से खोज करने

पर साधारण रोगों की चिकित्सा की सम्पूर्ण पद्धति का आविष्कार हो सकता है। और गाँव के लिए वही पद्धति सब से उपयुक्त होगी। क्योंकि इस पद्धति से उन्हें दवा भी सरलता-पूर्वक प्राप्त हो सकेगी और धीरे-धीरे उनकी जानकारी भी बढ़ती जायगी। मुझे इस बात का विशेष दुःख है कि मैं आज तक इस काम को नहीं कर सका। जब कांग्रेस के लोगों ने मंत्रिपद ग्रहण किया था तो मैंने एक बार इसके लिए कोशिश की थी। मैं चाहता था कि मुझे कोई उत्साही और नव-युवक वैद्य-शास्त्री मिल जाय और मैं उसकी सहायता से इस प्रकार की खोज कर सकूँ। किन्तु मैं अधिकारियों को इसकी महत्ता नहीं समझा सका। तुम यह प्रश्न कर सकती हो कि जिस बात को हम स्वयं गाँव वालों से सीखेंगे; फिर उन्हीं बातों को गाँव वालों को सिखाने से क्या लाभ? किन्तु मैंने पहले ही कह दिया है कि आदमी बहुत रोगों की दवा नहीं जानता है। कहीं कोई कुछ जानता है तो कहीं कोई दूसरी बात जानता है। इसलिए उन्हें संग्रह कर और फिर रोगियों पर प्रयोग कर के तथा शास्त्रीय ढंग से उनकी परीक्षा करके उनका परिशोध करना है। इस तरह एक सम्पूर्ण चिकित्सा-प्रणाली बन जायगी तो गाँव वालों को सिखाना सरल होगा। * और उनके लिए वही चीज नई हो जायगी। किन्तु जब तक इस प्रकार की सर्वाङ्गीण खोज करने की सुविधा नहीं मिलती है, तब तक ग्राम-सेवकों को चाहिए कि वे इस दिशा में जहाँ तक प्रयत्न कर सकें करते रहें। रोगियों की सेवा करने में मुझे जो कुछ अनुभव हुआ वह प्रायः सम्पूर्ण मैंने इस पत्र में लिख दिया। यह पत्र बहुत लम्बा हो गया। इसलिए इसे यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।

* पत्र लिखने के बाद मैंने जल, मिट्टी, उपवास आदि बातों का प्रयोग किया। अब मैं मानता हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली के साथ उपरोक्त वनस्पति विज्ञान का समन्वय करना होगा। २५. ६. ५०

[२६]

मजदूरी का सवाल

२३—६—४१

रखीवां में दवा आदि कार्य के साथ चर्खों का कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहा। किन्तु कुछ दिनों के अनुभव से हमें ज्ञात हुआ कि यह जो चर्खों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ रही है उसमें लोगों की स्वाभाविक रुचि नहीं है। अधिकतर लोग हमारे व्यक्तिगत सम्पर्क के कारण संकोच से ही चर्खा चलाते हैं। उनके रंग-ढंग से ऐसा प्रतीत होता था कि वे चर्खा चलाने से कुछ अधिक लाभ नहीं समझते। कुछ स्त्रियाँ तो हमसे साफ-साफ कहती थीं कि 'भैया, इतनी मिहनत करके सूत कातें और बदल-बदल कर रूई लायें। इस प्रकार इतने काल तक मिहनत करके कहीं एक धोती बन पाती है। इससे तो अच्छा यही है कि हम बाजार से धोती खरीद लें। लाभ के अनुपात से हमें परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ता है।' हम उन्हें यह कह कर संभ्राने का प्रयत्न करते थे कि जो कुछ लाभ होता है वह बैठे रहने से तो बहुत अधिक है। किन्तु इससे उन्हें अधिक सन्तुष्टि नहीं होती थी। वे कहती थीं कि तुम कहते हो इसलिए कातती हैं, नहीं तो यह बिल्कुल व्यर्थ काम है। कुछ लोग तो अपने घरों में कताई का कार्य इसलिए जारी रखते थे कि एक तो इससे कुछ थोड़ा-बहुत चर्खों का आर्थिक कपड़ा मिल जाता था, दूसरे चर्खों में व्यस्त रहने के कारण उनके घरों की स्त्रियों को आवस में भगड़ा करने का अवसर कम मिलता था। हम अपने व्यक्तिगत सम्बन्ध के प्रभाव से तथा कुछ आर्थिक और नैतिक लाभ बताकर उनसे चर्खा अवश्य चलावा लेते थे किन्तु गांव की स्त्रियों के सन्देह ने हमें भी कुछ सन्देह में डाल दिया। अतः मैं चर्खों की वास्तविक आय का पता लगाने में लग गया। शुरू-शुरू में जब मैं अकबर-

पुर आया था तब भी मुझे एक बार सन्देह हुआ था और मैंने श्री राजाराम भाई से इसकी चर्चा भी की थी। उन दिनों हम लोगों ने हिसाब कर के देखा था कि यदि कोई स्त्री दिन भर बैठी कातती रहे तो वह चार पैसे पारिश्रमिक प्राप्त कर सकती थी। हिन्दुस्तान के किसानों के लिए इतनी आय भी कम न थी जब कि उनके साल के चार-पांच माह विल्कुल बेकारी में बैठे-बैठे कट जाते हैं। उस समय हम लोग मध्यम श्रेणी के ब्राह्मण और क्षत्रियों के घर चर्खा नहीं चलवा सके थे क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति आज से अच्छी थी और इतनी थोड़ी मजदूरी के लिए वे परिश्रम करने को तैयार नहीं थे। कुर्मियों की बात दूसरी थी। उनका तो मिहनत करने का स्वभाव ही होता है। इसलिए उनके लिए बेकार रहने की अपेक्षा चार ही पैसे की आमदनी विशेष महत्व रखती है। रणीवां के आस-पास के मध्यम श्रेणी के लोगों ने चर्खा चलाना स्वीकार किया, इसके दो कारण थे। एक तो हमारा व्यक्तिगत सम्बन्ध का संकोच और दूसरे यह कि आज उनकी स्थिति सन् २३-२४ की अपेक्षा अधिक दीनता-पूर्ण हो गई थी।

मैंने चर्खे की आय की परीक्षा की तो मुझे ज्ञात हुआ कि सन् २३ में हम लोगों ने मजदूरी का जो हिसाब लगाया था उसकी तुलना में आज की आमदनी आधे से भी कम हो गई है। इस स्थिति को देख कर मैं काफी परीशान हुआ। कारण का विचार करने पर मुझे अनुभव हुआ कि खादी-संसार में सन् १९३० से ही एक नई मनोवृत्ति उत्पन्न हो गई थी। लोगों ने खादी सस्ती करने का घोर आन्दोलन प्रारम्भ किया। इस आन्दोलन में चर्खा-संघ के अधिकारी भी सम्मिलित थे। इसलिए खाद कार्यकर्ताओं को खादी सस्ती करने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ा। सभी वस्तुओं का भाव गिरने के साथ-साथ रूई का भाव तो गिर ही गया था किन्तु लोग इतनी ही कमी से संतुष्ट नहीं थे। वे तो मिल के साथ मुकाबला करने की असम्भव परिस्थिति का स्वप्न देख रहे थे। इन कोशिशों के कारण कताई की

मजदूरी तो कम हो गई किन्तु कताई की गति में कोई वृद्धि नहीं हुई । रणीवां के आस-पास लोगों ने पहले पहल चर्खा चलाना प्रारम्भ किया था इसलिए उनकी गति साधारण गति से भी कम जीवन-वेतन का थी । धुनाई की कला सिखा कर हम लोगों ने उनकी सिद्धान्त गति बढ़ाने का प्रयास किया था किन्तु आय का व्योरेवार हिसाब करने पर ज्ञात हुआ कि धुनाई और कताई का छीजन घटा देने से एक कत्तिन की आठ घंटे की आमदनी तीन पैसे भी नहीं होती थी; अभी हम लोग इस अवस्था पर विचार ही कर रहे थे कि समाचारपत्र में गांधी जी की 'जीवन-मजदूरी' के सिद्धान्त का एलान पढ़ने को मिला । प्रारम्भ में तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई किन्तु साथ ही यह भी विचार आया कि यदि गांधी जी के इस आठ आने के हिसाब से खादी का दाम लगाया जाय, तो खादी विकेगी ही नहीं । फिर हम उन्हें अधिक मजदूरी देने की अपेक्षा जो दे रहे हैं वह भी नहीं दे सकेंगे । हम लोग रणीवां में इस विषय पर विचार-विनिमय करते रहे । साथ ही मैंने गांव के लोगों से भी इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया । इस प्रकार अन्ततः हम लोग इस परिणाम पर पहुंचे कि आज की मजदूरी की परिस्थिति में परिवर्तन लाना तो आवश्यक ही है किन्तु यह आठ आने की योजना भी सम्प्रति अव्यावहारिक है । मैं सोचता था कि यदि कत्तिनों को वर्तमान मजदूरी से दूनी मजदूरी मिलने लग जाय, तो कुछ स्वाभाविक और सुविधा-जनक परिस्थिति उत्पन्न हो जायगी । इसलिए मुझसे जब इस विषय में सम्मति मांगी गई तो मैंने लगभग इसी प्रकार की सम्मति भेज दी थी ।

इस प्रकार मैंने अपनी राय तो भेज दी थी किन्तु मेरे मस्तिष्क में गांधी जी के एलान के सम्बन्ध में तरह-तरह की भावनाएँ उत्पन्न हो रही थीं । यद्यपि यह निश्चित था कि चर्खे की मजदूरी दो आने कर देने से लोगों की चर्खा चलाने की अरुचि दूर हो जाती,

और गाँव की छियाँ चर्खा चलाने के लिए तैयार हो जातीं परन्तु गाँधी जी तो आठ आने मजदूरी कर के गाँव की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में क्रान्ति करना चाहते थे। इस तथ्य को मैं भी समझता था कि यदि यह मजदूरी सम्भव हो जाय तो हम केवल कत्तिनों के हाँ द्वारा ग्रामीण समाज में क्रान्ति उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए मैं गाँधी जी के एलान पर और भी गम्भीरतापूर्वक विचार करने लगा। किन्तु इतनी मजदूरी सम्भव हो सकेगी, इसकी कल्पना करना कठिन प्रतीत हो रहा था। इसलिए मैंने अपनी सम्मति दो ही आने के पक्ष में भेजी। कुछ दिनों के पश्चात् जब सम्पूर्ण खादी कार्यकर्ता गाँधी जी के एलान के विरोध में सम्मति देने लगे तो गाँधी जी ने प्रत्येक प्रान्त के लोगों को अलग अलग बुला कर इस विषय पर विचार-विमर्श करना प्रारम्भ किया। इसी सम्बन्ध में विचित्र भाई और अनिल भाई वर्धा जा रहे थे। उन्होंने मुझे भी वर्धा पहुँचने को लिखा। हम लोग वर्धा पहुँच कर गाँधी जी से मिले। हमारे साथ दूसरे प्रान्तों के भी कार्यकर्ता थे। गाँधी जी से बहुत देर तक आलोचना-प्रत्यालोचना होती रही। वह हर एक की शंका का समाधान बड़े विस्तार के साथ करते थे। वहाँ की वार्ता सुन कर मुझ में यह भाव अंकुरित हो उठा कि यह मजदूरी बढ़ाने का कार्य हमें अवश्य करना चाहिए। क्योंकि अगर हम मजदूरी बढ़ा देते हैं तो हमें संसार के समस्त महँगी खादी पेश करने के लिए एक बहुत बड़ा नैतिक आधार मिल जायगा। अब तक भी हम जो खादी बेचते रहे वह भी विदेशी कपड़े या मिल के कपड़े से महँगी ही रही। इस महँगी खादी को दुनिया के सामने उपस्थित करने का हम लोगों के पास केवल एक यही आधार था कि खादी के द्वारा हम देहात के कुछ गरीब लोगों को बेकार समय में काम देकर कुछ पैसे दिला सकते हैं। वह पैसा कितना है, उसे कहने में भी शर्म मालूम होती थी। किन्तु 'जीवन-मजदूरी' के सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने से हम न केवल नैतिक

दृष्टि से कत्तिनों के प्रति न्याय करते हैं प्रत्युत देहाती समाज को पुनर्गाठित करने के लिए इसे हम अपना बहुत बड़ा साधन बना सकते हैं। इसका प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र के स्वराज्य आन्दोलन पर भी पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में खादी मंहगी होने पर भी विक्री कम हो जाने का बहुत अधिक भय नहीं रहेगा। क्योंकि खादी की विक्री तो राष्ट्रीय भावना पर ही निर्भर है और राष्ट्रीय भावना हमारे कार्यक्रम की शैली पर ही अवलम्बित है।

एक ग्रामसेवक की दृष्टि से मुझे इसमें एक दूसरा लाभ भी दृष्टिगोचर होता था। मैं तुम्हें पहले ही लिख चुका हूँ कि भारत के ग्रामीण समाज का सुधार तभी हो सकता है, जब गाँव की स्त्रियों का सुधार हो जाय और स्त्रियाँ समाज-सेवा का भार अपने हाथ में ले लें। साथ ही मेरा यह भी विश्वास है कि हम इस विषय में पुरुषों

की अपेक्षा स्त्रियों को अधिक शीघ्र तैयार कर सकते स्त्रियों में कार्य की हैं और वे हमारी बातें अधिक आसानी से समझ

आवश्यकता सकती हैं। यदि हम कत्तिनों को इतनी पर्याप्त मजदूरी देने की व्यवस्था कर लें तो हम उनका सम्पूर्ण ध्यान अपनी ओर खींच सकेंगे। और थोड़े ही प्रयत्न से उनके भीतर राष्ट्रीय और समाज-सेवा की भावना उत्पन्न कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त उनमें से अधिकांश हमारे निर्देशानुसार ग्राम-सेविका का कार्य भी कर सकती हैं। क्योंकि इस प्रकार वे हमारे संघ का अंग ही बन जाती हैं। सन् १९२६ ई० में जब वापू मेरठ आये थे तो उन्होंने कहा था—“तुम्हारा कार्य प्रत्येक कत्तिन को स्वराज्य-वादिनी बना देना है।” इस वार वर्धा में जब गाँधी जी से जीवन मजदूरी के विषय में चर्चा हो रही थी तो मुझे अनुभव हुआ कि इस परिस्थिति में कत्तिनों को स्वराज्य-वादिनी बना देने की कल्पना का सफल होना सम्भव हो सकेगा। यह सोच कर मैंने विचित्र भाई से कहा कि अब तक मेरे हृदय में सन्देह था किन्तु अब मैं समझता हूँ कि जीवन-

मजदूरी के सिद्धान्त के अनुसार चलने पर हमारे आन्दोलन का कल्याण होगा। विचित्र भाई ने एक मधुर परिहास करते हुए मेरी राय से असहमति प्रकट की। किन्तु मैंने स्वयं इस विषय पर जितना ही सोचा उतना ही मेरा विश्वास दृढ़ होता गया और कालान्तर में जब जब मुझे अवसर मिला इस दिशा में कुछ न कुछ करने को कोशिश की। इन प्रयोगों के अनुभव से आज यह मेरा दृढ़ विश्वास हो गया है कि यदि चर्खा संघ कस्बियों की उचित शिक्षा और मार्ग-प्रदर्शन की व्यवस्था करते हुए कुछ दिनों में आठ आने मजदूरी देने के सिद्धान्त पर पहुँच जाय तो गाँधी जी की चर्खे के द्वारा स्वराज्य-स्थापना की बात चरितार्थ हो कर उसकी निश्चित रूपरेखा हमारे सामने स्पष्ट हो जाय।

वर्धा में इस प्रकार शंका-समाधान कर के हम लोग वापस लौट आये। चर्खा संघ ने आठ आने मजदूरी का सिद्धान्त नहीं स्वीकार किया किन्तु आज तीन आना तक तो कर ही दिया है। इस तीन आना के ही आधार पर हम लोग कस्बियों में क्या क्या कार्य कर चुके हैं, इसके विषय में फिर कभी लिखूँगा। आज पत्र यहीं समाप्त कर रहा हूँ।

[३०]

सेवा-क्षेत्र का विस्तार

६—१०—४१

हमारे रणीवाँ जीवन का लगभग एक वर्ष बीत चुका था। इस अवधि में हमारा कार्यक्रम प्रायः ६-७ गाँवों तक फैल गया था और दूर के ग्राम-वासियों से भी परिचय हो गया था। हमने अपने कार्य का विवरण श्री शंकरलाल भाई को लिख भेजा। जब बापू जी को यह ज्ञात हुआ कि हम लोग कई गाँवों में कार्य कर रहे हैं तो उन्होंने श्री

शंकरलाल भाई से कहा कि तुम धीरेन्द्र को लिख दो कि वह इस सम्बन्ध में मुझसे वार्तालाप कर ले। अतएव श्री शंकरलाल भाई के आदेशानुसार सेवाग्राम जाकर बापूजी से मिला तथा तीन-चार दिन तक उनसे बातें करता रहा। बापू जी का अभिप्राय यह था कि मैं अपने ग्रामसेवा का काम एक ही गांव तक सीमित रखूँ। किन्तु मेरी विचारधारा इस के प्रतिकूल कई गांव का एक क्षेत्र बना कर कार्य करने की थी। बापू जी कहते थे कि यदि तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम्हारी कार्य-कारिणी शक्ति कई गांवों में विभाजित हो जायगी जिस का परिणाम यह होगा कि तुम कहीं भी सफल न हो सकोगे। किन्तु इसके विपरीत मेरा निजी अनुभव यह था कि ग्रामीण लोग किसी प्रकार के नवीन परिवर्तन की एक निश्चित गति रखते हैं। हम अत्यधिक प्रयत्न करने पर भी उस निश्चित गति में किसी प्रकार की तीव्रता नहीं ला सकते। उन्हें हमारे रहन-सहन, हमारे कार्य करने के ढंग एवं हमारी शिक्षा का प्रभाव ग्रहण करने के लिए एक निश्चित समय की अपेक्षा होगी। चाहे हम वह समय एक ही गांव के सम्पर्क में बैठे रह कर व्यतीत करें या कई गांवों के सम्पर्क में बापू से भिन्न लगावें और कई गांवों के लोगों के दृष्टिकोण में अनुभव अन्तर लाने की कोशिश करें, समय एक ही लगेगा।

इस के अतिरिक्त प्रत्येक गांव में हमारे प्रोग्राम के साथ कुछ ही व्यक्ति सहानुभूति रखते हैं, शेष लोगों को अपने साथ लाने में समय लगता है। तिस पर भी कुछ व्यक्ति तो कभी साथ नहीं आते। इसी प्रकार प्रत्येक गांव के कुछ व्यक्ति तो स्वभावतः हम से सहानुभूति रखते हैं और शेष कुछ लोगों को साथ लाने में हमें उसी समय की आवश्यकता होती है जिसे हम एक गांव के लोगों को साथ लाने में व्यय करते हैं। इसके अलावा सभी व्यक्ति सभी प्रोग्रामों में सम्मिलित नहीं होते। रुचि-वैभिन्य के कारण कोई एक प्रोग्राम में भाग लेता है, कोई दूसरे में। इस प्रकार अगर हम कई

गाँवों का क्षेत्र लेते हैं तो सम्पूर्ण क्षेत्र मिलाकर हमारे प्रोग्राम के हर एक पहलू पर काफी संख्या में लोग अमल करने लग जाते हैं और हम उनके सहारे अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ कार्यक्रम तो इस प्रकार के होते हैं कि उन्हें संचालित करने के लिए गाँव में वायु-मण्डल तैयार करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, हम चाहे कितना ही भाड़ू देते रहें, कितना ही टट्टी साफ करते रहें और हल चलाना आदि कार्य अपने हाथ से करते रहें, परिश्रम की मर्यादा स्थापित करने के लिए हम साक्षात् आदर्श ही क्यों न बन जायँ, किन्तु एक ठाकुर घर का राजकुमार एवं उस घर के अन्य लोग इस प्रकार के कार्य करने का साहस नहीं करेंगे। इच्छा रखते हुए भी वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इस से उनके समीपवर्ती विरादरी के लोग उन्हें तुच्छ समझने लगेंगे। इसी प्रकार ब्राह्मणों के लिए ताँत छूना, पंक्ति-पावन लोगों का चक्की चलाना और छुआछूत दूर करने आदि के विकट प्रश्न सामने आते हैं। लोगों का चाहे कितना ही बौद्धिक विकास हो जाय किन्तु प्राचीन परम्परागत रूढ़ि को त्याग कर किसी नवीन बात को ग्रहण करने का साहस उनमें नहीं आ पाता। गाँव में एक आध ही ऐसे दुस्साहसी व्यक्ति मिलते हैं जो इन पुरानी बातों को छोड़ने के लिए तैयार होंते हैं। किन्तु अकेले होने के कारण उनका साहस ढीला पड़ जाता है। यदि एक पूरे क्षेत्र के कई गाँव के कई व्यक्ति इस विचार के प्राप्त हो जायँ तो उन्हें एक दूसरे से बल मिलता है और उनके आगे बढ़ने से सम्पूर्ण क्षेत्र के वायुमण्डल में एक साहस की लहर पैदा हो जाती है और धीरे-धीरे दूसरे लोग भी उनका साथ देने लगते हैं। कई गाँवों का एक क्षेत्र चुनने से एक विशेष लाभ और होता है। प्रत्येक गाँव के कुछ अलग-अलग ढंग होते हैं इसलिए कोई कार्यक्रम किसी एक गाँव में चल जाता है तो कोई किसी दूसरे में चल जाता है। हम लोगों के उस क्षेत्र में भी यही हुआ। हम लोगों ने सबसे अधिक समय रणीवाँ में रह कर व्यतीत

क्रिया किन्तु चाचीपुर में पहले ही अधिक चर्खा चल गया। चतुरी पट्टी नामक गांव के सम्पर्क में हम लोग बहुत पीछे आये किन्तु उस गांव में सबसे अधिक चर्खा चलने लगा था किन्तु आश्रम में सटे हुए गांव केवाड़ी में आठ साल प्रयत्न कर के हम एक भी चर्खा नहीं चलवा सके। छुआ-छूत के सम्बन्ध में भी यही हुआ। आश्रम से डेढ़ मील दूर के एक गांव के कई नौजवान आश्रम में सबके साथ खाने-पीने लगे, फिर अन्य गांव के लोग भी खाने-पीने का साहस करने लगे और अब वहां वायु मण्डल अनुकूल हो जाने से इस सम्बन्ध में कहीं किसी प्रकार का विरोध भी नहीं प्रकट किया जाता।

रणीवां के निवासियों ने हमारे कहने से एक बार तम्बाकू पीना छोड़ दिया था। किन्तु अन्य स्थानों से उस गांव में अतिथि आने पर जब उन्हें तम्बाकू नहीं दी गई तो सम्पूर्ण विरादरी में एक हलचल खड़ी हो गई। क्योंकि विरादरी की संगति में बैठ कर तम्बाकू न पीना एक प्रकार की बेइज्जती करना समझा जाता है। इस प्रकार बहुत से प्रोग्राम ऐसे हैं कि जब तक अनुकूल वातावरण नहीं पैदा होता है तब तक व्यक्तिगत रूप से वे चल नहीं पाते हैं।

मैं गाँधी जी से तीन-चार दिन तक बातें करता रहा किन्तु हम लोग सहमत नहीं हो सके। अन्त में बापू जी ने कहा—“जाओ, अपने ढंग से काम करो, अन्त में अनुभव तुम्हें मेरी बात का कायल बना देगा।” उन्होंने जेठालाल भाई का भी उदाहरण दिया और कहा :—“जेठालाल भी आरम्भ में इसी प्रकार की बातें करता था, मगर अब उस की राय बदल गई है।” बापू जी की इन बातों से भी मेरी धारणा परिवर्तित न हो सकी। और मैं उनको प्रणाम कर और उनका आशीर्वाद ले कर रणीवाँ लौट आया। तब से छः वर्ष बीत गये। मैं इस प्रश्न पर सर्वदा विचार करता रहा, किन्तु इतने बाल तक देहात में काम करने पर भी मेरे विचार में कोई परिवर्तन नहीं आया। प्रत्युत अपनी ही धारणा दिन प्रति दिन और भी दृढ़ होती

गई। तुम जब रणीवाँ आई थीं तो इस प्रश्न पर तुमसे आलोचना-प्रत्यालोचना हुई थी। उस समय तुम भी मुझ से सहमत प्रतीत होती थीं। मालूम नहीं, आज इस विषय पर तुम्हारी क्या सम्मति है ?

[३१]

रणीवाँ आश्रम की स्थापना

१०—१०—४१

कल ही तुम्हें एक पत्र लिखा था; परन्तु आज भी कुछ अवकाश पाकर फिर लिखने बैठ गया। यह तो तुम्हें विदित ही है कि जेल का जीवन विचित्र हुआ करता है। कभी मन में आता है कि खूब सीर्यें तो कभी जी चाहता है कि दिन भर पढ़ते ही रहें और कभी चर्खा चलाने बैठते हैं तो मन दिन भर चर्खा चलाने को ही कहता है और यदि कभी हुल्लड़ करने को मिल जाय तो फिर कहना ही क्या ? उस दिन की तो हम लोग जेल-जीवन में गिनती ही नहीं करते। जिस दिन लोगों की तबीयत जिधर मचल जाय, उस दिन लोग उसी में मस्त हो जाते हैं। अभी सप्ताहारम्भ की तो बात है। कुछ लोगों ने निश्चय किया कि गांधी-जयन्ती के अवसर पर कताई होनी चाहिये और २५ से २-१०-४१ तक जितना सूत कते, सब गांधी जी को भेंट किया जाय। पहले निश्चय किया गया कि सप्ताह जेल का जीवन भर में एक लाख छियालीस हजार गज सूत काता जायगा। किन्तु जब कातना शुरू किया गया तो लोगों के दिमाग में कातने की ही बात घुस पड़ी और निश्चय हुआ कि तीन लाख गज सूत कातना चाहिये, किन्तु अन्ततः लोग उसमें इतना तन्मय हो गये कि सप्ताहान्त तक लगभग साढ़े छः लाख गज सूत कत कर तैयार हो गया। इस तरह जेल की जिन्दगी एक धुन की जिन्दगी होती है। इसी तरह जब चिट्ठी लिखने की धुन

आ जाती है तो जी यही चाहता है कि सर्वदा लिखा ही करें। इस-
लिए मैं आज फिर चिट्ठी लिखने बैठ गया।

अब तक पत्रों में मैंने अपने गांव के काम के अनुभव का ही उल्लेख किया है; आज रणीवां आश्रम के सम्बन्ध में कुछ बातें बताऊंगा। यह मैं पहले ही लिख चुका हूँ कि शुरू-शुरू में हम लोग केवल तीन आदमी ही रणीवां आये थे। फिर रामफेर भाई और बहरँची मिन्नी आगये। कुछ समय पश्चात् मेरठ से प्रेमनारायण भाई ग्राम-सेवा करने के विचार से चले आये। इस तरह हम लोगों की संख्या तीन से छः हो गई। एक छोटी-सी कोठरी में छः आदमियों का रहना कठिन हो रहा था। इधर कई माह से हम लोग यह महसूस करने लगे थे कि जब रणीवां में सर्वदा के लिए निवास करना निश्चित-सा हो गया और अब इस स्थान ने एक आश्रम का रूप धारण कर लिया है तब हमें गांव से बाहर कोई उपयुक्त जमीन मिल जाय तो वहीं छोटी-मोटी भोपड़ियाँ डाल देनी चाहिएँ। यों तो गाँव वालों ने हमें जो भी स्थान दिये थे, प्रेम और आदर से ही दिये थे किन्तु हम लोग यह अनुभव करते थे कि वे लोग संकोच-वश हमें आश्रम के लिए स्थान देकर स्वयं तंगी का अनुभव करते थे। इसके जमीन का चुनाव अतिरिक्त अब आश्रम में ग्राम-सेवा की शिक्षा पाने के लिए तरह-तरह के नवयुवकों का आगमन सम्भव है, उस परिस्थिति में गाँव के भीतर चौबीस घंटे हिल-मिलकर रहना उचित न होगा। इन सम्पूर्ण बातों का विचार कर हमने गाँववालों के समक्ष अपना प्रस्ताव रक्खा और उनसे जमीन माँगी। कई स्थान देखे गये और आश्रम निर्माण की भिन्न-भिन्न योजना बनने लगीं। दीवार कच्ची ईंट की रक्खी जाय या तिलकुल कच्ची हो और फूस से बनाई जाय या खपरैल से इत्यादि विषयों में विवाद चलने लगा। इसी प्रकार जमीन के सम्बन्ध में भी नित्य विचार निश्चित होता था और दूसरे दिन पलट जाता था। अन्ततः श्री लालताप्रसाद जी

मिश्र ने गाँव से दक्खिन खेतों के मध्य लगभग एक बीघा भूमि प्रदान की और जोर दिया कि आप लोग वहीं पर अपनी झोपड़ियाँ बना लें। उस स्थान पर एक कुआँ भी था इसलिए हम लोगों ने उसी स्थान पर आश्रम बनाने का निश्चय किया।

आश्रम बनाने का निश्चय करके मैं किसी काम से मेरठ चला गया। मेरठ से लौट कर आश्रम-निर्माण के लिए साधन इकट्ठा करने की युक्तियाँ सोचने लगा।

एक दिन संध्या समय मैं और पं० लालताप्रसाद गाँव के दक्षिण की ओर घूमने निकले। कुछ दूर जाने के बाद हम लोग एक जंगल के समीप आ पहुँचे। वह जंगल एक बहुत बड़े तालाब के चारों ओर फैला हुआ था। तालाब बहुत प्राचीन होने के कारण भट चुका था। सुन्दर चाँदनी रात थी इसलिए वह स्थान बहुत आकर्षक प्रतीत होता था। मैं जंगल के मध्य तालाब के खुले मैदान पर बैठ गया और पं० जी कुल्ला करने चले गये। मैं बैठे-बैठे सोच रहा था कि यदि इस जंगल का कोई कोना प्राप्त हो जाता तो आश्रम बनाने के लिए बहुत सुन्दर और एक आदर्श स्थान होता। गाँव से कुछ दूर भी था और वन जाने पर देखने में भी एक प्राचीन काल के आश्रम के ही समान होता। साथ ही मुझमें वह कल्पना भी जागृत हो उठी जिसे मैंने अपने कश्मीर-निवास के समय गाँव के सेवा-

वह टीलों का

आकर्षण

कार्य के लिए एक केन्द्रीय संस्था बना कर आस-पास के नौजवानों को शिक्षित कर देहात को संगठित करने के रूप में किया था। अपनी उसी कल्पना के अनुसार मैंने मेरठ के निकट रास्ना में कार्य

करना प्रारम्भ किया था। किन्तु अनुभवहीन विद्यार्थियों के द्वारा संचालित किये जाने के कारण वह सफल न हो सकी थी। अब तो मैं रणीवाँ में सर्वदा के लिए बैठ रहा था तो क्या फिर एक बार और कोशिश करना उपयुक्त नहीं होता। जिस समय मैंने रास्ना की योजना

बनाई थी, उस समय मेरे विचार में ग्रामोद्योग की बात नहीं आई थी। उस समय तो मैं केवल कताई और बुनाई के ही द्वारा ग्राम-संघटन की कल्पना कर रहा था।

ग्रामोद्योग संघ की स्थापना कर गाँधी जी ने हम लोगों के लिए ग्राम-संघटन का बहुत बड़ा क्षेत्र खोल दिया था। इसलिए मैंने रास्ता में जितनी बड़ी केन्द्रीय संस्था की कल्पना थी, उससे भी बड़ी कल्पना उस तालाब के मैदान पर बैठे-बैठे कर डाली। यह सोच कर वह स्थान मुझे और भी सुन्दर प्रतीत होने लगा कि वहाँ रह कर भविष्य में अनुकूल परिस्थिति मिलने पर हम आगे भी बढ़ सकेंगे।

थोड़ी देर में पं० लालता प्रसाद जी कुल्ला कर के लौट आये। मैंने उनसे पूछा कि यह जमीन किसकी है? उन्होंने मेरे प्रश्न का अभिप्राय पूछा तो मैंने अपना उद्देश्य कह सुनाया। पंडित जी हँसकर कहने लगे कि इन जंगली खियारों के बीच कहाँ आकर निवास करेंगे? यहाँ कहीं निकट में पानी भी तो नहीं है। मैंने आप को जो स्थान दिया है वह आप के लिए बहुत सुन्दर और साफ स्थान है। यहाँ तो घर बनाने के लिए भी कोई स्वच्छ स्थान नहीं है। सब टीला और जंगल है। आप घर बनायेंगे भी तो कहाँ बनायेंगे? फिर भी मैंने उनसे जमीन के मालिक का नाम बता देने का आग्रह किया। मेरा आग्रह देख कर वे हँस पड़े और कहने लगे:—“कोई हज़र नहीं, यदि जंगल में ही निवास करना है तो यहीं घर बनाइये। किसी से पूछना नहीं है। जमीन अपनी ही है।” तब मैं उसी स्थान पर आश्रम निर्माण का निश्चय करके घर लौट आया और कर्ण भाई से सारी बातें कह सुनाईं। दूसरे दिन प्रातःकाल श्री कर्ण भाई और पं० लालता प्रसाद पुनः उस स्थान को आश्रम भवन-निर्माण की दृष्टि से देखने के लिए गये। स्थान कर्ण भाई को भी बहुत पसन्द आया और वे लोग जंगल का एक कोना पसन्द करके लौट आये।

शुभस्य शीघ्रम्। हम लोगों ने उसी समय गाँव से फावड़े और

टोकरियाँ इकट्ठी करलीं और सवेरे से ही उस स्थान पर जुट गये। जंगल की सफाई और टीले को काट छांट कर बराबर करने का कार्य प्रारम्भ हो गया। हमारी इस चेष्टा को देखकर गाँव के लोग हँसने लगे। आपस में कहते थे कि भला इतना ऊँचा टीला ये लोग किस तरह काट सकेंगे? यह तो टिटिहिरियों के समुद्र सोखने का साहस करने-जैसा है। किन्तु हम लोग उनकी बातों को अनसुनी करके अपने फावड़े और टोकरियाँ लेकर काम पर जुट जाया करते थे। कुछ दिनों के पश्चात् गाँव के व्यक्ति हमारे काम के प्रति हंसी मजाक करने के उपरान्त धीरे-धीरे उस टीले पर आने लगे और हमारे कार्य को कौतूहल की दृष्टि से देखने लगे। कुछ लोग थोड़ी देर के लिए हमारे साथ फावड़ा लेकर खोदने भी लगते थे। इस प्रकार जो लोग हमारे कार्य को असम्भव समझते थे, वे ही अब शनैः-शनैः स्वयं सहायता देने लगे। अन्तिम दिनों में तो वहीं लगभग तीस-चालीस फावड़े चलने लगे थे। इस प्रकार प्रायः दो-तीन माह की अवधि में हम लोगों ने उस टीले और जंगल को काट कर समतल बना डाला और आश्रम के मकान के लिए नींव खोद डाली। गाँव के सभी लोगों में उस समय काफी उत्साह था। उस उत्साह और जोश के ही परिणाम-स्वरूप हम जितना बड़ा घर बनाना चाहते थे उससे चौगुना और पाँचगुना बड़ा घर बना डाला। मैंने एतराज भी किया तो लोगों ने कहा कि आप धवड़ाइये मत, सब कुछ हो जायगा। बहुत से लोगों ने वाँस-वगैरह सामान देने का भी वादा किया। इस प्रकार रखीवां में लगभग एक वर्ष रहने की अवधि में ही हम लोगों ने स्थायी रूप से आश्रम बनाने की नींव डाल दी।

आश्रम-भवन बनाते समय हमें एक बहुत बड़ा अनुभव भी प्राप्त हुआ। ग्रामीण जनता में अपने को भलमनई समझने वाले लोग भी हमें रोज फावड़ा चलाते हुए देख कर अपने दिल में परिश्रम के प्रति श्रद्धा करने लगे। हम लोगों की यह बात इतनी फैल गई कि दूर-दूर

के लोग भी हमारा काम देखने के लिये आते थे ।

इस प्रकार तीन माह तक लगातार टीला काटने का काम करते रहने से आश्रम का काफी प्रचार हो गया और गाँव वालों ने थोड़ा-थोड़ा समान देकर आश्रम के लिए पूरी सामग्री इकट्ठी कर दी । हम लोगों को केवल बढ़ई और लुहारों के ही लिए खर्च करना पड़ा ।

आज जब हम आश्रम की उस विशाल इमारत को देखते हैं तो ग्रामीण जनता के इस असीम प्रेम की बात सोचकर आश्चर्य करते हैं । हमारे बहुत से नौजवान कहा करते हैं कि गाँव का काम किस प्रकार होगा ? गाँव वाले इतने गरीब, मूर्ख और आलसी हैं कि उनसे तो कुछ ही ही नहीं सकता है और हमारे पास कोई साधन नहीं । अतः गाँव में जाकर बैठना बेकार-सा ही है । किन्तु वे भूल जाते हैं कि शहरी लोगों के शहरी जीवन व्यतीत करने के लिए, ताल्लुकेदारों और महाराजाओं की अट्टालिकाओं को बनाने के लिए तथा शहर के लोगों को मोटर, सिनेमा आदि सामग्री जुटाने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है वे सब कुछ उसी ग्रामीण जनता के यहाँ से आते हैं । इसलिए देहात के जन-समूह अपने

श्रद्धा की आवश्यकता जिन साधनों से ऐसे बड़े-बड़े कार्य कर डालते हैं यदि वे चाहें तो उन्हीं साधनों से अपनी टूटी-फूटी भोपड़ी की मरम्मत भी कर सकते हैं । केवल मार्ग बतलाने की आवश्यकता है । यदि हम गाँवों में जाकर श्रद्धा-पूर्वक उनके सेवा-कार्य में लग जायँ तो धीरे-धीरे उनको रास्ता बताने में समर्थ हो जायँगे ।

आश्रम के सम्बन्ध में तुम्हें थोड़ा-सा परिचय देना था किन्तु यह लेख लिखते-लिखते लम्बा हो गया । अपने सम्बन्धित व्यक्तियों के विषय में प्रचार करने में भला किसको रस नहीं मिलता ? फिर मैं भी तो आदमी ही हूँ ? खैर, इस कहानी से तुम्हें ग्रामीण लोगों की मनोवृत्ति का कुछ परिचय तो मिल ही जायगा । इसलिए मेरा यह लम्बा लेख

तुम्हें विशेष अरुचिकर नहीं प्रतीत होगा। अभी तुम्हारा पत्र आया है। सब समाचार मालूम हुआ। तुमने लिखा है, मीतुमा अब सत्याग्रह का अर्थ समझ गई। फिर क्या पूछना? अब तो वह बाकायदा एक नई नेत्री बन सकती है। सरोजनी नायडू तो अब बुढ़िया हो गईं। उनकी जगह पर उसी को क्यों न कर दिया जाय? मैं खूब मजे में हूँ, सब को नमस्कार।

[३२]

सरकारी दमन का रूप

१२—१०—४१

परसों ही तुम्हें एक पत्र लिख था। मिला होगा। आज फिर लिखने बैठा हूँ। देखो, आजकल मैं पढ़ने-लिखने में कितना ध्यान लगा रहा हूँ। अब कभी न कहना कि धीरेन्द्र भाई, तुम लिखने पढ़ने के चोर हो।

अपने पिछले पत्र में मैंने यह लिखा था कि किस प्रकार गाँव वालों की सहायता से रणीवाँ स्थायी आश्रम बन गया। उस वार जब तुम रणीवाँ गईं थीं तो पश्चिम की भीट पर जो बड़ा-सा मकान देखा था, वह वही भाग है जिसका जिक्र मैंने पिछले पत्रों में किया है। तुमको स्मरण होगा कि उसमें एक बहुत बड़ा-सा हाल भी है। उसी में बैठकर तुमने आस-पास के ग्रामीण मित्रों को बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा का महत्व समझाया था। वे लोग विलकुल देहाती थे। तुमने देखा था कि वे कितने आग्रह के साथ इस योजना का स्वागत करते थे। तुमसे तरह तरह के प्रश्न भी करते थे। चूंकि बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा ग्रामीण लोगों की मतलब की चीज है इसलिए वे इसे बहुत शीघ्र समझ जाते थे। हमारे बहुत से सुधारक नौजवान कहा करते हैं कि गाँव के लोग महामूर्ख और दकियानूसी हैं। वे कोई नई बात

ग्रहण ही नहीं करना चाहते हैं। किन्तु वे भले आदमी यह नहीं समझते कि ग्रामीण लोगों को यदि ठीक-ठीक उन्हीं सुधारकों का के अर्थ की बात समझाई जाय तो वह चाहे कितनी गलत तरीका ही नई क्यों न हो पर वे उसे सरलता से समझ लेते हैं। वास्तविक तथ्य यह है कि हमारे सुधारक भाई जब गाँवों में जाते हैं और उन्हें कुछ समझाते हैं तो उनमें से अधिकांश उनके मतलब का नहीं होता। रही दकियानूसी विचार की बात। मेरा विचार तो यह है कि मनुष्य-मात्र ही अपनी शिक्षा, संस्कार और आस-पास के वातावरण के प्रभाव से कुछ धारणा बना लेते हैं; उसे सरलता से नहीं छोड़ पाते। पं० जवाहर लाल की तरह साफ दिमाग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला आदमी संसार में दूधरा कौन है? किन्तु उनको यह समझाना कठिन है कि बिना कुर्सी और मेज के भी लिखने-पढ़ने का कार्य स्फूर्ति और कुशलता के साथ किया जा सकता है। देहात के लोग अपना सम्पूर्ण कार्य उपर्युक्त साधनों के बिना ही बड़ी सुन्दरता से कर लेते हैं। इसीलिए मैं सर्वदा कहा करता हूँ कि दकियानूसी मनोवृत्ति केवल गांव वालों की ही बपौती नहीं है। मनुष्य मात्र की ही यह खास सम्पत्ति है। जब देहात के लोग अपना आचरण और जीवन हम लोगों की तरह नहीं बना पाते तो हम उन्हें पत्थरदिमाग कहते हैं, किन्तु हम जब अपना जीवन देहाती जीवन के रूप में नहीं परिवर्तित कर पाते तो उस समय हमारा दिमाग किस प्रकाश-रश्मि का बना हुआ कहा जा सकता है ?

आज मैं तुम्हें कुछ और ही लिखने बैठा था, किन्तु प्रसंग-वश दूसरी ओर बहक गया। पिछले पत्र में मैं तुम्हें लिख ही चुका हूँ कि धीरे-धीरे आस-पास के दूरस्थ देहात तक भी आश्रम की बात फैल रही थी और आश्रम का प्रभाव बढ़ रहा था। पहले की अपेक्षा ग्रामीण लोगों में कुछ-कुछ जीवन-संचार भी हो रहा था। तालाब का

टीला और जंगल खोदने की दृष्टि से हम लोग और भी प्रसिद्ध हो चुके थे। इससे सरकारी अधिकारियों की दृष्टि भी आश्रम का बढ़ता हम पर पड़ने लगी। चौकीदारों को हमारी गति-प्रभाव विधि नोट करने का आदेश मिल गया। देहात के जो व्यक्ति हम लोगों से अधिक घनिष्ठता रखते थे उन्हें पुलिस के सिपाही परोक्ष रूप से डराने भी लगे। किन्तु अब तक हम लोगों ने गाँव वालों के हृदय में स्थान बना लिया था। इसलिए हमारा कार्य पूर्ववत् चलता रहा। अधिकारी वर्ग ने जब देखा कि देहात के लोग सामान्य रूप से उनकी धमकी में नहीं आते तो उन्होंने दमन का विशेष तरीका काम में लाना प्रारम्भ किया।

उस वर्ष लखनऊ में कांग्रेस हो रही थी और उसी वर्ष पहले-पहल कांग्रेस में खादी और ग्रामोद्योग सामान की हमें प्रदर्शनी करनी थी। इसलिए मुझे चार-पाँच माह के लिए लखनऊ चला जाना पड़ा। जिले के अधिकारियों ने अच्छा अवसर देखा और एक सरकार द्वारा वर्ष पूर्व स्वाधीनता दिवस के अवसर पर किये गये दमन भाषण के उपलक्ष्य में श्री कर्ण भाई पर राजद्रोह की दफा १२४-अ लगा कर गिरफ्तार कर लिया। तत्पश्चात् गाँव में दमन-नीति का प्रयोग प्रारम्भ हो गया। सिपाही और चौकीदार गाँव-गाँव में जाकर गाँव वालों को धमकाते थे और कहते थे कि अब क्या देखते हो? कर्ण भाई तो गिरफ्तार कर लिए गये और बंगाली दाबू डर के मारे जान बचाकर कहीं भाग गये। अब जो कोई आश्रम बनाने में किसी तरह की सहायता करेगा वह बाँध लिया जायगा; इत्यादि। गाँव के लोग इन बातों से घबराते तो अवश्य थे किन्तु आश्रमीय भाइयों के साथ उनका सम्बन्ध पूर्ववत् ही बना रहा। अधिकारियों को इतने पर भी सन्तोष न हुआ। एक दिन थानेदार ने अपने दल-बल के साथ रखीवाँ के पास एक बाग में आकर खीमा गाड़ दिया। वहीं पर लोगों को बुला-बुलाकर खूब धमकाया

और कहा कि जो लोग आश्रम बनाने में मदद देंगे उन्हें देख लूँगा। थानेदार के सब से अधिक कंप-भाजन वे लोग बने जिन्होंने हमें रहने के लिए या हमारे काम के लिए अपने मकान के हिस्से दिये थे। कुछ लोग डर गये और उन्होंने संकोच का अनुभव करते हुए लालसिंह भाई से घर छोड़ देने का अनुरोध किया। लालसिंह भाई ने उन्हें आश्वासन दिया और उनके घर छोड़ कर बाहर मैदान में अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया। इन लड़कों के अन्दर इतना जोश आ गया था कि कष्ट भोगते हुए बाहर रह कर सभी विभागों का कार्य सुचारु रूप से चलाते हुए भी आश्रम-निर्माण के लिए सामान एकत्र करना जारी रखता। गाँव के छोटे-छोटे बच्चों में भी काफी जोश और प्रेम उमड़ उठा था। जब आश्रम के भाई अपने खुले मैदान के निवास-स्थान से कार्य के लिए किसी दूसरी जगह जाते थे तो बच्चे बारी-बारी से सामान की रखवाली करते थे।

पुलिस और जिले के अन्य अधिकारी पं० लालता प्रसाद पर बहुत अधिक दबाव डालने लगे कि आप अपनी जमीन में आश्रम न बनने दें। तहसील के हाकिम और थानेदार ने उन्हें बुला कर धमकियाँ भी दीं। प्रारम्भ में पंडित जी बहुत धरराये। उनके हृदय में प्रेम और भय का संघर्ष प्रारम्भ हो गया। दो तीन दिन तक वे अहर्निश पड़े रहे। अन्त में प्रेम की ही जीत हुई और उन्होंने निश्चय कर लिया कि जो कुछ हो आश्रम तो बनेगा ही। अधिकारियों के हाथ में जो कुछ शक्ति थी, उसके द्वारा उन्होंने पंडित जी को गिराने की पूर्ण कोशिश की। गाँव के मुखिया का पद छीन लिया दमन की आंधी गया। पंडित जी कई गाँवों की सरकारी पंचायत में अचल रहने के सरपंच भी थे। अधिकारियों ने उन्हें इस पद से वाले भी वञ्चित कर दिया। परन्तु यह सुन कर तुम्हें प्रसन्नता होगी कि दो वर्ष तक लगातार परिश्रम करके भी सरकार उस क्षेत्र में दूसरा सरपंच न चुन सकी। निर्वाचक

हमेशा पंडित जी का ही नाम लेते रह गये ।

गांव का यही क्षेत्र था जहाँ साल भर पूर्व एक पुलिस के चौकीदार को देख कर लोग थर-थर कांपते थे । सिपाही देखकर तो गांव छोड़ भाग जाते थे । जब पहले-पहल हम लोग रखीवां आये तो एक बार उस गांव में अकबरपुर से तहसीलदार आये हुए थे । उनके भय से कई अच्छे-अच्छे व्यक्तियों ने अपने चर्खे और धुनकियां छिपा दी थीं । एक महाशय ने तो घबराहट में अपनी धुनकी धान के पयाल में छिपा दी थी । उसी क्षेत्र में केवल एक वर्ष तक रचनात्मक कार्य करने से लोगों में इतना साहस आ गया कि अधिकारी कोशिश करने पर भी एक सरपंच नहीं चुन सके और अन्त में उन्हें उस क्षेत्र की पंचायत ही तोड़ देनी पड़ी । हमारे देश के नौजवान गांधी जी के रचनात्मक कार्य पर व्यंग करते हैं । कहते हैं, इससे स्वराज्य किस तरह मिल जायगा ? भला वताओ तो अब तक भारतवर्ष की ग्रामीण जनता संघटित नहीं होगी और उसमें स्थायी हिम्मत नहीं पैदा होगी तब तक स्वराज्य का आन्दोलन ही किस प्रकार चल सकेगा, स्वराज्य-प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है । गांधी जी की इस सूझ को हमारे देश के नौजवान तो नहीं समझते किन्तु सरकार की नौकरशाही खूब समझती है । यही कारण है कि वे भरसक यह कोशिश करते रहे कि हम लोग रखीवां में न जम सकें ।

पं० लालता प्रसाद जी के ऊपर बीती हुई बातों को तुम्हें लिख ही दिया । अब जिस घर में हम रहते थे उस घर के लोगों की कहानी सुनोगी तो तुम आश्चर्य करोगी । उस दिन थानेदार ने उन सभी लोगों को बुलाया था जिनके घरों में हम लोग रहते थे । कुछ लोगों ने तो अपने डर की बात भाई लालसिंह से कह कर अपनी जगहें खाली करवा लीं । किन्तु जिस घर में हम लोग रहते थे उस घर की विधवा के बड़े लड़के श्यामधर मिश्र ने हम लोगों के लिहाज से कुछ नहीं कहा और फिर जब उसने यह देखा कि पं० लालता प्रसाद ने

अपनी भूमि पर आश्रम बनाने का काम नहीं रोका तो वह भी चुप रहा। किन्तु तीन-चार दिन के पश्चात् पुलिस वालों ने उसे फिर बुलाकर धमकाया जिससे वह डर गया। उस समय उस विधवा का तेज की विधवा माता अपने नैहर में थी। श्यामधर वहीं चला गया और उसे बुला लाया तथा पुलिस के हस्तक्षेप का सारा क्रिसा उससे कह सुनाया। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि अब इन लोगों से अपना घर खाली करा लेना चाहिये। किन्तु उस गरीब और ग्रामीण विधवा स्त्री ने साहस के साथ जवाब दिया कि चाहे जो हो किन्तु मैं इन्हें नहीं निकालूँगी। अगर पुलिस को निकालना हो तो वह स्वयं आकर निकाल जाय। हमारे ऊपर जो मुसीबत पड़ेगी देख लूँगी। जिसे डर लगता हो वही घर से निकल जाय।

कितने आश्चर्य की बात है देहात की एक गरीब विधवा, जिसके घर में हमेशा दोनों समय उचित रूप से भोजन भी नहीं मिलता, जिसके पास जीवित रहने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं है, जिसने अपने जीवन भर में किसी प्रकार का राजनीतिक व्याख्यान भी नहीं सुना उसके भीतर इतना साहस कहाँ से आ गया।

ग्राम-सेवा के द्वारा ग्रामीण लोगों के साथ आत्मीयता का सम्पर्क कायम करने से क्या नहीं हो सकता? हम जन-सम्पर्क के लिए कमेटियाँ बनाते हैं और समझते हैं कि देहात की बड़ी-बड़ी सभाओं में भाषण देकर जन-सम्पर्क कायम कर लेंगे। किन्तु यह समझना बहुत बड़ी भूल है। केवल भाषण देकर जन-सम्पर्क नहीं कायम किया जा सकता। मैं आज भी तुम्हें यह पत्र लिखते समय जब उस विधवा की बात सोचता हूँ तो स्तम्भित रह जाता हूँ। किस शिक्षा, किस आदर्शवाद और किस ऊँची सभ्यता ने उसके हृदय में इतने ऊँचे भाव जाग्रत किये। शिक्षा, स्वच्छता और सभ्यता का दम भरने वाले और देहात के लोगों को गन्दे, वेवकूफ कहकर नाक सिकोड़ने वाले मित्रों से पूछो कि वे अधिक

स्वच्छ और साफ हैं अथवा वह मूर्खा, जीर्ण वस्त्र-धारिणी विधवा ? जो अपने रहे-सहे साधनों पर भी जोखिम उठाकर साहस, प्रेम और शिष्टाचार का आदर्श हमारे समक्ष उपस्थित करती है ।

अधिकारियों और पुलिस की उपर्युक्त चेष्टा देख कर मुझे जवाहरलाल जी की कही हुई एक बात याद आती है । सन् १९३३ ई० में मैंने गणेशशंकर विद्यार्थी-द्वारा ग्राम सेवा कार्य के लिए संस्थापित कानपुर के देहात के नर्वल आश्रम के सम्बन्ध में जवाहरलाल जी को एक पत्र लिखा था । ग्राम-सेवा के कार्य में मुझे प्रारम्भ से ही दिलचस्पी थी । इसलिए मैं विशेष उत्सुक था कि वह आश्रम सुचारु रूप से चल जाय । जवाहरलाल जी ने मेरे पत्र का जो उत्तर दिया वह मुझे अब तक ज्यों का त्यों स्मरण है । वह इस प्रकार था:—

“प्रिय धीरेन्द्र, तुम्हारा पत्र मिला । विद्यार्थी जी के नाम के साथ जिस भी काम का सम्बन्ध है, उससे दिलचस्पी होना मेरे लिए परम स्वाभाविक बात है । मैं कानपुर जा रहा हूँ और आश्रम के सेक्रेटरी से बातें करूँगा किन्तु तुमसे मैं एक बात कहे देता हूँ कि देहात में तुम चाहे कोई भी काम करो किन्तु उसका कुछ वास्तविक प्रभाव जनता पर पड़ने वाला हो तो अधिकारी तुम्हें वह काम नहीं करने देंगे ।”

यही हुआ भी । रणीवां में जवाहरलाल जी की बात चरितार्थ हो गई किन्तु साथ ही यह भी अनुभव हुआ कि अगर हम देहात में रचनात्मक कार्य इस ढंग से करें कि उससे जनता पर दर असल प्रभाव पड़ सके तो अधिकारियों के लिए काम का न करने देना भी असम्भव हो जाता है ।

आज मैंने बहुत लम्बा पत्र लिख डाला । काफी शाम हो गई अतः आज यहीं समाप्त करता हूँ । तुम्हारे यहाँ का क्या हाल है ? दादा अभी दूर (प्रवास) पर ही हैं या वर्धा लौट आये ? सब को नमस्कार कहना ।

[३३]

खादी-सेवकों की शिक्षा

१५—१०—४१

इधर मैंने प्रति दिन एक पत्र लिखने का निश्चय किया था। किन्तु आज तीन दिन से एक भी नहीं लिख सका। दो-एक दिन से मेरे मन में एक प्रकार की अव्यवस्था-सी उत्पन्न हो गई थी। रणीवाँ के ब्रह्मचारी जी को तो तुम जानती हो। इधर जब से हम लोग ग्रामोद्योग-विद्यालय को व्यवस्थित करने में लगे रहे, तब से गाँव के कार्य का सारा भार उन्हीं ने उठा लिया था। उनके समान सादा जीवन, सेवा की भावना और चरित्र रखने वाला सेवक दुर्लभ है। काफी योग्य और पुराना कार्यकर्ता होते हुए भी हमेशा अपने को पीछे रखकर ही कार्य करते थे। अभी अभी मुझे समाचार दुर्लभ सेवक का मिला है कि ब्रह्मचारी तालाब में तैरते हुए डूब निधन गये हैं। इस खबर ने मुझे इन दिनों बेचैन सा कर दिया है। इस समय भी मैं जबर्दस्ती ही लिखने बैठा हूँ। मेरे लिए तो वह सगे भाई से भी अधिक था। जेल में बैठे-बैठे उसके भरोसे न जाने क्या-क्या करने की योजना सोच रहा था। साथी कार्यकर्ता तो बहुत आते हैं किन्तु ऐसा चरित्रवान कार्यकर्ता कहाँ प्राप्त हो सकेगा। हमारा क्या? संसार के अन्य शोकों की तरह यह शोक-भी भूल जायँगे। किन्तु रणीवाँ के निकट के तीन-चार सौ गाँव की गरीब और असहाय जनता को उस पर बहुत भरोसा था। पुलिस, जमींदार और रोग आदि के प्रकोप में ब्रह्मचारी उनका एक मात्र आधार था। आज वह जनता अनाथ हो गई। इसकी चिन्ता मुझे रह-रह कर सता रही है। किन्तु विवश हूँ। मनुष्य कर ही क्या सकता है? ईश्वर की लीला अपार है।

हाँ तो उस दिन मैं अधिकारियों-द्वारा हम लोगों के हटाये जाने की चेष्टा की कहानी लिख रहा था। मेरी अनुपस्थिति में कर्ण भाई

को गिरफ्तार कर लेने के बाद पुलिस ने गाँव वालों पर अपना आतंक फैलाने की कोई भी कोशिश उठा नहीं रखी। इससे एक लाभ भी हुआ। एक प्रकार से लोगों के साहस और प्रेम की परीक्षा भी होगई। हमारे सहकर्मियों की भी परीक्षा हो गई। वास्तविक दिक्कतों का सामना किये बिना मनुष्य नैतिक बल नहीं प्राप्त कर सकता अतएव सेवकों के लिए कभी-कभी ऐसी परिस्थितियों का आ जाना ईश्वर की विशेष कृपा ही समझना चाहिए।

कर्ण भाई का मुकदमा लड़ा गया और सात महीने अभियोग चलाकर भी पुलिस अपनी बात साबित न कर सकी। कर्ण भाई मुकदमे से बरी हो गये। मैं भी लखनऊ से लौट आया। कर्ण भाई का फिर हम लोगों ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति आश्रम-भवन-निर्माण में ही केन्द्रित कर दी। कर्ण भाई के छूट जाने से देहात में चारों ओर एक नया जोश छा गया और लोग पहले की अपेक्षा अधिक सामान और परिश्रम से आश्रम बनाने में सहायता करने लगे। इस प्रकार जून सन् १९३६ तक आश्रम-भवन पूर्णतया तैयार हो गया।

अब तक हम लोगों ने ग्राम-सेवा का कार्य केवल व्यक्तिगत रूप से ही किया था। किन्तु अब रणीवां केन्द्र ने एक संस्था का रूप ग्रहण कर लिया था। आश्रम के खादी-विभाग में एक योग्य कार्यकर्ता की समस्या आ खड़ी हुई थी। उत्पत्ति विभाग के कार्य-सम्पादन के लिए आवश्यक था कि कुछ कार्यकर्ताओं को इस प्रकार की शिक्षा दी जाय कि वे कताई धुनाई के ज्ञान के साथ-साथ हमारे खादी आन्दोलन के उद्देश्य और स्वरूप का भी ज्ञान प्राप्त करलें। मेरे रणीवां में रहते तथा वहाँ पर एक आश्रम बन जाने के कारण आश्रम के प्रधान कार्यालय ने उत्पत्ति विभाग के नये कार्य-कर्ताओं को कताई धुनाई सीखने, राष्ट्रीय आन्दोलन का साधारण ज्ञान प्राप्त करने एवं आश्रम-जीवन की भावना ग्रहण करने के लिए तीन महीने तक रणीवां में भेजने का

निश्चय किया ।

गांव में चर्खों का प्रचार और स्वच्छता आदि का कार्य तो चल ही रहा था किन्तु इस शिक्षण-केन्द्र के स्थापित हो जाने से मेरी पुरानी कल्पना को साकार रूप प्राप्त होने की कुछ सम्भावना खादी-शिक्षण प्रतीत होने लगी । व्यक्तिगत रूप से शिक्षा की अवधि का केन्द्र कुछ अधिक रखना चाहता था किन्तु आश्रम ने केवल तीन माह की ही अवधि स्वीकार की । इस प्रकार के कार्यकर्ता-शिक्षण का अनुभव मुझे पहले से कुछ नहीं था । इसलिए मैंने सोचा कि इस तीन माह के कार्यक्रम से मुझे अनुभव हो जायगा । अतः यह कार्यक्रम मेरे लिए भी उतना ही सीखने का विषय था जितना किसी नवागत शिक्षार्थी के लिए । वस्तुतः इससे मैंने सीखा भी बहुत अधिक । इससे मुझे अनुभव हुआ कि कार्यकर्ता-शिक्षण पर अब तक हम लोगों ने जितना ध्यान दिया है, वह विल्कुल नहीं के बराबर है । चर्खा संघ ने इस दिशा में योजना बना कर कोई भी विशेष कार्य नहीं किया है । वास्तव में हमें यह मानना पड़ेगा कि चर्खा संघ के कार्यकर्ताओं को यह भी नहीं मालूम है कि हम क्यों चर्खा चलायें और क्यों खादी पहनें ? क्योंकि अब तक उन्हें इस प्रकार की शिक्षा ही नहीं दी गई । गाँधी जी कहते हैं कि 'हम चर्खा आन्दोलन से स्वराज्य ले लेंगे । चर्खा ग्राम-आन्दोलन का केन्द्र-बिन्दु है । एक हाथ से हमें चर्खा दे दो तो दूसरे हाथ पर हम तुम्हें स्वराज्य दे देंगे ।' इत्यादि ।*

खादी-विक्री के लिए जब हम लोग प्रचार करते हैं, तो जनता में इसी प्रकार की भावना उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं । हम लोगों

* जिन दिनों यह पत्र लिखा गया था उन्हीं दिनों में चर्खा संघ की ओर से खरीद बख्त्रालय खोला गया था । लेकिन वह भी केवल कताई बुनाई की कला सिखाने के लिये । सन् ४८ में चर्खा संघ के अध्यक्ष का कार्य सम्हालने पर अब मैं विद्यालय को इस दिशा में गति देने की कोशिश में हूँ । २५—६—५०

से कहते हैं कि आप खादी पहनें। क्योंकि खादी के ही द्वारा हिन्दू-मुस्लिम एकता, हरिजन-उद्धार, मद्य-निषेध और गांवों के पुनर्निर्माण का कार्य तथा स्वराज्य तक प्राप्त हो सकता है। शायद मैं तुम्हें एक बार और लिख चुका हूँ कि गांधी जी जब मेरठ आये थे तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा कार्य प्रत्येक कत्तिन को स्वराज्य-वादिनी बना देना है। किन्तु हम लोग अब तक भी इस दृष्टिकोण से कार्य नहीं कर सके। चर्खा-संघ की पौने तीन लाख कत्तिनों को स्वराज्य-वादिनी बनाना तो दूर की बात है; हम कत्तिनों में कार्य करने वाले

हमारी कमी कार्य-कर्त्ताओं को ही स्वराज्यवादी नहीं बना पाये। हमारे कार्यकर्ता हिसाब रख लेते हैं और खरीद विक्री का काम ठीक-ठीक समझ लेते हैं तो हम मान लेते हैं कि उनमें एक सुयोग्य कार्यकर्ता की पर्याप्त योग्यता आ गई। मैं स्वीकार करता हूँ कि पौने तीन लाख कत्तिनों को स्वराज्यवादिनी बना देना स्वराज्य पाने जैसा ही कठिन और विशाल कार्य है किन्तु उस दिशा में अब तक हम कोई संयोजित कदम भी नहीं उठा पाये। इसलिए कार्यकर्ता-शिक्षण केन्द्र खोलने का अवसर मिलने पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और मैं समझने लगा कि अब शायद हमें इस दिशा में कदम बढ़ाने का दिन प्रति दिन सुन्दर अवसर मिलने लगे। जब हम कार्य-कर्त्ताओं की भावना और उनके दृष्टिकोण ठीक कर लेंगे तो उत्पत्ति-केन्द्रों का कार्यक्रम भी अभीष्ट दृष्टि-विन्दु से बना सकेंगे।

इस उद्देश्य से मैं नवागत शिक्षार्थियों के शिक्षा-कार्य में ही लग गया और कुछ दिनों के लिए इसी कार्य को अपना प्रधान कार्य बना लिया। और गांव में कोई नई योजना प्रचलित करने की कोशिश नहीं की। जो कार्य पहले से चल रहे थे उन्हें को अपने सहयोगियों की सहायता से कायम रक्खा। इसके पश्चात् आश्रम के विविध विभागों के लिए बहुत से कार्यकर्त्ताओं को कई टुकड़ियों में शिक्षा दी गई। कुछ कार्यकर्ता तो सन्तोषजनक नहीं निकले किन्तु साधारणतया इस

थोड़े दिनों की ही ट्रेनिंग से उनकी भावना में कुछ परिवर्तन अवश्य आ गया। कालान्तर में वे जहां-जहां गये, वहां-वहां इस शिक्षा का कुछ प्रभाव अवश्य देखने में आया। किन्तु शिक्षा-केन्द्र खोलते समय मेरी कल्पना कुछ और ही थी। मैं चाहता था कि चर्खा संघ के उत्पत्ति-केन्द्र इस दृष्टिकोण से चलाये जायँ कि गांधी जी के चर्खा और खादी का व्यापक अर्थ साकार रूप से दृष्टिगोचर हो सके। मेरी वह कल्पना कल्पना ही रह गई। एक तो तीन माह के संक्षिप्त समय में कार्यकर्ताओं को पर्याप्त शिक्षा देना सम्भव नहीं उत्पत्ति-केन्द्रों को था। दूसरे उत्पत्ति-केन्द्रों को नये दृष्टिकोण से नवे ढंग पर चलाने चलाने का कार्यक्रम आश्रम स्वीकार न कर सका।

की आवश्यकता सम्पूर्ण कार्य पुराने ही ढर्रे से चलता रहा। मैं जितना ही विचार करता हूँ उतना ही यह धारणा दृढ़ होती जाती है कि जब तक चर्खा संघ उत्पत्ति-केन्द्रों के संचालन के ढंग और दृष्टिकोण में क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं करेगा, तब तक बापू जी की भर्खे-द्वारा भारतीय गाँवों के पुनर्निर्माण का स्वप्न उनके दिल ही में रह जायगा। यदि चर्खा संघ के उत्पत्ति-केन्द्रों और ग्रामोद्योग के कार्य ठीक ढंग से चल सकें तो ग्राम-सुधार, ग्राम-सेवा और ग्राम-संगठन आदि कार्य के लिए अलग से किसी संगठन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चर्खा संघ के ही कार्यों से देहातों का काया-कल्प हो जायगा। अतएव इसके लिए यह आवश्यक है कि चर्खा संघ साहस और दृढ़ता के साथ उपर्युक्त नवीन दृष्टिकोण से अपने कार्य-कर्ताओं की शिक्षा का प्रवन्ध करे। ज्यों-ज्यों कार्यकर्ता तैयार होते जायँ त्यों-त्यों उत्पत्ति-केन्द्रों का कार्य इस ढंग से संचालित किया जाय कि हर एक कातने वाली कम से कम अपने काते हुए सूत का कपड़ा पहनने के लिए उत्सुक हो उठे। आज जो वे यत्किंचित खादी पहनती भी हैं वह एक प्रकार के दर्वाव से ही पहनती हैं। मेरा विचार है कि (वस्त्र-स्वावलम्बन की योजना अलग से न बना कर कताई केन्द्रों

को ही स्वावलम्बी कर दिया जाय। तभी हम वस्त्र-स्वावलम्बन की दिशा में सफलता प्राप्त कर सकेंगे।*

मैंने तुम्हें ग्राम-सेवा के कार्य का अनुभव बताने का वादा कर के यह पत्र लिखना प्रारम्भ किया था। किन्तु बीच में चर्खा संघ को मैदान में घसीट लाया। मालूम नहीं, तुम्हें इससे कुछ दिलचस्पी है अथवा नहीं। किन्तु देखो, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं कोई लेखक नहीं हूँ। इसलिए कोई भी बात क्रमपूर्वक लिखना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं तो अपने काम करने के रास्ते में जो कुछ भी कूड़ा-करकट पाऊँगा उसका ढेर तुम्हारे सामने लगा दूँगा। तुम अपनी इच्छानुसार अपने काम की वस्तु चुन लेना। इसके अतिरिक्त मैं ग्राम-सुधार कार्य का भी कोई विशेषज्ञ तो हूँ नहीं। अभी तो मैं केवल उस दिशा में चलने का अभ्यास कर रहा हूँ। इसलिए जब जब जो विचार आये हैं, उन सब का लिख देना अच्छा ही है। आज बहुत देर हो गई। शुरू से ही आज लिखने में तो मन लगता नहीं था। इतना भी जबरदस्ती ही लिखा है। आशा है तुम्हारे यहाँ का कार्य ठीक-ठीक चल रहा होगा।

हाँ, एक बात लिखना मैं भूल गया था। 'खादी-जगत्'^१ से मालूम हुआ कि चर्खा संघ ने खादी-विद्यालय खोल दिया है। उसका क्या रूप है? लिखना। सम्भव है, यह विद्यालय उस योजना के सूत्रपात के रूप में हो जिसकी कल्पना मैं बहुत दिनों से करता रहा और जिसका उल्लेख अभी अभी इस पत्र में किया है। सब को नमस्कार।

*इस द्वार जेज से निकल कर सन् ४५ में गांधी आश्रम के केन्द्रों की इस दिशा में परिवर्तन की एक और चेष्टा भी की थी लेकिन कार्यकर्त्ताओं की उत्थिति न होने से आश्रम में यह भी नहीं हो सका। अब चर्खा संघ की ओर से कताई मंडलों के संगठन से इस दिशा में प्रयत्न हो रहा है। २५-६-५०

^१ भारतीय चर्खा सङ्घ का पत्र।

[३४]

किसानों का भगड़ा

१७—१०—४१

परसों के पत्र में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि किस परिस्थिति में रणीवाँ ने खादी कार्यकर्ता-शिक्षण केन्द्र का रूप धारण किया था। मेरी यथार्थ कल्पना तो यह थी कि देहात में चर्खा और ग्रामोद्योग का वायुमण्डल पैदा कर के उनकी आर्थिक दशा सुधारी जाय और उन उद्योगों को मध्य विन्दु मान कर शिक्षा और संस्कृति का कार्यक्रम निर्मित किया था। किन्तु परिस्थिति हमें खादी-कार्यकर्ता-शिक्षण की ओर ले गई। मैंने यह विचार कर कि यह रूप भी हमारी योजना का सहायक ही होगा, इसका स्वागत किया। इन विद्यार्थियों के आ जाने से आश्रम ने एक विद्यालय का रूप धारण कर लिया। जिससे गांव के लोगों को भी हमारे स्थायित्व का विश्वास होने लगा और कुछ स्थानीय नौजवान भी बुनाई और लकड़ी का काम सीखने के लिए हमारे यहाँ विद्यालय में भरती हो गये। तब से अब तक कार्यकर्ता-शिक्षण के साथ-साथ ग्रामीण नौजवानों को उद्योग का काम सिखा कर उनके घरों पर ही ग्रामोद्योग का काम संचालित करने का क्रम चल रहा है। मैं आशा करता हूँ कि इन शिक्षाप्राप्त नवयुवकों के द्वारा प्रत्येक उद्योग केन्द्र को ग्राम्य-जीवन का मध्य विन्दु बनाने में सफल हो सकेंगे। यह योजना, जो बहुत दिनों तक मेरी कल्पना की वस्तु बनी रही, अब प्रयोग की स्थिति पर आ गई। इस दिशा में मुझे जितना भी अनुभव हुआ है, उसके आधार पर मुझे विश्वास है कि इस ढंग से कार्य करके सफलता प्राप्त करने में रंच मात्र भी सन्देह नहीं है।

इस प्रकार हम लोगों ने ग्राम-सेवा के साथ-साथ केन्द्रीय आश्रम का संघटन करने में ध्यान लगाया। आश्रम में पर्याप्त विद्यार्थियों के आ जाने से आश्रम के भीतर भी एक सामूहिक जीवन व्यतीत करने का अवसर मिला। गांव के लोग इससे भी बहुत प्रभावित हुए। धीरे-धीरे वे

अपने घरों की स्वच्छता आदि कार्यों में स्वयं दिलचस्पी रखने लगे।

इसी समय प्रान्तीय एसेम्बली के चुनाव की लहर देशा भर में फैल गई। इस कार्य में आश्रम को अपनी पूरी शक्ति से सहयोग देना पड़ा। गांवों में उस समय कोई दूसरा कार्य हो भी नहीं सकता था

कौंसिलों का

चुनाव

क्योंकि सारी जनता का ध्यान उस समय चुनाव पर ही केन्द्रित हो रहा था। इसके अतिरिक्त यह चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत महत्व का विषय था। इसलिए तीन माह तक हमारी सम्पूर्ण शक्ति इसी में लगी रह गई। इस चुनाव के कार्य से भी हम लोगों का लाभ ही हुआ। रात-दिन गांव-गांव घूमना, जहाँ संध्या हुई वहीं रह जाना और जो मिला उसी को खा लेना, इत्यादि बातों से हमारे कार्यकर्ताओं ने पर्याप्त साहस का पाठ पढ़ लिया। प्रत्येक श्रेणी के लोगों के सम्पर्क में आने के कारण हमने गांवों की अवस्था का भी भली भाँति अध्ययन कर लिया। यह अध्ययन कालान्तर में ग्राम-सेवा कार्य के लिए हमारा बहुत सहायक हुआ।

चुनाव के पश्चात् हमारे समक्ष एक दूसरी समस्या आ खड़ी हुई। अब तक गांव में चर्खा चलवाने, सफाई, रोगी की सेवा और छुआछूत-निवारण का कार्य करते रहे। चुनाव में कांग्रेस की जीत होने के कारण देहात की परिस्थिति एकाएक बदल गई। युक्तप्रान्त में कांग्रेस के विरोध में केवल जमींदारी और ताल्लुकेदार पार्टी के ही लोग खड़े हुए थे। इन ताल्लुकेदारों और जमींदारों का इस प्रान्त के अवध के जिलों में किस प्रकार एक-छत्र अधिकार है, यह तो तुम्हें विदित ही है। उनके विरुद्ध आवाज उठाना तो बहुत बड़ी बात थी, सीधे आंख उठा कर देखना भी देहात के लोगों के लिए असम्भव था। धन, सम्पत्ति, सरकारी कानून जमींदार-किसान और अधिकारी सभी इनके हाथ में थे। इसलिए संघर्ष की वृद्धि वे जिधर से निकलना चाहते थे, उधर का रास्ता विलकुल साफ और चिकना होता जाता था। यदि

कोई बीच में आने का साहस करता तो कुचल दिया जाता था। ऐसी दशा में जब उन्हीं की भूमि में रहने वाले अवध के किसानों ने उन्हीं के विरुद्ध वोट दिया तो वे क्रोध से पागल हो उठे। और किसानों की इस धृष्टता का बदला लेने की कोशिश में लग गये। उनके सिपाहियों-द्वारा किसानों का निरपराध ही पीटा जाना, जबरदस्ती खेत दखल कर लेना, खड़ी फसल कटवा लेना नित्य की साधारण बातें हो गईं।* ऐसी अवस्था में आस-पास की असहाय और गरीब जनता उपर्युक्त प्रकार के कष्टों से पीड़ित होकर सहायता के लिए स्वभावतः हमारे पास आने लगी। दिन भर में इस तरह के दो-तीन मामले तो आ ही जाते थे। इस प्रकार चुनाव के कई माह बाद तक भी किसानों के अत्याचार-निवारण में उनका साथ देना ही हमारा मुख्य काम हो गया था।

जब हमारे पास कोई शिकायत आती थी तो पहले हम उसे अपने रजिस्टर में नोट करते थे। इसके बाद घटना-स्थल पर पहुँचते थे। मार-पीट की बात होती तो स्थानीय पुलिस की भी सहायता लेते थे। किन्तु अधिकांश मामले जमींदार से मिलकर तय करने की कोशिश करते थे। कभी-कभी गाँव के सम्पूर्ण किसानों को संबोधित करके क्षणिक सत्याग्रह का भी विधान करना पड़ता था। देहाती झगड़ों-के फैसला करने के क्रम में हमें काफी अनुभव भी हुआ। गाँव की जमींदारी प्रथा किस प्रकार की है, किसान कितने प्रकार के होते हैं, उनके कौन कौन से कानूनी हक हैं, उनकी आर्थिक अवस्था किस प्रकार की है, खेती में काम करने वाले मजदूरों की क्या दशा है, गाँव की

*आज देश में कांग्रेस का राज है। जमींदार खतम हो रहे हैं। लेकिन हाय! हालत आज भी वही बनी है। विशिष्ट वर्ग का स्थान विशिष्ट दल ले रहा है। उस दल को वोट न देने वाले की भी दुर्दशा हो रही है। जनता को इस असहायता से कौन छुड़ायेगा।

मध्यम श्रेणी के छोटे-छोटे जमींदार किस तरह रहते हैं, और उनकी मनोवृत्ति कैसी है, आदि बहुत सी बातों का गहरा अध्ययन करने का अवसर मिला। इस विषय में मैं फिर कभी विस्तारपूर्वक लिखूँगा।

जब से हमने देहाती ऋग्णों का फैसला करने का कार्य अपने हाथ में लिया, तब से जमींदारों के अत्याचार-सम्बन्धी ऋग्णों के अरिक्त किसानों के आपसी ऋग्ण भी हमारे पास आने लगे। इन ऋग्णों को भी अनेक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

कोई किसी का रुपया नहीं वापस कर रहा है, किसी ग्राम-वासियों की ने जमीन के वँटवारे में बेईमानी कर ली है, किसी विविध समस्याएँ ने अपने पट्टीदार का पेड़ काट लिया है, किसी

विधवा के जेवर उसके देवर ने ले लिये हैं और देता नहीं है, कोई आकर कहता था कि हमारी स्त्री ही भाग गई, आती नहीं है इत्यादि-इत्यादि अनेक उलझनों से भरी हुई समस्याएँ सामने आती रहती थीं। इन असंख्य पुकारों के विषय में मैं तुम्हें कहां तक लिखता रहूँ ? इनका फैसला करने में हम लोगों को बहुत परीशानी उठानी पड़ती थी। सैकड़ों अभियोग तो भूठे ही आया करते थे। सत्य का पता लगाने में भी कम परेशानी नहीं हाँती थी। किन्तु हम लोग इसे सहर्ष सहन करते थे। क्योंकि इससे अपना भी लाभ था। इसी हीले से गाँव के लोगों में संगठन और सुधार करने का अवसर मिलता था। सबसे बड़ा लाभ तो उस अनुभव का था; जो देहात की आर्थिक, नैतिक और सामाजिक समस्याओं की पेचीदा गुत्थियों के सम्बन्ध में होता रहा।

इन मामलों के द्वारा समस्याओं की जितनी गहराई तक हम पहुँच सके उतनी गहराई तक किसी और कार्यक्रम के द्वारा नहीं पहुँच सकते थे।

तुम्हें उन सभी समस्याओं को जानने का कुतूहल होता होगा। किन्तु इस पत्र में और अधिक कितना लिखूँ ? धीरे-धीरे सभी पर

लिखने की कोशिश करूँगा। आज छुट्टी ले रहा हूँ। हमारे दो साथी आजमगढ़ को ट्रांसफर हो रहे हैं, उनकी विदाई में शामिल होना है। उनमें से एक हमारे प्रान्तपति श्री पालीवाल जी हैं। उनके जाने से हम लोगों की मौज में कुछ अन्तर आ जायगा। वे रात-दिन अपने चुटकुलों से लोगों को खूब हँसाया करते थे। किन्तु जेल-जीवन में तो यह आना-जाना लगा ही रहेगा। इसलिए सन्तोष करना ही ठीक है।

आशा है, तुम सभी लोग अच्छी तरह होगे। सबको मेरा नमस्कार कहना। मीतुमा को प्यार। उससे कह देना कि उसका लम्बा-चौड़ा पत्र मुझे मिला है। किन्तु वह इतना बड़ा है कि उसका क्या जवाब दें, अब तक सोच नहीं सका। सोच कर लिखूँगा। नमस्कार।

[३५]

ताल्लुकेदारों का अत्याचार

१८—१०—४१

कल पत्र लिखते-लिखते अपने साथियों को विदा करने चला गया था। कल मैं लिख रहा था कि चुनाव के पश्चात् हम लोगों का मुख्य काम ग्रामीण ऋगड़ों का फैसला करना था। इससे तुम्हें आश्चर्य होता होगा और तुम समझती होगी कि हम अपने प्रधान लक्ष्य से बहक गये। जिस समय मैंने अपना कार्य-क्षेत्र चार-पांच गाँवों तक विस्तृत किया था उसी समय बापू ने हमें बुला कर समझाया था। तुम भी सेवाग्राम में रहती हो; इससे सम्भव है कि इतने गाँवों में फैल कर काम करने को अच्छा न समझो और साथ ही कहीं यह न समझ बैठो कि हमारी ग्राम-सेवा का कार्य समाप्त हो गया। पर ऐसा नहीं। हम लोग अपने उस छोटे से क्षेत्र में पूर्ववत् कार्य करते रहे। कार्यकर्त्ता-शिक्षण का कार्य भी पूर्ववत् चलता रहा। किन्तु हमने ग्राम-सेवा के शेष कार्यों का विस्तार नहीं किया। प्रोग्राम पूर्ववत् परिमित ही रहा। ग्रामीण ऋगड़ों के निवृत्तारे के लिए एक अलग विभाग अवश्य चालू किया गया। इस विभाग में आश्रम के और नौजवान

भी सहायक बन गये थे। पिछली बार जब आश्रम में आई थीं उस समय विभिन्न कार्यों की देखभाल करते हुए तुमने हरदेव ब्रह्मचारी को देखा था। ग्राम-सेवा के लिए गुरुकुल छोड़ कर वह इन्हीं दिनों आश्रम में आये थे। हमने उन्हीं की जिम्मेदारी पर बाहरी कार्य छोड़ दिया था। वे केवल दो-तीन साथियों की सहायता से इन कार्यों को ठीक कर लेते थे। मैं और कर्ण भाई आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता के लिए गाँव में चले जाया करते थे।

थोड़े ही दिनों में हरदेव ब्रह्मचारी अपने उच्च चरित्र, सेवा-भावना, सरल स्वभाव और अथक परिश्रम के कारण गाँवों में सर्व-प्रिय बन गये। इसलिए उनके लिए झगड़ों का फैसला करना भी सरल हो गया था। आश्रम के विद्यार्थियों पर भी उनके त्याग और आचरण का काफी प्रभाव पड़ता था। इसलिए रणीवां के क्षेत्र में उनका एक विशेष व्यक्तित्व कायम हो गया था। जेल चले आने पर जब मैं ग्राम-सेवा-सम्बन्धी भविष्य की योजनाओं पर विचार करता था तो मेरे मस्तिष्क में ब्रह्मचारी का भरोसा सर्वदा बना रहता था। पर क्या बताऊँ ? मनुष्य सोचता कुछ और है किन्तु परमात्मा करता कुछ और है। अभी पांच-सात दिन हुए मुझको समाचार मिला कि ब्रह्मचारी संसार छोड़ कर चल बसे। ब्रह्मचारी ने थोड़े ही दिनों से पानी में तैरना सीखा था और अपने दूसरे साथियों के साथ तालाब में तैरने की प्रतियोगिता कर रहे थे। इस प्रतियोगिता में ही वह थक कर डूब गये। लोगों ने उन्हें बाहर निकाला किन्तु बचा न सके और वह हम सब लोगों को छोड़ कर चल बसे। मुझे रह-रहकर उनकी बातें याद आ रही हैं। तुम्हें यह पत्र लिखते समय भी अकस्मात् ही उनका प्रसंग आ गया है। सम्भव है, उस प्रकार का योग्य अथवा उससे भी योग्य कार्यकर्ता भविष्य में हमें मिल जाय, किन्तु उस प्रकार का निर्मल चरित्र और वैसी निर्भीकता हमें कहाँ से प्राप्त हो सकेगी ? उस तरह का सादा जीवन और उच्च विचार रखने वाला साथी हमें

कठिनता से ही प्राप्त हो सकेगा । ईश्वर की माया अपार है ।

हाँ, मैं तुम्हें आश्रम के विस्तृत क्षेत्र में काम करने के विषय में लिख रहा था । सम्भव है, तुम लोगों को हमारा इस प्रकार के कार्य हाथ में लेना अनुचित प्रतीत होता होगा किन्तु यदि तुम्हें अवध की परिस्थिति का कुछ ज्ञान हो जायगा, तो हमारे काम के लिए हमें दोषी नहीं बनाओगी । यों तो मैं अवध की ताल्लुकेंदारी प्रथा की बुराइयों के विषय में तुम्हारे कई पत्रों में कुछ उल्लेख कर चुका हूँ; किन्तु इनके विषय में कुछ और भी लिख देना सम्भवतः व्यर्थ नहीं जायगा ।

जब मैं भारत की ग्रामीण पंचायती प्रथा के वर्णन पुस्तकों में पढ़ता हूँ और उस समाज से आज की जमींदारी प्रथा के समाज की तुलना करता हूँ तो व्यग्र हो उठता हूँ । उन दिनों समाज में साम्यवादी व्यवस्था कायम थी; ब्यूटी वैटी थी; श्रेणी-भेद का निर्माण कर्मभेद की ही दृष्टि से हुआ था; शोषण की दृष्टि से नहीं । कालान्तर में यह जमींदारी प्रथा कहां से और किस प्रकार आ गई इसे तुम्हारे सदृश इतिहास-विशारद ही बता सकते हैं । मैंने इतिहास का इतना विस्तृत अध्ययन नहीं किया है,

इसलिए मैं इसका ठीक-ठीक अनुमान नहीं कर

जमींदारी प्रथा सकता । यह प्रथा चाहे जब प्रारम्भ हुई हो किन्तु इतना तो निश्चित ही है कि यह बहुत बाद की चीज है और सम्भवतः विदेशी शासन के बाद ही इस जमींदारी और जागीरदारी का जन्म हुआ है । प्रारम्भ में जब यह स्थापित हुई तो शताब्दियों के परम्परागत साम्यवादी संस्कार के कारण जमींदार और किसानों के बीच आपस में प्रेम और सहकारिता का सम्बन्ध रहा किन्तु युरोपीय संस्कृति और सभ्यता के साथ-साथ वहां के सामन्तवादी स्वार्थ और शोषण की प्रवृत्ति भी हमारे देश में पहुँच गई । ब्रिटिश साम्राज्यवादी स्वार्थ ने भी इसे प्रोत्साहन ही दिया । उनको तो किसी ऐसी श्रेणी की आवश्यकता थी ही जिस के द्वारा वह जनता का शोषण जारी रख सकते और मुल्क पर प्रभुत्व स्थिर रख सकने में समर्थ हो

सकते ! इसलिए उन्होंने एक ओर तो जमींदारों को शोषण और प्रजा-पीड़न का पाठ पढ़ाया और दूसरी ओर कानून बना कर इनका संरक्षण किया। जमींदारी प्रथा के सम्बन्ध में अधिक लिख कर इस पत्र को बढ़ाना नहीं चाहता। इसका वृत्तान्त कौन नहीं जानता; किन्तु अवध की ताल्लुकेदारी-प्रथा तो एक विचित्र वस्तु है। इन ताल्लुकेदारों के लिए हर प्रकार के शोषण और हर प्रकार के अत्याचार उनके वाजिव हकूक हैं। उनकी जवान से जो कुछ निकल जाय वही कानून है। उसके विरुद्ध कोई कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि

और यह सरकारी कर्मचारी भी सर्वदा उन्हीं का साथ **ताल्लुकेदारी !** देते हैं। किसानों से लगान लेकर कम रकम की रसीद देना और फिर बकाया लगान का दावा

करना, किसी से नजराना लेकर उसे खेत देना और फिर उसका पट्टा किसी दूसरे के नाम लिख देना, एक साधारण सी बात है। लगान के अतिरिक्त भूसा, पुत्राल, मोटरावन, हथियावन आदि और विवाह, श्राद्ध तथा बच्चा पैदा होने के अवसर पर एवं प्रत्येक त्यौहार के अवसर पर सलामी वसूल करना उनका साधारण हक होता है। इसके अतिरिक्त वे जब जी चाहें किसी भी किसान को पकड़ कर बेगार करा लेते हैं, किसान के खेत बिना जोते-बोये रह जाय किन्तु उनका हल-बैल लेकर अपना खेत जोत लेना उनका परम्परागत हक हो गया है। अगर किसी किसान ने जरा भी चूँ की तो उनका खेत खुदवा देना, उसकी फसल कटवा लेना और उसको पकड़ कर पिटवा देना भी बहुत मामूली बात है। इनके अत्याचार की सीमा यहां तक पहुंच गई है कि किसान के लिए अपनी बहू-बेटियों की इज्जत कायम रखना मुश्किल हो जाता है। जमींदार की अभिलाषा के विरुद्ध कोई कुछ कहने का साहस नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में जब अवध के किसानों ने ताल्लुकेदारी के विरुद्ध कांग्रेस को वोट दिया तो तुम अनुमान कर सकती हो कि इन ताल्लुकेदारों के क्रोध का पारा कहां तक पहुंच गया होगा। उस समय

वे क्रोध से उन्मत्त हो उठे थे और उनके पास किसानों पर अत्याचार करने के जितने भी साधन थे सबको बेलगाम खुला छोड़ दिया था। इन सब कारणों से कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन पांच-सात मुकदमे हमारे पास न आते रहे हों।

मैं तुम्हें लिख चुका हूँ कि किसानों ने बहुत साहस करके इन अत्याचारी ताल्लुकेदारों के विरुद्ध कांग्रेस को वोट दिया था। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि वे साहसी हो गये थे। वह तो उनकी एक क्षणिक उमंग का काम था। मरता क्या नहीं करता? बलिदान का जीव भी गर्दन छुड़ाने के लिए एक बार जोर से छटपटाता है।

सदियों के अत्याचार से दबे हुए किसानों ने जब ताल्लुकेदारों की यह नवीन उग्र मूर्ति देखी तो घबड़ा गये। जिससे उनकी अवस्था और भी बुरी हो गई क्योंकि जमींदार के नौकरों का धवराये हुए असामियों को सताना अत्यन्त सरल हो गया। धवराहट के कारण किसान कितने साहस-हीन हो गये थे, एकाध उदाहरणों से ही तुम इसका अनुमान कर सकोगी।

एक दिन की बात है, प्रातःकाल लगभग ६-१० बजे थे। मैं स्नान करके अखवार पढ़ रहा था। इतने में ही दो किसान मेरे पास आकर फूट-फूट कर रोने लगे। रोते रोते उन्होंने बताया कि जिलेदार हमारे गाँव के लोगों को अकारण पीट रहा है। मैंने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि तुम लोग चलो, मैं अभी आता हूँ। किसानों की साहस-वह गाँव आश्रम से करीब आठ मील की दूरी पर हीनता के कुछ था। इसलिए मैं खाना खाकर साइकिल से उस उदाहरण गाँव के लिए चल पड़ा। रास्ते में समरसिंहपुर नाम का एक गाँव पड़ता था जिसमें हमारे द्वारा बनाई गई पंचायत के एक सरपंच रहते थे। मैं उन्हें भी साथ लेकर घटना-स्थल पर पहुँचा। किन्तु वहाँ जाकर एक अजीब दृश्य देखने को मिला। गाँव में कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता था, केवल दो-तीन बूढ़ी स्त्रियाँ

अपने-अपने बरामदे में बैठी नजर आती थीं। उनसे पूछकर भी हम यह नहीं जान सके कि गांव के आदमी कहां चले गये। दीर्घकाल तक हम इस प्रतीक्षा और खोज में लगे रहे कि किसी से भेंट हो जाय, किन्तु पर्याप्त समय बीत जाने पर भी कोई दिखाई नहीं पड़ा। आखिर-कार निराश होकर हमें वापस लौट आना पड़ा। समरसिंहपुर के सरपंच श्री मथुरासिंह उस गांव के लोगों पर बहुत क्रोधित होकर वापस आये। रास्ते में एक दूसरे गांव के लोगों से मालूम हुआ कि हमें आते देखकर वे छिप गये थे। क्योंकि उनमें इतना साहस नहीं था कि गांव में बैठ कर जिलेदार की निन्दा कर सकें। जो व्यक्ति शिकायत करता उसकी सूचना जिलेदार के पास अवश्य पहुंच जाती और जिलेदार उसका गांव में रहना असम्भव कर देता।

ये बातें सुनकर किसानों की अवस्था पर विचार करते हुए मैं आश्रम वापस आया। किसान ताल्लुकेदार से कहाँ तक घबराता है, इसका एक उदाहरण और देना अधिक नहीं समझा जायगा।

एक दिन दोपहर के समय आश्रम से एक मील दूर पिछौरा गांव से एक दो औरतें और दो-तीन पुरुष दौड़ते हुए आये और कहने लगे कि जमींदार के आदमी हमारे खेत बलात् जोत रहे हैं। उस समय आश्रम पर कई भाई उपस्थित थे। उन्होंने आश्रम के दो भाइयों को उन किसानों के साथ कर दिया। किसान आगे-आगे और हमारे आश्रमीय भाई उनके पीछे-पीछे जा रहे थे। रास्ते में एक खेत के पास से ताल्लुकेदारों के सिपाही उन किसानों पर टूट पड़े। जब हमारे आश्रमीय कार्यकर्ता भी नजदीक पहुंचे तो एक लाठी इन पर भी पड़ी। किन्तु तत्काल ही वे आश्रम के लोगों को पहचान कर भाग गये। हमारे कार्यकर्ता गांव में गये। उन्होंने गांव वालों को साहस दिलाया कि जमींदार के आदमी जबरदस्ती खेत न जोतने पावें। फिर जो आदमी घायल हुए थे उन्हें साथ लेकर थाने में रिपोर्ट करने चल दिये। उनके चले जाने पर ताल्लुकेदार के सिपाहियों ने गाँव में घुस-

घुस कर गांव वालों को बहुत मारा। कुछ लोगों को तो मारते-मारते वेहोश कर दिया। और कहते गये कि देखेंगे कि अब किस तरह आश्रम में जाते हो ! दूसरे दिन प्रातःकाल मैं और कर्ण भाई उस गांव में तहकीकात करने पहुँचे। रात के मारे गये लोगों को भी थाने में रिपोर्ट देने के लिए भेज दिया। लोग बहुत डरे हुए थे, किन्तु साहस दिलाने पर सब लोग उन सिपाहियों के विरुद्ध गवाही देने को तैयार हो गये। मैंने इस मामले की एक लिखित रिपोर्ट जिले के डिप्टी कमिश्नर के पास भेज दी। और उनसे अनुरोध किया कि इस सम्बन्ध में पूर्ण जांच की जाय। उनसे स्वयं भी जाकर मिला। डिप्टी कमिश्नर और पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट ने आकर स्वयं जांच भी की। गांव वालों ने भी साहस के साथ सच्ची-सच्ची घटना कह सुनाई। जिलाधीश ने तहकीकात करके उन सिपाहियों पर अभियोग भी चालू कर दिया।

ताल्लुकेदार के आदमी क्यों और कैसे दखल कर रहे थे, वह भी एक सुनने योग्य कहानी है। मैं तुम्हें पिछले पत्र में लिख चुका हूँ कि खेत किसी अन्य को देकर और उस पर नाम किसी अन्य का चढ़वा देना उनका एक साधारण काम था। इसी प्रकार उस गांव के सैकड़ों बीघे खेत, जिन्हें गांव के किसान पचास-पचास साठ-साठ साल से जोते हुए थे, पटवारी के रजिस्टर में जमींदार के नाम से सीर दर्ज थे।

ताल्लुकेदार से तो प्रायः सभी अधिकारी मिले ही किसानों के खेत रहते हैं, इसलिए सर्वदा उसके आदेशानुसार ही कैसे छीने जाते पटवारी के यहाँ इन्दराज होता रहा। बन्दोवस्त के हैं ? समय बन्दोवस्त के अफसरों ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया; क्योंकि आखिर वे भी तो जमींदार के

दोस्त बन कर उनसे इच्छानुसार पूजा प्राप्त करते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब जमींदार किसी भी ऐसे खेत के लिए यह कह दे कि यह मेरा खेत है तो किसानों के लिए उसे अपना सिद्ध करना कठिन हो जाता है। हाँ, गवाहों द्वारा कब्जा अवश्य ही सिद्ध किया जा सकता है; किन्तु

इस प्रकार के जालिम और सर्वशक्तिमान ताल्लुकेदारों के विरोध में साक्षी देने का साहस कौन कर सकता है ? इस प्रकार झूठी सीर लिखी हुई जमीन छीन कर वह गाँव पर अत्याचार करना चाहता था किन्तु जब यह अभियोग डिप्टी कमिश्नर की कचहरी में चला गया तो उसे कुछ परीशानी अवश्य हुई । पर तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा अन्त में गाँव वाले उस ताल्लुकेदार के दवाव से इतना घबड़ा गये कि सभी के सभी डिप्टी कमिश्नर के यहां जाकर उसके अनुकूल गवाही दे आये । कालान्तर में मुझे मालूम हुआ कि उन पर दवाव डालने में पुलिस ने भी जमींदार का साथ दिया था ।

इस प्रकार मामला समाप्त हो जाने पर भी जमींदार का क्रोध शान्त नहीं हुआ । थोड़े ही दिनों के भीतर उस गाँव के एक आदमी का कत्ल करा दिया गया । यह आदमी वही था जिसने ताल्लुकेदार के विरुद्ध सर्वप्रथम आवाज उठाई थी । इस प्रकार की हत्या-सम्बन्धी घटनाएँ उस क्षेत्र के लिए बहुत साधारण बातें हैं । पुलिस और अधिकारी भी कुछ कर नहीं पाते; अथवा यों कहा जा सकता है कि कुछ नहीं करते ।

ब्रिटिश अधिकारी समय-समय पर भारतीय जनता को सुख-शान्ति प्रदान करने की डींग हाँकते हैं । लिखित पुस्तकों द्वारा यह प्रचार किया जाता है कि उनकी राज्य-व्यवस्था इतनी सुन्दर है कि भारतवर्ष में चोर लुटेरे और डाकुओं का भय नहीं रह गया । किन्तु जब हम देखते हैं कि ये साम्राज्यशाही लूट के दलाल गाँव के गरीब किसानों

का डाका, लूट और खून आदि से किस प्रकार संर-
व्यवस्थित लूट की क्षण कर रहे हैं तो स्पष्ट प्रकट होता है कि वर्तमान
प्रणाली शासन ने प्राचीन-काल के साँफ-सबेरे होने

वाले डाका और लूट के स्थान पर इनका व्यवस्थित रूप से इस्तमरारी बन्दोबस्त कर रक्खा है । अगर ये एक-आध ऐसी घटनाओं को कहीं रोकते भी हैं तो इसलिए नहीं कि वे हिन्दुस्तान की गरीब जनता को आराम पहुँचाना चाहते हैं बल्कि इसलिए कि वे नहीं

चाहते कि उनके नियत किये गये एजेण्टों के अतिरिक्त दूसरा कोई उन्हें लूटे ।

गांव के केवल वे ही किसान नहीं सताये जाते जो ताल्लुकेदारों की भूमि में रहते हैं । छोटे-छोटे जमींदार, जिन्होंने निर्वाचन में काँग्रेस का साथ नहीं दिया था, ताल्लुकेदारों से भी अधिक 'घोड़चढ़ा ठाकुर पागल हो गये थे । ताल्लुकेदार तो किसानों से दूर अच्छा, मेड़चढ़ा रहते हैं । किसानों की अवज्ञा उनके सामने से नहीं" नहीं गुजरती, किन्तु छोटे जमींदार तो सर्वदा उनके सिर पर सवार रहते हैं और समय पर डंडा लेकर पहुँच जाते हैं । शायद इसी दृष्टि से किसानों में एक कहावत प्रचलित है "घोड़चढ़ा ठाकुर अच्छा, मेड़चढ़ा नहीं ।" छोटे जमींदार न तो किसानों को पट्टा ही देते हैं और न कभी लगान की रसीद ही । इसलिए उनके किसान सोलहो आने उनकी अधीनता में रहते हैं ।

इस प्रकार चुनाव के पश्चात् ताल्लुकेदारों और छोटे जमींदारों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि हमारी सम्पूर्ण शक्ति प्रायः उसी के निराकरण में लग जाती थी । अब तो तुम स्वयं महसूस कर लोगी कि हम लोग क्यों इतने विस्तृत क्षेत्र के भूगडों में पड़े । उन दिनों ग्रामीण जनता पर इतनी तूफानी आफत आ गई थी कि शिक्षा और सफाई आदि की बात करना भी कठिन था । वास्तव में मुझे तो यह विश्वास हो गया है कि ग्राम-सेवक के एक मुख्य और विशेष कार्यक्रम लेकर चलते हुए भी गांव की स्थानीय और आकस्मिक घटनाओं के प्रति उदासीन रहने से काम नहीं चलेगा । यदि वे पारिपार्श्विक परिस्थितियों के प्रति जाग्रत नहीं रहेंगे तो अपने मुख्य और निश्चित प्रोग्राम के द्वारा भी सेवा करने में असफल रहेंगे । क्योंकि ग्राम-सेवक के लिए जनता की हर तकलीफ में साथ रहना परम धर्म है । गांव के लोग उससे यही अपेक्षा भी रखते हैं ।

किसानों की कष्ट-गाथा लिखते-लिखते पत्र बहुत लम्बा हो गया ।

मेरा विचार तो यह था कि संक्षेप में ही तुम्हें उस समय की परिस्थिति का परिचय दे दूँ। किन्तु इसी थोड़े थोड़े में पत्र लम्बा हो गया और मैं खयाल भी नहीं कर पाया।

आज कल जेल में कुछ चहल-पहल है। इसलिए दो-एक दिन से समय अच्छी तरह कट रहा है। परसों दिवाली है। लोग उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। जेल में लोग इसी प्रकार के त्योहार मना-मना कर अपने जीवन की शुष्कता को दूर कर लिया करते हैं। अभी अभी रणीवां से समाचार मिला है कि सरकारी सहायता कुछ कम हो जाने के कारण वहाँ का काम कुछ घटा देना पड़ा है। इसी के साथ तुम्हारी बुनियादी शिक्षा का प्रयोग भी बन्द हो गया होगा। आशा है, तुम सभी लोग स्वस्थ होगे। सबको नमस्कार।

[३६]

किसानों और मजदूरों की बेवसी

१६—१०—४१:

मैंने कल के पत्र में इस बात पर थोड़ा सा प्रकाश डाला था कि चुनाव में हारने के पश्चात् ताल्लुकेदारों और जमींदारों ने किसानों को किस प्रकार तंग करना प्रारम्भ किया था। उनके अत्याचार का एक बहुत लम्बा चौड़ा कथानक है। अगर उसका पूरा-पूरा विवरण लिखा जाय तो एक बहुत बड़ा इतिहास बन जायगा और उस इतिहास की करुण कहानी संसार के किसी भी अत्याचार के इतिहास से अधिक रोमाञ्चकारी होगी। अवध के किसानों की हालत तो यों ही बहुत दर्दनाक है। पहले पत्र में मैंने इस सम्बन्ध में तुम्हें कुछ लिखने का वादा किया था। आज मैं उसके सम्बन्ध में कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे तुम यह अनुमान कर सकोगी कि अवध के किसान इतना अधिक दबे हुए क्यों हैं ?

शायद ही कोई ऐसा पढ़ा लिखा मनुष्य होगा जो आजकल के जमींदारों के किसानों पर अत्याचार करने का हाल कुछ न कुछ न

जानता हो । किन्तु अवध के किसानों को मौरूसी हक नहीं मिलता, जिससे वे उन अत्याचारों के विरुद्ध चूँ तक नहीं कर सकते । कानून का निर्माण कुछ इस ढंग से हुआ है कि अगर जर्मींदार कानून के कुछ विरुद्ध भी ज्यादती करे तो किसान उसे सहने के लिए मजबूर हैं ।

किसान ताल्लुकेदार को नजराना देकर ज़मीन का कानूनी दृष्टियाँ पट्टा लेता है किन्तु उस पट्टे की मीयाद केवल उसी के जीवन तक समाप्त हो जाती है और उसकी मृत्यु के पाँच वर्ष पश्चात् जर्मींदार उसके कुटुम्बियों को वेदखल कर देता है । तथा नये सिरे से नजराना लेकर उसका नया पट्टा लिखता है । यदि उसके बाल-बच्चे दूसरे लोगों से अधिक नजराना देने की व्यवस्था न कर सके, तो उनका खेत औरों के हाथ में चला जाता है और वे सदा के लिए वेदखल हो जाते हैं । जीवित रहने के एक मात्र साधन अपने खेतों को बचाने के लिए लोग अधिक से अधिक व्याज दर पर भी महाजन से कर्ज लेते हैं और इस प्रकार पिता की मृत्यु के पश्चात् ही पुत्र के जीवन पर कर्ज के बोझ का दबाव आ पड़ता है । इन ग्रामीणों के कर्ज का हिसाब भी बहुत विस्तृत है । उसकी कहानी मैं किसी दूसरे दिन लिखूँगा । आज तो ताल्लुकेदारों के कारण किसानों के दुःख के ही विषय में लिख कर पत्र समाप्त करने का विचार है ।

इस तरह लम्बा नजराना देकर प्राप्त की गई जमीन के लिए भी यह कोई आवश्यक नहीं कि किसान अपने जीवन भर उसका उपयोग कर सकें क्योंकि जर्मींदार उन्हें कई अन्य तरीकों से जब चाहे तब वेदखल कर सकता है । अगर किसान किसी कारण-वश अपने खेत का कोई भाग नहीं जोत सका और उसे किसी अन्य को जोतने के लिए

दे दिया तो जर्मींदार उसे सारी जमीन से वेदखल कर देता है । लगान न देने के अपराध में वेदखली हो जाती है । यदि चार-छः आने ही बाकी रह जायँ तब भी किसान अपनी सारी जमीन से वेद-

खल हो जाता है। ताल्लुकदार के कर्मचारी किसानों को हर प्रकार से अपने पंजे में रखने के लिए उनसे पूरा लगान लेकर भी उन्हें पूरी वसूली की रसीद नहीं देते। सर्वदा कुछ न कुछ बकाया तो लगाये ही रहते हैं। यदि किसी समय किसी पर भृकुटी टेढ़ी हुई तो उसी बकाया रजिस्टर के आधार पर दावा कर देते हैं। प्रायः ऐसा भी होता है कि जमींदार के कर्मचारी किसानों को तंग करने की नीयत से फसल का मौसम न रहने पर भी लगान मांग बैठते हैं और यदि दो-एक दिन के भीतर उन्हें लगान न मिला तो दावा कर बैठते हैं। इस प्रकार यदि किसान कहीं से कर्ज लेकर अदालत में हाजिर भी हुआ तो कम से कम अदालत तक आने-जाने का व्यय-भर तो उसे उठाना ही पड़ता है और उसे लगान से कई गुने के चक्कर में पड़ ही जाना होता है। किसानों को कर्ज देने वाले भी या तो जमींदार के एजेण्ट ही होते हैं या ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जमींदार से मिले-जुले रहते हैं। वे एक ओर से दवाते हैं और दूसरी ओर कर्जा लेने के लिए बाध्य करते हैं। इस तरह वे किसानों से दोहरा फायदा उठाते हैं।

वेदखली के उपर्युक्त अधिकार किसानों से जो चाहे सब कराने के लिए काफी हैं। वेदखली की पिस्तौल सर्वदा उनके सिर पर तनी रहती है। यद्यपि नजराना लेने का कोई कानूनी हक नहीं है, फिर भी उन्हें देना ही पड़ता है। साधारणतया प्रति बीघे पचास-साठ रुपये नजराने देने पड़ते हैं जो लगभग जमीन के दाम के बराबर ही होता है। जिस समय कांग्रेस की हुकूमत चल रही थी उस समय उन लोगों में इस विषय पर विवाद चल रहा था कि यदि जमींदारों से जमीन जमींदारों को ले ली जाती है तो उन्हें मुआवजा देना चाहिए मुआवजा देना अथवा नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि अब अनुचित है इस विषय पर विवाद करने की आवश्यकता ही क्या रह गई है? नजराना के रूप में उन्होंने अब तक इतना अधिक रुपया प्राप्त कर लिया है जो जमीन के वास्तविक मूल्य

से कई गुना हो सकता है। इसके अतिरिक्त आये दिन वे किसानों से जो तरह-तरह की रकमें लेते रहते हैं उसका तो हिसाब ही अलग है।

प्रत्येक फसल के समय किसानों से भूसा और पयाल वसूल करना एक साधारण बात है। इसके अतिरिक्त यदि जमींदार के घर में किसी उत्सव-अनुष्ठान का आयोजन हुआ तो उसका सम्पूर्ण भार किसानों के ही सिर पर पड़ता है, ताल्लुकेदार के घर यदि कोई सरकारी अफसर मेहमान के रूप में आ गया तो उसकी मेहमानी और उसके ऐश-आराम के प्रबन्ध का सम्पूर्ण व्यय इन्हीं के मत्थे मढ़ा जाता है। सरकारी अधिकारी भी यह सब कुछ देखते और समझते हुए भी कुछ बोलते नहीं, प्रत्युत उलटे वे जमींदारों को इस कार्य के लिए और प्रोत्साहन देते हैं। जमींदार मोटर या हाथी खरीदता है तो उसका मूल्य किसानों से ही वसूल किया जाता है। उसकी सीर के खेत जोतने और बोने के लिए किसान अपने हल-चैल के साथ ही वेगार में पकड़ लिये जाते हैं। उनके निजी खेत बिना जोते-बोये भले ही रह जायं किन्तु जमींदार की वेगार तो उन्हें करनी ही होगी। इन सारे पाशविक अत्याचारों को किसान इसी भय से चुपचाप सहन कर लेते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि जमींदार नाराज होकर उनके जीवन-यापन के एक मात्र साधन खेतों से वेदखल कर दे। अन्त में उनकी यह वेवसी इस दर्जे तक पहुँच जाती है कि वे जमींदार और उनके कर्मचारियों की माँग के विरुद्ध अपनी बहू-बेटियों की प्रतिष्ठा बचा सकने में असमर्थ हो जाते हैं और उनकी माँगाँ को दृढ़ता-पूर्वक अस्वीकार करने का साहस उनमें नहीं रह जाता।

मैंने पिछले पत्र में तुम्हें लिखा है कि अबध के किसानों ने ताल्लुकेदारों के विरुद्ध वोट दिया था। उनका यह कार्य उस छलांग के समान था जो उन लोगों ने अपनी गहरी परीशानी से घबरा कर छुट-पटाहट में मोक्ष पाने के लिए मारी थी। इसमें किसी प्रकार का स्थायी साहस नहीं था। इन उदाहरणों से तुम्हें अनुमान करने में सहायता

मिलेगी कि निर्वाचन के पश्चात् गांव का किसान-समाज ताल्लुकेदारों के भीषण अत्याचार से किस प्रकार त्रस्त हो उठा था और क्यों हम लोग अपनी सारी शक्ति से इस समस्या को सुलझाने में लग गये।

यह बात सत्य है कि कांग्रेस-मंत्रिमण्डल स्थापित हो जाने पर तथा नये विधान के निर्माण के पश्चात् परिस्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ है। किन्तु सदियों से जमींदारों-द्वारा सताये जाने के कारण उनमें इतना साहस नहीं रह गया है कि वे अपने सत्य पर अड़ सकें। लगातार की लूट से उनकी आर्थिक विवशता इस सीमा तक पहुंच गई है कि वे जमींदार के विरुद्ध अदालत में जाकर न्याय प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी अधिकारियों कानून की एवं पुलिस के कर्मचारियों से तो जमींदारों का रिश्ता असमर्थता सा ही चलता रहता है। अतएव कांग्रेस-द्वारा बनाये गये कानून से किसानों को जो लाभ हुआ वह समुद्र में एक वूँद के ही तुल्य है। इस प्रकार अवध प्रान्त के ग्राम-सेवक के लिए जमींदार और किसान की समस्या आज भी उसी तरह मौजूद है। नये कानून के बन जाने पर उनकी अवस्था ठीक उसी प्रकार की है जिस प्रकार गरीब जमींदार को अपनी जमीन की डिग्री अदालत से मिल गई हो, किन्तु अपनी गरीबी और बेवसी के कारण वह उस पर अधिकार न कर पाता हो।

ऊपर मैंने जो कुछ लिखा है वह किसानों की अवस्था का केवल वर्णन मात्र है। अब प्रधान प्रश्न यह कि ग्राम-सेवक किसानों की सहायता के लिए किस प्रकार कार्य करे। क्योंकि यह समस्या इतनी नाजुक है (विशेषतया जब राष्ट्र की शक्ति हमारे हाथ में नहीं है) कि इसमें जरा भी असावधानी हुई अथवा जरा भी व्यतिक्रम हुआ तो हालत सुधरने के बजाय बिगड़ जा सकती है। इसलिए अतीत के तीन वर्ष तक हमें बहुत फूँक-फूँक कर कदम रखना पड़ा। इस विषय में अपना प्रयोग और अपनी राय फिर कभी लिख भेजूँगा। आज उन

मजदूरों का कुछ हाल सुनो जो किसानों के साथ गांवों में रहते हैं ।

गांव में मजदूरी करने वाले लोग प्रायः चमार, केवट और पासी आदि जाति के होते हैं । इनके अतिरिक्त कुमाँ, अहीर और कुम्हार आदि द्विजेतर जाति के लोग, जिनके पास अपना खेत बहुत कम है, दूसरों के खेत में भी मजदूरी करते हैं । साधारणतया गांव के जमींदार मजदूरों को कुछ खेत दे देते हैं जिसके बदले वे या तो लगान लेते हैं अथवा मजदूरी करा लेते हैं । जो लोग मजदूरी कराते हैं वे मजदूरी का कोई हिसाब भी नहीं रखते । प्रायः दस से बारह घंटे तक मजदूरों को खेत में काम करना पड़ता है जिसके बदले में उन्हें सेर डेढ़ सेर मटर या चना की किस्म का घटिया अनाज दिया जाता है । कहीं कहीं सवेरे के समय पाव भर चर्चन भी देते हैं । किन्तु यह

रिवाज बहुत कम स्थानों में पाया जाता है । इस यह सस्ती मजूरी ! प्रकार हिसाब की दृष्टि से दस-बारह घंटे की मजदूरी

एक आने या छः पैसे तक पड़ती है । जो बड़े-बड़े अर्थशास्त्र-विशारद चर्खे की कम मजदूरी की आलोचना करते हैं उन्हें यह बात बताना देना । यह थोड़ी सी मजदूरी भी मजदूरों को तभी मिलती है जब खेत में काम करने का समय होता है । अर्थात् यदि साल में सब मिला कर उन्हें आठ माह काम मिल सके तो उनकी एक वर्ष की औसत आय क्या होगी, यह तुम सरलतापूर्वक जान सकती हो । इसके अतिरिक्त ग्रहस्थी के छोटे-मोटे काम तो उनसे मुफ्त ही करा लिये जाते हैं । बात करने पर जमींदार जवाब देते हैं कि इन कामों के बदले हम उन्हें काफी सामान देते रहते हैं । आम की फरल में उन्हें काफी आम दिया जाता है, अवेर-सवेर काम पड़ने पर हमारे ही पेड़ों पर से लकड़ी काट कर ले जाते हैं । घर में कोई यज्ञ-भोज होता है तब भी उन्हें कुछ दिया ही जाता है । इत्यादि । किन्तु अगर उनके आदान-प्रदान का ठीक-ठीक हिसाब लगाया जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि मजदूरों को जो कुछ सामान मिलता है, उससे कहीं अधिक मूल्य की

मजदूरी वे जमींदारों को प्रदान कर चुकते हैं। यह तो रही इधर की उचित मजदूरी की व्याख्या; किन्तु अधिकतर जमींदार जिस प्रकार किसानों को सताते और लूटते हैं उसी तरह मजदूरों के साथ भी व्यवहार करते हैं। अनाज, तेल, नमक और तम्बाकू के लेन-देन में अंधेरे की सीमा हो जाती है। जब ये चीजें मजदूरों के पास नहीं रह जातीं तो वे अपने ठाकुरों से उधार लेते हैं और जब मजदूरी का जमाना आता है तो मजदूरी में से कटवा देते हैं परन्तु काटते समय जमींदार लोग बहुत बड़ा कर दाम लगाते हैं। इसी प्रकार जिन मजदूरों के पास कुछ खेती होती है अथवा जो छोटे किसान होते हैं उनसे ये जमींदार साल भर अनाज, घी और तेल आदि लेते रहते हैं। वर्षान्त में इन चीजों का मूल्य लगान में या अपने दिये हुए रुपये के सूद में काट देते हैं। किन्तु हिंसाव करते समय बड़ी बेरहमी के साथ चीजों का सस्ता से सस्ता मनमाना भाव लगा लेते हैं। इन बातों के अतिरिक्त मजदूरों को मार-पीट कर उनसे अधिक काम करा लेना, उनकी भोपड़ी के आगे-पीछे या छप्पर पर लगी हुई सब्जी, तरकारी और तम्बाकू आदि जबर्दस्ती तोड़ लेना उनके लिए साधारण बातें हैं।

मजदूरों के पास कमाने का अन्य कोई साधन नहीं है। इसलिए चुपचाप इन अत्याचारों को सहन करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं। टांडा में काम करते समय, चमारों के सम्बन्ध का अपना अनुभव तुम्हें लिख ही चुका हूँ। उसमें मैंने यह भी उल्लेख किया है कि अपनी विवशता के कारण वे किस प्रकार अपनी बहू-बेटियों की इज्जत ठाकुरों से बचा नहीं पाते। सम्भवतः ये सम्पूर्ण बातें तुम्हें स्मरण ही होंगी।

हम लोगों ने चुनाव आन्दोलन में भी भाग लिया था। इसके अलावा चुनाव के पश्चात् ग्रामीण झगड़ों में पड़ने के कारण हमें जमींदार-किसान एवं सभी श्रेणी के लोगों के सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने का अवसर मिला। यह अध्ययन ग्राम-सेवा की दिशा में चलने के लिए सर्वदा एक संचित पूँजी की तरह हमारी सहायता करेगा।

आज इतना ही लिख कर विदा लेता हूँ । कल दीवाली है, इसलिए जेल में धूम-धाम काफी रहेगी । अब मैं दिवाली के बाद ही कोई पत्र लिख सकूँगा ।

मैं स्वस्थ हूँ । आज कल यहां का मौसम बहुत सुन्दर हो गया है इसलिए आनन्द भी खूब आता है । आशा है, तुम सभी लोग भली-भाँति होगे । सबको नमस्कार ।

[३७]

जमींदारी प्रथा की समस्या

२१—१०—४१

कल लोगों ने खूब दिवाली मनाई । इसीलिए मैं नित्य एक पत्र लिखने का निश्चय करके भी कल कुछ लिख नहीं सका । दिवाली में हम लोगों ने अपनी अपनी बैरकों को प्रकाश से खूब सजाया था । इतने प्रकाश का हो जाना इस जेल की दुनिया के लिए विल्कुल नई बात थी । रात के समय 'कैम्पफायर' की तरह का तमाशा भी हुआ । लोग विचित्र-विचित्र पोशाकें पहन कर अपना खेल दिखाते थे । कोई औरत बनकर आता था, कोई मर्द बनता था, कोई अफगानिस्तान के पठान का रूप ग्रहण करता था और कोई विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक रत्न बन कर पहुँचता था । इस तरह रात भर खूब ही हल्ला रहा जिससे महीनों की उदासीनता समाप्त हो गई । आज मालूम होता है कि पहले पहल जेल आया हूँ । मन और शरीर खूब ताजा हो गया है । इसलिए आज ताजे उत्साह के साथ चिठी भी लिखने बैठा हूँ ।

परसों के पत्र में मैंने तुम्हें यह बताने का वादा किया था कि किसानों के कष्ट में सहायता पहुँचाने के लिए हम क्या क्या करते रहे । तुम्हें यह ज्ञात है कि किसान और जमींदार के झगड़ों की समस्या सुलझाने के

लिए आज कल बहुत से लोग देहात में जाते हैं किन्तु उनमें प्रायः एकरुखी भावना होती है। मेरे पिछले पत्रों से तुम्हें यह ज्ञात हो गया होगा कि जमींदार किसानों को कितना परीशान करते हैं। इसलिए ग्राम-सेवक के विचार में जमींदारों के प्रति कटु भावना का होना स्वाभाविक है। जब कोई किसान किसी जमींदार के विरुद्ध कोई शिकायत लेकर आता है तो हमारा दिमाग तुरन्त किसान के पक्ष और जमींदार के विपक्ष में हो जाता है। किन्तु मैंने अपने तीन वर्ष के अनुभव में यह महसूस किया है कि इन अभियोगों में से बहुत से असत्य भी होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम किसान की केवल मौखिक बातें सुनकर जमींदार के विरुद्ध अपनी भावना बना लेते हैं तो हम किसी पक्ष के प्रति उचित न्याय नहीं कर सकते। मैंने अनुभव किया है कि ६० प्रति शत ग्राम-सेवक यह भूल कर बैठते हैं। इस बात के बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं। अनेक उदाहरण तो मुझे स्मरण भी नहीं हैं। क्योंकि कालान्तर में इस प्रकार के प्रायः सभी मामले कर्ण भाई और ब्रह्मचारी ही तय कर लिया करते थे। फिर भी मैं अपने सामने घटित हुई ऐसी दो-एक घटनाओं का उल्लेख कर रहा हूँ जिनसे तुम्हें यह पता चल जायगा कि किसानों के इस प्रकार के असत्य मामले भी हमारे सामने आते थे। एक दिन मैं खाना खाने के बाद चर्खा चला रहा था। भींटी के पास का एक किसान दौड़ा हुआ आया और एक पैर पर खड़ा होकर रोने लगा। सान्त्वना देने पर वह कुछ शान्त होकर कहने लगा—“भइया, भींटी के सिपाही के मारा हम रहे नहीं थाइत। वे हमका मारत हैं और कहत हैं कि तुम्हें हम नहीं रहे देव। जिनका वोट दिये हो, उन्हीं के खेत जाकर जोतो और उन ही की जमीन पर बसो।” उस समय आश्रम पर कर्ण भाई या ब्रह्मचारी कोई भी नहीं थे। मैंने उसका और उसके गाँव का नाम लिख लिया और कह दिया कि जाओ मैं किसी को भेजूँगा। वह मेरा पैर पकड़ कर रोने लगा

और कहने लगा—“अभी चलो हमारे घर भर का निकाल दीहिस है और हमारे रहे के कौनों ठेकान नहीं वाय और विना तुहरे वह केहू दूसरे के मान कै नहीं वाय ।” उसकी करुण कहानी सुनकर मैंने उससे कहा कि तुम चलो हम अभी आते हैं । उसके जाने के लगभग आध घण्टे पश्चात् मैं साइकिल से उसके घर पहुँचा । तब तक वह अपने घर नहीं पहुँचा था । रास्ते में मैंने उसे कहीं नहीं देखा था किन्तु उस के घर की अवस्था देख कर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ । घर वालों में बिल्कुल शान्ति विराज रही थी । यह नहीं मालूम होता था कि उन लोगों पर किसी प्रकार की आपत्ति आई हुई है । एक स्त्री शान्तिपूर्वक बैठ कर चर्खा कात रही थी । बच्चे इधर-उधर खेल रहे थे । मैंने उसी स्त्री से उस मनुष्य के सम्बन्ध में पूछा । उसने उत्तर दिया कि वह तो आश्रम की ही ओर गये हुए हैं और अब तक घर वापस नहीं आये । मैं वहीं पर बैठ गया और उस स्त्री से बात-चीत करने लगा । जब मैंने उससे पूछा कि आश्रम जाने की क्या आवश्यकता आ पड़ी तो उसने कहा कि ‘सिपाहिया हम सब का तंग करत है, वही का शिकायत करे गये हैं ।’ फिर मैंने धीरे-धीरे उसी स्त्री से सारी बातें पूछ लीं । मालूम हुआ कि यह झगड़ा बहुत पुराना है और दोनों में बहुत दिनों से चलता रहता है । पूछ-ताछ करने पर यह भी मालूम हुआ कि उस किसान के परिवार के किसी भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था । इन बातों की विशेष व्याख्या करना व्यर्थ सा ही है । निष्कर्ष यही है कि इस झगड़े में वे दोनों ही अपराधी थे । हाँ, वह सिपाही जमींदार का कारिन्दा भी था इसलिए वह अधिक ज्यादाती कर सकता था किन्तु मुझसे जिस घटना का उल्लेख किया गया था वह आदि से अन्त तक झूठी थी । इसी प्रकार के अन्य भी सैकड़ों मामले आया करते थे जो जाँच करने पर असत्य सिद्ध होते थे । एक स्थान पर तो किसान ने जमींदार के विरुद्ध प्रचार करने के लिए अपना झंडा स्वयं अपने हाथों से

तोड़ डाला और हल्ला मचाना शुरू किया कि जमींदार ने मेरा झंडा तुड़वा दिया है। उसके इस प्रचार से देहात में काफी हल्ला मचा। अन्त में जब कर्ण भाई ने घटनास्थल पर जाकर पता लगाया तो कुछ दूसरा ही विवरण प्राप्त हुआ।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक ही गांव के दो जमींदार आपसी शत्रुता के कारण एक दूसरे की रिआया को अकारण ही उभार दिया करते हैं। अन्त में जब स्थिति अति गम्भीर हो जाती है तो मामला हमारे पास पहुँचता है। ऐसे अभियोगों जमींदारों की पर-में एक जमींदार दूसरे की रिआया के प्रति स्व-स्पर प्रतिद्वंद्विता भावतः बहुत अधिक हमदर्दी प्रकट करने लगता के कारण उठने है। ऐसे मामलों का सुलझाना अत्यन्त कठिन हो वाले झगड़े जाता है। क्योंकि अगर हमने किसी तरह से मामला सुलझा भी दिया तथा किसान और जमींदार में किसी तरह समझौता भी करा दिया, तो हमारे चले आने पर वह समझौता स्थिर नहीं रह पाता। क्योंकि गांव में एक उभारने वाला तो सर्वदा मौजूद ही है। इस प्रकार के लोग कभी कभी पूरे कांग्रेसी-वन जाते हैं और हमको उल्टा-सीधा समझाने का भी प्रयत्न करते हैं। कहीं-कहीं तो झगड़ा लगाने वाले जमींदार स्वयं कांग्रेसी जन होते हैं। ऐसे झगड़ों को सुलझाने के प्रयत्न में कभी-कभी हमें किसानों का मामला स्थगित कर इन पट्टीदारी वाले जमींदारों का ही झगड़ा सुलझाना पड़ जाता है।

उपर्युक्त दृष्टान्तों से तुम्हें यह भली-भाँति ज्ञात हो गया होगा कि ग्राम-सेवक को किसान और जमींदार के झगड़े सुलझाने में बहुत शान्ति और धैर्य से काम लेना चाहिए। मौखिक शिकायतें सुनकर तदनुसार अपनी धारणा बना लेना बहुत गलत तरीका है। अधिकांश सेवक कार्यकर्ता इस प्रकार के झगड़ों के सम्बन्ध में जमींदारों के प्रति विरुद्ध धारणा बना कर ही घटना-स्थल पर जाते हैं। उनका ऐसा

करना एक प्रकार से स्वाभाविक भी है; क्योंकि साधारणतया जमींदार किसानों पर इतना अमानुषिक अत्याचार करते हैं कि किसानों-द्वारा उस अत्याचार की करुण-कहानी सुन कर नौजवानों के लिए स्थिर और शान्त रहना असम्भव हो जाता है। किन्तु जिन्हें यह कार्य अपने हाथ में लेना है, उन्हें तो अपने विचार शान्त और स्थिर बनाने ही होंगे। नहीं तो हम किसानों की दशा सुधारने की अपेक्षा बिगाड़ देंगे और उनके कष्ट का कारण बनेंगे।

हम लोगों को जब कभी इस प्रकार की रिपोर्ट मिलती थी तो पहले हम उसे नोट कर लेते थे। तदनन्तर हम में से कोई घटना-स्थल पर पहुँच जाता था और जमींदार से भेंट कर तथा उसका भी वयान लेकर दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयत्न करता था। अपनी शक्ति भर हम लोग यही प्रयत्न करते थे कि अगर जमींदार थोड़ी भी सुविधा प्रदान करने की स्वीकृति दे तो दोनों पक्षों में समझौता अवश्य हो जाय। हम लोगों ने कोई ऐसी मर्यादा नहीं निश्चित हमारी जाँच का तरीका की थी कि जमींदार के किस सीमा तक मुकने पर समझौता किया जाय। परिस्थिति के अनुसार झगड़े की गम्भीरता और स्थानीय किसानों की संघटन-शक्ति के आधार पर मर्यादा बना ली जाती थी। कभी-कभी तो हमें यही उचित प्रतीत होता था कि हम जमींदारों के अत्याचार को चुप-चाप सहन कर जायँ। क्योंकि स्थानीय किसान आपस में इतना कलह-पूर्ण व्यवहार रखते थे और इतने गुजदिल थे कि हम लोगों को आशंका होती थी कि यदि इनके द्वारा किसी भी प्रकार का झगड़ा उठाया गया तो ये लोग बेतरह पिस जायँगे और इनका करा-धरा कुछ नहीं हो सकेगा। कभी-कभी हमें कुछ किसानों के झगड़े लेकर कचहरी तक भी पहुँचना पड़ता था। और उनके लिए पैरवी की कुछ सुविधा की भी व्यवस्था करनी पड़ती थी। अक्सर आने पर हाकिमों और पुलिस अफसरों से मिल कर भी हम उनके मामले को

तय कराने की कोशिश करते थे। कचहरी में मुकदमे ले जाने पर प्रायः हमें बहुत कटु अनुभव हुआ।

मैं तुम्हें पहले ही लिख चुका हूँ कि अवध के किसान नितान्त साधन-हीन अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए वे कचहरी में जाकर न तो अच्छे वकील कर सकते हैं और न तो गवाहों के ही लिए कुछ व्यय कर सकते हैं। इसके विरुद्ध जमींदारों के पास पर्याप्त धन होता है, प्रजा को दवाने की शक्ति होती है तथा पुलिस और अन्य अधिकारी सर्वदा उनका साथ देते हैं। इसलिए यद्यपि किसी अभियोग को प्रारम्भ करते समय गांव के किसानों में काफी संघटन रहता है पर जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ता है और दिन बीतते जाते हैं वैसे-वैसे जमींदार के दलाल दवाव डाल कर, धन का लालच देकर, पुलिस-द्वारा दवाव डलवा कर किसानों के गवाहों को फोड़ लेते हैं और इस प्रकार किसान अपने सच्चे मुकदमे को भी कचहरी में हार जाता है और कालान्तर में उसे लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के कई अनुभवों के पश्चात् हम लोग किसानों के मामले कचहरी में ले जाते समय डरते रहते थे और जहां तक सम्भव होता था ऐसी परिस्थिति से बचने का प्रयत्न करते थे। जहां के किसान कुछ संघटित प्रतीत होते थे, वहां यदि जमींदार से समझौता नहीं हो पाता था तो उनके द्वारा छोटा-मोटा क्षणिक सत्याग्रह करा परिस्थिति के देना ही अधिक लाभ-प्रद होता था। किन्तु जिस अनुसार कार्य स्थान पर किसानों में अच्छा संघटन नहीं देखते थे, वहां जमींदार समझाने बुझाने से जितनी सुविधाएँ दे सकता था, उतने ही पर किसानों को संतोष कर लेने की सलाह देते थे। इसके साथ ही साथ किसानों में मेल और संघटन पैदा करने का प्रयत्न भी करते थे। कभी-कभी किसानों को अड़ जाने की सलाह भी देते थे और एक मामले में विजय प्राप्त कर लेने पर भी दूसरे मामले में कभी कभी दब जाने को ही हितकर समझते थे।

ऐसा हम इसलिए करते थे कि विजय प्राप्त कर लेने पर जो शक्ति आती है, उसको स्थिर रखने के लिए कुछ समय की अपेक्षा होती है। इसके अतिरिक्त किसानों में इतनी शक्ति नहीं होती कि वे हर समय जमींदार से लड़ते रह सकें। ऐसी अवस्था में बहुत संभव है कुछ लोग थक कर और लालच में आकर जमींदार की ओर जा मिलें। इस प्रकार गाँव का संघटन टूट जाता है और उसमें फूट उत्पन्न हो जाती है।

हम लोग उस क्षेत्र में किसानों के झगड़ों को इस तरह सुलझाने की कोशिश करते थे, जिससे किसानों की न्यूनातिन्यून शक्ति के प्रयोग से काम चल जाय। जहाँतक सम्भव होता था, शान्ति से ही काम लेते थे।

इन उपर्युक्त कार्यों में हम लोग सर्वदा लगे ही रहते थे किन्तु इन्हीं कार्यों के प्रसंग में रह रह कर हमारे सारे मस्तिष्क में यह भावना उठा करती थी कि इस जमींदारी-प्रथा की समाज में क्या आवश्यकता है ? सम्भव है, किसी युग-विशेष में इससे कोई सहूलियत की व्यवस्था होती रही हो अथवा यह शासन-व्यवस्था में एक मध्यस्थ एजेण्ट की तरह सहायक का काम देती रही हो किंवा समाज-संघटन का सफल नेतृत्व

करती रही हो, किन्तु उस समय यह भी रहा होगा

आज जमींदार कि इन जमींदारों के प्रति भी सामाजिक बन्धन
व्यर्थ है ! अत्यन्त दृढ़ और कठोर रहे होंगे और उनके लिए

समाज-द्वारा निश्चित किये गये कार्यों की अवहेलना करना अत्यन्त कठिन रहा होगा। किन्तु आज जनता के साथ राष्ट्रीय शासन का सीधा सम्बन्ध हो गया है और सम्पूर्ण व्यवस्था केन्द्रीय शासन-द्वारा ही परिचालित होती है। इस प्रकार की व्यवस्था में जमींदार का कोई स्थान नहीं रह गया है। समाजमें कोई भी श्रेणी कर्तव्यहीन अवस्था में जड़वत् स्थिर नहीं रह सकती। वह या तो कोई सुकर्म करेगी अथवा कुकर्म ही। ऐसी परिस्थिति में जिस श्रेणी के लिए

अपना कोई कर्तव्य ही नहीं रह जाता उसके लिए कुकर्म करने लगना स्वाभाविक ही है। इसके अतिरिक्त इन जमींदारों की उत्पत्ति विदेशी लूट में सहायक के रूप में हुई थी इसलिए जब तक इनके भीतर प्राचीन संस्कृति का अवशेष रहा, तब तक इनकी प्रवृत्ति कुछ अच्छी रही। किन्तु धीरे-धीरे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की लूट की शिक्षा ने उन्हें सर्वथा जालिम बना दिया और अन्त में उनका अत्याचार साम्राज्यवादी अत्याचार से भी आगे बढ़ गया। स्वभावतः ऐसा होना ही चाहिए था। शंकरजी के तेज और प्रताप के आश्रय में रहने वाले उनके शृंगीदल, भूत, भवानी, पिशाच और पिशाचिनियां लोगों को अधिक परीशान करती हैं। सूर्य का ताप शरीर को उतना नहीं जलाता जितना उसकी किरणों से तपा हुआ लोहा जलाता है। आज का जमींदार देहात की गरीब और मजदूर जनता के लिए शोषण और अत्याचार की मशीन बन गया है। हम लोगों ने अत्यन्त शान्ति और धैर्य के साथ तीन-चार वर्ष तक जमींदार और किसानों के झगड़ों का यह निपटारा कराया किन्तु इस प्रयत्न से अन्त में हमारे मस्तिष्क पर यही प्रभाव पड़ा कि जमींदारी-प्रथा समाज के लिए अत्यन्त व्यर्थ और हानि-प्रद संस्था है। जितने ही शीघ्र यह प्रथा समाप्त हो सके उतने ही शीघ्र देहात की समस्याओं को हल करने का मार्ग साफ हो जायगा। मेरी यह धारणा हो गई है कि ग्रामीण-समाज को सुखी और स्वावलम्बी बनाने के लिए यह परमावश्यक है कि जमीन की अधिकारी या तो पंचायत हो अथवा स्वयं वे व्यक्ति हों जो उत्पादन का कार्य करते हैं। मैं समझता हूँ कि प्राचीन भारत में यही व्यवस्था प्रचलित भी थी।

आखिर जमींदार हैं ही कितने ? युक्तप्रान्त में कुल साढ़े बारह लाख जमींदार हैं। इनमें लगभग दस लाख तो ऐसे जमींदार हैं जो केवल सौ रुपये वार्षिक तक मालगुजारी देते हैं। ये इतने गरीब हैं कि इनकी अवस्था किसानों से भी खराब है। उन्हें एक प्रकार का रैयतवारी किसान ही कहना अधिक संगत है। किन्तु चूँकि इनका

नाम जमींदार है, इसलिए चाहे इनके घरों में दोनों समय चूल्हा भले ही न जले किन्तु इनकी ऐंठ वादशाही ढंग की ही होती है। लखनऊ के नवाब घराने के लोगों के विषय में सुनता हूँ कि उनलोगों में से कई एक को सरकार की ओर से केवल आठ आने वार्षिक गुजारे के लिए मिलता है, किन्तु उनकी नवाबी ऐंठ में कोई अन्तर नहीं है। इसी प्रकार जब हम छोटे-छोटे जमींदारों से अलग व्यक्तिगत रूप से बात-चीत करते हैं तो वे कहते हैं कि हम इस जमींदारी से तंग आ गये हैं। यदि पेट भर खाने को मिल जाय तो यह जमींदारी चूल्हे में जाय। किन्तु अच्छी से अच्छी समाज-व्यवस्था में यदि उन्हें कोई स्थान नहीं मिलता तो वे बौखला से जाते हैं। हमने जहाँ तक इन लोगों का अध्ययन किया है, ये इसलिए नहीं घबराते कि इनकी जमींदारी चली जायगी, बल्कि इसलिए घबराते हैं कि आज उनकी यह छोटी-सी जमींदारी उनके लिए डूबते हुए को तिनके के समान है। वे यह जानते हैं कि यह तिनका उन्हें बचा नहीं सकता, फिर भी उसे छोड़ने का स्वप्न देखना भी सहन नहीं कर सकते। यदि डूबते हुए मनुष्य से यह कहा जाय कि तुम तिनके को छोड़ दो तो वह कभी उसे छोड़ने को तैयार नहीं होगा। किन्तु यदि उसके सामने कोई उचित आधार डाल दिया जाय तो वह तुरन्त तिनके को छोड़ कर उस आधार को पकड़ लेगा। वना यदि बिना किसी प्रकार का अवलम्बन दिये ही उसका तिनका छीनने का प्रयत्न किया जाय तो वह छीनने वाले को काट-खाने को उद्यत हो जायगा। जिस समय हम लोग जमींदारी का नाश हो, का नारा लगाते हैं, उस समय हमारा तात्पर्य ५०००) या अधिक वार्षिक मालगुजारी देने वाले केवल २२०० जमींदारों से ही होता है। हमारा यह नारा उनके कानों तक तो पहुंचता नहीं, क्योंकि उनकी नौका अंग्रेजी साम्राज्य की नाव के साथ भलीभाँति सम्बद्ध है। किन्तु प्रायः मुमूर्षु अवस्था को प्राप्त ये जमींदार नामधारी किसान हमारे उक्त नारे से घबड़ा कर पागल हो उठते हैं

और हमारे आन्दोलन के प्रवाह में गड़बड़ी पैदा कर देने के कारण बन जाते हैं। वही एक सम्प्रदाय है जो अत्यन्त गरीब हो जाने पर भी अपने प्राचीन संस्कार के कारण ग्रामीण जनता का मुखिया है। अतः ग्राम-सेवक को सावधानी से कदम बढ़ाना चाहिये, जोश से काम नहीं चल सकता है। इसी उद्देश्य से हम जमींदारी प्रथा के अन्त के विषय में निश्चित धारणा रखते हुए भी ग्राम-सेवा का कार्य करते समय इसकी चर्चा नहीं करते हैं। मैं समझता हूँ कि यदि हम लोग ग्राम-उद्योग के द्वारा वेकार ग्रामीण जनता की आर्थिक समस्या हल करते रहेंगे और उसी के साथ-साथ जमींदारी प्रथा की अनुपयोगिता बताते रहेंगे तो इस कुप्रथा को समाप्त करना सरल हो जायगा। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि अन्त में कानून के ही द्वारा इस व्यवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है किन्तु यदि वैधानिक परिवर्तन के पहले ही ग्रामोद्योग-द्वारा साढ़े बारह लाख जमींदारों में से साढ़े दस लाख जमींदारों में आत्म-विश्वास उत्पन्न कर उनका सहारा छूट जाने का डर हटा सकें तभी कानून भी पूरा कामयाब हो सकेगा, वना केवल दिमागी बहस और कानून के दबाव से इसे करने की कोशिश करेंगे तो कभी पूर्ण सफल नहीं होंगे।

जमींदारी प्रथा के सम्बन्ध में मेरी इस राय को पढ़ कर तुम्हें आश्चर्य होगा और तुम कहोगी कि इन जमींदारों को भी तो सुधारा जा सकता है। सम्भव भी है कि शायद उनका सुधार हो जाय। क्योंकि मैं मनुष्य प्रकृति के सुधार पर आस्था रखता हूँ। किन्तु यह स्पष्ट ही है कि समाज के लिए अब इस संस्था की कोई आवश्यकता और उपयोगिता नहीं रही और अनुपयोगी अवस्था में कोई चीज स्थिर नहीं रह सकती। यह प्रकृति का अटल नियम है।

आशा है, वहाँ के सभी लोग सकुशल होंगे। मुझे तुमने जो किताब भेजने को कहा था वह अब तक नहीं मिली। नमस्कार।

[३८]

आपसी झगड़ों की समस्या

२२—१०—४१

आज भ्रातृद्वितीया है। स्वभावतः तुम लोगों की बात याद आती है। आज के दिन संसार की सब बहिनों की शुभ कामनाओं को लेकर हम लोग जीवन-संग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज के दिन बहिनों से अलग रहने का मौका मुझको इस साल पहले-पहल हुआ है। इसलिए और भी सब की याद आ रही है। दिल चाहता है कि लिख डालूँ लेकिन पत्र तो एक ही लिख सकता हूँ। इसलिए इसी पत्र की माफत सब बहिनों को शुभ कामना भेज रहा हूँ।

अब चलो गाँव की बात शुरू की जाय। मैं तुमको किसी पत्र में पहिले लिख चुका था कि किसानों की शिकायतों पर झगड़ा मिटाने के साथ-साथ हमको गाँव वालों का आपसी झगड़े का भी निबटारा करना पड़ता था। ये झगड़े कई प्रकार के होते थे। मैं समझता हूँ कि उन झगड़ों का विवरण लिख कर तुम्हारा समय बरबाद करना बेकार ही होगा। मुझको क्या? मैं तो सैकड़ों पन्ने लिख डालूँ। क्योंकि जेल जीवन में बिना काम के रहना ही सबसे ज्यादा तकलीफ की बात है। लेकिन तुम लोगों के पास तो बहुत काम है। बेकार पत्र देखने का समय कहाँ? इसलिए मैं तुमको सिर्फ किन किन बातों पर झगड़ा देहात में होता है उसका अंदाज देते हुए पत्र समाप्त करने की कोशिश करूँगा। वैसे तो तरह तरह की लड़ाईं रोज हुआ करती है और हमको उसका फैसला करना पड़ता है। सब तो मुझको याद नहीं है। लेकिन जो झगड़े आम तौर पर हुआ करते हैं वे इस प्रकार हैं।

ज्यादातर जायदाद के बँटवारे पर झगड़ा होता है। लोग कहते हैं कि इस झगड़े की जड़ तुम्हारी जाति (खी जाति) की माया

है। मुझे तो पता नहीं, तुम्हीं ठीक अंदाज कर सकती हो। झगड़ा कभी-कभी भयानक रूप ले लेता है। और जब भाई-भाई में दुश्मनी हो जाती है तो आजीवन किसी न किसी बहाने झगड़ा होता ही रहता है।

बँटवारा का झगड़ा अगर कचहरी चला जाता है तो जमीन-जायदाद के सारा परिवार एक दम नाश हो जाता है। इस नाश बँटवारे के झगड़े करने में गाँव भर के लोग शामिल रहते हैं। खास तौर से जो लोग पैसा उधार लेते हैं वे तो किसी न किसी पक्ष के हित बन ही जाते हैं और उसका खरा नाश कराके अपना काम बना लेते हैं। जो लोग उधार वगैरह नहीं भी देते हैं वे भी इस झगड़े को बढ़ाने में काफी दिलचस्पी लेते हैं। उनमें से एक श्रेणी के लोग वे होते हैं जो हमेशा उस परिवार की हैसियत से ईर्ष्या करते रहते हैं। दूसरी श्रेणी उनकी है जो उस परिवार के पूर्वजों के पट्टीदार के चंश के हैं। तीसरी श्रेणी के वे हैं जो गाँव के रूखे जीवन से ऊबे हुए रहते हैं और हमेशा कुछ न कुछ तमाशा ढूँढ़ते रहते हैं। ब्रियाँ खास कर इसी श्रेणी की होती हैं। अगर इत्तिफाक से दो भाई आपस में सुलह से बँटवारा करने लगते हैं तो सारे गाँव की ऐसी हालत होती है मानों गाँव में कुछ अन्वें हो रहा है। मैंने तुमको झगड़ों के विवरण की वाचन न लिखने का वादा किया था। लेकिन इस सिलसिले में मुझको एक मजेदार घटना याद आ गई और उसको लिखने का लोभ समाता नहीं। कहानी इस प्रकार है।

आश्रम के पास ही एक गाँव के एक जमींदार परिवार में तीन भाई मिल कर काफी सुख से रहते थे। उसमें से दो सगे भाई थे और एक चचेरा भाई। हम लोगों के रणीवां जाने के बाद से उस परिवार के बड़े भाई, जो सारे परिवार का सब काम संभालते थे, कांग्रेस के प्रति आकृष्ट होते गये और धीरे-धीरे गांधी जी के परम भक्त बन गये और जैसा कि मैं पहिले लिख चुका हूँ आस-पास के बहुत से लोगों के सामने पुरानी रूढ़ियाँ छोड़ते गये। इनका इस प्रकार का आचरण

चचेरे भाई साहब को पसन्द नहीं था और वह समय असमय काफी एतराज किया करते थे। समय-असमय पर बँटवारे की भी धमकी दिया करते थे। इसका एक तत्व और था। जायदाद के आधे के हिस्से-दार वह थे और आधे में ये दो भाई। शायद और भी कुछ अधिकार उस छोटे भाई को थे जिसको मैं ज्यादा नहीं जानता। आखिर बँटवारे का निश्चय हो ही गया। लेकिन बड़े भाई ने अपने को दवा कर भी इस ढंग से बँटवारा किया कि किसी तरह से झगड़ा न होने पावे। इस मामले ने सारे गांव तथा आस-पास के गांवों में तूफान पैदा किया। सभी लोग इस बात से परीरान थे कि बिना झगड़ा किये, बिना किसी को बुलाये बँटवारा कैसे हो सकता है। शुरू में तो लोगों ने इधर-उधर कानाफूसी करके अंट-शंट बातों को फैलाना शुरू किया जिससे भाइयों में गलतफहमी और संदेह पैदा हो सके। लेकिन उससे लोगों का कुछ काम नहीं निकला। फिर लोगों ने बड़े भाई से जो सब काम कर रहे थे, कहना शुरू किया : भला ऐसे भी कहीं बटवारा होता है। तुम तो अपने को बरबाद कर रहे हो। तुम तो कहते हो। कि वे जौन मांगें तौन देईं मुला यह तो समझे न चाही कि तुम्हार भाई आटे, लरिका आटे। वै का करिहैं। भला ऐस कहीं होत है। वै तुम्हारा मूँड़ मांगै तौ कटाकं दै दै हो का ?” इत्यादि इत्यादि। लेकिन वे लोग उनको अपनी टेक से हिला नहीं सके। वे सब को एक ही जवाब देते थे “भइया एहिमा हमका फायदा वा।” या ‘आखिर वे भी तो हमारे ही भाई हैं फिर हम तो अपनी समझ से न्यायपूर्वक ही बँटवारा कर रहे हैं।’ कहीं किसी के दरवाजे पर दो-चार आदमी बैठ कर गपशप कर रहे हैं, इतने में कहीं उनके लड़के को जाते देख लिया। दूसरों के घरों में तो झट एक दूसरे से कहने लगे—“अरे भइया, आग लगाने वाले वै तो आज कांग्रेसी हूँ गये; विहान जेल जवइयां परोपकारी हैं। के जानै परौं साधू हूँ जायँ लेकिन एह तरह एक लाग अपने बेटवा के मूँड़ काटे के चाही ?”

इस तरह वे उनके लड़कों को बहकाने की कोशिश करते थे। मैं उन दिनों जब देहात जाता था तब लोगों को इसी तरह बातें करता हुआ पाता था। जब तुम रणीयां आई थीं तो तुमने देखा था कि पास के गांव वालों के साथ हम लोगों का सम्बन्ध पारिवारिक-सा हो गया था। हम लोग जब गांव में जाते थे तो निस्संकोच लोगों के घरों में चले जाते थे और वहां भी औरतों को इसी तरह की बातें करते देखते थे। एक दिन मैं एक घर के आंगन में जाकर बैठा तो वहां चार-पांच स्त्रियां बात-चीत कर रही थीं। वे सब मुझको बैठने के लिए चारपाई देकर स्वयं नीचे बैठ गईं। उसमें से एक स्त्री ने मुझसे कहा—“भइया एह साइत हमरे सब बहुत तकलीफ मां हईं। का बताईं अइसन सुखी घर चूर-चूर होत नाहीं देखा जात। हमरे सब रोय रोय कै दिन काटित है।” इतने में दूसरी स्त्री बोली—“लेकिन भइया फलाना बाबू खूब किहिन। जौन जौन भइया कहत है सब हां करत जात हैं। एतनी भारी जायदाद बंटत बाय कहीं चूँ नहीं सुनाई देत बाटै। अरे भइया जायदाद बंटत मां जौन गति हईं जात है।” तीसरी ने कहा—“रहे द बहनी तू हूँ जवन मेहरारू बाटू। वे अस किहिन तौ कौन बात कै लिहिन। तुहरे लोगन दुनिया भर कै बखान करत फिरत हऊ। वे करै न त क्या करै। समे जायदाद तो छोटे भाई की ही है। अपने तो कुल कर्जा में बूझत बाटै। दिखावे खातिर वै बड़े दानी बनत हैं।” चौथी स्त्री—“चाहे जौन कहौ बहिनी, वै तो सब उठा के दै देत हवै, रंचौ खियाल नाहीं करत हवै कि आपन बेटवा का खइ है।”

इस तरह औरतें भी उनके घर की औरतों का दिमाग खराब कर रही थीं। आखिरकार लोगों ने कुछ न कुछ कह-कहकर घपला मचा ही दिया। सारा बँटवारा हो जाने पर एक छोटी सी बात लेकर उनका लड़का लड़ पड़ा और कहा कि मैं घर ही छोड़ कर चला जाऊंगा। उसके पिता ने उसको बहुत समझाया लेकिन उसने नहीं माना और सवेरे उठ कर चुपके से कहीं भाग गया।

उनके लड़के के चले जाने के बाद भी लोगों ने उन पर दवाव डाला। लेकिन वह अपने संकल्प पर अड़े रहे। उनके इस व्यवहार से दोनों भाइयों का फायदा रहा। वँटवारा हो जाने पर भी आपस में दुश्मनी नहीं हुई। मैं क्या बताऊँ ? यह हाल उस गाँव का है जहाँ पर हमारा सम्बन्ध इतना अनिष्ट है। दूसरे गाँवों की हालत तो विचित्र ही है। इससे तुम देख सकती हो कि ऐसे मामले में झगड़ा न रहते हुए भी गाँव वाले झगड़ा करा ही देते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि झगड़ा होने में दोनों फरीक के शरीर में जो कुछ भरेगा उसमें से कुछ न कुछ उन्हें भी मिल जायगा।

यह तो गाँव के वँटवारा-सम्बन्धी झगड़े की बात रही लेकिन गाँव के अन्दर ऐसी बहुत सी चीजें रहती हैं जो किसी एक व्यक्ति की निजी नहीं होतीं; जैसे सम्मिलित कुआँ, बाग, तालाब और परती इत्यादि। इन चीजों के लिए प्रायः झगड़ा हुआ करता है और कभी कभी फौजदारी भी हो जाती है।

सामूहिक वस्तुओं बाग के फल का वँटवारा किस तरह से हो, लकड़ी के सम्बन्ध में कौन काटे, तालाबों और कुएँ के पानी से कौन

झगड़े अपना खेत पहले सींचे, परती में किसके जानवर चरें, तालाबों की मछली किस तरह वेंचे, ऐसी अनेक

बातें झगड़े का कारण होती हैं। देहात में झगड़ा, मारपीट और मुकदमेवाजी का एक और बड़ा कारण होता है। तुमको मालूम है हमारी ओर बहुत बनी आबादी है और जमीन भी करीब करीब आखिरी इंच तक जुती हुई है। एक दूसरे के खेत के बीच में एक मेंड़ होती है। दोनों तरफ के किसान इस कोशिश में रहते हैं कि आधी मेंड़ अपने में कर लें और जोतते समय चुपके से थोड़ी-थोड़ी मेंड़ अपने खेत में मिला लेने की कोशिश करते रहते हैं। कभी-कभी टेढ़ी कुदाल से मेंड़ के ऊपरी हिस्से को ठीक रखते हुए नीचे से भीतर भीतर खोद लेते हैं जिससे बरसात में पानी बरसने पर मेंड़ की मिट्टी गल

कर ऊपरी भाग भी खेत में शामिल हो जाय। इस प्रकार की चेष्टा से किसानों के बीच बड़ी-बड़ी फौजदारियाँ हो जाती हैं जिनके फलस्वरूप वे तवाह हो जाते हैं।

परिवार की कोई स्त्री यदि विधवा हो गई तो उसकी सम्पत्ति को सब लोग लालच की दृष्टि से देखते हैं और परिवार का हर एक आदमी विधवा को धोखा देकर उसके जीते-जीते उसकी सम्पत्ति स्वयं ले लेने की कोशिश करता है जिससे पारस्परिक ईर्ष्या के कारण झगड़ा होता रहता है। छोटे-मोटे झगड़ों के बढ़ने से अलहदगी की नौबत आ जाती है और लोग अलग भी हो जाते हैं। तब भी विधवा की सम्पत्ति किसकी देख-रेख में चलेगी, इसी पर झगड़ा बढ़ जाता है।

**धन हड़पने
की नीयत**

गाँव के नाई, धोबी, चमार और खेत के मजदूर भी सबके काम के लिए होते हैं। इनसे कौन ज्यादा काम लेता है, कौन पहले काम ले, पट्टीदारों में इसकी भी नोक-झोंक चलती रहती है और कभी-कभी मामला इतना बढ़ जाता है कि हम लोगों को फैसले के लिए जाना पड़ता है। इसी तरह से यदि दो पट्टीदारों का एक ही असामी हुआ तो लगान के अलावा उसकी जात से अन्य पचासों तरह के नाजायज फायदे उठाने के लिए झगड़ा चलता रहता है।

एक जगह तो हमको बहुत ही मजेदार अनुभव हुआ। इसकी कहानी बहुत ही रोचक है। तुम्हें मालूम है कि देहात में हर एक परिवार का एक पंडित निश्चित है। यहाँ तक की तीर्थ तक में भी सबके अपने-अपने पंडे होते हैं। जब मैं इधर ग्राम-सुधार का चेयरमैन था तो अपने दौरे के सिलसिले में एक गाँव में पहुँचा। मैंने सोचा था कि गाँव में सफाई आदि की वास्तव कुछ बताऊँगा परन्तु जाते ही एक मामले का फैसला करना पड़ा। थोड़े ही दिन हुआ था, उस गाँव में एक परिवार के दो टुकड़े हो गये थे। उस दिन दोनों

परिवार में उनका पारिवारिक अनुष्ठान था। उस अनुष्ठान में पंडित से घर पर कथा सुनी जाती है और उन्हें सीधा और दक्षिणा दी जाती है। इत्तिफाक से दोनों परिवार ने उस दिन अपने यहाँ पाठ वाँचने के लिए पंडित को निमंत्रण दिया था। तमाशा यह कि कथा का शुभ मुहूर्त भी एक ही समय पड़ता था। मैंने देखा कि इस बात को लेकर गाँव भर में एक तूफान सा मचा हुआ है कि पंडित किसके यहाँ कथा सुनायेगा। तमाशा यह कि दो पंडित से काम नहीं चल सकता। घर में पुरोहित तो एक आदमी है न ? और उनके कथा वाँचने से ही फल प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसी तरह तीर्थ के पंडा के गाँव में आने पर भी कभी-कभी आपस में लड़ाई हो जाती है।

इसी तरह नावदान किधर से जायगा, छप्पर का पानी कहाँ गिरेगा, लोग कंडा कहाँ पायेंगे, इत्यादि छोटी-छोटी बातों से बड़े-बड़े झगड़े हो जाते हैं।

प्रायः ऐसा भी होता है कि जब किसानों के घर भाई-भाई में अलहदगी हो जाती है तो भी जमींदार के खाते में उनकी जमीन अलग-अलग नहीं दर्ज होती। पुराना ही इन्दराज चलता रहता है। ऐसी हालत में कोई लगान देता है, कोई नहीं देता है। जमींदार किसी से सारा वसूल करता है, कोई एक दम बच जाता है। इसी तरह घपला चलता रहता है। जमींदार जान-बूझकर अपने खाते में इस तरह की धाँधली बनाये रखता है जिससे वह किसानों की लड़ाई में अधिक से अधिक फायदा उठा सके। छोटी कौमों में कोई छी विधवा होकर नैहर चली जाय तो उसका बच्चा कहाँ रहेगा, इस पर बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाता है।

कहाँ तक लिखा जाय ? यदि तमाम बातों का वर्णन करूं तो उसका कहीं अन्त नहीं मिलेगा। जो कुछ मैंने लिखा है उसी से तुमको अनुभव हो जायगा कि गाँव में किस-किस किस्म के झगड़े

होते हैं और एक ग्राम-सेवक को भिन्न-भिन्न मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।

उन भूगड़ों के सिलसिले में हमको एक खास बात देखने में आई कि ज्यादातर भूगड़े ब्राह्मण क्षत्रियों में होते हैं। क्योंकि ये कौमें चाहे कितनी भी गरीब हो जायँ खेती का काम अपने हाथ से नहीं करतीं और बेकार बैठती रहती हैं। बेकार दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए हम इनके तात्कालिक भूगड़े का फैसला तो करते थे क्योंकि हर एक काम के लिए यह जरूरी है कि इस किस्म के भूगड़ों को तय करने में मदद करे। लेकिन इस बात को भूगड़े ऊँची जातियों भी साथ-साथ सोचते रहे कि जब तक हम इस में अधिक उच्च श्रेणी की बेकारी की समस्या हल नहीं कर सकते तब तक गाँव में व्यवस्थित समाज कायम नहीं हो सकेगा। वह सत्य है कि किसानों और मजदूरों की आर्थिक अवस्था इसकी अपेक्षा बहुत खराब है और उनकी आर्थिक परिस्थिति पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन जब तक इन ऊपर वाले खुराफाती दिमागों को कहीं लगा नहीं दिया जायगा तब तक बेकार पड़ी हुई बुद्धि खुराफात के साथ किसान और मजदूरों को फँसा कर, तुम्हारी चेष्टा से उनमें जो कुछ सुधार होगा सब त्याहा करती रहेगी।

सन् १९२३ में टांडा में काम करते समय देहात-सम्वन्धी अपना अनुभव लिखते हुए मैंने इस श्रेणी की बात जो लिखा था, याद होगा। पुराने जमाने में इन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। और ग्राम तौर से बड़े घर इन्हीं जातियों के होते थे। इसलिए ये खुद न काम करके मजदूरों से काम कराते थे। बहुत से काम न करने में अपने उच्च वंश की मर्यादा समझते हैं। लेकिन उनके पास शिक्षा और समाज-व्यवस्था का काम उन दिनों रहता था और उनपर समाज की एक खास तौर की जिम्मेदारी होने से उनका दिमाग

हमेशा उसी में लगा रहता था। दूसरी बात यह थी कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण घर पर काफी काम होता था। जिसके पास बहुत बड़ा घर होगा, अनाज व सामान काफी होगा, जिसके दरवाजे पर गाय, बैल, भैंस की तादाद होगी उसके लिए इन सब चीजों का सावधानी से इन्तजाम करना ही एक बहुत बड़ा काम होता है। इसलिए खेती का काम अपने हाथ से न करने पर भी वे कतई वेकार नहीं रहते थे। लेकिन आज इस श्रेणी के लोगों के पास है क्या जिसका वे इन्तजाम करें? छोटी सी जगह में किसी कदर अनाज उवाल के खा कर दोनों वक्त पड़े रहने के सिवा और उनके पास काम ही क्या है। हालत तो ऐसी है लेकिन ये लोग अपने पूर्व पुरुषों-द्वारा छोड़े हुए कामों को करना अपने उच्च वंश की मान-हानि समझते हैं। अपने हाथ से काम करना कितना बुरा समझते हैं, इसकी एक मजेदार कहानी है। सुनो, एक दफा मैं अपने एक सूत-केन्द्र में गया हुआ था। इस गाँव में सब क्षत्रिय रहते थे। आश्रम के असर से सब गाँव में चरखा चलने लगा था और उनके घरों का पर्दा भी हट गया था। गाँव के लोग हमारे सिद्धान्त की ओर काफी बढ़े हुए थे। गाँव की औरतों को जब मालूम हुआ कि मैं वहाँ आया हूँ तो वे सब अपना-अपना सूत लेकर मुझको दिखाने के लिए आईं। इस गाँव में हम लोग एक चर्खा स्कूल चलाते थे जिसमें प्रति दिन एक घंटा ग्रामीण समस्याओं पर बौद्धिक क्लास लिया करते थे। मैंने उन बहिनों का सूत तो देखा मगर उनसे कहा— “बहिनो, इस बार मैं सूत देखने नहीं आया। इस बार मैं यह देखना चाहता हूँ कि तुम लोग अपने घर और अपने बच्चों को कितना साफ रखती हो। मैं तुम्हारे घर-घर जाकर देखना चाहता हूँ।” इससे वे बहुत खुश हुईं और मुझको देखने के लिए निमंत्रण दे गईं। उस दिन शाम हो गई थी इसलिए दूसरे दिन मैं खूब सुबह उठ कर उन लोगों का घर देखने गया। प्रत्येक घर के प्रत्येक हिस्से को देखने में

दो दिन पूरे लग गये। सफाई तो उनके घर की अच्छी ही थी और शायद मेरी वजह से खास तौर से कर रखी थी। लेकिन एक बात से मुझको बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने देखा कि ये लोग चाहे जितने गरीब हों आटा के लिए औरतें चक्की नहीं चलातीं। पूछने पर मालूम हुआ कि इनके परिवार में चक्की की शपथ है।

इस तरह के बहुत से ऐसे काम हैं जिसके लिए इनकी विरादरी या परिवार में शपथ है। इनके घर के लोग कलकत्ता और बम्बई जाकर चमड़ा गोदाम के दरवान का काम करेंगे खुराफात की जड़ लेकिन घर पर हल, चक्की तथा चर्खा चलाने से बेकारी इनकी इज्जत और धर्म का नाश हो जाता है। इन सब करतूतों से गाँव के उच्च वंशों के लोग बेकार बैठे-बैठे दिन-रात खुराफात की बातें सोचा करते हैं।

मैंने तुमको एक पत्र में लिखा था कि गाँव के इस श्रेणी के लोगों के प्रति मैं बहुत घृणा की भावना रखता था और रखीवा आने पर भी मेरी पूर्व धारणा कुछ-कुछ बनी ही रही। लेकिन चुनाव के बाद जमींदारों के अत्याचार से किसानों को बचाने और उन्हें सहूलियतें पहुँचाने के सिलसिले में कुछ दिनों तक देहाती भगड़ों का काम उठाया तो महसूस करने लगा कि ग्रामीण समस्याओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा और उच्च वर्णों में बेकारी की समस्या एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दखल किये बैठी है और इसको हल किये बिना ग्रामोत्थान की गाड़ी का आगे बढ़ना मुश्किल ही मालूम हुआ। लेकिन तत्काल मुझको इसका हल कुछ नहीं सूझा। हमारे पास चर्खा तो था ही किन्तु वह तो स्त्रियों के लिए था। पुरुषों को समय का उपयोग करने के लिए हम कोई कार्यक्रम नहीं दे सके। उस समय तो हम तात्कालिक भगड़ों को निवटा कर लोगों में मेल और सद्भावना पैदा करने की कोशिश करते रहे। लेकिन मुख्य प्रश्न पर हम जोरों से विचार करते रहे। तुमको मालूम है कि मैं जब किसी समस्या को

जटिल पाता हूँ तो तब तक दिन-रात दिमाग उसी में लगा रहता है और मैं निश्चिन्त नहीं हो पाता। उन दिनों हमारी यही हालत थी। कुछ नौजवानों को बुनाई और लकड़ी का काम सिखाने लगे। लेकिन इससे पूरा सन्तोष नहीं मिलता था।

चिट्ठी आरंभ करते समय मैंने जल्दी खतम करने की सोची थी। लेकिन संचेप में लिखते-लिखते भी पत्र बहुत लम्बा हो गया है। इसके पढ़ने में समय तो लगेगा लेकिन ग्राम-सेवक की इन परम जटिल समस्याओं के सुलभाने की कठिनाइयों को तुम ठीक-ठीक समझ सकोगी। यह इतनी भारी समस्या है कि अगर और दो-चार दिन लिखता रहूँ तो कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन फिलहाल मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जेल से निकल कर जब कभी मिलूँगा तब इस पर और अधिक बातें हो सकेंगी।

[३६]

पंचायत का संघटन

२५—१०—४१

अगस्त सन् १९३७ में कांग्रेस के लोगों ने मंत्रिपद स्वीकार किया। जिससे शुरू-शुरू में पुलिस और जमींदार के आदमी कुछ घबड़ाये हुए थे। इसलिए जमींदारों की ओर से किसानों पर अत्याचार कुछ कम हो गया। हमारा काम भी कुछ हल्का सा हो गया। लेकिन दूसरी तरफ से काम बढ़ भी गया। गांव के आपसी झगड़े अब अधिक संख्या में हमारे पास आने लगे क्योंकि ग्रामीण जनता अब कांग्रेसी लोगों को विशेष अपनेपन की निगाह से देखने लगी। उस दिशा में काम इतना अधिक बढ़ गया कि वह हमारी

शक्ति से बाहर हो गया। अतः हमें इस काम को ठीक-ठीक ढङ्ग से व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ गई। शुरू में अपना कार्यक्षेत्र करीब दो सौ गांवों में परिमित कर दिया। फिर देहातों में स्थानीय पंचायतों का संघटन करना शुरू किया। पहले पहल हमने उन गांवों में पंचायत कायम की जिनमें आपस के झगड़े नहीं थे। ये पंचायतें लोगों की राय से कायम हुईं। फिर धीरे-धीरे सभी गांवों में झगड़े फैसला करने के लिए किसी न किसी रूप में पंचायत बन गई। पंचायतों के बनते से हम लोगों के काम में थोड़ी आसानी जरूर हुई क्योंकि अब हमारे पास किसी किस्म का मामला आने पर हम लोग उसे सरपंच के पास भेज देते थे। और जहां तक सम्भव होता था स्थानीय पंचायतों में ही मामला तय करने की कोशिश करते थे। पंचायत को खुद भी अपने ऊपर भरोसा नहीं था। यह स्वाभाविक भी था। सदियों से गांवों में पंचायतों का रिवाज टूट गया इसलिए व्यवस्था करने की आदत और योग्यता लोगों में नहीं रह गई और न जनता में ही बिना कानून व पुलिस के दवाव के किसी को मानने की आदत रह गई। गांवों में पंचायत का किसी प्रकार का संस्कार भी नहीं रह गया। सरकारी पंचायतों का, जो गांवों में कायम थीं, विवरण तो मैं तुमको लिख ही चुका हूँ। उनकी मार्फत ग्रामीण समाज का कुछ भला करने की चेष्टा का मतलब भक्तक द्वारा रक्षा का प्रबन्ध करना था। अगर देहात में वाकई पंचायती व्यवस्था को लाना है तो रचनात्मक कार्यक्रम की मार्फत कुछ ऐसे लोगों को पैदा करना पड़ेगा जिनको लोग श्रद्धापूर्वक मानें। आज एकाएक सही पंचायत का संघटन करना एक तरह से असम्भव ही है। तुमको याद होगा कि किसी पत्र में मैंने लिखा था कि प्रत्येक गांव में एक दो आदमी ऐसे हैं जो पुलिस और जर्मींदार के आदमी हैं। अधिकारी और पैसा साथ होने के कारण वे गांव वालों को सताते और लूटते हैं। साम्राज्यशाही के शोषण और भ्रष्टाचार की असली जड़ यही लोग हैं। गांव के सब लोग इनके

खिलाफ रहते हैं और इनसे डरते हैं। फिर भी अगर किसी गाँव में चुनने लिए जाओ तो लोगों को इनके अलावा दूसरों को चुनने की हिम्मत नहीं पड़ती है। और गाँव वालों के खिलाफ होते हुए भी यहाँ लोग पंच बन बैठते हैं। इसलिए हम लोगों को काफी मेहनत और सावधानी से पंचायत बनानी पड़ी। कहीं-कहीं तो परिस्थिति के कारण ऐसे ही खुराफाती लोगों को सरपंच रखना पड़ा। क्योंकि उनको अगर हम बाहर रखते तो और अधिक नुकसान पहुँचाते। इस तरह की पंचायतों के लिए यह जरूरी हो जाता था कि हम कड़ी निगाह रखते। प्रत्येक ग्राम-सेवक को पंचायत बनाने समय इस खास पहलू को सामने रखना जरूरी है। कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि साधारण लोगों में से ही पंच बनें और उनकी संघटित ताकत गाँव के पुराने अत्याचारी लोगों को दबा सके और धीरे-धीरे उनका दबदबा कम हो जाय।

पंचायतों को संघटन करते समय इधर के देहात की परिस्थिति का एक महत्वपूर्ण पहलू देखने को मिला। प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में कुछ ही लोग होते हैं जो विशेष बुद्धिमान् और मौलिक तथा रचनात्मक योग्यता के होते हैं। ऐसे लोग स्थानीय आवादी के स्वाभाविक नेता होते हैं और बाकी इनके पीछे चलते हैं। आज हमारे देहात की हालत इस तरह चौपट हो गई है कि इस किस्म का नेतृत्व करने लायक आदमियों के लिए बुद्धि और योग्यता चलाने का साधन नहीं रह गया है। पुस्तैनी तरीके से खेती करने के सिवाय कोई उद्योग, जिसमें मौलिक बुद्धि की जरूरत पड़ती हो, गाँव में नहीं रह गया। इसलिए गाँव की वह आवादी जो संसार में कुछ कर सकती है, गाँव से बाहर कलकत्ता, बम्बई आदि औद्योगिक केन्द्रों में चली जाती है क्योंकि उन्हीं स्थानों में उनकी बुद्धि और योग्यता के ग्राहक मिलते हैं। नतीजा यह होता है कि गाँव में किसी प्रकार की व्यवस्था या आन्दोलन करना चाहें तो सही नेतृत्व के अभाव से असफल होता रहता है।

देहात में बुद्धि का उपयोग करने के लिए केवल एक ही महकमा है जिसे साम्राज्यवादी और ताल्लुकदारि नीति की दलाली कह सकते हैं। भला इनके नेतृत्व में तुम अपना कौन-सा आन्दोलन चला सकोगी ? बल्कि यदि कहीं कुछ कर भी लोगी तो ये उसे नष्ट-भ्रष्ट करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे देश की हर श्रेणी के लोग ग्राम-आन्दोलन की बात करते हैं। पर वह आन्दोलन आर्थिक हो या सामाजिक अथवा राजनैतिक, वह तभी चल सकेगा जब स्थानीय स्वाभाविक नेता-द्वारा संचालित हो। बाहर के साधन से यह काम चल नहीं सकता है। इसलिए ग्राम-सेवक के लिए यह आवश्यक है कि कोई ऐसा कार्यक्रम ढूँढ़ निकाले जिसमें गाँव के कुशल, बुद्धिमान और योग्य व्यक्तियों को अपनी योग्यता तथा बुद्धि के विकास की सुविधा हो और वे गाँव में ही रुक जायँ।

मैं जब गाँव की आर्थिक कठिनाई के साथ-साथ बौद्धिक हीनता को देखता था तो कभी-कभी निराश-सा हो जाता था लेकिन निराश होने से काम कहाँ बनता है ? इसलिए हम लोग अपने कार्यक्रम में लगे रहते हुए भी इस समस्या के समाधान की खोज में रहे। पंचायत की स्थापना, उसके द्वारा गाँव के ऋग्ड़ों का निव-गाँव में ही नेता टारा करवाना और कुछ रचनात्मक कार्य में पैदा करने होंगे दिलचस्पी पैदा करना इस ओर एक कदम था।

इससे ग्रामवासियों की बुद्धि का विकास कुछ जरूर होता है। लेकिन खास लियाकत रखने वाले ग्राम के लोगों को गाँव में तभी रोक सकेंगे जब उनकी बुद्धि के अनुगत से आर्थिक आमदनी का कोई उपाय ढूँढ़ निकालेंगे। साथ साथ गाँवों में ऐसे कार्य की स्थापना हो सकेगी जिसे करने में ग्रामवासियों के अनुभव में विचित्रता होगी और उनकी मौलिक चिन्तना को अवसर मिलेगा।

बुनियादी तालीम की व्याख्या में पूना में तुमने इस बात का जिक्र किया था कि बच्चों में नेतृत्व की योग्यता पैदा करना है। यह

ठीक है, लेकिन सामूहिक रूप में वृत्तों का आन्दोलन चलाने वाला भी तो गाँव में होना चाहिये। मेरा तो अनुभव यह है, कि वे गाँव में होते हैं। हमारा काम उन्हें खोज निकालना है और उन्हें अपने स्थान पर कायम रखना है।*

आज कल बाहर से जो लोग यहाँ मिलने आते हैं वे नजरबन्दों के छूटने की गन्ध छोड़ जाते हैं। इसलिए यहाँ हलचल खूब रहती है। जहाँ देखो, वहीं छूटने की बात चलती है। लोग इस तरह व्याकुल हैं मानों इतने दिन में एक दम परीशान हो गये। मेरी समझ में नहीं आता कि इस किस्म की फौज लेकर वापू जी किस अलौकिक क्रान्ति का स्वप्न देख रहे हैं। खैर, देखना है, क्या होता है? अपने-राम तो मस्त हैं। बाहर भी चरखा था, भीतर भी चरखा है। फरक ही क्या? तुम लोग आज-कल क्या करती हो? तालीमी संध की प्रगति का क्या हाल है? कभी-कभी तो पत्र लिखती रहो। नमस्कार।

[४०]

स्वाभाविक नेतृत्व के विकास की चेष्टा

५—११—४१

कई दिन हुए, मैं पत्र न लिख सका। इधर मौसम बदलने के कारण, कई रोज से खांसी, जुकाम, बुखार हो गया था। अब ठीक है।

आजकल जेल में खूब हलचल मची हुई है। छूटने की खबर जबसे आने लगी है तब से लोगों के दिमाग में खलबली पड़ गई है। आज तो और भी तूफान है। क्योंकि आज छः-सात व्यक्ति बिना शर्त छोड़ दिये गये। लोग यह उम्मीद लगाये बैठे हैं कि १२ तारीख को

*सन् १९४५ में जेल छूटते ही मैंने इसका प्रयोग शुरू कर दिया। आश्रम को बनारस के पास सेवापुरी में भेज दिया। रणीवां के नव-जवानों को वहाँ के काम की जिम्मेदारी देकर चलाने का प्रयोग करता रहा। अब उन्होंने अपने क्षेत्र का काम सम्हाल लिया है, ऐसा दीखता है।

केन्द्रीय असेम्बली में राजवन्दियों की मुक्ति का प्रस्ताव पेश होते ही सरकार सब को छोड़ देगी। क्योंकि अगर ऐसा न करेगी तो वह 'अग्ने' वगैरह की पोजीशन कैसे बचायेगी। इसलिए जिन लोगों ने जेल में नियमित कार्यक्रम बना लिया था, उनका भी सब कुछ अपले में पड़ गया है। सभी लोग आपस में बैठ कर इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि छूट कर अपने स्थान तक किस प्रकार जायँगे; कोई कहता है कि मैं आगरा का ताज देख कर जाऊँगा; कोई एकदम घर पहुँच कर घर वालों को अचम्भे में डालना चाहता है। हमारी वैरिफ में मिर्फ मुझे और एक आदमी को छोड़ कर बाकी सब कानपुर-वासी रहते हैं। वे तार देकर धूम से अपना स्वागत कराने की स्कीम बना रहे हैं। इस प्रकार सभी लोग कुछ न कुछ घर पहुँचने की योजना सोच रहे हैं। मैं ही एक अभागा हूँ कि घर जाने की कोई स्कीम नहीं बना रहा हूँ। लेकिन मुझको भी सन्तोष है कि अगर जल्दी छूटूँगा तो तुम लोगों से मुलाकात हो जायगी। फिर जेल के और अनुभव की बात-चीत हो सकेगी। अब अपने मुख्य विषय पर ही कुछ लिखूँ तो ठीक होगा।

कांग्रेस के मंत्रिपद ग्रहण करने से सरकार का रूख ग्राम-संघटन की ओर अधिक होना स्वाभाविक ही था। मैंने भी सोचा कि यह अवसर है, जिस समय मैं आठ-नौ साल से सोची हुई योजनाओं का प्रत्यक्ष प्रयोग कर सकूँगा। जिस केंद्रीय आश्रम की कल्पना करके सन् १९२६ में मेरठ जिले के रास्ना गाँव में काम खोला गया था और जिसका विस्तृत रूप सोचकर इस जंगल में कुटिया बनाना शुरू किया था उस को साकार करना अब सम्भव-सा मालूम होने लगा। पिछले तीन साल तक ग्राम सेवा-कार्यों का प्रयोग करते रहने से पहिले से और भी अधिक निश्चित योजनाओं की रूपरेखा मेरे मस्तिष्क में आने लगी थी। पिछले दिनों, जब हम लोग विस्तृत क्षेत्र में गाँववालों के आपसी झगड़ों का फैसला करते रहे, उस वक्त हमने देख लिया था कि देहात

में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि कहे जाने वाले लोगों की बेकारी ही अधिक-तर झगड़ों की जड़ है।

पंचायत के संघटन के मिलसिले में हमने देखा था कि गाँव के जितने कुशल, योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे सब गाँव में अपने लायक काम न होने की वजह से गाँव छोड़ कर बाहर चले जाते हैं। इस-लिए हमारे सारे देहात में स्वाभाविक नेतृत्व का अकाल पड़ गया है।

और यह तो सर्व-विदित है कि इस नेतृत्व के अभाव स्वाभाविक नेतृत्व में गाँव का कोई भी आन्दोलन ग्रामवासियों-

का अकाल द्वारा स्वयं चलाना असम्भव हो जाता है। तुम तो अच्छी तरह समझती हो कि लोग बाहर-बाहर से जाकर व्यापक रूप से ग्राम-आन्दोलन नहीं चला सकते। इसलिए हमारे सामने दो समस्याएँ बहुत महत्व-पूर्ण हैं। प्रथम मध्यम वर्ग की बेकारी, दूसरे स्थानीय नेतृत्व का विकास। इन दोनों समस्याओं को हल करने के लिए एक ही तरीका सूझता था। वह था ग्रामोद्योग का प्रसार। ग्रामोद्योग में कुशल और योग्य नौजवानों के लिए बुद्धि-विकास करने का बहुत बड़ा क्षेत्र है। हमने सोचा, अगर पढ़े-लिखे और अच्छी भावना वाले नौजवानों को अपने यहां किसी न किसी ग्रामोद्योग का काम सिखाकर उनके घर पर उद्योग-केन्द्र खुलवा दें तो गाँव की मध्यम श्रेणी की बेकारी की समस्या हल हो जायगी। और इसके जरिये गाँव की बुद्धिजीवी श्रेणी को गाँव में ही रोककर ग्राम-आन्दोलन के लिए स्वाभाविक नेतृत्व का विकास किया जा सकेगा। उससे गाँव के आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक संगठन का काम सहूलियत से हो सकेगा। यह सोचकर मैंने एक योजना बनाकर कांग्रेसी

सरकार के सामने पेश की। योजना की रूप-रेखा

एक योजना मैंने निम्नलिखित ढंग की बनाई थी। गाँव के बीच

आश्रम में एक ग्रामोद्योग विद्यालय की स्थापना

करना जिसमें देहात के पढ़े-लिखे नौजवानों को नीचे लिखी दस्त-

कारियों की व्यावहारिक और व्यापारिक शिक्षा दी जाय। और साथ ही साथ ग्राम-आन्दोलन का सैद्धान्तिक परिचय कराकर ग्राम-सेवा की भावना पैदा की जाय :

१ कताई और बुनाई। २ कागज बनाना। ३ गांव के साधनों से साबुन बनाना। ४ लकड़ी और लोहे का काम। ५ चमड़ा पकाना, सरस बनाना, मरे हुए जानवरों की हड्डी और मांस से खाद बनाना। ६ बांस-वैत आदि गांव के साधनों से किस्म किस्म के सामान बनाना।

७—चर्म कला (चमड़े का सामान बनाना)

मैंने अपनी कल्पना के मुताबिक यह समझा कि अगर दो साल हम आश्रम जीवन के साथ-साथ ऊपर लिखी हुई कलाओं की शिक्षा दे सकेंगे तो हम उनको पूरा-पूरा ग्राम-सेवक बना सकेंगे। योजना में मैंने यह भी लिखा कि विद्यार्थियों की ठीक-ठीक व्यापारिक शिक्षा देने के लिए यह जरूरी है कि आश्रम में प्रत्येक उद्योग के लिए एक कार-खाना रखा जाय जिसमें ये चीजें बनें और विकें।

जो विद्यार्थी विद्यालय में सीख लेंगे उनको घर पर काम शुरू करने के लिए सरकार से कुछ सहायता देने की भी मैंने प्रार्थना की। मेरी समझ में ग्रामोत्थान-कार्य का सबसे उत्तम जरिया इसी किस्म के ग्रामोद्योग-केन्द्र स्थापित करके उसी केन्द्र को हर प्रकार के कार्य-क्रम का मध्य बिन्दु बनाना है। मुझको अभी भी विश्वास है कि जब विद्यालय के सीखे हुए नौजवान स्वतन्त्र-रूप से घर बैठे उद्योग चलाकर आमदनी करने लगेंगे तो हमारे सिद्धान्त के मुताबिक ग्राम-सेवा के काम में भी उनको उत्साह और दिलचस्पी रहेगी। केन्द्रीय आश्रम को उनके माल की खपत की व्यवस्था करनी होगी और ग्रामोत्थान-कार्य का मार्ग-प्रदर्शन करना होगा। इस प्रकार योजना बनाकर खर्च के लिए मैंने प्रार्थना-पत्र सरकार के पास भेज दिया।

ठीक इन्हीं दिनों सरकारी महकमों के लिए कांग्रेस मंत्रिमंडल के निर्देशानुसार ग्रामोद्योग-कार्य कैसे चलाया जाय, इसका विचार वे

लोग कर रहे थे । और उसके लिए कार्यकर्त्ता तैयार करने के लिए शिक्षा-केन्द्र खोलने की भी सोच रहे थे । लेकिन ग्रामीण वायुमण्डल में इस किस्म की शिक्षा देने का क्या जारिया होगा, यह उनकी समझ में नहीं आ रहा था । उनके सामने हमारी इस योजना ने अन्धे की लकड़ी-जैसा काम किया । हमको बुलाकर इस विषय पर उन्होंने हमसे विशेष रूप से विचार-विनिमय किया । इसके बाद संयुक्तप्रान्तीय सरकार ने अपने महकमों के लिए कार्य-कर्त्ता शिक्षण की जरूरत को पूरा करते हुए हमारी योजना में कुछ हेर-फेर करके ग्रामोद्योग विद्यालय खोलने का आवश्यक धन मंजूर कर दिया । उन्होंने अपनी योजना में ७५ विद्यार्थियों के खाने का खर्च भी मंजूर किया ।

सालों से सोची हुई कल्पना को व्यावहारिक रूप दे सकने की सम्भावना से मुझे बेहद खुशी हुई । हमारे साथी लोग भी अत्यधिक उत्साहित हो गये । और हम लोग चारों ओर से अपनी शक्ति बटोर कर विद्यालय को ठीक ढंग से स्थापित करने में लग गये । विद्यालय का उद्घाटन १८ नवम्बर सन् १९३८ को हो गया ।

मैंने दो साल की शिक्षा की कल्पना की थी । शिक्षा का उद्देश्य था देहातों में ग्रामोद्योग की स्थापना करके ग्राम-संघटन का गढ़ कायम करना । लेकिन शुरू में हम इस ओर कदम नहीं उठा सके । प्रान्तीय सरकार को जल्दी से विभिन्न जिलों के देहात में उद्योग-धन्धा बढ़ाना था इसलिए शुरू में उन्होंने अपने लिए कार्य-कर्त्ता तैयार कर देने के माँग की और प्रान्त भर से नौजवानों को शिक्षा के लिए हमारे यहाँ भेजा । इस प्रकार पहिले दो साल सरकारी महकमों के लिए कार्य-कर्त्ता भेजने में हमारी शक्ति लग गई । साथ ही साथ हमें आश्रम के लिए भी खादी-सेवक तैयार करके देना पड़ा । इस तरह हमें दो साल तक 'वस्त्र-स्वावलम्बन' और 'ग्राम-संघटन' के काम को गौण रखतेहुए विशेष रूप से उद्योग-विद्यालय का ही संघटन करना पड़ा । ग्राम-सेवा और ग्रामोत्थान की दिशा में स्थायी कार्यक्रम की ओर हमारा यह

पहिला कदम रहा ।

आज वहीं पर अपनी कहानी खत्म करके तुमसे विदा ले रहा हूँ छूटने वाले जा रहे हैं । उनको विदा भी करना है । वहाँ के सब भिन्नों से मेरा नमस्कार कहना ।

[४१]

बेकारी और चर्खा

६—११—४१

पिछले पत्र में मैंने ग्रामोद्योग विद्यालय शुरू करने की याचत लिखा था । उसको कायम करने में हमारी सारी शक्ति लगने के कारण चर्खे के काम में बिल्कुल ढिलाई आ गई थी । चर्खा के काम में ढिलाई का आरम्भ तो उसी समय हो गया था जब चुनाव के बाद गांव वालों पर जो खास तकलीफें आईं उन्हें दूर करने और उनकी समस्याओं को सुलझाने में हमें लग जाना पड़ा । धीरे-धीरे चर्खे की गति मन्द होती गई । विद्यालय का काम जब थोड़ा-बहुत ढर्रे पर आ गया तो हमने फिर से अपना ध्यान चर्खा-कार्य बढ़ाने की तरफ लगाया । इस काम के लिए हम देहात में चर्खा-विद्यालय खोलने लगे । यह विद्यालय एक गाँव में दो महीनों के लिए होता था और जब उस गाँव के लोग सीख जाते थे तब हम दूसरे गाँव चले जाते थे ।

पिछले एक पत्र में मैंने लिखा था कि देहात के तमाम ऋग्णों का कारण उच्च श्रेणी के लोगों की बेकारी है । हमें इस बात की चिन्ता थी कि उनकी बेकारी दूर करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाय । गाँव की भयंकर बेकारी की याचत कौन नहीं जानता ।

हिन्दुस्तान की आर्थिक समस्याओं की वास्तव लिखते और बोलते समय, गांव की बेकारी की लोग चर्चा करते हैं। सभी अर्थ-शास्त्री भारत के गांव वालों की बेकारी का हिसाब लगाते गाँवों की बेकारी समय प्रायः खेती के मौसम का हिसाब जोड़कर आंकड़े बना दिया करते हैं। इस तरह प्रत्येक अर्थ-शास्त्री कुछ न कुछ अंक हमको बताते रहते हैं। उनमें परस्पर थोड़ा-बहुत फर्क जरूर रहता है लेकिन मूल में करीब-करीब सभी लोगों के अंक बराबर रहते हैं। कहीं खेत में एक फसल होती है, कहीं दो और किसी-किसी प्रदेश में तीन-तीन फसल तक हो जाती है। इसी के हिसाब से हमको बताया जाता है कि हिन्दुस्तान में देहात के लोगों की बेकारी कहीं वर्ष में ६ महीना, कहीं ६ महीना और कहीं तीन महीना है। हम लोग आम तौर से इस बेकारी की दलील देकर लोगों को समझाना चाहते हैं कि चर्खा ही देहात की बेकारी का समाधान है। और इसकी पुष्टि में चर्खा-संघ के अंक के जरिये यह बताते हैं कि हम कम से कम तीन साढ़े तीन लाख बेकारों को काम में लगा रहे हैं। बेकारी की वास्तव ये अंक और चर्खे-द्वारा उसके समाधान की वास्तव हमारी दलील इतनी सहज हो गई है कि इस विषय में और विचार करना हम जरूरी नहीं महसूस करते पर अगर हम इसका थोड़ा-सा विश्लेषण करें कि कहां तक यह वास्तव परिस्थिति से मेल खाती है तो हम यह देखेंगे कि इस प्रश्न पर अधिक विचार करने की आवश्यकता है। सारे हिन्दुस्तान की वास्तव तो मैंने अध्ययन नहीं किया लेकिन जितने छोटे दायरे के देहात में मैंने देखा है, उसी के आधार पर आलोचना करने की कोशिश करूँगा।

आम तौर से बेकारी का जो अनुपात बताया जाता है वह काफी भयंकर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वास्तविक परिस्थिति इससे भी अधिक भयंकर है। आवादी का एक बहुत बड़ा भाग अपने को भलमनई कहता है और खेत में मेहनत नहीं करता। उनके लिए

तो साल में बारहो महीना बेकारी ही रहती है। इनके अलावा जिस श्रेणी के लोग काम करते भी हैं उनके लिए भी केवल खेती के मौसम के लिहाज से बेकारी का औसत लगाने से ठीक नहीं पड़ेगा।

तुम्हें मालूम है कि दिन प्रति दिन देहात की आवादी बढ़ती जा रही है और खेत दिन बदिन छोटे-छोटे हिस्सों में बँटते चले जा रहे हैं। नतीजा यह हुआ है कि प्रत्येक परिवार के लिए इतना खेत नहीं रह गया है कि वे सब के सब उस खेत में काम पा सकें। इस प्रकार प्रत्येक परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम १२ महीने की बेकारी की लिस्ट में दर्ज किया जा सकता है। ऐसे तो देखने में बेकार नहीं मालूम होते क्योंकि जिस परिवार में पांच समर्थ आदमी हैं और उसके पास इतना ही खेत है कि तीन ही आदमी के काम करने के लिए काफी है तो भी पाँचों उसमें लगे ही रहते हैं। इसकी सत्यता देखने के लिए यदि तुम उनमें से किसी को अपने यहां नौकरी दे दो तो देखोगी कि परिवार के बाकी लोग खेती का काम खूब आत्तानी से पूरा कर लेते हैं। वैसे यदि तुम इस परिवार में जाकर पूछोगी तो पाँचों आदमी कहेंगे कि उनके पास इतना काम है, कि उन्हें विल्कुल फुरसत नहीं है। मैंने जहां तक देखा है यदि इन दो किस्म के मनुष्यों की बेकारी जोड़ी जाय तो देहात के वालिग पुरुष की आवादी का कम से कम $\frac{2}{3}$ हिस्सा सम्पूर्ण बेकारी में चला जायगा। बेकारी का जो अंक ग्राम और कहा या लिखा जाता है उसके साथ यदि इस बेकारी का अंक भी जोड़ दिया जाय तो परिस्थिति कल्पनातीत उग्र हो जाती है। अब चलो, हम लोग चर्खा-द्वारा इस बेकारी को हल करने की वावत जो कहा करते हैं उसे भी जरा नजदीक से देखें। हम जब बेकारी की बात करते हैं। तब सामने चरखे के समाधान किसानों की ही बेकारी रहती है। लेकिन जब हम पर विचार समस्या की बात करते हैं तो वह केवल पुरुषों की ही समस्या होती है। जब हम चर्खे से समाधान

करने के लिए निकलते हैं तो जिन वेकारों की हम बात करते हैं उन्हें छूते तक नहीं और हमारे तीन लाख कातने वालों में ऊपर बताये हुए वेकारों में एक फीसदी भी नहीं होते। चर्खा तो केवल स्त्रियां चलाती हैं। और अगर तुम गहराई से देखो तो वे उतना वेकार नहीं रहती हैं। इसी सिलसिले में मुझे एक घटना याद आ गई। १९३१ में मैं गिरधारी भाई के साथ दक्षिण भारत में खादी का आर्डर लेने के लिए निकला था। हमारे पास हर प्रकार के नमूने थे। उसमें ऊनी कपड़े का भी नमूना था। त्रिचनापल्ली भण्डार के व्यवस्थापक को जब गिरधारी भाई ने ऊनी कपड़े का सेट दिखलाना आरम्भ किया तो वे बहुत जोर से हँस पड़े। और कहने लगे मुझे यह क्यों दिखा रहे हैं? हमारे यहां तो सर्दी का मौसम होता ही नहीं। यहां तो केवल तीन मौसम हुआ करते हैं गर्मी, अधिक गर्मी, अत्यधिक गर्मी। इसी प्रकार हमारे देहात की किसान-स्त्रियों के लिए वेकारी का मौसम तो होता ही नहीं। उनके लिए तो सिर्फ दो मौसम होते हैं। एक कम भीड़ का, और दूसरा अधिक भीड़ का। अतः चर्खे के द्वारा हम देहाती जनता के लिए बहुत बड़ी आर्थिक समस्या का हल जरूर करते हैं। लेकिन गांव के सहायक धन्धे के रूप में उनकी वेकारी दूर नहीं करते अतः अगर हम चर्खे को सच्चे प्रकार का सहायक धन्धा बनाना चाहते हैं तो हमको पुरुषों से भी चर्खा चलवाना होगा। इससे सिर्फ आर्थिक लाभ होगा, यह बात नहीं बल्कि गांव के खाली आदमियों के धन्धे में लगे रहने के कारण गांव के सारे खुराफात खतम हो जायेंगे और समाज में एक शान्तिपूर्ण व्यवस्था कायम होगी।

हम लोग गांव में जब चर्खा स्कूल चलाते थे, तो इस बात की कोशिश करते थे कि गांव के खाली नौजवान भी चर्खा सीखें और उसे चलावें। इसमें ज्यादा सफल नहीं हो सके। ग्रामीण वेकारी को हल करने के लिए पुरुषों का चर्खा चलाना नितान्त आवश्यक है, इस बात पर उतना महत्व उस समय नहीं देते थे जितना आज देते हैं।

इसलिए जब गांव के नौजवानों ने हमारे स्कूल में कातना सीख कर काम को जारी नहीं रखा तो उस ओर हम लोगों ने विशेष रूप से परिश्रम नहीं किया और ग्रामोद्योग की मार्फत ही हम इस समस्या को हल करने का विचार करते रहे। बाद को जब हम

चर्खे की

उपयोगिता

इस समस्या पर अधिक गहराई से विचार करने लगे तो मुझको ऐसा लगा कि हम चाहे जितना ग्रामोद्योग का काम फैलायें वह आज गांव की वर्तमान परिस्थिति में विशेष लाभ-प्रद नहीं होगा। बल्कि खाली बक्त के लिए चर्खा ही उपयोगी हो सकता है। मैं समझता हूँ कि चर्खा संघ को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैं जब अपने साथी खादी कार्यकर्त्ताओं से इस विषय में बातचीत करता हूँ तो वे कहते हैं कि इसकी मजदूरी पुरुषों को आकर्षित करने लायक नहीं है। मैंने देखा है कि गांव के पुरुष कभी-कभी खाली बैठे रस्सी बटने-जैसे बहुत से काम करते हैं जिसकी मजदूरी चर्खे से ज्यादा नहीं पड़ती है। इसलिए पुरुषों का चर्खा न चलाने का कारण थोड़ी मजदूरी नहीं है। बल्कि परम्परा से चर्खा चलाना स्त्रियों का काम होने के कारण पुरुषों में यह संस्कार बैठ गया है कि यह स्त्रियों का ही काम है, पुरुषों का नहीं और तुमको मालूम है कि लोग संस्कार के विरुद्ध जल्दी कोई काम नहीं करना चाहते। इसलिए वे इस काम को उठाते नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोशिश करने से पुरुष भी चर्खे को अपना लेंगे। वस्तुतः हम लोगों ने अब तक इस ओर गम्भीरता के साथ कोशिश नहीं की। रहा संस्कार का सवाल, वह तो थोड़े दिनों में खतम हो सकता है। जब हम लोग शुरू में कत्तिनों को धुनाई सिखाना चाहते थे तो धुनाई और ताँत छूने में कत्तिनों का तीव्र विरोध था। परन्तु हम उस काम को लाजिमी समझते थे। इसीलिए हमने किसी न किसी रूप में उनके विरोध को खतम कर के उनमें धुनाई का रिवाज डाल ही दिया। इस तरह अगर हम ऊपर बताई हुई बातों का गम्भीरतापूर्वक विचार करके यह निश्चय कर लें

कि पुरुषों से चर्खा चलवाना ही है तो उनके दिमाग का परम्परागत संस्कार हमारे कार्य में बहुत ज्यादा अड़चन नहीं डालेगा। जेल में फुरसत पाकर इस विषय में मैं जितना भी विचार करता हूँ उतना ही मेरा विश्वास इस पर दृढ़ होता जा रहा है।*

हाँ, मैं चर्खा स्कूल की बात कर रहा था। बीच में प्रसङ्ग-वश साधारण वेकारी की बात छिड़ गई और मैं बहक कर काफी दूर चला गया। लेकिन यह भी हमारे गाँव की समस्याओं में से एक बड़ी समस्या है। इसलिए इतना बहकना भी शायद वेकार न होगा। इस तरह चर्खा विद्यालय खोल कर हम को दो लाभ हुए :

१—काफी देहाती परिवारों के साथ हमारा सम्बन्ध हो गया। और इससे साधारण ग्राम-संघटन कार्य में हमको बहुत मदद मिली।

२—चर्खे की संख्या काफी बढ़ गई और सूत भी काफी तरक्की कर गया।

(गाँव के लोगों में सम्बन्ध बढ़ने से और लोगों में उत्साह पैदा होने से हम लोगों ने जो गाँव की पंचायतें कायम की थीं वे भी जाग्रत होने लगीं) मैं समझता हूँ कि आज मैं काफी लिख गया और मैंने जो कुछ अपने अनुभव की सूचना इस पत्र में लिखी है वह आम ख्याल से परे है। मुमकिन है, मेरा अध्ययन संकीर्ण हो इसलिए तुम इस पर विचार करके अपनी राय जरूर लिखना। मैं स्वस्थ हूँ। आशा है, तुम लोग भी स्वस्थ होंगे। सब को नमस्कार।

[४२]

रात्रि-पाठशालाओं का संघटन

ता० ६—११—४१

तीन दिन कोई पत्र न लिख सका। जेल में आजकल जो हल्ला-

*सन् ४५ से जब गाँधी जी ने समझ वृक्ष कर कातो की बात की और चर्खे की क्रान्तिकारी सदृश समझने लगे तथा चर्खा संघ कताई मंडलों का संगठन करने लगा तो समझ वृक्ष कर कातने वाले अधिकांश पुरुष ही निकले।

गुल्ला चल रहा है वह मैं लिख ही चुका हूँ। अखबार के सम्वाद-दाताओं ने तो अनुमानों की भरमार कर रखी है। सभी का ऐसा ढंग है कि मानों उनकी पहुँच खास वायसराय के दरवार तक है। जेल में भी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि किस सम्वाददाता की पहुँच कहाँ तक है। और उसी हिसाब से छूटने की दावत वे जो कुछ बता रहे हैं उसकी कीमत लगा रहे हैं। इधर बापू जी के वक्तव्य ने लोगों को काफी परीशान कर रखा है। लोग कहते हैं कि राजवन्दियों को सरकार छोड़ रही है, गाँधी जी ख्वाह-मख्वाह क्यों बीच में कूद पड़े। कुछ लोग कहते हैं कि गाँधी जी ने बहुत अच्छा किया। राजवन्दियों को छोड़ कर मुल्क में किसी किस्म की राजनीतिक सहूलियत पैदा किये बिना सरकार कांग्रेस से क्या उम्मीद कर सकती है। लेकिन चूँकि अखबार के सम्वाददाता छूटने की ही खबर को अभी पुष्ट करते जा रहे हैं इसलिए गाँधी जी के वक्तव्य ने लोगों के उत्साह को किसी ढंग से कम नहीं होने दिया। स्वभावतः मैं भी इस गप-शप में शामिल रहता हूँ। इसलिए मेरे कार्यक्रम में भी गड़बड़ी पड़ रही है और पत्र लिखने में भी ढिलाई हो रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी मैं काफी दिनों तक जेल में रहूँगा और ग्राम-सेवा की कहानी सारी लिख सकूँगा।

हाँ, मैंने पिछले पत्र में लिखा था कि हम लोगों ने फिर से चर्खे के प्रचार में ध्यान लगाना शुरू किया। और धीरे-धीरे आस-पास के करीब सभी गाँवों में कुछ-कुछ चर्खे चलवा दिये। चर्खा चलाने के सिलसिले में हमने देखा कि पंचायत-द्वारा हमारे साथ उनका सम्बन्ध स्थापित हो जाने के कारण वे हमारे काम में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। इससे हमें ज्यादा उत्साह मिला। और हम दूसरे रचनात्मक कार्यक्रम को देहात में चालू करने की बात सोचने लगे।

शुरू में जब हम रणीवाँ आये थे तब किस प्रकार रात्रि-पाठशाला द्वारा शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया, वह मैं पहले ही लिख चुका हूँ। उस काम को हम लोगों ने गौण रूप से बराबर जारी रखा

था। इधर जब किसानों से विस्तृत रूप में वनिष्ठता होने लगी तब से शिक्षा के अभाव में उनकी वेवसी की हालत साथ-साथ उद्योग को अधिक महसूस करने लगे। हमने देख और शिक्षा की लिया कि केवल ग्रामोद्योग से देहाती जीवन सुधर आवश्यकता नहीं सकता है; उद्योग और शिक्षा को साथ ही साथ चलाना है। मैं जितना उद्योग और शिक्षा के काम करता जाता हूँ उतना ही मेरा विश्वास इस विषय में दृढ़ होता जाता है। जब मैं सरकारी ग्राम सुधार के महकमा के चार्ज में था तब हमने स्काउट मास्टर्स का एक शिक्षण-शिविर खोला था। एक दिन मैं ग्रामोत्थान कार्य के लिए गाँवों में उनका क्या कर्तव्य होगा, इसकी वास्तव कुछ बातें बता रहा था। बाद को जब मैंने उनको प्रश्न पूछने को कहा तो उनमें से एक भाई ने हमसे पूछा कि ग्रामसुधार के लिए पहले ग्रामोद्योग की आवश्यकता है या शिक्षा की? उनको भली-भाँति समझाने के लिए मैंने उनसे पूछा—“तुम यह बताओ की भात बनाने के लिए पहले चावल की जरूरत पड़ती है या पानी की।” प्रश्न सुनकर लोग हँस पड़े लेकिन मेरा मतलब समझ गये। सचमुच मैं समझता हूँ कि ग्रामसुधार के लिए उद्योग और शिक्षा दोनों साथ-साथ चलने चाहिए। अतः उद्योग विद्यालय की स्थापना के साथ-साथ गाँव की शिक्षा के प्रति हमारा ध्यान आकृष्ट हुआ लेकिन सवाल यह था कि हम शुरू कैसे करें। शिक्षा-प्रसार करने के लिए तो काफी धन की आवश्यकता है। बाहर से धन लाकर एकाध पाठशाला चलाई जा सकती है। लेकिन व्यापक रूप से काम कैसे चले? अतः हम लोगों ने यह काम पंचायतों के द्वारा ही चलाने का निश्चय किया। इससे दो फायदे थे। प्रथम स्कूल की व्यवस्था करने में उनके लिए स्थायी कार्यक्रम हो जाता है। इससे उनमें धीरे-धीरे व्यवस्था-शक्ति बढ़ेगी और ग्रामीण समस्याओं के प्रति दिलचस्पी होगी। कई पुरतों से प्राचीन ग्राम-संस्थाओं के टूट जाने से गाँव वालों में अब

सम्मिलित कार्य करने का संस्कार ही नहीं रह गया। इसलिए हमको पंचायत कायम करने में काफी कठिनाई पड़ती थी। अतः रचनात्मक काम के जरिये हम पंचों में खोये हुए संस्कारों को फिर से स्थापित कर सकेंगे। दूसरा फायदा यह था कि अगर हम शिक्षा का काम स्थानीय साधन और व्यवस्था-द्वारा चला सकें तो गांव में गाँव के साधनों स्वावलम्बी व्यवस्था का सूत्रपात हो जायगा। गाँव से शिक्षा वालों के सामने जब हमने इस प्रस्ताव को पेश किया तो वे सहर्ष इस ओर कदम उठाने के लिए तैयार हो गये लेकिन वे विद्यालय का एकदम से सारा खर्चा सँभालने में असमर्थ थे। हम लोगों ने उनसे वीच का समझौता कर लिया।

गाँव के लोग दिन में स्कूल में नहीं पढ़ सकते। सब लोग या तो मवेशी चराते हैं या घास छीलते हैं या खेती में काम करते हैं। इसलिए गाँव में व्यापक रूप से रात्रि-पाठशाला ही चल सकती है। अतः हम लोगों ने गाँव वालों से निम्न प्रकार का प्रस्ताव किया।

१. गाँव में जो लोग कुछ पढ़े-लिखे हैं और घर में दिन में गृहस्थी का काम करते हैं, वे रात में फुरसत के समय रात्रि-पाठशाला में पढ़ा दें।

२. विद्यार्थियों के पढ़ने का मकान, बैठने का आसन और लालटेन तथा उसके तेल का इन्तजाम पंचायत करे।

३. शिक्षक के कुछ पारितोषिक का इन्तजाम आश्रम कर देगा। शुरू में हम लोगों ने शिक्षक का पारितोषिक २) मासिक रक्खा था फिर शिक्षा विभागसे कुछ सहायता मिल जाने के कारण दो की जगह तीन रुपया कर दिया था। हमने यह सोचा था कि कुछ साल चलाने के बाद पंचायत का संगठन अधिक मजबूत होने पर विद्यालय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भी गाँव के लोग अपने ऊपर ले सकेंगे और आश्रम अपना साधन दूसरे क्षेत्र में विद्यालयों की संख्या बढ़ाने में लगा सकेगा।

इस प्रकार हम आश्रम के चारों तरफ २५ रात्रि-पाठशालाएँ

कायम कर सके। ~~पाठशालाओं~~ के कायम होने से शिक्षा का प्रसार तो होता रहा, साथ साथ लड़कों में संध्या समय का तमाखू पीना, एक दूसरे को गाली देना भी कम होने लगा। गाँव में लड़के आपस में इतनी गन्दी गन्दी गाली देते हैं और वे गालियाँ उन के माँ-बाप किस प्रकार सिखाते हैं, इसका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ। इसलिए गाली देने के कुटेव को सुधारना भी ग्राम-सेवक का एक पाठशालाओं का खास काम है। पढ़ने में फँसे रहने के कारण गाली-प्रभाव गलौज तो हो ही नहीं सकती थी पर उसके अलावा भी हम लोग जब गाँव में जाते थे तो लड़कों से पूछा करते थे कि किसने कितनी गाली दी। शिक्षकों से भी पूछते थे। इस तरह उस ओर विशेष ध्यान देने से कुछ फायदा ही रहा। ग्राम-सेवक अगर अपना प्रोग्राम चलाते हुए इस प्रकार गाली के खिलाफ प्रचार करते रहें तो मेरे खयाल से इस दिशा में काफी सुधार हो सकता है। वैसे पाठशाला का कार्यक्रम इस काम के लिए तो सर्वोत्तम है ही। मैं जब रात को पाठशालाओं में जाता था तो मुझको एक बात जानने की बड़ी उत्सुकता रहती थी। मैं प्रत्येक बच्चे से खूब बातें किया करता था। उनसे पूछता कि वे दिन में क्या काम करते हैं। मुझको मालूम हुआ कि उनमें ६० फीसदी गोरू चराते हैं। जिससे पूछूँ “तू दिन भर काव करते हो रे”। जवाब मिलता है—“गोरू चराइत है।” पूछता हूँ—“कय ठो गोरू?” तो जवाब मिलता है “एक ठो या दुइ ठो।” ताज्जुब होता है एक ठो या दुइ ठो मवेशी चराने के लिए एक एक बच्चा! इस प्रकार बच्चों का समय कितना चौपट होता है, इसका हिसाब कौन रखता है। अगर एक या दो आदमी गाँव भर के मवेशी चराने का काम कर लें तो गाँव के सब बच्चे शिक्षा के लिए खाली हो जायँ। लेकिन इन बातों की व्यवस्था ही टूट गई है। देखने में यह समस्या छोटी है लेकिन राष्ट्र को कुछ करना है तो इस समस्या को महत्व देना ही है। ग्राम

सेवक को पंचायत की मार्फत इसे भी हल करना चाहिए। मैं अभी तक इस दिशा में कुछ कर नहीं सका। लेकिन पंचायत की व्यवस्था कुछ ढंग पर आ जाने पर इस ओर ध्यान देने का विचार है ही। सब बातें तो एक साथ हो भी नहीं सकतीं।

[४३]

प्रौढ़-शिक्षा का प्रयोग

१२—११—४१

उस दिन मैंने रात्रि पाठशाला के जरिये किस प्रकार ग्रामीण-शिक्षा के प्रश्न को हल करने की कोशिश हम करते रहे, इसकी बाबत कुछ प्रकाश डाला था। समय न होने के कारण उस दिन मैं पूरा-पूरा नहीं लिख सका था इसलिए आज फिर उसी विषय पर लिखने बैठा हूँ।

गाँव में पाठशाला खुल जाने से ग्रामीण-जीवन में एक नई जागृति पैदा होने लगी। स्कूल के विद्यार्थी रात्रि को पढ़ते थे; राष्ट्रीय गान सीखते थे और कभी-कभी राष्ट्रीय आन्दोलन की बातें भी करते थे। इससे गाँव में शान्ति और चहल-पहल बनी रहती थी। जो लोग स्कूल में पढ़ते थे। उनमें प्रति दिन एक साथ उठने-बैठने के कारण मित्रता और सद्भावना पैदा होती दिखाई देती थी। इन लोगों ने दिन में भी, फुरसत पाने पर, आपस में तरह-तरह के खेल-कूद भी करना शुरू किया था। इस प्रकार रात्रि पाठशाला खोलने से अक्षर-ज्ञान के अलावा गाँव में कई प्रकार का जीवन बनने लगा।

हमारी रात्रि-पाठशालाओं में दो प्रकार के विभाग थे। एक बच्चों का, दूसरा प्रौढ़ विभाग। बच्चों को तो हम सीधे तरीके का अक्षरज्ञान कराके आगे बढ़ते थे। लेकिन हम लोगों ने देखा कि बच्चों के साथ अगर बड़ी उम्र के लोगों को भी पढ़ाते हैं तो एक तो उसमें बहुत देरी होती है और फिर प्रौढ़ लोग बच्चों के साथ-साथ

चलने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं। इससे हमारे सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई कि हम प्रौढ़ों को किस पद्धति से शिक्षा दें। जब मैं उन दिनों रात्रि-पाठशालाओं में जाता था तो बच्चों और प्रौढ़ों का एक साथ पढ़ना कुछ अस्वाभाविक-सा लगता था। लेकिन न तो मुझको इस विषय का अनुभव ही था और न मैंने कभी इस पर गम्भीर विचार ही किया था। इसलिए तात्कालिक समाधान न मिलने के कारण मैंने उनको उसी तरह चलने दिया और इस विषय पर गम्भीर विचार करने लगा। ठीक इन्हीं दिनों कांग्रेसी सरकार ने शिक्षा-प्रसार-विभाग खोल कर प्रौढ़-शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जोरों से कार्य करना शुरू किया। सरकार ने शिक्षा-विशारदों के परामर्श से कुछ ऐसी पुस्तकें तैयार कराईं जिनसे बड़ी उम्र के लोगों को जल्दी पढ़ाया जा सके। मैंने जैसे ही इस बात को सुना, लखनऊ जाकर शिक्षा-प्रसार आफिसर से मिला और इस योजना की वास्तव आलोचना की। साथ ही विभाग से खर्च का भी कुछ इन्तजाम कर लिया। शिक्षा-प्रसार-आफिसर ने विभाग से विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए किताबें भी मुफ्त में दे दीं। यद्यपि शिक्षा प्रसार की पुस्तकें मुझको बहुत अधिक पसन्द नहीं आईं फिर भी हमारी समस्याएँ किसी न किसी प्रकार हल हो जाने से मैं उस चिन्ता से कुछ मुक्त अवश्य हो गया। बाद को “शान्तिपुर प्रौढ़ शिक्षा-योजना” का कुछ चार्ट और साहित्य देखा। इस योजना के रचयिता श्री मांडे साहब गत बीस वर्षों से प्रौढ़-शिक्षा-पद्धति का प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने यूरोप और अमेरिका के विभिन्न प्रदेशों में घूम कर प्रौढ़-शिक्षा की वास्तव अध्ययन भी किया था। कांग्रेस के पद ग्रहण करने से उनको हर प्रकार की सहूलियत मिली और उन्होंने गोरखपुर में प्रौढ़-शिक्षा के शिक्षकों के लिए विद्यालय खोल दिया। जब मुझको विद्यालय खुलने का समाचार मालूम हुआ तो मैंने आश्रम के भाई धनराजपुरी (जो कि देहात में रात्रि-पाठशालाओं का

प्रौढ़ शिक्षा का

आरम्भ

संघटन कर रहे थे) को गोरखपुर भाण्डे साहव के विद्यालय में शिक्षा पाने के लिए भेज दिया और वे तीन माह में वहाँ की सब पद्धतियों की जानकारी हासिल कर के लौट आये। भाई धनराज ने उसी के साथ स्काउटिंग की शिक्षा ले ली, यह अच्छा ही हुआ। मैंने देखा कि उनकी स्काउटिंग की शिक्षा भी हमारे काम में सहायक होगी। मैंने पहिले एक पत्र में लिखा था कि केवल अक्षर-ज्ञान से ही शिक्षा का काम पूरा हो जाता है, इस पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया। शिक्षा के साथ सफ़ाई और व्यवस्था के साथ रहना, घर और गाँव को साफ़ रखना, सम्मिलित जीवन व्यतीत करना, स्वावलम्बन की वृत्ति रखना और आपस में मेल और सहयोग करना अगर हम नहीं कर सकते हैं तो केवल अक्षर-ज्ञान कर के उनके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं? अतः धनराजपुरी के स्काउटिंग के ज्ञान का हम लोगों ने

फायदा उठाने की कोशिश की। सब से पहिले हम स्काउटिंग का रात्रि पाठशाला के शिक्षकों को ही शिक्षा देने में आरम्भ लग गये। वे रात्रि को पाठशाला में पढ़ाते थे, और दिन को १० बजे से ४ बजे तक आश्रम में आकर प्रौढ़-शिक्षक और स्काउटिंग की शिक्षा लेने लगे। उनको हम भाण्डे साहव की पद्धति के अलावा गाँव की समस्याओं के विषय पर भी शिक्षा देते रहे। स्काउटिंग और देहाती गाना भी सिखाते थे। तीन मास शिक्षा पाने के बाद खेत काटने और ब्रोने का मौसम आ जाने से शिक्षकों को दिन में फुरसत नहीं मिलती थी और हमने भी शिक्षा-केन्द्र बन्द कर दिया। हाँ, मैं एक बात लिखना भूल गया। हमने उनको कातने-धुनने की भी शिक्षा दे दी थी और स्वावलम्बी बनने के लिए सप्ताह में २००० गज सूत कातना भी अनिवार्य कर दिया था।

इस प्रकार रात्रि-पाठशालाओं को हम धीरे-धीरे अधिक संगठित और व्यवस्थित करने लगे और इस केन्द्र की मार्फत गाँव की दूसरी

समस्याओं को हल करने की योजनाएँ बनाने लगे। इस दिशा में सफलता भी मिलने लगी।

जब रात्रि-पाठशाला के शिक्षकों ने प्रौढ़ शिक्षा के तरीकों को समझ लिया तब विविध प्रकार की ग्राम-समस्याओं के अध्ययन से उनका दृष्टिकोण विस्तृत हुआ तथा उनका बौद्धिक विकास भी काफी हुआ। तब वे पाठशालाओं को अधिक योग्यता और उत्साह के साथ चलाने लगे। फिर भी हमारी दृष्टि में उनमें बहुत कुछ कमी रह गई थी। खास कर व्यवस्थित जीवन पालन करने के प्रति उनको हमने वाद में भी उदासीन ही पाया। जब तक शिक्षक खुद इन बातों का पालन नहीं करेगा तब तक वह पाठशाला के विद्यार्थियों को क्या बनायेगा? हम लोग भी तीन महीना की ट्रेनिंग में इस दिशा में उसके अन्दर खास संस्कार पैदा करने में असमर्थ रहे। अतः मैंने यह जरूरी समझा कि शिक्षकों को २४ घंटा अपने शिविर में रख कर कुछ दिन शिक्षा दी जाय।

खेती के काम की भीड़ खतम हो जाने के बाद हम लोग शिक्षण-शिविर खोलने का अच्छा मौका जान कर उस ओर विचार करने लगे। मैंने तुमको पहिले लिखा था कि हमारी ग्राम-सेवा का हर एक

कार्यक्रम ग्रामवासियों को स्वावलम्बी समाज-रचना

स्वावलम्बी की ओर ले जाने का होना चाहिए। इसलिए समाज-रचना मुझको हमेशा चिन्ता रहती थी कि हम जो कुछ का लक्ष्य काम करें उसका रूप ऐसा हो कि वह हमारे ग्राम-

संगठन के आखिरी उद्देश्य में किसी न किसी अंश

में सहायक हो। अगर हम बाहर से कुछ आर्थिक सहूलियतें पैदा भी कर दें या बाहर से संघटन करने के लिए सेवकों को भेजें तो उसका भी ऐसा रूप होना चाहिए कि गाँव के ऊपर यह प्रभाव पड़ता रहे कि हमारी यह मदद अस्थायी है और अन्त में सारी व्यवस्था उनको ही करनी है। इसी दृष्टिकोण को सामने रख कर मैंने शिक्षा-शिविर

किया इसकी वास्तव भविष्य में फिर कभी लिखूँगा। आज समय अधिक हो गया इसलिए पत्र यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।

[४४]

सरकार की सहायता का असर

१६—११—४१

इधर कई दिनों से पत्र नहीं लिख सका। इसका कारण वही है—छूटने की हलचल।

आज सुबह का दृश्य खास तौर से देखने लायक था क्योंकि आज के अखबार में होम मेम्बर साहब का एलान निकलने वाला था। बहुत सवेरे से हर एक वैरिक के लोग इस आशा से बैठे हुए थे कि अभी खबर मिलेगी कि सब लोग कल-परसों तक छूट जायँगे। अखबार आते ही ऐसी छीना-फूटी हुई कि वह दृश्य देखने ही लायक था। लेकिन पंद्रह मिनट के अन्दर सारी वैरिकों में ऐसा सन्नाटा छा गया कि मानों किसी ने सम्मोहन फूँक दिया हो। मैक्सवेल साहब का चयान सुनकर जल्दी छूटने से लोग एकदम निराश हो गये। मैंने भी इस शांति का मौका पाकर पत्र लिखना शुरू कर दिया।

पिछले पत्र में मैंने रात्रिपाठशाला का संगठन और शिक्षकों की शिक्षा के लिए शिक्षक-शिविर खोलने की वास्तव लिखा था। मेरा विचार था कि शिविर के खतम हो जाने के बाद शिक्षकों के प्रति ध्यान देकर उनके घर का पहिले सुधार करूँगा, फिर धीरे-धीरे विद्यालय के दूसरे घरों का सुधार होता जायगा। क्योंकि मुझको भय था कि अगर शिक्षकों के घर के प्रति हम खास ध्यान नहीं देते हैं तो शिविर में रह कर वे जो कुछ सफाई, अनुशासन, व्यवस्था, सहयोग और कला की शिक्षा पा चुके हैं घर के वायुमण्डल में सब कुछ भूल जायँगे। लेकिन

एक महीने में ही मैं पकड़ा गया। मेरे पकड़ जाने के कारण वह काम हो नहीं सका। भाई धनराज पुरी जितना कर सकते थे उतना चलाते रहे। पाठशाला का भी काम चलता रहा।

देहात के संघटन की वावत में करीब-करीब सब कुछ लिख चुका। जैसे तो पंचायतों की मार्फत गाँव के कुवों की मरम्मत करना, सड़कें ठीक कराना आदि छोटे-छोटे बहुत से काम साथ-साथ होते ही रहे। परन्तु निश्चित योजना के अनुसार अब तक हम रात्रिपाठशाला के जरिये शिक्षा कार्यक्रम तक ही पहुँच पाये हैं। उद्योग केन्द्र की मार्फत ग्राम-सेवा योजना का सूत्रपात्र तो हो गया था। लेकिन वह योजना अभी तक ठीक-ठीक अपने स्वरूप पर नहीं पहुँची। इसकी वावत मैं फिर लिखूँगा। आज पिछले दो वर्ष में केन्द्रीय आश्रम की किस प्रकार प्रगति हुई उस पर कुछ लिखना चाहता हूँ।

जैसे तो कताई-धुनाई-बुनाई और लकड़ी का कार्य सिखाने का कार्यक्रम साल डेढ़ साल से चल रहा था और धीरे-धीरे कागज का काम भी थोड़ा-बहुत शुरू हो गया था। लेकिन कांग्रेस के पद ग्रहण करने पर ग्रामोद्योग विद्यालय की सम्पूर्ण योजना के सम्पूर्ण ग्रामोद्योग लिए समूचा धन मिल गया। १८ नवम्बर सन् ३८ विद्यालय की को हमने सम्पूर्ण ग्रामोद्योग विद्यालय कायम कर स्थापना दिया। इससे हमारी योजना को जल्दी से अच्छी प्रगति मिल गई। जो काम हम पांच-छः साल में कर सकते थे वह एक ही साल में हो गया। सन् ३८ के नवम्बर से लेकर सन् ३९ के आखिर तक आश्रम में एक विराट चहल-पहल होती रही। हम एक जंगल में पड़े हुए थे। जितने लोग थे उनके रहने के लिए मुश्किल से काफी जगह थी। एकाएक ७५ विद्यार्थी, शिक्षक और दूसरे कार्यकर्ता मिलाकर आश्रम की आवादी सवा सौ के करीब हो गई। इतने लोगों का निवास-स्थान, उद्योग के सब विभागों के लिए मकान, औजार और कच्चे माल की व्यवस्था सब कुछ इसी वर्ष के

अन्दर करनी थी। शहर होता तो काम कुछ आसान हो जाता। लेकिन रणीवां कितना अन्दर का गांव है, इसे तुमने देख ही लिया है। इसलिए यह सारी व्यवस्था करने में हमारे सभी कार्यकर्त्ताओं को रातदिन एक कर देना पड़ा। साथ ही कार्यकर्त्ता शिक्षण का काम भी जारी रखना था। आश्रम के खादी विभाग से और सरकारी विभागों से कार्यकर्त्ताओं की माँग हमेशा बनी रहती थी। कोई विद्यार्थी अगर थोड़ा बहुत काम चलाने लायक काम सीख लेता था तो तकाजा के कारण उसे कच्ची हालत में ही भेज देना पड़ता था और खाली जगह नये विद्यार्थियों को भरना पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में हम आश्रम की किसी किस्म की भीतरी व्यवस्था नहीं कर पाते थे। बल्कि पहले की व्यवस्था और नियमित आश्रम जीवन में भी गड़बड़ी पैदा हो गई। इसी कारण विविध विषयों की शिक्षा के लिए भी हम कोई निश्चित पाठ्यक्रम ठिकाने से नहीं बना सके।

परिस्थिति को देखते हुए रोज कामचलाऊ पाठ्यक्रम बना के उन को शिक्षा देते रहे। ऐसी दशा में आश्रम की व्यवस्था और आश्रम जीवन में बहुत कुछ ढिलाई आ गई। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ऐसा होना अनिवार्य समझ कर मैंने विद्यालय को कामयाब बनाने में ही सारी शक्ति लगा दी। क्योंकि मुझको विश्वास था कि अगर सरकारी मदद का फायदा लेकर विद्यालय को अपने मन-मुताबिक बना लें तो फिर इन गड़बड़ियों को छः महीना या साल भर में ठीक कर लूँगा; लेकिन अगर हम परिस्थिति का फायदा नहीं उठाते हैं तो मुझको अपनी कल्पित योजना का सूत्रपात करने में ही वषों लग जायेंगे। सरकारी साधन एक साथ मिल जाने से और जल्दी से बहुत ज्यादा काम कर लेने का शोभ पड़ जाने से एक नुकसान कठिनाइयों और और हुआ। उसने हमें खर्च के मामले में कुछ बुद्धियाँ लापरवाह कर दिया। अगर हम धीरे-धीरे चल पाते तो समय जरूर लगता पर लोगों में सत्ते में काम

चलाने की आदत बनी रहती चाहे वे काम सरकारी पैसे से क्यों न करते लेकिन एक दम से इतने काम की व्यवस्था करने में उस और सावधान होना सम्भव नहीं हो सका। खर्च के इस उदार तरीके ने हमारे काम में कुछ दूसरी खराबियाँ भी पहुँचाईं।

मैंने तुमको किसी पत्र में लिखा था कि अगर हमको व्यापक रूप से ग्राम-सेवा का काम करना है तो हम हमेशा बाहर के साधन से नहीं कर सकते, बल्कि ग्रामीण जनता को उनकी शक्ति और साधन का परिचय कराकर उन्हीं से अपना संघटन कराना है। चर्खा, ग्रामोद्योग, खेती की उन्नति के तरीके बताकर उनके साधनों के बढ़ाने का प्रयत्न हम जरूर करते रहेंगे परन्तु हमको उनका सारा संघटन उनके ही साधन से और उन्हीं से कराना है। बापू जी कहते हैं कि यदि हमने ठीक भावना से चर्खा चला लिया और भारत के सात लाख ग्रामों में रचनात्मक कार्य पूरा कर लिया तो बिना सत्याग्रह के ही हमको स्वराज्य मिल जायगा। क्योंकि बापू जी के रामराज्य का आशय समाज की शासनहीन और शांतिमय व्यवस्था से ही तो है। अगर हमारी ग्राम-सेवा व ग्राम-संघटन इसी आदर्श की ओर ले जाने का ही लक्ष्य रखता है, तो हमारा कोई भी कार्यक्रम होगा वह ग्राम-वासी को प्रवांगीण स्वावलम्बन की ओर ही ले जाने की दिशा में होना चाहिए। अगर बाहर से किसी किस्म की मदद होती है तो उस मदद के साथ हमारा यह दृष्टिकोण सदा जागृत रहना चाहिए किये बाहरी सहायताएँ आज की असहाय परिस्थिति में अस्थायी व्यवस्था हैं। एकाएक इतने बड़े पैमाने पर सरकारी मदद से आश्रम के ही संघटन को देखकर गरीब ग्रामवासियों का चक्राचौंघ होना स्वाभाविक था। स्वावलम्बन की दिशा में हम उनके अन्दर अब तक जो कुछ भी भावना पैदा कर पाये थे उसमें ढिलाई दिखाई देने लगी और अब वे हर बात में सहायता की अपेक्षा करने लगे। श्रद्धा तो वे अब भी करते थे। लेकिन श्रद्धा में अब पहले जैसा सात्विक प्रेम-भाव न

होकर उसमें राजसिक सम्मान की वृत्ति आने लगी। कुछ तो कांग्रेस का मंत्रिपद होने से यह हुआ और अगर आश्रम के विद्यालय को सरकारी धन नहीं मिलता, तो भी होता लेकिन बहुत अंश में तो पैसे की सहूलियत और हमारी उदारता से खर्च करने के कारण हुआ, ऐसा कहना होगा।

इस प्रकार एक ओर अगर हम अपनी कल्पित योजना की दिशा में आगे बढ़े तो इष्ट भावना की दिशा में कुछ पीछे भी हटे, लेकिन मैंने देखा कि कुल मीजान में हम आगे ही रहे। क्योंकि दूसरे वर्ष से हम परिस्थिति सुधारने में लगे तो वह धीरे-धीरे सुधरती ही गई।

दूसरे साल की बात दूसरे दिन लिखूंगा। आज अब विदाई लेता हूँ।

[४५]

योजना की सही दिशा में

२०—११—४१

मालूम नहीं, कल का पत्र पढ़कर तुम पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि ग्राम तौर से जो मित्र हमारे काम से सहानुभूति रखते हैं वे इस प्रकार की परिस्थिति से घबड़ाते हैं। कहते हैं, तुमने सरकारी मदद लेकर यह क्या मुसीबत भोग ली। इस विराट रूप ने तुम्हारे असली उद्देश्य को ही खत्म कर दिया। तुम अपनी चांज भी खो बैठे। शायद तुमको भी ऐसा खयाल हो। लेकिन क्या ग्रामोद्योग विद्यालय की स्थापना करने से हम अपनी योजना या लक्ष्य से अलग हो गये ? या उसे किसी प्रकार का नुकसान पहुँचा ? ऊपरी ढंग से तो यह जरूर मालूम होता है कि हम पीछे हटे। तात्कालिक हानि अवश्य कुछ दिखाई पड़ती है लेकिन हकीकत यह है कि जहाँ हम

एक दिशा में एक कदम पीछे हटे, तहाँ दूसरी दिशा में कई कदम आगे बढ़े। तो क्या इस किस्म की तूफानी परिस्थिति से संस्था को कभी नुकसान नहीं होता ? हाँ, ऐसी संस्था को नुकसान जरूर पहुँचता है, जिसके सामने योजना और लक्ष्य स्थिर और साफ नहीं होता है। लेकिन जिसके सामने अपना दृष्टिकोण साफ रहता है वह चाहे जितनी इमदाद सरकार से ले या दूसरी अनुकूल परिस्थितियों का फायदा उठाकर अपने कदम की रफ्तार तेज कर दे वह उस कदम को अपनी योजना के अनुसार ही रक्खेगा। संभव है, अनुकूल परिस्थिति के उत्साह में वह कुछ जरूरत से ज्यादा तेज चल दे और उसके अंगों में थकावट आ जाय लेकिन वह दिशाभ्रष्ट नहीं होगा। वैसी हालत में किञ्चित् विश्राम से ही सब ठीक हो जायगा। लेकिन अनुकूल परिस्थिति से जितना वह अधिक आगे बढ़ गया वह उसके लिए स्थायी लाभ ही होगा और लक्ष्य पर पहुँचना आसान हो जायगा। एक दृष्टि से देखा जाय तो इस परिस्थिति से फायदा ही हुआ। एकाएक आर्थिक सहूलियत के मिल जाने के कारण खर्च करने का हमने जो ढंग रक्खा है उससे आश्रम जीवन पर और ग्रामीण जनता के दृष्टिकोण पर जो असर पड़ा उसका ठीक-ठीक अध्ययन हमने कर लिया और उसको दूर करने की आवश्यकता भी हम अनुभव कर रहे हैं। सेवकों के लिए विभिन्न परिस्थितियों में किस तरीके से चलना चाहिये उसकी एक बहुत बड़ी शिक्षा भी हमें मिल गई। भविष्य में इस अनुभव से लाभ उठाकर ऐसी परिस्थिति में सावधानी से अपने को सँभाल कर हम चल सकेंगे। वास्तविक व्यक्ति, संस्था और समाज जब तक परिस्थिति के उतार-चढ़ाव के बीच से नहीं गुजरता है, जब तक उसको बाढ़ और आंधी का सामना नहीं करना पड़ता तब तक उनके अन्दर न तो मजबूत जीवन ही आ सकता है और न वे किसी किस्म की प्रगति ही कर सकते हैं। घेरे के अन्दर रहकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। मेरा तो स्थिर विश्वास है कि अगर हमारा लक्ष्य और योजना निश्चित है तो ऐसी

परिस्थितियों से लाभ ही होता है। स्थायी-हानि की तो मुझको कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती।

इसलिए मेरे पिछले पत्र की बताई हुई परिस्थिति को देखकर मेरे तमाम मित्रों के घबड़ा जाने पर भी मैं घबड़ाया नहीं। हाँ, परिस्थिति को फिर से अपने ढर्रे पर लाया जाय, इसकी चिन्ता मुझको हमेशा रही और दूसरे साल मैंने अपना ध्यान इसी ओर लगाना शुरू किया। इस काम के लिए मुझको खास सहायता भी थी। यद्यपि मैं अपनी निजी धारणा और अनुभव के अनुसार ही अपनी योजना बनाता था और उसका प्रयोग करता था फिर भी यह गांधी आश्रम का ही एक हिस्सा था। इसलिए विगाड़ने के लिए चाहे मैं अकेला ही था लेकिन सुधारने के लिए तो हम कई साथी थे। और इस दिशा में हमको सम्पूर्ण-रूप से मदद मिलती रही।

इस प्रकार हमने सन् ४० के साल भर में विद्यालय का निश्चित पाठ्य-क्रम ठीक कर लिया। हिसाब-किताब का तरीका भी सँभाल लिया और साधारण व्यवस्था भी ढर्रे पर आ गई। आश्रम जीवन सम्पूर्ण रूप से सन्तोषजनक तो नहीं हो सका लेकिन सन् ३६ की परिस्थिति को हमने सँभाल ही लिया। गाँव के लोगों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होने लगा। हमने किस प्रचार पंचायतों का संघटन किया, चर्खे का प्रचार किया और पंचायत की मार्फत रात्रि-गठशाला, शिक्षण-शिविर आदि का संगठन करके ग्रामीण जनता में स्वावलम्बन की भावना पैदा करने को कोशिश की, इसकी बावत पहिले पत्रों में लिख ही चुका हूँ।

सन् ४० में हमने अपनी ग्राम-संघटन की योजना के लिए एक दूसरा कदम भी उठा लिया। आश्रम के चारों ओर के देहातों में से दर्जा ४ तथा मिडिल पास नौजवानों को कागज एक पग और बनाना सिखाकर अपने-अपने गाँव में उद्योग-केन्द्र की स्थापना के उद्देश्य से हमने आश्रम के विद्यालय

में उन्हें भरती कर लिया। बाद को सन् ४१ के जनवरी महीने में हमने उन नौजवानों से उद्योग-केन्द्र उनके ग्रामों में खुलवा दिये। इस प्रकार सन् ४० के खतम होते-होते सन् ३१ में एकाएक भीड़ होने के कारण जो गड़बड़ी पैदा हो गई थी उसे हमने बहुत कुछ सँभाल लिया। साथ ही अपनी अन्तिम योजना के अनुसार देहातों में उद्योग केन्द्र-स्थापना की शिक्षा में एक कदम आगे बढ़ सके। अब हमारे सामने अगले साल के लिए नीचे लिखी हुई समस्याओं का हल करना बाकी रह गया :—

१—विद्यालय को स्वावलम्बी कैसे बनाया जाय जिससे विना बाहरी सहायता के भी काम चलता रहे।

२—ग्रामोत्थान के काम में पंचायतों को स्वावलम्बी बनाना और जिन नौजवानों से हम उद्योग-केन्द्र खुलवा रहे थे उनको ग्रामोत्थान कार्य में दिलचस्पी दिलाकर पंचायतों को सहायता पहुँचाना।

३—आश्रम-आदर्श और जीवन में सुधार करना।

इन दिनों मैं सरकारी ग्राम-सुधार के काम से छुट्टी पा गया था। इसलिए मैंने ऊपर लिखी हुई तीन समस्याओं को हल करने में अपना ध्यान लगा दिया। मैं आशा करता था कि साल भर में इस दिशा में कामयाबी हासिल कर सकूँगा। सन् ३८ के नवम्बर में जब ग्राम-उद्योग विद्यालय की स्थापना कर रहा था तो मैं मित्रों से कह रहा था कि यह भी मेरी एक पंचवर्षीय योजना है क्योंकि मैं समझता था कि तीन साल में विद्यालय का रूप ठीक हो जाने पर बाकी दो साल में ग्रामोद्योग-केन्द्रों की माफत ग्राम-संघटन का कार्य चलाने में समर्थ हो सकूँगा लेकिन इस साल अप्रैल में ही मैं नजरबन्द होकर यहाँ चला आया और वह काम करने का मौका नहीं मिला। मैं जेल आ गया लेकिन एक संस्था का अंग होने से वह काम तो चलता ही रहा। अब आश्रम की ओर से विचित्र भाई रणीवाँ का काम चला रहे हैं।

हमारे इस साल के काम में एक सुविधा और मिल गई। सरकार ने अब मदद देने से इनकार कर दिया। जो स्वावलम्बन और आश्रम जीवन में आदर्श की भावना को ठीक करने में हम अभी लगे ही थे उस ओर चलने में यह सरकारी इमदाद निकल जाने से लाभ ही हुआ। आश्रमवासी जो काम साल दो साल में कर पाते वह काम अब फौरन होने लगा। गांव के लोग भी अब ज्यादा मुस्तैदी से आत्म-निर्भरता की ओर जा रहे हैं। इसकी खबर मुम्बई जेल में मिल रही है। अतः तीसरे साल का काम भी अब पूरा ही होना चाहता है। जिस समय हम ग्रामोद्योग की ओर बढ़ रहे थे उस समय सरकारी इमदाद ने हमारी गति तेज कर दी थी और आज जब हमने अपने आदर्श को ढंग पर लाना शुरू किया तो इमदाद बंद करके सरकार ने हमारे काम को फिर से तेज कर दिया। अब देखना है, आगे के दो साल में हमारी योजना अपने स्थान पर पहुँचती है या नहीं। सब ईश्वर के हाथ है।

आश्रम के इस उतार-चढ़ाव से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम-सेवा की तात्कालिक कठिनाई से घबड़ाना नहीं चाहिए। केवल यह देखना चाहिए कि अपने लक्ष्य की ओर अपना रुख स्थिर है या नहीं। सब परिस्थितियों से लाभ उठाना चाहिए और अपने उद्देश्य और आदर्श को कायम रखते हुए जिस प्रकार भी मिल सके मदद और सहयोग लेना चाहिए।

चलो, अब आश्रम की कहानी खतम हो गई। जेल में बैठकर आगे का कार्यक्रम सोचता रहता हूँ। पिछली गलतियों और परिस्थितियों पर विचार कर रहा हूँ, और जो कुछ समझ में आता है विचित्र भाई और कर्ण भाई को लिखता रहता हूँ। तुम्हारे पास तो मैंने सारा महाभारत ही लिख डाला। अब बहुत हो गया। पत्र यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।

[४६]

स्त्री-जाति और समाज

२५—११—४१

उस दिन जो पत्र मैंने लिखा था उसमें आश्रम की बाबत मेरे जेल आने तक की सभी बातें आ गई हैं, यह सोचकर ४-५ दिन तक फिर मैंने कुछ नहीं लिखा। आज एकाएक याद आया कि एक बात तो लिखी ही नहीं। वैसे तो सरकारी ग्राम-सुधार महकमा की माफत मैंने दो साल तक फैजाबाद जिला में काम करने में जो कुछ अनुभव किया उसे फिर कभी लिखने की सोच रहा था। लेकिन आश्रम से ग्राम-सेवा करने में स्त्रियों की शिक्षा के सम्बन्ध में भी मैंने कुछ काम किया था। उसकी बाबत आज लिखकर ग्राम-सुधार महकमा की कहानी भविष्य के लिए छोड़ देता हूँ। स्त्रियों की कहानी ही भूल गया, इससे तुमको बुरा लगता होगा, लेकिन उधर का सिलसिला ही ऐसा था कि इसका जिक्र बीच में कहीं आता ही नहीं था।

जब मैं सन् १९२३ में टाँडा के देहात में घूमता था उन दिनों चमारों और कुर्मियों की स्त्रियों की बाबत मैं जो कुछ अध्ययन कर सका था, वह तुमको लिख ही चुका हूँ। जब हम रणीवां आये तो हम लोगों का सम्बन्ध मध्यम श्रेणी के परिवारों से हुआ। रणीवां गांव के लोगों का सम्बन्ध तो घर के जैसा हो गया था। धीरे-धीरे दूसरे गाँवों के लोगों से सम्बन्ध बढ़ता ही गया। मेरे होमियोपैथिक इलाज की बाबत काफी दूर तक शोहरत हो गई थी। इलाज के लिए लोग आश्रम में भीड़ लगाये रहते थे। प्रति दिन ५० से ७५ तक रोगियों की संख्या हो जाती थी। जो लोग हमसे इलाज कराने आते थे, उनमें ज्यादातर स्त्री और बाल रोग के रोगी होते थे। स्त्री रोगियों में प्रायः सभी उच्च श्रेणी की थीं। इसलिए इनके इलाज के वास्ते हर प्रकार के लोगों के घरों के अन्दर के हिस्सों में जाना पड़ता था।

इलाज के सिलसिले से और फिर बाद को चर्खा विद्यालय के जरिये स्त्रियों से हम लोगों का परिचय काफी हो गया ।

टाँडा के इलाके के कुर्मियों की स्त्रियों की शारीरिक और नैतिक स्फूर्तियों को देखकर, उनकी घर-गृहस्थी के मामले में भीतरी और बाहरी दिलचस्पी तथा पुरुषों से प्रत्येक काम में सहयोग की वृत्तियों को देखकर देहाती स्त्रियों के प्रति मेरी जो भावना थी, रणीवाँ के आस-पास की उच्च श्रेणियों की स्त्रियों से मिलकर उसमें अन्तर जरूर पड़ गया । स्त्री जाति इतनी काहिल होती है, इसका अन्दाज मुझको पहिले नहीं था । इनमें न तो कुर्मियों—जैसी शारीरिक शक्ति है और न नैतिक बल ही । इनके घरों में सफाई की कमी दिखलाई देती है ।

अगर किसी घर में एक ही स्त्री है और वह स्त्री ऊँचे और नीचे काफी उम्र वाली है, तो उसके घर में सफाई भी वर्ग की स्त्रियाँ देखने को मिलती है और परिश्रम की भावना भी दिखाई देती है । परन्तु ऐसे घर बहुत कम हैं । जिस घर में ज्यादा स्त्रियाँ हैं और खास तौर पर अगर वे कम उम्र वाली हैं तो काहिली और गन्दगी का कुछ हिसाब नहीं । इनका मानसिक विकास भी कुछ नहीं के बराबर है । टाँडा में कुर्मियों की स्त्रियाँ जब मुझसे बात करती थीं तो बहुत सी बाहरी बातें पूछा करती थीं । गाँधी बाबा कहाँ हैं और “स्वराज्य कब होत वा” इत्यादि प्रश्न करती थीं लेकिन ऊँची जातियों में जो लोग पढ़े-लिखे हैं, जो कांग्रेस में भी हैं उनकी स्त्रियाँ भी इन बातों से विल्कुल शून्य हैं । मैंने देखा कि पर्दा के अन्दर एक आँगन के घेरे में रहकर वे इतनी संकीर्ण हो गई हैं कि वे समाज का एक अंग हैं, यह भी पता नहीं चलता है । पुरुषों के काम-काज में तो वे विल्कुल सहायक होती नहीं और न पुरुष लोग ही अपने कार्यक्रम के बारे में उनको दिलचस्पी दिलाते हैं । नतीजा यह होता है कि वे सदा काहिली और शौकीनी में ही डूबी रहती हैं । शृंगार और शौकीनी से इतना प्रेम हो गया है कि अपने बच्चों के

प्रति भी विशेष ध्यान नहीं दे पाती। इस श्रेणी में मैंने देखा है कि माताएँ सुबह उठ कर छोटे बच्चों को बिना शौचादि कराये बड़े बच्चों के कन्वे पर लाद कर बाहर कर देती हैं। फिर निश्चिन्त होकर अपने कमरे में शीशा तेल आदि शृंगार के साधन निकाल कर घण्टा भर अपने को सजाने में लगेंगी। चाहे बच्चों के नाक और आँख के

कीचड़ में मक्खियाँ भिन-भिन करती रहें लेकिन

विलास और पतन की ओर माता का साज-बाज पूरा होना जरूरी है। इस काहिली और विलास के कारण चारों ओर, घर-घर

अनीति और दुर्नीति फैल गई। इस भीषण दुर्नीति

का खास कारण एक और है। वह है भयंकर सामाजिक अनमेल विवाह। ब्राह्मण और क्षत्रियों में, खास तौर से ब्राह्मणों में १६-१७

और कभी २०-२० साल की लड़कियों से १०, १२, १४ साल के लड़कों का विवाह सम्बन्ध कर दिया जाता है। ऐसी हालत में विवाह

के बाद लड़कियों के लिए नीति की मर्यादा कायम रखना मुश्किल हो जाता है और जब परम्परा से ऐसी प्रथा चलती है तो समाज में इस

भयंकर दुर्नीति को आम बात समझ कर लोग कुछ ख्याल भी नहीं करते हैं। धीरे-धीरे आज रोग इतना व्यापक हो गया है कि यह

समाज की नस-नस में घुस गया है। हम लोग जब बराबर इसके विरुद्ध प्रचार करते हैं तो लोग महसूस करते हैं, गलती भी मानते हैं लेकिन

व्यवहार में वही करते हैं जो होता रहा है।

इस प्रकार उच्च वर्ण के समाज में हर प्रकार की खराबियाँ पहुँच जाने से सारी जनता में लड़ाई-झगड़े की प्रवृत्ति घर घर गई है।

मैं पहिले पत्रों में लिख चुका हूँ कि देहात में स्त्रियाँ ही संसार और समाज की व्यवस्थापिका होती हैं। जिस घर में स्त्रियाँ बेकार

होती हैं उस घर में चाहे जितनी आमदनी हो वह

गृहलक्ष्मी से उजड़ जाता है और जिस घर की स्त्री सुगृहिणी

चण्डिका होती है वह घर चाहे जितना गरीब हो बन जाता

है। तभी तो हमारे देश में लोगों ने नारी जाति को देवी कहा है, घर की स्त्री को गृहलक्ष्मी कहा है लेकिन आज तो वे देवियाँ और गृहलक्ष्मियाँ घर उजाड़ने वाली भवानी माई हो रही हैं।

स्त्रियों की यह भयावह स्थिति देख कर मैं परीशान होता था। स्त्रियों में शिक्षा होनी चाहिये, इत्यादि बातों पर हमेशा जोर देता था। आश्रम में हमारे साथी लोग जब अपनी स्त्रियों को लाते थे तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि वे कुछ सीख लें, कुछ काम कर सकें। यह ठीक है कि मैं कभी सफल नहीं हो सका। हमारे साथी इसमें सहयोग नहीं देते थे। इसके खिलाफ रहते थे। लेकिन मैं न कभी निराश होता था और न कभी कोशिश से चूकता था। मेरे साथी आज तक इस मामले में मुझसे सहमत नहीं हो सके। बहुत से मित्र तो कहते हैं—“इस मामले में तुम विलायती ख्याल रखते हो। हमारा भारतीय समाज, विशेषतया हिन्दू समाज, इस बात को नहीं पसन्द कर सकता।” लेकिन माई, मैं न कभी विलायत गया, न कभी विलायती साहित्य ही पढ़ा। मैं तो जानता हूँ कि हमारे भारत में स्त्रियों को सहधर्मिणी भी कहते हैं। मैं तो यही जानता हूँ कि भारत-भूमि में बिना पत्नी के कोई यज्ञ नहीं हो सकता। मैं तो गुरुदेव ने चित्रांगदा की जवानी भारतीय स्त्री का जो आदर्श सुनाया उसी को मानता हूँ। इसी भारत-रमणी ने तो कहा था—

“पूजा कर राखीवे माथाय से ओ आमि,
नइ; अरहेला करि पूयिशा राखिवे
पीछे, से ओ आमि नइ। यदि पार्श्वे राखि,
मोरे संकटेर पथे दुःसह चिन्तार।

यदि आशा दात्रो, यदि अनुमति करो,
कठिन व्रतेर तव सहाय हईते,
यदि सुखे दुखे मोरे करो सहचरी,
आमार पाइवे परिचय।”

यह तो भारत-रमणी का परिचय है। लेकिन जब आश्रम-जैसी युगावतार की क्रान्तिवाणी प्रसार करने वाली क्रान्तिकारी संस्था के लोगों की स्त्रियों को “कठिन व्रतेर सहाय हृदते” योग्य शिक्षा की बात करना हास्यास्पद होता है तो तुम साधारण जनता से क्या उम्मीद कर सकती हो। आश्रम में मैं हमेशा स्त्री-सुधार की बात करता था, आदर्श का ख्याल करके। लेकिन जब गांव की मध्यम श्रेणी की हालत देखी तो स्तम्भित हो गया। मेरी समझ में नहीं आया कि अगर स्त्री समाज ऐसा ही रहा तो ग्रामोत्थान होगा किधर से? क्योंकि मैं इस बात का कायल था ही कि बिना स्त्रियों के उठे कोई सामाजिक जीवन बन नहीं सकता है। अतः मैं इस बात की चिन्ता में लगा रहा कि किस प्रकार इनकी शिक्षा का इन्तजाम किया जाय लेकिन तत्काल कोई उपाय न देखकर इस दिशा में साधारण प्रचार से ही सन्तोष करना था।

बाद में जब मैंने ग्राम-सुधार महकमा की जिम्मेदारी ली तो इस ओर कुछ व्यावहारिक प्रयोग करने की सुविधा मिल गई थी। और मैंने एक दम मौका से फायदा उठा कर इस दिशा में व्यापक प्रयोग के लिए कदम उठा लिया था।

ग्राम-सुधार महकमा के जरिये स्त्री-सुधार का काम करने में भी मित्रों के संस्कार की कठिनाई का सामना करना पड़ा। लेकिन ईश्वर की कृपा से कुछ अमली प्रयोग इस दिशा में हो ही गया। इसकी भी कहानी काफी लम्बी-चौड़ी है। आज शुरू करूँगा तो खतम नहीं होगी। अतः यह कहानी आज यहाँ ही इति करता हूँ।

[४७]

स्त्री-सुधार की ओर

६—११—४१

परसों मैंने एक पत्र स्त्रियों की वावत लिखा था। मैं जब स्त्रियों की बात सोचता था और कुछ नहीं कर पाता था तो कभी-कभी निराश हो जाता था। इन दिनों कांग्रेसी सरकार की ओर से ग्रामसुधार महकमा खुला लेकिन साल भर तक कुछ निश्चित कार्यक्रम नहीं बन सका। फैजाबाद जिले की जिम्मेदारी मेरे ऊपर पड़ी, इसकी वावत मैं पहिले ही लिख चुका हूँ। साल भर जब प्रान्तीय सरकार कार्यक्रम तय करती रही तब तक मैं भी अपने मन में योजना बना रहा था। मैंने उस समय क्या-क्या सोचा और क्या क्या करने का मौका मुझे मिला, यह मैं बाद में लिखूँगा। आज तो केवल स्त्रियों की वावत ही लिखूँगा।

सन् ३८ के शुरू में मुझको जब ग्रामसुधार का काम मिला तो एक दम ख्याल आया कि अब मौका है कि अपनी योजना का प्रयोग शुरू कर दूँ। लेकिन व्यावहारिक रूप क्या होगा, इसकी कल्पना ठीक-ठीक नहीं कर सका। एक बार कुछ स्त्री संघटनकर्त्रियाँ भर्ती करने की योजना बनाकर सरकार के पास भेजने की सोची लेकिन मुझको उसमें खतरा ही मालूम हुआ। एक तो बाहर से कोई अच्छे घर की स्त्री अकेली गाँव में जाकर रहने के लिए तैयार नहीं होगी और जो तैयार होगी उसकी योग्यता और दृष्टिकोण हमारे मतलब से काम करने लायक नहीं होगा। फिर मुझको कोई निश्चित योजना नहीं दिखाई दी लेकिन मैं विचार करता गया। इन्हीं दिनों आश्रम में सूत-सुधार के लिए जोरों से कत्तिन स्कूल खोला गया। चर्खा संघ ने कत्तिनों की मजदूरी बढ़ाकर तीन आने कर दी। अधिक मजदूरी देने से यह जरूरी हो गया कि सूत की किस्म सुधरे। फैजाबाद जिले में

अकबरपुर में आश्रम का एक बड़ा उत्पत्ति-केन्द्र है। पहले पहल तो मुझ को अकबरपुर से ही गाँव का परिचय मिला। इस केन्द्र के सूत सुधारने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर पड़ी। मेरे दिमाग में स्त्री-सुधार आन्दोलन चलाने की चिन्ता थी ही। मैं इन स्त्रियों से बातें करता था जिसमें देश दुनियाँ की बातें ही अधिक होंती थीं। मैंने सोचा, जब हम तीन आने मजदूरी देते हैं तो उनका वाकायदा कैम्प क्यों न कर दें। उनके एक जगह बैठकर कातने पर हम उनको एक साथ बहुत कुछ शिक्षा दे सकेंगे अतः मैंने उनके लिए परिश्रमालय चलाने की योजना बनाई।

इस जिले की कत्तिनों में तो मैं सन १९२३ से ही काम करता था लेकिन इस दृष्टिकोण से कभी अध्ययन करने की कोशिश मैंने नहीं की। उन दिनों इस लायक मुझमें न तो योग्यता ही थी और न इस दिशा में सोचने लायक अनुभव ही था। इस वार जो मैंने ६-७ माह में उनसे घनिष्ठता के साथ परिचय किया तो देखा कि पढ़ी-लिखी न होने

पर भी उनमें धारणा शक्ति बहुत है। वे बहुत जल्दी स्त्रियों से असीम बातों को समझ सकती हैं। वैसे तो लड़कों से लड़-सम्भावनाएँ कियाँ अधिक तेज होती हैं इसका अनुभव मुझको पहले ही था। लेकिन बड़ी स्त्रियों का बौद्धिक विकास बहुत आसानी से किया जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो गया। कत्तिनें ठेठ ग्रामीण किसान के घर की होती हैं। अगर उनमें इतना सम्भावनाएँ हैं तो देहात की किसी भी श्रेणी की स्त्रियों को शिक्षा दी जा सकती है।

मैंने संभावनाओं को तो देख लिया। कत्तिन विद्यालय एक या ढेढ़ माह तक ही चलता था। यह कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी। इन स्कूलों की मार्फत कुछ स्थायी नतीजा निकलने की गुझाइश नहीं दिखाई देती थी। अतः मैं स्त्री-सुधार आन्दोलन को व्यावहारिक रूप में लाने के विचार में लगा रहा। तीन आने मजदूरी होने से और काँग्रेस

मंत्रिमंडल हो जाने से चर्खों का प्रचार और संख्या भी खूब बढ़ने लगी। जिन क्षेत्रों में चर्खा नहीं चलता था उन क्षेत्रों में चर्खा-केन्द्र खोलने लगे। अकबरपुर से पूर्व विड़हड़ परगना की वास्तव कमी मैंने तुमको लिखा था। उस इलाके में मुबारकपुर हमारा सूत-केन्द्र था। उन दिनों मैं नये क्षेत्रों में चर्खा प्रचार के लिए दौरा किया करता था। वस्त्र-स्वावलम्बन के विषय में सब जगह चर्चा करता था। साथ ही सूत न बेचकर खादी लेने के लिए खूब जोर देता था।

एक दिन मैंने वहाँ के लोगों से कहा कि आप के यहाँ के इतने नौजवान बेकार पड़े हैं। आप क्यों न इनको बुनाई सिखा दें और उनसे अपना सूत बुनवायें। इस बात से वे सब उत्साहित हुए। और कहने लगे कि आप यहाँ बुनाई विद्यालय खोल दीजिये तो हम अपने लड़कों को बुनाई सिखा लेंगे। मैंने उनसे कहा विलायत वाले तो सब इन्तजाम कर ही रहे हैं। आप स्वराज्य के चक्कर में क्यों पड़े। विद्यालय का प्रबन्ध भी तो आप ही को करना है। आज एक विद्यालय के इन्तजाम से घबराते हैं तो सारे मुल्क का इन्तजाम कैसे करोगे। इतनी बातें बताकर मैंने बापू जी की स्वावलम्बिनी समाज रचना का आदर्श समझाया। इससे वे कुछ करने के लिए तैयार हो गये। उसी गाँव के एक नौजवान साधु होकर गाँव के बाहर कुटीर बनाकर रहते थे। उन्होंने जिम्मेदारी भी ले ली। बहुत बहस के बाद यह तय हुआ कि वे विद्यालय के मकान आदि बनवायें। तात्पर्य यह कि सारी व्यवस्था वे ही करें। यदि १६ विद्यार्थी हो जायँ तो हम आश्रम से करघा और शिक्षक दे देंगे। इन लोगों ने बहुत उत्साह दिखलाया। एक बहुत बड़ा मकान बनवाया ७० फुट लम्बी कोठी, दोनों ओर दो कोठरी और सामने उसारा। लोगों ने विद्यालय के लिए जमीन भी काफी छोड़ दी। लोग गरीब थे लेकिन मेहनत करके १००।१५० गाँव से सामान और अनाज माँग कर इस इमारत को बना डाला। बाद को यह व्यवस्था नहीं चल सकी। वे समझते थे कि बुनाई जल्दी आ जायगी।

लेकिन उसमें तो साल भर लगता है। इसलिए साल भर के बाद विद्यालय चल नहीं सका। मैं गया तो शिक्षक वापस लेने के लिए वे इनकार भी कर नहीं सकते थे। लेकिन वहाँ के लोग कहने लगे—“हम लोगों ने इसको कायम करने में बहुत प्रयत्न किया है। आप कोई ऐसा काम बताइए जिसे हम लोग चला सकें और यह स्थान भी कायम रहे।”

उन दिनों मेरे दिमाग में स्त्री-सुधार आन्दोलन कैसे शुरू किया जाय, इसी का विचार चलता था। मैंने एकाएक कह दिया कि—“आप यहाँ अगर स्त्री-सुधार केन्द्र बना दें तो मैं अपना समय आपको दे सकूँगा। फिर मैंने उनको देहात की स्त्रियों की वर्तमान और भूत कालिक हालत बताकर कहा कि बिना इनके सुधरे और बिना इनके उठे देश उठ नहीं सकता। स्त्रियों के बिना सामाजिक जीवन नहीं बन सकता और सामाजिक जीवन से ही राष्ट्रीय जीवन बनता है। वहाँ उस ग्राम तथा उसके आस-पास गाँवों के खास-खास कुछ लोग थे जिनके

लिए पर्दा खतम करना एक महापाप था। उनके गले

स्त्रियों के बिना यह बात उतरनी मुश्किल थी लेकिन धीरे-धीरे वे इसके सामाजिक जीवन सिद्धान्त को मानने लगे। अब आया निश्चित योजना

संभव नहीं का सवाल। मैंने दूसरे दिन सबेरे खास-खास लोगों से

समा करने को कहा और सबके साथ विचार करके

अपना प्रस्ताव रखूँगा, ऐसा कहा। क्योंकि मैं समझता था कि स्त्रियों के प्रोग्राम की सफलता के लिए अधिक लोगों की सम्मति की जरूरत है। उस दिन उसी गाँव में टिक गया। रात्रि को इसी चिन्ता में रहा कि यह काम कैसे हो सकता है? स्त्रियाँ तो पहले आवेंगी नहीं। अतः पहले लड़कियों को लेकर ही काम शुरू करना है। तुमको याद होगा, मैंने रास्ना में स्त्री-शिक्षा के लिए प्रयत्न किया था। उस समय वहाँ श्री गुलबदन बहिन रहती थीं। उनसे विद्यालय खुलवा दिया था। लेकिन यहाँ अध्यापिका कहां से आवेंगी, इत्यादि बातें सोच रहा

था। इस प्रकार विचार करते हुए मेरे ख्याल में यह बात आई कि यदि गांव की बहुर्यों में से ऐसी कोई मिल जाय, जो दर्जा ३-४ तक पढ़ी हो तो उसी को शिक्षा देकर उसी ग्राम में स्त्री-सुधार केन्द्र खोला जाय तभी यह योजना चल सकती है। गांव की बहू घर पर रहने से ५-७ रुपया मासिक पारितोषिक से संतोष भी करेगी। और घर ही पर रहने के कारण उस स्त्री के संरक्षण की चिन्ता हमको नहीं रहेगी। फिर क्रमशः उसी स्त्री का बौद्धिक विकास करके उस ग्राम के स्त्री सुधार आन्दोलन की संचालिका उसे बनाया जा सकेगा। इतने दिनों से जिस समस्या के समाधान की चिन्ता से मैं परीशान रहता था उसका हल एकाएक हो जाने से, साथ ही उसके प्रयोग के लिए एक क्षेत्र भी मिल जाने से मुझको बहुत शांति मिली और मैं सो गया।

सुबह उठकर मैंने स्वामी यमुनानन्द से अपना विचार प्रकट किया और उनसे पूछा कि ऐसी कोई स्त्री यहां है या नहीं। स्वामी जी ने सोचकर बताने के लिए कहा। जब सब लोग इकट्ठा हुए तो मैंने उनसे अपना प्रस्ताव किया। इससे सब निराश हो गये और कहने लगे—“अध्यापिका का इन्तजाम आप करें।” मैंने उनसे अपना सारा विचार बताया। स्थानीय स्त्रियों की मार्फत ही यह काम हो सकता है, इस बात पर जोर दिया। गांव की बहुर्यों को बाहर आने की सम्भावना की वावत वे सोच भी नहीं सकते थे। उधर अधिकतर उच्च वर्ग के लोग ही रहते हैं। पढ़े का संस्कार उनमें इतना घुस गया था कि उनके लिए इस प्रकार का विचार करना भी सम्भव नहीं था; फिर भी इस पर विचार करने का उन्होंने वादा किया। मैंने यमुनानन्द जी से ऐसी स्त्री की खोज करके मुझको खबर देने को कहा और कहा कि अगर स्त्री मिल जाय और इस काम को करे तो मैं आश्रम से ५) मासिक पुरस्कार मंजूर कर दूँगा।

१०-१५ दिन में स्वामी जी का पत्र आया कि उस गांव की एक बहू दर्जा ४ पास है जो उस काम के लिए तैयार है। उसमें ५) के

के वजाय ७) पुरस्कार मंजूर करने की भी प्रार्थना थी। मैंने ७) मंजूर करके उस गांव में लड़कियों का विद्यालय खोलकर गांव की स्त्री-सुधार योजना के प्रयोग का श्रीगणेश कर दिया।

स्त्रियों की समस्या के समाधान का एक छोर और उसके प्रयोग का मौका मिल जाने से मैं इस प्रश्न पर जोरों से विचार करने लगा। मैंने सांचा कि इस तरह लड़कियों से शुरू करके स्त्रियां तक पहुँच सकेंगे। गांव के पर्दे की यह हालत थी कि जिस बहिन को हमने काम में लगा दिया था वह मुश्किल से अपने का पर्दे में ढक कर विद्यालय में हाजिर हो जाती थी। मैं जब कभी स्कूल जाता था तो वह घुँघट काढ़ कर एक कोने की ओर मुँह करके बैठ जाती थी। मैं लड़कियाँ से बात करके ही पाठशाला के काम की प्रगति देख लौट आया करता था। धीरे-धीरे वहाँ की अध्यापिका श्रीमती धर्मराजी बहिन विद्यालय की बाबत मुझसे बातें भी करने लगीं। बाद को उस गांव की स्त्रियों में कुछ दिलचस्पी आने लगी। एक बार जब मैंने उस गांव में स्त्रियों की सभा की तो बहुत सी स्त्रियाँ आ गईं। इस तरह मैंने इस बात को देख लिया कि अगर हम लड़कियों के स्कूल से अपना कार्यक्रम शुरू करें तो धीरे-धीरे पर्दे वाली स्त्रियाँ तक पहुँच सकेंगे। इसमें समय जरूर लगेगा, मगर तरीका यही है। इस प्रकार स्त्री-सुधार की दिशा में मैंने अपना प्रयोग जारी कर दिया। अब आज और नहीं लिखूँगा। नमस्कार।

[४८]

ग्राम-सेविका-शिक्षा योजना

२०—११—४१

पिछले पत्र में मैंने स्त्री-शिक्षा की बाबत लिखा था। आज भी उसी विषय पर लिखने बैठा हूँ। अपनी योजना के व्यावहारिक प्रयोग के

साथ-साथ मैं इस बात पर विचार करता रहा कि ग्राम-सुधार महकमा का फायदा उठाकर हम देहात में किस प्रकार स्त्री-सुधार आन्दोलन चला सकेंगे। कैसे और कहां से शुरू करें, किस प्रणाली से आगे बढ़ें, गांव की बहुओं को हम इकट्ठा कर सकेंगे या नहीं, उनकी शिक्षा का कैसे प्रबन्ध करेंगे, संगठन का क्या रूप होगा, इत्यादि प्रश्नों पर दिन-रात विचार करता रहा। आखिर अपने मन में एक काम-चलाऊ योजना बना डाली। वह इस प्रकार थी।

१. जिस तरह बहिन धर्मराजी देवी को हमने खोज निकाला उसी तरह भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के देहातों से दर्जा ३-४ पास प्रतिष्ठित घर की बहुओं को खोज निकाल कर उनको काम करने को राजी करना।

२. स्त्रियों को ग्रामसुधार महकमा की तरफ से तीन साल की शिक्षा नीचे लिखे अनुसार देना :—

क—पहिले-पहल एक केन्द्रीय शिक्षण-शिविर खोलकर उनको तीन महीने के लिए प्रारम्भिक शिक्षा देना। इन तीन महीनों में उनकी पढ़ें में रहने की शर्म हट जायगी। बाहरी दुनियां की वास्तव कुछ जानकारी हो जाने से उनके अन्दर हिम्मत और आत्म-विश्वास पैदा होगा। बहुत अर्थ से पढ़ना-लिखना छूट जाने के कारण जो भूल गई हैं दोहरा लेंगी। कताई धुनाई का साधारण ज्ञान भी हो जायगा। यानी तीन महीने में हम उनको एक साधारण रूप से ग्राम-सेविका बनने की ओर उनकी मनोवृत्ति बना लेंगे। उसके बाद नौ महीना अपने गांव के कार्यक्षेत्र में शिक्षा देना। इस नौ महीना में एक पाठशाला चलाना जिसमें गांव की लड़कियाँ तो पढ़ेंगी ही साथ ही जहाँ तक सम्भव हो गाँव की बहुओं को भी शिक्षा दी जाय और ग्राम-सेविका को आगे बढ़ाने के लिए एक अध्यापक निश्चय कर दिया जाय जिससे जो लोग दर्जा ४ पास नहीं हैं वे दर्जा ४ पास करके लोअर मिडिल की तैयारी कर सकें और दर्जा ४ पास वालीयाँ सीधे तैयारी करें। ग्राम-सेविका के लिए विद्यालय के साथ

एक छोटा-सा पुस्तकालय तथा एक साप्ताहिक पत्र का इन्तजाम करके देश और दुनियाँ के विषय में साधारण दृष्टिकोण का विकास किया जाय ।

ख—नौ महीने के बाद फिर तीन महीने के लिए उनको केन्द्रीय शिक्षण-शिविर में बुला लिया जाय जिसमें देश और समाज का साधारण ज्ञान, देहात की स्त्रियों में क्या-क्या सुधार करना है, बच्चों को कैसे रक्खा जाय, इत्यादि विषयों की जानकारी कराई जाय । साथ ही चर्खा और दूसरी उपयोगी दस्तकारी के साथ देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिस्थितियों का बोध कराया जाय, जिससे उनकी मनोभावना स्वभावतः समाज-सेवा की ओर झुक सके ।

ग—पिछले साल की तरह इस साल भी ६ माह घर पर रहकर उसी ग्राम का केन्द्र चलाना । इस साल लड़कियों के साथ-साथ अधिक तादाद में बहुओं को लाने की चेष्टा करना । गाँव के घरों की सफाई व चर्खा का कार्यक्रम । साथ-साथ उनमें जो लोअर मिडिल पास कर गईं उन्हें मिडिल की तैयारी और बाकी को लोअर मिडिल पास कराना ।

घ—तीसरे साल भी ३ माह शिविर की शिक्षा और ६ माह कार्यक्षेत्र की शिक्षा देकर उनकी योग्यता निम्न प्रकार कर देने का भरोसा मुझको था ।

१—मिडिल तक की योग्यता । २—चर्खा और धरेलू जरूरी धन्धे जैसे सिलाई, गुंथाई निटिंग । ३—देश और दुनियाँ का साधारण ज्ञान । ४—ग्रामीण समस्याओं का ज्ञान । ५—बच्चों के पालन और प्रसूति-विज्ञान की जानकारी ।

तीन वर्ष में उनके अपने जीवन और दृष्टिकोण में इतना परिवर्तन करना सम्भव है कि हमारी कल्पना के अनुसार उनकी मार्फत स्त्री-सुधार को सेविका जिम्मेदारी उठा सके, इसका मुझे विश्वास था । इस तीन साल के प्रचार और व्यावहारिक सेवा से उस क्षेत्र में

इतना वायुमण्डल पैदा करना मुश्किल नहीं था, जिससे प्रायः सभी स्त्रियाँ हमारे कार्यक्रम में भाग ले सकें। उस समय कार्यक्रम की क्या रूप-रेखा होगी, इसका निर्णय करना बेकार था क्योंकि इतनी तैयारी ही एक कार्यक्रम था। बाद में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता रहेगा। वैसे तो शिक्षाक्रम के जिस ढाँचे की मैंने कल्पना की थी, उसमें भी अनुभव से परिवर्तन होता ही रहता है।

इस प्रकार अपनी योजना की वास्तविक मन में साफ-साफ रूप-रेखा बनाकर खर्च के लिए ग्राम-सुधार आफिस से मैंने बातें कीं। मैंने सोचा था कि अगर उधर से कुछ उत्साह मिले तो मैं अपने महकमा के मंत्री श्री टि० एन० कौल आई० सी० एस० की सलाह से योजना को एक निर्दिष्ट साकार रूप देकर सरकार को भेज दूँगा। लेकिन महकमा से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। स्त्रियों के काम के नाम से वे अलग ही रहना चाहते थे। इस खतरे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। वे दूसरे स्थानों में स्त्रियों को काम कराने के प्रयत्न में विफल हो चुके थे इसलिए इसकी सफलता पर उन्हें भरोसा नहीं था। अतः महकमा के प्रांतीय दफ्तर ने कुछ मदद मिलने की मुझको कोई आशा नहीं दी।

जिले में मैंने विभाग के मंत्री और इन्स्पेक्टर को अपना विचार बताया। उनको यह योजना पसन्द आई। मि० कौल तो बहुत ज्यादा उत्साहित हुए। मैंने उनसे कहा कि प्रान्त से कोई मदद नहीं मिलेगी लेकिन हमारे जिले की शिक्षा के लिए जो मंजूरी है उसमें स्त्री या पुरुष थोड़े ही लिखा है? इसलिए जिला-समिति तो इसको सिर्फ स्त्री-शिक्षा में ही खर्च कर सकती है। फिर भी मि० कौल ने एक योजना बनाकर सरकार को भेज दी। मैं पहले ही रुक देख आया था; उधर से कोई आशाजनक जवाब नहीं आया। फिर हम लोग शिक्षा कोष से मासिक वृत्ति देकर शिविर में स्त्रियों को लाकर पहले ३ माह की शिक्षा दे ही सकते हैं, ऐसा विचार किया। शिविर-खर्च के

लिए शहर में कुछ चन्दा लेना भी निश्चय किया और उसके लिए समिति भी बना ली। समिति बनने पर और चन्दे का काम शुरू होने से जिले भर में योजना की बाबत सब लोग जान गये। इस शिविर में शरीक होने के लिए देहाती भाइयों के नाम एक अपील छपवा कर बटवाई भी गई।

उन दिनों मुझको बहुत मेहनत करनी पड़ी। शहर में मित्रों का समझाना, उनकी अलोचनाओं का जवाब देना इत्यादि से लेकर देहात में लोगों को समझा कर शिविर में उनकी बहू-बेटियों को भेजने के लिए राजी करना आदि सभी काम करना पड़ता था। मि० कौल और इन्सपेक्टर भी इसके लिए कल्पनातीत परिश्रम करने लगे। इन दिनों किस प्रकार के एतराजों का सामना करना पड़ा वह भी काफी मनोरंजक कहानी है। उसे मैं दूसरे पत्र में लिखूँगा। इस समय अब लिखने की तबीयत नहीं करती है।

आज हमारे बैरक से भी दो आदमी छूटे। इसलिए इस वक्त बैरक की शान्ति भंग हो रही है। बैरक के बुजुर्ग कानपुर के पुराने नेता श्री नारायण अरोड़ा आज छूट रहे हैं। उन्होंने बैरक की शोभा बढ़ा रखी थी। रात को गाँधीवाद और गाँधी-सिद्धान्त की किताबें पढ़कर व्याख्या करते थे। कल से वह काम मुझको ही करना होगा। इसलिए भी उनका छूटना मेरे लिए एक बोझा होगा।

इस वार जेल आने पर मेरा श्री मैथिलीशरण गुप्त और अरोड़ा जी से घनिष्ठ परिचय हुआ इसलिए अरोड़ा जी के छूटने से खुशी भी है, दुःख भी। खैर, यह सब तो होता ही रहेगा। कभी तो हम लोग भी इसी तरह छूटेंगे। आना जाना लगा ही रहेगा।

[४६]

खतरे की शंका

२८—११—४१

कल स्त्री-सुधार योजना के विषय में लिख रहा था। बीच में कुछ लोगों के छूटने की खबर से पत्र समाप्त कर दिया था। इधर प्रति-दिन छूटना जारी है। आज विचित्र भाई का एक पत्र आया है। वे लोग मेरा इन्तजार कर रहे हैं। उन्हें आम रिहाई की उम्मीद है।

जो हो अभी एक-डेढ़ माह तो लग ही जायँगे। तब तक शायद मैं अपनी ग्राम-सेवा के प्रयोग की कहानी खतम कर डालूँगा।

मैंने जब ५० स्त्री-सुधार केन्द्र खोलने का इरादा किया तो मेरे मित्र समुदाय में एक बहुत बड़ी हलचल मच गई। अधिकांश लोग सिद्धान्त से तो मेरी योजना ठीक समझते थे लेकिन अब इसमें खतरा समझते थे। उनका कहना था कि गाँव के लोग भला अपने घर की स्त्रियों को कहाँ भेजने लगे? फिर आप लड़कियों को नहीं बुलाते हैं, बहुओं को आप इस योजना के लिए लेना चाहते हैं, यह तो और भी कठिन है। स्त्रियों के शिविर खोलेंगे, उसमें बड़ी बड़ी बदनामियाँ होंगी। गाँव के भले घर से तो कोई भेजेगा ही नहीं। जो लोग आवेंगे उनसे

आप क्या काम लेंगे। इत्यादि सबसे अधिक एत-

आपत्तियाँ राज लोगों का यही थी कि इससे व्यभिचार की वृद्धि होगी। गाँव से परदा हट जायगा तो और अनर्थ हो जायगा। भला पिटरौल और आग कहीं एक साथ रखना चाहिए। यह तो तुमको मालूम ही है कि जब कभी स्त्रियों के संगठन के सम्बन्ध में बात की जाती है तो लोग घबरा जाते हैं। यदि स्त्रियों को समाज में पुरुषों के साथ कार्य-क्षेत्र में भाग लेने का अवसर दिया जायगा तो उनके विचार में समाज में एक प्रकार का सार्वजनिक व्यभिचार फैल जायगा। साथ ही वे युरोपीय समाज के साथ तुलना भी

करने लग जाते हैं। मालूम नहीं, युरोपीय समाज की नैतिक स्थिति कैसी है। उसका हमें ज्ञान है ही नहीं। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे जितने मित्रों ने युरोप में भ्रमण किया है और युरोपीय समाज का अध्ययन किया है, वे कहते हैं कि युरोपीय समाज के लोग अपने यहां के सामाजिक क्रिया-निषेधों की मर्यादाओं का उतना उल्लंघन नहीं करते हैं जितना हमारे देश में आज के लोग करते हैं। लेकिन हमको युरोप के समाज के बारे में झगड़ा करने से क्या फायदा। जिस चीज का मैंने प्रत्यक्ष अध्ययन नहीं किया है उसके विषय में कह ही क्या सकता हूँ। हाँ, मैंने अवध के देहाती समाज को देखा है। चलो,

उस समाज की स्थिति का विश्लेषण करके देखा जाय

ग्रामीण

कि हमारे मित्रों की धारणा किस हद तक सही है

समाज की तीन

और समाज में स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध की वास्तविक

श्रेणियाँ

स्थिति क्या है। ग्रामीण समाज में तीन श्रेणी के

लोग रहते हैं (१) ब्राह्मण क्षत्री कायस्थ बनियाँ

आदि उच्च श्रेणी के कहलाने वाले (२) कुरमी अहीर काछी आदि

किसान जातियाँ जो खेती में मेहनत करके अपना गुजर करती हैं (३)

चमार केवट पासी आदि मजदूर श्रेणी के लोग जो खेती और दूसरे

धंधों में औरों के लिए परिश्रम करके गुजारा करते हैं।

इन तीनों में प्रथम श्रेणी के लोगों में स्त्रियों को घरे में अलग

रखने का रिवाज है। उनके स्त्री-पुरुष एक क्षेत्र में काम नहीं करते हैं।

लेकिन ग्राम स्त्री पुरुषों के सम्बन्धों में दुर्नीति की खोज की जाय तो

इन्हीं में इसकी अधिकता देखने को मिलेगी। दरअसल अलग-अलग

रहने से ही उनके चित्त में विकार पैदा होता है।

प्रथम श्रेणी

दूसरी और तीसरी श्रेणी में निधड़क स्त्री-पुरुष एक

में दुर्नीति

साथ कन्धे से कन्धा मिला कर खेत में काम करते

हैं। सभी दौते समय शरीर से सटाकर बोम्बा एकसिर

से दूसरे पर रखते हैं लेकिन उनमें तो विकार पैदा नहीं होता। टाँडा

के देहातों में घूमने के समय चमारों की प्रवृत्ति का जो अनुभव मैंने बताया था वह भी तो उच्च श्रेणी के लोगों के सम्पर्क के कारण है। अन्यथा वाद में मैंने कितने ही चमारों को देखा है कि जो स्वतंत्र रूप से खेती करते हैं। उनके यहाँ तो वातावरण निर्मल ही रहता है।

हमारे यहाँ लोगों में एक अजीब मनोभावना पैदा हो जाती है। जब कभी हम ऐसा समाज देखना चाहते हैं जिसमें पर्दा नहीं है या जहाँ स्त्री पुरुष सभी साथ साथ चलते हैं तो निगाह दूसरी ओर ही जाती है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि भारतीय समाज की ८० फीसदी आबादी किसान और मजदूरों की है। उनमें पर्दा नहीं है; वे स्त्री पुरुष हर एक क्षेत्र में साथ-साथ काम करते हैं। यदि उनमें स्वदेशी दृष्टि होती, अपने देश की इस ८० फीसदी आबादी की ओर देखते और फिर उनको मालूम होता कि ऐसे समाजों में, जहाँ स्त्रियाँ स्वतन्त्र हैं, वहाँ नैतिक स्थिति भी ऊँची है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि इनमें दुर्घटनाएँ नहीं होती। ऐसी दुर्घटनाएँ हर समाज और हर देश में थोड़ी-बहुत होती हैं और होती रहेंगी। लेकिन जब हम इनकी स्थिति की उस उच्च श्रेणी के समाज की स्थिति से, जहाँ स्त्री-पुरुष अलग घेरो में हैं और वहाँ स्त्रियाँ बचपन से सहस्र निषेधों की आड़ में रहती हैं, तुलना करते हैं तो बन्द समाज से खुले समाज को कहीं ऊँचा पाते हैं। फिर अगर किसी भी समाज की नैतिक दुर्घटनाओं का गहराई से निरीक्षण किया जाय तो मालूम हो जायगा कि उनमें आधी से ज्यादा असहनीय गरीबी के कारण या उच्च श्रेणी के लोगों के सम्पर्क के कारण हैं। हम जब शहर के लोगों को यह परिस्थिति बताते हैं तो लोग स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि उनके सामने तो किसान और मजदूर का आदर्श शहर के घरों में काम करने वाले कहार कहारिन आदि और मंडियों में घूमने वाले मजदूर मजदूरिन ही होते हैं। लेकिन मैं तो ग्रामीण समाज की बात कर रहा था। वहाँ की वास्तविकता का जब हम अध्ययन करते हैं तो स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध के आदर्श की

वाचत मित्रों की जो धारणा देखते हैं असलियत उसकी ठीक उलटी पाते है ।

हाँ, मैं कहाँ से कहाँ चला गया । अपने कार्यक्रम की कथा बताते बताते देहात की बहस में पड़ गया । लेकिन यह भी देहाती स्थिति की वाचत अध्ययन था इसलिए यह हमारे विषय के बाहर नहीं है । और तुम्हारा समय बृथा नहीं खर्च होगा ।

शुभारंभ प्रायः एक-डेढ़ माह दौड़-धूप करके, मित्रों के एतराजों को सम्हाल कर और देहात के लोगों को विश्वास दिला कर मैंने ५० बहिनों का एक शिक्षण-शिविर ४ नवम्बर सन् १९३६ को फैजाबाद में खोल दिया । मैं ने कोशिश की थी कि सिर्फ गाँव की बहूयों को ही अपनी योजना में लिया जाय पर अविवाहित बहिनों को भी बुला लिया । प्रथम चेष्टा की दृष्टि से यह कुछ कम आश्चर्य की बात नहीं थी । देहात के भले घर के लोगों ने पुरानी रूढ़ि तोड़ कर १६ से २५ साल उम्र की बहिनों को हमारे यहाँ विश्वास करके भेज दिया । यही एक बड़ी क्रान्ति थी । बहुत से मित्र तो इस बात पर ही आश्चर्य करते थे कि लोगों ने भेज कैसे दिया ।

इस प्रकार जिस योजना पर पिछले २ साल से विचार हो रहा था उसका सूत्रपात व्यवहार के रूप में हो गया ।

[५०]

ग्राम सेविका-शिक्षा-शिविर

२६—११—४१

दिसम्बर आ गया । अब जाड़ा बहुत जोरों से पड़ रहा है । जाड़े के मारे मैं रोज सिकुड़ता जा रहा हूँ । आगरा की सर्दी मशहूर है । इधर जेल में जाड़े के कपड़े के लिए जेल अधिकारियों की रोज फिक्र-

भिक्रि लगी रहती है ।

लेकिन मेरा जुकाम, बुखार आदि सब ठीक हो गया । अब खूब स्वस्थ हूँ । काम में भी अब खूब दिलचस्पी हो रही है । रात को कथा वाचने का काम अरोड़ाजी के न होने से मैंने ही ले लिया । एक फायदा इसमें भी है । हिन्दी पढ़ने का अभ्यास हो जायगा ।

कल के पत्र में मैंने महिला-शिविर के उद्घटान की बात बताई थी । पहले दिन जब स्त्रियाँ आईं तो वहाँ मि० कौल और दूसरे मित्र मौजूद थे । सामने आई हुई बहिनों के घूँघट और उनके साथ बच्चों को देख कर लोग धवड़ा गये । मि० कौल तो बड़े ही परीशान हो गये । कहने लगे—“भाई जी, यह क्या बात है ? इन लोगों को क्या ट्रेनिंग देंगे ? ये बच्चे तो और भी भयानक हैं । इनको

हटाइये । नियम कर दीजिए कि बच्चे वाली चली

प्रथम दृश्य

जायँ ।” इत्यादि । लोगों की वग़राहट और परीशानी

देख कर मुझको थोड़ा मजा आता था; मैं मुसकरा

कर कहता था—“सब ठीक हो जायगा ।” भला बताओ, स्त्रियों का काम करने चले हैं और कमला भी न हो ? विवाहिता बहूँ भी हों और बच्चे न हों, यह कैसे चल सकेगा ? वे बच्चों को कहाँ फेंक देंगी ? मान लो, हम एक बार खोज-खोज कर ऐसी स्त्रियाँ जुटा लें जिनके बच्चे नहीं हैं । फिर क्या ? क्या हमेशा वे बिना बच्चों की रहेंगी । स्त्रियों के सुधार के लिए शिक्षा-शिविर खोलना चाहते हैं और काम की योजना बनाना चाहते हैं तो बच्चों के साथ ही प्रोग्राम सोचना होगा; बच्चों को अलग कर वह नहीं हो सकता । वे घर जाकर भी अगर कुछ करेंगी तो बच्चों को सम्हालते हुए ही न करेंगी; फिर बच्चों को संभालना, बच्चों को पालना, छोटी-मोटी बीमारियों में क्या करना चाहिये, जन्म से ही उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ये सब बातें तो स्त्री-शिक्षा का प्रधान अंग हैं । इन बातों को छोड़ कर स्त्री-शिक्षा की क्या कल्पना कर सकते हैं । मैं जानता हूँ कि जितनी स्त्रियों की संस्थाएँ

होती हैं उनमें बच्चे वाली स्त्रियों के लिए प्रवेश निषेध होता है। लेकिन यह प्रवृत्ति विल्कुल गलत है। मेरी निश्चित राय है कि स्त्री-संस्था की कल्पना के साथ शिशु-विभाग की भी धारणा रखना जरूरी है। जो लोग बच्चों का झमेला उठाने से घबड़ाते हैं उनको स्त्री-संस्था के आयोजन का खयाल ही छोड़ देना बच्चों के बिना चाहिए। उन्हें कन्या पाठशाला से ही सन्तोष करना स्त्री शिक्षण चाहिए। लेकिन ऐसे सन्तोष से हमारे गाँव की व्यर्थ है समस्या हल नहीं होती। इसलिए लोगों की घबराहट होते हुए भी बच्चों का हमने स्वागत ही किया और शिक्षा-शिविर के साथ-साथ एक शिशुपालन-शिविर भी खोल दिया, जहाँ दिन भर बच्चे रहते थे। तीन स्त्रियों की पारी प्रतिदिन उनके देखभाल के लिए बाँध दी। मेरी चाची एक सप्ताह आकर उनको दिनचर्या बता गईं। शिशु-मंगल और प्रसूतिगृह के काम में लोग मदद भी करते रहे। इससे माताओं को शिशुपालन की व्यावहारिक शिक्षा भी मिलती रही। शुरू-शुरू से बच्चों को एक घेरे में रखना ठीक था लेकिन जल्दी ही बच्चों में काफी अनुशासन आ गया। इस इन्तजाम से जो लोग शुरू में परीशान थे उन्हें भी खूब सन्तोष हुआ और वे दिलचस्पी लेने लगे।

शिविर खोलने में मेरे सामने एक और कठिनाई थी। मेरे साथ काम करने वाली कोई बहिन नहीं थी। तो फिर काम कैसे चलेगा? जब कोई नहीं थी तो भी मैं आगे बढ़ा। मैंने सोचा, मैं खुद ही चलाऊँगा। लेकिन स्त्री-शिविर बिना स्त्री के कैसे चले? यह सब सोच कर कार्य की स्त्री सुशीला को ही वहाँ का इन्चार्ज बना दिया। बाद को प्रान्तीय स्काउट कमिश्नर मिस सुशीला आगा ने ३-४ माह का समय हमें दे दिया था। सुचेता और आचार्य युगलकिशोर की स्त्री श्री शान्ति बहिन ने भी एक-एक माह का समय उसमें दिया था। इस तरह कमर बाँध कर अगर कोई अच्छा काम शुरू

क्रिया जाय तो ईश्वर सारा इन्तजाम धीरे-धीरे शुभ काम को कर देता है। “सारी सुविधा जुटाकर ही काम ईश्वर बढ़ाता है। शुरू करेंगे” वाली प्रवृत्ति मेरी समझ में कभी नहीं आई। इस तरह नया क्रान्तिकारी कार्यक्रम तो हो ही नहीं सकता। फिर तो “न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेंगी।” सेवकों को अपनी योजना के औचित्य और व्यवहारिकता पर विश्वास होना चाहिए। अपने पर भरोसा होना चाहिए। फिर तो शुभ काम शुरू ही करना चाहिए; बाकी सामग्री व साधन धीरे-धीरे मिलता जाता है। इस सिद्धान्त पर मेरा दृढ़ विश्वास था। हुआ भी वही। बिना किसी स्त्री के होते हुए भी शिविर खोलने का खतरा उठा लिया; फिर स्त्रियाँ मिलती गईं।

४ माह शिविर में निम्नलिखित विषयों की शिक्षा दी गई।

१—हिन्दी, हिसाब, इतिहास, भूगोल। २—चर्खा का व्यवहारिक और औद्योगिक ज्ञान। ३—शिशुपालन व प्रसूति-विज्ञान। ४—देश-दुनिया के साधारण ज्ञान। ५—स्काउटिंग। ६—राष्ट्रीय गाना। ७—गाँव की मामूली समस्याएँ।

४ माह के बाद इन स्त्रियों के जीवन में, दृष्टिकोण में, बुद्धि में इतना परिवर्तन हुआ कि अवाक् होना पड़ता था। परिवर्तन तो कल्पना-तीत था। यह उनके लिए एक दृष्टान्त था जो कहते हैं कि गाँव वाले बदलना नहीं चाहते हैं। पर्दे की झँप तो तीन दिन में ही खतम हो गई थी। जो लोग पहले दिन उनको देख गये थे वे एक-डेढ़ माह बाद देख कर विश्वास नहीं करते थे कि ये वही स्त्रियाँ हैं। डेढ़ माह बाद दादा (आचार्य कृपलानी) शिविर में आये थे। उन्होंने लड़कियों को देखा, उनसे बातें कीं, उनसे सवाल पूछ कर जवाब देने को आस भी लिया। मैंने दादा से पूछा कि आपने कैसा स्टैंडर्ड पाया। दादा ने कहा बहुत ठीक। “There are as many intelligent and dull girls as you will find in such a group in towns

(“यहाँ भी उतनी ही चतुर और उतनी ही बोदी लड़कियाँ हैं जितनी किसी भी नगर के ऐसे समूह में मिल सकती हैं।”) ख्याल रहे, ये दादा के शब्द हैं। तुमको मालूम है कि इन मामलों में दादा का मान कितना ऊँचा है। उनका मान इतना ऊँचा हुआ करता है कि हमारे समाज की स्थिति को देखते हुए कभी-कभी व्यावहारिकता का दायरा भी पार हो जाता है। खैर, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो देहात की स्त्रियों के जीवन में इतना परिवर्तन हो सकता है कि उसकी कल्पना करना मुश्किल है। कैम्प के नतीजों को देख कर इस दिशा की सम्भावनाओं पर मेरा इतना विश्वास हो गया कि हमारी कस्बियों में भी ऐसा होना सम्भव है, इसकी भी कल्पना करने लंगा। बाद को इस दिशा में मैंने जो कुछ प्रयत्न किया था उसकी कहानी फिर कभी लिखूँगा।

चार माह शिविर के शिक्षा-क्रम के साथ-साथ एक काम मैंने और किया। सुचेता और शान्ति वहिन ने १ माह का समय मुझे दे दिया था। मैंने उनके रहने का फायदा उठा कर देहातों में हमारी योजना के पक्ष में प्रचार करने की बात अनुकूल वातावरण के लिए सोची। इसके लिए मैंने प्रतिदिन दिन को १ बजे से ४ बजे तक का गाँव का कार्यक्रम रखा। एक दिन सुचेता जाती थी और एक दिन शान्ति वहिन। जिन ग्रामों की स्त्रियाँ कैम्प में आई थीं और जहाँ सुधार-केन्द्र खोलना था उन-उन गाँवों में विराट सभा का आयोजन करते थे। कोशिश करते थे कि स्त्री और पुरुष दोनों आवें और वे काफी तादाद में आते भी थे। सुचेता और शान्ति वहिन सभाओं में स्त्री-सुधार की बात भाषण देती थीं और फिर बाद को स्त्रियों से बात-चीत करती थीं। इस कार्यक्रम से देहाती वायुमंडल काफी हमारे पक्ष में होता गया। सुचेता तो उसी गाँव की जो वहाँ हमारे शिविर में भी उसे साथ ले जाकर उससे गाना गवाती थी। एक गाँव में उसके ससुर मुझसे कहने

लगे :—“भाई जी, मैंने तो आज ही अपनी बहू की सूत देखी।” तुम लोगों के लिए यह बहुत बड़ी बात नहीं मालूम होती है क्योंकि तुम महाराष्ट्र के वायुमंडल में काम करते हो लेकिन अयोध्या के इलाके के लिए यह बहुत बड़ी क्रान्ति है।

इस तरह ईश्वर की कृपा से चार माह में शिविर का काम समाप्त करके बहिनों को घर भेज दिया। शिविर खतम हो जाने पर मेरे एक मित्र ने, जो स्कूलों के इंस्पेक्टर थे, कहा—“मि० मजूमदार, कैम्प की सफलता की बाबत तो बहुत से लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन एक बात के लिए मैं आप को बधाई देता हूँ। वह यह है कि चार माह में किसी किस्म की समालोचना का मौका नहीं आया।” वस, आज और नहीं लिखूँगा।

[५१]

सेविकाओं की व्यावहारिक शिक्षा

३०—११—४१

बहिनों को शिविर की शिक्षा के बाद फिर ६ माह के लिए कार्यक्षेत्र की व्यावहारिक शिक्षा की योजना के मुताबिक कार्यक्रम बनाने की समस्या सामने आ गई। शुरू में तो गांव के लोगों में हमारे कार्यक्रम के प्रति सहानुभूति पैदा करना था। विशेषकर गाँव की स्त्रियों की प्रवृत्ति में कुछ परिवर्तन लाना था। मैंने सुचेता से कहा और वह समय देने को राजी हो गई। फिर स्त्री-सुधार केन्द्रों का उद्घाटन समारोह के साथ करने लगे। सुचेता इसके लिए काफी मेहनत करती थी। उद्घाटन के बाद घर-घर जाकर स्त्रियों से बातें करती थी। सुचेता के घरों में घूमने से मुझको मदद मिली और स्त्रियों में कम से कम इसके विरुद्ध भावना दूर होती रही।

सुधार-केन्द्र में शुरू में लड़कियों के विद्यालय से ही आरम्भ करना है, यह मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पढ़ाई और तकली की व्यवस्था की। ग्राम-सेविका के लिए पहले साल गाँव का कोई काम करने का कार्यक्रम नहीं रखा। तीन साल की योजना में प्रथम वर्ष इसकी कल्पना भी नहीं थी। इस बार हम सिर्फ इस पर जोर देते थे कि वे नियमित जीवन व्यतीत करें। अपने घर साफ रखें और अपने बच्चों को सफाई से रखें। हाँ, गाँव की बहुओं को विद्यालय में लाने की कोशिश करें, इसका ध्यान हमेशा रखता था। ग्राम-सेविकाओं से विद्यालय की पढ़ाई और कताई का लेखा रखने और मासिक रिपोर्ट तैयार करने का भी अभ्यास कराता था। प्रत्येक केन्द्र में १०-१२ किताबें, १ मासिक और १ साप्ताहिक पत्र का भी प्रबन्ध हो गया। सुधार-केन्द्र की सेविका इधर विद्यालय चलाने का काम करती थी और साथ ही अपनी परीक्षा के लिए तैयारी करती थी। हर एक के लिए एक अध्यापक का इन्तजाम योजना के हिसाब से किया था।

जिले में ५० शिक्षा-केन्द्र खोजने से और उसके लिए प्रचार करने से एक फायदा और हुआ। देहातों में ग्राम तौर से लड़कियों को पढ़ाने के प्रति लोगों की रुझान होने लगी। और देखता था कि बहुत से गाँवों में लोग अपनी छोटी लड़कियों को जिलाबोर्ड के प्राइमरी स्कूलों में अधिक तादाद में भर्ती करते थे।

इस तरह ६ माह का भी कार्यक्रम पूरा होता गया। सब लोगों ने कक्षा ४ की परीक्षा भी दे दी और २७ बहिनें लोअर मिडिल की परीक्षा की तैयारी करने लगीं।

यद्यपि प्रधानतः सुधार-केन्द्र में लड़कियाँ ही शिक्षा लेती थीं फिर भी बहुत से केन्द्रों में २-४ बहुएँ भी पढ़ने लगीं। यह ठाकुरों का गाँव था। फिर भी उन्होंने पर्दा न रखने का निश्चय कर लिया। पहले ही साल के नतीजे को देखकर मुझको विश्वास हो गया कि तीन साल में जब हम ग्राम-सेविकाओं की तैयारी पूरी कर लेंगे और सुधार-केन्द्र

की सम्पूर्ण योजना का काम शुरू हो जायगा तो गाँव की तमाम स्त्रियों में इतना मानसिक परिवर्तन हो सकेगा कि वे सब हमारी योजना में भाग लेने लगेंगी ।

६ माह का कार्यक्रम समाप्त करके दूसरे साल की शिविर-शिक्षा का इन्तजाम कर ही रहा था कि कांग्रेस के आदेशानुसार हम लोग ग्राम-सुधार महकमा से अलग हो गये । इस साल तो मेरा काम आसान हो गया था । जिले की स्त्री-सुधार योजना के पहले साल के नतीजे को देख कर प्रान्तीय सरकार ने इसको जारी रखना स्वीकार कर लिया और तमाम खर्च के लिए मंजूरी दे दी । केवल इतना ही अब सरकार नहीं किया बल्कि इस योजना को ४८ जिलों में धीरे धीरे फैलाने के लिए ग्राम-सेविका शिक्षा-शिविर का स्थायी भी बना दिया । यह जरूर है कि मेरे अलग हो जाने से सरकार ने इस योजना का रूप बदल दिया । मेरी योजना उनको समझाना भी मुश्किल था क्योंकि वे ग्रामीण मनोवृत्ति से कुछ नहीं करते । सरकारी महकमों में जिस प्रकार काम होता है वह तो तुमको मालूम ही है । लेकिन योजना का ढांचा तो वही रखा । योजना स्थायी होने से कुछ फायदा तो हो ही गया । गाँव की स्त्रियों में दृष्टि का विकास तो होगा ही इसलिए भी मुझे संतोष है कि मेरा भी मतलब कुछ तो हल हो जायगा ।

इस तरह ग्राम-सुधार महकमा के साधनों का फायदा उठाकर बहुत दिनों के स्वप्न को कुछ साकार रूप देने की कोशिश की । इससे आगे के लिए मुझको अनुभव भी बहुत मिला । भविष्य में अगर कमी स्त्रियों का काम करना होगा तो इस अनुभव से लाभ होगा ।

[५२]

स्त्री-शिक्षा का आधार—चर्चा

१—१२—४१

कल ग्राम-सुधार स्त्री-शिक्षा शिविर का नतीजा बताते समय मैंने तुमको लिखा था कि मुझको ऐसा लगा कि अगर कत्तिनों को किसी तरह ज्यादा समय तक शिक्षा दे सकें तो उनके जीवन में हम अमूल्य परिवर्तन ला सकते हैं। यह ठीक है कि कैम्प में एक तो जो स्त्रियां आईं थीं वे सब अच्छे घर की लड़कियां थीं, फिर दर्जा २, ३, ४ तक पढ़ी भी थीं। कत्तिनें ठेठ किसान हैं। और वे पढ़ी-लिखी हैं। मैं पहिले ही लिख चुका हूँ कि अच्छे घर की स्त्रियां चाहे थोड़ी पढ़ी भी हों लेकिन पर्दा के कारण बाहरी साधारण ज्ञान उनमें कम होता है। बुद्धि तो उनमें ज्यादा होती है लेकिन अनुभव कम। एक-एक माह के लिए जो सूत-उधार विद्यालय खोला गया था उसके द्वारा उनकी समझ और धारणा शक्ति का अन्दाजा मुझको मिल गया था। इसलिए स्त्री सुधार केन्द्र का सब अनुष्ठान समाप्त होते ही इसका प्रयोग करने का विचार हुआ। इस काम के वास्ते गोसाईं गंज से आधे मील की दूरी पर एक ग्राम पसन्द किया गया। यह सिर्फ किसानों का ही ग्राम है। यहाँ हम लोगों ने पंचायत कायम की थी। वह सफलता के साथ चल रही थी इसलिए भी वहाँ प्रयोग करना आसान हो आशातीत सफलता गया था। वहाँ एक सेवक को रख दिया। गाँव की ३०-३५ स्त्रियाँ प्रतिदिन सात घण्टे के लिए स्कूल में आती थीं। १ घंटा प्रतिदिन अक्षरज्ञान और हिसाब पढ़ाया जाता था; और समय धुनाई और कताई। प्रयोग के वास्ते मैंने तीन माह तक विद्यालय चलाया। सप्ताह में एक दिन बौद्धिक क्लास में साधारण विषयों की बातें बता दी जाती थीं। बीच-बीच में मैं भी वहाँ जाकर कत्तिनों को इधर-उधर की बातें बतलाता था। कर्ण भाई भी प्रायः जाते थे।

केवल ३ माह में ही उनके दृष्टिकोण में कल्पनातीत परिवर्तन दिखाई देने लगा। बाबा राववदास एक बार हमारे यहाँ आये थे। उनको उस गाँव में ले गया था। स्त्रियों से बात करके वे पूछने लगे— “वाकई ये अनपढ़ किसान हैं ?” एक बार हमारे प्रान्तपति श्री पाली-वाल जी उस गाँव में गये थे। उन स्त्रियों को देखकर वे आश्चर्य करने लगे।

इसी तरह इल्तफातगंज के पास एक गाँव में प्रयोग किया। वहाँ दूर होने के कारण मैं ज्यादा नहीं जा सका। वहाँ के कार्यकर्ता का स्टैंडर्ड भी अच्छा नहीं था। फिर भी वहाँ का नतीजा अच्छा ही रहा। २-४ गाँवों में तीन-तीन माह के प्रयोग से कत्तिनों के जीवन में परिवर्तन की सम्भावनाओं का पता लग गया। और मैं जिस बात की कल्पना करता था उस पर विश्वास हो गया। यह अप्रैल, मई, जून की बात थी। अगस्त ६ में आश्रम की सालाना बैठक होती थी। उसमें ६-७ योग्य कार्यकर्ताओं को फिर से कताई धुनाई की शास्त्रीय शिक्षा देकर विशेष रूप से कताई विद्यालय खोलने के लिए तय हुआ। तदनुसार ६-७ कार्यकर्ताओं को रखीवाँ भेजा गया। उनको ३-४ माह चर्खे की व्यावहारिक, यांत्रिक और सैद्धान्तिक शिक्षा देकर अकबरपुर के पास १२ गाँवों में कत्तिन विद्यालय खोल दिया। वहाँ अपनी योजनानुसार १ घंटा बौद्धिक क्लास भी रख दिया गया। दो माह में ही उनमें परिवर्तन देखने को मिला। लेकिन मैंने देखा कि कार्यकर्ताओं की तैयारी पूरी नहीं हुई और मार्च का महीना हो जाने से २ माह के लिए कत्तिनों को फसल काटने की छुट्टी भी देनी चाहिए थी इसलिए कार्यकर्ताओं को फिर से शिक्षा देने के लिए रखीवाँ बुला लिया। वे रखीवाँ आये और मैं गिरफ्तार होकर जेल चला आया। जेल में जाकर इस प्रश्न पर विचार करता रहा। ६ माह विचार करने से मुझको एक निश्चित योजना की रूप-रेखा स्पष्ट होने लगी। कानपुर खादी भंडार के व्यवस्थापक श्रीरामनाथ टंडन यहाँ मेरे साथ रहते हैं। उनसे अपनी

योजना की बाबत विचार-विनिमय किया। फिर हम लोगों ने अपनी कल्पना को लिख डाला। पूज्य बापू जी को भी इसके बाबत एक पत्र में लिखा। बापू जी ने उस पत्र को नवम्बर के खादी जगत् में प्रकाशित करके सब प्रान्तों के खादी कार्यकर्ताओं की गय मांगी है। अगर चर्खा संघ इस योजना को मान ले और व्यवहार में लाये तो ग्रामीण समाज में क्रान्ति हो जायगी। स्त्री-सुधार के लिए कोई दूसरी योजना बनाने की जरूरत नहीं होगी। तुम लोगों को काम के लिए अनन्त कार्यक्षेत्र मिल जायगा।

इधर आज से फिर लोग छूटने का अनुमान लगा रहे हैं। ४ तारीख को वाइसराय की कमेटी में तय होगा। अब सब छूटेंगे। मैं सोचता हूँ कि अभी छूट जाऊँगा तो यह ग्राम-सेवा की कहानी खतम नहीं होगी। लेकिन क्या हर्ज है? जितना ही हो जाय उतना ही बहुत है। किस तरह ग्राम-सेवक को ग्राम-समस्याओं को समझ-समझ कर चलना है, उसकी बाबत तो सब कह चुके हैं। जेल से अगर छूटा तो श्री निकेतन के काम का अध्ययन करना चाहता हूँ। तुम इन्तजाम कर देना। वस, अब आज खतम करता हूँ।

[५३]

खादी-सेवकों की स्त्रियाँ

२—१२—४१

कल जो अनुमान छूटने के मुतल्लिक चल रहा था वह आज फिर जोर से चलने लगा। यह सब देखकर मैं आज फिर लिखने बैठा। अब समय बहुत कम मिलता है। बातों बातों में ही वक्त कट जाता है। अतः ज्यादा भूमिका न बांध कर अपने विषय पर आता हूँ।

पहले ही लिख चुका हूँ कि ग्राम-सुधार शिक्षा केन्द्र के पक्ष में वायुमंडल पैदा करने के लिए मैं देहातों में जाकर प्रचार करता था

उन लोगों के सामने आजकल की स्त्रियों की हालत और अनमेल विवाह आदि सामाजिक कुरीतियों की तीव्र आलोचना करता था। भारत की प्राचीन स्त्रियों के आदर्श की वास्तविक वृत्तान्त था। कत्तिन-स्कूलों में कत्तिनों को भी इसी प्रकार वृत्तान्त था। लेकिन इस प्रकार के प्रचार में मुझको एक बहुत भारी अड़चन पड़ी। फैजाबाद जिले के बहुत नौजवान हमारे आश्रम के कार्यकर्त्ता हैं। दुर्भाग्य से उनकी स्त्रियाँ पिछड़ी हुई हैं। सुधार-केन्द्र की स्त्रियों, यहां तक कि कत्तिन स्कूल की स्त्रियों का दृष्टिकोण भी उनसे उन्नत था। कार्यकर्त्ताओं की स्त्रियों की हालत यहां तक खराब है कि वे नियमित चर्खा भी नहीं चलातीं और खादी नहीं पहनती हैं। ऐसी हालत में जब कभी मैं ऐसे गांव में पहुंच जाता था जहाँ हमारे कार्यकर्त्ता का घर हो तो मैं बहुत धर्म-संक्रांत में पड़ जाता था। मैं प्रचार करता था कि स्त्रियाँ पर्दा न रखें, चर्खा चलायें, खादी ही पहनें। और हमारे अपने साथियों की स्त्रियाँ घूँघट काढ़कर घर में फंसी रहें, चर्खा न चलायें, खादी न पहनें। और हम इन्हीं कार्यकर्त्ताओं के मार्फत अपना कार्यक्रम चलाना चाहते हैं; अपने यह विषम स्थिति ! सिद्धान्तों को साकार रूप देना चाहते हैं ! किसी-

किसी गांव में जब लोग इस विषय पर मुझसे सवाल भी करते थे तो मुझको झेंपना पड़ता था। इस परिस्थिति को देखकर मेरी आत्मा को बहुत कष्ट होता था। मैं सोचने लगा, ऐसी हालत में हम क्या ग्राम-उत्थान का काम करेंगे। अगर हम अपने साथियों में ही कोई भावना पैदा नहीं कर सके तो संसार को क्या बताना सकते हैं। आश्रम के कार्यकर्त्ताओं की स्त्रियाँ अपने पतियों के साथ कार्यक्रम में भाग नहीं लेतीं, इसकी ग्लानि तो मुझमें थी ही। इसकी वास्तविकता तो तुमको मैं पहले ही लिखा चुका हूँ। लेकिन इस बार के दौरे ने तो मुझको परीक्षण कर दिया। मैंने महसूस किया कि ग्रामसेवकों की स्त्रियों की शिक्षा तो पहले होनी चाहिए। उसके बाद ही कोई कार्य-

क्रम गांव में चलाया जा सकता है। लेकिन उस समय मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। और न इसके लिए कोई साधन ही था, न मौका था। इसलिए इस बात को मन ही मन छोड़ा और रण्णीवां आश्रम में जो बहिनें रहती थीं, उनकी व्यवस्था करके मैंने संतोष किया। अकबरपुर में भी जिन-जिन कार्यकर्ताओं को राजी कर सका उनकी स्त्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने लगा। मेरे साथियों की राय इस मामले में मेरे साथ न होने से विशेष उत्साह तो नहीं था। लेकिन इस ओर कुछ न कुछ चेष्टा मैंने जारी ही रखी।

ग्राम-सुधार की मार्फत जो स्त्री-सुधार की योजना शुरू की थी उसके प्रथम वर्ष के शिविर के खतम होते ही मैं तुमसे, सुचेता से और जिससे भी मुलकात होती थी किसी बहिन को इस काम को उठाने के वास्ते कहता था। दूसरे साल के शिविर के लिए एक योग्य बहिन की आवश्यकता थी। पहली बार तो प्रयोग मात्र था। स्त्रियों को बुलाकर किसी तरह काम चालू कर दिया गया। मैं खुद भी वहां बैठ गया। ऐसा तो स्थायी रूप से हो नहीं सकता था। इसलिए मुझको स्थायी इन्तजाम करना था। तुमको याद होगा; तुमसे कितनी ही बार कहा होगा। आखिर मिस इटीरा की वावत खबर मिली और सरला बहिन की मार्फत उनसे बात करके तय किया। वे राजी भी हो गईं। उन्होंने लिखा था—नवम्बर के प्रथम सप्ताह में आने की कोशिश करूँगी। अक्टूबर में प्रान्तीय सरकार ने शिविर को सीधे अपने निरीक्षण में चलाने का निश्चय किया। वे मेरा असर उन स्त्रियों पर नहीं चाहते थे क्योंकि हम लोग तो उनमें राष्ट्रीय भावना ही पैदा करेंगे। जब मैं कैम्प की जिम्मेदारी से अलग हो गया तो मिस इटीरा को लिख दिया कि अब न आयें। मुझसे भूल हुई थी कि मैंने तार नहीं फेंका। मिस इटीरा मेरा खत पाने से पहले ही वहां से चल दी थीं और ४ नवम्बर को आश्रम में हाजिर हो गईं।

मिस इटीरा जब आ गईं तो मैंने उनको बहुत ही सादे जीवन

वाली पाया और मन में सोचा, आश्रम के कार्यकर्त्ताओं की स्त्रियों के लिए शिक्षा विभाग खोल दिया जाय। मैंने उनसे योग्य व्यवस्था- अपना प्रस्ताव किया। उन्होंने रहकर देखने को पिका का अभाव कहा। कुछ कार्यकर्त्ताओं की स्त्रियों को बुलाकर मैंने आश्रम में महिला-विभाग खोल दिया। मिस इटीरा ज्यादा दिन नहीं रह सकीं; फिर अपनी काकी (सुचेता की मां) को बुलाकर चलाता रहा। सोचा था, तुम लोग कोई इन्तजाम कर दोगी। मृदुला बहिन को बुलाकर दिखाया। उन्होंने भी किसी बहिन को तलाशने की कोशिश करने को कहा। फिर मैं गिरफ्तार हो गया और ५-६ माह बाद उसे बन्द कर देना पड़ा। अब देखो, कब बाहर निकलते हैं और कब मौका मिलता है। चाहे जो हो मुझको तो ऐसा लगता है कि जिव तक कार्यकर्त्ता खुद अपने आदर्श की ओर नहीं चलेंगे तब तक हम अपना आदर्श दूसरों को क्या बता सकते हैं। और इस बात में हम अशक्य इसलिए हैं कि हमारे साथी अपनी स्त्रियों को साथ लेने की चेष्टा तक नहीं करते।

बाहर निकल कर फिर तुम लोगों को तंग करूँगा। यह तो तुम्हारी जाति का काम है। लेकिन तुम लोगों में जो योग्य हैं वे तो पुरुषों के समान होने के आन्दोलन में व्याख्यान देकर और प्रबन्ध लिखकर अपना सारा समय व्यतीत कर देती हैं, चाहे स्त्री समाज अन्धकार में पड़ा रहे। खैर, यह सब भगड़ा तो निकलने पर ही होगा। फिर हाल तो मैं जेल में हूँ और आश्रम का स्त्री-शिक्षा विभाग बन्द है।

मैं जब से आगरा जेल में आया तभी से तुमको पत्र लिखता रहा। मैंने आश्रम में शुरू से ग्राम-सम्बन्धी जो कुछ सोचा, देखा और किया सब कुछ जहाँ तक याद कर सका लिख दिया। इसके अलावा मैंने सरकारी ग्राम-सुधार का काम दो साल किया। उससे भी काफी अनुभव हुआ। उसकी बात भी लिखने की कोशिश करूँगा। स्त्री-सुधार के अनुभव तो बता ही चुका हूँ लेकिन वह तो आश्रम-

कार्य के सिलसिले से ही था। केवल सरकारी साधनों का इस्तेमाल करके अपनी कल्पना के अनुसार प्रयोग कर लिया। अब मैं दूसरे पत्रों में सीधे सरकारी तरीके से ग्राम-सुधार की कहानी लिखने का प्रयत्न करूँगा।

[४५]

सरकारी ग्राम-सुधार

३—१२—४१

कल के पत्र में आश्रम की ग्राम-सेवा की बात खत्म हो गई थी। वादा के मुताबिक आज सरकारी तरीके से सरकारी महकमा की मार्फत ग्राम-सुधार के अनुभव लिखने बैठा हूँ। सरकारी महकमा में एक कठिनाई यह है कि उसमें परिस्थिति के अनुसार अपनी कल्पना को पूरा करने का मौका नहीं होता। दूसरी बात यह कि उनका कार्यक्रम किसी निश्चित आदेशानुसार ग्रामीण समाज को संबन्धित करने की दिशा में नहीं होता है। उनके कार्यक्रम अलग-अलग धुन लिये होते हैं। गाँव के लोगों को कुछ सहायता पहुँचाने का ही लक्ष्य उनके सामने होता है। मुझको प्रान्त भर के लिए बनाये हुए निश्चित कार्यक्रम को लेकर चलना पड़ता था। उसे मैं अपनी धारणा के अनुसार मोड़ने का प्रयत्न तो करता था। फिर भी बहुत हद तक कार्यक्रम अलग-अलग ही होता था।

मुझको जब जिला ग्राम-सुधार संघ के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सरकार की ओर से मिली तो सबसे पहले पुरानी सरकार की योजनाओं का अध्ययन किया। फैजाबाद में अयोध्या के राजा के कोर्ट ऑफ वार्ड्स की ओर से कुछ ग्राम-सुधार का काम होता था। सरकारी ग्राम-सुधार भी उसी के साथ शामिल कर दिया गया था। मैंने देखा, जो

सुधार हुआ है उसमें अक्षरशः ग्राम-सुधार ही हुआ है। न तो ग्राम-वासी-सुधार की कोई चेष्टा की गई थी और न ग्राम-समाज-सुधार की कोशिश थी। वहाँ विभाग के सेवकों में ही जाति-भेद था। सुधार अफसर, इन्स्पेक्टर, आर्गनाइजर आदि जातियाँ अलग-अलग थीं और उसी हिसाब से आगस में व्यवहार था। जैसा कि मैं शुरू में ही लिख चुका हूँ शहर के लोग ग्राम-सुधार उसी को कहते हैं जिससे गांव वालों को वे चोज मिल जायँ जिनके बिना शहर वालों को तकलीफ होती है। यानी पक्की गलियाँ हो जायँ, ओसारा पक्का हो जाय, सीमेन्ट का फर्श हो जाय, बड़े-बड़े खिड़कीदार कमरे हों। अगर हो सके तो विजली की रोशनी और रेडियो हो जाय।

मैंने ऊपर कहा है कि वे ग्राम-वासियों का सुधार नहीं करते। मेरी इस किस्म की बातों से कुछ सुधार-आफोसर नाराज हो जाते थे। “क्या आप समझते हैं, हममें इतनी भी अकल नहीं कि हम यह न जानते हों कि उनका अज्ञान ही सारे कष्ट का मूल है। हम उसका भी इन्त-जाम करते हैं।” हां, ठीक है वे यह भी करते हैं। वे मैजिक लैंटर्न से बताते हैं, मक्खियाँ क्या-क्या बीमारी फैलाती हैं; हैजा से बचने के क्या-क्या उपाय हैं इत्यादि और उनका प्रतीकार ऐसा बताते हैं कि ग्रामवासी ग्रामीण साधन से पा नहीं सकते हैं। वे सफाई की बात भी करते हैं लेकिन अपने खेमे की सफाई रखने में इतने खर्च का नमूना दिखाते हैं कि देहाती स्वभावतः यही कहते हैं कि सफाई रखने के लिए इतना तूल-कलाम अगर करना है तो परमात्मा ने हमको साफ रहने के लिए पैदा ही नहीं किया। यह भी अमीरों के अनेक विलासों में एक विलास ही है।

हाँ, वे समाज-सुधार भी करते हैं। व्याख्यान और पच्चों-द्वारा यह बताते हैं कि “तुम बड़े बेवकूफ हो। ठीक से रहना नहीं जानते; तुममें जात-पात का भेद है। तुम विवाह श्राद्ध आदि अनुष्ठानों में फिजूल खर्च करते हो; तुम चमार धोवियों का नाच कराते हो; होली

खेलते हो; तुम वेकार जेवर बना कर सोना-चाँदी उपदेशों की भरमार घर में फँसाकर रखते हो। इस तरह तुमको महाजन के चंगुल में फँसकर कर्जा में डूबना पड़ता है। तुम्हारे बच्चे मूर्ख रहते और गोरू चराते हैं। घास छीलते हैं, पढ़ते नहीं इसीलिए तुम बरबाद हो गये। अतः तुमको चाहिए, घर पर किसी किस्म का वेकार आनन्दोत्सव न मनाकर मुँह लटकाकर १२ माह बैठे रहो। जितना भी सोने चाँदी के जेवर हैं वेचकर रुपया को-आपरेटिव बैंक में रख दो। जरूरत पर महाजन के पास न जाकर सहकारी समिति से उधार लो। बच्चे गोरू न चरावें, मवेशी खूँटा में बाँधे रहें। घास बिना उनका काम चल जायगा। बच्चों को सरकार ने जो हर गाँव में निराकार स्कूल खोल रखा है उसमें भर्ती कर दो। इत्यादि उपदेशों की भरमार से गाँव वालों का दम घुटने लगता है। अगर कुछ लोगों ने सुनने कोशिश की तो वे दूसरे के चंगुल में फँसे जिसका नाम सरकारी शोषण है।

यानी उनका दृष्टिकोण ऊपर-ऊपर से गाँव में कुछ सजावट लाता था। जिससे यह प्रचार हो सके कि सरकार भी ग्राम-सुधार कर रही है। पराक्षा रूप से सरकार इन विभागों की भाँफत ग्रामवासियों को केवल अपने हाथ में रखने का उद्देश्य पूरा करती है।

कांग्रेस मन्त्रिमंडल ने जब ग्राम-सुधार का काम करना शुरू किया तो सुधार की नीयत तो उन्होंने बदल दी लेकिन तरीका पुराना ही रखा। उनकी नीयत गाँव वालों को वाकई मदद करने की थी लेकिन उच्च श्रेणी के सदियों के संस्कार के अनुसार उनमें भी दया की वृत्ति थी। वेचारे गाँव वालों का कुछ भला करना था। नीयत होने पर भी अनुभव न होने से समस्या की जड़ पर वे नहीं पहुँच पाये।

समस्याओं का अध्ययन करने का साधन भी तो वही पुराने तरीके उनके पास पुराने सरकारी कमीशनों की रिपोर्ट और युरोप के प्रयोगों का विवरण ही था। अतः जिस

प्रकार सन् १९२१ में हमने सारे देश में कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा की संस्थाएँ खोली थीं जिनमें शिक्षा-पद्धति तो वही पुराने तरीके की नकल थी, सिर्फ राष्ट्रीयता की सफेदी कर दी गई थी, उसी प्रकार कांग्रेस सरकार ने ग्राम-सुधार के काम में पुराने तरीके की नकल करके उसमें अपनी शुद्ध नीयत का पोचाड़ा मात्र लगा दिया।

शुरू के ७-८ माह तक तो कोई खास कार्य-क्रम ही नहीं मिला; साधारण प्रचार ही चलता था। आखिर प्रचार तुम कितने दिन चला सकते हो। कुछ टोस काम तो चाहिए ही। आखिर जब कार्यक्रम आया तो इस प्रकार था :—

१—गाँव में पंचायत घर बनाना। २—गाँव के कुओं की मरम्मत कराना। ३—गली सड़क ठीक करना। ४—पंचायत कायम करना। ५—रात्रि पाठशाला और दूसरी शिक्षा का प्रवन्ध करना। ६—खेती का सुधार करना।

हर एक काम के लिए थोड़ा-थोड़ा रूपया भी मंजूर हुआ। काम चलाने के लिए प्रत्येक जिला बोर्ड के निर्वाचन क्षेत्र को क्षेत्र मानकर सर्किल खोल दी गई। इस तरह फैजाबाद जिले में २७ सर्किलें हो गई थीं।

पहले तो इतने अधिक विस्तृत सर्किल में इतने अधिक प्रकार का सुधार देखकर ही मैं घबड़ा गया। फिर जब उसके लिए मंजूर रकम देखी तो मैंने समझा कि यह भी ऊपरी-ऊपरी कुछ भला करने का कार्यक्रम है। अतः मैंने इसके लिए बहुत दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं समझी। मैंने केवल यही निश्चय किया जो कुछ भी कार्यक्रम ऊपर से आये उसे जोर से चला दिया जाय जिससे सरकारी साधन गाँव वालों के लिए ज्यादा से ज्यादा लाभदायक हों।

शुरू में पंचायत घर पर जोर दिया गया। मैंने भी उस पर जोर देकर करीब २५-३० पंचायत घर बनवाये। इस काम में हमारे मंत्री श्री महेन्द्र सिंह रनधवा आई० सी० एस बहुत उत्साही थे। जिस तरीके

का पंचायत घर बन रहा था उसके साथ मैं बहुत सहमत नहीं था। लेकिन मैंने पहले ही देख लिया था कि कांग्रेस मंत्रिमंडल भी पुराने महकमों के तरीके से चल रहा है और उल्टे रास्ते जा रहा है। अतः मैंने अपने मंत्री पर ही ज्यादातर बात छोड़ दी थी। मैं तो पंचायत

घर के पक्ष में था ही। मैं चाहता ही हूँ कि अगर

पहले पंच या साधन जुटाया जा सके तो प्रत्येक गांव में कोई

पंचायतघर ? सार्वजनिक स्थान हो, नहीं तो सामाजिक जीवन नहीं

बन सकता है। लेकिन शुरू में पंचायत घर नहीं

बनाना चाहिए। पहले पंच बनें, फिर पंचायत और उसके बाद ही

पंचायत घर बने। जब तक पंच नहीं बनेंगे तब तक पंचायत भी नहीं

बन सकती है। पंचायत की बात मैं अपना अनुभव और राय बता

ही चुका हूँ। गांव में जो लोग पंच बनने लायक हैं, वे कैसे हों यह

सब लिख ही चुका हूँ। अतः अगर गांव को आगे बढ़ाना है तो पहले

पंचों को खोज निकालना होगा और उसके लिए पहले कोई रचना-

त्मक ठोस काम शुरू कर देना चाहिए। प्रायः ऐसा देखा जाता है

कि हरेक गांव में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अक्सर पाने से सार्व-

जनिक काम में दिलचस्पी लेते हैं। किसी गांव में पाठशाला, पुस्त-

कालय, औषधालय आदि खोल कर देखो; २-४ आदमी ऐसे निकल

आते हैं जो उत्साह से अपना तन, मन, धन उस काम में लगा देते

हैं। लेकिन आज के साम्राज्यशाही शोषण के दलाल सत्तात्मक ग्राम-

समाज में उनके लिए अपने सद्गुणों के विकास का कोई अक्सर नहीं

है। अतः सार्वजनिक जीवन में इनका कोई स्थान नहीं है। इसलिए

सब से पहले जरूरी है कि ऐसे रचनात्मक कार्य शुरू करना

जिसको करने से इस तरह का सत्तात्मक लाभ नहीं होता है।

ऐसा करने से हम गांव के ईमानदार और लोक-हितैषी वृत्ति वाले

समूह के व्यक्तित्व को ग्रामीण जनता के सामने प्रतिष्ठित कर सकेंगे।

और इनके प्रधानतः साधारण लोगों में से होने के कारण इन पर-

जनता का विश्वास पैदा होगा। पिछले एक पत्र में हमने लिखा था कि हम जब तक गांव में स्वाभाविक नेतृत्व कायम नहीं कर सकेंगे तब तक एकाएक पंचायत कायम करके उसके हाथ में सत्ता छोड़ देने से जनता को उन्हीं के हाथ में छोड़ देना होगा जो लोग अब तक उसका उत्पीड़न करके स्वार्थ-साधन करते थे और शोषक वर्ग के एजेंट के रूप से गांव में फैले हुए हैं। अतः सही पंचायत कायम करने के लिए पहले पंचों के व्यक्तित्व का विकास करना है। इस तरह पंचायत की स्थापना होने पर ही पंचायत घर की बात सोचनी चाहिए। फिर पंचायत घर उसी शहरी दृष्टिकोण स्थान पर कायम करना चाहिए जहाँ इस वाले अधिकारी प्रकार पंचायत की मार्फत शिक्षालय, पुस्तकालय आदि किसी किस्म की स्थायी संस्था का संगठन हो गया हो। फिर उसी संस्था का काम चलाने के लिए ही घर बनाना चाहिए जिसकी बनावट इस तरह की हो कि उसी इमारत से पंचायत घर का भी काम चल जाय। लेकिन मुश्किल तो यह है सरकारी अधिकारी, चाहे वे कांग्रेसी क्यों न हों, शहरी दृष्टिकोण रखते हैं। इसलिए कार्य-क्रम भी ग्रामीण समस्या की दृष्टि से उल्टा ही होता है।

लेकिन तुमको तो मालूम ही है, मैं कोई चीज आधे दिल से नहीं करता हूँ। जो काम करना है उसे डटकर करना चाहिए। आखिर पंचायत घर बनने में फायदा ही था। लोगों में जोश होता है। विभाग के प्रति कुछ विश्वास भी होता है और पंचायत घर के लिए कुछ सामान जुटाना और उसके बनाने की व्यवस्था करने में कुछ त्याग की भावना और कार्य-कुशलता तो पैदा होती ही है। इसलिए जब सुधार-मंत्री श्री काटजू साहब का आग्रह और हमारे मंत्री श्री रन्धवा के असीम उत्साह को देखा तो मैंने भी अपनी लारी शक्ति इसको सफल बनाने में लगा दी। श्री रन्धवा ने इसके लिए इतनी अधिक मेहनत की थी कि जो देखता था वही आश्चर्य करता था। पंचायतों घरों के कारण

इस जिले का ग्राम-सुधार का कार्य प्रान्त-भर में मशहूर हो गया । तुमको मैं यहां पर कह देना चाहता हूं कि पंचायत घर तो बनाया और बाद को उन्हें उपयोगी बनाने की कोशिश भी की लेकिन पंचायत घर के मामले में ऊपर-लिखे सुताविक मेरी राय अभी भी कायम है । अनुभव ने भी इसकी पुष्टि की । क्योंकि जहां ठीक-ठीक पंचायत कायम हो सकी वहां तो घर कुछ उपयोगी है, बाकी स्थानों पर बेकार पड़ा है ।

पंचायत घर के साथ-साथ दूसरा कार्य-क्रम भी उसी तरह चलता रहा जैसा कि महकमे में चलता है । मैं पहले ही लिख चुका हूँ कि कार्य-क्रम के तरीकों को देखकर मुझको बहुत उत्साह नहीं हुआ था । और रणीवां आश्रम को भी बनाना था इसलिए दफ्तरी ढंग से ही अपना समय साल भर तक महकमा के काम में देता था । क्योंकि मैं समझता था कि इस ओर सर पटकने पर गाँव के जीवन का संगठन कायम करने की सम्भावना कम है । मुझको यह भी कहा गया था कि प्रान्त से जो कार्य-क्रम आता है उसमें हेर-फेर भी नहीं हो सकता है । इसलिए भी उसमें कुछ नई बात सोचने की गुंजायश नहीं थी ।

बाद को जब स्त्री-सुधार के लिए विचार करते-करते उसी सरकारी कानून के भीतर से अपने विचार के अनुसार काम चलाने की सम्भावना देखी तो उस ओर भी मैं अपना ध्यान देने लगा । आज वस । आगे की बात कल लिखूँगा ।

[५५]

कोआपरेटिव सोसाइटी

४—१२—४६

कल पंचायत घर और पंचायती संगठन की बात कुछ बताया था । आज मैं कोआपरेटिव सोसाइटियों (सरकारी समितियों) की बात

कुछ अनुभव बताना चाहता हूँ। ग्राम-सुधार काम के वास्ते सरकार का अलग महकमा बना हुआ है। महकमों के साथ सम्बन्ध होने से मैंने समझा कि इन कामों में दिलचस्पी लेना अच्छा ही है। इन महकमों की जिम्मेदारी तो मेरे पर नहीं थी लेकिन मैं हमेशा इनका अध्ययन करता था और जहाँ सम्भव होता था मदद करता था।

जब पहले गाँव में काम करता था तो देखता था गाँव वालों की तकलीफों में कर्ज की मद ही ज्यादा दुःख देने वाली होती है। २-४ आदमी कर्ज देकर सबको बाँधे हुए हैं। कोई किसान ऐसा नहीं जो महाजन के हाथ में बँधा न हो। यह समस्या इतनी व्यापक है कि गाँव के कर्ज की वास्तव कुछ विस्तार से विचार किया जाय तो कोई हर्ज न होगा। सबसे पहले यह देखा जाय कि जो कर्ज होता है उसे किसान चाहे तो रोक सकता है या उसकी परिस्थिति ही ऐसी है कि वह उससे बच नहीं सकता। आजकल अर्थशास्त्र के पंडितों का एक प्रकार का फैशन हो गया है कि वे किसानों की फिजूलखर्ची की बात कहकर कर्ज में उनके डूबने के खिलाफ आलोचना करते हैं। विवाह, जनेऊ, त्योहार आदि अनुष्ठानों में शक्ति से ज्यादा खर्च करने पर उनको कोसते हैं और उनको उपदेश देते हैं। लेकिन वे चाहते क्या हैं। क्या गाँव के लोग गले में रस्सी बाँध अपने को दरख्तों से टाँग लें। दरख्त भी तो गरीबी के मारे खतम हो रहे हैं। आखिर गाँव वालों की जिन्दगी में है क्या? किसान का सारा जीवन नीरस और रूखा है। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी, वही एक ही तरह का सुबह उठना, हल-बैल लेकर खेत में जाना। १२ माह वही चर्वन, वही मक़ुनी वाजरा की रोटी दाल। कोई विभिन्नता नहीं, कोई तब्दीली नहीं। आँख मूँदकर धानी के बैल जैसा छोटे से दायरे में जिन्दगी भर घूमना ही उनके लिए रह गया है। हम लोग ७-८ माह से यहाँ नजर-बन्द हैं। यहाँ किस्म-किस्म के कार्यक्रम हैं। खेल,

आजीवन कारा-
वास-सा नीरस
जीवन

क्रुद ही जीवन का उद्देश्य है, आदर्श है। फिर भी ७-८ माह में लोग ऊब गये दीखते हैं। छूटने की कहीं से गन्व मात्र आ जाय तो लोग चावले हो उठते हैं मानो आसमान से चांद टूटकर गिर रहा है। गांव के किसान तो आजीवन कारावास भोग रहे हैं, सो भी सी० क्लास का। ऐसे दुस्तह आर नीरस जीवन में कभी एक आध बार कोई शुभ अवसर आता है तो कुछ खुशी मनाना, कुछ प्रमोद करना, स्वजन कुटुम्ब से भेंट मुलाकात करना उनके लिए स्वाभाविक और अपरिहार्य हाता है। गांव भर की नीरसता के बीच वही एक-आध मौका होता है जब आयालवृद्धवनिता थोड़ा हँस लेते है, थोड़ा खुश हो लेते हैं। अगर अर्थशास्त्र के पांडित समाज-सुधार के लिए इनको भी वन्द कराकर उनको पत्थर की मूर्ति बना देना चाहते हैं, उनको ममी बनाना चाहते हैं तो परमात्मा उनकी बुद्धि उन्हीं तक रखे। मेरी समझ में यह बात आती नहीं। भला उन उपदेशकों से पूछो ऐसी परिस्थिति में अगर पड़ते तो वे क्या करते। २।१ दिन के लिए भी अपने आराम के साधन बांधकर ही गांव पहुँचते हैं। फिर भी 'मोनोटोनस' (नीरस) कहकर ग्रामीण वायुमंडल से भाग आते हैं। इनकी जवान से यह उपदेश शोभा नहीं देता है। यह ठीक है, उनको फिजूल खर्च से बचाना चाहिए। लेकिन यह काम आलोचना करने से नहीं होगा और न उपदेश देने से ही होगा। उसके लिए चाहिए कि लोग गांव में जाकर बैठें और अनुष्ठानों का ऐसा तरीका बतावें कि खर्च भी कम हो और विनोद भी पूरा हो जाय।

यही बात जेवर की भी है। अगर जेवर वृत्ति न होती तो २०० साल से जिस तरह सर्वतांमुखी शोपण चल रहा है उसमें अब तक जो कुछ भी हाड़-मांस इन किसानों के शरीर में कायम है वह भी स्वाहा हो जाता।

किसानों की एक और बात बताकर वे हँसते और नाक पिकोड़ते हैं। मैंने बहुत से उद्धारकों को देखा है। अबध में मौलसी हक जमीन

पर नहीं है, यह मैं पहले ही लिख चुका हूँ। वाप जीवन की कठोर के मरने के ५ साल बाद, और कितने ही पहले से वास्तविकताएँ किसान को खेती से वेदखल होने पर नजराना देकर जमीन लेते हैं। जो लोग वेदखल भी नहीं होते हैं उनके पास खेत इतना कम होता है कि जब कहीं कोई भी खेत खाली होता है तो नजराना लेकर टूट पड़ते हैं। इस चढ़ा-ऊपरी में उनको बहुत ज्यादा रुपया देना पड़ता है। जिन्दा रहने के एक मात्र साधन को प्राप्त करने के लिए चाहे जितना सूद पर चाहे जितना पैसा दे देने में न वेवकूफी है और न लापरवाही। जिसको आज ही जिन्दा रहने की समस्या का हल करना है वह भविष्य की बात नहीं सोच सकता; उसमें किसी किसम की भावना का अवशेष नहीं रह जाता है। भीषण दुर्भिक्ष में माता-द्वारा बच्चा भून कर खा जाने की कहानी भी तो इतिहास ही बताता है। भूखे और बेकार लोगों द्वारा सड़क के कूड़े की टंकी में से पड़ा अखाद्य खाकर मौत का सामना करने की कथा भी तो सुनने में आती है !

ग्रामीण उद्योग-धन्धों के खिलाफ आलोचना करने वाले पश्चिमी अर्थशास्त्र के पंडित जब कहते हैं कि किसान जमीन के वास्ते टूट पड़ते हैं और उसे वेवकूफी और लापरवाही कहते हैं तो समझ में नहीं आता उनकी बुद्धि को हम क्या कहें। गाँव का पंचायत समाज टूट जाने से लड़ाई-भगड़ा के कारण अदालत में मामला ले जाना पड़ता है, उसके लिए भी कर्जा बढ़ जाता है। सम्मिलित परिवार टूट जाने से छोटा-छोटा परिवार हो गया, इस प्रकार उनके साधन कम हो जाते हैं इसलिए भी वह कर्ज में फँसता है। अतः जब मैं देहातों में काम करता था और किसानों को कर्ज की असम्भव स्थिति में देखता था और उनके कारणों का अध्ययन करता था तो मालूम होता था कि कर्ज का कारण किसानों की बेकसी और वेवसी है और आज की स्थिति में वह अनिवार्य है। इसलिए इस समस्या के हल पर मैंने कभी गम्भीर

विचार ही नहीं किया था। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से विधायक तरीका एक ग्राम-सेवक ग्रामवासी को इस दिशा में कुछ मदद नहीं कर सकता। अपनी शक्ति-भर आनन्दोत्सवों में सही ढङ्ग पर खर्च करने के नवीन तरीके बताकर, खेती से अधिक पैदा करने का तरीका बताकर, गांव में मेल व सद्भाव पैदा करके, मुकद्दमेवाजी कम करा कर और सहायक धन्वा से कुछ आमदनी का जरिया बताकर भविष्य के लिए किंचित् सहूलियत पैदा करके ही हम कर्ज का भार बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन इस दिशा में प्रत्यक्ष रूप से कुछ संयोजित चेष्टा करना ग्राम-सेवक के लिए बेकार ही है।

मैं समझता हूँ, इस सिलसिले में गांव के महाजनों और दूसरे उधार देने वालों के तरीकों को भी देख लें तो अच्छा होगा। महाजनों की कर्ज-नीति की वास्तव सभी लोग जानते हैं। उसपर अधिक कहना बेकार है। वैसे तो किसान के कर्जे का इतिहास अंग्रेजी राज्य के साथ ही शुरू हुआ है। लेकिन गौर करने पर मालूम होगा कि पिछली लड़ाई के बाद ही ज्यादा कर्ज बढ़ा है और महा-

गले का फंदा कैसे जनों ने अधिक व्यापार किया है। मैंने ऊपर कहा कसा गया? है कि कर्ज किसानों की बेकसी के कारण ही होता गया। लेकिन बहुत-सा कर्ज तो महाजनों के कारण हुआ है। यह तो सबको मालूम है कि पिछली लड़ाई के दिनों में जिनके पास पैसे थे उन्होंने खूब पैसा पैदा किया। लड़ाई खतम हो जाने से लड़ाई के सामान की मांग बन्द हो गई तो बहुत सी पूँजी, जो लड़ाई के कारण दूनी तिगुनी हो गई थी, सब खाली हो गई। इन पूँजीपतियों ने जब रुपया लगाने का बाहर कोई जरिया नहीं देखा तो गांव में उधार देने में लगाना शुरू किया। फिर क्या था, उनके दलाल भी नियुक्त हो गये। इन दिनों अनाज महँगा तो था ही इसलिए जमीन से आमदनी भी बहुत थी। जहाँ कहीं जमीन खाली हुई कि महाजन के दलाल, लोगों को जमीन लेने का

फायदा बताने के लिए तैयार। ये लोग गांव में बैठकर लोगों को उक्साकर जमीन खरीदने को चढ़ा देते थे और रुपया दिला देने का भी जिम्मा ले लेते थे। वे तो त्रिल्कुल हितू बन बैठते थे। कहते थे— “भला तुम्हारे परिवार से हमने इतनी मदद पाई है। तुम्हारा दादा न होता तो अब तक हम सब भीख मांगते फिरते और मैं इतना भी न करूँ कि दौड़-धूप करके इतने रुपये का इन्तजाम कर दूँ।” इसी तरह के शुभाकांक्षी लोग किसान को नजराना देकर जमीन लेने के लिए कर्जा का इन्तजाम करके असीम त्याग और सेवा का प्रदर्शन करते रहे।

किसी के घर कोई अनुष्ठान हो तो फौरन उसके ये हितैषी हाजिर। भला उनके रहते हुए परिवार की नाक कट सकती है? कदापि नहीं। इस प्रकार परिवार की नाक बचाने वाले प्रत्येक गांव में मौजूद हैं। इन पारिवारिक प्रतिष्ठा कायम रखने वालों के मारे कई जगह मुझको हार खानी पड़ी है। मैंने तो कम खर्च करने को राजी करा लिया लेकिन उनके हिताकांक्षी लोग कहां मानने वाले। इस प्रकार नाक कटने से बचाने वाले लोग सैकड़ों परिवारों की नाक बचाकर लेकिन गला घोट कर अपना व्यापार चलाते रहे। इस दिशा में ग्राम-सेवाक व्यक्तिगत रूप से उचित सलाह देकर ग्रामवासी को कुछ कर्ज से बचा सकते हैं।

ये महा जन सूद भी कस कर लेते हैं। मैंने हिसाब करके देखा तो मालूम हुआ कि अगर महाजन किसी को २६) कर्ज दे तो १० साल में ५००) पावना हो जाता है। एक सज्जन, जो समाज में एक जिम्मेदारो लिये हुए हैं, कहते थे कि मैंने ५०) कर्ज देकर २०००) का दावा किया है। और वे इसमें बहुत गर्व करते हैं। गांव में लेन-देन के सैकड़ों तरीके हैं। उन सब का बयान करने लगूँ तो पत्र समाप्त ही न हो। इतना ही समझ लो कि जब मैं रणीवां के चारों ओर के गांव के कर्ज की वास्तव अध्ययन करने लगा था तो उसको इतना विशाल

पाया और मुझको समस्या इतनी अगम-अथाह मालूम हुई कि मैंने इस दिशा में विचार करना ही छोड़ दिया था; समाधान सोचना तो दूर की बात थी।

जब कांग्रेस मन्त्रिमंडल हुआ और ग्राम-सुधार महकमे की जिम्मेदारी ली तो मुझको ऐसा खयाल हुआ कि शायद कोआपरेटिव विभाग की मार्फत इस दिशा में कुछ सहूलियत पैदा की जा सके।[॥] वैसे तो मेरा विश्वास हो गया था कि पिछले कर्जों के लिए अगर सरकार कुछ कर सकती है तो वह केवल एक ही तरीका है। उसे रद्द कर देना और किसानों को कर्ज से बरी कर देना। परिस्थिति इतनी जटिल है कि इसका दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है।[॥] लेकिन मुझको ऐसा लगा कि भविष्य की समस्या का शायद सहकारिता-द्वारा दूसरा हल हो सके। अतएव मैं इस विभाग को कार्यपद्धति और कार्यक्रम को देखने लगा। उनके कर्मचारियों से तो परिचय हो ही गया था। उनसे विचार-विनिमय करता रहा और गाँव में जो सोसाइटियाँ बनी हैं उनका अध्ययन करता रहा।

जब मैंने इसके कार्यक्रम और संगठन की रूपरेखा देखी तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। सहकारी बैंक एक केन्द्रीय संगठन होता है जो कहने के लिए प्रतिनिधिमूलक है। लेकिन सरकारी विभाग के कर्मचारी ही बैंक वालों पर हावी होते हैं। देहांतों में सोसाइटियाँ खोली जाती हैं; उसकी पंचायतें बनती हैं। वे भी वही होते हैं जिनका विवरण मैं कई पत्रों में लिख चुका हूँ। यूनियन का प्रधान सरकारी अफसर होता है और तीन सदस्य उसके असर से बाहर से लिये जाते हैं। पंच लोग भी उन्हीं के आदमी नागनाथ हटे तो होते हैं। जिला बैंक सोसाइटी को कर्ज देता है। लॉपनाथ आये ! और सोसाइटी मेम्बरों को देती है। बैंक सीधे भी कर्ज देता है। बैंक ६% सुद लेता है और सोसाइटी १५% तक लेती है। फिर इसकी जमानत रूप में फसल बंधक

रखनी पड़ती है। फसल हो जाने पर पंचायत कब्जे में कर लेती है और बँच कर अपना पैसा ले लेती है। फसल जिसके हाथ बँची जाती है वे भी इन्हीं पंच के भाई-बन्द होते हैं। जिसको वे चाहे जिस भाव से बँच दें। जो लोग फसल बंधक नहीं रखते और दूसरी चीजों की जमानत पर कर्ज लेते हैं उनसे इतने अमानुषिक तरीके से वसूल किया जाता है कि लोग त्राहि-त्राहि करते हैं।^१

मैंने जहाँ तक देखा है कि जिस इलाके में सोसाइटी खुली हुई है वहाँ पहले से ज्यादा कर्ज लोगों पर हो गया है। वसूली के तरीके और पंचों के स्वार्थ के कारण लोग बरबाद हो जाते हैं। फिर जिसके पास जमानत के लिए कुछ है नहीं उनको तो कोआपरेटिव से कुछ कर्ज मिलता ही नहीं। इसलिए जिस क्षेत्र में कोआपरेटिव हो गई है वहाँ के सावनहीन किसान और पिस जाते हैं। स्थानीय महाजनी प्रथा नष्ट हो जाने से और बिना जमानत के कोआपरेटिव से कर्जा न मिलने के कारण उनकी तो मौत ही है। जहाँ-जहाँ भी सोसाइटी कायम है वहाँ-वहाँ लोग इसके खिलाफ हैं, यह मैंने कई जिलों में देखा है। अब तुम कहोगी कि सोसाइटी छोड़ क्यों नहीं देते। वह भी तो मजबूरी है। सोसाइटी के कारण स्थानीय महाजनी संस्था टूट जाती है और कानून ऐसा बना है कि जो लोग सोसाइटी से कर्ज लेते हैं उनको महाजन कर्ज देने से बचड़ाता है क्योंकि कानूनन कर्जदार की सम्पत्ति पर पहले सोसाइटी का हक होता है फिर दूसरे कर्जदार का। ऐसी हालत में कौन महाजन बेवकूफ होगा कि वहाँ अपनी रकम फँसायेगा ? फिर

^१कर्ज देने का एक खास तरीका है उसे "जिजिराबन्द" कहते हैं। यानी अगर १ गाँव के १० आदमी कर्ज लेना चाहते हैं तो हर एक के कर्जा अदा करने के लिए दसों आदमी सम्मिलित रूप से जिम्मेदार होते हैं। अर्थात् अगर एक ने नहीं अदा किया और उसके पास लेने को कुछ बाकी नहीं रहा तो शेष सब से या उनमें से किसी एक से वसूल कर लेंगे।

सोसाइटी का सेक्रेटरी ऐसा आदमी होता है कि गाँव वाले दूसरे पचासों तरीकों से उससे बँधे रहते हैं। वह सबको फँसाये रखता है।

कोआपरेटिव का तरीका और उसके कागजी ढंग अर्थशास्त्री के कान में चाहे जितना मधुर लगें मैं समझता हूँ जब तक कोआपरेटिव इस किस्म की है तब तक उसके फेर में पड़ना एक महाजन को खतम करके दूसरे अधिक ताकतवर और बेरहम महाजन की प्रतीक्षा करना है। गाँव के छोटे महाजन व्यक्ति होते हैं। गाँव वालों से उन का सम्बन्ध होता है; वे छूट देते हैं, मोहलत देते हैं; कर्जदार के कष्ट को भी देखते हैं। लेकिन आज की कोआपरेटिव तो एक सरकारी मशीन है। अगर उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ न होता तो भी एक दात थी। केन्द्रीय बैंक में बड़े-बड़े डाइरेक्टरों का सोलह आना स्वार्थ भरा है। इसे गाँव के जुलाहों को तोड़कर मिल खड़ा करने की बात जैसी ही समझो।

अतएव मैंने देखा कि कोआपरेटिव के जरिये कर्ज की समस्या हल करना उसको और जटिल बनाना है; साथ ही साम्राज्यशाही सरकार होने से ग्रामवासी को अपने घर के महाजन के हाथ से निकल कर बड़े शोषण की मशीन की ओर ढकेल देना है। मैंने यह भी देखा कि हमारी गुलामी को कस के जकड़ने के लिए जैसे ताल्लुकदार, बड़े जमींदार, सरकारी पंचायत आदि जरिया हैं उसी तरह यह भी दूसरा जरिया बना है। यह तो और भी मजबूरी पैदा करने वाली है क्योंकि इसके जरिये किसानों की आर्थिक लगाम अपने हाथ में रखते हैं। जनता की राय के खिलाफ इन सोसाइटियों को धमकाकर लड़ाई का चन्दा इकट्ठा करते हुए मैंने अपनी आँखों देखा है।

कांग्रेसी सरकार कोआपरेटिव विभाग की मार्फत किसान का गल्ला आदि बेचने का प्रबन्ध करना चाहती थी। कुछ काम शुरू भी किया लेकिन वह भी वही बड़े-बड़े महाजनों द्वारा, जो कोआपरेटिव बैंक के डाइरेक्टर हैं। इसमें भी उसी गुट की स्वार्थ-सिद्धि होती रही।

अगर सचमुच ग्रामीण जनता को कोई भी सरकार सही पायदा

पहुँचाना चाहती है तो मैंने पिछले पत्र में जिस क्रम से पंचायतों का संगठन करने की बात कही है उसी प्रकार पंचायतें सही तरीका कायम करके उनको मजबूत बनाकर स्वावलम्बी व्यवस्था की ओर चलाना चाहिए। फिर सब काम पंचायतों की मार्फत हो सकेगा और ऐसी पंचायत ही सही कोआपरेटिव हो सकती है। तब तक यह सब विभाग बन्द कर देना चाहिए। क्या हर्ज है, अगर देहातों के सार्वजनिक वृत्ति वाले व्यक्तियों को खोजकर पंचायतों को कायम करके उनको व्यवस्थित करने में ५-७ साल लग जायँ ? राष्ट्र-निर्माण का काम तो छू मन्तर जादू नहीं है कि रात भर में हो जायगा। फिर गांव के महाजनों को अनुशासन में लाकर भी कर्ज की समस्या आसानी से हल हो सकती है। उस समय पंचायत उचित सलाह देकर एक ओर खर्च कम करने की कोशिश करेगी, दूसरी ओर खेती-सुधार और सहायक धन्धों से आमदनी बढ़ाने की कोशिश करके गांव वालों के कर्ज का बोझ कम करने का प्रयत्न करेगी।^१

वस्तुतः महाजन भी इतने विगड़ गये हैं और सूद ज्यादा लेते हैं इसलिए कि वे देखते हैं कर्ज लेने वाले इतने गर्जमन्द हैं कि वे जो भी शर्त रखेंगे मरकर मानना पड़ेगा। फिर पंचायत का संगठन मजबूत होने से महाजन की रकम डूबने का अन्देशा कम होने पर वे खुद ही सूद कम लेंगे। आज तो जो रकम डूब जाती है उसको भी जोड़कर सूद का हिसाब होता है। मुझको बहुत से महाजन कहते हैं आप कोआपरेटिव जैसी वसूली की गारंटी करा दीजिए हम ६% सूद पर अपना काम चला लेंगे। उनका कहना सही है। क्योंकि बहुत से बड़े किसान हैं जिनको महाजन से कम सूद पर कर्जा मिल

^१सरकार की ओर से पंचायतों के मार्ग-प्रदर्शन के लिए विशेषज्ञों का इन्तजाम करना काफी है।

जाता है। उनको इसलिए मिलता है कि समय पर वसूली की गारंटी रहती है। लोग कहते हैं ऐसे सार्वजनिक वृत्ति वाले व्यक्ति कहाँ मिलेंगे। यह भय वेकार है। जैसा कि मैं पहले ही लिख चुका हूँ ऐसे आदमी देहातों में फैले हुए हैं। लेकिन प्रोत्साहन और अवसर के बिना वे दवे पड़े हैं। सही तरीके से अग्रसर होने से उन्हें खोज निकालना मुश्किल नहीं है।

गाँव के कर्ज और सरकारी को-ऑपरेटिव की बाबत मैंने जो कुछ देखा है सब इस पत्र में लिख दिया। मुमकिन है, साहित्य में अंकों की कहानी दूसरी हो। लेकिन आंख की देखी हुई स्थिति तो ऐसी ही है।

आज बहुत लिखा। आज सरकार की ओर से राजनैतिक कैदियों को छोड़ने का एलान हो गया। मुझको डर लगा कि कहीं फट से छोड़ न दिये जायँ। इसलिए अपना अनुभव सारा बताने की जल्दी के मारे इतना लिख डाला।

[५६]

खेती का महकमा

५—१२—४१

कल गाँव के कर्ज की हालत और सरकारी महकमा से उसके हल की जो चेष्टा है, उसकी बाबत लिख ही चुका हूँ। आज कुछ खेती-सुधार के मुतल्लिक लिखूँगा। इस दिशा में तो मुझको भी कुछ करने का अवसर मिला था। सच पूछो तो खेती की हालत से ही गाँववालों की स्थिति जानी जा सकती है। शुरू में जब मैंने ग्राम-सुधार का काम हाथ में लिया तो पहले खेती की हालत का अध्ययन किया। को-ऑपरेटिव की तरह खेती के लिए भी सरकार की ओर से खेती महकमा अलग था। लेकिन यह महकमा केवल सरकारी ही है। को-ऑपरेटिव बैंक की तरह किसी

पैसे वाली श्रेणी के स्वार्थ से जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए इस विभाग से मेरा सहयोग अधिक था। मैं जब कोआपरेटिव में दिलचस्पी लेने लगा तो देखता था कि वहाँ के कर्मचारी कोशिश करते थे कि मैं उसमें घुस न सकूँ। उनमें ढंग से मालूम पड़ता था कि अपनी बातों को मुझसे छिपाना चाहते हैं। लेकिन खेती महकमा में ऐसी बात नहीं थी। उसमें केवल महकमावाला दोष था। वे अपने को किसान का सेवक नहीं समझते बल्कि अफसर के रूप में रहते हैं। दूसरी बात यह है कि वे बहुत ही सुस्त और लाल फीता वाली मनोवृत्ति रखते हैं। खेती के काम के लिए जब तक ग्रामीण मनोवृत्ति न हो तब तब उनकी सारी सलाह किसानों के लिए अव्यावहारिक हो जाती है। फिर भी मैं इस विभाग से कुछ लाभ उठा सका था।

आर्यनायकम जब रणीवां आये थे तो यहाँ की खेती को देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है। सचमुच अवध की जमीन इतनी अच्छी है कि यहाँ वैसे ही अच्छी खेती हो पाती है। फिर भी लोग भूखे हैं। इसका कारण जमीन अच्छी होते हुए भी पैदावार ठीक से न होना है।

पहले जमाने के सम्मिलित परिवार खतम हो जाने से रोज-रोज खेतों का टुकड़ा होता जा रहा है। नतीजा यह हो गया है कि खेती इतने छोटे-छोटे टुकड़ों में फैली हुई है कि किसान अपने मौजूदा साधनों से पूरा पैदा नहीं कर सकता है। कुछ इतने छोटे टुकड़े हमने देखे हैं जिनकी नाप २० X ३० इंच बल्कि इससे भी कम है। बहुत से टुकड़े इतने छोटे हैं कि बैल हल चलाते समय घूम भी नहीं सकते हैं। फिर एक किसान की जमीन १०-१५ टुकड़े में इतनी दूर है कि हल और बैल लेकर एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े घूमने में ही सारा दिन कट जाता है। कभी-कभी तो एक आध टुकड़े १ या २ मील

जमीन के असंख्य दूरी पर भी होते हैं। इस तरह किसानों के पास जो टुकड़े जमीन हैं उसको जोतने में शक्ति और सामर्थ्य घटता

ही चला जाता है। इस प्रकार ठीक रूप से सेवा न होने से जमीन भी दिन व दिन खराब होती जाती है।

हमारे गाँवों में जंगल खतम हो जाने से गोबर जलाने का रिवाज है और इस कारण खाद कम होने की बात सभी जानते हैं। लेकिन अबध के इलाके की हालत 'मोटेईमा रावे ना तत और पांता।' अबध की जमीन इतनी अधिक जुत गई है कि इधर गाँव में मवेशी नहीं मिलते हैं। जो २—४ गाँवें हैं भी, बकरी जैसी छोटी-छोटी होती हैं। सो भी चिरले ही मिलेंगी। बैल भी बहुत कम मिलते हैं। बहुत से लोगों के खेत छोटे टुकड़ों में चारों ओर इस प्रकार बँटे हैं कि बैल रखने की जरूरत भी नहीं होती। मवेशी कम होने से नतो खेत की जुताई ठीक से होती है और न गोबर ही मिलता है

खाद का अभाव इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ तो गोबर होता ही नहीं, फिर जलाने न जलाने की बात भी क्या सोचें। फिर भी जितना होता है वह जला ही डालते हैं। जिस क्षेत्र में चरागाह हैं वहाँ अगर गोबर जला भी देते हैं तो भी जून से सितम्बर तक चार माह में कुछ तो खाद हो ही जाती है। लेकिन यहाँ चार माह में क्या मिलेगा जिससे जमीन को खुराक पहुँच सके।

इस जिले के किसानों की तीसरी कठिनाई पानी की है। जहाँ १० हाथ दूर पानी निकलता है, जहाँ दो-दो तीन तीन फर्लांग पर तालाब हो वहाँ पानी का कष्ट हो, यह वाकई आश्चर्य की बात है। लेकिन जिस देश में भगवान रामचन्द्र जी खुद राज कर रहे थे वहाँ सभी बातें आश्चर्य की होनी चाहिएँ। मैंने देखा इस जिले में पहले जमाने में तालाबों की भरमार थी। लेकिन सब के सब सदियों की लापरवाही के कारण बिल्कुल भट गये हैं। बरसात में उनमें थोड़ा पानी हो जाता है। लेकिन अक्तूबर खतम होते होते सिचाई की सब पानी खतम हो जाता है। कुओं से पानी भरना कठिनाई जिले में काफी आसान है क्योंकि यहाँ पानी

नजदीक मिलता है। देखने में आता है कि यहाँ सिंचाई के कुएँ भी बहुत थे। लेकिन गरीबी और जहालत के कारण आधे से ज्यादा मरम्मत बिना बेकार हो गये हैं। गरीबी के कारण साधन न जुटने से कुओं की मरम्मत नहीं हो पाती है। लेकिन जब खेत बँटता जाता है और एक ही कुएँ से कई पट्टीदार सींचते हैं तो कौन मरम्मत करेगा, तय नहीं हो पाता है। इस तरह असंख्य कुएँ खतम हो गये हैं।

इसी तरह कुछ गरीबी के कारण और कुछ ग्राम-व्यवस्था के अभाव से लापरवाही के कारण सदियों से जिले में तालाब व कुएँ होते हुए भी आज किसान पानी बिना तरसते रहते हैं।

ऊपर की बातों से तुम देख सकती हो कि किसानों को खेती के काम में तीन महासंकट पड़े हुए हैं:—

१—थोड़ी जमीन का भी छोटे-छोटे टुकड़ों में दूर-दूर बँटा रहना।

२—खाद का सम्पूर्ण अभाव।

३—पानी की विल्कुल कमी।

मैं जहाँ तक देख सका और विचार कर सका उसके अनुसार मैं समझता हूँ कि कोई भी राष्ट्रीय सरकार खेती की दिशा में सबसे पहले इन तीन समस्याओं को हल करे बाकी बातें फिर होंगी। कल के पत्र में मैंने तुमको लिखा था कि सरकारी महकमा में ऊपरी और दिखावटी काम बहुत होता है। और हरेक समस्या को हल करने के लिए युरोप और अमेरिका के तरीकों की नकल करने की प्रवृत्ति होती है। मैंने एक पत्र में यह भी लिखा था कि कांग्रेसी सरकार भी उसी तरीके से चलना पसन्द करती थी; नीयत की शुद्धता की पालिश अवश्य लगा देती थी; अतः पहले सरकारी योजनाएँ कागज पर ही होती थीं और अब उनका अमल कुछ और होता दिखाई देने लगा। ग्राम-वासी के लिए सरकारी महकमे पहले निराकार परब्रह्म के रूप में थे; आज उनको साकार रूप दिखाई देने लगा। लेकिन रूप-रेखा वही पुरानी ही थी।

मैंने देखा कि महकमा वाले दो चीजों पर मुख्य रूप से जोर देते थे; सुधरे हुए वीज और खेती के लिए सुधरे हुए औजार का इस्तेमाल। सुधरा हुआ वीज कुछ अंश तक फायदा पहुँचा सकता है। गेहूँ के वीज तो फायदा देते थे लेकिन अधिकांश वीज तो स्थानीय रूप से खरीद कर सवाई पर देने की प्रवृत्ति थी। इस पर कुछ मतभेद होते हुए

भी हम थोड़ी देर के लिए यह मानने को तैयार हैं

सुधरे वीज और कि सुधरे हुए वीज से किसान का फायदा है और

सुधरे औजार वाकई मैं मानता हूँ कि फसल की नस्ल सुधारने की

जरूरत है। लेकिन आज समस्या इस बात की नहीं

कि हमारे किसान की फसल घटिया दर्जे की है। आज की समस्या तो ऊपर बताये हुए तीन संकट की ही है। सरकार की सारी शक्ति उसी में लगनी चाहिए। अपने साधन फुटकर बातों में, पश्चिमी नकल में, खर्च कर अपव्यय नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया है ऊपरी बातों पर विचार करके वीज और औजार को ही प्राधान्य दिया जाता है।

उक्त औजार भी गौर से देखा जाय तो बेकार ही हैं। अब्बल तो ये इतनी कीमत के हांते हैं कि साधारण किसान गृहस्थ उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाते। कुछ खुशहाल गृहस्थ कभी-कभी महकमा के प्रचार से २—१ चीजें खरीद लेते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि उनके यहां इन चीजों का इस्तेमाल नहीं होता है। फिर ये उन्नत औजार हमारे लिए किस हद तक मुफीद हैं, इसका भी विचार होना चाहिए। इस पर भी खेती महकमा के विशेषज्ञों में मतभेद है। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। हमारे प्रान्त में हर साल करीब सब शहरों में नुमाइश हुआ करती है। उनमें खेती वाले उन्नत औजार को दिखाते हैं और किसानों को समझाते हैं, इनका इस्तेमाल करो। लेकिन किसानों को विशेषज्ञों की बातें समझ में नहीं आती। मैं सरकार के कृषि के डिप्टी डायरेक्टर से आलोचना कर रहा था। वे

कहते हैं कि इस जिले के किसानों के पास इतनी जमीन नहीं कि वे उनको आर्थिक दृष्टि से लाभदायक ('इकानोमिक होल्डिंग') कह सकें। दूसरी बात यह कि उनके पास खाद-पानी काफी नहीं हैं। साथ ही यह भी कह डालते हैं कि किसान इतने सुस्त हैं कि किसी किस्म की उन्नति करना ही नहीं चाहते हैं। कहते हैं कि उन्नत औजार इनको इस्तेमाल करना चाहिए। चलो, इन्हीं बातों की परीक्षा की जाय।

अगर गांव वालों के पास इतनी जमीन नहीं है जिससे परिवार को खिला सकें और १ हल और १ जोड़ा बैल का पूरा काम देख सकें; अगर इतनी जमीन नहीं है कि जमीन की आमदनी से सारे परिवार को खाने को हो जाय तो उन्नत औजार के लिए **हवाई बातें** और उसको चलाने लायक उन्नत बैल के लिए साधन कहाँ से लावेंगे। मान लो, खेती के महकमे के लोग कहीं से कुवेर का धन-भंडार पा जावें और सब को उन्नत औजार और बैल मुफ्त दे दें। फिर जब छोटे हल-बैल के लिए ही जमीन काफी नहीं है तो बड़े बैल और उन्नत औजार को पूरा काम देने के लिए कहां से लावें और जब उनकी खेती परिवार भर की ही खुराक पैदा नहीं कर सकती तो बड़े बैल की बढ़ती खुराक कहां से लावेंगे।

दूसरी बात खाद पानी काफी नहीं है। यह भी खेती के विशेषज्ञ बताते हैं कि गहरी जोताई होने से नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है और जमीन की नमी भी जल्दी सूख जाती है। यह सब लोग समझ सकते हैं कि गहरी जुताई में जब नीचे तक जमीन उल्टी पुल्टी होती रहेगी तो जितनी गहराई तक खाद पहुँचे उतनी खाद चाहिए और नमी सूख जाने से सिंचाई भी ज्यादा होनी चाहिए। और इन्हीं दो बातों के संकट का खास तौर पर इस जिले के किसानों को सामना करना पड़ता है। अतः जमीन को ऊपर ऊपर जोत कर, जमीन की स्वाभाविक नमी का फायदा उठा कर और थोड़ी खाद डाल कर

अपनी जो कुछ भी फसल पैदा कर लेते हैं, गहरी जुताई करके खाद-पानी-बिना उससे भी हाथ धोना पड़ेगा ।

लोग बहस में कहते हैं कि हम तो सरते से सरते हल देते हैं । यह ठीक है कि वे जो मेस्टन हल देते हैं, उसका दूसरे वैज्ञानिक हलों से कम दाम है । लेकिन एक तो उसका दाम (८-१० रुपया) भी अवध के किसानों के लिए ज्यादा है । फिर मेस्टन हल सिर्फ बरसात की पोली जमीन पर ही चल सकता है । इसलिए

किसान अपने मेस्टन हल हो जाने से देशी हल से छुट्टी नहीं लाभ को खूब मिलती । उनको दोनों हल रखना पड़ता है । इसका समझता है ! मतलब है और खर्चा । मैंने देखा है कि ये हल जल्द टूट जाते हैं और टूटने पर मामूली लोहार बना भी

नहीं सकते । ऊपर की बातों से तुम्हारी समझ में आ जायेगा कि किसान जो इन औजारों को नहीं इस्तेमाल करना चाहते, इसका मतलब यह नहीं है कि वे बड़े दकियानूसी हैं । मैंने खूब देखा है कि किसान चाहे जितना वेवकूफ हो खेती के मुतल्लिक अपने फायदे की बातें झूठ समझ जाता है । वे इन चीजों से उदासीन इसलिए हैं कि वे ठीक समझ जाते हैं कि इन औजारों को इस्तेमाल करने के लिए योग्य परिस्थिति नहीं है । इसी तरह कुछ उन्नत बीज भी फायदा कर सकता है । लेकिन यह आज की समस्या नहीं है ।

मेरे कहने का मतलब यह न समझना कि मैं इन चीजों को बेकार समझता हूँ । इनसे अच्छी खेती हो सकती है, इससे कौन इनकार कर सकता है ? लेकिन जिन बातों की सब से पहले आवश्यकता है उनको पहले करना चाहिए । तात्कालिका समस्या को, जिसके बिना मौजूदा तरांके से भी ठीक-ठीक पैदावार नहीं होती है, हल करके उन्नति के लिए परिस्थिति पैदा करने के बाद इन बातों को सोचना चाहिए । इस तरह पश्चिमी देशों की नकल से शक्ति व साधन का अपव्यय होगा ।

मैं जब ये बातें महकमा वालों से कहता हूँ तो वे नाराज हो जाते हैं। वे कहते हैं कि आप लोग ऊपर-ऊपर से देख कर इसी तरह राय कायम कर के सारी उन्नति पर पानी फेर देते हैं। वे अपने अंकों से साबित करते हैं कि पिछले तीन साल में किस प्रकार इन औजारों की विक्री बढ़ी है। अगर किसान इसमें फायदा न देखते तो पैसा खर्च करके क्यों लेते? इसकी भी रामकहानी सुनो। गाँव में इन औजारों को ऊँचे किसान और जमींदार ही लेते हैं। वे दो कारणों से इनको खरीदते हैं। १—कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकारी कर्मचारियों से मेल-मिलाप पैदा करके नाना प्रकार का फायदा उठाते हैं। वे सरकारी कर्मचारी की नजर में पड़ने का एक साधन समझ कर खरीदते हैं ताकि उनका नाम नोट हो जावे। २—कृषि वाले गाँव में अपने आदमी-द्वारा इन औजारों के इस्तेमाल का प्रदर्शन करते हैं। पहले साल न जमीन की नमी खतम होती है, न स्वाभाविक उपजाऊपन सूखता है। इससे नतीजा अच्छा ही दीखता है। फिर औजार टूट जाने पर महकमा वाले उस गाँव के लोहार पर तो भरोसा करते नहीं। सिर्फ इस नतीजा को देखकर भी बहुत से खुशहाल किसान इसे खरीद लेते हैं। लेकिन मैंने देहातों में सैकड़ों घरों में देखा है कि इस किस्म के औजार कूड़ाखाने या भूसा घर के कोने या ऐसे ही स्थानों में पड़े रहते हैं और उनमें जंग लगता रहता है। कुछ तो इस्तेमाल विना और टूट जाने पर मरम्मत विना। इसलिए इनके अंकों पर मुझको कोई भरोसा नहीं होता। मैं तो अपनी आँख-देखी और अनुभव पर ज्यादा भरोसा करता हूँ। ये आँकड़े भी बढ़ी खतरनाक वस्तु हैं। आजकल हम लोग इन आँकड़ों के गुलाम बनते जा रहे हैं। दादा को मैंने कई जगह व्याख्यानों में शब्दों की गुलामी की बात कहते सुना है। उसी तरह यह अंक की गुलामी भी आधुनिक शिक्षित लोगों को अन्धा बना रही है। तुम लोग बुनियादी तालीम में अंकों पर बहुत ज्यादा जोर देते हो। देखना, इसकी

अति न हो जाय। नहीं तो फार्म के खानों को देखते देखते खाली आंख से परिस्थिति को देखने की दृष्टि-शक्ति ही खतम हो जायगी। फिर तो 'लेखा की धाँधली' ही दिमागी दुनियाँ पर राज करती रहेगी।

इस तरह जब मैंने देखा कि इन बातों से कुछ तात्कालिक समस्या हल नहीं होती है तो मैं फिर ऊपर बताई तीन संकट की समस्या पर विचार करने और उनको हल करने की कोशिश करने लगा।

इस प्रयत्न में मुझको क्या-क्या अनुभव हुए, कहां कुछ कर सके, कहाँ-कहाँ बिल्कुल असफल हुए इत्यादि बातों पर कल लिखूँगा। आज कुछ देर भी हो गई और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। इसलिए यहीं खतम करता हूँ।

[५७]

खेती की समस्याएँ

७—१२—४१

कल मैं इस सम्बन्ध में कोई पत्र नहीं लिख सका क्योंकि एक तो कल और दो पत्र लिखने पड़े। फिर घर से मेरे बड़े भाई साहब का मृत्यु-संवाद आ जाने से भी तबीयत कुछ सुस्त थी। लेकिन अब रोज न लिखने पर भी कोई हर्ज न होगा। लोग इतने धीरे-धीरे छोड़े जा रहे हैं कि छूटने में महीनों लग जायेंगे। फिर धीरे-धीरे लिखने पर भी मेरी यह कहानी खतम हो ही जायगी।

हाँ, मैं परसों खेती महकमा के काम-सम्बन्धी अपना अनुभव लिख रहा था। सरकारी महकमों का काम ऐसा होता ही है; वे ग्रामीण वृत्ति से किसी चीज को नहीं देखते हैं। इसलिए हमेशा उल्टे रास्ते चलते हैं। ग्रामवासियों के शरीर की पुष्टि के लिए जब ये सुधार करना चाहते हैं तो "विटामिन चार्ट" छुपवा कर वांटते हैं। भूल

जाते हैं कि आज विटामिन की समस्या नहीं है। समस्या तो पत्थर से ही सही, किसी तरह पेट का गड्ढा भरने की राधा के नाचने के लिए नौ मन तेल का इन्तजार है। अतएव अगर कोई सरकार वाकई खेती का सुधार करना चाहती है तो पहले इस बात का पता लगाना चाहिए कि गाँव के किसान जिस तरीके से अब तक खेती करते थे उस तरीके से ही पूरा पूरा ढंग से करने में परिस्थिति के कारण क्या-क्या कठिनाई है या किन-किन बातों की कमी है। सरकार उन्हीं को पूरा कर दें। आज भी हमारे किसान खेती के तरीकों को अच्छी तरह जानते हैं। इस असम्भव परिस्थिति में भी वे जितना पैदा कर लेते हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ आधुनिक खेती-विशेषज्ञ उस परिस्थिति में हरगिज उतना नहीं पैदा कर सकते। फिर तुम किसको ज्यादा कुशल खेतिहर कहोगी? साधनहीन दशा में पैदावार में जो लोग दुनियाँ के बहुत से उन्नत मुल्कों का मुकाबला कर लेते हैं उनको या जो लोग राधा के नाचने के लिए ६ मन तेल के इन्तजार में बैठे रहते हैं उनको? फिर इसका भी कोई निश्चय नहीं कि राधा नाचकर जितना अधिक पैदा करेगी उसकी कीमत ६ मन तेल की कीमत के बराबर हो सकेगी या नहीं।

इस प्रकार मैं विचार कर ही रहा था कि कांग्रेसी सरकार ने “चक्रवन्दी” का कानून पास किया। मैंने समझा अब उसकी जड़ पर जाना सम्भव होगा। स्थानीय अधिकारी की मदद से मैंने यह काम करने की कोशिश की। कानून ऐसा था कि किसानों को राजी करके चक्रवन्दी की जाय। अतः मैं जहाँ-जहाँ जाता था इस बात की कोशिश करता रहा कि किसान तैयार हो जायँ तो मैं अधिकारी से मिलकर इसे कराने का यत्न करूँ। लेकिन मैंने देखा कि यह काम एक प्रकार से असम्भव है। मुझको इस बात में पूरी असफलता मिली। दरअसल आज की परिस्थिति में चक्रवन्दी हो ही नहीं सकती।

मैंने पिछले पत्र में लिखा था कि प्राचीन-सम्मिलित परिवार के बँट जाने से खेती टुकड़ा-टुकड़ा होकर बँट गई है। इस बटवारे में तुम एक तरफ से आधा हिस्सा एक भाई को और दूसरी तरफ से आधा हिस्सा दूसरे भाई को नहीं दे सकती हो। उसमें हर प्रकार की जमीन को बांटना होगा कुछ ऊँची जमीन है तो कुछ नीची। फिर कुछ जमीन इतनी नीची है कि सिर्फ जड़हन धान ही हो सकता है। कुछ जमीन मटियार होती है, कुछ दूमट जिसमें अलग फसलें अच्छी पैदा हो सकती हैं। कुछ जमीन गाँव के दूर और कुछ नजदीक। इस दृष्टि से भी जमीन की कीमत में फर्क पड़ जाता है। फिर यह भी देखा जाता है कौन जमीन पानी के पास है, जंगली जानवर की पहुँच पर है या पेड़ों के छाँह में है; इत्यादि। इन्हीं बातों का ध्यान रखकर बँटवारा होता है। किसान जो लगान पर जमीन लेता है वह भी इसी किस्म की हर तरह की जमीन से थोड़ा-थोड़ा लेता है। अतः जो टुकड़ा-टुकड़ा जमीन दूर दूर फैली हुई है वह खामखाह गाँव वालों की बेवकूफी के कारण हो गई है, सिर्फ ऐसी बात नहीं है। इसके पीछे एक निश्चित तत्व है; एक नियम है जो कम वैज्ञानिक नहीं है। हमारे यहाँ खेती बरसात के भरोसे होती है और यह प्रकृति देवी की खामख्याली पर निर्भर है। कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि। कभी कम बारिश, कभी कुछ ज्यादा। यह तो हमेशा लगा ही रहता है। हर किस्म की जमीन और हर किस्म की खेती होने के कारण ही इस किस्म की देवी दुर्घटनाओं का सामना हमारे किसान कर लेते हैं। क्योंकि ये दुर्घटनाएँ हमेशा एक ही किस्म की नहीं होती हैं। इसलिए कभी कुछ जमीन फेल करती है, तो दूसरी जमीन कुछ दे देती है। इस तरह उनको हर परिस्थिति में कुछ औसत पैदावार मिल जाती है। हरेक किसान को हर किस्म की खेती से एक और फायदा है। यहाँ किसानों के पास इतनी जमीन नहीं कि वे काफी परती छोड़कर जमीन बनाते रहें। इसलिए

वे हर साल हेर-फेर करके अपना खेत बोते हैं। इसके लिए हर प्रकार की कुछ कुछ जमीन उनके पास होना जरूरी है।

मैं जब इस दिशा में कोशिश करता था तो टुकड़ा खेती के नुकसान की वास्तविकता मुझसे सहमत होते थे। उनको मालूम है कि एक चक की खेती कम खर्च से हो सकती है। लेकिन ऊपर बताये कारणों से वे चकबन्दी करने में असमर्थ थे। मैंने भी देखा कि जब तक एक आदमी का थोड़ा खेत है जो कि 'विशेषज्ञों' की भाषा में 'आर्थिक दृष्टि से लाभदायक' ('इकानोमिक होल्डिंग') नहीं है तब तक वे इस तरह थोड़ी-बहुत जमीन हर किस्म के खेत से लेकर अपने देहाती विज्ञान से थोड़ा-बहुत लाभदायक बना लेते हैं। इसे विज्ञान के विशेषज्ञ लोग समझ नहीं सकते हैं।

जमीन की चकबन्दी की दिशा में मैंने जो कुछ प्रयत्न किया उस से मैंने देखा कि इसके लिए समय और शक्ति खर्च करना बेकार है।

इस जिले में एक चक की खेती तभी हो सकेगी जब दो-ही उपाय प्राचीन सम्मिलित परिवार प्रथा चल सके या गाँव के कुछ परिवार मिलकर खेती करें यानी खेतों के मामले में वे एक परिवार हो जायँ। इस समस्या के हल करने का कोई दूसरा रास्ता मेरी समझ में नहीं आया।

किसानों के जिन तीन संकटों के बारे में मैंने लिखा था उसमें से एक संकट का हाल तो मैं ऊपर लिख ही चुका। अब खाद की बात आती है। खाद बढ़ाने के लिए महकमा वाले जो तरीका बताते हैं वह मौजूदा क्षमता में भी व्यावहारिक मालूम हुआ। मैंने पहले ही कहा था कि आर्थिक परिस्थिति के कारण और चारा के लिए काफी जमीन न होने से इधर लोग मवेशी रख नहीं सकते हैं। इसलिए गोबर बहुत कम होता है। तब पर भी लोग गोबर जला देते हैं अतः जो कुछ खाद के लिए बचता है वह नहीं के बराबर ही है। लेकिन जब कि सारा जंगल कटकर खतम हो चुका है तो यह कहना कि "गोबर न जलाओ"

विल्कुल बेकार है। आखिर जब लकड़ी है ही नहीं तो वे क्या करें। इस विकट समस्या को हल करने के लिए महकमा वाले दो बातों पर जोर देते हैं और ठीक ही करते हैं। एक जितना गोबर वे खाद के लिए छोड़ते हैं उसको वैज्ञानिक रूप से गड्ढा खोदकर व्यवस्था के साथ सड़ायें। इधर खाद के लिए जो धूर खोदते हैं उससे खाद का हिस्सा खराब हो जाता है; कभी-कभी तो खेत के पास वैसे खाद की समस्या ही ढेर लगा देते हैं। खाद का गड्ढा बहुत बड़ा नहीं खोदना चाहिए। छोटे गड्ढे खोदकर जल्दी भर जाने के बाद उसे मिट्टी से बन्द कर देना चाहिए। फिर उसके चारों ओर एक मेड़ होनी चाहिए कि उसमें वर्षा का पानी बहकर न जा सके। वे लोग मवेशी का पेशाब भी इकट्ठा करके घर में डालने की हिदायत करते हैं। ये सब तरीके ऐसे हैं कि ग्राम-समस्या पर विचार करने वाले सबों को मालूम हैं और तुम भी जानती हो इसलिए इस पर अधिक लिखना बेकार है। मैं जब देहातों में जाता था तो इन चीजों के लिए लोगों पर जोर देता था। मुझे ज्यादा दिलचस्पी उन चीजों से थी जिनको महकमा वाले 'कम्पोस्ट' कहते हैं। इसको वनस्पति खाद भी कह सकते हैं। हरे और सूखे पत्ते और गाँव के जंगल, गन्द्रगी, झाड़ू का कूड़ा सब इसमें काम आ जाता है। इन चीजों का ढेर लगाकर सड़ाया जाता है और बीच-बीच में उन्हें उल्टा-पुल्टा कर देना पड़ता है ताकि सब समान रूप से सड़ जाय। इस चीज के लिए मैं खास तौर से कोशिश करता रहा। और काफी कामयाब भी रहा। इस काम में मुझको दिलचस्पी इसलिए भी रही कि इसमें "एक पंथ दो काज" हो जाता है। जो कहावत है "ग्राम के ग्राम गुठली के दाम" उसी के अनुरूप यह भी खाद की खाद और गाँव की सफाई है। गाँव वालों को अगर हम कहेंगे कि गाँव की सफाई करो तो वे नहीं करेंगे। चाहे हम खुद उनके गाँव साफ करते रहें तो भी वे नहीं करेंगे। गाँव में बहुत से अच्छे संस्कार खतम हो चुके हैं लेकिन

दूसरी बातों की कुछ न कुछ दबी हुई सोर पकड़ने को मिल जाती है जिसकी मार्फत आज बढ़ सकते हैं। लेकिन सफाई के मामले में कहीं कुछ भग्नावशेष की गन्ध भी नहीं मिलती है। यानी हमारे गांव में सफाई की वृत्ति या तो कभी थी ही नहीं या इस संस्कार का इस तरह खातमा हो गया है कि किसान के दिल में आज किसी तरह का सुर निकालना सम्भव नहीं। वह तार ही नहीं तो स्वर क्या निकलेगा। इसलिए सफाई का संस्कार डालने के लिए किसी दूसरे रास्ते से ही घुसना पड़ेगा। हम लोग जब शुरू में रणीवां आये थे तो सफाई की वावत अपना अनुभव क्या था, लिख चुका हूँ। उस समय मैंने बाहरी सफाई त्योंहार, अनुष्ठान आदि की मार्फत ही करने की बात कही थी। साबुन का उद्योग चला कर सफाई की समस्या हल करने का जो प्रयत्न करते थे उसकी वावत भी मैं लिख चुका हूँ। उसी प्रकार जब मैंने देखा कि हम खाद बढ़ाने के लिए 'कम्पोस्ट' की बातें करते हैं और यह किसानों को भट समझ में आ जाती है तो इस काम को गांव की सफाई की समस्या हल करने का एक बहुत भारी साधन समझ कर मैं इस पर जुट गया। साधारणतया ग्राम-सेवा के काम में सफाई का काम बहुत महत्व का है लेकिन ग्राम-सेवक के प्रति मेरा नम्र निवेदन है कि गांव में पहुँचते ही गांव की सफाई के लिए तूल-कलाम न शुरू कर दें वल्कि अपने आप सफाई से रह कर अध्ययन करें कि कौन सा कार्यक्रम गांव वालों को तात्कालिक लाभ देने वाला ऐसा है जिसकी मार्फत सफाई हो सकती है। उसी को करने-लग जायँ। हां, मैं अपने विषय से बहक रहा हूँ लेकिन वनस्पति खाद बनाने के सिलसिले में इतनी सफाई की बात आ ही जाती है। वनस्पति की खाद का रिवाज चल जाने से एक फायदा और हो सकता है। देहातों में आदमी की टट्टी को गड्ढे में डालकर खाद बनाने के प्रयोग की बात भी मैंने सोची थी। पहले मैंने आश्रम में ही प्रयोग करने की कोशिश की। लेकिन दुर्भाग्य से कोशिश करने पर भी मैं आश्रमवासियों द्वारा इसे करा न सका।

जब आश्रमवासियों के साथ ही मैं असफल रहा तो गाँव के लोगों से क्या करा सकेंगे। इसलिए इसको शुरू ही नहीं किया। इस बात से मुझको बहुत शर्म और दुःख है। लेकिन हमारा चरित्र ही ऐसा है ! पता नहीं कब ठीक होगा।

सब से ज्यादा तकलीफ पानी की है। मैं पहले ही लिख चुका हूँ कि जितने तालाब थे वे सब के सब भट गये हैं और कुओं में से अधिकांश खतम हो चुके हैं। अब सवाल यह था कि इस समस्या का हल कैसे किया जाय। सरकार की ओर से इस मद में हमको जो खर्च करने को मिला था वह भी इतना अपर्याप्त था कि उससे एक कुएँ भर की मदद नहीं हो सकती थी। संसार में सभी चिन्ताशील लोगों का एकमात्र कथन है कि नहर से ही पानी की समस्या हल हो सकती है। यह बात ठीक है लेकिन यह सर्वकाल और सर्वदेश के लिए सही है या नहीं, इस पर विचार होना चाहिए। इत्तफाक से जब हम लोग ग्राम-

सुधार-सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करते पानी की समस्या रहे उसी समय हमारे जिले में नहर का महकमा

खुल गया और उससे किसानों को खूब पानी मिलने लगा। मुझे भी नहर की बातों को देखने का मौका मिल गया। मैं महकमा के लोगों से परिचय करके इसके बारे में जानकारी हासिल करने लगा। नहर जिले के बहुत थोड़े ही हिस्से में आई हुई है। लेकिन उतने इलाके के किसानों को पानी का फायदा खूब मिला। पानी की इफरात देख कर किसान नाच रहे थे। मैं जब उन देहातों में घूमता था तो खेतों को विल्कुल हरा पाता था। लेकिन साल भर बाद ही लोगों में असंतोष दिखाई देने लगा। एक तो लोगों को समय से पानी नहीं मिलता था। फिर जैसा कि स्वाभाविक था जो लोग बड़े किसान थे, बड़े जमींदार थे और सरकारी कर्मचारियों से मेल-जोल रखते थे उनके यहां पानी पहले जाता था। वह शिकायत तो शुरू से ही थी। और महकमा की व्यवस्था ठीक करके दूर की जा

सकती थी। लेकिन इफरात पानी होने से खूब पानी खेती में भर रखते थे इससे खेत बहुत ठण्डे हो गये। पानी काफी होने से फसल देखने में काफी ताजी मालूम होने लगी। इससे गोड़ाई के प्रति लोग उदासीन रहने लगे। जो लोग खेती के बारे में जरा भी ज्ञान रखते हैं वे जानते हैं कि अगर ठिकाने से गोड़ाई करके पपड़ी फोड़ न दी जाय तो जमीन के नीचे की सतह पर न हवा पहुँच सकती है और न रोशनी। इससे नीचे की सतह खराब हो जाती है। जमीन के नीचे हवा और रोशनी न पहुँचने से फसल की जड़ नीचे नहीं जाती है क्योंकि उसको तो जिधर आसानी पड़ेगी उधर जायगी। जड़ ऊपर ऊपर होने से एक नुकसान यह होता है कि जब ऊपर की सतह सूख जाय तो फिर से पानी से तर न करो तो पौधा जिन्दा नहीं रहता है। फिर वह पानी जरूरत से ज्यादा माँगता है और जमीन अधिक ठंडी हो जाती है। नतीजा यह होता है कि जमीन से गर्मी निकल जाने से अन्त में रबी की फसल खराब हो जाती है। सरकार पानी का दाम प्रति बीघा के हिसाब से लेती है; पानी की तादाद पर लगान नहीं लेती है इसलिए भी किसान पानी लेने में अन्धाधुंधी करते हैं।

पानी की इफरात के कारण एक और नुकसान होता है। पानी खेत से कट कर या बाहर फूट कर इधर-उधर फैल जाने पर किसान परवाह नहीं करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि पानी के इफरात जितनी जगह इधर-उधर नीची है सब भर जाती है और सड़ती रहती है। वैसे तो सभी नीची जगहें नहर की वजह से हमेशा नम रहती हैं और उनमें काई जमती रहती है क्योंकि नहर के पानी की सतह उन जमीनों से ऊँची होने के कारण पानी का सोता नीची जमीन पर खामखाह पहुँचता है। इस तरह नहर के पानी के सोते के कारण और खेत और बाहर के पानी के फैलने से नहर के पास के देहातों के आस-पास तमाम जगह सड़ती रहती है और गाँव का स्वास्थ्य खराब होता है।

नहर की वजह से देहातों का स्वास्थ्य खराब होने का एक दूसरा कारण भी है। नहर के हो जाने से वर्षा के पानी को जो निकास के स्वाभाविक रास्ते होते हैं, रुक जाते हैं। यह ठीक पानी की निकासी है, नहरवालों ने जहाँ तक सम्भव हो सका पानी के रुकने से हानि निकास की नालियाँ बना दी हैं, लेकिन फिर भी तो पहले-जैसी स्वतंत्रता से पानी नहीं निकल पाता है। इससे भी वर्षा का पानी जहाँ-तहाँ रुक कर जमीन खराब करता है और स्वास्थ्य का भी नाश होता है। जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, आव-हवा काफी खुशक है, वहाँ यह पानी तो सूख भी जा सकता है लेकिन वर्षा-प्रधान देश में तो यह समस्या काफी गम्भीर होती है। क्योंकि वर्षा जहाँ ज्यादा होगी वहाँ पानी के निकास की स्वतन्त्रता अधिक चाहिए। वैसे रेलवे आदि से पानी का निकास रुकता ही था लेकिन नहर हो जाने से स्थिति और भयंकर हो गई।

मैं जब महकमा वालों से बात करता हूँ तो वे इन बातों को मानते हैं। वे तो इससे भी ज्यादा नुकसान की बात करते हैं। उनका कहना है कि जिस इलाके में रहे ज्यादा है उस एक और खतरा इलाके में नहर के पानी में झुलकर वह तमाम जमीन में फैल जाती है। जिन इलाकों में अधिक दिन से नहर चल रही है उन क्षेत्रों में इसका दुष्परिणाम दिखाई देने लगा है, यह तो थोड़ी जानकारी रखने वाला भी जानता है। इस तरह फैजाबाद जिले में भी जब कुछ दिन नहर रह जायगी तो कहीं सारी जमीन चावल ही चावल के लिए न रह जाय। क्योंकि चारों ओर से नमी ही नमी इकट्ठा होने से खेत में गर्मी रह ही न जायगी और इस कारण गेहूँ के लिए खेत खराब हो जायेगा। फिर रहे वाली जमीन हो जाने से, धान के अलावा और कौन फसल रह जायगी। और यह सबको मालूम है कि श्रवध में बहुत अधिक रहे है।

पानी की बाबत भी मैंने सैकड़ों किसानों से पूछा है। वे सब कहते

हैं कि नहर से कुएँ का पानी खेती के लिए ज्यादा फायदे का है। तालाब का पानी कुएँ के मुकाबले में उतना अच्छा नहीं होता है लेकिन नहर से वह भी अच्छा है, ऐसा सभी किसान कहते हैं। मैं जब पूछता हूँ कि फिर आप लोग कुएँ से क्यों नहीं सिंचते हैं तो जवाब में वे कहते हैं एक तो नहर उनके सिर पर आ पड़ी है। दूसरे इतने कुएँ और तालाब अब रह भी तो नहीं गये।

यह कहा जाता है कि नहर सस्ती पड़ती है। आदमी कुआँ से या तालाब से सिंचेंगे तो वह मँहगा पड़ेगा। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। मैंने पहले ही कहा था कि प्रत्येक क्या नहर सस्ती परिवार में इतने आदमी हैं और जमीन इतनी कम है ? है कि सब के लिए पूरा काम नहीं मिलता है। यह बात मैंने उस हालत में कही थी जब लोग कुएँ या तालाब के पानी से खेती करते हैं। यानी नहर से सिंचाई होने पर और लोग खाली हो जायेंगे। वे लोग भी तो घर बैठे खायेंगे। इसलिए सस्ता और मँहगा जाँच करने के लिए पानी के लगान को ही सिर्फ थोड़े देखना है; उस लगान में उनकी खुराक भी जोड़ दो, जो लोग नहर की वजह से बेकार हो जाते हैं। फिर तो नहर सस्ती भी नहीं पड़ेगी। खासकर उस जिले में जहाँ ८-१० हाथ पर पानी मिलता हो।

मैंने जहाँ तक नहरी इलाके में दौरा करके, किसानों से बात करके और नहर के विज्ञान की जानकारी रखने वालों से आलोचना करके देखा है उससे तो यही समझा कि नहर उन स्थानों के लिए मुफीद हो सकती है जहाँ पानी की सतह बहुत नीची हो, वायुमंडल खूब सूखा हो जिससे स्वास्थ्य खराब न हो सके, जमीन इतनी हो कि आवादी को जमीन में काफी काम हो और जहाँ वर्षा कम होती हो। लेकिन फैजाबाद जैसे जिले में, जहाँ पानी इतना नजदीक है, जहाँ आवादी इतनी है कि अगर वाल्टी भर भरकर सिंचाई करें तो भी

सबको काम न मिले, जहाँ वर्षा इतनी अधिक हो कि पानी के स्वतन्त्रता के साथ निकास की पूरी गुंजाइश लाजमी हो और जहाँ रहे वाला ऊसर इतना हो, नहर फैलाना बेकार है। इससे तो सरकार अगर पुराने तालाब और कुओं का पुनरुद्धार करने में किसानों की मदद कर दे, कुओं की खुदाई में इमदाद दे दे तो ज्यादा फायदा पहुँच सकेगा।

इन बातों को सोचकर मैं अपने ग्राम-सुधार महकमा में कुछ थोड़ा सा जो साधन था उसी के द्वारा तालाबों और कुओं के पुनरुद्धार के प्रयोग में लग गया।

प्रान्तीय सरकार ने जिले में ३०-४० कुओं की 'बोरिंग' करने का साधन दिया था। उनका तरीका यह था कि प्रत्येक सर्किल में २-२ कुओं बनवा दिया जाय। पानी के लिए कुछ और खर्च करने की मंजूरी थी जो गांव के कुओं की जगत बनाने की मदद देने के काम में आती थी। इतने कम साधन से किसी किस्म के प्रयोग करने की गुंजाइश नहीं थी। मैं चाहता था एक छोटे से क्षेत्र में १००-१५० कुओं में 'बोरिंग' करने की मदद दे सके और उस इलाके में जितने तालाब हों उन्हें खोदवाने का इन्तजाम हो सके। उस समय काँग्रेस का मन्त्रि-मंडल पद त्याग कर चुका था। इसलिए मन्त्रियों से कहकर कुछ

मदद लेने की भी आशा नहीं थी। वैसे तो पिछले कुओं की 'बोरिंग' साल से ही मैं इसका प्रयोग करने की सोच रहा था। लेकिन पिछले साल तो स्त्री-सुधार योजना को सफल बनाने की धुन थी। इसलिए इस दिशा में न कोई निश्चित योजना ही बना सका और न कोई काम ही शुरू कर सका। लेकिन मैं समझता था कि यह काम काफी खर्च का है इसलिए साल भर पहले से ही हमको जिले का जो पैसा मिलता था उसमें से बचाना शुरू किया था। इस साल भी मैंने कुएँ की जगत का और 'बोरिंग' का सब रुपया इस प्रयोग में लगा देने की सोची। मैं इस बारे में कुछ

प्रयोग करने की सोच ही रहा था कि मि० मार्श, जो प्रान्तीय सरकार के ग्राम सुधार महकमा के अर्गनाइजर थे, फैजाबाद स्त्री-शिक्षा का काम देखने आये। उनको मैंने अपने प्रयोग की बात कही। वे सहमत हो गये। लेकिन साल का आखिरी समय आ जाने से कोई खास मदद नहीं कर सके। फिर भी दूसरे जिलों से, जहाँ का 'बोरिंग' का काम ठीक से नहीं हो रहा था, ग्रांट का पैसा फैजाबाद के लिए दे देने का आदेश दे दिया। मैंने २० गांव घूम कर करीब ८०-९० कुओं की 'बोरिंग' की। 'बोरिंग' हो जाने से उधर किसान बहुत खुश हुए। वे कहने लगे कि नहर वालों से वे अच्छे रहे। मैं चाहता था कि पूस-माघ के महीनों में, जब किसान खाली रहते हैं, गांव वालों की मफत तालावों को पुनरुद्धार का सकूँ। लेकिन वह हो नहीं सका। २-१ जगह कोशिश की लेकिन एक तो अभी पंचायतों का संगठन इतना व्यवस्थित नहीं हो सका था फिर तालाव खास व्यक्ति की सम्पत्ति होने से लोग उसके लिए मेहनत करने को तैयार नहीं थे।

कुओं के काम में चौड़े क्षेत्र में सफलता देखकर मैंने दूसरे साल के लिए उसी क्षेत्र में ५०० कुएँ 'बोरिंग' करने की योजना बनाई। उस साल के प्रयोग के लिए प्रान्त से मदद मिल जाने से साल भर पहले जो रुपया मैंने बचा रखा था वह बच गया। उस साल का सारा रुपया भी बच गया और नये साल में 'बोरिंग' के प्रयोग के लिए हमारे जिले को विशेष रकम मिली थी और कुओं की जगत् वाला रुपया तो नये साल में भी मिला। इस तरह १५००० हमारे पास हो गया।

जिस इलाके में पिछले साल कुओं में बोरिंग का काम किया गया था उस इलाके में लोगों से बातचीत करने पर मालूम हुआ कि वे सब इसको बहुत उत्साह के साथ करना चाहते हैं। वे तो यहाँ तक तैयार हैं कि अगर सरकारी तकावी मिल जाय तो सामान और मजदूरी अपनी

और से दे सकते हैं। वैसी हालत में हमारे पास जो साधन था उससे ५०० कुएँ ठीक हो सकते थे। इसकी योजना भी मैंने अपने कर्मचारियों को समझा दी। दिसम्बर से काम शुरू होना था लेकिन नवम्बर में ही कांग्रेस के लोगों ने ग्राम-सुधार से इस्तीफा दे दिया। फिर तो यह काम जिला मजिस्ट्रेट के हाथ में वही पुराने अधिकारी ढंग से गांव में कुछ लोगों की कुछ मदद करने वाली नीति से चलने लगा।

थाड़े समय में पानी-सम्बन्धी समस्या पर मैं जितना गौर कर सका उससे मेरी राय में अगर सरकार बाकई किसानों की मदद करना चाहती है तो उन क्षेत्रों में, जहां नहर बिना काम नहीं चल सकता है, नहर बनावे लेकिन मैंने जैसी स्थिति फैजाबाद के लिए पहले बताई है वैसी स्थिति वाले इलाकों में तो अगर एक योजना विस्तृत रूप से नीचे-लिखे मुताबिक मदद किसानों को कर दे तो नहर की अपेक्षा उनको अधिक फायदा होगा।

१. जितने कुएँ खराब हो गये हों उनको ठीक करने और जरूरत पड़े तो उनमें बोरिंग करने में किसानों की मदद करना।

२. पंचायतों को व्यवस्थित करके उनके जरिये जितने तालाब हैं उनका पुनरुद्धार करना। इसके लिए सरकारी इमदाद देना।

३. बहुत-सी छिछली नीची जमीन देहातों में पड़ी रहती है जिसमें न खेती हो सकती है और न वह इतनी गहरी है कि पानी कुछ दिन ठहर सके। हमारे जिले में इसे ताल कहते हैं। इस किस्म की जमीन बहुत विस्तृत होती है। कभी कभी ५०० से १००० बीघे तक होती है। इनको सरकार को मुआवजा देकर ले लेना चाहिए। उनके बीच में खोद कर बड़े बड़े तालाब बना दे और चारों ओर जो जमीन निकल आवे उसे चरागाह बना दे। सरकार चाहे तो ऐसे पब्लिक चरागाह में मवेशी चराने की फीस लेने का अधिकार रखे और उसके जरिए चरागाह और तालाब का इन्तजाम करे। इसमें पानी का

और मवेशी चराने का दोनों काम हो सकता है। अभी ये जमीनें बेकार पड़ी रहती हैं।

आज मैंने बहुत लिखा। कल की न लिखने की कसर पूरी कर दी। आज मैंने बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं जो चालू बातों के खिलाफ हैं। मुमकिन है, विशेषज्ञ के लिए ये बातें बिल्कुल बेवकूफी की हों। लेकिन मैंने जो कुछ देखा और उस पर से जो कुछ राय कायम की उसी को लिख दिया। आज दिन भर लिखता ही रहा। अतः अब थक गया हूँ।

[५८]

सुधार महकमा का काम

६—१२—४१

कल फिर कुछ नहीं लिख सका। कल के अखबार में जापानी लड़ाई शुरू होने की खबर निकली थी। इससे जेल भर में तूफान था। इधर जेल में जोरों की अफवाह उड़ रही थी कि देवली के साम्यवादी लोगों ने लड़ाई में सरकार की मदद करने का निश्चय किया है। यहाँ के साम्यवादियों में भी हलचल रही। चारों ओर आलोचना ही चल रही है। अब कांग्रेस क्या करेगी। कोई कुछ कोई कुछ कहता है। इस तरह जेल भी आज कल विवाद सभा हो रहा है। अच्छा है, सप्ताह भर ऐसा ही रहेगा। समय करेगा, पता ही नहीं लगेगा। मैं भी उसी गोल में पड़ गया इससे कल कुछ नहीं लिख सका।

इधर के कुछ पत्रों में सहकारिता और खेती-महकमा के सम्बन्ध में मैंने क्या-क्या अनुभव किया था उसे बताने की कोशिश की। आज ग्राम-सुधार महकमा खास के जरिये क्या-क्या काम कर सका उसकी चावत कुछ लिखने की चेष्टा करूँगा। मैंने पहले ही लिखा था कि

महकमा में अपने मतलब की ज्यादा नहीं कर सकते। प्रोग्राम ऊपर से आता है फिर भी कुछ अपने मतलब की बातें तो निकाल ही लेता था। ग्रामसुधार के महकमा से केवल पांच ही बातें कर सकते थे।

१ पंचायत घर। २ कुआँ आदि की मरम्मत। ३ गली कूचा तथा गाँव में जाने का रास्ता ठीक करना। ४ शिक्षा। ५ स्काउटिंग।

पंचायत घर के और कुआँ की बात जो कुछ किया या सोचा सब पिछले पत्र में कह दिया। गाँव के कुआँ की जगत और रास्ता वगैरह बनाने के काम में मैं अपना समय या शक्ति नहीं लगाता था। वह काम सेक्रेटरी और इन्स्पेक्टर पर छोड़ दिया था। मैं सिर्फ शिक्षा पर ही विचार करता रहा। अपने साथी काम करने वालों से मैं कहा करता था—“अगर आदमी बन जायँगे तो कुआँ सड़क वे खुद बना लेंगे। लेकिन आदमी न बनेंगे तो तुम लोग जो कुआँ बन-वाओगे वे उसकी ईंट निकाल कर चूल्हा या नावदान बना लेंगे। और सड़क जो बना दोगे उसे खोद डालेंगे।”

तुमको पहले ही लिखा था कि ग्रामसुधार के लिए स्त्रियों का सुधार पहले होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। इसलिए किस तरह शिक्षा का पैसा स्त्री सुधार-शिक्षा में लगा दिया था और ५० सुधार केन्द्र खोल दिये थे इसका विस्तृत विवरण भी लिख चुका हूँ। स्त्री-सुधार व शिक्षा-केन्द्रों को स्थापित करके मैंने अपना ध्यान पुरुषों की शिक्षा और स्काउटिंग पर लगाया।

प्रौढ़ शिक्षा का जो सरकारी कार्यक्रम था उसके अनुसार प्रत्येक सर्किल के कुछ पढ़े-लिखे नौजवानों को ३) से ५) मासिक देकर रात्रि पाठशाला खुलवाना था। मैंने पहले ही तुमको लिखा था कि स्त्री-शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए इन सबको बन्द करा दिया था। अब प्रान्तीय सरकार के स्त्री-सुधार का काम मजूर कर लेने से प्रौढ़ शिक्षा वाला साधन खाली हो गया था। इधर महकमे की ओर से ग्रामीण स्काउटों का संगठन करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक स्काउट

अर्गनाइजर मिल गया। यह तो तुमको मालूम ही है कि सरकारी काम दिखावटी होते हैं। एक स्काउट अर्गनाइजर जिले प्रौढ़ शिक्षा और भर घूम कर कुछ कवायद करा दे इतना काफी था। स्काउटिंग मैंने सोचा प्रौढ़ शिक्षा और स्काउटिंग को मिलाकर अगर हम योजना बनाते हैं तभी तो यह काम स्थायी रूप से चल सकेगा। गाँव के लोग इतने लापरवाह हो गये हैं कि बिना स्थायी केन्द्र बनाये उनके जीवन में कोई स्थायी परिवर्तन नहीं आवेगा अतः मैंने तय किया कि कुछ लड़कों को ३।४ रुपया मदद करके गाँव में सिर्फ रात्रि पाठशाला चलाने के बजाय एक सर्किल में एक योग्य कार्यकर्ता पूरे समय के लिए ले लिया जाय और वह रात को प्रौढ़ पाठशाला चलावे और दिन को स्काउट-संगठन करे। जो जिला अर्गनाइजर सरकार की ओर से मिला है वह इनके काम का निरीक्षण करे।

इस प्रकार पूरे समय के लिए कार्यकर्ता का इन्तजाम हो जाने से मैंने २३ केन्द्र के लिए २३ नौजवान भर्ती कर लिये और रणीवां में ढाई माह के लिए ग्राम-सेवक शिक्षा-शिविर खोल दिया। इसका कार्यक्रम वही था जो आश्रम की ओर से प्रौढ़-शिक्षक-शिविर में था। उनको चर्खा, ग्राम-समस्या और स्काउटिंग की शिक्षा भी दी जाती थी। उनसे सिर्फ तीन काम लेने का विचार था :—

१ चर्खे का प्रचार। २ प्रौढ़ शिक्षा। ३ गाँव की सफाई। इसके अलावा परिस्थिति को देखकर दूसरा काम देने का विचार किया था। इसी दृष्टि से शिक्षा दी गई।

इन २३ शिक्षकों ने अपने-अपने सर्किल में जाकर ठीक उसी किस्म का एक-एक स्काउट-शिक्षा-शिविर खोला। इन शिविरों के लिए कोई सरकारी मदद नहीं मिली थी। सारे खर्च का भार स्थायी पंचायत ने उठाया। इन शिविरों में ११ शिक्षक प्रति शिविर के हिसाब से शिक्षकों की शिक्षा हुई। इस प्रकार २३ सर्किलों में १५३ शिक्षा-केन्द्र खुल

सके। इन केन्द्रों से गाँव की जनता के सुधार-काम में बहुत उत्साह दिखाई देने लगा।

प्रान्त के ग्राम-सुधार अफसर जब जिले में आये तो स्काउटों की भरमार देखकर कहने लगे कि इतने स्काउट कहां से आये? मैंने उन्हें अपनी योजना समझाई। उन्होंने पूछा इतनी वर्दी कहां से आवेगी। मैंने कहा कि मैं तो सबको चर्खा सिखा रहा हूँ और ३ गुंडी प्रति सप्ताह कातने की प्रतिज्ञा लेना नियम में रखा है। इसी से वर्दी हो जायगी। उन्होंने इसको बहुत पसन्द किया और सारे प्रान्त के लिए इसे चला दिया। जब प्रान्त भर के लिए शिक्षा शिविरों का इन्तजाम हुआ तो मैंने इसका फायदा उठाकर दुबारा केन्द्रीय शिविर खोल करके सर्किल शिक्षकों को फिर से बुला लिया। इससे उनकी शिक्षा और अच्छी हो गई।

इस बार शिविर में एक और बात का प्रयोग करने की कोशिश की। मुझको मौजूदा स्काउटिंग का तरीका पसन्द नहीं था। यह सब दिखावटीपन से भरा था। इससे गाँव के किसानों की सुस्ती तो थोड़ी जरूर हटती है, लेकिन उनके जीवन में बहुत लाभ नहीं होता था। इसलिए कवायद में खेती की जितनी क्रियाएँ होती हैं, उनकी शिक्षा कवायद रूप में देने की विधि निकालना शुरू किया। इस तरह फावड़ा-ड्रिल, खुरपा ड्रिल, चर्खा ड्रिल आदि की शिक्षा देकर ग्रामीण स्काउटिंग को किसान-लायक बनाने का प्रयोग करता रहा।

मेरा विचार था कि इसी योजना की माफत गाँव के किसानों के जीवन को संगठित करने की कोशिश करूँगा। लेकिन इसी समय हम लोग महकमा से अलग हो गये।

आश्रम, सरकारी महकमा और ग्राम-सेवा की माफत जो कुछ प्रयोग मैं अनुभव हुआ सब कुछ इतने दिनों में कह डाला। मुमकिन है, इसमें कुछ नतीजा देश के और हिस्सों के लिहाज से गलत हो। मेरी राय भी शायद दोषपूर्ण हो क्योंकि मेरा अनुभव प्रायः एक ही

जिले का है। मैंने सिर्फ गांव में जो कुछ देखा, सोचा और किया उसी को लिखकर अपना वादा पूरा किया। फिर जेल से बाहर जाकर अगर कुछ काम करने को मिला तो और ज्यादा अनुभव होगा। तब तो जवानी भी बता सकूँगा।

अब यहीं खतम करता हूँ। नमस्कार।

[५६]

ग्राम-सेवा की वृत्ति और सेवक की जिन्दगी

१०—१२—४१

कल के पत्र में मेरी ग्राम-सेवा की कहानी खतम हुई। तुमने देखा होगा, शुरू से ही गांव के काम में मेरी रुचि थी। रणीवाँ में जिस प्रकार योजना का सूत्रपात हुआ उसकी कुछ कल्पना १९२६ में हुई। फिर कुछ रास्ता में प्रयोग करने का प्रयास हुआ। बाद में सन् १९३५ से १९४१ यानी ६ साल तक लगातार इस दिशा में प्रयोग करते रहे। सरकारी साधन की भी सहायता मिली; तब जाकर योजना का साकार रूप दिखाई देने लगा। इससे समझ सकती हो, गाँव में कुछ करने के लिए कितने धैर्य की जरूरत है। प्रायः ग्राम-सेवक इसी से घबड़ा कर भागते हैं। सरकारी ग्राम-सुधार भी दो साल तक करने को मिला। पहले तो मैं कुछ उदासीन था इसलिए कि उसमें हो ही क्या सकेगा, फिर उधर ध्यान दिया। स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा व स्कार्टिंग की मार्फत सुधार करने की कल्पना का प्रयोग व आयोजन कर रहा था। कुछ खेती की व कर्ज की समस्या पर भी अध्ययन कर रहा था। २-३ साल तो अध्ययन, विचार, प्रयोग और आयोजन में ही लगता है, फिर कुछ ठोस काम का रूप मालूम होता है

लेकिन उद्योग पूरा नहीं होने पाया कि यवनिका पतन हो गया और महकमा का दृष्टिकोण ही बदल गया। इसलिए मेहनत तो बहुत की लेकिन किसी किस्म के स्थायी रूप का सूत्रपात ही नहीं हो सका। लेकिन महकमा के काम से मुझको निजी फायदा बहुत हुआ। ग्रामीण समस्या का अध्ययन और अनुभव जितना इन दो सालों में हो सका उतना कोई भी किताब पढ़ने से न होता।

अब तो ८ माह हो गये; जेल में बैठे हूँ। इससे भी फायदा हुआ। एकान्त में बैठकर विचार करने का मौका मिला। पिछले २० साल की कहानी तुमको लिखने के बहाने उनको स्मरण करना पड़ा। पिछली गलतियों पर भी गौर कर सका; इससे भविष्य में फायदा ही होगा। देहातों की वास्तविक समस्या पर जितना भी विचार किया जाय उतना थोड़ा है। यह समस्या इतनी जटिल है कि कभी-कभी दिमाग खराब हो जाता है। ग्राम-समस्या हल करने का काम कितने महत्व का है, इसको कहना ही क्या है। सरकारी, गैर-सरकारी सभी दल वाले इस बात पर जोर देते हैं कि ग्राम में जाकर ग्रामीण जनता को उठाओ। आज इसके सिवाय देश में कोई दूसरी आवाज सुनने को नहीं मिलती है।

जब से मैं जेल आया हूँ और नये-नये लोगों से परिचय हुआ है, तो प्रायः सभी लोग पूछते हैं कि गाँव में काम करने के लिए कोई स्कीम बताइए। दरअसल यह बताना मुश्किल ही है। प्रत्येक देश, प्रत्येक काल के लिए तो ग्राम-सेवक को खुद ही परिस्थिति देख कर स्कीम तय करनी होगी। हमको सिर्फ इतना देखना है कि हमें किस वृत्ति से काम करना है और ग्राम-सेवक की तैयारी कैसी होनी चाहिए।

अब तक सरकारी, गैर-सरकारी जितना भी ग्राम-सुधार का काम हुआ है उसको देखा जाय तो उसमें प्रधानतः तीन वृत्तियाँ पाई जाती हैं :—

१—दया-वृत्ति । २—उपदेशक वृत्ति । ३—सेवा-वृत्ति ।

१—आजकल जहाँ कहीं ग्राम-मुधार का काम होता है अधिक तर, ग्राम-सेवकों की प्रथम प्रकार की वृत्ति होती है। हम अपनी परिस्थिति को देखते हैं और गाँव वालों की परिस्थिति से तुलना करते हैं। फिर देखते हैं कि गाँव के लोग बहुत गरीब हैं। उनके पास रहने का घर नहीं है; जो है वह टूटा-फूटा है। उनके पास पहिनने का कपड़ा नहीं है। गाँव में जाने के लिए कीचड़ पर से चलना पड़ता है; वे उसे बनवा नहीं सकते। उनके कुएँ टूटे हुए हैं। बेचारे गाँव वाले नंगे, भूखे, गन्दे और साधनहीन हैं। अतः इनकी कुछ मदद करनी ही चाहिए। उनमें कुछ सेवा वाँटनी चाहिए। कुछ मदद उनकी सड़क बनाकर करनी चाहिए। कुछ कुओं की मरम्मत द्वारा करनी चाहिए। वे गन्दे रहते हैं उनको कुछ साबुन देना चाहिए। उनके बच्चों को कुछ कपड़े देना चाहिए। कहीं से पैसा लाकर स्कूल खोलना चाहिए।

दयावृत्ति
से सेवा

इसके पीछे उदारचेता लोगों की करुणा व दया की भावना है। दान देना दया की वृत्ति है। दान देने वाले उनको छोटे, दीन व हीन समझते हैं और उन पर दया करते हैं। शहर के पढ़े-लिखे मध्यम

श्रेणी के लोग, सभ्रान्त श्रेणी के लोग, जिनके हृदय कुछ कोमल हैं, उच्च श्रेणी से निकले हुए राष्ट्रीय सेवक और सरकारी महकमा के कुछ कर्मचारियों में इस किस्म की वृत्ति पाई जाती है। लेकिन ऐसी दया और करुणा वृत्ति को पूरा करने के लिए ये लोग साधन लाते कहाँ से हैं? जो लोग अपने को शिक्षित भद्र श्रेणी के कहते हैं उनके पास जो कुछ साधन है वह मिला है डाकटरी की आमदनी से, वकालत से, सरकारी नौकरी से, या तिजारत से। यह आमदनी आती है उसी गाँव के बेचारे लोगों से, जमींदार की आमदनी है उन्हीं की लगान से। राष्ट्रीय कार्यकर्ता के पास है उसी पब्लिक के चन्दे से और सरकारी महकमा का धन भी उन्हीं से है। फिर मेहरवानी किस पर? किसका धन किसको करुणापूर्वक दान देना है? (१०००) की हैसियत

के आदमी से पूरा हजार रुपया छीन लेने के बाद जब वह भूखों मरे तो ५) मदद करने की उदारता कैसी ? अगर कोई किसी को खूब बेंत मार कर सारे शरीर में घाव पैदा कर दे, फिर उसको ठेले पर लाद कर अस्पताल भेज दे और यह कह कर अपने को सन्तोष दे कि हमने उस दुखी शरीर पर मलहम पट्टी का इन्तजाम कर दिया है तो उसकी इस उदारता को तुम क्या कहोगी ? हमारे ग्राम-सेवकों को इस प्रकार के दंभ से अपने को बचाना है और अपना दृष्टिकोण साफ रखना है। ग्राम-सेवक को समझना चाहिए कि गांव के लोग दीन हो सकते हैं, हीन नहीं। यह सही है कि वे इतने वेवस हो गये हैं कि इस अपमान को महसूस नहीं करते। तुम्हारा दान पाकर तुमको आशीर्वाद करते हैं। कुछ अर्से पहले सड़क, रेलगाड़ी और अस्पताल पाकर अंग्रेजी सरकार को भी 'माई बाप' कहते थे। लेकिन यह आशीर्वाद यह माई-बापना तभी तक है जब तक वे इस अपमान को महसूस न करें। इस वृत्ति से देने वाले और लेने वाले दोनों का नैतिक पतन होता है। देने वालों का वड़प्पन के दम्भ से और लेने वालों का वेवसी-की हीनता से। हमारे राष्ट्रीय सेवकों में अधिकतर लोग इसी वृत्ति के असर में रहते हैं क्योंकि वे उच्च श्रेणी-प्रधान समाज के संस्कार के अधीन रहते हैं। ऐसे समाज में भी अपना स्थान, मर्यादा की मोह, छोड़ नहीं पाते हैं। मैंने यह भी देखा है बहुत से खास ग्राम-सेवक, जिन्होंने अपना जीवन सेवा के लिए अर्पण कर दिया है, अपने पूर्व पुरुष के उच्चकुलीन वड़प्पन के संस्कार के वशीभूत होकर अनजान में इस कृपा-वृत्ति के असर में आ जाते हैं।

ग्राम-सुधार की समस्याओं को सोचने वाले कुछ बुद्धिजीवी लोग होते हैं। वे समझते हैं, गांव वाले जाहिल अपढ़ तो हैं ही, उनके पास बुद्धि कहां से हो। वे वेवकूफ हैं और नासमझी के कारण तकलीफ भोगते हैं। अतः उनको अच्छी जिन्दगी का ज्ञान कराना चाहिए। उनके घरों में रोशनदान नहीं होता है; रोशनदान का

फायदा वताना चाहिए। संतुलित भोजन किसे कहते हैं, उन्हें मालूम नहीं। सफाई किसे कहते हैं, गन्दा रहने से क्या-क्या नुकसान होता है, मक्खियाँ कितनी भयानक चीज हैं, रोग के उपदेशक वृत्ति जीवाणु कैसे फैलते हैं, रोगों का प्रतीकार किस वाली सेवा तरह हो सकता है, बच्चों को कैसे रखना चाहिए, प्रसूता को किस तरह रहना चाहिए; गांव वालों को इन बातों की जानकारी कराने के लिए बड़े-बड़े पोस्टर बनाना चाहिए; पच्चे छपवा कर बँटवाना चाहिए; मैजिक लैंटर्न का खेल दिखाना चाहिए; सिनेमा बनवाना चाहिए और गाँव-गाँव प्रचार करना चाहिए। वे भूल जाते हैं कि गांव वाले साधनहीनता के कारण कितने मजबूर हैं। इसी प्रकार की वृत्ति वाली बहुत सी समितियाँ हैं। ऐसी वृत्ति को मैं उपदेशक वृत्ति कहता हूँ।

तीसरी वृत्ति है गांव में ग्रामवासी जैसा बसना, उनकी सेवा करना, उनकी शक्ति का परिचय करना, अपने आचरण से बताना कि परिश्रम से क्या-क्या हो सकता है। हनुमान जी के अन्दर ताकत थी; वे भूल गये थे। उनको याद दिला कर ही उनसे विराट काम लिया गया था, अपने कन्धे पर चढ़ाकर नहीं। फिर हनुमान जी को कौन कन्धे पर चढ़ाता? अगर कोई चढ़ाने का दुस्साहस भी करता तो कन्धा टूट जाता। उसी तरह ग्राम-वासी की अन्तर्निहित शक्ति सुप्त है। उसी को जागृत करके उनके विस्तृत सामर्थ्य की याद दिला कर ही योग्य सामग्री वास्तविक का उत्पादन करना है। उनको उनके अधिकार सेवा-वृत्ति समझाकर, उत्साह को बाहर जाने न देकर अपने भोग में लाने का साहस दिलाना है। बाहरी साधनों पर भरोसा न कर स्वावलम्बी भावना पैदा करनी है। कोई चाहे कि बाहरी साधन से यानी कन्धे पर चढ़ाकर ग्रामीण समस्या की दरिया पार करा देंगे तो वह उस विराट बोझ को सह नहीं सकेगा, कन्धा टूट जायगा। इस प्रकार ग्राम-वासी के साथ मिल कर उसकी शक्ति का

परिचय करा कर उन्हें स्वावलम्बी बनाने में मदद करने की प्रवृत्ति होनी चाहिये ।

इस प्रकार की सेवा करने वालों को अपना जीवन भी नियमित करना होगा । उनको अपना चरित्र हमेशा ही माँजते रहना होगा । सेवा भी तो एक कला ही है । कुशल कलाकार हमेशा अपना औजार घिस कर तेज रखेगा, उसे शुद्ध रखेगा और सजावट ठीक रखेगा । सेवक का जीवन ही अपनी कला का औजार है; उसे तेज रखना होगा, साफ रखना होगा, व्यवस्थित रखना होगा ।

सेवक का जीवन दूसरी बात यह देखनी होगी कि उस पर कोई दूसरे ही उसकी कला रंग का शेष तो नहीं रह गया है । ललित कला का की तूलिका है कारीगर अपने चित्र-पट को जिस रंग से रँगना चाहता है वह अपनी तूलिका सिर्फ उसी रंग से रँगता है ।

अगर उसके ब्रश में दूसरा रंग रह जाता है तो चित्रपट ही बदरंग हो जायगा । सेवक समाज को जिस आदर्श से रँगना चाहते हैं अपने जीवन भर भी सिर्फ उसी रंग को चढ़ाना होगा । नहीं तो वह जो कुछ करेगा बदरंग होगा । साथ ही उनको दारिद्र्य व्रत भी ग्रहण करना होगा । अपने निजी खर्च और सार्वजनिक धन का खर्च करने में बहुत ही मितव्ययी होना है । हमारे नवीन राष्ट्रीय सेवक इस वृत्ति को पसन्द नहीं करते । वे कुछ ठाट-वाट की सजावट प्रसन्द करते हैं । अगर वे ठाट-वाट से न रहें तो आजकल सजावट-पसन्द समाज में लोग उनको पीछे ढकेल देंगे, उनको ऐसा डर हमेशा लगा रहता है । सार्वजनिक धन को भी उदारता से खर्च करते हैं । उसका कारण कुछ अपनी पैतृक उच्च श्रेणी वाली दया का संस्कार है जो परोक्ष रूप से उनके आचरण पर असर डालता है । दूसका कारण लोक-प्रियता का मोह है । उनके तमाम व्यवहारों को देखकर वह मालूम होता है कि वे किसी रईस के कर्मचारी हैं, गरीब जनता के नौकर नहीं । सेवा वृत्ति से ग्राम-सेवा करने वालों को समझना चाहिए कि हम कंगाल बैंक के

मैनेजर हैं। उनके मालिक भूखे, नंगे जन हैं। वे उनके नौकर होकर उनसे शान से कैसे रहें? यह तो सभी जानते हैं कि आप एक कंगाल जिनका नौकर मालिक से ऊँची हैसियत से रहता है

मालिक के
सेवक हैं

वह मालिक का दिवाला जरूर निकाल देगा। अतः अगर सेवक पैतृक संस्कार के कारण, शारीरिक असमर्थता के कारण कुछ विषय में समझौता करता

है तो उसे मजबूरी और कमजोरी समझें। कमजोरी से समझौता तो जहाँ तक सम्भव है कम से कम होना चाहिए। ग्राम-सेवक को गाँव वालों को वेवकूफ, गन्दे कहकर नाक नहीं सिकोड़नी चाहिए। श्रद्धा से उनकी सेवा करना चाहिए। जिसे हम बड़ा समझ कर श्रद्धा नहीं कर सकते हैं उनकी सेवा कैसे करेंगे। ग्राम-सेवक सदियों की सड़ी हुई नमी के कारण बदबूदार कमरों को अपना कमरा समझता है। तेल पसीना और मिट्टी के लेप वाली बदबूदार चारपाई पर अपना समझ कर बैठता है। नाक से सर्दों बहती हुई आंख में कीचड़ चपके हुए मुख-मंडल पर मक्खी भिनभिनाती हुई, ऐसे बच्चों को अपने बच्चे समझ कर प्यार करना होगा। घृणा का कोई स्थान नहीं।

ग्राम-सेवक को इसी तरह सेवा-वृत्ति से और चारित्रिक तैयारी के साथ गाँव में जाना चाहिए। उनके लिए कोई बनी-बनाई स्कीम नहीं है। वह तो ग्राम में जाकर ही मालूम होगी। तुमको विहार भूकम्प का हाल मालूम ही है। आरियन दा और तुम जाने वाले थे; शायद तुम नहीं जा सकीं। लेकिन बातें तो मालूम ही हैं। भूकम्प से जब सारा प्रान्त विध्वंस हो गया था तो चारों ओर कमी लोग दौड़ पड़े थे। उन्होंने कोई प्लान नहीं सोचा, स्कीम नहीं सोची; वे सिर्फ दौड़ पड़े। वहाँ जाकर विशाल विध्वंस को देखकर लोग किंकर्तव्य-विमूढ़ हो गये थे। क्या करें, कहाँ से और कैसे शुरू करें, समझ नहीं पा रहे थे। उसी समय मौके पर पं० जवाहरलाल जी आये और फौरन फावड़ा लेकर खौदने लगे। “सोचना क्या? खोदो?” की आवाज प्रतिध्वनित

हुई । सहस्र खन्ती, सहस्र फावड़े चलने लगे । क्या करना है, पहले से कैसे सोचते ? किसको मालूम किस स्तूप के नीचे कौन सम्पत्ति, कौन प्राणी दबा पड़ा है । पुनर्गठन तो तभी हो सकता था जब मलवा हट जाता और दबी हुई सम्पत्ति बाहर निकलती ।

सदियों की अवहेलना से, लूट और शोषण के प्रहार से हमारे ग्रामीण समाज की प्राचीन विधि-व्यवस्थाएँ और आर्थिक, धार्मिक नैतिक व व्यावहारिक संस्कारों की इमारत का चकनाचूर कुसंस्कारों के मलबे हो गया । और उस ध्वंसावशेष के ढेरों के नीचे के नीचे मानवता मालूम नहीं कौन सी सम्पत्ति, कौन-सी मानवता दबी पड़ी है दबी पड़ी है । अगर आज ग्रामीण समाज का ध्वंस से उद्धार करना है; समाज की पुनर्स्थापना करनी है तो सेवकों को दौड़ पड़ना होगा और जवाहरलाल की वह आवाज "सोचना क्या ? खोदो !" के अनुसार खोदना शुरू करना होगा और जब प्राचीन व्यवस्था का ध्वंसावशेष और कुसंस्कारों का मलवा हट जायगा, भीतर से प्राचीन व्यवस्था और संस्कृति की सम्पत्ति निकल आवेगी, तभी ग्राम-समाज का पुनर्गठन व रचना हो सकेगी ।

ग्रामीण जीवन की प्राचीन अग्नि, प्राचीन चरित्र की ज्योति सदियों से राख और धूल के नीचे दब जाने पर आज चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार दिखाई दे रहा है । लेकिन ग्राम-सेवक को निराश नहीं होना है । भीतर की आग की गर्मी राख और धूल भेद करके आज भी ऊपर दिखाई देती है । सेवक को इस अन्धकार में प्रकाश डालना है । वह बाहर से टार्च ले जाकर, यहाँ की आग से बिजली की बत्ती ले जाकर नहीं, बड़प्पन और शिक्षा यहाँ के दीप के दम्भ से ध्वंस स्तूप पर पैर रखकर नहीं होगा; जलाश्रो उस पर पैर रखने से जल जाना पड़ेगा, बल्कि नम्रता से झुककर, धीरे से सम्हाल कर फूतकार से राख उड़ाकर, नीचे की आग जगाना है । राख उड़ाने से सेवक का

सारा शरीर गन्दा हो जायगा, आंखें भर उठेंगी। उससे घबड़ाना नहीं है। उसी ढेर के नीचे से जो आग निकलेगी उसके सहारे उसी भूमि की मिट्टी का दीप जलाकर समाज के आगे-पीछे कोने-कोने में दीपावली करनी है। देखना है कि वह रोशनी कला की व्यवस्था के साथ रखी गई है या नहीं। जिससे सुन्दर मालूम हो, इसे धैर्य और सावधानी से आड़ में सजाकर झों रखना है कि आज की पश्चिमी अव्यवस्थित और तीव्र वायु से बुझ न जाय।

ग्राम-सेवा के प्रयोग में जो कुछ देखा, मन में जो कुछ कल्पना थी, धारणा थी सब तुमको सुना दी। मालूम नहीं यह करुण कहानी तुमको कैसी लगेगी। शायद इससे कुछ मतलब निकल आये। आज आखिरी पत्र है। इसके बाद फिर मुलाकात पर ही बात होगी। वहां जितने भाई-बहिन हैं सबको मेरा प्रेमपूर्ण नमस्कार कहना। मीतू का क्या हाल है। उसे बहुत-बहुत प्यार कहना।

तुम्हारा

धीरेन्द्र ।

समय ग्राम-सेवा की ओर



श्री धीरेन्द्रनाथ मजूमदार

भाग २
[विवेचन, निष्कर्ष और योजनाएँ]

चीन का ग्रामोद्योग आन्दोलन और गांधीजी की विचारधारा

नैनी सेंट्रल जेल

२६ अक्टूबर १९४३

न जाने कितने दिन बाद आज तुम्हें फिर पत्र लिखने बैठा हूँ । मार्च सन् १९४३ के शुरू में पटना में आखिरी मुलाकात हुई थी । उसके बाद हलाँकि डेढ़ साल ही बीता है किन्तु मालूम होता है कि एक युग बीत गया । इस बीच न मालूम कितनी बातें हो गईं । क्या क्या बवंडर मुल्क में उठे, उनका कोई हिसाब नहीं । चंपारन से पटना तक रास्ते में न जाने कितनी योजनाएँ हम लोगों ने बनाई थीं । स्त्री शिक्षा-योजना की बात सुनकर तो तुम कितनी खुश हुई थीं और अपना समय देने के लिए भी तैयार हो गई थीं । तुमने ऐसी आशा भी दिखाई थी कि वासन्ती देवी आकर उसकी जिम्मेदारी ले लेंगी । राम-देव भाई भी कितने उत्साहित थे । सारा इन्तजाम करने के लिए तैयार हो गये थे । उसके बाद डेढ़ साल तक न तो तुमसे मुलाकात ही हो सकी और न कोई पत्र-व्यवहार ही हुआ । इसके लिए समय कहाँ मिला ?

मैं भी वृहत् कार्यक्रम में फँस गया और तुम भी नई-
 “अपने मन कछु नई योजनाओं में मशगूल रहें । मैं चाहता था कि मैंने
 और है कर्ता के जो योजनाएँ आगरा सेंट्रलजेल में बैठकर बनाई
 कछु और ।” थीं, उनका प्रयोग जल्दी से हो सके । साल भर जेल
 में रहने से काम में जो कमी आ गई थी उसको पूरा
 करना था । देश में वस्त्र-समस्या जटिल हो जाने के कारण आश्रम पर
 भी काफी बोझ पड़ गया था । इन कारणों से तुमसे संपर्क न रख सका ।

फिर ग्रामोद्योग-संघ की १४ अगस्त की बैठक में शामिल होने के लिए मैं वर्धा आने ही वाला था और सोचा था कि उक्त अवसर पर दो-चार दिन तुम लोगों के स्नेहपूर्ण आतिथ्य का सुयोग मिलेगा। उस समय के लिए बहुत सी बातें सोच रखी थीं; किन्तु “मेरे मन कछु और है, कर्ता के कछु और।” इस बीच में ६ अगस्त के सरकारी अमल ने देश भर में क्रांति मचा दी। फिर कौन किससे मिलता ? उस समय पता नहीं चल रहा था कि कौन कहाँ है ? कौन पकड़ा गया और कौन बचा ? ६ अगस्त को रणीवां आश्रम पर पुलिस ने छापा मारा। सारा आश्रम जब्त करके कर्ण तथा ३० अन्य साथी नजरबन्द कर दिये गये। मैं उस समय मेरठ में था इसलिए उस दिन गिरफ्तार नहीं हुआ। फिर मैं केन्द्र में दौरा करता रहा। बलिया, गाजीपुर आदि जिलों में दमन की पराकाष्ठा थी। फिर भी मैंने कुछ काम करने की चेष्टा की। जब तक बाहर रहा तब तक यह कोशिश करता रहा कि इस प्रान्त के लिबरल नेता एक रिलीफ कमेटी बनावें। मेरी धारणा थी कि मनुष्यता के नाते राजनीति से कोई सम्बन्ध रखे बिना भी यह काम हो सकता है। इसी उद्देश्य से मैं सेवा समिति के संचालकों से मिला। हरि जी (श्री हृदयनाथ कुँजरू) से भी मिला। लेकिन उन्हें राजी न कर सका। फिर अपने से जो थोड़ा-बहुत हो सके वही करने की चेष्टा करने लगा। लेकिन कुछ खास काम कर सकने के पहले ही १७ अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। इलाहाबाद से दिल्ली जा रहा था; स्टेशन पर ही पकड़ लिया गया। तब से नैनी सेंट्रल जेल में हूँ। शुरु के ६ महीने तो बाहर से कोई सम्पर्क रखने की ही इजाजत नहीं थी। लिखने का सामान भी नहीं रख सकता था। बहुत इन्तजारी के बाद महीने में एक पत्र लिखने की इजाजत मिली। पहले तो घर पर आश्रम वालों को और दादा को जरूरी पत्र लिखने थे। उन्हीं में ५-६ पत्रों की वारी खतम हो गई। अब इस मास यह खत तुम्हें लिख रहा हूँ।

यहाँ का जीवन अच्छा ही है। पढ़ने का वायुमंडल खूब है। अधिक समय पढ़ने में ही बीतता है। मैं भी पढ़ने में काफी समय लगा रहा हूँ। लेकिन मनचाहे विषय पर किताबें नहीं मिलतीं। अभिप्राय यह कि मुझे ग्राम-समस्या पर किताबें चाहिए थीं सो मिल नहीं रही हैं। अतः साधारण राजनीतिक किताबें ही पढ़ रहा हूँ। इससे समय का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। लेकिन अपने काम की दृष्टि से सदुपयोग भी नहीं हो रहा है। मेरठ को लिखा था; लेकिन वहाँ भी कोई ऐसा आदमी नहीं है जो पुस्तकें भेज सके। विचित्र भाई, रामधारी आदि सभी तो नजरबन्द हैं। क्या इस मामले में तुम कुछ मदद कर सकोगी? कम से कम शिक्षा-सम्बन्धी कुछ किताबें तो भेज सकती हो। और मुल्कों में इस पर क्या-क्या प्रयोग हुए हैं, इस विषय पर किताबें मिल सकें तो बहुत लाभ होगा। सब जगहों का हाल मालूम होने से, उस पर कुछ विचार करके कम से कम तुम लोगों की कुछ थोड़ी-बहुत मदद ही कर सकूँगा। इस दिशा में थोड़ी चेष्टा करना।

अब तक जितनी किताबें पढ़ी हैं, उनमें एक किताब अवश्य मेरे काम की थी। वह चीन के औद्योगिक सहयोग के चीन को उद्योग सम्बन्ध में थी। उसे पढ़ते समय मुझे ऐसा मालूम समितियाँ और हमारी दशा होता था जैसे कोई हमारी ही परिस्थिति में यह सब काम कर रहा है। हमारे सामने जो समस्या है, वही चीन वालों के सामने भी है। वही पूँजी का अभाव, आवादी की अधिकता और उस पर लड़ाई की परिस्थितियों से उत्पन्न कठिनाइयाँ।

वास्तव में चीन के लोग कमाल कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में यूरोप का कोई भी मुल्क हताश हो जाता। छोटे-छोटे गृह-उद्योगों से आवश्यक सामान उपलब्ध हो सकेगा, ऐसा विचार-मात्र ही उन्हें असंभव मालूम पड़ता! चीन के लिए बड़े पैमाने में गृह-उद्योग चलाने का कोई नई बात नहीं थी। वहाँ दस्तकारी का काम प्राचीन काल से चल

ही रहा था। कारीगर भी मौजूद थे। केवल संघटन की आवश्यकता थी। लड़ाई के जोश में वह संघटन भी संभव हो गया। फिर भी इतने कम समय में और इतने बड़े पैमाने पर संघटन कर लेना आसान काम नहीं था। क्योंकि जहाँ एक तरफ उनके यहाँ प्राचीन काल से दस्तकारी का संस्कार रहा; विभिन्न दस्तकारियों के कारीगर मौजूद रहे और लड़ाई के कारण माल की आवश्यकता बढ़ी वहाँ जनता में आत्म-संघटन का कोई परंपरागत भाव नहीं था। सैकड़ों वर्षों से होते आने वाले गृह-विवाद के कारण समाज में किसी प्रकार का संघटन नहीं रह गया था। देहाती जनता स्वार्थी तथा ईर्ष्यालु हो गई थी। ऐसी जनता में जितना भी संघटन हुआ, वह आश्चर्य की ही बात है। जब मैं वहाँ की योजनाओं और संघटन के सम्बन्ध में पढ़ रहा था तो ऐसा लगता था कि अपने यहाँ भी लोग उसी प्रकार का संघटन क्यों नहीं करते हैं? जो परिस्थिति चीन की है वही तो हमारी भी है। हाँ, इतना फर्क जरूर है कि वहाँ अपनी सरकार है; यहाँ विदेशी। लेकिन वहाँ भी जो सहयोग-समितियाँ संघटित हुई हैं वे सरकार की ओर से नहीं हुई हैं; गैर-सरकारी लोगों ने ही उन्हें स्थापित किया। सरकारी मदद बाद में मिली। फिर अपने यहां इस किसम का काम क्यों नहीं हो पाता है? अगर हम चाहते हैं कि हम भी इस प्रकार का कुछ काम कर सकें तो हमको इस न कर सकने का कारण ढूँढ़ निकालना होगा। जवाहरलाल जी भी चीन से लौटने के बाद ग्राम-उद्योग तथा गृह-उद्योग के लिए काफी जोर दे रहे हैं। जवाहरलाल के इस ओर ध्यान देने के बाद जो लोग पहले इन बातों को महज पागलपन समझते थे, अब इनके पक्ष में सोचने लगे हैं। फिर भी अपने यहां यह विचार तक ही सीमित रहा। तुम तो अपने काम से विभिन्न प्रान्तों में दौरा करती हो; सरकारी तथा गैरसरकारी सभी लोगों के संपर्क में आती हो; क्या तुम बता सकती हो कि इसका कारण क्या है? लोग कहेंगे कि हमारे यहां गुलामी है इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते हैं। यह सही है कि

हमारे सभी कष्टों की जड़ गुलामी है, लेकिन केवल यह कह देने से ही तो हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। इस तरह तो हम गुलामी हटाने की चेष्टा भी नहीं कर सकेंगे।

गहराई से विचार करने पर और अपने अनुभव से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी असमर्थता का प्रधान कारण कार्यकर्ताओं की कमी है। दो साल पहले आगरा सेंट्रल जेल से मैंने तुम्हें लिखा था कि हमारे यहां के पढ़े-लिखे नौजवान देहात में जाना और रहना पसन्द नहीं करते। मैंने उसका कारण भी बताया कार्यकर्ताओं का था। हम अपने यहां जब कोई स्थायी काम करना अभाव हमारी चाहते हैं तो योग्य कार्यकर्ताओं के अभाव से उसे दुर्दशा का नहीं कर पाते। चीन के औद्योगिक सहयोग के कारण है इतिहास और उसके कार्यक्रम को देखो तो मालूम होगा कि किस तरह सैकड़ों विज्ञान के विशेषज्ञ अपने आराम तथा अपनी आर्थिक सुविधाओं को त्याग कर, गरीबी का जीवन अपना कर औद्योगिक सहयोग-समितियों की स्थापना करने और उनका संचालन करने में अपना अमूल्य जीवन उत्सर्ग किये हुए हैं। अपने यहां इस प्रकार से दारिद्र्य-व्रत ग्रहण कर जीवन को स्थायी कार्यक्रम में उत्सर्ग कर देने की रुचि लोगों में नहीं है। कदाचित् हमारे नौजवान चीनी नौजवानों की तरह राष्ट्रोत्थान के लिए व्याकुल नहीं हैं। लड़ाई ने उनकी आशावादिता को इतना ऊँचा उठा दिया है कि इस अनिवार्य आवश्यकता से हट कर उनका ध्यान और आगे की बातों पर चला गया है। इस तरह अपने यहां लोगों को इसका अच-सर ही नहीं मिलता। तुम कहोगी, और यह सच भी है कि गत बीस-सालों में हमारे यहां बहुत अधिक राष्ट्रीय चेतना पैदा हुई है। इस बीस साल के अर्से में वापू के नेतृत्व में नौजवानों ने तीन बार देशमाता के चरणों पर अपने जीवन उत्सर्ग किये। अभी, इसी आन्दोलन में ही, ६ अगस्त को भारत के नेताओं की गिरफ्तारी के साथ ही देश

के नौजवान विद्रोही हो गये। सैकड़ों और हजारों की संख्या में वहाँ-दूर नौजवानों ने खड़े होकर छाती पर गोलियां खाईं। हजारों नौजवानों ने लंबे अर्से तक सड़ने के लिए जेल जाना स्वीकार किया। इस किस्म के आत्म-बलिदान का यह उदाहरण भारत की गुलामी के इतिहास में अभूतपूर्व था। यह सब सही है। और आन्दोलन-काल में दो ढाई माह तक बाहर रह कर मैंने इन बातों को अपनी आँखों देखा है। फिर भी भारतवर्ष के इस विस्तृत क्षेत्र में ग्राम-उद्योग और ग्राम-उत्थान-सम्बन्धी काम के लिए कार्यकर्ताओं की समस्या जहाँ की

तहाँ ही रह जाती है। क्षणिक जोश में नौजवान गोली से शहीद आग में कूद पड़ते हैं, बंदूकों के सामने सीना तान होने वाले हैं पर देते हैं। सालों जेलों में हँसते-हँसते सड़ते हैं। जिंदा शहीद नहीं लेकिन किसी स्थायी काम में आजीवन कष्ट सहने को तैयार नहीं होते। गोली के सामने आत्म-बलिदान करके शहीद हो जाते हैं लेकिन बापू की भाषा में जिंदा शहीद नहीं बन पाते। यदि कुछ नौजवानों के दिल में इस प्रकार जिंदा शहीद बनने की उमंग उठती भी है तो वे अपने शहरी संस्कार तथा रहन-सहन के तर्ज को नहीं छोड़ पाते। इसके अलावा हमारे पढ़े-लिखे नौजवानों में अपनी तथा कथित आधुनिक सभ्यता और संस्कृति में कमी आ जाने का भय कूट-कूटकर भरा हुआ है। वे जल्दी ही देहाती जीवन से ऊब जाते हैं। अतः चीन की गृह-उद्योग-समितियों के विवरण पढ़ते समय मुझे कुछ तकलीफ भी महसूस होती थी। पढ़ते समय मैं यह सोचता रहता था कि हाय ! हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते ?

मेरी इन बातों से शायद तुम्हें घुरा लग रहा होगा। तुम सोचती होगी कि यह कैसा आदमी है ! इतने बलिदान से भी यह संतुष्ट नहीं है। किन्तु ऐसी बात नहीं। जब मैं देखता था कि हजारों की तादाद में विश्व-विद्यालय के नौजवान गोलियों की परवाह न करके जुलूस में चढ़े जाते हैं तो मैं सिर्फ अचाकू ही नहीं रह जाता था बल्कि इनके

प्रति मेरे मन में असीम श्रद्धा उत्पन्न होती थी। सोचता या कि शायद मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा कहना तो केवल इतना ही है कि भारत के साढ़े छः लाख गाँवों को पुनर्गठित करने के लिए जिस प्रकार के बलिदान की आवश्यकता है उसका हमारे यहाँ अभाव है। इस प्रकार के साधन में हम आज चीन से कोसों पीछे हैं।

इन बातों को सोचकर मुझे परीशानी होती है; लेकिन तुम्हें मालूम ही है कि मैं जन्म से ही आशावादी हूँ। जहाँ अपने पिछले अनुभव से योग्य और भावनाशील कार्यकर्ताओं के अभाव के कारण परीशानी रहती है वहाँ यह सोचकर कि इस बार के राष्ट्रीय आन्दोलन में नौजवानों ने जिस अद्भुत जोश तथा आत्म-बलिदान का परिचय दिया है उसके कारण स्थिर और स्थायी तरीके से राष्ट्रोत्थान के कार्य में लगने के लिए कम से कम भविष्य में नौजवानों की कमी न रहेगी, दिल को तसल्ली होती है। इतना विराट् बलिदान व्यर्थ तो जाही नहीं सकता। अगर मेरी यह आशा, जिसके लिए शक की गुज़ाइश कम है, ठीक निकली, तो भविष्य में हम देहात में जिन उद्योग-समितियों आदि का संघटन कर सकेंगे, उनकी बुनियाद कदाचित् चीन से अधिक मजबूत और टिकाऊ होगी, क्योंकि जहाँ कुछ मामलों में चीन हमसे कोसों आगे है, वहाँ कुछ और विषयों में हमारा दृष्टिकोण चीनियों से बहुत अधिक साफ है।

चीन की उद्योग-सहयोग-समितियों के विस्तार तथा सफलता को देख कर हमें आश्चर्य होता है। वहाँ के नौजवानों का जोश देखकर कदाचित् हमें थोड़ी ईर्ष्या भी होती है; लेकिन जब हम उनकी कार्य-शैली तथा कार्यक्रम के बुनियादी सिद्धान्तों को देखते हैं तो उनके सारे कार्यक्रम के लिए कुछ डर भी लगता है।

जब से डाक्टर सनयातसेन के नेतृत्व में राष्ट्रीय चेतना का आविर्भाव हुआ, तभी से चीन में उद्योगों का विकास होने लगा। लेकिन उस विकास का स्वरूप युरोप और अमेरिका के अनुसार ही

रहा है। चीन के लिए ऐसा करना स्वाभाविक था। उसके पड़ोस में ही जापान ने युरोप की नकल करके इतनी उन्नति कर ली थी कि उसके लिए दूसरी बात सोचना आसान न था। चीन को अमेरिका से काफी मदद मिलने के कारण उस पर अमेरिकन असर पड़ना भी स्वाभाविक ही था।

अतः जब चीन की राष्ट्र-चेतना ने उसे सर्वतोमुखी विकास की ओर बढ़ाना आरंभ किया तो आर्थिक स्वावलंबन की ओर सब से पहले ध्यान जाना स्वाभाविक ही था। नतीजा यह हुआ कि चीन में थोड़े ही दिनों में काफी कल-कारखाने बन गये। इसी बीच चीन पर जापान का हमला हुआ। फिर तो लड़ाई के कारण चीन को तेजी से स्वावलंबन की ओर बढ़ना पड़ा और चार-पांच साल में इस दिशा में जितनी औद्योगिक उन्नति हुई, उसका हाल में तुम लोगों को क्या बताऊँ ? इसका तुमने मुझसे अधिक अध्ययन किया है। लड़ाई के कारण किस तरह उनके कारखाने जापानी बमों का निशाना बनते रहे और किस तरह ध्वंस के कारण उन कारखानों को अनेक कठिनाइयों के बावजूद असाधारण तेजी से सुदूर पश्चिमी प्रान्तों में हटना पड़ा, इसकी कहानी किसे मालूम नहीं ? ऐसे आपत्तिकाल में चीन को अपने पुराने ग्रामोद्योग की बात याद आई। उसने देखा कि अगर इस समय गांव-गांव में सहयोग-समितियों-द्वारा गृह-उद्योगों का संघटन किया जाय तो बेकार जनता को काम में लगाया जा सकता है और हवाई हमले से बचा कर, छोटी-छोटी भूोपड़ियों में बांट कर युद्ध के संकट-काल के लिए इतने विस्तृत क्षेत्र में उत्पत्ति का काम हो सकता है कि जनता के पोषण के साथ ही जरूरत पड़ने पर इन छोटे कारखानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हटाया भी जा सकता है। इन बातों का हाल भी तुम्हें मुझसे अधिक मालूम होगा, अतः इत पत्र में उसका जिक्र करना निरर्थक है। हमारे देश में जो लोग चर्खें और ग्रामोद्योग की खिल्ली उड़ाते हैं, उनसे कहो

कि वे चीन की ओर नजर डालें । यदि ग्रामोद्योग न होता तो आज के समरकालीन महा-संकट के समय उनकी क्या दशा होती ? यह ग्राम-उद्योग ही आज उनका सहारा हो रहा है । इस घटना से मानव-समाज समझ ले कि ग्रामोद्योग से उसका क्या सम्बन्ध है । समय पर काम आनेवाला ही सच्चा मित्र होता है । आज की परवशती में उन्हीं छोटे-छोटे उद्योगों ने साथ दिया ।

चीन के ग्रामोद्योग की सफलता का हमारे देश के लोगों पर जो असर पड़ा, चीन से लौटकर जिस तरह जवाहरलाल जी ग्रामोद्योगों के प्रसार के पक्षपाती हो गये, वह तुम्हें मालूम ही है । तुम्हें आश्चर्य भी होता होगा कि जब मैं जानता ही हूँ कि तुम्हें ये सब बातें मालूम हैं तो फिर बेकार इतना लिख कर समय, कागज और दिमाग क्यों खर्च कर रहा हूँ ? बात यह है कि जेल में समय की क्या कमी ? कागज लगता ही कितना है ? और दिमाग ? वह अपने पास कोई उत्तम कोंटि का होता तो बचाने का भी प्रयत्न करता । जब इतने अर्से के बाद लिखने बैठा हूँ तो सम्हाल कर कहाँ तक लिखूँ ? जो भी बात दिमाग में आती है लिख डालता हूँ । तुम लोग हो काम-काजी; लंबे पत्र से शायद उकता जाती होगी । लेकिन यहाँ जेल में पत्र जितना ही लम्बा लिखा जाय उतना ही अच्छा क्योंकि उतना ही समय कटता है । खैर ।

यह ठीक है कि चीन में जो कुछ हो रहा है, उसका हाल हम सब को मालूम है और भारत के लिए वर्तमान चीन एक महान शिक्षा-भूमि बन गया है । फिर भी मैं कह रहा था कि मुझे वहाँ के इस कार्यक्रम के भविष्य के सम्बन्ध में आशंका हो रही है । कारण यह है कि चीन को इन सारी चेष्टाओं के पीछे जो प्रेरणा है वह है लड़ाई की मजबूरी, साधनहीनता के साथ चरम अभाव की व्याकुलता और उस व्याकुलता से उद्भूत ग्राम-उद्योग की व्यवस्था । उस प्रेरणा के पीछे ग्राम-उद्योग की बुनियाद पर भावी समाज-व्यवस्था की कोई निश्चित विचार-

धारा नहीं मालूम पड़ती। अतः मुझे इन ग्राम-उद्योग संघटनों के स्थायित्व में काफी शक कालूम होता है। मुझे ऐसा चीनी प्रामोद्योगों लगता है कि जिस तरह अततायी के हवाई हमलों के पीछे किसी से बड़े-बड़े केन्द्रित कारखाने ध्वस्त हो जाते हैं, निश्चित विचार- उसी तरह जब यह लड़ाई का जमाना समाप्त हो धारा का अभाव जायगा और फिर पश्चिमी केन्द्रीय उद्योगवाद का हमला चीन की जनता की बुद्धि और मन पर होगा तो यह मजबूरी से संभूत ग्राम-व्यवस्था उसके सामने टिक न सकेगी। जब आज का सारा संगठन विशेषतया इंग्लैंड और अमेरिका की मदद से चल रहा है तो शान्ति के बाद के संगठन में भी चीन पर उनका असर पड़ना अवश्यंभावी है। अगर बाद को चीन के विचार में युरोप का केन्द्रीय उद्योगवाद धर कर गया, जिसकी मुझे पूरी आशंका है, तो फिर चीन के सामने दूसरी समस्या भी खड़ी हो सकती है।

केन्द्रित उद्योग के आधार पर आर्थिक योजना की सफलता के लिए चीन को शुरू में ही अधिक धन की आवश्यकता होगी। यह धन आज चीन के पास मौजूद नहीं है, अतः स्वभावतः चीन मित्रता के नाते अमेरिका और इंग्लैंड से कर्ज लेने के लिए विवश हो जायगा। इंग्लैंड और अमेरिका जैसे साम्राज्यवादी देश ऐसे अवसर पर कब चूकने वाले हैं। वे तो चीन के राष्ट्र-निर्माण के काम में तन-मन-धन से लग ही जायेंगे और चीन ने जहाँ एक वार पश्चिमी मित्रों के कर्ज की पूँजी से मशीनों-द्वारा आर्थिक संघटन आरम्भ किया वहीं उसको उस कर्ज के दलदल में इतना फँस जाना पड़ेगा कि फिर उससे अपने को मुक्त करना आसान न रह जायगा। अमेरिका और इंग्लैंड आदि पूँजीपति देशों को भविष्य में सैनिक साम्राज्य के बजाय इस प्रकार का आर्थिक-साम्राज्य ही अधिक इष्ट होगा, क्योंकि अब सैनिक साम्राज्यवाद पुराना और

आर्थिक साम्राज्यवाद से अधिक फंफट की चीज हो गया है। सैनिक साम्राज्यवाद में जहाँ लाभ के साथ-साथ राज्य-व्यवस्था की जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी वहाँ नये किस्म के आर्थिक साम्राज्यवाद में केवल लाभ ही लाभ रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह पुराने जमाने में जब इंग्लैंड को गुलाम मजदूर से आजाद मजदूर सस्ता मालूम होने लगा, तो उसने बड़े-ऊँचे-ऊँचे सिद्धान्तों के नाम पर गुलाम-प्रथा हटानी शुरू की, उसी प्रकार भविष्य में सैनिक साम्राज्य से आर्थिक साम्राज्य सस्ता पड़ने पर 'आत्म-निर्णय' का नारा इंग्लैंड और अमेरिका की जुवान पर सदा विराजमान रहेगा। चीन के भी इसी नारे के माया-जाल में फँसने का मुझे डर है। इसलिए जहाँ चीन के जोश, उसके सैकड़ों नौजवानों के व्यक्तिगत त्याग, उसकी कार्य-पद्धति और उद्यमशीलता आदि बातों को देखकर हम भारत-वासियों को लाभ उठाना चाहिए, वहाँ उसके खतरों पर भी गौर करना चाहिए।

तुम कहोगी कि भारत भी तो वही ग्राम-उद्योग चलाने की चेष्टा कर रहा है; यहाँ भी तो लड़ाई के बाद वही परिस्थिति आ सकती है जो चीन में आयेगी फिर भारत में और चीन में बापू की विचार-धारा फर्क क्या है? वह फर्क यह है कि भारत में ग्रामोद्योग का जो क्रम चला उसकी बुनियादी प्रेरणा लड़ाई की मजबूरी नहीं थी। उसका सूत्रपात लड़ाई के बहुत पहले बापू जी ने इस देश में किया। उनके चर्खे और ग्रामोद्योग के पीछे एक विशिष्ट विचार-धारा है। उसके पीछे ग्राम-स्वावलम्बन के आधार पर भावी समाज-व्यवस्था की निश्चित योजना है। हमारे उन देशवासियों से, जिनमें चीन की औद्योगिक सहयोग-व्यवस्था से हमारी चर्खें और ग्रामोद्योग की चेष्टा की तुलना करने का आजकल रिवाज सा हो गया है, मेरा नम्र-निवेदन है कि वे जरा गहराई से इस अन्तर पर भी विचार करें। और हमारे चर्खे और ग्राम-उद्योगों की

मूलभूत वापू जी की विचार-धारा को शान्ति-पूर्वक समझने की कोशिश करें ।

वापू जी ने तो अपने विचारों का स्पष्टीकरण उसी समय कर दिया था, जब उन्होंने “हिन्द-स्वराज्य” नाम की पुस्तक लिखी थी । फिर उन्होंने भारत में “हिन्द-स्वराज्य” का व्यावहारिक रूप प्रकट किया । भारत की आजादी के लिए अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन चलाया । उस आन्दोलन का केन्द्र-बिन्दु चर्खा रक्खा । तब से २५-वर्ष हो गये, चर्खे की रट लगाते वे कभी नहीं थकते; क्योंकि वापू के लिए स्वराज्य की चेष्टा संसार में सत्य और अहिंसा की राज्य-व्यवस्था कायम करने की चेष्टा मात्र है । येन केन प्रकारेण अंग्रेज चले जायँ और हम आजाद हो जायँ, यह उनका ध्येय नहीं है । वे तो देश को गुलामी के बंधन से मुक्त करके भारत में और भारत के द्वारा संसार भर में उस शान्ति-मय तथा अहिंसात्मक समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिसका वे स्वप्न देखते हैं और उसको स्थापना वे चर्खे और ग्रामोद्योग के द्वारा ही करना चाहते हैं । फलतः उनके लिए चर्खा और ग्रामोद्योग जहाँ आज जन-साधारण को स्वराज्य आन्दोलन के लिए जाग्रत और संघटित करने के मूल साधन हैं, वहाँ वे उस समाज की स्थापना के भी साधन हैं जो हिंसा और शोषण से मुक्त होकर मानवता के वास्तविक कल्याण और उसकी सच्ची स्वतंत्रता का प्रवर्तक और परिपोषक हो । इसी कारण और इसी उद्देश्य को सम्मुख रखकर उनकी प्रेरणा के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्र-ध्वज पर चर्खे का चित्र अंकित किया गया है, जो इस बात का प्रदर्शक है कि भारत उन नई समाज-व्यवस्था की स्थापना के प्रयत्न में संलग्न है ।

संसार आज जिस पूंजावाद का आग में जल रहा है वापू का चर्खा उसी के विरुद्ध मौलिक विद्रोह का प्रतीक है । युरोप में मानव की स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व का सिद्धान्त उदीयमान हुआ है । और उनके आधार पर लोकतंत्र की कल्पना की गई । लोकतंत्र में व्यक्ति

मात्र की स्वतंत्रता और समानता स्वीकार की गई और केन्द्रीय गुट, दल या वर्ग की प्रभुता, शासन तथा हित के स्थान पर समाज के अधिक से अधिक लोगों के हित को नैतिक आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। लोकतंत्र के सिद्धान्त का यह उदय अहिंसा-परक वृत्ति का ही प्रदर्शन था। मानव-सभ्यता के इतिहास को देखने से यह मालूम होता है कि मनुष्य समाज आरम्भ से ही हिंसा और अशान्ति के स्थान पर शान्ति और संतुलन की प्रतिष्ठा की चेष्टा करता रहा है। इस चेष्टा

के मिलसिले में भिन्न-भिन्न देशों ने अपनी भौगो-मानव प्रगति के लिक स्थिति, काल और परिस्थिति के अनुसार मूल में अहिंसा है विभिन्न प्रकार के प्रयोग किये। उन्हीं प्रयोगों के फल-

स्वरूप समाज ने शासन-सत्ता की कल्पना जन-तंत्र के रूप में की और जीवन-सम्बन्धी समस्त प्रश्नों के निवटारे के लिए सिर फोड़ने में नहीं बल्कि सिर गिनने और पारस्परिक हित-सामंजस्य में मानवता की प्रगति समझी क्योंकि सभ्यता के इतिहास में हिंसा और पशुवल के स्थान पर मनुष्य के नैतिक और नैसर्गिक अधिकारों की स्थापना को न्याय्य माना गया है।

मानव-इतिहास के आदि काल में जब मनुष्य-जीवन में कोई संगठन या व्यवस्था नहीं थी और संसार में मत्स्य-न्याय का ही बोज-वाला था तब स्वभावतः हिंसा तथा वर्चरता के कारण मनुष्य-जीवन की अनिश्चितता से परेशान होकर 'सरदार प्रथा' तथा राज-संस्था की स्थापना की गई होगी। यह व्यवस्था भी शांतिमय समाज-व्यवस्था के प्रयास रूप में ही रही होगी। इससे मनुष्य को कुछ शान्ति भी मिली

होगी। फिर समाज ने व्यवस्था के नाम पर शासन शासन सत्ता का किसी केन्द्रीय तंत्र या व्यक्ति के हाथ में सौंप केन्द्रीकरण और दिया होगा। इस प्रकार संसार में केन्द्र-वाद की विकेन्द्रीकरण सृष्टि हुई। मनुष्य स्वभावतः ही शान्तिप्रिय जीव है। केन्द्र-व्यवस्था की शृंखला को देख कर वह

निश्चिन्त हुआ। शासक वर्ग इस निश्चिन्तता का फायदा उठाने लगे और क्रमशः यह केन्द्रवाद, शासन-क्षेत्र की पुंजीभूत शक्ति के द्वारा आगे बढ़ कर आर्थिक क्षेत्र में भी फैल गया और आर्थिक क्षेत्र में पूँजीवाद की सृष्टि हुई। फिर तो केन्द्र-वाद ने पूँजीवाद के रूप में मनुष्य की सारी आवश्यकताओं के लिए मानव समाज को केन्द्रीय वर्ग का मुहताज कर दिया। नतीजा यह हुआ कि मनुष्य स्वतन्त्र नहीं रह गया। फलतः मनुष्य ने हिंसा, अशान्ति और अनिश्चितता से बचाने के लिए जिस केन्द्र-व्यवस्था की रचना की थी। वही व्यवस्था वर्ग-शासन और पूँजीवाद के रूप में मनुष्य को फिर से हिंसा और शोषण का शिकार बनाने का साधन हो गई! मानव समाज ने इस बात को देखा और तब उसने लोकतन्त्र के आविष्कार से शासन-सत्ता को विकेन्द्रित करके व्यवस्थित स्वतंत्रता को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की। शासन-सत्ता के विकेन्द्रित होने के साथ ही आर्थिक क्षेत्र में स्वावलम्बन तथा स्वतंत्रता का कायम होना सहज तथा स्वाभाविक ही था; लेकिन दुर्भाग्य-वश ऐसा नहीं हो सका।

जिस समय जनतंत्र के रूप में अहिंसात्मक वृत्ति का क्रमिक-विकास हो रहा था, उसी समय भौतिक विज्ञान की कृपा से वाष्प-यंत्र का आविष्कार हुआ। इस आविष्कार ने उत्पत्ति के तरीके और साधनों में अकल्पित परिवर्तन कर दिया। युरोप में औद्योगिक क्रान्ति हुई और पूँजीवाद ने अपनी नींव मजबूत कर ली। अब तक केन्द्रवाद ने जिस पूँजीवाद की सृष्टि की थी उसकी सत्ता केवल व्यवस्था पर ही सीमित थी; उत्पादन के साधन फिर भी बहुत-कुछ उत्पादक के हाथ में थे। अगर वही उत्पत्ति का तरीका उसी तरह बना रहता तो जनतंत्र के वायु-मंडल के विकास के साथ-साथ उत्पादक वर्ग अपने-उत्पादन के साधनों अपने साधन और कला के द्वारा स्वावलम्बन पर पूँजीवाद का के आधार पर स्वतंत्र हो जाता। लेकिन वाष्प-यंत्र प्रभुत्व के आविष्कार के साथ-साथ पूँजीवाद को उत्पत्ति

के साधनों को इस प्रकार केन्द्रीभूत करने का मौका मिला कि क्रमशः उसने उत्पादकों को उत्पादन साधन के और कला के स्वामित्व से वंचित कर दिया और जिस प्रकार शासन-सत्ता-द्वारा जनता का निःशस्त्रीकरण हो जाने से जन-समूह को सत्ता के चंगुल में बुरी तरह फँस जाना पड़ता है उसी तरह साधन और कला के अधिकार से वंचित होकर जनता के लिए केन्द्रित सत्ता से छुटकारा पाना कठिन हो गया। फिर तो सारी व्यवस्था जोरों से उस केन्द्रीकरण की ओर बढ़ने लगी और जनतंत्र की कल्पना कल्पना-मात्र ही रह गई। उत्पादन के केन्द्रीकरण ने यह आवश्यक कर दिया कि समाज की सारी शक्ति केन्द्रित की जाय; क्योंकि जब समस्त जन-समूह अपने जीवन-धारण की आवश्यकताओं के लिए किसी केन्द्रित व्यवस्था के सहताज होते हैं तो स्वभावतः समाज उसी केन्द्र का पूर्ण रूप से आश्रित हो जाता है। परिणाम यह हुआ कि लोकतंत्र के रूप में जिस मानव स्वतंत्रता ने जन्म ग्रहण किया था उसकी प्रगति कुंठित हो गई। वर्ग की प्रभुता वर्ग-शासन और वर्ग-हित मुख्य हो गया जिस की स्थापना और रक्षा के लिए पशुबल आवश्यक हो गया। सारी शक्ति, सारे वैभव और उनकी प्राप्ति के साधनों का एक वर्ग के हाथ में केन्द्रित होना, सार्वजनिक और सामूहिक स्वतंत्रता और अधिकार के निर्दलन में ही संभव था।

वस्तुतः मनुष्य-समाज की सभ्यता के विकास का इतिहास बहुत कुछ उत्पादन के तरीके का इतिहास है। उत्पादन की पद्धतियों में होने वाले परिवर्तनों के साथ-साथ समाज के संघटन में परिवर्तन होता रहा। यही कारण है कि जैसे-जैसे समाज की उत्पादन की प्रणाली में केन्द्रीकरण होता गया वैसे-वैसे शासन की व्यवस्था में भी केन्द्रीकरण होता गया और क्रमशः सारे समाजतन्त्र के केन्द्रित हो जाने से आज संसार भर में तानाशाही का बोलबाला हो गया है। वापू जी ने मानव-समाज की इस गति को देखा, उन्होंने देखा कि शासन-तंत्र

त्रितना ही केन्द्रित हो रहा है। उतना ही समाज का जीवन भी केन्द्रीभूत होता जा रहा है और मनुष्य की स्वतंत्रता का यह लोप तथा उसके निर्दलन एवं शोषण की यह मात्रा-वृद्धि उसी केन्द्रीकरण का प्रतिफल है। ऐसी स्थिति प्रकृति-विरुद्ध होने के कारण उसे स्थायी बनाये रखने में अधिकाधिक हिंसा और पशुबल का आश्रय लिया जाने लगा। इस दशा से मनुष्य का उद्धार करने के लिए बापू जी ने यही उपाय सोचा कि जिस मूल से यह अनर्थ का सिलसिला जारी हुआ है और इसमें वृद्धि होती गई है उसी का सर्वथा निराकरण कर दिया जाय। जिस दानव ने आकर जनतंत्र को शैशवावस्था में ही गला घोट कर मार दिया उस दानव का नाश हुए बिना स्वतंत्रता की स्थापना होना असंभव है। वाण्य-पत्र की उत्पादन-प्रणाली से उद्भूत केन्द्रीकरण विघटित किये बिना शासन-तंत्र की केन्द्रीभूत शक्ति न हटेगी और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक न हिंसा का लोप होगा, न मनुष्य शोषण तथा पराधीनता से मुक्त होगा। फलतः यह आवश्यक है कि उत्पादन की पद्धति का विकेन्द्रीकरण किया जाय और उसके आधार पर ऐसे स्वावलम्बी समाज की रचना की जाय जिससे उत्पादन के साधन उत्पादक के हाथ में रहें और उत्पन्न पदार्थ उत्पादक की संपत्ति हों। न प्रणाली केन्द्रित हो और न सारी संपत्ति थोड़े से लोगों के हाथ में पड़ कर पूंजीवादी शोषण जारी रखे।” मनुष्य अपने जीवन की आवश्यक वस्तुओं के लिए यथासंभव किसी के परवश न होकर स्वतंत्र रहे। ऐसे विकेन्द्रित आर्थिक समाज में वर्गों के हित परिवर्तित हो जायेंगे। फलतः न केन्द्रीभूत शासन-तंत्र की आवश्यकता रहेगी न हिंसा की। केन्द्रतंत्र के विकेन्द्रीकरण के बिना मनुष्य की स्वतंत्रता का अन्तुण रहना और उसकी प्रगति संभव नहीं है, क्योंकि उत्पादन और उसके साथ शासन केन्द्रित होने का मतलब शक्ति को केन्द्रित करना है। शक्ति को केन्द्रित करने के बाद अगर किसी क्रिम के वैधानिक आधार पर कानूनी हक से संपत्ति पर जनसाधारण का स्वामित्व स्थापित

भी किया जाय तो वैसा स्वामित्व सांकेतिक होगा, वास्तविक नहीं। मनुष्य स्वभाव में अनुकूल परिस्थिति पर पहुँचते ही प्रभुत्व करने की इच्छा बलवती होती है। इसी प्रवृत्ति के कारण उत्पादन के साधन के वैधानिक मालिक जब अपनी केन्द्रित संपत्ति के इन्तजाम के लिए व्यवस्थापक वर्ग को कायम करेंगे तब वही वर्ग अपने मालिक प्रजा वर्ग पर प्रभुत्व करने लगेगा। इस प्रकार जीवन-यापन के लिए आवश्यक पदार्थों के उत्पादन के तरीकों को केन्द्रित रखकर मिलक्रियत की धारणा में सुधार करने पर उत्पादन के साधनों पर पूँजीपति के कब्जा के स्थान पर व्यवस्थापक वर्ग का कब्जा हो जायगा। फिर साधनों पर कब्जा पाने की स्थिति पर आकर वह अपने स्वभाव के कारण प्रजा पर प्रभुत्व जमाना शुरू कर देगा। तर्क किया जा सकता है कि जिस प्रकार मनुष्य में प्रभुत्व करने की वृत्ति बलवती होती है उसी प्रकार उसमें स्वतन्त्र रहने की वृत्ति भी तो बलवती होती है, और जिस समय व्यवस्थापक वर्ग प्रभुत्व करने लगेगा उस समय प्रजा स्वतन्त्र रहने के लिए उनसे संघर्ष करेगी। मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन प्रभुत्व करने की वृत्ति, स्वतन्त्र रहने की वृत्ति आदि सभी वृत्तियाँ से बलवती वृत्ति जिन्दा रहने की होती है। जब जिन्दा रहने के साधन केन्द्रीय व्यवस्थापक वर्ग के कब्जे में होंगे तो प्रजा को मजबूर होकर प्रभुत्व से समझौता करके किसी किस्म की मनबहलाय की स्वतन्त्रा मान कर जिन्दा रहने के साधनों को प्राप्त करना पड़ेगा और इस प्रकार की वैधानिक स्वतन्त्रता नाम मात्र ही रह जायगी। इसीलिए जब तक उत्पादन के तरीकों में मौलिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक लोकतंत्र, प्रजा की स्वतन्त्रता आदि बातें कल्पना मात्र ही रह जायँगी। फिर जब उत्पादन के साधन और उसका तरीका विकेन्द्रित कर दिये जायँगे और इस प्रकार जब उत्पादित सम्पत्ति का वास्तविक मालिक स्वभावतः उत्पादक खुद होगा तो पूँजी का भी उचित ढँटवारा अपने-आप हो जायगा। इसीलिए वापू जी का कहना

है कि "भारतवर्ष जिस साम्यवाद को पचा सकता है वह साम्यवाद तो चर्खे की गूँज में गूँज रहा है।"

आज हम चर्खे और ग्रामोद्योग का जो कार्य-क्रम चला रहे हैं, वह कार्य-क्रम वापू जी की इसी कल्पना का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वह आज के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक केन्द्रवाद के विरुद्ध विद्रोह की सजीव मूर्ति है, जो न केवल उत्पादन और शासन-तंत्र का विकेन्द्रीकरण करके नये आधारों पर नये समाज की रचना की ओर संकेत करता है बल्कि उसके मार्ग को प्रशस्त करता है। हमारे चर्खे और ग्रामोद्योग के पीछे वापू जी की यह सारी विचार-धारा दौड़ती है। (चीन के आज के कार्य-क्रम के पीछे इस प्रकार की कोई निश्चित सामाजिक तथा आर्थिक विचार-धारा की बुनियाद नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था कि चीन के ग्राम-उद्योग का कार्यक्रम अपूर्व और प्रशंसनीय होते हुए भी, उसके उज्ज्वल भविष्य के सम्बन्ध में मुझे आशंका है।) हममें से जो लोग ग्राम-उद्योग के पक्षपाती हैं, उनको वापू जी की उपर्युक्त विचार-धारा को समझ कर सारे कार्यक्रम और योजना की बुनियादी प्रेरणा उसी विचार-धारा से लेनी होगी। अपनी कार्य-पद्धति तथा दृष्टिकोण को उसी सामाजिक सिद्धान्त की पूर्ति के अनुकूल बनाना होगा। भविष्य में हमको समूची ग्राम-सुधार योजना भी इसी आधार पर बनानी होगी। अगर ग्राम-उद्योग का काम केन्द्रीय उद्योग के साथ मिश्रित करके मजबूरी की परिस्थिति में केवल उत्पादन का परिमाण बढ़ाने की नीयत से किया जायगा तो न केवल यह कार्यक्रम व्यर्थ ही होगा बल्कि राष्ट्र की शक्ति और सामर्थ्य का अपव्यय भी होगा; क्योंकि जब एक ही वस्तु के उत्पादन के लिए दोनों तरीकों से काम चलता रहेगा तो प्रथमतः जन-साधारण के सामने कोई निश्चित सामाजिक और आर्थिक सिद्धान्त नहीं रह पायेगा और दोनों तरीकों से उत्पादित माल के बँटवारे में निरर्थक चढ़ा-ऊपरी होती रहेगी। अतः भारत के लिए यही श्रेयस्कार होगा कि हम इधर-उधर

की अस्थायी कल्पनाओं को छोड़कर वापू जी के विचारों को सामने रखकर ही अपनी योजनाएँ बनायें और उसी के अनुसार काम करें।

लेकिन मैं तो जेल में अपने दैनिक कार्यक्रम की चर्चा कर रहा था; कितारों की बात कर रहा था। बीच में बहक कर व्याख्यान देने लगा। तुम्हें इन बातों पर हँसना नहीं। जेल में रहने से लोग शायद कुछ भावुक हो जाते हैं। इसलिए मैं भी शायद उन्मीमनोवृत्ति का शिकार बन गया हूँ।

जब से हमारे समस्त राष्ट्रीय जीवन पर एकाएक सरकारी हमला हुआ, तब से तुम्हारा हाल कुछ भी मालूम नहीं हुआ। सुना था, विनोबा जी का नालवाड़ी जन्त है। कौन-कौन काम चल रहा है और कौन कौन बन्द है? लिखना, महिलाश्रम का क्या हाल है? कृष्णदास भाई का खादी-विद्यालय चल रहा है या बन्द है? मगनवाड़ी और गोशाला आदि सबका हाल देना। तुम लोगों का बुनियादी तालीम का कुछ प्रयोग चल रहा है या बन्द है? सुना था, श्री आर्यनायकम् बीमार थे, उनका क्या हाल है? बच्ची मीतू की क्या खबर है? वह तो बहुत बड़ी हो गई होगी।

मेरा स्वास्थ्य ठीक है। आशा है वहाँ आनन्द है। सब भाई-बहिनों को मेरा नमस्कार। बच्चों को प्यार।

[२]

रणीवाँ के ग्राम-सुधार का अनुभव

१५ नवम्बर, १९४३

तुम्हारा पत्र मिला। वहाँ का समाचार मालूम हुआ। श्री आर्यनायकम् अभी तक अच्छे नहीं हुए, यह जान कर चिन्ता हुई। आशा है कि होशंगाबाद के मित्र की सुश्रूपा से वे जल्द, अच्छे होकर, काम करने लगेंगे। तुम लोग तालीमी-संघ की ओर से प्रयोगार्थ एक आदर्श

विद्यालय भी चला रहे हो, यह जान कर बहुत खुशी हुई। इस विषय में मेरी राय तुम्हें मालूम ही है। पहले पहल सन् ३६ में पूना में जब प्रथम बुनियादी-शिक्षा परिषद की बैठक हो रही थी, उसी समय मुझे ऐसा लगा कि यह जो सरकारी महकमे की मार्फत काम चल रहा है, वह न तो स्थायी होने वाला है और न संघ के सिद्धान्त के अनुसार पूर्ण-रूप से प्रयोग में आने वाला ही है। तुम्हें याद होगा कि उस समय मैंने वहाँ उपस्थित राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक बैठक करने के लिए कितना जोर दिया था। तुम लोगों की कृपा से जब बैठक बुलाई गई तो मैं इसी बात पर जोर दे रहा था कि संघ की ओर से एक बुनियादी विद्यालय और एक शिक्षक ट्रेनिंग-स्कूल आदर्श तरीके से चलाया जाय। क्योंकि मेरा विश्वास था कि कोई भी नवीन और क्रांतिकारी प्रयोग न सरकारी महकमों की मार्फत चल सकता है और न उसे पंडितों-द्वारा ही चलाया जा सकता है। उसे तो क्रांतिकारी व्यक्ति ही, जिन्हें कार्यक्रम तथा उसके बुनियादी सिद्धान्त पर विश्वास हो चला सकते हैं। चाहे उनकी बौद्धिक योग्यता कुछ कम ही क्यों न हो। दादा (आचार्य कृपलानी) ने उस सभा के आखिरी व्याख्यान में जो यह कहा था कि अवतारी पुरुष-द्वारा बताये आदर्श और सिद्धान्तों को तो विश्वास करने वाले मोची, मल्लाह आदि साधारण लोग ही फैलाते हैं, वह अक्षरशः सत्य है। उस बैठक में श्री आर्यनायकम्, काका साहब कालेलकर, आदि तालीमी संघ के सदस्य गए जब तुमको इस काम के लिए अवकाश देने को तैयार हो गये तो मुझको बहुत खुशी हुई थी। लेकिन खेद की बात यह हुई कि उस दिन का प्रस्ताव कार्य-रूप में परिणित नहीं हुआ। अतः तुम्हारे पत्र से यह जान कर कि अब तुम लोग अपने संघ की ओर से विद्यालय चला रहे हो, मेरी खुशी की सीमा न रहना स्वाभाविक ही है। लेकिन मराठी भाषा में जो प्रयोग कर रहे हो उससे सबको फायदा न मिलेगा। अतः हिन्दी भाषा-भाषियों के लिए युक्तप्रान्त या विहार में

कहीं तुम लोगों को अपना काम करना होगा। आशा है, धीरे-धीरे यह काम भी हो ही जायगा।

तुम मेरे पिछले लंबे पत्र से परीशान न होकर खुश हुईं, वह जाना। तुम चाहती हो कि ग्राम-सुधार-सम्बन्धी अपनी विचारधारा तुम्हें बराबर लिखता रहूँ। लेकिन दो साल पहले आगरा जेल से जो चिट्ठियाँ लिखी गई थीं, उनमें ग्राम-सेवा के सम्बन्ध में मैं अपना अनुभव करीब-करीब लिख ही चुका हूँ। उसके बाद मुझे बहुत कम समय प्रयोग करने के लिए मिला। रिहाई के ६ माह बाद ही तो फिर पकड़ लिया गया। यहाँ से उस ६ माह का अनुभव, तथा उस अनुभव और कल्पना के अनुसार भावी योजना की रूपरेखा के सम्बन्ध में कुछ लिख तो सकता हूँ; लेकिन उस वार की तरह इस वार सहूलियतें प्राप्त नहीं हैं। उस वार सप्ताह में दो पत्र लिख सकता था तो इस वार महीने में एक ही पत्र लिखने की इजाजत है। फिर भी जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा इस विषय में तुम्हारा अनुरोध मान कर लिखने की कोशिश करूँगा। जितना भेज सकूँगा उतना भेज दूँगा; बाकी कभी बाहर आकर एक साथ ही दे दूँगा। उसमें से तुम लोग अगर काम के लायक कुछ मसाला पा सको तो बहुत अच्छी बात है।

मैं पहले ही लिख चुका हूँ कि जिस तरह मैं फैजाबाद जिले में आश्रम के द्वारा तथा सरकारी ग्राम-सुधार-विभाग द्वारा ग्राम-सुधार योजनाओं का प्रयोग करता रहा और उस ओर जब कुछ खास तरीके के काम का सूत्रपात करने जा ही रहा था कि नजरबन्द करके जेल भेज दिया गया लेकिन जेल जाना बुरा न हुआ। पिछले बीस साल में मैंने ग्राम-समस्या के सम्बन्ध में जो कुछ देखा, किया या समझा, उस पर गौर करने का मौका तो पहले पहल वहीं मिला। विचार करने पर बहुत सी बातें, जो अब तक धूमिल थीं, साफ होती गईं और भविष्य के लिए निश्चित सिद्धान्त के आधार पर योजनाओं की कल्पना करना आसान हो गया। चर्खे-द्वारा कत्तिनों की सर्वांगीण उन्नति करके

उन्हीं की मार्फत ग्राम-उत्थान की सूक्त उसी समय हो सकी थी। उसका आभास मैंने उसी समय “हम आठ आना कैसे दें” शीर्षक योजना के साथ बापू जी को भेजा था। वह सूचना तुमने ‘खादी-जगत’ में देखी होगी। वहीं बैठ कर तुमको पत्र लिखने के बहाने अपने पिछले अनुभवों का सिंहावलोकन भी कर सका था। यह सब भी फायदे में ही रहा। इस प्रकार जेलों में दस माह बिताने के बाद जनवरी १९४२ में रिहा होकर रणीवाँ आ गया। पहिले दो-तीन महीने इधर-उधर जाने में और परिस्थिति को समझने में लग गये। फिर मैं सब से पहले रणीवाँ के पुगर्स वटन के काम में लग गया। वहाँ रणीवाँ ग्रामोद्योग विद्यालय तथा उसके द्वारा आस-पास देहातों में गृह-उद्योग के प्रसार के सम्बन्ध में तीन साल के सक्रिय अनुभव के बारे में कुछ बताना, मेरी समझ में अप्रासंगिक न होगा।

रणीवाँ आश्रम की नींव किस तरह पड़ी और अनुकूल परिस्थितियाँ पाकर उसने किस तरह आज का रूप ले लिया, इसका विवरण मैं काफी दे चुका हूँ। वहाँ विभिन्न उद्योगों की स्थापना करते समय मैंने स्थानीय साधन तथा परिस्थितियों की छान-बीन नहीं की थी। शायद उस समय उस प्रकार की छान-बीन करने का अनुभव भी मुझको नहीं था। अतः दूसरी बातों का खयाल न करके अपने सामने हर प्रकार का प्रयोग करने की नीयत से हर तरह के जितने तरह के उद्योगों की स्थापना का अवसर ग्रामोद्योगों की मिला उन्हें स्थापित किया। इस प्रकार वहाँ खादी स्थापना विद्यालय में (१) धुनाई, कताई तथा बुनाई। (२) तेल-पानी। (३) कागज बनाना (४) बेंत, बाँस तथा मूँज आदि का काम (५) दरी, कालीन तथा कंबल बनाने का काम (६) लोहारी (७) चमड़ा पकाना तथा (८) जूता चप्पल बनाना आदि चर्म-कला के विभागों को संबद्धित किया गया। आरंभ से ही रणीवाँ की ग्राम-उद्योग-योजना बनाने में मैंने उसी ध्येय को सामने रखा था

जो बापू की विचार-धारा के अनुसार देहातों को ग्राम-स्वावलंबन के आधार पर संघटित करने का था। मैं चाहता था कि दो-चार या पाँच-सात गांवों में ग्रामीण जनता की आवश्यकता पूरी करने वाले हर प्रकार के उद्योग की स्थापना हो जाय, और उन्हीं की सहयोग-समितियों के द्वारा ग्राम-संघटन की योजना बनाई जाय। अतः जहाँ प्रान्त के विभिन्न जिलों के नौजवान विद्यालय में विभिन्न उद्योगों की शिक्षा पा रहे थे, वहाँ अधिक से अधिक नौजवानों को उन उद्योगों में शिक्षित करके आश्रम की मदद से ऐसी व्यवस्था कराई जाती थी कि वे अपने घर पर उत्पादन का काम कर सकें। इस विषय में बहुत से मित्र एतराज करते थे कि जिन उद्योगों में कारीगरों की कमी नहीं है, उनके किए भी नये नौजवान तैयार करने से क्या लाभ ? हजारों बुनकर काम के बिना तरस रहे हैं उस-पर भी उनकी तादाद बढ़ाने से लाभ के स्थान पर हानि की संभावना अधिक है। देश में इतने चमार भूखों मर रहे हैं, उस पर चमड़े के कारीगर बढ़ाने से क्या फायदा ? इत्यादि। तुम्हें भी इस प्रकार का एतराज हो सकता है। संक्षेप में इसका कारण बता देना अच्छा होगा। मैंने पिछले पत्र में लिखा है कि जब समाज में केन्द्रवाद की सृष्टि हुई तो आर्थिक क्षेत्र में पूँजीवाद की भी सृष्टि हुई क्योंकि केन्द्रवाद के साथ केन्द्रीय वर्ग की सृष्टि हुई और उस वर्ग के हितों के संघटित करने की भी आवश्यकता पड़ी। अतः उत्पादन के क्षेत्र में कारीगरों को एकत्र कर व्यवस्था की सहूलियत की और लोग आगे बढ़ते रहे। इस तरह बुनकर चर्मकार आदि की केन्द्रित वस्तियां बनती रहीं। आज जो हजारों कारीगरों का उल्लेख किया जाता है वे सब इन्हीं वस्तियों में बसते हैं। जनता एक आपत्ति और में स्वावलम्बन की दृष्टि न होने के कारण उनका उसका निराकरण फैलकर गांव-गांव में बसना संभव नहीं था, क्योंकि वंसा करने से केन्द्रित व्यावसायिक संसार में उनका

टिकना असंभव था। लेकिन जन-साधारण के स्वावलम्बन तथा स्व-तंत्रता के आधार पर आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के विचार से अगर ग्राम-उद्योग का कार्यक्रम चलाना है तो यह जरूरी है कि हमें आवादी की आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक प्रकार के कारीगरों की जरूरत पड़ेगी और हमको समस्त क्षेत्र में उनका संयोजित संघटन करना पड़ेगा। आज एक ही काम करनेवाले जो कारीगर एक जगह बस्ती बनाकर रह रहे हैं, उनको या तो फैलाकर गांव-गांव में जाकर बसाना होगा या उनका पेशा बदलवाना पड़ेगा। समाज-व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के लिए इन कठिनाइयों और तकलीफों से बचाने से काम नहीं चलेगा। आज की परिस्थिति में रखीवाँ-जैसे छोटी प्रयोगशाला के लिए कारीगरों की बस्तियों को विकेंद्रित करना संभव नहीं था अतः प्रारंभ में हजारों कठिनाइयों होते हुए भी स्थानीय कारीगर तैयार करना जरूरी था। अतः हमको बुनाई, धुनाई, चर्मकला और बढ़ईगीरी आदि सभी पेशों के लिए किसानों के बंकार नौजवानों को सिखा कर कारीगर बनाने और गाँव में प्रतिष्ठित करने की योजना बनानी पड़ी।

अब विभिन्न उद्योगों के बारे में क्या-क्या अनुभव हुए और उन अनुभवों के आधार पर ग्राम-उद्योगों तथा उसके द्वारा ग्राम-सुधार-कार्य के सम्बन्ध में मेरी राय किस प्रकार कायम हुई, यह बतला कर आज का पत्र समाप्त करूँगा।

कृताई के सम्बन्ध में मैंने जो कुछ प्रयोग किया और उसके द्वारा तथा ग्राम-सुधार की संभावनाएँ मुझे दिखाई दीं, उनका जिक्र मैं दो साल पहले आगरा जेल से तुमको लिखे पत्रों में कर चुका हूँ। उसे फिर से दोहराना व्यर्थ होगा। अतः आज अन्य उद्योगों का ही जिक्र करूँगा। सबसे पहले कागज-निर्माण का वर्णन करना ठीक होगा। क्योंकि यही वह विभाग है कि जिसमें हम अपनी योजना के अनुसार कुछ आगे बढ़ सके हैं। कागज बनाने में स्थानीय युवकों को शिक्षित

करके किस तरह गाँव में यह विभाग स्थापित किया गया उसका वर्णन भी मैं आगरा जेल से भेजे गये पत्रों में कर चुका हूँ। मैं जिस समय गिरफ्तार हुआ उसके तीन ही मास पहले इन कारखानों की स्थापना की गई थी, और मेरे जेल जाते-जाते दस-बारह कारखाने कायम हो गये थे। मैं यह भी लिख चुका हूँ कि किस प्रकार उनका संघटन कर उसके द्वारा ग्राम-सुधार का काम चलाना होगा, इसकी कल्पना मैं उन्हीं दिनों करता था, लेकिन इस दिशा में कुछ काम शुरू करने से पहले ही पकड़ लिया गया। मेरे पीछे विचित्र भाई खुद रणीवाँ की देख-भाल करते थे। मैंने जेल से उनको इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए लिखा था। लेकिन उन पर आश्रम की बहुमुखी जिम्मेदारी थी; अतः मेरे छूटने से पहले तक वह इस दिशा में कुछ कर नहीं सके।

कागज का उद्योग—इस महीने बाद मैं जेल से लौटकर आया और देखा कि अब तक २३ कारखाने कायम हो चुके हैं। केवल इतने कारखाने ही नहीं कायम हुए थे बल्कि उन नौजवानों की सफलता देखकर आस-पास की जनता में आशा और विश्वास का संचार दिखाई दे रहा था। वे यह महसूस करने लगे थे कि कोशिश करने पर मौजूदा सीमित साधनों से ही अपनी हालत वे बहुत कुछ सुधार सकते हैं। किसी भी योजना की सफलता के लिए जरूरी है कि जनता में उत्साह हो। ऐसा उत्साह आशा और विश्वास से ही पैदा होता है। अतः जेल से लौटकर ही मैंने अपनी कल्पना के अनुसार काम शुरू कर दिया। कागज बनाने वाले नौजवानों को बुलाया और उन्हें बताया कि भविष्य में सारा ग्राम-उत्थान कार्य उनके ही द्वारा कराने की कल्पना मैं किस तरह करता हूँ। उन्हें बताया कि ग्राम-उद्योग का सिद्धान्त क्या है, भविष्य में किस तरह इन उद्योगों के साथ ही ग्रामीण समाज अनुबन्धित रहेगा क्योंकि आवश्यक सामान की प्राप्ति की चेष्टा में ही मानव-समाज का संघटन मन्निहित है तथा उस चेष्टा की रूप-रेखा के अनुसार ही समाज-जीवन की रूप-रेखा

बनती है और किस तरह ग्रामीण नौजवानों पर यह निर्भर करता है कि अगर वे चाहें तो आज की शहर में केन्द्रित सभ्यता को बदल कर ग्राम-मुखी बना सकते हैं। उनसे मैंने कहा कि आज बापू जी जो सामाजिक क्रान्ति करना चाहते हैं, उसके वे अग्रदूत बनें। मेरी बात कुछ-कुछ उनकी समझ में आई और बहुत कुछ नहीं भी आई। लेकिन आर्थिक सफलता के कारण हमारे कार्यक्रम पर उनका विश्वास और उत्साह था। और कम से कम वे इस बात को तो समझ ही सकते थे कि ग्रामोद्योग के पीछे जो व्यापक योजना है उसका ध्यान न रख कर और उसके साथ न चलकर अगर हाथ से कागज बना कर सिर्फ उसे गुजारे का व्यवसाय मात्र बनाये रखें तो वह गुजारे का व्यवसाय भी उनके हाथ से निकल जायगा; क्योंकि सिर्फ वाणिज्य-वृत्ति से मिल के साथ चढ़ा-ऊपरी में कैसे ठहर सकेंगे? मेरे कहने के अनुसार उन सब ने कागज संघ के नाम से एक समिति संघटित की। विचार यह था कि थोड़ी-थोड़ी पूँजी आश्रम में कटा कर आश्रम के कागज विभाग की जिम्मेदारी यह समिति अपने हाथ में ले लेगी। उन्होंने कागज के उद्योग के साथ ग्राम-उत्थान का काम भी अपने उद्देश्य में रखा। उसमें उन्होंने कुछ विभिन्न विभाग भी बना लिये, जो इस प्रकार थे। (१) कच्चा माल (२) उत्पादन कला (३) विक्री (४) शिक्षा (५) अन्य ग्राम-सुधार।

(१) कच्चा माल के विभाग का काम यह था कि वह इस बात की खोज करे कि स्थानीय सामानों में से कौन-कौन से सामान ऐसे हैं, जो दूसरे आवश्यक काम में न आते हों और जो कागज बनाने के काम में अच्छी तरह आ सकें। प्रारम्भ में यह जरूरी था कि वे अपने कारखाने कागज की कतरन से ही चलावें क्योंकि पहले-पहल उनको उसी में सहूलियत हो सकती थी। लेकिन वह स्थिति अधिक दिन नहीं चल सकती थी। क्योंकि कतरन के लिए फिर वही शहर तथा मिल का सहारा जरूरी था। अतः यह आवश्यक था कि वे इस बात की खोज

करें कि किन-किन देहाती सामानों के द्वारा नये सीखने वाले कारीगर भी अच्छी किस्म का कागज बना सकते हैं। पहले-पहल वे कागज की कतरन के साथ केले के रेशे, धान का पयाल, टाट की कतरन तथा सन के रेशे मिला कर बनाने लगे और क्रमशः कतरन का अनुपात घटाते गये।

(२) उत्पादन कला-विभाग का काम कागज की किस्म में सुधार करने का था। जिन लोगों ने कागज बनाने की अच्छी कारीगरी सीख ली थी, उन्होंने अपने कम सीखे हुए भाइयों को सिखाने का काम करना तय किया। इस विषय में प्रधानतः आश्रम के शिक्षक से ही मदद मिलती रही। उनका यह विचार था कि साधन काफी होने पर उनके प्रतिनिधि विभिन्न कागज-केन्द्रों से अनुभव लें।

(३) यद्यपि उस समय सारे कागज की विक्री की व्यवस्था आश्रम करता था, फिर भी उन्होंने विक्री-विभाग इसलिए कायम किया था कि क्रमशः उन्हें स्वतंत्र व्यवस्था करनी थी। मैं चाहता था कि आरम्भ से ही कुछ कागज स्थानीय विक्री में खपता रहे। इसका संगठन उन्हीं को करना था। उसके अनुभव पाकर वे सारी विक्री की जिम्मेदारी ले सकते थे।

(४) सबसे अधिक काम शिक्षा-विभाग के सामने था। उसके लिए ग्राम-सुधार कार्य में शिक्षण-कार्य ही मुख्य रखा गया था। प्रत्येक कारीगर अपने गाँव में एक रात्रि-पाठशाला चलाता था। विभाग की ओर से उन पाठशालाओं का निरीक्षण होता था। शिक्षा के काम में कागज बनाने वालों का विशेष सम्बन्ध होना स्वाभाविक भी था। उनके द्वारा उत्पादित कागज का बाजार भी तो वही विभाग था। इसलिए इस विभाग में खास ध्यान देने के लिए वे प्रेरित हो गये।

आश्रम ने पिछले दिनों गाँवों में रात्रि-पाठशालाओं के द्वारा प्रौढ़-शिक्षा का प्रसार करने की किस तरह चेष्टा की, उसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। यहाँ इस विषय में अपने अनुभव लिखना शायद अप्रा-

संगिक न होगा। दो-तीन साल में रखीवां के आस-पास हमने करीब १५०० प्रौढ़ों को प्रौढ़-शिक्षा की परीक्षा पास कराई। इस काम में मुझे बहुत उत्साह था। इस कार्यक्रम से न केवल साक्षरता का प्रसार होता था बल्कि उन विद्यालयों के सञ्चालन के कारण जनता में जो शिक्षा के प्रति उदासीनता उत्पन्न हो गई है वह दूर होती थी। नतीजा यह हुआ कि लोग अधिक तादाद में बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालयों में स्वतः भेजने लगे। लेकिन जेल से लौट कर जब मैं देहातों में घूमने लगा तो देखा कि हम जो साक्षरता योजना चला रहे थे, उससे शिक्षा का वायुमंडल तो पैदा हुआ लेकिन साक्षरता की दृष्टि से विशेष लाभ नहीं हुआ। जो लोग साक्षरता की परीक्षा पास कर चुके थे, वे क्रमशः जो कुछ सीख सके थे वह सब भूलते जाते थे। सारी स्थिति को देख कर मुझे ऐसा लगा कि अब तक हम जितना अक्षर-ज्ञान उनको कराते रहे, वह स्थायी साक्षरता के लिए काफी नहीं है। अतः अगर जनता को वास्तविक साक्षर बनाना हो तो हमको चाहिए कि उसे कम से कम दर्जा ४ तक की तालीम जरूर दें। लेकिन प्रौढ़ लोग साधारणतः इस उम्र में उतनी शिक्षा लेने का धैर्य नहीं रखते। अतः मैंने सोचा कि अगर गांव-गांव में बच्चों के लिए ही दर्जा ४ तक की शिक्षा की व्यवस्था की जाय और उसका समय ऐसा रखा जाय कि किसान अपनी फुरसत के समय उसमें पढ़ सकें तो क्रमशः कुछ प्रौढ़ भी उन पाठशालाओं में पूरी तालीम लेने की ओर अग्रसर होंगे। मेरी समझ में कम से कम अगर १५-१६ साल के युवक भी पाठशालाओं में भर्ती हो सकें तो काफी है। अधिक उम्र के लोगों को छोड़ देने में कोई हानि न होगी। इस तरह ६-७ साल में तो प्रायः सभी नौजवान साक्षर हो जायेंगे। इसलिए जब कागज संघ के लोगों ने रात्रि-पाठशालाओं की योजना बनाई तो मैंने उनको दर्जा २ तक की स्थायी पाठशाला कायम करने की सलाह दी। फिलहाल दर्जा २ तक के विद्यालय चल जाने पर

क्रमशः उन्हीं को दर्जा ४ तक का बनाया जा सकेगा । इन पाठशालाओं में कागज-कारीगर ही अवैतनिक शिक्षक का काम करते थे ।

(५) अन्य ग्राम-सुधार-विभाग के द्वारा फिलहाल गाँव की सफाई का काम रखा गया, क्योंकि शुरू में इससे अधिक संभव नहीं था । बल्कि मैंने उनको यह सलाह दी कि शुरू में वे गाँव की सफाई के चक्कर में न पड़ कर सिर्फ अपने घर और पड़ोस को साफ रखें । इससे क्रमशः दूसरे भी अपने घर साफ रखने के लिए प्रोत्साहित होंगे । गाँवों के सांस्कृतिक सुधार से पहले सफाई की चेष्टा के सम्बन्ध में अपनी राय मैं तुमको पिछले पत्रों में लिख चुका हूँ । अतः उसे दोहराना बेकार होगा ।

कागज संघ के संचालन के खर्च का कार्य चलाने के लिए सदस्यों से उनके उत्पादन की आय से १) चन्दा लेने का निश्चय किया गया और प्रत्येक सदस्य के लिए निम्न-लिखित शर्तें रखी गईं—

(१) सदस्य खुद और उनके आश्रित जन सब खादी का ही व्यवहार करेंगे और जल्दी से जल्दी ऐसा प्रवन्ध करेंगे कि वह खादी अपने घर के कते हुए सूत की हो ।

(२) सदस्य अपने घर तथा उसके आस पास की जमीन सदैव साफ रखेंगे ।

(३) सदस्य अपने पढ़ने लायक सभी बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था करेंगे ।

(४) सदस्य संघ के निर्देशानुसार प्रतिदिन दो घंटे का समय ग्राम-सेवा में खर्च करेंगे ।

(५) सदस्य एक साप्ताहिक पत्र मँगायेंगे और सप्ताह में एक दिन रात को गाँव भर के लोगों को पढ़ कर सुनायेंगे ।

(६) सदस्य सप्ताह में एक बार आश्रम में साधारण ज्ञान के क्लास में आयेंगे, जिसमें विभिन्न समस्याओं पर विचार-विनिमय होगा ।

इन तमाम बातों की व्यवस्था करने में दो-तीन मास का समय

लग गया। मैं चाहता था कि थोड़े दिन बाद जब क्रमशः संघ के लोग अपना काम व्यवस्थित रूप से चलाने लगे तो सहयोग-समिति कानून के अनुसार संघ की रजिस्ट्री करा दी जाय। उन नौजवानों में काफी उत्साह था, यह मैं ऊपर लिख चुका हूँ। उनमें से दो तीन भाइयों ने तो अपने गाँव के आस-पास तेल घानी आदि दूसरे उद्योगों का प्रसार करने की चेष्टा करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन इस प्रकार कार्यक्रम की प्रगति अधिक न हो पाई क्योंकि इसकी शुरुआत के दो-तीन माह के ही अन्दर ६ अगस्त की क्रान्ति मच गई। आश्रम जव्त हो गया। आश्रम से कर्ण के साथ ३० भाइयों को ६ ता० को ही गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारी दमन ने, हमारे द्वारा जितना भी रचनात्मक कार्य हुआ था, सब को बयालीस के समूल नष्ट करने का घोर प्रयत्न किया। पुलिस के दमन में आदमियों ने इन नौजवानों को भी काफी तंग किया।

नतीजा यह हुआ कि जो कुछ थोड़ी-बहुत प्रगति संघ की ओर हुई थी, सब नष्ट हो गई। प्रारंभ में तो वे कारखाने भी बन्द से हो गये। लेकिन मुझको मालूम हुआ कि कुछ महीनों के बाद धीरे-धीरे वे नौजवान अपना काम फिर से चलाने लगे और क्रमशः अपनी चेष्टा से बाजार भी प्राप्त करने लगे। अभी दो मास हुए रणीवाँ के रामलाल भाई के पत्र से मालूम हुआ कि अब उनका काम खूब ठिकाने से चल रहा है और उन्हीं के यहां सीख कर नौजवानों ने तीन-चार कारखाने और कायम किये हैं। यह खबर पाकर मुझे बहुत सन्तोष हुआ। शुरु से ही स्वावलंबन की ओर दृष्टि रखने के कारण आश्रम जव्त होने पर भी उनमें आत्म-विश्वास की कभी नहीं होने पाई वल्कि आश्रम के न होने से उनमें आत्म-निर्भरता की वृत्ति बढ़ी।

अब तक जेल से लौटने के बाद कागज उद्योग के द्वारा ग्राम-सुधार कार्य चलाने की मेरी जो योजना थी, उसकी सफलता की वास्तवता बताया। इस काम में मुझे कठिनाइयाँ भी हुईं, जिन्हें जाने बिना सारी

स्थिति को समझना सम्भव नहीं होगा। प्रारम्भ में जब मैंने गांव के नौजवानों को कागज का काम सीख कर अपने घर पर उद्योग चलाने के लिए निमंत्रित किया था तो साधारणतः पढ़े-लिखे नौजवान इधर आकृष्ट नहीं हुए। पढ़े-लिखे नौजवानों से हमारी कठिनाइयाँ मेरा क्या मतलब है, इसका अन्दाजा शायद तुम्हें न होगा। तुम्हारी दृष्टि से पढ़े-लिखे नौजवान का अर्थ विश्वविद्यालय की शिक्षा पाये हुए लोगों से होगा या कम से कम हाई-स्कूल पास से। लेकिन मैं जिस इलाके में काम करता हूँ वहाँ अगर पाँच-छः गांवों के बीच कोई मिडिल पास करले तो उसे लोग बहुत बड़ा पंडित समझते हैं। ऐसी स्थिति में मिडिल पास नहीं बल्कि दर्जा ४ पास किये हुए लोग भी पढ़े-लिखों में गिने जाते हैं। अतएव आश्रम की योजना में शामिल होने के लिए जो लड़के आये वे न तो मिडिल पास थे न तो दर्जा चार ही पास ऐसे लड़के थे जो कुछ होनहार भी हों। हमारे यहाँ तो वे ही आये जो दूसरा कुछ काम न कर सकते थे। और जीवन से निराश थे। काम शुरू करने के लिए मैंने उन्हीं को ले लिया और शुरू-शुरू में अधिकतर उन्होंने ही कारखाने चलाये। बाद को जब मैंने अपने ध्येय के अनुसार कार्यक्रम चलाने की कोशिश की तो इन लड़कों में योग्यता की कमी के कारण हमारे काम में बाधा पड़ने लगी। नतीजा यह हुआ कि उसमें काफी उत्साह होने पर भी जितनी सफलता की आशा करता था, उतनी न हो सकी। हाँ, मैं अपने उद्देश्य के सम्बन्ध में जेल से बार-बार लिखता रहा। उससे, और इन लड़कों की सफलता को देख कर बाद को कुछ अच्छे और शिक्षित अर्थात् मिडिल पास नौजवान इस ओर झुके। और फिर जो थोड़े दिन कागज संघ के संचालन की चेष्टा हुई, वह भी इन्हीं दो-चार नौजवानों के नेतृत्व में हुई। इस सिलसिले में एक दूसरी कठिनाई की आवृत्त बताना भी बहुत आवश्यक है। देहात में ही ग्राम-उद्योग की

कारीगरी सिखा कर गांवों में उद्योग-कार्य कायम करने की मेरी राय से मेरे साथी और मित्र बहुत कुछ सहमत नहीं हो सके थे। अक्सर उनसे मेरा मतभेद होता था। यह सच है कि पढ़ेलिखे नौजवानों को भर्ती करके यदि कारीगर बनाया जाय तो वे पेशेवर कारीगरों के मुकाबिले अच्छा माल नहीं बना सकते। अतः उनका बनाया माल खपाना कठिन हो जाता है। यह भी सही है कि उनका माल शुरू में तो नहीं बल्कि काफी दिनों तक बाजार के अन्य कारीगरों के मुकाबिले खराब होगा। लेकिन अगर हमको कुछ निश्चित सिद्धान्तों और

निश्चित योजना को ध्यान में रख कर ग्राम-उद्योग का काम चलाना है तो निस्सन्देह ऐसे नौजवानों को ही इन उत्पत्ति-कार्यों में लगाना होगा जिन्हें हम अपना आदर्श तथा अपना दृष्टिकोण समझा सकें और जो समाज की भावी व्यवस्था के अग्रदूत बनने की कल्पना कर सकें। हम चाहे जितने छोटे पैमाने पर काम चलावें, हमको आरम्भ से ही अपनी सारी व्यवस्था अपने सिद्धान्त के दृष्टिकोण से ही करनी होगी। सन् १९२१ से ही हमने चर्खा और खादी का काम चलाया। उस काम के चलाने में हमारा एक निश्चित सामाजिक तथा राजनीतिक उद्देश्य रहा। हमने जनता में उस उद्देश्य का प्रचार किया। जनता ने भी उसे समझा और चाहे जितना मोटा, खुरखुरा तथा कमजोर खदर बना उसे खरीदा और व्यवहार किया। नतीजा यह हुआ कि आज खादी, कपड़े की दृष्टि से भी, मुकाबिले में टिक रही है। इसी प्रकार अगर ग्राम-उद्योग के बुनियादी उद्देश्य को सफल करना है, तो हमें देहातों के ऐसे नौजवानों को शिक्षित करना होगा जो हमारे उद्देश्य को समझ कर उसी के साधक बन सकें। तैयार माल खराब होगा तो शुरू में उसे उसी रूप में जनता को देना होगा जिस तरह हमने शुरू में खादी दी थी। फिर खादी की तरह क्रमशः इनकी भी तरक्की करनी पड़ेगी। यह सही है कि आज भी ग्रामोद्योग

आदर्श-मुख
कारिगर पैदा
करने होंगे

के करीब-करीब सभी कामों के लिए पेशेवर कारीगर मिल सकते हैं लेकिन अगर हम बाजार की सहूलियत के मोह में पड़कर उन्हीं के द्वारा माल बनवा कर बेचते रहें तो देश की समस्या को हम अपने ढंग से हल करने की ओर न बढ़कर सामान्य व्यापार चलाने लग जायेंगे ।

यद्यपि खादी तथा ग्राम-उद्योग का बुनियादी उद्देश्य ग्राम-स्वावलम्बन है तथापि शुरुआत का माल तो हमें शहरों में ही खपाना होगा । क्रमशः उद्योग की प्रगति के साथ-साथ ग्रामीण आर्थिक परिस्थिति जैसे-जैसे उन्नति करती जायगी, वैसे-वैसे गाँव का उत्पादन अधिकाधिक गाँवों में ही खपने लगेगा । अतएव उस समय तक तो हमें संघ-द्वारा बना हुआ अपना माल बेचने के लिए बाहर का बाजार देखना ही पड़ता था तथा इस काम में अपने साथियों का ही भरोसा था और मेरे दृष्टिकोण से उनके सहमत न होने के कारण कुछ कठिनाइयाँ थीं । हाँ, कागज के काम में इस कठिनाई का असर अधिक नहीं पड़ा क्योंकि शुरू में जितना कागज बनता था वह अधिकांश आश्रम के खादी-विभाग के केन्द्रों में खप जाता था । मेरे साथियों के और मेरे दृष्टिकोण में पूर्णतया मतैक्य न होने पर भी ग्राम-उद्योग की साधारण कठिनाइयों के सम्बन्ध में तो दो रायें नहीं हो सकती थीं । अतः माल की किस्म में कुछ खराबी होने पर भी वे उसे सहर्ष इस्तेमाल कर लेते थे । दूसरे एक बात यह भी थी कि कागज का उद्योग ऐसा था कि वह प्रायः मर ही चुका था और इसके लिए शायद पेशेवर कारीगर थे ही नहीं । सभी जगह नये लोग ही सीख कर बनाते थे । अतः मुक्ताविले में सब जगहों के उत्पादकों का प्रायः एक ही हाल था । माल में भी विशेष फर्क नहीं था । अतएव इस सम्बन्ध में आपत्ति की गुञ्जाइश कम थी । फलतः दृष्टिकोण में फर्क होने के कारण विशेष कठिनाई दूसरे उद्योगों के चलाने में ही पड़ी । उसका वर्णन उन्हीं उद्योगों के वर्णन के सिलसिले में करूँगा ।

बुनाई—दूसरा उद्योग बुनाई का था। तुम्हें मालूम ही है कि जब मैं शुरू में रणीवां आया था और दूसरे उद्योगों के सम्बन्ध में कल्पना भी नहीं करता था उस समय तो बुनाई को ही मैंने अपनी ग्राम-सुधार-योजना का साधन बनाने की चेष्टा की थी और प्रारम्भ में बुनाई विभाग का काम ही जारी किया था। लेकिन मैं लिख ही चुका हूँ कि आश्रम के खादी-विभाग से मदद न मिलने से मुझे बुनाई के द्वारा सुधार-योजना की चेष्टा छोड़नी पड़ी थी। फिर भी बुनाई-विभाग मैंने जारी रखा था और सरकारी मदद से चलने के कारण किसी को विशेष एतराज न रहा। खादी-विभाग की मदद के बिना इस विभाग की प्रगति सम्भव न थी, अतएव इस विभाग में विशेष उन्नति नहीं हो सकी। आस-पास के गाँवों के ७-८ नौजवानों ने बुनाई सीखी और लड़ाई के वस्त्र-सङ्कट के दिनों में गाँव का सूत बुन कर वस्त्र-स्वावलंबन में मदद कर सके। अक्रबरपुर के कुछ बुनकर तो विभिन्न डिजाइनों की खादी बुनना सीख गये थे। यद्यपि इस विभाग में नतीजा कम निकला फिर भी ग्राम-स्वावलंबन के प्रयोग में मुझे काफी अनुभव मिला। इस विभाग के द्वारा गाँव-गाँव में बुनकर पैदा करके ग्राम-स्वावलंबन योजना चलाने की सम्भावनाओं के प्रति मेरा विश्वास पहले से भी बढ़ गया। इस समय मुझे सूचना मिली है कि आश्रम बन्द होने पर ये नौजवान स्थानीय कस्बियों का सूत बुन कर यथाशक्ति निज की आर्थिक तथा देहात की वस्त्र-समस्या हल करने में मदद कर रहे हैं। मुझे अब भी विश्वास है कि चर्खा-संघ चाहे तो बुनाई के द्वारा ग्राम-सुधार का बहुत बड़ा काम कर सकता है। वशतें वह अपने तरीकों को तब्दील करे और सारे काम को विकेन्द्रित करके ग्राम-स्वावलंबन की ओर बढ़े।

लोहारी और बढ़ईगीरी—तीसरा विभाग बढ़ईगीरी और लोहारी के काम का था। सन् १९३५ में पहले पहल जब मैं रणीवां गया था और चर्खे का प्रचार शुरू किया था, उसी समय से चर्खा-

सरंजाम की कठिनाई महसूस करता था। मैंने देखा कि बाहर से चर्खा आदि सामान मँगाने से काम नहीं चलेगा। उस समय मैंने स्थानीय बढ़इयों के अभाव से कस्बियों के गाँव में ही सामान निर्माण करने में कठिनाई अनुभव की थी। उसका विवरण पहले भी कुछ लिख चुका हूँ। नगीना, सहारनपुर तथा बरेली आदि लोहार-बढ़इयों की केन्द्रित बस्तियों से आसानी से चर्खा सरंजाम बन सकता था और आश्रम नगीना से ही चर्खा आदि सामान बनवा कर विभिन्न केन्द्रों में भेजता भी था। लेकिन इस तरह हमारा काम नहीं चल सकता था। इसलिए ग्राम-उद्योग विद्यालय स्थापित होते ही मैंने स्थानीय किसान युवकों को लकड़ी और लोहे का काम इसी उद्देश्य से सिखाना शुरू किया। लेकिन इस विभाग में हमारी समस्या कागज-विभाग जैसी आसान नहीं थी। पहले तो लकड़ी का काम ठीक तरह से सीखने के लिए काफी दिन लग जाते हैं। दूसरे लोहे और लकड़ी का काम करने के लिए पेशेवर बढ़ई और लोहार एक से एक बढ़ कर मौजूद हैं। वे चाहे केन्द्रित बस्तियों में हों, चाहे बड़े शहरों में। उनका बना सरंजाम तो हर जगह पहुँच ही सकता है। ऐसी स्थिति में उन लड़कों को बाजार के मुकाबिले में आना पड़ा। पहले मैं अपने सिद्धान्त के अनुसार चलना चाहता था लेकिन आश्रम की आवश्यकता तथा साथियों के विचारानुसार मुझे बाहर से बढ़ई और लोहार बुलवाने पड़े। यह स्थिति अत्वाभाविक थी तो भी मैं उसे चलाता रहा क्योंकि मैं उम्मीद करता था कि उसी के साथ क्रमशः मैं लड़कों को सिखाकर उनके घर पर उत्पादन की व्यवस्था कर सकूँगा। फिर उनका संघ बना कर कस्बियों से सीधा सम्बन्ध बनाने में सफलता मिल सकेगी। इस विभाग में मुझे शुरू में अनपढ़ लड़के लेने पड़े। फिर धीरे-धीरे पढ़े-लिखे लड़के इस ओर आकर्षित होने लगे। आश्रम ज्वल होने से पहले ये लड़के घर पर स्वतंत्र कारखाने तो नहीं खोल सके थे लेकिन इन्होंने आश्रम में स्वतंत्र रूप से अपना-अपना माल बना कर आश्रम को ही बँचना शुरू कर दिया

था। विचार यह था कि कुछ दिन आश्रम के अन्दर ही स्वतंत्र काम करके जब पूरा विश्वास हो जायगा कि वे घर पर भी ठीक काम कर लेंगे तो उन्हें अपना केन्द्र खोलने में मदद की जा सकेगी। हाल में उन लड़कों ने 'वरवदाचक्र' आदि बना कर आश्रम के भण्डारों में भेजना शुरू कर दिया था। आश्रम जब्त होने के बाद वे लड़के साधन के अभाव से अपने आप कोई कारखाना तो खोल नहीं सके, लेकिन जिन देहातों में अच्छे बढ़इयों की कमी थी वहाँ उनका हो जाना भी एक लाभ ही है।

तेलघानी—तेल-घानी विभाग के सम्बन्ध में ऐसी कोई बात नहीं है कि जो मैं तुम्हें लिखूँ। केवल इतना कहना काफी है कि जेल से लौटकर इसका प्रसार कुछ अधिक हो सका। इसमें एक सहूलियत यह थी कि गांव में लोग तेल का इस्तेमाल करते ही हैं। पुरानी किस्म की घानी के बदले मगनवाड़ी घानी का प्रयोग करने लगे। इससे उनको आसानी यह रही कि जहां पुरानी घानी से ढाई सेर सरसों ४ घंटे में पेरी जाती थी वहां इस घानी से ८ सेर सरसों डेढ़ घंटे में पेरी जाने लगी। लेकिन मगनवाड़ी घानी में इतनी सहूलियत होने पर भी आज की परिस्थिति में घानी चलाने वालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले-पहल जब तक आश्रम की ओर से ही काम होता था तब तक तो कोई बात नहीं थी। आश्रम के पास सरसों का स्टॉक होता था। आश्रम उसको पेरवा कर विक्री की व्यवस्था करता था। लेकिन जब दूर-दूर इस घानी का प्रचार हो गया और फैजाबाद जिले के बाहर भी जाने लगी, तब घानी चलाने वालों को स्थानीय परिस्थिति के ही अनुसार उसे चलाना था। गांव में घानी चलाने के लिए दो ही तरीके काम में लाये जा सकते हैं। (१) किसानों की सरसों पेर कर उनसे पेराई का खर्च ले लेना। (२) अपनी सरसों पेर कर खली तथा तेल की विक्री करना। गरीबी के कारण उनके लिए सरसों का स्टॉक रखना आसान न था। अतः उन्हें किसानों का

ही काम करने में लाभ था। ऐसी दशा में पेरने वालों के लिए एक समस्या यह हो जाती है कि प्रायः किसान ८ सेर सरसों एक साथ नहीं पेरवा सकते। वे तो अपने साधन और आवश्यकता के अनुसार ही काम ले सकते हैं। ऐसी दशा में पेरने वालों के लिए मुश्किल हो जाती है। यह ठीक है कि कई किसानों की सरसों एक साथ पेरी जा सकती है, और तेल धानी वाले वैसा करते भी थे। लेकिन अधिकतर किसान अपनी ही सरसों पेरवाना चाहते हैं। इस प्रकार उनके यहाँ ग्राहकों की संख्या जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाती थी। फिर किसान सरसों के मौसम में ही काम ले सकते थे। अतः साल भर लगातार उनको काम नहीं मिल सकता। पेरने के लिए प्रायः उनको चैत से जेठ तक और फिर जहाँ थोड़ा-बहुत तीसी का रिवाज है, भादों के बाद काम मिल जाता है। बाकी दिन उनके लिए अपनी सरसों पेर कर उसका बाजार ढूँढ़ना जरूरी है। यह काम उनके लिए प्रायः असंभव ही है। प्रथमतः उनके पास इतनी पूँजी नहीं है कि वे इतने दिन के लिए रोज (पाँच धानी) एक मन सरसों के हिसाब से जितनी सरसों की आवश्यकता होगी, उतनी सरसों का स्टॉक रख सकें। फिर एक आध तेली कहीं पूँजी की व्यवस्था कर भी लें तो उनके लिए व्यक्तिगत रूप से बाजार की व्यवस्था करना करीब-करीब असंभव है। आजकल अस्ता मिश्रित तेल बँचने का रिवाज इतना चल गया है कि शुद्ध तेल पूरी कीमत पर तबतक नहीं बिक सकता जब तक जनता की विश्वास-पात्र किसी संस्था की मार्फत न बिके। ऐसी दशा में धानी का प्रसार तभी संभव है, जब ग्राम-उद्योग-संघ जैसी संस्था खुद काम शुरू करके क्रमशः उनकी सहयोग-समितियाँ कायम कर दे। भविष्य में हमको ऐसा ही करना पड़ेगा वना यह काम चल नहीं सकेगा। अगर भविष्य में हमको ग्राम-सुधार का संयोजित काम करना होगा तो समस्त उद्योगों के लिए पहले-सहल संस्थाएँ बनानी होंगी। फिर भी हमारा अनुभव यह रहा कि धानी का उद्योग दूसरे

उद्योगों के मुकाबिले आज की परिस्थिति में भी लोग स्वतन्त्र रूप से चला सकते हैं। हमें भी ऐसा ही अनुभव हुआ। आश्रम जन्त हो जाने पर जितने उद्योग गाँव में स्वतन्त्र रूप से चल रहे हैं उनमें घानी चलाने वालों को सब से कम कठिनाई हो रही है। उनकी हालत आज भी उसी प्रकार है जैसी आश्रम के होते हुए थी। बल्कि कुछ किसान मिलकर ८ सेर के घान की समस्या भी हल कर रहे हैं, ऐसी सूचना भी मुझको मिली है।

बेंत, बाँस, मूँज—बेंत, बाँस और मूँज आदि का काम शुरू तो किया था, लेकिन उसे साल भर में ही बन्द करना पड़ा। कोई भी विभाग दो ही उद्देश्यों से चल सकता है। (१) प्रान्त में उद्योग-कार्य चलाने के लिए कार्यकर्ताओं की शिक्षा और (२) गाँव में उद्योग-कार्य तथा ग्राम-सुधार के लिए कारीगरों को तैयार करके उनकी कारीगरी की स्थापना करना। प्रथम उद्देश्य से नौजवान इस काम को सीखना इसलिए नहीं पसन्द करते थे कि आज कल इस उद्योग के लिए ऐसी संस्थाओं की कमी थी, जिनकी मार्फत वे अपना काम चलाते। ग्राम-उद्योग की स्थापना के लिए जरूरी था कि उन्हें उसी क्षेत्र में स्थापित किया जाय जहाँ से शहर निकट हो, क्योंकि जैसा पहले कहा है कि यद्यपि हमारा मुख्य ध्येय ग्राम-स्वावलम्बन ही है, फिर भी गाँवों की आज-कल की परिस्थिति में हमको तैयार सामान प्रधानतः शहरों में ही बेंचना होगा और बेंत-बाँस का सामान दूर लेजा कर बेंचना आसान नहीं है। इसलिए शहर के आस-पास के गाँवों के लोग ही उसे सफलता-पूर्वक कर सकते हैं। अतः हमने देखा कि रणीवाँ-जैसे दूर के गाँव में इस उद्योग को चलाना फिलहाल संभव नहीं है।

दरी-कालीन—दरी-कालीन का काम हमने बुनाई विभाग के साथ शुरू किया, लेकिन उसे स्थानीय उद्योग के उपयुक्त न बना सके। जहाँ गरीबी इतनी अधिक है कि लोग बिना विछावन के ही गुजर करते हैं, वहाँ दरी-कालीन का इस्तेमाल क्या हो सकता है ?

अतः गांव में खपत के लिए इसका उत्पादन करना संभव नहीं था। शहरों में भी इनकी खपत इतनी कम है की गांव-गांव इस उद्योग का प्रसार करना बेकार है। अतः इस उद्योग को सिखाने के लिए योजना स्वतन्त्र रूप से नहीं रखी गई। हां, इस विभाग में जो पुराने फटे चीथड़ों की दरी बनाने का प्रयोग किया गया वह गृह-उद्योग की दृष्टि से भी दोहत्तों में चलाने लायक था और आस-पास के गांव के एक दो नौजवान स्वतंत्र रूप से इस उद्योग को चला भी रहे थे, क्योंकि गांव वालों को इससे रही चीजों के इस्तेमाल का नया तरीका मालूम हो गया था। चीथड़ों की दरी का प्रचार इतना हुआ कि दूर-दूर के लोग इसमें दिलचस्पी लेने लगे, यहाँ तक कि एक बार शान्ति-निकेतन की श्री नन्दिता देवी ने भी अपने यहां से पुराने कपड़े दरी बनाने के लिए भेज दिये थे।

चमड़े का काम—अब चमड़ा पकाने का और उससे तैयार माल बनाने का विभाग रह गया। भारत-जैसे कृषिप्रधान देश में चमड़े के काम का कितना महत्व है यह मैं पहले के पत्रों में लिखा चुका हूँ। मुझे उसे यहां दोहराना नहीं है। रणीवां के आस-पास चमड़ा पकाने वालों की कमी के कारण दूसरों को यह काम सिखाने की चेष्टा का भी विवरण दे चुका हूँ। वस्तुतः इसी उद्योग में कठिनाइयाँ अधिक थीं। रणीवां के कार्यक्रम के द्वारा आस-पास की देहाती जनता में छूत-छात आदि की कट्टरता तो बहुत कुछ कम हो गई थी। दो-चार स्थानीय नौजवान सामाजिक प्रथाओं के बावजूद भी चमड़े का काम सीखने लगे थे। और जनता उसे बरदाश्त भी करने लगी थी। स्थानीय जनता में कट्टरपन्थियों की इस प्रकार की शिथिलता के बारे में भी मैं काफी लिख चुका हूँ। फिर भी अब तक वे इतना अग्रसर नहीं हो पाये थे कि घर में पेशे के रूप में चमड़े का काम चलायें। हां, जेल से लौटकर एक परिवर्तन मैंने अवश्य देखा। पहले चमार जाति के लोगों में अपने जातीय निषेध के कारण चमड़े के काम करने में जो

एतराज था, वह अब कुछ-कुछ शिथिल हो गया था। ६-७ चमारों ने इस बीच हमारे यहां काम करना शुरू किया था। लेकिन वे भी यहां तक आगे नहीं बढ़ सके थे कि अपने घर पर काम चलावें इसलिए चावजूद अपनी कोशिश के हम एक भी कारखाना नहीं खुलवा सके। लेकिन चमड़ा पकाने का काम ग्राम की आर्थिक समस्या में इतना महत्व रखता है कि मैं उसे चलाता रहा। मुझे आशा भी थी कि बाद को इस दिशा में कुछ कामयाबी अवश्य होगी। समाज-बन्धन इतनी कठिन चीज है कि उसकी शिथिलता की ओर लोग जितना भी आगे चढ़े थे वह कम बात नहीं थी और अगर उसी तरह प्रगति होती रहती तो इस दिशा में पूर्ण सफलता मिलने की आशा को मैं असंभव नहीं समझता। लेकिन यह सब होते हुए भी यह सच है कि अब तक हम अपने ध्येय में सफल नहीं हो सके। अतः चमड़ा पकाने का काम देहातों में कहाँ तक सफल हो सकता है और किसानों की स्थिति सुधारने में किस हद तक मदद पहुँचा सकता है हमारा अब तक का यह प्रयोग इन बातों की संभावनाओं का प्रयोग-मात्र था। लेकिन यह अनुभव भी भविष्य के लिए कम पूँजी नहीं है।

यही हाल जूता चप्पल आदि माल तैयार करने के सम्बन्ध में रहा लेकिन मेरे खयाल से इस काम को जारी करना ज्यादा आसान था। पकाने के काम को जितनी धृष्टि से देखा जाता है, उतना इस काम को नहीं। दो-तीन नौजवान अपने यह काम चलाने की दृष्टि से काम सीख भी रहे थे। मैं समझता हूँ कि अगर इस काम में भी दो-चार लड़कों को लगाया जा सके तो भविष्य में लोगों की धृष्टि दूर करना आसान होगा। लेकिन उनकी शिक्षा पूरी होने से पहले ही सरकारी हमला हो गया।

कचल का उद्योग—हाँ, कचल बनाने के विभाग की वास्तवी लिखना भूल ही गया। सन् ४१ के शुरू में पकड़े जाने से पहले कुछ नौजवानों को अपना काम चलाने के लिए तैयार करने का आयोजन-

मात्र ही कर पाया था। लेकिन लौट कर देखा कि इस दिशा में लड़के बहुत आगे बढ़ गये थे। करीब दस-बारह घर इस काम में जोरों से लग गये थे। और वहाँ के लोग उन्नत ढंग का कंबल लेना पसन्द करने लगे थे। वास्तव में उनके काम के लिए इस देश में संभावनाएँ बहुत हैं। अगर हम अपने यहाँ के ऊन की स्थिति की संसार की ऊन की स्थिति से तुलना करें तो देखेंगे कि हमारी स्थिति परम शोचनीय है। हम काश्मीर के शाहतूश, शाल आदि जगत्-प्रसिद्ध चीजों की वास्तव सोचकर खुश होते हैं और समझते हैं कि इस दिशा में हम दुनिया के अग्रणी हैं। काश्मीर का काम हमारी कला की प्रशंसा की बात हो सकती है, लेकिन यह ऊनी संसार के अनुपात से नगण्य है। हमारी ऊन की स्थिति की कोई तारीफ नहीं की जा सकती। यह सही है कि संसार के शीत-प्रधान देशों के मुकाबिले भारत-जैसे गरम देश के लिए ऊन के उद्योगों के प्रति ध्यान देने की प्रेरणा कम होनी स्वाभाविक थी। फिर भी इस दिशा में यहाँ की स्थिति ऐसी शोचनीय है कि इसकी उन्नति की बहुत अधिक गुंजाइश है। जहाँ संसार की भेड़ों के ऊन की औसत उत्पत्ति प्रतिभेड़ ६ पाउण्ड या साढ़े चार सेर सालाना के करीब है, वहाँ भारत की औसत उत्पत्ति प्रति वर्ष प्रति भेड़ १.६ पाउण्ड (लगभग पन्द्रह छटाँक) मुश्किल से होती है। इतना कम ऊन भी अच्छे किस्म की होती तो कोई बात थी। हमारे यहाँ की ऊन संसार भर में सबसे घटिया किस्म की होती है। जहाँ आस्ट्रेलिया न्यूजीलैण्ड और अर्जेन्टाइना आदि देश सुदूर स्पेन आदि देशों के मेरीनों जैसी अच्छी नस्ल की भेड़ों से अपने यहाँ की नस्ल सुधार कर ऊनी दुनिया में कमाल हासिल कर रहे हैं, यहाँ एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में भेड़ों को ले जाकर नस्ल सुधारने का भी प्रयोग नहीं हो रहा है। भेड़ों की नस्ल का सुधार तो दूर की बात है उनके विभिन्न अंगों से निकलने वाली विभिन्न किस्म की ऊन अलग अलग रखने को चेष्टा भी नहीं होती है और ऐसा हो भी कैसे? भेड़ पालन का काम तो गड़रिया कौम के हाथ

में ही पड़ा है। वे अशिक्षित हैं, समाज में प्रायः अछूत हैं और उनकी गरीबी का जिक्र ही क्या करें। सरकार अपनी है नहीं। विदेशी सरकार के लिए इस दिशा में उन्नति करना अपने स्वार्थ में धक्का पहुँचाना है। अतः सरकारी महकमों से बड़ी-बड़ी रिपोर्टें तो तैयार होती हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता। अपने तुच्छ साधनों से हम कर ही क्या सकते थे। केवल प्रयोग मात्र हो सकता था। अतः उतनी ही सफलता मेरे संतोष के लिए काफी थी। इससे इस काम की संभावनाएँ तो मालूम ही हो गईं। क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय आदि घरों में यह काम होने से इसकी मार्फत अप्रत्यक्ष रूप से समाज-सुधार का काम होना भी संभव था। लड़ाई की वजह से उत्पादन बढ़ाने का मौका भी था। अतः मैंने इस दिशा में कुछ अधिक काम करने की योजना बनाई और आश्रम ने भी उसे स्वीकार किया। मैं चाहता था कि उत्पादन के साथ-साथ उन की किस्म का सुधार तथा मौका लगे तो भेड़ों, नस्ल-सुधार का भी प्रयोग किया जाय। गाँव के शिक्षित नौजवानों को उन के उद्योग-कार्य में लगा कर उनके द्वारा शिक्षा आदि कार्यक्रम चलाने के अलावा उन के काम को, जो समाज में छोटा काम समझा जाता था, सर्व-देशीय बनाया जाय। इस उद्योग को फैलाना हमारे लिए आसान भी था क्योंकि एक तो खादी भंडारों के द्वारा बहुत बड़ी तादाद में कंबल बँचे जा सकते थे, दूसरे गरीब जनता की आवश्यकता का सामान होने के कारण क्रमशः गाँव में ही अधिकांश माल खपने की गुंजाइश भी थी। इस विभाग से मुझे जो कुछ थोड़ा-बहुत अनुभव हुआ उससे मेरी यह निश्चित राय हो गई कि भविष्य में हमें खादी के काम के साथ-साथ उन का काम चलाना हितकर होगा। इस उद्योग में उन्नति का मौका बेहद है। विशेष कर किसानों के लिए भेड़ें पालने का काम लाभदायक है क्योंकि उन के उद्योग के अलावा इससे उनको कीमती खाद तथा खाद्य भी मिलता रहता है।

साबुन का काम—पहले पत्रों में मैंने तुम्हें साबुन के उद्योग के सम्बन्ध में लिखा था कि किस तरह मैं गांव की सफाई की समस्या के साथ साबुन के उद्योग की बात शुरू से ही सोचता रहा। इस विषय में मैंने क्या-क्या किया और कठिनाइयों के कारण कैसे असफल रहा, इसका व्योरा लिख चुका हूँ। लेकिन ग्राम-सुधार कार्य के लिए मैं साबुन उद्योग को इतना जरूरी समझता था कि सारी कठिनाइयों और सारी असफलताओं के बावजूद इसकी जेब्टा को छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं था। अतः जेल से छूटते ही मैंने आश्रम के सामने देहाती साधनों से साबुन बनाने का प्रस्ताव पेश किया। पहले आश्रम के साथी जिस तरह इस मामले में सहमत नहीं हो पाते थे, अब वैसी परिस्थिति नहीं रही थी। अब लड़ाई के कारण साबुन के लिए कास्टिक सोडा भी सुलभ नहीं था। अगर मिलता भी था तो इतना महंगा कि कास्टिक सोडे वाला साबुन बहुत महंगा पड़ने लगा। अतः मेरे प्रस्ताव का मानना अब उनके लिए आसान हो गया था। अकबरपुर में पुराने तरीके से साबुन बनाने के स्थान पर नये देहाती साबुन बनाने के लिए प्रयोग करने की अनुमति मिल गई। अकबरपुर में इस काम के विशेषज्ञ भी थे। अतः थोड़े ही दिन में रेह और चूना के द्वारा अच्छे किस्म के साबुन बनने लगे। मैंने देखा कि बहुत छोटे परिमाण में घर-घर यह साबुन बन सकता है अतः दूसरे उद्योग की तरह इस काम के लिए भी स्थानीय नौजवानों को भरती करने का आयोजन करने लगा। लेकिन उसका अवसर सरकारी हमले के कारण नहीं मिल सका और नौजवान भर्ती हो नहीं सके। एक लड़के ने कुछ काम सीख लिया था। आश्रम जब्त होने के बाद उसने अपने घर पर काम शुरू किया था। अब मुझे खबर मिली है कि उसका काम अच्छा चल रहा है। इस थोड़े दिन के प्रयोग से मुझे मालूम हो गया कि गत ४-५ सालों से मैं जिस बात की चिन्ता में था, वह आसानी से पूरी हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि चर्खे के समान यह उद्योग भी

घर घर चलाया जा सकता है।

शिक्षा का प्रयोग—अब तुम थोड़े में यह जानना पसन्द करोगी कि इस बीच शिक्षा सम्बन्धी क्या-क्या काम किया जा सका। यह बात तो खास तौर से तुम्हारी ही है। अतः तुमको इस विषय में दिलचस्पी होना स्वाभाविक ही है। छूटने के बाद मैं थोड़े दिनों के लिए दरभंगा जिले में अपने घर गया था। वहीं से मैं मधुवनी के लक्ष्मी बाबू और रामदेव बाबू के कहने से मधुवनी गया। उन लोगों ने मुझे इसलिए बुलाया था कि मैं वहाँ कस्बियों को आठ आने मजदूरी देने की अपनी सुधार-योजना का अध्ययन करूँ। वहाँ के लोगों से बात-चीत करके मैं सेमरी के देहाती क्षेत्रों को देखने चला गया और लक्ष्मी बाबू चंपारन जिले के सरकारी वेसिक शिक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करने गये। गाँव से तीन चार दिन बाद जिस दिन मैं मधुवनी लौटा, उसीदिन लक्ष्मी बाबू भी चंपारन से लौट आये और बताया कि तुम वहाँ आई हो और मुझे और रामदेव बाबू को तुमने बुलाया है। उसी दिन रात की गाड़ी से चल कर हम दोनों तुम्हारे पास पहुँच गये और तुम्हारे साथ वहाँ के प्रयोग का अध्ययन किया। चंपारन जाना और वहाँ की वेसिक-शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करना मेरे कार्य-क्रम में नहीं था। लेकिन वहाँ जाने से लाभ ही हुआ। इसलिए मैं मन में तुम्हें धन्यवाद देता रहा। फिर रात को भीड़ में तुम्हारे साथ मैं पटना वेसिक-ट्रेनिङ्ग कालेज देखने गया। तब से अब तक प्रायः ३ साल बीत चुके हैं लेकिन मालूम होता है कि सब कल की बातें हैं। रात भर में कई जगह गाड़ी बदलने के लिए इन्तजार और शिक्षा-सम्बन्धी योजनाओं की बाबत हमारी आलोचनाएँ तुम्हें याद होंगी। मेरी योजनाओं के लिए तुम्हारा उत्साह, उनके लिए मदद का तुम्हारा वादा आदि बातें मानों अभी हुई हैं। मेरे सामने एक बड़ी कठिनाई थी मेरे पास प्रयोग करने के लिए कोई अपना साथी नहीं था; तुमने श्रीगोविन्द भाई की बाबत कहा। वे उस दिन पटना में ही

थे, लेकिन शायद कहीं गये हुए थे। अतः मुझसे मुलाकात न हो सकी और मैं जरूरी काम से उसी दिन पटना से वापस चला आया।

बाद को तुम्हारे कहने से गोविन्द भाई रणीवां आये और मेरी योजना की वाचत मुझसे समझना चाहा। पिछले दो साल तक मैंने किस तरह प्रौढ़-शिक्षा का काम चलाया था, उसके अनुभव और उस विषय पर अपनी राय दे चुका हूँ। किस प्रकार उद्योग केन्द्र के साथ-साथ निम्न प्राथमिक रात्रि-पाठशालाओं का संघटन करने की चेष्टा की थी उसे भी लिख चुका हूँ। मैं चाहता था कि उन शिक्षा-योजनाओं के साथ-साथ कोई ऐसी योजना चलाई जाय जिससे क्रमशः वेसिक शिक्षा के प्रयोग की ओर बढ़ सकूँ। आरंभ से ही पूर्ण रूप से वेसिक-पद्धति से प्रयोग करने की हिम्मत मुझे नहीं हुई। उसके लिए न मुझे अनुभव था, न साधन ही थे। आश्रम भी उस समय किसी नये प्रयोग के लिए मंजूरी देने को तैयार नहीं था। तुम्हें मालूम है कि मैं कोई काम शुरू करने से पहले उसके लिए अनुकूल वातावरण पैदा करने की चेष्टा करता हूँ अतः मैंने यह निश्चय किया कि अभी कताई-द्वारा न कर के कताई के साथ शिक्षा की व्यवस्था की जाय। वेसिक-पद्धति अभी तक तुम्हीं लोगों के लिए प्रयोग की दशा में थी। जनता के सामने यह पद्धति एक तरह से अनिश्चित पद्धति ही थी। अतएव फिलहाल मैंने उसे सार्वजनिक रूप से चलाना उचित नहीं समझा। मैंने सोचा कि तुम लोगों की सफलता तक इन्तजार न कर के अगर पुराने पाठ्य-क्रम को ही उद्योग के साथ संयुक्त कर के विस्तृत क्षेत्र में शिक्षा का कार्य आरम्भ किया जाय तो दस्तकारी के द्वारा वायुमंडल में उचित परिवर्तन हो कर वर्तमान-पद्धति का दोष बहुत कुछ दूर हो जायगा और तुम्हारी वेसिक पद्धति के लिए आधार तैयार होता रहेगा। अतएव पाठ्य-क्रम तो यद्यपि पुराना ही रखवा गया तथापि कताई का समय और क्रम तालीमी संघ के निर्देशानुसार ही मिलाया गया। गोविन्द भाई से मैंने कहा कि मेरी यह योजना 'एसिक शिक्षा' है;

‘वेसिक-शिक्षा’ इसके बाद आयेगी। गोविन्द भाई को मेरी योजना पसन्द आई और इसके प्रयोग के लिए रखीवां में रह गये।

मैं चाहता था कि इस प्रकार की योजना गांव वालों की चेष्टा तथा साधन से ही चलाई जाय अतः मैंने अपनी योजना जनता के सामने साफ कर देने के लिए तीन चार सौ गांवों के मित्रों का एक शिक्षा-सम्मेलन संघटित किया और उसी में अपनी योजना रखी। जनता में शिक्षा के लिए उत्साह था ही, अतः उन्होंने इस योजना का हृदय से स्वागत किया। उन्हीं मित्रों में से कुछ लोगों की एक छोटी समिति पर संघटन का भार सौंपा गया। स्थानीय दो-तीन नौजवान अपने-अपने गांव में प्रयोग करने को और गांव के लोग साधन प्रस्तुत करने को तैयार हो गये। इन साधनों को संघटित करके गोविन्द भाई ने प्रयोग के लिए दो उच्च प्राथमिक विद्यालयों का कार्य प्रारंभ कर दिया। दो-तीन मास में ही उन्होंने देख लिया कि इस प्रकार की शिक्षा-योजना देहात में सफलता के साथ चल सकती है और यह विचार हुआ कि कागज के कारखाने वालों में जो लोग कुछ पढ़े-लिखे हैं, उन्हें भी इसी प्रकार पाठशाला चलाने की शिक्षा दी जाय। बरसात में कागज के कारखाने का काम, सूखने की दिक्कत के कारण, लगभग बन्द-सा ही रहता है। इस कारण जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने इसके लिए अनुकूल भी थे। मैंने कागज वालों के सामने अपना प्रस्ताव रखा; उनमें जो योग्य व्यक्ति थे वे सहर्ष तैयार हो गये। उनके लिए धुनाई कताई की शास्त्रीय शिक्षा की व्यवस्था की गई।

इसके उपरान्त यह विचार हुआ कि गांव के साधन तथा चेष्टाओं का संघटन करके उपर्युक्त योजना के साथ, वेसिक शिक्षा के पूर्ण प्रयोग के लिए आश्रम में एक विद्यालय खोला जाय जिसमें हम लोगों को अनुभव भी हो सके और हमारी देहाती पाठशाला के शिक्षकों को भी वेसिक शिक्षा की रूप-रेखा मालूम होती रहे। आश्रम

की प्रबन्धक समिति तथा साधारण सभा की बैठक अगस्त में होने वाली थी। उसमें पेश करने के लिए मैंने एक योजना और एक बजट बनाया लेकिन उससे पहले ही ६ अगस्त का दिन आ गया और सब स्वाहा हो गया। उसके बाद अब डेढ़ साल हो गये। मालूम नहीं और कितने वर्ष इसी तरह जेल में ही बीतेंगे। जब हम सब बाहर होंगे, तो उम्मीद है कि तुम लोगों का प्रयोग काफी प्रगति कर चुका होगा और फिर हमें बीच का रास्ता नहीं ढूँढ़ना पड़ेगा। लेकिन मेरा अभी भी खयाल यह है कि मुझे स्त्री-शिक्षा कार्यक्रम चलाने का मौका मिलेगा तो पहले अपनी 'एसिक' चला कर वायुमंडल बनाने के बाद तुम्हारी 'वेसिक' चलाने का प्रबन्ध करूँगा। हाँ, इतना जरूर होगा कि पहले वाले कार्यक्रम की अवधि अब थोड़ी होगी। क्योंकि भविष्य में तुम लोगों का निश्चित निर्देश भी मिलेगा और गाँव में अच्छे किस्म के कार्यकर्ता भी मिलेंगे, ऐसी आशा मुझे हो गई है।

रणीवाँ के उपर्युक्त कार्यक्रम के अलावा आश्रम के खादी कार्यक्रम में अपनी कल्पना के अनुसार कुछ प्रयोग करने का भी मौका इस बीच मिला। ये प्रयोग उन्हीं प्रयोगों की परंपरा में थे जिन्हें मैं पहले अकबरपुर के क्षेत्र में करने की चेष्टा करता रहता था, लेकिन उन्हें यहाँ बयान करने में यह पत्र बहुत बड़ा हो जायगा। अंतः आगे फिर कभी उन्हें लिखूँगा। आज केवल रणीवाँ के अनुभव के आधार पर ग्राम-उद्योग का कार्यक्रम शुरू करने के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, केवल इसी का जिक्र करके पत्र समाप्त करूँगा।

कार्यक्षेत्र का चुनाव—सन् १९३८ के दिसम्बर में कांग्रेस सरकार की मदद से रणीवाँ में ग्रामोद्योग विद्यालय की स्थापना की गई थी जो सन् १९४२ के अगस्त के आन्दोलन में समाप्त हो गया। विद्यालय सिर्फ साढ़े तीन साल ही चल पाया। इस साढ़े तीन साल में दस मास के लिए जेल चला गया था। इस थोड़े दिन के काम से नतीजा ही क्या निकल सकता था और निकला भी नहीं। इस दृष्टि से लोग

कह सकते हैं कि रणीवाँ का प्रयोग सफल नहीं हुआ। लेकिन इतने दिन में ही हमने करीब ८०० छात्रों को शिक्षा दी। सात-आठ उद्योगों का प्रयोग किया और किस प्रकार उन्हें देहातों में प्रसारित किया जा सकता है, इसका अनुभव प्राप्त किया। यहाँ के अनुभव के कारण हम भावी योजनाएँ आरंभ से ही उचित रीति से चला सकेंगे। पहली बात क्षेत्र चुनने की होगी जिसके लिए निम्न-लिखित बातें दृष्टि में रखनी जरूरी हैं।

१—जहाँ काम शुरू किया जाय वहाँ के लिए यातायात की सुविधा हो। तुमने देखा होगा कि रणीवाँ आने जाने और माल ढोने में कितनी मुश्किल होती थी। यह सत्य है कि अगर सुदूर देहाती इलाकों में यह काम नहीं शुरू करेंगे तो हम जनता को इतना अधिक आकृष्ट नहीं कर सकते। क्योंकि बाजार और कच्चा आदि स्थानों में लोग कुछ नीरस होते हैं। उनकी समस्या भी देहात के समान जटिल नहीं होती। इसलिए उन्हें अपने दैनिक कार्यक्रम से बाहर किसी वस्तु से दिलचस्पी नहीं होती। वहाँ लोगों में आपस का व्यवहार शुष्क होता है। अतएव अगर हमको ग्राम-सुधार की दृष्टि से अपनी योजना चलानी है तो देहात के अन्दर काम शुरू करना होगा। यह भी सच है कि हमारे देश में देहाती इलाकों में यातायात की सुविधा है ही नहीं। कच्ची सड़कें भी तो नहीं के बराबर हैं और जो हैं भी वे बरसात में काम के योग्य नहीं रह जातीं। लेकिन प्रथम प्रयोग की अवस्था में हमको विरतृत क्षेत्र तो चाहिए नहीं और कुछ देहाती क्षेत्र तो यातायात की सुविधानुसार भी मिल ही सकता है। हमें क्षेत्र चुनते समय ऐसे ही स्थान की खोज करनी चाहिए।

२—जिस क्षेत्र में काम शुरू करना है वहाँ की जनता में कुछ उत्साह हो तथा हमारे काम से थोड़ी स्वाभाविक दिलचस्पी हो। यह सच है कि परंपरागत गरीबी के कारण देहाती जन-समूह में इतनी निराशा आ गई है कि उनके अन्दर सहज में किसी वस्तु के लिए

दिलचस्पी नहीं पैदा होती। लेकिन इस निराशा का भी प्रकार और मात्रा-भेद तो है ही। हाँ, इस दृष्टि कोण से क्षेत्र चुनना कुछ आसान नहीं है। इसमें भूल की गुंजाइश काफी है। जब कभी तुम कोई भी योजना बना कर उसे देहाती जनता के सामने पेश करोगी और कहोगी कि मैं उन्हीं के यहाँ प्रयोग करूँगी जिन्हें दिलचस्पी है, तो करीब-करीब सभी स्थानों के लोग इस प्रकार आग्रह दिखायेंगे कि मानो तुम्हारी मदद करने में और अपने यहाँ तुम्हारी योजना को सफल बनाने के लिए सब के सब जान दे देने को तैयार हैं। फिर जब तुम अपना आसन जमा दोगी तो वे दिखाई भी न देंगे। इस विषय में मुझे बहुत कुछ अनुभव हो चुका है। अतः मैं सबको इस सम्बन्ध में सचेत किये देता हूँ। इस पर बहुत विचार करने पर मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अपना काम शुरू करने से पहले काम की कुछ शर्त स्थानीय जनता पर लगा देनी चाहिए। उसके पूरा हो जाने पर इसका अन्दाजा लग जायगा कि उनमें कितनी दिलचस्पी है। मेरे ख्याल से हम जहाँ काम करें वहाँ के लोग कम से कम हमारे लिए तथा हमारे कार्यक्रम के लिए स्थान की व्यवस्था करें। इसके अलावा परिस्थिति के अनुसार दूसरी शर्तें भी लगाई जा सकती हैं।

३—जिन उद्योगों को आरम्भ करना हो उनके लिए कच्चा माल और विशेष कर कारीगरों की सुविधा हो। वैसे तो देहाती क्षेत्र में अच्छे कारीगर मिल ही नहीं सकते फिर भी कुछ पेशेवाले कारीगर होने पर प्रारम्भ में सहूलियत होगी। तुम समझती होगी कि मैं यह राय अपनी राय के खिलाफ दे रहा हूँ। वह बात नहीं है। अभी मैंने कहा है कि हमें जन-समाज की आवश्यकताओं के लिए न्यायलम्बन की दृष्टि से ही ग्राम-उद्योगों को विकेंद्रित करके गाँव-गाँव फैला देना चाहिए, और जिस क्षेत्र में कारीगर नहीं हैं वहाँ उन्हें पैदा करना चाहिए। मैंने यह भी कहा है कि हमें आज ऐसे पढ़े-लिखे नौजवानों को, जो भावना-शील हों, विभिन्न उद्योगों का कारीगर बनाकर उनके

आज कल यहाँ का वातावरण कुछ शान्त है। जिनको छूटना था छूट गये। अब जो रह गये वे शायद लड़ाई की समाप्ति तक यहीं पड़े रहेंगे। मालूम हुआ कि त्रिचित्र भाई और मेरठ के दूसरे भाई छूट गये हैं। यह भी मालूम हुआ कि रणीवाँ के साथियों को भी छोड़ दिया गया है, केवल कर्ण को रोक लिया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि मैं छूटने से बच गया। आज कल छूट कर भी कुछ फायदा नहीं। सरकार कोई काम करने नहीं देगी। खास तौर से देहातों में तो हम लोगों का घुसना संभव ही नहीं होगा। आश्रम के उत्पादन और विक्री का जो काम बच गया है उसके लिए जितने लोग बाहर हैं वे ही काफी हैं। अतः इस समय जेल में बैठ कर शान्ति से अध्ययन करने में ही ज्यादा फायदा है। इधर कान की तकलीफ के कारण काफी कमजोर हो गया हूँ। अब कुछ समय और आराम कर लेने से स्वास्थ्य भी ठीक हो जायगा।

मैं अपने पिछले पत्र में सन् ४२ में जेल से छूटने के बाद के ६ माह के अनुभवों का वर्णन कर रहा था। उसमें कताई-सम्बन्धी कार्य को जान-बूझकर छोड़ दिया था क्योंकि यह काम रणीवाँ के कार्यक्रम के अलावा आश्रम के मुख्य खादी-विभाग से सम्बन्ध रखता है। जेल से लौटने पर देखा कि कत्तिनों के सुधार की दृष्टि से जो कुछ प्रयोग शुरू किया था, वह सब बन्द हो गया है। अकबरपुर के मातहत निनाये क्षेत्र का काम भी बन्द था। मेरे चले जाने से आश्रम में उस दृष्टिकोण से प्रयोग करने वाला दूसरा कोई नहीं रह गया था। अतः उसे बन्द कर देना ही उचित था नहीं तो बेकार धन तथा समय का अपव्यय होता। जितना प्रयोग पहले कर पाया था उसका अनुभव और उसके आधार पर जेल में जो कुछ विचार करता रहा, लिख चुका हूँ। उसके अनुसार आठ आना मजदूरी वाली योजना का भी कुछ व्यावहारिक अनुभव क्रियात्मक प्रयोग के आधार पर करना था। उस समय रामधारी भाई अकबरपुर तथा पूर्वी जिलों के उत्पादन केन्द्रों

के व्यवस्थापक थे। उनसे मैंने अपना विचार प्रकट किया। अपनी कल्पना का कुछ अन्दाज दिया। मैंने उनसे कहा कि निनाये के क्षेत्र को फिर से लिया जाय या दूसरे किसी क्षेत्र में नूतन प्रयोग के प्रयोग आरंभ किया जाय। साथ ही मैंने यह भी कहा लिए क्षेत्र का कि अगर मेरी कल्पना के अनुसार काम करना है चुनाव तो अकबरपुर के समस्त क्षेत्र के दृष्टिकोण तथा वायु मंडल में परिवर्तन लाना होगा क्योंकि अगर वाकी क्षेत्र के कार्यकर्ता पुराने दृष्टिकोण से काम करेंगे तो केवल एक जगह पर थोड़ा काम करने से हमको सफलता नहीं मिल सकती। अब तक जो कुछ किया वह सब केवल कताई के द्वारा हम कितना काम कर सकते हैं, इसी संभावनाओं को समझने के लिए किया। अतः वह काम मौजूदा वायु मंडल में ही एक-दो गाँवों में प्रयोग करने से मेरे उद्देश्य के अनुसार पूरा हो सकता है। लेकिन अब हमें तो सारा कार्यक्रम ही नये ढङ्ग से चलाना है। अतः अकबरपुर के सारे क्षेत्र के लोगों में दृष्टिकोण का परिवर्तन करना ही होगा। इसके लिए नये कार्यकर्ताओं को नये सिरे से शिक्षा देकर उन्हीं के द्वारा धीरे-धीरे कार्य-संचालन किया जाय। रामधारी भाई को मेरी बात पसन्द तो आई लेकिन अकबरपुर के क्षेत्र के बारे में उन्हें आशा नहीं थी। उन्होंने कहा “अकबरपुर अब म्यूनिसिपलिटी की भैंसा गाड़ी हो गया है, वह अपनी ही चाल से चलेगा। आप किसी नये केन्द्र को लीजिए।” उनका कहना ठीक ही था। नये क्षेत्र में सफलता पाने के बाद ही पुराने क्षेत्र में काम आसान होगा। थोड़े ही दिन हुए बस्ती जिले में मगहर केन्द्र खोला गया था और वहाँ काम बढ़ाने के लिए आश्रम ने तय कर लिया था। अतः मगहर के क्षेत्र में अपना प्रयोग करने की बात सोची गई।

उन्हीं दिनों बापू जी काशी विश्वविद्यालय के उत्सव के लिए बनारस आये हुए थे। आश्रम के अधिकतर लोग और विहार के

लक्ष्मी बाबू आदि भी वहाँ उपस्थित थे। आठ आना वाली योजना खादी जगत् में प्रकाशित हो चुकी थी और उसकी चर्चा भी थी। मैंने देखा कि आश्रम के बड़े भाई लोग मेरे विचार को पागलपन समझते हैं अतः मैंने अपनी योजना उस समय आश्रम की प्रबन्धक समिति के सामने पेश नहीं की। हाँ, विहार चर्खा संप्र के लोगों को मेरे विचार पसन्द आये और लक्ष्मी बाबू ने कहा—“आप एक बार आइये और वहाँ की परिस्थिति के अनुसार योजना बनाइये तो हम लोग प्रयोग करने को तैयार हैं।” रामदेव भाई तो काफी उत्साहित मालूम पड़ते थे। प्रबन्धक समिति के सामने तो मैंने अपना विचार प्रकट नहीं किया लेकिन जो योजना आश्रम ने मगहर केन्द्र के द्वारा गोरखपुर जिले में सूत बढ़ाने तथा सुधारने की रखी उसी में मुझे काफी दूर तक सुधार करने की गुंजाइश मालूम पड़ी। मैंने सोचा कि आरम्भ से ही अगर मैं मगहर में अपने दृष्टिकोण से काम चला सकूँ और इस बीच विहार में कुछ सफलता मिले तो अगस्त की सालाना बैठक में अपनी पूर्ण योजना पेश कर सकूँगा। मगहर केन्द्र की व्यवस्था रामधारी भाई ही कर रहे थे और वे नये ढङ्ग से काम करना पसन्द ही करते थे अतः मैंने उस समय उतने में ही सन्तोष किया।

उसके बाद मैं विहार गया और वहाँ की परिस्थिति के अनुसार आठ आने मजदूरी के द्वारा कत्तिनों की सुधार-योजना बनाई। सखीक कार्यकर्ताओं की शिक्षा-व्यवस्था रामदेव बाबू ने अपने हाथ में ली। पहले-पहल सौ कत्तिनों से काम शुरू करने का निश्चय हुआ। इसकी सूचना मैं तुम्हें चंपारन में मुलाकात होने पर दे ही चुका हूँ।

चंपारन और पटना से लौटकर मैं सीधा मगहर गया और स्थानीय सूत-सुधार कार्यकर्ताओं को बुलाकर १० दिन के लिए शिक्षा कैम्प खोला। उसमें मैंने अपनी योजना और उस योजना के द्वारा हम देहाती स्वावलम्बन तथा स्वतंत्रता का संगठन कर सकेंगे, इत्यादि बातें समझाईं और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया। मगहर के मातहत

गोरखपुर और वस्ती के जिलों के लिए उस समय जो योजना बनाई उसकी रूपरेखा जानने की उत्सुकता होना तुम्हारे लिए स्वाभाविक है। अतः उसके बारे में दो-चार बातें कहना अच्छा होगा।

उस समय लड़ाई के कारण देश भर में वस्त्र-समस्या बहुत उग्र रूप धारण किये थी। प्रत्येक प्रान्त के चर्खा संघ के सामने जल्दी उत्पादन बढ़ाने की समस्या थी। आश्रम भी जल्दी चर्खे का प्रचार करना चाहता था। लेकिन खादी जगत् की वर्तमान परिस्थिति में किसी भी प्रकार के चर्खे की तादाद बढ़ा देने से काम नहीं चल सकता था। इतने दिन में खादी बहुत तरक्की कर चुकी थी। पहले जैसी रही और कमजोर सूत की खादी बनाना अब संभव नहीं था। अब तो भंडारों में खादी की किस्म इतनी एकसार और मजबूत हो गई है कि नई कस्तिनों के कमजोर और असमान सूत का माल लोग पसन्द ही नहीं कर सकते। अतः आश्रम के सामने जल्दी से उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ प्रारंभ से ही ऐसी खादी बनाने की समस्या थी जो पुराने केन्द्रों की खादी के मुकाबले खप सकती हो। और वह तभी संभव था जब हम प्रत्येक कस्तिन को शुरू में ही शास्त्रीय ढंग से कताई की विभिन्न प्रक्रियाओं की शिक्षा दे सकते। इसका मतलब यह कि हम जो हजारों की तादाद में कस्तिनों की संख्या बढ़ाना चाहते थे, उनके लिए आवश्यक था कि उनमें से प्रत्येक को किसी कताई विद्यालय में बैठकर कुछ दिन तालीम दें। इतना विद्यालय बनाना आसान नहीं था। इसके लिए सैकड़ों शिक्षकों की आवश्यकता थी। शिक्षकों को कताईशास्त्र सिखाना, फिर उनके द्वारा कस्तिनों की शिक्षा आदि का जारा काम जल्दी से करना था। इन नये कल्पनाएँ और शिक्षकों को कुछ वृत्ति भी देना जरूरी था। इन गारें कठिनाइयों का मो के लिए जितना धन खर्च करना आवश्यक होता उतना धन आश्रम के पास कहाँ था? कस्तिनों का शिक्षा-कैम्प चलाने के लिए मैंने अकबरपुर में स्थानीय ग्राम-शिक्षकों

का संघटन पहले किया था, जिसका विवरण तुम्हें मैं पहले ही लिख चुका हूँ। वह प्रयोग काफी कम खर्च का था। लेकिन उस प्रकार के ग्राम-शिक्षकों को भी थोड़ी वृत्ति तो देनी ही होती थी। इसलिए बड़ी तादाद में उनको सिखाना आश्रम के साधनों से बाहर की बात थी। अतः आश्रम ने यह तय किया कि कम से कम ग्राम-शिक्षक की वृत्ति गाँव वाले खुद दें। मैं पहले कह चुका हूँ कि वापू जी खादी तथा ग्राम-उद्योग के द्वारा सहज और स्वाभाविक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं और यह तभी हो सकता है जब ग्राम-वासी अपना काम खुद संचालन कर सकें। हमारे संघटन की प्रगति ऐसी होनी चाहिए कि हम उत्पादन करने वालों के स्वतंत्र और सुव्यवस्थित संघटनों की क्रमशः स्थापना करके उन पर सारा काम सौंप सके। कागज के उद्योग के सिलसिले में मैंने इस दिशा में कुछ प्रगति भी कर रखी थी। लेकिन मुझे अब तक कोई ऐसा सूत्र नहीं मिल रहा था जिसके जरिये मैं उस प्रकार के स्वावलंबी संघटन की नींव डाल सकता। ग्राम उद्योग के समस्त कार्यक्रम की बुनियाद तो चर्खा ही है। इसीलिए वापू जी बार-बार चर्खे की सौर मंडल के सूर्य से और बाकी उद्योगों की ग्रह-उपग्रह से तुलना करते हैं। बात भी ऐसी ही है। चर्खा मनुष्य की तीन मौलिक आवश्यकताओं—अन्न, वस्त्र तथा आश्रय—का प्रधान साधन है। इस उद्योग में गाँव का प्रत्येक परिवार शामिल होता है; अतएव चर्खा चलाने वालों के स्वावलम्बी संघटन का अर्थ समस्त ग्राम-समाज का लोकतंत्र के आधार पर संघटित होना है; क्योंकि चर्खे के द्वारा आवादी के समस्त परिवार उस संघटन में शामिल होते हैं। इसलिए आश्रम के इस निश्चय से कि ग्राम-शिक्षक का वेतन ग्रामवासी ही दें मैं बहुत उत्साहित हुआ। मैंने देखा कि इस निश्चय की कामयाबी की चेष्टा से इस बात की परीक्षा हो जायगी कि अमुक गाँव के लोगों में चर्खा योजना में वाकई दिलचस्पी है या नहीं और ग्राम-शिक्षक के पुरस्कार की इस रकम का

चन्दा वसूल करने में ग्राम-वासियों को थोड़े-बहुत संघटन की आवश्यकता होगी। उसी का विकास करके हम उनको पूर्ण रूप से संघटित करेंगे तथा भावी व्यवस्था की इकाई बना सकेंगे।

मैं मगहर गया और इन्हीं बातों को सोचकर वहाँ का कार्यक्रम बनाया। जनता में वस्त्र-संकट था ही। हमारे वहाँ पहुँचने पर चारों तरफ से इस बात की माँग आने लगी कि उनके क्षेत्र में केन्द्र खोला जाय। मैंने उनको अपनी योजना बताई और इसका वादा किया कि जो कोई भी उस योजना के अनुसार अपने वहाँ काम शुरू कर सकेगा, उसके वहाँ केन्द्र खोला जायगा। योजना इस प्रकार थी:—

प्रथम तीन मास तक ग्राम-शिक्षकों को शिक्षा देना। इसके लिए छः क्षेत्रों में शिक्षण-शिविर खोले गये। उन क्षेत्रों में मिडिल पास से लेकर प्रवेशिका तक की योग्यता वाले नौजवानों से अपील की गई कि आज की वस्त्र-समस्या हल करने के लिए और आगे के ग्राम-सुधार कार्य के संचालन में सहायक होने के लिए उनको स्वयंसेवक का काम करना चाहिए। उनके लिए यह नियम रखा गया कि वे आश्रम के शिविर में तीन माह तक की शिक्षा लें। इसके लिए वे प्रतिदिन घर से आकर काम सीखें। चर्खा रुई आदि सामान आश्रम उनको उधार दे देगा। और वे उसी तीन मास के शिक्षा-काल के उत्पादन से उनका दाम पूरा कर दें। उद्देश्य यह था कि आरम्भ से ही व्यावहारिक रूप से अगर वे स्वावलम्बी बन सकेंगे तो उनमें स्वावलम्बन के सिद्धान्त पर विश्वास पैदा हो सकेगा। तभी तो वे ग्राम-वासियों को इसकी संभावनाएँ बता सकेंगे और उनका असर भी पड़ेगा। साथ ही भविष्य के लिए उन्हें चर्खा आदि सामान बिना अतिरिक्त दाम खर्च मिल जायगा। तीन माह की शिक्षा के बाद जो लोग योजना परीक्षा में पास होंगे, उन्हें ग्राम-शिक्षक का प्रमाण-पत्र दिया जायगा, ताकि ग्राम-वासी ऐसे प्रमाणित शिक्षकों से ही सिखाने का काम ले सकें। छः शिविरों में करीब

१५० नौजवान शिक्षा पाने लगे। शिविरों का काम पहली मार्च से शुरू हुआ था। ३० मई की परीक्षा में करीब ८० नौजवान-पास हुए और जून के प्रथम सप्ताह में ही वे काम में लगा दिये गये।

✓ ग्राम-शिक्षक का काम यह स्थिर किया गया कि वे अपने गाँव से तीन मील तक दूर के किसी गाँव में सात सप्ताह का शिक्षा-शिविर स्थानीय स्त्रियों के लिए चलायेंगे। एक सप्ताह प्रारम्भिक व्यवस्था का समय लेकर उन्हें दो मास का समय एक गाँव में देना था। इस काम के लिए शिक्षकों को गाँव वालों से दस रुपया फीस पाने का नियम रक्खा गया। इसके लिए आश्रम की ओर से देहातों में अपनी योजना का प्रचार किया गया। उनसे कहा गया कि जो गाँव इस योजना में शामिल होना चाहते हैं वे हमारे पास आवेदन पत्र भेजें। आवेदन-पत्र के साथ उन्हें दस रुपया फीस ग्राम-शिक्षक के लिए और दो रुपये आश्रम के निरीक्षण के सफर खर्च के लिए जमा करनी होगी। हमारे प्रचार का आशातीत फल हुआ और सौ से ज्यादा गाँवों से आवेदन-पत्र आ गये। उन्हीं गाँवों में हमारे यहाँ शिक्षा पाये हुए शिक्षकों को लगा दिया गया। शिक्षकों को वेकार न बैठना पड़े, इसलिए यह निश्चय किया गया कि प्रथम शिक्षा-शिविरों का शिक्षण समाप्त होने से पहले नये शिक्षा-शिविरों की व्यवस्था कर ली जाय।

गाँव में दो मास का क्रान्तन शिक्षण-शांवर चलाने के लिए हमारे सुधार कार्यकर्ता को निरीक्षण के लिए बीच-बीच में जाना पड़ता था। शिक्षक तो दो मास के लिए सारे समय उस गाँव में काम करता हा था। दो-एक उत्साही सज्जन उस गाँव में होते हा थे, जिनके उद्योग से हमारी शर्त पूरी हाकर वहाँ केन्द्र खुलने की नौबत आती थी। इससे दो मास का कौशिश से उस गाँव में स्थायी और व्यवस्थित चर्खा समिति कायम करना मुश्किल न होता था। अतः मैंने आरम्भ से ही ऐसा संघटन करना चाहा जिससे उन्हीं समितियों के द्वारा सारे क्षेत्र का संघटन किया जा सके। मेरा विचार था कि शुरू में समिति

के द्वारा कत्तिनों की कताई में सुधार, आश्रम के सूतकेन्द्र और कत्तिनों के बीच के व्यवहार और रात्रि-पाठशालाओं के संघटन का काम किया जाय। फिर परिस्थिति के अनुसार दूसरे कार्यक्रम भी शामिल हो सकेंगे।

इन सारे कामों के लिए मुझे प्रायः मगहर जाना पड़ता था। अपने दृष्टिकोण से काम की नींव मजबूत करने के लिए शुरू में मेरा वहाँ रहना भी आवश्यक था। लेकिन वह नहीं हो सका। उन दिनों मुझे अधिक समय रणीवाँ में लगाना था क्योंकि वहाँ के काम को पुनः संघटित करना था। अतः मगहर के भाइयों से अपनी शक्ति भर और सिद्धान्त के अनुसार काम करने को कहकर और यह वादा करके कि नवम्बर से दो-तीन मास तक वहीं अपना प्रधान अड्डा बना कर काम करूँगा, चला आया।

वस्त्र-स्वावलंबन की दृष्टि से हमें एक दूसरी समस्या भी हल करनी थी। इस प्रान्त के पूर्वी इलाके में कपास की खेती नहीं होती; परन्तु कताई के लिए स्थानीय कपास की व्यवस्था होना जरूरी है। जब दूसरी अच्छी कपास पैदा ही नहीं हो सकती है तो सहज ही मेरा ध्यान देव कपास की ओर गया। जाँच करने से मालूम हुआ कि दोनों जिलों में पहले देव कपास काफी होती थी और आजकल भी तिथि-त्यौहार, पूजा तथा यज्ञोपवीत के लिए लोगों के घर में एक-आध पेड़ मौजूद रहता है। कताई का अब तक विशेष महत्व नहीं रहा।

विहार में मस्लिन आदि बारीक सूत के लिए और पूर्वी युक्तप्रान्त में कहीं-कहीं बहुत थोड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल कपास की कमी होता था। अतः मेरे लिए इसी के द्वारा वहाँ की समस्या कपास-समस्या हल करने का विचार दुस्साहस ही समझा जाता था। मैंने देखा कि देव-कपास से नीचे के नंबर का सूत भी ठीक कत जाता है, बल्कि रेशे अच्छे होने से उस सूत का कपड़ा मजबूत होने की ज्यादा संभावना थी। फिर भी

इस कपास का विस्तृत प्रचार नहीं हो सका। इसका कारण संभवतः धुनाई की कठिनाई थी क्योंकि इसके रेशे बहुत मुलायम होने के कारण धुनते समय धुनकी में लिपट जाते हैं। वारीक कातने वालों को बहुत कम रुई की आवश्यकता होती है। अतः वे हाथ से तुन कर पूनी बना सकते थे। मोटा सूत कातने वालों के लिए वैसा करना कहाँ संभव था ?

उन्हीं दिनों विनोबा जी की नई तुनाई पद्धति से पूनी बनाने का प्रयोग चल रहा था। जेल से लौट कर वर्धा में उस प्रयोग की प्रगति को मैं देख भी आया था। तुनाई की पद्धति का जितना भी अनुभव कर सका था उससे मालूम हुआ कि लंबे रेशे की तुनाई अधिक आसानी और गति से हो सकेगी। पूनी बनाने के इस नये ढंग की प्रगति को देख कर देव कपास की भावी सफलता पर मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया। अतः देव कपास के प्रचार के साथ-साथ मैंने तुनाई का भी प्रयोग करना शुरू किया। रण्डीवाँ के विद्यालय में और मगहर के सुधार कार्य-कर्ताओं के द्वारा ही मैं प्रयोग करता रहा। यह

प्रयोग अधिक दिन नहीं कर पाया था और एकाएक

देव कपास की ६ अगस्त सिर पर आ पड़ा। यहाँ जेल में तुनाई संभावनाएँ का अभ्यास कुछ दिन मैंने खुद किया। इससे मुझे एक बात मालूम हुई। तुनाई की पूनी से रुई के रेशे समानान्तर ह जाते हैं। उससे सूत मजबूत तो अवश्य ही होगा; तुनाई की गति भी अच्छी हो जायगी, लेकिन तुनाई में समानता लाना सब लोगों के लिए सम्भव नहीं है। यह खास कला की चीज है। अतएव तुनाई से अच्छी पूनी वही बना सकते हैं जिनमें स्वभावतः कला की प्रवृत्ति हो। अतएव अगर देव कपास को सार्वजनिक बनाना है तो उसकी तुनाई के लिए हमें प्रयोग करना होगा। फिर भी देव कपास की भावी सफलता पर मेरा विश्वास अभी तक कायम है। इसका कारण यह है कि पुरुषों से स्त्रियों में कला की वृत्ति अधिक है

और कुछ दिन प्रयोग करने से स्त्रियों-द्वारा तुनाई की समस्या हल होना सम्भव है ।*

देव कपास के प्रचार से एक दूसरा फायदा होता है । स्थायी पेड़ होने से आवादी के अन्दर घरों के आगे पीछे जो खाली जमीन रहती है वहाँ भी इसे लगाया जा सकता है । औसतन एक चरखे के लिए पाँच-सात पेड़ काफी होते हैं । इतने पेड़ लगाने के लिए वैसी वेकार जगह करीब-करीब सभी गाँवों में मिलेगी । इससे कृषि के लायक खेत अन्न पैदा करने के लिए खाली रहते हैं । वैसे ही इस अभागे देश की आवादी के लिहाज से खेत इतने कम हैं कि भर पेट खाने के लिए अन्न की पैदावार काफी नहीं होती । अतः वस्त्र के लिए इसमें से जितनी कम जमीन ली जाय, उतनी ही उदर देवता पर कृपा होगी । इन बातों को सोच कर मैं देव कपास का प्रचार जोरों से करने लगा । जून-जुलाई में वहाँ हजारों की तादाद में लोगों ने पेड़ लगाये भी । मालूम नहीं कि अब उनका क्या हाल है ?

देहातों में स्वावलम्बन की दृष्टि से चरखे के प्रसार के साथ-साथ उसी क्षेत्र में मैं दूसरे प्रयोग भी करना चाहता था । सन् १९४१ में जेल जाने से पहले अकबरपुर में आश्रम के सुधार-विभाग की मातहत जो कृत्तिन-विद्यालयों का प्रयोग कर रहा था, उसका हाल मैंने आगरा जेल से लिखा था । आखिरी दिनों किस प्रकार ६ मास का परिश्रमालय चलाने की कल्पना कर दो गाँवों में उसका प्रारंभ करने का आयोजन कर रहा था और गिरफ्तार होने के कारण किस प्रकार कल्पना कार्यान्वित न हो सकी, सो मैंने तुम्हें पूरा-पूरा लिखा

* अब धनुष तुनाई की पद्धति निकल जाने पर यह कठिनाई भी दूर हो गई । पुरानी तुनाई से यह तरीका अधिक गति वाला भी है ।
५—११—५०

अब चरखा संघ की ओर से इसके व्यापक प्रयोग से मालूम हुआ कि इसमें ही समस्या का हल है ।

परिश्रमालय की था। अब मगहर में उन्हीं प्रयोगों के कुछ व्या-
 योजना वहारिक कार्यक्रम चलाने के विचार से कम से
 कम एक स्थायी परिश्रमालय चलाने का निश्चय
 किया। विचार यह था कि एक ऐसा परिश्रमालय चलाया जाय-जिसमें
 स्त्रियों को कताई की व्यावहारिक तथा बौद्धिक शिक्षा के साथ-साथ
 दर्जा ४ तक की तालीम दी जाय। परिश्रमालय का समय ५ घंटा
 कताई तथा ३ घंटा पढ़ाई का रखने का विचार किया। इस योजना को
 मगहर की बहिनों को समझाने के लिए उनकी एक सभा बुलाई। इस
 सभा में तीन चार सौ बहिनें मौजूद थीं। उनमें बहुत सी ऐसी बहुएँ
 थीं जो हमेशा परदे में रहती थीं। उस सभा में बहिनों के उत्साह को
 देख कर मुझको स्वयं थोड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ मैंने अपनी योजना,
 बापू जी की कल्पना, बहिनों का समाज में स्थान, समाज-रचना में
 उनका महत्व आदि बातें बताईं और कहा कि मेरे कल्पनानुसार परि-
 श्रमालय का उद्देश्य उनको इन तमाम बातों की शिक्षा देना है। उनके
 ढंग से मालूम हुआ कि वे उस योजना को पसन्द करती हैं। वाद को
 करीब बीस-बाइस बहिनें मुझसे मिलीं और योजना के सम्बन्ध में पूछ-
 ताछ की और उनमें से १३ परिश्रमालय में भर्ती होने के लिए तैयार
 हो गईं। वाद को उनकी तादाद बढ़कर सत्रह हो गई थी। मैंने उन्हें
 साफ-साफ समझा दिया था कि इस प्रकार का परिश्रमालय चलाने के
 लिए उन्हें स्वावलंबी होना पड़ेगा। इसलिए यह तय किया गया कि
 वे अपने कते हुए सूत में से चार गुंडी सूत मासिक परिश्रमालय के
 खर्च के लिए देंगी। वाद को जब मैं रणीवां चला आया था तो उन
 बहिनों ने मुझे लिखा कि वे चाहती हैं कि प्रारंभ में फीस दो गुण्डी
 रखी जाय। जब कताई की गति बढ़ जाय तो चार गुंडी कर दी
 जाय। बस्ती जिले के देहातों-जैसे पिछड़े इलाके में सत्रह स्त्रियाँ परदे
 से बाहर निकल कर परिश्रमालय में भर्ती हो गई थीं यही बड़ी बात थी।
 फिर वे वहाँ पढ़ने के लिए फीस देना भी स्वीकार कर रही हैं, इतना

ही मेरे संतोष के लिए काफी था। अतः मैंने उसकी स्वीकृति दे दी। इस परिश्रमालय के द्वारा मैं दो बातों की जाँच करना चाहता था। इसके द्वारा किस प्रकार की और कितनी शिक्षा गाँव की स्त्रियों को दी जा सकती है और आठ आना मजदूरी वाली योजना में कस्बियों को परिश्रमालय द्वारा जिस गति, समानता, तथा मजबूती तक पहुँचाने की कल्पना की थी वह कहाँ तक व्यावहारिक है। यह परिश्रमालय ६ अगस्त के तूफान से पहले केवल दो माह चल पाया था। अतः इस प्रयोग का नतीजा मालूम न हो सका। इस तरह इस प्रकार के प्रयोगों का सिलसिला दूसरी बार टूटा। आशा है कि अब जेल से निकल कर जो चेष्टा करूँगा उसमें सफल ही हो कर रहूँगा। अब उस पर और गहराई से विचार करने को समय भी मिल गया। आजकल मैं इस दिशा में पिछले अनुभवों के आधार पर निश्चित योजनाओं पर विचार कर रहा हूँ। बाहर जाकर उन्हें चर्खा संघ की कौंसिल के सामने पेश करने का विचार है। संभव हुआ तो आगे के पत्रों में उसकी कुछ रूप-रेखा बताने की कोशिश करूँगा।

इस प्रकार पिछली बार सन् ४० में जितने कार्यक्रम का प्रयोग करते हुए जेल चला आया था उन सब को जेल से लौट कर इन चार-पाँच महीनों में फिर से जारी करने और उनका प्रगति करने की चेष्टा करते हुए पुनः १९४२ में जेल चला आया। यों वे काम छूट गये लेकिन अच्छा हुआ कि मैं नैनी जेल आया। इलाहाबाद के कार्य-कर्ताओं से मेरा विशेष परिचय नहीं था। उनसे परिचय हुआ। इस जेल में रहने से एक खास लाभ और हुआ; वह यह कि जिस बस्ती और गोरखपुर के जिलों में मैंने अपना प्रयोग शुरू किया था उनके तमाम कार्यकर्ता इसी जेल में आ गये। उनसे घनिष्टता हुई। बाहर हमारे प्रयोग को वे उतना नहीं समझते थे जितना यहाँ। इन प्रयोगों की तमाम रूपरेखा और इससे पीछे जो कुछ भी मेरी कल्पना है, उसका पूरा पूरा नक्शा इनके सामने आ गया। अधिकांश कार्य-

कर्ता सहमत भी हैं अतः भविष्य में यदि क्षेत्र में प्रयोग करना हुआ तो उनका संयोजित और सचेष्ट सहयोग मिलेगा ही ।

अब मैं अपने अनुभवों की कहानी समाप्त कर चुका हूँ । मालूम नहीं कि कब तक जेल में ही रहना पड़ेगा और निकलने के बाद क्या स्थिति होगी । राष्ट्रीय जीवन का अब दूसरा अध्याय शुरू होने वाला है । हमारा राष्ट्रीय जीवन भी संसार की स्थिति में आमूल परिवर्तन होने के साथ-साथ परिवर्तित होने वाला है । आज सर्व-ग्रासी विनाश के बाद संसार की समूची व्यवस्था में उथल-पुथल होगी । विश्व-व्यापी खँडहर के पुनर्गठन की समस्या उठेगी । उस समय तुम्हारा-हमारा क्या स्थान होगा, क्या कर्तव्य होगा, कौन जाने । आज सभी बातें, सभी चीजें, भविष्य के गर्भ में पड़ी हुई हैं । हाँ एक बात निश्चित है कि हिंसा, द्वेष और गुलामी के इस मनमाने तांडव से लोग इतना जर्जरित हो गये हैं कि संसार को आज वापू जी की क्रांति और समता के संदेश की जितनी आवश्यकता है उतनी और कभी नहीं थी अतः हमारी जिम्मेदारी अब हजार गुनी बढ़ जायगी । भगवान ही जानता है कि उस दिन हम खोटे उतरेंगे या खरे ।

अब इतना कह कर आज विदा लेता हूँ । सबको मेरी शुभा-कांक्षा और नमस्कार ।

[४]

ग्राम-सेवा की विधि

१० जनवरी, सन् ४४

एक मास से ऊपर हुआ, तुम्हें पत्र लिखा था । अब सन् ४३ भी बीत गया । इस बीच तुम्हारा एक पत्र मिला । तुमने लिखा है कि यह सब ग्राम-सुधार कार्य के प्रयोगों का विवरण तो मालूम हुआ लेकिन असली सवाल तो ग्राम-सुधार कार्य के लिए निश्चित और सिलसिले-वार योजनाओं का है । अगर कोई ग्राम-सेवा का काम करना चाहे तो उसे करना क्या होगा ? अभी दादा का भी एक पत्र आया था । उन्होंने भी लिखा है । कि मैं अपने अनुभवों के आधार पर ग्राम-उद्योग

और ग्राम-उत्थान पर कुछ लिखूँ जिससे दूसरे कार्यकर्ताओं को मदद मिले। मैंने उन्हें लिखा था कि मैं तो सिर्फ़ मिस्त्री या दस्तकार आदमी हूँ; लिखने पढ़ने से मुझे क्या मतलब। उन्होंने फिर लिखा कि मेरी जिम्मेदारी अपनी दस्तकारी की रूप-रेखा बताने की भी है। यहां भी कुछ लोग ग्राम-सुधार योजना माँग रहे हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि निश्चित योजना क्या बताऊँ? असल में गाँव तो आदमियों की बस्ती है। संसार में दो आदमियों का भी दिमाग एक सा नहीं होता। हर एक गाँव की, हर एक क्षेत्र की समस्याएँ पृथक्-पृथक् हैं; परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। जीवन के हर महकमे में भिन्नता है। आर्थिक परिस्थिति अलग, सामाजिक रूप-रेखा अलग, मानसिक वृत्ति और प्रवृत्ति अलग तथा जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति की देन तथा साधन अलग। अतएव हर कार्यकर्ता को अपने-अपने क्षेत्र के लिए अलग-अलग योजना बनानी होगी मैंने जो कुछ देखा-सोचा या किया सब कुछ लिख दिया। कहाँ क्या कठिनाइयाँ हुईं और उन्हें हल करने के लिए क्या क्या कोशिशें की, उनका पूरा-पूरा विवरण तो लिख ही दिया। इन्हीं अनुभवों का फायदा उठा कर लोग अपनी समस्याओं के अनुकूल योजना बना सकते हैं। अगर मैं ग्राम तौर पर कामचलाऊ कोई योजना बनाऊँ भी तो वह काम की नहीं होगी। हाँ, एक बात मैं जरूर कर सकता हूँ। अब तक के अनुभवों के आधार पर यह जरूर बता सकता हूँ कि हमें ग्राम-सुधार कार्य के लिए किस तरीके से, किस आधार तथा किस सिलसिले से काम करना होगा। वह भी मेरी ही कल्पनानुसार होगा; उसे भी दूसरे भाइयों को अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार परिवर्तित करके काम में लाना होगा।

✓ सेवक का जीवन—मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ग्राम-सेवा का सबसे प्रथम और महत्व का साधन सेवक खुद है। उसकी निजी तैयारी ही सबसे जरूरी चीज है। किस तरह हमारे पढ़े-लिखे नौजवान अपनी सभ्यता और संस्कृति में कमी आ जाने के भय से गाँव में

टिक नहीं सकते हैं, किस प्रकार उनकी नाक हमेशा सिकुड़ी ही रहती है, किस तरह गाँव वालों से घुल-मिलकर ग्राम-जीवन बिताने में सफल नहीं होते हैं, आदि बातें भी मैं लिख चुका हूँ। अपने जीवन के तरीके और अपनी योजनाओं का सामंजस्य रख सकने के सम्बन्ध में भी पहले लिखा है। वस्तुतः इन्हीं बातों के कारण प्रायः हम सुधार कार्य में असफल होते हैं और अपनी असफलता का कारण गाँव वालों की अनुदारता और उनका दकियानूसीपन समझते हैं। भला बताओ तो, यह कैसे संभव हो सकता है कि तुम प्रचार तो करो कि लोग घर भर खादी पहनें, अपना बचा समय कातने में लगावें, लेकिन खुद न कातो। दूसरों की स्त्रियाँ, जो खेती का काम करती हैं, चक्की चलाती हैं, धान कूटती हैं, मवेशियों की सेवा करती हैं, घर-गृहस्थी के अनाज पानी की व्यवस्था करती हैं, खाना पकाती हैं, बर्तन साफ करती हैं, और घर परिवार का सम्पूर्ण काम करती हैं, तो चर्खा चलाने के लिए फुरसत पा जाती है; लेकिन अपनी स्त्रियों को, जिन्हें सिर्फ खाना पकाना ही होता है फुरसत कतई नहीं होती। हम हरिजन-सेवा का काम करना चाहते हैं, छुआछूत की अनुदार नीति मिटाने का प्रचार करते हैं लेकिन जब अपने घर पर जाते हैं तो सोचते हैं—

“बाप रे बाप ! घर वाले देख लेंगे कि भंगी को छू लिया तो आफत आ जायगी।” हम शरदा ऐक्ट का प्रचार करते हैं; बाल विवाह, अनमेल विवाह का विरोध करते हैं; विवाह शादी में फिजूलखर्ची के विरोध में सभाएँ और भाषण करते हैं। लेकिन अपने यहाँ और मित्र कुटुंबी जनों के यहाँ, उन्हीं सामाजिक कुप्रथाओं में केवल शरीक होते हैं बल्कि उन अनुष्ठानों के लिए सक्रिय व्यवस्था और मदद करते हैं। दूसरों की स्त्रियों का पर्दा तुड़वाते हैं, उनसे हिल-मिल कर काम करते हैं, लेकिन अपनी स्त्री को परदे में रखते हैं। इस प्रकार की बातों के कारण ही हमारे सेवक अधिकांश असफल होते हैं, गाँव-चालों की दकियानूसी मनोवृत्ति के कारण नहीं। पहले किसी पत्र में

मैंने विस्तार से लिखा है कि मेरा तो अभिप्राय यह है कि दक्षिणानूसी वृत्ति पर गाँव वालों का ही एकाधिकार नहीं है। वे तो अपना तरीका छोड़ भी देते हैं, लेकिन शहर के पढ़े-लिखे लोग अपनी आदत और संस्कार आदि बदल नहीं पाते। अतः ग्राम-सुधार कार्य की पहली आवश्यकता यह है कि सेवक जिस रंग में समाज को रँगना चाहे उसी रंग में अपने जीवन को रंग डाले अन्यथा उसका सारा काम बदरंग हो जायगा।

सेवा की वृत्ति—दूसरी आवश्यकता इस बात की है कि हमारी वृत्ति सही हो। आगरा जेल से आखिरी पत्र में विभिन्न प्रकार की वृत्ति की रूप-रेखाएँ बताई थीं। मैंने बताया था कि ग्राम-सुधार कार्य प्रधानतः तीन वृत्तियों से किया जाता है। (१) दया या करुणावृत्ति (२) उपदेश और प्रचार वृत्ति और (३) सेवा-वृत्ति। मुझे इन वृत्तियों की परिभाषा दोहरानी नहीं है। सुधार की अब तक जितनी चेष्टा सरकारी तथा गैर-सरकारी तरीके से की गई, वह प्रायः प्रथम दो प्रकार की वृत्ति से की गई है। ग्रामवासी गरीब हैं, साधन-हीन हैं, अतः उन्हें कुछ दान कर दो; बीमार हैं तो कुछ दवा दे दो। एक-आध कुआँ बनवा दो। वे अनपढ़ हैं तो दान-चार को बजाफा देकर किसी विद्यालय में भेज दो। इस प्रकार का दान या दया वृत्ति के प्रति ही अधिकतर ध्यान रहता है। उपदेश-वृत्ति की भी कमी नहीं है। गाँव वाले जाहिल हैं, अपना हित नहीं समझते। उन्हें उनका हित समझाओ। वे गंदे हैं अतः गंदगी से हानि और सफाई के लाभ का प्रचार करो। पर्वे छपवा कर बाँटो; प्लेग, कालरा, मलेरिया आदि से बचने के उपायों की तस्वीरें मैजिक लालटेन के जरिये दिखाओ इत्यादि। ऐसे प्रचारक यह भूल जाते हैं कि प्रचार के बताये तरीकों के लिए जिन साधनों की सिफारिश की जाती है उन साधनों का स्वयं देखने के लिए भी ग्राम-वासी बेचारे असमर्थ हैं।

इन वृत्तियों के सम्बन्ध में पूरी तौर से समझने के लिए आज तक ग्राम-सुधार का जो कुछ काम हुआ है, उस पर एक नजर डाल

कर विचार कर लें तो अच्छा होगा। वैसे तो ग्राम-सुधार की चेष्टा बहुत पुरानी है। गुड़गाँव जिले की सरकारी चेष्टा, बोलपुर की विश्वभारती की चेष्टा, कहीं-कहीं ईसाई पादरियों (सालवेशन ग्रामी) आदि सार्वजनिक चेष्टाओं के सम्बन्ध में तुम्हें मालूम ही है। लेकिन ये सब व्यक्तिगत या स्थानीय रूप से हुई हैं। सामूहिक और विस्तृत रूप से ग्राम-सुधार योजना की ओर वापू जी ने ही मुल्क का ध्यान पहले-पहल सन् १९३४ ई० में बंबई कांग्रेस के अवसर पर आकर्षित किया और स्वयं राजनीतिक क्षेत्र से अलग होकर ग्राम-उद्योग-संघ के द्वारा ग्राम-उत्थान के कार्य में अपनी शक्ति लगा दी। फिर वर्धा मगन-वाड़ी में बैठकर उन्होंने किस प्रकार से इस कार्य को प्रतिष्ठित किया, उसे तुमने देखा ही है। उन्होंने ग्राम-उद्योग संघ की स्थापना इसी-लिए की कि मुल्क भर में इस कार्य की नींव पड़ जाय। उनकी इस नीति का प्रभाव भी हुआ और ग्राम-सुधार की ओर सारे देश की रुचि पैदा हुई। सभी प्रान्तों में सभी कार्य-कर्ता ग्राम-सुधार कार्य की ओर आकृष्ट हुए और ग्रामीण जनता को संतुष्टि करने का प्रयत्न जोरों से आरंभ हुआ। गांधी जी की इस नई योजना का असर सरकार पर भी पड़ा। उसे कदाचित् यह भय हुआ कि कहीं कांग्रेस वाले ग्राम-उद्योग तथा सुधार योजना के द्वारा ग्रामीण जनता को संगठित न कर दें। उनसे धनिष्ठता स्थापित करके इस महती जन-शक्ति के अधिकारी न बन जायँ। इसका परिहार करने के लिए उसने भी इसका विभाग खोल दिया और उसके लिए एक करोड़ रुपये का बजट भी बना डाला। यह सब बातें हो गईं। अतः मैं इनकी जड़ में अधिक न जाकर इतना ही कहूँगा कि यद्यपि कांग्रेस और सरकार दोनों की ओर से इस कार्य के लिए कदम उठाया गया पर सही रास्ता दो में से एक को भी नहीं मिल सका। राष्ट्रीय कार्यकर्ता देहातों में जाते हैं, गाँव वालों की कमियाँ बयान करते हैं और कहीं-कहीं भाड़ू लेकर गाँव की गलियों के कूड़ा-करकट की सफाई करने की चेष्टा

करते हैं। यह सब तो किया गया लेकिन गाँव की असली समस्याओं के मूल को नहीं देखा गया। यही कारण है कि ग्राम-सुधार कार्य में अधिक सफलता नहीं मिली। ग्राम-सुधार के कार्य को गाँव वालों की आर्थिक समस्या से अलग करके देखना मूल-प्रश्न की उपेक्षा करना है। विस्तृत: लोग वापू जी का दृष्टिकोण न समझ सके। वापू जी ने ग्राम-उत्थान का कार्यक्रम चलाने के लिए ग्राम-उद्योग संघ की स्थापना क्यों की? गाँव-वालों की आर्थिक उन्नति और आर्थिक स्वतंत्रता के बिना उनका सामाजिक और सांस्कृतिक विकास संभव ही नहीं है। आर्थिक दृष्टि से यदि वे अपने पैरों पर खड़े हों जायँ तो दूसरे विकारों का परिहार आसान हो जायगा। फलतः वापू जी की दृष्टि में ग्राम-उत्थान व सुधार, खादी और ग्राम-उद्योग का सहज और स्वाभाविक नतीजा है। राष्ट्रीय कार्यकर्ता यद्यपि प्रचार-कार्य करते रहे पर गाँव की मौलिक आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए स्थायी रूप से गंभीर प्रयत्न न कर सके। इसका प्रधान कारण यह है कि वे सेवा कार्य के लिए सही वृत्ति को ही धारण न कर पाये।

दूसरी ओर सरकारी ग्राम-सुधार-महकमा गाँव के लोगों को आर्थिक मदद देकर कहीं सड़क और कहीं घरों में रोशनदार नाचदान आदि बनाने के लिए उभारता आ रहा था। मौलिक समस्या की ओर उसका ध्यान जरा भी नहीं था। वह देहातों में प्रचार का काम भी करता रहा। उसका सारा काम प्रधानतः दान तथा उपदेश वृत्ति से ही होता रहा। कांग्रेस सरकार भी ग्राम-सुधार के कार्य को प्रायः इस दृष्टि से चलाती रही। ऐसा लगता था कि हमारे शहरी भाई गाँव की मौलिक समस्याओं को समझते ही नहीं हैं। शायद गाँव में जाने में उन्हें जो असुविधाएँ होती थीं, और वे असुविधाएँ उनके विचार से जिन कारणों से होती थीं उन्हीं को वे ग्रामीणों के दुःख का कारण समझते थे और सोचते थे कि कुछ और नाचदान तथा आने जाने के लिए सड़कों का निर्माण करा देने से ही उनका सारा कष्ट दूर हो जायगा।

फल यह हुआ कि ग्राम-उद्धार विभाग उद्धार विभाग न हो कर गाँव की ऊपरी सफाई के लिए दान-विभाग हो गया और वास्तविक ग्राम-सुधार न होकर उसका नाटक होने लगा।

फिर जिस पद्धति से काम किया गया उसमें दया और करुणा का भाव भले ही रहा हो उससे ग्राम-वासियों की उस अन्तःशक्ति का उद्वोध नहीं हो सकता था जो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर सकती। मैं यह कह ही चुका हूँ कि गाँव वालों का उद्धार उनकी अपनी अन्तर्निहित शक्ति से ही होगा और जब वे स्वावलम्बन के महत्व को समझेंगे तभी उस स्थिति को पलट सकेंगे जो उनके पतन का कारण हो रही है। उपदेश देकर और करुणा दिखाकर उनको असहाय ही बनाया गया। सदा की भाँति वे यही समझते रह गये कि कोई बाहर से आकर उनके कष्ट दूर कर देगा और वे स्वयं निकम्मे तथा निर्बल हैं। इस प्रकार गाँव का उद्धार होने वाला नहीं है। पंचायत का सहज और स्वाभाविक विकास हुए बिना पंचायत घर किस काम का ? ग्राम-वासियों का शिक्षा, संस्कृति और चरित्र का विकास हुए बिना कुएँ की जगत, पुल और पक्की गली एक बार बन जाने पर भी टिक न सकेगी। ऐसी दशा में पुलों और कुवों की ईंटें निकाल कर वे अपना चूल्हा या नार्सी बना लेंगे। यह ठीक है कि उन्हें आराम का सामान चाहिए। लेकिन हम उन्हें दान देकर तो उसे पूरा नहीं कर सकते। हमको ऐसी परिस्थिति पैदा करनी है कि वे सामान वे खुद अपनी शक्ति से ही जुटा सकें। केवल भारत के लिए ही नहीं, संसार के उन देशों के लिए भी, जहाँ दिन-दिन राष्ट्र के सर्वांगीण जीवन की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा करने की चेष्टा हो रही है, वहाँ के चिन्ताशील लोग इसी सिद्धान्त का प्रचार करते हैं। श्री वर्नाई शा को तो सभी जानते हैं। लोगों को आराम की सामग्री की प्राप्ति के सम्बन्ध में वे कहते हैं:—“There should be more food, more clothing, better houses, more security, more health, more virtue, in a word more prosperity. Any attempt

to secure the above should be self-initiated, self-directed self-corrected and self-controlled." अर्थात्

“जनता को अधिक अन्न, अधिक कपड़ा, अधिक अच्छे घर, अधिक शान्ति, अधिक स्वास्थ्य, अधिक सद्गुण अथवा एक शब्द में अधिक खुशहाली चाहिए। उक्त स्थिति पाने की जो भी चेष्टा हो वह आत्म-निर्दिष्ट, आत्म-संचालित, आत्म-परीक्षित और स्वतंत्र होनी चाहिए।”

फलतः आवश्यकता है उनमें उस भावना के विकास की जो उन्हें अपने कुँ, अपनी गली और अपने घरों के रोशनदान स्वयं बना लेने और उनकी रक्षा करने की प्रेरणा करे। आन्तरिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक विकास से ही यह संभव है, और तभी उनका वास्तविक उद्धार भी हो सकेगा। बाहर से आर्थिक मदद करके ग्रामीण जनता के अथाह अभाव का पार पाना सम्भव ही कहाँ है? गाँव वालों से ही कर के रूप में उनकी आमदनी का अंश वसूल किया जाता है और फिर उसका बहुत थोड़ा सा अंश यदि उन्हें दान के रूप में प्रदान भी किया जाय तो वे उसे अपनी रकम समझने में समर्थ नहीं होते। और फिर कर की रकम वसूल करके उसमें से अधिक हिस्सा वसूल करने के एक महकमे और इमदाद करने के दूसरे महकमे का खर्च काटने के बाद सुधार कार्य के लिए जो बचता है वह भी नहीं के बराबर होता है। इन तमाम बातों को देखते हुए सही रास्ता यही मालूम होता है कि यदि सचमुच ग्राम-उद्धार का काम करना है तो इस बात की चेष्टा करनी होगी कि गाँव वाले यह अनुभव करें कि अपना उद्धार उन्हें स्वयं करना है और उनमें यह शक्ति है कि वे चाहें तो अपने को उठा सकें। उन्हें यह भी ज्ञात हो जाना चाहिए कि उनकी आज की दशा किन कारणों का परिणाम है और उन कारणों को उन्हें स्वयं ही दूर करना है। आज तो उन्हें यह भी ज्ञात नहीं कि वे दाखिल-पीड़ित और अभावग्रस्त हैं। सदियों से होने वाली लूट और शोषण के कारण वे इतने गिर गये हैं कि वे बेहोशी की हालत पर

पहुँच चुके हैं, जिसमें उन्हें अपनी पीड़ा का भी अनुभव नहीं होता है। आवश्यकता इस बात की है कि वे पहले अपने होश में लाये जायँ और उन्हें यह ज्ञान हो जाय कि वे सचमुच गिरे हुए हैं तथा अपनी चेष्टा से ही अपनी हालत सुधार सकते हैं। जिस दिन गाँव की जनता को यह ज्ञान हो जायगा और उसमें यह आत्म-विश्वास जाग उठेगा, उस दिन उसकी अन्तर्निहित शक्ति अपने आप संघटित हो जायगी। उनके आत्मोत्थान का स्रोत उनकी इस संघटित शक्ति में ही है। हमारा काम केवल इस स्रोत को खोद निकालना है और यह तभी हो सकेगा जब ग्राम-सेवक सुधार का काम शुद्ध सेवा-वृत्ति से ही करेगा। इस वृत्ति की परिभाषा वापू जी ने स्वयं छोटी सी पुस्तिका 'ग्राम सेवा' के पन्नों में भली भाँति कर दी है। मेरी सम्मति में इस वृत्ति की जो कुछ रूप-रेखा हो सकती है उसका जिक्र तो मैं पहले ही आगरा जेल से लिखे पत्रों में कर चुका हूँ। अब इस विषय पर अधिक लिखना व्यर्थ होगा।

कार्यक्रमों का सिलसिला—अब प्रश्न यह उठता है कि मान लो कि सेवकों के जीवन की तैयारी ठीक है और उनकी वृत्ति भी ठीक है तो वे किस राह से चलेंगे? उनका कार्यक्रम तथा पद्धति क्या होगी? वे कहां से शुरू करेंगे और किस ओर बढ़ेंगे? कौन सा तरीका होगा जिससे जनता को अपने सुधार के लिए संघटित किया जा सके? वापू जी ने तो खादी और ग्राम-उद्योग को ही उस संघटन का साधन माना है। वस्तुतः खादी और ग्राम-उद्योग के द्वारा आर्थिक उन्नति के साथ ही उस आत्म-विश्वास को जागरित किया जा सकता है जिसके बिना जन-शक्ति का संघटन संभव नहीं है। अतएव हम चाहे जिस परिस्थिति में काम करें प्रारंभ में हमें खादी तथा ग्राम-उद्योग को आर्थिक योजना को हाथ में लेना होगा और इनमें भी चर्खे का स्थान प्रथम होना चाहिए। चर्खे के लिए साधन की आवश्यकता नहीं के बराबर होने के कारण उसे शुरू करना आसान है। प्रारंभ में

साधन का सवाल मुख्य होता है। वस्तुतः किसी भी योजना की कल्पना करते समय इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि जिस संस्था के द्वारा काम हो रहा है, उसका और जिन गांवों में काम हो रहा है, उनके सम्पूर्ण साधन कितने हैं? फिर जब चर्खा चलने लगता है तो स्वभावतः वस्त्र के अभाव की पूर्ति हो जाती है। गाँव वाले आत्म-चेष्टा के इस परिणाम को देख कर स्वभावतः आगे बढ़ने को उत्साहित होते हैं। ऐसे उत्साह के वातावरण में दूसरे कार्यक्रम उनके सामने पेश करने से वे उन्हें सहज ही ग्रहण करते हैं। इस तरह सुधार-कार्य करते हुए हमें कार्यक्रम ऐसा बनाना चाहिए जिसकी प्रगति सहज और स्वाभाविक ढंग से हो सके। ग्राम-वासी उसे अपना काम समझ कर स्वतः सहयोग करने के लिए आगे बढ़ें। अब तक हमने गाँव में कार्य करने का ढंग कुछ दूसरा ही रखा है। यह नहीं देखा कि ग्रामवासी क्या चाहता है? बल्कि अपनी इच्छा-शक्ति और संस्कार के अनुसार जिन-जिन बातों को सुधारने की जरूरत हमें महसूस हुई, उन्हीं को अपने कार्यक्रम का अंग बनाकर काम शुरू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि देहाती उससे एकात्मिकता की अनुभूति न कर सके। इसलिए अब आवश्यकता इस बात की है कि देहाती जनता की प्रवृत्ति और उसके दृष्टिकोण तथा इच्छा को लेकर कार्य-क्रम बनावें। उसका क्रम कुछ इस प्रकार हो सकता है:—

(१) ऐसे कार्य जिनके लिए ग्रामीण जनता खास तौर से अभाव महसूस करती हो और जिनसे उसका प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हो और जिन्हें शुरू करने में अधिक भ्रंश न मालूम हो। चर्खा इस प्रकार का काम हो सकता है।

(२) ऐसे काम जिनके लिए ग्रामवासी के हृदय में आदर हो किन्तु साधन तथा संघटन के अभाव से वे उन्हें न कर पाते हों। पाठशालाओं की स्थापना ऐसा काम है। भारतीय जनता आज की जहालत की जहालत में भी शिक्षा का महत्व समझती है। आज के स्वार्थ-पूर्ण और

भौतिकवादी वातावरण में भी गांव में पाठशालाओं के लिए दान देने का रिवाज बचा है। हमारे पूर्व-पुरुषों ने विद्यादान का संस्कार इतना अधिक भर दिया है कि प्रत्येक भारतीय के हृदय में इसके लिए स्थान है। अगर वे स्वयं इस काम को नहीं कर सकते, तो केवल इसलिए कि आज उनमें संघटन का अभाव है।

(३) ऐसे काम जिन्हें हम उनके फायदे का समझते हैं, परन्तु वे जिनका अभाव महसूस नहीं करते हैं। लेकिन वे काम ऐसे हों जिनके लिए प्रारम्भ में उन पर किसी प्रकार का आर्थिक बोझ न पड़े। जब आर्थिक बोझ न पड़ेगा तो पहले दो किस्म के कामों के बाद हमारी बात सुन कर वे ऐसे काम करने में एतराज नहीं करेंगे। उदाहरणार्थ अखाड़ा चलाना, आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए रजिस्टर रखना, त्योहार आदि मनवाना और पेड़ लगवाना आदि काम बताये जा सकते हैं।

(४) ऐसे काम जिनके न करने से जनता को नुकसान है लेकिन रूढ़ि, आदत तथा आलस्य के कारण वे उसे करना नहीं चाहते। जैसे घर की सफाई और नावदान की सफाई आदि।

(५) ऐसे काम जो सामूहिक रूप से गांव के लाभ के हैं, जिनमें व्यक्तिगत लाभ कुछ न हो बल्कि उसे करने में कुछ त्याग ही करना पड़े। जैसे गांव की सफाई, सड़क निकालना, खाद के गड्ढे खुदवाना आदि।

(६) ऐसे काम जिन्हें करने के लिए ग्राम-समिति या पंचायत के ठोस संघटन को नैतिक अधिकार प्राप्त हो।

क्रम से काम चुनते समय इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि जिस संस्था के द्वारा संघटन किया जाय वह उसके लिए उचित साधन जुटा सके। छोटी-छोटी स्वतंत्र संस्थाओं के लिए जिस क्रम से योजना बनानी होगी वह चर्खा संघ तथा ग्रामोद्योग संघ जैसी बड़ी संस्थाओं के लिए लागू न होगा। चर्खा संघ तथा ग्राम-उद्योग संघ के क्रम से भी राष्ट्रीय सरकार द्वारा बनाई योजना का काम बिल्कुल पृथक होगा। जिस गांव में काम होगा उसकी योग्यता तथा प्रवृत्ति का

भी ध्यान रखना होगा ।

अब तक ग्राम-सुधार के लिए जितनी चेष्टा की गई है, उसमें प्रायः इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया । सिर्फ यह देखा जाता रहा कि किस काम में हमको आसानी होगी । अधिकतर दृष्टि तो प्रदर्शन की संभावनाओं पर रहती रही है । उदाहरण लें तो प्रारम्भ में प्रायः बाहरी आर्थिक मदद से कुवों की मरम्मत, नावदानों और गलियों की सफाई आदि कामों की ओर ध्यान जाता रहा है । इस काम में कुछ रुढ़ि भी बन गई है । ग्राम-सुधार-योजना में स्वभावतः लोग ग्राम-पंचायत बना कर गांव के ऋग्ड़े निवटाने की ओर पहले ही झुक जाते हैं । लेकिन ग्राम-संघटन के लिए पंचायत की चाहे जितनी आवश्यकता हो, प्रारम्भ में वह चल नहीं सकती । यह सही है कि प्राचीन काल से भारत की समाज-व्यवस्था ग्राम-समिति और पंचायत पर बनी रही जो काफी वैज्ञानिक और उन्नत थी । इसकी सफलता का असर समाज में इतनी गहराई का था कि आज की गिरी हुई दशा में भी इस संस्था को जनता श्रद्धा और आदर से देखती है । पंच-परमेश्वर की भावना प्रत्येक भारतवासी के हृदय में संस्कार-भूत हो गई है । यही कारण है कि जहाँ लोग अदालत में निःसंकोच झूठ बोल जाते हैं वहाँ पंचायत के सामने झूठ बोलने में हिचकते हैं । अतः ग्रामीण जनता पंचायत की बात आसानी से समझ कर इसके लिए जल्द तैयार हो जाती है । लेकिन जैसे ही वह पंचायत गाँव के मामलों को सुलझाने बैठती है कि फौरन ऋग्ड़े होने के कारण टूट जाती है । इसका कारण यह है कि गाँव में किसी पर जनता का विश्वास नहीं है । जब तक समिति या पंचायत पर जन समाज का विश्वास पैदा नहीं होता है तब तक उसके द्वारा कोई भी काम नहीं हो सकता । और यह तभी हो सकता है जब जनता में सही नेतृत्व पैदा हो सके । आज देहातों में किस प्रकार के लोगों के हाथों में नेतृत्व है और उसका क्या कारण है, उसे दूर करने का क्या उपाय है, इसका

जवाब मैं पिछले पत्रों में विस्तार के साथ दे चुका हूँ। आज मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आजकल जो लोकतंत्र का नारा बुलन्द हुआ है, उसके असर में आकर गाँव की वास्तविक स्थिति को ग्राम-सेवक भूल न जाय। और तब तक गाँव के झगड़े निवटाने आदि के लिए पंचायत का संघटन न करे जब तक ठोस कार्य-क्रम के आधार पर देहातों में सेवा की बुनियाद पर सही नेतृत्व की स्थापना न हो जाय। मैं जानता हूँ कि तुम लोग मुझसे सहमत न होगे लेकिन सेवक को धैर्य से ही काम करना होगा। हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखना होगा कि जो भी काम करे उसको यथासम्भव आरम्भ से ही गाँव के कुछ लोगों की समिति द्वारा चलाने की चेष्टा करे। उसके लिए कुछ न कुछ जिम्मेदारी उन पर जरूर रखे। जिससे इन्हीं लोगों की समिति क्रमशः ग्राम-पंचायत का रूप लेकर भविष्य में लोकतंत्र की सही बुनियाद बन सके। भावी स्वावलम्बी समाज, आर्थिक सहयोग समितियों के आधार पर ही संवर्धित होगा; लेकिन आज हम जिन छोटी-छोटी समितियों का संघटन करेंगे, वह समाज-व्यवस्था उन्हीं की समष्टि होगी। अतः आरम्भ से ही जल्दवाजी नहीं करनी चाहिए। गाँव की हालत देख कर सेवक के लिए ऐसी जल्दवाजी करना स्वाभाविक है। मैं उसे दोष नहीं देता, क्योंकि हममें से सभी चाहेंगे कि उनकी हालत फौरन बदल जाय। लेकिन सब काम क्रमशः ही हो सकते हैं। किसी पेड़ को जल्दी से बड़ा करने के लिए उसे जमीन से उखाड़कर लंबे वांस में बाँध कर ऊँचा करने से वह बढ़ नहीं जायगा। उस समय यह ऊँचाई पर दिखाई देगा जरूर, लेकिन थोड़ी देर में सूखकर मर जायगा। अतः जो लोग गाँव की मौजूदा परिस्थिति में रेडियो का प्रचार करना चाहते हैं या बैलगाड़ियों में मोटर का टायर लगाना तथा घरों में बाल-वेयरिंग लगाना चाहते हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि वे जरा धैर्य धारण करें और उतनी ही सुधार-योजना बनावें जितनी आज के देहाती पचा कर उसे अपने जीवन का

अंग बना सकें। पक्की जमीन पर थोड़ी नींव खोद कर जल्दी से ईंट चुनवा कर घर बन सकता है। लेकिन जहां दलदल है वहां तो पहले गहरी नींव खोदनी ही पड़ेगी। फिर उसे सूखने के लिए छोड़ देना पड़ेगा, तब उसके अन्दर पिटाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ऊर्ध्व दीवार उठा कर घर बन सकेगा। इसके लिए अगर धैर्य न होगा और पक्की जमीन वाली इमारतों की पद्धति से काम किया गया तो सारी इमारत दलदल के नीचे धँस जायगी। इसलिए मैंने कहा कि योजना का क्रम निश्चित करते समय गांव वालों की आवश्यकता तथा योग्यता का विचार करना आवश्यक है। पहले अन्न, वस्त्र तथा आश्रय की व्यवस्था होनी चाहिए, फिर आराम और उसके बाद शृंगार आदि की।

ऊपर लिखी बातों को ध्यान में रख कर ही हमारी सुधार-योजना बन सकती है। यद्यपि समाज-जीवन एक सम्पूर्ण वस्तु है, फिर भी हमें योजना बनाने के लिए गांव की विभिन्न समस्याओं पर अलग-अलग विचार करना होगा। इस तरह हम सारे कार्यक्रमों को मुख्यतः निम्न लिखित श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। (१) उद्योग, (२) शिक्षा और संस्कृति, (३) सफाई और स्वास्थ्य, (४) कृषि और वागवानी (५) गोपालन, (६) यातायात और पानी या जल तथा (७) व्यवस्था और अनुशासन। यदि उपर्युक्त विषयों का संघटन हम एक दूसरे से सामंजस्य रख कर सकें तो ग्राम-समाज-व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। मैंने प्रत्येक विषय के पारस्परिक सामंजस्य रखने की बात कही है क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे सुधार कार्य-कर्ता प्रायः इस दिशा में उदासीन रहते हैं। आज कल दुनिया का वायु-मंडल भी कुछ इसी प्रकार की विशेषज्ञता का है। यही कारण है कि विभिन्न सरकारी विभागों में या विभिन्न कार्यक्रम चलाने वाली राष्ट्रीय संस्थाओं में एक दूसरे से कोई सम्बन्ध या सम्पर्क नहीं रहता। नतीजा यह होता है कि एक दूसरे में सम्मिलित न रहने के कारण समाज-जीवन की इमारत बन ही नहीं पाती।

संस्था का रूप—मैंने पहले ही कहा है कि हमारी सारी योजना का क्रम, उसकी रूप-रेखा इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस संस्था के द्वारा सुधार कार्य करते हैं। हमारे देश में चार मुख्य जरिये इसके लिए हो सकते हैं। (१) व्यक्तिगत रूप से सामान्य साधन के साथ, (२) छोटी-छोटी स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा, (३) चर्खा संघ तथा ग्राम उद्योग संघ की मार्फत और (४) प्रान्तों की लोकतंत्री सरकार द्वारा। जो लोग व्यक्तिगत रूप से काम करना चाहते हैं, उनके लिए मेरे सामने अब और कुछ कहने को नहीं रह गया। शुरू से मैंने अपने जिन अनुभवों का वर्णन किया है वे उनके लिए पर्याप्त संकेत हैं। अपने अनुभव से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज की दुनिया में व्यक्तिगत रूप से अकेले काम करने का जमाना चला गया है। हमारे शास्त्रों में भी कलियुग में संघ-शक्ति ही शक्ति बताई गई है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम संघटित रूप से कुछ कर नहीं सकते। प्रायः देखा गया है कि जिनमें बुद्धि है, योग्यता है, आर्थिक कठिनाई नहीं है, त्याग की सामर्थ्य रखते हैं, वे या तो संस्थाओं में शामिल नहीं होते या अगर शामिल हुए भी तो टिक नहीं सकते। वे उन संस्थाओं को या तो अपने आदर्श के अनुकूल नहीं देखते अर्थात् उनमें उनको बुराई ही बुराई नजर आती है; उनको यह लगता है कि “संस्था में स्वतंत्रता ही नहीं है, वहां तो व्यक्ति ही खतम हो जाता है, मेरी तो कुछ चलती ही नहीं” इत्यादि। मेरा नम्र निवेदन है कि ऐशा सोचना पढ़े-लिखे नौजवानों की उच्छ्रंखलता और अहंभाव का ही परिचायक है। वे पांच साथियों की राय में राय मिला कर चल नहीं सकते। वापू जी से बढ़कर व्यक्तित्व किसमें है ? वे भी कांग्रेस के द्वारा ही सब काम करते हैं। कांग्रेस जब उनकी बातों को नहीं मानती तो वे भविष्य के लिए इन्तजार करते हैं, अपनी खिचड़ी अलग नहीं पकाते। यद्यपि वे वैसी अलग खिचड़ी पकाने की शक्ति रखते हैं। हमारे नौजवान अपने अहं के वशीभूत होकर अपने व्यक्तित्व को वापू

से भी अधिक समझते होंगे। यही कारण है कि हमारे यहाँ संस्थाएँ नहीं बन पातीं। और बनती भी हैं तो अधिक दिन टिक नहीं सकतीं। लेकिन बिना संस्था बनाये देहातों का पुनर्गठन कार्य सफल नहीं हो सकता यह मेरी पक्की धारणा है। अतः मैं तुम्हें जो कुछ कार्यक्रम और योजना लिखना चाहता हूँ वह संस्थाओं के द्वारा चलाई जाने वाली होगी।

ग्राम-उद्योग का चुनाव—संस्थाओं में सबसे पहले मेरी निगाह चर्खा संघ तथा ग्राम-उद्योग संघ की ओर जाती है क्योंकि मेरी दृष्टि में सरकार के अलावा यही दो संस्थाएँ हैं जो किसी किस्म की व्यापक योजना का प्रयोग कर सकती हैं और राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्बन्धित संस्था होने के कारण जनता उन्हें अपनी चीज समझती है। अतः मैं इन संस्थाओं के साधन तथा शक्ति के अनुसार उपर्युक्त विभागों के सम्बन्ध में ऐसा विचार करता हूँ।

क-उद्योग—ग्राम उद्योग कार्य चलाने के लिए मुख्य प्रश्न उद्योगों का चुनाव है। हम चाहेंगे भी तो कोयले की खान सरीखे काम को ग्राम-उद्योग में शुमार नहीं कर सकते। हर एक उद्योग के लिए कच्चा माल और अन्य साधन प्रकृति की देन हैं। जिस वस्तु के लिए ऐसी देन केन्द्रित है, जिसकी उत्पत्ति की पद्धति में खतरा अधिक है तथा कच्चे माल के लिए दूर दूर की चीजें एकत्र करनी पड़ती हैं उसे ग्राम-उद्योग के द्वारा करना संभव नहीं। फिलहाल उन्हें केन्द्रीय उद्योग के वास्ते छोड़ देना ही श्रेयस्कर होगा। हमें उन्हीं उद्योगों को चुनना होगा जिनके लिए कच्चे माल का साधन देहातों में सुलभ हो, जिनके लिए औजार और मकान आदि की पूँजी गाँव की हैसियत के अन्तर्गत हो और अधिकांश माल की खपत गाँव में हो। अधिकांश माल की खपत होने का मतलब यह नहीं है कि आज भी उसे बाहर बेचने की आवश्यकता न होगी आजकल तो गाँव की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि गाँव वाले न भर पेट खाने को समर्थ हैं और न उनको तन दकन के लिए बिथड़ा ही प्राप्य है। मेरा मतलब यह है कि मामूली तौर से

अपनी कल्पना के अनुसार ग्राम-सुधार कार्य कुछ साल करने के बाद जनता अपना माल अपने इस्तेमाल में ले लेने में समर्थ होने लगेगी। अर्थात् ऐसा सामान जिसकी आवश्यकता तो ग्राम-वासियों को है लेकिन अभाव-वश वे उसकी पूर्ति नहीं कर पाते। निम्नलिखित उद्योगों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है।

सूत कटाई	दरी कालीन बनाना
आटा पिसाई	कपड़ा सीना
धान कुटाई	अरबे मछली आदि का काम
ईंट का भट्टा	दियासलाई बनाना
तेल-घानी	रोशनाई बनाना
गुड़ से चीनी बनाना	शीशा चूड़ी आदि
बुनाई	ठठेरी
साबुन बनाना	रँगई छपाई
कागज बनाना	सोनारी
चमड़ा पकाना	पेंसिल बनाना
चमड़े का सामान बनाना	ब्रुश बनाना
सरेस, ताँत आदि	लाख का काम
लोहारी	पत्थर का काम
बढ़ईगिरी	पशु-पालन
मैड़ पालना	मधु मक्खी-पालन
कंवल बनाना	सींग का काम
कुम्हारी	खोद बनाना

रेशम के कीड़ों का पालन और रेशम कातना

इन उद्योगों को तीन विभागों में बाँटा जा सकता है।

१—ऐसे उद्योग जो खेती के अंग रूप में नित्य ग्रहस्थी के काम की चीजें हों या जिनके लिए नाम मात्र पूँजी की आवश्यकता हो। और जिनकी खपत आज की परिस्थिति में भी उत्पादक के यहाँ ही हो।

उन्हें प्रत्येक परिवार की वचत के समय में सहायक धंधे के रूप में चलाना होगा। जैसे ढेकी, चक्की और चर्खा आदि।

२—ऐसे उद्योग जिनके लिए पूँजी की आवश्यकता मामूली हो लेकिन प्रथम प्रकार के उद्योगों की तरह जिन्हें सार्वजनीन रूप से नहीं चलाया जा सके, जिनकी खपत सार्वजनीन न हो सके। उन्हें पारिवारिक रूप में चलाना चाहिए यानी वह उद्योग एक संपूर्ण परिवार का मूल धंधा होगा जैसे—तेल धानी, बुनाई, साबुन बनाना, मिट्टी का काम, चमड़ा पकाना आदि।*

३—कुछ धंधे ऐसे हैं जिनके लिए कुछ पूँजी की आवश्यकता है। या जिनके लिए मशीन की आवश्यकता है जिससे गाँव भर का काम चलता हो या जिनके चलाने में गाँव के प्रायः सभी लोगों का दृष्ट है। उन्हें ग्राम-सहयोग-समिति के द्वारा चलाना चाहिए।

इस प्रकार तीन श्रेणियों को हम क्रमशः (१) गृह-उद्योग (२) कुटुम्ब-उद्योग और (३) ग्राम-उद्योग कह सकते हैं। उद्योगों के चुनने के बाद हमें इस पर विचार करना चाहिए कि उनका क्रम क्या होगा। वस्तुतः उचित क्रम से काम न करने के कारण प्रायः हम असफल हो जाते हैं। इस विषय पर विचार करने के लिए हमें यह देखना होगा कि किस उद्योग के साथ कौन उद्योग अधिक से अधिक सम्बन्धित हैं क्योंकि परस्पर-सम्बन्धित उद्योगों की क्रमशः स्थापना सरल होती है। उदाहरण के लिए चर्खे को ही लें लो। चर्खे के बाद बड़ईगिरी, लोहारी और बुनाई आप से आप आ जाते हैं। चर्खा चल जाने पर उससे सम्बन्धित उद्योगों के लिए कच्चा माल और बाजार स्वाभाविक

*अधिक अनुभव के बाद मुझको ऐसा लगता है कि तेलधानी बैल के वेकार समय में हो सके इसलिए किसान के सहायक धंधे के रूप में चलाना अच्छा होगा। बुनाई के काम भी बहुत से परिवारों में सहायक उद्योग के रूप में अच्छा चलने का अनुभव हमें अब मिल रहा है। ५-११-५०

रूप से प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी बात यह देखनी होगी कि आरम्भ करने के लिए कौन-कौन उद्योग खेती से सम्बन्धित हैं। भारत का प्रधान उद्योग खेती है और वह अभी तक विकेन्द्रित और स्वावलंबी तरीके से ही जारी है। अतः हमारे उद्योगों का केन्द्र खेती ही होनी चाहिए। खेती से सम्बन्धित उद्योग से मेरा मतलब यह है कि जिन के लिए कच्चा माल खेती की उपज हो या जिन्हें खेती से फुर्सत के मौसम में आसानी से किया जा सकता हो। जैसे, तेल-घानी के काम में कच्चा माल गाँव की खेती से प्राप्त हो जायगा। चर्खा चलाना, ईंट पकाना आदि काम खेती से फुर्सत के समय किये जा सकते हैं। तीसरी बात यह देखनी चाहिए कि कौन से क्षेत्र में कौन काम आसानी से शुरू किया जा सकता है। इसके लिए कई बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। कच्चे माल की सुलभता, बाजार की व्यवस्था, स्थानीय आवश्यकता, प्राचीन उद्योग के भग्नावशेष के कारण कारीगरों की सुलभता आदि।

फिर हमें इस बात पर भी विचार करना आवश्यक है कि कौन से उद्योग का माल कितनी मात्रा में उत्पन्न किया जाय। आज हम एक-आध केन्द्रों में उत्पादन का काम कर रहे हैं और विक्री के लिए हमारे पास बहुत से शहर पड़े हैं। लेकिन मान लीजिए कि उसी मात्रा में सात लाख गाँवों में उत्पादन होने लगे तो क्या होगा? अतः हमें आज से ही क्षेत्र-विशेष में इतनी उत्पत्ति करनी चाहिए जितना भविष्य की आवश्यकता के लिए उक्त क्षेत्र के हिस्से में पड़े। एक ही जगह हजारों कारीगरों की वस्ती का विरोध मैं कर चुका हूँ। ऐसा न होने पाये कि हम उन्हीं कार्यों को पुनः स्थापित कर डालें। इसलिए इसका हिसाब करते समय इस बात का ध्यान रखना मुनासिब है कि भविष्य में अगर हम ग्राम-उत्थान का कार्य अपनी कल्पना के अनुसार सम्पूर्ण रूप से कर सके और राष्ट्र की आर्थिक स्थिति सुधर गई तो उस समय उस क्षेत्र में कितने माल की आवश्यकता होगी।

उस आवश्यकता की पूर्ति के उपरान्त शहरों को वेचने के लिए कितना माल चाहिए यह भी कृता जा सकता है। एक दो उदाहरणों से इस सिद्धान्त को स्पष्ट करना अच्छा होगा। बुनाई का उद्योग ले लीजिये। आजकल गांव में औसत कपड़े की खपत १० गज प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति भी नहीं है। अगर हमारी अपनी सरकार भी हो और काफी तेजी से संयोजित योजना चलाई जाय तो भी १५-२० साल के अन्दर गांव की खपत प्रति व्यक्ति २५ गज सालाना से अधिक न होगी।

युक्तप्रांत के औसत गांव की आवादी को लो। हमारी कल्पना के अनुसार भी प्रति गांव केवल ११७५० गज सालाना कपड़े की आवश्यकता होगी और इसके लिए ६ परिवार से अधिक बुनकरों की आवश्यकता न होगी। अतः प्रति गाँव ५ बुनकर के हिसाब से अधिक बुनकरों का संगठन नहीं करना चाहिए। इसमें परिस्थिति के अनुसार इस बात की छूट अवश्य देनी होगी कि प्रत्येक गांव में ५ बुनकरों की वस्ती चाहिए या ५-६ गांवों के बीच में चाहे जहाँ

हमारी कपड़े की २५।३० बुनकरों की वस्ती हो; तुम कहोगी कि अगर आवश्यकता और तुम अपने स्वावलम्बी सिद्धान्त में संशोधन करके उसके लिए बुनकर ५।६ गांवों में २५।३० बुनकरों की वस्ती बसाने की इजाजत देते हो तो फिर ५०० गांवों के बीच कहीं

पर २५०० जुलाहों की वस्ती क्यों न बसाई जाय ? यह एक ऐसा सवाल है कि इस पर प्रकार डालना आवश्यक है। यह सच है कि स्वावलम्बी सिद्धान्त की आदर्श स्थिति यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए पूर्णतः स्वतन्त्र हो। लेकिन आदर्श स्थिति अन्तिम स्थिति है। प्रकृति की, सृष्टि की और समाज की प्रगति अनन्त है। अनन्त का अन्त आज होता नहीं। अतः आज व्यावहारिक दृष्टि से हम आदर्श के जितने पास जा सकें उतने की ही चेष्टा करनी होगी और अनन्त काल तक आदर्श की ओर बढ़ते रहना होगा। लेकिन व्यावहारिकता के नाम पर आदर्श का गला घोट देने की बुद्धि आज

भौतिकवादी दुनिया में बहुत जोर की है। अतः यह व्यावहारिकता का संशोधन कहाँ तक आगे जा सकता है उसका भी एक कामचलाऊ नियम सिद्धान्त के आधार पर बना लेना चाहिए जिससे हमारे कार्यक्रम की प्रगति आदर्श की ओर ही हो, विमुख नहीं। मुख्य नियम यह होना चाहिए कि कारीगरों की वस्ती इतनी पास हो जिससे उस क्षेत्र के लोग उनसे प्रत्यक्ष लेन-देन कर सकें। कारीगर से अधिक दूर रहने से लेन-देन के

लिए मध्यस्थ की आवश्यकता होगी और यही मध्य-मध्यस्थता स्वा-स्थता की संस्था समाज के स्वावलंबन को नष्ट करने वाली चीज है। अतः हमारी योजना में मध्यस्थता शक है का स्थान जितना कम हो उतना ही हम सिद्धान्त के

नजदीक होंगे। अब प्रश्न यह उठ सकता है कि

“आखिर आप कितने गाँवों की इकाई को स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं?”

इस प्रश्न का कोई निश्चित हिसाब से निश्चित जवाब नहीं दिया जा सकता। यह हिसाब गाँव की आवादी, एक गाँव से दूसरे गाँव की दूरी, उद्योगों के प्रकार आदि बातों पर निर्भर करता है। अगर वस्ती घनी है तो इकाई थोड़े गाँवों की होगी। अगर आवादी थोड़ी है तो इकाई में अधिक गाँवों को ले सकते हैं। अगर गाँव दूर-दूर हैं तो थोड़ी आवादी होने पर भी कम गाँव लेने पड़ेंगे। फिर जिस उद्योग की मात्रा और आवश्यकता अधिक हो, कारीगर से रोज का हिसाब रखना जरूरी हो उसके लिए जितने कम गाँवों की इकाई होगी उतना ही अच्छा। जिस चीज की आवश्यकता कभी-कभी और कम मात्रा में हो उसके लिए कारीगर की वस्ती दूर भी हो सकती है। मतलब यह कि हमको हरेक पहलू ध्यान में रख कर ही अपना काम करना है। लेकिन व्यावहारिकता, सहूलियत, कुशलता या दक्षता आदि बातों का खयाल उसी हद तक करना होगा जिस हद तक जाने पर हमारी प्रगति का रुख आदर्श की ओर बना रह सके। मैंने यहाँ जेल की फुर्सत में बैठकर संयुक्तप्रान्त के देहातों के लिए कितने गाँवों में कौन-सा

उद्योग किस मात्रा में चाहिए, इसका हिसाब लगाने की चेष्टा भी की है। कभी मौका लगा तो यह भी लिखने की कोशिश करूँगा।

इस पत्र में बहुत संक्षेप में मैंने यह बताने की कोशिश की है कि ग्राम-उद्योग-संघ की मातहत किस सिद्धान्त तथा दृष्टिकोण से उद्योग का काम चलाना होगा। मैंने उद्योग के प्रश्न को पहले उठाया है क्योंकि पहले कह चुका हूँ कि हमें उद्योग के द्वारा ही ग्राम-उत्थान का सारा काम करना होगा। वस आज इतना ही। नमस्कार।

[५]

सुधार के दूसरे कार्यक्रम

१—२—४४

शिक्षा और संस्कृति—पिछले पत्र में मैंने इस बात पर विचार किया था कि उद्योग-कार्यक्रम चलाने के लिए किन-किन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। आज कार्यक्रम के भिन्न-भिन्न अंगों पर प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। ग्रामोत्थान के कार्यक्रम में उद्योग के बाद मैं शिक्षा को स्थान देता हूँ। किसी भी राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति उसके बौद्धिक विकास पर ही निर्भर है। उद्योग का काम भी बिना शिक्षा के आगे नहीं बढ़ सकता; उसमें नई खोज, नया ढंग नहीं हो सकता। मैं जब कांग्रेस सरकार के ग्रामसुधार का काम करता था उस समय ग्राम-सेवकों की एक सभा में एक सेवक ने मुझसे सवाल किया था कि “ग्राम उत्थान के काम में उद्योग और शिक्षा में कौन अधिक महत्व का है?” मैंने उसके जवाब में उसी से पूछा था कि भात बनाने के लिए कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है चावल या पानी? वास्तव में उद्योग और शिक्षा दोनों ही समान महत्व के हैं। दोनों का ही फल विकास है। इस सम्बन्ध में तुम्हें मैं अधिक क्या लिखूँ? तुम लोग तो स्वयं हिन्दुस्तानी तालीमी संघ के विभाता हो। तुम लोगों ने

तो अपनी बुनियादी शिक्षा पद्धति में उद्योग और शिक्षा दोनों को एक ही वस्तु बना दिया है। तुम लोगों ने इतिहास पढ़ा है, तुम्हें प्राचीन भारत का हाल मालूम है। मैं उसे नहीं जानता लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पुराने जमाने में बुद्धि और उद्योग के विकास का क्षेत्र अलग अलग रखा गया था। ब्राह्मण अलग थे, कलाकार अलग। नतीजा यह हुआ कि हमारा उद्योग विज्ञान-हीन तथा शिक्षा अनुभव-हीन विचार मात्र रहकर दोनों नष्ट हो गये। अतः हमें गांवों में उद्योग के साथ ही साथ शिक्षा का प्रबन्ध करना होगा। प्रश्न यह है कि हमारी शिक्षा-पद्धति किस प्रकार की हो। अब तक जो शिक्षा देहातों में होती रही उस पर विशेष लिखकर समय तथा कागज का अपव्यय करना बेकार ही है। उसकी असारता आज भारत की जनता भली प्रकार जान गई है। केवल प्रवाह में बह कर और दूसरी पद्धति के अभाव में लोग उस पर चल रहे हैं। लेकिन “कुशिक्षा से अशिक्षा अच्छी है” कहते रहकर भी मोह के कारण जनता लिखना-पढ़ना बन्द नहीं करती है। और सच पूछिए तो जिस मात्रा में हमारे देश में शिक्षा का प्रचार है उसे देखते “लिखना पढ़ना बन्द है” यह कहना भी ज्यादा गलत न होगा। ग्रामीण जनता में बहुत बड़ा हिस्सा तो जान-बूझकर इस असार शिक्षा से उदासीन रहता है। हम देहातों में जाकर जब लड़कों को स्कूल में भर्ती होने के लिए कहते हैं तो अधिकतर लोगों से जवाब मिलता है कि “पढ़ कर का होई ? कत्थू लायक न रह जाई। ऐस जौन दुइ चार विस्वा खेत गोड़ लेत हैं और ढोर चराय लेत हैं पढ़ कर ऊहो न कर पइहैं।” इत्यादि। उधर तुम लोगों की बुनियादी पद्धति अभी प्रयोग की दशा में है। अभी विस्तृत क्षेत्र में उसे चलाने का समय नहीं आया। अतः बीच का रास्ता निकालकर फिलहाल चलना ठीक होगा। बुनियादी प्रणाली में उद्योग के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था है। मैं अपनी सुधार योजना में फिलहाल उद्योग के साथ शिक्षा का प्रबन्ध रखना ठीक

समझता हूँ। पुराने पाठ्यक्रम को भी उद्योग के साथ संयुक्त करके यदि विस्तृत क्षेत्र में शिक्षा का कार्य आरम्भ किया जाय तो दस्तकारी के वायुमंडल में वर्तमान शिक्षा-पद्धति का दोष भी बहुत-कुछ दूर हो जायगा और बुनियादी पद्धति के लिए आधार भी तैयार होता रहेगा। आज की परिस्थिति में ऐसा करना इसलिए भी ठीक है कि आज सरकार हमारे हाथ में न होने से अधिकतर लड़के पुराने हिसाब से पढ़ना चाहेंगे।*हाँ, एक बात हो सकती है कि लड़कियों के लिए तुम्हारे तालीमी संघ के बताये पाठ्यक्रम के हिसाब से पाठ्यक्रम बनाया जा सकता है क्योंकि उनके सामने बाहरी काम करने की समस्या उतनी नहीं है।

ग्राम-सुधार की दृष्टि से केवल बच्चों की पढ़ाई ही एक मात्र काम नहीं है। हमें तीन श्रेणियों के लोगों की शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी (१) प्रौढ़ पुरुष (२) प्रौढ़ स्त्रियाँ (३) बच्चे। प्रौढ़ पुरुषों की शिक्षा के लिए कांग्रेस सरकार ने साक्षरता का जो कार्यक्रम चलाया था उस सम्बन्ध में अपने अनुभव में पहले लिख चुका हूँ। अतः उस प्रकार का साक्षरता का कार्यक्रम चलाना बेकार है। पूरी शिक्षा के लिए न उन के पास समय है, न धैर्य। कताई जैसा कोई सार्वजनिक उद्योग उनके लिए हमारे हाथ में होता तो उसके सम्बन्ध में कुछ चेशा की जा सकती थी लेकिन हमारे साधन इसके लिए काफी नहीं हैं अतः इस काम की व्यापक चेशा भविष्य की राष्ट्रीय सरकार के लिए छोड़ देनी पड़ेगी। हम आज बच्चों के लिए रात्रि-पाठशाला आदि जो प्रयत्न करेंगे उसी में प्रौढ़ों को भी पढ़ाने की थोड़ी व्यवस्था हो सकती है और उद्योग के कार्य-

*आज भारत आजाद है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज की राष्ट्रीय सरकार भी वही पुरानी रीति चला रही है। जो लोग अब तक वर्तमान शिक्षा पद्धति के कारण देश के जवान नामर्द (emasculated) हो रहे हैं ऐसा कहते रहे हैं वे भी आज केवल उनी पद्धति को चला रहे हैं। इतनी ही बात नहीं है बल्कि उस पद्धति को भी चला रहे हैं। ५—११—५०।

क्रम में जो लोग हमारे प्रबन्ध में काम करेंगे उनके काम के साथ शिक्षा का कुछ इन्तजाम हो सकता है। त्यौहार आदि का उचित प्रबन्ध कर स्वास्थ्य, सफाई, कला आदि की शिक्षा की चेष्टा भी की जा सकती है। हमें फिलहाल इतने से ही संतोष करना होगा। परिश्रमालय की मार्फत प्रौढ़ स्त्रियों की शिक्षा की बाबत मैं पहले लिख चुका हूँ। कताई की मजदूरी देकर शिक्षा-शिविर चलाने की योजना के साथ भी शिक्षा की व्यवस्था की चर्चा की है। विहार में तुमसे जब मुलाकात हुई थी तब भी इस विषय में सारी बातें विस्तार से बताई थीं। इस दिशा में मैंने जो कुछ प्रयोग किया है उससे मेरा विश्वास दृढ़ हो गया है कि प्रौढ़ पुरुषों की अपेक्षा प्रौढ़ स्त्रियाँ आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। वे जल्दी सीख लेती हैं। फैजाबाद में सरकारी ग्राम-सुधार के द्वारा अपने प्रयोग का विवरण मैंने आगरा जेल से भेजा था। उससे भी अन्दाज मिला ही है। अतः इस पर और न लिखूँगा। चर्खा संघ के पास साधन भी पूरा है। ३१४ लाख कस्त्रियों से वह सम्बन्धित है। उनमें अगर २ लाख स्त्रियों को ठीक से शिक्षित कर दें तो ग्रामीण जनता क्रान्तिकारी गति से सुधार की ओर बढ़ सकती है। अगर हम सफलता के साथ कताई परिश्रमालय चला सकें तो क्रमशः यही परिश्रमालय स्थायी रूप लेकर स्त्रियों को शिशुपालन, प्रसूति-सेवा आदि की शिक्षा भी देने का प्रबन्ध कर सकता है।

बच्चों की शिक्षा के लिए रणीवां में मैंने जो कुछ प्रयोग किया है वह तुम्हें मालूम हो गया है। मेरी राय में उसी तरह का प्रबन्ध अच्छा होगा। जितने बच्चे उद्योग के साथ दिन भर के बच्चों के लिए स्त्री विद्यालय में आ सकें वे उसी में पढ़ सकते हैं। शिक्षक आवश्यक लेकिन हमारे साधन से तथा गाँव वालों की आज की स्थिति के अनुसार इस प्रकार के विद्यालय अभी अधिक नहीं खुल सकेंगे और न उन विद्यालयों में कुल लड़के आ सकेंगे। अतः शुरू में गाँव की कताई समिति की मार्फत रात की तथा

दोपहर की पाठशालाओं का संघटन करना ठीक होगा। पाठशालाओं का समय रात में २ घंटे और दोपहर के २ घंटे रखा जा सकता है। बहुत छोटे बच्चों के लिए दोपहर का और कुछ बड़ों के लिए रात का समय अधिक सुविधाजनक होगा। किसान और मजदूरों के बच्चों के लिए दूसरे समय गृहस्थी का काम छोड़कर पाठशालाओं में आना संभव नहीं है। इस प्रकार २ घंटे की पाठशालाओं के लिए शिक्षक भी सुगमता से प्राप्त होंगे क्योंकि वे दूसरे काम के साथ बीच में पढ़ा सकेंगे। वस्तुतः बच्चों को पढ़ाने के लिये स्त्री अध्यापिकाओं की तलाश करनी चाहिए। मेरी राय में बच्चों की शिक्षा के लिए स्त्रियाँ अधिक उपयोगी हो सकती हैं। देहातों की पाठशालाओं का मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर मैं निस्सन्देह कह सकता हूँ कि बच्चों के लिए पुरुष शिक्षक प्रायः अयोग्य ही नहीं बल्कि हानिकारक होते हैं। लेकिन गांवों में शिक्षित पुरुष ही मिलने कठिन हैं, शिक्षित स्त्रियाँ कहां से मिलेंगी? अतः प्रारम्भ में पुरुषों से ही काम चलाकर स्त्रियों की तलाश करनी होगी। परिश्रमालय के द्वारा स्त्री-शिक्षा की योजना सफल होने पर हम क्रमशः इस कमी को भी दूर कर सकेंगे। पाठशालाओं के चलाने में थोड़ा खर्च आवश्यक होगा। उसके लिए बच्चों से फीस के रूप में एक आध गुंडी सूत रख सकते हैं। गांव की पाठशालाओं के अलावा १०।१२ गांवों के बीच उद्योग के साथ मिडिल स्कूल की योजना बनाई जा सकती है। इन स्कूलों में ४ घंटा कताई तथा अन्य उद्योग और ४ घंटा पढ़ाई का समय रखा जा सकता है। कताई के सूत में से ही विद्यार्थी पाठशाला के खर्च के लिए फीस देने का और अपनी कितावाँ आदि का काम चला सकते हैं। मेरा विश्वास है कि उचित वायुमंडल पैदा होने पर ये स्कूल स्वावलम्बी हो सकते हैं। फिर तुम लोग इन स्कूलों में जितने नई तालीम की पद्धति से चला सको उतना ही अच्छा होगा।

संस्कृति शिक्षा का ही परिणाम है फिर भी उद्योग तथा पढ़ने-

लिखने की शिक्षा के सिवाय गांव में सामूहिक रूप से कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम रखना आवश्यक है। इसके लिए कुछ त्योहारों द्वारा चुने हुए त्योहारों का मनाना, भजन मंडली, नाटक व्यापक शिक्षा आदि का आयोजन किया जा सकता है। हर गांव में ग्राम समिति दीवाली, वसंत पंचमी, होली, ईद मनाने का आयोजन कर सकती है। इसके सिवा अक्सर गांवों में स्थानीय त्योहार भी होते हैं जिनके कलापूर्ण ढंग से मनाने का आयोजन किया जा सकता है। होली, दीवाली आदि त्योहारों के द्वारा आधुनिक ढंग से सांस्कृतिक शिक्षा और उसका विकास करना हमारा लक्ष्य है। इन त्योहारों का उपयोग इस प्रकार करना मनोरंजन के साथ-साथ ग्राम-जीवन की उन्नति का कारण होगा। जैसे ईद और दीवाली के अवसर पर गांव की सफाई का कार्यक्रम खास तौर से रखा जा सकता है। रात की दीपावली की सजावट के द्वारा कला का विकास किया जा सकता है। वसंतपंचमी का त्योहार बच्चों के लिए रखा जा सकता है। अगर उसी दिन पाठशालाओं का वार्षिकोत्सव मनाया जा सके तो उसी त्योहार को सांस्कृतिक शिक्षा का एक बड़ा साधन बनाया जा सकता है। सोचने की बात है कि सारे बच्चे वसन्ती रंग के कपड़े पहन कर पाठशालाओं में जाने लगेंगे, उनकी सजावट करने लगेंगे, विनोद के लिए खेल-कूद का प्रदर्शन करेंगे, छोटे-छोटे वालोपयोगी नाटक खेलने का आयोजन करेंगे; माताएँ जब उस अवसर पर यत्न से संचित वस्त्रों को निकालकर अपने बच्चों को सजायेंगी तो क्या गांव के लोगों में आज जैसा अपने को दीन-हीन समझने का भाव मन्द न पड़ेगा ? मैंने तो कहीं कहीं थोड़े से अनुष्ठानों की व्यवस्था करके देखा है कि ऐसे समय ऐसा लगता है मानों सारे गांव में किसी ने जान फूँक दी है। इसी प्रकार होली का भी उचित ढङ्ग से संघटन करके उसे आपस के सद्भाव तथा शिष्टाचार की शिक्षा देने का साधन बनाया जा सकता है। ईद हिन्दू मुसलमानों

के मिलन का आधार हो सकती है। कुछ गाँव मिल कर दशहरा नागपंचमी आदि का सम्मिलित कार्यक्रम रख सकते हैं; इससे संघटन और सहयोग का अभ्यास हो सकेगा। दशहरे के अवसर पर रामलीला और नाटक आदि की व्यवस्था हो सकती है। नागपंचमी का तो बड़ा सुन्दर उपयोग देहातों में किया जा सकता है। इस कार्यक्रम की अवधि करीब १५ दिन की होनी चाहिए। पंचमी से पहले १४ दिन ग्राम-समितियों की देख-रेख में गाँवों में टूर्नामेंट भी हो। पंचमी के दिन प्रतियोगिता के साथ समिति-द्वारा पारितोषिक-वितरण आदि कार्यक्रम रखा जा सकता है। इस प्रकार टूर्नामेंट से रणीवाँ के आस-पास के ग्राम जीवन में कितनी स्फूर्ति तथा उत्साह पैदा होता था, इसका जिक्र मैंने आगरा जेल से लिखे पत्र में किया था सो तुम्हें याद ही होगा। जब यह अनुष्ठान कई ग्रामों की चीज हो जायगा तो हर साल दूसरे दूसरे गाँवों में बदल कर अनुष्ठान करने से प्रत्येक गाँव को कलाकौशल, व्यवस्था शक्ति आदि का विकास करने का मौका मिलेगा। इन अनुष्ठानों के अलावा कहीं-कहीं योम मीलादे नवी, गाँधी जयन्ती और पितृपक्ष का मनाया जाना लाभदायक होगा। योम मीलादे नवी के अवसर पर हजरत मुहम्मद साहब के प्रति हिन्दू मुसलमान सभी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। गाँधी जयन्ती में चर्खा-यज्ञ का संगठन तथा नाटक, कथा आदि के द्वारा वर्तमान अर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक परिस्थिति का विवेचन, उस पर गाँधी जी के जीवन का असर और उसके द्वारा समस्याओं का हल आदि बातें बता कर जनता को दुनिया की बातों का ज्ञान कराया जा सकता है। पितृपक्ष के १५ दिनों में महाभारत की कथा के द्वारा भारत के पितरों की याद करने की प्रथा जारी की जा सकती है। इन कथाओं में भारत का प्राचीन इतिहास, दूसरे मुल्कों से हमारा सम्बन्ध आदि विस्तृत क्षेत्रों में जनता का ज्ञान विकसित करने की सम्भावनाएँ मौजूद हैं।

शिक्षा और संस्कृति के उपर्युक्त कार्य-क्रम चलाने में समय-समय पर सभा, मेला आदि अनुष्ठानों के संघटन की आवश्यकता होगी। ऐसे अवसरों पर इसके लिए शिक्षा के साथ सेवादलों का संघटन होना चाहिए। हाँ, सेवादल का मतलब केवल कवायद सिखाना नहीं होगा। स्वयंसेवकों को गाँव का संघटन मजबूत बनाये रखने की शिक्षा देनी पड़ेगी। गाँव की सफाई, सड़कों की हालत ठीक रखना, आग, बाढ़ आदि आकस्मिक दुर्घटनाओं के समय हिफाजत करना आदि काम सेवादल को करने होंगे। उनकी शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि यदि कभी डाकुओं आदि का आक्रमण हो तो वे उनका मुकाबला भी ठीक से कर सकें।

मैंने अपने निजी साधनों से प्रौढ़ साक्षरता के कार्यक्रमों को न चलाने की सलाह दी है। लेकिन अगर उपर्युक्त अनुष्ठानों को उचित ढंग से गठित किया जाय तो जनता साक्षर भले ही न हो सके लेकिन प्रौढ़ शिक्षा तो भली-भाँति हो जायगी। उनका जीवन संस्कृत तथा परिमार्जित तो हो ही जायगा; ज्ञान भंडार भी बढ़ेगा। फिर जब जनता में इनका ज्ञान और संस्कृति का प्रसार हो जायगा तो लोग स्वतः पढ़ने के लिए आग्रह करने लगेंगे। उस समय चीन में प्रौढ़ शिक्षा के लिए जिस प्रकार वाल शिक्षक संघटन चल रहा है उस प्रकार कुछ आन्दोलन यहाँ भी अपने आप चलने लगेगा।

सफाई और स्वास्थ्य—सांस्कृतिक विकास के साथ सफाई और सफाई के साथ स्वास्थ्य का कार्यक्रम सहज और स्वाभाविक रूप से आ जाता है। गाँव में स्वास्थ्य तथा सफाई-सम्बन्धी आरम्भिक नियमों के ज्ञान की कितनी आवश्यकता है, यह किसी से छिपा नहीं है। वापू जी ने अपनी 'ग्राम-सेवा' नामक पुस्तक में सबसे मुख्य प्रश्न सफाई और स्वास्थ्य का ही रखा है। उन्होंने सारे गाँव को एक प्रकार से घूर ही कहा है। फिर भी मैंने प्रारम्भ में सफाई का कार्यक्रम रखने की राय नहीं दी है। पिछले पत्रों में कई जगहों पर इसके कारणों का जिक्र

मैंने किया है। हाँ ग्राम-सेवक प्रारम्भ से ही सफाई की वास्तव वात-चीत अवश्य करेंगे लेकिन हमारी योजना में प्रारम्भ से ही सफाई आदि का निश्चित कार्यक्रम रखने पर गाँव वालों को इस दिशा में आकृष्ट करना सम्भव न होगा। सफाई ऐसी वस्तु है जो मनुष्य की परिस्थिति तथा आदत पर निर्भर करती है। आदत भी बहुत कुछ परिस्थिति के आधार पर ही बनती है। यदि जनता की आर्थिक तथा सांस्कृतिक उन्नति हो तो स्वभावतः सफाई की ओर रुचि होगी ही। यह सच है कि आज हमारे देहात इतने गन्दे हैं कि हम जब पहले-पहल ग्राम-सेवा की ओर बढ़ते हैं तो हमारा ध्यान स्वभावतः एकाएक इस भयानक परिस्थिति की ओर जाता है। हम सोचते हैं कि भला इस नरक कुण्ड में बैठकर ये लोग कैसे जीवन धारण कर सकते हैं। हालाँकि ऐसा सोचने में हमारी अपनी रुचि और संस्कृति का भी असर बहुत हद तक है। शुरू में जब मैं बनारस जिले में धौरहरा गाँव में गया था तो वहाँ की गन्दगी देखकर कितना घबड़ाया था, इसका जिक्र मैंने पिछले किसी पत्र में किया था। लेकिन यह सब बातें होते हुए भी व्यावहारिक दृष्टि से हमारी योजना में सफाई के कार्यक्रम का स्थान तीसरा ही होना चाहिए। हम आज ग्राम-सुधार कार्य प्रारम्भ करते ही हल्ला करना शुरू करते हैं कि गाँव के खाद का घूर दूर ले जाओ। उससे क्या फायदा? हाँ, एक फायदा यह जरूर है कि गाँव के लोग हमारी बातों को समझ न सकने के कारण यह समझते हैं कि ये आये हैं खामखाह हमें तंग करने के लिए। मैं सरकारी ग्राम-सुधार कार्य के सिलसिले में शुरू में जब प्रतापगढ़ जिले का काम देखने गया था तो वहाँ गाँव के लोग ग्राम-सुधार के कार्यकर्ताओं को 'घूर साहब' कह कर मजाक उड़ाते थे। वस्तुतः अगर गौर से सोचा जाय तो गाँव की आज की परिस्थिति में घूर हटा भी दिया जाय तो सफाई और स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष फायदा नहीं होने वाला है। कारण यह है कि आज देहातों में प्रायः सभी परिवार अपने जानवरों

को अपने घर के साथ ही रखते हैं। वे उन्हें जिस घर में रखते हैं उसका फर्श कच्चा होता है। उस पर लोग राख-पात आदि भी डाले रखते हैं। यह राख-पात और साथ ही उसके नीचे की जमीन काफी अर्से तक सड़ती रहती है। उसमें मक्खी, मच्छड़, कीड़े आदि खूब पैदा होते रहते हैं। ये जगहें खाद के घूर से कम गन्दी नहीं होतीं। खाद का खड्डा फिर भी बाहर होने से उस पर धूप, रोशनी और हवा पहुँचती रहती है। उसके उपरान्त उस पर कभी कभी थोड़ी मिट्टी डलवाकर सफाई रखने की व्यवस्था भी आसानी से की जा सकती है। लेकिन घरों से मवेशियों को तुम कैसे हटाओगे ? उनके लिए पक्का फर्श कहाँ से लाओगे ? ऐसे मवेशियों के घरों में हवा रोशनी तो पहुँचती ही नहीं, इससे घर भर की हवा जो दूषित होती है उसका क्या उपाय है ? वास्तव में मवेशियों को घरों के अन्दर ऐसी हालत में रखने से स्वास्थ्य की दृष्टि से जो हानि होती है, घर के पास बाहर खुले में स्थित घूर द्वारा होने वाली हानि उसका शतांश भी न होगी। हाँ, ऊपर से देखने से वेशक घूर ही गाँव में सब से गन्दी चीज मालूम होते हैं। अतः हम गाँव में घुसते ही इस गन्दगी को दूर करने के लिए हल्ला तो मचाते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते हैं कि मवेशियों को घरों के अन्दर कायम रहने देकर घूर हटाने के कार्यक्रम का कोई अर्थ ही नहीं। बल्कि व्यर्थ के लिए लोगों की परीशानी बढ़ाने का प्रस्ताव करना है। आज अगर घूर को दूर रखते हैं तो एक बार गोबर ढोकर उतनी दूर ले जाना होगा; फिर वहाँ से दूर दूर खेतों में ले जाना पड़ेगा। फिर दूर जंगल में उनके खाद की रखवाली भी ठीक से नहीं हो पाती है। अगर हम सफाई के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को उठाना चाहते हैं तो हमें इसे गोपालन के आर्थिक कार्यक्रम के साथ ही लेना होगा और वह कार्यक्रम हम तभी शुरू कर सकते हैं जब छोटे-छोटे उद्योगों के द्वारा गाँव के लोगों में आत्मविश्वास और सहयोग की भावना पैदा होगी। साबुन के उद्योग के द्वारा सफाई का काम करने

की चेष्टा और प्रयोग का विवरण लिख ही चुका हूँ। इसी तरह शिक्षा के द्वारा अनुष्ठान उत्सवादि के साथ किस तरह सफाई की भावना का क्रमशः विकास किया जा सकता है, उसका जिक्र भी मैंने यथास्थान किया है। इस प्रकार गाँव में भिन्न-भिन्न उद्योग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ जनता में रुचि तथा दृष्टिकोण का उचित परिवर्तन होने पर ही सफाई की प्रत्यक्ष योजना बनाई जा सकती है।

स्वास्थ्य के लिए कोई अलग खास योजना बनाना कठिन है। वस्तुतः अभाव दूर होने पर और आहारादि के परिमाण का ज्ञान होने पर स्वास्थ्य का सुधार अपने आप हो जाता है। बहुत सी बीमारियाँ गरीबी का नतीजा हैं और कुछ रोग गन्दगी के कारण होते हैं। फिर भी हमें स्वास्थ्य-सुधार का कार्यक्रम तो चलाना ही है। क्रम से कम बीमारियों का इलाज करना, दवादारु की व्यवस्था करना, सेवा का एक मुख्य अंग रहता है। एक पड़ोसी के नाते उनके सुख-दुःख में शामिल होना, उनकी तात्कालिक तकलीफों को दूर करने की चेष्टा करना हमारा सहज कर्तव्य हो जाता है। दिल की स्वाभाविक प्रेरणा ही हमें गाँव में दवा का इन्तजाम करने की ओर झुकाती है। लेकिन हमारे पास जितने साधन हैं उनके अनुसार तथा हमारे अन्तिम ध्येय की दृष्टि से औपधालय का कार्यक्रम विशेष लाभदायक नहीं होता। मैं जानता हूँ कि बहुत से मित्र मुझसे इस विषय में सहमत नहीं हो सकेंगे। मैंने २० साल पहले श्री रामकृष्ण मिशन के कालिका महाराज की प्रेरणा से ग्राम-सेवा की नीयत से किस प्रकार खुद होमियोपैथी का काम सीखना शुरू किया था और उसी इलाज के सिलसिले में अक्रवरपुर गया था, उसकी कहानी विस्तार से लिख चुका हूँ। दस साल बाद मैंने फिर रणीवाँ में दवा बाँटने के काम से ही ग्राम-सेवा शुरू की थी। इस प्रकार मैं खुद ग्राम-सेवा में औपधालय का बहुत बड़ा स्थान रखता था। वापू जी बार-बार औपधालय के विरोध में लिखा करते थे, उससे मैं सहमत नहीं हो सका था लेकिन अनुभव से

मैंने देखा कि हमारे लिए इस प्रकार की चेष्टा बेकार है। आज देहाती जनता का स्वास्थ्य इतना गिरा हुआ है कि दवा देकर कहाँ तक पार लग सकता है। हमारे पास इतने साधन कहाँ हैं? मैं रणीवां में जब दवा देता था तो सुबह ६ बजे से ११ बजे तक भीड़ साफ नहीं कर पाता था। फिर इलाज के लिए लोगों के घर जाना पड़ता था। इस प्रकार अगर औषधालय का काम करने लगे तो सारा समय उसी में चला जायगा, फिर सब के घर न जा सकने के कारण कुछ लोगों को हम नाराज भी कर देते हैं। हमारे औषधालय से एक बुनियादी हानि पैदा होती है कि लोगों की खैरात की ओर रुझान हो जाती है और हर बात के लिए वे हमारा मुँह ताकने लगते हैं। अगर ऊपर बताई हानियों का ख्याल न भी किया जाय तो भी केवल साधन के अभाव से ही औषधालय का काम करना सम्भव नहीं। तुम कह सकती हो कि अगर साधन नहीं है तो दवा का दाम तो लिया ही जा सकता है। उससे तो और भी जटिल समस्या पैदा हो जाती है; गलतफहमियां बढ़ती हैं और लोग नाराज हो जाते हैं। साधन न होने के कारण लोगों को तकलीफ के समय दवा देने से हम मजबूर हैं इसलिए इस काम को करते ही नहीं, यह बात तो जनता की समझ में आ सकती है। लेकिन अगर यह कह कर इन्कार करते हैं कि बिना दाम के दवा नहीं दे सकते तो लोगों में स्वभावतः क्षोभ पैदा होगा। रणीवां में दवा देता था। ग्रामवासियों की दान लेने की वृत्ति को देख कर बाद को जब मैंने मुफ्त दवा देने की प्रथा हटाने की चेष्टा की थी तो मुझे तरह-तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। मैं औषधालय बन्द ही करने की बात सोच रहा था। इसी बीच सारा काम सरकार ने बन्द करा दिया। मुझे अलग से सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वस्तुतः औषधालय की योजना तो ग्राम-सुधार का काम बहुत आगे बढ़ जाने के बाद जब देहाती समितियां काफी योग्य तथा साधन-सम्पन्न हो जायगी, तभी कार्यान्वित हो सकती हैं।

प्रश्न यह उठता है कि क्या गांव के रोग-निवारण के लिए हम कुछ भी चेष्टा नहीं करेंगे ? करेंगे क्यों नहीं ? मैं तो सिर्फ अपनी संस्था की ओर से औपधालय खोलने का विरोध कर रहा था; रोग-निवारण की चेष्टा का नहीं। मेरी राय में ग्राम-सेवक को देहात में प्राप्त वस्तुओं से साधारण इलाज का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यह सच है कि हमारे काम के लायक इस विषय पर साहित्य नहीं है। फिर भी खोज करने से हमें काफी मसाला मिल सकता है। गाँव वालों से भी बहुत बातें सीखी जा सकती हैं। तुलसी, नीम, बेल के पत्ते आदि महौषधि का काम करते हैं। इन दवाओं के सम्बन्ध में मैं जो थोड़ा अनुभव कर सकता था उससे मेरा विश्वास हो गया है कि इस दिशा में ग्राम-सेवक के सामने खोज के लिए विस्तृत क्षेत्र पड़ा है। इस काम के लिए योग्य वैद्यों से भी मदद मिल सकती है। गाँव में किसी को तकलीफ हो तो सेवकों को अपने ज्ञान के आधार पर उसे बता देना चाहिए कि वह क्या करे। मैंने देखा है कि ग्राम तौर से गाँव के लोग मामूली बुखार, खाँसी, पेट दर्द, पेचिश, चोट आदि छोटी-मोटी बीमारियों का ही इलाज कराने हमारे पास आते हैं। इनके लिए उपयुक्त दवाइयाँ काफी हैं। अगर कभी किसी को कठिन पीड़ा हो जाय तो शुरू में देहाती दवा देकर किसी वैद्य के पास भेजा जा सकता है। इस तरीके से सेवक केवल रोगी की सेवा ही नहीं करेंगे बल्कि उनको रोग के इलाज का साधारण ज्ञान भी दे सकेंगे। देहाती दवाइयों की खोज करके एक पुस्तिका बनवाने की मैंने जो चेष्टा की थी उसके सम्बन्ध में पहले बता चुका हूँ। इस किस्म की खोज की कोई योजना बनाई जाय तो अच्छा है जिससे हम इलाज के साथ-साथ इलाज का साधारण ज्ञान देकर जनता को स्वावलम्बन की ओर बढ़ा सकेंगे। हमारे वैज्ञानिक मित्र मेरी इस सम्मति से बढावेंगे। कहेंगे—“क्या जहालत की बात करते हो।” उनसे मेरा मन्त्र निवेदन है कि देहात की आज की स्थिति को वे देखें और उसी

हिसाब से बात करें। आखिर विज्ञान है क्या वस्तु? किसी चीज का विशेष ज्ञान ही तो विज्ञान है। मेरे-जैसा मामूली सेवक अगर जनता को साधारण ज्ञान देने की चेष्टा कर के विशेष ज्ञान का क्षेत्र वैज्ञानिक मित्रों के लिए छोड़ दे तो क्या हानि होगी? और मेरी लुप्त बुद्धि से ऐसा लगता है कि परिस्थिति का विश्लेषण करके उसी के आधार पर समस्याओं के समाधान की चेष्टा वैज्ञानिक चेष्टा है। अगर इस परिभाषा से तुम लोगों को संतोष न हो तो मैं मजबूर हूँ। मैं तो अनुभव के आधार पर ही बात करूँगा।

अभी मैंने कहा कि कुछ साल काम करने के बाद जब ग्राम-समितियाँ योग्य तथा साधन-सम्पन्न हो जायँगी तो औषधालय की योजना उन्हीं के द्वारा कार्यान्वित की जा सकती है। उस समय समितियाँ किसी अच्छे वैद्य या हकीम को व्यक्तिगत रूप से कुछ ग्रामों के बीच स्थापित करें तो भी काम चल सकता है। उनको मदद करते समय कुछ शर्तें भी रखी जा सकती हैं।

कृषि और बागवानी—क्रम के अनुसार कृषि और बागवानी का स्थान चौथा है। इससे तुम्हें कुछ आश्चर्य होता होगा। आश्चर्य होने की बात भी है। भारत कृषि-प्रधान देश है। कृषि ही यहाँ का उद्योग है। गाँव की आबादी के ६० प्रतिशत लोग इसी उद्योग के भरोसे जीवन धारण करते हैं। अतः सबसे पहले हमें कृषि-सुधार का काम करना चाहिए; ऐसा ख्याल करना स्वाभाविक है। जमीन की पैदावार बढ़े और खेती के तरीके में सुधार हो, यह सभी का अभीष्ट है। लेकिन यह कार्यक्रम इतना व्यापक है और इसके लिए इतने साधन चाहिए कि यह काम हमारी शक्ति से बाहर है। संयोजित रूप से खेती-सुधार का काम तो राष्ट्रीय सरकार के द्वारा ही हो सकता है। आज की सरकार को इस काम में न अधिक दिलचस्पी है और न वह अधिक कुछ करने को तैयार ही है। अगर वह कुछ प्रयोग करती भी है तो उसकी दृष्टि अपने मुल्क के उद्योग के लिए सस्ता कच्चा माल

प्राप्त करने की ओर ही रहती है। सरकारी कृषि-विभाग का जहाँ तक जनता से सम्बन्ध है वह अफसरी ढंग की ओर ही अधिक रहता है। अफसर लोग जनता के सामने तरह-तरह के खेती-सुधार के कामों का प्रचार अवश्य करते हैं। लेकिन उनपर अगर गंभीर विचार किया जाय तो उनसे पैदावार उतनी नहीं बढ़ती जितना खर्च बढ़ता है। हमारे किसानों का खेती-सम्बन्धी ज्ञान किसी से कम नहीं है। विदेशी विशेषज्ञ लोग भी जब यहाँ की खेती का तरीका देखते हैं तो कहते हैं कि यहाँ का किसान दुनियाँ के किसी भी किसान का मुकाबला कर सकता है। सरकारी खेती कमीशन की रिपोर्ट में भी इस बात की तारीफ की गई है। लेकिन वह बेचारा चाहे भी तो कर ही क्या सकता है? न खाद, न पानी और न उसके पास पर्याप्त जमीन। उन्नत खेती के प्रथम उपादान हैं प्रचुर पानी, खाद और विस्तृत भूखंड का चक्र, जिसमें हिसाब से फसलों का उचित षट्वारा किया जा सके, हल बैल का किफायत से इस्तेमाल हो सके और खाद-पानी पड़ने की व्यवस्था ठीक हो सके। इस प्रकार व्यवस्था तभी हो सकती है जब सरकार जनता की हो और खेती सम्मिलित हो। सम्मिलित खेती भी तो जनता की सहयोग-वृत्ति पर ही निर्भर करती है। अतः खेती-सुधार की योजना बनाने से पहले व्यापक रूप से ग्रामीण उद्योग-धन्धों का संघटन तथा शिक्षा का प्रचार हो जाना चाहिए। मैंने उद्योग को भी सहयोग के सिद्धान्त पर ही चलाने की सलाह दी है। सहयोग के सिद्धान्त पर उद्योग का व्यापक प्रसार होने से जनता में व्यवस्था शक्ति तथा सहयोग-वृत्ति पैदा होगी। साथ ही आर्थिक उन्नति से साधनों की उन्नति करने की शक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार उद्योग और शिक्षा-योजना की सफलता से सम्मिलित खेती का आधार स्थापित किया जा सकता है और तभी उन्नत खेती की कोई स्थायी योजना बन सकती है। जनता में इतना संगठन होने पर वह सरकार से साधन भी प्राप्त कर सकती है।

मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि अपनी संस्था को और से

ग्रामोत्थान की जो योजना बनाई जाय उसमें खेती का कोई स्थान ही न हो। आज की परिस्थिति और साधनों से जो कुछ भी सुधार हो सकता हो उस पर ध्यान देना आवश्यक तो है ही। बीज का सुधार, पानी का प्रबन्ध, बैलों की नस्ल की उन्नति आदि छोटी-छोटी योजनाओं-द्वारा कम से कम जनता की दृष्टि खेती-सुधार की ओर आकृष्ट तो की जा सकती है। ऐसी छोटी योजनाओं को सहयोग के सिद्धान्त पर चलवाने की चेष्टा करके भविष्य की सम्मिलित खेती का आधार तैयार किया जा सकता है। जिससे भविष्य में परिस्थिति अनुकूल होने पर हमारा काम सरल हो सके। अपनी स्थिति के अनुसार हम जो योजना बनायें वह कुछ इस प्रकार की हो सकती है:—

(१) बीज-गोदाम का संगठन—चर्खे का काम करने के साथ-साथ गांवों में चर्खा-समितियाँ कायम करने की सलाह मैं पहले ही दे चुका हूँ। ये ही चर्खा समितियाँ भविष्य में ग्राम-समितियों का रूप लेलेंगी, यह भी कह चुका हूँ। इन्हीं समितियों द्वारा अगर एक छोटे बीज गोदाम का संगठन किया जाय तो क्रमशः समिति के सदस्यों के अलावा दूसरे भी इसी के वहाने हमारे संगठन में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक सदस्य से फसल में ५ सेर अनाज किस्त के रूप में जमा करके एक बीज गोदाम-समिति कायम की जा सकती है। यह रकम इतनी थोड़ी है कि गांव का करीब प्रत्येक किसान इसमें शामिल हो सकता है। बीज की समस्या उनके सामने ऐसे प्रत्यक्ष रूप में मौजूद रहती है कि इतना देने के लिए उन्हें राजी करना कठिन नहीं होगा। यह सच है कि शुरू में सब लोग ऐसे गोदाम के महत्व को नहीं समझेंगे और हमारे कार्यकर्त्ता का लिहाज करके किस्त का अनाज उसी तरह दे देंगे जिस तरह लोग-प्राथमिक आदि के लिए फसल के दिन अनाज का दान देते हैं। लेकिन क्रमशः जब उन्हीं के हाथों से गोदाम के आकार में वृद्धि होती जायगी और उसकी व्यवस्था में उन्हें प्रत्यक्ष भाग लेना पड़ेगा तो वे इसमें अधिक दिलचस्पी लेंगे। साथ ही उनमें

व्यवस्था शक्ति का विकास तथा सहमोग का अभ्यास होता रहेगा। मेरी प्रस्तावित योजना गाँव के बीज के अभाव की पूर्ति की दृष्टि से तो विशेष मदद नहीं कर सकोगी लेकिन शिक्षा और संघटन की दृष्टि से इसका महत्व बहुत है। इसी किस्म के छोटे-छोटे कार्यक्रमों से ही तो गाँव की जनता में संघटन शक्ति का विकास होगा। आर्थिक दृष्टि से भी ८—१० साल में यही बीज गोदाम बढ़कर किसानों के बीज की समस्या हल करने में काफी मदद कर सकता है।

इस सिलसिले में तुम्हें पहले की बात बताना ठीक समझता हूँ। फैजाबाद में जब सरकारी महकमे के द्वारा बीज गोदामों की देख-भाल करता था तो मुझे जो अनुभव हुआ था उसके सम्बन्ध में मैं लिख चुका हूँ। तुम्हें याद होगा, महकमा के गोदाम के द्वारा समस्या हल करने की चेष्टा कितनी कठिन है। मैंने लिखा था कि वहाँ जो उन्नत बीज दिया जाता था वह परिस्थिति के अनुकूल किसी निश्चित योजना के अनुसार नहीं होता था। जैसा कि मैंने अभी लिखा है कि आज की सरकार जो कुछ करती है वह प्रदर्शन मात्र है। वहाँ के कार्यकर्ता अपनी अफसराना धाक कायम रखने के फेर में किसानों से कुछ सीखना तो दूर की बात, उनसे मिलकर उनकी असली परिस्थिति और समस्याओं का भी अध्ययन नहीं करना चाहते। वे गाँव के वायुमंडल से अलग रहकर अपनी प्रयोगशाला में आदर्श स्थिति में ही प्रयोग करते हैं और इस प्रयोग में विदेशी तरीका और विदेशी नस्लों का काम में लाते हैं। उनके सामने पैदावार और बाजार की दृष्टि ही अधिक रहती है। ग्राम-स्वावलम्बन या खाद्य गुण का हिसाब वे नहीं करते हैं और न वे हमारे किसानों के खाद-पानी के साधन का ही ख्याल रखते हैं। * अतः सरकारी बीज-गोदामों में चाहे जैसे भी काम होता हो पर जो भी काम हमारी संस्था के निर्देशानुसार हो वह हमारे

* आज के आजाद भारत में भी इन परिस्थिति में जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ, यह दुःख और शर्म की बात है। ७-११-५०

देहात की परिस्थिति के अनुसार ही हो। सरकारी महकमे के विशेषज्ञों से हम जरूर मदद लेंगे; उनसे हम परामर्श तो करेंगे लेकिन हमें किसी किस्म के बीज के प्रचार करने के पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह बीज उस गाँव की जमीन के लिए अनुकूल है या नहीं। केवल अनुकूल होने से ही काम नहीं चलेगा। यह देखना होगा कि अमुक प्रकार का बीज जमीन की उर्वरता कितनी समाप्त करता है और खर्च हुई उर्वरता की पूर्ति के लिए हमारे किसानों के पास काफी सामान है या नहीं। मैं जब देहातों में जाता था और उन्नत बीजों के नतीजे की वास्तव प्रश्न करता था तो प्रायः यही जवाब मिलता था कि है तो बीज अच्छा, पैदावार भी ज्यादा है लेकिन भाई जी २-३ साल के बाद वैसी पैदावार नहीं होती है। मालूम होता है कि जमीन की ताकत कुल खींच लेता है; इत्यादि। यह रिपोर्ट केवल देहात के किसान ही देते हैं, ऐसा नहीं बल्कि सरकारी विशेषज्ञ भी इसे कबूल करते हैं। इसके लिए वे कहते हैं—“खाद पानी बढ़ाओ।” भला बताओ तो सही खाद पानी लावें कहाँ से? यह तो वही बात हुई जैसे कि देहात में इलाज करने के लिए पहुँच कर डाक्टर साहब कह आते हैं, “फलों का रस पिलाओ!” मैं फैजाबाद में जब ग्राम-सेविका शिक्षा शिविर चला रहा था तो सेविकाओं के बच्चों के लिए एक शिशु-विहार खोला था। तुम्हें याद होगा कि उस शिशु-विहार के सामान के लिए हैलथ अफसर, लेडी हैलथ विजिटर से परामर्श करने पर वे किस तरह माताओं को रोग-कीटाणु-नाशक द्रव साबुन (anti-septic liquid soap) इस्तेमाल करने की सलाह देने को कह रही थीं। “खाद-पानी बढ़ाओ” वाली राय भी कुछ उसी प्रकार मालूम होती है। बीज की स्थानीय क्षेत्र में अनुकूलता, किसानों के साधनों की प्राप्ति और उसके साथ अनाज के खाद्य गुणों का ख्याल हमारे कार्यकर्ताओं का अधिक करना चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि हमारा प्रधान लक्ष्य “पेट भरना है,” पेट काट कर “अन्तर्राष्ट्रीय बाजार” देखना नहीं।

इस विषय में स्थानीय किस्म के बीजों की छँटनी करने का प्रयोग जो कुछ मैं कर सका था उसकी सूचना तुम्हें दे चुका हूँ। अपने निजी अनुभव से कह सकता हूँ कि गाँव में बहुत से स्थानीय किस्म के अनाज पैदावार की दृष्टि से अच्छे, खाने में अधिक पुष्टिकर और स्थानीय भूमि के अनुकूल मिलते हैं। ऐसी फसल सदियों से स्थानीय परिस्थिति में पैदा होने के कारण जमीन की कम खुगक लेकर भी अपनी पुष्टि प्राप्त करने की आदी हो गई है। लेकिन आमतौर से किसानों की अनभिज्ञता और सरकारी विशेषज्ञों की उदासीनता तथा उपेक्षा के कारण आज उनकी कद्र नहीं है और क्रमशः वे घटिया किस्म के अनाज से मिश्रित होकर घटिया हो जाते हैं। मैंने देखा है कि ऐसे स्थानीय अनाजों का ज्ञान गाँव के बहुत से प्रवीण खेतिहरों का है। हमें ऐसे जानकार लोगों से तथा दूसरे सरकारी और गैर-सरकारी विशेषज्ञों से परामर्श करके शुरू में ऐसे स्थानीय अच्छे और शुद्ध किस्म के बीजों की छँटनी करने की योजना बनाने के लिए ग्राम-समितियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे एक साथ दो लाभ होंगे। एक तो आसान और ग्रामवासियों के साधन के अन्तर्गत होने से उन्नति की गति अधिक होगी और दूसरे इस प्रकार की सफलता से ग्रामवासी—इस ओर आगे बढ़कर प्रयोग करने को स्वभावतः प्रेरित होकर वैज्ञानिक खोज के लिए आधार तैयार करेंगे।

बीज गोदामों के संघटन के लिए जहाँ मैं सरकारी महकमों के तर्ज-तरीकों से सावधान करना जरूरी समझता हूँ वहाँ स्थानीय महा-जनों के प्रति हमारा क्या रुख होगा, उसका भी विचार करना आवश्यक है। यह तो तुम्हें मालूम ही है कि आजकल हवा ऐसी चली हुई है कि सार्वजनिक काम करने के लिए जो भी युवक मैदान में उतरता है वह राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक बुराइयों की उग्र समालोचना करने लगता है। वह ऊपर-ऊपर से उन बुराइयों का कारण कुछ निकाल कर उनके पीछे डंडा लेकर पड़ जाता है। उसे

आगे-पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है। समाज पर या जिनके हित के लिए हम इतना तूफान करते हैं उन्हीं पर हमारे तरीकों का क्या असर पड़ेगा, इसका भी खयाल नहीं करते हैं। हो सकता है कि रोग के सम्बन्ध में उनका निदान सही हो किन्तु गलत इलाज, गलत अनुमान, गलत पथ्य या गलत तरीके के उपचार से भी रोग का उपशम न होकर रोग की वृद्धि भी हो सकती है। फोड़ा कितना भी सड़ा हो लेकिन डाक्टर उस पर छुरी चलाने से पहले दिल की धड़कन की परीक्षा अवश्य कर लेता है। जिससे कहीं ऐसा न हो कि चीर-फाड़ से मवाद तो साफ हो जाय लेकिन अस्त्र की उग्रता से रोगी के दिल की धड़कन ही बन्द हो जाय। ऐसी परिस्थिति में डाक्टरों को मरहम-पट्टी आदि दूसरी किस्म के इलाज सोचने पड़ते हैं, चाहे उस इलाज में जरूरत से अधिक समय क्यों न लगे। ठीक उसी प्रकार ग्राम-सुधार कार्य में हमको सावधानी से आगे बढ़ना होगा। हमारे एक-एक कदम की प्रतिक्रिया समाज में क्या होगी, हम जो बात करते हैं उसको सहने के लिए उनके पास कितनी शक्ति है, हमारी बात सुन कर उनमें समझने की कितनी शिक्का है, एक गलत चीज के स्थान पर सही चीज देने के लिए हमारी शक्ति कितनी है, इत्यादि बातों का विचार करके ही हमें आगे बढ़ना होगा। मैंने जिस परिमाण के बीज गोदामों का प्रस्ताव किया है वे गाँव के अभाव रूपी समुद्र में एक बूँद पानी के भी बराबर नहीं हैं। लेकिन हमारे सेवक इसी को केन्द्र कर के गाँव के बीज के मौजूदा कारखार के खिलाफ झुंटा खड़ा कर सकते हैं। अतः हमें इस बात की सावधानी रखनी होगी कि आज जो महाजन बीज का लेन-देन करते हैं वे हमारे काम को सन्देह की दृष्टि से न देखने लग जायँ। यह सच है कि हमें उनके ढंग पसन्द नहीं हैं। गाँव के लिए वे हानिकारक भी हैं। सीधे-सादे गरीब किसानों की मजदूरी का वे बेजा फायदा उठाते हैं। लेकिन आज ग्रामीण आर्थिक स्थिति में उनका जो स्थान है, वह तो है ही।

अगर आरम्भ से ही ये लोग हमारी चेष्टाओं को सन्देह की दृष्टि से देखने लगें तो हम आज उनका कुछ सुधार करने के पहले ही अपने काम को असफल बना डालेंगे। अतः हमको उनसे मिलकर उनको यह महसूस करा देना होगा कि हमारा कार्यक्रम उनके लिए फायदे का ही है और उनका जमाने को देखते हुए अपना ढंग बदलने में ही फायदा है। जहाँ तक संभव हो, बीज के प्रकार की उन्नति उनके द्वारा भी की जाय। उनके स्ट्राक को सुधारने में हमको शक्ति भर कोशिश करनी चाहिए। अगर हम उनके बीज का स्ट्राक ही कुछ सुधार सके तो खेती की उन्नति हो जायगी।

सिंचाई—खेती के सुधार का मुख्य साधन खाद व पानी है। हमारे देश में जितनी खेती होती है उसकी २० प्रतिशत खेती को किसी कदर सिंचाई से पानी मिलता है। अगर उस भूमि को जोता जाय जो खेती लायक है लेकिन अभी काम में नहीं आ पाती है तो यह अनुपात बहुत कम हो जायगा अतः पानी की सुलभता के लिए जो कुछ भी किया जाय, वह थोड़ा है। लेकिन हम अभी अपनी संस्थाओं के द्वारा किस तरह ग्रामसुधार योजना बना सकते हैं उसका विचार कर रहे हैं। पानी की व्यवस्था का काम इतना व्यापक है कि बिना सरकारी मदद और ग्राम-सहयोग-वृत्ति के प्रसार के इस समस्या का हल सम्भव नहीं है। फिर भी हम अपनी प्रारम्भिक ग्रामसमितियों के द्वारा इस दिशा में थोड़ी चेष्टा तो कर ही सकते हैं। मेरे ख्याल से ३-४ साल में उद्योगादि का संघटन हो जाने से ग्रामसमितियों के दृष्टिकोण तथा उनकी आर्थिक स्थिति का इतना विकास हो जायगा कि जगह-जगह उन्नत कुओं के निर्माण-द्वारा सिंचाई की योजना की जा सकेगी। इसके अलावा भट्टे का कार्यक्रम चलाकर तालाबों का पुनरुद्धार तो कर ही सकते हैं। भट्टे का कार्यक्रम गाँव के लिए कितना लाभदायक हो सकता है और उसके द्वारा हम किस तरह तालाबों का पुनरुद्धार करके सिंचाई का तथा मछली का प्रबंध कर

सकते हैं, इसकी सूचना मैं तुम्हें दे ही चुका हूँ। वस्तुतः तालाबों के द्वारा सिंचाई की समस्या हल करने की काफी गुंजाइश है। आज भी मद्रास प्रांत की सिंचाई अधिकतर तालाबों से ही होती है। रायल एग्रीकल्चरल कमीशन की रिपोर्ट तो बताती है कि हिन्दुस्तान में जितना पानी बरसता है उसका ३५% बहकर समुद्र में चला जाता है। इस पानी को इकट्ठा करके सिंचाई का प्रश्न हल किया जा सकता है। फिर भट्टों का निर्माण तथा उनके द्वारा तालाबों का जीर्णोद्धार का काम हमारे सन्धान के अन्तर्गत है। अतः हम जो योजना बनायें उसमें उक्त दो प्रकार का प्रयोग अवश्य शामिल रहे। हमें अपनी सस्थाओं द्वारा नहर की बात सोचना ही व्यर्थ है। प्रथमतः जहाँ कुवां बन सकता है वहाँ नहर के मैं खिलाफ हूँ। इसका कारण भी मैं तुमको विस्तारपूर्वक लिख चुका हूँ। दूसरी बात यह है कि नहर की कोई भी योजना सरकार के बिना नहीं हो सकती है। अतः अपनी राष्ट्रीय सरकार होने पर ग्राम-सुधार योजना कैसी हो, इसका विचार करूँगा तब इस पर अपनी राय और विस्तार से भेजने की चेष्टा करूँगा। फिल-हाल उसे छोड़ देना ही ठीक होगा।

खाद—सिंचाई के बाद खेती की उन्नति के लिए खाद महत्व की चीज है। अतः अब थोड़ी देर हम इस पर विचार करें कि अपने साधनों से इस दिशा में क्या-क्या कर सकते हैं। मैंने अपनी योजना में पहले उद्योग का काम रक्खा है। उन्हीं उद्योग के साथ खाद की उत्पत्ति भी की जा सकती है। जहाँ कहीं भी चमड़ा पकाने का उद्योग जारी किया जाय उसके साथ हड्डी की खाद बनाने का काम जारी करना चाहिए। इसके जारी करने में सामाजिक प्रथा के कारण कठिनाई विशेष न होगी। थोड़ी संस्कारगत कठिनाई तो हमारे व्यापक रूप से कार्यक्रम शुरू करने के साथ ही खतम हो जाती है। फिर हम उच्च वर्ण के लोगों को कुछ अभी से हड्डी छूने को नहीं कह रहे हैं। उद्योगों के विकास के साथ-साथ उस प्रकार के संस्कार में

अपने आप ही परिवर्तन हो जायगा। तुम जब रणीवां गई थीं तो देखा ही होगा कि किस तरह स्थानीय उच्च वर्ण के युवकों ने चर्मालय में काम करना शुरू कर दिया था और इस कारण उन्हें समाज में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था। उसके लिए मुझे कुछ खास समाज-सुधार का अलग कार्यक्रम नहीं चलाना पड़ा था। बल्कि मैं अलग से इस प्रकार काम चलाता तो उक्त परिवर्तन नहीं हो पाता और असर उलटा ही होता। आज भी देहातों में एक श्रेणी के लोग हड्डी बिन कर एकत्र करते हैं और उसे व्यापारियों के हाथ बेच आते हैं। ऐसे व्यापारी तमाम हड्डियों का ढेर विदेशों को भेज दिया करते हैं। मेरा प्रस्ताव केवल यह है कि गाँव-गाँव उन्हें एकत्र कराकर उनकी खाद बनवाई जाय। यह खाद बड़ी आसानी के साथ बन जाती है। थोड़े पत्तों आदि से आग लगा देने से हड्डियाँ टूटने लायक हो जाती हैं। इसके लिए पत्ते भी अधिक नहीं चाहिए। हड्डी के ढेर के नीचे और ऊपर तीन तीन इंच पत्ते से काम चलाया जा सकता है। फिर ढेकी से या चूना सानने के पत्थर के बेलन से चूर कर लिया जा सकता है। इसके लिए कई तरीके हैं लेकिन इन पत्रों में हम किस प्रकार की योजना बना सकते हैं, सिर्फ उसी पर विचार कर रहे हैं। अतः कई तरीके लिख कर पत्रों का आधार बढ़ाना ठीक न होगा। हड्डियों के अलावा दूसरी प्रकार की खाद भी बनाने की योजना आसानी से बन सकती है। गाँव में इधर-उधर काफी जंगल, खर पत्ते आदि चीजें पड़ी रहती हैं। अगर स्थानीय समिति को प्रोत्साहन दिया जाय और युवकों का संघटन किया जा सके तो उनको बटोर कर कम्पोस्ट (Compost) खाद बनाने का सिलसिला जारी किया जा सकता है। मैंने देखा है कि इस तरीके से बिना साधन के ही काफी खाद बढ़ाई जा सकता है। इससे दूसरा फायदा यह होगा कि गाँव की सफाई आप से आस ही जायगी। अधिक कार्यक्रम के फलस्वरूप सफाई हो जाने का यह

भी एक उदाहरण है जिसका पहिले मैंने जिक्र नहीं किया था। नाव-दान साफ करके उसका कीचड़ किस तरह से खाद बढ़ाने के काम आ सकता है, यह फैजाबाद के ग्राम-सुधार के प्रयोगों का विवरण लिखते समय लिख ही चुका हूँ। इस प्रकार उद्योग के साथ और अलग से भी थोड़ी चेष्टा की जाय तो कुछ खाद की वृद्धि तो हम आज की स्थिति में भी कर सकते हैं। बापू जी ने भी अपने लेखों द्वारा मनुष्य के मलमूत्र किस तरह खेती के काम में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका काफी प्रचार किया है। इस विषय पर मेरा अधिक कहना बेकार है। वास्तव में मैले की हानि हमारे राष्ट्रीय जीवन की सबसे बड़ी हानि है। चीन के किसान प्रसिद्ध हैं। वे अपने मल-मूत्र को किसी तरह बेकार नहीं जाने देते हैं। प्रत्येक किसान उसे अपने खेत में गाड़ देता है। वस्तुतः इस द्रव्य का खोना हमारे लिए एक प्रकार से सोने का खोना है। विशेषज्ञों की राय है कि एक आदमी की साल भर की टट्टी से ढाई मन खाद होती है। जिसमें वनस्पति का कीमती खाद्य, नाइट्रोजन (Nitrogen), पोटैश (Potash) तथा फास्फोरिक एसिड (Phosphoric acid) बहुत अधिक मात्रा में होता है। मलमूत्र का यों इस्तेमाल केवल खाद की समस्या हल करने का सहायक ही नहीं होगा बल्कि गाँव के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभदायक है। बापू जी इस ओर भारतवासियों का ध्यान दिलाने में कभी नहीं थकते। केवल बापू ही क्यों, संसार में जो कोई भी सम्पूर्ण समाज-सुधार की बात सोचेगा उसका ध्यान इस ओर जायगा। श्री फ्रेडरिक एंजेलस ने भी शहर गाँव की अलग-अलग स्थितियों की बुराई बताते हुए कहा है—“ओनली थू ऐन अमलग-मेशन ऑव टाउन एंड कंट्रीविल इट वी पासिवुल टुपुट ऐन एंड टु दि करेंट पायजनिंग ऑव वाटर एंड स्वायल; ओनली इन दिस इट विल वी पासिवुल टु अरेंज फार दि मासेस हू आर नाऊ क्राउडेड इन पेस्टीलेन्टियन टाउंस. दैट देयर एक्सक्रेटा शैल वि. टर्न ड टु

यूजफुल एकाउंट ऐज मैन्योर इनस्टेड ऑव जेनेरेटिंग डिसीज ।” अर्थात् “आज पानी और मिट्टी जिस भाँति विपाक्त होती जा रही हैं उसे गाँव और शहर के समन्वय द्वारा ही रोका जा सकता है। इस तरीके से ही यह संभव होगा कि जो लोग रोगग्रहण शहरों की घनी वस्तियों में रहते हैं उनके मलमूत्र को रोग पैदा करने के साधन की जगह लाभदायक खाद के रूप में परिवर्तित किया जा सके।”

लेकिन इस कार्यक्रम को जल्दी शुरू नहीं कर सकते हैं। लोग अपने संस्कारों तथा आदतों से मजबूर रहते हैं। अतः संघटन की दिशा में काफी प्रगति होने पर ही इसे आरम्भ किया जा सकता है। अगर शुरू से ही हम साधारण रूप से प्रचार करते रहे और कार्यकर्ता अपनी आदत में परिवर्तन कर सके तो क्रमशः इस दिशा में निश्चित कार्यक्रम भी बनाया जा सकता है। इसमें कुछ विशेष पूंजी आदि का साधन तो चाहिये नहीं, केवल संस्कार को परिवर्तित करके आदत डलवाने की बात है। इस सिलसिले में एक अनुभव की बात बता देना चाहता हूँ। एक बार अपना वास्तविक हित समझ जायँ और परम्परा तथा रूढ़ि की हिचक जरा भी ढीली हो जाय तो ग्राम-वासी किसी भी काम को बड़े उत्साह से करने लगते हैं। अतः इस दिशा में हमारे काम करने के लिए विरतृत क्षेत्र पड़ा है।

ऊपर बताये तरीके से हम खाद की वृद्धि के लिए कुछ न कुछ प्रयोग कर सकते हैं। खाद का मुख्य जरिया देहात के जानवर ही हैं और हमेशा रहेंगे। हम चाहे जितनी रासायनिक खाद तैयार करें, हमको खाद के लिए प्रधानतः गोबर, जानवरों का पेशाब आदि का भरोसा करना ही पड़ेगा। अतः हमारा अधिकांश ध्यान इस जरिये से प्राप्त खाद की ओर ही होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भारत के प्रत्येक गाँव के लोग गोबर का अधिकांश हिस्सा जला ही डालते हैं और पेशाब को गोशाला के नीचे जञ्ब होने देते हैं। फिर भी मैं गाँव की आज की दशा में इस दिशा में विशेष चेष्टा करने की सलाह नहीं

दे सकता हूँ। ग्राम-सुधार योजना ५-६ साल चल जाने के बाद जब गोपालन का व्यापक कार्यक्रम चलाया जाय तभी इस दिशा में कुछ किया जा सकता है। तब भी इस ओर व्यापक रूप से प्रगति नहीं हो सकेगी। ग्राम-सेवा तो इस बात का प्रचार भूट करने लगते हैं कि गाँव वाले कैसे वेवकूफ हैं कि गोबर जला देते हैं। लेखों-द्वारा, भाषणों-द्वारा गाँव के लोगों से इस प्रकार की बुद्धिहीनता का काम करने के लिए निषेध करते हैं। लेकिन प्रचार के जोश में वे भूल जाते हैं कि अगर गाँव वाले गोबर न जलावें तो ईंधन कहां से लावें ? सदियों की उदासीनता तथा जन-संख्या-वृद्धि से उत्तरोत्तर खेती की वृद्धि के कारण आज गाँवों के आस-पास जंगलों का कोई निशान ही नहीं रह गया। तुम कहोगी—“हमारे यहां जमीन का पाँचवाँ हिस्सा तो जंगल ही है। फिर जंगल की कमी का रोना क्यों रोते हो।” खास तौर से जब तुम मध्यप्रांत में रहती हो और अपने आस-पास जंगल ही जंगल देखती हो तब तुम्हारे लिए ऐसा कहना स्वाभाविक ही है। लेकिन जंगल जो कुछ रह भी गया है वह भी हमारी आवादी के साथ फैला हुआ तो नहीं है। जहाँ आवादी है वहाँ जंगल नहीं और जहाँ जंगल है वहाँ आवादी नहीं। अगर सरकार अपनी होती तो रेल किराया आदि में सहूलियत कर के कुछ ईंधन आवादी के पास पहुंच भी सकता था। लेकिन आज तो उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं। नतीजा यह होता है कि आवादी के पास लकड़ी नहीं मिलती है और जंगलों के पास ईंधन सामग्री बेकार जाती है। कुछ नहीं तो जंगल के पत्ते जितने नीचे सड़ते हैं उन्हें ही गोबर के साथ मिलाकर अगर कंडी बनाई जाय तो भी खाद के लिए काफी गोबर बच जाय। लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाता है। जंगल के पास गाँव वाले ऐसा कर भी लेते हैं। लेकिन वहाँ गाँव ही कितने हैं। अतः गाँव में जाते ही गोबर न जलाने का बेकार प्रचार करने से क्या लाभ ?

मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि आज की मजबूरी की दशा

में जानवरों के जरिये जितनी खाद मिल रही है उसमें कुछ भी वृद्धि नहीं हो सकती है। खेती के और कार्यक्रम जैसे थोड़ी मात्रा में आज हम कर सकते हैं उसी तरह इस दिशा में कुछ होना तो सम्भव है ही। वह काम कुछ इस प्रकार का हो सकता है :—

(१) जिस स्थान पर मवेशियों को बांधा जाता है उसके फर्श पर मिट्टी डाल दी जाय। बीच-बीच में उसे खोद निकाल कर खेतों में डाला जा सकता है।

(२) जलाने के बाद जितना गोबर खाद के लिए रक्खा जाता है उससे घूर की उन्नति की जाय। प्रायः देखा गया है कि लोग घूर के लिए बहुत गहरा गड्ढा खोदते हैं और बरसात का सारा पानी उसी में चला जाता है। कहीं-कहीं तो गोबर को एक जगह ढेर कर के रख देते हैं। इससे वर्षा के पानी से गोबर का बहुत सा कीमती हिस्सा बह कर नष्ट हो जाता है। अतः गांवों में संघटन की थोड़ी प्रगति के साथ-साथ व्यापक रूप से घूर-सुधार का कार्य आरम्भ कर देना चाहिए। इसके लिए कम गहरा गड्ढा बना कर चारों तरफ मेड़ बना देनी चाहिए। फिर उसे कूड़े के साथ गोबर का घोल मिला कर भर देना चाहिए और ऊपर से बन्द कर देना चाहिए।

वागवानी—गोबर तथा पेशाब के उचित इस्तेमाल की व्यवस्था तथा गोबर जलाने से रोकने का कार्यक्रम भविष्य के लिए छोड़ कर हमको वागवानी तथा ईंधन के लिए पेड़ लगाने की ओर जनता का ध्यान दिलाना चाहिए। क्योंकि जिस हद तक ईंधन की समस्या हल हो सकेगी उसी हद तक खाद भी सुलभ होगी। इस कार्यक्रम को हम बहुत जल्दी शुरू कर सकते हैं। यह काम ऐसा है कि सहयोग तथा संघटन की प्रगति काफी हुए बिना ही शुरू किया जा सकता है। मैंने देखा है कि गांव में काफी ऐसे लोग मिलते हैं जो थोड़ी मदद से पेड़ लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पेड़ लगाने का संस्कार प्राचीन है। इसलिए भी लोग आसानी से मुक्त जाते हैं। आज वे उदासीन

इसलिए नहीं कि उनमें इच्छा या संस्कार नहीं बल्कि इसलिए कि गरीबी के कारण उनमें किसी तरह का उत्साह नहीं। खेत जोतना, बोना, और काटने का काम परम्परा से मशीन की तरह करते आते हैं। अतः लोगों को जब इस ओर उत्साहित किया जायगा तो व्यक्तिगत रूप से ही इसके लिए बहुत से लोग तैयार हो जायँगे। ईंधन और फल के वास्ते निम्न प्रकार के पेड़ लगाये जा सकते हैं। पेड़ के चुनाव में खास ध्यान इस बात की ओर होना चाहिए कि वे मवेशियों की खुराक के भी काम आवें।

बबूल, ढाक, आम, जामुन, बेल, गूलर, बेर, अमरुद, केला, महुआ, आँवला, अनार, कटहल, पपीता, इमली, नींबू, फालसा आदि इतने नाम केवल संकेत के लिए ही लिखे। वैसे तो स्थानीय परिस्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के पेड़ लगेंगे। मैं अपने क्षेत्र के ही अनुभव से बता सकता था अतः इतने नाम लिख दिये। ईंधन के लिए मैंने प्रधानतः बबूल और ढाक की ही राय दी है। इसका कारण यह है कि इससे बहुत सी खराब जमीन भी काम में आ सकेगी और इनकी लकड़ी ईंधन के लिए अच्छी है। बबूल तो आर्थिक दृष्टि से भी फायदे का है। उसकी मोटी लकड़ी खेती सम्बन्धी औजार धत्री, कोल्हू का सामान आदि बहुत से काम आती है। इसके अलावा चमड़ा पकाने में इसकी छाल मुख्य सामग्री है। हमारे-जैसे कृषि-प्रधान देश में चमड़ा पकाने का उद्योग किस तरह से गाँव-गाँव में फैलाना जरूरी है, उसके सम्बन्ध में अपनी राय मैं दे ही चुका हूँ। अतः आवश्यकता के साथ बबूल के प्रचार से इस आवश्यक उद्योग के लिए भी साधन सुलभ हो जायगा।

यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि आज की परिस्थिति में पेड़ लगाने की जगह कहाँ। खेत की भूख ने तो ग्रामीण क्षेत्र की सारी जमीन हड़प ली है। यह सच है कि दिन-दिन हमारी आवादी घनी होती जा रही है और खेती की भूख बढ़ती ही जाती है। लेकिन आज की दशा में भी अगर देहातों की निराशा और बेहोशी को हटाकर

उत्साह तथा जीवन पैदा किया जा सके तो इस काम के लिए काफी वेकार जमीन मिल सकती है। अरब का इलाका काफी घनी आबादी का इलाका है, यह तो तुम जानती ही हो। फिर भी मैंने देखा है कि देहातों में ऐसी जमीन वेकार है जहां पेड़ लग सकते हैं। जब कभी किसी देहात की तरफ निकल जाओ तो देखोगी कि जगह-जगह काफी जमीन वेकार पड़ी रहती है जिसे लोग जंगल कहते हैं। शुरू में जब मैंने अकबरपुर के इलाकों में जाना शुरू किया था उस समय जब लोग जंगल की बात करते थे तो मैं परीशान होता था; इधर जंगल हैं ही कहाँ ? मैं तो जंगल का मतलब हजारीवाग-जैसे जंगल समझता था। बाद को मालूम हुआ कि इधर के जंगल का मतलब उस परती जमीन से है जिस पर इधर-उधर दस-तीस ढाक के छोटे-मोटे पेड़ हों। इनके अलावा भी बहुत सी खाली जमीन है जिसे ऊसर कहते हैं। संयुक्तप्रान्त काफी घनी आबादी का प्रान्त है, फिर भी जितनी जमीन खेती लायक है उसकी ८० % जमीन पर ही आज खेती हो रही है। बाकी जमीन खाली पड़ी हुई है। इसके अलावा जो ऊसर-वाँगड़ जमीन खाली पड़ी है और जो खेती लायक नहीं है उसमें बहुत सी ऐसी भी जमीन मिलेगी जिसमें कोशिश करने से महुआ, ढाक या अबूल के पेड़ लग सकते हैं। रणीवाँ आश्रम जिस विस्तृत भूमि पर बना है वह भी तो वैसी ही वेकार जमीन थी। फिर भी तुमने देखा होगा कि उस पर किस प्रकार का बाग लगा हुआ है। अतः जमीन तो है, चाहिए केवल हमारे कार्यकर्ताओं की सूझ और ग्राम्य-समाज में उचित वातावरण। इस प्रकार पेड़ लगाने के काम में काफी प्रगति हो जाने पर ही गोबर न जलाने का सफल प्रचार हो सकता है। इसलिए मैंने कार्य क्रमों के क्रम से खेती और बागवानी का काम साथ ही साथ रखा है।

गोपालन—खेती और बागवानी के साथ हमारी दृष्टि गोपालन की ओर स्वभावतः आकृष्ट होती है। इतना कर लेने के बाद ग्रामीण जनता का ध्यान भी इस ओर आसानी से चला जायगा। अतः अब

गोपालन का कार्यक्रम शुरू करना आसान होगा। अब तक सहयोग-समितियों के संघटन की प्रगति काफी बढ़ी हुई होगी। चरखों के काम की व्यवस्था का काफी हिस्सा अब तक ग्रामसमितियों की जिम्मेदारी के अर्न्तगत हुआ रहेगा अतः इस कार्यक्रम का, आरम्भ से ही ग्राम-समितियों के द्वारा, सहयोग के सिद्धान्त पर संघटन करना श्रेयस्कर होगा। वस्तुतः भारत-जैसे कृषिप्रधान देश में गोपालन का काम जितना भी किया जाय वह थोड़ा है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ “गो” शब्द पर सारे देश का दिल फड़क उठता था। गो माता की पूजा शायद इसी देश की विशेषता है। लेकिन आज उसी गो माता का क्या हाल है? हम जब देहातों में बकरी-जैसी छोटी, अस्थिचर्माविशेष गौवों को देखते हैं तो सोचते हैं कि गो माता की पूजा करने वाले भारत की गो जाति का यही आकार और प्रकार है! आज हमारी दशा क्या है? कहावत है कि “अभाव से स्वभाव नष्ट होता है।” इसी भारत भूमि में एक समय ऐसा था जब यह नियम बना था कि अमुक ऋतु में ही वह दुही जाय, और अमुक ऋतु में वह दुही भी इतनी जाय जिससे बच्चों को भरपेट पीने को मिल जाये और आज उसी माता की पूजा करने वाले फूँका प्रथा (कष्टदायक तरीका) का आम इस्तेमाल करने लग गये हैं।

अतः यह बात जरूरी है कि गोपालन के काम की बाबत हम गाम्भीर रूप से विचार करें और हमें क्या और कितना करना चाहिए और कितना कर सकते हैं, इस पर ध्यान से सोचें। जमनालाल जी कितना अधिक याद आ रहे हैं। उस दिन शाम को जब मुलाकात हुई तो कितने आग्रह से कहने लगे—“धीरेन! तुमसे मुझे काफी बातें करनी हैं। तुम्हारे प्रान्त में गो सेवा का कितना काम हो सकता है? अच्छा हो तुम मेरे यहाँ कल आ जाओ; वहीं खाना खाना और उधर से ही स्टेशन चले जाना।” दूसरे दिन सुबह उठा। खादी विद्यालय के विद्यार्थी चाहते थे कि मैं उनको ग्राम-सेवा की बाबत कुछ बताऊँ। सेठ जी के यहाँ जाना है, कहकर उनसे छुट्टी माँग

रहा था। पर उन्होंने न माना और उसी समय सब एकत्र हो गये। जैसे-तैसे उनसे जल्दी छुट्टी लेकर वर्धा को खाना हो गया। सीधे गो-सेवा आश्रम गया। मालूम हुआ कि सेठ जी खाना खाने तक आ जायेंगे। कुछ समय था; मैं नालवाड़ी चला गया; विनोबाजी से मिलकर आने में मुझे कुछ देरी हो गई। लौटकर मालूम हुआ कि सेठ जी अभी लौटे नहीं। मैंने देर तक प्रतीक्षा की। जब काफी देर हो गई तो सोचा कि कहीं वर्धा अपने बंगले पर तो नहीं रह गये? अतः मैंने खाना खा लिया और बंगले पर चला गया। बंगले पर भी वे नहीं थे। वहां मालूम हुआ कि कोठी पर कुछ काम से रुक गये और ४ बजे शाम को लौटेंगे। उस समय २॥ वजा था। मैंने सोचा अभी समय बहुत है। इतने में मगनवाड़ी ग्राम-उद्योग-संघ में कुमाराप्पा साहब से कुछ काम की बातें कर लूँ। मगनवाड़ी गया और दफ्तर में बैठकर अपने प्रान्त के काम की बातें करने लगा। उनको भी बहुत सी बातें पूछनी थीं, अतः कुछ समय लग गया। एकाएक खादी भंडार के एक भाई ने आकर खबर दी 'सेठ जी का देहान्त हो गया!' खबर सुनकर हम दोनों स्तम्भित रह गये। उस पर विश्वास नहीं हुआ। उस भाई को फिर बुलाया। पूछा—“तुम्हें किसने भेजा? यह खबर किसने दी?” उसकी बातों से यकीन हो गया। हम दोनों भागे वजावाड़ी की ओर। पहुँच कर देखा, सब समाप्त है। वह दृश्य तुम्हें कैसे बताऊँ? लिखकर बताना मुश्किल है; जानकीबाई का कहना—“बचा दो बापू” कितना हृदय-विदारक था। माता जी का फूट-फूट कर रोना। बापू की सान्त्वना का क्या असर होता? माता का हृदय कैसे मान सकता था? आखिर शवदाह के लिए लोग उन्हें उठा ले गये। सारी जनत साथ चली। मैं जान सका। वहीं खड़ा रहा। याद नहीं, क्या सोचने लगा। केवल इतना ही जानता हूँ कि मुझसे साथ नहीं जाया गया और मैं स्तम्भित होकर वहीं खड़ा रहा। याद नहीं पड़ता, कितनी देर यों खड़ा रहा। फिर धीरे-धीरे मगन-

चाड़ी चल गया। वहाँ कोई भी नहीं था। केवल भूवेर भाई की पत्नी थी। खाना खाकर लेट गया। अकेले में सोचने लगा। सेठ जी क्या थे आज मालूम होता है। भारत ने किसे खोया? कांग्रेस का एक बड़ा स्तम्भ गिर गया और चर्खा संघ, ग्राम-उद्योग संघ का प्राण। सेठ जी चापू के रचनात्मक कार्यक्रम की जान थे। चर्खा संघ, ग्राम-उद्योग संघ तो चल निकला था। उन्होंने अब जीवन का अन्तिम कार्यक्रम गो-सेवा को बनाया था। इस योजना से भारत का सबसे आवश्यक और महत्व का अभाव पूरा हो जाना। काम व्यापक और कठिन था लेकिन सेठ जी की इच्छा शक्ति और मधुर व्यक्तित्व तथा साथ ही उनकी कर्म-कुशलता क्या न कर सकती थी? करीब २० साल पहिले उनसे परिचय हुआ था। फिर घनिष्ठता भी हुई। साथ काम किया। आश्रम वालों से वे कितना स्नेह रखते थे। मतभेद भी होता था, झगड़ा भी होता था लेकिन श्रद्धा की कमी कभी न हुई। ऐसा ही व्यक्तित्व था उनका!

मैं अकेले पड़ा-पड़ा सोचता रहा। क्या बताऊँ अगर मगनवाड़ी न जाकर सीधे बजाजवाड़ी चला जाता तो शायद मुलाकात हो जाती। आखिरी वक्त तो सामने होता। शायद गो-सेवा की कुछ बातें वे कह जाते लेकिन भवितव्य कुछ दूसरा ही था। आखिरी वक्त की यही बात रह रह कर याद आती थी—“तुमसे बहुत बातें करनी हैं। तुम्हारे प्रान्त में गोसेवा का कितना काम हो सकता है।” उसके बाद थोड़े ही दिन बाहर काम कर सका था लेकिन जब जब गोपालन की बात होती है सेठ जी याद आ जाते हैं। मगहर में गोरखपुर, वस्ती के लोगों से जब मैंने अपनी ग्रामोत्थान योजना के वास्ते १०० बीघा जमीन माँगी तो वहाँ के लोगों ने एक ५०० बीघा का जंगल रामनगर के पास दिखाया। जमीन देखते ही मैंने कहा—“सेठ जी होते तो मैं इसे लेता और गोपालन का प्रयोग करता।”

आज सेठ जी नहीं हैं लेकिन उनका गोसेवा संघ है। और उनकी अधिष्ठात्री देवी जानकीबाई हैं। हमको गाँव की प्रधान आवश्यकता

के नाते और जमनालाल जी की यादगार में भी गोपालन का व्यापक काम करना है। लेकिन आज उस विषय पर मैं अधिक लिख न सकूंगा। तद्विषय भी भर गई और कलम नहीं चलती है। आज यहीं खतम करता हूँ। सबको नमस्कार। बच्ची को याद दिलाना। पता नहीं उसको याद है या नहीं। उसे बहुत बहुत प्यार।

[५]

गोपालन

५ मार्च, १९४४

पिछले पत्र में ग्राम सेवा के कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए गोपालन पर पहुँचा था। इस सिलसिले में सेठ जी की बात याद आना स्वाभाविक ही था। उनके निर्वाण दिवस की कहानी कहकर पत्र समाप्त किया था। मैंने कहा था कि खेती और वागवानी के कार्यक्रमों के साथ गोपालन का काम स्वतः आ जाता है। हमारे देश में खेती का सारा काम गो जाति पर निर्भर करता है। अगर आवश्यकता के अनुसार ही अपनी योजना बनाना सम्भव होता तो मैं सबसे पहले गोपालन का ही काम लेता। अन्न मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है और वैल उस अन्न को पैदा करने का साधन। अतः हमारे देश के जीवन की जड़ वैल ही है। इसीलिए तो गो जाति प्राचीन काल में कौ माता कहा गया है। इसकी रक्षा और पालन गो-सेवा के लिए भारत के सपूतों ने क्या त्याग नहीं किया। इसीलिए कि वे आत्म-रक्षा का उपाय गोरक्षा समझते थे। यहाँ धन गोधन ही से नापा जाता था। कौन कितना धनी है, जानने के लिए यह देखा जाता था कि उसके पास कितना गोधन है। दुर्धोधन विराट् राज्य से गोधन ही उठा लाया था। जब गोधन की इतनी मर्यादा थी तो स्वभावतः गोपालन के प्रति हमारे यहाँ पर्याप्त ध्यान था। प्राचीन मौर्यकाल में तो इसके लिए राज्य की तरफ से खास महकमा था। उसका काम था यह देखना

कि कहाँ कितने गाय-बैल हैं। उनके लिए कितने चारागाह चाहिए, उन्हें कितनी खुराक चाहिए, किसान उसी हिसाब से खुराक देता है या नहीं। यहां तक निश्चित कर दिया जाता था कि एक चरने वाले के जिम्मे कितने जानवर रहेंगे। गोपालन के विशेषज्ञों की एक जाति ही अलग थी। उनका काम था कि घूम-घूमकर जहाँ आवहवा, चारा-गाह आदि के लिए अनुकूल परिस्थिति हों वहाँ जाकर गोजाति की नस्ल सुधारें। और सुधरी हुई नस्ल को देहातों में पहुँचा आवें। लेकिन आज उनकी क्या दशा है, उसे शब्दों में वर्णन करना असम्भव है। तुमने भी तो इधर काफी देहातों में दौरा किया। कहीं ऐसे भी गाय-बैल नजर आये हैं जिनकी तमाम हड्डियाँ दूर से गिनी न जा सकें ? देहातों में अच्छी गायें रहेंगी भी कहाँ से ? अच्छे पिता-माता से ही तो अच्छी संतान होगी। अच्छी खुराक से ही न अच्छा शरीर बनेगा ? माता पिता अच्छे हों तो कैसे ? गाँव तो गरीबी की चरम सीमा पर पहुँचे हुए हैं। अगर कहीं कभी अच्छी गाय इत्तिफाक से मिल भी जाती है तो उसे शहर के ग्वाले खरीद ले जाते हैं और वेरहमी से खून की आखिरी बूँद दूध के रूप में खींच लेकर जब दूध बन्द हो जाता है तो फसाई के हाथ बेच देते हैं। और फिर देहात से दूसरी गाय खरीद लाते हैं। मिलिटरी डेरी वाले भी अच्छी गाय छाँट और खरीद कर विदेशी सांड से मिश्रित करके उसे नष्ट कर देते हैं। क्योंकि विदेशी सांड के व्यवहार से एक दो बार ही अच्छा दूध मिल सकता है। फिर बीमार पड़कर देशी गाय अच्छे नस्ल की खराब हो जाती है। इस तरह लगातार जब शहर गायों का अभाव वाले और मिलिटरी वाले गाँव की चुनी हुई अच्छी गायों को बाहर भेजते जायेंगे तो जो रद्दी किस्म की गायें बाकी बच जाती हैं उन्हीं से न गाँव की गायों की नस्ल बनेगी ? और खुराक ? इस विषय पर कहना ही क्या है ? गाँव के जानवर एक तरह से उपवास ही करते हैं। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। जहाँ

आदमी भूखों मर रहे हैं वहाँ जानवर को कौन खाना देगा ? बंगला में एक कहावत है “चाचा आपन बाँचा।” यह अक्षरशः सत्य है। दुनिया में अपना पेट भर कर ही लोग दूसरों की ओर देख सकते हैं। बंगाल का हाल आज कल अखबारों में निकलता है। कितनी करुण कहानी है। माता-पिता भूख के मारे सन्तान बेचने निकलते हैं। स्नेह, प्रेम आदि का बात भूख के आगे अब स्वाहा हो जाती है। अतः ग्राम-सुधार का चाहे जितना प्रचार करें आज की स्थिति में जानवरों को खाने को मिलना कठिन है। आवादी इतनी घनी होती जा रही है कि अनाज बाने के लिए जमीन नहीं मिलती है। फिर चरी के लिए परती कहाँ से छूट सकती है ? आजकल वैज्ञानिक युग में आँकड़ों को देख कर स्थिति का समझने का रिवाज हो गया है। अतः प्रान्तों के चरागाह के आँकों पर एक बार नजर डाल लें। नीचे-लिखे हिस्साव से किस प्रान्त के जानवरों के लिए चारे की भूमि कितनी है इसका अंदाज मिल जायगा।*

प्रान्त	जानवर लाख में	भूमि एकड़ लाख में	चरागाह प्रति जानवर
आसाम	१००	२४२	२.४०
बंगाल	१०८	३३	.३०
बिहार उड़ीसा	८८	५६	.६३
बम्बई	३८	३३	.८७
मध्यप्रान्त	५६	१०७	१.९०
मद्रास	७५	७९	१.०५
पंजाब	६०	६२	१.००३
युक्तप्रान्त	९१	५२	.५८

*ये आँकड़ें द्वितीय महायुद्ध से पहले के हैं। इधर अनाज की महंगाई और सरकारी योजनाओं की कृपा से तो अब इतनी जमीन भी नहीं बची है। ७-११-५०

ऊपर के आंकड़ों से मालूम होगा कि हमारे यहाँ चरने के लिए कितनी वन-भूमि है। इन आंकों से भी ठीक पता नहीं चलेगा क्योंकि हिसाब में तो औसत भूमि का ही व्योरा बताया गया है। लेकिन वस्तुतः इतनी भी भूमि चरने के लिए नहीं है। इस बात को भी थोड़ा समझ लेना चाहिए कि चरागाह के लिए भूमि प्रधानतः जंगली क्षेत्र में ही होती है। और तुम्हें मालूम ही है कि सरकार की कृपा से उन में बहुत से क्षेत्रों में लोगों को जानवर चराने का हक हासिल ही नहीं है। इस तरह अगर सही स्थिति का विचारपूर्वक अंदाज किया जाय तो अधिकांश मवेशियों को बिना चरागाहों के ही गुजर करनी पड़ती होगी।

चरागाह की ऐसा स्थिति के कारण हमारे अधिकांश जानवरों को इतने चारे से ही जीवन धारण करना पड़ता है जितना उनके मालिक किसान अपनी खेती से बचाकर उनके लिए खाद्य सामग्री बचते हैं।

लेकिन जैसा कि अभी मैंने कहा है किसान जब खुद चारे की कमी भूखों मरते हैं तो जानवरों के लिए कहाँ तक पैदा करें। वे उनकी चरी के लिए उतना ही छोड़ते हैं

जिससे कम में उनका प्राण बचना असम्भव होता है। बल्कि कुछ प्रान्तों में प्राण धारण के लिए जितनी चाहिए उतनी जमीन भी उनकी चरी के लिए नहीं छोड़ी जाती है। और यह स्थिति आनादी बढ़ने के साथ-साथ दिन व दिन और भयंकर हो रही है। यहाँ अनाज की पैदावार भी इस प्रकार की है कि उनसे जानवरों को खाने के लिए कुछ विशेष नहीं मिलता है। वस्तुतः अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि जब तक हम अपनी खाद्य सामग्री के लिए ऐसे अनाज न पैदा करें जो बाजरा की तरह अनाज और चरी दोनों के काम आ सके तब तक हमारे पशुओं का बचाना संभव नहीं होगा। यही कारण है कि हमारे यहाँ गाय-बैलों की मृत्यु-संख्या बहुत अधिक है। अभी थोड़े दिन पहिले सरकारी मार्केटिंग बोर्ड की चमड़ा-सम्बन्धी एक रिपोर्ट

पढ़ रहा था। उसमें जानवरों की मृत्यु-संख्या का जो अनुपात बताया गया है उसको देखकर प्रत्येक भारतवासी को चिंतित होना चाहिए कि कितनी विराट् आर्थिक हानि हो रही है। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं नीचे अंक दे रहा हूँ।

प्रान्त	कुल गाय बैल (लाख)	सालाना मुर्दार चमड़ा (लाख)
पंजाब	६७.६	५.२
मद्रास	१७७.६	३०.१
मध्यप्रान्त	११६.५	१२.२
युक्तप्रान्त(उ० प्र०)	२३७.७	११.२
बिहार	१३६.४	१२.४
उड़ीसा	४४.८	४.०
बंगाल	२५८.३	२४.६
आसाम	५४.५	३.८
ब्रम्बई	८४.८	६.०२

इसके उपरान्त प्रायः जव जानवर मरने के करीब हो जाते हैं तो कसाई को बेच दिये जाते हैं। ऊपर के अंकों से मालूम होगा कि हमारे प्रान्तों में कितने जानवर मरते हैं। ये अंक भी चमड़े के बाजार की रिपोर्ट से लिए गये हैं। इसके अलावा कितने ऐसे मवेशियों की मृत्यु हो जाती है जिनका हिसाब बाजार के अंकों में आ ही नहीं पाता है। इन अंकों से यह भी साफ हो जाता है कि जिस प्रान्त में खुराक कम है उसी प्रान्त की मृत्यु-संख्या का अनुपात अधिक है। और प्रान्तों का पूरा हाल तो मैं जानता नहीं लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों का हाल तो मैं देखता ही रहता हूँ। देहातों में घूमने से चरी के खेत मुश्किल से दिखाई देंगे। अच्छे किस्म की चरी तो इधर बोते ही नहीं। दाना खली तो नहीं के बराबर देते हैं। कितना चारा बोते हैं इसका अंदाज इधर तीन जिलों की औसत से मिलेगा।

गोंडा	१.५% जमीन	} इस हिसाब से औसत १०० जान- वर के खाने के लिए ५.२५ एकड़ जमीन पड़ती है।
बस्ती	१.६% जमीन	
गोरखपुर	१.०% जमीन	

इसी से तुम मालूम कर सकती हो कि हमारी गायों को खाने को कितना मिलता है।

अतः गाँव में जब अच्छी गाय रह ही न जाती हो और जो रह भी जाती हों पर उनको खाने को न मिलता हो तो हम अच्छी नस्ल-की गायें और बैल कहाँ से पावेंगे ?

इन्हीं सब कारणों से मैं कह रहा था कि अगर सिर्फ आवश्यकता के महत्व पर ही योजना बनानी होती तो मैं सब से पहले गोपालन को ही लेता। लेकिन मैंने लगभग सबसे बाद में ही गोपालन के कार्यक्रम को शुरू करने की सलाह दी है। इसका भी खास कारण यह है कि गोपालन केवल सहयोग-समिति द्वारा ही सम्मिलित ढङ्ग से चल सकता है। इसके लिए चारा आदि की व्यवस्था, नस्ल की उन्नति, दूध, बैल, चमड़ा आदि के बाजार आदि के लिए उन्नत ढङ्ग के संघटन की आवश्यकता है। चर्खा, उद्योग, शिक्षा, व संस्कृति, कृषि व वागवानी आदि कार्यक्रम उचित ढङ्ग से ४-५ साल चलाने के बाद गाँव के संघटन की स्थिति ऐसी होगी कि हम गोपालन का काम सफलता के साथ चला सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जब तक गाँव में इस किस्म का संघटन कायम न हो तब तक हम हाथ पर हाथ धर कर बैठ जायँ। आखिर जहाँ भी हमारे कार्य-कर्ता रहते हैं वहाँ खुद कुछ दूध भी खाते ही हैं; उतनी ही खरीद के लिए ऐसे आदमी ठीक करना चाहिए जो हमारे बताये मुताबिक गोपालन के लिए तैयार हों। इससे उसके फायदों को देख कर दूसरों को भी शिक्षा मिल सकती है।

अब प्रश्न यह उठता है कि हम कैसी गाय-बैलों की नस्ल का प्रसार करें। हमारे यहाँ गो जाति की दोहरी उपयोगिता है: १—दूध २—खेती।

दूध के लिए गोपालन मुख्यतः शहरों में और देहात के धनी कहलाने वाले घरों में ही होता है। गाँव में दूध के लिए इसकी कोई कीमत नहीं है। मैं जहाँ-जहाँ भी गया हूँ दूध के लिए भैंस पालने का ही रिवाज पाता हूँ। ग्रामीण जनता को दूध पीने का मौका मिलता ही नहीं, न वे पीने की हैसियत ही रखते हैं। अतः उनको दूध की आवश्यकता भी बेचने के लिए ही होती है। भैंस के दूध में भी अधिक होता है इसलिए वे भैंस पालना ही पसन्द करते हैं। वे गाय पालते अवश्य हैं। लेकिन सिर्फ बैलों के लिए। नतीजा यह होता है कि जब बछड़ा पैदा होता है तो वे गाय को कुछ खिलाते भी हैं और दूध न दुह कर बछड़े के लिए छोड़ देते हैं ताकि बैल उन्हें मिल सकें। आज हमारी ग्रामीण जनता के लिए दूरदर्शी होना असम्भव है इसलिए जब

बछिया पैदा होती है तो वे न गाय को ही ठीक से

दूध के लिए खिलाते हैं और न बछिया के लिए ही दूध छोड़ते हैं।

गोपालन प्रथा स्वल्पाहार के कारण वैसे ही गाय दूध कम देती है।

का हास उसे भी किसान दुह लेता है जिससे कभी अवेर सवेर

उसके बच्चें दूध की शक्ल देख लें। वे ऐसा इसलिए

करते हैं कि बछिया से उनका कोई दिलचस्पी नहीं। फिर जितने दिन

गाय दूध नहीं देती उतने दिन तो ईश्वर ही उसे बचाता है। नतीजा

यह होता है कि दिन-दिन हमारी गायों की हालत खराब ही होती

जाती है। आखिर जो बछड़े पैदा होंगे वह इन्हीं गौश्रों से ही न होंगे?

फलतः किसान दोनों से हाथ धो बैठते हैं; न दूध मिलता है, न अच्छे

बैल। तुम कह सकती हो दूध भैंस से मिल ही जाता है। लेकिन जरा

यह तो बताओ कि तुम्हारे देश में कितने किसान ऐसे हैं जो भैंस और

गाय दोनों पाल सकते हैं। जो थोड़े लोग पाल भी लेते हैं तो उन्हें

गायों की बछियाँ और भैंसों के बच्चों को मार ही डालना पड़ता है

क्योंकि जिनकी उपयोगिता नहीं उन्हें बैठे कौन खिलायेगा? इस

प्रकार हमारी ग्रामीण आर्थिक स्थिति में कितनी भारी हानि होती है।

अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि किसान भैंस और गाय दोनों रख सकता है, फिर भी गाय की तात्कालिक उपयोगिता न रहने से निस्सन्देह लोग उसकी उपेक्षा करेंगे और खेती के लिए जो बैल मिलेंगे वे सब इन्हीं उपेक्षिता गौओं की सन्तान होंगे। अतः अच्छे बैल पाने की समस्या जहाँ की तहाँ रह जाती है।

अतएव गोपालन की किसी प्रकार की योजना बनाने से पहले यह तय कर लेना होगा कि हमें किस हेतु गोपालन करना है। गाँव की उपर्युक्त स्थिति पर विचार करने से यह साफ हो जाता है कि हमें दूध और खेती की आवश्यकताओं को देखने से काम न चलेगा। अगर दूध के लिए भैंस पाल कर खेती के लिए गाय पालेंगे तो कभी हमारा उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा [आज कल केन्द्रीय असेम्बली में दूध देने वाले जानवरों की हत्या बन्द करने का कानून बनाने की बात चल रही है। ऐसा कानून बनाकर असेम्बली के सदस्य दया और उदारता का ही काम करेंगे। लेकिन जरा गौर से सोचो तो सही जब गौओं की हत्या कानूनन बन्द हो जायगी तो हमारे गोरक्षक हिन्दू किसान भाइयों की क्या दशा होगी। आज तो फालतू गौओं को हत्यारे के हाथ बँच कर धर्म के साथ आँख मिचौनी खेल कर वेकार गौओं को बैठाये खिलाने से अपनी जान छुड़ा भी लेते हैं। लेकिन कानून से जब उनकी धर्म-रक्षा पूरी हो जायगी तो उन पर जो बोझ आ पड़ेगा उससे उनकी प्राण-रक्षा कौन करेगा।

गोदुग्ध के प्रचार की जरूरत अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम दूध के लिए भी गोपालन का प्रचार करें। ऐसा करने से हमारा ध्यान गौओं की उचित सेवा की ओर जायगा जिसके परिणाम स्वरूप से अच्छे बैल मिलते रहेंगे। हमारी योजना में चेष्टा होनी चाहिए कि हम ऐसी नस्ल की गाय पैदा करें जिसकी सन्तान दोनों कामों के लिए उपयोगी हो। यह तभी हो सकेगा जब हम गाय के दूध की ओर अधिक ध्यान दें और भैंस का पालना

घटाते चलें और आखिर भैंसों की संख्या नाम मात्र रह जायँ। इधर वापू ने गाय के घी और दूध के सेवन का जोरों से प्रचार करना शुरू किया था तो हमारे बहुत से मित्र उसे हिन्दूपन समझते थे। वे अगर हमारे देहातों की स्थिति का अध्ययन करें और जरा हिसाब से सोचने की चेष्टा करें, तो उन्हें मालूम हो जायँगा कि वापू गाय के घी और दूध का महत्व बढ़ाने के लिए इतनी कोशिश क्यों कर रहे हैं।

दुःख की बात यह है कि हमने अपना दिमाग विलायत वालों के हाथ बँच दिया है। हमारे वैज्ञानिक विशेषज्ञ लोग भी, जो सरकारी महकमों में काम करते हैं, अपने सारे प्रयोग की भित्ति विलायती प्रयोगों की नकल के आधार पर रखते हैं। वे हमारे देहात की परिस्थिति और समस्याओं का ख्याल नहीं करते और अपने तरीके का प्रचार करते हैं। आज किसी भी पढ़े-लिखे मित्र से बात करो तो वह झट कहेंगे कि “गो जाति की नस्ल सुधारो।” “नस्ल सुधारो” तो एक प्रकार का नारा हो गया है। लेकिन यह नस्ल कैसे सुधारी जाय ? अच्छे साँड़ गाँव-गाँव छोड़ कर ? खास कर जब लार्ड लिनलिथगो ने कह दिया है तो कहना ही क्या ? चारों तरफ से आवाज उठ रही है—“अच्छे साँड़ की व्यवस्था करो।” जब गैर-सरकारी शिक्षित जनों की यह दशा है तो सरकारी महकमा के लोगों की बात क्या कहें। उनके लिए दूसरी बात संचना अधर्म सा हो गया है। कुछ दिन इस बात की धूम रही कि विलायती स्थूलकाय साँड़ नस्ल सुधारने मँगाये जायँ। लेकिन इसका प्रचार करने वाले यह की समस्या नहीं देखते कि विलायती साँड़ से देशी गौओं की जो सन्तान होती है वह २-१ बार अच्छा दूध देकर फिर बेकार हो जाती है। और उसके पैदा हुए ब्रैल तो काम ही नहीं कर पाते हैं। जो लोग विलायती तरीके से हमारी समस्या हल करना चाहते हैं वे भूल जाते हैं कि हमारी आवश्यकता और उनकी आवश्यकता एक नहीं हैं। उनको चाहिए दूध और मक्खन और हमको

चाहिए दूध और हल चलाने के लिए मजबूत और गाड़ी के लिए तेज बैल। अतः जहां उनको स्थूलतया गाय-बैल की आवश्यकता है वहां हमको चाहिए कि गाय काफ़ी दूध दे और बैल मध्यम और पुष्ट शरीर वाले मजबूत हों। हमारा और उनकी समस्या में एक भेद और है। युरोप और अमेरिका उद्योग-प्रधान देश हो गये हैं। कृषि का अब उनके यहाँ विशेष महत्त्व नहीं रह गया है। जहाँ हमारे यहाँ ७५% आबादी जमीन पर गुजर करती है वहाँ इंग्लैंड में खेती पर भरोसा करने वाली आबादी केवले साढ़े ग्यारह प्रतिशत है अतः वे मवेशियों की खूबक पैदा करने के लिए काफ़ी जमीन छाड़ सकते हैं। वे उनके चरने के लिए परती भी छाड़ सकते हैं। और हमारे यहाँ कितनी जमीन उनके हिस्से पड़ती है, इसे तुमने देख ही लिया है। इसलिए हमारे यहाँ के जानवर ऐसे हाने चाहिए जो कम जमीन से भी अपनी पुष्टि कर सकें। अतः आज-कल जो धूम का प्रचार हो रहा है कि कहीं से भी अच्छे सांडों को उन इलाकों में भेजा जाय जिधर की गायें कमजोर और छोट्य हों, यह कुछ गलत दिशा की चेष्टा है। वास्तव में नस्ल सुधारना तो दूर रहा उतने बड़े सांड यहाँ की गायों के काम के ही नहीं थे। फिर मान लो, काम के हों भी लेकिन जब उच्च सांड को पैदा की हुई बड़े डील-डौल वाली सन्तान भूखी रह गई तो ताकत कहां से लावेगी। अतः अगर गाय बैलों की हालत सुधारनी है तो हमको समस्या की जड़ से सुधार शुरू करना चाहिए। हमको देहात की असली स्थिति को समझ कर ही समस्याओं का हल निकालना चाहिए। हमेशा सांड बाहर से आवें और गाय हमेशा भूखी, कमजोर और छटनी वाली हो तो अनन्त काल तक उन्नति नहीं हो सकती। नस्ल तभी सुधर सकता है जब सांड और बैल उत्तरांतर अच्छे होंगे जायँ। गाय अच्छी तभी रह सकती है जब देहाती लोगों की प्रवृत्ति गों सेवा की ओर हो। गों सेवा की प्रवृत्ति पैदा करने के लिए गाय के दूध के प्रति किसानों की दिलचस्पी होनी

चाहिए और यह दिव्यस्त्री तभी हो सकती है जब गाय के दूध और घी का वाजार हो। केवल गो माता कह कर सेवा-वृत्ति नहीं जगाई जा सकती। गो माता का संस्कार तो हिन्दुओं का कल्मस संस्कार है और उस संस्कार को समाज-हित और रक्षा के लिए हम सिर्फ परम्परा से भांगते आये हैं। लेकिन जो हमारी अमी माता है, जो हमारे कर्मधारिणी है वह भी जब बूढ़ी हो जाती है तो हम तभी उसकी सेवा करते हैं जब उसके पास कुछ जेवर हों, कुछ रकम हो। धन से रहित माताओं की क्या-क्या दुर्दशा होती है यह तुम देखती ही हो। फिर यह कैसे उम्मीद की जा सकती है कि केवल गो माता की भावना ही लोगों को गो सेवा के प्रति प्रेरित करेगी। अतः गो जाति की उन्नति के लिए सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि हमारी गो माता के पास जेवर हो, रकम हो, अर्थात् आवश्यकता इस बात की है कि जो गो माता की सेवा करना चाहते हैं उनको अपनी गाय का दूध बैंच कर पैसा मिले। जो लोग चाहते हैं कि भारत के सात लाख गांधों की दुर्दशा दूर हो, जो चाहते हैं कि हमारी खेती की उन्नति हो, जो चाहते हैं कि गोजाति की नस्ल सुधारे, जो चाहते हैं कि गौवां की हत्या न होने पाये, जो आज असेम्बली में दूध देने वाले जानवरों की हत्या न होने देने का प्रस्ताव लाते हैं वे गाय का दूध और घी इस्तेमाल करके उसकी मांग पैसा करें। हमारे देश में बहुत से अर्मर भाई हिन्दुत्व का खयाल करके पिंजरापोल खुलवाते हैं; गोशालाओं में दान देते हैं। उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि अगर वे पिंजरापोल न भी खुलवायें और भैंस के दूध और घी के बदले गाय का दूध और घी ही इस्तेमाल करें तो अधिक गो-सेवा कर सकेंगे। और ऐसा न करके हजार पिंजरापोल खोलने पर भी गोरक्षा की दिशा में इंच भर भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे।

अतएव गोपालन के लिए हमारी जो योजना होगी उसके प्रधानतः दो हिस्से होंगे :—

१—गाय के दूध के उचित बाजार का संघटन ।

२—योग्य मार्ग से नस्ल सुधारने की चेष्टा ।

आज हमारे देश में दूध की उत्पत्ति औसत ५०० पौंड प्रति गाय और ७०० पौंड प्रति भैंस प्रति वर्ष है । यानी औसत एक गाय प्रति दिन ग्यारह छटाँक होता है । अगर वैज्ञानिक ढंग से गो-सेवा का प्रचार किया जाय तो इस औसत को काफी बढ़ाया जा सकता है ।

फीरोजपुर की एक साहिवाल गाय साल में ७००० पौंड यानी प्रति दिन औसत नौ सेर नौ छटाँक दूध देती थी । अगर यह माना जाय कि वह आधे समय ही दूध देती थी तो दिन में दूध होता था १६ सेर के करीब । लेकिन यह एक खास उदाहरण है । तुम्हारी सेवाग्राम की गोशाला के पारनेरकर भाई का कहना है कि थोड़ी चेष्टा करने से प्रति दिन एक गाय की औसत तीन साढ़े तीन सेर तक जा सकती है । इस सिलसिले में एक बात कह देना चाहता हूँ कि बहुत से विशेषज्ञों का यह अनुभव है कि गाय का औसत दूध जिस हिसाब से बढ़ाया जा सकता है उस हिसाब से भैंस का दूध नहीं बढ़ सकता है । पारनेरकर भाई से मेरी बात हुई थी । उनकी भी राय इसी किस्म की है ।

दूध की पैदावार के साथ-साथ हमको गाय के दूध और घी की विक्री की भी उसी प्रकार व्यवस्था करनी होगी, जिस तरह खादी की विक्री की व्यवस्था की गई है । चर्खा संघ, ग्राम उद्योग संघ, तालीमी संघ के कार्यकर्त्ताओं को तथा अन्य सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं को, जो ग्राम-उत्थान से दिलचस्पी रखते हैं, ठीक उसी तरह केवल गाय का दूध और घी का ही व्यवहार करना चाहिए जिस तरह वे शुद्ध खादी के सिवाय दूसरा कपड़ा नहीं पहनते हैं । मैं समझता हूँ, गो-सेवा संघ इस दिशा में कुछ प्रगति कर पाया है ।

अब रही नस्ल सुधारने की बात । इस विषय में ग्राम-सेवक को बड़ी सावधानी से काम करना होगा । अनाज का बीज एक साल बोने के बाद दूसरे साल बदला भी जा सकता है । लेकिन गाय की

नरल एक दिशा में बदल जाने के बाद गलत मालूम पड़े तो आसानी से फिर से सुधारना सम्भव न होगा। विलायती साँड़ों का कतई प्रयोग नहीं करना चाहिए। देसी साँड़ों को चुनने में भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि वे स्थानीय गौश्रों के लिए उपयोगी होंगे या नहीं। फिर उससे जो बछड़े पैदा होंगे वे स्थानीय जलवायु तथा खुराक कहाँ तक बरदाश्त कर सकते हैं, इसको देखना होगा। इस दिशा में मेरी सलाह यह है कि ग्राम-सेवक साँड़ों के लिए इधर-उधर निगाह न दौड़ाकर जिस जिले में काम करते हैं उसी जिले में अच्छे साँड़ों का खोज करें। मैंने देखा है, सभी क्षेत्रों के गाँवों में एकाध अच्छी गाय और बछड़े दिखाई देते हैं। हमारा काम होगा उचित संघटन से अच्छी गौश्रों को गाँव से बाहर जाने से रोकना और अच्छे साँड़ों को अच्छी गायों के साथ संयुक्त करना। स्थानीय गाय-बैल-साँड़ उस स्थान पर रहने के आदी हो गये हैं अतः अगर हम ठीक से खुराक प्राप्त करने का संघटन कर सकें और अच्छी गाय और बैल की छँटनी करने का कार्यक्रम चलाते रहें तो कुछ दिन में नस्ल की काफी उन्नति हो सकेगी। अगर हम स्थानीय नस्ल की छँटनी का प्रयोग सही तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से, करें तो हमको दूध वाली गाय और जोतने के लिए मजबूत बैल मिल जायँगे। इसके लिए सरकारी विशेषज्ञों से भी हम परामर्श करेंगे। सिर्फ हमारा दृष्टिकोण और हेतु भिन्न होगा। सरकारी विशेषज्ञों के अलावा देहातों में उन जातियों में, जिनका पेशा प्राचीन काल से गोपालन रहा है, बहुत से प्रवीण लोग ऐसे मिलेंगे जो किसी विशेषज्ञ से कम नहीं हैं। बल्कि वे हमारे देहातों की आज की परिस्थिति में अधिक सही सलाह दे सकेंगे। हमारे कार्यकर्त्ताओं को उनसे भी काफी मदद मिलेगी। यह सच है कि आज उन कंजर जातियों की संख्या बहुत कम है जो प्राचीन काल में गोजाति की नस्ल की हिफाजत करते थे। फिर भी अगर इन्हीं जाय तो आज भी हमारी सलाह के लिए ऐसे लोग मिल सकते हैं।

भारत की इस सरी हुई हालत में भी आज ऐसे लोग हैं जिनके गोपालन-सम्बन्धी ज्ञान की तारीफ विलायती विशेषज्ञ लोग भी करते हैं। इस विषय पर रायल एग्रीकल्चरल कमीशन क्या कहता है, देखो—

“अगर संयुक्तप्रान्त के पनवार, पंजाब के हरिआनो और साहिवाल, सिन्ध के थारपारकार, मध्यभारत के मालवी, गुजरात के कांकरेज, काठियावाड़ के गीर, मध्यप्रान्त के गौबलव, मद्रास के अंगोलों के इतिहास की खोज की जाय तो मालूम होगा कि उनकी विशेषता के कारण वे पेशेवर जातियाँ हैं जो पहले भारत में आम तौर पर घूमा-करती थीं लेकिन खेती की वृद्धि के साथ-साथ जो अब गोपालन का काम छोड़ती जा रही हैं। ग्रामोण जनता में वे ही जातियाँ थीं जो गोपालन का अच्छा ज्ञान रखती थीं और गाय और साँड़ों को छाँटने तथा उन्हें पालने की कला को वे इतनी अच्छी तरह जानती थीं कि ऊँची नस्ल के जानवर पैदा कर सकती थीं।” आज भी मैंने देखा है पंजाबी वंजर जाति के लोग अच्छे किस्म के बैल हमारे प्रान्त में घूम-घूम कर बेचते हैं। हमारा काम होगा इन जातियों को अच्छी गाय पालने के लिए प्रोत्साहन देना और देहातों में ग्राम समितियों के द्वारा गोपालन का प्रसार करना। केवल वे खास जातियाँ ही हमारी सहायक होंगी, यह बात भी नहीं। बल्कि सारी जनता हमको सिखाने का काम कर सकती है। वस्तुतः उसकी सहायता बिना समस्या पूर्ण रूप से हम समझ भी नहीं सकते। हम चाहे जितने वैज्ञानिक ज्ञान के पंडित हों, चाहे जितने अनुभवी हों, हमारा दृष्टिकोण हमेशा एकरखा ही रहता है। हम जो कुछ देखते हैं ऊपर-ऊपर से ही देख पाते हैं। तुम कहोगी जनता की दृष्टि भी तो एकरखी है। वह भी तो सिर्फ नीचे ही नीचे देख पाती है। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक होगा। मैं इसे मानता हूँ। लेकिन ऊपर और नीचे दोनों ही तो रख हैं। दोनों मिल कर ही तो पूर्ण स्वरूप होता है। अतः अगर हमको सम्पूर्ण दृष्टि से काम करना है तो जहाँ हम अपने ज्ञान से ग्रामवासी को सिखाने की

चेष्टा करते हैं वहाँ हमको पद-पद पर उनके ज्ञान से सीखकर अपने ज्ञान को पूर्ण करने का यत्न करते रहना पड़ेगा। और मैं तो ऐसा कहूँगा ही क्योंकि मैंने जो कुछ सीखा या समझा है सारा उन से ही न ?

मैं सभी विषयों पर थोड़ा-थोड़ा लिखना चाहता था लेकिन गोपालन पर कुछ ज्यादा लिख गया। इसका कारण यह है कि जैसा मैंने अभी कहा है गाय हमारे सब सुधारों की बुनियाद है। मुझको कुछ ज्यादा कहना इसलिए भी पड़ा कि प्रथमतः आज का चालू ख्याल तोड़कर लोगों से भैंस का व्यवहार छुड़ाना है और दूसरे आज कल ग्राम-सुधार के सिलसिले में गाय की नस्ल सुधारने की जो भी चेष्टा की जाती है वह सब गलत दिशा में हो रही है, इसको स्पष्ट करना है। तुम कह सकती हो कि जब देहात के सभी लोग जानते हैं कि भैंस के दूध में घी अधिक होता है इसलिए आर्थिक दृष्टि से भैंस ही फायदे की है तो उसके बदले में गाय पाल कर देहाती क्यों हानि उठाने जायँ। लेकिन ग्राम तौर से जिस अर्थशास्त्र की बात लोग कहते हैं वह अहीरी अर्थशास्त्र है, ग्रामीण अर्थशास्त्र नहीं है। अहीर को तो तात्कालिक लाभ ही देखना है। गाँव की या खेती की हालत देखने की जरूरत ही क्या ? किसानों में भी न इतनी योग्यता है और न सब हैं कि वे दूरदर्शिता का हिसाब लगा सकें। सिर्फ कितना घी होता है वही जोड़ते हैं। लेकिन अगर यह जोड़ा जाय कि जितने भैंसे होते हैं उन्हें कुछ दिन बेकार खिलाकर नष्ट करने में कितना कितना खाय बेकार जाता है, गाय की जितनी बछिया होती है उनको नष्ट करने से पहले कितना खिलाना पड़ता है, गाय को ठीक से न पालने से जो घटिया बछड़ा पैदा होता है उसका दाम कितना कम मिलता है और इस तरह कमजोर बैलों के कारण हम को कितने अधिक बैल रखने पड़ते हैं और उनके लिए कितनी अधिक खुराक जुटाना पड़ती है तथा कमजोर बैल से जुताई ठीक न होने के कारण जमीन की पैदावार में कितनी कमी हो जाती है तो मालूम हो जायगा कि किस का पड़ता क्या

है। केवल बैलों की घटिया तादाद के कारण कितना नुकसान होता है, जानते हो? जहां १०० एकड़ जमीन के लिए केवल २० अच्छे बैलों की आवश्यकता होती है वहां आज हमारे यहां ३०।४० के करीब हैं। लेकिन देहाती जनता इतना हिसाब नहीं लगा सकती। अतः हमारा काम होगा कि उनको सब चीजों का केवल हिसाब ही न बतायें बल्कि उनके सामने कुछ उदाहरण रख कर कायल करें।

मैंने गोपालन के सिलसिले में इसलिए भी कुछ ज्यादा कहा है कि अपनी योजना की जिस स्थिति में मैंने गोपालन का कार्यक्रम शुरू करने की बात की है उस स्थिति में गांव की सहयोग-समितियाँ कुछ संघटित हुई रहेंगी। और दूसरे उद्योगों के रहने से उनकी आर्थिक स्थिति, सहयोग वृत्ति तथा योग्यता की उन्नति हुई गोपालन की एक रहेगी। ऐसी स्थिति में समितियाँ गोपालन का कुछ योजना व्यापक परिमाण में काम करने में समर्थ भी होंगी।

इस प्रकार कुछ काम हो सकता है। समिति की ओर से पूँजी तथा अन्य साधन के हिसाब से कुछ अच्छी गायें लेकर सदस्यों को किस्त पर दो जायें। किस्त की रकम वे दूध से पूरी कर सकेंगे। समिति की ओर से दूध का घी खोवा आदि बाजार के अनुसार सामान बनाकर बेचना होगा। जब तक हम गोपालन का काम शुरू करेंगे तब तक विभिन्न ग्राम-समितियों-द्वारा तथा सदस्यों के परिवारों द्वारा चलाये भिन्न-भिन्न उद्योगों के बाजार के लिए किसी किस्म की विक्री-यूनियन का संघटन भी हुआ होगा। इन्हीं यूनियनों के द्वारा घी आदि की विक्री की व्यवस्था करनी होगी। इस तरह मान लो कि २० गाँव की एक सर्किल सोसाइटी इस काम को शुरू करती है। और इस सोसाइटी के पास इतना साधन हो गया है कि वह २० गाय खरीद सकती है। २० गायों को २० सदस्यों को इस शर्त पर दिया जायगा कि वे अमुक दाम पर दूध देकर गाय का दाम पूरा कर दें। सदस्यों पर दूसरी शर्त यह होगी कि वे समिति के निर्देश

नुसार इन गायों की सेवा करें। ऐसा करने के लिए यह आवश्यक होगा कि कुल गायों को एक ही गाँव में दिया जाय। इसमें कोई झगड़े की बात ही नहीं उठेगी क्योंकि सोसाइटी की शर्त मान कर गौवों को लेने के लिए विभिन्न गाँव के लोगों में प्रतियोगिता होने की गुंजायश कम है। शुरू-शुरू में किसी एक प्रगतिशील गाँव को कुल तैयार करने में कुछ कठिनाई होगी। मैंने एक ही गाँव में कुल गौवों को देने की सलाह इसलिए दी है कि इससे हम कई समस्याओं का हल निकाल सकेंगे। और एक गाँव में सब गौवों के रहे बिना सोसाइटी के निर्देशानुसार उनको पालने की शर्त पूरी होना सम्भव नहीं होगा। एक गाँव में ही कुल गौवों को रखने के, मेरी समझ में, ये फायदे होंगे :—

१—गाँव भर की गौवों के लिए समिति के थोर से चारा-दाना की व्यवस्था तथा बीमारों को देख-भाल आसानी से हो सकेगी।

२—सम्मिलित वायुमंडल होने से गाँव के लोगों को गोपालन का वैज्ञानिक ज्ञान देने का ठीक प्रबन्ध किया जा सकता है।

३—उसी गाँव की ग्राम-समिति की थोर से इन गौवों के बीच एक अच्छा साँड़ रखवाने का प्रबन्ध किया जा सकता है।

सर्किल सोसाइटी अपने यहाँ सिर्फ घी बनाने की व्यवस्था करके मक्खन निकालने के बाद जो दूध बचेगा उसे उन्हीं सदस्यों के हाथ वेंच देगी और घी की बिक्री का प्रबन्ध करेगी। इससे कम से कम मक्खन निकाला हुआ दूध तो सदस्यों के बच्चों को पीने के लिए मिल ही यज गा। इसके उनके स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर होगा। मैंने संक्षेप में गाँव में किस प्रकार से काम करना होगा, इसका संकेत किया। यह कोई व्योरेवार योजना नहीं है। मैं पूरी योजना भी तो यहाँ बनाने के लिए नहीं बैठा हूँ। “हम किस तरीके से ग्राम सुधार करें” इसका एक अन्दाज तुमको देने के लिए इन पत्रों को लिख रहा हूँ। इसके लिए जितना संकेत मैंने किया है उतना काफी होगा।

तुमको इस बात की परीशानी होती होगी कि इस बीच में ग्राम-

समिति, सर्किल सोसाइटी के यूनियन की बात कहाँ से टपक पड़ी। मैंने पहले एक पत्र में लिखा था कि जब हम अपनी योजना की शुरुआत में चर्खे का काम आरम्भ करेंगे तभी से चर्खा समितियाँ कायम करके क्रमशः छोटी-छोटी जिम्मेदारियाँ उन पर डालेंगे। उस पत्र में यह भी लिखा था कि बाद को यही समितियाँ गांव के तमाम उद्योगों तथा सुधार-कार्य के लिए सहयोग-समितियों के रूप में परिणित होंगी। फिर इन्हीं के द्वारा साम्मलित सोसाइटियाँ बन सकेंगी। लेकिन इन संघटन की वास्तव आज लिखना शुरू करूँगा तो पत्र बहुत बड़ा हो जायगा। अतः इनकी क्या रूप-रेखा होगी और उन्हें हम किस प्रकार और किस क्रम से संघटित कर सकेंगे, इत्यादि बातें आगे कभी लिखूँगा।*

इस पत्र को समाप्त करने से पहले हमारे देहातों की एक परिस्थिति का जिक्र करना शायद लाभप्रद होगा। यद्यपि इस समस्या को हल करने की कोई संयोजित चेष्टा करना सरकारी मदद के बिना सम्भव नहीं फिर भी समस्या की जटिलता की वास्तव हमारे ग्राम-सेवक जानकारी रखें तो अच्छा होगा। देहात के सम्बन्ध में जिसको जरा भी जानकारी है उसे मालूम है कि कमजोर बैल से बहुत कम खेत जोता जा सकता है। इस कारण हमको जरूरत से अधिक बैल रखने पड़ते हैं। इसलिए हमारे यहाँ प्रति जानवर थोड़ा चरागाह और थोड़ी जमीन दाना के लिए पड़ती है। इस समस्या का हल मैंने बताया है कि हमको अच्छे बैलों का प्रबन्ध करके घटिया बैलों की तादाद घटाना चाहिए। शाही कृषि कमीशन का भी कहना है कि भारतीयों को खेत के बैलों की संख्या घटाकर उनकी कार्यशक्ति बढ़ाने की चेष्टा करनी ही होगी। लेकिन ऊपर से देखने से यह समस्या जितनी आसान मालूम पड़ती है वास्तव में उतनी आसान नहीं है। तुमको तो मालूम ही है

* खुशा का बात है कि देश भर में कताई मंडल कायम कर चर्खा संघ की ओर से इस कल्पना का साकार रूप देने का मौका आज मुझे मिल रहा है। ७—११—५०

कि हमारे यहाँ खेती पर कितनी बनी आवादी गुजर करती है। इसका नतीजा यह हुआ है कि ठीक से गुजारा करने के लिए किसी के पास काफी खेत नहीं हैं। खास तौर से हमारे प्रान्त की स्थिति तो अजीब है। एक किसान के हिस्से में २॥ एकड़ जमीन भी मुश्किल से पड़ती है। इस कारण भी किसान को अच्छे बैलों से दिलचस्पी नहीं है। जिनके पास अधिक खेत हैं उनकी तादाद ही कितनी है? भारत की प्राचीन सम्मिलित परिवार की प्रथा भी तो अब रह नहीं गई। अब तां दो भाई एक में नहीं रह सकते। अतः खेतों के छोटे-छोटे टुकड़े अलग-अलग मालिकों के अधीन हो गये हैं। सहयोग की कोई भावना है ही नहीं। ऐसी हालत में प्रत्येक किसान को अपने अलग-अलग बैल की व्यवस्था करनी पड़ती है। इससे बैलों की तादाद अनिवार्यतः बढ़ गई है। फिर थोड़ी जमीन के लिए छोटे कमजोर बैल काफी होते हैं। और कम खुराक वाले होते हैं। हमारे छोटे किसानों को वैसे बैल ही फायदे के पड़ते हैं। ऐसी हालत में क्रमीशन के साथ सुर मिलाकर यह कह देने से कैसे काम चलेगा कि भारत को बैलों की तादाद घटाकर कार्यशक्ति बढ़ानी चाहिए। जब किसान के पास काम ही नहीं है तो कार्यशक्ति बढ़ाकर क्या फायदा होगा और जब छोटे-छोटे स्वतंत्र किसानों की तादाद इतनी अधिक है तो बैलों की तादाद कम करने से उनका बँटवारा किस प्रकार होगा। अतः अगर वस्तु स्थिति पर विचार किया जाय तो हमारे गाँव में बैलों की उन्नति की या तादाद घटाने की गुंजाइश कहाँ? तुम कहोगी “जिस किसान के पास जमीन कम है उसकी बात तो मैं समझ सकती हूँ लेकिन जिसके पास ज्यादा जमीन है वे क्यों छोटे बैल रखते हैं। २ जोड़े छोटे बैल के बजाय १ जोड़े बैल क्यों नहीं रखते हैं?” तुम्हारा ऐसा सोचना ठीक है। लेकिन समुद्र के बीच तो सब ही खारा पानी मिलेगा न? वहाँ नीटा पानी एक घड़ा भी चाहोगी तो नहीं मिलेगा। यह तो तुमको मालूम ही है तुम जिन बड़े किसानों की बात करती हो वैसे किसान १००।२००

किसानों के बीच कहां एकाध मिलेंगे। वे सिर्फ अपने लिए एक-दो जोड़े अच्छे बैल पैदा करने को अजग व्यवस्था थोड़े ही रख सकते हैं? उनको तो जानवर की जो आवादी मौजूद है उसी में अपने काम के बैलों को छाटना पड़ेगा फिर आदमी जिस वायुमंडल में रहता है उसका दृष्टिकोण भी वैसा ही हो जाता है। कंगालों की वस्ती में किसी के पास २।४ पैसे हो जायँ तो वह अपने को कुवेर का सगा भाई ही समझने लगता है। जहाँ सारी आवादी में बकरे-जैसे बैल ही दीख पड़ते हैं वहाँ किन्हीं एक दो के पास थोड़े भी मोटे-ताजे बैल हो जाते हैं तो वह समझता है कि इससे बेहतर बैल ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिल सकते। कहीं इत्तिफाक से किसी किसान के घर पर कुछ पढ़े-लिखे लोग गये वा बाहरी दुनिया की हवा खा आये तो कभी-कभी अपनी खेती के लिए बड़े-बड़े बैल लाते जरूर हैं। लेकिन उनको काफी मुसीबत उठानी पड़ती है। कभी कोई बैल बीमार पड़ा या मर गया तो सारे क्षेत्र में जोड़ा मिलाना मुश्किल हो जाता है। अतः जो समझदार भी हैं वे भी स्थानीय अच्छे बैलों से बढ़कर बड़े बैल लाने में धवराते हैं। इतना तो मैंने परिस्थिति को समझाने के लिए लिखा। बड़े किसानों की स्थिति आम स्थिति नहीं है। साधारण स्थिति तो वही है जो पहले बताई गई।

कार्यकर्त्ता जब गोपालन के कार्य को आरंभ करेगा तो त्वभावतः उसका उल्लिखित परिस्थिति दीख पड़ेगी। ऐसी हालत में वह परीशान हो जायगा। सोचेगा कि फिर गोजाति की नस्ल सुधारने में क्या लाभ? जब कोई उपयोगिता ही नहीं है तो ऐसा कार्यक्रम बेकार क्यों चलाया जाय? वा समस्या का समाधान करने के लिए जिन कारणों से परिस्थिति ऐसी जटिल हो गई है उन कारणों को हटाने के चक्कर में क्यों न पड़ा जाय? लेकिन वे लाख कोशिश करें, जमीन जितनी है उतनी ही रहेगी और आवादी घटने के बजाय बढ़ती ही जायगी। हमारे देहातों के बैलों की तादाद घटाकर कार्य शक्ति बढ़ाना तभी सम्भव

होगा जब कम से कम उतनी खेती सम्मिलित व्यवस्था में हो जितनी एक जोड़ा उन्नत बैल को पूरा काम देने के लिए काफी हो। यह तभी हो सकेगा जब गाँव में सम्मिलित खेती का प्रबन्ध किया जा सके लेकिन इस काम के लिए आज हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। इस किस्म का कार्यक्रम तो वही सरकार उठा सकती है जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित हो, जो कानून-द्वारा खेत जोतने वालों को बराबरी की हैसियत के आपस में सहयोग करने के लिए अपनी अपनी जमीन का मालिक बना दे। आज की जमींदारी प्रथा के अन्तर्गत किसान को अपनी जमीन का चाहे जिस तरह बँटवारा करने का हक ही कहाँ ? हमारी संस्थाएँ तो उतना ही काम कर सकती हैं जितने के लिए उन में शक्ति है।

फिर भी मैंने अपनी संस्थाओं-द्वारा चलाई ग्राम-सुधार योजना में गोपालन के काम को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। समाधान करने की शक्ति या साधन हमारे पास नहीं है। इसका मतलब यह नहीं होता कि देश के सामने समस्या ही नहीं है। समस्या तो है ही; उसका हल भी निकालना ही होगा। हम लोग अपने साधन से जिस परिमाण में काम कर सकते हैं उससे गाँव की विभिन्न समस्याओं का हल नहीं होता है। जो कुछ करते हैं वह प्रयोग मात्र है। हम अपने प्रयोग से केवल देश की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने का रास्ता ढूँढ़ निकलते हैं, जिससे जब जिसे जरूरत हो वह उस रास्ते से आगे बढ़ सके। हमारी गोपालन-योजना भी उसी प्रयास का प्रयोग मात्र है। हमारे संघटन के अन्तर्गत जितना काम होगा उससे अगर उन थोड़े बड़े किसानों की समस्या कुछ हल हो जाय तथा ग्रामीण जनता की व्यावहारिक शिक्षा तथा सही रास्ते की ओर दृष्टि हो जाय तो वह अपनी सफलता के लिए काफी अच्छा नतीजा होगा। अतः हमारे कार्यकर्त्ताओं को समस्याओं की विशालता और जटिलता से न घबड़ाकर जो रास्ता सही है उसी दिशा में प्रयोग करना होगा।

गोपालन के कार्यक्रम के साथ-साथ हमारे सामने नूतन जानवरों का

प्रबन्ध करने का काम स्वतः आ जाता है। पहले ही एक पत्र में मैंने लिखा था कि हम उद्योग का क्रम ऐसा रखें जिससे एक दूसरे से सम्बन्धित रहें। भारत-जैसे कृषि-प्रधान देश के लिए मृत गाय बैल की आर्थिक उपयोगिता के प्रति खास तौर पर ध्यान मृत पशुओं के चमड़े देना आवश्यक है लेकिन दुःख की बात यह है कि

का उपयोग इस उद्योग के प्रति हम दुनिया में सबसे ज्यादा उदासीन हैं। तुमको मालूम ही होगा कि संसार में जितने गाय, बैल, भैंस आदि जानवर हैं उनके ३० सैकड़ा केवल भारत में ही हैं और संसार में जितना चमड़ा होता है भारत का हिस्सा उसकी तिहाई से भी ज्यादा है। लेकिन हमारे देहाती इससे जरा भी लाभ नहीं उठाते। जात-पात का ऐसा चक्र बना रक्खा है कि जिनमें बुद्धि है, आर्थिक साधन हैं, कौशल है और समाज में प्रतिष्ठा है उनको मृत जानवर से कोई दिलचस्पी नहीं। मर जाने पर जानवर ऐसे लोगों के हाथ जाकर पड़ता है जो हमेशा समाज में दलित होने के कारण शोषित हैं, दरिद्र हैं, जाहिल हैं। उनके पास न साधन है, न वह कौशल जिससे वे बुद्धि-पूर्वक मृत जानवर का उचित इस्तेमाल कर सकें। नतीजा यह होता है कि जब कोई जानवर मरता है तो वह किसी प्रकार उसका चमड़ा उधेड़ कर किसी व्यापारी को नाम मात्र दाम पर बेच आते हैं। उन्हें यह देखने की भी आवश्यकता नहीं होती कि चमड़ी निकालते समय कहीं कट न जाय, छेद न हो जाय या मांस लगा न रह जाय। वे इसका विचार ही नहीं करते कि ठीक ढंग पर चमड़ा निकालने से और ज्यादा दाम मिलेगा। और उनको इस बात की फिक्र क्यों हो। एक तो ज्ञान के अभाव से वे इन बातों की दारीकियों को जान नहीं सकते। दूसरे यह कि सारा माल मुफ्त मिलता है। जो चमार उस चमड़े को पकाने का काम करते हैं वे भी साधन तथा ज्ञानहीन होने के कारण उसे इस तरह पकाते हैं कि वह बाजार में अधकच्चे माल के नाम से घोषित होता है और विदेश

जाकर वही पक्का माल बनकर हमारे यहाँ वापस आ जाता है। इस प्रकार हमारे यहाँ जितना माल होता है उसका लगभग ४० सैकड़ा कच्चा और अधकच्चा के रूप में विदेश चला जाता है। इसके अलावा मृत जानवर से दूसरी उपयोगिता की चीजें बनाने के प्रति तो लोग कतई उदासीन हैं। चमड़ा निकाल कर बाकी जानवर के मांस को वे गाँव की एक तरफ फेंक देंगे और चील, गिद्ध, कुत्तों और कौआँ का जमघट कराकर एक वीभत्स दृश्य पैदा करेंगे। कुछ दिन तक इतनी बदबू होगी कि उधर का निकलना मुश्किल। उस दृश्य से घृणा नहीं, उस दुर्गन्ध से घृणा नहीं, सारी घृणा चमड़ा छूने से है। इस घृणा के मामले में जाति-पाति कानून भी अजीब अटपटांग है। रणीयाँ के चर्मालय का अनुभव बताते समय मैंने लिखा था किस तरह चमार जाति मृत जानवर का चमड़ा तो छीलकर निकालेगी लेकिन चमड़ा पकाने में उस पर हाथ नहीं रख सकती क्योंकि ऐसा करनेवाले को जाति से निकलना पड़ेगा। नतीजा यह होता है कि जो चमार चमड़ा निकालता है उसको इस बात की फिक्र ही नहीं रहती कि किस तरह चमड़ा छीला जाय जिससे पकाने में अच्छा माल निकल सके। फलतः हम इस उद्योग में दूसरे देशों के इतने पीछे पड़ गये कि थटिया चमड़ा या कच्चा माल के व्यापारी मात्र रह गये हैं। सो भी जानवर के और हिस्से की तो कोई बात ही नहीं।

वस्तुतः अगर इस ओर जरा ध्यान देकर ठीक प्रबन्ध कर लिया जाय और देहाती जनता में इस ओर दिलचस्पी पैदा की जाय तो मृत जानवर की उपयोगिता बहुमुखी हो सकती है। सबसे पहले चमड़ा का ही एक प्रधान और व्यापक उद्योग चल सकता है। मृत जानवर की समस्या प्रत्येक गाँव की होने के कारण चर्खा-जैसा यह उद्योग भी व्यापक रूप ले सकता है। हड्डी से बहुत उच्च कोटि की खाद बन सकती है, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया है। हमारे

यहां खेती के लिए खाद की कितनी कमी है सो किसको मालूम नहीं है। मांस से भी अच्छी खाद बनती है। प्रत्येक जानवर की सिर्फ चर्बी से ही १) के करीब आमदनी हो सकती है। चमड़े के लीज और टुकड़ों से लाखों रुपये का सरेस हम न केवल अपने काम के लिए ही बना सकते बल्कि फालतू माल बाहर भी बेज सकते हैं। इसके अलावा सींग तांत का काम आदि और बहुत से उद्योग चल सकते हैं। वास्तव में मृत जानवर से ही हम देहातों को उद्योगमय बना सकते हैं। मृत जानवरों का ठीक से उपयोग न कर सकने से हमको कितनी हानि होती है, इसका हिसाब लगाना शुरू करेंगे तो घबड़ा जाओगी।

जहाँ तक गिनती की जा सकी है हमारे यहां हर साल दो करोड़ सत्तावन लाख जानवर मरते हैं। इनके चमड़े की ठीक व्यवस्था न होने से हमारे गाँवों का कमसे कम प्रति फर्द २) का नुकसान होता है। उसके अलावा प्रति जानवर मांस से आठ आने, हड्डी से एक रुपया, चर्बी से एक रुपया, सींग पुट्टा आदि से चार आने मिल सकता है। इस प्रकार हम आज प्रति जानवर २ रु०) + 11) + १) + १) + 1) यानी पौने पाँच रुपये हानि उठा रहे हैं अर्थात् हमको कुल ४111) × २५७०००००० = १२, १८, १२, ०००) वार्षिक हानि होती है।*

रकम तो हम केवल संघटित रूप से मृत देह की

यह व्यवस्था करने से ही बचा सकते हैं।* लेकिन अगर

भयंकर हानि ! हम चमड़े का उद्योग चलाकर कुल चमड़ों को पक्के

माल के रूप में बँचें और उतनी खाद के कारण

खेती की पैदावार की जो वृद्धि होगी उसका हिसाब जोड़ें, विभिन्न प्रकार के उद्योगों में कितनी आमदनी होगी और कितनी बेकारी दूर होगी, उसका विचार करें तो हमारी वचत कितनी गुना बढ़ जायगी,

*आजकल प्रति जानवर ५।६ रुपये मिलेंगे। ७-११-५०

*आज यह रकम ५० करोड़ रुपये होती है। ७-११-५०

इसे तुम समझ ही सकती हो। इस तरह जब मृत जानवर की कीमत काफी बढ़ जायगी तो आज जैसे बूढ़े जानवर को काट डालने के लिए मजबूर हो जाते हैं वैसा नहीं करना पड़ेगा। दूसरा यह है कि जब लोगों को मुर्दार चमड़े का उम्दा माल मिलता रहेगा तो वे कल किये हुए जानवर के चमड़े को माँग नहीं करेंगे। अतः हमारी योजना में गंगालन के साथ मृत जानवर के उद्योग की व्यवस्था होनी चाहिए।

यह पत्र बड़ा हो गया। सोचा था, इसी पत्र में बाकी सब कार्यक्रम पर विचार समाप्त कर दूँगा। लेकिन यह विषय इतना व्यापक था कि इसी ने काफी समय ले लिया। अतः इस पत्र को आज समाप्त करके अगले महीने और विषयों पर विचार करने की चेष्टा करूँगा।

[६]

यातायात और जल की व्यवस्था

१—४—४४

यातायात—तुम्हारा पत्र मिला। तुम लोग मेदनीपुर जिले में नई तालीम का प्रयोग शुरू कर रहे हो, जानकर खुशी हुई। इसका मतलब यह कि अब अपने तालीमी संघ के तने से शाखाएँ पर शाखाएँ फूटनी शुरू हो गई हैं। यह अवस्था सुखकर है। हमारे प्रान्त में अब प्रयोग होगा ? मैं अब भी समझता हूँ कि तालीमी संघ की प्रयोगशाला हमारे ही प्रान्त में होनी चाहिए। हिन्दुस्तान तालीमी संघ का काम हिन्दुस्तानी (हिन्दी) भाषा में ही न होगा ? और इस भाषा का प्रधान अड्डा युक्तप्रान्त ही तो है।

अब हम लोग सब जेल के अन्दर ही अन्दर नये आर्डिनैस में फिर गिरफ्तार हुए हैं, ऐसा सुनने में आया है। पता नहीं इस बीच कितने कानून बदलेंगे और बनेंगे ? चाहे जो कुछ कानून बनें बिगड़ें, हमारे लिए उनका कोई मूल्य नहीं। हमें नजरबन्द रहना ही है फिर वे चाहे जो कश्कर रक्वें। लोमड़ी भेड़ को खायेगी ही। दलील क्या होती है, यह भेड़ के लिए कोई दिलचस्पी की बात नहीं। हाँ, अब

हमें गर्मी में बाहर सोने को मिलेगा। खाने को आलू भी मिला करेगा। महीने में एक बार सम्बन्धियों से मुलाकात हो सकेगी और एक पोस्टकार्ड ज्यादा लिखने को मिलेगा। अब सरकार अखबार भी देगी, यह भी सुना है। इतना बात खुशी की है। बाकी जेल जीवन जैसा था, वैसा ही है। हाँ, मालूम हुआ है कि सरकार अब एक प्रमाण पत्र भी हमको देगी जिसमें हमारे बन्द रहने का कारण रहेगा। यहाँ कोई भी उसके लिए फिक्र नहीं करता। सब जानते हैं कि वही लोमड़ी जैती ही कोई दलील होगी।

अब तक जो पत्र मैं तुमको लिखता रहा उनमें हम ग्राम-सुधार के लिए क्रमशः उद्योग, शिक्षा व संस्कृति, सफाई व स्वास्थ्य, कृषि व बागवानी तथा गोपालन पर अपने विचार प्रकट करते रहे। इतने कार्यक्रमों का संघटन हो जाने पर गाँवों की स्थिति ऐसी होनी सम्भव है कि हम कुछ ऐसे कार्यक्रम भी शुरू कर सकें जिनके लिए गाँव भर को सहयोग वृत्ति तथा सार्वजनिक लाभ के वास्ते व्यक्तिगत त्याग की तैयारी की आवश्यकता हो। ऐसा काम है गाँव की यातायात की समस्या हल करना। तुम जब रणीवाँ आई थीं तो देखा होगा कि आश्रम तक जाने में रास्ते भर कितनी तकलीफ हुई थी। परीशान होकर वापन जाते समय तुमने पैदल जाना ही पसन्द किया था। फिर भी तुम ऐसे मौसम में गई थीं जब सूखा था। खेत खाली होने के कारण बैलगाड़ी चाहे जिस गाँव में जा सकती थी। बरसात में तो पैदल चलने के अलावा दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। रणीवाँ जाने में रास्ते का जो हाल तुमने देखा था वह भी हमारे ग्रामों के

हिसाब से अच्छा था। अधिकांश गाँवों की उससे गाँव के रास्तों भी बदतर हालत रहती है। पर यातायात को की दुर्दशा कठिनाई को उसी तरह से रहने देकर औद्योगिक प्रगति करना एक प्रकार असम्भव नहीं है। अधिकतर लोगों की तो यह राय है कि यातायात की सुविधा पहले

होनी चाहिए, फिर उद्योगों का संघटन शुरू करना चाहिए। आज जो सरकारी तथा गैरसरकारी ग्राम-सुधार कार्य हो रहा है उसमें सड़क बनाने और सुधारने का काम प्रथम और मुख्य माना गया है। देहात की सड़कों को दुरुस्त करना इतना महत्व का होने पर भी मैंने ग्राम-सुधार योजना में यह कार्यक्रम सबसे अखीर में रखा है। इसका कारण मैं पहले एक पत्र में बता चुका हूँ। अगर हम चाहते हैं कि ग्राम-सुधार का काम ग्रामीण जनता की शक्ति का विकास करके करें तो ऐसे कार्यक्रम बाद को ही रखना होगा। क्योंकि जब तक गाँव के लोगों में संघटन का प्रथा न जारी होगी तब तक कोई सम्मिलित काम नहीं हो सकता। जो सड़क आदि का काम होता है वह कहीं-कहीं पैसे की इमदाद से एकाध सड़क मरम्मत कर देने का ही है। इस दिशा में कोई व्यापक योजना तो देहात की जनता की आर्थिक स्थिति, शिक्षा, संस्कृति तथा संघटन शक्ति की उन्नति के साथ ही हो सकती है।

मैं कह रहा था कि यातायात की समस्या हल करने के लिए हमको चाहिए, गाँव भर का सम्मिलित प्रयास, संघटित परिश्रम और कुछ लोगों की उतनी जमीन जो सड़क बनाने के लिए जरूरी हो। अब तक मैंने जितने कार्यक्रमों का जिक्र किया है उनके बाद जनता में इतनी सार्वजनिक भावना पैदा होगी जिससे वे लोग खुशी से इतना त्याग सबके भले के लिए करेंगे, ऐसा मेरा अनुभव है। अगर छान-बीन के साथ खोज की जाय तो मालूम होगा कि प्रथम दृष्टि से यहाँ यह जितनी त्याग की बात मालूम होती है वस्तुतः इस जमीन छोड़ने के मसले पर उतने त्याग की आवश्यकता न होगी। प्रथमतः सड़क निकालने की योजना ऐसी बनाई जाय जिसमें अधिकतर हिस्सा परती, जंगल आदि पड़े। इसके अलावा अगर पटवारी के नक्शों को देखा जाय तो मालूम होगा कि अधिकांश गाँवों में ऐसा डहर मौजूद था जो किसी की व्यक्तिगत भूमि नहीं समझा जाता था। उतना डहर

छोड़ा जाता था यातायात की सुविधा के लिए। वह ग्राम पंचायत के अधीन था और उसका संस्कार गांव वाले मिलकर करते थे। लेकिन गांव का स्वाभाविक संघटन नष्ट हो जाने पर उस भूमि को आस-पास के किसानों ने अपनी भूमि में मिला लिया। आज भी अगर ज़रीबी नक़शा निकाला जाय तो उतना डहर अलग मालूम हो जायगा। यह भूमि आज भी कानूनन सर्वसाधारण की सम्पत्ति है। हमारा ग्राम-संघटन पुनर्जीवित होने पर उन डहरों को फिर से सर्वसाधारण को वापस करना कठिन नहीं होगा। लेकिन इतने दिनों से उसका दखल भोग करते रहने पर अब किसान उसे अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति ही समझने लगे हैं और अब उसे छोड़ना उतना ही अखरेंगा जितना उनको अपनी ज़मीन छोड़ने में अखरता।

मागों का पुनरुद्धार चार साल पहले जब मैं फैजाबाद में इन डहरों की खोज करके उनके पुनरुद्धार के काम में लगा था तो किस तरह उनके कब्ज़ेदार लोग झगड़ा करते थे और हमको अधिकारियों की मदद से भी कहीं-कहीं सफलता नहीं मिलती थी, इसकी पूरी कहानी मैं तुमको पहले लिख चुका हूँ। अतः यद्यपि उस सर्वसामान्य सम्पत्ति को अपनी ज़मीन में मिलाना किसानों के लिए बेजा दखल है फिर भी आज उसे फिर से सर्वजनिक काम में देना उनके लिए त्याग की ही बात होगी।

अतएव यद्यपि दूसरे कार्यक्रमों-द्वारा हमने गांव की स्थिति में काफी सुधार कर लिया है तथापि हमको यह काम काफ़ी सँभाल कर करना होगा। इस विषय में जल्दबाजी करने पर गांव में झगड़ा होने का डर रहेगा। गांव की पंचायत में कई आदमी होंगे। मान लो उनमें से दो आदमी की ज़मीन सड़क के लिए जरूरी है। ऐसी हालत में अगर कोई ऐसा प्रस्ताव हुआ कि अमुक-अमुक टुकड़े सड़क के लिए लिये जायँ तो झट वे दो आदमी समझ बैठेंगे कि 'यह प्रस्ताव फलाना शख्स ने हमारी हानि करने की नीयत से किया है।' इस तरह

भगड़ा खड़ा होकर गाँव के संघटन की हानि हो सकती है। हमारे कार्यकर्त्ताओं को हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि वे जो संघटन गाँव में कायम कर रहे हैं उनकी स्थिति बहुत नाजुक है। प्रथमतः उनके संघटन के लिए सरकारी कानून का बन्धन नहीं है और वह सम्पूर्ण जनता की सद्भावना पर ही निर्भर है। दूसरी बात यह है कि हम अपने थोड़े साधनों से थोड़े ग्रामों में ही संघटन कायम कर सकेंगे। उनके अलावा उन देहातों के चारों तरफ विस्तृत क्षेत्र के देहातों के लोग पुराने तरीके से जीवन बिताते होंगे। उनकी मनोवृत्ति का असर हमारे संघटन के अर्न्तगत देहातों पर पड़ना अनिवार्य है। जो कुदरती असर पड़ता है उसके अलावा भी दूसरे गाँव के लोग जब देखते हैं कि अमुक गाँव उन्नति कर रहा है तो वे हर तरह से कोशिश करते हैं कि बना हुआ संघटन टूट जाय। इस प्रकार दूसरे गाँव की ईर्ष्या के कारण काफी सफल संघटन टूटने का अनुभव मुझको अपने कार्यक्रम में हुआ है। इसके अलावा अगर वह गाँव किसी की जमींदारी में (आज प्रायः सभी गाँव किसी न किसी जमींदार के ही हैं) पड़ता है तो जमींदार ऐसा मौका हमेशा ढूँढा करता है जिससे भगड़ा हो जाय। फिर जब सरकार जनता की नहीं है और जनता के शोषण पर ही कायम है तब भला सरकारी महकमों के लोग कैसे हमारे संघटनों को पनपने देना चाहेंगे। पुलिस, कानूनगो, जरायत के कर्मचारी, कां-आपरेटिव विभाग के लोग सभी अपने-अपने ढंग से कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार गाँव वालों का स्वतन्त्र संघटन बनने न पावे। अतः सड़कों के लिए किसी क्रिस्म का नकशा बनाते समय परिस्थिति का ध्यान बहुत सावधानी के साथ रखना होगा। इसका क्रम कुछ इस प्रकार हो सकता है : --

प्रथमतः गाँव के नौजवानों को सम्मिलित करके गाँव के उन डहरों का संस्कार किया जाय जिन पर कोई खेती तो नहीं करता है लेकिन जिनकी ऐसी हालत हो गई है कि वे काम में नहीं आ

सकते हैं। इन सड़कों के भी कई प्रकार हैं :—

(१) ऐसी सड़कें हैं जो ग्राम तौर पर तो ठीक काम लायक हैं लेकिन कहीं-कहीं कटकर इतना गड्ढा हो गया है कि बरसात में ऊपर से चलना असम्भव हो जाता है।

(२) ऐसी जो अभी तक किसी के खास दखल में तो नहीं गई हैं लेकिन लोगों ने अपने खेत की खाई बनाने के लिए उन्हीं से मिट्टी खोद-खोद कर उनकी सतह इतनी नीची कर दी है कि अब वे सड़क न रहकर गांव भर के पानी का निकास की नाली हो गई हैं।

(३) कुछ ऐसी हैं कि अभी पूरे तौर पर खेतों के गर्भ में तो नहीं चली गई हैं लेकिन इतनी पतली हो गई हैं कि उन पर बैलगाड़ी नहीं चल सकती। मालूम होता है, लोगों ने इतनी मेहरबानी उन सड़कों पर केवल बैलों के निकास के लिए ही कर रखी है। हमको क्रमशः प्रथम, दूसरे और आखिर में तीसरे प्रकार की सड़कों को मरम्मत का काम लेना चाहिए, जिससे लोगों में धीरे-धीरे बढ़ने का हौसला हो।

उक्त तीन किस्म की सड़कों का जीर्णोद्धार होने के बाद नई सड़क या डहर बनवाने की योजना बनानी चाहिए। उसका नक्शा ऐसा बनाना चाहिए जिसमें अधिकांश बाग, परती, ऊसर या जंगल जैसी जमीन पड़े जो खेती के काम में न आती हो, जिससे खेत में से कम से कम हिस्सा लेना पड़े। इसके आगे आज हम नहीं जा सकते। जिस सड़क के लिए अधिकांश जमीन खेत में से लेनी पड़े उसे जिला बोर्ड या सरकार ही कर सकती है। हमारे कार्यकर्ता या ग्राम-पंचायत जिला बोर्ड से मिलकर ऐसी सड़क बनवाने की कोशिश अवश्य करें लेकिन अपनी ओर से उसकी चेष्टा करने में सफलता नहीं मिल सकेगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमको ऐसे छोटे-छोटे काम करने होंगे जो हमारी ग्रामीण जनता की आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक स्थिति के अनुकूल हों। बड़ी सड़क की बात हम को सोचना ही नहीं है। हमारा काम केवल गाँव से बाहर निकलने के रास्ते का प्रबन्ध

करना मात्र है। अगर हम अपनी योजना के अर्न्तगत कुछ गांवों में इतनी ही सफलता प्राप्त कर सकें तो बहुत होगा। बाकी काम सरकार पर छोड़ देना होगा। यातायात की योजना आरम्भ करते समय ग्राम-सेवक को इतना सतर्क जरूर कर देना है क्योंकि कितने ग्राम-सेवक एक गाँव की सड़क की समस्या हल करने में संचते हैं कि कम से कम स्टेशन तक तो सड़क बन ही जानी चाहिए। चाहे वह स्टेशन ४।६ मील दूर ही क्यों न हो। मैं जब उनको ऐसे विचार की व्यर्थता बताना चाहता हूँ तो वे प्रायः यह दलील करते हैं कि अगर लोगों को स्टेशन तक जाने का रास्ता न मिले तो गाँव से निकास ही होकर क्या लाभ? ऊपर से सोचने पर उनकी दलील कुछ सही मालूम पड़ती है। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से ऐसा करना सम्भव नहीं है। प्रथम हमारे पास इतना साधन नहीं है। द्वितीय ऐसी सड़क पर कई गाँव पड़ेंगे। हमको प्रधानतः गाँव के सम्मिलित परिश्रम से ही काम करना है। अभी इतना सम्भव नहीं होगा कि गाँव के लोगों को अपने लोगों की सीमा छोड़कर बाहर परिश्रम करने को ले जा सकें। अतः इस दिशा में हमको गाँव की हद्द के अन्दर ही रहना श्रेयस्कर होगा। इस प्रकार एक क्षेत्र में अवि-कांश डहर और सड़क बन जाने से उन ग्रामों के सम्मिलित संघटन, जिला बोर्ड या सरकार से तमाम क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सड़क की माँग रखने की शक्ति प्राप्त करेंगे। वे जब अपने संघटन से गाँव के अन्दर की सड़कों को ठीक कर लेंगे तो जिला बोर्ड के लिए उनकी माँग की उपेक्षा करना कठिन होगा। क्योंकि उनकी माँग के पीछे केवल अपनी सड़क बना लेने की बात ही तो नहीं रहेगी। इस बीच जो औद्योगिक उन्नति हो जायगी उससे भी केन्द्रीय सड़क की माँग का बहुत बड़ा और माकूल कारण उनको रहेगा।

ईट भट्टा का उद्योग—सड़क की योजना के साथ पानी की व्यवस्था करने का काम साधारणतः आ जाता है। पानी का काम भी सुधार-योजना की उसी अवस्था में हो सकता है जिस में हम

यातायात का काम शुरू करते क्योंकि इसमें भी कुछ सम्मिलित परिश्रम की आवश्यकता है। हाँ, यातायात के काम से यह काम जरूर कुछ आसानी से हो सकता है। एक तो इसमें उतने अधिक सार्वजनिक श्रम की आवश्यकता नहीं है। दूसरे जब किसी कुएँ का जीर्ण संस्कार कराना होगा तो किसी से कुछ त्याग तो कराना नहीं। फिर कुआँ किसी खास आदमी की सम्पत्ति होने से उसे खूब दिलचस्पी रहती है। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से मैं दोनों को एक साथ ही लेने का पन्हाती हूँ। पिछले एक पत्र में मैंने किसानों को फुर्सत के समय करने लायक कामों में भट्टे के काम का जिक्र किया था। उद्योग के कार्यक्रमों को शुरू की अवस्था में प्रारम्भ करने की ही बात थी। अतः जब तक कुएँ का कार्यक्रम शुरू करना होगा तब तक भट्टों का उद्योग काफी प्रगति कर जायगा। इस कारण भी कुँओं की मरम्मत करना आसान हो जायगा। मेरा तो विश्वास यह है कि एक बार इसका आन्दोलन चल जाय और साथ ही ईंट आदि सामान सुलभ हो जायँ तो लोग आप से आप अपने कुँओं की मरम्मत करेंगे।

ईंट के भट्टों के नाम से कुछ को आश्चर्य होता होगा। तुम कहोगी चर्खा तथा अन्य ग्राम-उद्योग का काम तो समझ में आता है, यह ईंट के भट्टे से क्या लाभ? इससे गाँव की आर्थिक स्थिति में किस प्रकार की उन्नति होगी? उनको बँच कर कहाँ से आदमनी होगी? किसी के लिए ऐसा सोचना शायद स्वाभाविक है। लेकिन जैसा कि मैं पहले लिख चुका हूँ कि हमारा उद्देश्य तिजारत नहीं, ग्राम-सुधार है। और स्वावलम्बन के आधार पर देहातों का आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक तथा राजनैतिक सुधार करना है। हम बाजार का संघठन तो जरूर करते हैं लेकिन उसका अधिक महत्व प्रारम्भिक दशा में ही रहेगा। बाद को गाँव में उत्पादित माल का अधिकांश तो गाँव के ही इस्तेमाल के लिए बनेगा। फिर उद्योग केवल उन्हीं चीजों के लिए थोड़े ही किया जाता है जिनकी बिक्री बाहर हो। गाँव की

उपयोगी चीजों की उत्पत्ति भी तो उद्योग है। गाँव में विस्तृत रूप से नये-नये उद्योगों के चलाने के कारण कारखाने आदि के बनाने में काफी ईंट की जरूरत पड़ेगी। कृषि-सुधार कार्य में भी अधिक कुएँ बनवाने का कार्यक्रम रहेगा। सुधार का वायुमंडल पैदा होने पर सड़क मरम्मत तथा निर्माण कार्य में कदाचित् पुलियाँ भी बनानी पड़ेंगी। अभी मैंने जो गाँव के कुओं की मरम्मत करने का जिक्र किया था उनके लिए ईंट की आवश्यकता होगी। इन कामों के लिए गाँव में ईंटों का सुलभ होना जरूरी है। जो लोग गाँव में रहते हैं उनको मालूम है कि बाहर, से ईंट मंगाना कठिन है। एक तो ईंट का दाम ही अधिक होता है; दूसरी बात यह है कि दूर होने के कारण ईंट के दाम से ढोने की मजदूरी अधिक हो जाती है। अधिकांश ग्रामों के लिए तो रास्ते के अभाव से दूर से लाना भी कठिन हो जाता है। जब तक गाँव रहेगा, तब तक गड्डे रहेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा इनकी शक्ल आदि में कुछ उन्नति कर सकते हैं। इस दिशा में मैंने जो कुछ प्रयास किया था उसका अनुभव तुमको लिखा ही है। मिट्टी की भोत उठाने के कारण घरों के आस-पास छोटे-बड़े गड्डे हो जाते हैं; उनमें स्थायी रूप से गन्दगी सड़ती है। खास तरह से उन प्रान्तों की बात तो कहना ही बेकार है जहाँ वर्षा काफी होती है और भारत के अधिकांश प्रान्त वर्षा-प्रधान हैं। गड्डों का इस तरह से सड़ते रहना बीमारी का कारण होता है। खाद के घूर को लोग हटाने का तो प्रस्ताव करते हैं, लेकिन इन गड्डों को भला हटाकर कहाँ ले जायेंगे? देहातों में मिट्टी का घर बनाने का तरीका आज जैसा जारी रहा तो इनका क्रमशः बढ़ते जाना अनिवार्य है। इनसे स्वास्थ्य-सम्बन्धी जो हानि है वह तो है ही; गड्डों की बढ़ती के साथ-साथ आवादी के अन्दर काफी स्थान बेकार होता जायगा, जिसका कुछ दूसरा उपयोग हो सकता है।

ग्राम-सुधार कार्य के सिलसिले में नावदान का पाना बहाने के

लिए पक्की नालियों का प्रस्ताव हम हमेशा करते रहते हैं लेकिन जब तक गाँव के मकान बनाने की पद्धति बदली न जाय तब तक स्वाभाविक विकास के अभाव में इस कार्य में हमेशा कठिनाई रहेगी। गाँव में किसी मकान का जब कोई अंश खराब हो जाता है तो लोग उसे नष्ट कर उसकी मिट्टी उसी स्थान पर फैला देते हैं।

इँटों के मकान और उसी पर नई भीत खड़ी कर देते हैं। नतीजा बनाने को यह होता है कि आस-पास की जमीन की सतह प्रोत्साहन दो ऊँची हो जाती है और नाबदान नीचा हो जाता है; जिससे पानी न निकल कर वहीं सूखता रहता है।

इनका परिहार इसी से हो सकता है कि लोगों में ईँट के मकान बनाने की प्रथा प्रचलित हो जाय।* मैंने ग्राम-उद्योगादि के जिन कार्यक्रमों

*पत्र लिखने के बाद मकान की समस्या के बारे में अधिक विचार तथा अनुभव करने का मौका मिला। आज देश की जो स्थिति है उसको देखते हुए देहात में पक्का मकान का चलन लाभदायक नहीं होगा। प्रथमतः देहाती जनता इससे परावलम्बी हो जायेगी; दूसरी बात यह है कि इससे हमारी ईंधन की समस्या और जटिल हो जायेगी। अतः हमारे गाँव के निर्माण कार्य में कच्चे मकान की प्रधानता ही रखनी होगी। हाँ, मकानों के निर्माण में तथा भइँटों के बनाने में नये शोध करने की आवश्यकता है। इस दिशा में व्यापक खोज के लिए वैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना करनी होगी। जो राष्ट्रीय संस्थायें स्वावलंबन के आधार पर समाज व्यवस्था की दिशा में आन्दोलन चलाना चाहती हैं उन्हें खास तौर से इस प्रश्न पर ध्यान देना होगा। दुर्भाग्य से हमारी संस्थायें मकान की समस्याओं को अपनी कल्पनानुसार आर्थिक तथा सामाजिक विचारधारा की दृष्टि से सोचती नहीं हैं; वे सहूलियत और खर्च के महत्व को देखती हैं। हमारी संस्थाओं को हर दिशा में अपनी मौलिक विचार धाराओं पर ध्यान रखकर ही काम करना होगा। नहीं तो अपना मूल सिद्धान्त ही खटाई में पड़ जायेगा।

के बारे में लिखा है उनके कारण लोगों की आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्थिति अच्छी होने पर उन्हें इस ओर प्रोत्साहित करना कठिन न होगा। साथ ही यदि पुरानी भीत गिराते समय मिट्टी को पास के गड्ढे में डालने का रिवाज हो जाय तो धीरे-धीरे गड्ढे भी भरते जायेंगे और जगह समतल होती जायगी। पक्की दावारों की संख्या बढ़ जाने पर गाँवों का दृश्य भी बदल जायगा और देहाती जनता का जीवन सुसुचि-पूर्ण होता जायगा। यह सच है कि हमारी कोशिशों के बाद गाँवों में बहुत से कच्चे मकान बनेंगे पर उनके लिए मिट्टी लेने की व्यवस्था ग्राम-समिति की निश्चित योजना के अनुसार करनी होगी। निश्चित स्थान पर निश्चित विधि और नाप से यदि मिट्टी ली जायगी तो उससे बने गड्ढे धीरे-धीरे तालाब का रूप ले सकेंगे। मछली पालकर और अन्य उपायों से उसके पानी को साफ रखना कठिन न होगा। यह सच है कि सभी स्थानों से मिट्टी न लेने से लोगों का कभी-कभी दूर से मिट्टी लानी पड़ेगी लेकिन जिन्दगी भर के आराम के लिए एक बार थोड़ी तकलीफ करना अच्छा ही है। इतनी तकलीफ के लिए उनको सम्भलाना कठिन न होगा।

पक्की ईंटों के सुलभ होने पर गाँवों की और कई समस्याएँ हल होती रहेंगी। आज जो नावदान का पानी सड़ता है, पक्की नाली बन जाने से इस दिशा में सफाई रखना आसान हो जायगा। पशुओं के रहने का फर्श पक्का होना कितना आवश्यक है यह मैं कह ही चुका हूँ। इससे सफाई और खाद की प्राप्ति दो लाभ हैं। इस प्रकार ईंट की सुलभता से गाँव की बनावट में सर्वतोमुखी सुधार होना सम्भव है।

भट्टों की स्थापना से कृषि को भी लाभ पहुँच सकता है। कृषि के प्रोग्राम पर विचार करते समय मैंने तालाबों के महत्व की बात जिक्र किया था। जितना पानी बेकार बह जाता है उसमें से कुछ अगर रोका जा सके तो सिंचाई की समस्या का एक बड़ा हिस्सा हल हो

संभलता है। यही कारण है कि पुराने समय में बड़े-भट्टों की स्थापना से बड़े तालाब खोदने की प्रथा थी। तालाब खुदवाने के पुण्य की बहुत प्रशंसा की गई है। आवपाशी के साथ-साथ लोग तालाबों में मछली पाला करते थे। इस प्रकार खाद्य मिलता था। अब गरीबी और जहालत के कारण वे तालाब भी पटक ऐसी हालत में हो गये हैं कि किसान उनसे कोई फायदा नहीं उठा पाते। वे तो जहाँ कहीं ऊँची जगह पाते हैं वहाँ फसल बो देते हैं। और इस प्रकार “कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा” के न्याय के अनुसार थोड़ा बहुत अनाज पैदा कर लेते हैं। मैंने देखा है कि गाँव के लोग तालाब खोदने की वृत्ति को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं पर गरीबी और संघटन के अभाव से वे ऐसा कर नहीं पाते। अगर यह सुना जाता है कि कहीं कोई तालाब खुदवा रहा है या पुराना भटा हुआ तालाब साफ करवा रहा है तो उसकी प्रशंसा दूर-दूर तक होती है। रणियाँ का तालाब तो तुमने देखा है। जब हम उसे खुदवाते थे तो दूर-दूर से लोग देखने आते थे और प्रशंसा करते थे। ग्राम-सुधार के लिए तालाब का होना कितना आवश्यक है, इसको लोग पूरे तौर से महसूस करते हैं। लेकिन आज गाँवों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि तालाब फिर से आसानी से खुदवाये जा सकें। तालाबों की मिट्टी अधिकांश चिकना होती है। लेकिन जहाँ ऐसे तालाब मिलें जिनकी मिट्टी ईंट के काम में आ सकती हो तो उनका उपयोग करके भट्टे बनाये जायँ। इससे एक साथ दो काम होंगे। भट्टे बन जायँगे और तालाबों का पुनरुद्धार हो जायँगा। इसके अलावा जो भट्टा नई जमीन खोदकर बनेगा उस जगह भी आसानी से तालाब बन सकता है।

जल की व्यवस्था—मैं गाँवों में शुद्ध पानी की व्यवस्था करने की बात कर रहा था। बीच में प्रसंगतः भट्टे और तालाबों की बात आ गई। मैं कह रहा था कि यातायात के प्रोग्राम के साथ ही इस कार्यक्रम को लेना है क्योंकि दोनों ही ग्राम-सुधार योजना की एक ही

अवस्था में आरम्भ करने लायक हैं। आज अधिकांश गांवों के कुयों की दशा ऐसी है कि तबीयत धँवड़ा जायगी। कहीं-कहीं २-४ अमीर घरों के सामने के कुएँ ऐसे होते हैं जिनकी जगत् बनी होती है। उनमें से भी ७५ सैकड़ा ऐसे होंगे जिनका पाट टूटा है और अन्दर पानी भरता है। बाकी जितने कुएँ हैं उनमें किसी किस्म की जगत् नहीं है। उनके किनारों की सतह इतनी कुओं की दुर्दशा नीची है कि बरसात में गांव का पानी बहकर उनमें चला जाता है और पानी के साथ गांव भर की गन्दगी भी उन्हीं के अन्दर जाती रहती है। आज कल लोग न नया कुआँ खुदवाते हैं, और न पुरानों की मरम्मत कराते हैं। अधिकांश कुओं के कोठे सड़ गये हैं और लोना नोना लग कर बिस गये हैं। उनके दरारों से किस्म-किस्म के पेड़ निकल पड़े हैं और कुएँ के अन्दर राशनी और हवा का भी रास्ता बन्द कर दिया है। कोठे के अन्दर की यह स्थिति तो उन अमीर घरों के भी अधिकांश कुयों की है जिनकी जगत् बनी हुई है।

ऊपर की बातों से पानी की समस्या की भयंकरता का अन्दाज कर सकती हो कि हमको इस दिशा में कितनी चेष्टा करनी होगी। सच है कि मैंने इतने ही या इससे ज्यादा महत्व के कामों के लिए आज परीशान न होकर भविष्य सरकार के लिए छोड़ देने की नलाह दी थी। लेकिन मैं समझता हूँ गाँव के कुआँ सुधारने का काम हम आज की परिस्थिति में भी व्यापक रूप से कर सकते हैं। मैंने देखा है कि थोड़ा संघटन हो जाने पर और सामान सुलभ होने पर लोग उत्साह के साथ यह काम करते हैं। अतः मेरा विश्वास है कि अगर उचित अवसर पर यह काम शुरू किया जाय तो गाँव की समितियों की माफत बिना बाहरी मदद के इसे बहुत हद तक उफल बनाया जा सकता है।

ग्राम-संगठन की रूप-रेखा—पिछले महीने के पत्र में मैंने देहाती

की कुछ समितियों का जिक्र किया था। उसके साथ ही मैंने उन समितियों की रूप-रेखा बताने का वादा किया था। हमने प्रथम से ही सारी सुधार-योजना गाँव की आन्तरिक शक्ति संघटित करके उसी की मार्फत चलाने का ध्येय रक्खा था। क्योंकि स्वावलम्बन के सिद्धान्तानुसार हमको समाज की बुनियाद से काम शुरू करना होगा। हमारा अन्तिम ध्येय केन्द्र तन्त्र को क्रमशः घटाकर आदर्शस्थिति में उसे शून्य कर देना है। अतः हमारी व्यवस्था ऐसी हो जिससे समाज क्रमशः व्यक्ति-स्वावलम्बन की ओर अग्रसर हो। यही कारण है कि हम सब से पहले गाँवों की मूल जन-संख्या को स्वावलम्बी बनाने की कोशिश करते हैं; फिर ग्राम-समिति तथा सर्किल सोसाइटी की ओर बढ़ते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि हम गाँव में काम करने के लिए सबसे पहले चर्खे के उद्योग से आरम्भ करेंगे क्योंकि यही एक उद्योग है जिसमें गाँव का प्रत्येक परिवार शामिल हो सकता है। अतः सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से जितने घरों में सम्भव हो सकेगा चर्खा चलाकर उनके कते हुए सूत की बुनाई-विक्री आदि की व्यवस्था अपनी संस्था द्वारा की जायगी। फिर कातने वालों की एक समिति बनाकर, सूत-सुधार, कातने वालियों के सूतकी जाँच आदि की जिम्मेदारी उन पर डालनी होगी। फिर धीरे-धीरे रात्रि-पाठशाला लेकर क्रमशः अधिक कार्यक्रमों का भार मेरे पिछले पत्रों के बताये क्रमानुसार उनको सौंपा जा सकता है। कार्यक्रमों की वृद्धि तथा संघटन की मजबूती के साथ उत्तरोत्तर अधिक परिवार के लोग समिति में शामिल होकर क्रमशः यही समिति सम्पूर्ण गाँव की समिति तथा पंचायत बन जायगी। ग्राम-समितियों के संघटन की इकाई बन जाने पर कुछ गाँव मिलाकर सर्किल सोसाइटी और कुछ सर्किल सोसाइटियाँ मिलाकर एक यूनियन के रूप में, इस तरह क्रमशः ऊपर की कमेटियों का संघटन किया जा सकता है। इन समितियों का विधान तथा नियम क्या होगा, आज मैं क्या बताऊँ? यह तो जब इस प्रकार का संघटन वास्तविक क्षेत्र में किया जायगा तो स्थानीय

परिस्थिति तथा जनता की मानसिक स्थिति देखकर ही किया जायगा। मैं सिर्फ इसका निर्देश करना चाहता हूँ कि जो भी विधान बने वह ऐसा होना चाहिए कि हरेक समिति अपनी आन्तरिक व्यवस्था के लिए स्वतन्त्र हो। ऊपर की कमेटियाँ केवल सहायक रूप में होंगी। ऐसा न करने से हमारा स्वावलम्बन का आदर्श सफल नहीं होगा।

धीरे-धीरे उक्त कमेटियों को अपनी-अपनी योग्यतानुसार विभिन्न कार्यक्रम का भार देते रहना चाहिए जिससे कुछ साल में समस्त कार्यक्रम की जिम्मेदारी वे ले सकें। समितियों का काम समस्त सामाजिक, सार्वजनिक प्रोग्राम तथा उन उद्योगों का संचालन है, जिनके लिए सम्मिलित संचालन की आवश्यकता हो या जिनको चलाने के लिए साधन की आवश्यकता तथा खतरे की संभावना हो या जिन्हें आम तौर से व्यक्तिगत रूप से चलाना वांछनीय न हो सके। यानी मेरे पहले बताये उद्योगों की श्रेणियों में, जिन्हें मैंने ग्राम-उद्योग कहा है, उनका संचालन समितियों के जिम्मे रहेगा। इनमें कौन उद्योग या प्रोग्राम ग्राम-समिति, कौन सर्किल सोसाइटी तथा कौन यूनियन आदि के मातहत होगा, इसका निर्णय इस समय नहीं किया जा सकता। काम की व्यापकता तथा विभिन्न समितियों के सामर्थ्य के अन्दाज से उनका श्रेणी-विभाग करना होगा।

अब प्रश्न यह उठता है कि उन उद्योगों की व्यवस्था किस प्रकार की होगी जिन्हें मैंने 'कुटुम्ब-उद्योग' कहा है। उन्हें तो व्यक्तिगत परिवार स्वतंत्र रूप से चलायेंगे। फिर क्या वे संघटन-हीन हालत में ही रहेंगे? मेरे ख्याल से उनमें अलग-अलग उद्योग चलाने वालों की अलग-अलग समितियाँ बन जायँ तो अच्छा होगा। जैसे लोहार चढ़ई समिति, कागजी समिति, तेलघानी समिति आदि। ऐसा विधान बनाया जा सकता है जिससे विभिन्न सर्किल सोसाइटियों के समान ये समितियाँ भी केन्द्रीय यूनियन में शामिल हो सकें। हाँ, अगर चाहो तो इतनी शर्त रख सकते हो कि इस प्रकार की शुद्ध उद्योग-समितियाँ

यूनियन में केवल उद्योग-सम्बन्धी प्रश्नों पर ही अपनी राय दे सकें। समितियों के खर्च के लिए सदस्यों से उनसे उत्पादित सामान का कुछ अंश चन्दा रूप में लिया जा सकता है। इतने से मैं ग्रामों में किस प्रकार का संघटन कायम करने की कल्पना करता हूँ, इसका अन्दाज मिल गया होगा। वस्तुतः इन बातों को अधिक व्योरेवार बताना इन पत्रों में सम्भव नहीं है। वास्तविक क्षेत्र में सही योजना बनाते समय ऊपर लिखे संकेत के अनुसार संघटन की रूप-रेखा, विधान और नियमादि का व्यौरा निश्चित किया जा सकेगा।

मैंने पिछले एक पत्र में पंचायत की मार्फत गाँव का झगड़ा तय करने के लिए जल्दी न करने की सलाह दी थी। समिति में जब हम उपर्युक्त संघटन सफलता के साथ कर लेंगे तो गाँव के झगड़े आदि अनुशासन का प्रोग्राम ले सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर हमारी योजना पूरी होने में दस साल लग जायँ तो दस साल तक हम गाँव के अनुशासन-सम्बन्धी प्रश्नों की उपेक्षा ही करते रहें। जिन गाँवों में समिति पर जनता का विश्वास होने लगेगा उनमें समिति-द्वारा झगड़ा आदि का निवटारा थोड़ा-बहुत तो होगा ही। जब किसी व्यक्ति या संस्था पर जनता का विश्वास होने लगता है तो लोग स्वभावतः अपने मामलों को उसके पास ले आते हैं और उसके फैसलों का सम्मान करते हैं। इस प्रकार जैसे-जैसे हमारा संघटन मजबूत होता जायगा वैसे-वैसे अनुशासन-सम्बन्धी काम समितियों पर अपने आप आता जायगा। इस कार्यक्रम की स्वाभाविक प्रगति को हमारे कार्यकर्ता अपनी सहायता से आगे भी बढ़ा देंगे। मेरा कहना केवल यह था कि आज जैसे गाँव में पहुँचते ही ग्राम-सेवक पंचायत के झगड़ों को कार्यक्रम के रूप में अपने हाथ में लेने लगते हैं वह तरीका गलत है। संयोजित रूप से अनुशासन-सम्बन्धी व्यापक प्रश्न को हम ग्राम-संघटन का ढाँचा पूर्ण और मजबूत होने पर ही उठा सकते हैं। ऐसे समय हमारा काम आसान भी होगा क्योंकि तब तक

समितियाँ अपने नैतिक-बल से इस दिशा में काफी प्रगति किये हुए रहेंगी और गाँवों का सही और स्वाभाविक नेतृत्व भी प्राकृतिक हुआ रहेगा। हाँ, गाँव की समस्या का एक बड़ा अंश रह गया। वह है देहातियों के कर्ज का प्रश्न। हमारे देहाती कितने कर्ज के भार से लदे हुए हैं, इसका अंदाज तो करीब-करीब सभी को है। यद्यपि इसका हिसाब जोड़ना संभव नहीं है तथापि लोगों ने जो अन्दाज लगाया है वह लगभग १२०० करोड़ रुपये का है। इसके अलावा अरबों रुपये का लेन-देन तो स्त्रियाँ पर्दे के भीतर-भीतर करती रहती हैं, इनका तो कोई हिसाब ही नहीं लगा सकता है। लेकिन यह प्रश्न इतना जटिल और साधन-सापेक्ष है कि इसे हम अभी कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने इस प्रश्न को जानकर ही छोड़ दिया है। इसका हल तो राष्ट्रीय सरकार ही कर सकती है। अतः हमारे कार्यकर्त्तार्यों को सावधान कर देना चाहिए कि वे आवेश में आकर इस मसले में फँस न जायँ।

मैं समझता हूँ, कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम की संस्थाओं के द्वारा जितना काम हम कर सकते हैं उसके लिए मैं अपना विचार प्रगट कर चुका हूँ। मैंने जो कुछ कहा है वह अपने अनुभव के आधार पर ही कहा है। अतः शास्त्रीय दृष्टि से शायद मेरी राय ठीक न साबित हो। लेकिन मेरे-जैसा देहाती सेवक शास्त्रों को कहां तक जान सकता है। मैंने जो विचार समस्याओं के समाधानों के लिए किया है वह परिस्थिति तथा साधन के अनुसार ही किया है। लेकिन तुम लोग शास्त्रीय कसौटी पर इनकी परीक्षा तो कर सकते हो और इसमें जो कुछ सार हो उन्हें भी अलग कर सकते हो।

अब यह प्रश्न उठता है कि अगर कोई छोटी स्वतन्त्र संस्था हो तो क्या करेंगे? उनके लिए भी मेरी सलाह है कि वे इसी प्रकार की योजना बनायें। हाँ, स्थानीय परिस्थिति के अनुसार प्रोग्राम के क्रम में अन्तर कर सकते हैं। लेकिन दृष्टिकोण और आदर्श तो ऊपर

बताये अनुसार ही हो। आखिर मैंने तुमको कोई योजना तो नहीं भेजी है। योजना बनाने में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उन पर विचार मात्र किया है और मैंने जो विचार किये हैं, वे दोनों प्रकार की संस्थाओं के लिए लागू हैं। अगर सरकार जनता की हो तो इसमें अन्तर अवश्य होगा। लेकिन वह अन्तर भी कार्यक्रमों के सिलसिले और समूह में ही होगा; दृष्टिकोण और सिद्धान्त में नहीं। उद्देश्य तो वही ग्रामवासी को स्वावलम्बी बनाने की ओर ले जाना होगा। राष्ट्रीय सरकार कायम हो जाने पर ग्राम-सुधार योजना किस प्रकार हो, उसकी आज एक कल्पना मात्र कर सकते हैं। असली विचार तो उस समय की परिस्थिति को देख कर ही हो सकता है। फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं अपनी कल्पना का नक्शा तुमको भी भेजूँ। लेकिन उसे फिर कभी लिखूँगा। आज पत्र यहाँ ही खत्म करता हूँ।

[८]

प्रान्त के देहातों की हालत

२५—४—४४

पहली तारीख को मैंने तुमको एक पत्र लिखा था। मिला होगा। आज से हमको बाहर सोने को मिलता है। यह पत्र मैं बाहर बैठकर ही लिख रहा हूँ। डेढ़ साल से ऊपर हो गये, रात को आसमान का तारा कैसा होता है, नहीं देखा था। आज नजरबन्दों के लिए एक खास त्यौहार का दिन है। सभी बैरकों के अड़गड़े गुलजार दिखाई देते हैं। इधर गर्मी के कारण रात को पढ़ना-लिखना बन्द हो गया था। अब रात ही पढ़ने लिखने के लिए खास समय हो गया। मैंने भी सोचा, ऐसा अच्छा मौका क्यों छोड़ा जाय, पत्र ही लिख डालू लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिखूँ। पिछले पत्र में मैंने वादा किया था कि सरकार-द्वारा किस प्रकार से ग्राम-सुधार का काम किया जा सकता है, इसपर मैं तुमको अपने विचार लिखूँगा। सन् १९२१ से आज तक का सारा अनुभव लिख डाला। उन अनुभवों

के आधार पर मैंने यह भी लिख भेजा कि हमको ग्राम-सुधार की योजना कित्त आदर्श, दृष्टिकोण तथा प्रकार से बनानी चाहिए। इस तरह पिछले पत्रों में मुझको जितना कहना था, कह डाला। मैंने कहा था कि ग्राम-सुधार का काम दो जरियों से किया जा सकता है। एक अपनी संस्था द्वारा और दूसरा राष्ट्रीय सरकार द्वारा। मैंने सरकार के साथ राष्ट्रीय जान कर ही जोड़ा है क्योंकि आज जैसी विदेशी सरकार द्वारा ग्राम-सुधार योजना कैसे चल सकती है? विदेशी सरकार का हित ग्राम-उत्पाद में ही पूरा हो सकता है; वह ग्राम-सुधार कैसे कर सकती है। पंजाब में मि० ब्रायेन अंग्रेज कर्मचारी थे। उनमें ग्राम-सुधार का जोश था। एक सरकारी उच्च कर्मचारी, उस पर अंग्रेज अतः वे जितना चाहते थे उतना साधन सरकार से मिल सकता था। फिर भी आखिर उनको कहना पड़ा कि ग्राम-सुधार का काम सरकारी महकमा और अफसरों-द्वारा नहीं हो सकता। इसका मतलब यह नहीं है किसी भी सरकार द्वारा नहीं हो सकता। चाहे वह ब्रायेन साहब

हों चाहे कोई साहब हों, जब तक सरकार का ग्राम-सुधार हित और जनता का हित एक दूसरे के विरोधों
बनाम सरकार है तब तक सरकारी महकमे करने को ग्राम-सुधार
के महकमे रहेंगे लेकिन असलियत में वे ग्राम-

विगाड़ योजना के एजेंट का ही काम करेंगे। उनकी योजना बड़े-बड़े सैद्धान्तिक शब्दों से भर-पूर रहेगी लेकिन उनका कार्यक्रम हमेशा देहाती जनों को उत्तरोत्तर पंगु बनाने का ही रहेगा। लेकिन कुछ लोगों का खयाल ही ऐसा हो गया है कि किसी भी सरकारी महकमा द्वारा ग्राम-सुधार नहीं हो सकता; वह सही नहीं है। अगर ऐसा होता तो तुर्की, रूस, और कनाडा के कार्यक्रम सफल न हो पाते। सबाल सरकारी और गैर-सरकारी का नहीं है। सबाल यह है कि जो लोग सुधार-कार्य करेंगे उनका ध्येय क्या है, उनका आदर्श क्या है और उनका हित किसमें है। स्वभावतः राष्ट्रीय सरकार का

उद्देश्य और आदर्श नीतिपूर्ण होता है और उसका हित जनता के हित में ही है। फिर जब सरकार ही जनता की होगी तो उसके कर्म-चारियों को जनहित-व्रती होना ही पड़ेगा।

मैं अब तक तुमको जो कुछ लिखता रहा वह सब अपनी संस्थाओं-द्वारा काम करने की बात थी। उतना लिखना मेरे लिए आसान था क्योंकि इतने साल तक मैंने जो कुछ देखा, जो कुछ किया, या जो कुछ सोचा सब अपनी संस्था के अर्न्तगत रह कर ही किया। इसलिए मेरा सारा अनुभव संस्था के साधन के मुताबिक काम करने का ही है। कांग्रेस सरकार के जमाने में सरकारी महकमा की मारफत जरूर कुछ प्रयोग किया था लेकिन पिछले दिनों जो कांग्रेस सरकार थी वह कुछ राष्ट्रीय सरकार तो थी नहीं। उस समय हमारे मंत्रियों का इतना अधिकार ही कहाँ था कि वे जन-हित की दृष्टि से ही सारी व्यवस्था करते। अतः उस अनुभव से मुझको लाभ जरूर हुआ था फिर भी एक सही जनता की सरकार क्या कर सकती है उसका पूरा-पूरा अनुभव नहीं मिल सकता था। लेकिन साधारण रूप से देहाती समस्याओं को मैंने जैसा समझा है और ग्रामीण जनता को जितना पहिचान सका हूँ उसके आधार पर हम अपनी सरकार-द्वारा किस प्रकार से और क्या-क्या कर सकते हैं उसकी कल्पना मात्र हो सकती है। इस पत्र में मैं उसी की कुछ झलक देने की चेष्टा करूँगा। इस सिलसिले में एक बात ध्यान में रखनी होगी कि मैं जो कल्पना करूँगा वह अपने उद्देश्य, दृष्टिकोण तथा सिद्धान्त के अनुसार ही होगी। और तुम को मालूम ही है कि मैं उसी मार्ग से चलना चाहता हूँ जो मेरे विचार से वापू का बताया हुआ मार्ग है और जिसका जिक्र मैंने जेल से प्रथम पत्र में किया था। अतः मैं जिस प्रकार योजना बनाने का विचार करता हूँ उसका मूल होगा ग्राम-स्वावलम्बन।

यह सच है कि हमारे भविष्य की राष्ट्रीय सरकार प्रारम्भ में किस प्रकार की होगी, यह हमको पता नहीं है। उसकी रूपरेखा तो भारतीय

जनता तय करेगी। लेकिन विधान चाहे जिस प्रकार का बने यह तो तय ही है कि हमारी सरकार का रूप कुछ संघराष्ट्र के तरीके का होगा। उसमें हर एक प्रान्त अपनी-अपनी आन्तरिक व्यवस्था करेगा। हमारा भी आदर्श तो यही है कि जहाँ तक हो सके संघटन के नीचे की इकाई अपनी भीतरी व्यवस्था के लिए स्वतंत्र हो। अतः हम जो ग्राम-सुधार योजना की कल्पना करेंगे वह किसी एक प्रान्त के लिए होगी।

दूसरे प्रान्तों की बातों की जानकारी मुझको है
संघटन के ही क्या? अतः मेरे लिए अपने प्रान्त की स्थिति
दो भाग पर विचार करना आसान होगा। मैंने पहले ही
 कहा है किसी योजना बनाने से पहले हमको जिस

क्षेत्र के लिए ग्राम बनाना है उसकी मौजूदा स्थिति का अध्ययन करना होगा। फिर हमको यह सोचना होगा कि हम कितने साल की योजना बनायें। योजना का समय तय करने के लिए हमको यह तय करना होगा कि हमारा ध्येय क्या है? फिर हमको इस बात पर विचार करना होगा कि हमारा भार्ग क्या होगा और संघटन का कल-पुरजा किस प्रकार का है। इस संघटन के दो विभाग होंगे (१) सरकारी व्यवस्था-सम्बन्धी और (२) देहाती समिति आदि का। एक निरीक्षण तथा सहायता के लिए, और दूसरा संघटन तथा व्यवस्था के लिए होगा।

मैं लिख चुका हूँ कि सरकार-द्वारा भी जो ग्राम-सुधार का काम होगा उसका सिद्धान्त तथा तरीका वही होगा जो हम अपनी संस्थाओं में वर्तते हैं। केवल फर्क यह होगा कि जिन समस्याओं को हमने अपने साधन के बाहर कह कर छोड़ दिया है उन्हें भी इस योजना में सम्मिलित करना होगा और हमने जैसे मूल उद्योग चर्खा को लिया है उसी प्रकार सरकारी योजना में मूल उद्योग खेती को लेकर बाकी उद्योगों को उसी से सम्बन्धित करना होगा। उद्योग के सिलसिले में एक और बात का ध्यान होना जरूरी है। हमको पहले ही तय करना होगा कि किस उद्योग को विकेन्द्रित ग्राम-उद्योग के रूप में चलाया

जाय और किस उद्योग को केन्द्रीय उद्योग के रूप में चलाना होगा। इनकी सूची बनाना कठिन है। समय आने पर उन्हें तय करना होगा। इस समय कुछ सिद्धान्तों पर विचार करना काफी होगा।

पिछले एक पत्र में मैंने ग्राम-उद्योगों को तीन श्रेणियों में बाँटा है और इस बँटवारे में एक सिद्धान्त निश्चित किया था। ग्राम-उद्योग तथा केन्द्रीय उद्योग के बारे में भी हमें उसी तरह के सिद्धान्त के आधार पर निश्चय करना होगा। मैं शुरू से ही कहता रहा कि जहाँ तक सम्भव हो हमको आवश्यक सामान ग्राम-उद्योग के जरिये यानी विकेंद्रित प्रणाली से प्राप्त करने की चेष्टा करनी है। लेकिन कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए प्रकृति ने हमको कच्चा माल केन्द्रित रूप से ही दिया है या जिनके उत्पादन में दूर दूर के साधनों की आवश्यकता हो या जिनकी उत्पत्ति में खतरा ज्यादा हो या जिनकी उत्पत्ति के लिए इतनी ज्यादा शक्ति की आवश्यकता हो जो मनुष्यों या पशुओं के परिश्रम से प्राप्त होना सम्भव नहीं है। उन्हें हमेशा केन्द्रीय उद्योगों के रूप में, जन-सेवा के सिद्धान्त से, चलाना होगा। कुछ ऐसे उद्योगों के उदाहरण के लिए खानों का काम, लोहे और इस्पात का काम, रेल मौलिक आधार तार का काम, जहाज़ मोटर आदि के काम का उल्लेख किया जा सकता है। इसके अलावा अधिकांश दैनिक आवश्यकता के सामान तो ग्राम-उद्योग से ही प्राप्त हो सकते हैं। ग्राम-उद्योगों के प्रकार तथा कुछ मुख्य उद्योगों की सूची मैं पहले पत्र में लिख चुका हूँ। हम इस समय केवल ग्राम-सुधार योजना पर विचार कर रहे हैं। अतः केन्द्रीय उद्योग हमारे विचार के बाहर की चीज है। हाँ, उनमें कोई ऐसा उद्योग हो, जिस पर देहाती कार्यक्रम का कुछ आधार हो तो उसपर थोड़ा विचार कर लिया जायगा।

मैंने कहा है कि सुधार योजना बनाने से पहले हमको अपने

गांव की मौजूदा स्थिति जान लेनी चाहिए। जिस प्रांत की योजना बनानी है उसका क्षेत्रफल क्या है, आवादी कितनी और किस प्रकार की है, लोगों के पेशे क्या हैं, औसत आमदनी क्या है, उस आमदनी का खर्च किस प्रकार का है, उसका कितना खाते हैं और दूसरे काम में कितना लगाते हैं, लोगों पर कर्जा है तो कितना है, मुख्य उद्योग खेती का क्या हाल है, कितनी खेती लायक जमीन है, कितने में खेती होती है, खेती सुधार में क्या-क्या बाधाएँ हैं—साधन की कमी के कारण या जानकारी की कमी के कारण या कानूनी बाधा के कारण; पशुओं की क्या तादाद है, उनकी हालत

जाँच और जानकारी क्या है, चरागाह कितना है, जंगल कितना है, उनमें उद्योग के लिए क्या-क्या सामान मिल सकता है, इनमें कुछ बातों की तो समय-समय पर जाँच पहले से होती रहती है, कुछ चीजों की जाँच राष्ट्रीय सरकार को नये सिरे से करना है। इसके मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रीय सरकार कायम होते ही केवल जाँच ही करती रहे और सम्पूर्ण स्थिति की जाँच होने पर ही कोई काम शुरू करे। शुरू में तो जितनी बातों की जानकारी है उसी के आधार पर काम शुरू करना होगा। इसके अलावा नई सरकार की पिछले महकमों को देखना होगा कि वे कितना और किस दृष्टिकोण से काम करते हैं। उन्हें सुधारा जा सकता है या बदलना जरूरी है। नई परिस्थिति में नये-नये दृष्टिकोण के लिए तथा नई आवश्यकताओं के लिए जो कार्यकर्ता अब तक काम करते थे उन्हीं से काम चल जायगा या दूसरे लोगों को तैयार करना होगा।

यहाँ जेल में बैठ कर संयुक्तप्रान्त की आज की स्थिति ऊपर-लिखी बातों पर क्या है, ठीक-ठीक बताना मुश्किल है। फिर भी जितना मालूम है उस पर विचार कर लेना ठीक होगा। बाकी बातों की जाँच तो जब अपनी सरकार होगी तो आसानी से हो जायगी। आज अगर कुछ मुख्य बातों की वास्तव ठीक-ठीक स्थिति मालूम कर लें तो

हम किस तरह की योजना बनावें, यह सोचना हमारे लिए आसान हो जायगा। अतः मैं नीचे अपने प्रान्त की हालत की कुछ मुख्य बातों पर प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ।

क्षेत्रफल तथा आबादी—प्रान्त का क्षेत्रफल १०६२४७ वर्गमील है और आबादी ५,५०,२०,६१७ है यानी प्रति वर्गमील की आबादी ५१८ है। इस आबादी में ४४५ शहरों की ६८,५५,२६८ और १०२३८८ ग्रामोंकी ४,८१,६५, ३१६ है। अर्थात् गाँव की आबादी कुल आबादी की ८७ सैकड़ा है। हमको इसी ८७ प्रतिशत आबादी के भविष्य की बात सोचनी है। इस प्रान्त के गाँवों की आबादी में प्रत्येक १००० पुरुष में ६५४ स्त्रियाँ हैं। इस हिसाब से औसत प्रति गाँव की आबादी ४७० पड़ती है। प्रति गाँव की जन-संख्या का बँटवारा इस प्रकार है :—

अवस्था	कुल	स्त्री	पुरुष
बूढ़े (६० से ऊपर)	२६	१५	१४
मौड़ (१६ वर्ष से ६० तक)	२५३	१२४	१२९
लड़के (७ वर्ष से १५ तक)	१२२	६०	६२
बच्चे (जन्म से ६ तक)	६६	३२	३४

तुमको मालूम होगा कि हमारा प्रान्त खेती-प्रधान प्रान्त है। सरकारी रिपोर्टों से मालूम होगा कि इस प्रान्त की कुल आबादी की ७३ सैकड़ा खेती से गुजारा करती है। यानी देहाती जनसंख्या का साढ़े तिराती सैकड़ा लोग खेती पर भरोसा करते हैं। अगर ५ व्यक्ति का परिवार माना जाय तो प्रति गाँव की वस्ती ६४ परिवारों की होती है। इसमें साढ़े अठत्तर परिवार खेती करते हैं। बाकी साढ़े तेरह परिवार क्या करते हैं, इसका हिसाब ठीक-ठीक मैं नहीं दे सकता। शायद किसी ने इसका हिसाब लगाया भी न होगा। मैं समझता हूँ, इनमें अधिक से अधिक २ या ३ परिवार कुछ उपयोगी काम करते होंगे और बाकी बैठकर साढ़े अठत्तर किसान परिवारों पर बोझ बने

हुए हैं। जो लोग उपयोगी काम में लगे हैं उनमें कुछ तो बाहर नाई, धोबी आदि सेवा का काम करते हैं और बाकी कुछ न कुछ उद्योग में लगे हुए हैं। लेकिन उद्योग के नाम से गाँव में है ही क्या ? प्राचीन गृह-उद्योग में जो कुछ थोड़ा बहुत जिन्दा रह गया है वह सब बाजार की सहूलियत के कारण शहर और कस्बों में ही केन्द्रित हो गया है। यहाँ तक कि सर्वजनिक आवश्यकता का उद्योग बुनाई भी कस्बों और शहरों में ही रह गई है। गाँवों में जो बुनकर थे उनमें अधिकांश खेती में चले गये हैं या खेती के साथ कुछ लोग अवेर-सवेर कभी-कभी बुनाई भी कर लेते हैं। इसके अलावा देहातों में ग्रामीण आवश्यकता के लिए कहीं कहीं कुछ लोहार, बढ़ई, कुम्हार, चर्मकार बसे हुए दीख पड़ते हैं। लेकिन उनके काम को हम उद्योग न कह कर किसानों की सेवा कहें तो शायद अधिक सही होगा। कहीं-कहीं एक आध स्थान पर प्राचीन उद्योग का ध्वंसावशेष रह गया है। लेकिन उनकी संख्या इतनी थोड़ी है कि उनसे प्रति गाँव के हिसाब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

आमदनी—वस्तुतः भारत के लोगों की औसत आमदनी क्या है, इसका हिसाब अर्थशास्त्री अब तक शायद ही ठीक से कर पाये हैं। इस मामले में भिन्न-भिन्न पंडितों का भिन्न-भिन्न मत है। कोई ३०) सालाना कहता है तो कोई ७०) तक बताता है। इस तरह विभिन्न अर्थशास्त्रियों की राय के अनुसार हमारी औसत आमदनी ३०) से ७०) प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। लेकिन यह आमदनी भारत की सारी आवादी का औसत है। यह तो तुमको मालूम है कि आज के केन्द्र-वाद के जमाने में धन भी प्रधानतः शहरों में ही केन्द्रित है। गाँव के किसी को कुछ आमदनी होने भी लगे तो वे गाँव छोड़ कर शहर में आकर बसने लगते हैं। इसलिए उपर्युक्त हिसाब से गाँव की आमदनी का कुछ भी अन्दाज नहीं कर सकोगी। मुझको मालूम नहीं, किसानों ने भारत के गाँवों का अलग हिसाब लगाया है या नहीं। हाँ, सन् १९३१

में एक सज्जन ने एक हिसाब अन्दाज से निकाला था। इनका कहना है कि खेती करने वालों की प्रति व्यक्ति आमदनी ४२) सालाना है। लेकिन उनके हिसाब से भी ठीक अन्दाजा लगाना कठिन है। प्रथमतः उन्होंने खेती की कुल उत्पत्ति पर अपना आधार रक्खा है, उनमें से कितना हिस्सा गाँवों के किसानों के पास रहता है और कितना शहर के व्यापारी महाजन आदि के पास चला जाता है, कितने हिस्से उन जमींदारों के हैं जो शहरों में रहते हैं। फिर यह आमदनी उनकी है जो खेती करते हैं। जो १०-१२ परिवार ग्रामों में वैसे ही वेकार रहते हैं वे भी इसी आमदनी में हिस्सा बटाते हैं। इसके उपरान्त उन्होंने उत्पत्ति का बँटवारा उतनी ही आवादी में किया जो १६२१ की थी। दस साल में जो आवादी बढ़ी उसका हिसाब नहीं किया गया। इस प्रकार अगर सही स्थिति की जाँच की जाय तो आमदनी और कितनी कम हो जायगी, इसका अन्दाजा तुम खुद कर सकती हो।

आज ही मैं लखनऊ के हिन्दुस्थान नामक एक साप्ताहिक पत्र में (२१ अप्रैल सन् १९४४) श्री राधाकमल मुखर्जी का एक लेख पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने कहा है भारत के खेतिहर परिवारों की औसत आमदनी ६०) प्रति परिवार प्रतिवर्ष है। श्री राधाकमल मुखर्जी का हिसाब काफी सही माना जा सकता है। उन्होंने कई वर्ष तक और कई बार भारत के देहातों की आर्थिक परिस्थितियों की जाँच खुद की है। अतः उनका कहना प्रामाणिक है। ५ व्यक्ति का परिवार मान कर उनके हिसाब से प्रति व्यक्ति आमदनी १८) होती है।^१ यह आमदनी खेतिहरों की है; अगर इसमें वेकार आवादी शामिल की जाय तो और कम हो जायगी। मध्य-प्रान्त की कांग्रेस सरकार ने श्री कुमारप्पा

१. आज मँहगाई के कारण यह आय बढ़ गई है। मध्यप्रदेश के सर्वे के अनुसार एक देहाती की औसत आय प्रतिवर्ष १८५ रुपये होती है।

की प्रधानता में एक कमेटी मुकर्रर की थी। उन लोगों ने ६०६ गाँवों की सम्पूर्ण जाँच की थी। उनका कहना है कि मध्यप्रान्त के गाँवों की औसत सालाना आमदनी लगभग १२) है।^१ अगर यह मान लें कि मध्य-प्रान्त हमारे सूबे से गरीब है और श्री कुमारप्पा तथा श्री मुखर्जी के रिपोर्टों पर विचार करें तो हम आसानी से यह मान सकते हैं कि युक्तप्रान्त की ग्रामीण जनता की औसत आमदनी १५) वार्षिक प्रति व्यक्ति है।^२

रहन सहन—अब देखना यह है कि इस १५) में वे गुजर किस तरह करते हैं? क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और कैसे घर में रहते हैं? लेकिन इसमें देखना ही क्या है? मकान की बात तो पूछो मत, एक लम्बी दीवार; उस पर फूस का या ईख के सूखे पत्ते का छाजन, सो भी चारों ओर चूता रहता है। दरवाजा बाँस की कड़ियों का एक टट्टर। फैजाबाद के देहातों में घूमने की कहानी मैंने तुमको लिखी थी; उन पत्रों में इन घरों का बयान काफी किया था। अतः उन्हें फिर दोहराना बेकार है और यह दुःख की कहानी जितनी कम कही जाय उतना ही अच्छा। वस्त्र! वह तो नहीं के बराबर है। गाँव में किस तरह लोग जाड़े में रात भर आग के सामने बैठकर और दिन में धूप खाकर दिन काटते हैं उसका हाल पहले लिख चुका हूँ। भारत के औसत कपड़े की खपत १३ गज में से शहर-वालों का हिस्सा निकाल देने से गाँव की औसत शायद ८ या ६ गज प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की हो और इस प्रान्त की हालत इससे कुछ भिन्न तो है नहीं। अब रह गया भोजन। जहाँ व्यक्ति को कुल सालाना आमदनी १५) मात्र है वहाँ के लोगों के भोजन का क्या हिसाब लगाया जाय। तुम तो गृहस्थी चलाने वाली हो। सुनते हैं तुम लोग (स्त्री जाति) घर को इस

१. वर्धा के स्थानीय सर्वे के अनुसार गाँवों की औसत सालाना आमदनी १००) वार्षिक के लगभग आती है।

२. आज यह १८५ से २००) के लगभग होगी।

तरह चलाती हो कि दूसरों को पता नहीं चलता। लेकिन तुम लोग भी इसका अन्दाज नहीं कर सकती कि इतने में परिवार का भोजन किस तरह हो सकता है। अगर ३-४ रुपये अन्य आवश्यकताओं में खर्च हों तो भोजन के लिए १) मासिक भी तो नहीं बचता है। हमारे पढ़े-लिखे भाई-बहिन गाँव की गन्दगी देखकर कहने लगते हैं कि गन्दगी के बीच रहकर लोग बीमार होकर मर क्यों नहीं जाते और गाँव के लोग जिन्दा रहते हैं इसी पर आश्चर्य होता है। अगर उन शिक्षित भाइयों को भोजन की स्थिति मालूम हो जाय तो मारे डर के गाँव को जाना ही नहीं चाहेंगे। क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं होगा कि गाँव में जो लोग पड़ते हैं वे जीवित मनुष्य हैं। उनको यह शक होगा कि ये कहीं मृत ग्रामवासी की प्रेतात्मा तो नहीं हैं। क्योंकि वे जीवित मनुष्य होते तो क्या खाकर जिन्दा रहते? भोजन-सम्बन्धी स्थिति, जो रिपोर्टों में दिखाई पड़ती है, गाँव की स्थिति नहीं है क्योंकि रिपोर्टों में हमेशा जितना प्राप्त भोजन है उसे कुल आबादी से तकसीम किया जाता है। शहर और गाँव का अनुपात अलग कहाँ रहता है। इसलिए भी समस्या की भीषणता मालूम नहीं पड़ती। वैसे गाना गाने के लिए ही देहात “सुजलां सुफलां शस्य श्यामलां” है। वास्तविक स्थिति तो है—“पानी पानी हर हर पानी। चारों ओर पानी। लेकिन पीने को वूँद भर भी नहीं।” जैसा श्री डब्लू० एस० ब्लंट नाम के एक अंग्रेज महाशय बहुत साल पहले, जब कि गाँव में खाना आज से कहीं अधिक था, यहाँ की हालत देखकर बोल उठे थे—“हम ने अपनी रैब्यट को हिंसा से, मृत्यु भय से बचाया लेकिन भूख से मृत्यु भय को बढ़ाया ही है।” मालूम नहीं उक्त महाशय की आत्मा आज क्या कह रही होगी। आखिर हिंसा से कितने आदमी मरते हैं? कहीं एकाध फौजदारी हो जाय तो सनसनी फैल जाती है। लेकिन भूखे करोड़ों की मौत हो जाती है और पता ही नहीं चलता है। इसलिए वापू ने अंग्रेजों से कहा—“अगर कोई चार्ज लेने वाला नहीं है तो

तुम अराजकता के हाथ मुल्क को छोड़ चले जाओ। वह स्थिति हमारे लिए आज से कहीं अच्छी होगी।”

अगर सारे भारत के अनाज का हिसाब देखा जाय तो हमारी कुल उत्पत्ति ६—७ करोड़ टन के करीब होगी। इसमें जितना विदेश चला जाता है, जितना बीज के लिए रक्खा जाता है, जितना यातायात में नष्ट होता है, जितना पशुओं के लिए अलग किया जाता है उनको घटा दिया जाय तो ५ करोड़ टन से भी कम बचेगा।

देहात के लिए: अगर कम से कम आवश्यकता का हिसाब जोड़ा जाय तो हमको ६ करोड़ टन के करीब चाहिए।
अन्न और दूध का औसत इस कमी में शहर का अनुपात निकालने पर देहात के लिए आधा भी भोजन नहीं बचता है*। हमारे प्रान्त

की भी यही हालत है। दूध-घी का हिसाब भी इसी तरह का है। तुम लोगों को ख्याल है कि पंजाब और युक्तप्रान्त में लोग घी-दूध खूब खाते-पीते हैं। लेकिन स्थिति कुछ और है। युक्तप्रान्त में १० करोड़ मन दूध होता है जिसमें ५० लाख मन के करीब तो घी-दूध में बाहर चला जाता है। अतः ६॥ करोड़ मन दूध साढ़े पाँच करोड़ आबादी के लिए बचता है। यानी १ मन २६ सेर सालाना। अगर सब को बराबर मिले तो हर व्यक्ति का ३ छँटाक होता है। उसी में से चाहे पियो चाहे घी बनाओ, चाहे और कुछ। लेकिन तुमको मालूम है कि इसका ७५ सैकड़ा शहर में ही दूध या घी के रूप में खर्च हो जाता है, इस

*प्रति व्यक्ति प्रति दिन औसत १ पौंड अनाज लगता है। ऐसा मानें तो ३५ करोड़ के लिए ५७० लाख टन अनाज लगेगा। इसके अतिरिक्त बीज और पशुओं के लिए ८० लाख टन लगेगा। इस तरह हमें साढ़े छः करोड़ टन अनाज की आवश्यकता होती है। १९४६-५० में भारत में केवल साढ़े चार करोड़ टन अन्न का उत्पादन हुआ और यदि गत ५ वर्षों की उत्पत्ति का औसत निकालें तो ४ ही करोड़ टन होगा।

तरह देहात में मुश्किल से १ छुट्टाक दूध प्रति व्यक्ति के लिए बचता है।* इतने में तुमको हमारे प्रान्त के देहात की आमदनी, और वे क्या खाते हैं, आदि की स्थिति का अन्दाज हो गया होगा।

घर-द्वार—पिछले पत्र में मैंने देहात के रास्तों का जिक्र किया था; शहरी भाई इन रास्तों के मारे गाँव जाना ही नहीं पसन्द करते हैं। दूसरों की बात छोड़ दो; हमारे कांग्रेसी भाई, जिनका दावा देहातियों की सेवा करने का है, सड़कों के न होने से गाँवों में जाने में धबड़ाते हैं। रणीवाँ जाने और देखने के इच्छुक होने पर भी जब लोग रास्ते की बात सुनते थे, तो वहाँ जाना स्थगित कर देते थे। इधर जब हम लोगों ने सड़क आदि की थोड़ी सहूलियत कर दी थी तब लोग कुछ-कुछ आने लगे थे। लेकिन गाँव की हालत अगर देखी जाय तो रास्ते की कठिनाई उनके आगे कोई चीज ही नहीं है। और हो भी कैसे? जहाँ आमदनी का यह हाल है, वहाँ घर बनाने कहाँ से? एक दो मुखिया, नम्बरदार को छोड़ किसी के पास टिकाने का घर नहीं है। थोड़ी सी मिट्टी की दीवार-और ऊपर से घास या ईख के पत्ते का छाजन। अधिकांश घर ऐसे हैं। वे घर भी इतने चूते हैं कि बरसात में रात भर जागकर ही काटनी पड़ती है। पश्चिमी जिलों में कुछ घर जरूर इससे अच्छे हैं। लेकिन वे भी मिट्टी के ढेर ही हैं। पशुओं को घर के अन्दर रखने की बात मैं पहले लिख चुका हूँ। घरों में कहीं भी किसी किस्म के रोशनदान न होने पर इस प्रकार पशुओं का बाँधना अस्वास्थ्यकर है, सो तुम समझ सकती हो। उतने छोटे घर के एक कोने पर ही खाना पकाने का चूल्हा भी होता है। दूसरी निकलने की जगह न होने से घर भर में धुआँ भर जाता है। मवेशियों की गन्दगी के साथ इस धुआँ का

*लड़ाई में अत्यधिक गोधन का नाश हो जाने के कारण आज हालत ऊपर बताई हुई हाज़त से भी खराब हो गई है।

योग होता है तो कैसा दुःखदायी अनुभव होता है, इसे मुक्तभोगी ही जान सकते हैं। तिसपर जब मिट्टी की खुली ढिबरी से निकले मिट्टी के तेल के धुँएँ की दुर्गन्ध उसमें शामिल हो जाती है तो फिर क्या पूछना। गनीमत इतनी ही है कि गरीबी के कारण अधिकांश घरों में दिया ही नहीं जलता है। लोग सारी जिन्दगी अन्धकार में ही बिताते हैं !

घर के आगे-पीछे तथा अगल-बगल की गलियों की हालत देखो तो और परीशान हो जाओगी। मैंने पहले कहा है कि घर बनाने का तरीका ऐसा है कि जमीन की सतह कभी समतल नहीं रह पाती है। स्वाभाविक ढाल न होने से नावदान का पानी निकल नहीं पाता है। और वह भीतर-भीतर सड़ता तथा कीचड़ पैदा करता है। छोटे-छोटे पुरवा किस्म के गाँवों में आवादी की कमी के कारण फिर भी गनीमत है। लेकिन पुराने गाँवों की तो अजीब हालत है। जब एक परिवार के लड़के अलग होते हैं तो अक्सर पैतृक मकान के भी टुकड़े कर लेते हैं। स्वभावतः टुकड़ा किया हुआ घर नये परिवार के काम की चीज नहीं रह जाता। मान लो, किसी को आँगन और अन्दर और किसी को कोठरी और सदर मिला। फिर दोनों फरीक ने उसी हिस्से के साथ अपनी आवश्यकतानुसार मकानों को बढ़ाया।

उनके बेटों ने उस घरों के फिर टुकड़े किये और गड्ढों के गन्दे बढ़ाया। इस तरह बढ़ते-बढ़ते अब घरों के बीच पानी में मुश्किल से चलने-फिरने लायक गलियाँ रह गई हैं। जब उन्हीं गलियों में लगातार नावदान के पानी के साथ खर-कूड़ा सड़ता रहता है तो एक अजीब हालत पैदा होती है। यह दृश्य और मनोरंजक होता है जब ऐसी गलियों में जगह-जगह बच्चों की टट्टियों के बेल-बूटे काढे रहते हैं। खाद के बूर और गड्ढों की वायव मैंने पहले पत्रों में कई बार जिक्र किया है। इन गड्ढों में गाँव भर की टट्टी और धोवन का मैला पानी जमा

होता है, उसी में लोग आवदस्त लेते हैं, वर्तन माँजते हैं, धोवी का कपड़ा धुलता है, सुअर लोटते हैं और पशुओं को पानी पिलाया जाता है। और कभी-कभी लोग भी उसी में डुबकी लगाकर नहा लेते हैं। गड्डों की हालत पश्चिमी जिलों से पूर्वी जिलों में ज्यादा भयानक है क्योंकि पश्चिमी इलाकों में फिर भी पानी सूखकर वैशाख-जेठ की धूप तो लग जाती है।

ऐसे घरों में कितना सामान होगा, इसका अन्दाज लगाना कठिन नहीं होना चाहिए। वर्तनों में जिनके पास कुछ सामान पीतल का हो तो वे अच्छी दशा में हैं, ऐसा कहा जा सकता है। नहीं तो मिट्टी के वर्तन ही काफी हैं। मैंने देखा है कि ग्राम-उत्थान के प्रचारार्थ जो लोग गांवों में जाते हैं वे प्रायः गांव के लोगों के जेवर-प्रेम के खिलाफ़ खूब जोरों से प्रचार करते हैं। यह बात गांवों का उद्धार करने वालों के लिए नशा सा बन गया है। लेकिन जरा खोज तो करो; उनके पास जेवर नाम से है क्या चीज। सोने का जेवर तो किसी के पास ही नहीं। जो कुछ सोना था वह तो पिछले दिनों सरकार की 'मुद्रा-राक्षस' की कृपा से बाहर भेजकर हमारे लोगों ने, सरकारी मेम्बरो की भाषा में, विपुल सम्पत्ति का लाभ उठा लिया है। जो कुछ बचा था वह भी इस लड़ाई में हिन्दुस्तान की सरहद, अफ्रीका, इटली और हांगकांग की रक्षा में समाप्त कर देना पड़ा। तिस पर जो कुछ खुरचन बाकी रही वह सब जापानी बम से पिघलने न पावे, इसलिए इंगलैंड में सुरक्षित रक्खी हुई है।* इस प्रकार सोना शायद कहीं किसी कोने-खांचे में एकाध दाना अटका रह गया होगा। लेकिन महाजनों की सर्वशोषणी दृष्टि से वह बचा है या नहीं, कौन बतावे? जब कर्ज का पैसा पूरा होगा तो उतना "स्वर्ण कण" वापस हो जायगा, यह आशा कई पुरत तक तो रहती है। आज जिसके

*यह भी अब अन्न मँगाने में और रुपयों के दाम गिराने में हाल में समाप्त प्राय है। ७-११-५०

पास थोड़ा चांदी का जेवर है वे लोग भाग्यशाली कहलाते हैं बाकी लोगों के पास जो रह गये हैं वे हैं काँसा, पीतल आदि धातुओं के बने जेवर । लुटेरों के जाल से छनकर जो कुछ बचा है उसे ग्रामवासी अपने उद्धारकों के और सेवकों के प्रचार की आँधी से उड़ने न दे सकें तो गनीमत है ।

बाकी सामान में एक चक्की, एकाध हल और मरियल बैल दिखाई देंगे । कहीं एकाध फटी कथरी और गुदड़ी भी दीख पड़ती है, सो भी सब के घर नहीं ।

कर्ज—गाँवों के कर्ज की हालत तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ । यहाँ केवल इतना कहना काफी होगा कि सन् ३० तक हमारे प्रान्त के गाँवों पर १२४ करोड़ का कर्जा था । उसके बाद मंदी के कारण देहाती जनता को हालत अधिक खराब हुई । उसका कोई हिसाब मुझको मालूम नहीं । लेकिन जिस अनुपात से बाद को कर्ज की रकम बढ़ी है उससे अगर १७० करोड़ का कर्ज है, ऐसा कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी ।* यह कर्ज भी उनको अठारह से सैंतीस सैकड़

*जड़ाई और उसके बाद काश्तकारों की हालत सुधर गई है और ऋण कम हो गया है, ऐसा आमतौर पर माना जाता है । लेकिन यह हालत बड़े काश्तकारों की है जिनके पास अपनी आवश्यकता-पूर्ति के पश्चात् कुछ अन्न बच रहता है । छोटे काश्तकारों को, जिनकी संख्या ही अधिक है, अधिक अन्न बाजार के लिए न बचने के कारण उन्हें ऊँची कीमतों का फायदा नहीं के बराबर हुआ है बल्कि कुछ आधुनिक गवेषणाओं से पता चलता है कि १९४२ से ४४ तक काश्तकारों के ऋण में कुछ कमी हुई क्योंकि तब तक खेती का उत्पादन-व्यय अनाज की कीमतों के अनुपात में नहीं बढ़ा था । लेकिन १९४५ के बाद उत्पादन व्यय अनाज की कीमतों की तुलना में अधिक बढ़ गया है । इसलिए १९४५ के बाद किसान अधिक ऋण ले रहे हैं और उन पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है ।

तक के चक्रवृद्धि सूद के हिसाब से मिला है। जिस परिस्थिति में लोगों को कर्ज लेना पड़ता है उसको देखते हुए सूद पर रुपया मिल जाता है, यही गनीमत है। उनके पास है क्या जिसके आधार पर वे महाजन को विश्वास दिला सकें। उनकी आमदनी, भोजन-वस्त्र का और उनके घर-दुआर सामानादि का हाल तो देखा। ऐसी हालत में महाजन भला कित भरोसे कम सूद पर रुपया दें ? आखिर वे कुछ अपना दिवाला निकालने के लिए तो बैठे नहीं हैं ? उनको तो रुपया न मिलने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए वे इतना सूद ले लेते हैं जिससे डूबन्त रकम की हानि भी पूरी हो सके। आज की परिस्थिति में लोग महाजनों के खिलाफ बैंकों तथा कं-आपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का वेहद प्रचार करते हैं। मुझको पूरा विश्वास है कि ऐसे ग्रामीण बैंक अगर आज स्थापित किये जायें तो महाजन जितने लोगों को कर्ज देता है उनमें से ६५ सैकड़ा लोगों को कर्ज ही नहीं मिलेगा क्योंकि बिना सम्पत्ति के ऐसा सभ्य बैंक कर्ज देगा ही नहीं। आज जो गाँवों में को-आपरेटिव सोसाइटियाँ हैं उनको भी तो मैंने ग्राम तौर पर पंद्रह सैकड़ा सूद पर रुपया देते देखा है। हालाँकि उनको रुपया वसूल करने का इतना जबरदस्त कानूनी हक प्राप्त है। देशी महाजनों के अलावा एक प्रकार का कर्ज और है। वह है अफगान महाजनों का, जिनको इधर आगा कहते हैं। उनके सूद की दर और वसूली का तरीका और भी भयंकर है। वे ग्राम तौर पर दो आना प्रति रुपया प्रति मास लेते हैं। इस हिसाब से डेढ़ सौ रुपया सैकड़ा पड़ा और वसूली का तरीका क्या है, यह तुम्हें लिखकर क्या बताऊँ। कौन नहीं जानता है ?

खेती-बारी—वस्तुतः देहात की स्थिति का मतलब खेती-बारी की ही स्थिति है। पहले ही मैंने कहा है कि साढ़े तिरासी सैकड़ा लोग खेती पर भरोसा करते हैं। इस खेती की हालत क्या है, उसे भी देख लो। पंजाब के श्री डालिंग साहब के हिसाब से इस प्रान्त के प्रति

किसान को ढाई एकड़ भूमि पड़ती है। तुमको मालूम है, युक्तप्रान्त जमांदारी प्रधान प्रान्त है। अगर उन जमांदारोंकी, जिनके पास बड़ी-बड़ी खेती हैं, भूमि घटाकर जोड़ा जाय तो युक्तप्रान्त में प्रति किसान के पास औसत जमीन शायद ही दो एकड़ रह जाय। यहां के छोटे-छोटे खेतों की हालत मैंने पहले ही लिखी थी। दो एकड़ खेत अगर ६-७ जगहों में बँटा हो तो उस छोटेपन का अन्दाज कर सकती हो। मैंने सैकड़ों ऐसे टुकड़े देखे हैं जिन पर बैल हल लेकर घूम ही नहीं सकते और फावड़े से ही उन्हें गोड़ना पड़ता है।

इस प्रान्त की कुल जमीन ६,७६,८६,०८० एकड़ है। जिसकी ५७.१ सैकड़ यांनी ३८,८५५,७४४ एकड़ खेती लायक है। जितनी जमीन खेती लायक है उसका ६१.६ सैकड़ पर आज कल खेतां हो रही है। इस प्रकार आज हमारे प्रान्त में ३५,६१६,२०० एकड़ जमीन पर पैदावार होती है। खेती लायक जमीन के २२.६ सैकड़ पर दो बार अनाज बोया जाता है। इस हिसाब से प्रति गाँव में औसत ३४७.८ एकड़ पर खेती होती है और ३२.३ एकड़ खेती लायक जमीन बेकार पड़ी है। इसका मतलब यह नहीं है, कि हर गाँव में ३२.३ एकड़ खेती लायक जमीन खाली पड़ी है। अलग-अलग जिले की अलग-अलग स्थिति है। जैसे नैनीताल, भांसी और मिर्जापुर जिले में क्रमशा खेती लायक जमीन के ७८.६, ७६.५ और ७८.२ प्रतिशत जमीन पर ही खेती होती है। अतः इन जिलों में जितनी खाली जमीन है उतनी खाली जमीन दूसरे जिलों में नहीं है। अलमोड़ा जिले में जितनी जमीन खेती लायक है सब पर खेती हो रही है। इस तरह अगर देखा जाय तो औसतन २५ एकड़ जोतने लायक जमीन प्रति ग्राम खाली होगी।

उपर्युक्त जमीन का हिसाब मैंने १९४१ का मर्दुमशुपारी की रिपोर्ट के अंकों के अनुसार किया है। लेकिन युक्तप्रान्त सरकार की खेती-संघटन कमेटी १९४३ के लोगों ने कुछ ऐसी जमीन का भी हिसाब

किया है जिसको कोशिश करने से खेती के काम में लाया जा सकता है। उन्होंने खेती लायक, लेकिन खेती नहीं होती है ऐसी, जमीन को दो हिस्सों में बांटा है। एक ऐसे ऊसर, जिन्हें काम में लाया जा सकता है; दूसरा मामूली। उनके हिसाब से पड़ी हुई जमीन इस प्रकार है:—

मामूली जोतने लायक ६,८६६,४५२ यानी ६६.३ एकड़ प्रतिगाँव।

ऊसर जोतने लायक ५,१००,६२१ यानी ४६.८ एकड़ प्रति गाँव।

दोनों हिसाब मिलाकर हम अपने प्रान्त की खेती लायक जमीन का इस प्रकार बँटवारा कर सकते हैं। मैं प्रायः प्रति गाँव की औसत लगा कर ही बताने की चेष्टा करूँगा जिससे समझने में आसानी हो। प्रति ग्राम की औसत

कुल रकबा ६६४.१ एकड़

परती आसानी से खेती होने लायक ३२.३ एकड़

खेती होती है ३४७.८ एकड़

जिन्हें खेत बनाया जा सकता है ६४.० एकड़

ऐसे ऊसर जिनको खेत बनाया जा सकता है ४६.८ एकड़

जिस जमीन पर खेती होती है उसमें से ८५.८ एकड़ पर साल में दो फसलें होती हैं। इस प्रकार आज फसल के लिए प्राप्त कुल जमीन ४३३.६ एकड़ है।

एक बात का ख्याल रखना। मैंने ऊपर का जो हिसाब प्रति गाँव का बताया है वह यह मान कर कि सारी खेती लायक जमीन गाँव की है। लेकिन ऐसा नहीं होता। तुमने देखा है, छोटे शहरों के अन्दर भी काफी खेती है। लेकिन प्रथमतः उनका हिसाब अलग मिलाना मुश्किल है और वह जमीन अनुपात से इतनी कम है कि उसे प्रान्त के १०२३८८ गाँवों में बाँटने से वह नहीं के बराबर होगी। इसलिए उसे मैंने अपने हिसाब में छोड़ दिया है।

मैंने कहा है कि २ फसलवाली जमीन को छोड़ने पर इस प्रान्त के

प्रति ग्राम में ४३३.६ एकड़ जमीन पर ४७० आदमियों के गुजर के लिए आनज पैदा होता है। केवल ४७० आदमी क्यों; उसी जमीन पर उनका भी गुजर होता है जो देहात के मत्थे शहर में बैठ कर खाते हैं। और अनुपात से उनका ही हिस्सा ज्यादा है।*

उक्त जमीन पर फसल का बँटवारा इस प्रकार है:—

फसल	प्रतिशत	एकड़
गेहूँ	१७.६	७६.२१
जव	८.६	३७.२५
चना	१२.४	५३.६८
चावल	१६.८	७२.७५
ज्वार	४.१	१७.७७
बाजरा	४.६	२१.६२
जोन्हरी	४.५	१६.५०
सरसों	.६	२.६०
अलसी	.६५	२.८२
तिल	.७५३	३.२४
अन्य तेलहन	.४०	१.७३
कपास	१.४७	६.३७
तम्बाकू	.२१	.६०
चारा	३.४७	१५.०२
सन	.४८	२.०७
नील	.००२	०.०७
फल-तरकारी	.६४	४.०६
कोदी	२.४४	१०.७७
सावाँ	१.३०	५.६३

*पत्र लिखने के बाद ७ साल में देहातियों के सरपर पर बैठ कर खाने वाली शहरी आबादी जोरों से बढ़ी है।

आलू	.३४६	१.५०
अफीम	.०६	.२६
मटर	६.५	२८.१५
अरहर-उर्द	५.५	२३.८२
ईख	५.०	२१.६६
मसाला	.६७६	४.२०

प्रान्त भर की मुख्य पैदावार का हिसाब इस प्रकार है:—

अनाज	पैदावार हजार मन	अनाज	पैदावार हजार मन
गेहूँ	७४६७६	सरसों	१३६५६
जव	३५१२७	अलसी	४२३६
चना	४४२२१	तिल	३१०५
चावल	५४४५६	कपास	१८६५
ज्वार	११७७२	तम्बाकू	१७०१
बाजरा	८७२१	ईख	८३७२७
जोन्हरी	२०५२१		

कुल खर्च प्रान्त में ७३३११७ हजार मन

ऊपर के अंक इतने बड़े हैं कि एक दम से पैदावार की हालत की धारणा करना कठिन है। खेती की हालत का अन्दाज उसकी प्रति एकड़ पैदावार के हिसाब से ही लगाया जाता है। वस्तुतः कहाँ की खेती कैसी है, इसका मिलान लोग प्रति एकड़ क्या पैदावार है, इस बात से ही करते हैं। अतः तुम भी इस प्रान्त के कुछ मुख्य अनाजों की पैदावार कितनी है देख लो तो आगे योजना बनाने पर आसानी से विचार कर सकोगी:—

अनाज	पैदावार प्रति एकड़	अनाज	पैदावार प्रति एकड़
गेहूँ	६ मन २९ सेर	अन्य तेलहन	४ मन २० सेर

जव	६ मन २६ सेर	कपस	४ मन ३३ सेर
चना	७ मन ३१ सेर	तम्बाकू	१६ मन २२ सेर
चावल	७ मन २० सेर	मटर	७ मन ३० सेर
ज्वार	५ मन १२ सेर	आलू	७५ मन
वाजरा	३ मन २५ सेर	ईख	३६८ मन
जोन्हरी	१० मन ५ सेर	सरसों	५ मन १८ सेर
अलसी	४ मन २१ सेर	तिल	२ मन ४ सेर

इन अंकों से मालूम होगा कि हमारे यहाँ औसत पैदावार कितनी कम है। ऊपर के हिसाब से यह न समझना कि यहाँ की जमीन खराब है या यहाँ के किसान बेवकूफ हैं। मैंने देखा है, यहाँ ही किसान प्रति एकड़ १५-१६ मन गेहूँ, २० मन धान, १२५ मन आलू और ६०० मन गन्ना पैदा करते हैं। कम पैदा होने के कई कारण हैं। प्रधान कारण है किसानों की गरीबी। उनको न तो उपयुक्त खाद मिलती है और न पानी। फिर बहुत कम जमीन होने से मजदूरन जिस जमीन में जो अनाज अच्छा नहीं हो सकता है, उसमें भी वही अनाज बोना पड़ता है, नहीं तो खायें क्या? लगान कानून के कारण भी अधिकांश किसानों को जमीन की पैदावार बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं है। इन नाना बाधाओं से किसानों को गुजरना पड़ता है। इन बाधाओं की कहानी अगर पूरी पूरी बताने लगूँ तो यह पत्र समाप्त ही न हो पायेगा। अतः उन बाधाओं की बात दूसरे किसी अवसर के लिए छोड़ इस पत्र में गाँव की आर्थिक स्थिति पर ही कुछ दो-चार बातें बताने की चेष्टा करूँगा।

खाद—खेती गारी का मुख्य साधन खाद-पानी है, यह शायद ही किसी को न मालूम हो। अतः हमको यह देखना है कि हमारे प्रान्त में खाद पानी की क्या स्थिति है। पिछले एक पत्र में मैंने कहा कि हमारे गाँवों में अधिकांश गाँवर का कंड़ा बनाकर जला देते हैं। युक्तप्रान्त पुराना देश है। भारतीय इतिहास के प्रथम युग से ही इसी गंगा यमुना के कट पर लोग रहते आये हैं। अतः

स्वभावतः इस भूमि पर जंगल बहुत कम रह गया है। जमीन के उपजाऊ होने तथा नदीतट पर होने से यहाँ की आबादी भी घनी है। इस कारण लोगों ने अधिक से अधिक जंगल काट कर खेत बना लिये हैं। अब आबादी के अन्दर कोई जंगल रह ही नहीं गया है। वैसे ही इस प्रान्त में कुल इलाके के वीसवें हिस्से से भी कम जंगल रह गया है। फिर यह जंगल भी जंगली इलाकों में केन्द्रित है। अतः उन जंगलों का भी फायदा ग्राम आबादी के लोग विशेष नहीं उठा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि जिन इलाकों में लकड़ी है, वहाँ आबादी नहीं, जहाँ आबादी है वहाँ लकड़ी नहीं। अतः आज जलाने के लिए केवल गोबर का कंड़ा ही रह गया है। गाँव में चले जाओ तो क्या देखोगे ? त्रिधर निगाह उठाओ उधर ही ऊँचे-ऊँचे ढेरों में कंड़े भरे पड़े देखोगे। आज गोबर का मुख्य उद्देश्य कंड़ा हो गया है। ग्रामवासी केवल उतने ही दिन गोबर खाद के लिए रखते हैं जितने दिन कंड़ा पाथना सम्भव नहीं होता। अगर बरसात में गोबर-रौली लगने का डर न होता तो शायद लोग छप्पर के नीचे कंड़ा पाथने की व्यवस्था करते। कंड़ा कितने दिन पाथा जाय, उसका एक नियम पुराने जमाने से चला आता है। हमारे देश में हर चीज के लिए त्यौहार अनुष्ठानादि की व्यवस्था की गई थी ताकि उसके जरिए आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं की व्यवस्था नियमित रीति से चल सके और साथ ही उत्सवादि के अनुष्ठान से सांस्कृतिक विकास तथा विनोद व अवकाश मौका मिले। जिस दिन भ्रातृ-द्वितीया का अनुष्ठान होता है उसी दिन यमद्वितीय का उत्सव होता है। उस दिन स्त्रियाँ गोधन कूटती हैं। तुमने कभी गोधन कूटना देखा है ? बनारस में रहते समय देखा होगा। उस दिन वे गोबर का एक लम्बा पिंडा बनाती हैं, फिर उसकी छोटी-छोटी चकती बना कर सब अपने यहाँ ले जाती हैं। उसके बाद की एकादशी का दिन देवोत्थान एकादशी कहलाता है, यानी देवता लोग जो बरसात के

मारे सोये पड़े रहते हैं, उस दिन उठते होंगे। देवता चाहे जो कुछ करते हों, इससे मुझको बहुत दिलचस्पी नहीं है। मैं तो नरनारायण का उपासक हूँ। मुझको देखना है कि नरजाति उस दिन से क्या करने लगती है। उसी दिन से कंडा के लिए गोबर जमा करने का विधान है। फिर होली से पहले ही कंडा पाथ कर सुखा लेना है और गाँव में जो मंदिर-जैसे ऊँचे-ऊँचे ढेर दिखाई देते हैं, वैसा बना डालना। इसका मतलब यह है कि कम से कम होली के १५ दिन पहले ही कंडा पाथना बन्द करना जरूरी है। इस प्रकार कार्तिक सुदी एकादशी से लेकर फाल्गुन की अमावस्या तक यानी साल में चार माह गोबर से कंडा बनाया जाता है। यह अनुशासन उस समय का है जिस समय लोग गोधन से धनी थे। लोग गाय-भैंस दूध के लिए रखते थे। वे अगर सिर्फ आठ माह का गोबर ही खाद के लिए रखते तो काफी खाद खेती के लिए हो जाती थी। लेकिन आज तो वह हालत रह नहीं गई है। आज जो कुछ जानवर गाँव में हैं वे सब खेत जोतने के लिए जितने बैलों की आवश्यकता है उतने भर के लिए काफी होते हैं। अतः आज की आवश्यकता इस बात की है कि लोग सारा गोबर खाद के लिए छोड़ दें। लेकिन छोड़ना तो दूर रहा पुराने नियम पर भी लोग कायम नहीं रह पाते हैं। उस नियमानुसार तो केवल वे ही चल पाते हैं जो अच्छे जमींदार हैं और जिनके पास पलाश आदि की जलाने के लिए है। बाकी लोग, जिनके पास लकड़ी नहीं, तब तक कंडा पाथते रहते हैं जब तक बरसात के कारण कंडा पाथना असंभव नहीं हो जाता। इस तरह आज अधिकांश गोबर कंडा में चला जाता है। फिर अगर हम कुल गोबर की खाद बना डालें तब भी हमारे प्रान्त भर में २,६४, १८,०२,००० मन खाद होगी। और हमारी आवश्यकता है प्रति एकड़ ३०० मन के हिसाब से १०,६६,५७,६०,००० मन खाद की। मैंने ३०० मन का ही हिसाब रक्खा है क्योंकि साधारणतः अच्छी

खेती के लिए इतनी खाद से काम चल जाता है। वैसे तो विशेषज्ञ लोग कम से कम ५०० मन प्रति एकड़ खाद की आवश्यकता बताते हैं। इस प्रकार गोबर का कंडा पाथने के अलावा लोग जलाने की धुन में उन गोबर को भी बर्तन डालते हैं जो मैदान या जंगलों में चरते समय पशुओं के मल के रूप में गिरते हैं। अगर उसे पड़ा रहने दें तो भी वह परोक्ष रूप से जमीन के नीचे बहकर कुछ फैलाता ही। नहीं तो मैदान की धास ही ठीक से जमने पाती। इसके अलावा मृत पशु का हाड़-मांस किस प्रकार बेकार जाता है, यह मैं लिख ही चुका हूँ।

सिंचाई—पानी के मामले में हालत और भी खराब है। यहां किसान को मुख्यतः वर्षा पर ही भरोसा करना पड़ता है। केवल हमारे प्रान्त की ही नहीं बल्कि सारे भारत की यह दशा है। भारत में जितनी खेती होती है उसके पाँचवे हिस्से में ही सिंचाई हो पाती है। हमारे प्रान्त में सिंचाई का प्रयत्न अच्छा है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यहाँ भी जितनी खेती होती है उसके तिहाई हिस्से में ही सिंचाई हो पाती है। कितनी जमीन किस प्रकार से सींची जाती है उसका व्यौरा यों है :—

सिंचाई का जरिया	रकबा सिंचाई का एकड़ में	
सरकारी नहर से	३७,६२,१६३	कुल जोड़
खास नहर (व्यक्तिगत नहर) से	३६,४६१	} १,१६,१७,५८६ यानी जितनी जमीन पर खेती होती है उसका ३३.६ सैकड़ा
खास तालाबों से	५८,२२२	
कुओं से	५५,५४,०५१	
दूसरे जरियों से	२५,०६,६६०	

ऊपर के हिसाब से मालूम होगा कि हमारे यहाँ सिंचाई के ४ जरिये हैं। (१) नहर (२) कुओं (३) खास तालाब और (४) भील, गाल, नाला आदि। नहरें अधिकतर पश्चिमी जिलों में हैं। इधर ५६ साल से फैजाबाद जिले में भी नहर बनी है। सरकारी सिंचाई की

दर ६) प्रति एकड़ ईख के लिए और ३) रुपये एकड़ अन्य अनाजों के लिए है। कुछ सिंचाई प्राइवेट नहरों से भी होती है।*

तुमको याद होगा तुम जब रणीवाँ से चाचिकपुर गाँव को जा रही थी तो रास्ते में कुछ सूखे कुएँ देखकर पूछा था कि लोग इनको ठीक क्यों नहीं कर लेते हैं। उसपर साथ गाँव के जो दो भाई थे उन्होंने कहा था कि वे अब इतने गरीब हो गये हैं कि भटा हुआ कुआँ खोदना उनके लिए सम्भव नहीं है। पुराने जमाने में हमारे यहाँ बहुत कुएँ थे। गाँव की सार्वजनिक अवनति के साथ-साथ कुएँ भी हजारों की तादाद में भट गये। वस्तुतः अगर खोज की जाय तो मालूम होगा कि हम एक गाँव से दूसरे गाँव को जाने में जो सूखे कुएँ देखते हैं उतने ही कुएँ बेकार नहीं हुए हैं बल्कि उनसे कहीं ज्यादा तादाद में भंटे हुए कुओं की ईंट निकाल कर उन्हें लोगों ने खेत में मिला लिया है। इसका कारण गरीबी तो है ही लेकिन एक दूसरा बड़ा कारण यह है कि पुराने समय में सम्मिलित परिवारों की चलन हाने के कारण एक एक परिवार के पास ज्यादा खेत था और वे खेतों के बीच कुएँ बनाते थे। लेकिन बाद को खेतों का बँटवारा होते-होते एक कुएँ के आस-पास की जमीनें ऐसे विभिन्न व्यक्तियों के हाथ चली गई हैं कि बाद को किसी को उन कुओं से कोई दिलचस्पी नहीं रही। और वे क्रमशः मरम्मत बिना भटते चले गये। इस तरह खेती का छोटे-छोटे हिस्सों में बँटना भी कुओं के भटने का एक बड़ा कारण है। यह सच है कि बाद को नये कुएँ भी बनते गये हैं लेकिन बनने की तादाद भटने की संख्या से बहुत कम है।

*१९४५—४६ में उत्तर प्रदेश में १८६ लाख एकड़ जमीन सींची जाती थी जिसमें से लगभग ६० लाख एकड़ जमीन सरकारी नहरों से सींची जाती थी। सिंचाई की दर ईख के लिए ८।) रुपये प्रति एकड़ थी। इसके अलावा चावल के लिए ६) २० था गेहूँ के लिए ४) एकड़ थी।

अब इस प्रान्त में कुल १,४०,००० कुएँ रह गये हैं। उनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। आज किस तरह सिंचाई होती है, यह तुमने देखा ही है। सच पूछो तो अधिकांश सिंचाई को, जो आज होती है, सिंचाई न कहकर छिड़काव कहा जा सकता है। ऐसा छिड़काव करने पर भी प्रति कुआँ औसत पाँच ही एकड़ सिंचाई पड़ती है। वस्तुतः अगर कुआँ में पानी बढ़ाया जाय और रहट की सिंचाई हो तो एक कुएँ से २० एकड़ जमीन की अच्छी सिंचाई हो सकती है।

प्रान्त के तालाबों की हालत कुआँ से भी खराब है। वस्तुतः पहले जमाने में तालाब आवपाशी का बहुत बड़ा जरिया होता था। उनका महत्व कहीं-कहीं कुआँ से भी ज्यादा था। खास तौर से पूर्वी जिलों में जिधर निकल जाओ हर मील में ४-६ तालाब दिखाई देंगे। लेकिन सब पट गये हैं। कुएँ तो फिर भी लोग बहुत कुछ कायम रखे हुए हैं, नये भी बनवाये हैं लेकिन तालाबों की ओर तो ध्यान ही नहीं। बल्कि दिन-दिन उनके अस्तित्व के चिह्न भी लुप्त होकर खेतों में मिलते चले जा रहे हैं। आज जितने तालाब हैं भी वे इतने छिछले हो गये हैं कि उनसे मुश्किल से मटर की एक सिंचाई लोग कर पाते हैं। इस प्रान्त में ऐसे तालाबों की संख्या कितनी है, मुझको मालूम नहीं लेकिन मैंने जितना देखा है उससे निःसंकोच कह सकता हूँ कि अगर उनकी हालत अच्छी होती तो आज जितनी सिंचाई तालाबों से होती है उससे ७८ गुनी सिंचाई हो सकती थी। फैजाबाद जिले में ही आज की हालत में भी झील तालाब आदि से ६१५,३२० एकड़ की सिंचाई होती है।

इसके अलावा हमारे प्रान्त के पश्चिमी जिलों में विजली के द्यूब वेल का प्रचार इधर कुछ सालों से हो रहा है। उसके अंक मुझको मालूम न होने से मैं तुमको भेज नहीं सका। किसी सरकारी खेती-विभाग की रिपोर्ट से देख लेना।

पशु—गाँव के पशुओं की स्थिति खेती की परिस्थिति के अन्तर्गत है। अतः इसी सिलसिले में प्रान्त के जानवरों की हालत देख लें तो अच्छा होगा। गाँव के पशुओं की हालत में पहले भी लिख चुका हूँ अतः आज सिर्फ युक्तप्रान्त में कितने कौन जानवर हैं और वे कितना काम तथा पैदा करते हैं, इसका हिसाब बताकर इस प्रश्न को समाप्त करूँगा।

इस प्रान्त के कुल जानवरों की संख्या इस प्रकार है:—

साँढ	२,४०,०००
बैल	१०२,७१,०००
गाय	६२,३३,०००
भैंसा	७,८१,०००
भैंस	४०,८२,०००
बछड़ा पंड़वा आदि	१०२,५६,०००
भेंड़	२२,३१,०००
बकरियाँ	६५,६३,०००
बोड़े	४,६७,०००
गधे और खच्चड़	२,०१,०००
ऊँट	२६,०००

इने जानवरों में गाय और भैंस मिलकर १००,२७४,००० मन दूध देती हैं। यानी औसत प्रति पशु ६ मन २६ सेर प्रति वर्ष दूध होता है। इस हिसाब से गाय भैंस मिलाकर एक सेर एक छटाक प्रति दिन का औसत पड़ा। यद्यपि हमारा प्रान्त दूध-घी के लिए खास प्रान्त कहा जाता है पर यह औसत बहुत कम है।

ऊपर का हिसाब सारे प्रान्त का है। अलग से देहातों के पशुओं की संख्या का नहीं किया गया है। लेकिन जिस अनुपात से शहर और गाँव के पशुओं को देखा जाता है उसके अन्दाज से गाँव की आबादी करीब इस प्रकार होगी :—

पशु	तादाद कुल प्रान्त	तादाद प्रति ग्राम
साँड़	२०४७७६	२
बैल	८६००५६२	८४
गाय	५४२६५६४	५३
भैंसा	६१४३२८	६
भैंस	३५८३५८०	३५
बछड़ा-पँड़वा	८६००४६२	८४
भेड़	१६४५३७२	१६
बकरी	५५२८६२३	५४
घोड़ा-घोड़ी	१०२३८८	१
ऊँट	२०००	

कुल जोड़— ३३८*

गाँव में दूध की पैदावार प्रति पशु प्रान्त के औसत से बहुत कम होगी। मैंने पहले ही कहा कि शहर के ग्वाले हमेशा देहातों से छाँट कर अच्छे पशु ले जाया करते हैं। इस तरह शहर में चुनी हुई अच्छी दूध देने वाली गाय-भैंस ही रहती हैं। दूसरी बात यह है शहर के ग्वाले बिना दूध वाला पशु रखते ही नहीं; वे एक बार कसके दूध ले लेने के बाद उसे बेंच देते हैं। उन्हें या तो काट दिया जाता है या देहातों को फिर बेंचा जाता है। इस प्रकार बिना दूध देने वाली गाय भैंसों के न होने से भी शहर की औसत पैदावार बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगर हिसाब लगाया जाय तो तुमको मालूम हो जायगा कि गाँव की गाय-भैंस शायद ही औसत ३ पाव प्रति दिन से अधिक दूध देती होगी। यह हुई दूध देने वाले जानवरों की हालत। अब जरा बैलों कहानी सुनो। इस मामले में हमारे प्रान्त के दो हिस्से होते हैं। पूर्वी जिलों का और पश्चिमी जिलों का हिसाब

*पिछली लड़ाई में पशुओं की संख्या तो आधी हो गई है

इतना भिन्न है कि अगर एक साथ औसत निकाला जाय तो समझना कठिन होगा। इसलिए मैं दोनों किस्म के जिलों का हिसाब अलग-अलग बताने की कोशिश करूँगा। वैसे अगर औसत निकालना चाहती हो तो प्रति ग्राम ३४७८ एकड़ जमीन के लिए बैल और भैंसा मिला कर ६० पशुओं पर ४५ हल काम में आते हैं यानी एक हल से ७.८ एकड़ खेती की जाती है। लेकिन कुल बैल हल नहीं चलाते हैं। कुछ गाड़ी में काम करते हैं, कुछ तेली की धानी इत्यादि दूसरे कामों में भी चलते हैं। उन्हें अगर बटा दिया जाय तब एक हल के लिए औसत साढ़े आठ एकड़ के करीब पड़ जायगी। मैं पश्चिमी और पूर्वी जिलों का हिसाब अलग से चाहता था। वह इस प्रकार है :—

इलाका	प्रति हल भूमि जुताई (एकड़)	मवेशियों की खुराक के लिए कुल भूमि का अनुपात प्रतिशत	१०० दूध देनेवाले जानवरों के लिए चारा की भूमि एकड़
पश्चिमी जिले	८.५६	१६.६	७६.६८
पूर्वी जिले	५.२४	१.५	५.२४

—खेती-सुधार कमेटी यू० पी० १९४३

ऊपर के अंकों से मालूम होगा कि आज हमारे प्रान्त में मवेशियों के लिए कितनी कम जमीन पर खुराक पैदा करते हैं। ऐसी हलात में वे कम काम करेंगे इसमें संदेह ही क्या है। यद्यपि पश्चिमी जिलों की हालत कुछ अच्छी है लेकिन मिश्र आदि देशों की तुलना में यह इलाका भी बहुत पीछे है। इसके अलावा हमारे प्रान्त में चरागाह केवल ५२ लाख एकड़ ही है। इस ५२ लाख एकड़ पर १०३,१५००० गाय-भैंसों और ८७,६४०० भेड़-बकरियाँ चरने के लिए हैं। इतना कम चरागाह भी सारे प्रान्त में समान बँटा हुआ नहीं है। इस चरागाह का अधिकांश जंगल के पास और नदी के किनारों पर ही होगा। इसलिए

अधिकांश देहातों में चरागाह नहीं के बराबर ही होगा। जब पशुओं की खुराक इतनी कम है और दूध के लिए गाँव का कोई महत्व नहीं तो लोग गौओं को कसाई के हाथ वेंच दें, इसमें आश्चर्य ही क्या है। फलतः सारे प्रान्त में हर साल ४,८०,००० गौओं की मांस के लिए हत्या की जाती है।

जंगल—हमारे प्रान्त के जंगल प्रधानतः हिमालय की तराई, विन्ध्य गिरिमाला, बुन्देलखंड आदि इलाके में ही हैं। प्रान्त के कुल क्षेत्रफल का ४.८ हिस्सा जंगल है। अब तक इस प्रान्त के जंगलों का इस्तेमाल केवल लकड़ी के लिए ही है। उद्योग के लिए जंगलों से क्या क्या कच्चा माल मिल सकता है इसकी पूरी जाँच भी नहीं हुई है। लोग कुछ स्थानीय माल की वास्तव जरूर जानते हैं लेकिन कोई संयोजित जाँच की चेष्टा हुई है, यह मुझको मालूम नहीं हुआ। इसलिए इन प्रश्न पर राशनी डालना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

शिक्षा—पिछले एक पत्र में मैंने लिखा था कि हमारे प्रान्त में शिक्षा कितनी कम है। गाँवों में ढूँढ़ने से एक मिडिल पास आदमी मिलेगा; स्त्रियों की तो कोई बात ही नहीं। फैजाबाद में मैं जब स्त्री सुधार योजना का प्रयोग कर रहा था उस समय ग्राम-सेविका शिक्षा-शिविर के लिए कितनी कोशिश करने पर भी दर्जा ४ पास ५० स्त्रियाँ मिल नहीं सकीं और फिर मुझको करीब अशिक्षिता स्त्रियों को ही तैयार कर परीक्षा पास करने का प्रबन्ध करना पड़ा। अगर हम सारे प्रान्त के साक्षर तथा शिक्षित लोगों की संख्या की ओर देखें तो अवाक् होना पड़ेगा। वस्तुतः अंग्रेजी राज्य में शिक्षा की जितनी अवनति हुई है शायद किसी बात की उतनी न हुई होगी। यह अवनति खास तौर पर देहातों में अधिक हुई; शहरों में राज्य-संघटन का केन्द्र होने के कारण कुछ शिक्षा उन्होंने अपने ढंग से दी भी है पर गाँव से मतलब ही क्या? पहले हमारे यहाँ जगह-जगह पाठशालाएँ चलती थीं। यहाँ के गुरु वास्तविक गुरु थे। वे विद्या-दान के लिए ही पाठशाला चलाते थे,

व्यापार के लिए नहीं। वही कारण था कि गाँव-गाँव शिक्षालयों का प्रचार था। पाठशाला के प्रति जनता में आदर-भाव इस तरह कूट-कूट करके भर दिया गया था कि आज भी पाठशाला के नाम पर गरीब से गरीब देहाती घर से कुछ न कुछ दान मिल जाता है। तुम कह सकती हो कि उस पुरानी प्रणाली की शिक्षा से आज की प्रगतिशील दुनिया क्या लाभ ? यह ठीक हो सकता है कि उस शिक्षा से आज की दुनिया में विशेष लाभ नहीं लेकिन जो सार्वजनिक शिक्षालयों का स्वाभाविक संघटन था, शिक्षक की जो सेवा वृत्ति तथा विद्या दान की भावना थी, पाठशालाओं के संचालन के लिए जैसा सहज तथा स्वाभाविक आर्थिक प्रबन्ध था अगर वह कायम रह पाता तो तुम उसी में समयोपयोगी पद्धति से भी शिक्षा दे सकती। आज कुछ होता ही नहीं है तो अच्छी बुरी बातों का कोई सवाल ही नहीं उठता।

इस प्रान्त में कुल ४०,६७,४०० पुरुष और ३,३०,८६७ स्त्रियाँ साक्षर हैं। कुल आवादी के पुरुष तथा स्त्रियों का अनुपात क्रमशः १०.८ और २.३ है। कुल साक्षरता का अनुपात सम्पूर्ण आवादी का ८.४ प्रतिशत है ! यह अनुपात भारत के औसत से भी कम है। सारे भारत में सन् ३१ तक साक्षर आवादी का अनुपात ११ सैकड़ा था। अब तो कुछ बढ़ा ही होगा। इस प्रकार भारत की साक्षरता से हमारे प्रान्त की साक्षरता करीब ४ सैकड़ा कम है। लेकिन मर्दुमशुमारी की रिपोर्टों में उन्हीं को साक्षर कहा गया है जो किसी तरह अपना नाम लिख सकते हैं। मैंने पिछले पत्रों में साक्षर उनको कहा है जो किताब पढ़ना और अच्छी तरह लिखना जानते हैं। अगर मेरा हिसाब न भी लिया जाय तो दर्जा २ बिना पास किये हुए लोगों को साक्षर तो तुम कह ही नहीं सकती हो। प्रान्त भर में कितने लड़के और लड़कियाँ दर्जा २ से एंट्रेंस तक के स्कूलों में जाते हैं, उसका हिसाब देखने से असली शिक्षा का कुछ अन्दाज ही सकेगा—

क्रमा	लड़के	लड़कियाँ	कुल
२	१८०,२७५	२५,०२३	२०५,२९८
३	१३५,०२८	१४,३०८	१४९,३३६
४	१००,५२१	९,७३४	११०,२५५
५	५०,९७७	४,६८९	९५५,६६६
६	४५,८४२	३,८०४	४९,६४६
७	४३,९२६	१,८४८	४५,७७४
८	१४,८५८	१,३६३	१६,२२१
९	१३,६३०	६०७	१४,२३७
१०	१२,३१४	५३८	१२,८५२
११	३,९९३	३११	४,३०
१२	३,९३६	१९५	४,१३१

६,०५,३००

६२,४२०

६,६७,७२०

साधारणतः इन दर्जों में १० साल से २२ साल तक की उम्र के लड़के-लड़कियाँ ही पढ़ते हैं। और उनकी प्रान्त भर की आवादी १,१८,८४,४५३ है। यानी इस उम्र की आवादी के ६ सैकड़ा लड़के स्कूल में पढ़ते हैं। तुम्हें मालूम ही है कि पढ़ाई अधिकतर शहरों में ही होती है। अगर शहर की आवादी घटाकर जोड़ा जाय तो यह अनुपात ४ सैकड़ा से भी कम हो जायगा। यह पढ़ाई भी ऐसी है कि लड़के दुनियाँ का कुछ सीख नहीं पाते हैं। लड़कियों की तो कोई बात ही नहीं। रामायण, महाभारत की कहानी तक वे नहीं जानती हैं। इस सिलसिले में एक मजेदार बात तुमने कभी देखी है? हमारे उन नौजवानों को जो स्कूलों में पढ़ते हैं, गाँव की साधारण बातों का भी ज्ञान नहीं होता है। तमाशे की बात यह है कि यह न जानना भी उनके लिए एक गुण-सा है। हमारे स्कूलों में इसी प्रकार साधारण बातों को न जानने के गुण का आज काल इतना महत्व हो गया है कि

देहाती नौजवान भी जो स्कूलों की शिक्षा पाते हैं जब अपने सम्बन्धियों के बीच बैठते हैं तो वे साधारण सांसारिक और गृहस्थों के बातों को, जिन्हें वे जानते और समझते भी हैं, न जानने का ढोंग करते हैं। ऐसे भोले बनकर पूछते हैं मानों वे बातों को जानते ही नहीं। इस तरह न जानने का नाटक करके वे अपने सम्बन्धियों पर वह असर डालना चाहते हैं कि वे शिक्षित और सम्यक् हो रहे हैं। मैंने देखा है कि यह हाल केवल हाई स्कूल या इंटर कालेज के लड़कों का ही नहीं, बहुत से मिडिल में पढ़ने वालों में भी यह रोग फैल रहा है।

खेती-प्रधान प्रान्त होने पर भी यहाँ खेती-शिक्षा की विशेष व्यवस्था नहीं है। जो है भी वह सब जरायत महकमा के कर्मचारी बनाने की मशीन मात्र है। साधारण खेतिहर श्रेणी के लोगों की शिक्षा तो ही नहीं पाती। इस प्रान्त में कृषि-शिक्षा के लिए तीन ही स्थान हैं:-

१—कानपुर का कालेज २—बुलन्दशहर का स्कूल और कालेज और ३—गोरखपुर का स्कूल। ये इतने खर्चीले हैं कि इस किस्म की शिक्षा सार्वजनिक होना असम्भव है। तीनों शिक्षालयों के प्रति विद्यार्थी के लिए प्रति वर्ष केवल सरकारी खर्च ही इस प्रकार है:—

१—कानपुर कालेज	६२४)	} इसके अलावा छात्रों का अपना खर्च भी होता है
२—बुलन्दशहर स्कूल	३६३)	
३—गोरखपुर स्कूल	४२७)	

इतने खर्च से कितने खेतिहरों की शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है, तुम समझ सकती हो।

ग्राम-उद्योग की शिक्षा का तो कोई केन्द्र आज है ही नहीं। हम लोगों ने रणीवां में कुछ ग्राम-उद्योगों की शिक्षा का प्रबन्ध किया था। उन्हें तो सरकार ने द अग्रस्त के प्रस्ताव के बहाने खतम ही कर दिया है। कांग्रेस सरकार कुछ चमड़ा और कागज बनाना सिखाने की व्यवस्था कर रही थी। लेकिन वह आज मृप्रताप ही है।

बेकारी—आज संसार में अगर कोई एक चीज सारे राजनीतिज्ञों,

अर्थशास्त्रियों, समाजसेवियों, साहित्यकों, कवियों, पंडितों, पादरियों और जितने सज्जन लोग हैं उन सबको परीक्षण करती है तो वह है 'बेकार-समस्या ।' यही एक समस्या हल कर सकने न कर सकने पर साम्राज्यों और सरकारों का बनना विगड़ना निर्भर करता है । जो सरकार इसी एक समस्या को हल कर लेती है उसकी वाहवाही संसार भर में होती है । जब आज यह समस्या इतने महत्व की हो गई है तो किसी राष्ट्र की पुनर्गठन-योजना का मध्य बिन्दु इसी प्रश्न का बन जाना स्वाभाविक ही है । ऐसी हालत में अगर हमको अपने प्रान्त की ग्राम-सुधार योजना पर विचार करना है तो पहले देख लेना चाहिए कि इस प्रान्त के देहातों में बेकारों का अनुपात क्या है । शायद ऐसा कोई अर्थशास्त्री न बचा होगा जिसने इस प्रश्न पर गौर से विचार न किया हो और इसका हिसाब निकालने की चेष्टा न की हो । वस्तुतः जितना समय बीत रहा है उतनी ही बेकारी हमारे देश में बढ़ रही है । आवादी की वृद्धि के साथ-साथ जहाँ एक तरफ प्रति परिवार जमीन का रकबा घटता जा रहा है, वहाँ कर्ज की बढ़ती और जमींदारी प्रथा की मेहरवानी से दूसरी तरफ खेतीहीन आवादी बढ़ती जा रही है । नतीजा यह होता है कि खेतीहीन आवादी बढ़ने पर भी जमीन के लिए मजदूर की माँग घटती जा रही है । जब लोगों के पास इतने थोड़े खेत रह गये कि अपने परिवार में ही आदमी जरूरत से ज्यादा हैं, तो उनको मजदूरों की जरूरत ही क्या है ? सारे भारत में १९२१ में प्रति १००० आवादी में २६१ खेतीहीन मजदूरों की संख्या थी वह बढ़कर सन् १९३१ में ४०७ हो गई थी । आज १९४४ में क्या हाल होगा ? यह संख्या ६००।७०० हो गई होगी । श्री राधाकमल मुखर्जी का कहना है कि हमारे प्रान्त में सन् १९११ में ४,५५२, ०४३ मजदूर खेतों में मजदूरी करते थे और सन् २१ में ४,०३५, ८८७ मजदूर काम करते थे । इसका मतलब यह हुआ कि प्रति १०

साल में ११.३ सैकड़ा मजदूर खेत में काम करने से वंचित होते जा रहे हैं। सन् १९२६ के बाद तो यह अनुपात और भी बढ़ गया होगा। क्योंकि मंदी के कारण लोग अपने हाथ से ही ज्यादा काम करने लगे हैं। लेकिन इस प्रकार के हिसाबों से भी असली स्थिति का पता नहीं चल सकता। क्योंकि इस प्रकार जितने भी हिसाब लगाये गये हैं सब ऊपर ऊपर से ही परिस्थितियों को देखकर लगाये गये हैं। इन हिसाबों में यह देखने की चेष्टा नहीं की गई है कि कितने परिवार खेती में और अन्य उपयोगी कर्म में लगे हैं; खेती के मौसम के हिसाब से कितने दिन काम के हैं और कितने दिन खाली हैं और कितने लोग जरूरत न होने पर भी मजदूरन खेत में बेकार काम करते रहते हैं। इत्यादि। लेकिन अगर हमको ठीक-ठीक हिसाब लगाना हो तो उतने से ही काम नहीं चलेगा। हमको यह भां देखना है कि जितने आदमी 'खेती में लगे हैं' ऐसा मालूम होता है, दर असल उतने आदमी लगाने चाहिए या नहीं। सदियों से अधिक आदमियों से कम खेती का काम करते रहने से स्वभावतः काम की गति में जो कमी आई है या गरीबी के कारण जो काहिली और सुस्ती आ गई है उसकी वजह से जो जरूरत से कुछ ज्यादा आदमियों की किसी काम के लिए आवश्यकता होती है उसे अगर आज हम छोड़ भी दें तब भी इतना तो जोड़ना ही चाहिए कि गांव की आज की आवादी की शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार गांवों में जितनी खेती होती है उनमें कितने आदमी लगाने चाहिए। और उससे ज्यादा आदमी अगर मजदूरन उसमें पड़े हैं तो उन्हें बेकारों में गिनना चाहिए। इधर जेल में खाली बैठे-बैठे मैंने दूसरा एक हिसाब निकाला था। शायद तुम्हारे लिए दिलचस्प हो। अतः मैं उसकी नकल नीचे लिख देता हूँ।

इस हिसाब में मनुष्य और पशुओं के श्रम की गति आज की गति के अनुसार रखी है। मेरा अनुभव पूर्वी जिलों का ही है।

इसलिए मैंने यह गति पूर्वी जिलों के हिसाब से रक्खी है। अगर पूरे प्रान्त का हिसाब लिया जाय तो औसत गति मेरे हिसाब से ज्यादा ही होगी। लेकिन मैंने उसे छोड़ ही दिया है जिससे लोग यह न कह सकें कि मैंने बेकारी का हिसाब बढ़ाकर रक्खा है। केवल हल की गति पूरे प्रान्त की औसत के हिसाब से लगाई गई है। जो हिसाब किया है उसे असली हालत से कम समझना। खेती की भिन्न-भिन्न क्रियाओं का नाम मैंने अपने तरफ के जेलों का ही रक्खा है। आशा है तुम उन्हें समझ सकोगी। हिसाब में मैंने काम की कुल हाजिरी लगाई है, बाकी समय बेकारी का ही समझना चाहिए। काम का हिसाब इस प्रकार है :—

(१) पशुओं का चराना—वैसे तो १०० पशुओं को एक चरवाहा काफी होना चाहिए। लेकिन आज की परिस्थिति में १० पर एक चरवाहा का हिसाब किया गया है।

आवश्यक

गांव के पशुओं की संख्या	पुरुष	स्त्री	किशोर
-------------------------	-------	--------	-------

गाय	६५	२	१	३
भैंस	२४	१	०	२
बकरी	५०	१	१	३
भैंड़	१००	१	१	२

कुल	५	३	१०
-----	---	---	----

साल भर की हाजिरी

पुरुष २५५५

स्त्री २५५५

बालक ६५३०

१० बालक में ६ से १० साल तक के बालक ३ और ११ से १५ तक के ७ होंगे ।

खेती के लिए आवश्यक आदमी और पशु

जेठ

निरवाही (घास-खर की सफाई)

कुल हाजिरी

२७१ एकड़

पुरुष स्त्री किशोर बैल:

खाद ढोवाई, धान, ज्वार, बाजरा, जोन्हरी, तिल, मसाला, कोदो, सावां, सरसों १८०*४ एकड़	२१७
४५ एकड़ गाड़ी से $\left(\frac{४५ \times ५}{६}\right)$ ३८ गाड़ी ७६	७६
१३५*३४ एकड़ आदमी से ८ आदमी प्रति एकड़	५४२	५४२
कपास ६*३७ जोताई ४ बार (१ हल = $\frac{१}{३}$ एकड़ प्रति दिन)	३२	६४
सिंचाई कपास, ईख, ज्वार ३४*४ एकड़ बैल से ८ एकड़ (३ आदमी, ४ बैल = १ एकड़)	२४	३२
आदमी से २६*४ एकड़ (१ एकड़ ८ आदमी)	१७१	४०
जाड़	१०६२	५८१	...	१७२

अपाढ़

पुरुष स्त्री किशोर बैल

अधनी धान बेहन जोताई बोआई

१ एकड़ ४ बार

५ १०

अधनी धान जोताई २४*७५ एकड़ १ बाँह	३१	६२
भदही धान ४८ एकड़ जोताई बोआई				
३ बाँह	१८०	३६०
भदही धान घूर दहानी या बदहनी	४८	९६
ज्वार बाजरा ३६*३६ एकड़				
जोताई बोआई ३ बाँह	१४८	२९६
अरहर उर्द २३*६२ एकड़ जोताई				
बोआई ३ बाँह	८९	१७८
चरी १५*०२ एकड़ जोताई बोआई ३ बाँह	५६	११२
जोन्हरी १६*५० एकड़ ,, ,, ३ बाँह	७३	१४६
तिल ३*२४ एकड़ ,, ,, ३ बाँह	१२	२४
सनई १६ एकड़ ,, ,, २ बाँह	४०	८०
तरकारी मसाला ४ एकड़ जोताई				
बोआई ४ बाँह	२०	४०
तरकारी मसाला सोहनी गोड़ाई	५०	५०
मकई अरहर घूर दहानी ३१*५ एकड़	३२	६४
कपास, जोन्हरी २५*८७ एकड़ गोड़ाई				
२ वार	४११
सावाँ कोदो १६*४ एकड़ बोआई २ बाँह	४१			
<hr/>				
जाड़ १२३६				५०
<hr/>				१५५०

सावन

	पुरुष	स्त्री	किशोर	बैल
अधनी धान २४*७५ एकड़ जोताई	३२	६४
” ” ” बोआई	१४०	१४०
भदही ४८ एकड़ सोहनी २ वार				
(११ पु० १५ स्त्री ६ बच्चा २ ए०)	५२८	७२०	४३२	...

भदोही उर्द सोहनी ११.८२ एकड़	१३२	१०८	१०८	...
ज्वार बाजरा ३६.३६ एकड़ सोहनी	४३८	५६२	३५५	...
तम्बाकू ६ एकड़ जोताई ४ बार	४५	६०
मसाला तरकारी ४ ए० सोहनी गोड़ाई आदि	४४	६०	३६	...
सनई उलटना १४ एकड़	१८	३६
तिल ३.२४ एकड़ सोहनी २ बार	३६	४६	२६	...
सावाँ कोदो १६.४ ए० सोहनी १ बार	७०	८०	२०	...

कुल जोड़ १४८३ १८२१ ६८० १८०

भादो

	पुरुष	स्त्री	किशोर	बैल
गेहूँ ७६.२१ ए० जोताई बोआई ४ बाँह	३८१	७६२
भदोही ४८ एकड़ सोहनी १ बार (२ पु० ३ स्त्री १ लड़का प्रति एकड़)	६६	१४४	४८	...
जोहरी रखवाली (३० आदमी ३० दिन)	१५०	२५०	५००	...
सरसों २.६ एकड़ जोताई ४ बाँह	१६	२६
तम्बाकू .६ एकड़ जोताई २ बाँह	२	४
सावाँ ५.५३ एकड़ कटाई (१ एकड़ में ६ आदमी)	१०	१६	५	...

कुल जोड़ ६७५ ४१० ५५३ ७६२

कुआर

	पुरुष	स्त्री	किशोर	बैल
कपास ६.३७ एकड़ चुनाई ३ बार (४ स्त्री ४ लड़के)	...	७७	७७	...
गेहूँ ७६.२१ एकड़ जोताई ४ बाँह	३८१	७६२

भदोही ४८ एकड़ कटाई (प्रति ए० ४ पु० ५ स्त्री २ लड़के)	१६२	२४०	६६	...
” ” दँवाई (प्रति एकड़ ३ पु० ५ स्त्री ६ बैल)	७२	४८	...	१४४
मकई १६.५ एकड़ कटाई (प्रति एकड़ ३ पु० २ स्त्री १ लड़का)	५६	३६	२०	...
कोदो उर्द २२.५६ एकड़ कटाई (प्रति एकड़ ३ पु० ४ स्त्री १ लड़का)	६८	६०	२३	...
सावां कोदो उर्द २८.२२ एकड़ दँवाई	४२	२८	...	८४
तम्बाकू ०.६ एकड़ जोताई २ बाँह	२४
भदोही, मकई, सावां कोदो ८३.६ एकड़ जोताई २ बाँह	२१०	४२०
खाद, ढोवाई, गेहूँ, चना, मटर, तम्बाकू, तरकारी, मसाला, अलसी आलू २०४.३१				
५१ गाड़ी से $\frac{५१ \times ५}{६}$ गाड़ी = ४३ गाड़ी	८६	८
१५३.३१ एकड़ आदमी से (प्रति एकड़ ४ पु० ४ स्त्री)	६१३	६१३
	<hr/>			
	कुल कोड़	१७२५	११३५	२१६ १५००

कार्तिक

	पुरुष	स्त्री	किशोर	बैल
तरकारी मसाला सोहनी गोड़ाई आदि ४ एकड़	२०	२५	१२	...
गेहूँ ७६.२१ एकड़ जोताई बोआई ४ बाँह	३८१	७६२
चना, मटर जव, अलसी, तम्बाकू, आलू १२४.३५ ए० जोताई ४ बाँह	६२२	१२४४

प्रान्त के देहातों की हालत

५८५

तोरी २.६० एकड़ कटाई	१३	१३
आलू १.५ एकड़ बोआई (२५ आदमी १ एकड़ में)	२०	१८
" " मिट्टी चढ़ाई (१६ आदमी १ एकड़ में)	२०	४
" १.५ एकड़ सिंचाई ५ एकड़ बैल से २ वार	३	४
" " " १ एकड़ आदमी से २ वार	१२	४
मसाला तरकारी खुदाई कटाई भाई आदि	२५	२५	५	...
मसाला तरकारी ४ एकड़ जाताई ४ वाँह	२०	४०
कयास चुनाई ६.३७ एकड़ ५ वार (प्रति एकड़ ६ स्त्री ५ बच्चे)	...	१६१	१५१	...
<hr/>				
जोड़	१३३६	२८०	१६६	२०५०

अगहन

पुरुष स्त्री किशोर बेल

सिंचाई-गेहूँ, चना, मटर, जव, आलू, तम्बाकू असली, मसाला, तरकारी २०४.३१ एकड़ ५१ एकड़ बैल से	१५३	२०४
१३३.३१ एकड़ आदमी से	६२०	३०६
अधनी धान २४.७५ एकड़ कटाई	६६	१२४	४६	...
अधनी धान २४.७५ एकड़ दँवाई	३७	२५	...	७५
ज्वार, बाजरा, कटाई ३६.३६ एकड़	१५८	१६७	७६	...
ज्वार, बाजार, दँवाई ३६.६६ एकड़	६०	४०	१२०	...
खाद ढोवाई ११ एकड़ ईख ३ एकड़ गाड़ी से	४	४

खाद ढोवाई ११ एकड़ ईख				
८ एकड़ आदमी से	३२	३२
तिल कटाई ३.२४ एकड़	६	१२	५	...
तिल देवाई " "	३	२	...	६
ईख जोताई २ बार १०॥ एकड़	२७	५४
<hr/>				
जोड़	१५०२	७३८	१३३	४६३

पौष

पुरुष स्त्री किशोर ब्रैल

सिंचाई गेहूँ, आलू, तम्बाकू ७८.६१ एकड़				
२० एकड़ ब्रैल से	६०	८०
५८.६१ एकड़ आदमी से	३१५	११७
ईख १०.८३ एकड़ कटाई छिलाई २५ दिन	१००	८०	३०	...
ईख " " पेरवाई गुड़ बनाई २५ दिन	१५०	१००	५०	२००
मकई १६.५ पिटाई	५०	५०	२०	...
फुटकर काम तरकारी मसाला	५०	५०
<hr/>				
जोड़	७६२	३६७	१००	२८०

माघ

पुरुष स्त्री किशोर ब्रैल

आलू तम्बाकू सिंचाई २.४ एकड़				
{ एक एकड़ ब्रैल से	३	४
{ १.४ एकड़ आदमी से	६	३
ईख कटाई छिलाई	१००	८०	३०	...
ईख पेरवाई गुड़ बनाई	१५०	१००	५०	२००
ईख १०.८३ एकड़ जोताई २ बाँह	२८	५६
फुटकर काम तरकारी मसाला	५०	५०
<hr/>				
जोड़	३४०	२३३	८०	२६०

फाल्गुन

	पुरुष	स्त्री	किशोर	वैल
आलू तम्बाकू सिंचाई २*४ एकड़				
{ एक एकड़ वैल से	३	४
{ १*४ एकड़ आदमी से	६	३
ईख कटाई छिलाई	१००	८०	३०	...
ईख पेरार्ई बनाई	१५०	१००	५०	२००
ईख जोताई ३ वांह	४१	८२
ईख बोआई	३३	११	...	६६
फुटकर काम तरकारी मसाला	५०	५०
जोड़	३८६	२४४	८०	३५२

चैत

	पुरुष	स्त्री	किशोर	वैल
कटाई, गोहूँ, मटर, चना, जव				
अलसी १६८*११ ए०	७००	७००
तम्बाकू *६ एकड़ कटाई	५	५
आलू १*५ एकड़ खोदाई	१०	८
अरहर १२ एकड़ कटाई ६ आदमी प्रति एकड़	३६	३६
गन्ना सिंचाई ११ एकड़				
{ ३ एकड़ वैल से	६	१२
{ ८ एकड़ आदमी से	४३	२१
जोड़	८५३	८२०	...	१२

वैशाख

	पुरुष	स्त्री	किशोर	वैल
दँवाई चना, मटर ८१*८३ एकड़	१०५	१००	...	२४६

दँवाई गेहूँ, ७६.२१ एकड़ (६ आदमी

४ स्त्री १२ बैल = १ एकड़)

४५७ ३०५ ... ६१४

अलसी २.८२ एकड़ दँवाई

३ २ ... ६

अरहर १२ एकड़ पिटाई (४ पुरुष

४ स्त्री = १ एकड़)

४८ ४८

तम्बाकू १६ एकड़ कटाई

५ ५

गन्ना १०.८३ एकड़ २ वार

{ बैल से

६ १२

{ आदमी से

४३ २१

जव ३७.२५ एकड़ दँवाई

२२३ १४६ ... ४४७

जोड़ ७८८ ६३० ... १६२५

प्रति गाँव की खेती पर की औसत कुल आवादी साढ़े अठत्तर परिवार की लोक-संख्या ३६२ है जिसमें उम्र और स्त्री पुरुष का अनुपात इस प्रकार है :—

उम्र	कुल	पुरुष	स्त्री
७० से ऊपर बूढ़े	१०	५	५
१६ से ७६ प्रौढ़	२३२	११८	११४
११ से १५ किशोर	४६	२४	२२
६ से १० बालक	४८	२५	२३
जन्म से ५ तक बच्चे	५६	२६	२७

रकूल जाने वाले कुल लड़के

दर्जा ४ तक १३,०२,१३६

दर्जा ५ से ७ तक १,६२,७१०

जोड़ १४,६४,६५५

इसमें शहर के करीब के लड़के २,००,०००

शेष— १२,६४,६५५

यानी प्रति ग्राम १२ जिसमें किशोर ३ और बालक ६ होंगे।

साल भर के काम के दिन

हाजिरी		दिन			वैज	
माह	पुरुष	स्त्री	किशोर	वैल	पुरुष	स्त्री
जेठ	१०६२	५८१	...	१७२	७.१	५.१
अषाढ	१२३६	५०	...	१५५०	१०.५	५
सावन	१४०३	१८२१	६६०	११०	१२.२	१६.०
भादों	६७५	४१०	५५३	७६२	५.७	३.६
कुआर	१७२५	११३५	२१६	१५००	१४.४	६.१
कार्तिक	११३६	२८०	१६६	२०५०	६.६	२.४५
अग्रहन	१५०२	७३८	१३३	४६३	१३.७	६.५
पौष	७६२	३६७	१००	२८०	६.६	३.५
माघ	३४०	२३३	८०	३६०	३.०	२.१
फाल्गुन	३८६	२४४	८०	३५२	३.३	२.१
चैत	८५३	८२०	१८४	१२	७.२	८.०
वैशाख	७८८	६६०	...	१६२५	६.८	५.५
पशु चराना १८२५		१०६५	२५५५	जोड़ = १००.१	६५.३५	५४.५
विद्यालय	१०६५	कुल = ११५.६	७४.६५	११०.०
						१०१.६
						...
						१०१.६

आज जितनी खेती होती है उस पर काम के दिन का हिसाब इस तरह निकलता है। लेकिन इस हिसाब से भी वेकारी का अन्दाज लगाना शायद ठीक न हो। मैंने जो काम के दिन लगाये हैं उनमें कई बातों का ख्याल नहीं किया क्योंकि उनका व्योरा मुझे प्राप्त नहीं है। लेकिन अपने अनुभव से तुमको कुछ अन्दाज दे ही सकता हूँ। जिस तरह की खेती के आधार पर काम की हाजिरी जोड़ी गई है वह उन खेतिहरों की है जो खुशहाल हैं और जिनके पास खाद पानी का साधन है। लेकिन तुमको मालूम है कि हमारे प्रान्त में अधिकांश किसान गरीब और साधनहीन हैं। न तो वे जमीन को इतनी बार जोत सकते हैं और न उतना पानी ही सींच सकते हैं। ६६.४% जमीन पर तो पानी की सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि केवल ३३.६% जमीन पर, जिसके लिए सिंचाई का प्रबन्ध है, भी गरीब किसान अनुपात से कम पानी सींच पाते हैं। फिर मैंने सारी जमीन की सिंचाई की मजदूरी कुएँ के हिसाब से जोड़ी है। लेकिन हकीकत यह नहीं है। तालाब से सिंचाई में मजदूरी बहुत कम लगती है। नहर की और पहाड़ या तराई के इलाकों की सिंचाई में तो मजदूरी नहीं के बराबर लगती है। इसके आलावा तराई, माँसा या कछार के इलाकों की खेती में कुछ विशेष परिश्रम ही नहीं है। जो लाखों बीघा ताल-तराइयाँ हैं उनमें तो केवल बीज छींट देने का ही काम रहता है। अगर इन सारी बातों का हिसाब कहीं से ठीक-ठीक मिल सके तो तुम देखोगी कि मैंने जो काम के दिन बताये हैं उनमें और वास्तविक स्थिति में करीब २५% का अन्तर पड़ जायगा। इसलिए परिस्थिति को समझने के वास्ते तो तुम ऊपर बताये दिनों में से १५ सैकड़ा दिन निःसंकोच घटा सकती हो। खेती के काम, पशु चराने आदि के आलावा गृहस्थी के और काम भी रहते हैं। उन्हें भी जोड़ लेना चाहिए। खेती के काम में १५ सैकड़ा घटाकर और अन्य कार्यक्रमों को जोड़कर काम के दिन इस प्रकार होंगे :—

काम	दिन			
	पुरुष	स्त्री	किशोर	बैल
खेती	८५	५६	४६	८६
पशु चराना	१६	१०	५६	...
स्कूल	२४	...
मकान तथा अन्य निर्माणों की मरम्मत	६	४	४	...
मेंड़ बँधाई	८	...	४	...
लकड़ी काटना चीरना	४	...	४	३०
अनाज ढोवाई वाजरा की	३	३५
आतिथ्य	...	१२	५	...
त्यौहार	७	१०	७	...
बीमारी सुश्रूपा	१०	३०	१०	...
मकान की सफाई	३	८	५	...
अनाज सफाई अलग से	...	७
प्रसूती	...	१०
फुटकर काम	६	१५	१०	...
बैलगाड़ी	३	...	१	४
कंडा पाथना	...	२०
	१५१	१८४	१७६	६१

वेकारी के दिन

पुरुष स्त्री किशोर बैल

२१४ = ६ माह । १८१ = ६ माह । १८६ = ६ माह । २७४ = ६ माह

अगर ६० बैल-भैंसों के खाली समय के लिए खुराक पैदा करने वालों को वेकारी में जोड़ना हो तो जो परिस्थिति पैदा होगी उससे घबड़ाकर कहीं पागल न हो जाना । अगर पुरुषों का एक माह का समय दीगर काम के लिए निकाल दिया जाय तो कुल आवादी ६ माह

वेकार रहती है।

यह वेकारी तो केवल उन ७८॥ परिवारों के लोगों की है जो खेती पर गुजर करते हैं। इसके अलावा प्रति ग्राम के ६४ परिवार में से और १५॥ परिवार वचते हैं। उनकी हालत पर भी विचार करना आवश्यक है। इनमें से ३.५ परिवार तो नाई, धोबी, कँहार, लोहार बढ़ई, कुम्हार आदि के रूप में वहाँ ७८॥ अथ-भूखे परिवारों से नोचकर किसी प्रकार गुजारा करते हैं। वे भी किसी न किसी काम में लगे रहते हैं, ऐसा मान लो। इस प्रकार विभिन्न कामों के लिए साढ़े पाँच परिवारों को घटाने पर भी १० परिवारों के लिए एक मात्र काम "जय सीताराम" भजना ही है।

उपर्युक्त हिसाब से सारे प्रान्त की ग्रामीण जनता की वेकारी किस प्रकार होगी, उसका अन्दाज लगा सकती हो। अगर प्रति ग्राम की वेकारी को प्रान्त भर के १०२३८८ ग्रामों से गुणा किया जाय तो परिस्थिति इस प्रकार होगी :—

७८॥ परिवारों के १, २०, ८१, ७८४-प्रौढ़ पुरुष ६ माह यानी ६०, ४०, ८६२ प्रौढ़ पुरुष सम्पूर्ण वेकार रहते हैं।

१,१६,७२,२३२ प्रौढ़ स्त्रियाँ ६ माह यानी ५८,३६,११६ प्रौढ़ स्त्रियाँ सम्पूर्ण वेकार रहती हैं।

४७,०६,८४८ किशोर ६ माह यानी २३,५४,६२४ किशोर सम्पूर्ण वेकार रहते हैं।

यानी कुल संख्या २,८४,६३,८६४ में कुल १,४२,३१,६:२ आदमी सदा वेकार रहते हैं।

जो दस परिवार रास-भरोसे पड़े हैं उनमें १५×१०२३८८ यानी १५,३५,८२० प्रौढ़ पुरुष, $१४.४ \times १०२३८८ = १४,७४,३८७$ प्रौढ़ स्त्रियाँ और $५.८ \times १०२३८८ = ५,९३,८५०$ किशोर हैं। अर्थात् उन में कुल सक्षम वेकार आवादी की संख्या ३६,०४,०५७ है। इस तरह हमारे प्रान्त की देहाती जनता में १,७८,३५,६८६ श्रम करने लायक

आवादी साल में ३६५ दिन बेकार धैठी रहती है। यानी श्रम करने लायक कुल आवादी के ६२ सैकड़ा के करीब लोग खाली रहते हैं। जो लोग बाहरी रिपोर्टों के आधार पर ही सारा हिसाब लगाते हैं वे यह कह सकते हैं कि मेरा यह हिसाब एक देहाती का पागलपन है। हो सकता है, वे कोई २—४ ऐसे कामों के नाम बता दें जिन्हें मैंने अपने हिसाब में शामिल नहीं किया। अगर थोड़ी देर के लिए मैं उन मित्रों से समझौता करना चाहूँ तो ज्यादा से ज्यादा २८, ३५, ६-६ की संख्या कम होगी। फिर भी डेढ़ करोड़ आदमी से कम बेकार नहीं हैं, यह साबित करना किसी जादूगर की भी शक्ति से बाहर है। क्या तुमको मालूम है, इतने आदमी दुनियाँ में मिलकर क्या कर सकते हैं? अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र में लड़ाई से पहले उद्योगों में लगे कुल मजदूर १,५४,७५,००० ही थे, जिसमें पुरुष, स्त्री और किशोर सब शामिल हैं। इतने आदमी मिलकर जो सामान पैदा करते हैं उससे अपने देश की मांग पूरा करने के बाद फालतू माल को सारे ब्रह्मांड के बाजारों में खपाने की आवश्यकता पड़ जाती है। और हमारे देश के केवल एक प्रान्त की सिर्फ देहाती जनता में उतने ही सत्तम आवादी बेकार पड़ी है। इतनी बेकारी ही बस नहीं है। इन पर बैलों का खाला समय भी जोड़ना है। तुमने देख लिया कि हमारे प्रान्त में प्रति ग्राम ६० बैल-भैंस ६ माह के लिए बेकार हैं। अगर मान लें कि उनको महीने में ५ रोज आराम की आवश्यकता है तो भी वे ७ माह बेकार हैं ही। इस हिसाब से प्रति ग्राम $(६० \times ७) \div १२ = ५२$ यानी प्रान्त भर में ५३,२४,१७६ बैल-भैंस की सम्पूर्ण शक्ति बेकार पड़ी है। आज कल औद्योगिक दुनियाँ में शक्ति के नाप की ८ इकाई १ घोड़े की शक्ति के बराबर समझी जाती है। १॥ करोड़ मनुष्य शक्ति और आधा करोड़ बैल शक्ति मिलाकर कितने घोड़ों की शक्ति के बराबर होते हैं उसका अन्दाज कर सकती हो? आज मनुष्य-समाज औद्योगिक कार्य के लिए शक्ति के अनुसन्धान के पीछे पागल

हो रहा है। तेल, कोयला, पानी और विद्युत् से उसकी प्यास नहीं मिट रही है; वह समुद्र की लहरों से शक्ति निकाल कर उसे इस्तेमाल करने के फेर में है। उससे जरा पूछो कि भारत के एक एक प्रान्त के इतने जीवित प्राणियों की बेकार शक्ति का वे किस तरह उपयोग करने को कहते हैं? वचपन में एक कहानी पढ़ी थी। किसी ने तपस्या करके एक ऐसे दैत्य को नौकर रख लिया जो इच्छा मात्र प्रकट करने से आवश्यकता पूरी कर सकता था। उस दैत्य की एक खास शर्त यह थी कि अगर उसे आवश्यकता पूरी करने को काम न मिले तो वह मालिक की गर्दन तोड़ देगा। आज मनुष्य-समाज अपने आराम के लिए तपस्या करके जिन दानवी शक्तियों को नौकर रखता जा रहा है उनकी भी क्या वही खास शर्तें देखने में नहीं आती हैं? अगर आवश्यकता-पूर्ति के लिए काम न मिले तो अपने मालिक मनुष्य-समाज के नाश के लिए वे विध्वंसकारी युद्ध-सामग्री बनाने लग जायँगी। क्योंकि इन दानवों की नौकरी की शर्त ही ऐसी है कि उन्हें तुम खाली न बैठने दो।*

लिखते-लिखते बहुत लिख गया। अब समाप्त करना ही ठीक होगा। अतः आज विदा। सब भाई-बहिनों को नमस्कार।

[६]

सुधार की समस्याएँ

३—५—४४

गत महीने की २५ तारीख को एक लम्बा पत्र लिखा था; मिला होगा। आज फिर इतनी जल्दी लिखने बैठ गया। बहुत सी बातें दिमाग में आ रही थीं। सोचा, उन्हें भी लिख भेजूँ। पिछले पत्र में मैंने अपने प्रान्त की वर्तमान स्थिति पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की

* इस पत्र को लिखने के बाद अब अणु और हाइड्रोजन शक्ति भी आविष्कृत हो चुकी है। १२—११—५०

थी। वस्तुतः ग्राम-निर्माण की दृष्टि से अग्र परिस्थिति को जानना ही हो तो हर प्रश्न पर जाँच करना जरूरी है। आज उसकी सुविधा तो है नहीं। अतः जहाँ तक सम्भव हो सका कुछ सरकारी रिपोर्टों से और कुछ अपने अनुभव से स्थिति को देखने की कोशिश की गई है। मैंने जो हिसाब निकाला है वह अधिकतर अनुभव के आधार पर ही बनाया गया है। आज सरकारी रिपोर्टों में जो आँकड़े निकलते हैं मेरा हिसाब उनसे कम प्रामाणिक नहीं है। मैंने तो फिर भी अपने निजी अनुभव तथा जिम्मेदार मित्रों के अनुभव के आधार पर ही विभिन्न अंकों को निकाला है। लेकिन जो आँकड़े सरकारी रिपोर्टों में दर्ज किये जाते हैं उन्हें कैसे एकत्र किया जाता है, मालूम है? एक जिले का अफसर नीचे वाले डिप्टी को कागज भेजता है, डिप्टी कानूनगो के पास और कानूनगो पटवारी के पास कागज भेज देता है। ये पटवारी किस तरह इन जाँच-रिपोर्टों को लिखते हैं, यह तुम्हें मालूम हो तो परीशान हो जाओगी। ये पटवारी महाशय कलम और खाता लेकर अपने घर के सामने दालान में बैठते हैं और जो मन में आता है दर्ज कर डालते हैं। अधिक खेत में कम पैदावार और कम खेत में ज्यादा पैदावार लिखना तो मामूली बात है। तुमने आमतौर पर बूढ़ियों को माला फेर कर पूजा करते देखा है न? जिस तरह वे राम नाम के साथ घर-गृहस्थी की सारी खुराफात की बातें करती हैं—भगड़ा करती हैं, गाली देती हैं और साथ-साथ माला भी फेरती रहती हैं, ठीक उसी तरह ये पटवारी लोग लोगों से हर तरह की बात-चीत, भगड़ा गाली आदि के साथ-साथ रजिस्टर में दर्ज भी करते चलते हैं। रजिस्ट्रों के पिछले पन्नों को बिल्कुल कोरा रख कर अगले पन्ने पर कुछ का कुछ दर्ज करके सिर्फ उन्हीं पन्नों को खोलकर कचहरी के सामने गवाही दे आने तक का उदाहरण थिरल नहीं है। अतः जो चित्र मैंने अपने प्रान्त का दिया है उसे प्रायः सही समझना। कम से कम उसे भविष्य-योजना पर विचार करने का आधार तो मान ही

सकती हो। वैसे तो जब राष्ट्रीय सरकार होगी तो उसको सारी बातों की खोज फिर से करनी ही पड़ेगी।*

ग्राम की मौजूदा परिस्थिति की जानकारी कर लेने के बाद हमको अपनी समस्याओं पर विचार कर लेना चाहिए। हमको करना क्या है? हर तरह की समस्याओं और अपने उद्देश्य पर विचार कर लेने के बाद ही उनके समाधान की बात सोची जा सकती है। अतः आज मैं इन्हीं बातों पर विचार करने की कोशिश करूँगा।

अन्न, वस्त्र तथा आश्रय मनुष्य की तीन बुनियादी आवश्यकताएँ हैं। सबसे पहले हमको इन्हीं तीन प्रश्नों पर विचार करना है। वस्तुतः अगर इनका हल हम कर लें तो पूरी तरह सुखी हो सकते हैं। हमें यह देखना है कि समस्त आवादी के स्वस्थ जीवन-धारण के लिए कितने और किस प्रकार के भोजन की आवश्यकता है और उसमें कितना अनाज, कितना दूध-घी, कितना नमक-मसाला, कितना फलादि चाहिए। फिर सिर्फ आवादी की भोजन-सामग्री

मानव की मौलिक से ही बस नहीं होता। हमें यह भी देखना है कि आवश्यकताएँ भोजन के अलावा, मवेशियों के लिए, बीज के लिए, रिजर्व के लिए और दूसरी-दूसरी मदों के लिए कितनी और सामग्री चाहिए। आज से जो बढ़ती सामग्री की आवश्यकता होगी वह कहाँ से आवेगी। आज जितनी जमीन है उसी पर खेती की पैदावार बढ़ाकर कुल आवश्यक अनाज आदि सामग्री पूरी हो सकेगी क्या? अगर पैदावार बढ़ाई जा सकती है तो किस हद तक? इससे आवश्यकता अगर पूरी न हो तो और खेत कहाँ से आवे? फल के लिए जमीन का प्रबन्ध कैसे किया जाय? पैदावार बढ़ाने के लिए और क्या क्या साधन चाहिए, कितनी खाद और पानी चाहिए। वे

* आज राष्ट्रीय सरकार है। लेकिन दुर्भाग्य से कौन अधिकार लेकर अपना मतलब सिद्ध करें लोग इसकी होड़ में लगे हुए हैं। मुल्क की हालत देखने की फुर्सत किसको है! १२—११—५०

साधन कहाँ से आवें ? क्या खेती के आज के तरीके पर ही साधन बढ़ाने से काम चलेगा या तरीकों को ही बदलना है ? अगर तरीका बदलना है तो उसकी रूप-रेखा क्या हो ? आज के तरीके में क्या-क्या दोष हैं ? क्या रुकावटें हैं ? आज जिस तरह छोटे-छोटे टुकड़ों में जमीन बँटी है उसे कैसे मिलाया जाय ? इस प्रकार चकवन्दी के लिए अनु-कूल परिस्थिति है या नहीं । अगर नहीं है तो इसे बदलकर चकवन्दी करना श्रेय होगा क्या ? अगर श्रेय है तो किस उपाय से उसे करना है ? आज कानूनी बाधाएँ क्या हैं ? ब्रिटीश कानून में आज जैसी जमींदारी

तथा विभिन्न किस्म की काश्तकारी दर काश्तकारी आदि

कुछ प्रश्न

का सिलसिला कायम रहते हुए चकवन्दी की योजना चल सकती या नहीं । यदि नहीं चल सकती तो

उसमें किस प्रकार से और क्या-क्या तब्दीलियाँ करनी हैं । खेती अलग अलग काश्तकार-द्वारा अलग हो या सम्मिलित । अगर सम्मिलित खेती ही श्रेय है तो इसके होने में क्या-क्या बाधाएँ हैं । कितनी कानूनी बाधा है, कितनी सांस्कृतिक ? अगर सम्मिलित खेतों होती हो तो क्या जमीन की मिल्कियत सम्मिलित हो ? या जमीन की मिल्कियत व्यक्तिगत रूप से रखकर सहकारी सिद्धान्त पर सम्मिलित खेती हो ? इस प्रकार के संघटन का क्या स्वरूप हो ? उसका निरीक्षण आदि कौन करे ; व्यक्तिगत रूप से औसत कितनी जमीन का प्रबन्ध प्रति किसान परिवार के लिए करना होगा ? विभिन्न अनाजों की खेती का बँटवारा किस अनुपात से करना होगा ? आज जितने खेत पर दोहरी या तेहरी खेती होती है उससे ज्यादा खेत पर एक से अधिक फसल हो सकेगा या नहीं ? इस प्रकार खेती किस हद तक बढ़ाई जा सकती है ? इसके साथ हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या कुल भूमि पर हमेशा खेती होती रहे या कुछ साल बाद बारी-बारी से आराम देने के लिए परती छोड़ी जाय ।

आज प्रान्त में खेती के लिए हलादि जिन औजारों का इस्तेमाल

होता है वे काफी हैं या उनको बदलना होगा ? बदलना श्रेय होगा या नहीं ? अगर बदलना हो तो कितना साधन चाहिए ? उतना साधन प्राप्त हो सकेगा क्या ? अगर साधन विना बदला नहीं जा सकता हो या हमारी खेती की स्थिति को देखते हुए उन्हें बदलना श्रेय न हो तो मौजूदा औजारों में क्या-क्या परिवर्तन करना होगा ।

मजदूरों की समस्या क्या है ? खेती मजदूरों से कराई जाय या खुद किसान काम करें ? अगर मजदूर चाहिए तो किस स्थिति में और किस अनुपात से ? ऐसे मजदूरों की मजदूरी क्या होनी चाहिए ?

तीन साल पहले आगरा जेल से मैं जो पत्र लिखता था उसमें हमारे यहाँ जमींदारी प्रथा का हानियों का जिक्र रहता था । हमको भावी व्यवस्था की योजना बनाते समय इस समस्या पर विचार करनेना होगा । यह प्रथा रहेगी या हटेगी ? अगर हटेगी तो उसका क्या तरीका होगा ? मौजूदा जमींदारों को क्या मुआवजा मिलेगा ? उनके लिए रोजी की समस्या किस प्रकार हल होगी ? जमींदारी हटने पर सरकारी वसूल तहसील पर क्या असर पड़ेगा ? आज कितनी मालगुजारी सरकार को मिलती है और किसान कितना लगान देता है ? लगान के अलावा कैरकानूनी तरीके से कितनी रकम और जमींदार को देनी पड़ती है । जमींदारी प्रथा हटने पर सरकार किसान से कितना लगान के लेगी, इत्यादि बातों पर विना विचार किये एकाएक कोई योजना बना लेने पर वह व्यावहारिक नहीं हो सकेगी ।

तुमको मालूम है, हमारा प्रान्त गाय-भैंस के लिए काफी मशहूर है । वैसे तो पंजाब और सिन्ध की गायें ही अच्छी होती हैं, लेकिन बाहर युक्तप्रान्त से ही घी आदि सामान का चालान जाने से यह प्रान्त काफी विख्यात है । इस दिशा में हमको सोचना है कि जितने बैल और भैंसे आज जोताई के लिए हैं वे काफी हैं या उन्हें बढ़ाना होगा । किस तादाद में बढ़ाना है या इनकी नस्ल सुधार कर इनकी ऊर्मशक्ति को बढ़ाना है ? ऐसा सुधार किस तरीके से किया जा सकता

है ? उन्नत बैलों के एक जोड़ा से कितने एकड़ खेत जोता जा सकेगा ? उस हिसाब से कितने बैल चाहिए ? आज जितनी तादाद है उससे अधिक या कम ? अगर कम चाहिए तो किस उपाय से यह तादाद घटाई जा सकती है ? बैलों की नस्ल सुधारने साधनों का सवाल के लिए अनिवार्यतः गौओं के प्रति ध्यान देना होगा । इस प्रकार जो गौओं की संख्या बढ़ेगी उनका क्या करना होगा ? उन्हें रखना होगा या कटवा डालना है ? अगर रखना है तो भैंसों के उपरान्त ही रखना होगा क्या ? इस समस्या पर हमें भलीभाँति विचार करना है क्योंकि आज घी के लिए भैंस ही पसन्द की जाती है । अगर हमारे पसन्द-मुताबिक भैंस के घी-दूध का ही इस्तेमाल करने के लिए भैंसों की तादाद बढ़ानी पड़े तो भैंस के उपरान्त गौओं को किस प्रकार रक्खा जा सकता है ? दोनों को रखने के लिए हमारे पास काफी चारा हो सकेगा क्या ? बढ़ते दूध का बाजार हमको मिल सकेगा क्या ? अगर चारा का साधन नहीं है और दूध का बाजार नहीं है तो गाय और भैंसों में किस तरजीह देना है ? इस प्रश्न पर आर्थिक, खाद्य गुण, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सभी दृष्टियों से विचार करना होगा । पशुओं को कितनी खूराक पानी चाहिए ? आज जितना चारा है उससे अधिक चारा कैसे पैदा हो ?

केवल साधन के प्रश्न हल होने पर ही खेती की समस्याओं का हल नहीं हो जाता । आज जो प्रति ग्राम ७८॥ परिवार खेती में लगे हैं क्या सभी हमारी संयोजित खेती के काम में लग जायँगे ? अगर नहीं तो जितने परिवार आज फालतू खेती के सहारे पड़े हैं उनको निकालने का क्या प्रबन्ध होगा ? उनको दूसरा क्या काम देना होगा ?

वस्तुतः आज प्रायः सभी लोग यह महसूस करते भूमि का भार कैसे हैं कि खेती पर आदमी का बोझ बहुत ज्यादा है ।

कम हो ? लेकिन वे सब इसलिए किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाते हैं कि उनके सामने खेती में से आयादी को निकाल

कर क्या काम दें, इसका स्पष्ट जवाब नहीं है। अतः देहाती समस्याओं का हल अधिकतर इस बात पर निर्भर करता है कि जमीन पर के इस बोझ को किस तरह हल्का किया जा सकता है। खेती की उन्नति की समस्या पर विचार करने के बाद हमको उन जमीनों की समस्या पर सोचना होगा (१) जो खेती लायक हैं लेकिन किन्हीं कारणों से आज लोग उनमें खेती करते नहीं, (२) जो खेती लायक हैं लेकिन अब तक उन्हें खेत के लिए तैयार नहीं किया जा सका और (३) जो आज ऊसर हैं लेकिन वैज्ञानिक तरीके से खेती लायक बनाई जा सकती हैं। उनमें से किस किस की और कितनी हमें अभी खेती में शामिल करनी है, कितनी और किस किस की जमीन पर बाग तथा ईंधन के लिए पेड़ लगाने हैं, और किस किस की और कितनी जमीन आगे आने वाली बढ़ती आवादी के लिए छोड़नी है। आखिर हम कोई भी योजना बनावेंगे तो उसकी अवधि १०।१५ साल तक की हो ही जायगी। उससे कम में कोई पुनर्गठन की योजना तो बन नहीं सकती है। ऐसी हालत में जब तक हमारी योजना पूरी होगी तब तक आवादी भी काफी बढ़ जायगी। उस बढ़ती आवादी का हिसाब जोड़कर ही जमीन का हिसाब करना है। केवल क्या चाहिए, इसका हिसाब लगाने से भी काम नहीं चलेगा। देखना यह पड़ेगा कि नई जमीन को खेत में मिलाने के लिए कितने और किस प्रकार के साधनों की आवश्यकता होगी। हमारी स्थिति में वे प्राप्त हो सकेंगे या नहीं। अगर प्राप्त होंगे तो उन साधनों का कोई दूसरी अधिक उपयोगी और आवश्यक योजना में लगाना तो श्रेय नहीं है।

खेती की समस्याओं पर विचार के सिलसिले में स्वभावतः ईंधन की समस्या सामने आ जाती है। ईंधन की समस्या के साथ लकड़ी की समस्या गुंथी हुई है अतः हमको यह देखना है कि आज हमारे प्रान्त में जितने जंगल हैं उन्हें हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ? जंगल की व्यवस्था किस प्रकार हो ? ज्यादा से ज्यादा ईंधन कैसे प्राप्त

किया जा सकता है। मकानादि के लिए लकड़ी की व्यवस्था किस तरीके से हो, जिससे जंगलों पर बोझ कम पड़े। जंगलों की लकड़ी कितनी दूर तक भेजी जा सकती है उसके लिए क्या-क्या ज़रिये काम में लाये जा सकते हैं ?

मैंने कहा है कि खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए खाद और पानी का माकूल प्रवन्ध करना हमारा सर्वप्रथम कार्य होगा। तबाल यह है कि उन्हें किस तरह प्राप्त किया जा सकेगा। खाद के लिए हड्डी, टट्टी आदि चीजों का इस्तेमाल आज की सामाजिक परिस्थिति में कहां तक सम्भव हो सकेगा। इनके लिए क्या-क्या बाधाएँ हैं; उन्हें पार करने का क्या उपाय है ? रासायनिक खाद काम में लाना चाहिए क्या ? अगर चाहिए तो किस हद तक ? कहां तक उनका प्रचार श्रेय होगा ? पानी के लिए नहर, विजली-द्वारा चालित ट्यूबवेल, कुआँ, तालाब, नदी, नाला आदि साधनों का स्थान क्या है ? कहाँ किस प्रकार की व्यवस्था श्रेय होगी ? इन प्रश्नों पर इतना मतभेद है, इतने गलत ख्यालात हैं कि पूर्णरूप से विचार किये बिना किसी प्रकार की योजना आरम्भ करने का मैं पक्षपाती नहीं हूँ।

खेती की समस्याओं पर विचार करने के बाद हमें यह देखना होगा कि भोजन-सामग्री और किन उपायों से प्राप्त की जा सकती है ? मछलियों की खेती कैसे बढ़ाई जा सकती है ? अंडे आदि मांसाहारों का सामान कितना और किस तरह पैदा किया जा सकता है। मांस के लिए पशुओं को पालना कहाँ तक श्रेय और सम्भव होगा ?

आज संसार भर में इसी बात पर आँसू बहाया जाता है कि भारत के लोग भूखे हैं, नंगे हैं। दुनियाँ के सामने यह बात इतनी ज्यादा प्रगट हो चुकी है कि यह भूख और नंगापन पैदा करने वाले ब्रिटिश प्रभु लोग भी वैसे नहीं तो आँसू में मिर्चा लगाकर भी थोड़ा आँसू बहा डालते हैं। अतः वस्त्र की समस्या हमारे लिए अन्न-समस्या जितना ही महत्व का प्रश्न है। हमको इस बात का विचार कर हिसाब

लगाना होगा कि हर आदमी को कितना कपड़ा चाहिए ? इतना कपड़ा कहाँ से आवेगा ? चर्खा कौन चलावेगा ? किस समय चलावेगा ? उसके लिए रुई कहाँ से प्राप्त होगी ? आज इसकी कला मृतप्राय है । उसे बढ़ाने का क्या उपाय है ? कला-विशेषज्ञ कहाँ से आवेंगे ? कौन बीनेगा ? कौन बिनावेगा ? क्या सब लोग कातेंगे ? या खास लोगों के लिए सिर्फ कताई का ही काम मुकर्रर किया जायगा । इत्यादि प्रश्नों का उत्तर संतोषजनक रूप से अपनी योजना में होना चाहिए ।

रहने के लिए घर-द्वार कैसा हो ? आज के घर आवश्यकता की दृष्टि से नाकाफी हैं । जो हैं वे इस ढंग से बने हुए हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक हैं । ऐसी हालत में करना क्या ? सब घरों को तोड़ कर नये घर बनवाने होंगे ? अगर ऐसा नहीं करना है तो आज के मकानों को किस प्रकार से संशोधित किया जा सकता है । ग्राम का नक्शा क्या होगा । मवेशी कहाँ रहेंगे ? आवादी की जमीन की सतह कैसे ठीक हो ? गढ़े-गढ़इयों को बन्द करना है या संशोधन करना है । अगर बन्द करना चाहिए तो मकानों के बनाने का क्या इन्तजाम होगा । जिनके पास संतोषजनक घर नहीं हैं उनके लिए नये मकान बनाने चाहिए क्या ? ऐसे कितने नये मकान चाहिए ? जैसे मकान बनेंगे उनके लिए कितनी जमीन चाहिए ? उतनी जमीन आवादी के अन्दर है या नहीं ? अगर नहीं है तो क्या करना होगा ?

अन्न, वस्त्र और आश्रय की समस्याओं पर विचार करने के बाद हमको दूसरी आवश्यकताओं की बात सोचनी है । दूसरे ग्राम-उद्योग क्या-क्या हो सकते हैं ? उनकी रूपरेखा क्या, उन्हें कहाँ-कहाँ किया जाय ? सब चीजें सब जगह हो सकती हैं या कुछ चीजें कुछ खास स्थानों में ही बन सकेंगी ? जिन चीजों को बनाना सब जगह सरल है उन्हें विस्तृत रूप से सभी जगह बनाने की व्यवस्था की जाय

या खास-खास उद्योगों के लिए खास-खास केन्द्रों का संगठन किया जाय। उन्हें व्यक्तिगत रूप से चलाया जाय या सहयोग-समितियों की मार्फत। उत्पत्ति के प्रकरण में कितना भाग व्यक्तिगत व्यवस्था से हो और कितना भाग समिति का। सरकार की ओर से कुल उद्योग चलाना श्रेय होगा क्या? कच्चे माल का कहां से और किस प्रकार संग्रह किया जाय, उन्हें कौन स्टॉक करे? माल का बँटवारा किस तरह हो; उसके लिए किस प्रकार का संघटन हो सकता है? उद्योग-शिक्षा की क्या-क्या व्यवस्था सम्भव है; उसके लिए तरीका क्या होगा? इसकी रूपरेखा और सिलसिले पर भी विचार करना पड़ेगा। उपर्युक्त बातों पर कोई निश्चित सिद्धान्त तय करने से पहले देखना होगा कि कौन-कौन उद्योग आज मौजूद हैं और उनकी दशा क्या है; कौन-कौन मृतप्राय हैं, जिन्हें प्रसारित करने की आवश्यकता है। कौन-कौन उद्योग मर चुके हैं और उन्हें पुनर्जीवित करना है। क्या ऐसी भी किसी चीज की आवश्यकता है जिसकी उत्पत्ति कभी होती ही नहीं थी और आज उसके लिए नये उद्योग की सृष्टि करनी होगी। अपनी योजना के लिए यह भी तय करना होगा कि कौन-कौन उद्योग पहले शुरू करना हैं और किस क्रम से दूसरे उद्योगों का प्रसार किया जायगा। ग्राम-उद्योग की योजना के लिए यह आवश्यक है कि हम यह जान लें कि सारी उत्पत्ति के लिए क्या क्या कच्चा माल चाहिए और उन्हें प्राप्त कहाँ से किया जाय? कितनी खेती और वाग से पैदा करना होगा, कितना और क्या-क्या सामान प्रान्त के अन्दर के जंगलों से प्राप्त किया जा सकेगा, कितना प्रान्त के बाहर से मँगाना होगा।

हम चाहे जितना स्वावलम्बन के आधार पर अपनी योजना बनायें, गाँव में उत्पन्न हुए माल में से देहात की आवश्यकता पूरी करने के बाद जो माल बचेगा उसकी विक्री का क्या प्रबन्ध होगा, इसको भी तय करना होगा। सहयोग-समितियाँ बनेंगी या बनियों की बेच देना

होगा। अगर बनियों की मार्फत बेंचना होगा तो उन पर कुछ अनुशासन होगा या नहीं। अगर अनुशासन रखना है तो कौन इसकी जिम्मेदारी ले—सरकार या उत्पादन समितियाँ।

मैंने पिछले पत्र में बताया है कि बेकारी की समस्या जटिल है और हमारे प्रान्त की बेकारी की स्थिति कितनी भयानक है। हमको इस प्रश्न पर गम्भीर विचार करना होगा कि जितनी आवादी है उसको किस तरह काम में लगाया जाय। जितने परिवार खेती में लगेंगे वे जमीन पर पूरा काम पा सकते हैं क्या? अगर खेती से पूरा काम सम्भव नहीं है तो खाली समय में किसान क्या करें? खेती में खपने के बाद बाकी आवादी के लिए क्या-क्या व्यवस्था सम्भव है। कितने ग्राम-उद्योगों में खपेंगे और कितने नौकरी-चाकरी में, कितने जंगल की व्यवस्था में लगेंगे और कितने बड़े-बड़े केन्द्रीय उद्योगों में काम करेंगे? मजदूरों की मजदूरी का क्या सिद्धान्त हो? उस सिद्धान्त से चलने पर काम चलेगा या नहीं? इन सब बातों का पूरा-पूरा विचार करना होगा। क्योंकि बेकारी की समस्या हल करने और न करने पर ही इस योजना की सफलता और विफलता निर्भर करती है।

स्वास्थ्य की समस्याएँ क्या-क्या हैं? ग्रामीण जनता का सुधार किस तरह हो सकेगा? नावदान कैसा बने? गलियों का संस्कार कैसे हो? नालियों के पानी का क्या-क्या उपयोग हो सकता है। टट्टियाँ कैसे बनें? उनका इस्तेमाल किस प्रकार हो; इस प्रश्न को हल करने में प्रथा का अड़ंगा दूर किया जा सकेगा क्या? इस कठिनाई को कैसे पार किया जा सकेगा? खेल-कूद व्यायामादि का संघटन करना होगा क्या? अगर करना है तो किस प्रकार? आमोद-प्रमोद के लिए किस-किस प्रकार के कार्यक्रम बनाये जा सकेंगे? प्रसूति और शिशुपालन की शिक्षा किस प्रकार की हो? क्या प्रसूतिगृह अलग बनाना है? जब सब स्त्री पुरुषों के लिए काम निश्चित करने बैठेंगे और सब लड़कों को पढ़ने भेज देंगे तो छोटे बच्चों की देख-भाल कौन करेगा और उसका

तरीका क्या होगा। डाक्टर वैद्य धात्री आदि की कैसी व्यवस्था करनी होगी। सारी आवादी की आवश्यकता के लिए काफी हों, इतने डाक्टर वैद्य आदि आज प्रान्त में हैं क्या? अगर नहीं हैं तो नये लोगों को तैयार करने के लिए शिक्षा का क्या प्रबन्ध हो? कहाँ तक विश्वविद्यालयों में प्रबन्ध हो सकेगा, कितनों को व्यक्तिगत रूप से डाक्टर वैद्यों के साथ-साथ शिक्षा दी जा सकेगी? बरसात के पानी के निकास की व्यवस्था किस प्रकार हो? पानी का स्वाभाविक ढाल है या नहीं, इसकी जाँच करनी है। अगर नहीं है तो जो पानी रुकता है उससे किस प्रकार की समस्याएँ पैदा होती हैं। उनका हल क्या हो सकता है? क्या गद्वैयाँ खाल आदि के सुधार का कुछ प्रबन्ध हो सकता है? फसली और संक्रामक रोगों का क्या-क्या प्रतीकार संभव है और उनकी व्यवस्था किस प्रकार की हो?

शिक्षा और संस्कृति की उन्नति कैसे की जाय? कितने बच्चों को पढ़ाया जा सकेगा; कितने विद्यालयों की आवश्यकता होगी? किनकी किनकी पढ़ाई की व्यवस्था की जाय? आज प्रौढ़ साक्षरता की बहुत धूम सुनाई देती है। कहाँ तक उन्हें पढ़ाया जा सकता है? साक्षर बनाकर छोड़ देना है या उसे कायम करने के लिए कुछ खास कार्यक्रम रखना होगा? प्रौढ़ों के लिए और बच्चों के लिए पढ़ाई के रास्ते में क्या-क्या रुकावटें हैं और उन्हें किस प्रकार से पार किया जा सकता है? किस प्रणाली की शिक्षा होनी चाहिए? किस प्रकार के और कितने साधनों की आवश्यकता होगी? शिक्षा के कौन-कौन विभाग होंगे; रूपरेखा क्या होगी; इस पर विचार करने के बाद हमको यह तय करना होगा कि औद्योगिक, कृषि-सम्बन्धी, सांस्कृतिक और साधारण शिक्षा सबके लिए विद्यालयों का प्रबन्ध करना होगा या कुछ शिक्षा ग्रामीण कार्यों के साथ-साथ होती रहेगी। इसके लिए गाँव का चायुमंडल किस प्रकार का बनाना होगा? अनुष्ठानादि की मार्फत भी सांस्कृतिक शिक्षा हो सकती है; उन्हें किस तरह संयोजित किया जा

सकेंगा ? इतने विस्तृत पैमाने में शिक्षा का प्रसार करने के लिए जितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी उनके लिए आज की पढ़ी हुई जनता की तादाद काफी है क्या ? अगर काफी नहीं है तो किस तरह शिक्षा-प्रसार की व्यवस्था की जाय ? अगर तादाद काफी है तो क्या उनकी शिक्षा तथा दृष्टिकोण हम जिस प्रकार की शिक्षा का प्रस्ताव करते हैं, उसके अनुकूल है ? अगर नहीं है तो उनको अपने तरीके की शिक्षा देने के योग्य बनाने का क्या प्रबन्ध हो सकता है । शिक्षा के प्रश्न पर विचार करने के साथ ही ग्रामीण सामाजिक जीवन का संघटन किस प्रकार का किया जा सकता है और उसकी रूप-रेखा क्या होगी ? नाटक समाज, भजन-मंडली, ग्रामसमिति आदि संस्थाओं का संघटन किस प्रकार होगा, इन बातों का भी निर्णय करना है ।

मैंने पहले के एक पत्र में लिखा था कि हमारे देहातों में सड़कों का प्रायः पूर्ण रूप से अभाव है । अगर हमको आवश्यक सामान ग्राम-उद्योग से ही प्राप्त करना है और सांस्कृतिक विकास करना है तो यातायात की सुविधा होना अनिवार्य है । इसके लिए हमें सड़क किस प्रकार की बनानी है और कितनी सड़क बनानी है, इसका हिसाब लगा लेना है । हमारे गरीब देश की परिस्थिति में उन्हें बनवाने का क्या तरीका हो सकता है ।

गाँव के झगड़े-फसाद कौन तय करेगा, यह भी एक जटिल प्रश्न है ? उसके लिए पंचायतों का संघटन किस तरह हो सकता है ? पंचायत सम्बन्धी आज की परिस्थिति को किस प्रकार तब्दील किया जा सकता है ? गुलामी के कारण इस दिशा में खराबियाँ आ गई हैं उन्हें किस तरह दूर किया जा सकता है ?

आज गाँव की आर्थिक स्थिति जैसी है उसके रहते हुए हम किस तरह संघटन चला सकते हैं ? आज जिस प्रकार कर्ज लोगों पर लदा हुआ है उससे किस तरह छुटकारा मिल सकता है ? भविष्य में कर्ज की व्यवस्था कैसे होगी; महाजनों को संघटित करना होगा या जनता

अपनी सोसइटा की मार्फत व्यवस्था कर सकेगी ? अगर उनको अपना प्रबन्ध करना है तो उसके लिए पूंजी कहाँ से आवेगी ?

सारी योजना चलाने के लिए संघटनों का स्वरूप किस प्रकार हो सकता है ? सरकारी संघटन कैसा हो और ग्रामीण व्यवस्था किस प्रकार की हो ? ग्राम-संघटनों पर किस हद तक सरकार का कंट्रोल हो ? दोनों व्यवस्थाओं का पारस्परिक सम्बन्ध किस प्रकार का होना चाहिए ? सरकारी तथा ग्रामीण संघटनों को चलाने के लिए जो खर्च होगा वह रकम कहाँ से और कैसे वसूल की जाय ? जो सुधार-योजना बनेगी उसके लिए कितनी पूँजी चाहिए ? वह पूँजी कहाँ से प्राप्त की जायगी ? इत्यादि बातों पर पूर्ण रूप से विचार कर लेने पर ही हम भावी व्यवस्था के बारे में कोई निश्चित नीति तय कर सकेंगे । वस्तुतः अब तक सारी सुधार योजनाएँ, इसी बात पर खत्म कर दी जाती हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं । पिछले दिनों कांग्रेस सरकार का भी यही रोना था । तुम योजनाएँ तो लम्बी लम्बी बना सकती हो लेकिन साथ-साथ इसका भी व्यावहारिक प्रस्ताव होना चाहिए कि योजना चलाने के लिए पैसा कहाँ से आवे ? और वह पैसा जुटाने में जनता पर कर-भार बढ़ न जाय, इसका भी खयाल रखना है । कार्यक्रमों के संचालन के अलावा जब हमारी परिस्थिति ऐसी है कि गांव में कोई काम है ही नहीं और सभी काम नये सिरे से करना है तो पूंजी की समस्या जटिल होगी । इसलिए ही मैं पूंजी और खर्च के सवाल को महत्व देता हूँ ।

मेरे इस प्रकार एक सांस में इतनी समस्याओं और प्रश्नों का जमघट लगाते देख तुम परीशान होती होगी । कहोगी, भले आदमी प्रश्न पर प्रश्न करते ही चले जा रहे हो, कहीं रुकोगे भी ? लेकिन अगर प्रान्त भर के देहातों को फिर से गढ़ने के लिए क्या तरीका होगा, उस पर विचार करना है तो ये सब प्रश्न तुम्हारे सामने निश्चित रूप से आवेंगे ही । वस्तुतः अगर हम ऊपर-लिखे प्रश्नों का संतोष-

जनक उत्तर दे सकें तो वही हमारे काम की योजना हो जायगी। लेकिन अगर मैंने प्रश्नों का स्तूप बहुत भारी बना दिया है तो आज अब और नहीं लिखूँगा। कुछ समय इन पर विचार कर लो, फिर मैं अपने विचार प्रकट करने की चेष्टा करूँगा।

[१०]

समस्याओं का समाधान

४—६—४४

पिछला पत्र लिखे एक माह से अधिक हो गया है। अब तक तुमने उसमें लिखे प्रश्नों पर विचार कर लिया होगा। आज के पत्र में मैं कुछ अपनी बताई समस्याओं पर क्या करना चाहिए, यह लिखने की चेष्टा करूँगा।

आवश्यक भोजन सामग्री—मैंने कहा है सबसे पहले हमको भोजन के प्रश्न पर ही विचार करना है। यह सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ खाना सबको नहीं मिलता है। इस प्रान्त को लोग हिन्दुस्थान का अनाज गोदाम कहते हैं। फिर भी यहाँ की क्या परिस्थिति है, पहले के पत्र में लिख चुका हूँ। भारत में केवल ३६% लोगों को पेट भर खाना मिलता है। बाकी ४१% को थोड़ा खाना मिलता है और २०% तो प्रायः अनशन में ही काटते हैं। यह राय मेरी नहीं है बल्कि-मेजर जेनरल सर मेगा की है जो इंडियन मेडिकल सर्विस के डाइरेक्टर-जेनरल थे।* यह हिसाब शहर और गाँव दोनों का है। केवल गाँव का हिसाब अगर अलग जोड़ा जाय तो हालत इससे भी खराब होगी। अपने प्रान्त की ही स्थिति को अगर लिया जाय तो मालूम होगा कि यहाँ अनाज की कितनी कमी है। युक्तप्रान्त की सरकार ने खेती की जांच करने के लिए १९३६ में एक कमेटी बनाई थी। उसका कहना है कि हमारे प्रान्त में २,३५,०१,००० मन आटा और दाल

* यह रिपोर्ट १५ साल पहले की है। आज तो ५०% लोगों को प्रायः अनशन करना पड़ता है। १२—१—५०

की कमी है जब कि यह हिसाब लगाने के लिए प्रति व्यक्ति की खुराक मानी गई है ८ छटांक अनाज, और २ छटांक अन्य सामग्री। लेकिन यह सब हिसाब, आज साधारणतः जो भोजन का प्रकार है उसी पर लगाया गया है। हमको अगर भावी समाज को बनाना है तो हमारी भोजन-सामग्री इस प्रकार की और ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारी समस्त जनता शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छी तरह कायम रख सके। खाना कितना होना चाहिए, उसका माप दुनिया में खाने के शक्ति-मान से किया जाता है। यानी अमुक खाद्य में कितनी शक्ति का तापमान होता है। सन् १९४३ में संसार के विशेषज्ञों ने यह तय किया था कि प्रति बालिग पुरुष के लिए विभिन्न आबोहवा के लिहाज से २५०० से ४५०० क्यालोरी, प्रति स्त्री के लिए २१०० से ३००० क्यालोरी और बच्चों के लिए १२०० से १८०० क्यालोरी शक्ति के भोजन की आवश्यकता है। अभी कुछ दिन पूर्व भारत के बड़े-बड़े व्यापारियों ने एक योजना देशभर के लिए बनाई है। उन लोगों ने विशेषज्ञों से राय लेकर, भारत की आबोहवा का विचार करके औसत प्रति मनुष्य के लिए २६०० क्यालोरी के शक्तिवाले भोजन की आवश्यकता बताई है। कुछ बरवादी का हिसाब लगाकर वे कहते हैं कि हमको २८०० क्यालोरी वाले भोजन की आवश्यकता होगी। इतनी शक्ति के लिए निम्नलिखित भोजन चाहिए :—

अनाज ८ छटांक	तरकारी ३ छटांक	दूध ४ छटांक
दाल १½ "	फल १ "	या मांस, मछली
चीनी १ "	तेल ३ "	या अंडा १½ छटांक

यह हिसाब हमारे देश के भोजन-विशारदों का है।

अपने प्रान्त की देहाती जनता के लिए क्या भोजन होगा, तय करते समय हमें ऊपर बताई भोजन-शक्ति के माप का ख्याल तो करना

होगा लेकिन खाद्य-सामग्री का तर्ज यहाँ के लोग जिस प्रकार खाना खाने के आदी हैं उसके हिसाब से रखना पड़ेगा। भोजन के केवल शक्ति-माप से ही हम अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं रख सकते। शक्ति-माप चाहे काफी हो लेकिन भोजनान्तर अगर उसे हम पचा नहीं सके तो हमारा स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रह सकता। पचाने में भोजन से तृप्ति और संतोष का कम हिस्सा नहीं है। खाद्य सामग्री के तद्विषय के अनुकूल करने के लिए जरूरी है कि हम जो कुछ खाएँ तृप्ति के साथ खाएँ। अतः हमारे भोजन का तर्ज ऐसा होना चाहिए जिससे हमारी जनता अपनी आदत के अनुसार पसन्द भी करे। इन सारी बातों का विचार करके मेरे खयाल से इस प्रान्त की देहाती जनता के लिए निम्नलिखित हिसाब से भोजन-सामग्री चाहिए। इसमें शक्तिमान, खाद, आदत सबका उचित खयाल रखा गया है:—

आवश्यकता

व्यौरा सामान	प्रति बालिग	किशोर व बालक	प्रति बच्चा
	१६ से ऊपर	६ से १५ साल	० से ५ साल तक
आटा	एक पाव	ढाई छटांक	एक छटांक
चावल	एक पाव	ढाई छटाँक	एक छटांक
अन्य अनाज	आध पाव	डेढ़ छटांक	आधा छटांक
दाल	डेढ़ छटांक	एक छटांक	आधा छटांक
तरकारी	छः छटांक	छः छटांक	दो छटांक
मसाला	$\frac{3}{4}$ तोला	$\frac{3}{4}$ तोला	+
नमक	डेढ़ तोला	डेढ़ तोला	आधा तोला
तेल	आधा छटांक	आधा छटांक	डेढ़ तोला
घी	डेढ़ तोला	डेढ़ तोला	आधा तोला
पूर्ण दूध	आध पाव	तीन छटांक	ढाई पाव
अपूर्ण दूध	डेढ़ पाव	डेढ़ पाव	आध पाव

मीठा	एक छटांक	एक छटांक	एक छटांक
तम्बाकू	आधा तोला	चौथाई तोला	X
फल	आध पाव	तीन छटांक	एक छटांक
खटाई	आधा तोला	चौथाई तोला	X
पकाने के लिए	डेढ़ सेर	डेढ़ सेर	तीन पाव

लकड़ी

नोट—पौने चार छटांक दूध के स्थान पर एक छटांक गोश्त, मछली या अंडे से काम चल सकता है।

मैंने मसाला बच्चों की आवश्यकता में शामिल नहीं किया है। लेकिन जब प्रति बच्चे के लिए तरकारी आध पाव और दाल आधी छटांक का हिसाब किया गया है तो कुछ मसाला उसमें पड़ेगा ही। इतना मसाला बालिग और किशोर के लिए जो अनुमान किया गया है, उसमें से बच जायगा। लकड़ी का हिसाब कुछ ज्यादा ही रक्खा गया है। कारण यह है कि इस हिसाब से लकड़ी की व्यवस्था करने पर भी कुछ कम ईंधन मिलने की संभावना हो सकती है।

बच्चों की खुराक की तालिका में अपूर्ण दूध का समावेश देख कर तुम्हें शायद अच्छा न लगे। ऐसा होना स्वाभाविक ही है। तुम लोग माता की जाति हो, बच्चों के मामले में तुम लोगों का चौकन्ना रहना स्वाभाविक ही है। लेकिन गहराई से विचार करने पर डर की कोई बात नहीं मालूम होगी। बच्चों के लिए तो अपूर्ण दूध का अनुपात और भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सावधानी के लिए मैंने सिर्फ आध पाव प्रति बच्चा रक्खा है। वस्तुतः पूर्ण और अपूर्ण दूध का अंतर बच्चों पर करीब करीब बराबर पड़ता है। डाक्टर एन. सी. राइट की रिपोर्टों को इस विषय में काफी प्रमाणित माना जाता है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बच्चों को तीन माह तक पूर्ण तथा अपूर्ण (मक्खन निकाला हुआ) दूध पिलाने के प्रयोग का नतीजा बताया है। वह इस प्रकार है:—

पूर्ण दूध से वृद्धि (औसत)		अपूर्ण दूध के वृद्धि (औसत)	
ऊँचाई	वजन	ऊँचाई	वजन
बच्चों .६७इंच	३. ८४ पौंड	.६१ इंच	४.७७ पौंड
बच्चियाँ .४१ ”	५.५४ पौंड	.८० इंच	४.८० पौंड

ऊपर के अंकों से मालूम हो जायगा कि पूर्ण और अपूर्ण दूध का असर बच्चों पर करीब-करीब बराबर होता है। बल्कि अपूर्ण दूध का असर कुछ अच्छा ही हुआ है। सम्भव हो सकता है कि दूधरों स्थानों का अनुभव इससे थोड़ा भिन्न हो लेकिन दोनों प्रकार के दूध का असर लगभग समान होगा, इतना तो माना ही जा सकता है। इसका कारण भी साफ है। जहाँ पूर्ण दूध अधिक पुष्टिकर है वहाँ वह अधिक दुग्धच भी है। अपूर्ण दूध के आसानी से पच जाने के कारण उसमें जितनी कमी है उतने अधिक अनुपात में खाद्यगुण शरीर को मिल जाता है। इसलिए दोनों में पुष्टि के लिहाज से विशेष अन्तर नहीं पड़ता है। हाँ, एक बात का खयाल रखना। कहीं यह न समझ बैठना कि बड़ों के लिए यानी जिनकी पाचक शक्ति अधिक है वही बात लागू होगी। फिर भी बड़ों के लिए मैंने अपूर्ण दूध का अनुपात ही अधिक रक्खा है इस पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है। खाद्य गुण के विशेषज्ञों का कहना है कि प्रति व्यक्ति को ४ छटांक पूर्ण दूध पुष्टि के लिए काफी है। मैंने बालिगों के लिए पूर्ण २ छटांक और अपूर्ण ६ छटांक तथा किशोर व बालकों के लिए पूर्ण ३ छटांक और अपूर्ण ६ छटांक दूध की व्यवस्था का प्रस्ताव किया है। दोनों दूध इस परिणाम में देने पर ४ छटांक पूर्ण दूध से जो पुष्टि मिलती है उससे कहीं अधिक लाभ होगा।

मेरी तालिका के हिसाब से खुराक की खाद्य शक्ति का क्या परिमाण है उसकी जाँच करने का साधन मेरे पास यहाँ है नहीं। तुम क्रिषी संस्था की मार्फत इसकी जाँच करा लो लेकिन मेरा अन्दाज यह है कि इसकी खाद्य शक्ति ३००० क्यालोरी से कम न होगी।

ऊपर की तालिका के आधार पर सारे गाँव की तथा प्रान्त की भोजन-सामग्री की आवश्यकता इस प्रकार होगी है :—

किशोर

सामान	बालिका	बालक	बच्चे	योग
	(२८२)	(१२२)	(६६)	
आटा	६४३।५२॥	१७३।।५७।।-	३७।।५५।।=	८५४।।।५५।।।≡
चावल	६४३।५२॥	१७३।।।५७।।।-	३७।।५५।।।≡	८५४।।।५५।।।≡
दाल	२४१।५६।।≡	६६।।५२	१८।।।५२।।।-	३२६।।५५।।=
अन्यअनाज	३२१।।५६।	१०४।५५।-	१८।।।५२।।।-	४४४।।।५४।=
तरकारी	६६४।।।५८।।।	४१७।५८।।।	७५।५१	१४५७।।५८।।।
मसाला	२४।५	६।।।५४।।।≡	...	३३।।।५६।।।≡
नमक	४८।५	१६।।५६।।।=	४५।।।।।≡	७२।५४।।।-
तेल	८०।५६।।।-	३४।।।५६।।।-	१२।५४।।।	१२७।।।५२।।।=
घी	४८।५	१६।।५६।।।=	४५।।।।।=	७२।५४।।।-
मीठा	१६०।।।५३=	६६।।५३=	३७।।५५।।=	२६८।५१।।।≡
तम्बाकू	१६।५३।-	३।५१।-	X	१६।५४।।=
फल	३२१।।५६।	२४८।।।५।=	३७।।५५।।=	५६८।५२।
खटाई	१६।५३।-	३।५१।-	X	१६।५४।।=
पूर्ण दूध	३२१।।५६।	२०८।।।५।=	३७।।५५।।=	५६८।५२।
अधूरा दूध	६६४।।।५८।।।	४८७।५१।।।=	७५।५१	१५२७।५१।।।=
लकड़ी	३८५।।।५५	१६६।।।५५	४५१।।।५७।	५९८।५७।

आँटि में गेहूँ ४१३५, जव २२८५, ज्वार ५०५, वाजरा १००५, और जोन्हरी (मकई) ६२॥५५॥॥ होगी। चावल में धान ६५४५, सावां १००५, टाँगुन वाजरा कोदो आदि १००॥५५॥॥ होंगे। अन्य अनाजों में—चना २१६५, मटर १५०५ जोन्हरी ७५॥५४॥= होगी। और दाल में—अरहर १३५५, मूँग-उर्द १२५५, चना ६५॥५५॥॥ होगा।

पूर्ण दूध में २८०५ दूध के बदले ८०५ गोशत मछली अंडा की आवश्यकता है।

ऊपर की तालिका के देखने से मालूम होगा कि खाद्य सामग्रियों को पाने के लिए तीन मुख्य साधनों की आवश्यकता है—(१) खेती (२) बाग तथा जंगल (३) और पशु।

(१) खेती—खेती के जरिये जो खाद्य-सामग्री प्राप्त है उसे प्रधानतः चार श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं :—(१) अनाज (२) मीठा (३) तेल और (४) तरकारी। तम्बाकू भी खेती से प्राप्य है। लेकिन आज की परिस्थिति में आवश्यक सामग्री होने पर भी उसे तुम ठीक खाद्य-सामग्री नहीं कह सकती। वस्तुतः हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि इसका व्यवहार क्रमशः कम होता जाय।

अब हमको देखना है कि खेती से हमें कुल कितनी सामग्री लेनी है। इसका हिसाब करने के लिए हमें भोजन के अलावा कितना शहर की आवादी के लिए, कितना बीज के लिए और कितना खराब मौसम के रिजर्व के लिए और सामान चाहिए, इसका अन्दाज करना है। सन् १९४१ की मर्दुमशुमारी की रिपोर्ट का देखने से मालूम होगा कि हमारे प्रान्त की शहरी आवादी देहाती आवादी की करीब १४ सैकड़ पड़ती है। लेकिन शहरवालों को पैदावार की सभी चीजें गाँव के लोगों के साथ समान मात्रा में आवश्यक नहीं होंगी। खाने-पीने के मामले में उनका तर्ज-तरीका गाँववालों से भिन्न है। अतः उनकी आवश्यकताओं का अन्दाज करते समय इस बात का विचार

करना आवश्यक है कि वे कौन सामान किस मात्रा में इस्तेमाल करेंगे।

संयुक्त प्रान्त की सरकार ने सन् १९३६ में जो खेती-संघटन कमेटी बनाई थी उसने हिसाब जोड़कर बताया है कि इस प्रान्त की खेती के लिए पैदावार का औसत साढ़े सात प्रतिशत अनाज बीज के लिए आवश्यक है। मैंने अपने हिसाब में इसी अनुपात के बीज का परिमाण निकाला है; इसमें जो कुछ थोड़ी-बहुत भिन्नता भिन्न-भिन्न अनाज के लिए होगी, वह नगण्य है।

अब रही सूखा-पाला आदि दैव-दुर्घटना के लिए रिजर्व की बात। मुझे मालूम है कि हमारे देश की खेती प्रधानतः वर्षा पर ही निर्भर करती है लेकिन प्रकृति ने इस देश को वर्षा कुछ अजीब ढंग से दी है। यहाँ की वर्षा का औसत परिमाण ४५ इंच सालाना है। सम्पूर्ण खेती के लिए इतनी वर्षा की आवश्यकता भी नहीं है लेकिन हमारी ऋतुएँ इतनी असमान हैं कि हम अपने देश की वर्षा को पूरा २ काम में नहीं ला सकते। खेती के शाही कमीशन का कहना है कि इधर हमारे देश में जितना पानी वारिश का होता है उसमें से ३५% तो जमीन सोख ही नहीं पाती और बहकर फिर समुद्र में जा मिलता है। और अपने साथ वहाँ ज़मीन पर की सारी उर्वरता भी ले जाता है। इस देश में बहुत थोड़े समय में बहुत अधिक वर्षा होने के कारण थोड़े समय के लिए भी अगर अतिवृष्टि या अनावृष्टि हो जाती है तो सारा पंजा चौरस ही हो जाता है। ऐसी हालत में हमारी किसी भी योजना में दैव-दुर्घटना के लिए रिजर्व का स्थान बहुत महत्व का है। सौभाग्यवश हमारे प्रान्त में साधारणतः इस प्रकार की दुर्घटनाएँ कम होती हैं, फिर भी कुछ हिस्सों में कभी-कभी भयानक अकाल की परिस्थिति पैदा हो जाती है। पिछले ४०-५० साल का अनुभव यह है कि इस प्रान्त के किसी किसी हिस्से में प्रति ६ से १० साल में एक बार भयानक दुर्घटना हो जाती है। अगर वह मान

लिया जाय कि ऐसी दुर्घटनाओं में साधारण पैदावार की २५ % पैदावार ही रह जाती है तो अब तक की परिस्थिति में प्रति वर्ष आवश्यकता का १० सैकड़ा सामान रिजर्व रखते जाने पर ही काम चल सकता है। लेकिन योजनानुसार यातायात की सुविधा की मात्रा काफी बढ़ जायगी जिससे जल्दी से दूसरे क्षेत्रों से मदद पहुँचाना आसान हो जायगा। अतः हमको इस मद में औसत सारे प्रान्त की औसत के आधार पर ही निकालना है। फिर हम जब सारे क्षेत्र का पुनर्गठन करेंगे तो सिंचाई आदि का माकूल इन्तजाम करके वर्षा की असमानता से बचत का उपाय करेंगे ही। फिर भी मेरी समझ में कम से कम भोजन के लिए जितना सामान चाहिए उसका ४ प्रतिशत सामान तो रिजर्व के लिए आवश्यक होगा। इस प्रकार प्रान्त को प्रति ग्राम कुल अनाज और उसके लिए भूमि निम्नलिखित मात्रा में चाहिए।

(अगले पन्ने में देखिए)

व्योपा अनाज	भोजन	रिजर्व ४%	शहर के लिए प्रतिशत	जोड़	बीज ७।।शत	कुल जोड़	पैदावार प्रति एकड़	आवश्यक भूमि एकड़ में
गेहूँ	४१३५	१६५	१५.०	४६१५	३७५	५२८५	१२५	४०.६
जव	२२६५	६५	६.०	२५२५	१६५	२७१५	१३।।५	२०.७
ज्वार	५०५	२५	४.०	५४५	४५	५८५	७५	८.४
बजरी	१००५	४५	४.०	१०८५	८५	११७०	५५	३.२
चना	३०७५	१२५	१०.०	३४६५	२४५	३७१०	१०।।५	३५.६
जोन्हीरी	१४०५	५५	५.५	१४६०	११५	१६४५	१३।।५	१२.१
मटर	१५०५	६५	८.०	१६६५	१३५	१८००	१०।।५	१०.४
चावल	६५४५	२६५	१५.०	७७८५	५६५	८३४५	१०५	८३.४
सावा	१००५	४५	X	१०५५	८५	११४०	१४५	८.०
कोशी	१०१५	४५	X	१०६०	८५	११४५	१४५	८.१
अरहर	१६६५	७५	१०.०	१७४०	१४५	१८८५	१२५	१७.२
उर्द	११२५	४५	१०.०	१२७०	६५	१३३५	६५	१५.१
मूँग	४४५	२५	१०.०	५१५	३५	५५०	६५	६.०

मैंने आवश्यक भूमि के लिए पैदावार की प्रति एकड़ मात्रा आज की स्थिति से ३० सैकड़ा के करीब अधिक रखी है। वैसे तो खाद और पानी की व्यवस्था करके ५० सैकड़ा पैदावार बढ़ाई जा सकती है लेकिन सावधानी के लिए बढ़ती की मात्रा को ३० सैकड़ा रखना अच्छा है। इसके उपरान्त पशुओं के खाने के लिए दाना के रूप में कुछ और अनाज की आवश्यकता होगी, उसका हिसाब बाद को लिखूँगा।

मीठा में हम गुड़ और चीनी का ही व्यवहार करते हैं। इसके लिए मुख्य साधन गन्ना ही है। हमारा प्रान्त इसकी खेती में विशेष स्थान रखता है। वस्तुतः अगर यह कहा जाय कि सारे भारत के लिए इसकी खेती केवल बिहार और युक्तप्रान्त में ही होती है तो कोई अत्युक्ति न होगी। ईख के अलावा इस प्रान्त में खजूर और ताड़ के पेड़ भी काफी हैं। इसमें से भी गुड़ और चीनी मिल सकेगी। जब देश में राष्ट्रीय सरकार होगी तो शराबबन्दी का कार्यक्रम अवश्य ही चलेगा। वैसी हालत में आज जितना खजूर और ताड़ का रस शराब बनाने में नष्ट हो जाता है वह सब गुड़ और चीनी बनाने के काम आ सकेगा *लेकिन ताड़ और खजूर खेती की चीज नहीं हैं। इसलिए उन्हें खेती में शुमार नहीं करूँगा। इस मद से जितना गुड़ बनेगा, वह हमारी योजनानुसार आमदनी के अलावा होगा। यहाँ अपने काम के लिए कितना गन्ना चाहिए, उसी का हिसाब करना है।

खाद्य-सामग्री की आवश्यकता की तालिका में मीठे की कुल आवश्यकता २६८ मन बताई गई है। देहातों में गुड़ और चीनी दोनों चीजों का इस्तेमाल होगा। इनकी मात्रा गुड़ के लिए २००५ और चीनी के लिए ६८५ होनी चाहिये। इसके लिए गन्ने की आवश्यकता इस प्रकार होगी :—

*दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय सरकार होने पर भी हम वही पुरानी लकीर पीट रहे हैं और इस दिशा में कुछ ध्यान नहीं है। १२—११—५०।

भोजन के लिए २८६०५ गन्ना $\left\{ \begin{array}{l} २००५ \\ ६८५ \end{array} \right\}$ गुड़ के लिए १६००५
 चोनी के लिए १२६०५

रिजर्व के लिए ४% ११४५ गन्ना

शहर के लिए २०% ५७२५

३५४६५ + २६६५ बीज के लिए = ३८१२५

५३७५ प्रति एकड़ की पैदावार के हिसाब से ७.२ एकड़ भूमि चाहिए।

भोजन के लिए आवश्यक १२७ मन २२ सेर १४ छटांक तेल की उत्पत्ति में तीन सौ तिरासी मन २८ सेर १० छटांक सरसों चाहिए। इसके आधार पर कुल सरसों की आवश्यकता इस प्रकार होगी।

भोजन ३८४५ }
 रिजर्व ४% १५५ } ४६७५ + ३४५ बीज के लिए = कुल ५०१५
 शहर के लिए १८५% ६८५ }

इसी प्रकार तरकारी, मसाला और तम्बाकू की आवश्यकता निम्न-लिखित मात्रा में होगी :—

	शहर के लिए	कुल	पैदावार	आवश्यक
	सामान	भोजन प्रतिशत तौल जोड़	जोड़ प्रति एकड़ भूमि	एकड़ में
तरकारी	१४५८५२.०	२६५	१४८७५	१४८७५
			जिसमें आलू	
			५००५	१००५
			५.०	
			आलू	
			होगा	
मसाला	३४५	२०.०	७५	४१५
			४१५	८५
				५.६
तम्बाकू	२०५	२०.०	४५	२४५
			२४५	२५५
				१.०

नोट—इनके अलावा रिजर्व के लिए १ मन मसाला, १ मन तम्बाकू और बीज के लिए ३ मन मसाले की जरूरत होगी।

मैंने अपने हिसाब में शहर के लिए केवल २% सब्जी की खपत होगी, ऐसा बताया है। तुम कह सकती हो कि जब शहर में गांव की आबादी की १४% लोक-संख्या है तो इतनी कम सब्जी से काम कैसे चलेगा? यह ठीक है कि शहरवालों को कुछ अधिक सब्जी चाहिए लेकिन तुमने देखा है कि शहर की आबादी के अन्दर भी तरकारी की खेती होती रहती है। और अधिकांश तरकारी वे स्वयं अपने यहाँ कर लेते हैं ऐसी हालत में वे गांव से शाक-भाजी बहुत कम लेंगे। देहात में भी जमीन के परिमाण का हिसाब करते समय मैंने सिर्फ आलू के लिए ही जमीन की आवश्यकता बताई है। इसका कारण यह है कि मैं अपनी योजना में गांव की रचना इस ढंग से करना चाहता हूँ जिससे घरों के साथ-साथ उनके काम की तरकारी हो जाय। आज भी अधिकांश देहातों में आबादी के अन्दर ऐसी जमीन पड़ी है जो सब्जी के लिए इस्तेमाल हो सकती है। जब आबादी की रचना की बात लिखूंगा तो इस बात पर प्रकाश डालने की कोशिश अरूँगा। फिलहाल इतनी कैफियत काफी होगी।

उपर्युक्त अनाज आदि सामग्री के अलावा हमें पशुओं के लिए दाना भूसा चरी खली नमक आदि सामान भी चाहिए। इनका अन्दाज तभी लग सकता है जब अपने काम के लिए प्रति ग्राम कितने जानवर चाहिए, इसका अन्दाज लगा जाय। पहले यह देखा जाय, हमें दूध कितना चाहिए।

एक सेर दूध में सवा छटाँक मक्खन निकलता है। बाकी पौने पन्द्रह छटाँक अपूर्ण दूध होता है। यानी पौने पन्द्रह छटाँक अपूर्ण दूध के लिए १ सेर पूर्ण दूध की आवश्यकता होगी। अतः १५२७ मन ११ सेर १४ छटाँक अपूर्ण दूध के लिए १६५७ मन पूर्ण दूध चाहिए। इस तरह गोशत के लिए २८० मन दूध काटकर कुल २२८४ मन दूध की आवश्यकता होगी। गाँव के लोग गाय भैंस बकरी और भेंड़ का दूध इस्तेमाल करते हैं। आज प्रति गाँव औसत १६ भेंड़ और

५४ बकरियाँ हैं। बकरियों की तादाद बढ़ाने के लिए हमारे सामने कोई हेतु नहीं है। लेकिन ऊनी माल और खाद आदि के लिए भेंड़ की तादाद बढ़ाने में लाभ हो सकता है। मेरा अनुभव है कि अगर हम प्रति गांव ५० बकरियाँ और १०० भेंड़े पालें तो गाँव का काम चल सकेगा। दूध के लिए हमें भैंस के स्थान पर गाय को ही तरजीह देनी है, यह मैं पहले ही लिख चुका हूँ लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपनी योजना में भैंस का कोई स्थान ही न रखें? चाहे जितनी कोशिश करें १५ साल में भैंस का अन्त नहीं हो सकेगा। हाँ, उन्हें घटाना तो आवश्यक है ही। व्यावहारिकता की दृष्टि से दूध के लिए निम्नलिखित संख्या में जानवरों को रखने को प्रस्ताव हम करते हैं:—

२२८४ मन दूध प्रति वर्ष के लिए आवश्यक जानवर

संख्या जानवर	औसत दूध प्रति दिन	कुल दूध प्रतिवर्ष
भैंस २४	५३ सेर	६५७५
बकरी ५०	५११ "	२२८५५
भेंड़ १००	५१ "	२२८५५
गाय ३५	५२ "	११८६१५

आज भारत में दूध का औसत प्रति गाय ५०२ पौंड और प्रति भैंस ७२० पौंड बताया जाता है। यह औसत आज की दुर्दशा का है। १०—१५ साल संयोजित चेषा के बाद यह औसत तिगुना होना आसान होगा। अतः मैंने अपनी योजना में गाय और भैंस का जो औसत प्रति दिन का रक्खा है उस हिसाब से वार्षिक १४०० पौंड और २२०० पौंड का औसत पड़ेगा।

उपर्युक्त पशुओं के अलावा खेती के लिए बैल और भैंसों की भी आवश्यकता होगी।

आवश्यक भोजन पाने का उपाय

आज हमारे प्रान्त में औसत प्रति ग्राम ३४७.८ एकड़ जमीन पर खेती हो रही है। जिसमें २२.६ सैकड़ा जमीन पर अर्थात् ८६.८ एकड़ पर दोहरी खेती होती है। अर्थात् कुल ४३३.६ एकड़ जमीन जातनी पड़ती है। इतनी जमीन जोतने के लिए आज ४५ जोड़े बैल और भैंसे काम कर रहे हैं। इस तरह आज के बैल से हम प्रति हल ६.६ एकड़ ही जमीन जोत पाते हैं। यह काम बहुत कम है, ऐसा सर्वमान्य है। अपनी योजनानुसार सुधरे हुए बैल अधिक काम कर सकेंगे। शुरू शुरू में जो जमीन पहले जोती जा रही है, हम अपने आवश्यक सामान पाने के लिए उसकी उन्नति करेंगे। परिमित खाद पानी की व्यवस्था करके हम अपनी पैदावार आज से ३० शत बढ़ावेंगे और करीब २३२.३ एकड़ में दोहरी खेती करके कुल ५८० बीघा जमीन जोत सकेंगे। यह किस प्रकार होगा, उसका व्योरा फिर लिखूंगा। फिलहाल इतना बता देना काफी है। गौ जाति की नस्ल सुधार कर हम कम से कम १५॥ एकड़ जमीन एक हल से जोत सकेंगे। इस हिसाब से हमको सिर्फ ३७ जोड़े हल की आवश्यकता है। अब सवाल यह है कि इसमें कितने बैल हों और कितने भैंसे। हमको दूध के लिए ६५ गायें चाहिए। जानकार लोग कहते हैं कि गौ जाति में बछड़े और बछिया करीब-करीब समान संख्या में पैदा होती हैं। अभी केन्द्रीय असेम्बली की बहस के रख से मालूम होता है कि गौओं की हत्या कानून से बन्द कराने के पक्ष में करीब सभी चिन्ताशील हिन्दुस्तानी हैं अतः खाने के लिए जो कुछ भी जानवर काम में आवेंगे वे सब बैल ही होंगे। इस तरह जहाँ गाय की आबादी ६५ होगी, वहाँ बैल की ६० से अधिक नहीं होगी। बाकी १४ भैंसें होंगी। और २४ भैंस की आबादी में १४ भैंस का हाना अनुपात से ठीक भी पड़ेगा। इतने पशुओं के साथ बछड़ा, बछिया,

पाड़ा, पाड़ी आदि बच्चे ६० की संख्या में होंगे। फुटकर जानवरों में प्रति गाँव का औसत १ घोड़ा और २ ऊँट माना जा सकता है।

इतने पशुओं के भोजन व्यवस्था करना है। इनके लिए हमें चाहिए चरी, भूसा, खली, दाना, दाल की भूसी और नमक। प्रत्येक जानवर को स्वस्थ और सबल रखने के लिए लिए कितना सामान चाहिए और उस हिसाब से कुल कितने सामान की आवश्यकता होगी उसकी व्यौरेवार तालिका नीचे दी जाती है:—

प्रति जानवर आवश्यक भोजन [प्रति दिन]

जानवर	चरी	एकड़	भूसा आदि पुआल	खली	दाना	भूसी	नमक
बैल	१ ६		५६॥	५	५॥	५	५-
गाय	१ १०		५५	५	५=	५	५-
भैंस	१ ६		५६॥	५	५॥	५	५-
भैंसा	१ ६		५६॥	५	५॥	५	५-
भेंड़	५=	५=	५०॥
बकरी	५=	५=	५०॥
घोड़ा	५५	५	५२	५१	५=
बच्चे	१ १२		५३	...	५=	५=	५३

पशुओं की कुल वार्षिक आवश्यकता

सं० पशु	चरी एकड़ में	भूसा आदि	खली	दाना	भूसी	नमक	
बैल ६०	१०.०	३५५६५	१३७५	२७४५	१३७५	३४५	
गाय ६५	६.५	२६६५॥५५	१५८५	२२२५५	१४८५	३७५	
भैंस २४	४.०	१४२४५	५४॥५	१०९॥५	५४॥५	१५५	
भैंसा १४	२.५	८३०५	३२५	६४५	३२५	८५	
भेंड़ १००	११४५	३४३५	२९५	
बकरी ५०	५७५	१७२५	१४५	
बच्चे ९०	७.५	२५२३५	...	१०५५	१०५५	२६५	
घोड़ा १	...	४६५	२५	१६५	८५	१५	
साँड़ १	१७	५१५	...	६५	२५	॥५	
<hr/>							
		३०.६७	११४०६॥५५	३७४५	९६७॥५५	१००२५	२०५॥५

अनाज की कुल आवश्यकता—इस हिसाब से हमारे प्रांत का भोजन-सम्बन्धी कितना अनाज चाहिए, उसका अन्दाज किया जा सकता है। परिस्थिति को समझने के लिए इसे थोड़ा स्पष्ट करना शायद आवश्यक होगा। मैंने जिस प्रकार अलग-अलग हिसाब बताया है उससे एक साथ स्थिति समझना शायद तुम्हारे लिए आसान न होगा। वास्तव में असली बात समझने की यह है कि हमको प्रत्येक मनुष्य और पशु के लिए स्वास्थ्यकर भोजन के वास्ते कुल कितना सामान चाहिए और आज प्रान्त भर में कितना पैदा होता है, जिससे यह अन्दाज लग सके कि हमको करना क्या है? अगर तुम प्रधानतः अनाज की ओर नजर डालोगी तो स्थिति साफ हो जायगी।

हमारी भोजन-सामग्री में प्रधान वस्तु अनाज ही है अतः तुम्हारा जानकारी के लिए हमको कितना अनाज चाहिए और कितना आज मिलता है, इसका हिसाब भेज रहा हूँ। इससे तुम ठीक-ठीक समझ सकोगी कि कितने सामान की कमी है और कितना काम हमको करना है। यह हिसाब निम्न प्रकार है।

प्रति ग्राम के लिए आवश्यक अनाज

नाम अनाज	मनुष्यों के लिए मनों में	जानवरों के लिए मनों में	आज की उत्पत्ति मनों में
गेहूँ	५२८	...	७४३.०५
जव	३७१	...	३४८.२२
चना	३७३	६५	४१६.०२
चावल	८३४	...	५४५.६२
ज्वार	५८	...	६३.२६
बाजरा	११६	...	७८.३७
जोन्हरी	१६४	१४५	१६५.००
कोदी	११३	...	१०७.७०
सावाँ	११२	...	५६.३०
मटर	१८२	१५१	२०४.०६
अरहर	२०७
उर्द-मूँग	} १३६	...	७३.८७
		५४	
जव केराई		८३०	...
	योग ३१४८	१२२१	२६६३.५३

इस प्रकार प्रति ग्राम अनाज की आवश्यकता कुल ४४६६८८ की है और पैदावार कुल २६६४८८ की है। अतः हमारे प्रांत के प्रति ग्राम १५०५८ अनाज की कमी पड़ती है। अर्थात् हमारे प्रांत में अनाज सबको स्वास्थ्यकर भोजन देना है तो आज जितना अनाज पैदा होता

है उसके उपरांत १५,४०,६३,६४० मन और चाहिए। अगर हमें प्रांत से बाहर जाने वाली अनाज की मात्रा से, बाहर से आनेवाली अनाज की मात्रा घटा दें तो प्रांत की खाद्य-सामग्री की कमी के परिमाण में (१,५५,८५,००० मन—१,१२,४८,००० मन =) ४२,३७००० मन और बढ़ जायेंगे।

इन हिसाबों से तुम समझ सकती हो कि ग्राम तौर पर लोगों का जो खयाल है कि “अगर हमारा अनाज विदेश जाने से रोका जाय तो हम सारे देश को पेट भर खाना दे सकते हैं” कितना गलत है। मैंने काफी पढ़े-लिखे लोगों को भी इस प्रकार की बातें कहते सुना है। इस तरह का खयाल इतना गहरा है कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकर्ता देहाती समाजों में भाषण देते समय यहाँ तक कह डालते हैं कि अगर हमारा अनाज विदेश जाने से रोक दिया जाय तो हम एक साल पैदा करके तीन साल बैठकर खा सकते हैं। देखो, हमारी जनता कितनी ओर गलतफहमी में पड़ी हुई है। यह पन्द्रह-सोलह करोड़ मन अनाज की कमी उस प्रांत की है जिसे लोग भारत का गल्ला-गोदाम कहा करते हैं। भला बताओ अगर भारत की परिस्थिति का हिसाब लगाया जाय तो क्या दशा मालूम होगी ? *

जमीन का हिसाब और कृषि-सुधार—अब सवाल यह है कि यह बढ़ती अनाज आत्रे कहाँ से ? इस प्रश्न से स्वभावतः हमारा ध्यान प्रांत में प्राप्य जमीन की ओर जाता है। मैंने पहले के पत्र में बताया है कि हमारे प्रांत में प्रति ग्राम ३४७.८ एकड़ में ही खेती होती है। अगर ८५.८ एकड़ दोहरी खेती की जमीन भा जोड़ी जाय तो कुल ४२३.६ एकड़ पर ही कुछ पैशवार हो रही है। इसके अलावा प्रति

* आज इस बात को सत्यता को प्रमाणित नहीं करना है। आज तो करोड़ों मन अनाज बाहर से मँगाने पर भी लोग भूखे मर रहे हैं। अतः आज परिस्थिति पर और गम्भीर विचार करना है। १३—११—५०

ग्राम—(१) ३२.३ एकड़ ज़मीन ऐसी है जिस पर खेती हो सकती है लेकिन सामान्य साधन न होने से लोग जोतते नहीं (२) ६६.३ एकड़ ऐसी ज़मीन है जिसे विशेष-साधनों से खेती के उपयुक्त बनाया जा सकता है और (३) ४६.८ बीघा ऐसा ऊसर है जिसे वैज्ञानिक आविष्कारों का इस्तेमाल करके, काम में लाया जा सकता है।

अगर खेती की उन्नति करनी है तो किसी न किसी तरह गोबर जलाना बन्द करना ही है। इसका मतलब यह है ईंधन के लिए हमको लकड़ी चाहिए। फिर खाद्य की तालिका में देखा होगा कि मैंने योजना में हर एक मनुष्य के लिए फल खाना अनिवार्य बताया है। इसलिए फल और जंगल के लिए पेड़ लगाना जरूरी है। अतः ३२.३ एकड़ ज़मीन तो बाग और जंगल के काम में ही समाप्त हो जायगी। बाकी दो किस्म की ज़मीनों में से थोड़ा-थोड़ा करके नया खेत बनाया जा सकता है। लेकिन हमको अपनी प्रस्तावित स्थिति पर पहुँचने में कम से कम १५ साल लग जायँगे। तब तक हमारी आवादी भी काफी बढ़ जायगी। यह ठीक है—शिक्षा, संस्कृति और आर्थिक स्थिति के परिवर्तन के साथ-साथ आवादी की वृद्धि की गति कुछ कम हो सकती है। फिर भी वृद्धि तो होगी ही। इस तरह जो नया उपज ब्योढ़ी करो खेत बनता जायगा उस नई आवादी के लिए छोड़ कर ही अपनी समस्या हल करनी होगी। इसका मतलब यह होता है कि आज जितने खेत जोते हैं उतने पर ही खेती की उन्नति करके हमें अनाज तथा अन्य भोजन सामग्री पूरी करना होगी। यानी आज प्रति एकड़ जितनी औसत पैदावार है हमें उसकी ५०% पैदावार और बढ़ानी है। इसके दो उपाय हो सकते हैं। प्रथमतः प्रति एकड़ पैदावार आज जितनी है उसमें वृद्धि हो, फिर आज जितनी जमीन पर दोहरी खेती होनी है उससे अधिक कोशिश इस बात की करनी होगी कि कुछ जमीन पर तीन फसलें भी हो सकें।

जमीन की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रथमतः तीन उपाय बताये जाते हैं—(१) पुराने तरीके के हल आदि औजारों को तब्दील करके आजकल की मशीनों-द्वारा खेती का काम करना । (२) आज जो छोटी-छोटी टुकड़ियों में जमीन बँटी है उन्हें मिलाकर चक्रवर्दी करना और (३) खाद तथा पानी की माकूल व्यवस्था करना ।

ग्राम-सेवा के काम के सिलसिले में मैंने जितने लोगों से बात की है प्रायः सबका ही कहना है कि “इस तरह पुराकालीन हल आदि से जमीन को बिना ठीक से जोते हुए, किस तरह खेती सुधर सकती है । आज की वैज्ञानिक दुनियाँ में जो कुछ उन्नत मशीनों का आविष्कार हुआ है उन्हें इस्तेमाल किये बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता है ।” इत्यदि । हमारे देश की दुर्दशा देखकर, और युरोप की खुश-

हाली से मिलान करके लोगों का ऐसा मोचना पश्चिमी देशों से स्वाभाविक ही है । लेकिन किसी चीज पर एकांगी हमारी परिस्थिति विचार करके निश्चय करना ठीक नहीं । पश्चिमो की भिन्नता देशों की परिस्थिति हमारे देश से भिन्न है । वहाँ

दो ही प्रकार की परिस्थितियाँ हैं । युरोप और अमेरिका के खुशहाल देशों को तुम प्रधानतः दो श्रेणी में बाँट सकती हो । एक ऐसे मुल्क जिनपर आवादी बहुत थोड़ी है और इस्तेमाल करने के लिए प्रकृति की देन आवादी के अनुपात से अपार है । दूसरे ऐसे मुल्क जिनपर आवादी तो बनी है लेकिन लूटने के लिए साम्राज्य का विस्तार अपार है । अतः इन दोनों श्रेणियों में से एक के साथ भी भारत नहीं टहर सकता है । हमारे वहाँ आवादी घनी है; लूटने के लिए न कोई साम्राज्य होनेवाला है न हम उसे श्रेय समझते हैं ; अतः वहाँ की परिस्थिति और समस्या मौलिक है और हमें समाधान के लिए मौलिक रीति से विचार करना होगा । न तो हमको आदेश में आकर कुछ कर डालना है और न दूसरी परिस्थिति वाले देशों को नकल ही करना है । अतएव यह बहकर कि दूसरे

देशों में ट्रैक्टर आदि मशीनों से करीब हाथ भर मिट्टी की गोड़ाई करके फसल की जड़ों को खुराक लेने के लिए बहुत ज्यादा मौका देते हैं और थोड़ी जमीन पर अधिक फसल पैदा कर लेते हैं, और हमारा किसान सदियों की रूढ़ि का गुलाम बनकर नाखून बराबर हल से दो-इंच जमीन जोतकर फसल को बढ़ने नहीं देता तथा अपनी जमीन से थोड़ा-बहुत पैदा करके, सन्तोष कर लेता है, अफसोस करने से कोई लाभ नहीं। अगर हम इन बातों को सोचकर, अपने यहाँ बड़ी-बड़ी मशीनें लाने की कोशिश करने लगेंगे तो हम थोड़े हिस्सों में अपना खाका, यूरोप के ढंग बना जरूर लेंगे लेकिन अपनी समस्याओं को हल नहीं कर सकेंगे। हमें इस सवाल पर गम्भीर विचार करके ही किसी नतीजे पर पहुँचना पड़ेगा।

वस्तुतः केवल पैदावार के अनुपात से ही खेती के तरीकों की अच्छाई या बुराई का फैसला करना गलत होगा। पैदावार केवल जमीन की जोत पर ही निर्भर नहीं है। भूमि के प्रकार, जलवायु तथा जमान की प्राचीनता और नवीनता पर भी पैदावार निर्भर रहती है। इसके उपरांत किसानों के साधन और स्थिति भी उपज के मामले में महत्व का स्थान रखती है। किन्हीं दो मुल्कों या दो भूमियों की तुलना करते समय उपर्युक्त समस्त बातों का ध्यान रखना होगा। स्पेन में चावल की प्रति एकड़ उपज अमेरिका की तिगुनी है लेकिन कौन नहीं जानता कि यांत्रिक खेती अमेरिका में कहीं ज्यादा उन्नत है। अपने यहाँ ही देखो, एक जिले से दूसरे जिलों की पैदावार में भिन्नता हो जाती

है। इनका मतलब यह नहीं कि जिले-जिले में

उपज अधिक हल भन्न हैं या किसानों की योग्यता में कमी होने के और वेशी है। तुमको मालूम है कि अमेरिका के कैलि-
र्नी का कारण है फोर्निया के वागवान बड़े योग्य और उनके ढंग

विल्कुल वैज्ञानिक हैं। क्या वे हमारे देश के मुका-

बले ग्राम की फसल पैदा कर सकते हैं? मैंने सुना है कि अमेरिका में

गेहूँ की दो फसलें एक ही भूमि में हांती हैं। हमारे देश की बरसात की तर्ज और आवहवा इस प्रकार की है कि एक फुट क्या दस हाथ खोदकर जमीन बनाने पर भी एक रबी के अलावा दूसरे किसी मौसम में गेहूँ नहीं पैदा हो सकता। ज्यादा खुदाई की बात भी शिक्षित जनता की एक प्रकार की माया ही है। कहीं कहीं अधिक गहरी जोताई से लाभ के बजाय हानि होती है। बंबई की अधिकांश भूमि ऐसी है कि अगर तुम तीन चार इञ्च से अधिक जोताई की चेष्टा करोगे तो पत्थर और बंजर ही मिलेगा और थोड़ी जोताई से जो कुछ फसल मिल सकती है उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। फिर जमीन की प्राचीनता और नवीनता पर भी पैदावार निर्भर रहती है यह कौन किसान नहीं जानता। तुम देहातों में चले जाओ और किसानों से बात करो। हर स्थान का हर किसान कहेगा कि अगर उनके पास इतनी जमीन हो कि बारी-बारी से कुछ हिस्सा तीन-चार साल में एक बार परती छोड़ सकें तो बिना मेहनत के पैदावार बढ़ सकती है। गोरखपुर के श्री महावीर-प्रसाद पांडार को तो तुम जानता हो। वे हमारे साथ इसी जेल में थे। उन्होंने एक जंगल खरीद लिया था और उसे कटवाकर खेत बनवाया है। उनका कहना था कि दो-तीन साल से बिना खाद और विशेष परिश्रम से दूनी पैदावार हांती है। भारत की खेतिहर सभ्यता हजारों वर्ष पुरानी है। यहाँ कब से खेती की कला का विकास होना प्रारम्भ हुआ है इतिहास भी आज तक इसकी ठोक-ठीक गवाही नहीं दे सका है। अलग-अलग पंडित अलग-अलग बात बताते हैं; मोहनजोदड़ो के शिलालेखों के पढ़े जाने पर कौन-कौन विचित्र घटनाओं का आविष्कार होगा, इसका तो अभी कोई ठीक ही नहीं है। लेकिन यह बात तो सर्वमान्य है कि भारत और चीन संसार के सबसे प्राचीन खेती प्रधान देश हैं। अतः यहाँ की भूमि की उर्वरा शक्ति का अत्यधिक हाथ स्वभाविक है। यह राय केवल मेरी नहीं बल्कि दुनिया के सभी विशेषज्ञों की है। चौधरी मुक्तिरामसिंह, जो युक्तप्रान्त सरकार की खेती

सुधार कुमेटी के चेयरमैन थे, 'एग्रीकल्चरल ट्रिब्यूनल ऑफ़ इनवेस्टि-गेशंस' के १६ पृष्ठ से निम्नलिखित वाक्य उद्धृत करके इस बात की पुष्टि करते हैं—“नये मुल्कों की ताजी जमीन अपने अंदर पुंजीभूत उर्वरता के कारण अपेक्षाकृत थोड़े परिश्रम से ही सस्ते में अधिक पैदावार तैयार कर सकती है।” उनका कहना है—“जो लोग भारत की पैदावार की आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका आदि देशों की पैदावार से तुलना करते हैं वे भूल जाते हैं कि इन मुल्कों की जमीन का खेती के लिए तोड़े अभी एक शताब्दी भी नहीं हुई है अतः वहाँ अधिक पैदा होना आश्चर्य की बात नहीं।” (चौधरी मुख्तार सिंह रुरल इंडिया पृष्ठ १३)

उपर्युक्त बातों के अलावा किसानों की आर्थिक स्थिति भी पैदावार घटाने का कम कारण नहीं है। यहाँ कितनी आवादी है और उस कारण किसानों के पास कितनी कम जमीन है, इसका हाल मैं लिख चुका हूँ। खेती के शाही-कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के ७५५ पृष्ठ पर लिखा है—“यह स्पष्ट है कि जहाँ जमान पर की बढ़ती आवादी के बोझ के कारण किसानों को खराब जमीन जोतने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है, वहाँ की औसत उत्पत्ति में कमी हो जाती है।” मैंने देखा है, किसान कितने ही स्थानों पर, निदान ऊसर पर ही, अनाज बो देते हैं। हमारे प्रान्त के मनुष्य और पशुओं की बेकारी की मात्रा कितनी है, यह तो मैंने तुम्हें लिखा ही है। ऐसी हालत में किसान बैठे रहने से ऊसर बंजरों को जोतकर बीज डाल देना ही लाभप्रद समझते हैं। क्योंकि कुछ नहीं से बीज के उपरांत और भर अन्न भी तो अच्छा ही है। हमारे शिक्षित भाई, जो केवल रिपोर्टों के पन्ने ही उलटते हैं, भूल जाते हैं कि यहाँ की औसत पैदावार के हिसाब में इस प्रकार की “मजबूरन उत्पत्ति” ('डिस्ट्रेस्ड प्रोडक्शन') भी शामिल है। ऐसी खेती हमारे प्रान्त में लाखों बीघे की है। कम खेती होने के कारण खेती के प्रकार में भी फर्क हो जाता है। विदेशी

औद्योगिक आर्थिक व्यवस्था के कारण हमारी देहाती हमारे किसानों की विशेषताएँ रह गया है। अतः उन्हें थोड़ी जमीन से ही अपना सारा काम चलाना पड़ता है। उनके पास विभिन्न अनाजों के लिए विभिन्न प्रकार की जमीन तो है नहीं। इसलिए वे एक ही जमीन पर कई प्रकार के अनाजों की खिचड़ी बनाकर बो देते हैं। इससे खाने के लिए न सही कम से कम देखने के लिए कुछ अन्न तो हर मौसम में मिल जाता है। हम में से किसी को भी अगर किसानों में रहने का सौभाग्य हुआ हो तो उन्होंने देखा होगा कि सामा काटने के बाद उसे वे खाकर खत्म कर डालते हैं तथा कुवारी धान की कटाई में थोड़ी देर हो जाती है और जब किसान भूखे रहकर या ग्राम की गुटली खाकर “कटिया” की बाट देखता रहता है तब वहाँ उसी बीच घर पर कोई अतिथि आ जाय तो उसका चेहरा कितना मलीन, कितना दीन हो जाता है। और जब हमारे अधिकांश किसानों के पास दो एकड़ से कम जमीन है तो प्रायः सभी जमीन पर ऐसा अनाज बोना पड़ता है जैसा उस जमीन पर बोना नहीं चाहिए था। इस कारण भी हमारी औसत पैदावार बहुत थोड़ी हो जाती है। फिर यहाँ खाद-पानी की कितनी कमी है, यह तुमको मालूम हो ही गया है। बाहरी मुल्कों से तुलना करते समय इन बातों को भूलने से कैसे चलेगा ? यूरोप और अमेरिका के किसानों में प्रत्येक के पास काफ़ी जमीन है। उन मुल्कों में या तो आयादी का बोक स्वभावतः नाम मात्र है या सारे संसार के बाजारों में माल बेचने के लिए अधिकांश जन-संख्या को उद्योग में टेलकर जमीन पर के बोक का नाम-मात्र बनाये रखा गया है। वहाँ के किसानों को मजबूरन ऊपर-बंजर नहीं जोतना पड़ता। काफ़ी जमीन होने से जिस खेत पर अनाज अधिक पैदा हो सकता है वहाँ उसे बो सकते हैं। वे जमीन का दारी-दारी से परती छोड़ सकते हैं और खाद पानी का माकूल व्यवस्था

समस्याओं का समाधान

कर सकते हैं। विदेशों में किसानों के पास कितनी जमीन है उस का कुछ हिसाब देना चाहती हो तो नीचे की तालिका की ओर एक नजर डाल लो—

इंग्लैंड और वेल्स में—

प्रति किसान की जमीन का परिमाण

१ एकड़ से	५ एकड़ तक
२ एकड़ से	२० एकड़ तक
२० एकड़ से	५० एकड़ तक
५० एकड़ से	१०० एकड़ तक
१०० एकड़ से	१५० एकड़ तक
१५० एकड़ से	३०० एकड़ तक
३०० से ऊपर	

कुल किसानों का अनुपात

१.१ प्रतिशत
५.० प्रतिशत
६.७ प्रतिशत
१६.० प्रतिशत
१४.५ प्रतिशत
२६.० प्रतिशत
२४.७ प्रतिशत

जर्मनी में

१। एकड़ से नीचे	
१। एकड़ से	५ एकड़ तक
५ एकड़ से	१५ एकड़ तक
१२।। एकड़ से	५० एकड़ तक
५० एकड़ से	१२५ एकड़ तक
१२५ एकड़ से	२५० एकड़ तक
२५० एकड़ से ऊपर	

१.१ प्रतिशत
४.३ प्रतिशत
१०.४ प्रतिशत
४८.५ प्रतिशत
२१.४ प्रतिशत
७०.६ प्रतिशत
२१.२ प्रतिशत

और हिन्दुस्थान में—

१ एकड़ से कम	
१ एकड़ से	५ एकड़ तक
५ एकड़ से	१० एकड़ तक
१० एकड़ से ऊपर	

२३ प्रतिशत
३३ प्रतिशत
२० प्रतिशत
२४ प्रतिशत

ऊपर की तालिका से स्पष्ट हो जायगा कि इस दिशा में दूसरे मुल्कों से हमारी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती।

फिर क्या यह बात सच है कि हमारे यहाँ की पैदावार इतने भयानक रूप से कम है ? श्री चौधरी मुख्तारसिंह ने हमें एक तुलनात्मक हिसाब बताया है। उससे तुम जान सकोगी कि जिस कम पैदावार के लिए लोग इतना हल्ला मचाया करते हैं वह कहाँ तक सही है। उनकी तालिका इस प्रकार है :—

नाम मुल्क	गेहूँ बुशेल में	अन्य अनाज बुशेल में	जव बुशेल में	चावल पौंडों में
हिंदुस्तान	११'४	१३'६	१६'२	८'६३
कनाडा	१६'६	४४'३	२५'४	—
युक्तराष्ट्र अमेरिका	११'६	२०'८	२४'८	१०'७६
मेक्सिको	५'०	११'८	—	६'८२
फ्रांस	१३'६	१७'८	२५'६	—
स्पेन	६'६	२२'२	२१'२	३२'७०
पुर्तगाल	१७'२	—	११'३	१२'२२
रूस	१०'१	१७'४	१२'८	—
अफ्रिका	१०'६	—	११'३	—
आस्ट्रेलिया	६'८	१६'५	६'४	—

अभी श्री टाटा आदि ने जो १५ वर्षीय योजना बनाई है उसमें सन् १९३६-४० का जो शाल का हिसाब बताया गया है उनमें भी गेहूँ की पैदावार प्रति एकड़ इस प्रकार है :—

देश के नाम	गेहूँ टनों में
संयुक्त राष्ट्र	०.३७ टन
कनाडा	०.५२ टन
आस्ट्रेलिया	०.४२ टन
भारत	०.३२ टन

कनाडा, संयुक्तराष्ट्र अमेरिका, रूस और आस्ट्रेलिया में मशीन की वैज्ञानिक खेती की पराकाष्ठा है। जमीन की नवीनता, वारिश की समता और साधन की अधिकता के होते हुए भी अगर मशीन की खेती का नतीजा भारत की तुलना में इतनी ही भिन्नता रखता है तो मैं कहूँगा कि हमारे किसानों को तालीम देने के लिए विदेशी लियाकत की आवश्यकता नहीं है। परम्परा से खेती करते हुए भारत के किसानों में अनुभव के आधार पर खेती कला के ज्ञान का संस्कार-साधन गया है। वर्षा की असमानता, सिंचाई की कमी, जमीन के दुकड़ों में बँटे होते हुए भी जिस निपुणता से यहां के लोग खेती करते हैं उसे देखकर विदेशी विशेषज्ञ स्तंभित हो जाते हैं। हमारे किसानों का ज्ञान किनने ऊँचे दर्जे का है, इस बात की तारीफ डाक्टर मंग्येलकर साहब की विस्तृत रिपोर्ट तथा खेती की शाहो-कमोरान का रिपोर्ट के पन्नों में भरी पड़ी है। यात्र की खेती-सम्बन्धी जिन उक्तियों का लोग मजाक उड़ाते थे, वर्षों की वैज्ञानिक खोजों के बाद उन्हें आज सही बताना पड़ रहा है। इन बातों से समझा जा सकता है कि दूसरे मुल्कों में अगर कुछ अधिक पैदावार है भी तो यह मशीन की जोताई के कारण नहीं है बल्कि उचित मात्रा में खाद-पानी की व्यवस्था तथा जमीन और फसल के उचित बँटवारे के कारण है। नई जमीन की जो खास सहूलियत है उसे तो घलुये में भी डाल सकती हो। वस्तुतः मशीन की खेती की वास्तव हमारी पड़ी-लिखी जनता में बहुत गलत-फहमी है। वे वैज्ञानिक खेती और यांत्रिक खेती में कोई फर्क नहीं करते हैं। वस्तुतः वैज्ञानिक खेती विल्कुल अलग चीज है। वैज्ञानिक खेती के मतलब हैं— कितना खाद कितना पानी और जमीन की कैसी स्थिति (जिस पर खाद-पानी आदि पौधों के उपयोगी पदार्थ कायम रह सकें) आदि के ज्ञान के साथ खेती। मशीन की खेती तो खेती की विभिन्न प्रक्रियाओं को जल्दी करने का उपाय-

वैज्ञानिक खेती
यनाम यांत्रिक
खेती

मात्र है, पैशवार बढ़ाने का नहीं। हम बिना मशीन के वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं और मशीन से अर्धवैज्ञानिक खेती भी हो सकती है। मशीन की जोताई में विशेष लाभ न होने पर भी पश्चिम के देशों में उत्तरोत्तर मशीनों की वृद्धि ही होती जा रही है। इसका वास्तविक कारण पैशवार बढ़ाना नहीं है बल्कि मजदूरों की कमी करना है। हम अपने यहाँ मजदूरों की कमी तो तब करने की सोचेंगे जब सब खाली आदमी काम में लगने के बाद भी काम बाकी रह जायगा। तब तक तो हमको मौजूदा औजारों से संतोष करके उन साधनों की पूर्ति में सारी शक्ति लगा देना है जिनके न होने से किसान इच्छानुसार खेती करने से मजबूर हो जाते हैं।

मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि हमको अपने हल आदि औजारों में सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। सुधार की चेष्टा तो करना ही है। प्रान्तीय सरकार को इस विषय के प्रयोग के लिए विशेष विभाग खोलना पड़ेगा। मेरा कहना केवल इतना ही है कि हमें आँख मूंद कर विज्ञान के नाम पर दूसरे देशों में इस्तेमाल होने वाले औजारों की नकल नहीं करनी है। हमें अपने देश की सारी परिस्थिति से सामंजस्य रख कर अपने प्रयोग तथा खोज के काम चलाने होंगे।

अभी थोड़ी देर हुई, मैं लिख चुका हूँ कि हमारे यहाँ वर्षा काफी होने पर भी सारी बरसात थोड़े दिनों में समाप्त हो जाने के कारण बहुत सा पानी बह कर समुद्र में चला जाता है। नतीजा यह होता है कि दूसरे मौसम में जमीन की नमी बनाये रखना हमारी खेती की एक विशेष समस्या है। जिन देशों में पानी सालभर में बँट कर बरसता है और हिम के कारण दूसरी ऋतुओं में विदेशी हल और भी जमीन को नमी मिलती रहती है उन देशों में यहाँ की भूमि गहरी खुदाई करके जमीन को उलटने वाला हल फायदे का होता है। लेकिन हमारे देश में, जहाँ बरसात थोड़े दिन होती है और बाकी मौसम की आवश्यकता

समस्याओं का समाधान

काफी रूखी होती है वहाँ सीप्री और थोड़ी गोड़ाई से भी लाभ हो सकता है। यहाँ उलटने वाले हल से लाभ के बजाय हानि ही होगी। रही जमीन को भुरभुरी बनाने की बात। जहाँ आदमी और बैन वेकार बैठे रहते हैं वहाँ एक बार के बजाय कई बार जोतने से जमीन उतनी ही भुरभुरी हो जाती है जितनी उलटने वाले हल से हो सकती है। इस तरह किसान जमीन को इच्छानुसार भुरभुरी बना कर भूमि की नमी कायम रखते हैं। केवल वेकार आदमी और बैलों को काम में लगे रहने की ही बात नहीं है बल्कि स्त्री के लिए खेत जोताई का मौसम ऐसा होता है कि जमीन में नमी पहुँचा कर उसे बनाये रखने के लिए भी बार-बार जोत कर उस पर बेलन या हंगा चलाना आवश्यक होता है। कार्तिक के महीने में संध्या से रात तक जोतकर रात भर की ओत पड़ जाने के बाद सुबह सूर्योदय से पहले ही बेलन या हंगे से प्रतिदिन खेतों को दबाते हुए तुमने देखा ही होगा। ऐसा करने से काफी नमी जमा हो जाती है। साथ ही खेत काफी भुरभुरा भी हो जाता है। गेहूँ के खेत को यहाँ के किसान इतना नरम बना देते हैं कि यह कहावत मशहूर है कि बने खेत पर भरा हुआ घड़ा गिरने से अगर टूट जाय तो समझना चाहिए कि खेत तैयार ही नहीं हुआ है। तुम कह सकती हो कि अगर सिंचाई का पूरा प्रबन्ध हो जाय तो सींचकर उलटने वाले हल से जोतकर भी तो जमीन को उतना ही नरम बनाया जा सकता है और साथ ही नमी भी काफी कायम की जा सकती है। लेकिन सींचकर जोतने से वह बात पैदा नहीं हो सकती है। सिंचाई से जमीन में नमी के साथ सर्दों भी आ जायगी जो कि स्त्री के बीज के लिए लाभदायक नहीं होती। उसे तो नमी के साथ-साथ गर्मों भी चाहिए और उस गर्मों को कायम रखने के लिए आज के तरीके सर्वोत्तम हैं। हाँ, बरसात के दो माह जातने के लिए उलटने वाले हल से लाभ होता है। वर्षा के दिनों में बार-बार उलटने पर काफी दूर तक जमीन सड़ जाने से लाभ हो सकता है। लेकिन एक तो साल में दो

माह का समय इतना कम है और उन दिनों में जोतने के लिए खेत इतने कम खाली होते हैं कि इतने थोड़े लाभ के लिए किसान से कई प्रकार के औजारों के रखने की आशा करना बेकार है। यही कारण है कि खेती के शाही कमीशन ने राय दी है कि “यद्यपि भारत की जमीन पर कभी-कभी उलटने वाला हल चलाने से लाभ होना निःसन्देह है, तथापि उनको अधिक समय तक ऐसी जोताई की आवश्यकता है जिससे जमीन की नमी बनी रहे। अतः जहाँ आर्थिक कारणों से दो हल रखना सम्भव नहीं है वहाँ सर्वोत्तम हल वही है जो जमीन को गोड़ता है लेकिन उलटता नहीं।” अतएव हमको अगर औजारों की उन्नति भी करनी है तो इन्हीं समस्याओं को दृष्टि में रखकर करना होगा लेकिन किसी भी हालत में अपनी योजना में बड़ी बड़ी मशीनों की नकल करने की सलाह मैं नहीं दे सकता। अगर केवल तर्क के लिए यह मान भी लिया जाय कि मशीनों की खेती से कुछ पैदावार बढ़ सकती है और उससे बेकारी भी नहीं बढ़ेगी तब भी हमारी आज की स्थिति में सारे देश को उन्हें ग्रहण करने के लिए जितनी पूँजी की आवश्यकता होगी उसे प्राप्त करने में आज की सैनिक गुलामी से अपना गला छुड़ा कर भी आर्थिक गुलामी के नीचे हम दब जायेंगे। क्योंकि इतनी पूँजी तो उन्हीं देशों से मिल सकती है जो संसार भर चूस कर मोटे बन बैठे हैं। अतः सारी स्थिति पर विचार करते हुए हमें अपनी योजना में खेती के वर्तमान तरीकों को कायम रखते हुए उनकी उन्नति का कार्यक्रम रखना ही श्रेय होगा।

यह सम्भव है कि लोग मुझको प्रतिक्रियावादी कहें। लेकिन प्रगति में ही उन्नति है, यह बात हमेशा सब जगह लागू नहीं हो सकती है। सामने गड़ढा होते हुए भी आगे बढ़ने के लिए ही आगे बढ़ते जाना बुद्धिमानी नहीं है। फिर मैं आगे बढ़ने से रोकता नहीं हूँ। मैं केवल इतना ही कहता हूँ कि आँख मूँदकर युरोप के लगाम के साथ आगे न बढ़कर लॉग आँख खोलकर रास्ता किधर से है उसे देखते

हुए आगे बढ़ें। गड्ढा, खाँड़ बचाकर अगर घूमकर चलना पड़े तो वैसे चलें। मेरा कहना है कि लोग अन्ध प्रगतियादी न बन कर वास्तविकतावादी बनें। “मल्लिका स्थाने मल्लिका” के दुराग्रह को छोड़कर बुद्धि से विचार कर काम करें।

बस आज इतने पर ही समाप्त करता हूँ। अगले पत्र में खेती की पैदावार की कमी के जो दूसरे कारण बताये जाते हैं, उन पर कुछ प्रकाश डालने की चेष्टा करूँगा।

आशा है, मेदनीपुर के शिक्षा-केन्द्र का काम सफलता के साथ चल रहा होगा। वहाँ कौन संचालन कर रहे हैं? मैं स्वस्थ हूँ। अपने लोगों के कुशल-समाचार देना। नमस्कार।

[११]

समस्याओं का समाधान—२

१२—६—४४

बिछले सप्ताह एक पत्र लिखा था, मिला होगा। आज फिर लिखने बैठा हूँ। इधर जेल भर में फिर से छूटने का वायुमंडल बन रहा है। नये आर्डिनेंस के मुताबिक छःमाह की नोटिस मिलती है। पहली नोटिस की मियाद १४ जुलाई को खत्म हो जाती है। लोग सोच रहे हैं कि बहुत से लोग उस दिन छूट जायँगे। उधर बापू भी जोर लगा रहे हैं। कुछ लोग तो जल्दी से स्वराज्य पाने का स्वप्न देखा रहे हैं। जिस बैरक में देखो उसी में वही एक बात-बात की चर्चा। शायद बाहर भी वही हालत होगी। अपने राम को क्या करना है। “ढेंकी स्वर्ग में भी जावेगी तो धान ही कूटेगी।” बाहर चर्खा-धुनकी थी, जेल में भी वही चर्खा-धुनकी कर रहा हूँ। मालूम नहीं बाहर जाकर अगर कुछ मिलेगा भी तो वह स्वराज्य होगा या स्वदेशी राज। फिर तो अपने

को वही चर्खा धुनकी का राग अलापना होगा। अतः मुझ पर इन बातों का विशेष असर नहीं है। हाँ, एक फिक्र जरूर लग गई है। ऐसा न हो, कहीं मुझको भी छोड़ दें तो मैंने जो बादा तुमसे किया था कि अपना विचार सब लिख भेजूँगा वह पूरा नहीं हो पायेगा। बाहर पढ़ने-लिखने की फुरसत ही कहाँ। लेकिन परमात्मा चाहेगा तो मैं इस बार नहीं छूटूँगा। फैजाबाद वाले अधिकारी मुझको कब छोड़ने को कहेंगे? अतः विशेष चिन्ता की बात नहीं।

पिछले पत्रों में जमीन की पैदावार किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, इसका विचार कर रहा था। खेतों के तरीकों का बदलने की बात मैं प्रकाश डाल चुका हूँ। अब दूसरे उपाय अलग-अलग टुकड़ियों को मिला कर जमीन की चक्रवन्दी से खेती के उन्नति करने के प्रश्न पर विचार करूँगा। वस्तुतः जमीन की छोटी-छोटी टुकड़ियों में बँटी रहने की समस्या केवल भारत के सामने ही नहीं बल्कि सारे संसार के किसानों के सामने है और सब देश के लोग इस समस्या का हल निकालने में वर्षों से लगे हुए हैं। यह सच है कि जमीन छोटी-छोटी टुकड़ियों में भिन्न-भिन्न मालिकों के पास बँटी रहने से फसल का उचित बँटवारा नहीं हो पाता है। नतीजा यह होता है कि विभिन्न प्रकार का अनाज गलत भूमि पर पड़कर पूरे तरह से पुष्ट नहीं हो पाता। भारत के किसी भी प्रान्त के देहातों में चले जाओ, तुमको प्रायः एक ही बात सुनने में आवेगी—“पहले खेती की पैदावार इतनी काफी होती थी कि पेट भर खाना तो मिल जाता था। आज तो धरती माता हमारे प्रति विमुख हैं।” इत्यादि। वे सब दुःख का एक ही कारण “हाथ धोर काल !!” बताकर लम्बी साँस लेकर चुप हो जाते हैं। वे चारे क्या जानें कि उनके दुःख के कारण एक नहीं हजार हैं। यह ठीक है कि जमीन पुरानी हाने से उसकी ताकत घटती है। लेकिन वही एक कारण नहीं है। पहले जो खेती से अनाज अधिक मिलता था उसका एक प्रधान कारण यह है कि उन दिनों जमीन की व्यवस्था उचित

प्रकार से हो पाती थी। भारत के प्राचीन काल से जमीन का स्वामित्व किसी व्यक्ति का नहीं था बल्कि ग्राम-पंचायत का था। यह नहीं है कि जमीन की व्यवस्था व जोताई बोआई आज प्राचीन काल में के समाजवादी तरीके से नहीं होती थी। जमीन भूमि की व्यवस्था परिवारों को खेती करने के लिए दी जाती थी और वे परिवार काफी बड़े-बड़े होते थे। उस समय हमारा समाज बड़े-बड़े एकान्तवर्ती सम्मिलित परिवारों की ही समष्टि था। भारत के ग्राम-उद्योगभी बहुत उन्नत हालत में थे। इस कारण भी आवादी की एक बड़ी संख्या उद्योग में लगी हुई थी। इससे खेती पर ब्रोक्त भी कम था। इसलिए गाँव का सारा खेत थोड़े से संयुक्त परिवारों के हाथ में होता था। एक एक परिवार के पास बड़े-बड़े भूखंड होते थे। एक परिवार के सब लोग जमीन पर अपनी-अपनी अलग मिलिक-यत नहीं संचा करते थे बल्कि परिवार के सभी लोग सम्मिलित रूप से काम करते थे और सम्मिलित रूप से उसका फल भंग करते थे। एक ही व्यवस्था के अन्तर्गत काफी जमीन होने से किसान शान्ति से विचार कर सकते थे कि किस भूमि में कौन फसल बोन से पैदावार अच्छी हो सकती है और वे फसल का बँटवारा उनी ढंग से करते थे। विस्तृत भूखंड अपने पास होने से सिंचाई के लिए कुआँ, तालाब आदि का भी उचित प्रबन्ध करना आसान था। एक साथ बड़े क्षेत्र में परती छोड़ने के कारण पशुपालन आसानी से हो पाता था और इस कारण हमेशा गोबर की खाद का प्राचुर्य बना रहता था। दुर्भाग्यवश आज किसानों की ऐसा हालत नहीं रह गई है। अंग्रेजी राज्य के साथ-साथ युरोप के व्यक्तिगत स्वार्थ भाव का भी आगमन इस देश में हुआ। क्रमशः लोगों में स्वार्थ की वृद्धि होने लगी। इस कारण परिवारों का बँटवारा होने लगा। अंग्रेज ऐसा करने के लिए परिवार के सदस्यों को उत्साहित भी करने लगे। अंग्रेजी कचहरी और अंग्रेजी खिचारकों के फैसले भी इसी दिशा में प्रगति करने की दृष्टि से होने लगे।

इस तरह बड़े-बड़े परिवार और उसके साथ बड़ी-बड़ी जमीन के चक्र टूट कर काँच के टुकड़े-जैसे तितर-बितर हो गये ।

इसके उपरान्त अंग्रेजी सत्ता की साम्राज्यवादी नीति ने किस विभीषिका के साथ हमारे देश के ग्रामीण उद्योगों को दबा कर पीस डाला इसकी कसूर कहानियाँ आज साधारण जनता की आम सम्पत्ति हो गई हैं । शायद ही कोई होगा जो इन बातों को न जानता हो । उद्योगों के हान के साथ सारी आबादी को क्रमशः खेती की ओर मुकना पड़ा । यह देख कर रोना आता है कि १८६१ से १९३१ तक का अर्ध-शताब्दी के अन्दर किस प्रकार खेती पर बोझ क्रमशः बढ़ता गया है । तब सारे भारत में खेती पर गुजर करने वालों की संख्या कुल आबादी की ५८ सै० थी । यह संख्या बढ़कर १८९१ में ६१,०६ सै०, १९०१ में ६६.५ सै०, १९११ में ७१ सै०, १९२१ में ७२.८ सै० और १९३१ में ७५ सै० हो गई । इस कारण भी क्रमशः खेती के हिस्सदार बढ़ते ही गये ।

जमीन के टुकड़े—हमारे प्रभुओं को इतने में सन्तोष नहीं हुआ । उनको इस बात की तो कोई फिक्र थी नहीं कि जनता भरती है या जीती । उन्हें तो चाहिए था सारी आबादी की ऐसी विभाजित स्थिति जिससे वे चैन से राज करते हुए अनन्त काल तक लूटते रहें । अतः उन्होंने जमींदारी और काश्तकारी कानून ऐसे ढंग से बनाये कि जमीन भी नमक-मिर्च वाले पंसारी के दूकान का सौदा जैसी हो गई । जमींदारों के सम्मिलित परिवार के टूटने पर बाँटवारे के कारण छोटे छोटे भूमिखण्डों के मालिक रह गये थे । वे उन्हें भी टुकड़ों में बाँटकर काश्तकारों को किराये पर उठाने लगे । काश्तकार उन टुकड़ों को भी तोड़कर शिकमी काश्तकार बनाने लगे । फिर हर विभाजन के समय ऐसा नहीं होता कि एक तरफ से हिस्सा बना दें । थोड़ी जमीन होने ने हर एक व्यक्ति यह चाहता है कि उसको हर प्रकार की जमीन थोड़ी थोड़ी मिले, जिससे वह दैवी खतरों से बचा कर दो कौर अन्न

हरे माह पा सके। अतः जब कभी जमीन का बँटवारा होता है तो हर टुकड़े का हिस्सा हुआ करता है। इस तरह जमीन इतने छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट गई कि किसी किसी पर हल भी नहीं चल पाता। अगर जमींदारों के बाद काश्तकारों के हाथ में जमीन रह पाती तो स्थिति अत्यन्त दुर्दशा की होने पर भी इतनी भयावह न होती जितनी आज है। काश्तकार सहज में शिकमी काश्तकार को जमीन नहीं देते हैं। वे ज्यादा जमीन खुद जोतना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जमीन पर बोझ बढ़ने के कारण जमींदारों के लिए जमीन की आमदनी से काम चलाना मुश्किल हो गया। ऐसी हालत में महाजन की तादाद बढ़ने लगी और क्रमशः जमीन भी उनके हाथ में जाने लगी। महाजनों को काश्तकारी से दिलचस्पी थी और न वे अपनी जमीन के पास रहते थे। अतः जमीन की व्यवस्था के लिए ठेकेदारी या दलाली प्रथा की सृष्टि हुई। और धीरे-धीरे ठेकेदारी दर ठेकेदारी का क्रम बढ़ता ही गया। इस प्रकार अंग्रेजी सरकार की भूमि-नीति ने खेती की हालत ऐसी बना दी कि किसी प्रकार की उन्नति असम्भव हो गई। पहले सम्मिलित परिवारों की जमीन में कुएँ और तालाब थे; उनका बाँटा जाना सम्भव नहीं था। अतः वे किसी एक की दिलचस्पी या औकात के बाहर की चीज होने के कारण क्रमशः नष्ट हो गये। परती छोड़ने की असमर्थता के कारण पशु पालन कठित हो गया और इस प्रकार उचित मात्रा में खाद का पाना भी दुर्लभ हो गया।

अतः इधर कुछ साल से जमीन की चकवन्दी के लिए जो आन्दोलन मचा हुआ है वह अच्छा ही है। आज शायद ही कोई चिन्ताशील व्यक्ति इसका विरोध करेगा। अब प्रश्न यह है कि चकवन्दी हो कैसे? सन् १९३२—३६ में कांग्रेसी सरकार ने जो चकवन्दी कानून बनाया था उसके अनुसार मैंने भी इसके लिए कोशिश की थी। लेकिन किस तरह मैं असफल हुआ था, उसकी कहानी तो तुमको दो साल पहले आगरा जेल से लिख ही चुका हूँ।

ऐसा करना रोग के कारण की ओर न जाकर ऊपरी दर्द को शान्त करने की चेष्टा मात्र है। हमें अगर चक्रवन्दी की समस्या हल करनी है तो उसके सफल न होने का बुनियादी कारण ढूँढ़ निकालना होगा। इस प्रश्न को जड़ से हल करने की चेष्टा न होने के कारण जितने प्रयत्न इस दिशा में होते हैं, प्रायः सभी असफल हो जाते हैं। इस प्रश्न पर गहराई से विचार करने से पहले यह देखना है कि आज साधारणतः लोगों की धारणा क्या है ? और वे कहाँ तक ठीक हैं ? फिर हमें यह देखना होगा कि चक्रवन्दी के लिए जो उपाय बताया जाता है वह सफल क्यों नहीं होता ?

ज़मीन टुकड़ों में रहने देने के विरुद्ध प्रधानतः निम्न-लिखित बातें कही जाती हैं :—

१—छोटे-छोटे टुकड़े अलग करने के कारण जो मेंड़ की अधिकता होती है उससे बहुत ज़मीन बेकार चली जाती है।

२—किसानों को अपना हल-बैल लेकर दूर-दूर की टुकड़ियों में जाने में समय तथा शक्ति का अपव्यय होता है।

३—लगातार खेत न होने से ठीक से सिंचाई नहीं होने पाती।

इन कठिनाइयों को देखते हुए यह प्रस्ताव किया जाता है कि ऐसा कानून बनाया जाय जिससे किसानों और ज़मींदारों को आपस में खेतों का बदलावन करके चक्रवन्दी करा दी जा सके। अब देखना चाहिए कि ये बातें कहाँ तक सही या व्यावहारिक हैं। मेंड़ के कारण काफी ज़मीन फँसती रहती है, ऐसा सोचना सिर्फ कल्पना है। आखिर मेंड़ों में कितनी ज़मीन दबती है ? फिर चक्रवन्दी हो जाने से क्या बिना मेंड़ के काम चल जायगा ? तुमने देहातों में देखा होगा कि एक ही आदमी विस्तृत चक्र रखते हुए भी मेंड़ बाँध कर छोटी-छोटी च्यारियाँ बनाता है। वस्तुतः अलग अलग किसानों की ज़मीन की हद्द के लिए, सिंचाई की सुविधा के वास्ते, समतल च्यारियाँ बनाने के लिए और बरसात का पानी रोकने तथा खेतों की

खाद वहने न देने के लिए मेंड़ों का होना आवश्यक है। हमारे प्रान्त के खेती-विशारद घाघ के जमाने में जमीन के टुकड़े की समस्या इतनी जटिल नहीं थी फिर भी उनके दोहों की पाँतियों में “ऊँचा बाँधो मेंड़” की वाणी भरी पड़ी है। हाँ, यह हो सकता है कि चक्रवन्दी हो जाने पर वही-कहीं एक आध मेंड़ कम कर दी जा सके। लेकिन उससे कितनी जमीन निकलेगी ? अगर कुछ निकलेगी भी तो नगण्य होगी।

किसानों के समय के अपव्यय का प्रश्न भी विशेष महत्व का नहीं मालूम होता है। आज किसानों के समय का मूल्य ही क्या है ? लोग तो वैसे ही खाली रहते हैं। घर पर बैठे तम्बाकू न पीकर हल लेकर खेत खेत घूमना तो अच्छा ही है। न कुछ हो तो फँसे रहने के कारण झगड़ा फसाद में कुछ कमी हो ही सकती है। आलस्य भी कुछ कम होगा। अतः यह कठिनाई भी कठिनाई में शुमार करना व्यर्थ है।

हाँ, सिंचाई की कठिनाई का प्रश्न कुछ विचारणीय अवश्य है। सिंचाई का पानी ले जाने के लिए रास्ते के सवाल पर फौजदारी हो जाना देहात के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन चक्रवन्दी से सिंचाई का फायदा किस अनुपात से होगा। हमारे प्रान्त की कुल खेती के केवल एक तिहाई भाग पर ही सिंचाई हो पाती है। उनमें काफी बड़ा हिस्सा उन जमींदारों का है जिनके पास बड़ी बड़ी सीर (खुदकाशत) की जमीन है। अगर उनको निकाल दिया जाय तो बाकी खेतों में से लगभग २५ सैकड़ा जमीन पर ही सिंचाई की व्यवस्था हागी। आपस में बदलावन करके चक्रवन्दी तो वही किसान कर सकते हैं जिनकी कुल जमीन एक चक्र लायक हो। ऐसे किसानों की संख्या भी तो बहुत थोड़ी है। सिंचाई की सुविधा भी केवल उन्हीं को होगी न ? इस तरह सुविधा का अनुपात प्रान्त की कुल जमीन का कितने प्रतिशत होगा। मेरे ख्याल से १ या २ प्रतिशत से अधिक न होगा। इससे प्रान्त की पैदावार में जो वृद्धि होगी उससे हमारी समस्याओं का

कुछ भी हल नहीं हो सकता ।

वस्तुतः अगर जमीन की चकवन्दी करनी है तो जमींदारी प्रथा के कारण जो काश्तकार को कभी एक किस्म की जमीन नहीं मिल पाती उसका अंत करना होगा । जमींदार लाभ के लिए अच्छी जमीन के साथ ऊसर, बाँगर तथा गोयँड़ के साथ जंगल के पास की जमीन मिलाकर ही अपना खेत हमेशा उठाने की चेष्टा करेंगे । इस कारण काश्तकारों को एक चक जमीन मिलना असम्भव सा ही है । रही जमींदारों की बात । अगर किसी तरह एक बार आपस में बदलना कर कुछ जमीन एक चक में बना भी दी जाय तो भी २-१ पुश्त में जब बँटवारा होता रहेगा तो फिर उसका टुकड़ा हो ही जायगा । इतने परिश्रम, इतने चार और इतनी कानूनी तब्दीलियों से भी कितनी जमीन की चकवन्दी कर लोगी । जिस देश में प्रति व्यक्ति एक एकड़ भी भूमि नहीं है, वहाँ अधिकांश काश्तकारों के पास १ या १½ एकड़ से अधिक खेत नहीं हो सकता । उनकी सारी जमीन ही तो एक एक टुकड़े के बराबर है । कुछ औरों के पास २-४ एकड़ का हिस्सा होगा, ऐसा समझ लो । इन लोगों को चाहे जितने फायदे की बात कहो वे चकवन्दी करना नहीं चाहेंगे । विभिन्न जमींदारों के कोम का पात्र बनने से अपने को बचाने की सहज चेष्टा के अलावा इस असमान तथा अनिच्छित वर्ग के मुल्क में इतने छोटे काश्तकार एक चक जमीन का खतरा उठाने का हरगिज तैयार न होंगे । वे चाहेंगे कि उनको विभिन्न दिशा में विभिन्न प्रकार की जमीनें मिलें, क्योंकि इत्तफाक से एक स्थान की फसल किसी कारण खराब हो गई तो दूसरे स्थान की फसल तो बची रहेगी । इन सब कठिनाइयों को पार करके अगर कुछ बड़े जमींदार या काश्तकारों की जमीन मिला दी जाय तो औरत फायदा कम होगा । ऐसे बड़े काश्तकार कितने हैं जो चकवन्दी से लाभ उठाने में समर्थ हैं ।

अतएव चकवन्दी के मसले को हल करने के लिए हमको मौलिक

तथा क्रान्तिकारी कदम उठाना पड़ेगा। आखिर क्रान्तिकारी उपायों चक्रवन्दी हम करना क्यों चाहते हैं ? इसलिए कि की आवश्यकता खेती के वेढेंगे तरीके के बदले व्यवस्थित तरीका काम में लाया जा सके। फसल का षँटवारा उचित ढंग से हो; किंचाई की व्यवस्था हो। परती क्रम से छोड़ी जा सके। इत्यादि। अगर हर एक अपने अपने “सवा डेढ़ बीघा” खेत लेकर सावाँ-कोश्व-धान-उर्द-अरहर” की खिचड़ी चाली खेती करता रहे तो खेती-सुधार किस तरह होगा ? खेती की उन्नति के लिए हमें सारी जमीन की निश्चित योजना बनानी होगी। गाँव में कितनी और कौन-कौन जमीन में गेहूँ अच्छा हो सकता है, धान अच्छा हो सकता है, आलू अच्छा हो सकता है, इत्यादि बातों की खोज करनी पड़ेगी। यह देखना होगा कि किस साल कितनी और कौन कौन जमीन को सहूलियत से परती छोड़ा जा सकता है। गाँव का स्वाभाविक ढाल किधर है, इसकी जाँच करके हमको यह तय करना होगा कि कुआँ तालाब आदि कहाँ कहाँ रखवा जाय। लेकिन इस तरह एक एक जमीन आवे कहाँ से ? क्या फिर पुराने तरीके के बड़े-बड़े कुटुम्ब पैदा हो सकेंगे ? वैसा परिवार तो द्रष्ट चुका है। भूत को बसीट कर वहाँ तक लायाँगी। अगर उसे लाने की चेष्टा करोगी तो वे भूत तुम्हारे कन्धे पर चढ़कर रीढ़ तोड़ देंगे। अतः बापू जी जैसा कहते हैं वैसा ही करना पड़ेगा। उनका कहना है “आज का अपनी स्थिति केवल कौटुम्बिक जीवन की है। ग्राम-सुधार का आधार कौटुम्बिक जीवन को गाँव तक पहुँचाने पर निर्भर है।” अर्थात् साधारण भाषा में हमें सहयोग के आधार के पर सम्मिलित खेती की ही व्यवस्था करनी होगी।

सम्मिलित खेती—सम्मिलित खेती दो प्रकार से ही सकती है। (१) खेत सम्मिलित करके या (२) खेती सम्मिलित करके। खेत सम्मिलित करने का मतलब यह है कि सरकार सबसे खेत लेकर

पंचायत को दे दे, पंचायत उसकी जोताई बोआई आदि की व्यवस्था करे। गांव के लोग उसकी मजदूरी करें। मजदूरी देने के उपरान्त व्यवस्था-खर्च काटकर जो अनाज बचे उसे मजदूरी के अनुपात से सबको बांट दिया जाय। खेती सम्मिलित करने से मेरा मतलब यह है कि खेत तो सबका अपना हो केवल खेती करने के लिए वे सब मिल कर सहयोग समितियां कायम करें। इस प्रकार के सहयोग के दो रूप हो सकते हैं - (१) सारे गाँव की एक इकाई और (२) छोटी-छोटी कई इकाइयां। मेरी राय में इन्हीं दो में से कोई एक प्रकार की व्यवस्था हमें चुननी है। सम्मिलित खेती के प्रकार से प्रत्येक आदमी अपने को निःस्व समझने के कारण जमीन से अपनी दिलचस्पी नहीं रख सकेगा। फिर इससे विभिन्न प्रकार के लोगों को अपनी व्यक्तिगत रुचि के अनुसार व्यवस्था का रूप बनाने के लिए कतई गुंजाइश नहीं रहेगी। यह ठीक है कि व्यवस्थित संघटन में अगर व्यक्तिगत रुचि ही चलने लगे तो कोई काम आगे नहीं बढ़ सकेगा। लेकिन हर एक चीज की एक हद होती है। हर व्यवस्था तथा संघटन में अनुशासन के साथ एक आध जगह अगर मनुष्य—प्रकृति की विभिन्न ऋतुओं का स्वतन्त्र संचालन करने के लिए खाली नहीं छोड़ा जायगा तो लोगों की भावनाओं का आन्तरिक जमघट उस व्यवस्था और उस संघटन को फोड़कर ही बाहर निकलेगा। हमारी व्यवस्था और संघटन तो चेतन मनुष्य-समष्टि है। जड़यन्त्र या लोहे की मशीन में भी अगर सेफ्टी वाल्व न हो तो उसका व्यापार एक दिन फटकर अनर्थ पैदा कर सकता है। फिर हम यह चाहते भी नहीं कि लोगों के सारे जीवन पर केन्द्र-व्यवस्था का ही आधिकार हो। अतः भविष्य के संघटन तथा उन्नति के लिए सम्मिलित खेती का ही योजना बनाना श्रेय होने पर भी इस बात का प्रयास करना होगा कि इस प्रकार के सम्मेलन की इकाई कितनी बड़ी हो। जिससे मनुष्य तथा पशुओं को कम से कम श्रम पड़े और पैदावार अधिक से अधिक हो। इस सिद्धान्त का ध्यान रखना बहुत आवश्यक

है। कुछ लोग समझते हैं कि कम से कम ३ परिवारों का सम्मेलन ठीक होगा। कोई ४ या ५ बताते हैं। मेरे ख्याल से विभिन्न क्षेत्रों में जमीन के प्रकार और अन्य परिस्थितियों के हिसाब से इस इकाई का रूप विभिन्न होगा।

प्रश्न यह है कि आज की परिस्थिति में सम्मिलित खेती हो सकती है क्या ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमको यह तय करना होगा कि हमारी सम्मिलित खेती का रूप कैसा हो। पहले लिख चुका हूँ कि हमारे संघटन की इकाई ग्राम-समिति होगी। ग्राम-समिति के अलावा विभिन्न उद्योगों के लिए अलग-अलग समितियाँ बन सकती हैं। खेती का काम सबसे अधिक व्यापक होने पर भी वह एक उद्योग ही है। अतः किसानों की एक खेतिहर समिति की कल्पना हम कर सकते हैं। उस समिति में हरेक सदस्य की जमीन उसका हिस्सा होगा। इन्हीं हिस्सों की समष्टि समिति की पूँजी होगी। जो जितना श्रम करेगा उसका दाम चुकाने के बाद बचत की रकम अपने अपने हिस्से के अनुपात से बाँट लेंगे। इस प्रकार के संघटन की व्यौरेवार नियमावली आज में नहीं बनाऊँगा। उसे भविष्य के कानून बनाने वालों पर ही छोड़ना उचित होगा। मैं तो सिर्फ़ किस सिद्धान्त से योजना बनानी होगी, उसकी रूप-रेखा बताना चाहता हूँ। और इस समय उससे अधिक कहना सम्भव भी नहीं है। इस प्रकार सहयोग-समितियों के संघटन के लिए आवश्यकता इस बात की है कि समिति के सदस्य पूँजी का जो हिस्सा समिति को दें उसका वह मालिक हो। आज जिस प्रकार की जर्मीदारी और काश्तकारी मौजूद है, उसके रहते हुए इसका होना सम्भव नहीं है। हमारे प्रान्त में लगान-सम्बन्धी जो कानून बना हुआ है उसका बयान करने में एक पोथा लिखना पड़ेगा। उसे इस पत्र में लिखना बेकार ही होगा। अगर उसको समझना हो तो इस विषय पर कोई एक किताब लेकर देख लेना। लेकिन इतना कहना आवश्यक है कि हमारे प्रान्त का जमीन कानून जर्मीदारी प्रथा के आधार पर बना हुआ

है। जमींदारी प्रथा अच्छी है या बुरी, यह प्रथा भारत में प्राचीन काल में थी या नहीं, किसने और कब इस प्रथा को चलाया आदि बातों की बहस पिछले दस-पन्द्रह साल से लोग काफी कर चुके हैं। इस बहस के दौरान में लोग बाल की खाल भी निकालते रहे हैं। मैं इस बहस में पड़ना नहीं चाहता। यह प्रथा अच्छी है या बुरी, प्राचीन है या नवीन, इससे मुझको कतई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ यह देखता हूँ कि आज की परिस्थिति में समाज-व्यवस्था तथा संघटन में जमींदारों की उपयोगिता है या नहीं। जिस चीज की या संस्था की उपयोगिता नहीं होती या रहती, समाज उसका अन्त कर देता है, चाहे उसने पिछले दिनों कितनी भी सेवा की हो। यह सनातन नियम है। इस नियम के अनुसार आज के जमींदारों का स्थान वर्तमान व्यवस्था में रहना सम्भव नहीं है। समाज युग-युग से अपनी समस्याओं का हल निकालता रहा है। इस प्रयोग में उसे जिन चीजों की, जिन आदर्शों की और जिन समस्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें वह ग्रहण करता है और जिनकी उसे जरूरत नहीं या जिनसे उसकी प्रगति में बाधा पहुँचती है वह त्याग देता है। अतएव सहयोग के आधार पर अगर खेती का प्रबन्ध करना है और इसलिए जब काश्तकारों को अपनी जमीन का मालिक बनना है तो इस बात की आवश्यकता होगी कि आज की जमींदारी प्रथा का अन्त हो या दूसरे शब्दों में जमींदारी प्रथा को सार्वजनिक बना देना होगा यानी सब जमीन के जोतने वालों को जमींदार हो जाना पड़ेगा।

मैंने कहा है काश्तकारों को अपनी जमीन का मालिक बना देना पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आजकल की काश्तकारी प्रथा का समर्थक हूँ। वस्तुतः जिन प्रान्तों में जमींदारी प्रथा नहीं है वहाँ की हालत कुछ बेहतर नहीं है। मेरे सामने काश्तकार और जमींदार के प्रकार में कोई भेद नहीं है। अन्तर केवल यह है कि एक गड़ा है और एक छोटा। जमींदार बेचारे तो बदनाम

झी हुए हैं लेकिन मानसिक वृत्ति काश्तकारों की कम जमींदाराना नहीं है। उनके पास भी जब थोड़ा ज्यादा खेत हो जाता है तो वे शिकमी किसानों को जमीन उठाकर उसी तरह व्यवहार करते हैं जैसा जमींदार अपने असामियों के साथ करते हैं। वे मजदूरों से अपनी खेती कराकर उन पर उसी तरह अत्याचार करते हैं जिस तरह एक जमींदार करता है। दूसरी तरफ छोटे-छोटे गरांव जमींदारों की दशा काश्तकारों से भी खराब है। उनके स्त्री-पुरुष बच्चे मेहनत करके भी दाने-दाने को मुहताज रहते हैं। गरीब जमींदार के बच्चे पड़ोसी काश्तकार के खेत पर मजदूरी करते हैं, ऐसा उदाहरण विरल नहीं है। जमींदार के घर की न्त्रियों को पड़ोसी काश्तकार के घर मजदूरी करते भी देखा जाता है। अतएव मैं जिस चीज का अन्त करने को कहता हूँ वह है न जमींदारी प्रथा और न काश्तकारी प्रथा। मैं अन्त करना चाहता हूँ दूसरों की मेहनत से बैठे खाने की प्रथा का। पूँजीवादी उत्पादन ही जमीन समाज व्यवस्था के कारण जो दलाली या ठेकेदारी का मालिक होगा प्रथा का प्रसार हो गया है, उसका स्थान स्वावलंबी समाज-व्यवस्था में कहीं नहीं है। स्वावलम्बी समाज में उत्पत्ति के साधन तथा उत्पादित सामान का मालिक उत्पादक स्वयं ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। अतएव भावी योजना में अगर मेरे बताये हिसाब से सारी आवादी के लिए अन्न की स्थायी व्यवस्था करनी है और आज जो खेत हैं उन्हीं की पैदावार काफी बढ़ती है,— अगर इस कारण फुटकर जमीन के स्थान पर चक्रवन्द जमीन पर ही खेती करनी आवश्यक है और अगर इसके लिए सहयोग के आधार पर सम्मिलित खेती की व्यवस्था करनी जरूरी है तो आज के जमीन कानून का आमूल परिवर्तन करना होगा। आज जितने किस्म के काश्तकार हैं सबका अन्त करके एक ही प्रकार के किसान को रखना पड़ेगा। वे होंगे जमीन पर खुद परिश्रम करने वाले “किसान।” वह ठीक है कि ऐसा करने में हमें असीम कठिनाइयों वा सामना करना पड़ेगा।

सदियों के संस्कार के विरोध में चलना कोई आसान बात नहीं है । लेकिन हम जिस दुर्दशा के अन्तिम स्तर पर गिरे हुए हैं, अगर इस स्थिति से ऊपर उठना है तो जिन बोगों से हम दबे हुए हैं इन्हें तो अपने कंधे पर से उतारना ही होगा, चाहे वह राजनीतिक गुलामी हो, आर्थिक शोषण हो, सामाजिक रूढ़ि हो या संस्कारभूत परम्परा हो । अगर ऋष्टके से उन्हें उतार फेंकने में अपनी रीढ़ टूट जाने की सम्भावना हो तो आसानी से हटाने का क्रम बनाना होगा । इन पत्रों में मैं क्रमशः उन क्रमों पर भी प्रकाश डालने की चेष्टा करूँगा ।

ऊपर की बातों से साफ हो गया होगा कि मेरी प्रस्तावित योजना में जमीन उसी को मिल सकेगी जो उस पर खुद मेहनत करें । अब प्रश्न यह उठता है कि हमारी कल्पित व्यवस्था में खेती के लिए मजदूरों का कोई स्थान है या नहीं ? किसानों को अपने हाथ से जोतने पर भी कुछ ऐसा काम तो आ ही जाता है जिनके लिए मजदूरों की आवश्यकता हांगी । यह ठीक है कि जब सब लोग परिश्रम करेंगे तो प्रायः बाहरी मजदूर की आवश्यकता नहीं होगी । लेकिन खेती का काम ऐसा है कि किसी-किसी मौसम में अत्यधिक आदमी की आवश्यकता होती है । जिस क्षेत्र में चावल की ही अधिक उत्पत्ति है वहाँ साहनी, कटिवा आदि काम के लिए स्थानीय कुल आबादी भी काफी नहीं होती है और बाहर से हजारों की तादाद में मजदूर उन स्थानों में पहुँचते हैं । अतएव खेती के काम के लिए किसानों के अलावा भी स्वतन्त्र मजदूर का स्थान रहेगा ही । तुम कह सकती हो कि इस तरह से खेती-सहयोगी-समिति के सदस्य कम से कम मेहनत करके क्रमशः अधिक से अधिक मजदूरों से काम कराकर अनुचित लाभ उठा सकेंगे । लेकिन हमारी योजना के अनुसार व्यवस्था करने से इसकी गुंजाइश न रहेगी । मजदूरों से अनुचित लाभ तभी उठाया जा सकता है जब आबादी का कुछ हिस्सा बेकार रहे । अगर तुम खेती में जितना परिवार खपा सको उतनों को ही जमीन देकर बाकी

के लिए ऐसे धन्वों की व्यवस्था कर सको जिसे वे अपना गुजर तुम्हारे धारणानुसार ही कर सकें तो कोई दूसरों के लाभ का शिकार क्यों बनने जायगा। हमारी योजना में “खेती के मजदूर” नाम की कोई अलग श्रेणी नहीं रहेगी। मैं जो प्रस्ताव करना चाहता हूँ उसमें गाँव की कुल आबादी के लिए निर्दिष्ट उद्योग होगा। तुम जानते ही हो कि हर उद्योग में खाली तथा भीड़ का दो मौसम हुआ करता है। ऐसे खाली और भीड़ का मौसम सभी कामों में एक ही समय नहीं होगा। एक के लिए जो समय खाली होगा वही दूसरे के लिए भीड़ का समय होगा। ऐसी हालत में खेती में जो बाहरी मजदूर काम करेंगे वे सम्भवतः दूसरे उद्योग के उत्पादक होंगे। फिर किसानों की खुद कम मेहनत करके मजदूरों से काम कराने की वृत्ति इसलिए भी नहीं हो सकेगी कि हमारी योजनानुसार हर काम करने वालों को मजदूरी “जीवन-वैतन” के सिद्धान्त के अनुसार ही देनी पड़ेगी। वापू जी जो चर्खा कातने वालों को आठ आना मजदूरी देने को कहते हैं, वह उत्पत्ति की तमाम मजदूरी के विनिमय मूल्य में समता लाने की चेष्टा मात्र ही है। ऐसी हालत में अगर किसान खुद परिश्रम न करके दूसरों के श्रम से खेती कराना चाहेगा तो वह जमीन की पैदावार से अपनी गुजर नहीं कर सकेगा। उसकी सारी उपज मजदूरी देने में ही खतम हो जायगी। अतः इस दिशा में डरने की आवश्यकता नहीं है।

खेती की उन्नति के लिए मैं चक्रवन्दी के प्रश्न पर बात कर रहा था। प्रसङ्गवश दूसरा प्रश्न भी आ पड़ा। लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ; आखिर ग्राम-सुधार की सर्वाङ्गीण योजना के बनाने के लिए इन प्रश्नों पर विचार तो करना ही पड़ता। अगर आज ही इन पर विचार कर लिया तो क्या हर्ज ?

खाद की व्यवस्था—खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए तीसरा आवश्यक उपाय खाद और पानी की व्यवस्था है। मैंने पहले बताया

है कि आज हमारे प्रान्त में जितने पशु हैं उनका गोबर अगर न भी जलाया जाय तो कुल २,६४,१८,०२,००० मन खाद सालाना मिल सकती है। यह सत्य है कि जहाँ लोग कुछ गोबर जला डालते हैं वहाँ वे जानवरों की पेशाब राख फूस आदि से भी कुछ खाद बनाते रहते हैं। इस तरह आज हमको खेती के लिए सब मिला कर उतनी खाद मिल ही जाती है, जितनी कुल गोबर से हो सकती थी। मामूली तौर से अच्छी खेती के लिए प्रति एकड़ कम से कम ३००५ प्रति वर्ष खाद की आवश्यकता होती है। उस हिसाब से हमें १०,६६,५७,६०,००० मन खाद की आवश्यकता प्रतिवर्ष होगी। अर्थात् हमारे प्रान्त की खेती के लिए हर साल ७७१ करोड़ मन खाद की कमी पड़ती है। यानी आज जहाँ प्रति ग्राम हमको केवल २८,७३१५ मन खाद मिलती है वहाँ पूरी खेती के लिए अर्थात् ३४७ करोड़ एकड़ के लिए १०४,३४०५ मन खाद की आवश्यकता होगी। अगर हम २५ सै० के करीब जमीन प्रति वर्ष परती छोड़ दें तो भी ७८,२५५५ मन खाद की आवश्यकता तो होगी ही अतः हमको इतनी खाद जुटाने की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए पहले यह देखा जाय कि हम किन-किन उपायों से खाद की उत्पत्ति कर सकते हैं। खाद के लिए प्रधानतः निम्नलिखित चीजें काम में लाई जा सकती हैं:—

१—गोबर की खाद। २—मवेशियों का पेशाब। ३—बकरे तथा भेड़ों की टट्टी-पेशाब। ४—वनस्पति की सड़न। ५—शोरगुल जातीय नमक। ६—जानवरों की हड्डी तथा मांस। ७—सनई आदि हरी खाद। ८—तेलहन की खली। ९—मनुष्यों की टट्टी। १०—रासायनिक खाद (अमोनियम सल्फेट आदि)

१—गोबर की खाद—भारत में प्राचीन काल से ही गोधन उत्तम धन माना गया है। इस कारण लोग अधिक संख्या में गोपालन किया करते थे। अतः हमारे यहाँ गोबर की खाद ही प्रधानतः इस्तेमाल हुआ करती है। क्रमशः संसार के विभिन्न देशों में नाना

प्रकार की खादों का आविष्कार होता गया। लेकिन संसार के सभी विशेषज्ञों का कहना है कि जमीन की नमी कायम रखने में तथा उसकी उर्वर शक्ति को अधिक दिन टिकाऊ रखने के लिए गोबर की खाद ही सर्वोत्तम है। लेकिन आज की परिस्थिति में हम पशुओं की आवादी को जरूरत से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। हमारी पुष्टि के लिए दूध की तथा जाताई के लिए हल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कितने गाय बैल भैंस भैंसा आदि की जरूरत होगी, उसका हिसाब मैंने पहले के पत्र में लिखा है। उसे देखने से मालूम होगा कि आज प्रति ग्राम के मवेशियों की संख्या २६२ है और हमारे काम के लिए चाहिए केवल २५३ जानवर। अतः आज जितना गोबर मिलता है भविष्य में उसने अधिक गोबर पाने की सम्भावना नहीं है। अर्थात् गोबर से प्रति ग्राम केवल १२६००५ मन खाद मिल सकेगी।

२—मवेशियों के पेशाव—मवेशियों के पेशाव का अधिकांश भाग व्यर्थ चला जाता है। उनका संचय करने का उचित प्रबन्ध करके हम खाद की वृद्धि कर सकते हैं। गोशालाओं का फर्श पक्का करके उस पर धान का पोत्राल, गन्ना के पत्ते, बाग के बटोरे हुए पत्ते, चावल की भूसी, मूंगफली का छिलका, मेथी का डंठल आदि ऐसी चीजें डाल देनी चाहिए जिसमें पेशाव ज्वर होकर उसे जल्दी सड़ा दे फिर उसे अलग धूर में डाल कर खाद बना लेना चाहिए। ऐसी खाद भी हम काफी मात्रा में तैयार कर सकेंगे। मेरा अन्दाज यह है कि इस प्रकार साल भर में प्रति ग्राम जितनी खाद बनेगी वह क्रम से कम ८,०००५ मन गोबर की खाद के बराबर होगी।

३—बकरें तथा भेड़ की टट्टी-पेशाव—मैंने प्रति ग्राम ५० बकरियाँ और १०० भेड़ की जरूरत बताई है। बकरियों की टट्टी पेशाक की मात्रा खाद की दृष्टि से नगण्य है अर्थात् उनका हिसाब नहीं जोड़ना ही ठीक होगा। लेकिन भेड़ की टट्टी व पेशाव जमीन के लिए बहुत सुफीद बताते हैं। प्रान्त में लोग भेड़ों के मुंड को

रात भर खेत पर बैठा देते हैं। इससे जमीन की जी उर्वरा शक्ति बढ़ती है उससे गोबर की खाद से सवाई पैदावार बढ़ती है, ऐसा ग्राम किसानों का अनुभव है। किसानों का हिसाब यह है कि १०० भेंड़ की तीन दिन की बैठाई एक एकड़ के लिए उतना ही फायदा करती है जितना १०० मन गोबर से लाभ हो सकता है। यानी १०० भेंड़ से प्रतिदिन कम से कम ३० मन गोबर के बराबर जमीन के लिए खाद मिल सकती है। यह सही है कि हर मौसम में खेतों में भेंड़ें नहीं बैठाई जा सकतीं; लेकिन उचित प्रबन्ध से इनकी पेशाब व टट्टी एकत्र की जा सकती है। ऐसी संचित खाद से उतना लाभ न होगा जितना उन्हें खेतों पर बैठाने से होता है। फिर भी खेत पर बैठाने और संचित खाद की औसत २० मन प्रतिदिन के बराबर हो ही जायगी। इस हिसाब से भेंड़ों के द्वारा हमको लगभग ७३०० मन खाद मिल सकेगी।

४—वनस्पति की सड़न—पहले एक पत्र में कम्पोस्ट खाद की बात लिखी थी। गाँव भर का जंगल साफ करके उसे नाबदान का पानी, गोबर का पानी और सादा पानी छिड़क कर तथा उन्हें समय समय पर उलट कर यह खाद बनती है। इसके लिए गाँव के जंगल, चाग तथा जंगल के पत्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस जरिये से भी काफी खाद मिल सकती है। मेरा अन्दाज यह है कि जब लकड़ी और फलों के लिए हम पेड़ लगा लेंगे तो इस प्रकार वनस्पति की खाद करीब १२००० मन गोबर की खाद के बराबर पैदा हो सकती है।

५—शोरा जातीय नमक—हमारे प्रान्त में शोरा की मिट्टी प्रचुर परिमाण में मौजूद है। आज भी हजारों मन शोरा इस प्रान्त में बनता है। लेकिन सरकारी नीति के कारण किसान इसे बना नहीं सकता। अगर शोरे की ग्राम व्यवस्था की जाय तो इस जरिये से हमको काफी खाद मिल सकती है। युक्तप्रान्त की सरकारी खेती-

सुधार कमेटी का कहना है कि “शोरा में १५ सै० नाइट्रोजन है और चाकी हिस्सा पोटाश भी जमीन के खुराक का अच्छा साधन है।” यह सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन वनस्पति का एक प्रधान भोज्य पदार्थ है। सरकार को पहले इसकी सम्भावनाओं की जाँच करनी होगी और किसानों को इसके द्वारा खाद बनाने के लिए उत्साहित करना होगा।

६—जानवरों की हड्डी तथा मांस—तुमने रेल के सफर में स्टेशनों पर जानवरों की हड्डियों का ढेर जगह जगह देखा होगा। लेकिन देहात में हड्डी की खाद काम में लाते कहीं नहीं देखा है। कारण यह है कि हमारे यहाँ से कुल हड्डी विदेश चली जाती है। सारे भारतवर्ष में लगभग १॥ करोड़ मन हड्डी होती है, और यह प्रायः व्यर्थ चली जाती है। केवल हमारे प्रान्त में ही जितनी हड्डी बेकार जाती है उतनी की अगर खाद बनाई जाय तो प्रान्त भर में हमको हर साल ६। लाख मन खाद मिल सकती है। इसके अलावा मांस की भी कीमती खाद बन सकती है। हमारे प्रत्येक गाँव के लिए जानवरों की जो आवश्यकता बताई गई है उनमें से हर साल जितने पशु मरेंगे उनसे किस मात्रा में खाद बन सकती है इनका हिसाब नीचे लिख रहा हूँ :—

नाम पशु	संख्या मरने की	वजन हड्डी की खाद	मांस का वजन	जोड़
गाय बैल	१२॥	५॥५	३॥५	६५
भैंस-भैंसा	४	३॥५	२५	५॥५
बच्चे	५	५५	५२	११७
दूसरे विविध पशु	५	५८	५५	११३
जोड़		८॥५३	६५७	१४॥१५

इस प्रकार हर साल प्रति ग्राम १५५ मन के करीब हड्डी और मांस की खाद बन सकती है। देहात के किसानों का अनुभव यह है कि अगर १५ हड्डी की खाद खेतों में छोड़ी जाय तो २५५ घूर की खाद कम डालने पर भी मामूली से ज्यादा पैदावार होती है। इस हिसाब से हाड़ से और मांस से ३५०५ गोबर की खाद के बराबर खाद प्राप्त हो सकती है।

७—सनई और दूसरी हरी खाद—बरसात के शुरू में खेतों में सनई बोकर उसे फिर जोताई करने पर जमीन की ताकत बहुत बढ़ जाती है। किसानों को इस तरह सनई बोते देखा भी हांगा। सनई के अलावा हिंजा, अरुपा या वाकस के पत्ते आदि भी लाभदायक होते हैं। पश्चिमी जिलों में गन्ना और कपास की खेती के लिए लोग मेथी भी बोते हैं। अगर इस दिशा में खोज की जाय तो और बहुत सी वनस्पतियाँ मिलेंगी जिन्हें खाद के लिए बोया जा सकता है। प्रान्तीय सरकार की ओर से कृषि-विभाग में इसका एक विशेष विभाग रखना पड़ेगा।

८—तेलहन की खली—भारत में प्रचुर तेलहन की उत्पत्ति होती है। खेती से सरसों, तिल, अलसी, रेंड, बरें आदि के अलावा जंगलों में महुआ, साल, नीम आदि का बीज करोड़ों मन पैदा होता है। इनमें से कुछ की खली मनुष्य तथा जानवरों की भोजन-सामग्री में शामिल हो सकती है। बाकी से ऊँचे दर्जे की खाद तैयार होती है। इस देश के किसान नीम की खली को फसल के लिए बी के बराबर मानते हैं। इससे केवल जमीन की ताकत ही नहीं बढ़ती परन्तु इसके इस्तेमाल से दीमक आदि बहुत से हानिकारक कीट-कीटाणु मर जाते हैं। दुर्भाग्यवश इस प्रान्त में आज जितना बीज नीम का पैदा होता है उसके २ सै० ही का तेल निकाला जाता है; बाकी पड़े पड़े पेड़ के नीचे सड़ जाते हैं। ग्राम-स्त्रावलम्बन योजना में हमको खाने के अलावा जलाने के लिए, साबुन तथा अन्य उद्योगों के लिए प्रचुर

परिमाण में तेल की आवश्यकता होगी। अतः इनकी खली से भी हमको काफी खाद मिल सकेगी। नाईट्रोजन वनस्पति का प्रधान खाद्य है, यह हमको मालूम है। अतः किस खली में कितने नाईट्रोजन का अनुपात है मालूम होने पर समझ सकोगी कि खाद के लिए खेती की कीमत क्या है? नीचे तेलहन की खली में नाईट्रोजन की मात्रा कितनी है उसकी तालिका भेज रहा हूँ। इसे गौर से देखना।

नाम खली	नाईट्रोजन मात्रा प्रतिशत	नाम खली	नाईट्रोजन मात्रा प्रतिशत
मूँगफली	७.६६	अलसी	५.३०
तिल	६.६०	नीम	५.०४
बरें	६.३४	रेंडी	४.५०
कपास का बीज	५.५६	गरी	३.६७
राई व सरसों	५.५४	विनोला (छिलका	
महुआ	२.७२	उतार कर)	३.३८

९—मनुष्य की टट्टी—अब मैं उस कीमती खाद की बात बताना चाहता हूँ जिसके लिए वापू जी पिछले पचास साल से प्रचार करते आते हैं। वह है आदमियों की टट्टी। स्वयं उन्हीं के शब्दों में “यह पाखाना खेतिहर के लिए मानो सोना है।” इस विषय के विशेषज्ञ सर अलवर्ट हावर्ड का कहना है कि मनुष्य की साल भर की औसत टट्टीसे २०० पौंड खाद होती है जिसमें १५ पौंड नाईट्रोजन ४ पौंड पोटाश और ५ पौंड फोरिक एसिड रहता है। शायद तुमको इन वैज्ञानिक पदार्थों के अनुपात से पाखाने के खाद-गुण का ठीक-ठीक अन्दाज न हो। पाखाने का मूल्य कितना है उसका थोड़ा हिसाब कर लो तो अच्छा होगा। संयुक्तप्रान्तीय खेती-सुधार कमेटी की १९४१ की रिपोर्ट में इसका एक हिसाब बनाया गया है। उनका कहना है कि अगर आठ आदमी का पाखाना जमा किया जाय तो एक एकड़ रन्ने

की खेती में हद दर्जे की फसल उत्पन्न होगी। तुम्हें शायद मालूम होगा कि गन्ने की खेती वैसे ही कुछ ज्यादा खाद माँगती है। अगर हद दर्जे की उत्पत्ति करनी है तो कम से कम ४००५ मन खाद एक एकड़ के लिए चाहिए। इस हिसाब से एक आदमी का पाखाना ५०५ मन खाद के बराबर ताकत देने वाली चीज है। प्रान्त के प्रति ग्राम की आवादो ४७० की है। अगर २० वच्चों को छोड़ दिया जाय तो भी ४५० आदमी का पाखाना २२५००५ खाद के बराबर होगा। हम अगर यह मान लें कि कितना भी प्रबन्ध किया जाय कुल पाखाना का सम्पूर्ण इस्तेमाल सम्भव नहीं होगा, मनुष्य की आदत, संस्कार आदि बातें भी इन मामलों में असर करती ही हैं। फिर भी मेरा विश्वास है कि इस दिशा में उचित संघटन करने पर लगभग १२०००५ खाद के समान लाभ तो हम पाखाना से उठा ही सकते हैं।

पाखाने के इस्तेमाल के विषय में भारत में सबसे अधिक अनुभव बापू का ही है। अतः उनको हम सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ मान सकते हैं। पाखाने से ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए उन्हीं के बताये तरीके सर्वोत्तम हैं। जमीन में गड्ढा करके ढक देने का संघटन गाँव-गाँव में करना होगा। इसका तरीका बापूजी के ही शब्दों में कह देना ठीक होगा। उन्होंने पाखाने के इस्तेमाल के सिलसिले में बताया है—“इस पाखाना को बहुत नीचे गड्ढे में नहीं गाड़ना चाहिए। धरती के ६॥ इंच त. की परत में वेशुमार परोपकारी जीव बसते हैं। उनका काम उतनी गहराई में जो कुछ हो उसकी खाद बना डालने और सारे मैले को शुद्ध करने का होता है। सूर्य की किरण भी राम द्युति की भाँति भारी सेवा करती है।” इस नियम से गाँव में हर साल जो खेत परती छोड़ा जाता है उसपर पाखाना बनाने का प्रबन्ध ग्राम-समिति को या पंचायत को करना होगा। *

* आजकल इसके अनेक और प्रयोग हुए हैं। इनका व्योरा सेवाग्राम से मिलेगा। १४—११—५०

१०—रासायनिक खाद—तुमको इस बात से थोड़ा आश्चर्य होता होगा कि मैंने रासायनिक खाद का स्थान अन्त में क्यों रक्खा है। आज कल शिक्षित जनता में रासायनिक खाद की तारीफ की जो धूम मची हुई है उसे देखते हुए शायद इसका सबसे पहला स्थान रखना ही ठीक जँचता। आज की इस भीषण लड़ाई की भीड़ में भी भारत में रासायनिक खाद का कितना क्षेत्र है, उसकी जाँच करने के लिए खास विलायती क्रमेटी नियुक्त हुई है। वे खास तौर पर जाँच करके हमारे प्रभुओं को इस बात की रिपोर्ट करेंगे कि भारत में रासायनिक खाद कितनी खप सकती है। सम्भवतः इसका बाजार बनाने के लिए ही पिछले कुछ सालों से इसके महत्व का प्रचार किया जा रहा है।

खेतिहरों को रासायनिक खाद का व्यवहार करते मैंने भी देखा है। उसके असर की भी कुछ जाँच करने की चेष्टा की है। मैंने रासायनिक खाद से एकाएक पौधों को बढ़ते भी देखा है। इसके असर से कुछ पैदावार भी बढ़ती है। लेकिन लगातार कुछ दिन अध्ययन करने से मुझको ऐसा लगा कि पौधों के लिए गोबर आदि की खाद और रासायनिक खाद में उतना ही फर्क है जितना मनुष्य के लिए पुष्टिकर भोजन और शक्तिवर्धक सालसा में। नियमित रूप से परिमित भोजन करने से शरीर पुष्ट और टिकाऊ होता है और अगर रासायनिक बलवर्द्धक औषधि से शरीर में पुष्टि ली जाय तो प्रथमतः शक्ति देने का काम तो वह करेगी लेकिन आगे चलकर स्वास्थ्य की दृष्टि से वह हानिकारक होती है। उसी तरह रासायनिक खाद का लगातार व्यवहार जमीन के लिए हानिकारक होगा। यद्यपि पश्चिमी ढंग से खेती के वैज्ञानिक विशेषज्ञ रासायनिक खाद की बड़ी तारीफ़ किया करते हैं, लेकिन जिनको भारत की खेती की विशेष जानकारी है वे इसकी तारीफ़ के लिए इतना उत्साहित नहीं होते। वे इसका इस्तेमाल करने की सिफारिश तो करते हैं लेकिन कुछ दबरी जवान से। सन् १९३६ में युक्तप्रान्तीय खेती-सुधार के लिए जो कमेटी

सरकार ने बनाई थी उसमें कुछ वैज्ञानिक विशेषज्ञ और कुछ अनुभवी खेतिहर भी थे। तीन साल तक सारी परिस्थितियों की जांच करके उन्होंने सरकार को सन् १९४२ में रिपोर्ट दी। उनकी राय उन्हीं के शब्दों में उद्धृत कर देना शायद ठीक होगा। वे कहते हैं—“.....दूसरी तरफ ‘रासायनिक खाद’ से वनस्पति को तैयार खुराक मिल जाती है लेकिन इसका व्यवहार थोड़ी मात्रा में हो सकता है; कारण यह है कि अगर अधिक मात्रा में लगातार इसका इस्तेमाल किया जाय तो उससे जमीन को नुकसान ही पहुंचेगा।” एक दूसरे स्थान में कहते हैं—“एमोनियम सलफेट के विस्तृत और काफ़ी असें तक व्यवहार से, जिन जमीनों में चूने की आवश्यकता नहीं है, उनमें अम्ल पदार्थ पैदा हो जाता है। रासायनिक खाद से जमीन में नमी नहीं के बराबर पैदा होती।” अतएव हमको अगर रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना होगा तो उतनी ही मात्रा में हम उसे काम में लावेंगे जितना मनुष्य की बल-वृद्धि के लिए टानिक यानी रासायनिक शक्तिवर्द्धक औषधि का इस्तेमाल किया जाता है। जिस प्रकार टानिक का भी एक स्थान है उसी तरह इस खाद को भी शायद हमको कोई स्थान अपनी योजना में देना पड़ेगा लेकिन अगर दूसरे जरिये से स्वाभाविक खाद से ही काम चल जाय तो वह श्रेय ही होगा। इस हिसाब से हरी खाद, खली की खाद, शोरा और रासायनिक खाद के अलावा हमारी खाद की उत्पत्ति ५४० करोड़ मन के करीब होगी।

इस प्रकार उपर्युक्त जरियों से अपने काम के लिए काफ़ी खाद की उत्पत्ति हम कर लेंगे। फिर जब हम कर्मक्षेत्र में उतरेंगे और प्रयास करते रहेंगे तो नये-नये जरियों की भी जानकारी होती ही रहेगी।

सिंचाई की व्यवस्था—अब रही पानी की बात। वस्तुतः पानी ही वनस्पति की जान है। जहाँ भी नमी होगी वहाँ तुम्हारे पचन्द

न करने के बावजूद भी आपसे कुछ न कुछ सब्जी पैदा हो ही जायगी । वस्तुतः अगर खाद न हो और पानी परिमित मिले तो पौधे उग तो आवेंगे ही, चाहे खाद के बिना वे पुष्ट न हो सकें लेकिन पानी बिना चाहे जितनी खाद डालो पौधे उगेंगे ही नहीं । अतः खेती के लिए पानी ही सबसे महत्व का उपादान है । इतनी आवश्यक सामग्री होने पर भी हमारे खेतों के तिहाई हिस्सों में ही पानी पहुंचता है । अतः इस दिशा में हमको विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा । प्रश्न यह है कि पानी की प्राप्ति के लिए हमारा ढङ्ग क्या होगा । संसार में सिंचाई का काम ४-५ जरियों से किया जाता है । ये जरिये इस प्रकार हैं :—(१) नहर, (२) ब्यूव वेल, (३) कुआँ, (४) तालाब और (५) नदी, नाला, झील आदि ।

नहर के मामले में मेरी राय तुमको मालूम ही है । नहर से फायदा अचर्य है । लेकिन उससे नुकसान भी इतना है कि किसी योजना में नहर का प्रस्ताव करते समय हर पहलू पर गम्भीर विचार कर लेना चाहिए । नहर की व्यवस्था अनिवार्यतः केन्द्रीय सरकार के अधीन रखनी होगी जिसका अर्थ किसी दूसरे पर निर्भर रहना होगा । अगर हम व्यर्थ तर्क न बढ़ाकर मौलिक स्वावलम्बन के सिद्धान्त को फिलहाल छोड़ भी दें तो भी कई व्यावहारिक हानियाँ भी नहर से होती हैं । तुमने देखा होगा, नहर से जो पानी आता है उसकी गहराई काफी नहीं होती और प्रवाह को कायम रखने के लिए जगह-जगह झरने का रूप दिया जाता है जिससे सारा पानी नीचे की सतह तक आलोड़ित हो जाता है । फलतः जितनी बालू नदी से बहकर नहर में जाती है वह नीचे बैठने नहीं पाती है और क्रमशः खेतों में जाकर उन्हें बालूमय कर देती है । इस तरह बालू की अधिकता से खेतों को नुकसान होता है । तुम कहोगी, बलुआ खेतों में भी तो अनाज पैदा होता है । अनाज तो पत्थर पर भी पैदा होता है, इसका मतलब थोड़े ही है कि मटीली जमीन को भी पथरीली बना दिया जाय ? फिर भिन्न

भिन्न फसल के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की जमीन उपयोगी है। जहाँ की जमीन वालूमय है वहाँ उन्हीं को बोया जाता है जिनकी पैदावार वहाँ हो सकती है। इस तरह की जमीन के प्रकार-भेद भी किसी प्राकृतिक नियमानुसार ही होते हैं। ब्रह्मा के मनमाने खिलवाड़ की धुन के आधार पर इस तरह के सृष्टि-वैचित्र्य का संघटन नहीं हुआ है। जमीन का प्रकार स्थानीय आव-हवा पर ही प्रधानतः निर्भर करता है; अपवाद जरूर मिलेगा लेकिन साधारण नियम तो इसका कोई एक है ही। इसी प्रकार प्राकृतिक नियम से जिस जमीन पर जो अनाज पैदा होता है उस स्थान की आव-हवा भी उसके लिए अनुकूल होती है। यह सच है कि एक ही आव-हवा में दो प्रकार की जमीन मिलती है लेकिन उसकी भी एक प्राकृतिक सीमा है। अगर थोड़ी देर के लिए यह मान भी लें कि तुम उपर्युक्त नियम मेरे दिमाग का आविष्कार ही समझती होगी तब भी क्या सभी जमीन वालूमय होने से विभिन्न प्रकार की आवश्यक फसलों का क्रम कायम रक्खा जा सकेगा? नहर के पास के किसानों से पूछो, ऐसा शायद ही कोई मिलेगा जो नगर की वजह से खेतों में जो बालू भर जाती है उसकी शिकायत न करे।

बालू भरने से फिर भी कुछ पैदावार हो जाती है लेकिन जब यह पानी उन इलाकों से होकर आता है जहाँ रेह और अन्य हानिकारक खार की अधिकता है तो वे खार बहकर खेतों में जमा होते रहते हैं और क्रमशः उन्हें बंजर बनाकर ही छोड़ते हैं। श्री चौधरी मुख्तार सिंह को इस विषय का विशेषज्ञ माना जाता है। यही कारण है कि युक्तप्रान्तीय सरकार ने उन्हीं को खेती-सुधार कमेटी का अध्यक्ष चुना था। उन्होंने भी अपनी पुस्तक 'रूरल इंडिया' के १५३ पन्ने में यह रिपोर्ट दी है कि "बम्बई और दूसरे प्रान्तों के कई स्थानों में प्रचुर परिमाण की भूमि पर की खेती नहरों के कारण ही बन्द हो गई है।"

नहर-द्वारा एक दूसरी बड़ी समस्या पानी रुकने की पैदा होती है। मैं पहले पत्रों में लिख चुका हूँ कि हमारे देश की वर्षा थोड़े दिन की

होती है। वह इतनी मात्रा में होती है कि सारा पानी जमीन में जल्व नहीं हो पाता और अधिकांश पानी बहकर समुद्र में वापस चला जाता है। इस कारण विशेष आवश्यकता इस बात की है कि इस देश में पानी बह जाने का रास्ता काफी हो ताकि अतिरिक्त पानी का उचित निकास हो। जब से रेल लाइनों की सृष्टि हुई तब से जहाँ तहाँ पानी रुकने के कारण स्वास्थ्य की समस्या तो खड़ी हो ही गई थी, उसके उपरान्त इधर नहरों के कारण यह समस्या और भी जटिल होती गई। रेलवे की समस्या जगह-जगह पुलिया बनाकर हल भी की जा रही है और ये पुलियाएँ काफी चौड़ी होने के कारण उनके नीचे से पानी की अवाध गति कायम रखना आसान भी है। लेकिन नहर के नीचे से पानी के लिए जो सुरंग बनाई जाती है वह तो आँसू पोंछने भर के लिए ही काफी होती है। इस प्रकार पानी रुककर बड़े बड़े क्षेत्र में सड़ता रहता है और सारे वायुमंडल का स्वास्थ्य खराब करता है। केवल आदमी और पशुओं का स्वास्थ्य खराब करता है, यह बात नहीं। पौधे भी इनके कारण ठोक से बढ़ नहीं पाते। जहाँ कहीं हमेशा पानी जमा रहेगा उसके आस पास की जमीनों में हमेशा नमी बनी रहेगी। ऐसी सील वाली जमीन पर कितनी पैदावार होती है, इसका बयान करके तुम लोगों की बुद्धि और अनुभव का अपमान न करना ही अच्छा होगा। यह तो सभी को मालूम है कि हमारे प्रान्त में मेरठ कमिश्नरी स्वास्थ्य के लिए मशहूर रही है। लोग स्वास्थ्य-सुधार के लिए वहाँ जाया करते थे। दुर्भाग्य-वश नहरें भी उसी तरफ ज्यादा बनी हैं। नतीजा यह हुआ कि अब उन जिलों में भी स्वास्थ्य बिगड़ने लगा है। मेरठ आश्रम में भी इधर कई साल से लोग मलेरिया से परीशान रहते हैं। यह अनुभव केवल आश्रम का ही है, ऐसी बात नहीं। मैं जब बाहर था तो एक बार युक्तप्रान्तीय सरकार के स्वास्थ्य-विभाग की एक वार्षिक रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसमें भी वही रोना रोया गया था कि नहर के कारण मेरठ के जिले में मलेरिया आदि

बीमारियाँ बढ़ गई हैं। अतएव अगर हम मान भी लें कि नहर के कारण पैदावार बढ़ती है तो भी इस बात का कौन हिसाब लगावेगा कि जमीन से अधिक अनाज मिलने के कारण हम अपने स्वास्थ्य की जितनी उन्नति करते हैं, बीमारी के कारण अवनति उससे अधिक होती है या नहीं। आजकल के अर्थशास्त्रीय युग में हर चीज का पता जोड़ने का फैशन हो गया है। उन शास्त्रीय माहनुभावों को इसका पड़ता भी जोड़ने को कहो तो अच्छा हो।

पानी के रुकने से एक दूसरी हानि और होती है। तुमने देखा होगा, जहाँ कहीं भी थोड़ी देर पानी रुक जाता है तो उस पर बारीक मिट्टी के कण जमा होकर पपड़ी पड़ जाती है। इससे जमीन की सतह के छिद्र बन्द हो जाते हैं। नतीजा यह होता है कि पानी छनकर नीचे बैठने नहीं पाता है। इस तरह पानी के न छन सकने से जमीन की सतह पर खार पैदा हो जाता है और वही खार क्रमशः फैलकर आस-पास के खेतों को खराब करता है। इस प्रकार पानी रुकने से जो जमीन नम होती रहती है वह क्रमशः वंजर होती जाती है।

नहर से मेरी इतनी दुश्मनी तुमको बहुत परीशान करती होगी। सोचती होगी इस वैज्ञानिक युग में रामायणी कथा कहने से क्या लाभ ? यह सच है, नहरों का प्रस्ताव मुझको औरों से कुछ ज्यादा अखरता है। कारण यह है कि मैंने अधिकतर ऐसे क्षेत्र में काम किया है जहाँ आबादी बहुत घनी है, जमीन के नीचे पानी १५-२० फुट के अन्दर मिल जाता है और वर्षा साधारणतः अच्छी होती है। वस्तुतः ऐसे क्षेत्र में नहर की हानियाँ अधिक विकराल रूप लेकर प्रकट होती हैं। वर्षा अधिक होने से पानी के निकास की समस्या जटिलतर हो जाती है। जहाँ आबादी घनी है वहाँ जैसे ही मनुष्य की बेकारी रहती है फिर सिंचाई के लिए नहर का खर्च देकर और बेकार बैठे खाना कहाँ तक लोगों की समर्थता के अन्तर्गत हो सकता है ? जहाँ १५—२० फुट तक नीचे पानी मिल जाता है, वहाँ, कुएँ से नहर में खर्च

भी अधिक है। अभी श्री टाटा, विड़ला आदि ने जो १५ वर्ष की योजना बनाई है उसमें उन्होंने बताया है कि नहर का खर्च प्रति एकड़ सत्तर रुपया होता है और प्रान्तीय सरकार की खेती-सुधार कमेटी ने इस प्रान्त में २० एकड़ जमीन सींचने लायक कुआँ रहट के औसत खर्च का जो हिसाब बताया है वह इस प्रकार है।

कुआँ बनाने का खर्च ४००)

उन्नत रहट २००)

६००)*

यानी कुएँ की सिंचाई के लिए प्रति एकड़ ३०) की लागत लगानी पड़ती है। इस तरह नहर के लिए दो सही एक बटे तीन गुनी पूँजी की जरूरत होती है। केन्द्रीय व्यवस्था के अन्तर्गत ही नहर बन सकती है। इस कारण सारी पूँजी केन्द्रित करने के लिए जो अलग से खर्च होता है उसे भी जाँड़ा जाय तो नहर के लिए ढाई गुनी पूँजी की आवश्यकता हो जायगी।

इस सारी बातों को देखते हुए मेरा प्रस्ताव यह है कि हमें नहर का प्रबन्ध उन्हीं स्थानों पर करना चाहिए जहाँ कुआँ बनाना प्रायः असम्भव हो। यानी जहाँ कुआँ बन ही नहीं पाता हो, या बने तो उसके लिए हृद से ज्यादा खर्च हो जाय या पानी इतने नीचे हो कि निकलना प्रायः असम्भव हो इन स्थानों में भी नहर बनाने के लिए इस बात को और ध्यान देना आवश्यक है कि पानी का निकास ठीक से कायम रहता है या नहीं। अतः जिन इलाकों में नहर बननी हो वहाँ का पूरा 'सर्वे' करके स्वाभाविक निकासों का नक्शा पहले ही बना लेना चाहिए।

हमारे प्रान्त की परिस्थिति के अनुसार जितनी जमीन पर सिंचाई का प्रबन्ध करना है उसके २५० सै० से अधिक के लिए नहर की आव-

*आज के हिसाब से नहर बनाने का खर्च ३००) प्रति एकड़ और २२००) कुआँ रहट पर पड़ता है।

शक्यता न होगी। प्रान्त की जो खेती-सुधार योजना बनाई जाय उसमें निम्नलिखित हिसाब से सिंचाई करना ठीक होगा—

कुल जमीन जिस पर खेती होती है ३,५६,१६,२०० एकड़।

परिमाण जमीन जिसकी सिंचाई होती है १,१६,१७,५८७”

जमीन जिसकी सिंचाई की व्यवस्था करनी है २,३७,०१,६१३ एकड़ अर्थात् प्रति ग्राम २३१.५ एकड़ जमीन की सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी। इनमें २५ सै० नहर से, ६३ सै० कुएँ से और ६ सै० तालाब आदि से व्यवस्था करना व्यावहारिक होगा। ३ सै० जमीन कछार आदि की ऐसी है जिस पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं है।

ऊपर बताये अनुपात के हिसाब से प्रति ग्राम कुल २३१.५ एकड़ की सिंचाई इस प्रकार करनी होगी—

नहर से	५७.६ एकड़	}	२२३.५ एकड़
कुएँ से	१४५.८ ”		
तालाब आदि से	२०.८ ”		

बाकी ७ एकड़ की सिंचाई की आवश्यकता नहीं है।

नहरें हमको सारी नई बनवानी होंगी लेकिन कुएँ कुछ पुराने मरम्मत तथा उन्नत करने से काम चल जायगा; कुछ नये बनवाने पड़ेगे। आज प्रान्त भर में ५५,५४,०५१ एकड़ जमीन पर १४,००,००० कुएँ से खेती होती है। यानी प्रति ग्राम ५४.२ एकड़ जमीन पर १३.६ कुएँ से सिंचाई होती है। अर्थात् आज एक कुएँ से ४ एकड़ जमीन की सिंचाई होती है।

कुएँ की उन्नति करते समय कई बातों का खयाल रखना होगा। केवल गणित से समस्या का हल नहीं होगा। प्रथम यह कि बहुत से कुओं की हालत ऐसी है कि उनकी मरम्मत करने से अच्छा होगा कि नये कुएँ खोदे जायँ। यानी वे मरम्मत के काबिल ही नहीं हैं। द्वितीय यह कि कुछ कुएँ ऐसे हैं जिनकी उन्नति करके अधिक जमीन की सिंचाई की जा सकती है लेकिन वे इतने पास हैं कि

उस क्षेत्र में अधिक जमीन सिंचाई के लिए खाली ही नहीं है। उन्हीं क्षेत्रों के कुओं का सुधार करना है जहाँ पानी की कमी के कारण आस-पास की जमीन सिंचाई से रह जाती है। बाकी क्षेत्र में नये कुएँ बनवाने होंगे। इस दृष्टि से हमें लगभग ३३% यानी प्रति ग्राम ४.५ कुओं को वैसे ही छोड़ देना होगा। उनसे आज के हिसाब से १८ एकड़ के करीब सिंचाई होती रहेगी। बाकी ६.१ कुएँ में ३ कुएँ ऐसे होंगे जिनकी उन्नति से कोई लाभ नहीं होगा। इन ३ कुओं से १२ एकड़ की सिंचाई पूर्ववत् ही होती रहेगी। बाकी ६.१ कुओं की उन्नति कराकर ६.१ = ६६.६ (२०—४ एकड़ प्रति कुओं) एकड़ जमीन की सिंचाई बढ़ाई जा सकती है। बाकी ४८.२ एकड़ जमीन की सिंचाई के लिए २.४१ कुएँ नये बनाने पड़ेंगे। इस प्रकार प्रान्त भर के लिए हमको ६,२४, ५६७ कुओं की मरम्मत तथा रहट की व्यवस्था करनी होगी, और २,४६,७५५ कुयें नये बनवाने होंगे।

तालाब के मामले में अधिक संख्या में नये तालाब बनाने की गुंजाइश इस प्रान्त में नहीं है। बरसात का पानी रोककर सिंचाई के लिए निम्नलिखित उपायों को ही काम में लाना होगा :—

१—जितने तालाब करीब भठकर वेकार पड़े हैं उनकी मरम्मत तथा खुदाई करानी होगी।

२—ईंट के भट्टे के सिलसिले से जो कुछ तालाब बन जावे।

३—प्रान्त में बहुत ही ऐसी नीची जमीन है जो न तालाब है और न खेत। बरसात का पानी कुछ जमता जरूर है लेकिन फिर सूखकर दलदल बना रहता है। ऐसा नीची जमीनों के बीच के हिस्सों को खोदकर बड़े बड़े सागर बन सकते हैं और उन्हीं में से निकाली मिट्टी के चारों ओर की कम नीची जमीन को पटाकर खेत भी निकाला जा सकता है। अपनी योजना में ऐसी जमीनों का उपयोग करने के इस तरीके का प्रोग्राम रखना होगा। नहरों से हमको ५६,२८,२६५ एकड़ नई जमीन की सिंचाई की व्यवस्था करनी है। नहर बनवाते समय

भविष्य की राष्ट्रीय सरकार को पानी के स्वाभाविक निकास का 'सर्वे' करके ठीक-ठीक नक्शा बना लेना होगा और पानी निकास के बम्बे इस प्रकार से बनने होंगे जिन्हें हमेशा साफ रखा जा सके। नहर बनाते समय एक और बात की ओर ध्यान रखना भी जरूरी है। हमारे प्रान्त में नदियों के बहाव इस ढंग से हैं कि यातायात के लिए जलमार्ग की अच्छी योजना बन सकती है। नहरों की बनावट ऐसी हो कि नहरों को इस काम में भी लाया जा सके। मेरे ख्याल से इतने से ही आवश्यक सिंचाई हो सकेगी।

इस पत्र में खेती की आवश्यकता की प्रायः सब बातें कह डालीं। मालूम नहीं, कोई ऐसी बात रह गई हो जिसकी बाबत मैं अपनी राय जाहिर न कर सका हूँ। अगर किसी बात पर तुन्हें या वहां के भाई-बहिनों को शंका हो तो मुझको लिखना ताकि दूसरे पत्र में साफ कर सकूँ।

इधर कई पत्रों में काफी व्योरेवार हिसाब भेज रहा हूँ। तुम उससे ऊब तो नहीं जाती हो ? अबकी बार मेरे इन विचारों की बाबत अपना ख्याल लिखना।

[१२]

जमीन का बँटवारा

१६—६—४४

पिछले पत्र में जमीन की पैदावार बढ़ाने के लिए क्या-क्या उपाय करना चाहिए, इस पर प्रकाश डाला था। आज इस बात पर अपना विचार प्रगट करने की चेष्टा करूँगा कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम किस तरह अपना संगठन बनावें और तमाम उत्पात्ति की व्यवस्था करें।

पहले के पत्र में मैंने बताया था कि आज की जमींदारी तथा काश्तकारी प्रथा के रहते खेती में सुधार नहीं हो सकता है। अब

प्रश्न यह है कि हम इस प्रथा को हटायें कैसे और नई प्रथा का संचालन कैसे करें। फिर इस प्रकार की तब्दीली के लिए फौज के बल से जबरदस्ती जमींदारों से जमीन छीन ली जाय या उन्हें उचित मुआवजा देकर जमीन की मिल्कियत का तबादला करें। मेरी राय में हमको मुआवजा देने का रास्ता ही लेना पड़ेगा। वह सच है कि अब तक जमींदार जितनी रकम कानूनी तथा गैर कानूनी तरीकों से किसानों से ले चुके हैं वह लगान के अलावा जमीन की कीमत की कई गुनी होगी अतः उनको मुआवजा मांगने का कोई हक नहीं है। लेकिन इस प्रकार के परिवर्तन के समय हक के सवाल पर झगड़ा खड़ा करना व्यावहारिक नहीं होगा। हाँ, इतना अवश्य किया जा सकता है कि मुआवजे की रकम निश्चित करके किस्त से चुकता करें। लेकिन इसका तर्क आज करना बेकार है। मुआवजे की रकम किस तरीके से अदा होगी, यह समय आने पर परिस्थिति के अनुसार तय कर लिया जायगा। मेरा मतलब केवल इतना ही है कि जमींदारों को और काश्तकारों को, जो अपने हाथ से खेती नहीं करते हैं, उनसे खेत लेते समय उसका मुआवजा देना होगा। इस मुआवजे की रकम उन जोतने वालों से किस्त पर लेनी चाहिए जिनको खेत का स्वामित्व देना है। यह किस्त काफी साल तक के लिए होनी चाहिए।

जब लगान के लिए सरकार को सीधे उन्हीं से सम्बन्ध करना पड़ेगा जो खेत जोतेंगे तो निःसन्देह तहसील की आज जो व्यवस्था है उतने से काम नहीं चलेगा। अतः व्यवस्था का संघटन बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ते संघटन के लिए हमको मालगुजारी भी बढ़ानी पड़ेगी। इस बात को सुनते ही तुम घबड़ा जाओगी। सोचोगी, मैं यह क्या कह रहा हूँ। जिस लगान को कम कराने के लिए इतना तूफान, इतना आन्दोलन हो रहा है उसी लगान को हम कैसे बढ़ा सकेंगे। पर इतनी जल्द घबड़ाने से काम नहीं चलेगा। हमको हर पहलू पर शान्ति से विचार करना पड़ेगा। आज हमारी प्रन्तीय सरकार की मालगुजारी क

ग्रामदानी करीब ६ करोड़ रुपया वार्षिक है और जमींदार उन किसानों से करीब १८ करोड़ रुपया लगान के रूप में लेते हैं जो उनकी जमीनें जोतते हैं। अगर इसी अनुपात से उन जमीनों का भी लगान जोड़ा जाय जिन्हें जमींदार खुदकाशत करते हैं तो यह रकम और भी बढ़ जायगी। इसके अलावा लाखों बीघा जमीन गुप्त रूप से लगान पर जोताई जाती है जो किसी हिसाब में शुमार नहीं। इस प्रकार जो रकम समाज में जायज मानो जाती है उसी का हिसाब पूरे तौर से जाँच करके जोड़ा जाय तो भी किसान औसत जिस दर से लगान देता है उसके अनुसार कुल लगान की रकम २५ करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। अब रहा नजरायज रकम का हिसाब। जमींदारों के नजराना लेने की पद्धति की वास्तविकता को मालूम नहीं है। नजराना तो ज्यादा लगान लेने का एक बहाना मात्र है। नजराने के बहाने जो रकम जमींदार लेता है केवल उतना ही जोड़ने से किसान का बोझ नहीं मालूम होगा; नजराना देने के लिए किसान जो रकम उधार लेता है उस पर का सूद दर सूद भी जोड़ना चाहिए। इस प्रकार नजराना के बहाने किसान को काफी रुपया देना पड़ता है। नजराना के उपरान्त कोल्हार आदि पचासों दस्तूरों, विवाहादि अनुष्ठानों का खर्च, घी दही तेल तथा अन्य सामान सस्ता देने के मद की रकम आदि सकड़ों जरियों से किसान जमींदार को कितना देता है उसका हिसाब करना असम्भव ही है। हिसाब करना तो दूर रहा, अन्दाज करना भी कठिन है। इसके मुकाबले अगर हमारी भावी व्यवस्था में किसान को तमाम-जमीन के लिए १० करोड़ रुपये के करीब भी देना पड़े तो लगान में कितनी कमी हुई इसका जरा हिसाब तो करो। अगर नायायज रकम को छोड़ भी दिया जाय तब भी तो लगान में आधे से ज्यादा कमी हो जायगी। इस लगान की रकम से केवल व्यवस्था की वृद्धि का खर्च पूरा होगा, यह बात नहीं बल्कि उसका कुछ अंश सुधार योजना में भी खर्च किया जा सकेगा। लेकिन इस हिसाब का बहस में पड़ने का शायद

अभी समय नहीं आया है। संभव है, इससे कम में भी काम चल जाय। इस प्रकार जब खेत जोतने वालों के पास अपनी जमीन हो जायगी तो वे अपनी खेती के लिए सहयोग समितियाँ बनायेंगे। ऐसी समितियों को ग्राम-पंचायत के अधीन रखना अच्छा होगा। सहयोग समितियों के हिसाब आदि की जाँच के लिए सरकारी महकमा कायम करना होगा। यह सारे प्रान्त में एक दम करना ठीक नहीं होगा बल्कि कुछ जिलों में कानून लागू करके प्रयोग शुरू करना होगा। किसानों को स्वामित्व देने से पहले एक यह नियम भी रखवा जा सकता है कि किसी गाँव की अमुक संस्था में काश्तकार अगर सम्मिलित खेती की शर्त पर जमीन लेना चाहें तो उनको जमीन दिलाई जायगी। इस तरह इस काम में क्रमशः आगे बढ़कर जब वातावरण अनुकूल हो जायगा तो व्यापक रूप से कानून सब जगह लागू किया जा सकता है। अब सवाल यह आता है कि क्या जमीन गाँव में रहने वाले सभी परिवारों को बाँट दी जायगी या इसके लिए कोई हद बाँधनी होगी। मैंने पहले ही कहा है, आज जितनी आवादी जमीन पर गुजर कर रही है उतनी का गुजर खेती से हो नहीं सकता। केवल गुजर ही नहीं बल्कि उतनी आवादी को जमीन पर काम भी नहीं मिल सकता अतः हमको गाँव की सारी जमीन उतनी आवादी में बाँटनी होगी जितनी की आवश्यकता खेती के काम के लिए होगी। बाकी लोगों को उद्योगादि के काम में लगाना होगा। मेरे हिसाब से ५ मनुष्य के प्रति परिवार को ८ एकड़ के करीब जमीन मिले तो वह उससे गुजर भी कर लेगा और परिवार के लोगों को बेकार रहना भी नहीं पड़ेगा। आज हमारे प्रान्त के प्रति ग्राम के परिवारों की संख्या ६४ है। ऊपर के हिसाब से हम ५५ परिवार को ही जमीन दे सकते हैं। बाकी परिवारों के लिए दूसरा काम निकालना होगा।

फसल का वँटवारा—अब प्रश्न यह है कि जमीन की फसल को किस तरह बाँटें जिससे हमारे आवश्यक कुल अनाज मौजूदा खेत से

मिल सकें। इस तरह अनाज के लिए जमीन का बँटवारा करते समय एक बात का ध्यान रखना जरूरी है। हम जब तमाम जमीन की अधिक से अधिक जोताई करेंगे तो जमीन की ताकत पर काफी जोर पड़ना अवश्यम्भावी है। इससे जमीन का थक जाना स्वाभाविक है। ऐसी हालत में हमें हर साल बारी-बारी से कुछ जमीन परती छोड़नी पड़ेगी।

हमारे प्रान्त में प्रति ग्राम ३४७.८ एकड़ जमीन है। मैंने यह भी कहा है कि हमें इसी जमीन में परती भी छोड़ना है और आज जितने अनाज की कमी है उसे भी इसी में पैदा करना है। यह किस प्रकार सम्भव होगा उसके हिसाब की एक तालिका बनाकर भेज रहा हूँ।

इस तालिका में मैंने कुल ४२.७५ एकड़ जमीन परती छोड़ने का प्रस्ताव किया है यानी ५॥॥ साल में एक बार हर जमीन की बारी आयेगी। इसके अलावा जिस जमीन पर सिर्फ एक फसल मूँग और उर्द की ही लेने का प्रस्ताव है वह भी परती का काम करेगी। क्योंकि उर्द और मूँग जमीन की ताकत बढ़ाते ही हैं, घटाते नहीं। इस हिसाब से (४२.७५ + १२) यानी ५४.७५ एकड़ भूमि हर साल परती रूप में रहेगी। इसी तरह तिल के ३ एकड़ और चरी के ५.५ एकड़ को भी एक फसल के बाद परती छोड़ा है। इस तालिका से मालूम होगा कि २३२ एकड़ जमीन पर दो फसल की उत्पत्ति होंगी। तालिका पर विचार करते समय एक और बात पर ध्यान रखना है। मैंने जो फसल का बँटवारा किया है वह प्रान्त के पूर्व के आधे जिलों की खेती के अनुभव से ही किया है। वास्तविक योजना बनाते समय यह हिसाब प्रत्येक जिला, तहसील और परगना के लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा। मेरा हिसाब केवल इस बात का संकेत करता है कि हम किस प्रकार से किस दृष्टि से अपनी खेती की व्यवस्था करें। इस तालिका को समझने में शायद तुमको कुछ मुश्किल पड़े। लेकिन तालीमी संध के काम का संचालन करते-करते रिपोर्ट और चार्टों को देखने की तो आदत पड़ गई होगी। यही सांचकर इतनी व्योरेवार तालिका भेजने

का साहस किया है :—

फसल की जमीन पर बँटवारा तथा उत्पत्ति (प्रति ग्राम)

मुख्य फसल			दूसरी फसल		
अनाज	एकड़	पैदावार	अनाज	एकड़	पैदावार
चावल (भदई)	५३	५३०५	चना	४६	४८३५
			मटर	७	७३१५
			सरसों	५३	१०६५
चावल (अचनी २३.३)	२३.३	२३२५	जव केराई	२३.२	३२४११५
मकई	२८.५	३८६१५	पटुआ	२८.५	१७५
			बरे	२८.५	२८१५
			सरसों	१७.५	३५५
			जव	१७.५	२३६१५
			जव केराई	११.०	१५५
अरहर	१७.२	२०७५	उर्द	१७.२	८१५
			चावल	॥	१२८५
			सावाँ	॥	५५५
			काँदी	॥	६८५
			रेड़ी	॥	१७५
अनाज	एकड़	पैदावार	अनाज	एकड़	पैदावार
जुआर	८.४	५६५	उर्द	८.४	५६५
बाजरा	२३	११५५	मटर	२३	२४११५
			सरसों	२३	४६५
तौरी (सरसों)	३२	२४०५	जव केराई	२५	३५०५
			आलू	७	७००५
मूँग	६	५४५
उर्द	६	५४५

कपास	६	८१५	जव केराई	६	८४५
चरी	५.५	८४५
गेहूँ	६५	८४५५	उर्द की चरी	३०	...
			अलसी	६५	६५५
			(गेहूँ के साथ)		
मसाला	५	४०५
ईख	२२	५५.००५	{ सन	११	११५
			{ तोरी	११	१७५
तम्बाकू	१.२५	२६५
तिल	३	२१५
परती	४२.७५				

जोड़ ३४७.८ एकड़

२३२.३ एकड़

कुल पैदावार

कुल पैदावार

अनाज	पैदावार
चावल	८६०५
मकई (जुन्हरी)	३८६१५
अग्रहर	२०७५
ज्वार	५६५
बाजरा	११५५
तोरी (सरसों)	३१७५
सरसों	१८७५
मूंग	५४५
उर्द	१२ १,११५
कपास	८१५

अनाज	पैदावार
तिल	२१५
चना	४८३५
मटर	३१५५
जव केराई	६१२११५
पटुआ सन	२८५
जव	२३६१५
बरे	२८१५
सावा	५५५
कोदो	८८५
रेड़ी	१७५

जमीन का बँटवारा

६७७

गेहूँ	८५४५	आलू	७००५
मसाला	४०५	अलसी	६५५
ईख	५५००५	लकड़ी, रेड़ी, अरहर	
तम्बाकू	२६५	आदि के सामान	१०००५

उपर्युक्त पैदावार से प्रान्त की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होकर भी कुछ बढ़ती रह जायगी। उसे हम उन प्रान्तों को भेज सकेंगे जहाँ अनाज की कमी रहेगी। इस हिसाब से हमें प्रति गाँव निम्नलिखित मात्रा में अनाज प्राप्त होगा।

अनाज	उत्पत्ति	अनाज	उत्पत्ति
चावल	८६०५	गेहूँ	८५४५
जोन्हरी	३८६१५	चना	४८३५
अरहर	२०७५	मटर	३१५५
ज्वार	५६५	जव केराई	६२१११५
बाजरा	११५५	जव	२३६१५
मूंग	५४५	सांवा	५५५
उर्द	१२११५	कोदो	८८५
	<u>१८३२११५</u>		<u>२६३५५</u>

कुल जोड़

४७६७११५

अर्थात् नई योजनानुसार प्रान्त भर के अनाज की उपज ४८,८१,७०,३८८५ मन की होगी। और हमारे प्रस्ताव के अनुसार हमें ४५,७५,८१, ६७२५ मन अनाज की आवश्यकता है। इस प्रकार ३, ०५, ८८, ४१६५ मन अनाज हम प्रति वर्ष उन प्रान्तों को भेज सकेंगे जहाँ अनाज की कमी हो।

मैंने पहले ही कहा था कि खेती में पैदावार बढ़ाने के लिए सहयोग के सिद्धान्त पर सम्मिलित खेती करनी आवश्यक है। अतः इन ५५ परिवारों की सहयोग समिति बनाने की चेष्टा करनी होगी। इन समितियों का क्या रूप होगा, क्या विधान तथा नियम होगा,

सरकार के निरीक्षण तथा शासन का क्या रूप होगा, इत्यादि बातें वैज्ञानिक पंडितों के लिए छोड़ देना ठीक होगा। फिर इस समय इन बातों का व्योरा बनाना भी कठिन है। समय आने पर उस समय की जनता के दृष्टिकोण तथा मानसिक स्थिति को देख कर ही संघटन की रूपरेखा बनाई जा सकती है। फिलहाल हमारे काम के लिए इतना कह देना काफी होगा कि उक्त ५५ परिवार अपनी जमीन समिति की जमीन में अपने हिस्से के रूप में जमा रखेंगे। हल आदि सामान भी समिति का हो लेकिन वैल सदस्य खुद पालें और काम के समय हाजिर करें। वैल की मजदूरी भी निर्धारित की जा सकती है। लेकिन यह भी संकेत मात्र है। मैं इस समय किसी बात का नियम निश्चित करना नहीं चाहता और न ऐसा करना अभी सम्भव ही है।

५५ परिवार के आदमी मिल कर किस तरह खेती का काम करेंगे और उनके और वैलों के लिए कितने दिन का काम खेती में लग जायगा, इसका हिसाब का ही दिलचस्प होगा। प्रत्येक फसल का अलग अलग हिसाब तुम्हारी जानकारी के लिए भेज रहा हूँ। इसमें जो थोड़े दिन लड़कों का काम दिखाई देता है वह उनकी पाठशालाओं के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। वे अपने शिक्षक के साथ काम करेंगे, जिससे शिक्षक खेती के काम के साथ उन्हें विविध पाठ की शिक्षा दे सकें। यह बात तुमको पसन्द आवेगी क्योंकि यह तुम्हारी वैसिक शिक्षा-प्रवृत्ति के अनुरूप होगी।

परिवारों के लोगों को किस तरह काम बांटा जाय, इसको तय करने के पहले इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किसान परिवारों में कितने आदमी काम करने लायक होंगे। मैं सन्तम आवादी १६ से ६० साल तक के लोगों की ही कहूँगा। यह सच है, कुछ लोग ६० से बहुत ज्यादा उम्र तक कार्यक्षम रहते हैं लेकिन उनको गृहस्थी के दूसरे फुटकर कार्य के संचालन आदि काम के लिए छोड़ कर ही अपना हिसाब करना ठीक होगा। इस प्रकार ५५ परिवारों के

कुल २७४ आदमियों में :—

६० साल से अधिक बूढ़े-बूढ़ियाँ	१७
१६ साल से ६० साल तक प्रौढ़ पुरुष	७६
” ” ” प्रौढ़ स्त्रियाँ	७३
६ से १५ तक के लड़के	३६
६ से १५ तक की लड़कियाँ	३४
बच्चे	२०
वन्धियाँ	१८

होंगे। हल के लिए बैल और भैंसों की संख्या ७४ होनी चाहिए, यह मैं पहले ही बता चुका हूँ। ७६ पुरुषों में से मन्शियों के लिए ८ और विभिन्न फुटकर काम के लिए ३ पुरुष अलग रहेंगे। इस तरह खेती के लिए ६५ पुरुष प्राप्त होंगे।

६५ पुरुष, ७३ स्त्रियाँ और ७४ बैलों को निम्नलिखित हिसाब से काम करना होगा। किसानों के लड़कों के अलावा पाठशाला के कुल लड़के खेत में काम करेंगे। इस तरह १२२ लड़के काम के होंगे।

माह जैठ	आदमी	बैल
निरवाई (खेत की दूबादि घास साफ करना)		
२७१.४ एकड़	२१७	X
खाद ढोआई—१७५.६ एकड़ (१५ गाड़ी प्रति एकड़ के हिसाब से २६३४ गाड़ी, १ गाड़ी ६ बार प्रति दिन = ४३६ गाड़ी)	८७८	८७८
जोताई—मकई, कपास, उर्द की चरी ६४.५ ए० (४ बाँह) प्रति हल से जोताई ४ एकड़ प्रति दिन	३२३	६४६
सिंचाई—६४.५ एकड़ (प्रति रहट ३ आदमी ४ बैल से १॥ एकड़)	१२६	१७२
धुरदहानी (जमीन को हल से फाड़ना) मकई २८.५ एकड़ १४		२८
	<u>जोड़ १५६१</u>	<u>१७२४</u>

अषाढ़

	आदमी	वैल
वेहन अघनी धान १ एकड़ जोताई बोआई ४ बाँह	५	१०
जोताई खेत अघनी धान ३३*२ ए० १ बाँह	२६	५८
भदही जोताई बोआई ३ बाँह ५३ एकड़	२००	४००
भदही हेंगाई वेदहनी	८०	१६०
जोताई ३ बाँह—उद, मूँग, ज्वार, चरी, वाजरा, उर्द की चरी (परती में) और तिल—		
६३*६५ एकड़	३५१	७०२
हल्दी अदरक—२ एकड़ ६ बाँह जोताई + बोआई + सोहनी	{ ५० ३६	{ — २४
अरहर जोताई बोआई १७*२ एकड़	५५	११०
सनई गेहूँ + गन्ना के खेत में ४६ एकड़	११५	२३०
अरहर वेदहनी १७*२ एकड़	६	१८
कपास मकई गोड़ाई २ वार ३४*५ एकड़ (१ एकड़ ८ आदमी १ वार)	५५२	—
	<u>जोड़ १४८२</u>	<u>१७१२</u>

सावन

	आदमी	वैल
अघनी धान जोताई २३*२ एकड़	२६	५८
अघनी धान बोआई २३*२ एकड़	२८०	—
सोहनी-भदोही धान, अरहर, ज्वार, वाजरा, उर्द, मूँग, अदरक, हल्दी तिल (२ वार)	३७६५	—
तम्बाकू जोताई ४ वार १*२५ ए०	६	१२
सनई उलटना ४६ एकड़	५८	११६
	<u>जोड़ ४१६८</u>	<u>१८६</u>

(१२२ लड़के = ८२ आदमी समझ कर) आदमियों में १६३८ पु०
१३०० स्त्रियाँ, १८३० लड़के ।

भादों

	आदमी	वैल
गेहूँ का खेत जोताई ४ वाँह ६५ एकड़	३२५	६५०
भदही धान सोहनी ५३ एकड़	२६५	—
मकई रखवाली (बूढ़ों से यह काम हो सकेगा)	—	—
तोरी (सरसों) जोताई, बोआई ४३ एकड़	२१५	४३०
तम्बाकू जोताई २ वार १*२५ एकड़	३	६
शामा (अरहर की) कटाई १७*२ एकड़	१०३	—
जोड़ ६११		१०८६

कुआर

	आदमी	वैल
जोताई खेत गेहूँ ४ वाँह ६५ एकड़	३२५	६५०
कटाई भदई ५३ एकड़	५३०	—
दँवाई भदई ५३ एकड़	१३५	१६२
मकई कटाई २८.५ एकड़	१४३	—
धान, कोदो, तथा उर्द (अरहर की) कटाई १७*२	१३८	—
धान, कोदो तथा दँवाई	४५	४५
जोताई तम्बाकू १*२५ एकड़ २ वाँह	३	६
भदोही के खेत की जोताई ५३ एकड़ २ वाँह	११२	२२४
खाद ढोआई ७२*२५ एकड़	३६८	३६८
जोड़ १७६६		१४२४

कपाम चुनाई ६ एकड़ ३ वार ७२ स्त्रियाँ, ७२ लड़के

१७६६ आदमी = १४६६ पुरुष ३७२ स्त्रियाँ

जोड़ १४६६ पुरुष ३७२ स्त्रियाँ ७२ लड़के

कातिक	आदमी	वैल
तोरी कटाई ४३ एकड़ + दँवाई	{ ५५ ४३०	६६ —
जोताई—गेहूँ, चना, मटर, जव, तम्बाकू		
१३६*७५ एकड़ + जव केराई ११ ए० ४ बाँह	७३८	१४७६
तम्बाकू बोआई	३१	—
आलू जोताई ६ बाँह ७ एकड़ + बोआई	२२८	१०६
आलू मिट्टी चढ़ाई न सिंचाई (२ वार)	१४२	४०
हल्दी अदरक २ एकड़ खोदाई	२५	—
मसाला ३ ए० जोताई बोआई तथा सोहनी		
केपास चुनाई ६ एकड़ ५ वार १८० खियाँ,		
१५० लड़के	५४	४
<hr/>		
जोड़	१८० खियाँ	१५० लड़के,
	१७०३	१६६२

अगहन

सिंचाई—गेहूँ, चना, मटर- जव, आलू,	आदमी	वैल
तम्बाकू जव केराई १५४*७५ एकड़	३६०	४१२
कटाई—अधनी धान, ज्वार और वाजरा		
५४*६ एकड़	५४६	—
दँवाई अधनी धान २३*२ एकड़	६०	७२
दँवाई ज्वार वाजरा ३१*४ एकड़	४०	४८
जोताई ६ बाँह—उर्द, मटर और जव कराई		
५६*८ एकड़	४२२	८४४
खाद ढोआई ३४*२ एकड़ (८५ गाड़ी)	१७०	१७०
तिल कटाई ३ एकड़	२४	—
तिल दँवाई ३ एकड़	५	६
जोताई २ बाँह तिल का खेत और ईख १४ ए०	३५	७०
जोड़	१६११	१६२२

पूस

	आदमी	बैल
जोताई बोआई जव केराई ४ बार २६.२ ए०	१४६	२६२
सिंचाई—गेहूँ, मटर, जव, जव केराई, चना, आलू, तम्बाकू = २२०.६५	४४१	५८८
ईख × १ एकड़ कटाई छिलाई	२००	—
ईख पेराई २५ दिन १०० स्त्री	२००	२००
जुन्हरी पिटाई २८.५ एकड़ की	१७१	—
चरी खेत ५ एकड़ की जोताई २ बाँह	१२	२४
<u>जोड़ १०० स्त्री ११७० ११०४</u>		

माघ

	आदमी	बैल
आलू तम्बाकू सिंचाई ८.२ एकड़	१८	२४
ईख कटाई छिलाई	२००	—
ईख पेराई २५ दिन १०० स्त्रियाँ	२००	२००
जोताई २ बाँह ११ एकड़	२८	५६
<u>जोड़ १०० स्त्रियाँ ४४६ २८०</u>		

फागुन

	आदमी	बैल
आलू तम्बाकू सिंचाई ८.२५ एकड़	१८	२४
गन्ना कटाई छिलाई	२००	—
गन्ना पेराई २५ दिन १०० स्त्रियाँ	२००	२००
गन्ना जोताई ११ एकड़	४२	८४
गन्ना बोआई ११ एकड़	४४	६६
पिछले गन्ने (पेड़ी) की जोताई ११ एकड़ ३ बार	१४	२८
मटर कटाई ७ एकड़	५६	—

मसाला कटाई खोदाई २*५ एकड़	६३	—
जोड़	१००	लियाँ ६३७ ४०२

चैत

	आदमी	वैल
कटाई—गेहूँ, मटर, जव केराई, चना, जव	१७३४	—
आलू गोड़ाई तम्बाकू कटाई ८*२५ एकड़	६६	—
अरहर कटाई १७.२ एकड़	१०३	—
गन्ना सिंचाई ११ एकड़	२४	३२
तम्बाकू सिंचाई १*२५ एकड़	३	४
उर्द कटाई ८*४ एकड़	६७	—
जोड़	२०३०	३६

वैशाख

	आदमी	वैल
दँवाई जव केराई ११ एकड़	२८	३३
दँवाई—मटर, चना, जव केराई १३०*२ एकड़	३२५	३६०
दँवाई गेहूँ ६५ एकड़	६७५	११७०
दँवाई जव १७.५ एकड़	१७५	२१०
दँवाई अरहर १७*२ एकड़	१३७	—
दँवाई उर्द ८*४ एकड़	२०	२४
तम्बाकू कटाई १*२५ एकड़	१५	—
गन्ना सिंचाई ११ एकड़ २ वार	४५	६०
जोड़	१७२०	१८८७

कुल काम के दिन (कुल पुरुष ६५, कुल लियाँ ७३, कुल वैल ७४, कुल लड़के १२२)

जमीन की वँटवारा

६८५

माह	पुरुष	कुल हाजिरी	लड़के	बैल
जेठ	१५६१	—	—	१७२४
अषाढ़	१४८२	—	—	१७१२
सावन	१६३८	१३००	१८३०	१८६
भादों	६११	—	—	१०८६
कुआर	१४६६	३७२ (बड़े लड़के) ७२	—	१४६४
कातिक	१७०३	१८० (बड़े लड़के) १५०	—	१६६२
अगहन	१६११	—	—	१६२२
पूस	११७०	१००	—	११०४
माघ	४४६	१००	—	२८०
फागुन	६३६	१००	...	००२
चैत	१५२२	१६	७३२	३६
वैशाख	१७२०	१८८७

सक्षम लोगों के काम के दिन

माह	पुरुष	स्त्री	लड़के	बैल
जेठ	२४	२३.३
अषाढ़	२३	२३.०
सावन	२५	१८	१५	२.५
भादों	१४	१४.७
कुआर	२३	५	(बड़े) १	१६.४
कातिक	२६	२.५	(बड़े) २	२३.०
अगहन	२५	२२.०
पूस	१८	१.४	...	१५.०
माघ	७	१.४	...	४.०
फागुन	१०	१.४	...	५.५
चैत	२६.५	.२	६	५

वैशाख	२६.५	२१.५
जोड़	२४५	२६.६	कुल २१	१७८.४
			बड़े ३	

इस हिसाब से ५५ परिवार के पुरुष, स्त्री और बूँतों के साल भर में काम के तथा खाली दिन इस प्रकार रहेंगे।

	काम के दिन	खाली दिन
पुरुष	२४५	१२०
स्त्री	३०	३३५
बूँत	१७६	१८६

विद्यालय के कुछ लड़के और लड़कियाँ सावन में १५ दिन और चैत में ६ दिन पढ़ाई बंद करके खेती में काम करेंगे। बड़े लड़के और लड़कियाँ इसके अलावा ३ दिन और काम करेंगी। इसके अलावा वे विद्यार्थी, जो अपने विद्यालय के पाठ्यक्रम में बुनियादी दस्तकारी खेती की मार्फत विद्याभ्यास करेंगे, खेती में और अधिक समय काम करेंगे क्योंकि सीखने के लिए उन्हें खेती की सभी क्रियाओं में शामिल रहना पड़ेगा। मैंने उनके काम की हाजिरी शामिल नहीं की है। कारण यह है कि अभी उनकी संख्या की कल्पना करना व्यर्थ है। वे जितने दिन काम करेंगे उतने दिन किसान परिवार के दूसरे लोगों को थोड़ी सहूलियत हो जायगी।

प्रश्न यह उठता है कि क्या ये खाली दिन लोगों को बेकार काटने होंगे या इस समय वे दूसरे काम भी कर सकते हैं। कुछ समय तो घर-गृहस्थी के फुटकर काम में लग जायगा। थोड़ा समय बीमारी, अतिथि-सेवा, अनुष्ठानादि में खर्च होगा। बाकी समय में वे विभिन्न प्रकार के गृह-उद्योगों में लग जायेंगे। गृह-उद्योग से मेरा मतलब क्या है, यह मैंने पहले पत्र में विस्तार से लिखा था। अगर इस समय याद नहीं आता है तो देख लेना। इस प्रकार गृह-उद्योगों में काम का दिन नीचे लिखे हिसाब से रहेगा—

गृह-उद्योग के काम के दिन

उद्योग	हाजिरी		वैल
	पुरुष	स्त्री	
१—अनाज पिसाई वैल चक्की से ८२५ आटा	१६५	...	३३०
२—धान कुटाई ८२५ धान १००५ सावाँ (५ प्रतिदिन २ पुरुष २ स्त्रियों से)	३७०	३७०	...
३—धान छँटाई	१३५	१३५	...
४—ईंट का भट्टा ३ लाख ईंट के लिए (५०० ईंट पथाई और १२०० ईंट के भट्टे पर लगाई प्रति व्यक्ति प्रतिदिन)	८००
	जोड़ १४७०	५०५	३३०

अर्थात् गृह-उद्योगों में पुरुष २३ दिन, स्त्रियाँ ७ दिन और वैल ५ दिन लगे रहेंगे। इसके उपरान्त दूसरे कार्य-क्रमों में भी पुरुष और स्त्रियाँ लगी रहेंगी; उनका व्योरा नीचे लिखे अनुसार हो सकता है।

कार्यक्रम का व्यौरा

काम के दिन

	काम के दिन	
	पुरुष	स्त्री
खेती में आकस्मिक कार्य	५	...
मकान-निर्माण मरम्मत आदि निर्माण-सम्यन्धी कार्य	१६	५
मेंड़ बँधाई	१२	...
लकड़ी काटना, चीरना तथा ढोना	१०	...
अनाज ढुलाई बाजारों को वैलगाड़ी से	५	...
अनाज तथा अन्य सफाई	...	१५
अतिथि-सत्कार	२०	५
त्यौहारादि	१५	२०
बीमारी तथा सुश्रूपा	१०	३०

प्रसूति-गृह	...	१०
अन्य फुटकर	४.	५
जोड़	६७	६०

इस प्रकार पुरुषों का पूरा समय व्यवस्थित हो जाता है लेकिन स्त्रियाँ फिर भी २३८ दिन खाली रहेंगी। ये २३८ दिन वे चर्खों से सूत कातेंगी। लड़कों में १२२ लड़के २१ दिन खेती में काम करेंगे, २७० दिन विद्यालय के दिन और बाकी ७४ दिन सफाई तथा आराम के दिन होंगे।

मैंने तमाम काम की गति आज की गति के हिसाब से ही लगाई है। हमें इन तमाम संघटनों को पूरा करने के लिए १५ साल तो लग ही जायँगे। उतने दिन संघटित कार्य करते रहने से जनता की कर्म-शक्ति, योग्यता तथा गति की वृद्धि होगी। तब इससे कम दिनों में ही ये सब काम हो जायँगे लेकिन मैं इससे अधिक काम का प्रस्ताव इन ५५ परिवार के लोगों के लिए नहीं करूँगा। जब हमारी योजना ग्रामवासी की सर्वतोमुखी उन्नति की ओर होगी तो शिक्षा, कला तथा संस्कृति की उन्नति होगी। ऐसी हालत में लोग खेती से बचे समय को सहूलियत के साथ इन चीजों में लगायँगे। खेती की विभिन्न प्रक्रियाओं की गति में वृद्धि होने पर बैलों के खाली दिन भी बढ़ेंगे ही। अब भी खेती के काम के अलावा १८६ दिन उनको बचते हैं। बैलगाड़ी, चक्की आदि और कुछ अन्य फुटकर कामों में ३० दिन तथा महीने में ५ दिन के हिसाब से आवश्यक आराम के ६० दिन घट कर भी ६६ दिन खाली रहते हैं। क्रमशः ग्राम-उद्योग की उन्नति के साथ बैलों के खाली दिन भी उद्योग में लगते जायँगे। इस प्रकार उन ५५ परिवारों तथा उनके पशुओं के कुल समय का उचित उपयोग मौजूदा जमीन पर खेती तथा कुछ गृह-उद्योग के काम में हो जायगा।

पशुओं का प्रश्न—खेती से पशुओं का सम्बन्ध इतना घनिष्ठ

है कि इन पर विचार अभी कर लेना ठीक होगा। प्राचीन काल से भारत में गोधन का बहुत महत्व रहा है। लोगों के पास जंगल काफी थे। चारागाह की भी कमी नहीं थी। अतः लोग जी भर कर गोपालन करते थे। एक-एक हल के लिए कई बैल रखते थे जिससे वे आराम से बैठे रहें। गोजाति के कारण मनुष्य को अन्न मिलता था, दूध-त्री मिलता था इसलिए उस भावना-प्रधान युग में मनुष्य कृतज्ञता से जितना आराम गाय-बैल को दे सकते थे, देते थे। यह भावना आज भी विस्तृत क्षेत्रों में फैली है। केवल जनता में ही ऐसी भावना का प्रसार है, ऐसी बात नहीं। अर्थ-शास्त्र के पंडितों की राय में भी आज जितने बैल हैं उन पर अधिक बोझ पड़ता है और बैलों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। श्री राधाकमल मुर्जी ने भी अपने “लैंड प्रवलम्स आफ इंडिया” में बैलों की संख्या में घटती देख कर अफसोस जाहिर करते हुए कहा है “पहले जमाने में एक हल के लिए चार बैल की जरूरत समझी जाती थी लेकिन वह संख्या अब तीन और बहुत से स्थानों में २ पर आ गिरी है। नतीजा यह हुआ कि बैलों को अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता है।” किन्तु मेरा अनुभव इसके विपरीत ही है। मैंने देखा है, देहातों में बैल अधिकांशतः खाली ही रहते हैं। पिछले पत्र में एक हिसाब से बताया भी है कि हमारे बैल अधिकतर खाली रहते हैं। उक्तप्रान्तीय खेती सुधार कमेटी १९४२ की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि “किसान मुश्किल से साल में तीन माह बैलों को इस्तेमाल करता है और उन्हें ६ माह बैठा कर खिलाता है।” मेरी राय में यह भी कुछ अतिरंजित है। लेकिन चाहे जिस तरह से जाँच करो इस प्रान्त में ४-५ माह से ज्यादा बैलों के लिए काम नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि किसी के पास जरूरत से ज्यादा बैल हैं। कोई बैल बिना जोत नहीं पाते हैं। अतः अतिरिक्त परिश्रम केवल उन्हीं के बैलों को होता है जिनके पास खेत के अनुपात से बैल कम हैं। लेकिन किसी राष्ट्रीय समस्या को हल करते समय तुमको अपना

को नहीं देखना है। हमें तो औसत स्थिति को देख कर ही विचार करना है। अगर प्रान्त भर के कुल बैलों का हिसाब लगाओ तो देखोगी कि समस्या यह नहीं है कि हम बैलों की संख्या किस प्रकार बढ़ावें, बल्कि यह है कि जितने बैल हैं उनको काम क्या दिया जाय। यही कारण है कि मैंने अपनी योजना में प्रति ग्राम ६० बैलों के स्थान पर ७४ बैल रखने का प्रस्ताव किया है। और उसने में ही किस तरह हमारा काम पूरा हो जाता है, उसका भी हिसाब बताया है। बैलों की कर्म शक्ति किस प्रकार बढ़ाई जाय और नस्ल-सुधार के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए, यह मैं पहले भी लिख चुका हूँ। विस्तार से इस सवाल पर भी प्रकाश डाल चुका हूँ कि दूध के लिए भैंस और जोतने के लिए बैल रखने से हमारा काम चलेगा या नहीं। इस प्रश्न पर मैंने अपनी निश्चित राय जाहिर कर दी है। तदनुसार अपनी योजना में प्रति ग्राम की भैंस की संख्या घटाई है। आज जहाँ एक गाँव में औसत ३५ भैंसें हैं वहाँ मैंने २४ ही रखी हैं। यह भी व्यावहारिकता के नाते मौजूदा परिस्थिति से समझौता ही किया है। कोशिश इस बात की करनी होगी कि यह संख्या भी कम हो जाय। प्रान्त में चरने के लिए कितनी कम भूमि है, मालूम ही है। खेती में का कितना हिस्सा जानवरों के लिए छोड़ा जा सकता है, यह भी तुमने देख लिया। अब बताओ भैंसों के उपरान्त कुल गौओं को रख कर क्या खिला कर जिलाओगी। गौओं को ठीक से न जिला सकने से अच्छे बैल मिलना असम्भव है।

प्रश्न यह रह जाता है कि बैलों की संख्या बढ़ाई कैसे जाय ? दूध देने वाली गौओं की संख्या बढ़ने पर गोजाति की आवादी तो बढ़ेगी; घटेगी कैसे ? हाँ, यह सवाल कुछ जटिल जरूर है और इस विषय में प्रयाग की काफ़ी गुंजाइश है। आजकल विशेषज्ञों की राय अलग-अलग हैं। कुछ लोगों की राय में ग्राम के औसत दूध की वृद्धि दो तरह से हो सकती है, उचित आहार से और दूध देने की अवधि की

वृद्धि करके। अगर दूध देने की अवधि बढ़ती है तो गौएँ आज जिस हिसाब से बच्चे देती हैं उसमें कमी हो जायगी। कुछ लोग कहते हैं कि दूध देने की अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती। मेरे जैसे सामान्य ग्राम-सेवक के लिए इन विशेषज्ञों की राय का विचार करना मुश्किल है। इस प्रश्न पर मेरा निजी अनुभव भी विशेष कुछ है नहीं। लेकिन अगर हमें देहातों के आर्थिक प्रश्नों को हल करना है तो पशुओं की आवादी सीमित करनी ही पड़ेगी। इसके लिए भावी राष्ट्रीय सरकार को विशेष रूप से प्रयोग करना होगा। दूध देने की अवधि बढ़ा सकने पर तो स्वभावतः पशुओं की संख्या कम होती जायगी। मालूम नहीं इस लड़ाई ने क्या परिस्थिति पैदा कर रखी है। अखबारों में फौजों के खाने के लिए बैलों की हत्या के विरुद्ध आन्दोलन देखने को मिल रहा है। सम्भवतः लड़ाई के बाद हमको दूसरी स्थिति का सामना करना पड़े। उस समय बैलों की अधिकता के स्थान पर सम्भवतः कमी ही हो। अतः इस विषय पर कोई निश्चित योजना की कल्पना करना इस समय सम्भव नहीं।*

बाग जंगल—ऊपर बताये हिसाब से हमने अनाज, तेल, मीठा और दूध की आवश्यकता पूरी करने की चेष्टा की। फल और लकड़ी की समस्या बाकी रहती है। हमें प्रति गाँव ५६८५ मन फल की आवश्यकता है। वैसे तो बहुत किस्म के फल इस प्रांत में हो सकते हैं लेकिन आमतौर से निम्नलिखित फल से हमारा काम चल सकेगा :—

आम, कटहल, पपीता, गूलर, खिन्नी, फालसा, खजूर, जामुन लीची, वेल, आंवला, वैर, नाशपाती, अमरूद, केला, महुआ, नींबू, अनार, आड़ू, इत्यादि।

इनमें पपीता, केला, वेल आदि लोग अपने घर के साथ लगा

*लड़ाई में काफी गोधन नष्ट हो जाने के कारण और आज उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक अच्छी खेती की आवश्यकता होने के कारण अनेक स्थानों पर बैलों की कमी महसूस हो रही है।

सकते हैं। बाकी के लिए बाग की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ आज जितने बाग हैं उन्हें ठीक करके और घरों के साथ थोड़े पेड़ लगाकर फल की समस्या हल हो सकेगी। इसके लिए अलग बढ़ती जमीन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी दो एकड़ प्रति ग्राम फल के लिए और अलग करना ठीक होगा।

पिछले पत्र में भोजन-सामग्री की तालिका देखने से मालूम होगा कि खाना बनाने के लिए करीब ६०००) मन की लकड़ी की आवश्यकता प्रति ग्राम हर साल होगी। इसके अलावा मकान बनाने के लिए तथा घरेलू असस्त्रात्र और उद्योग के औजार के लिए लकड़ी भी चाहिए। आज प्रान्त के कुल क्षेत्रफल ५.८% जमीन पर जंगल मौजूद हैं। इस हिसाब से कुल जंगल का क्षेत्रफल ६१६२ वर्गमील = ३६,४३६६० एकड़ होगा। काम की लकड़ी के अलावा ईंधन के लिए एक एकड़ से प्रति वर्ष १५ मन लकड़ी तो अवश्य मिल जायगी। इस प्रकार जंगलों से लगभग ६ करोड़ मन ईंधन मिल सकेगा। जंगल से दूर के देहातों के लिए तो स्थानीय व्यवस्था लकड़ी के लिए करनी होगी। अब देखना है देहातों में प्रति ग्राम ऐसी कितनी जमीन है जिस पर जंगल लगाया जा सकेगा। पिछले पत्र में मैंने जो जमीन का हिसाब भेजा था उसमें देखोगी कि खेती के अलावा प्रति ग्राम निम्न-लिखित जमीन काम में आ सकती है।

१—आसानी से खेती हो सके ऐसी जमीन ३२.३ एकड़

२—खेती लायक परती ६४.० ”

३—खेती लायक ऊपर ४६.८ ”

गाँव में जो ६०००) मन लकड़ी की आवश्यकता होगी उसमें १०००) मन बाग और खेती के जरिए मिल जायगी। बाकी के लिए बबूल, पलाश आदि के जंगल लगाने होंगे। मैं बबूल लगाने का विशेष पक्ष-पाती हूँ। हमारे देहातों में चमड़ा पकाने के उद्योग का खेती के साथ अनिष्ट सम्बन्ध है। अतः गाँव-गाँव इस उद्योग के प्रसार की विशेष

सम्भावना है। बबूल की छाल चमड़ा पकाने का एक मुख्य साधन है। फिर बबूल बहुत से ऊसरों में भी हो जाता है। जहाँ बबूल न हो सके वहाँ पलाश का पेड़ ईंधन का अच्छा काम देता है। मैंने देखा है बबूल के पेड़ जो लोग लगाते हैं वे एक एकड़ में करीब २०० पेड़ लगाते हैं। दस साल में काटकर दूसरे पेड़ लगाने पड़ते हैं। किसान तीन साल में एक चार उनकी डालियाँ काट देते हैं। इस प्रकार डालियों से प्रति पेड़ ३५ मन लकड़ी १० साल में मिल जाती है। फिर दस साल बाद पेड़ कटाने पर छाल के अलावा ७८ मन लकड़ी प्रति पेड़ से मिल जाती है। इस तरह दस साल में १०० मन लकड़ी प्रति पेड़ से मिल जाती है। पलाश का भी पड़ता करीब उतना ही पड़ता है केवल उसमें छाल की कीमत नहीं मिलती है। इस हिसाब से २००० मन लकड़ी के लिए हमें एक एकड़ का जंगल लगाना होगा। इस हिसाब से २५ एकड़ भूमि पर जंगल लगाने की आवश्यकता होगी। ईंट के भट्टे आदि और काम भिन्नकर प्रति ग्राम कुल ३० एकड़ भूमि पर जंगल लगाना पड़ेगा। यह जंगल जहाँ तक सम्भव हो उन ऊसरों पर लगाना चाहिए जहाँ बबूल पलाशादि लग सकें। बाकी दूसरी जमीन पर लगाना होगा।

वस्त्र का प्रश्न—अब तक मैंने गाँव वालों की भोजन-सम्बन्धी सामान की आवश्यकता और उसे पाने का मार्ग बताने की चेष्टा की है। लेकिन केवल भोजन से ही हमारे जरूरतें पूरी नहीं होती। मनुष्य मात्र को दूसरी आवश्यकताएँ भी तो होती हैं। हमने खाने के लिए जो हिसाब बताया है दूसरी चीजें भी उसी अनुपात से जरूरी हैं। अन्न के बाद वस्त्र और आश्रय पर विचार करना आवश्यक है। आज भारत में प्रति मनुष्य को १३ गज औसत कपड़े मिलते हैं। शहर का घटाकर १० गज से अधिक गाँव के प्रति मनुष्य को नहीं मिलता। इसके स्थान पर मैं चाहता हूँ कि लोगों को निम्नलिखित हिसाब से कपड़ा मिले।

प्रति बालिग

३२

गज

वार्षिक

प्रति लड़का	२०	गज	वार्षिक
प्रति लड़की	२२	गज	वार्षिक
” बच्चा	४	”	”

बच्चों के लिए मैंने ४ गज की आवश्यकता बताई है। कारण यह है कि खादी की धोती साड़ियाँ फट जाने पर भी उनके हिस्से बच्चों के कपड़ों में काम आते हैं। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जो बच्चों के करीब सब कपड़े बड़ों के फटे कपड़े से ही बना लेते हैं। केवल खास शौकीनी कपड़े नये खरीदते हैं। मेरा अन्दाज यह है कि पुराने कपड़ों के साथ ४ गज नये कपड़े से बच्चों का काम अच्छी तरह चल जायगा। इस विषय पर तुम अपनी राय लिखना। शायद तुम्हारी राय सही हो। इस हिसाब से गाँव भर के लिए निम्नलिखित परिमाण में कपड़े की आवश्यकता होगी :-

२८२	बालिगों के लिए	६०२४ गज
६२	लड़कों के लिए	१२४० ”
६०	लड़कियों के लिए	१२५० ”
६६	बच्चों के लिए	२६४ ”
		<hr/>
		११८८ गज

गाँव और घर का रूप—गाँव में मकान कैसे होते हैं, यह तुम से छिपा नहीं है। वस्तुतः गृहस्थी के काम को देखते हुए मेरे ख्याल से प्रति मनुष्य को २०० वर्गफुट जगह तो चाहिए ही। हमारे देहातों में औसत प्रति परिवार ५ प्राणी का होता है। उनके लिए १००० वर्ग फुट जमीन चाहिए यानी देहाती भाषा में एक परिवार को २० हाथ चौड़े २५ हाथ लम्बे मकान की आवश्यकता होगी। ऐसे मकान लगभग ३२५) में बनते हैं। *सवाल यह है कि क्या हमें कुल मकान तोड़कर नये बनाने हैं या जो मकान नये बनें उन्हें अपने-ढंग से बनवाना होगा।

*आज १०००) लग जावेंगे। १४-११-५०

वस्तुतः कुल मकान तोड़कर बनाने की कोशिश करना विल्कुल असम्भव ही है। न हमारे पास इतने साधन हैं और न हम इस मसले में इतने ज्यादा फँसकर दूसरे जरूरी कार्यों में ढिलाई आने देना चाहते हैं। फिर भी कुछ मकान ऐसे हैं जिन्हें नये सिरे से बनवाना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से हमें प्रति ग्राम कम से कम ३० घर नये बनवाने होंगे। नये घर बनवाने के साथ-साथ पुराने घरों तथा गाँव के रूप का भी सुधार होना चाहिए। पहले एक पत्र में मकान बनाने के तरीकों की आलोचना करते हुए मैंने बताया था कि आज के ग्रामों की सतह पानी निकलने के लायक नहीं है। कहीं ऊँची, कहीं नीची। क्रमशः ईंटों के व्यवहार से यह सतह हमें ठीक करनी होगी। * फिर मिट्टी लेने के लिए ग्राम-पंचायत की ओर से गाँव के पास निश्चित स्थान निर्दिष्ट कर देना होगा। लोग मिट्टी उसी स्थान से लें जिससे वह स्थान तालाब का रूप ले सके। एक अलग योजना बनाकर धीरे-धीरे गाँव के अन्दर के गड्ढों को पाटते जाना चाहिए। पाटने के लिए नियम बना देना चाहिए कि जब कोई भी मकान मरमत करे या गिराकर दूसरा बनावे तो उनके मलवे को गड्ढों में ही डालें न कि आज कल की रीति के अनुसार जहाँ पर टूटे वहाँ ही फैला दें। अगर संघटित रूप से किया जाय तो मेरी निश्चित धारणा है कि यह काम १०-१२ साल में पूरा हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि हमारे मकानों का नक्शा इस ढंग से बनाना होगा जिससे वे हमारी योजनानुसार व्यवस्था के अनुरूप हों। यानी वे स्वास्थ्यकर, हवादार हों; नहाने और वर्त्तन माँजने आदि पानी के काम के लिए उचित प्रबन्ध हों; खिड़की के पास थोड़ी जमीन हो जहाँ लियाँ स्वच्छंद बैठ सकें; थोड़ी तरकारी, फेला, पपीता आदि के पेड़ लगा सकें; दरवाजे के सामने थोड़ी जमीन उठने-बैठने के लिए हो; एक नीम का पेड़ लगा सकें और थोड़ा चबूतरा बन सके। गाँव के किसी केन्द्रीय स्थान पर पाठशाला, क्लब तथा पंचायत घर का प्रबन्ध हो।

* ईंटों के मकान आज की स्थिति में लाभकारी न होंगे।

इसके साथ ही कुछ जमीन होनी चाहिए। पशुओं को घर से अलग रखने की बाबत मैंने पहले लिखा था। अच्छा हो, सहयोग के आधार पर एक तरफ सम्मिलित मवेशीखाना हो, नहीं तो घर से अलग पशुओं के रहने का स्थान हो जिससे घर की वायु दूषित न होने पावे। ग्राम-उद्योग के प्रसार के साथ-साथ सभी गाँवों में काफी उद्योग का काम चलेगा। उद्योगशाला के लिए भी निश्चित स्थान होना चाहिए। जब सब बड़े बच्चों को पाठशाला में भेजेंगे और स्त्रियों के लिए पूरे समय का काम निर्धारित कर देंगे तो बच्चों के लिए शिशु-विहार बनाना आवश्यक होगा। इसके लिए गाँव में कोई केन्द्रीय स्थान होना चाहिए जो सभी घरों से समान दूरी पर हो। इसी प्रकार अनाज के खलिहान तथा खाद के धूरों का स्थान भी निश्चित होना चाहिए। इन कामों के लिए प्रति ग्राम लगभग २४ एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी।

अन्य आवश्यकताएँ—अन्न, वस्त्र और आश्रय के अलावा समाज-जीवन में और बहुत सी आवश्यकताएँ हुआ करती हैं। हमें यह भी सोचना है कि एक परिवार को शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक संतोष के लिए साधारणतः क्या-क्या साधन की जरूरत पड़ती हैं। मैंने एक तालिका बनाई है। उसे तुम्हें भेज रहा हूँ। उसमें वस्त्र का दाम खादी के हिसाब से शामिल किया है।

भोजन के अलावा एक गाँव की कुल अन्य आवश्यकताएँ

कपड़ा ११८४८ गज दर ॥=)	प्रति गज	७६६०।=)
ऊना कपड़ा ५)	प्रति परिवार के हिसाब से	४७०)
तिलाई एक रुपया साढ़े नौ आने	प्रति परिवार	१५०)
मकान मरम्मत १५)	प्रति परिवार	१४१०)
वर्तन ३॥)	" "	३२६)
अनुष्ठानादि १०)	" "	६४०)
स्वास्थ्य, सफाई; श्रृंगार १५)	" "	१४१०)
शिक्षा ४०)	" "	३७६०)

जमीन का बँटवारा

६६७

विवाहादि	१५) प्रति परिवार	१४१०)
विनोद	X X X	५०)
असवाव	५) " "	४७०)
रोशनी तेज ८५) दर १२) प्रति मन		१०२०)
विविध ५) प्रति परिवार		४७०)
जूता ३४० जोड़ा १॥ साल के लिए २२७ जोड़ा		
दर १) प्रति वर्ष		२२७)
चन्दा ग्राम-समिति		१२०)
पुस्तकालय		२५)
आकस्मिक १०) प्रति परिवार		६४०)

कुल जोड़ २११,६११=)

इसके साथ भोजन-सामग्री का दाम जोड़ने से गाँव भर के प्रस्तावित खर्च का अनुमान किया जा सकेगा। उसका हिसाब इस प्रकार है।

सामान	तौल	दर	दाम
आटा गेहूँ	४१३५	३।)	१३४२।)
" जव	२२६५	२।।=)	६०१=)
" ज्वार	५०५	२।।=)	१३१।)
" बजरी	१००५	२।।।=)	२८७।।)
" जुन्हरी	६३५	२।)	१४१।।।)
" जुन्हरी	७६५	२)	१५२।)
चावल	६५४५	३।।)	२२८६।)
साँवा	१००५	१।।)	१५०।)
कोदो	१०१५	१।।)	१५१।।)
चना	२८६५	३)	८६७।)
मटर	१५०५	२।।)	३७५।)
दाल अरहर	१२५५	४)	५४०।)
दाल उर्द	६०५	४)	३६०।)

दाल मूँग	३५५	४)	१४०)
तरकारी	१४५८५	१११)	२१८७)
मसाला	३४५	८)	२७२)
नमक	७२५	२११)	१८०)
गुड़	२००५	४)	८००)
चीनी	६८५	६)	६२१)
फल	५६६५	४)	२६७६)
तम्बाकू	१६१५	५)	६७११)
तेल	१२७१५	१५)	१६१२११)
धी	७२५	४०)	२८८०)
पूर्ण दूध	६२७५	४)	२५०८)
अपूर्ण दूध	२५२७१५	१११)	२२६१)
खटाई	१६१५	१०)	१६५)
गोश्त आदि	८०५	२११)	२००)
लकड़ी	५६८२५	१)	१४६५११)

जोड़ २५८३५=)

इस प्रकार गांव भर के लोगों का कुल खर्च $२११६११=)$ + $२५८३५=)$ = $४६६६६११)$ यानी नयी योजना के अनुसार प्रति परिवार का खर्च ५००) वार्षिक होगा।* किसानों के खेती सम्बन्धी, दूसरे उद्योग में काम करने वालों का व्यापार खर्च तथा लगान कर आदि इसके अलावा होगा। इसके साथ ५५ किसान परिवारों के खेती के व्यय का हिसाब की तुलना करने से स्थिति स्पष्ट हो जायगी।

किसान की आमदनी-खर्च—इस पत्र के साथ खेती से कुल पैदावार की तालिका भेजी है। उनमें से साढ़े सात सैकड़ा सामान बीज में चला जायगा। बाकी सामान, दूध-धी तथा घरों में जो फल की

*आज क सामान के दर और साधनों को देखते हुए कम से कम १५००) चाहिए।

उत्पत्ति होगी उससे कुल मिलाकर ३१३६६) किसान को साल भर में मिलेगा। इसके अलावा इन परिवारों की कुछ दूसरी आमदनी भी इस प्रकार होगी। चर्खा—२३८ स्त्रियां २७॥१५ १६ नं० के सूत की।

मजदूरी दर ३॥) सेर	२७७५)
चर्खा—स्कूल में ७१ लड़कों का २५० दिन का १३॥१५५	१३८७॥)
ईंट—३,००,००० की मजदूरी दर १।—)	४००)
अनाज दुलाई १२८ गाड़ी	१२८)
कीमत मरे हुए जानवर	६३४॥)
लड़कों की मजदूरी खेती में	१००)
	<hr/>
	५४२५)

खेती आदि में आमदनी ३१३६६)
३६७६४)

इस प्रकार से किसानों के प्रति परिवार की आमदनी ६६६) होगी। इसमें से उनकी खेती सम्बन्धी निम्नलिखित खर्च घटेगा—

हल, रहट तथा खेती के औजार	७)	
वैल भैंसा	५॥॥)	
गाय	३॥)	
भैंस	२)	
लगान व कर	२०)	
सकड़ा मुकदमा आदि	४)	
खाद	५)	
सफर	२)	
वैलगाड़ी	१॥)	
रिजर्व	१२॥)	
घरेलू नौकर नौकरानी	२५)	
नाई धोबी	१२)	
	<hr/>	
	जोड़ १००।)	

वैल, भैंसा, गाय तथा भैंस के लिए खर्च का हिसाब जोड़ते समय इनकी आयु दस साल मानी गई है।

इस तरह सब खर्च काट कर एक किसान परिवार की आमदनी ५६६) और घर खर्च कुल ५००) वार्षिक होगा। इसमें से सूखा बाढ़ आदि दुर्घटनाओं के लिए ६) और सुरक्षित करने पर भी ६०) बचता है। यह रकम पूंजी-खर्च के काम आयगी। पूंजी खर्च किस क्रम से होगा इसके व्योरे पर उस समय प्रकाश डालूँगा जब पूंजी के प्रश्न पर विचार करना होगा। फिलहाल इस रकम को यहाँ ही छोड़ना ठीक होगा।*

आवादी का वँटवारा—हर गाँव में ६४ परिवार की बस्ती होती है। हमने अब तक ५५ परिवारों के लिए अपनी कल्पना के अनुसार समाज में सुख-शान्ति से गुजर करने की व्यवस्था किस प्रकार से हो सकती है, उसकी रूप-रेखा बनाने की चेष्टा की। तुम पूछोगी, बाकी ३६ परिवारों का क्या होगा? हाँ, बाकी लोगों को भी ऐसा काम मिलना चाहिए जिससे वे भी किसानों के समान स्थिति में रह सकें।

* यह आँकड़े पिछले महायुद्ध के पहले के भाव से आँके गये हैं। आज किसान की हालत में कुछ परिवर्तन हो गया है। किसान जो सामान खरीदता है उसके दाम जिस अनुपात से बढ़े हैं उस अनुपात से किसान के अनाज के दाम अधिक बढ़े हैं। अतः आज उनकी हालत पहले से अच्छी है। लेकिन यह अस्वाभाविक है। उसका कारण यह नहीं है कि आज जमीन और आवादी के अनुपात में कुछ खास फर्क है किन्तु लड़ाई के कारण और उसके बाद के राष्ट्रीय सरकार द्वारा पूंजीवादी केन्द्रिय उद्योग टालने के कारण पहले जो जमीन खाद्य उत्पादन में जोती जाती थी उसमें बहुत अधिक मात्रा में जमीन औद्योगिक कच्चा माल पैदा करने में लगी है। इस पुस्तक में दी हुई योजना के अनुसार समाज-रचना हो जाने से किसानों की हालत में बहुत अन्तर नहीं आएगा। लेकिन आज की अस्थायी तथा अस्वाभाविक स्थिति के कारण यहाँ बताई हुई हालत से किसान आजकल कुछ अच्छी हालत में हैं।

खेती के अलावा निम्नलिखित विभागों के काम और हैं :—

- | | |
|----------------|---------------------------------------|
| १—उद्योग, | ७—घरेलू सेवा, |
| २—यातायात, | ८—वैद्य, डाक्टर, हकीम, |
| ३—जंगल, | ९—अध्यापक, |
| ४—वागवानी, | १०—सरकारी नौकर, फौज तथा
अन्य पेशा, |
| ५—सड़क मरम्मत, | ११—विविध फुटकर काम |
| ६—व्यापार, | |

अब प्रश्न यह उठता है कि ३६ परिवारों को इन कामों में किस तरह बाँटने पर सब को सन्तोषजनक काम मिल सकेगा। इन प्रश्न पर फिर किसी दिन विचार करूँगा। इस पत्र को इतनी तालिकाओं से भर दिया है कि इतने पर विचार करने में तुमको काफी समय लग जायगा, अब और ज्यादा बोझ डालना ठीक नहीं होगा। अतः आज विदा होता हूँ। सबको नमस्कार।

[१३]

ग्राम-उद्योग तथा अन्य पेशे

२६-६—४४

पिछले पत्र में किसान परिवारों के अलावा बाकी लोक-संख्या को किस तरह काम में लगाया जाय, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने का वादा किया था। विभिन्न कार्यक्रमों के नाम भी भेजे थे। इस पत्र में उन कार्यक्रमों पर थोड़ा-थोड़ा करके अपना विचार प्रकट करने की चेष्टा करूँगा। वस्तुतः संसार में जितने प्रकार के उद्यम हैं उन्हें प्रधानतः दो श्रेणी में बाँटा जा सकता है। (१) उत्पत्ति और (२) सेवा। खेती, वागवानी, जंगल उद्योग आदि काम प्रथम श्रेणी के, और यातायात, व्यापार, घरेलू सेवा, वैद्य, डाक्टर, हकीम, अध्यापक, सरकारी नौकर, फौज तथा अन्य पेशे सभी जनसेवा श्रेणी के अन्तर्गत कहे जा सकते हैं। खेती और उद्योग दोनों एक ही श्रेणी की चीजें हैं। अतः खेती के बाद उद्योग पर ही विचार करना ठीक होगा।

पहले किसी पत्र में मैंने उन उद्योगों की एक तालिका लिख भेजी थी जो प्रधानतः गाँवों में चल सकते हैं। आशा है, वह तालिका तुम्हारे पास मौजूद होगी। उनके अलावा कुछ स्थानीय उद्योग भी होना सम्भव है। लेकिन वे बहुत थोड़े होंगे। सब से पहले हमें उन उद्योगों पर विचार करना चाहिए जो खेती से विशेष सम्बन्धित हैं या जो भोजन-सामग्री के काम के हों। तेल घानी, चीनी बनाना तथा अंडा मछली-गोश्त का काम ऐसा काम है।

१—तेल घानी—खेती की पैदावार की ओर देखने से मालूम होगा कि हमारे प्रान्त के प्रति ग्राम के तेलहन की उत्पत्ति (बीज काट कर) वार्षिक ५६१५ मन है। रोशनी के लिए नीम आदि के ८१५ तेल की आवश्यकता होगी यानी करीब २५०५ नीम के बीज की पेराई करनी है। इसके अलावा साबुन के लिए भी तेल चाहिए। ठीक तरह से सफाई रखने के लिए प्रति परिवार को मासिक २ सेर साबुन तो लग ही जायगा। इस तरह गाँव के खर्च के लिए हमें वार्षिक ५६५ साबुन चाहिए। शहर के लिए २० सैकड़ा अधिक उत्पत्ति करनी है यानी प्रति ग्राम ६७५ साबुन बनाने की आवश्यकता है। इतने साबुन के लिए १००५ के करीब महुआ, गरी आदि तेलहन से तेल निकालना पड़ेगा। इस प्रकार हमें हर गाँव के लिए ६४१५ तेलहन पेरने की व्यवस्था करनी है। तुमने मगनवाड़ी की घानी का काम तो देखा ही है। वहाँ एक घानी से प्रांतदिन १५ तेहलन पेरा जाता है। इस तरह ढाई परिवार तेल पेरने के काम में लग सकते हैं।

२—चीनी बनाने का काम—हमारे प्रवन्ध से ४६२॥५ मन राव प्रति ग्राम तैयार होगी। इतनी राव से चीनी बनाने के लिए १ परिवार का ४ माह का समय लग जायगा। तुमको मालूम है कि चीनी का काम पूरे साल भर नहीं होता। अतः एक ही परिवार को घानी और चीनी का काम बताया जा सकता है। इस हिसाब से प्रति ग्राम ५ (आधा) परिवार से चीनी का काम हो सकता है।

३—गोश्त, अंडा, मछली आदि का काम—गाँव वालों की खाद्य-सामग्री की तालिका में इस प्रकार की भोजन सामग्री का खर्च पूरे गाँव के लिए २००) बताया गया है। एक परिवार के गुजर के लिए ५००) चाहिए। अगर दो गाँव में एक परिवार इस काम में रहे तो उनकी आमदनी निम्नलिखित रूप से होगी।

मछली आदि	१८० × २	=	३६०)
चर्खा ॥५४		=	६०)
लड़कों का चर्खा ५८		=	२०)
सिंघाड़ा आदि फल		=	७०)
<u>जोड़ =</u>			<u>५१०) *</u>

इसी प्रकार गाँव के कपड़े ११८४८ गज और शहर के हिस्से के ३३१७ गज मिलाकर १५१६५ गज कपड़े बुनने होंगे। अगर एक परिवार सप्ताह में ६० गज बुन सके तो इतने के लिए ६ परिवारों की आवश्यकता होगी। इस तरह हर उद्योग की आवश्यकता की जाँच करके हिसाब करना होगा कि किस उद्योग में प्रति ग्राम कितने परिवार लग सकते हैं। इसके लिए सही हिसाब तो भविष्य में राष्ट्रीय सरकार स्थिति की जाँच करके ही बना सकेगी। संकेत रूप से मैंने जो हिसाब बनाया है उसका व्यौरा इस प्रकार है :—

उद्योग	सं० परिवार	उद्योग	सं० परिवार
तेल धानी	२.५	दरी कालीन	.२५
चीनी का काम	.५	सिलाई	.५
बुनाई	६.०	अंडा मछली गोश्त	.५
साबुन	.६६	रंगाई छपाई	.०५
कागज	.५६	सींग का काम	.०५
चमड़ा सिक्काना	.२	बाध रस्ती आदि का काम	.५
सरेस ताँत, जूता आदि	.५	दियासलाई बनाना	.०४

*आज के हिसाब से १५.००)।

खोहारी	१.५	रोशनाई बनाना	.०२
बढ़ईगीरी	१.५	शीशा चूड़ी आदि	०.५
भेंड़ पालना कम्बल बनाना	१.०	ठठेरी	.२०
कुम्हारी	.५	सोनारी	.०६
पेंसिल बनाना	.००५	तमोली	.०५
चाँस बनाना	.००५	वारी	.०२
संगतराशी	.०२	राजमिछी	.५०
माली दवा जड़ी-बूटी	०.५	अन्य उद्योग	१.००
		खाद बनाना	.५०
			<u>१६.७६५</u>

इसके उपरान्त बागवानी तथा जंगल में २.५ + ३.५ = ६ परिवार लगेंगे। इस हिसाब से उत्पत्ति के काम में कुल ८०.७६५ परिवार लग जायँगे।

हमारी योजनानुसार जब लोगों की आर्थिक दशा सुधरेगी तो जन-सेवा श्रेणी का काम भी बढ़ेगा। अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए मैंने इन बातों को निम्नलिखित रूप से वाँटने का सोचा है।

काम	प्रान्त की आवादी का मौजूदा अनुपात प्रतिशत (१९३१)	मेरे प्रस्तावित परिवार (केवल गाँव के)
यातायात	.८	.२०५ परिवार
घरेलू सेवा (नौकर, चाकर ५, धोबी १, नाऊ १)	२	७.० "
व्यापार	४.७	१.० "
वैद्य, हकीम, डाक्टर	} ६.५	.२ "
अध्यापक, सरकारी		२.५ "
नौकरी फौज तथा अन्य पेशा		२.० "
विविध		२.५
	जोड़	<u>१३.२०५</u> "

ऊपर बताये हिसाब के अनुसार गाँव की कुल आवादी का काम निश्चित हो जाता है। तुम कहोगी कि गाँव की कुल आवादी इस प्रकार के कामों में फँस जाती है तो बड़े उद्योग, जो केन्द्रीय व्यवस्था से ही चलना सम्भव हैं, किस तरह चलेंगे। उनके लिए आदमी कहाँ से आवेंगे। तुम्हारी ऐसी शंका स्वाभाविक है। लेकिन बुनियादी आवश्यकता की सभी सामग्री की ग्राम-उद्योग द्वारा उत्पत्ति होने पर आज की शहरी आवादी सब खाली हो जायगी। उनकी तादाद इतनी काफी होगी कि बड़े उद्योगों की जरूरतें पूरी हो जायँगी अतः हमको इसकी विशेष चिन्ता नहीं है।

मशीन बनाम हाथ का उद्योग—अभी यहाँ कुछ जेल के साथी बैठे थे। वे मेरी कल्पना को देखकर हँसते थे। उनका कहना था कि “आज के वैज्ञानिक और मशीन युग में आप यह क्या प्रस्ताव करने जा रहे हैं। क्या आप मनुष्य समाज को फिर २००० वर्ष पीछे ले जाना चाहते हैं?” तुम ऐसी बात तो नहीं कहोगी लेकिन चारों तरफ एक ही आवाज सुनकर कहीं तुम्हारे मन में भी सन्देह पैदा न हो जाय। भाई, मैं मानव समाज को २००० वर्ष पीछे नहीं ले जा रहा हूँ। मैं केवल उसे उस दलदल से निकालना चाहता हूँ जिसमें वह फँस गया है। मशीनों के उद्योगों के कारण समाज जिस बेकारी और गुलाबी में फँस गया है उससे निकलने का एक मात्र उपाय ग्राम उद्योग ही है, वह मैंने पहले एक पत्र में लिखा था। अगर स्वामीयन के बुनियादी असूलों को छोड़ भी दें तो भी परिस्थिति का तकाजा यही है कि हम ग्राम-उद्योग से ही अपनी उत्पत्ति करें। आजकल वास्तविक स्थिति के वैज्ञानिक विचार की बात बहुत सुनी जाती है। देखना यह है कि भारत की आवादी की वास्तविक स्थिति क्या है और उस स्थिति पर वैज्ञानिक विचार हमको कहाँ ले जाता है। मैंने पहले कहा है कि भारत की आवादी, भूमि, तथा ऐतिहासिक परम्परा दूसरे देशों से भिन्न है। हम कोई योजना बनायेंगे तो उसे अपनी आवादी

की स्थिति की दृष्टि से ही बनाना होगा। अगर हम उद्योगों को मशीनों से ही चलाना चाहें तो अपनी उत्पत्ति के लिए कितने आदमी चाहिए उसका हिसाब कोई बतला सकता है? अभी जो बम्बई योजना का बहुत प्रचार है उसमें उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि खेतों से ३०% आबादी निकाल ली जायगी। उन्होंने भी इस बात का ख्याल नहीं किया कि उनकी बर्ताई आवश्यकता के लिए जितनी उत्पत्ति की आवश्यकता होगी उतनी उत्पत्ति वर्तमान सुधरी हुई मशीनों द्वारा करने में खेती से निकली कुल सक्षम जन-संख्या पूरी तौर से लग जायगी या नहीं। फिर जब मशीनों के ही सिद्धान्त पर अपनी आर्थिक व्यवस्था का आधार बनाया जायगा तो स्वभावतः खेती भी मशीनों से ही करनी होगी; और आधुनिक अर्थशास्त्री की राय भी यही है। उस हालत में बाकी आबादी, जो खेती के लिए छोड़ी जा रही है उसको पूरा काम मिलेगा या नहीं, इसका जवाब कोई निश्चित रूप से हिसाब लगाकर नहीं देता है। यह कहा जा सकता है कि फिलहाल खेती का साधारण सुधार करके हम केवल उत्पत्ति ही बढ़ायेंगे और उद्योग के काम मशीन से करेंगे; फिर समय आने पर खेती भी मशीनों से करने की समस्या पर विचार करेंगे। लेकिन उत्पत्ति बढ़ाने के लिए कुछ साधारण सुधार खेती के तरीके में करना ही होगा। आज के प्रकार में बहुत सामान्य सुधार करके ही आज की खेती में कितने आदमी चाहिए, उसकी मासिक हाजिरी की तालिका मैंने पिछले पत्र के साथ तुमको भेजी थी। खेती की उसी गति के अनुसार ही, दूसरे उद्योगों के न होने पर, प्रति कार्यकर्ता ४ एकड़ जमीन की खेती कर सकता है। भारत में लगभग २८ करोड़ एकड़ में खेती होती है। मौजूदा आबादी को नया खेत प्राप्य नहीं; यह मैंने पहले ही बताया है। जो कुछ जगह है भी उस पर जंगल, बाग और नई बढ़ती आबादी के लिए भोजन का काम मुश्किल से ही पूरा होगा। अतः वर्तमान स्थिति में ७ करोड़ सक्षम आदमी खेती

के लिए आवश्यक हैं। सन् १९४१ की मर्दुमशुमारी के अनुसार भारत की कुल आबादी ३९ करोड़ के करीब है, जिसमें बृटिश भारत में ३० करोड़ है। हमारे यहाँ १५ से ५५ साल तक के लोग सक्षम कहे जा सकते हैं। वैसे तो बहुत से पंडितों की राय से ४० वर्ष तक ही भारत के लोग सक्षम रहते हैं। लेकिन ऐसा होना समाज की रोगी अवस्था ही मानी जा सकती है। फिर कितनी उम्र तक सक्षम है इसके झगड़े में पड़ने से क्या लाभ। अगर ४० वर्ष तक ही सक्षमता की उम्र मानी जाय तो उसके ऊपर वाले भी बेकार तो रहेंगे ही। हमको यह देखना है कि हम कितने आदमियों को काम दे सकते हैं और कितने बेकार बाकार आदमियों की कमाई पर बोझ बनकर पड़े रहते हैं। यह बोझ सबल आदमियों का है या पंगुओं का, इस बहस में पड़ने से स्थिति कुछ बदल थोड़े ही जायगी? मैं तो १५ से ५५ साल तक के लोगों को सक्षम मानता हूँ। खेती के काम में तो मैंने ६० वर्ष तक के लोगों को सक्षम माना है। भारत की उम्र के अनुपात से हिसाब लगाने पर मालूम होता है कि यहाँ कुल २१ करोड़ सक्षम स्त्री-पुरुष हैं। ७ करोड़ खेती में काम करने वालों को काटकर १४ करोड़ को उद्योग में काम देना होगा। अगर मशीन से उत्पत्ति के काम में इतने लोगों को लगाना चाहोगी तो जो माल पैदा होगा उसकी खपत कहां होगी? संसार में पाँच ही मुल्क अपनी औद्योगिक उत्पत्ति से सारे संसार के बाजारों को घेरे हुए हैं। केवल संसार के बाजार घेरे हुए हैं, ऐसी बात ही नहीं। बीच-बीच में उत्पन्न सामग्री को नष्ट करके अतिरिक्त उत्पत्ति की समस्याओं को भी हल करना पड़ता है। ये पाँच बड़े देश हैं—ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्तराष्ट्र अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और जापान। इन देशों के तमाम उद्योग व्यापार व यातायात मिलाकर कितने आदमी काम करते हैं जानती हो? नीचे के हिसाब से उसका पूरा व्योरा मालूम हो जायगा :—

औद्योगिक देशों के श्रमिकों की संख्या

नाम देश	उद्योग में लगे श्रमिक	व्यापार तथा यातायात में लगे श्रमिक
ग्रेट ब्रिटेन	६१,४१,८००	४०,००,०००
युक्तराष्ट्र अमेरिका	१,५४,७५,६००	१,२०,००,०००
जर्मनी	१,३२,४६,२००	५२,००,०००
फ्रांस	७१,१४,८००	३६,००,०००
जापान	५७,१७,५००	५,००,०००
जोड़	५,०६,६८,६००	२,५३,००,०००
कुल जोड़	७,५९,६८,६००	

यह हिसाब दस साल पहले का है । वाद को लड़ाई की तैयारी के लिए कुछ आदमी और बढ़ेंगे । अब उद्योग, यातायात और व्यापार मिलाकर कुल ७,५९,६८,६०० आदमी की उत्पत्ति की समस्या हल करने के लिए आज हिंसा का इतना बड़ा तांडव हो रहा है तो भारत के १४ करोड़ आदमियों की उत्पत्ति संसार को कहां ले जायगी, उसकी कल्पना तो करो ।*

*आज देश के सभी नेता देश की आवादी को किस तरह काममें लगाया जाय इस चिन्ता में लगे रहते हैं । वे रह रह कर अपने समाज में कहते हैं कि देश की बढ़ती हुई बेकारी की समस्या को हल करने के लिए व्यापक दृष्टि से यह उद्योगों को संघटित करने की आवश्यकता है । लेकिन वह अपनी अर्थनीति में हल बैल, ढोंकी, चक्री, चरखा, करघा, कोल्हू, घानी को स्थान न देकर ट्रैक्टर और कल कारखानों की बात सोच रहे हैं । वे यह भूल जाते हैं कि इन चीजों को छोड़कर यह-उद्योगों के क्षेत्र में कोई चीज ऐसी नहीं रहेगी जिसके सहारे वे देश की सर्वव्यापी बेकारी की समस्या हल कर सकेंगे । केन्द्रीय तथा विभिन्न यह-उद्योगों के बारे में जो कुछ सोचा जाता है वह है कुछ खिलौने तथा शमीरों के दीवानखाने सजाने का सरजाम

फिर इतने आदमी लगाने के लिए पूंजी कितनी चाहिए, इसका हिसाब भी करना कठिन है। बम्बई योजना वाले जितनी उत्पत्ति करना चाहते हैं उसके लिए भी तो विदेश पर भरोसा करना होगा। अगर सब कारणों को छोड़ भी दिया जाय तो भी पूंजी की स्थिति देखते हुए हमको ग्राम-उद्योग के आधार पर ही आवश्यक सामान बनाकर केवल उतने उद्योगों को केन्द्रीय मशीन के लिए छोड़ देना चाहिए जो ग्राम-उद्योगों के जरिये हो नहीं सकते। ग्राम-उद्योग और केन्द्रीय उद्योग की पूंजी की आवश्यकता में कितना अन्तर है, मालूम है? एक कपड़े के उद्योग का ही हिसाब लगाने पर यह बात साफ हो जायगी। देखो—

कपड़े की मिल का हिसाब—भारत में लगभग ४०० मिलें हैं जिनमें १ करोड़ तकिये और २ लाख करघे हैं। इनमें कुल पांच लाख आदमी काम करते हैं और स्थायी पूंजी १०० करोड़ रुपया की है।

बम्बई योजनानुसार भारत में वार्षिक ३० गज प्रति व्यक्ति के हिसाब से लगभग १२०० करोड़वर्ग गज कपड़े की आवश्यकता है। अतः कुल उत्पत्ति के लिए हमें १० लाख और आदमी तथा २० करोड़ और स्थायी पूंजी लगानी पड़ेगी।*

खादी का हिसाब—१२०० करोड़ वर्ग गज कपड़े के लिए

बनवाने तक हा सीमित रहेगा। भला कहां इस ढंग से राष्ट्रीय पैमाने पर बेकारी की समस्या हल हो सकती है?

जहाँ तक आबादी की यांत्रिक उद्योगों में लगाने की बात है जरूर ही आज पहले से अधिक आदमी लग रहे हैं। किंतु इसके परिणाम स्वरूप उससे अधिक आदमी बेकार भी होते जा रहे हैं। तथा पिछले महायुद्ध से अधिक व्यापक पैमाने पर विश्वयुद्ध की ओर अधिक तेजी से दौड़ रहे हैं!

* विभाजन के बाद भारत की ३५ करोड़ आबादी के लिए अब १०५० करोड़ वर्ग गज कपड़े की आवश्यकता है। कुल उत्पत्ति के लिए हमें करीब ८ लाख आदमी और लगेंगे। आज सभी चीजों के दाम बढ़ जाने से २० करोड़ से कई गुनी अधिक स्थायी पूंजी लगानी पड़ेगी।

१२०० X ३४०० करोड़ गज सूत की जरूरत होगी। १ आदमी एक दिन में ३४०० गज कातने पर कुल उत्पत्ति के लिए ४ करोड़ आदमियों की आवश्यकता होगी। स्थायी पूँजी निम्नलिखित हिसाब से लगेगी।

कताई	४ करोड़ चर्खा सामान	८ करोड़ रुपया
बुनाई	६० लाख कर्घा	१२ करोड़ रुपया

कुल २० करोड़ रुपया*

वस्तुतः मशीन और ग्राम-उद्योग की आवश्यक पूँजी में इतना अन्तर है कि अगर ग्राम-उद्योग की मार्फत उत्पत्ति न करें तो चीन का जो डर मैंने पहले बताया है वही डर हमको भी है। हमको भी पूँजी-वादा देशों के आर्थिक साम्राज्य के अन्तर्गत हो जाना पड़ेगा। बम्बई योजना के निर्माताओं ने सम्भवतः आवादी और पूँजी की समस्या देखकर ही कहा है कि उनको ग्राम-उद्योग से भी कुछ उत्पत्ति करनी है। ग्राम-उद्योग की आवश्यकता बताते हुए वे कहते हैं—“हमारी योजना के औद्योगिक संघटन का एक जरूरी हिस्सा यह है कि बड़े उद्योगों के साथ-साथ छोटे-छोटे कुटीर-उद्योग भी शामिल रहेंगे। इसका महत्व केवल आवादी को काम में लगाने का नहीं बल्कि पूँजी की आवश्यकता कम करने के लिए भी है।” लेकिन वे यह नहीं बता सकते हैं कि कौन-कौन उद्योग गृह-उद्योग के आधार पर चलें और कौन-कौन मशीन उद्योग से। पता नहीं वे इस बात पर भी स्पष्ट विचार रखते हैं या नहीं कि जिस उद्योग को ग्राम-उद्योग के आधार पर संघटित करना होगा उसके लिए मशीन की उत्पत्ति बन्द की जाय या दोनों को साथ-साथ चलाया जाय। अगर साथ चलाये गये तो दोनों में खींचातानी होकर दोनों को हानि पहुँचेगी। अतः उनके अनुसार भी ग्राम-उद्योग का क्षेत्र अलग ही करना होगा। केवल बेकारी तथा पूँजी की बात थोड़े ही है। हमको तो उत्पत्ति की क्रियाओं को ऐसा बना रखना है जिससे जनता में मनुष्यता का विकास हो,

*आज के हिसाब से साठ करोड़। १६—११—२०

उसका खातमा नहीं। तुमने फैक्टरी के मुहल्लों के लोगों को देखा, होगा। उनसे बात करने से मालूम होता है, वे भी कुछ मशीन के पुर्जे से हो गये हैं। हम तो भावना-प्रधान देश के वासी हैं; लेकिन वैज्ञानिक युरोप के लोग भी महसूस करते रहे हैं कि मशीनों के साथ आदमी भी मशीन हो जाता है। कार्ल मार्क्स ने मशीन की उत्पत्ति और दस्तकारी की तुलना करते हुए अपने ग्रंथ 'क्यापिटल' (पूँजी) के प्रथम भाग में कहा है—*In manufacture and in handicrafts the worker uses a tool, in the factory he serves a machine. In the former case the movements for the instruments of labour proceed from the worker but in the latter the movements of the the worker are subordinate to those of the machine. In manufacture the worker is part of a living mechanism. In factory there exists a lifeless mechanism independent of them, and they are incorporated into that mechanism as its living appendages. A dull routine of a ceaseless drudgery and toil, in which the same mechanical process is incessantly repeated resembles that of Sisyphus—the Toil like the rock, recoils perpetually upon the wearied operatries. While labour at the machine has a most depressing effect upon the nervous system; it at the same time hinders the much form activity of the muscles and prohibits free bodily and mental activity. Even the lightening of the labour becomes a means of Torture for the machine does not free the worker from his work but merely deprives the work of interest.*—

अर्थात् “निर्माण और दस्तकारी में श्रमिक औजार का उपयोग करता है; कारखाने में वह मशीन की सेवा में लगता है। पहले में श्रम के साधनों की गति का स्रोत श्रमिक है; पर दूसरे में श्रमिक की गति मशीन के अधीन होती है। गृह-उद्योग में श्रमिक एक चेतन यन्त्र-रचना का अंग होता है; कारखाने में उनसे स्वतंत्र एक निर्जीव यान्त्रिकता होती है और जीवित पुछल्लों की तरह उस यान्त्रिकता से बँधे होते हैं। लगातार श्रम और मशकत का रूखा कार्यक्रम, जिसमें एक ही यान्त्रिक परिपाठी बार-बराबर दोहरानी पड़ती है सिद्धिपुत्र

की भांति जो नीचे से धकेल कर चट्टान को बारंबार ऊपर पहाड़ की ओर ले जाता था और वह उसी का धकेलता हुआ नीचे आ जाता था;—उत्तकी मशकत उस चट्टान की भांति उसके ही थके अंगों पर गिरती है। मशीन पर श्रम के करने का श्रमिक के नाड़ी-मंडल पर तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही वह पुष्टों व स्नायुओं की क्रिया में भी बाधा डालता है और स्वतंत्र शारीरिक तथा मानसिक कर्तृत्व को रुद्ध कर देता है। मशकत को हल्का करना भी उत्पादन का साधन बन जाता है क्योंकि मशीन श्रमिक को उसके काम से छुट्टी नहीं देती बल्कि काम में से उसका दिलचस्पी दूर कर देती है।”

स्पष्ट है कि जनता के मनुष्यत्व को कामय रखने और उसका विकास करने के लिए भी उत्पत्ति के काम में ग्राम-उद्योग का प्राधान्य होना आवश्यक है।

ऊपर की बातों से स्पष्ट हो जायगा कि भारत की आर्थिक व्यवस्था के लिए आज कोई भी योजना बने उसमें प्रधानता खेती व ग्राम-उद्योग की ही होगी।

केन्द्रित बनाम विकेंद्रित उद्योग—ग्राम उद्योगों के संघटन के सिलसिले में एक और प्रश्न उठता है। हमारे उद्योगों के लिए कगजावाद, जुलाहावाद, साबुनपुर आदि अलग अलग और बड़ी बड़ी वस्तियाँ बसाई जाँय या उद्योगों को गाँव-गाँव फैलाकर संघटित किया जाय। अलग अलग वस्ती बसा कर काम चल सकता है। शायद एक दूसरे के अनुभव से कारीगर अधिक कुशलता भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से फिर हम की मध्यस्थता की संथाओं को मजबूत करना होगा और केन्द्रीय व्यवस्था के अधीन होना पड़ेगा। यह ठीक है कि अभी मैंने आवादी और पूँजी का हिसाब करके यह बताने की चेष्टा की कि अगर हम आज मशीनों द्वारा उत्पात्त की योजना बनावें तो एक तरफ बेकारी की समस्या जटिल हागी और दूसरी तरफ पूँजी के लिए अन्य मुत्कों के चंगुल में फँस जाना

पड़ेगा। मैं ऊपर के हिसाब से यह बताना चाहता था कि अगर थोड़ी देर के लिए स्वावलम्बन तथा जन-साधारण की स्वतन्त्रता के प्रश्न को छोड़ दें तो भी मशीनों द्वारा उत्पत्ति की योजना इस देश में व्यावहारिक नहीं होगी। लेकिन ग्राम-उद्योग द्वारा उत्पत्ति का मेरा दृष्टिकोण तो दूसरा ही है। मैं तो स्वावलम्बन के सिद्धान्त पर ही अपनी योजना बना रहा हूँ। अतः हमारा संघटन इस ढंग का होना चाहिए जिससे जहाँ तक सम्भव हो उत्पादक और ग्राहक का प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहे। तभी बुनियादी स्वावलम्बन की स्थापना हो सकती है। फिर तुम लोग तो तालीमी संघ के संचालक हो। तुम्हीं लोगों का कहना है कि बौद्धिक विकास उत्पत्ति की प्रक्रिया के अनुभव के साथ-साथ होता है। अतः अगर जनता में कला, कौशल, शिक्षा और संस्कृति को सार्वजनिक बनाना है तो उत्पत्ति की प्रक्रियाओं के अनुभवों को सार्वजनिक रूप से फैला रखना होगा। ताकि बचपन से ही मनुष्य उद्योग-प्रधान विचित्रता के वायुमंडल में रहकर बौद्धिक विकास कर सकें। मैं तो सामान्य ग्राम-सेवक हूँ। आज ससार के सभी शिक्षा-शास्त्रियों का कहना है कि वास्तविक शिक्षा तो उद्योग के वायुमंडल में दस्तकारी के अनुभव से ही हो सकती है? श्री कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध किताब 'क्यापिटल' के प्रथम भाग में उद्योग की मार्फत शिक्षा की खूबी बताते हुए कहा है:— *This will be an education which in the case of every child over a certain age will combine productive labour with instruction and physical culture not only as a means of increasing social production but as the only way of producing fully developed human beings.*” अर्थात् यह एक ऐसी शिक्षा होगी जो एक विशेष उम्र के ऊपर बच्चों के लिए उत्पत्ति के साथ-साथ बौद्धिक शिक्षा तथा शरीर-सुधार का काम करेगी। यह न केवल समाज में उत्पत्ति की वृद्धि का जरिया होगी बल्कि पूर्ण मनुष्यत्व के विकास की एक मात्र राह होगी।” मैं इस विषय पर तुमसे अधिक बहस नहीं करूँगा क्योंकि तुम्हारी कमेटी वाले

ही न कहते हैं—“आज कल के करीब-करीब सभी शिक्षा-शास्त्री इस बात की सिफारिश करते हैं कि बच्चों की शिक्षा किसी उपयोगी दस्तकारी के जरिए होनी चाहिए।”

लोग कह सकते हैं कि केन्द्रित वस्ती बनाकर आवश्यकता के लिए उत्पत्ति करने पर भी तो विद्यालयों में दस्तकारी की प्रक्रियाओं को सिखाया जा सकता है और उनकी माफत बौद्धिक विकास हो सकता है। वस्तुतः इस तरह तनहाई में बैठकर बौद्धिक विकास नहीं हो सकता; बौद्धिक विकास तो वायुमंडल पर निर्भर करता है। अगर वायुमंडल में उद्योग की विचित्रता न हो और केवल खेती का एक रूखा जीवन हो और कुछ घंटे स्कूलों में चर्खा आदि दस्तकारी से परिचय हो तो वैसी शिक्षा वास्तविक जीवन की शिक्षा न होगी। संयुक्त प्रान्तीय सरकार की ओर से आचार्य नरेन्द्रदेव जी की प्रधानता में जो प्राथमिक शिक्षा कमेटी बनी थी उसका कहना है—“जिस शिक्षा में बच्चा ही दिलचस्पी का केन्द्र होगा उसको बच्चे का प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण और बच्चे पर उसकी प्रतिक्रिया की बात का ख्याल करना ही पड़ेगा।”

अगर हम उत्पत्ति को केन्द्रित रूप देकर केवल स्कूलों में थोड़ी दस्तकारी की शिक्षा देते जायँ तो वह दस्तकारी बच्चों के लिए जड़वत् श्रम हो जायगी, न कि समाज-जीवन की वास्तविक समस्या के हल की चेष्टा। हाथ की कला का विकास भले ही हो जाय, बुद्धि तथा चिन्ता-शक्ति का विकास नहीं हो पावेगा। संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के प्रसिद्ध दार्शनिक मि० डेवी ने शिक्षा के सिद्धान्तों की व्याख्या करते हुए कहा है—“The school itself shall be made a genuine form of active communify life, instead of a place set apart in which to learn lessons.”

(विद्यालय ही क्रियाशील सामाजिक जीवन का एक वास्तविक रूप होगा, न कि सबक याद करने के लिए एक अलग सा स्थान।”)

तुम लोगों की वैसिक शिक्षा-पद्धति में एक बात और कही जाती है कि ७ साल के बच्चे स्कूल में भर्ती होने से पहले भी समाज के स्वाभाविक वायुमंडल से शिक्षा पावेंगे। रूसो का कहना है—“दि चाइल्ड इज़ फर्स्ट रेस्टलेस, ऐंड देन क्यूरियस।” (“बच्चा पहले चंचल और फिर जिज्ञासु होता है।”) इस जिज्ञासा के काल में अगर उसे केवल एक रूखा खेती का काम ही देखने को मिले तो उसके जानने की इच्छा को पूरी खूराक कहाँ से मिलेगी ? २० साल पहले मैं जब गाँव के बच्चों से खेला करता था तो वे सवाल करके मुझको तंग कर देते थे। उस समय मैं यही सोचता था कि गाँव के इस उदासी भरे जीवन में इनके सवालों का जवाब कौन देगा। उन दिनों बच्चों को मैंने कैसा देखा था, यह आगरा जेल से लिखे पत्रों में बयान कर चुका हूँ।

फिर सिर्फ बच्चों के बौद्धिक विकास की समस्या से प्रश्न थोड़े ही खत्म हो जाता है। स्कूल छोड़ने के बाद भी तो उनके लिए एक मात्र जरिया ग्रामीण समाज ही रह जाता है। उस अवस्था में भी अगर उन्हें अनुभव की विचित्रता के लिए उचित वायुमंडल न मिल सके तो उन की बौद्धिक प्रगति तो दूर रही विद्यालयों से प्राप्त बुद्धि पर भी काई जमती जायगी। इन तमाम बातों को देखते हुए मेरी निश्चित धारणा है कि हमारी उत्पत्ति का प्रकार केवल “दस्तकारी” न होकर “ग्राम-उद्योग” होना चाहिए और उसका संघटन आवश्यकता के अनुपात से गाँव-गाँव में फैलाकर होना चाहिए।

अब तक मैंने जो हिसाब बताया है वह सारी आवादी के आवश्यक सामान, उसकी प्राप्ति के उपाय और जन सख्या के लिए कार्यक्रम का हिसाब था। हमको इस बात पर भी विचार करना होगा कि इन तमाम उद्योगों के संचालन के लिए संघटन कैसा हो। शुरू करते ही सारा समाज एकाएक कुछ सम्पूर्ण स्वावलम्बी तो नहीं हो जाता। हमको उद्योगों के लिए कारीगर तैयार करना है। उनके लिए

कच्चे माल का स्टॉक करना है; ऊँछ सामानों को स्थानान्तरित करना है। ग्रामीण आवश्यकता पूरी होने पर बढ़ती मालों को बाहर ले जाकर बेचना है। इन तमाम बातों को करने के लिए कोई संघटन, व्यवस्था और कुछ संचालन की आवश्यकता होगी ही। इस बारे में मैंने अपना विचार संक्षेप में पहले भी प्रगट किया था। उद्योगों को गृह-उद्योग, कुटुम्ब-उद्योग तथा ग्राम-उद्योग के रूप में संचालित करने के विभिन्न तरीकों का जिक्र किया था। खेती में जिस प्रकार सहयोग के आधार पर सम्मिलित खेती का प्रबन्ध करने का प्रस्ताव है उसी तरह उद्योगों के लिए भिन्न-भिन्न सहयोग-समितियाँ बनानी पड़ेंगी। प्रथमतः इन समितियों की देख-भाल, उनके लिए कच्चे माल आदि की व्यवस्था, बाजार की व्यवस्था आदि बहुत से काम सरकारी महकमों को करने होंगे। फिर क्रमशः ये समितियाँ स्वावलम्बी होती जायँगी।

अब देखना यह है उत्पत्ति की प्रक्रिया को उत्पादक व्यक्तिगत व स्वतन्त्र रूप से चलावे या समिति द्वारा उसका संचालन हो? विकेन्द्रीकरण का पूर्ण आदर्श तो अन्तिम व्यक्ति-स्वतन्त्रता है। अतः ग्राम-उद्योग का काम प्रधानतः व्यक्तिगत रूप से ही चलना चाहिए। केवल उन्हीं उद्योगों को समिति के संचालन में चलाना है जिसे कोई कुटुम्ब अकेला न चला सके। विक्री के लिए जहाँ तक उत्पादक और ग्राहक का प्रत्यक्ष लेन-देन हो सके वहाँ तक वे व्यक्तिगत रूप से अपना सम्बन्ध कायम रखें। लेकिन जहाँ बाहर भेजने की बात हो वहाँ व्यापारियों के बजाय उत्पादकों की समितियों की माफत ही लेन-देन करना होगा।

उद्योगों का सिलसिला—ग्राम-उद्योग के घटन का सिद्धान्त निश्चित करने के बाद राष्ट्रीय सरकार को प्रान्त भर के मौजूदा ग्राम-उद्योगों के बारे में पूर्ण रूप से जाँच करनी होगी। उनको देखना होगा कि (१) कौन-कौन उद्योग ऐसे हैं जो कुछ ठीक हालत पर अभी भी चल रहे हैं (२) कौन-कौन उद्योग मृतप्राय हालत में हैं और

(३) कौन-कौन उद्योग विल्कुल मृत हैं और (४) कौन-कौन उद्योगों को नये सिरे से चलाना है जो पहले कभी भारत में थे ही नहीं। इन बातों को देखकर उद्योगों के संघटन का सिलसिला जारी करना है क्योंकि इन्से काम में सहूलियत होगी। कार्यक्रमों का सिलसिला निश्चित करते समय केवल उपर्युक्त बातों पर ही ध्यान होगा, ऐसी बात नहीं। आवश्यकताओं के महत्व पर भी कार्यक्रमों का सिलसिला निर्भर करता है। जिस चीज की आवश्यकता ज्यादा है, उसका संघटन पहले करना है। ठठेर का काम आज अपने प्रान्त में ठीक हालत में चल रहा है और चर्खा करीब मर चुका है लेकिन वस्त्र की आवश्यकता का महत्व देखते हुए हम चर्खे का संघटन पहले शुरू करेंगे। अतः योजना का व्यौरा बनाते समय उद्योगकी हालत तथा महत्व दोनों पर ध्यान रखना होगा।

उद्योगों की हालत की जाँच के साथ-साथ कच्चे माल की प्राप्ति के जरियों की जाँच करनी होगी। अब तक हमको यह मालूम नहीं कि प्रान्त के जंगलों से क्या-क्या कच्चा माल किस परिमाण में मिल सकता है। इनकी पूरी तालिका बननी चाहिए। जितने उद्योगों का संघटन करना है उनके लिए कौन-कौन कच्चा माल कितने परिमाण में चाहिए उसकी तालिका अलग से बननी चाहिए फिर उनको प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से अलग योजना बनानी होगी। इस प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करने की व्यवस्था शुरू-शुरू में सरकार को ही करनी होगी।

जंगल की व्यवस्था—उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करने का एक प्रधान जरिया जंगल है। अतः भविष्य में जंगलों की व्यवस्था के लिए काफी योग्य विभाग होना चाहिए। आज प्रान्त में जो जंगल विभाग है वह किसी काम का नहीं है। उनका काम देखने से मालूम होता है कि कोई ठेकेदार काम कर रहा है। उनका मुख्य काम है लकड़ी काट-काट कर बेचना और जितनी जगह खाली होती जाय उतनी में और पेड़ लगा देना। पिछले पत्र में कितना जंगल इस प्रान्त

में है उसका हिसाब लिख भेजा था। उससे ज्यादा जंगल अब हो भी नहीं सकता। हमने अपनी ग्राम-सुधार योजना में मकानादि की जो आवश्यकता का अन्दाज किया है उस हिसाब से जितनी लकड़ी चाहिए उतनी लकड़ी जंगलों से लेने से आज के जंगलों की आयु कितनी रह जायगी, यह बताना कठिन है। उन पर माँग का बोझ पहले से बढ़ेगा, इसमें कोई रुन्देह नहीं। अतः जंगल विभाग को लकड़ी की व्यवस्था इस प्रकार करनी होगी जिससे बढ़ी माँग के होते हुए भी जंगल पर का बोझ इतना न हो जिससे काल-क्रम में जंगल ही खत्म हो जावें। इसलिए आज की तरह महकमा का काम केवल पेड़ काट कर बेचना नहीं है बल्कि उसे सुखा कर तथा रासायनिक और अन्य प्रक्रियाओं से उनकी आयु बढ़ा कर ग्राहक को देना है जिससे अधिक टिकाऊ होने से लकड़ी के इस्तेमाल में वृद्धि होने पर भी जंगलों पर माँग के बोझ में विशेष बढ़ती न हो सके।

तुम जंगली प्रान्त में रहती हो इसलिए जंगलों का अनुभव काफी होगा। तुमको मालूम है, पशुओं के चरने के लिए जंगल का एक खास इलाका होता है। दूर गाँव की गाय-भैंस जब दूध देना बन्द कर देती हैं तो उन्हें दूसरी विधान तक जंगल के पास के गाँव में भेज देने की प्रथा की बात सुनी ही होगी। लेकिन जंगली इलाकों की जो हालत आज है उस पर गाय भैंस टहल ही सकती हैं, चर नहीं सकती हैं। आज उस पर घास की खेती नहीं की जाती। हमारी योजना में जितनी चरने की जमीन है उस पर संयोजित रूप से घास पैदा करने की व्यवस्था करनी होगी। इस प्रकार जंगल विभाग के जिम्मे तीन मुख्य कार्य होंगे—(१) उद्योगों के लिए कच्चा माल पैदा करना, (२) लकड़ियों की वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्था करना और (३) चरागाह का प्रबन्ध करना।

संक्षेप में मैंने उत्पत्ति-सम्बन्धी जितने कार्य-क्रम चलाने होंगे, उनका व्यौरा और किस तरह उनकी व्यवस्था की जायगी उसका कुछ संकेत इस पत्र में लिख भेजा। इतने से भविष्य में हमको जो योजना

वनानी होंगी उसका एक काम-चलाऊ आधार बन जाता है। इसके लिए मैंने उद्योगों की आवश्यकता और उनके लिए परिवारों की संख्या का जो हिसाब किया है वह बिल्कुल आनुमानिक है। वास्तविक योजना बनाने समय इनमें कुछ हेर-फेर अवश्य होगा। लेकिन मेरा विश्वास है कि मूलतः विशेष परिवर्तन इस हिसाब में शायद ही हो। अतः इस हिसाब को काफी निश्चित संकेत तथा आधार तो तुम निश्चय मान सकती हो।

अब जन सेवा-सम्बन्धी कार्यक्रम बाकी रह गया। उनकी बाबत २।४ दिन में लिखूँगा। तुम मेरे पत्रों को साथियों को भी दिखाना। आज कल बापू जी रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर दे रहे हैं। वे तो हमेशा ही जोर देते रहे हैं लेकिन आज कल जो कांग्रेस जन बाहर हैं वे कुछ पहले से ज्यादा इस बात की ओर ध्यान दे रहे हैं। मेरे इन पत्रों से उन साथियों की कुछ सेवा हो जाय तो अच्छा हो। इसलिए ही मैं कह रहा था कि इन्हें अधिक से अधिक मित्रों को दिखा सको तो उपकार होगा। आज गर्मी बहुत रही है। अतः खतम करता हूँ।

सब भाई-बहिनों को मेरा सादर नमस्कार।

[१४]

जन-सेवा का कार्यक्रम

७—७—४४

हाँ, उस दिन जन-सेवा-सम्बन्धी कार्यक्रमों की बाबत अपना विचार प्रकट करने को कहा था। ग्राम-सुधार के लिए यह कार्यक्रम निम्नलिखित विभागों में बाँटा जा सकता है :—

(१) सफाई व स्वास्थ्य (२) शिक्षा और संस्कृति, (३) यातायात (४) आर्थिक लेन-देन, बैंक आदि (५) संघटन तथा शासन।

अब अच्छा यह होगा कि हम एक-एक विषय पर अलग-अलग विचार करें।

१. सफाई व स्वास्थ्य—आज कल विदेशी समालोचकों से सुर मिलाकर अपने यहाँ के शिक्षित लोगों का यह नारा हो गया है कि हमारे

यहां के लोगों को प्रतिवेशी धर्म ('सोशल सेंस') नहीं है, वे केवल चौका साफ रखना जानते हैं इसलिए गाँव भर में गन्दगी फैली रहती है। लेकिन क्या यह बात सही है? क्या भारत की सभ्यता में प्रतिवेशी धर्म का स्थान नहीं है? क्या यह गुण मानव-समाज को यूरोप ने ही दिया है? मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं है। भारत सफाई तथा स्वच्छता का जितना पुजारी रहा है उतना सम्भवतः आज तक संसार में कोई जाति नहीं हुई है। आन्तरिक तथा बाहरी स्वच्छता ही भारत का प्रधान समाज-धर्म रहा है। केवल गाँव के अन्दर ही नहीं बल्कि जिससे गाँव के चारों ओर की वायु शुद्ध रहे, उसकी फिक्र पंचायत को रखनी पड़ती थी। मुर्दा न गाड़कर जलाकर भस्म करने की स्वास्थ्यकर प्रथा केवल इस-भारत में ही है। मृत पशुओं को दूर फेंकना पंचायती नियमों में ही शामिल था। केवल इतना ही नहीं भारत की सामाजिक प्रथा ने टट्टी, पेशाब, थूकना, खांसना, छींकना, मुँह खोल कर जम्हाई लेना आदि प्रत्येक अस्वास्थ्यकर क्रिया के लिए स्थान, काल तथा रीति निर्धारित कर रखी थी। और हरेक भारतवासी ने इन बातों को संस्कारभूत बना लिया था। सफाई, स्वास्थ्य आदि के नियम उल्लंघन करने के लिए पंचायत की ओर से दंड भी स्थिर कर रक्खा था। कौटिल्य अर्थशास्त्र में नाबदान के नियमों को बयान करते हुए कहा गया है कि "प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिवेशी की जमीन से कम से कम ३ पदों की दूरी पर ऐसा नाबदान (नाली) बनाना होगा जिस से पानी सीधे नाली की ढाल से जोरों से बहता हुआ जाय या हमेशा नीचे गिरता रहे। इसका व्यतिक्रम होने पर ५४ पण का जुर्माना देना होगा।" इसी क्रिम के बहुत से नियम बने थे। होली का होलिका जलाना, दीपावली की सफाई तथा सजावट सब है क्या चीज? सामाजिक सफाई ही न? धूप और हवाओं की रक्षा के लिए गाँव के दक्षिण और पश्चिम दिशा में बाग लगाने आदि किसी ऐसे काम की मनाही है जिससे धूप रुक जाय। मनाही का नियम आज भी

लोग बिना दंड-भय के पालन करते रहते हैं। हां, युरोप के लोग प्रतिवेशी धर्म-पालन करते हैं सजा के डर से और हमारे यहां संस्कृति और धर्म में ये बातें शुमार करके इन्हें सहज बनाया गया था। लेकिन अत्येक देश के उत्थान-पतन का समय होता है। मैंने पहले एक पत्र में लिखा था कि सदियों से लूट और शोषण के भार से हमारे गांवों के लोग गरीबी की दशा पार करके वेहोशी की दशा में पहुंच गये हैं। निराशा और वेहोशी में आदमी प्रतिवेशी धर्म ही क्या किसी भी धर्म की रक्षा नहीं कर सकता है। अतः यह कहना कि भारत की संस्कृति में प्रतिवेशी धर्म का कोई स्थान ही नहीं है, मिस मेयो के जातीय प्रचार के साथ वह जाना ही है। आचार, विचार, रीति व नीति है क्या चीज ? समाज धर्म का उन्नत रूप ही न ?

कारण कुछ हो, हमारे ग्रामों की आज की दशा तो दयनीय है ही। घरों में नमी, धुआं आदि का हाल तो गांव गांव में देखने को मिलता है। मवेशियों को घर के अन्दर रखने की कुप्रथा की बावत मैंने लिखा ही है। गांव में गड्डों की अधिकता, उसी में तमाम गन्दगी का एकत्र होना और वही पानी काम में लाने की कहानी भी तुम्हें मालूम है। मच्छड़ मक्खियों ने मानों अपना ही राज्य सा बना लिया है। हमारे गाँव की गंदगी की बावत बापू जी के शब्द ही स्थिति को स्पष्ट कर देंगे। उनका कहना—“हमारे अधिकांश गाँव घूर की सी हालत में दिखाई देते हैं। उन में लोग जहाँ तहाँ पाखाना फिरते हैं, घर का अगवाड़ा तक नहीं छोड़ते। जहाँ पाखाना फिरते हैं वहाँ उसे तोपने की कोई फिक्र नहीं करते। गाँव में कहीं रास्ते ठीक नहीं रखे जाते; कहीं ऊँची मिट्टी का ढेर पड़ा है, कहीं गड्ढा हो रहा है; आदमी और पशु दोनों को चलने में तकलीफ होती है। पोखरे और पोखारियों में वर्तन माँजे धोये जाते हैं; पशु पानी पीते हैं; नहाते हैं, पड़े रहते हैं। उनमें छोटे और बड़े भी आवदस्त लेते हैं; और पड़ोस ही में पाखाना फिरना तो आम बात है। यही पानी पीने और पकाने के

काम में लाया जाता है। “घर बनाने में किसी भी तरह के नियम की परवाह नहीं की जाती। न पड़ोसी की सहूलियत का ख्याल किया जाता है, न अपनी धूप, रोशनी और हवा का।”

अतएव हमें गाँव की सफाई तथा स्वास्थ्य के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना होगा। पिछले पत्रों में राष्ट्रीय संस्थाओं की मार्फत ग्राम-सुधारक-योजना के मार्ग निर्देश करते समय सफाई और स्वास्थ्य के मौलिक सिद्धान्तों पर अपना विचार लिखा था। सरकार-द्वारा सुधार योजना में भी उसी सिद्धान्तानुसार कार्यक्रम बनाना चाहिए। गड्डों और जमीन की सतहों का सुधार मकान-निर्माण के साथ-साथ होता जायगा। सुधरे गाँव का जो केन्द्रीय गड्ढा तालाब का रूप लेगा उसका पानी साफ रहे, यह पंचायत की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे उसमें वर्तन माँजना, आवदस्त लेना, कपड़ा धोना आदि न कर सकें। तालाब में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पालकर उसका पानी स्वच्छ रखने का प्रयत्न करना चाहिए। नाबदान बनाने के लिए कुछ निश्चित रीति व नीति निर्धारित होनी चाहिए। घर के नाबदान की बनावट ऐसी हो जिससे उसमें का पानी खाद बनने के काम में आ सके। उस पानी को एकत्र करके प्रति दिन साफ करने की प्रथा जारी करनी चाहिए। खेती की जो परती जमीन खाली होती है उसमें ग्राम-समिति की ओर से घेरा डालकर और नालियाँ खोदकर टट्टी बनाने का संघटन होना चाहिए। इन घेरों को इस ढंग से बनवाना चाहिए जिससे उन्हें स्थानान्तरित किया जा सके, तुम कहोगी, जीवन-व्यापी आदत एक दिन में कैसे दूर होगी? मैं इसे मानता हूँ और एक दिन में यह सब हो जायगा, ऐसी कभी कल्पना नहीं करता हूँ। लेकिन जब सर्वांगीण ग्राम-उत्थान के कार्यक्रम बनाओगी तो शिक्षा, संस्कृति आदि सभी बातों की उन्नति की बात रहेगी न? कुछ शिक्षा से, कुछ संघटन से और कुछ कानून से सामाजिक कुप्रथाएँ बदला करती हैं। फिर धीरे-धीरे वही बात आदत के

अन्तर्गत हो जाती है। टट्टी की समस्या हल करने के लिए एक दम गाँव भर को न छोड़कर पहले स्त्रियों के लिए अलग घेरा बनाकर कार्य आरम्भ करना चाहिए। पर्दे की आवश्यकता के कारण इस प्रकार की व्यवस्था का स्त्रियाँ स्वागत ही करेंगी। क्रमशः जब टट्टी के इस्तेमाल का फायदा देखने लगेगा तो दूसरे भी इस व्यवस्था के चाहने वाले हो जायेंगे। जब गाँव के लोगों की चाह काफी हो जायेंगी पर ढिलाई के कारण सार्वजनिक न बन पायेगी तब इस विषय में थोड़े कानून भी बनाने होंगे। साथ ही पुरुषों को टट्टी जाते समय खुरपी का इस्तेमाल करने की आदत डलवानी होगी जिससे गड्ढा खोदकर टट्टी फिर सकें। गाँव में सभी कुओं की कोठी जमीन से ऊँची रहनी चाहिए और ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कुएँ के आस-पास पानी भरने न पावे और बहकर दूर चला जाय। इस प्रकार कुएँ का पानी नाली से दूर तक लेजाकर केला, तरकारी आदि पैदा करने के काम में इस्तेमाल करना चाहिए।

गाँव के नक्शे के विषय में लिखते समय मैंने पाठशाला के साथ खेल-कूद, आमोद-प्रमोद आदि के लिए एक अखाड़ा यानि क्लब घर बनाने का जिक्र किया था। वस्तुतः खेल-कूद तथा आमोद-प्रमोद स्वास्थ्य बनाने का और रक्षा का बहुत जरूरी उपाय है। इन क्लबों का संघटन करने में कुछ भी कठिनाई न होगी। इन्हीं अखाड़ों की मार्फत विभिन्न त्यौहारों का भी संघटन करना आसान होगा।

पाँच साल पहले फैजाबाद जिले के ग्राम-सुधार महकमा का मार्फत मैंने जब ग्राम-सेविका शिक्षा-शिविर खोला था तो तुमसे भी उसके संचालन की वायत सलाह की थी। तुमने धात्री-विज्ञान तथा शिशुपालन की शिक्षा की व्यवस्था रखने का प्रस्ताव किया था। सचमुच देहातों में शिशुपालन की पद्धतियों के अज्ञान के कारण लाखों शिशुओं की मृत्यु होती है। अतः स्त्री-शिक्षा के साथ इस दिशा में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके लिए प्रत्येक जिले में सेविका-शिक्षा-शिविरों का संघटन करना होगा। ऐसे शिविर

एक स्थान में स्थायी न होकर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में घूमते रहें तो ग्राम जनता की दृष्टि इस प्रकार की शिक्षा की ओर आकर्षित होगी और क्रमशः ग्राम-समितियों को इस प्रकार के केन्द्रों के संघटन की ओर दिलचस्पी होगी। शिशुपालन के प्रश्न के साथ एक दूसरा प्रश्न भी उठता है। मैंने उत्पत्ति के लिए कृषि और ग्राम-उद्योगों की जो योजना बनाई है उसमें सब स्त्रियों के लिए कोई न कोई कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। १५ साल तकके लड़के-लड़कियों के लिए पढ़ने की व्यवस्था भी की गई है। ऐसी हालत में छोटे बच्चों को सम्हालने के लिए कोई ग्राम-संस्था कायम करनी ही होगी। इसके लिए प्रत्येक गाँव में एक शिशु-विहार का संघटन करना होगा। इन बच्चों के लिए अलग आँगन और घर बनाना होगा। गाँव की वृद्धाओं के जिम्मे यह काम आसानी से दिया जा सकता है। बच्चों के लिए खेल-कूद का सामान जुटाना पड़ेगा। इन्हीं खेलों के द्वारा उनकी बुद्धि तथा संस्कृति के विकास का सूत्रपात शिशुविहार में करना होगा। इस संस्था में शिशुपालन तथा शिशु-शिक्षा दोनों काम साथ-साथ होना चाहिए। आज माताएँ काम के समय अपने छोटे बच्चों को जिस तरह एक बड़े बच्चे के साथ घर से बाहर भेज दिया करती हैं उसी तरह वे अपने छोटे बच्चों को अपने काम के समय इन विहारों के जिम्मे कर देंगी। शिशु विहार की देख-रेख में बच्चों की आदत तथा स्वास्थ्य शुद्धता के साथ बन सकेगा। आज कल लाजमी शिक्षा की बात दुनिया में सब लोग करते हैं। लाजमी शिक्षा का अर्थ है सब पढ़ने लायक बच्चे विद्यालय जायँ। वैसी हालत में बड़े बच्चे छोटे बच्चों को सम्हालने को नहीं रह जायँगे। फिर शिशुविहार ही उपाय है।

सफाई तथा स्वास्थ्य-सम्बन्धी व्यवस्था के कारण लोग बीमार कम पड़ेगे। लेकिन फिर भी कुछ सामान्य बीमारी और कुछ महामारी की समस्या तो बनी ही रहेगी। इसके लिए औषधालय, डाक्टर, वैद्य, इकीम आदि का प्रबन्ध ग्राम-सुधार विभाग को करना होगा। यह

काम समितियों के अधीन संघटित करना ठीक होगा। केवल वैद्यों की शिक्षा का प्रबन्ध सरकार-द्वारा होगा। इसके लिए सरकार को यह तय करना होगा कि सारे प्रान्त के लिए कितने वैद्यों की आवश्यकता है और कितने मौजूद हैं। बाकी के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करना होगा। मेरी राय में साधारण प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक जिले के औषधालय के साथ ही होनी चाहिए, फिर उच्च शिक्षा के लिए विशेष विद्यालयों की व्यवस्था कहीं-कहीं (प्रान्त भर में ५-६ स्थानों में) करना काफी होगा। डाक्टर, वैद्यों के उपरान्त हमारे प्रत्येक विद्यालय के पाठ्यक्रम में गृहस्थ विज्ञान के साथ ग्रामीण जड़ी बूटियों से चिकित्सा तथा आरोग्य-विज्ञान का भी समावेश होना चाहिए ताकि चिकित्सा के इस प्राथमिक उपाय का ज्ञान सार्वजनिक हो सके।

इस प्रकार संक्षेप में मैंने गाँव के अन्दर की सफाई तथा स्वास्थ्य-सम्बन्धी प्रश्नों पर कुछ अपना विचार प्रकट करने की चेष्टा की। लेकिन गाँव के अन्दर की व्यवस्था ठीक कर लेने से ही स्वास्थ्य की समस्या हल नहीं हो जाती। पिछले पत्र में खेती-सम्बन्धी विविध प्रश्नों पर विचार करते समय मैंने रेल व नहरों के कारण पानी जमा होकर नमी तथा सड़न के कारण किस प्रकार मलेरिया आदि से सैकड़ों गाँव परेशान रहते हैं, यह भी बातया था। केवल नहर और रेल के कारण ही नहीं, वैसे भी हमारे देहाती इलाकों में बहुत से छिछले ताल-तलाइयाँ स्वाभाविक रूप से मौजूद हैं, और उनके किनारों के पत्ते आदि भी उसी में गिरकर सड़ते हैं। इन तालों के कारण भी देहाती क्षेत्र की वायु दूषित होती है। इनका भी कुछ उपाय सरकार को करना होगा। प्रथमतः पानी के निकास का रास्ता रेल लाइन और नहरों के बीच काफी बढ़ाना होगा। इसके लिए उचित जाँच करके सम्पूर्ण नकशा बनाकर ही काम करना होगा। जहाँ पानी के लगातार निकास के लिए ढाल मिलना सम्भव नहीं है वहाँ जमीन में कुएँ बनाकर पानी को भूगर्भ की ओर बहा देने का प्रबन्ध करना होगा।

पानी वहाने का यह एक खास विज्ञान है जिसके व्यौरे पर अभी विचार करना कठिन है। यह काम विशेषज्ञों का है। लेकिन इस प्रकार का प्रबन्ध अन्तिम स्थिति पर ही करना चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो पानी रोककर जलाशयों की ही योजना बनानी चाहिए। ताल-तलाइयों के मध्य में गहरी खोदाई कर जलाशय बनाना और उसके चारों तरफ की जमीन खेती के लिए निकाल लेने का प्रस्ताव, मैंने सिंचाई के प्रबन्ध के सिलसिले में किया है। इस प्रकार जलाशयों के पानी को सेवार मछली आदि के द्वारा साफ रखने का प्रबन्ध किया जा सकता है।

२—शिक्षा और संस्कृति—हमारे प्रान्त की शिक्षा की दशा कितनी शोचनीय है, इसका हिसाब मैं भेज चुका हूँ। वस्तुतः इस प्रान्त के देहातों में जितनी शिक्षा आज है उसे नहीं के बराबर समझना चाहिए। अतः अगर हमें शिक्षा का कुछ प्रबन्ध करना है तो उसे शुरू से ही आरम्भ करना होगा। हमें देखना है कि सारे प्रान्त में कितने लड़कों को पढ़ाना है। गाँव की आवादी का व्यौरा लिखते समय बताया था कि पढ़ने लायक लड़के तथा लड़कियाँ हर गाँव में १२२ हैं। हम चाहे जितनी पढ़ाई को कानून से अनिवार्य कर दें फिर भी कुछ लड़के किन्हीं कारणों से नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ११० लड़के तो अवश्य ही पढ़ेंगे। इसमें लगभग ६७ लड़के ६ से १२ साल के और ४३ लड़के १२ से १५ साल के होंगे यानी प्रति ग्राम ५६ लड़के दर्जा ४ और ४५ लड़के मिडिल तक के होंगे। इन सब को पढ़ाने के लिए प्रत्येक गाँव में दर्जा ४ तक के स्कूल और हर तीन गाँव के बीच एक मिडिल स्कूल रखना होगा। अगर ३०% लड़के भी माध्यमिक शिक्षा लेना चाहें तो हर बीस गाँव में एक माध्यमिक विद्यालय रखना पड़ेगा। इस हिसाब से प्रान्त भर में १,०२,३८८ दर्जा ४ तक के स्कूलों, ३४,१२६ मिडिल स्कूलों और ५११६ माध्यमिक विद्यालय की आवश्यकता होगी। इतने विद्यालयों का प्रबन्ध करने के लिए सब से पहले हमें शिक्षकों की आवश्यकता होगी। अतः यह देखना है कि इन

विद्यालयों में पढ़ाने के लिए कितने शिक्षक चाहिए। हमारी योजना में पढ़ाई के साथ उद्योग का काम अवश्य रहेगा। अतः हमको क्रमशः दर्जा ४ तक के लिए ४ शिक्षक प्रति विद्यालय चाहिए। इस हिसाब से प्रान्त भर में हमको निम्नलिखित संख्या में शिक्षकों की आवश्यकता होगी।

दर्जा ४ तक के लिए	१०२३८८	× ५	= ५११९४०
” ७ ” ” ”	३४१२९	× ४	= १३६५१६
माध्यमिक दर्जों के लिए	४११९	× ४	= २०४७६
जाड़ =			६६८९३२

मैंने दर्जा ४ में ५ शिक्षक की आवश्यकता बताई है। कारण यह है कि दर्जा १ से पहले भी एक शिशु-विभाग रखना शायद आवश्यक हो जाय। इतने शिक्षक तैयार करना कितना कठिन काम है, इसका अन्दाज तब लगेगा जब आज की स्थिति से अपने ध्येय की तुलना करोगी। नीचे की तालिका से स्थिति भलीभाँति मालूम हो जायगी :—

प्रकार स्कूल ————— आज की स्थिति ————— हमारा ध्येय

	सं० स्कूल		सं० शिक्षक		सं० स्कूल	सं० शिक्षक
	कन्या	बालक	कन्या	बालक		
दर्जा ४ तक	११०२	१६६३६	१२५४	३१,०८४	१०२३८८	५११९४०
दर्जा ७ तक	३६	४९३	१२८	२४२६	३४१२९	१३६५१६
माध्यमिक	X	१५	X	२३२	४११९	२०४७६
	१,१३८ १७१४१		१३८२ ३३७४२		१४१६३६	३६८ ३२
	१८,२७९		३५१२४		१४१६३६	३६८९३२

ऊपर की तालिका से स्पष्ट हो जायगा कि हमारे प्रान्त के गाँवों में जितने विद्यालय हैं उनके ७.७ गुने विद्यालयों और करीब ११ गुने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। विद्यालय की संख्या का ७.७ गुना कहने से ठीक अन्दाज नहीं लगेगा। वस्तुतः हमको उससे अधिक का प्रबन्ध करना है क्योंकि दर्जा ४ तक के स्कूलों की जो संख्या तालिका में दी हुई है उसमें वे स्कूल भी शामिल हैं जो सिर्फ दर्जा २ तक ही

हैं। अतः उन्हें दर्जा ४ तक का बनाना भी एक काम है। तात्पर्य यह है कि शिक्षा-सम्बन्धी जितना प्रबन्ध करना है आज उसके दशमांश के करीब की ही व्यवस्था है, सो भी पुरानी प्रणाली की है जिसे नई पद्धति के अनुकूल उपयोगी बनाना पड़ेगा।*

अब प्रश्न यह उठता है कि इतने शिक्षण के लिए उपयोगी शिक्षित जन हमारे प्रान्त में हैं या नहीं। विद्यालयों के अध्यापन के लिए हमारे शिक्षकों की कितनी योग्यता होनी चाहिए, यह तुम्हीं ठीक-ठीक बता सकोगी। मेरे ख्याल से प्रारम्भ में निम्नलिखित योग्यता के लोगों को शिक्षा देकर शिक्षण के उपयोगी बनाया जा सकेगा।

दर्जा ४ तक के लिए	मिडिल पास
दर्जा ७ तक के लिए	माध्यमिक पास
माध्यमिक के लिए	डिग्री पास

अब देखना यह है कि इतनी योग्यतावाले कुल शिक्षक हमें मिल सकेंगे या नहीं। आज कल प्रान्त भर में दर्जा ७ और ८ में ६१६६५ छात्र हैं। इनमें लगभग ४०,००० छात्र तो पास करते ही हैं। अगर हम यह मान लें कि चार साल तक के पास किये छात्रों की संख्या को उचित काम नहीं मिलता है तो भी कुल १६०,००० मिडिल पास नवजवान मिलेंगे। इनमें अध्यापन के योग्य मुश्किल से २० प्रतिशत होंगे। इस तरह दर्जा चार के शिक्षण के लिए ३०,००० से अधिक नहीं मिलेंगे। मौजूदा शिक्षकों में से मुश्किल से १०,००० शिक्षक अपने काम के होंगे। इस तरह हमें ४०,००० शिक्षक इस काम के लिए प्राप्त होंगे, और हमको चाहिए ५ लाख शिक्षक। मैंने कहा था कि हमारी योजना पूरी होते १५ साल लग ही जायेंगे। १५ साल में ४,६०,००० दर्जा ४ तक के लिए नये शिक्षक चाहिए यानी हर साल ३१००० नये शिक्षक मिडिल पास योग्यता वालों में से तैयार करना है। इसी प्रकार दर्जा १०, ११, और १२ में आज कुल २१२६० छात्र

आज के आँकड़ों में और वृद्धि होगी।

है। इनमें १०,००० के करीब छात्र हर साल पास करेंगे। अगर यह मान लिया जाय कि ३ साल की पासशुदा आवादी बैठी होगी तो ६०,००० शिक्षित जन मिलेंगे जिनमें ६००० से अधिक शिक्षक योग्य न होंगे। इस दर्जे के स्कूलों में आज २४२६ शिक्षक मौजूद हैं जिनमें ज्यादा से ज्यादा ५०० अपने काम लायक होंगे। इस तरह ७ तक के स्कूलों के लिए आज हमको ६५०० शिक्षक प्राप्य हैं, और हमारी योजना में आवश्यकता है १३७००० शिक्षकोंकी, यानी हर साल हमें ८७०० शिक्षकों की आवश्यकता है। इसी प्रकार से माध्यामिक विद्यालयों के लिए शिक्षक-प्राप्ति की समस्या रहेगी। इन हिसाबों से तुम को स्पष्ट हो जायगा कि प्रथम १५ साल शिक्षा-विभाग के सामने शिक्षक ट्रेनिङ्ग की समस्या ही सबसे जटिल और महत्व की होगी।

अगर इतने में हमारी समस्या हल हो जाय तो भा गनीमत है। प्राथमिक शिक्षा के पहले दर्जों के लिए शिक्षक चुनने के बारे में मेरी राय तुमको मालूम है। मेरी निश्चित धारणा यह है कि छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए स्त्रियाँ ही उपयोगी हो सकती हैं। इस काम के लिए पुरुष शिक्षक नितान्त अयोग्य होते हैं। अतः प्रारम्भ में पुरुष शिक्षक से कार्यारम्भ करने पर भी क्रमशः स्त्री अध्यापिकाओं का प्रबन्ध करना होगा। अच्छा हो अगर शिक्षक सपत्नीक काम करने के योग्य हों। हम शिक्षक ट्रेनिंग की जो भी योजना बनावें उसे ऊपर की बातों पर ध्यान देकर ही बनावें। इस तरह शिक्षक-प्राप्ति की समस्या पर मैंने अपना विचार प्रकट किया। लेकिन अगर ऊपर लिखे सिद्धान्तानुसार १५ साल में भी योग्य शिक्षक तैयार नहीं हो सके तो क्या मामूली पासशुदा लोगों से काम चलाकर अपनी योजना पूरी कर दें ? मेरी राय यह है कि इस काम में जल्दी नहीं करनी चाहिए। शिक्षक का दृष्टिकोण और योग्यता हमारी धारणा के अनुसार ही होनी चाहिए, चाहे इसके लिए हमारी योजना की पूर्ति में देर हो जाय।

शिक्षकों को किस दृष्टिकोण से शिक्षा दी जाय, यह विचारणीय

है। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम पहले निश्चय कर लें कि हमारी शिक्षा की पद्धति क्या हो। इस विषय पर मुझको अधिक सोचने की आवश्यकता ही क्या? तुम लोगों के तालीमी संघ के निर्देशानुसार वेसिक शिक्षा पद्धति को ही हमें ग्रहण करना है। विचार केवल इस बात का करना है कि हम एक दम तमाम विद्यालयों को वेसिक पद्धति के अनुसार चलावें या कुछ स्कूलों में नई तालीम का पाठ्य-क्रम जारी करके बाकी को पूर्ववत् चलने दें और क्रमशः नई तालीम के विद्यालयों की संख्या में वृद्धि करते चलें अथवा, जैसा कि मैं रण्डीवां में प्रयोग कर रहा था, पहले तमाम विद्यालयों में उद्योग का काम पढ़ाई के साथ शुरू किया जाय, और क्रमशः उद्योग का व्यावहारिक संगठन पूरा होने पर औद्योगिक वायुमंडल सहज हो जाने पर नई तालीम पूर्ण रूप से शुरू कराई जाय। मैं इस तीसरे प्रकार का मार्ग अच्छा समझता हूँ। प्रथमतः शिक्षकों को उद्योग का काम और उसकी कला, कौशल तथा उपयोगिता के लिए योग्य बनना ही बहुत बड़ा काम है। उस पर अगर साथ ही साथ नई तालीम भी उन्हें संघटित करनी पड़ेगी तो दोनों में सामंजस्य न रख सकने के कारण औद्योगिक उत्पत्ति को ऐसा बना देंगे कि उससे समाज का कोई लाभ नहीं हो सकेगा। फलस्वरूप शिक्षा इतनी खर्चीली हो जायगी कि व्यापक शिक्षा का प्रबन्ध असम्भव होगा। साथ ही नई तालीम के उद्योग से अनुबन्धित न कर सकने के कारण जनता में नई तालीम का ठीक बोध न हो सकेगा। पिछले दिनों युक्तप्रान्त की कांग्रेस सरकार ने नई तालीम को चलाने में इसी तरह जल्दबाजी की। नतीजा यह हुआ कि लड़के न उद्योग सीख पाये और न उनकी पढ़ाई हो पाई। अतः मेरा प्रस्ताव है कि पहले उद्योग के संघटन को ठोस बना कर फिर नई तालीम की पद्धति जारी करनी चाहिए। साथ ही चुने हुए इलाकों में पूर्ण रूप से नई तालीम का काम जारी कर देना चाहिए जिससे कम से कम शिक्षकों की ट्रेनिंग का काम चलता रहे।

प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कृषि तथा उद्योग-सम्बन्धी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध आप से आप साधारण पाठ्यक्रम के साथ हो जायगा। लेकिन उन्नत तथा वैज्ञानिक ढंग से कृषि व ग्राम-उद्योग के कार्य-संचालन तथा प्रयोग के लिए हमारे देहातों में विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। कृषि तथा विभिन्न उद्योगों के प्रयोग और शिक्षा के लिए विशेष संस्थाओं की जरूरत पड़ेगी। विशेष प्रयोग, प्रान्तीय निरीक्षण तथा कला-विशारदों की शिक्षा के लिए एक केन्द्रीय ग्राम-सुधार शिक्षा-निकेतन तथा प्रयोगशाला की स्थापना करनी होगी। उसके अलावा ग्राम-सुधार कार्यकर्त्ताओं और कृषि तथा उद्योग के विशेषज्ञों की शिक्षा के लिए प्रान्त भर में १० विशेष विद्यालय होने चाहिएँ और जिलों में कुशल कारीगरों के शिक्षाकेन्द्रों का संघटन करना होगा।

विद्यालयों में शिक्षा के अलावा साधारणतः समाज जीवन का हमें इस प्रकार संघटन करना होगा कि ग्रामीण जनता को शिक्षा तथा संस्कृति के वायुमंडल से लाभ होता रहे। त्यौहारों के संघटन की बात मैं लिख चुका हूँ। इनके अलावा अखाड़ा और क्लबघरों के साथ स्थायी रूप से नाटक-समाज, भजन मंडली, ग्राम-गोष्ठी आदि संस्थाओं का संघटन करना चाहिए, जिसमें नाटक, भजन, विभिन्न विषयों पर विचार-विनिमय का कार्यक्रम समय-समय पर होता रहे। इनके उपरान्त प्रत्येक गांव के विद्यालय के साथ, एक-एक पुस्तकालय का प्रबन्ध करना अच्छा होगा।

३—यातायात—आज सेवाग्राम तक पक्की सड़क बन गई है। लेकिन वापू के वहाँ जाने से पहले क्या हालत थी, तुमको याद होगा। जितने मित्र रणीवां जाते हैं वे सब से पहले एक बार कह ही डालते हैं—“यहाँ कहां आकर अपना आश्रम खोला है। यहां न सड़क, न सवारी। ऐसी जगहों पर आदमी किस तरह आयेगा ?” मेरी समझ में नहीं आता कि वे मित्र चाहते क्या हैं ? क्या ग्राम-सुधार का काम

शहरों में किया जाय ? वस्तुतः अगर भारत के देहातों की ओर देखो तो मालूम होगा कि देहातों में यातायात की कितनी असुविधा है। राजनैतिक तथा व्यापारिक आवश्यकता के लिए विभिन्न शहरों को मिलाने के लिए जो सड़कें बनी हैं उनके आस-पास में जो थोड़े ग्राम सौभाग्य से पड़ते हैं उनकी संख्या ही कितनी है ? सड़कों के बिना हमारे अधिकांश गांव दुनियां से बिल्कुल अलग रह जाते हैं। गांव में औद्योगिक और सांस्कृतिक विकास के साथ-साथ यातायात की सुगमता होना जरूरी है। अतएव भविष्य में सरकार की ओर से ग्राम-सुधार के लिए जो भी योजना बने उसमें यातायात की सुविधा का खास प्रोग्राम रखना होगा। इस बात का व्यौरा बनाना अभी मेरे लिए सम्भव नहीं है। उसे तो सारे प्रान्त के कुल गांवों का नक्शा सामने रख कर ही बनाना होगा। लेकिन एक अन्दाज तो हम अब भी लगा सकते हैं। युक्तप्रान्त में कुल १,०२,३८८ ग्राम हैं और क्षेत्रफल १०६२४७; यानी लगभग एक वर्ग मील प्रति ग्राम पड़ता है। अगर एक मील प्रति ग्राम की औसत के हिसाब से सड़क बन सके तो फिलहाल हमारा काम चल जायगा। शायद प्रारम्भिक योजना में इससे अधिक करना सम्भव भी नहीं है। अब इस बात पर विचार करना है कि सड़क कच्ची बने या पक्की। पक्की सड़क के लाभ की बात सब को मालूम है और सब उसे पसन्द करते हैं। लेकिन देहाती सड़क बनाते समय इस बात का ध्यान होना चाहिए कि सड़कों पर अधिकतर बैलगाड़ी ही चलेगी और उन गाड़ियों में खेती के बैल ही जोते जायेंगे। पक्की सड़क में चलाने पर खुर घिस जाने की शंका बनी रहती है। अगर सारी सड़क पक्की बन जाय तो खेती वाले बैल, जो साल में बहुत काफी समय बेकार रहते हैं, गाड़ियों में काम नहीं आवेंगे। इसके उपरान्त एक लाख मील पक्की सड़क बनाने के लिए कितनी पूँजी चाहिए उसका हिसाब तो करो ? बम्बई योजना वालों ने हिसाब लगाया है कि एक मील के लिए १०,०००) रुपया

की आवश्यकता होगी। इस हिसाब से एक अरब के ऊपर पूँजी चाहिए। यह प्रान्त की हैसियत के बाहर होगा। अगर हम कच्ची सड़क बनाते हैं तो भी समस्या जटिल हो जाती है। मैंने कहा है उद्योग, शिक्षा और संस्कृति के विकास के साथ यातायात की अधिकता स्वभावतः बढ़ेगी। कच्ची सड़क इस भीड़ के समय चलने वाली गाड़ियों के चक्कों से हमेशा कटती जायगी। नतीजा यह होगा कि सूखे समय में धूल और बरसात में कीचड़ से सड़कों का उद्देश्य ही विफल हो जायगा। आजकल ग्रामीण जीवन में यातायात की भीड़ नहीं है, फिर भी कच्ची सड़कों की क्या हालत है तुमसे छिपी नहीं। तब करना क्या है? पक्की सड़कों के लिए न हमारे पास पूँजी होगी और न इतने साधन हैं जिनसे बैलगाड़ियों के लिए अतिरिक्त बैल ही रख सकें। कच्ची सड़क बनाने से हमको विशेष लाभ नहीं होगा। इस समस्या को हल करने के लिए मेरे खयाल से हमारी सड़क ऐसी होनी चाहिए जिसमें केवल उतना ही हिस्सा पक्का हो जितने पर गाड़ी के पहिए चलते हैं बाकी कच्ची रहे। गोरखपुर जिले में चीनी कारखानों को जो सड़कें गई हैं उन्हें इसी प्रकार बनाया गया है। और वे सड़कें अच्छा काम देती हैं। इस प्रकार की सड़क बनाने में खर्च भी कम होगा और बैलों को आराम रहेगा।

४—आर्थिक लेनदेन—जहाँ इतने व्यापक रूप से उद्योगों का संघटन करना होगा वहाँ समय समय पर लोगों को रुपयों की आवश्यकता होगी। समाज चाहे जितना व्यवस्थित हो उद्योग के अलावा भी अवेर-सवेर लोगों को कुछ न कुछ लेन-देन करना ही होगा। हमें इसके लिए भी कोई व्यवस्थित संघटन कायम करना है। आज देहातों के लोग वैसे भी कर्ज के भार से लदे हुए हैं। शायद ही कोई आदमी मिलेगा जिस पर कर्ज का बोझ न हो। अतः लेन-देन की संस्था कायम करने से पहले हमको आज के कर्ज की समस्या हल करना होगी। पिछले दिनों, जब कांग्रेसी सरकार कायम थी, इस प्रश्न पर विचार हो

रहा था। कुछ हिस्सों में कानून भी बन गया था। लेकिन वह काम पूरा नहीं हो सका। फिर कोई भी कानून एक बार बनाने पर सही नहीं हो सकता। वैधानिक सभा तो समाज-व्यवस्था की प्रयोगशाला-मात्र है। एक कानून बनता है; उसका असर समाज पर क्या पड़ा देखा जाता है। बाद को उस असर के आधार पर कानून की विभिन्न धाराओं में परिवर्तन किया जाता है। अतः यह कहना गलत न होगा कि कांग्रेस सरकार ने कर्ज की समस्या पर प्रयोग की अवस्था में ही पदत्याग किया। जो हो, जितना हुआ उससे कम से कम आगे के लिए अनुभव प्राप्त तो हो ही जायगा।

मैं जहाँ तक समझता हूँ कर्ज के सम्बन्ध में हमको कोई मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी और न समाज का ढाँचा बदलना पड़ेगा। हमें केवल आज के लेनदेन के तरीकों का सुधार करना होगा। वस्तुतः आज जो लोग कर्जदार हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अत्यधिक सूद के बहाने ली हुई कर्ज की कई गुनी रकम चुका दी है। हमको व्यवहार के इन अन्यायों को ठीक करना चाहिए। मेरी राय में उसके कुछ नियम इस प्रकार बन जायँ तो अच्छा होगा। जिन लोगों ने कर्ज पर सरकार-द्वारा निर्धारित दर से सूद और धन वापस कर दिया है उन्हें ऋणमुक्त माना जावे। जिनका कुछ बाकी रह गया उनके लिए नया दस्तावेज निर्धारित सूद के हिसाब से बनाया जाय। जो दिवालिया हैं उनका कर्ज रद्द हो। लोग कहेंगे कि यह दिवालियापन क्या बला है? यह कोई बला नहीं है। यह वही चीज है जो बड़े आदमी के लिए जायज थी लेकिन गरीबों के लिए नहीं। अगर मुनमुनवाला बालटीवाला देवालिया होने पर भी दोनों वक्त खाना खा सकता है, कोठियों में रह सकता है, अच्छा कपड़ा पहन सकता है और शायद मोटर पर भी बैठ सकता है तो गरीब ग्रामवासी को इतनी कानूनी रक्षा मिलनी ही चाहिए कि वे भी कर्ज से बरी होकर दोनों वक्त खा सकें, कपड़े पहन सकें और अपने मकान में आश्रय ले

सकें। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो कर्ज चुकता करने को चाकी रह जाय उसके लिए ऐसे नियम बनें जिससे महाजन कर्जदार को जिन्दा रहने के आवश्यक साधनों से वंचित न कर सकें।

लेकिन एक बार कर्ज की समस्या हल हो जाने से ही स्थायी समाधान नहीं हो सकेगा। स्थायी समाधान तो ग्रामीण सहयोग समिति-द्वारा कर्ज की व्यवस्था से ही होगा। अतः भविष्य में गांव के निजी कोऑपरेटिव बैंक का संघटन होना चाहिए। बैंक की ओर से ऐसे नियम बनाना चाहिए जिससे लोग खामखाह कर्ज न लें। व्यक्तिगत महाजनी प्रथा को तो समाप्त ही कर देना श्रेय होगा। महाजनी कोई ऐसा काम नहीं है जिसके हटने से समाज को कुछ आपत्ति हो सके। ऐसे काम में कुछ लोगों के खास तौर से पड़े रहने से समाज में तामस की ही वृद्धि होगी।

५—संघटन तथा अनुशासन—उपर्युक्त तमाम कार्यक्रमों के संघटन तथा संचालन के लिए कोई व्यवस्था कायम तो अवश्य करनी है। हमारा ध्येय तो स्वावलम्बन है, लेकिन ध्येय तक पहुँचने का कोई न कोई रास्ता तो बनाना ही होगा। सारे कार्यक्रमों को चलाने के लिए दो प्रकार के संघटन की आवश्यकता होगी—(१) ग्रामीण व्यवस्था और (२) सरकारी महकमा। ग्रामीण व्यवस्था की रूपरेखा पर अपना विचार प्रसंगवश कई जगह में प्रकट कर चुका हूँ। इस संघटन की बुनियादी इकाई ग्राम-समिति होगी। यह समिति ग्राम-पंचायत का काम भी करेगी। वस्तुतः ग्राम की सर्वांगीण व्यवस्था इसी समिति के अधीन होगी। इसके उपरान्त भिन्न-भिन्न उद्योगों के लिए विभिन्न तथा स्वतन्त्र सहकारी संस्थाएँ अलग रहेंगी। जैसे कृषक समिति, कताई समिति, बुनकर समिति, कागजी समिति आदि। इन समितियों के सदस्य व्यक्तिगत रूप से ग्राम-समिति के अनुशासन में भी रहेंगे। इस प्रकार कुछ ग्राम-समितियाँ मिलकर यूनियन और कुछ यूनियन मिलकर केन्द्रीय यूनियन का संघटन करेंगे। इन समितियों

का विधान ऐसा हो जिससे केन्द्रीय यूनियन में औद्योगिक समितियाँ भी शामिल हो सकें। औद्योगिक समितियों का सदस्य वही हो सकेगा जो स्वयं कारीगर हो और एक निश्चित संख्या से अधिक हिस्सा खरीदने का किसी को हक न हो। मैं इन समितियों के विभिन्न पइलुओं पर विधान का ढांचा अभी नहीं बनाऊँगा; वह कुछ राजनैतिक बुद्धि वाले ही बना सकते हैं। इस दिशा में आवश्यक योग्यता का भी मुझमें अभाव है। जब समय आने पर वास्तविक योजना बनानी होगी तो इस काम को करने के लिए विशेषज्ञों की कमी न होगी। किस आधार पर संघटन बन सकता है उसका संकेत मात्र मैंने किया है। हाँ, एक बात जरूर विचारणीय है। हम एकाएक इतनी समितियाँ बनायेंगे तो आज की स्वार्थमय सामाजिक-बुद्धिहीन जनता में घोर घपला तथा दूषित वातावरण हो सकता है। अतः बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना है। मैंने पहले ही कहा है कि शुरू में ऐसा कार्यक्रम उठाना पड़ेगा जिससे गांव वालों पर पहले से जमे हुए स्थायी स्वार्थ पर विशेष आघात न पहुँचे। इस विषय पर जिस सिलसिले से कार्यक्रमों का संघटन करना चर्खा-संघ तथा ग्राम-उद्योग के लिए बताया है वही सिलसिला सरकार के लिए भी जरूरी है। प्रथमतः चर्खा तथा अन्य उद्योगों की समितियाँ बनाकर सहयोग का वायुमंडल तथा व्यक्तिगत चरित्र पैदा होने पर कृषक समिति और अन्त में ग्राम-पंचायत का संघटन करना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं अपना विचार काफी प्रगट कर चुका हूँ, अतः यहां पर और बयान करना व्यर्थ होगा।

अब रही सरकारी संघटन की बात। मैंने कहा है, मेरे संकेतानुसार योजना का पूरे तौर पर संघटन करने में कम से कम १५ साल लग जायेंगे। वस्तुतः अपने ढङ्ग से समाज को बनाने की तैयारी में २५ साल से कम नहीं लगना चाहिए। शिक्षा के लिए १५ साल में उतनी संख्या में योग्य शिक्षक प्राप्त कर लेना सन्देहजनक ही है। फिर भी योजना बनाने के लिए एक निर्दिष्ट काल की सीमा तो बनानी ही

पड़ेगी। मैं समझता हूँ, प्रथम योजना १५ साल की बनानी ठीक होगी क्योंकि उससे कम समय में किसी भी कार्यक्रम को कोई निश्चित रूप देना सम्भव नहीं होगा। इस पन्द्रह साल को भी पांच-पांच साल के तीन हिस्सों में बांटना होगा। प्रथम पांच साल में साधनों की जांच, कार्यकर्त्ताओं का चुनाव तथा शिक्षा और संघटन के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करना तथा प्रारम्भिक व्यवस्था करने का काम होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि योजना के काम की प्रगति कुछ भी नहीं होगी। इस बीच अवश्य ऐसे चुने हुए क्षेत्रों में प्रयोग करना होगा जहां वातावरण पहले से ही कुछ अनुकूल हो या जहां इस प्रकार के काम करने के लिए स्थानीय नेतृत्व मौजूद हो। दूसरे पांच साल में ग्रामों के संघटनों की स्थापना और उनमें गति देने का काम होगा। इस पांच साल की अवधि में मूल योजना का काम शुरू हो जायगा। तीसरे पांच सालों में योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के पूरा करने की चेष्टा होगी। इस प्रकार १५ साल के तीन हिस्सों के कार्य की आवश्यकता के हिसाब से सरकारी संघटन का स्वरूप तैयार करना पड़ेगा।

पिछले दिनों में कांग्रेस सरकार ने पहले ही कार्यकर्त्ताओं को भर्ती करके संघटन कायम कर दिया; फिर योजना बनानी शुरू की। उसके बाद कार्यकर्त्ताओं की शिक्षा की व्यवस्था करनी शुरू की। वह शिक्षा भी गहराई की नहीं हुई। नतीजा यह हुआ कि किसी की समझ में कुछ नहीं आता था कि देहात की समस्या क्या है और कोई कुछ अन्दाज भी कर सका तो उसको सूझा नहीं कि कैसे काम शुरू करें। अगर भविष्य में कभी सरकार की ओर से हमको काम करना पड़े तो हमें इन बातों को पहले ही सोच लेना होगा। मेरी राय यह है कि पहले ही सरकारी संघटन कायम नहीं करना चाहिए। शुरू में दो प्रांतीय कमेटियां बनानी चाहिए। एक ग्राम-सुधार, जांच तथा योजना कमेटी और दूसरी प्रयोग कमेटी। जांच कमेटी प्रान्त की परिस्थितियों की जांच करके व्यौरवार योजना बनायेगी। प्रयाग कमेटी प्रान्त भर के उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं को इमदाद देकर कार्य की प्रगति

करावे जो पहले से कुछ प्रयोग कर रहे हैं या नई योजना के साथ प्रयोग करने के योग्य तथा अपना समय देने के इच्छुक हों। इस कमेटी का काम यह भी होगा कि इन कार्यक्रमों का निरीक्षण करना तथा विभिन्न प्रयोगों के नतीजों को एक दूसरे केन्द्रों में पहुंचाना और उनकी सम्मिलित रिपोर्ट योजना कमेटी के पास भेजते रहना। इनके साथ ही केन्द्रीय ग्राम-सुधार-शिक्षा-निकेतन की स्थापना करनी होगी। इस संस्था में कृषि तथा ग्राम-उद्योग की विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रयोग और उन उद्योगों की मार्फत जिला तथा कमिश्नरी के संचालकों की शिक्षा की व्यवस्था की जाय। इन्हीं संचालकों को कमिश्नरी तथा जिला शिक्षा-केन्द्र तथा स्थानीय ग्राम-सुधार योजना के संचालन का काम करना होगा। जिले के विभिन्न क्षेत्रों के कार्यकर्त्ताओं को कमिश्नरी के शिक्षा-केन्द्रों में और कृषि तथा ग्राम-उद्योग की शिक्षा जनता तक पहुंचाने का काम जिला के विद्यालय को करना होगा। जब तक स्थानीय कोओपरेटिव यूनियन संघटित नहीं हो जाता तब तक जिले के विद्यालय को उत्पत्ति तथा विक्री की व्यवस्था ठीक उसी तरह करनी होगी जिस तरह चर्खा संघ खादी की उत्पत्ति-विक्री का काम करता रहा है। जाँच कमेटी का काम शायद २ या २½ साल में पूरा हो जायगा और शिक्षा-केन्द्रों का सम्पूर्ण संघटन ५ साल में हो जायगा। लेकिन जिला का कार्य-क्रम चौथे वर्ष से शुरू हो जायगा और दशम वर्ष में केन्द्रीय विद्यालय-सहित जिले की सम्पूर्ण योजना की व्यवस्था का भार स्थानीय कोओपरेटिव यूनियन को सौंप देना होगा। बाकी ५ साल में सरकारी महकमा की देख-रेख में उनके संघटन को मजबूत बनाना होगा। बाद को सरकारी केन्द्रीय संस्था का काम कमिश्नरी के विद्यालय के लिए प्रयोग और विशेषज्ञों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने भर का रह जायगा। सरकारी केन्द्रीय ग्राम-सुधार विभाग का काम केवल इन शिक्षा संस्थाओं तथा विभिन्न यूनियनों की कार्यावली का निरीक्षण और परीक्षण करना रह जायगा। सरकारी महकमा के कार्य के परीक्षण तथा निरीक्षण के

लिए भी एक निरीक्षण कमेटी की स्थापना होनी जरूरी है जिसकी सदस्यता युनियनों के और प्रान्तीय असेम्बली के प्रतिनिधियों की होनी चाहिए। इस तरह हमारा काम ऐसा होना चाहिए जिससे ग्रामीण संघटन तथा सरकारी संघटन दोनों एक दूसरे के कामों की जांच कर सकें। अब प्रश्न यह उठता है कि उन संस्थाओं का क्या होगा जिन्हें शुरू में सरकारी मदद से कायम किया गया था। इसके लिए मैं अगर कुछ भी न कहूँ तो भी तुम्हारे सामने बात साफ हो जायगी। जब हमारी सारी योजना का ध्येय यह है कि उत्पत्ति, विक्री तथा आन्तरिक समाज-संघटन और व्यवस्था सब के लिए ग्रामीण समाज स्वावलम्बी हो तो प्रारम्भ में प्रयोग के लिए जिन संस्थाओं की स्थापना की जायगी वे सब ग्रामीण संस्था में समाविष्ट हो जायँगी।

इस पत्र के साथ विभिन्न परिस्थितियों में ग्राम-सुधार का काम किस प्रकार का हो सकता है, उसकी वास्तु मैंने अपना विचार एक प्रकार से समाप्त कर दिया। मैंने जो कुछ लिखा सब अब तक के अनुभव पर आधारित है। सम्भव है भविष्य के अनुभव से कुछ राय बदल जाय। लेकिन भविष्य की बात भविष्य में देखी जायगी।

[१५]

योजना के लिए पूँजी

२१ सितम्बर, १९४४

[इस पत्र में पूँजी की आवश्यकता के बहुत से आंकड़े दिये गये हैं। आज संसार में प्रत्येक वस्तु के दाम बढ़ रहे हैं। किन्तु पूँजी के मामले में देश की आर्थिक स्थिति अधिक खराब हो गई है। संभवतः वर्तमान स्थिति में बाहर से कुछ पूँजी लाना होगा। साथ ही साथ किसानों के घरों में फैली हुई पूँजी पहले से कुछ ज्यादा है। अतः बाहरी पूँजी का अनुपात इतना नहीं होना चाहिये कि जिससे देश पर बाहरी लोग हावी हो सकें। जनता की स्वतंत्रता के लिए हम चाहे जितनी स्वावलम्बी आर्थिक योजना बनाले तो भी अंतरराष्ट्रीय परस्पर-वलंबन रहेगा ही। वस्तुतः स्वावलंबन के विकास के लिए भी यह

परस्परावलंबन आवश्यक है। हमारी स्वावलंबी योजना इस परस्परावलंबन की मर्यादा स्थिर करेगी। ताकि यह परस्परावलंबन कहीं जनता के परावलंबन में बदल न जाय।

इस पत्र में दिये गये आंकड़ों को समझने के लिए पाठक उन्हें जितने हैं उससे चार गुना बढ़ाकर समझें। क्योंकि आज सामग्रियों के औसत भाव लगभग चार गुना बढ़े हैं।]

७ जुलाई को आखिरी पत्र लिखा था। मुझे डर था कि १४ जुलाई को छूटकर बाहर के दलदल में न फँस जाऊँ। वैसा नहीं हुआ। मैं रह गया। अब कम से कम १४ जनवरी तक यहाँ ही पड़ा रहूँगा। कुछ पढ़ भी लूँगा। इधर काफी दिन आँख के कारण पढ़ना नहीं हो सका था। उसकी पूर्ति भी कर लूँगा।

७ जुलाई के बाद २॥ महीने हो गये; मैंने कोई पत्र नहीं लिखा। कुछ सुस्ती के कारण और कुछ इसलिए भी कि सोचता था ६ माह रहना ही है तो इस बीच २-१ पत्र और लिख लेना काफी होगा। ग्राम-सुधार की बातें तो प्रायः पहले ही समाप्त कर दी थीं, अब लिखने को भी कुछ विशेष रह नहीं गया। पहले एक पत्र में मैंने जो समस्याओं की बात कही थी उसमें से एक प्रश्न के सम्बन्ध में लिखने को रह गया था। वह यह कि हमारी सारी योजना चलाने के लिए पूंजी और खर्च का क्या हिसाब हो। इस बीच तुम्हारा एक पत्र भी मिला। तुमने पूछा है कि १५ साल में जो आवादी बढ़ेगी उसके लिए आवश्यक सामान पाने की क्या योजना होगी? हाँ, यह सवाल माकूल है और इस प्रश्न पर अपना विचार पहले ही प्रकट करना था। यह तो पिछले पत्र में लिखा ही था कि जो आवादी बढ़ेगी उसको खेती लायक परती से ही अपना पोषण लेना होगा। अब सवाल यह है कि क्या नई जमीन तोड़ने के लिए हमको १५ साल इन्तजार करना होगा या अभी से उसका प्रोग्राम रखना होगा। मैं समझता हूँ, इस प्रश्न पर ज्यादा कुछ कहने की कोई बात नहीं है। आवादी जो बढ़ेगी उसमें १५ साल के बाद एक दिन एकाएक बढ़ती तो नहीं हो जायगी।

बढ़ना तो अब भी जारी है। अतः हमको योजना के शुरू से ही नई जमीन खेत में मिलाने का निश्चित कार्यक्रम बनाना चाहिए। इसके लिए जाँच करके एक नक्शा बनाकर निश्चित कर लेना चाहिए कि हमें कौन जमीन किस साल में खेती में मिलानी है। वे खेत ऐसे किसानों को देने होंगे जिनको आसानी से दूसरी जगह नहीं मिल सकती। यानी जिस इलाके में हमारी योजना के हिसाब से अतिरिक्त आबादी हो वहाँ के लोगों को ऐसे खाली क्षेत्रों में जमीन देकर बसाना होगा। फिर वे किसान स्थानीय किसानों की समिति में शामिल हो सकेंगे। मेरी राय में किसानों को बसाकर ही नई जमीन तोड़ना सम्भव होगा, सरकारी ढंग से नहीं। इस प्रकार जैसे-जैसे आबादी बढ़ती जायगी वैसे-वैसे नई बस्ती भी बढ़ती जायगी। फिर अन्य आवश्यकताओं के लिए दूसरे उद्योगों का काम भी बढ़ता जायगा। दूसरी बात यह है कि हमने जमीन की पैदावार में जितनी वृद्धि रक्खी है उचित साधन से उससे अधिक भी हो सकती है। मैंने केवल सावधानी के लिए उतना ही रक्खा जितना आसानी से हो सकेगा। इस वृद्धि से भी बढ़ती आबादी का कुछ लाभ होगा ही। लेकिन इसे उत्पत्ति की योजना के हिसाब में नहीं लेना चाहिए। मैं समझता हूँ तुम्हारे सवाल के लिए इतना संकेत काफी है।

अब अपनी योजना के आर्थिक पहलुओं पर विचार किया जाय। प्रथम प्रश्न यह है कि जब ग्राम-सुधार के लिए इतना विस्तृत आयोजन करना होगा तो उसके खर्च के लिए पैसे कहाँ से आवेंगे। हम जब कभी कोई बड़ी योजना बनाते हैं तो पैसे के प्रश्न पर आकर हमारी गाड़ी रुक जाती है। तुमको याद हाँगा, पिछले दिनों जब कांग्रेस सरकार थी तो कोई भी योजना उनके सामने ले जाने पर एक ही जवाब सब जगह मिलता था कि “हमारे पास पैसा कहाँ?” लेकिन राष्ट्रीय सरकार का आर्थिक दृष्टि-कोण पहले से भिन्न होगा। पहले तो शासन विभाग ही सम्पूर्ण सरकारी विभाग समझा जाता था; सुधार विभाग में पैसा नहीं होता था। अब तो हमारा बजट ऐसा बनाना:

पड़ेगा जिससे शासन विभागों में खर्च कम करके सुधार विभागों में अधिक खर्च करना संभव हो। फिर अब तक जमीन से प्रान्तीय सरकार को ५-६ करोड़ रुपये मिलते थे। जमींदारी प्रथा समाप्त होने पर लगान दस करोड़ के करीब मिलेगा। इस बढ़ती रकम में से तहसील का बढ़ती खर्च पूरा करके भी करीब २-३ करोड़ रुपया सुधार-विभागों में खर्च किया जा सकता है। पिछले दिनों इन विभागों में एक करोड़ के करीब खर्च होता था। वह और शासन-सम्वन्धी विभागों में खर्च कम करके एक करोड़ रुपया अगर और इस दिशा के लिए बचाया जाय तो कुल ४ करोड़ रुपया सालाना खर्च सुधार-विभागों में किया जा सकता है। अगर एक करोड़ रुपया संघटन व्यय में लग जाय तो बाकी ३ करोड़ हर साल पूँजी खर्च में लगाया जा सकता है।

ग्राम-समितियों का व्यापार-सम्वन्धी खर्च तो व्यापारिक लाभ से होगा। बाकी जन-सेवात्मक काम के खर्च के लिए प्रत्येक गाँव अपनी समिति को चन्दा दे। इन चन्दों में से कुछ भाग युनियनों को देने का नियम रखा जा सकता है। मैंने जो ग्राम-वासी के खर्च का हिसाब बनाकर तुमको भेजा था उसमें देखोगी कि प्रति ग्राम १२०) चन्दा ग्राम-समिति की मद में रक्खा गया है। शिक्षा के खर्च लिए भी अलग रकम रखी गई है। देहाती समाज के आन्तरिक कार्य-क्रमों के खर्च के लिए समितियों के स्वावलम्बी हो जाने पर सरकारी संघटन के लिए काम भी बहुत कम हो जाता है। इसलिए भी प्रान्तीय सरकार को खर्च की समस्या उतनी जटिल न मालूम होगी जितना खयाल किया जाता है।

अब देखना यह है कि इतने काम के लिए जो पूँजी लगेगी वह कहाँ से आवेगी। इसके लिए यह आवश्यक है कि हम हिसाब लगाकर जान लें कि हमको पूँजी चाहिए कितनी। कितनी पूँजी चाहिए, इसका हिसाब एक दम प्रान्त भर का न करके अगर औसत प्रति ग्राम का निकाल कर फिर कुल कितनी पूँजी प्रान्त को चाहिए, यह बताया जाय तो समझना आसान होगा। अतः प्रति ग्राम की पूँजी का हिसाब नीचे लिख रहा हूँ।

१—खेती की सिंचाई—हमारे प्रान्त के प्रति ग्राम ३४७.८ एकड़ जमीन पर खेती होती है जिसमें ११६.३ एकड़ पर सिंचाई की व्यवस्था आज मौजूद है। अतः हमको २३१.५ एकड़ की सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी। मेरी राय में इनमें २५% ऐसी जमीन है जिन पर नहर से सिंचाई हो सकेगी यानी ५७.६ एकड़ जमीन की सिंचाई नहर से करनी होगी। इसके अलावा ६३ सै० = १५४.७ एकड़ कुआँ से और बाकी १२ सै० यानी २८.६ एकड़ में २२.१ एकड़ की सिंचाई तालाब से हो सकेगी और ६.८ एकड़ जमीन ऐसी होगी जिस पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। इतनी सिंचाई की व्यवस्था के लिए निम्नलिखित हिसाब से पूँजी चाहिए।

नहर—अभी श्री टाटा आदि ने जो बम्बई योजना बनाई है उसके हिसाब से प्रति एकड़ सिंचाई के लिए नहर बनाने में ७०) पूँजी की आवश्यकता होती है। इस हिसाब से ५७.६ एकड़ की सिंचाई के लिए ४०५३) की पूँजी चाहिए।

कुआँ—कुएँ का हिसाब लगाना नहर जैसा सरल नहीं है। इस विषय में सरकारी, गैर सरकारी, जितने हिसाब लगाये जाते हैं वे सब एकांगी होते हैं। साधारणतः जो हिसाब लगाया जाता है उस तरह अगर हिसाब जोड़ा जाय तो प्रांत की स्थिति इस प्रकार होगी।

“आज प्रांत में १, ४०,००० कुएँ हैं। इतने कुएँ से ५,५५, - ४५१ एकड़ जमीन की सिंचाई होती है। यानी लगभग ४ एकड़ की सिंचाई एक कुएँ से होती है। सरकारी विशेषज्ञों की राय है कि कुआँ का सुधार करके २० एकड़ प्रति कुएँ से सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। अर्थात् कुआँ का उन्नत करके २७,७७,२५५ एकड़ की सिंचाई हो सकती है। अतः नये कुआँ की आवश्यकता नहीं है।”

लेकिन वास्तविक समस्या इस तरह गणित से हल नहीं हुआ करती। व्यावहारिक काम करने के लिए पहले परिस्थिति की जाँच करनी पड़ेगी। गाँव में कुएँ कुछ समान दूरी पर बँटे हुए नहीं हैं। ऐसा एक चक्र इलाका तुमको मिलेगा जहाँ ५० एकड़ जमीन के

बीच १२ कुएँ होंगे तो कहीं १० एकड़ के बीच ४ कुएँ मिलेंगे और कहीं ४० एकड़ के बीच २ कुएँ होंगे, तो कहीं ५० एकड़ के बीच एक भी कुआँ नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि कहीं तो कुएँ इतने हैं कि अगर उनका सुधार न किया जाय तो भी आस-पास की जमीन की पूरी सिंचाई हो सकती है और उन कुआँ के सुधार में खर्च करना बेकार है; कहीं की स्थिति ऐसी है कि अगर कुआँ का सुधार कर दिया जाय तो उस क्षेत्र की सिंचाई पूरी हो सकती है, और कहीं कुएँ कतई हैं ही नहीं और सिंचाई के लिए नये कुएँ बनवाना आवश्यक है। इसके अलावा एक स्थिति और हो सकती है। कहीं ऐसा क्षेत्र भी देखोगी जहाँ कुएँ हैं लेकिन पूरे इलाके के लिए काफी नहीं और अगर उन कुआँ की उन्नति की जाय तो पूरे क्षेत्र में सिंचाई हो सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि वहाँ कुएँ इतनी जीर्णवस्था में हैं कि उनका सुधार होना सम्भव नहीं और बढ़ती जमीन की सिंचाई के लिए नये कुएँ बनाने पड़ेंगे। वैसे तो कुआँ का हिसाब पूरी सर्वे (जांच) करके ही लग सकता है। लेकिन देहात के अनुभव से एक हिसाब का अनुमान तो हम कर ही सकते हैं। हमारे प्रान्त की औसत स्थिति को देखते हुए कुआँ के लिए निम्नलिखित हिसाब हो सकता है:—

प्रान्त के प्रति गाँव में १३.६ कुएँ हैं। यह मान कर कि ३३% कुआँ की दशा ऐसी है कि उनका सुधार हो ही नहीं सकता, कुल ६.१ कुएँ ऐसे होंगे जिनकी उन्नति करके सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उनमें ३ कुएँ ऐसे होंगे जो इतने पास-पास हैं कि उनके सुधार से कुछ लाभ नहीं होगा। बाकी ६.१ कुएँ से प्रति कुआँ १६ एकड़ के हिसाब से ६७.६ एकड़ बढ़ती जमीन की सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। बाकी ५७.१ एकड़ के लिए २.६ नये कुआँ की आवश्यकता होगी। अतः कुएँ के लिए पूंजी की आवश्यकता इस प्रकार होगी—

६.१ कुएँ की उन्नति के लिए मरम्मत प्रति कुआँ १००)	× ६.१
रहट " " २००)	
१७३०	

२६ नये कुएँ के लिए खुदाई व बँधाई	” ”	४००)	} X २.६
रहट	” ”	२००)	
		<u>१७४०)</u>	

जोड़ ३५७०)

तालाब २२.१ एकड़ के लिए १२) प्रति एकड़ से ६६५)

इस तरह सिंचाई के लिए औसत

प्रति ग्राम ७७८८) की पूँजी चाहिए ।

पशुओं का नस्ल-सुधार

१६३ गाय-भैंस आदि के लिए ५) प्रति पशु के हिसाब से ८१५)

औजार सुधार

३ हल X ३)	१११)	} ...	१३६)
विविध	२५)		

खाद

हड्डी व मांस के लिए	१००)	} ...	१५०)
विविध	५०)		

नये खेत बनाना

३५ एकड़ के लिए ६०) प्रति एकड़ ... २१००)

अर्थात् खेती-सुधार के लिए कुल पूँजी की आवश्यकता इस

प्रकार होगी :—

औसत प्रति ग्राम—

१. सिंचाई	७७८८)
२. पशुओं की उन्नति	८१५)
३. औजार-सुधार	१३६)
४. खाद की व्यवस्था	१५०)
५. नये खेत बनाना	२१००)
	<u>जोड़ ११०६६)</u> (१)

उद्योग—विभिन्न उद्योगों के लिए औसत प्रति ग्राम निम्नलिखित हिसाब से पूँजी की आवश्यकता होगी :—

मौजूद पूँजी प्रति ग्राम

आवश्यक पूँजी

न्यौरा उद्योग	परिवार प्रति ग्राम	प्रति परिवार	प्रति ग्राम	उपस्थित कारखानों की	नये कारखानों का कच्चा माल	जोड़	बाकी आवश्यक पूँजी प्रति ग्राम
ईंटे का भट्टा	५००)	५)	५)	१०)	४६०)
आटे की चक्की	१५)	...	५)	५)	१०)
धान कूटने की ढ़की	१५)	...	२)	२)	१३)
गन्ना पेरने का कोल्हू	२५०)	१२)	...	१२)	२३८)
गुड़ का कोल्हार	५०)	१०)	...	१०)	४०)
चर्खा १३०	३१०)	६)	१००)	१०६)	२०४)
धुनकी ६०	६०)	...	१११)	१११)	७८॥॥)
तेल धानी	२.५	३६०)	६००)	१८०)	६१६)	७६६)	१०४)
चीनी मशीन	.५	१५८०)	७६०)	...	४५०)	४५०)	३४०)
बुनाई	६.०	११६)	६६६)	४००)	...	४००)	२६६)
साबुन	.६६	४५०)	३००)	...	८४)	८४)	२१६)
कागज	.५६	२५०)	१४०)	...	४०)	४०)	१००)
चमड़ा सिमाना	.२	५००)	१००)	१०)	२०)	३०)	७०)
सरेस, ताँत, जूता आदि	.५	३००)	१५०)	१२)	२०)	३२)	११८)

लौहारी	१.५	५००)	७५०)	३०)	...	३०)	७३०)
बढ़ईगरी	१.५	११०)	१६५)	१२)	५०)	६७)	६८)
कम्बल व मेड़							
पालना	१.०	३७०)	३७०)	१००)	१००)	२००)	१७०)
कुम्हारी	.५	५०)	२५)	२)	...	२)	२३)
दरी कालीन	.२५	१००)	२५)	१)	१८)	१६)	६)
खिलाई	.५	१६५)	८३)	३॥)	...	३॥)	७६॥)
अंखा मछली							
गोस्त	.५	१००)	५०)	५)	५)	५०)	१०)
रंगई छपाई	.०५	२००)	१०)	१)	...	१)	६)
सींग का काम	.०५	२००)	१०)	...	२॥)	२॥)	७॥)
बाघ रस्सी							
आदि	.५०	२०)	१०)	३)	५)	८)	२)
दियासलाई	.०४	७००)	२८)	२८)
रोशनाई	.०२	१५०)	३)	...	१॥)	१॥)	१॥॥)
शीशा चूही	.०५	१०००)	५०)	२)	५॥)	६॥)	४३॥)
ठठेरी	.२०	५००)	१००)	१००)

सेनोरी	.६०	१००)	६)	१)	...	१)	५)
पेंसिल							
बनाना	.००५	१०००)	५)	५)
ब्रश बनाना	.००५	५००)	२॥)	...	१)	१)	१॥)
लाख वार्निश							
आदि	.००५	५००)	२॥)	॥)	१)	१॥)	१)
संगतराशी	.०२	२००)	४)	१॥)	१)	२॥॥)	१)
माली दवा							
जड़ी बूटी	.०५	५०)	२॥)	॥)	१॥)	२)	॥)
तमोली	.०५	२५)	१॥)	॥)	॥)	१)	॥)
बारी	.०२
राज मिखी	.५०	१५)	॥)	॥)
अन्य उद्योग	.१००	२५०)	२५०)	५)	१००)	१०५)	१४५)

कुल जोड़—१६.२६५ ७६३॥) १६७६॥॥) २४७३१) ३५८६)

३-हकीम वैद्य डाक्टर आदि

.२ ७५०)

४-शिक्षा	१५०)	१०)	५०)	६०)	६०) [३]
----------	------	-----	-----	-----	---------

प्रति स्कूल

दर्जा ४ तक स्कूल १	६००)	६००)	६००)		
" ७ " " .३३	६००)	३००)	३००)		
माध्यमिक .०५	१०००)	५०)			
ग्राम सेवक { केन्द्रीय	१३,००,०००)	१३)	१३०)	२५०)	६७०)
विद्यालय { कमिश्नरी	३,००,०००)	३०)			
{ जिला	१,५०,०००)	७०)			
	४०)		७३)

१०६३)

५-घरेलू सेवा

घरेलू नौकर आदि	५	१०)	५)	३२०)	७४३) [४]
धोबी	१	२०)	५)	...	५)
नाई	१	५)	२)	८)	४)
	७)	३५)	१५)	८)	३)
				२३)	१५) [५]

६—सड़क	२०००)	२०)	२००)	२२०)	१७८०)
७—बनिया	१ ५००)	२००)	२५०)	४५०)	५०)
८—बागवानी	३.५ २००)	२००)
९—अन्य फुटकर	२००)	२००)

इस प्रकार सारी योजना के लिए औसत प्रति ग्राम कुल पूँजी की आवश्यकता निम्नलिखित होगी :

१—खेती-सुधार					११,०६६)
२—ग्राम-उद्योग	३,७८६)
३—हकीम वैद्यादि	६०)
४—शिक्षा	७४३)
५—घरेलू सेवा	१२)
६—सड़क	१७८०)
७—बनिया	५०)
८—बागवानी	२००)
९—अन्य फुटकर	२००)
१०—मकानादि	३० X ३२५				९७५०)
११—शिशु-विहार	३००)
जोड़					२८०१०)

अर्थात् प्रान्त भर के लिए २८६,७८,८७,८८०) यानी २८६.

७६ करोड़ रुपये की पूँजी चाहिए ।

अब प्रश्न यह है कि इतना रुपया आवे कहाँ से । पूँजी के लिए गाँव में हमको प्रधानतः निम्नलिखित जरियों का हिसाब देखना होगा :—

१—गाँव में प्राप्त कच्चा माल

२—लोगों के पास की नकद

३—धर्मगोला में रिजर्व रकम

४—ग्रामवासी की वचत में से

१. उद्योगों के लिए जो कच्चा माल लगता है और जो गांव में मिल सकता है उन्हें तो उद्योग की पूँजी के हिसाब में से ही घटा दिया गया है। अतः यह मद केवल मकान और शिशु-विहार का हिसाब से ही घटेगी। मेरे ख्याल से मकान के लिए लगभग ७०) प्रति घर के हिसाब से सामान गांव में होगा और शिशु-विहार का ५०) का सामान मौजूद होगा। इस तरह मकानादि में $(६० \times ७०) + ५० = २१५०)$ पूँजी मौजूद है।

२—गांव की परिस्थिति को देखते हुए यह कहना गलत न होगा कि लोगों के पास लगभग ३०००) प्रति ग्राम मौजूद होगा। इसमें से पूँजी के काम में १०००) करीब मिल सकेगा।

३—पिछले पत्र में मैंने अनाज का हिसाब करते समय बताया था कि धर्मगोला में जमा सामान का दाम कुल पैदावार का ४ सैकड़ा होता है और कुल पैदावार का दाम ३००००) है। इस तरह इस मद में प्रति ग्राम वार्षिक जमा १२००) है। पूरी पैदावार प्रथम से ही नहीं होगी। अतः हमें आधी रकम ही प्राप्त होगी। इस तरह इस मद से $६००) \times १५$ साल = ६०००) मिल सकेगा।

४—किसानों की ग्रामदनी खर्च का जो हिसाब किया है उसमें ६०) प्रति परिवार की वचत दिखाई देती है। लेकिन खेती-जसे अनिश्चित उद्योग में आकस्मिक खर्च काफी होता है। दूसरे उद्योग में २०) प्रति परिवार वचत होगी, ऐसा अन्दाज किया जा सकता है। इस हिसाब से १८८०) प्रतिग्राम वचत होगी। इसमें से १०००) के करीब पूँजी के लिए प्राप्त हो सकता है। शुरु से सारी वचत नहीं होगी, यह मानकर कुल $६००) \times १५$ साल = ६०००) इस मद से मिल सकता है।

अतः गांव में प्राप्त पूँजी औसत इस प्रकार होगी:—

१—मकानादि के लिए मौजूद सामान	२१५०)
२—नकद	१०००)
३—धर्मगोला में रिजर्व	६०००)
४—ग्रामवासी की बचत	६०००)
	<hr/>
	२११५०)

यानी प्रान्त भर के देहातों से प्राप्त पूंजी २१६,५५,०६, २००)
= लगभग २१६.५५ करोड़ ।

इसके उपरान्त जैसा कि मैंने इस पत्र के पहले ही कहा है सरकारी बजट से ३ करोड़ रुपया सालाना पूंजी खर्च में लगाना कठिन न होगा । इस तरह १५ साल में ४५ करोड़ रुपया सरकारी बजट से लगाया जा सकेगा । इस पूंजी को अंगार जोड़ा जाय तो प्राप्त पूंजी २६१.५५ करोड़ रुपया होगी । हमें कुल २७६.५५ करोड़ रुपया की जरूरत है । बाकी १५ करोड़ यानी सालाना १ करोड़ रुपया शहरों से उधार लेना पड़ेगा ।

मैं समझता हूँ, ग्राम-सुधार के करीब सभी प्रश्नों पर अपना विचार कुल पत्रों में प्रकट कर दिया है । इधर कई महीनों से बाहर सारे संसार में योजनाओं की भरमार हो रही है । मालूम नहीं मेरे जैसे मामूली ग्रामसेवक का अनुभव आगामि राष्ट्रीय योजना-कार्य में कुछ काम देगा या नहीं । शायद इन बातों का विशेष मूल्य भी न होगा । लेकिन इससे हमें क्या मतलब । तुमने मेरे अनुभवों की कहानी सुननी चाही थी । मैंने उसे लिख भेजा । अगर दुनिया की कुछ सेवा इससे हो तो अच्छी बात, न-हो तो कोई हर्ज नहीं । लेकिन मेरा विश्वास है कि आज के प्रलयकालीन महा-संकट के दिन लोगों को वापू की शान्ति और समता की आवश्यकता है; और वैसी शान्ति तथा समता समाज को स्वात्मन के आधार पर संघटन करने से ही प्राप्त हो सकती है । मैंने इन पत्रों में जो कुछ लिखा है वह सब उसी स्वावलम्बी समाज-संघटन के तरीकों के प्रति संकेत करता है । इस दृष्टि से शायद कभी इन बातों की भी कदर हो ।

